संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

जिल्द ६१

सोमवार, ९ जनवरी, सन् १९५० से शनिवार, १४ जनवरी, सन् १९५० ई० तक

मुद्रक
अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद
१९५०

[मूल्य ४ आने]

विषय-सूची

सोमवार, ९ जनवरी सन् १९५० ई०

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची ..	१--३
प्रश्नोत्तर	३--२७
श्री अजीज अहमद खां तथा श्री बलभद्र सिंह की मृत्यु पर शोक संवाद ..	२७--२८
श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव की मृत्यु पर शोक संवाद ..	२९--३०
जालौन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट के उपचुनाव के सम्बन्ध में काम रोको प्रस्ताव (अवैध घोषित) ..	३१--३२
भूमिधरी अधिकार तथा जमींदारी उन्मूलन कोष एकत्र करने के विषय में कामरोको प्रस्ताव (अवैध घोषित) ..	३२
देवरिया जिले में रबी की फसल, किसान सत्याग्रह तथा सत्याग्रही बंदियों के विषय में काम रोको प्रस्ताव (अवैध घोषित) ..	३२
प्रान्त में चीनी के मूल्य नियंत्रण के संबंध में कामरोको प्रस्ताव (अवैध घोषित)	३३
सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेष धिकार उपार्जन) विधेयक (बिल) पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा ..	३३
सन १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (संशोधन और कार्यवाहियों को वैध करने के) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा	३३
सन् १९४९ ई० के रुड़की विश्वविद्यालय (यूनीवर्सिटी) (संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा ..	३३
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय औषधि (नियन्त्रण) आर्डिनेंस (मेज पर रखा गया)	३४
सन् १९४९ ई० का इंडियन बार काउन्सिल (यू० पी० अमेंडमेंट ऐन्ड वैलिडेशन आफ प्रोसीडिंग्स) आर्डिनेंस (मेज पर रखा गया) ..	३४
सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज रिक्वीजीशन आफ मोटर वेहिकिल्स (एमर्जेन्सी पावर्स) (अमेंडमेंट एन्ड प्रोसीडिंग्स वैलिडेशन) आर्डिनेंस (मेज पर रखा गया) .. .	३४
सन् १९४९ ई० का कुमायूं एनिमल ट्रांसपोर्ट कंट्रोल (अमेंडमेंट) (आर्डिनेंस मेज पर रखा गया)	३४
हरिद्वार कुम्भ मेला के नियम (मेज पर रखे गए) ..	३४
इलाहाबाद माघ मेला के नियम का संशोधन (मेज पर रखा गया) .	३४
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स (नियमों) का संशोधन (मेज पर रखा गया)	३४

विषय — पृष्ठ

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल (विशिष्ट समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत) .. ३४--३७

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय शुद्ध खाद्य बिल (आलेख) (विशिष्ट समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत) ३७

सन् १९४९ ई० का कोआपरेटिव सोसाइटीज (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन बिल (स्वीकृत) ३७

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये (भूमि प्राप्त करने का) (संशोधन) बिल (स्वीकृत) .. ३८--४०

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल (जारी) ४०--६९

नत्थियां ७०--३०२

मंगलवार, १० जनवरी सन् १९५० ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची ३०३--३०५

प्रश्नोत्तर ३०५--३२८

सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय जूट की बनी वस्तुओं के नियंत्रण का आर्डिनेंस (मेज पर रखा गया) ३२८

सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय कोर्टफीस [छूट (रेमिशन)] आर्डिनेंस (मेज पर रखा गया) ३२८

सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविंसेज इन्टर मीडिएट एजूकेशन (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस (मेज पर रखा गया) ३२८

आरकोलाजिकल म्यूजियम, मथुरा की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत हुआ) .. ३२८

प्रान्तीय म्यूजियम, लखनऊ की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत हुआ) ३२८

संयुक्त प्रान्तीय म्यूजियम एडवाइजरी बोर्ड में काम करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत हुआ) .. ३२८

कृषि तथा पशुपालन स्थायी समिति में स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह द्वारा रिक्त हुये स्थान के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत हुआ) ३२९

यूनाइटेड प्राविंसेज नर्सेज एंड मिडवाइफ कौंसिल में काम करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत हुआ) .. ३२९

बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालिज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति में श्री शिवराम वैद्य द्वारा रिक्त हुये स्थान के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत हुआ) ३२९

सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल (जारी) ३२९--३७१

लखनऊ में सदस्यों के लिये कर्फ्यू के परमिट ३७२

नत्थियां ३७३--३९४

विषय | पृष्ठ

बुधवार, ११ जनवरी सन् १९५० ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची .. .. .. ३९५—३९७

प्रश्नोत्तर .. .. .. ३९७—४२१

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज एकोमोडेशन रिक्वोजीशन आर्डिनेंस (मेज पर रखा गया) ४२१

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐंड एविक्शन आर्डिनेंस (मेज पर रखा गया) .. ४२१

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल (जारी) .. .. ४२१—४३०

कतिपय समितियों के लिये सदस्यों के चुनाव का कार्यक्रम .. ४३०—४३१

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल (जारी) . .. ४३१—४५८

नत्थियां .. .. .. ४५९—४६३

बृहस्पतिवार, १२ जनवरी सन् १९५० ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची . .. ४६५—४६७

प्रश्नोत्तर .. .. .. ४६७—४८५

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल (जारी) .. .. ४८५—५०६

कतिपय समितियों के लिये सदस्यों के चुनावों के सम्बन्ध में घोषणाएं .. ५०६—५०७

भारतीय पार्लियामेंट के पच्चीस रिक्त स्थानों के लिये चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा .. . .. ५०७—५०८

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल (जारी) .. .. ५०८—५२८

कतिपय समितियों के लिये सदस्यों के चुनावों के सम्बन्ध में घोषणा .. ५२८

नत्थियां .. . .. ५२९—५३९

शुक्रवार, १३ जनवरी सन् १९५० ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची .. .. ५४१—५४३

प्रश्नोत्तर . .. .. ५४३—५६२

हज कमेटी के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा .. ५६२

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल (जारी) . .. ५६२—५७३

भारतीय पार्लियामेंट के पच्चीस रिक्त स्थानों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा ५७३

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल (जारी) .. .. ५७३—६०७

हज कमेटी के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा .. ६०७

नत्थियां . .. .. ६०८—६१२

विषय | पृष्ठ

शनिवार, १४ जनवरी सन् १९५० ई०

विषय	पृष्ठ
उपस्थित सदस्यों की सूची	६१३—६१५
प्रश्नोत्तर	६१५—६३१
सन् १९४९ ई० का रामपुर (अप्लीकेशन आफ लाज) आर्डिनेंस (सन् १९४९ ई० की संख्या १३) (मेज पर रक्खा गया।) ..	६३१
सन् १९४८-४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज मर्ज्ड स्टेट्स (अप्लीकेशन आफ लाज) आर्डिनेंस (सन् १९३५ ई० की संख्या १) (मेज पर रक्खा गया।)	६३१
सन् १९३५ ई० के संयुक्त प्रान्त के मोटर गाड़ियों के आयकर के नियम १२ में संशोधन (मेज पर रक्खा गया) ..	६३२
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल (जारी)	६३२—६७९
नत्थियां	६८०—६९६

शासन

गवर्नर

महामान्य श्री हारमस जी पेरोशा मोदी।

सचिव-परिषद्

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, प्रधान सचिव तथा अर्थ, न्याय, सूचना और सामान्य-प्रशासन सचिव।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, निर्माण सचिव।

माननीय श्री सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, शिक्षा तथा श्रम सचिव।

माननीय श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल एल० बी०, वन तथा माल सचिव।

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी, बी० ए०, एल-एल० बी०, कृषि तथा पशु-पालन सचिव।

माननीय श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प, जेल तथा मादक-कर सचिव।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०, स्वशासन सचिव।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, स्वास्थ्य तथा अन्न सचिव।

माननीय श्री लालबहादुर, गृह (पुलिस) तथा परिवहन सचिव।

माननीय श्री केशवदेव मालवीय, एम० एस-सी०, उद्योग तथा विकास सचिव।

सभा-मन्त्री

माननीय प्रधान सचिव के सभा-मंत्री –

१––श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०।

२––श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०।

३––श्री गोविन्द सहाय, एम० एल० ए०।

माननीय निर्माण सचिव के सभा-मंत्री––

१––श्री लताफत हुसैन, एम० एल० ए०।

माननीय शिक्षा सचिव के सभा-मंत्री––

१––श्री महफूजुर्रहमान, एम० एल० ए०।

माननीय उद्योग सचिव के सभा-मंत्री––

१––श्री वहीद अहमद, एम० एल० सी०।

माननीय माल सचिव तथा कृषि सचिव के सभा-मंत्री––

१––श्री हरगोविन्द सिंह, एम० एल० सी०।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

१—अचल सिंह	..	आगरा नगर।
२—अजितप्रताप सिंह	..	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन।
३—अब्दुल गनी अंसारी	..	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
४—अब्दुल बाकी	..	जिला आजमगढ़ (पूर्व)।
५—अब्दुल मजीद	..	मुरादाबाद–अमरोहा–चन्दौसी नगर।
६—अब्दुल मजीद ख्वाजा	..	अलीगढ–हाथरस–मथुरा नगर।
७—अब्दुल वाजिद, श्रीमती	..	मुरादाबाद जिला (उत्तर–पूर्व)।
८—अब्दुल हमीद	..	जिला देहरादून ओर सहारनपुर (पूर्व)।
९—अम्मार अहमद खां	..	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)।
१०—अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स	..	संयुक्त प्रान्तीय भारतीय ईसाई।
११—अलगूराय शास्त्री	..	जिला आजमगढ़ (उत्तर–पूर्व)।
१२—अली जर्रार जाफरी	..	जिला गोंडा (उत्तर–पूर्व)।
१३—अल्फ्रेड धर्मदास	..	संयुक्त प्रान्तीय भारतीय ईसाई।
१४—असगर अली खां	..	जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम)।
१५—अक्षयवर सिंह	..	जिला गोरखपुर (पश्चिम)।
१६—आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री	..	फर्रुखाबाद–इटावा–झांसी नगर।
१७—आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम	..	संयुक्त प्रान्तीय ऐंग्लो इंडियन।
१८—इन्द्रदेव त्रिपाठी	..	जिला गाजीपुर (पश्चिम)।
१९—इनाम हबीबुल्ला, बेगम	..	लखनऊ नगर।
२०—उदयवीर सिंह	..	जिला बस्ती (दक्षिण)।
२१—ऐजाज रसूल	..	जिला हरदोई।
२२—कमलापति तिवारी	..	जिला बनारस।
२३—करीमुर्रजा खां	..	बदायूं–शाहजहांपुर–सम्भल नगर।
२४—कालीचरण टंडन	..	जिला फर्रुखाबाद (दक्षिण)।
२५—किशनचन्द पुरी	.	संयुक्त प्रान्तीय चेम्बर आफ कामर्स तथा संयुक्त प्रान्तीय मर्चेन्ट्स चेम्बर।
२६—कुंजबिहारीलाल शिवानी	..	जिला झांसी (उत्तर)।
२७—कुशलानन्द गैरोला	..	जिला गढ़वाल (उत्तर–पश्चिम)।
२८—कृपाशंकर	..	जिला बस्ती (दक्षिण)।
२९—कृष्णचन्द्र	..	जिला मथुरा (पश्चिम)।
३०—कृष्णचन्द्र गुप्त	..	जिला सीतापुर (दक्षिण)।
३१—केशव गुप्त	..	जिला मुजफ्फरनगर (पूर्व)।
३२—केशवदेव मालवीय, माननीय श्री	..	जिला मिर्जापुर (दक्षिण)।
३३—खानचन्द गौतम	..	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)।

३४—खुशवक्त राय	..	जिला खीरी (उत्तर-पूर्व)।
३५—खुशीराम	..	जिला अल्मोड़ा।
३६—खूब सिंह	..	जिला बिजनौर (पूर्व)।
३७—गंगाधर	..	जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)।
३८—गंगाप्रसाद	..	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)।
३९—गंगासहाय चौबे	..	जिला कानपुर (पश्चिम)।
४०—गजाधरप्रसाद	..	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
४१—गणपति सहाय	..	जिला सुल्तानपुर।
४२—गणेशकृष्ण जैतली	..	जिला फैजाबाद (पूर्व)।
४३—गिरधारीलाल, माननीय श्री	..	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व)।
४४—गोपालनारायण सक्सेना	..	जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)।
४५—गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री	..	बरेली-पीलीभीत-शाहजहांपुर-बदायूं नगर।
४६—गोविन्दसहाय	..	जिला बिजनौर (पश्चिम)।
४७—चतुर्भुज शर्मा	..	जिला जालौन।
४८—चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री	..	लखनऊ नगर।
४९—चन्द्रभानु शरण सिंह	..	जिला गोंडा (दक्षिण)।
५०—चरण सिंह	..	जिला मेरठ (दक्षिण-पश्चिम)।
५१—चेतराम	..	जिला बाराबंकी (उत्तर)।
५२—छेदालाल गुप्त	..	जिला हरदोई (उत्तर-पश्चिम)।
५३—जगन्नाथदास	..	जिला सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)।
५४—जगन्नाथप्रसाद अग्रवाल	..	जिला सीतापुर (पूर्व)।
५५—जगन्नाथ बख्श सिंह	..	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन।
५६—जगन्नाथ सिंह	..	जिला बलिया (उत्तर)।
५७—जगनप्रसाद रावत	..	जिला आगरा (दक्षिण-पश्चिम)।
५८—जगमोहन सिंह नेगी	..	जिला गढ़वाल (दक्षिण-पूर्व)।
५९—जयकृष्ण श्रीवास्तव	..	अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स।
६०—जयपाल सिंह	..	जिला फैजाबाद (पूर्व)।
६१—जयराम वर्मा	..	जिला बाराबंकी (उत्तर)।
६२—जवाहरलाल रोहतगी	..	कानपुर नगर।
६३—जहीरुल हसनैन लारी	..	जिला गोरखपुर (पूर्व)।
६४—जहूर अहमद	..	इलाहाबाद-झांसी नगर।
६५—जाकिर अली	..	आगरा-फर्रुखाबाद-इटावा नगर।
६६—जाहिद हसन	..	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पश्चिम)।
६७—जुगुलकिशोर	..	मथुरा-अलीगढ़-हाथरस नगर।
६८—त्रिलोकी सिंह	..	जिला लखनऊ।
६९—दयालदास	..	जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)।
७०—दाऊदयाल खन्ना	..	मुरादाबाद (पूर्व)।

७१—द्वारिकाप्रसाद मौर्य .. जिला जौनपुर (पूर्व)।

७२—दीनदयालु अवस्थी .. जिला इटावा (पश्चिम)।

७३—दीनदयालु शास्त्री .. सहारनपुर—हरिद्वार—देहरादून—मुजफ्फरनगर नगर।

७४—दीपनारायण वर्मा .. जौनपुर-मिर्जापुर-गाजीपुर-गोरखपुर नगर।

७५—नफ़ीसुल हसन .. जिला इटावा और कानपुर।

७६—नवाजिश अली खां .. फैजाबाद—सीतापुर—बहराइच नगर।

७७—नवाब सिंह चौहान .. जिला अलीगढ़ (पूर्व)।

७८—नाजिम अली .. जिला सुल्तानपुर।

७९—नारायणदास .. लखनऊ नगर।

८०—निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री .. जिला मैनपुरी और एटा।

८१—निज़ामुद्दीन .. जिला बदायूं (पूर्व)।

८२—परागीलाल .. जिला सीतापुर (उत्तर—पश्चिम)।

८३—पुरुषोत्तमदास टंडन, माननीय श्री .. इलाहाबाद नगर।

८४—पूर्णमासी .. जिला गोरखपुर (उत्तर)।

८५—पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती .. जिला फर्रुखाबाद (उत्तर)।

८६—प्रकाशवती सूद, श्रीमती .. जिला मेरठ (उत्तर)।

८७—प्रयागनारायण .. अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन।

८८—प्रेमकिशन खन्ना .. जिला शाहजहांपुर (पश्चिम)।

८९—फखरुल इस्लाम .. जिला जौनपुर और इलाहाबाद (उत्तर-पूर्व)।

९०—फजलुर्रहमान खां .. जिला शाहजहांपुर।

९१—फतेहसिंह राणा .. जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम)।

९२—फूलसिंह .. जिला सहारनपुर (दक्षिण—पूर्व)।

९३—बदन सिंह .. जिला बदायूं (पश्चिम)।

९४—बनारसीदास .. जिला बुलन्दशहर (उत्तर)।

९५—बलदेवप्रसाद .. जिला गोंडा (उत्तर—पूर्व)।

९६—बशीर अहमद हकीम .. जिला सीतापुर।

९७—बशीर अहमद असारी .. जिला बिजनौर (दक्षिण पूर्व)।

९८—बादशाह गुप्त .. जिला मैनपुरी (उत्तर—पूर्व)।

९९—बाबूराम वर्मा .. जिला एटा (उत्तर)।

१००—बृजमोहनलाल शास्त्री .. जिला बरेली (दक्षिण—पश्चिम)।

१०१—भगवती प्रसाद दुबे .. जिला गोरखपुर (दक्षिण-पश्चिम)।

१०२—भगवती प्रसाद शुक्ल .. जिला प्रतापगढ़ (पश्चिम)।

१०३—भगवानदीन .. कानपुर नगर।

१०४—भगवानदीन मिश्र .. जिला बहराइच (दक्षिण)।

१०५—भगवान सिंह .. जिला पीलीभीत (दक्षिण)।

१०६—भारत सिंह .. जिला मैनपुरी (दक्षिण-पश्चिम)।

१०७—भीमसेन .. जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम)।

१०८—मंगलाप्रसाद .. जिला रायबरेली (दक्षिण-पश्चिम)।

१०९—मसुरियादीन .. इलाहाबाद नगर।

११०—महफूजुर्रहमान .. जिला बहराइच (दक्षिण)।

१११—महमूद अली खां .. देहरादून-हरद्वार-सहारनपुर-मुजफ्फरनगर नगर।

११२—मिजाजीलाल .. जिला मैनपुरी (उत्तर-पूर्व)।

११३—मुकुन्दलाल अग्रवाल, .. जिला पीलीभीत (उत्तर)।

११४—मुजफ्फर हुसैन .. लखनऊ नगर।

११५—मुनफैत अली .. जिला सहारनपुर (उत्तर)।

११६—मुहम्मद अदील अब्बासी .. जिला बस्ती (पश्चिम)।

११७—मुहम्मद असरार अहमद .. जिला बदायूं (पश्चिम)।

११८—मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री .. जिला गढ़वाल और बिजनौर (उत्तर-पश्चिम)।

११९—मुहम्मद इस्माईल .. जिला मुरादाबाद (दक्षिण पूर्व)।

१२०—मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी .. जिला अलीगढ़।

१२१—मुहम्मद जमशेद अली खां .. जिला मेरठ (पश्चिम)।

१२२—मुहम्मद नबी, सैयद .. जिला मुजफ्फरनगर (पूर्व)।

१२३—मुहम्मद नजीर .. जिला बनारस और मिर्जापुर।

१२४—मुहम्मद फारूक .. जिला गोरखपुर (पश्चिम)।

१२५—मुहम्मद याकूब .. जिला गाजीपुर और बलिया।

१२६—मुहम्मद यूसुफ .. जिला इलाहाबाद (दक्षिण-पश्चिम)।

१२७—मुहम्मद रजा खां .. जिला बरेली (पूर्व, दक्षिण और पश्चिम)

१२८—मुहम्मद शकूर . बनारस-मिर्जापुर नगर।

१२९—मुहम्मद शमीम .. जिला रायबरेली।

१३०—मुहम्मद शाहिद फाखरी .. लखनऊ नगर।

१३१—मुहम्मद शौकत अली खां .. जिला बुलन्दशहर (पश्चिम)।

१३२—मुहम्मद सआदत अली खां .. जिला बहराइच (उत्तर)।

१३३—मुहम्मद सुलेमान अजमी .. जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व)।

१३४—यज्ञनारायण उपाध्याय .. जिला बनारस (पश्चिम)।

१३५—रघुनाथ विनायक धुलेकर .. जिला झांसी (दक्षिण)।

१३६—रघुवंशनारायण सिंह .. जिला मेरठ (पूर्व)।

१३७—रघुवीर सहाय .. जिला बदायूं (पूर्व)।

१३८—राघवदास .. फैजाबाद-बहराइच-सीतापुर नगर।

१३९—राजकुंवार सिंह . आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन।

१४०—राजाराम मिश्र .. जिला फैजाबाद (पश्चिम)।

१४१—राजाराम शास्त्री .. कानपुर औद्योगिक श्रम।

१४२—राधाकृष्ण अग्रवाल .. जिला हरदोई (मध्य)।

१४३—राधामोहन सिंह .. जिला बलिया (दक्षिण)।
१४४—राधेश्याम शर्मा .. जिला बस्ती (पश्चिम)।
१४५—रामकुमार शास्त्री .. जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व)।
१४६—रामकृपाल सिंह .. बुलन्दशहर-मेरठ-हापुड़-खुर्जा-नगीना नगर।
१४७—रामचन्द्र पालीवाल .. जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)।
१४८—रामचन्द्र मेहरा .. आगरा नगर।
१४९—रामजी सहाय .. जिला गोरखपुर (मध्य)।
१५०—रामधर मिश्र .. इलाहाबाद, लखनऊ तथा आगरा विश्वविद्यालय।
१५१—रामधारी पांडे .. जिला गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)।
१५२—रामनारायण .. अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स।
१५३—रामबली .. जिला सुलतानपुर (पूर्व)।
१५४—राममूर्ति .. जिला बरेली (उत्तर-पूर्व)।
१५५—रामशंकरलाल .. जिला बस्ती (दक्षिण-पूर्व)।
१५६—रामशरण .. मुरादाबाद-अमरोहा-सम्भल-चन्दौसी नगर।
१५७—रामस्वरूप गुप्त .. जिला कानपुर (दक्षिण)।
१५८—रामेश्वर सहाय सिंह .. जिला हरदोई (दक्षिण-पूर्व)।
१५९—रुक्नुद्दीन खां .. जिला प्रतापगढ़।
१६०—रोशनजमा खां .. जिला गोंडा (दक्षिण-पश्चिम)।
१६१—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती .. जिला फैजाबाद (पश्चिम)।
१६२—लताफत हुसैन .. जिला मुरादाबाद (उत्तर-पश्चिम)।
१६३—लाखनदास जाटव .. जिला बदायूं (पूर्व)।
१६४—लालबहादुर, माननीय श्री .. जिला इलाहाबाद (गंगापार)।
१६५—लालबिहारी टंडन .. जिला गोंडा (पश्चिम)।
१६६—लीलाधर अस्थाना .. जिला उन्नाव (पूर्व)।
१६७—लुत्फ अली खां .. जिला मेरठ (पूर्व)।
१६८—लोटनराम .. जिला जालौन।
१६९—वंशगोपाल .. जिला फतेहपुर (पूर्व)।
१७०—वशीधर मिश्र .. जिला खीरी (दक्षिण-पश्चिम)।
१७१—विजयानन्द मिश्र .. जिला मिर्जापुर (उत्तर)।
१७२—विद्याधर बाजपेई .. जिला सुलतानपुर (पश्चिम)।
१७३—विद्यावती राठौर, श्रीमती .. जिला एटा (दक्षिण)।
१७४—विनय कुमार मुकर्जी .. लखनऊ-आगरा-अलीगढ़-इलाहाबाद औद्योगिक मिल श्रम।
१७५—विश्वनाथप्रसाद .. जिला मिर्जापुर (उत्तर)।
१७६—विश्वनाथ राय .. जिला गाजीपुर (पूर्व)।
१७७—विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी .. जिला उन्नाव (पश्चिम)।

१७८--विष्णु शरण दुबलिश .. जिला मेरठ (उत्तर)।
१७९--वीरबल सिंह .. जिला जौनपुर (पश्चिम)।
१८०--वीरेन्द्र शाह .. आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन।
१८१--वेंकटेश नारायण तिवारी .. जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व)।
१८२--शंकरदत्त शर्मा .. जिला मुरादाबाद (पश्चिम)।
१८३--शान्ति प्रपन्न शर्मा .. जिला देहरादून।
१८४--शिवकुमार पांडेय .. जिला इलाहाबाद (द्वाबा)।
१८५--शिवकुमार मिश्र .. जिला शाहजहांपुर (पश्चिम)।
१८६--शिवदयाल उपाध्याय .. जिला फतेहपुर (पश्चिम)।
१८७--शिवदान सिंह .. जिला अलीगढ़ (पश्चिम)।
१८८--शिवमंगल सिंह .. जिला मथुरा (पूर्व) और जिला एटा (पश्चिम)।
१८९--शिवमंगल सिंह कपूर .. जिला आजमगढ़ (दक्षिण)।
१९०--श्यामलाल वर्मा .. जिला नैनीताल।
१९१--श्यामसुन्दर शुक्ल .. जिला प्रतापगढ़ (पूर्व)।
१९२--श्रीचन्द सिंघल .. जिला अलीगढ़ (मध्य)।
१९३--श्रीपति सहाय .. जिला हमीरपुर।
१९४--सज्जन देवी महनोत .. बनारस नगर।।
१९५--सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री .. बनारस नगर।
१९६--सरवत हुसैन .. जिला मुरादाबाद (उत्तर-पूर्व)।
१९७--सलीम हामिद खां .. जिला झांसी, जालौन और हमीरपुर।
१९८--साजिद हुसैन .. अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन।
१९९--सालिग्राम जायसवाल .. जिला इलाहाबाद (यमुनापार)।
२००--सिंहासन सिंह .. जिला गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)।
२०१--सिराज हुसैन .. जिला पीलीभीत।
२०२--सीताराम अष्ठाना .. जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
२०३--सुदामाप्रसाद .. जिला गोरखपुर (उत्तर)।
२०४--सुचेता कृपलानी .. जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व) [१० जनवरी, १९५० से स्थान रिक्त हो गया]।
२०५--सुरेन्द्र बहादुर सिंह .. जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)।
२०६--सुल्तान आलम खां .. जिला फर्रुखाबाद।
२०७--सूर्यप्रसाद अवस्थी .. जिला उन्नाव (दक्षिण)।
२०८--सईद अहमद .. जिला नैनीताल, अल्मोड़ा और बरेली (उत्तर)
२०९--हबीबुर्रहमान अंसारी .. जिला लखनऊ तथा उन्नाव।
२१०--हबीबुर्रहमान खां .. जिला खीरी।
२११--हरगोविंद पंत .. जिला अल्मोड़ा।
२१२--हरप्रसाद सत्यप्रेमी .. जिला बाराबंकी (दक्षिण)।
२१३--हरप्रसाद सिंह .. जिला बांदा (दक्षिण)।

२१४—हरिहरनाथ शास्त्री	.. ट्रेड यूनियन निर्वाचन-क्षेत्र [१० जनवरी १९५० से स्थान रिक्त हो गया]।
२१५—हसन अहमद शाह	.. जिला फतेहपुर और बांदा।
२१६—हसरत मोहानी	.. कानपुर नगर।
२१७—हुकुम सिंह, माननीय श्री	.. जिला बहराइच (उत्तर)।
२१८—हीरालाल अग्रवाल	.. जिला इटावा (पूर्व)।
२१९—हैदर बख्श	.. जिला मथुरा तथा आगरा।
२२०—(रिक्त)	.. मेरठ-हापड़-बुलन्दशहर-खुरजा-नगीना नगर, मुस्लिम नगर।
२२१—(रिक्त)	.. जिला बस्ती (दक्षिण-पूर्व), मुस्लिम ग्रामीण।
२२२—(रिक्त)	.. जिला बुलन्दशहर (दक्षिण पश्चिम), सामान्य ग्रामीण।
२२३—(रिक्त)	.. जिला बाराबंकी, मुस्लिम ग्रामीण।
२२४—(रिक्त)	.. बरेली-पीलीभीत नगर, मुस्लिम नागर।
२२५—(रिक्त)	.. जिला बांदा (उत्तर) सामान्य ग्रामीण।
२२६—(रिक्त)	.. जिला फैजाबाद, मुस्लिम ग्रामीण।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली
के
पदाधिकारी

स्पीकर

१—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, एम० ए०, एल-एल० बी०।

डिप्टी स्पीकर

२—श्री नफीसुल हसन, एम० ए०, एल-एल० बी०।

सेक्रेटरी

३—श्री कैलास चन्द्र भटनागर, एम० ए०।

असिस्टेंट सेक्रेटरी

४—श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए०।

सुपरिंटेंडेंट

५—श्री राधे रमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी०।

६—श्री सी० जे० एडम्स, बी० ए०।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

मंगलवार, ९ जनवरी, सन् १९४० ई०

असेम्बली की बैठक असेम्बली भवन, लखनऊ में, ११ बजे दिन में आरम्भ हुई

[स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन]

उपस्थित सदस्यों की सूची (१८९)

अचल सिंह
अजित प्रताप सिंह
अब्दुल बाकी
अब्दुल वजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद
आर्थर लाईओनेल फिलिप्स
अलगूराय शास्त्री
अल्फ्रेड नरगास
अक्षयवर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
उदयवीर सिंह
एजाज रसूल
कमलापति तिवारी
करीमुर्रजा खां
काली चरण टंडन
किशनचन्द पुरी
कुंजबिहारीलाल शिवानी
कुशलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्णचन्द्र
कृष्णचन्द्र गुप्त
केशव गुप्त
खुशवक्त राय
खुशीराम
खूबसिंह
गंगाधर
गंगाप्रसाद
गंगा सहाय चौबे
गजाधर प्रसाद
गणपति सहाय
गणेश कृष्ण जैतली
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह
चरण सिंह
चेतराम
छोटेलाल गुप्त
जगन्नाथ दत्त
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
जगन्नाथ बख्श सिंह
जगमोहन सिंह नेगी
जयपाल सिंह
जयराम वर्मा
जवाहरलाल रोहतगी
जहीरुल हसनैन लारी
जहूर अहमद
जाकिर अली
जाहिद हसन
जुगलकिशोर

त्रिलोकी सिंह
दयालदास भगत
दाऊदयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु अवस्थी
दीनदयालु शास्त्री
दीपनारायण वर्मा
नफीसुल हसन
नवाब इस्माइल खां
नत्थू सिंह
नरदेव शास्त्री
नारायण दास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
निजामुद्दीन
पन्नालाल
पूर्णानन्द
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रागनारायण
प्रेम किशन खन्ना
फ़तेहसिंह राणा
फूलसिंह
बदनसिंह
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बशीर अहमद
बशीर अहमद अन्सारी
बादशाह गुप्त
बाबू राम वर्मा
बृजमोहनलाल शास्त्री
भगवती प्रसाद दुबे
भगवतीदीन
भगवानदीन मिश्र
भारत सिंह यादवाचार्य
भीम सेन
मंगला प्रसाद
मसुरिया दीन
महफ़ूजुर्रहमान
महमूद अली खां
मिजाजीलाल
मुकुन्दलाल अग्रवाल
मुजफ्फर हुसैन
मुहम्मद अदील अब्बासी
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
महम्मद इस्माईल
मुहम्मद जमशेद अली खां
मुहम्मद नबी
मुहम्मद नज़ीर
मुहम्मद यूसुफ
मुहम्मद रज़ा खां
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
मुहम्मद शाहिद फाखरी
मुहम्मद सुलेमान अदहमी
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुवंशनारायण सिंह
रघुवीर सहाय
राघवदास
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधामोहन सिंह
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार शास्त्री
रामकृपाल सिंह
रामचन्द्र पालीवाल
रामचन्द्र सेहरा
रामधारी पांडे
राम नारायण
राम बली मिश्र
राम मूर्ति
राम शंकर लाल
राम शरण
राम स्वरूप गुप्त
रुक्नुद्दीन खां
रोशन जमां खां
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन
लाखन दास जाटव
लालबहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन
लीलाधर अष्ठाना
लुत्फ अली खां
लोटन राम
वंश गोपाल
वंशीधार मिश्र
विजयानन्द मिश्र
विद्याधर बाजपेयी
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी

विश्वनाथ प्रसाद
विश्वनाथ राय
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
विष्णुशरण दुब्लिश
वीरबल सिंह
वीरेन्द्र शाह
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकरदत्त शर्मा
शान्तिप्रपन्न शर्मा
शिव कुमार पांडे
शिवकुमार मिश्र
शिवदयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिवमंगल सिंह
शिवमंगल सिंह कपूर
श्याम लाल वर्मा
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द सिंघल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सरअत हुसैन
सलीम हामिद खां
साजिद हुसैन
सालिग्राम [illegible]वाल
सिंहासन सिंह
सिराज हुसैन
सीताराम शुक्ल
सुग्गाप्रसाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सूर्यप्रसाद अवस्थी
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हबीबुर्रहमान खां
हरगोविन्द पन्त
हरप्रसाद सत्यप्रेमी
हरप्रसाद सिंह
हरिहर नाथ शास्त्री
हसरत मोहानी
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल
हैदर बख्श

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ९ जनवरी सन् १९५० ई०

तारांकित प्रश्न

मार्केटिंग सेक्शन के काम और उस पर खर्च

*१--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--(क) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्केटिंग सेक्शन के नाम से कोई सरकारी विभाग काम कर रहा है?

(ख) यदि हां, तो इस विभाग पर सन् १९४८-४९ ई० में कितना खर्च हुआ?

(ग) इस विभाग द्वारा अब तक कौन-कौन से काम हुए?

माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--(क) जी हां।

(ख) १७,८९,००० ।

(ग) अन्न और रसद विभाग का मार्केटिंग सेक्शन उस अन्न को खरीदने, लाने, ले जाने और इकट्ठा करने का काम करता है जिसकी राशनिंग के लिये जरूरत पड़ती है। जब गुड़, तेल और तिलहन पर कन्ट्रोल था तब यह सेक्शन उनके भी खरीदने, इकट्ठा करने और एक जगह से दूसरी जगह भेजने का भी कार्य करता था।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--जो जवाब की नकल मुझे मिली है उसमे 'ख' मे १७ लाख ८९ हजार लिखा हुआ है परन्तु माननीय सचिव ने १७ लाख ७९ हजार कहा है, इस में कौन सी संख्या ठीक है?

माननीय अन्न सचिव--आप जो कह रहे हैं वह सही है।

सन् १९४७-४८ ई० की अपेक्षा सन १९४८-४९ ई० में गल्ले की उपज

*२—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९४७-४८ ई० की अपेक्षा प्रान्त में सन् १९४८-४९ ई० में कितना अधिक गल्ला पैदा हुआ?

माननीय कृषि सचिव (श्री निसार अहमद शेरवानी)—सन् १९४७-४८ ई० के मुकाबिले में सन् १९४८-४९ ई० में अधिक गल्ला पैदा नहीं हुआ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय सचिव कृपा करके यह बतलावेंगे कि अधिक नहीं हुआ, तो क्या बराबर हुआ, या कम हुआ?

माननीय कृषि सचिव—चावल गेहूं और चना पहले से ज्यादा हुआ और बाकी खरीफ का जो गल्ला है वह कम हुआ और कुल मिलाकर पहले साल से और उससे भी पहले साल से गल्ले की पैदावार में कमी रही।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या इसका कारण भी सरकार बतलावेगी कि खरीफ़ की पैदावार क्यों कम हुई और पिछली पैदावार क्यों अधिक हुई?

माननीय कृषि सचिव—इस साल बारिश की कमी की वजह से खरीफ की पैदावार मारी गई यानी बहुत कम पैदावार हुई।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलावेगी कि सन् १९४७-४८ ई० की अपेक्षा सन् १९४८-४९ ई० में अधिक जमीन पर काश्त की गई, तो इस अधिक काश्त से पैदावार में कुछ अन्तर हुआ या नहीं और जो गेहूं वगैरा ज्यादा पैदा हुआ, क्या वह अधिक जमीन काश्त में आने के कारण से पैदा हुआ?

माननीय कृषि सचिव—इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है जमीन काश्त में तो जरूर बढ़ी लेकिन जो जमीन काश्त में आई उसकी उपजाऊ शक्ति कम थी और चूंकि गल्ले का निर्ख गिरां रहा इसलिये लोग उस जमीन को काश्त में ले आए लेकिन पैदावार में कोई खास इजाफा नहीं हुआ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या यह सही है कि सन् १९४७-४८ ई० के मुकाबले में सन् १९४८-४९ ई० में फी बीघा पैदावार कम हुई?

माननीय कृषि सचिव—चावल और चने की ज्यादा हुई और बाकी गल्ले की कम हुई।

कुछ सरकारी विभागों का डाइरेक्ट (सीधे) सामान खरीदना

*३—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या यह सही है कि सरकार के हर मोहकमे के लिये सामान इन्डस्ट्रीज स्टोर्स परचेज आफ़िसर के द्वारा खरीदा जाता है।

माननीय पुलिस सचिव (श्री लाल बहादुर)—हां, यह सही है।

*४—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या यह सही है कि सन् १९४७-४८ ई० और १९४८-४९ ई० में बहुत से विभागों ने बहुत सा सामान डायरेक्ट खरीदा?

माननीय पुलिस सचिव—हां, यह भी सही है।

*५—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार बतलायेगी कि किन-किन विभागों ने क्या-क्या सामान किन-किन दामों पर और कब-कब डाइरेक्ट खरीदा?

माननीय पुलिस सचिव—डाइरेक्ट खरीदों की ऐसी तालिका तैयार करना कठिन है। इसमें बहुत समय लगेगा। बड़ी-बड़ी खरीदों की एक संक्षिप्त तालिका† पेश है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार बतलाएगी कि डायरेक्ट पर्चेज का क्या कोई हिसाब नहीं रखा जाता है?

माननीय पुलिस सचिव—हिसाब तो रखा जाता है।

---

†यहां पर छापी नहीं गई।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार बतलाएगी कि जब इस सवाल का नोटिस ५-६ महीने पहले दिया गया था तो सरकार ने इसका जवाब मालूम करने की कोशिश क्यों नहीं की ?

माननीय पुलिस सचिव--मालूम करने की कोशिश इसलिये नहीं की गई जैसा कि जवाब में लिखा हुआ है कि एक लम्बी लिस्ट तैयार करनी पड़ती और ज्यादा वक्त लगता, इसलिये माननीय सदस्य यह मुनासिब समझेंगे कि इतनी मेहनत बेकार थी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार बतलायेगी कि इंजीनियरिंग विभाग ने करीब १ करोड़ का माल डायरेक्ट खरीद किया, उसके लिये ऐसी कौन सी जरूरत पेश आई कि उसने यह डायरेक्ट पर्चेज किया और वह स्टोर पर्चेज डिपार्टमेन्ट से नहीं खरीदा गया ?

माननीय पुलिस सचिव--गालिबन पूरा नक्शा माननीय सदस्य के पास है उसमें बतलाया गया है और वजूहात दिये गए हैं कि क्यों ऐसा करना पड़ा और यह भी बतलाया गया है कि बहुत से ऐसे मौके आए कि जिसमें डायरेक्ट पर्चेज करना पड़ा बजाय इसके कि स्टोर पर्चेज विभाग के द्वारा यह काम किया जाता और मजबूरी की बात हो गई।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार बतलायेगी कि जितनी चीजें नक्शे में दी गई हैं उनके अलावा और कुल कितनी खरीदारी हुई होगी ?

माननीय पुलिस सचिव--यह इस समय नहीं बतलाया जा सकता है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार यह बतलायेगी कि पहले से महकमों को यह क्यों नहीं लिखा गया कि डायरेक्ट पर्चेज न की जाय ?

माननीय पुलिस सचिव--इस तरह से कन्ट्रोल रहता है कि एक डिपार्टमेन्ट इस काम के लिये मुकर्रर है बजाय इस के तेजी में काम कर लिया जाय। हिदायत देने की अब जरूरत इसलिये हुई कि पहले हर डिपार्टमेंट इस बात का फैसला कर ले और आइन्दा डायरेक्ट पर्चेज न करे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या यह सही है कि महकमों ने गलत तरीके से सामान खरीदा और इसी वजह से सरकार को यह हुक्म जारी करना पड़ा ?

माननीय पुलिस सचिव--गलत तरीके पर नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि कन्ट्रोल रखने के लिये अगर एक ही जगह से सारी खरीदारी की कार्यवाही होती है तो ज्यादा मुनासिब तरीके से हो सकता है और इसीलिये यह हिदायत की गई।

*६--श्री मुहम्मद असरार अहमद--इस तरह खरीदने के क्या कारण हैं और यह खरीदारी किसके हुक्म से की गई ?

माननीय पुलिस सचिव--कारण नीचे दिये हुये हैं--

(१) स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्दर अवस्था विशेष में ऐसी खरीद करने के अधिकार हैं।

(२) डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज आवश्यक होने पर ऐसी खरीद की आज्ञा दे देते हैं।

(३) कभी-कभी शीघ्र ही खरीदने की आवश्यकता होने पर सरकार स्वयं ही ऐसी आज्ञा दे देती है।

(४) अक्सर अफ़सर लोग स्वयं ही बिना आज्ञा लिये ऐसी खरीद कर लेते हैं।

*७--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या यह सही है कि सरकार ने दुबारा हिदायत की है, आगे डाइरेक्ट सामान न खरीदा जाय ?

माननीय पुलिस सचिव--हां, यह सही है।

गढ़वाल ऊन-योजनाओं के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*८--श्री भगवान सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मौजूदा गढ़वाल ऊन-योजनाओं में कमर्शियल योजना की अपेक्षा कितना अधिक खर्चा हो रहा है ?

माननीय उद्योग सचिव (श्री केशवदेव मालवीय)--गढ़वाल में कमर्शियल योजना की अपेक्षा वर्तमान डेवलपमेंट योजना में कोई खास अधिक खर्च नहीं हो रहा है जैसा कि निम्नांकित आंकड़ों से विदित है--

१९४५-४६	१९४७-४८	१९४८-४९
रु०	रु०	रु०
६६,८६०	९१,०००	८२,०००

डवलपमेंट योजना चलाने के लिये बुनाई व कताई इत्यादि का सामान १९४७-४८ ई० में खरीदा गया।

*९-- श्री भगवान सिंह (अनुपस्थित)--(क) क्या यह बात सही है कि सरकार वर्तमान डेवलपमेंट योजना में परिवर्तन कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो वे परिवर्तन क्या हैं ?

माननीय उद्योग सचिव (अनुपस्थित)--(क) वर्तमान डवलपमेंट ऊन-योजना में सरकार अभी कोई परिवर्तन नहीं कर रही है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

*१०--श्री भगवान सिंह (अनुपस्थित)--(क) क्या यह बात सत्य है कि गढ़वाल ऊन-योजना में कताई व बुनाई का कार्य दिन-दिन घटता गया है और इस समय समूची योजना में कताई का कार्य बहुत ही कम है ?

(ख) क्या यह सही है कि कमर्शियल योजना के अन्दर सन् १९४५-४६ ई० में सालाना उत्पत्ति ६० मन के क़रीब थी ?

माननीय उद्योग सचिव (अनुपस्थित)--(क) नहीं।

(ख) हां।

*११--श्री भगवान सिंह (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि गढ़वाल ऊन-योजना के मौजूदा कताई केन्द्र केवल ऊन बेचने का कार्य कर रहे हैं ?

(ख) यदि वे कताई भी कर रहे हैं, तो क्या सरकार कृपा करके प्रत्येक केन्द्र के सन् १९४८-४९ ई० के उत्पादन के आंकड़े देगी ?

माननीय उद्योग सचिव (अनुपस्थित)--(क) गढ़वाल योजना के अन्तर्गत कताई केन्द्र केवल ऊन बिक्री का ही कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि कताइयों को शिक्षा देना, कताई व रंगाई का प्रचार करना व रंग मशीन और चर्खे आदि की बिक्री का कार्य भी करते हैं।

(ख) जैसा कि प्रश्न १० (क) के उत्तर में प्रकट किया गया है कि सरकार का ध्येय वर्तमान ऊन-योजना के अनुसार खुद कताई व बुनाई कराने का नहीं है, इसलिये केवल नमूना तथा अन्य प्रयोगों के लिये १९४८-४९ ई० में केवल १२ मन तागा कतवाया गया है।

*१२--श्री भगवान सिंह (अनुपस्थित)--(क) क्या नियमानुकूल सब कताई व बुनाई केन्द्र सहयोग समितियों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं ?

(ख) यदि उपर्युक्त नियम का उल्लंघन किया गया है, तो क्यों और कितनों के द्वारा ?

माननीय उद्योग सचिव (अनुपस्थित)---कताई केन्द्रो मे योजनानुकूल कार्य हो रहा है। बुनाई केन्द्रो का कार्य अभी सहयोग समितियो ने नही लिया है, परन्तु यह कार्य तीन केन्द्रो में विभाग अपनी देखभाल मे करा रहा है और जब तक कि समितिया इस कार्य को अपने हाथ मे न ले सकेगी विभाग कराता रहेगा।

(ख) नियम का कोई उल्लघन नही हुआ।

*१३---श्री भगवान सिह (अनुपस्थित)---क्या सरकार इसका कारण बतलायेगी कि गढवाल ऊन-योजना के मुख्य कार्यालय पोड़ी मे उतना बडा स्टाफ क्यो रखा गया है जिसका सालाना खर्चा करीब २०,००० रुपया है जबकि उत्पादन केवल १,००० रुपये के क़रीब है ?

माननीय उद्योग सचिव---पोडी इस योजना का केन्द्र है। यहा पर डिवीजनल सुपरिन्टेडेंट इन्डस्ट्रीज का दफ्तर है और बुनाई तथा रंगाई का कार्यालय है। इसमें लगभग १२,००० रु० सालाना खर्च होता है। मुख्य कार्यालय में एक डी० एस० आई०, ६ क्लर्क, तीन चपरासी और एक चौकीदार काम करते है।

*१४---श्री भगवान सिह (अनुपस्थित)---(क) क्या यह बात सत्य है कि जब से गढवाल ऊन-योजना कार्य कर रही है (अर्थात् सन् १९४४ ई० से) कोई भी उद्योग विभाग का आफिसर निरीक्षण करने को नही गया ?

(ख) यदि हा, तो क्यो ?

माननीय उद्योग सचिव---यह बात सत्य नही है योजना का निरीक्षण निम्नाकित अफसरो द्वारा हुआ---

१---श्री एस० के० [illegible], ए० डी० आई० सी० ता० ४-१०-४४

२---श्री रब ,, ता० १८-५-४६

३---श्री सी० बी० दुबे ,, ता० २४-८-४७

४---श्री एच० जी० शराफ डी० डी० आई० सी० ता० २७-५-४८

(ख) यह प्रश्न नही उठता।

*१५---श्री भगवान सिंह (अनुपस्थित)---(क) क्या यह बात सत्य है कि जो दो आदमी गढवाल ऊन-योजना के अन्तर्गत सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग के लिये काश्मीर भेजे गये थे अब इस योजना में कार्य नही कर रहे है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि क्यो उन दो आदमियो को इस योजना के अन्दर कार्य मे नही रखा गया जहा के लिए वे सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग पाने को भेजे गये थे ?

माननीय उद्योग सचिव---(क) व (ख) इनमें से दोनो आदमी उद्योग विभाग में ही काम कर रहे है। एक सरकारी पोलीटेक्नीक इन्स्टीट्यूट श्रीनगर गढ़वाल में बुनाई विभाग मे काम कर रहे है और दूसरे रिफ्यूजी स्कीम में थोड़े समय के लिये भेज दिये गये थे, परन्तु इस समय उनकी नियुक्ति इसी योजना मे असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट के पद पर हो गई है। उनकी योग्यता व अनुभव का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा रहा है।

काश्मीर में छोटे रेशे की ऊन का प्रयोग होता है। गढ़वाल में लम्बे रेशे की ऊन काम में लाई जाती है। इस कारण से शिक्षार्थी दूसरी योजना में अधिक लाभदायक साबित हो रहे है।

*१६---श्री भगवान सिह (अनुपस्थित)---क्या यह बात सत्य है कि जो रूप-रेखा गढ़वाल ऊन-योजना की सन् १९४८-४९ के बजट में मंजूर हुई थी, अब तक वह चालू नही की गयी है, किन्तु उसके अनुसार आदमियो की नियुक्ति होती जा रही है ?

माननीय उद्योग सचिव—मंजूर की गई योजना के अनुसार कार्य हो रहा है, आवश्यकतानुसार आदमियों की नियुक्ति की जा रही है।

विलायत और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में प्रान्त के विश्वविद्यालयों की डिग्रियों की मान्यता

*१७—श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—क्या यह सच है कि विलायत व अमेरिका के विश्वविद्यालयों में यहां के विश्वविद्यालयों की एम० ए० और बी० ए० डिग्री मंजूर नहीं की जाती है?

माननीय शिक्षा सचिव के सभा मंत्री (श्री महफूजुर्रहमान)—जहां तक हम जानते हैं यह बात ठीक नहीं है।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—क्या सरकार निश्चित रूप से जानती है कि हमारे प्रान्त की यूनीवर्सिटीज की डिग्रियां अमरीका और विलायत में रेकग्नाइज होती हैं और हमारे लड़कों को फिर से वहां कोई इम्तहान नहीं दिलाया जाता है?

श्री महफूजुर्रहमान—जहां तक मालूम है, ऐसा ही है कि जो लड़के हिन्दुस्तान की यूनीवर्सिटियों से वहां जाते हैं वे उन्हीं डिग्रियों की बिना पर ले लिये जाते हैं, लेकिन अगर कोई खास मजमून वहां ऐसा होता है जिसकी बाबत वह नहीं समझते हैं तो उस सब्जेक्ट में उनकी तैयारी कराने के बाद फिर इम्तहान लिया जाता है।

*१८—श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—यहां से बी० ए० पास करके जाने वाला विद्यार्थी क्या वहां जाकर एम० ए० पढ़ने के योग्य माना जाता है या उसे कोई और इम्तहान देना पड़ता है?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हां। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*१९—श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—क्या यहां के विश्वविद्यालयों का कोई एम० ए० पास विद्यार्थी विलायत में पी० एच० डी० के रिसर्च कोर्स में दाखिल किया जा सकता है या दाखिल होने के पहिले उसे वहां कोई और इम्तहान देना पड़ता है?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हां, प्रश्न का भाग नहीं उठता।

*२०—श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—क्या विलायत में हमारे प्रान्त के बनारस, अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा यूनीवर्सिटी की डिग्रियां समान तरीके से मानी जाती हैं या रेजिडेंशियल यूनीवर्सिटी के डिग्री वालों को ही माना जाता है?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हां। जिन यूनिवर्सिटियों के नाम दिये गये हैं उनमें से सभी की डिग्रियां मान्य होती हैं।

*२१—श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—जो विद्यार्थी यहां से स्कालरशिप (छात्रवृत्ति) लेकर बाहर जाते हैं, क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई शिकायत गवर्नमेंट से की है?

श्री महफूजुर्रहमान—जी नहीं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अमरीका और विलायत के बी० ए० अथवा एम० ए० पास विद्यार्थियों को भारत के बी० ए० अथवा एम० ए० पास विद्यार्थियों से अधिक महत्व दिया जाता है?

श्री महफूजुर्रहमान—ऐसी तो कोई बात नहीं है।

भिकारीपुर जिला पीलीभीत से पंचायत के चुनाव के सम्बन्ध में शिकायत

*२२—श्री भगवान सिंह (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार के पास कोई शिकायत पंचायत के चुनाव के विषय में भिकारीपुर, जिला पीलीभीत से प्राप्त हुई है?

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या विचार हुआ ?

माननीय स्वशासन सचिव (श्री आत्माराम गोविन्द खेर)---(क) जी हां।

(ख) [illegible]रीपुर गांव [illegible] नी अदालत में पुनः चुनाव कराने का निर्णय हुआ।

रक्षक-दल और पुलिस में सम्बन्ध

*२३---श्री कृपा शंकर---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि रक्षक-दल और पुलिस में क्या सम्बन्ध है ? क्या सरकार रक्षक-दल के [illegible] अधिकारों आदि सम्बन्धी नियमों की एक प्रति भवन के सामने उपस्थित करेगी ?

माननीय पुलिस सचिव---[illegible] व्यवस्था [illegible] रखने में आवश्यकतानुसार रक्षक दल के सदस्य पुलिस की सहायता करते हैं, [illegible] तथा अधिकार आदि सम्बन्धी नियम १९ जून सन् १९४८ ई० के गज़ट में प्रकाशित हो चुके हैं।

*२४---श्री कृपा शंकर--- क्या सरकार को मालूम है कि रक्षक-दल और पुलिस में देहाती क्षेत्रों में अकसर कशमकश रहती है ? यदि हां तो इसके मिटाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

माननीय पुलिस सचिव---नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन का त्याग-पत्र

*२५---श्री वन्शीधर मिश्र (अनुपस्थित)---क्या सरकार के पास म्युनिसिपल बोर्ड कानपुर के कुछ सदस्यों ने चेयरमैन के हटाने के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि---

(क) वे आवेदन-पत्र सरकार को किन तारीखों को मिले थे ?

(ख) क्या वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कानपुर के पास जांच और रिपोर्ट के लिये भेजे गये थे ? यदि हां तो क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कानपुर की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ?

(ग) उस रिपोर्ट पर सरकार ने क्या किया ?

(घ) क्या सरकार उस रिपोर्ट को भवन के सामने [illegible] ?

माननीय स्वशासन सचिव---म्युनिसिपल बोर्ड कानपुर के तीन सदस्यों (श्री मन्ना लाल, श्री राम लाल तथा श्री गंगा नारायण [illegible]) ने चेयरमैन के हटाने के सम्बन्ध में केवल एक संयुक्त बिना तारीख का आवेदन-पत्र कमिश्नर के पास भेजा था।

(क) वह संयुक्त आवेदन-पत्र कमिश्नर को २८ अक्टूबर, १९४८ ई० को मिला और उस पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तथा कमिश्नर की रिपोर्ट सरकार को १४ फरवरी १९४९ ई० को प्राप्त हुई।

(ख) वह संयुक्त आवेदन-पत्र कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जांच और रिपोर्ट के लिये भेजा था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है।

(ग) सरकार ने चेयरमैन के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा।

(घ) जन-हित की दृष्टि से सरकार उस रिपोर्ट को भवन के सामने उपस्थित करना उचित नहीं समझती।

२६---श्री वन्शीधर मिश्र (अनुपस्थित)---क्या यह सच है कि म्युनिसिपल बोर्ड कानपुर के चेयरमैन ने अपने पद से त्याग-पत्र सरकार को दे दिया है ? यदि हां तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि---

(क) त्याग-पत्र किस तारीख को दिया गया ?

(ख) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास वह त्याग-पत्र किस तारीख से किस तारीख तक रहा ?

माननीय पुलिस सचिव-- उनकी दरख्वास्तों पर।

श्री भारत सिंह यादवाचार्य--क्या जिन दरख्वास्तों के मुताबिक पहले परमिट नहीं दिये गये थे, उनमें और बाद में जिनके मुताबिक परमिट दिये गये, उनमें कोई फर्क था ?

माननीय पुलिस सचिव--जिन दरख्वास्तों पर अब परमिट नहीं दिये गये थे उस समय पब्लिक कैरियर देने पर रुकावट थी, लेकिन अब परमिट दिये गये और जिन्हीं दरख्वास्तों पर, तब से रुकावटें हट गई थीं। यह इसके पहले की बात है।

जिलेवार कृषि के औजारों का कोटा

*४०--**श्री फतेह सिंह राणा**--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कृषि के औजारों (इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स तथा मामूली औजार) के लिये प्रति वर्ष प्रति जिले के लिये कोई कोटा निश्चित है। अगर है, तो किस जिले के लिये कितना-कितना ?

माननीय कृषि सचिव--जिन जिलों को कृषि के औजारों के लिये कोटा दिया गया है उनका नाम और कोटा नत्थी की हुई सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७० पर)

श्री फतेह सिंह राणा--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि फेब्रीकेटर्स को क्या कोटा कंट्रोल के दामों पर दिया जाता है।

माननीय अन्न सचिव-- जी हां।

श्री फतेह सिंह राणा--क्या यह सच है कि कंट्रोल के दामों पर कोटा दिये जाने पर जो औजार बनते हैं उनकी कीमत पर कोई कंट्रोल नहीं है ?

माननीय अन्न सचिव--अब तक ऐसा ही रहा है।

श्री फतेह सिंह राणा--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यह औजार किसानों को कंट्रोल के दामों पर नहीं मिलते ?

माननीय अन्न सचिव--सरकार को यह बात ज्ञात हुई। इसीलिये सरकार ने एक नई योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत यह संभव हो सकेगा कि बंधी हुई कीमत पर किसानों को औजार मिल सकें।

श्री कुञ्ज बिहारी लाल शिवानी--क्या सरकार प्रत्येक जिले में कोटा देते समय इस बात को ध्यान में रखती है कि इस जिले में कितने औजार बनते हैं और उनमें कोई फर्क नहीं होता ?

माननीय अन्न सचिव--अभी तक तो ऐसा ही रहा है कि फेब्रीकेटर्स दो तीन जगहों पर ही ज्यादा संख्या में थे। उन्हीं जिलों को कोटा देते थे। लेकिन अब नई योजना के अन्तर्गत हर जिलों को कोटा बांध दिया गया है। जिन जिलों में इनकी संख्या ज्यादा है वहां ज्यादा कोटा दिया गया है।

*४१--**श्री फतेह सिंह राणा**--क्या मामूली औजार किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा तैयार कराये जाते हैं। यदि हां, तो किस अफसर के द्वारा और तैयार करता है ?

माननीय कृषि सचिव--मामूली औजार किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा नहीं तैयार कराये जाते हैं। बिजली के प्राप्त होने पर कृषि के औजारों को अधिक संख्या में तैयार करने का काम सेन्ट्रल वर्कशाप, बरेली, में शीघ्र ही शुरू किया जायेगा।

जिला बोर्डों के अध्यापकों के वेतन का बकाया

*४२--**श्री बादशाह गुप्त**--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बोर्ड कानपुर के अध्यापक मंडल का वेतन कितने मास का देना बकाया है ?

श्री महफूजुर्रहमान--कोई बकाया नहीं है।

*४३—श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ता० ३१ मार्च सन् १९४९ ई० को किन-किन जिला बोर्डों में अध्यापक मंडल का वेतन पृथक-पृथक मार्च के वेतन के अतिरिक्त कितने-कितने मास का वेतन देना शेष है ?

श्री महफूजुर्रहमान—३१ मार्च सन् १९४९ ई० को समस्त बोर्डों में मार्च के वेतन के अतिरिक्त अध्यापकों का किसी भी माह का वेतन बाकी नहीं था ।

*४४—श्री बादशाह गुप्त—जिला बोर्डों के अध्यापकों को प्रतिमास उनका वेतन मिलता रहे और जिन जिला बोर्डों में वेतन देना बकाया है वह तुरन्त दे दें, इसके लिये सरकार क्या क़दम उठा रही है ?

श्री महफूजुर्रहमान— यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रांत के कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के बारे में ब्योरा

*४५—श्री निहालुद्दीन—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि युक्त प्रांत के कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में कितने इन्स्पेक्टर और कितने आडीटर हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—इन अधिकारियों की संख्या निम्नलिखित है —

इन्सपेक्टर—३२० ।

आडीटर—२८० ।

*४६—श्री निहालुद्दीन—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके इन ओहदेदारों की एक लिस्ट देगी और यह बतलायेगी कि इन लोगों की कितनी सर्विस है और इनमें कितने मुस्तकिल हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—इन अधिकारियों की सूची अधिक लम्बी हो जाने के भय से नहीं दी जा रही है । इन्सपेक्टरों में से २०२ पद स्थायी हैं और ६ पद शीघ्र ही स्थायी होने वाले हैं ।

*४७—श्री निहालुद्दीन—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके उन ओहदेदारों की एक लिस्ट देगी, जो अभी तक मुस्तकिल नहीं हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—अस्थायी अधिकारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

इन्सपेक्टर—११८ ।

आडीटर—३८ ।

सूची लम्बी हो जाने के कारण नहीं दी जा रही है ।

*४८—श्री निहालुद्दीन—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि वह ओहदेदार जो तीन साल या उससे ज्यादा काम कर चुके हैं, क्यों मुस्तकिल नहीं किये गये हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—इन्सपेक्टरों में से सिवाय उनके, जिनका स्थायीकरण विचाराधीन है तीन साल से अधिक सेवा वाले सभी इन्सपेक्टर स्थायी हैं। उसी प्रकार आडिटरों में से वह सभी आडीटर स्थायी हैं जिनकी सेवाएं तीन वर्ष से अधिक की हैं, सिवाय कुछ सुपरवाइजरों के जो कि स्थानापन्न आडीटर हैं और जो कमीशन द्वारा स्वीकृत नहीं हैं, तथापि एक और आडीटर जिसका काम संतोषजनक नहीं है ।

*४९—श्री निहालुद्दीन—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि इस महकमे में कुल कितनी मुस्तकिल जगह इन्स्पेक्टरों और आडीटरों की हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या ११६ में दिया जा चुका है ।

*५०—श्री निहालुद्दीन—क्या यह वाकया है कि इस मुहकमे में कुछ ओहदेदार ऐसे हैं जो लगातार १० साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुस्तकिल नहीं हैं ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

माननीय पुलिस सचिव—नहीं, प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल नहीं उठता ।

औद्योगिक तथा व्यापारिक अन्वेषण के लिये किसी संस्था की स्थापना

*५१—श्री चतुर्भुज शर्मा—क्या सरकार ने अभी तक कोई इन्डस्ट्रियल (औद्योगिक) एवं कमर्शियल (व्यापारिक) रिसर्च (अन्वेषण) संस्था के लिये कोई इन्स्टीट्यूट आर ब्यूरो (संस्था) कायम की है ?

माननीय पुलिस सचिव—हां स्थापित है। हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इन्स्टीटयूट कानपुर की एडवाइजरी कमेटी औद्योगिक अन्वेषण के विषय मे सलाह देती है। हारकोर्ट बटलर इन्स्टीटयूट कानपुर में इन विषयों पर रिसर्च होती है।

*५२—श्री चतुर्भुज शर्मा—यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव—उपरोक्त संस्था सन् १९२१ में संस्थापित हुई।

*५३—श्री चतुर्भुज शर्मा—क्या उक्त विषय में यू० पी० के विश्वविद्यालय से कोई जांच की गई है या नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव—उपरोक्त संस्था में संयुक्त प्रांत के कुछ विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रश्न ५३ का जवाब नहीं दिया गया है। मैंने यह पूछा था कि विश्व-विद्यालय से कोई जांच की गयी है या नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव—यदि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व इसमें है तो इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि वहां मौजूद हैं और उनकी देख-रेख म यह काम होता है। अगर कोई खास बात बुराई या गलती की होगी तो वह बतलायेंगे।

*५४—श्री चतुर्भुज शर्मा—क्या सरकार विश्वविद्यालयों के इस कार्य के लिये कोई ग्रान्ट देती है ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हां।

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार प्रतिवर्ष कितनी ग्रांट देती है ?

माननीय पुलिस सचिव—इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री चतुर्भुज शर्मा—क्या सरकार कृपा करके बताएगी कि सन् १९२१ से अब इस संस्था न कोई नया अन्वेषण किया है ?

माननीय पुलिस सचिव—यदि माननीय सदस्य देखना चाहेंगे तो उनको नोट दिया जा सकेगा।

बदायूं में एडल्ट एजुकेशन के लिये रुपये का वितरण

*५५—श्री मुहम्मद असरार अहमद—(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा एडल्ट एजुकेशन के लिए जो ग्रान्ट दी जाती है, उसके अन्तर्गत बदायूं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए जो रुपया रक्खा गया है वह रुपया उन लोगों के पास जिनको कि प्रतिमास मिलना चाहिए था, नहीं मिला है ?

(ख) उपरोक्त रुपये के वितरण का क्या नियम है ?

श्री महफूजुर्रहमान—(क) जी नहीं।

(ख) सरकारी प्रौढ़ पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन, महंगाई और कन्टिन्जेन्सी जिले के डिप्टी इन्स्पेक्टर के द्वारा खजाने से निकाला जाता है और उसे या तो मनीआर्डर से या स्वयं व्यक्तिगत रूप से वितरण कर दिया जाता है। पुस्तकालयों और वाचनालयों के एलाउन्स और कन्टिन्जेन्सी का रुपया भी इसी तरह बरामद करके वितरण किया जाता है।

सहायता प्राप्त पुस्तकालयों की सहायता की स्वीकृति जिला के प्रौढ़ शिक्षा समिति अथवा जिला के स्कूलों के इन्स्पेक्टर की सिफारिश पर शिक्षा प्रसार के अध्यक्ष देते हैं और उसका वितरण डिप्टी इन्स्पेक्टर स्कूल के द्वारा होता है।

इसी तरह प्रौढ़ पाठशालाओं की सहायता की स्वीकृति भी जिला प्रौढ़ शिक्षा समिति या डिप्टी इन्स्पेक्टर स्कूल की शिफारिश पर शिक्षा प्रसार के अध्यक्ष ही करते है। सहायता का रुपया डिप्टी इन्स्पेक्टर स्थानीय खजाने से निकाल कर सम्बधित स्कूलों को वितरण करते हैं।

*५६--श्री मुहम्मद असरार अहमद--सन् १९४८--४९ ई० के लिए कितना रुपया उपरोक्त मद में रक्खा गया था, कितना बांटा गया और कितना नहीं ?

श्री महफूजुर्रहमान--सन् १९४८ में १४, १०० रु० इस कार्य के लिए रक्खा गया था। उसमें से १३,४१७ रु० ३ आ० खर्च हुआ था और ६८२ रु० १३ आना शेष रह गया था।

*५७--श्री मुहम्मद असरार अहमद--(क) क्या यह सही है कि जिन लोगों को रुपया मिलना चाहिए था, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स तथा डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स को सूचित किया कि यह रुपया उन्हें नहीं मिला ?

(ख) यह कितने रुपये का मामला है और अफसरान ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है और क्या कर रहे हैं ?

श्री महफूजुर्रहमान--जी नहीं, केवल एक अध्यापक ने अगस्त १९४८ का वेतन न मिलने की शिकायत की थी। वह भी उसे मार्च १९४९ में दे दिया गया था। इसमें देर होने का कारण यह था कि यह रुपया गलती से एक अध्यापक को दुबारा दे दिया गया था।

यह केवल एक अध्यापक के अगस्त १९४८ के वेतन लगभग ३७ रुपए का प्रश्न था। वह भी उसे सन् १९४९ में अथवा १९४८-१९४९ वष के भीतर ही दे दिया गया था।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि अडल्ट एजूकेशन की और दूसरी तरह की रकमें जिन-जिन लोगों को मिलनी चाहिये थीं, उनको तारीखवार मिलती रहीं या सिर्फ गबन करने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता अदा की गयीं ?

श्री महफूजुर्रहमान--गवर्नमेंट को इसकी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि एक शख्स को, जो दुबारा नौ महीने के बाद, रुपया दिया गया उसका क्या कारण है ?

माननीय शिक्षा सचिव--माननीय सदस्य खुद फाइनेंस कमेटी के मेम्बर हैं। वह जानते हैं कि हम को पब्लिक के रुपये का कितना ख्याल रखना पड़ता है। फिर यह पता लगाना कि किस के पास रुपया चला गया है और उसको बरामद कराना इन सब बातों में देर लगती है। बहरहाल उसको अगस्त की तनख्वाह नहीं मिली। सितम्बर में दरख्वास्त आयी होगी तो नौ महीने में सात आठ महीने तो यों ही चले गये।

*५८--श्री मुहम्मद असरार अहमद--[स्थगित किया गया]।

श्री मुहम्मद असरार अहमद-- मैंने, जनाब की तवज्जह सवाल नं० ५८ की तरफ दिलानी है। इसकी नोटिस दिये हुए एक साल हो गया। एक दफा मुल्तवी हो गया था और आज फिर दिया गया है कि मुल्तवी हो गया है ?

माननीय स्पीकर--मैं सरकार का ध्यान इस बात पर दिलाता हूं कि यह सवाल २७ अप्रैल, सन् १९४९ ई० को सरकार के पास भेजा गया और अब भी स्थगित किया गया है। मुनासिब होगा कि इसका जवाब जल्दी देने की चेष्टा की जाय।

प्रांत में पेट्रोल का आयात तथा वितरण

*५९--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रान्त में भिन्न-भिन्न पेट्रोल कम्पनियों द्वारा कितना पैट्रोल १ अक्तूबर सन् १९४८ ई० से प्रति मास अब तक आया ?

माननीय पुलिस सचिव—इस प्रांत में तेल की कम्पनियों द्वारा प्रतिमास प्राप्त किये हुए पेट्रोल की मात्रा का विवरण नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७१ पर)

*६०—श्री मुहम्मद असरार अहमद—इस प्रांत के लिए कितना पेट्रोल कोटा केन्द्रीय सरकार द्वारा अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर सन् १९४८ ई०, जनवरी, फरवरी, मार्च, सन् १९४९ ई० और चालू क्वार्टर में एलाट किया गया है ?

माननीय पुलिस सचिव—केन्द्रीय सरकार द्वारा अक्तूबर १९४८ से जून, १९४९ तक तीन तिमाहियों में दिये गये पेट्रोल कूपन के कोटे का विवरण इस प्रकार है—

क्वार्टर	गैलन
अक्तूबर—दिसम्बर, १९४८	३२,८४,०००
जनवरी—मार्च, १९४९	३६,१०,०००
अप्रैल—जून, १९४९	३८,३०,०००

*६१—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार को मालूम है कि इस प्रान्त में १ अक्तूबर सन् १९४८ ई० से अब तक बहुत से पेट्रोल कूपन पेट्रोल न मिलने के कारण लैप्स हो गये हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—इस संबंध में हमें सरकारी तौर पर कोई सूचना नहीं मिली है लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस प्रान्त के पच्छिमी तथा पूर्वी जिलों में पेट्रोल की कुछ कमी महसूस की गई थी। अब स्थिति ठीक है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि जब एक करोड़ गैलन से ज्यादा पेट्रोल इस प्रान्त में आया और उससे कम के लिये कूपन जारी हुआ तो फिर क्यों पेट्रोल के कूपन्स लैप्स हुये और ब्लैक मार्केटिंग हुई ?

माननीय पुलिस सचिव—यह तो हर जिले में पेट्रोल के पहुंच सकने की बात है। पेट्रोल तो आया लेकिन हर जिले के लिये ट्रांसपोर्ट मिलने और वहां पेट्रोल पहुंच जाने की सहूलियत पर ही हर जिले में पेट्रोल मिल जाता है। जहां नहीं पहुंच पाता वहां स्टाक की कुछ कमी हो जाती है और वहां कूपन्स लैप्स हो जाते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि रेलवे बोर्ड ने भी और इस हाउस के दो मेम्बरान ने भी गवर्नमेंट को इत्तिला दी कि पेट्रोल के बहुत वैगन्स रेलवे बोर्ड के पास खड़े हैं और मांग से ज्यादा मौजूद हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हां, मौजूद तो रहते है लेकिन वे पहुंच नहीं पाते।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि पेट्रोल होते हुये भी पेट्रोल इन्स्टालेशन्स डिपो और डीलर्स मिल कर आर्टिफिशल शार्टेज पैदा करते है ?

माननीय पुलिस सचिव—मुमकिन है ऐसा हो लेकिन गवर्नमेंट के पास इस मामले में कोई रिपोर्ट इस वक्त तक नहीं है।

*६२—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार बतलायेगी कि प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार की पेट्रोल के कम आने के सिलसिले में कोई तवज्जह दिलायी है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हां, प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार तथा रेलवे बोर्ड से इसके बारे में लिखा पढ़ी की जिसके फलस्वरूप अब स्थिति ठीक है।

*६३—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार बतलायेगी कि प्रान्तीय सरकार १ अक्तूबर, सन् १९४८ ई० से अब तक जिलेवार हर केटेगरी का पेट्रोल क्या क्या मुकर्रर किया था, जिसके कि कूपन जारी हुए ?

माननीय पुलिस सचिव--इस सवाल का जवाब देने मे काफ़ी श्रम करना होगा और इसमें समय भी लगेगा। माननीय सदस्य मानेंगे कि इसकी जरूरत नही है।

*६४--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार बतलायेगी कि इस प्रात मे किस-किस पेट्रोल कम्पनी का पेट्रोल आता है और इन कम्पनियों के इस प्रांत मे किस-किस रेलवे साइडिंग पर (स्टेशन जिला, रेल का नाम दिया जाय) पेट्रोल डिपो इन्स्टालेशन्स हैं और उनके अलग-अलग क्या स्टोरेज कैपिसिटीज है?

माननीय पुलिस सचिव--इस प्रांत में बर्मा शेल आयल कम्पनी, बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी, कैल्टेक्स इंडिया लिमिटेड कम्पनी तथा स्टैंडर्ड वैकूम आयल कम्पनी से पेट्रोल आता है।

शेष सूचना हिफाजत के ख्याल से बताना मुनासिब न होगा।

*६५--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार बतायेगी कि इन हर एक इन्स्टालेशन से किस-किस जिले को कितना-कितना पेट्रोल दिया जाता है?

माननीय पुलिस सचिव--ऊपर जो कारण दिया गया है उससे इस सवाल का भी जवाब देना उचित न होगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि जो सूचना मांगी गई है उसका कोई इल्म गवर्नमेंट को है या नहीं?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां, इल्म पूरा है।

*६६--७०--श्री बलभद्र सिंह--[तबसे माननीय सदस्य की मृत्यु हो गई।]

प्रांत में सब-डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स और डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स की नियुक्ति

*७१--श्री बादशाह गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स तथा डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स की नियुक्ति के क्या नियम है?

माननीय शिक्षा सचिव--तत्सम्बन्धी नियमावली की एक प्रति माननीय सदस्य के मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७२ पर)

*७२--श्री बादशाह गुप्त (अनुपस्थित)--गत वर्ष सरकार ने कितने सब-डिप्टी इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति की और अब इस वर्ष कितनों की नियुक्ति करने का विचार है?

माननीय शिक्षा सचिव--गत वर्ष (१९४८--४९) में ५० अतिरिक्त सब-डिप्टी इंस्पेक्टर्स भरती किये गये और इस वर्ष (१९४९--५०) में भी ५० इन्स्पेक्टर भरती किये जावेंगे।

*७३--श्री बादशाह गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रांत में कुल कितने सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर है और पहाड़ी जिलों, अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल में पृथक-पृथक कितने हैं?

माननीय शिक्षा सचिव--सब-डिप्टी इन्स्पेक्टरों की कुल वर्तमान संख्या ३१८ है जिनमें से पहाड़ी जिलों के लिये १९ स्थान नियत है--

अलमोड़ा--७।

गढ़वाल--८।

नैनीताल--४।

इसमें नये ५० सब-डिप्टी जो इस वर्ष भरती होने को हैं सम्मिलित नहीं है। उनमे से भी एक-एक सब-डिप्टी प्रत्येक पहाड़ी जिलों में नियुक्त किये जावेंगे।

ज़िला बस्ती में लारियों का कुप्रबन्ध

*७४—श्री मुहम्मद अदील अब्बासी—क्या रोडवेज के स्टेशनों पर गाड़ियों के छूटने के समय लिखे हुए होते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला बस्ती के रोडवेज में समय की पाबन्दी नहीं होती है और गाड़ियां वक्त से नहीं छूटतीं?

माननीय पुलिस सचिव—जी हां। जिला बस्ती में सड़कों की हालत खराब होने के कारण खासकर बरसात में रोडवेज की गाड़ियों के छूटने और पहुंचने के समय में कभी-कभी ठीक पाबन्दी नहीं हो सकी। गाड़ियों को बहुत धीरे-धीरे और सावधानी से चलाना आवश्यक था जिसके कारण उनके पहुंचने में देरी हो जाती थी। बरसात खत्म हो गई है और सड़कों की हालत भी बहुत कुछ सुधर गई है, इसलिये अब आशा है कि गाड़ियों के छूटने और पहुंचने के समय में ठीक-ठीक पाबन्दी हो सकेगी।

*७५—श्री मुहम्मद अदील अब्बासी—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि १५ अप्रल, ४९ ई० को डुमरियागंज, ज़िला बस्ती से आखिरी लारी के छूटने का समय क्या था? क्या वह लारी छूटी? अगर नहीं, तो क्यों?

माननीय पुलिस सचिव—डुमरियागंज से आखिरी लारी छूटने का समय ५-३० बजे शाम का था। वह साढ़े सात बजे रात को छूटी थी। लारी का नं० ३६१८ था।

*७६—श्री मुहम्मद अदील अब्बासी—क्या जिला बस्ती के रोडवेज में कोई शिकायत की किताब है? उस पर लिखी हुई शिकायतें किसके पास जाती हैं और उन पर क्या कोई कार्रवाई होती है?

माननीय पुलिस सचिव—जी हां। लिखी हुई शिकायतों का विवरण तथा उन पर जो कार्रवाई की जाती है वह एक नक्शे के रूप में प्रति मास सरकार को भी भेजी जाती है। जेनरल मैनेजर शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई करते हैं।

*७७—श्री मुहम्मद अदील अब्बासी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती ज़िले में गुजिश्ता एक साल के अन्दर किस-किस एम० एल० ए० ने शिकायत की किताब में शिकायतें लिखीं और इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई?

माननीय पुलिस सचिव—पिछले एक साल में जिन एम० एल० ए० ने शिकायत की किताब में शिकायतें लिखीं और उन पर जो कार्रवाई की गई, उसकी सूचना मेज़ पर रख दी गई है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७४ पर)

श्री मुहम्मद अदील अब्बासी—क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि इन गाड़ियों में जो बहुत गर्द आती है उसमें अभी कोई कमी वाकय नहीं हुई है?

माननीय पुलिस सचिव—जी हां। यह सही है कि ये गाड़ियां कुछ ऐसी हैं कि जिनका फ्लोर ऐसा नहीं बनाया गया है कि जिससे इनमें गर्द न आए और इसलिये जब ये बाहर से आती हैं तो इनमें गर्द बहुत भरती है। लेकिन हम सेन्ट्रल वर्कशाप में इस बात का इन्तजाम कर रहे हैं कि उनके फ्लोर वगैरः ठीक करके और स्टील वगैरः लगा करके उसे इस तरह से बन्द करें कि गर्द का आना बन्द हो जाय। बहुत सी गाड़ियों में इसका इन्तजाम हो गया है। अब दूसरी गाड़ियों में भी हम इसका इन्तजाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

*७८—श्री मुहम्मद अदील अब्बासी—क्या ऐसा भी हुआ है कि कई मरतबा गाड़ी के अन्दर यह किताब मौजूद नहीं मिली?

माननीय पुलिससचिव—रजिस्टर रखने की सख्त ताकीद की गई है। फिर भी अगर कहीं ऐसी शिकायत मिले तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जायगी।

*७९--श्री मुहम्मद अदील अब्बासी--क्या सरकार को यह मालूम है कि बांसी, डुमरियागंज, बस्ती तथा गोरखपुर के रोडवेज के स्टेशनों पर जनता को तीसरे दर्जे के टिकट खरीदने मे बड़ी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो सरकार ने इस कठिनाई को दूर करने का कोई उपाय किया है ?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां। ऐसा होता था। अब एक नया टिकटघर बस्ती में स्त्रियों की सुविधा के लिये बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त बस्ती से विभिन्न दिशाओं को जाने वाली गाड़ियों के टिकट अलग-अलग खिड़कियों से मिलते हैं। इसी तरह के टिकटघर बांसी और डुमरियागंज में भी बनाये जा रहे हैं। इससे कठिनाइयां दूर हो जायंगी।

नई शिक्षा संस्थाओं का स्थायीकरण तथा उनकी उन्नति

*८०--श्री कुशलानन्द गैरोला--क्या सरकार यह जानती है कि कुछ दिनों से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो इन स्कूलों को स्थायी रूप देने तथा उन्नत करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री महफ़ूजुर्रहमान--जी हां। स्थायी रूप देने से माननीय सदस्य का क्या अर्थ है यह स्पष्ट नहीं है। सरकार इस बात का बराबर प्रयत्न करती रहती है कि इन संस्थाओं को जहां तक अधिक आर्थिक सहायता सम्भव हो दी जाय और शिक्षा विभाग के अधिकारी उनको उचित परामर्श देते रहते हैं। इस बात पर भी दृष्टि रखी जाती है कि उनमें योग्य अध्यापक काम करें और उनका प्रबन्ध ठीक हो। आशा की जाती है कि इस प्रकार वह उन्नत होंगे।

श्री कुशलानन्द गैरोला--स्थायी रूप से मेरा मतलब स्थायी रूप से रिकगनीशन का था।

माननीय शिक्षा सचिव--रिकगनीशन के लिये म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों की एक कमेटी है उसके सामने उनकी दरख्वास्तें जाती हैं और यदि वह मुनासिब समझती है तो सरकार को उसके लिये परामर्श देती है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या सरकार को ज्ञात है कि वहां के गरीबों ने कई उच्च माध्यमिक पाठशालायें बनाई और सरकार द्वारा प्रमाणित हुई, किंतु उनमें से अधिकांश को कोई आर्थिक सहायता सरकार की ओर से नहीं दी जाती है ?

माननीय शिक्षा सचिव--इस सवाल का जवाब देना कठिन है, क्योंकि जो असल सवाल है वह सूबे भर का है। सरकार को किसी खास संस्था का नाम नहीं बताया गया है। बात यह है कि अधिकांश संस्थाओं को सरकारी सहायता नहीं दी जाती है और न दी जा सकती है कारण यह है कि जो संस्था चलाई जाती है उसके चलने के एक साल बाद सहायता दी जाती है। पहिले साल २०:२५ या ५० रु० की प्रिलिमिनरी ग्रान्ट दी जाती है फिर अगले साल उसके दरख्वास्त देने पर स्थायी रूप से ग्रान्ट देने के सवाल पर विचार किया जाता है। इसलिये मैं नहीं कह सकता कि किस जिले की ओर आपका इशारा है, लेकिन आम तौर से उसूल यह है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां पर सरकार द्वारा संस्थायें प्रमाणित हो जाती हैं वहां पर उनको सरकार कुछ न कुछ आर्थिक सहायता प्रदान किया करती है या नहीं ?

माननीय शिक्षा सचिव--महज प्रमाणित हो जाने से ही किसी संस्था को ग्रान्ट मिल जाय यह जरूरी नहीं है। जब कोई संस्था प्रमाणित हो जाती है तब उसकी दरख्वास्त आती है दरख्वास्त आने पर सब बातों को देखकर जब यह विभाग मुनासिब समझता है तो उसको प्रिलिमिनरी ग्रान्ट दी जाती है। आम तौर से कुछ न कुछ प्रिलिमिनरी

ग्रान्ट मिल ही जाती है जिसकी रकम २५ या ५० रु० होती है फिर इसके २ साल बाद दरख्वास्त आने पर रेग्युलर ग्रान्ट दी जाती है।

श्री कुशलानन्द गैरोला—क्या मैं सरकार से दरियाफ्त कर सकता हूं कि श्री रघुनाथ देव कीर्ति पाठशाला के बारे में सरकार की क्या कैफ़ियत है ?

माननीय शिक्षा सचिव—इसके लिये नोटिस की जरूरत है। इस सवाल का जवाब देना गैर-मुमकिन है।

अपर गढ़वाल के हरिजनों को सहायता

*८१—श्री कुशलानन्द गैरोला—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अपर गढ़वाल प्रदेश के हरिजनों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये वह क्या क़दम उठा रही है ? सरकार उन्हें कल सम्बन्धी शिक्षा देने का तथा इस सम्बन्ध में शिक्षा देने तथा इस प्रदेश में छोटे-छोटे औद्योगिक धन्धों की स्थापना करने का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा-मंत्री (श्री गोविन्द सहाय)—उत्तर गढ़वाल के प्रदेश हरिजनों के लिये विशेषतः कोई बात करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई, परन्तु निस्संदेह इसमें विभिन्न स्थानों पर जो कल-सम्बन्धी शिक्षा देने की तथा छोटे-छोटे औद्योगिक धंधों की योजनायें सुचालित हैं, उनके द्वारा हरिजनों के लिये भी खुले हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि हरिजनों के बारे में कुछ जानने की विशेष आवश्यकता उसे क्यों नहीं पड़ी ?

श्री गोविन्द सहाय—जानने का सवाल नहीं है विशेष सुविधा देने का प्रश्न है। इस आधार पर उन्हें कोई विशेष सुविधायें नहीं दी जा सकतीं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि श्रीनगर में चमड़े का काम विशेष रूप से होता है और वहां के हरिजनों को इसके लिये सरकार द्वारा अभी तक कोई सहायता नहीं प्रदान की जा रही है ?

श्री गोविन्द सहाय—हो सकता है कि श्रीनगर में ऐसा होता हो और सरकार को उसकी जानकारी न हो।

बलिया के ज़िलाधीश के कार्यालय के पेड अपरेन्टिसों के विषय में पूछताछ

*८२—श्री खुशवक्त राय (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ज़िलाधीशों के कार्यालयों में जो वेतन भोगी कर्मचारित्वाभिलाषी (पेड अपरेन्टिस) कार्य करते हैं, उनके लिये कोई न्यूनतम योग्यता नियत है ?

(ख) यदि हां, तो वह न्यूनतम योग्यता क्या है ?

(ग) क्या सरकार ने यह अधिकार अपने लिये सुरक्षित रक्खा है कि वह न्यूनतम योग्यता के नियम से मुक्त कर सके ?

(घ) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह सुविधा सरकार किन कारणों अथवा परिस्थितियों में देती है ?

(ङ) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बलिया के जिलाधीश के कार्यालय में कितने वेतनभोगी कर्मचारित्वाभिलाषी काम कर रहे हैं और उनमें से कितने को सरकार ने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी मुक्ति दी है ?

(च) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन सज्जनों के नाम क्या हैं और उनकी वास्तविक योग्यता क्या है ?

(छ) क्या इनमें से कोई सज्जन अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बलिया के निकट सम्बन्धी हैं ?

(ज) क्या यह सच है कि इनका पहिला प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हो गया था, परन्तु दुबारा प्रार्थनापत्र देने पर इन्हें नियम से मुक्ति प्राप्त हो गयी थी ?

(झ) क्या सरकार इसका कारण बतलाने की कृपा करेगी ?

माननीय माल सचिव (श्री हुकुम सिंह)—(क) जी हां।

(ख) पैरा ३३२ एम० जी० ओ० के अनुसार हाई स्कूल या उसके समान की परीक्षा आवश्यक है।

(ग) जी हां।

(घ) आधुनिक विशेष परिस्थितियां निम्नलिखित हैं—

(१) यदि प्रार्थी ने कई वर्ष तक संतोषजनक किसी पद पर काम किया हो और अंग्रेजी की योग्यता हाई स्कूल तक हो तो पैरा ३३२ एम० जी० ओ० के अनुसार,

(२) यदि प्रार्थी बन्दोबस्त में ५ वर्ष तक काम कर चुका हो और ३५ वर्ष से कम अवस्था हो,

(३) प्रार्थी यदि योग्य शरणार्थी हो,

(४) प्रार्थी ने यदि राजनीतिक आन्दोलन में भाग लिया हो और उसके कारण उसको हानि पहुंची हो।

(ङ) बलिया के जिलाधीश के कार्यालय में ९ वेतनभोगी कर्मचारिताभिलाषी काम कर रहे हैं इनमें १ को न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी मुक्ति प्रदान की गई है।

(च) जिस सज्जन को न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी मुक्ति प्रदान की गई है उसका नाम राम प्रवीण पांडेय है और उन्होंने अष्ठम कक्षा की परीक्षा पास की है।

(छ) जी हां। श्री राम प्रवीण पांडेय, श्री तारकेश्वर पांडेय, अध्यक्ष, जिला बोर्ड बलिया के भतीजे हैं।

(ज) जी हां।

(झ) राजनैतिक पीड़ित होने के कारण।

सन् १९४८—४९ में जिला इलाहाबाद में राजनैतिक पीड़ितों को पब्लिक कैरियर्स के परमिट

*८३—श्री खुशवक्तराय (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद में आर्थिक वर्ष १९४८–४९ ई० में कितने पब्लिक कैरियर्स के परमिट राजनैतिक पीड़ितों को दिये गए?

(ख) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि राजनैतिक पीड़ितों की क्या परिभाषा है और उसके लिये किन–किन प्रमाणपत्रों की आवश्यकता होती है?

(ग) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद में जिनको आर्थिक वर्ष १९४८–४९ ई० में परमिट मिले उनके नाम, पते व राजनैतिक पीड़ित होने की योग्यता क्या है?

(घ) क्या यह सच है कि इनको जो परमिट दिये गए हैं उनके साथ कुछ शर्तें भी लगायी गयी हैं?

(ङ) यदि हां, तो यह शर्तें क्या हैं?

(च) क्या यह शर्तें सब परमिट पाने वालों पर लागू हैं या इनमें से किसी के साथ रियायत भी कर दी गयी है?

(छ) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय इलाहाबाद–कोहडार घाट पर कितनी गाड़ियों को चलने का परमिट मिला हुआ है और उन गाड़ियों के नम्बर तथा मालिकों के नाम क्या है तथा क्या वह गैस प्लान्ट पर चलती हैं या पेट्रोल से?

(ज) क्या यह सच है कि पहिले इस सड़क पर एक और गाड़ी को चलने का परमिट मिला हुआ था, परन्तु किसी विशेष कारण से यह परमिट रद्द कर दिया गया है?

माननीय पुलिस सचिव--(क) आर्थिक वर्ष, १९४८-४९ ई० मे आर० टी० ओ० इलाहाबाद ने तीन पब्लिक कैरियर के परमिट राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों को दिये

(ख) सन् १९४८ ई० की पुरानी योजना के अन्तर्गत उन्हीं व्यक्तियों को रोड परमिट पाने के लिये राजनैतिक पीड़ित माना जाता था--

(१) जो सन् १९४२ ई० के आन्दोलन में ६ मास या इससे अधिक समय के लिये जेल जा चुके हों।

(२) या जिनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई हो।

(३) या जिनका व्यापार नष्ट कर दिया गया था।

सन् १९४९ ई० की नवीन योजना मे वे सब लोग रोड परमिट पाने के लिये राजनैतिक पीड़ित माने गए हैं जो--

(१) सन् १९३० ई० के बाद कम से कम ६ माह के लिये जेल जा चुके हों।

(२) या जिनके पालन-पोषण करने वाले या तो जेल मे मर गए हो अथवा गोली मे मारे गए हों।

पुरानी योजना में कलेक्टर, सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस, सुपरिण्टेण्डेण्ट जेल, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी या एम० एल० ए० के प्रमाण-पत्र पर्याप्त समझे जाते थे। आवश्यकतानुसार अधिकारियों द्वारा और भी जांच कर ली जाती थी।

नई योजना में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का सर्टिफिकेट पर्याप्त माना गया है।

(ग) आर्थिक वर्ष, १९४८-४९ ई० में इलाहाबाद जिले मे जिन व्यक्तियों को स्टेज कैरेज या पब्लिक कैरियर के परमिट दिये गए उनके नाम, पते तथा राजनैतिक पीड़ित होने की योग्यता कृपया नत्थी किये गए स्टेटमेंट में देखी जाय।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७६ पर)

(घ) जी हां।

(ङ) यह शर्तें १९४८ की स्कीम में इस प्रकार थीं--

(१) परमिट कच्ची सड़कों पर जिनकी लम्बाई १०० मील से अधिक नहीं है दिया जाएगा। सुविधा के लिये अधिक से अधिक २० प्रतिशत पक्की सड़क भी दी जा सकती है।

(२) यदि इनकी स्वीकृत सड़कें सरकारी रोडवेज ने ले ली तो यह परमिट रद्द कर दिये जायेंगे तथा इन लोगों को किसी प्रकार का मुआविजा नहीं दिया जायगा।

(३) पहले इनकी गाड़ियों को चलाने के लिये गैस प्लांट लगवाने की शर्त थी परन्तु अब वह हटा ली गई है और इनको पेट्रोल दिया जा रहा है।

(च) यह शर्तें सब के लिये लागू हैं और किसी के साथ रियायत नहीं की गई है।

(छ) इलाहाबाद-कोहडार वाट पर २ गाड़ियों के परमिट दिये गए थे। गाड़ियो के नम्बर तथा मालिकों के नाम नीचे दिये हुए हैं--

(१) श्री कौशलेश सिंह, बरांव की कोठी, इलाहाबाद, यू० पी० सी० २९४७।

(२) श्रीमती गिरीश कुमारी, बरांव की कोठी, इलाहाबाद, यू० पी० सी० २९६६।

दोनों गाड़ियां पेट्रोल पर चलती हैं।

(ज) जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है पहले इस सड़क पर गाड़ी नं० यू० पी० सी० २९६६ को भी चलने का परमिट मिला था। चूंकि इस सड़क पर चलने वाले मुसाफिरों के लिये केवल एक गाड़ी ही पर्याप्त थी, इसलिये गाड़ी नं० यू० पी० सी० २९६६ को दूसरी लाइन दे दी गई है।

जिला आजमगढ़ में महाराजगंज स्कूल के छात्र श्री बीरबल सिंह पर जुर्माना

*८४---श्री गजाधर प्रसाद---महाराजगंज हायर सेकेंडरी स्कूल, जिला आजमगढ़ में सन् १९४८ ई० के जुलाई माह में श्री बीरबल सिंह छात्र कक्षा ९ से जो १५ रु० जुर्माना इसलिए वसूल किया गया था कि उसने गत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी का साथ दिया था क्या सरकार ने उस जुर्माने को वापस कराया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महफूजुल रहमान---विद्यार्थी बीरबल सिंह पर जुर्माना किया गया, लेकिन वसूल नहीं किया गया। अतः उसके वापस कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राजाराम शास्त्री---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुर्माना क्यों किया गया?

माननीय शिक्षा सचिव---इसलिये कि स्कूल के अधिकारियों ने यह समझा कि लड़के ने गलत काम किया।

श्री राजाराम शास्त्री---जुर्माना वसूल हुआ या नहीं इसके बारे में आपको किस तरीके पर मालूम हुआ?

माननीय शिक्षा सचिव---जिस तरीके से गवर्नमेंट को नीचे की और सब बातों का पता लगा करता है।

प्रान्तीय सिविल सर्विस (एक्जीक्यूटिव) प्रतियोगिता में परिगणित जातियों के लिये सुविधायें

*८५---श्री गंगाधर---क्या सरकार जानती है कि इस वर्ष प्रान्तीय सिविल सर्विस (एक्जीक्यूटिव) प्रतियोगिता में यू० पी० पब्लिक सर्विस कमीशन ने ४८ स्थानों में से ५ स्थान परिगणित जातियों के लिए सुरक्षित घोषित किये थे?

श्री गोविन्द सहाय---जी हां।

*८६---श्री गंगाधर---क्या सरकार यह जानती है कि इस प्रतियोगिता में परिगणित जाति के २५ उम्मीदवारों में से सिर्फ तीन ही भेंट (इन्टरव्यू) के लिये बुलाये गये? यदि हां, तो क्यों?

श्री गोविन्द सहाय---जी हां, परिगणित जाति के २८ उम्मीदवारों में से (२५ नहीं) जो इम्तिहान में बैठे सिर्फ ३ उम्मीदवारों का भेंट (इन्टरव्यु) के लिये बुलाया गया था, क्योंकि कमीशन की राय में केवल इन्हीं तीनों के लिखित पर्चा में इतने नम्बर आये थे कि उन्हे भेंट के लिये बुलाया जा सकता था।

*८७---श्री गंगाधर---क्या यह सत्य है कि इस वर्ष प्रान्तीय सिविल सर्विस (एक्जीक्यूटिव के ४८ स्थानों में सिर्फ एक स्थान परिगणित जाति के उम्मीदवार को मिला है?

श्री गोविन्द सहाय---जी नहीं। उक्त प्रान्तीय सिविल सर्विस (एक्जीक्यूटिव-ब्रान्च) में नियुक्ति के लिये २ उम्मीदवार डाक्टरी परीक्षा में पास होने की शर्त पर मंजूर किये गये थे।

*८८---श्री गंगाधर---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि परिगणित जाति के लिये इस प्रतियोगिता में सवर्ण हिन्दुओं के मुकाबिले में कोई विशेष सुविधा दी जाती है? यदि हां, तो क्या?

श्री गोविन्द सहाय---जी हां, परिगणित जाति के उम्मीदवारों को नीचे लिखी रियायतें दी जाती है।

१---१० प्रतिशत जगहें परिगणित जाति के उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित रक्खी जाती है।

२—उनके लिये उमर की मियाद ३ साल बढ़ा दी गई है।

३—उनकी योग्यता की जांच का स्टैन्डर्ड कुछ साल रक्खा गया है।

८९—श्री नगाचर—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस प्रतियोगिता में परिगणित जाति के उम्मीदवारों के लिए इस वर्ष पहले से स्टैन्डर्ड (स्तर) बढ़ा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री गोविन्द सहाय—जी नहीं। इस प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

घरेलू उद्योग-धन्धों को सरकारी सहायता

९०—श्री रामचन्द्र पालीवाल—घरेलू उद्योग-धंधों को सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है?

माननीय पुलिस सचिव—कुटीर उद्योग-धंधों के सम्बन्ध में सरकार की नीति उनको सहायता देने की है। सरकार ने संचालक उद्योग तथा व्यवसाय का पुनः नामकरण संचालक कुटीर उद्योग किया है। जिससे कि संचालक कुटीर उद्योग की ओर अधिक ध्यान दे सके। सरकार ने कुटीर उद्योगों के सिखाने का समुचित प्रबन्ध किया है। इस योजना के अन्तर्गत ६७ राजकीय शिक्षालय हैं और ऐसे ही ५१ शिक्षालयों को राज्य आर्थिक सहायता देता है। ट्यूशन क्लास की स्कीम भी गांव-गांव में कुटीर उद्योग-धंधों के प्रचार का कार्य करती है। इस प्रकार के ११८ क्लास हैं। घरेलू उद्योग धंधों को आर्थिक सहायता देने के लिये सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसने सन् १९४७-४८ में ९३,६५० रुपये अनुदान और ८७,५०० रुपये ऋण तथा १९४८-४९ में ६९,३५० रुपये अनुदान और २,२४,१०० रुपये ऋण स्वरूप दिया। घरेलू उद्योग-धंधों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिये सरकार ने एक यू० पी० हैण्डी क्राफ्ट्स नामक खोला है जहां हाथ की बनी हुई वस्तुओं का विक्रय होता है। इसके अतिरिक्त हाथ के बुने हुये कपड़ों को उन्नति, खादी, ऊन, रेशम के कीड़े पालने की व्यवस्था और तेलघानी, मिट्टी के बर्तन बनाना, कांच, मोती, हाथ का बना हुआ कागज, रेशों का व्यवसाय, इत्र योजना, चिकन योजना, चरखा विकास योजना, ताड़ गुड़ और गुड़ विकास योजनायें चालू की गई हैं। विशेष जानकारी के लिये उद्योग विभाग से समय-समय पर प्रकाशित† पत्रिकाओं का अवलोकन करिये।

फ़िरोजाबाद के घरेलू उद्योग-धन्धों को सरकारी सहायता

*९१—श्री रामचन्द्र पालीवाल—(क) क्या सरकार फ़िरोजाबाद की काटेज इण्डस्ट्री को कोई सहायता देती है?

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

माननीय पुलिस सचिव—(क) हां।

(ख) सरकार फ़िरोजाबाद की काटेज इन्डस्ट्री तथा उन बड़े कारखानों को भी, जोकि वहां पर चल रहे हैं, आवश्यक रा मैटीरियल सामान्य परिस्थिति की सीमा के अन्तर्गत जब कभी भी जरूरत होती है, सप्लाई करने में सहायता देती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों से लिक्विड गोल्ड (हिल्ल) के आयात पर नियंत्रण

*९२—श्री रामचन्द्र पालीवाल—(क) क्या सरकार को मालूम है कि फ़िरोजाबाद के इस घरेलू उद्योग-धंधे में विदेशों से बना हुआ लिक्विड गोल्ड (हिल्ल) एक प्रधान रा मैटीरियल है?

(ख) यदि हां, तो फ़िरोजाबाद के इस उद्योग में इस हिल्ल की समय-समय पर जो कमी आया करती है उसके बारे में क्या सरकार को जानकारी है?

† यहां पर छापी नहीं गयीं।

(ग) क्या यह सच है कि यू० पी० सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह लिखा है कि वह हिल्ल के भाव पर नियंत्रण नहीं चाहती ? यदि हां, तो क्यों ?

माननीय पुलिस सचिव--(क) विदेशों में बना हुआ हिल्ल लिक्विड गोल्ड चूड़ी बनाने के घरेलू उद्योग धंधे का रा मैटीरियल नहीं है बल्कि यह तो एक क़ीमती रसायन है जिसे कि सौदागर कारखानों से खरीदी हुई चूड़ियों को अपने यहां सजाने के काम में लाते हैं। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो इसका प्रयोग एक लक्जरी है क्योंकि कई पौंड सोना इस प्रकार प्रतिदिन वितरित होता है। जिससे देश को सदा के लिये नुक़सान होता है।

(ख) हिल्ल का आयात हमारे देश में पर्याप्त संख्या में होने के कारण, अल्पकालिक कमी स्पैकुलेशन के कारण ही जाना सम्भव है। कारीगर पेन्टर तो सौदागरों से वेतन मात्र ही पाते हैं और चूंकि हिल्ल सदैव बाजार में मिलती है कम या अधिक रेट पर हिल्ल के भाव में परिवर्तन होने का असर कारीगरों पर नहीं पड़ता बल्कि केवल सौदागरों पर ही पड़ता है।

हिल्ल लिक्विड गोल्ड सोने से बनती है जिसे कि बैंक आफ इंगलैण्ड ब्रिटिश कंट्रोल रेट पर देती है जोकि हमारे देश की बाजारी भाव से तीन गुना सस्ता है। फिरोजाबाद में हिल्ल के उपभोक्ताओं ने देखा कि इस रसायन से सोना निकाल कर बेचना कहीं अधिक लाभकारी है बजाय इसके कि उससे चूड़ियों को सजा कर बेचा जाय। एक समय था जबकि यह साइड बिजनेस लिक्विड गोल्ड की कमी का मुख्य कारण था और यह तब ही बन्द हुआ जब कि लिक्विड गोल्ड की क़ीमत बढ़ गई।

(ग) यह सत्य है कि यू० पी० सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सलाह दी थी कि लिक्विड गोल्ड के भाव पर नियंत्रण न रखा जाय क्योंकि इस रसायन के आयात के लिये ओपेन जनरल लाइसेंस था तथा कोई भी इसे मंगा सकता था। ऐसी दशा में सरकार अनावश्यक पदार्थों पर एक अनिश्चित काल तक नियंत्रण क़ायम रखना आवश्यक नहीं समझती है।

*९३--श्री रामचन्द्र पालीवाल--(क) क्या सरकार को मालूम है कि सन् १९४८ ई० की पहिली छमाही में जब कि हिल्ल को इंगलैण्ड से आयात करने पर भारत सरकार का आयात नियंत्रण क़ानून लागू रहा इसके भाव बाजार में स्थिर रहे ?

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि जब से भारत सरकार द्वारा यह आयात नियंत्रण क़ानून हिल्ल के आयात पर से उठा लिया गया तभी से इसके दाम एकदम ऊंचे हो गये ?

(ग) क्या यह सच है कि हिल्ल के आयात पर दुबारा नियंत्रण लागू करने के लिये फिरोजाबाद की संस्थाओं ने प्रार्थना की थी ?

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या-क्या कार्य किया गया ?

माननीय पुलिस सचिव--(क) हिल्ल का भाव सन् १९४८ ई० की पहली छमाही में स्थिर था जबकि उसका वितरण ग्लास टैक्नालाजिस्ट की देखरेख में होता था।

(ख) यह सत्य है कि नियंत्रण उठ जाने पर भाव ऊंचे हो गये। नियंत्रण उठ जाने पर प्रायः चीजों के दाम बढ़ जाते हैं।

(ग) यह सत्य है कि हिल्ल के आयात पर दुबारा नियंत्रण क़ायम करने के लिये हिल्ल के उपभोक्ताओं की संस्था ने सरकार से प्रार्थना की थी।

(घ) उन्हें सरकार ने उचित सलाह तथा चेतावनी दी थी।

*९४--श्री रामचन्द्र पालीवाल--(क) क्या सरकार को मालूम है कि फिरोजाबाद की इस घरेलू उद्योग की प्रतिनिधि संस्था (जो रजिस्टर्ड भी है) बैंगिल्स एसोसियेशन ने हिल्ल

को वर्तमान कठिनाइयों से प्रान्त के इस उद्योग को सुरक्षित रखने के लिये सम्बन्धित विभागों तथा पदाधिकारियों से जिनमें ग्लास टेक्नोलाजिस्ट भी शामिल हैं, बार बार अनुरोध किया कि हिल्ल के भाव व बटवारे में कोई सुनिश्चित सरकारी नीति के बारे बरती जावे ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि उन सम्बन्धित विभागों ने तथा ग्लास टेक्नोलाजिस्ट ने उसके लिये क्या-क्या कार्यवाही की ?

(ग) यदि कार्यवाही नहीं की, तो क्यों ?

म

उद्योग की प्रतिनिधि संस्था नहीं है। यह तो केवल ... [illegible]

इस संस्था ने ग्लास टेक्नोलाजिस्ट से दुबारा नियंत्रण क़ायम करने के लिये अनुरोध किया था।

(ख) ग्लास टैक्नोलाजिस्ट ने उन्हें सलाह दी थी कि वे कम से कम एक महीने के लिये ही चोर बाजारी करने वालों का वहिष्कार करें और उनसे हिल्ल न खरीदें। ऐसा करने मात्र से ही लिक्विड गोल्ड के भाव में काफी कमी आ जाती।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है।

*९५—श्री रामचन्द्र पालीवाल—क्या सरकार को मालूम है कि इंगलैंड से हिल्ल का आना दिन पर दिन कम होता जा रहा है ?

माननीय पुलिस सचिव—इंगलैण्ड से लिक्विड गोल्ड का आयात दिन पर दिन कम नहीं हो रहा है, बल्कि वह पहले से कहीं अधिक तथा पर्याप्त है और नियमित रूप से होता है।

१ अक्तूबर सन् १९४८ ई० से २८ मई सन १९४९ ई० तक भूख-हड़ताल करने वाले कैदियों के बारे में ब्यौरा

*९६—श्री मुहम्मद असरार अहमद—(क) क्या सरकार यह बतायेगी कि एक अक्तूबर सन् १९४८ ई० से २८ मई सन् १९४९ ई० तक प्रांत में जेलवार जिलेवार किस-किस राजनैतिक या अराजनैतिक क़ैदियों ने भूख हड़ताल की ?

(ख) भूख हड़ताल करने का क्या कारण था तथा उनकी क्या-क्या मांगें थीं और सरकार ने, उनकी कौन-कौन सी मांगें पूरी कीं ?

(ग) इन हड़ताल करने वालों ने किस-किस जेल में अपनी मांगें पूरी करने के लिये या जेल का क़ायदा तोड़ने के लिए बल प्रयोग किया और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(घ) सरकार ने किस-किस जेल में ऐसे क़ैदियों पर बल प्रयोग किया ?

श्री गोविन्द सहाय—(क) भूख-हड़ताल करने वाले क़ैदियों के नाम देना तो संभव नहीं है। एक तालिका †क जिसमें भिन्न-भिन्न जेलों में भूख-हड़तालियों की संख्या दी हुई है मेज़ पर रखी गई है।

(ख) एक दूसरी तालिका †ख मेज़ पर रखी है जिसमें भूख हड़ताल के कारण तथा भूख-हड़तालियों की मांगें और जो-जो मांगें सरकार द्वारा पूरी की गई हैं दी गई हैं।

(ग) किसी भूख-हड़ताली ने बल प्रयोग नहीं किया।

(घ) सरकार ने भी किसी भूख-हड़ताली पर बल प्रयोग नहीं किया।

गल्ला वसूली योजना के सिलसिले में माननीय सचिवों तथा सभा मंत्रियों के दौरे

*९७—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में माननीय सचिव व पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों ने कुल कितने मील का सफर किया—कितना रेल से, कितना हवाई जहाज से, कितना मोटर से और

---

†तालिकायें छापी नहीं गई हैं।

कितना अन्य साधनों द्वारा—कितनी स्पीचें दी और कहां—कहां ? हर एक माननीय सचिव व पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के सम्बन्ध में सूचना सूची के रूप में दी जाय ?

श्री गोविन्द सहाय—सिर्फ गल्ला वसूली के लिये कोई दौरे नहीं किये गये, लेकिन कुछ सभाओं में जो भाषण दिये गये उनमें गल्ला वसूली के बारे में भी कहा गया। ऐसी हालत में इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। अगर माननीय सदस्य उन जगहों की कोई सूची चाहते हैं जिनका दौरा माननीय सचिवों और सभासचिवों ने विशेष कालावधि में किया तो उसे वे स्पष्ट करें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि आने-जाने के सिलसिले में मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के सफर खर्च के सिलसिले में कोई रिकार्ड रखा जाता है या नहीं ?

श्री गोविन्द सहाय—जी हां ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि रेकार्ड्स मौजूद होने की हालत में यह सूचना किस गरज से नहीं दी जा रही है जो कि मांगी गयी है ?

श्री गोविन्द सहाय—सब के आने-जाने के खर्च का रेकार्ड तो रखा जाता है, लेकिन इसका रेकार्ड नहीं रखा जाता कि कौन कहां-कहां गया और कब कब गया।

(प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने पर शेष प्रश्न अगले दिन के कार्यक्रम में रख दिये गये।)

श्री अजीज अहमद खां तथा श्री बलभद्र सिंह की मृत्यु पर शोक-संवाद

माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)—माननीय स्पीकर साहब, हम लोगों के आखिरी सेशन के जाने के बाद हमारे कुछ साथियों का विछोह हो गया। मौलवी अजीज अहमद खां, इस हाउस के और असेम्बली के एक काबिल पुराने मेम्बर थे और वह खासा हिस्सा पब्लिक कामों में लिया करते थे। वे बेखौफ और आजादाना तरीके से अपना काम करते थे और जिस मसले को वह लेते थे उसमें काफी दिलचस्पी उनकी रहती थी। वह काफी अर्से तक बीमार रहे और आखिर में उनकी जिन्दगी को बचाने में और लोग कामयाब नहीं हो पाये। उनकी इस वफात से हमारे हाउस को एक नुकसान पहुंचा और एक कमी हुई। मैं यह तजवीज करता हूं कि स्पीकर साहब मेहरबानी करके उनके खानदान वालों तक हाउस की तरफ से इजहारे अफसोस भेज दें।

इसी दरमियान में ठाकुर बलभद्र सिंह जी, जो हमारे इस हाउस के एक बहुत अच्छे काम करने वाले थे, हमारी पार्टी में और कांग्रेस में जिनकी एक खास जगह थी, जिनकी अपने जिले में जनता की खिदमत करने की वजह से काफी लोगों में शोहरत थी और जनता की श्रद्धा भी उनके लिये थी और जिन्होंने अपनी सारी उम्र जनसेवा में ही बिताई, उनका भी इस बीच में स्वर्गवास हो गया।

वह भी कम उमर के थे और वह मुल्क में आगे खिदमत बहुत अच्छी तरह से करते और उनके जरिये हम सब की और मुल्क को बहुत फायदा पहुंचता। मुझे अफसोस है कि यकायक उनकी मौत हो गई और वह अब हमारे बीच में नहीं हैं। उनके बारे में ज्यादा कहने के लिये मुश्किल है, क्योंकि वह हमारी पार्टी के मेम्बर भी थे और बहुत दिनों से वह देश के सिर्फ पोलीटिकल ही नहीं, बल्कि सोशल, कंस्ट्रक्टिव और दूसरे क्षेत्रों में सेवा करते थे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उनके लड़के और उनके खानदान वालों को आप हमारी तरफ से सहानुभूति भेजने की कृपा करें।

श्री जहीरुल हसनैन लारी—मुहतरम स्पीकर साहब आनरेबिल वजीर आजम ने जो तजवीजे ताजियत पेश की है, मैं उसकी ताईद करता हूं। मौलवी अजीज अहमद साहब हमारे साथी और एक बहुत बड़े पुराने कारकुन थे और खिलाफत की तहरीर के जमाने में उन्होंने पब्लिक मामलों में काफी दिलचस्पी ली और उसके बाद वह मुस्लिम

[श्री जहीरुल हसनैन लारी]

लीग पार्टी के एक बहुत ही नुमायां मेम्बर थे। हम लोग हमेशा उनकी राय पर काफी भरोसा किया करते थे और यकीन मानिये कि वह बड़ी संजीदगी और वसीउल नजरी से तमाम मामलों पर अपने ख्यालात का इजहार किया करते थे। अफसोस है कि एक तूल तवील बीमारी के बाद उनकी वफात हो गयी। इस ऐवान को यह भी मालूम होगा कि वह दस्तूरसाज असेम्बली के भी यू० पी० की तरफ से मेम्बर चुने गये थे और उस हैसियत से उन्होंने विधान के बनाने में काफी दिलचस्पी ली थी।

हमारे दूसरे साथी ठाकुर बलभद्र सिंह की भी इसी जमाने में वफात हुई। मुझे उनके साथ बदकिस्मती से काम करने का मौका तो नहीं मिला मगर इस ऐवान में हमेशा जो मामले आते थे उनमें वह काफी दिलचस्पी लिया करते थे और जहां तक मुझे इल्म है वह अपने जिले में भी तमाम रचनात्मक कामों में काफी मेहनत से हिस्सा लिया करते थे। इन दोनों साहबान की वफात पर मुझे और मेरी पार्टी को बहुत सदमा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जनाब स्पीकर साहब हमारे इन जज्बाते हमदर्दी को उनके पसमान्दगान तक पहुंचा देंगे। मैं इन अल्फाज के साथ इस तहरीक की ताईद करता हूं।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह--माननीय स्पीकर महोदय, किसी भी सभासद के देहावसान पर प्रत्येक मनुष्य को दुख होना स्वाभाविक है, परन्तु जब हम यहां अपने किसी साथी के वियोग के दुख का बयान करते हैं उसमें कुछ अपने भावों से अधिक देश के भावों का भी विचार आता है। श्री बलभद्र सिंह और अजीज अहमद साहब दोनों की ऐसी उमर नहीं थी कि वह इस संसार से चले जाते। एक तो भवन के सभासद जिन्होंने इन दिनों तक मेहनत और दिलजोई को यहां के काम को अंजाम दिया हो वह इस तरह से यकायक उठ जायं इसके केवल उनके घर वालों और मित्रों को ही नहीं दुख होता बल्कि देश की बड़ी क्षति होती है और देश की क्षति ऐसी होती है कि जो पूरी नहीं हो सकती है। मुझको भी हार्दिक दुख हुआ है और इन विचारों को मैं अपकी ओर से और उनकी ओर से जिनकी ओर से मैं यहां हूं प्रकट करता हूं। मैं माननीय स्पीकर साहब से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारी सहानुभूति उनके सम्बन्धियों और कुटुम्बियों तक पहुंचा दें।

माननीय स्पीकर--माननीय सदस्यगण, मौलवी अजीज अहमद और श्री बलभद्र सिंह से हम में से ज्यादा इन दोनों से अच्छी तरह से वाकिफ रहे हैं। मौलवी अजीज अहमद साहब के बोलने के वक्त उनकी जबान की फसाहत तो आज भी मुझको याद आती है। ऐसी अच्छी तरह से और इस खुश बयानी से वह अपनी बातों को पेश करते थे कि उनको सुनने को जी चाहता था। हम सब को कुदरतन बहुत अफसोस है कि वह हमारे बीच में नहीं हैं और बीमारी के बाद चले गये।

श्री बलभद्र सिंह तो हमारे साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर अजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले और काम करने वाले थे। उनके इस दुनिया से चले जाने के करीब एक महीना पहले मैं उनके और उनके साथियों के निमंत्रण पर बुलन्दशहर गया था। मेरी उनसे कुछ बातें जिले के काम के बारे में हुई थीं, उस वक्त भी वह लखनऊ से बीमारी के इलाज के बाद गये थे और हमें उम्मीद थी कि वह बिलकुल अच्छे हो जायेंगे, लेकिन कुछ ही रोज बाद वह चले गये। "मेरे मन कछु और है कर्त्ता के कछु और ।" हम लोगों ने समझा था कि वह अपने दूसरे भाइयों के साथ बुलन्दशहर के जिले में हमारे देश के काम की देखभाल अच्छी तरह से करते रहेंगे, क्योंकि वह हम लोगों के भरोसे के आदमी थे और हमने हमेशा उनको बड़ी ईमानदारी से काम करते हुये पाया। कुदरती तौर पर हमें बड़ा धक्का लगा जब हमने उनकी मृत्यु का हाल सुना। मैं अपने इन दोनों साथियों के कुटुम्बियों को इस भवन की हमदर्दी के बारे में लिखवाऊंगा। आप सब से अब मेरी दरख्वास्त है कि कुछ देर खड़े होकर अपने रंज का इजहार करें।

(थोड़ी देर के लिये सब सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हुये।)

श्री गोपी नाथ श्रीवास्तव की मृत्यु पर शोक-संवाद

माननीय प्रधान सचिव—श्रीमान जी, हमारे आखिर सेशन के बाद गोपी नाथ श्रीवास्तव जी का स्वर्गवास हो गया। वह पहले हमारी असेम्बली के मेम्बर थे हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री भी थे। उस जमाने में जबकि वह असेम्बली के मेम्बर थे तो उन्होंने बहुत ही खूबी के साथ अपने काम को और असेम्बली की जिम्मेदारियों को पूरा किया। उन्होंने जेल के मुहकमे में खास तौर पर दिलचस्पी ली और जितनी भी बातें ऐसी हो सकती थीं जिनसे सुधार और बेहतरी हो, उनको अमल में लाने की कोशिश की। इसके अलावा सबही मसले पर जो बहुत ही अहमियत रखते थे या बहुत उलझे हुये होते थे, उनकी सलाह और उन का मशविरा बहुत कारआमद और मुफीद होता था। वह अपनी काबिलियत से अपनी इल्मियत से, अपने उम्दा तर्जे अमल से, अच्छे ढंग से, हर मसले को देखते थे वह अपनी खास जगह रखते थे असेम्बली के अलावा बाहर भी उन्होंने बहुत से काम किये उनका ताल्लुक़ बहुत से पब्लिक इन्स्टीच्युशन्स से रहा। गरीब और पिछड़े हुये लोग जो दुख की हालत में होते थे उनको जो मदद देने के काम होते थे उनमें वह हर वक्त और हर तौर पर मदद देने के लिये तैयार रहते थे। वह बहुत अच्छी जानकारी रखने वाले हमारे बीच में एक पब्लिक मैन थे। वह हर मसले को गहरे ढंग से देखते थे और उनका ऐप्रोच कांस्ट्रक्टिव हुआ करता था। हर मसले को सुलझाने का ढंग है उससे वह काम किया करते थे। वह पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर रहे। वहां भी उन्होंने काफी मेहनत की। अपने जमाने में उन्होंने वहां बहुत सी तब्दीलियां करने का अपना इरादा रक्खा। वह उसमें बहुत हद तक कामयाब हुए। वह एक अच्छे जनरलिस्ट थे अखबार लिखा करते थे; वह प्रेस कन्सल्टेटिव कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे। वह अखबार नवीसों के बीच में एक खास ऊंची जगह रखते थे। हम लोगों से उनका ताल्लुक़ और सरोकार बहुत अर्से तक रहा हमारे उनके जाती ताल्लुक़ात भी थे। उनका हमारे बीच से उठ जाना तकलीफदेह चीज है। मुझे अफसोस है कि वह बहुत कम उम्र में चले गये। अगर वह जिन्दा रहते तो मुझे पूरा यक़ीन है कि हमारे सूबे को और हमको उनके जरिये काफी फायदा होता। यह मसल है कि जो बहुत अच्छे होते हैं बहुत दिन जिन्दा नहीं रहते। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इस हाउस की तरफ से उनके खानदान को हमारी हमदर्दी का इजहार भेज दीजिये।

श्री जहीरुल हस्नैन लारी—जनाब स्पीकर साहब मैं गोपी नाथ जी से उस वक्त वाक़िफ हुआ जबकि वे पिछली असेम्बली के मेम्बर थे। वह गवर्नमेंट के पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री भी थे। मेरा ख्याल है कि इस सूबे के चोटी के आदमियों में से थे। उनकी शख्सियत इस किस्म की थी कि उनकी वफात से हक़ीक़तन सूबे में एक खला पैदा हो गयी। अब मुश्किल से उनकी जगह पूरी हो सकती है।

सब से बड़ी बात जो मैंने गोपी नाथ जी में देखी थी वह उनकी वसीउलख्याली थी उनमें किसी क़िस्म के जज़बात, किसी किस्म का कोई खिंचाव, किसी तरफ से भी चाहे वह शख्सी हो या फिरके के हों या सूबे के हों, बिल्कुल नहीं पाये जाते थे। वह बहुत से खूबियों के मालिक थे। अगर वह एक तरफ सुलझी हुई तक़रीर कर सकते थे तो दूसरी तरफ निहायत ही मुअस्सर मजमून लिखा करते थे। जब वह पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हुये तो उन्होंने जिस शान और जिस आला हौसलगी से उसके फरायज अंजाम दिये, मेरे ख्याल में मुश्किल से उसको भुलाया जा सकता है। मुझे तो उस वक्त अफसोस हुआ था जब मुझे यह मालूम हुआ था कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरमैनी से अलाहदा हो गये। लेकिन खुदा को यह मंजूर न था और पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरमैनी तो अलग रही वह खुद भी हमसे जुदा हो गये। यकीनन उनकी मौत से इस सूबे के बाशिन्दों को बहुत ही नुक़सान पहुंचा है। वह गवर्नमेंट की तनकीद भी किया करते थे, लेकिन मैंने उनकी तनकीदों को हमेशा ही तामीरी पाया और उनमें मुल्क और वतन का एक ऐसा दर्द था जो दर्द बहुत कम हजरात में सही मानों में पाया जाता है। इसलिये

[श्री मुहम्मद हफीज़ अन सारी]

मैं समझता हूं कि न सिर्फ इस ऐवान को बल्कि इस सूबे की जनता को काफी धक्का पहुचा है। लेकिन इसका कोई चारा नही है और हम उम्मीद करते है कि हमारे जज़बात हमारे स्पीकर साहब उनके घर वालों तक पहुंचा देंगे।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह--सभापति महोदय, श्री गोपी नाथ श्रीवास्तव के निधन में बड़ी ही क्षति इस प्रान्त को और देश को हुई, जैसा कि उन दो महापुरुषों के विषय मे मैंने अभी कहा था। गोपीनाथ जी साहित्य के मर्मज्ञ थे, उल्लेखक थे और अच्छे वक्ता थे। तीसरी बात, युक्तिपूर्वक और स्वतंत्रता से अपने विचार रखने का गुण उनमे विशेषतापूर्वक वर्तमान था। मुझको बहुत काफी अर्से से उनका परिचय रहा है और वह जब अखबार मे पहले से ज्यादा समय देने लगे उस समय मेरा परिचय कुछ और अधिक बढ़ा। मैं अधिक समय उनके गुणों का वर्णन करके, इस भवन के सभासदों को वास्तव मे और दुखी नहीं करना चाहता, परन्तु मैं जानता हूं कि इस भवन के अन्दर ही नहीं बल्कि इस भवन के बाहर भी उनके मित्रों की तादाद बहुत बड़ी थी। ऐसे मिलनसार आदमी का निधन जिनसे शायद कोई भी दुखी न रहा हो और ऐसे असमय पर बहुत ही असह्य है। मेरा निवेदन है कि हमारी सहानुभूति उनके परिवार तक पहुंचा दी जाय।

माननीय स्पीकर--माननीय सदस्यगण, श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव से हम सब कांग्रेस वालों का इतना घनिष्ट और इतने प्यार का सम्बन्ध था कि उनके उठ जाने मे हम लोगों को वही कष्ट हुआ जो अपने कुटुम्ब के किसी प्यारे भाई के जाने से होता है। उनकी योग्यता से सूबे के पढ़े-लिखे लोग परिचित थे। हम लोग तो अच्छी तरह से जानते है कि वह कांग्रेस वालों के बीच एक हीरा थे।

उन्होंने इस भवन मे इसकी पहली असेम्बली मे अपने काम से हम लोगों को अपनी ओर खींचा था। उन्होंने जेल के प्रबन्ध का काम बड़ी सुन्दरता से किया था। उनमें विशेष बात यह थी कि वह महज रोज का ही काम नहीं किया करते थे बल्कि जिस काम की जिम्मेदारी वह लेते थे उसके भीतर घुस जाते थे उसके सिद्धान्तों की ओर उनका ध्यान जाता था। मैंने उनमें ऐसी बात जेल के प्रबन्ध में देखी। जब वह पब्लिक सर्विस कमीशन मे गये, तब भी यह बात सामने आयी। उन्होंने कुछ नोट चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन की हैसियत से लिखे थे। वे नोट आज भी जो कमीशन में काम करने आवें, उनके पढ़ने और ध्यान देने की वस्तु हैं।

श्री गोपीनाथ ने अपनी कल्पनाशक्ति को केवल शासन के कामों तक ही सीमित नहीं रक्खा था। उनके हृदय के कुछ अनुमान उनके हृदय मे कितनी करुणा थी, इसका कुछ अनुमान मैंने उस समय किया था जब उन्होंने सूबे के दरिद्रो का भिखमंगों का, प्रश्न अपना प्रश्न बनाया था। अभाग्यवश इस प्रश्न की ओर अभी देश भर में ध्यान बहुत ही कम गया है। हमारे मुल्क की जो समस्यायें है, उनमें यह समस्या अभी तक बिना किसी काम के पड़ी रही है। श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव का उधर ध्यान गया। उन्होंने इस तरफ कुछ काम भी किया, लेकिन अभी तो वह काम बिलकुल अधूरा पड़ा हुआ है। वह एक कड़ा काम है। श्री गोपी नाथ ने इस काम को उठाया। यह काम उनकी सच्चाई, इन्सान की तरफ उनके हृदय की खींच का नमूना थी। मुझे तो वह पहले से प्यारे थे, लेकिन जब उन्होंने यह काम उठाया तो उनकी ओर मेरा हृदय और भी खिच गया और वह बहुत अधिक प्यारे लगने लगे।

मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि उनके उठ जाने से कितनी वेदना हुई। मैं आप सब की ओर से उनके कुटुम्ब की ओर अपने इस कर्त्तव्य का पालन करूंगा कि एक सहानुभूति का पत्र भेजा जाय। आप कृपा करके खड़े होकर अपने खेद का इज़हार करें।

(थोड़ी देर लिये सब सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हुये।)

जालौन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट के उपचुनाव के सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव

माननीय स्पीकर---श्री रोशन जमा खां साहब ने एक कामरोको प्रस्ताव की सूचना दी है। वह इस तरह है---

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित आवश्यक तथा सार्वजनिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विवाद करने के लिये सभा की कार्यवाही स्थगित की जाय अर्थात् जालौन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट के उप-चुनाव को एकाएक अवैध और अनुचित रीति से स्थगित किया जाना जिसके कारण जनता में घोर असंतोष हुआ है।"

श्री रोशन जमा खां---जनाब स्पीकर साहब, गवनमेंट की तरफ से जालौन के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्रेसीडेंट के बाईइलेक्शन का हुक्म सादिर किया गया था। इस हुक्म के बमूजिब दो उम्मीदवारान मैदान में आये। एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से और दूसरा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आया। दोनों की नामजदगी हुई। नामजदगी के बाद नामिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी (जांच) हुई। यहां तक कि बैलट पेपर्स तक छप गये। इलेक्शन की तारीख १० जनवरी मुकर्रर थी और यह समझा जाता था कि अब बहुत ही थोड़े दिनों में इलेक्शन हो जायगा। एकाएक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जालौन ने फरीकैन को मेरा मतलब दोनों उम्मीदवारान से है, इलेक्शन के मुल्तवी होने का नोटिस दिया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने नोटिस में कोई वजह नहीं बतलाई। हां यह जरूर है कि हुक्म की तरफ से ५ जनवरी को एक कम्यूनिक निकला है जिसमें कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो नये नियम बने हैं उसमें कहीं उसका प्रावीजन नहीं है लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन मैं नियत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो ऐक्ट इस हाउस ने पास किया है उसकी दफा ३५ और ३५-बी इन दोनों की रू से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट का इलेक्शन यानी चुनाव हो सकता था।

माननीय प्रधान सचिव---यह तो मेरिट्स की बात हो रही है। जब यह हो जाये तब आप करें। जिससे हाउस का वक्त किसी और खास काम में आ सके।

श्री रोशन जमा खां---जिसका हवाला गवर्नमेंट ने दिया है वह गलत है और इस हाउस के बनाये हुये ऐक्ट की दफा को तोड़ने के लिये गवर्नमेंट तैयार है। जाहिर है कि एक इलेक्शन को इस तरह से बिला किसी माकूल वजह के मुल्तवी कर देने से जनता में असंतोष पैदा कर देना है। यह तो डेमोक्रेसी के बजाय डिक्टेटरशिप कायम करना है। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस मोशन पर हमको बहस करने की इजाजत दी जाये और गवर्नमेंट से भी मैं कहूंगा कि उनको अपनी पोजीशन साफ करने का मौका मिलेगा लिहाजा वह इसकी मुखालफत न करे। हमें इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हम २८ मेम्बर्स खड़ा न कर सकेंगे। लिहाजा गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वह अपनी पोजीशन साफ करने के लिये और पोजीशन को अपने ख्यालात का इजहार करने देने के लिये इसकी मुखालफत न करे।

*माननीय प्रधान सचिव---यह मोशन जो रोशन जमां खां साहब ने पेश किया है उससे मालूम होता है कि आपको बहुत ज्यादा धक्का लगा कि ऐसी कार्यवाही की गई और सारे सूबे में एक तहलका मचा हुआ है। जनता के ऊपर एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। उनके लिये यह बात हो सकती है लेकिन किसी और के देखने में यह बात नहीं आई। जहां तक मोशन का ताल्लुक है यह एडजर्नमेंट मोशन के अन्दर नहीं आ सकता। इसके मुताल्लिक जो कार्यवाही होनी थी वह हो चुकी है। इलेक्शन पोस्टपोन (स्थगित) हो चुके हैं और इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करना या न करना गवर्नमेंट के अख्तियार की बात है।

---

*माननीय प्रधान सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[माननीय प्रधान सचिव]

इसके अलावा [illegible] है यह आपको मालूम है, लेकिन यह [illegible] आपको मालूम नहीं मालूम ; हर शख्स को हर बात की माकूल वजह नहीं मालूम होती, इसलिये वह नामाकूल नहीं हो जाती। उसमें वजह यह थी कि जो रूल्स बने हुये थे उनके मुताबिक कुछ ऐसा था कि १५ नवम्बर के भीतर वह नामिनेशन पेपर दाखिल होना चाहिये। इस सिलसिले में एक बात यह पूछी गयी कि १५ नवम्बर के बाद कोई [illegible] हो तो फौ फिर उप उसे किया (भरा) जाये। इस कारण उसको मुल्तवी वहां कर दिया गया और यहां सेक्रेटेरियट में यह जरूरी मालूम हुआ कि इस कमी को दूर किया जाये। इसलिये नये रूल्स [illegible] किये गये और उनके मुताबिक बहुत जल्द इलेक्शन होगा। [illegible] का डर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस वजह से इसको नहीं रोका गया। [illegible] वैसे हम कर सकते हैं कि आपके सामने से भाग जाये। यह नहीं हो सकता लेकिन मजबूरी थी और हम समझते हैं कि बहुत जल्द यह इन्तखाब होगा और आपके जितने भी मकसद हैं, उन सबको पूरा करने का मौका आपको दिया जायगा।

माननीय स्पीकर—कामरोको प्रस्ताव पर बहस करने का मामूली नियम [illegible] है कि वह बहुत आवश्यक विषय पर हो। यह प्रस्ताव मुझे ऐसा नहीं लगता इसलिये मैं इस प्रस्ताव को अवैध मानता हूं और इसके पेश करने की अनुमति नहीं देता।

भूमिधरी अधिकार तथा जमींदारी-उन्मूलन-कोष एकत्र करने के [illegible] में कामरोको प्रस्ताव

माननीय स्पीकर—श्री रोशन जमां खां का दूसरा काम रोकने का प्रस्ताव इस प्रकार है—

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित आवश्यक तथा सार्वजनिक [illegible] प्रश्न पर विवाद करने के लिये सभा की कार्यवाही स्थगित की जाय अर्थात् भूमिधरी अधिकार प्राप्ति के लिये दसगुने लगान की वसूली में अनुचित दबाव और जमींदारी-उन्मूलन-कोष एकत्र करने में आपत्तिजनक तरीकों का प्रयोग, जिसके कारण [illegible] में घोर असंतोष है।"

मैं इस पर श्री रोशन जमां खां को खड़े होकर बोलने की भी तकलीफ नहीं [illegible], क्योंकि बहुत साफ है कि यह किसी तरह से भी कामरोको प्रस्ताव नहीं बन सकता। [illegible] अनिश्चित है। कोई निश्चित बात होती तो मैं उस पर अवश्य विचार करता, लेकिन [illegible] "कामरोको" प्रस्ताव का अंश नहीं बन सकती।

[illegible] जिले में रबी की फसल, किसान सत्याग्रह तथा सत्याग्रही बन्दियों के विषय में कामरोको प्रस्ताव

माननीय स्पीकर—श्री रोशन जमां खां के दो और प्रस्ताव हैं। तीसरा प्रस्ताव इस प्रकार है—

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित आवश्यक तथा सार्वजनिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिये सभा की कार्यवाही स्थगित की जाय अर्थात् देवरिया जिले में रबी की फसल बरबाद होने पर लगान में छूट न देने का सरकारी निर्णय, किसान सत्याग्रह के विरुद्ध सरकार की दमनात्मक कार्यवाही और जेल में सत्याग्रही बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार।"

यह प्रस्ताव भी न आवश्यक है और न निश्चित। यह स्मरण रखना चाहिये कि कोई निश्चित वस्तु होनी चाहिये, तभी उसके ऊपर ऐसा प्रस्ताव आ सकता है। यह प्रस्ताव बहुत फैला हुआ और गोल है। मैं इसको उपस्थित करने की अनुमति नहीं देता।

प्रान्त में चीनी के मूल्य-नियंत्रण के सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव

माननीय स्पीकर--श्री रोशन जहा खा का चौथा प्रस्ताव इस प्रकार है --

"मै प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित आवश्यक तथा सार्वजनिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विवाद करने के लिये सभा की कार्यवाही स्थगित की जाय अर्थात्--

प्रान्त में चीनी के मूल्य-नियत्रण मे सरकार की भयंकर असफलता ओर चीनी की गड़बड़ी, जिसके कारण उपभोक्ताओं को कष्ट उठाना पड़ा।"

यह एक निश्चित विषय है और इस विषय में मेरी सहानुभूति श्री रोशन जमा खां के साथ है, लेकिन मुझको यह नही लगता कि मै इसको एक ऐडजर्नमेंट मोशन (कामरोको प्रस्ताव) का विषय मानकर इस पर बहस करने की इजाजत दूं। यह कोई ऐसा आवश्यक विषय नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी मुसीबत या दिक्कत हो और जिसपर गवर्नमेंट को कोई काम फौरन करने की जरूरत हो। इसमे संदेह नहीं कि उचित है कि सदस्यगण इस विषय पर गौर करे, गवर्नमेंट भी गौर करे, लेकिन कामरोको प्रस्ताव का यह विषय बने, ऐसा मुझको उचित मालूम नही होता। मै इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की भी इजाजत नही देता।

सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधेयक (बिल) पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा

माननीय स्पीकर--मै घोषणा करता हू कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधेयक (बिल) पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी १६ जुलाई सन् १९४९ ई० की बैठक मे तथा संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल ने अपनी २३ जुलाई सन् १९४९ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य गवर्नर की स्वीकृति १० अगस्त सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त का दसवां ऐक्ट बन गया।

सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय मेन्टिनेन्स आफ पब्लिक आर्डर (संशोधन और कार्यवाहियों को वैध करने के) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा

माननीय स्पीकर--मै घोषणा करता हू कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय मेन्टिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (संशोधन और कार्यवाही को वैध करने के) बिल पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी २१ जुलाई सन् १९४९ ई० की बैठक में तथा संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल ने अपनी ३ अगस्त सन् १९४९ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति १२ अगस्त सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त का ग्यारहवा ऐक्ट बन गया।

सन् १९४९ ई० के रुड़की विश्वविद्यालय (युनिवर्सिटी) (संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा

माननीय स्पीकर--मै घोषणा करता हूं कि सन् १९४९ ई० के रुड़की विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) (संशोधन) बिल पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल ने अपनी १४ जुलाई सन् १९४९ ई० की बैठक में तथा संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी २१ जुलाई सन् १९४९ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य गवर्नर की स्वीकृति ७ सितम्बर सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त का बारहवां ऐक्ट बन गया।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय औषधि (नियंत्रण) आर्डिनेन्स

माननीय अन्न सचिव--अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय औषधि (नियंत्रण) आर्डिनेंस (सन् १९४९ ई० की संख्या ६) की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

सन् १९४९ ई० का इंडियन बार कौन्सिल (यू० पी० अमेन्डमेंट ऐन्ड वेलिडेशन आफ प्रोसीडिंग्स) आर्डिनेन्स

माननीय प्रधान सचिव--मैं सन् १९४९ ई० के इंडियन बार कौंसिल (यू० पी० अमेन्डमेंट एन्ड वेलिडेशन आफ प्रोसीडिंग्स) आर्डिनेंस (सन् १९४९ ई० की संख्या ८) की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविन्सेज रिक्यूजीशन आफ मोटर वेहिकिल्स (इमर्जन्सी पावर्स) (अमेंडमेंट ऐन्ड प्रोसीडिंग्स वेलिडेशन) आर्डिनेन्स

माननीय पुलिस सचिव--मैं सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविन्सेज रिक्वीजीशन आफ मोटर वेहिकिल्स (एमर्जेन्सी पावर्स) (अमेन्डमेंट ऐन्ड प्रोसीडिंग्स वेलिडेशन) आर्डिनेंस (सन् १९४९ ई० की संख्या १०) की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

सन् १९४९ ई० का कुमायूं एनिमल ट्रान्सपोर्ट कन्ट्रोल (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस

माननीय अन्न सचिव--मैं सन् १९४९ ई० का कुमायूं एनिमल ट्रान्सपोर्ट कंट्रोल (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस (सन् १९४९ ई० की संख्या ११) की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

हरिद्वार कुम्भ मेला के नियम

माननीय स्वशासन सचिव--मैं यू० पी० मेलाज ऐक्ट सन् १९३८ ई० की धारा ९ (१) के अन्तर्गत बनाये गये सन् १९५० ई० के हरिद्वार कुम्भ मेला के नियम की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

इलाहाबाद माघ मेला के नियम का संशोधन

माननीय स्वशासन सचिव--मैं यू० पी० मेलाज ऐक्ट, सन् १९३८ ई० की धारा ९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत बनाए गए सन् १९४० ई० के इलाहाबाद माघ मेला के नियम ४ (१) में किए गए संशोधन की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स (नियमों) का संशोधन

माननीय पुलिस सचिव--मैं सन् १९३९ ई० के मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा १३३(३) के अनुसार यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स के नियम १३१ (ए) में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल*

†माननीय माल सचिव--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल पर संयुक्त विशिष्ट समिति की रिपोर्ट उपस्थित करता हूं।

आपकी आज्ञा से इस सम्बन्ध में मैं चन्द शब्द इस ऐवान के सामने कहना चाहता हूं। इसमें दो रायें नहीं कि जमींदारी-उन्मूलन की मांग किसानों की बड़ी पुरानी और बहुत ही आवश्यक है। कांग्रेस ने हमेशा अपना यह ध्येय रखा है कि किसानों की इस मांग को पूरा किया जाय क्योंकि कांग्रेस हमेशा इस बात को महसूस करती रही कि जब तक

---

*देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७७ पर।

†माननीय सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मौजूदा जमींदारी का दस्तूर रायज रहेगा, हमारे किसानों का उद्धार किसी तरह से हो नहीं सकता। विदेशी हुकूमत के आने पर हमारा देश गुलाम हुआ लेकिन साथ ही साथ इस जमींदारी प्रथा के रायज होने पर किसानों की गुलामी में भी किसी किस्म की कमी नहीं रहेगी। किसान हमारे सूबे की एक खास जमाअत है। करीब अस्सी-पचासी फीसदी लोग खेती पर जिन्दगी बसर करते है और इन्हीं के परिश्रम का यह नतीजा है कि बकिया तबके के लोग अपनी जिन्दगी आराम से बसर करते है। लिहाजा हमेशा यह बात मानी गई कि अगर अधिकांश लोगों की जो खेती करते है माली हालत खराब रही, अगर वे परेशान हाल रहे और अगर उनको अपने काम मे पूरा फायदा उठाने का मौका न रहा तो हमारा सूबा किसी तरह से खुशहाल नही कहा जा सकता और खुशहाल नहीं बन सकता।

इसके साथ-साथ जो दस्तूर इस वक्त है उसकी वजह से जो कठिनाइयां किसानों के रास्ते में है उनको दुहराने की मै ज्यादा आवश्यकता नहीं समझता। मै समझता हूं कि जब यह बिल हाउस के सामने पेश हुआ था तो काफी वादविवाद इन बातों पर हुआ था। इसके साथ-साथ हमेशा पब्लिक प्लेटफार्म से इनका इजहार वक्तन फवक्तन होता रहा लिहाजा इस सम्बन्ध में इस ऐवान का वक्त लेना मै मुनासिब नहीं समझता। लेकिन एक बात मै यह कहना चाहता हूं ....

श्री जहीरुल हसनैन लारी--जनाब सदर, रिपोर्ट पेश की गई है तकरीर करने का मौका नहीं है। यह तकरीर कैसे हो रही है ?

माननीय स्पीकर--अगर वह कुछ कहना चाहते है तो कह सकते है। कायदे के मुताबिक उनको अख्तियार है कि रिपोर्ट पेश करने के साथ-साथ जो मुख्य-मुख्य बाते हों उनको थोड़े शब्दों में कहें।

माननीय माल सचिव--मैंने अध्यक्ष महोदय की इजाजत लेकर चन्द बाते कहनी शुरू की थीं। मेरे लायक दोस्त जरूरत से ज्यादा परेशान हो गये। लारी साहब उस वक्त थे नहीं, लिहाजा, गालिबन उन्होंने न सुना हो कि मैंने स्पीकर महोदय की इजाजत से बाते शुरू की थीं। खैर मै लारी साहब की भी दिलाजारी नहीं करना चाहता अभी उनसे बहुत काम लेने है, इसलिये में मस्लहतन अपनी बातें कहता हूं ताकि मैं अपनी बात भी कह दूं और लारी साहब को भी परेशानी न हो।

मै यह कह रहा था कि इस जमींदारी उन्मूलन की मांग बहुत पुरानी थी और जरूरी थी लिहाजा यह बिल बन कर तैयार हुआ और इस ऐवान में पेश हुआ। इस ऐवान ने उसे विशिष्ट समिति के सुपुर्द किया। बिल को विशिष्ट समिति के सुपुर्द करने के बाद यह तय है कि इस हाउस ने इस उसूल को माना है कि जमींदारी खत्म होनी चाहिये। विशिष्ट समिति के पास यह बिल पहुंचा, उसने विचार किया और गौर किया। लारी साहब के साथी लोग भी मौजूद थे। मैं उन सब साहबान को धन्यवाद देता हूं जो इसमे थे और उनके सहयोग से बिल पर विचार करके यह रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में दो-चार जो नई बातें आई है, जो नई तब्दीलियां हुई हैं, यह मै जरूरी समझता हूं कि उनका जिक्र कर दूं और गालिबन लारी साहब को उनके सुनने मे कुछ कष्ट न होगा।

श्री जहीरुल हसनैन लारी--दूसरा मोशन आप पेश नहीं करना चाहते ?

माननीय प्रधान सचिव--जी नहीं।

माननीय माल सचिव--बिल मे यह था कि जो २५० रु० से ज्यादा मालगुजारी देने वाले जमींदार थे उनकी सीर और खुदकाश्त की डिमार्केशन हो जाने के बाद मुआवजा तशखीस किया जाय। कमेटी ने यह सोचा और यह मुनासिब समझा कि यह डिमार्केशन की प्रोसीडिंग्स की जायगी तो बहुत वक्त मुआवजा तशखीस करने मे लगेगा जिससे हमारे

[माननीय माल सचिव]
ज़मींदार भाइयों को कष्ट होगा, उनको मुआवजा मिलने में देरी होगी, लिहाज़ा डिमार्केशन की प्रोसीडिंग्स को खत्म कर दिया गया और और इस तरह से जो देरी होने वाली थी तशखीस मआवजे में, वह न होगी। इसके साथ-साथ पहिले बिल में यह रखा गया था कि अगर कोई ठेकेदार की सीर या खुदकाश्त की जमीन जोतता है तो और अगर वह ५० एकड़ तक है तो वह भी उस काश्तकार को मिल जायगी लेकिन अगर सीर के अलावा दूसरी जमीन है और वह ५० एकड़ तक है तो उसके कब्जे में रहेगी। इसके बजाय कमेटी ने खुदकाश्त की सीमा को घटा कर ३० एकड़ कर दिया है और इस तरह पर इसमें २० एकड़ की कमी हो गई है। एक सवाल वह भी कमेटी के सामने आया था कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको जमीन दी गई और वाकई में जमीन काश्त के लिये दी गई लेकिन ठेका कह कर दी गई। मौजूदा कानून की रू से ठेकेदार उसका मौरूसी हो गया। इस दिक्कत को मिटाने के लिये यह भी प्राविजन रख दिया गया कि अगर इस बात का सबूत हो कि वाकई वह जमीन काश्त के लिये दी गई थी, ठेके के लिये नहीं तो चाहे उसे ठेका कहा गया हो या और कुछ, वह काश्त के लिये ही समझी जायगी और उसी को कानूनी हकूक हासिल होंगे।

इसके अलावा एक तब्दीली और की गई है और वह अजला में इस्तमरारी बन्दोबस्त के बारे में है। हमारे नवाब साहब भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि जौनपुर और बलिया में ऐसे काश्तकार हैं। इनके लिये बिना १० गुना दिये ही भूमिधरी हक उनको देने का इसमें प्राविजन (व्यवस्था) किया गया है। कुछ रेट फ्री या ग्रान्ट की भूमि को जोतने वाले लोग भी हैं उनको बिला किसी अदायगी के भूमिधरी हक़ दिये गये हैं। इस तरह के काश्तकारों की जो शरह मअय्यन काश्तकार हैं, बहुत सी तादाद है, यह छोटे तबके के लोग हैं लिहाजा उनके भी हकूक बराबर ख्याल करके उनके लिये भी सेलेक्ट कमेटी ने प्राविज़न किया है।

इसके साथ-साथ सेलेक्ट कमेटी ने एक तब्दीली और की है वह यह है कि १ जुलाई सन् १९४८ के बाद जितने ट्रांसफर्स (तबादिले) हुये हैं ख्वाह वे बैनामे के जरिये से हुये हों या हिबा के जरिये से, वह कानूनन जायज करार नहीं दिये गये हैं क्योंकि कमेटी के ख्याल में यह बात आई कि जब से इस बात की कोशिश चली लोगों ने बहुत से फर्जी ट्रान्सफर्स किये ताकि वे रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट पुनर्वासन अनुदान के मुस्तहक़ हो जायं। जहां तक रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट का ताल्लुक़ है ऐसे ट्रान्सफर्स जायज करार नहीं दिये गये हैं।

कमेटी ने एक ऐसा प्राविज़न किया है कि अगर ४ काश्तकार हैं और वे मुश्तरका हैं तो अब तक उनके लिये कायदा यह था कि एक भी काश्तकार यदि चाहे तो पूरा मतालबा जमा कर सकता था यानी अपने हिस्सेदारों की तरफ से भी जमा कर सकता था लेकिन इसमें काश्तकारों को बड़ी दिक्कत हो सकती थी। लिहाजा कमेटी ने इस पर भी विचार किया और हर एक को अपना हिस्सा देने का हक़ दे दिया। अब यह प्रावीजन भी हो गया है कि अगर वह सबकी तरफ से भी जमा करता है तो दूसरे के हिस्सों के मतालबे को बतौर लैन्ड रेवेन्यू के वसूल कर सकता है ताकि उसको जमा करने और उसको वसूल करने में कोई दिक्कत न हो।

एक बात बिल में यह भी है कि औरतों नाबालिग और डिसऐबिल्ड परसन्स को राइट्स दिये गये हैं तथा इसके साथ ऐसे लोगों को भी, जो बीमार हैं या जो कालेज वगैरह में पढ़ते हैं उनको भी सबलैटिंग करने के राइट्स दिये गये हैं।

इस तरह से उसका भी स्कोप सेलेक्ट कमेटी ने कर दिया है। उसके साथ-साथ जहां तक कि बटवारे का ताल्लुक है उसके लिये भी सेलेक्ट कमेटी ने कुछ मैदान वसी कर दिया है। सवा छः एकड़ बेसिक होल्डिंग मान करके बटवारे मे पहले दिक्कतें थीं लेकिन अब एसा कर दिया गया है कि मान लीजिये कहीं से एक से ज्यादा काश्तकार हैं और उनमे कोई डिसएबिल है या कोई लेडी है या कोई लड़का है जो कालेज मे पढ़ता है तो ऐसे लोगों को सबलेटिंग की इजाजत दी गई है और अपने हिस्से के बटवारे की इजाजत दी गई है, ख्वाह वह सवा छः एकड़ से कम पड़ता हो। इस तरह से कमेटी ने इसमे भी संशोधन किया है।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बजकर ७ मिनट पर श्री नफीसुलहसन डिप्टी स्पीकर, की अध्यक्षता मे भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

माननीय माल सचिव--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह कह रहा था कि सेलेक्ट कमेटी ने क्या २ खास-खास तब्दीलिया की। सेलेक्ट कमेटी ने सब-टिनेंट्स के लिये भी यह किया है कि अपने लैंडहोल्डस की इजाजत से इस वक्त भी दसगुना जमा करके भूमिधर हो सकते है और जो रेलिजस और चैरिटेबिल इंस्टीट्यूशंस है, जिनके पास सीर और खुदकाश्त है वे अधिवासी भी अपना दस गुना जमा करके भूमिधर का हक हासिल कर सकते हैं। उनके साथ ही साथ सेलेक्ट कमेटी ने इसमें दावे और दरख्वास्तो के बारे मे जो तरीका मुकर्रर किया है यह भी शेड्यूल की शकल में इस बिल में लिखा गया है जिससे यह पता चलेगा कि किस किस्म के दावे, किस किस्म की दरख्वास्तें किस इजलास मे होनी चाहिये। एक तब्दीली इसमें और भी की गई है, वह यह है कि अभी तक तीन अपीलें हुआ करती थी लेकिन अब सिर्फ दो अपीलें होगी। यह भी एक महत्वपूर्ण तब्दीली है। इसके अलावा और भी कुछ चेंजेज किये गये है जो कि बहुत साधारण है और जिनका जिक्र आगे किसी मौके पर किया जावेगा। इन शब्दो के साथ मैं इस रिपोर्ट को उपस्थित करता हूं।

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय शुद्ध खाद्य बिल (आलेख)

माननीय प्रधान सचिव--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय शुद्ध खाद्य बिल (आलेख) पर विशिष्ट समिति की रिपोर्ट उपस्थित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ... पर)

सन् १९४९ ई० का कोआपरेटिव सोसाइटीज (संयुक्त प्रान्तीय संशोधक) बिल

माननीय प्रधान सचिव--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं सन् १९४९ ई० का कोआपरेटिव सोसाइटीज (संयुक्त प्रान्तीय संशोधक) बिल, उपस्थित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हू कि सन् १९४९ ई० के कोआपरेटिव सोसाइटीज (संयुक्त प्रान्तीय संशोधक) बिल पर विचार किया जाय। यह एक बहुत साधारण संशोधन है। इस बिल में एक क्लाज सन् १९४४ मे रक्खा गया था जिससे कि जो अर्निंग कोआपरेटिव सोसाइटीज के मेम्बर है वह अगर कर्जा लें तो वह कर्जा उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी का, उनकी तनख्वाह मे से उनके इम्पलायर (मालिक) किस्तों में काट लें। उस क्लाज में रेलवेज के मुलाजिम एक्सक्लूड (अलग) किये गये थे परन्तु उस एक्सक्लूजन (अपवाद) से अब वे अलाहदा किये जाते है ताकि रेलवेज के मुलाजिम भी या सेंट्रल सरविसेज के मुलाजिम भी अगर सोसाइटी से कर्जा लें तो उनके इम्पलायर (मालिक) उनसे कर्जा वसूल करें। यही उसमे संशोधन है जो कि बिलकुल एक नानकंट्रोवर्सियल (निर्विवादास्पद) चीज है।

डिप्टी स्पीकर— सवाल यह है कि सन् १९४९ ई० के कोआपरेटिव सोसाइटीज (संयुक्त प्रान्तीय संशोधक) बिल पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २

आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ की धारा २८-ए की उपधारा (४) को जाय।

धारा १

) यह ऐक्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज (संयुक्त प्रान्तीय संशोधक) ऐक्ट, १९४९)erative Societies (U. P. Amendment) Act, 1949]

यह समस्त संयुक्त प्रान्त मे लागू होगा।

यह तुरन्त लागू होगा।

प्रस्तावना

आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ (Co-operative Societies Act, ां तक इसका सम्बन्ध संयुक्त प्रान्त से है, संशोधन करना उचित और आवश्यक है नीचे लिखा कानून बनाया जाता है।

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि बिल की धारा २, धारा १ और प्रस्तावना इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय प्रधान सचिव—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९४९ ई० का कोआपरेटिव सोसाइटीज (संयुक्त प्रान्तीय संशोधक) बिल स्वीकार किया जाय, जैसा कि इससे मैंने पहले कहा था कि पहले ऐक्ट में यह था—

Nothing contained in this section shall affect Federal Railways or other departments directly under the control of the Central Government

(इस धारा में दी हुई किसी चीज का प्रभाव फेडरल रेलवेज या अन्य विभागों पर जो सीधे केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में है, नहीं होगा।)

यह क्लाज इसमें से निकाल दिया जाय ताकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जो नौकर हैं उनको भी इसका फायदा पहुंच सके।

डिप्टी स्पीकर—प्रश्न यह है कि सन् १९४९ ई० का कोआपरेटिव सोसाइटीज (संयुक्त प्रान्तीय संशोधक) बिल स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये (भूमि प्राप्त करने का) (संशोधन) बिल

माननीय प्रधान सचिव— मैं सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये (भूमि प्राप्त करने का) (संशोधन) बिल उपस्थित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये (भूमि प्राप्त करने के) (संशोधन) बिल पर विचार किया जाय।

यह बिल भी बहुत मामूली है। पहले जो इसके अन्दर लफ्ज थे उसकी परिभाषा यह थी कि शरणार्थी वही होगा जो कि ३१ मार्च सन् १९४८ ई० तक रजिस्टर्ड हो चुका हो। इसके मुताबिक ३१ मार्च सन् १९४८ तक जो लोग यहां पर रजिस्टर्ड हो चुके थे वही शरणार्थी माने जा सकते थे इससे कई दिक्कतें हुईं और कुछ शरणार्थी जो उस तारीख के पहले आ गये हों या उसके बाद भी आये हों मगर जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई उनको यह ऐक्ट लागू नहीं हो सकता था। इसलिये उस अड़चन को दूर करने के लिये शरणार्थी की यह दूसरी डैफिनिशन (परिभाषा) की गई है, जिसके मुताबिक जो कोई भी पाकिस्तान से यहां आया हो वह भी शरणार्थी माना जा सकता है। अंग्रेजी में जो शरणार्थी की परिभाषा अभी तक थी वह यह थी कि ३१ मार्च सन् १९४८ ई० के पहले जो यहां रजिस्टर्ड हो चुका हो अब जो यह अमेंडमेंट किया है उससे यह हो जायगा कि :—

Refugee means any person who was resident in any place which now forms part of Pakistan and who on account of partition or civil disturbances or fear of such disturbances has on or after 1st. March 1947 migrated to any place in the United Provinces and had been residing here

(शरणार्थी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो उन प्रदेशों का निवासी रहा हो जो अब पाकिस्तान का भाग है और जो देश के विभाजन के कारण अथवा नागरिक दंगों के कारण अथवा ऐसे दंगों के भय से उन प्रदेशों से १ मार्च, १९४७ ई० को अथवा उसके बाद संयुक्त प्रान्त के किसी भी भाग में चला आया हो और तब से वहीं रह रहा हो।)

डिप्टी स्पीकर— सवाल यह है कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये (भूमि प्राप्त करने का) (संशोधन) बिल पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा २

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० २६ की धारा २ की उपधारा (७) में संशोधन

२—संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने का ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा २ के खंड (७) में दी गई "शरणार्थी" शब्द की परिभाषा के स्थान पर निम्न-लिखित परिभाषा रखी जायगी :—

"शरणार्थी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो उन प्रदेशों का निवासी रहा हो जो अब पाकिस्तान का भाग है और जो देश के विभाजन के कारण अथवा नागरिक दंगों के कारण अथवा ऐसे दंगों के भय से उन प्रदेशों से १ मार्च, १९४७ ई० को अथवा उसके बाद संयुक्त प्रान्त के किसी भी भाग में चला आया हो और तब से वहीं रह रहा हो।"

धारा १

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ

१—(१) यह ऐक्ट संयुक्त प्रान्तीय शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने का (संशोधन) ऐक्ट, १९४९ ई० कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त लागू होगा।

प्रस्तावना

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० २६, १९४८ ई०

क्योंकि यह उचित और आवश्यक है कि संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने के ऐक्ट १९४८ ई० में ऐसे प्रयोजनों के लिये जो आगे मालूम होंगे, कुछ संशोधन किया जाय।

इसलिये नीचे लिखा ऐक्ट बनाया जाता है :—

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा २, धारा १ और प्रस्तावना इस बिल का हिस्सा मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय प्रधान मंत्रि--मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिए (भूमि प्राप्त करने का) (संशोधन) बिल पास किया जाय।

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिए (भूमि प्राप्त करने का) (संशोधन) बिल पास किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल

*माननीय माल सचिव--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल पर, जैसा कि वह संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

इस सम्बन्ध में आपकी इजाज़त से मैं चन्द बातें इस ऐवान के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। जैसा कि इस भवन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है और अवाम को भी भली-भांति मालूम है कि मौजूदा दस्तूरे जमींदारी के ख़ात्मे का सवाल अर्से से हमारे देश और सूबे में पेश है। किसानों की यह मांग हमेशा से थी कि इस जमींदारी के दस्तूर का ख़ात्मा किया जाय और उनकी गुलामी को दूर किया जाय ताकि वह भी आज़ाद होकर अपनी ज़िन्दगी चैन से बसर कर सकें, देश को फ़ायदा पहुँचा सकें और सूबे का फ़ायदा कर सकें। कांग्रेस ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि इस प्रश्न पर किसानों को फ़ायदा पहुँचावे और उनकी यह मांग पूरी करे, लेकिन कांग्रेस के रास्ते में अड़चनें थीं और वह अड़चनें ख़ास तौर से अंग्रेजी हुकूमत की वजह से थीं। अंग्रेजी हुकूमत ने जमींदारों को अच्छी तरह से मज़बूत कर रखा था ताकि उनका काम चलता रहे और हमेशा देश पर उनकी हुकूमत क़ायम रहे और देश के तमाम काश्तकारों की असली कमाई का फ़ायदा नाजायज़ तरीक़े से वह उठाते रहें और किसानों को सर उठाने तक की जुर्रत न हो और वह सहूलियत के साथ हुकूमत करते रहें। लेकिन पूज्य महात्मा गांधी के इक़बाल से हमारे आपके रास्ते से अड़चनें दूर हुईं, विदेशी हुकूमत दूर हुई और हम अपने देश के मालिक हुए। अब हम जिस तरह से चाहें अपने देश का प्रबन्ध कर सकते हैं और अब हम ऐसे क़ानून भी बना सकते हैं कि जिससे हमारे देश के अधिकांश रहने वालों का फ़ायदा हो। लिहाज़ा अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये जब से कांग्रेस हुकूमत क़ायम हुई हर तरह का उद्योग किया गया और एक कमेटी क़ायम की गई थी। इस कमेटी ने हर तरह से, हर पहलू से, जितने भी सवाल पैदा हो सकते थे, उन पर ग़ौर किया है। काम आसान नहीं था जैसा कि हमारे चन्द भाइयों का ख़्याल है। ख़ास कर हमारे सूबे में वैसे तो कई सूबों में इस सवाल को हल करने की कोशिश की गई और की जा रही है। लेकिन हमारा सूबा इतना लम्बा-चौड़ा है कि इतने सवालात को हल करना और इतनी काश्त का इन्तज़ाम करना बहुत मुश्किल काम है। यह कहना कि इसमें देरी हुई, कितना ठीक है या ग़लत है इसको वाक़यात साबित करेंगे और बताएंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने किसी क़िस्म की कोई कोताही इस सवाल के हल करने में नहीं की। कोई बेजा बात सर्फ़ करने की कोशिश नहीं की। कमेटी ने विचार करके अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट पर विचार करके मसविदा क़ानून इस एवान के सामने पेश हुआ और विशिष्ट कमेटी दोनों हाउसेज़ के मेम्बरान की क़ायम की गई। यह काम

---

* माननीय सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मुश्तर्का उसके सिपुर्द हुआ। कमेटी ने काफी जांच की। जितने प्राविज़न्स रक्खे गए उन पर खूब विचार किया गया। विचार करने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट को मैंने अभी एवान के सामने पेश किया है। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मैं तो यह कह सकता हूँ कि इसमें काफी इन्तजाम किया गया है कि हमारे किसानों का भला हो। मौजूदा स्थिति और मौजूदा हालात में जो कुछ मुमकिन था उसको इस बिल में लाने की कोशिश की गई है। असली मंशा तो यह था कि जो किसान हैं और जिनकी तादाद हमारे सूबे में ८०-८५ फीसदी है बहुत बड़ी तादाद है और जिनकी माली हालत भी अच्छी नहीं है, मौजूदा दस्तूर की वजह से उनको अपनी कमाई का पूरा फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता था। कमाते वे थे और फायदा दूसरे लोग उठाते थे जिससे कि जैसी उनकी माली हालत होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। इसके साथ २ किसानों की तबियत अपनी खेती में लगती नहीं थी। उनके दिल में हर वक्त इस बात का ख्याल रहता था कि जमीन के मालिक वे नहीं, दूसरे लोग मालिक हैं। ऐसे मौके और चांसेज हो सकते हैं जब कि वे जमीन से बेदखल हो सकते हैं। जब तक किसान को इस बात का इत्मीनान नहीं होता कि वह अपनी जमीन का मालिक है ।

श्री जहीरुल हसनैन लारी--यह तो आप ओरिजनल बिल पर तकरीर फरमा रहे हैं।

माननीय माल सचिव--मैं यह कह रहा था कि किसान को इस बात का इत्मीनान हो जाता है कि जमीन मेरी है, मैं उसका मालिक हूँ जिस तरह से चाहूँ उसका इंतजाम कर सकता हूँ तब ही वह पूरी कोशिश से, पूरी दिलचस्पी से खेती-बाड़ी के काम में लगता है, काफी रुपया भी सर्फ करता है। लिहाजा यह जरूरी समझा गया कि इस इन्तजाम और इस दस्तूर को हटाकर हर काश्तकार को जो अपनी जमीन को जोतता है उस जमीन का मालिक बना देना चाहिए। असली दृष्टिकोण इस बिल का यही है। साधारण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है। हर काश्तकार को जमींदार बनाने की चेष्टा की गई। अब तक हमारे यहां जहां तक मौजूदा कानून का ताल्लुक है नहीं मालूम कितने किस्म के इंटरेस्ट हैं, जिनकी फेहरिस्त लम्बी-चौड़ी हो सकती है, जिस के फलस्वरूप हमारे सूबे का रेकार्ड इतना पेचीदा है कि जिसके मुताल्लिक दो राये नहीं हो सकती। हमारे लारी साहब खूब वाकिफ हैं और गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं। इस बिल में यह रक्खा गया कि जितने हुकूक थे, उनको एक कलम खत्म कर दिया जाय। क्लासेज कम कर दिये जायें जिसकी फेहरिस्त बहुत लम्बी न हो, जैसीकि मौजूदा तरीके के मातहत है। तो अब सारे हुकूक और सारे क्लासेज को खत्म किया गया और तीन क्लासेज भूमिधर, सीरदार, असामी और चौथे अधिवासी जो महज टेम्पोरेरी हैं यह आगे चल कर खत्म हो जायगा। लावारिस होकर सिर्फ तीन शाखें रहेंगी। इस तरह से हमने इसको बहुत सीधासादा बनाया है ताकि हमारे किसानों को समझने में दिक्कत न हो और इसके फलस्वरूप हमारा जो विलेज रेकार्ड है सीधा-सादा हो जाय इसके साथ-साथ इसमें जमींदारों की गुजर-औकात का भी ठीक-ठीक लिहाज रखा गया है और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे लायक दोस्त रोशन जमां साहब भी मुझसे खुश रहेंगे और मुतमइयन रहेंगे क्योंकि उनकी भी दिलचस्पी आजकल उन लोगों में काफी है। तो इस बिल में यह रखा गया है कि जमींदारों की जितनी सीर और खुदकाश्त है, जो अपने हल बैल से वे जोतते हैं वह बदस्तूर उनके पास कायम रहे और जो बागात उनके हैं वह भी बदस्तूर उनके पास क़ायम रहें। यह भी इस बिल में ठीक तौर से प्राविज़न कर दिया गया है।

जहां तक इस बात का सवाल है कि जमींदारी खत्म होने के बाद जमींदार भाइयों को किस तरह से अपने रहन-सहन का इन्तजाम करना होगा, उसका भी माकूल इन्तजाम इस बिल में है। भले ही लोग कहें कि मआविजा जमींदारों को न दिया जाय, लेकिन यह बात अनुचित सी प्रतीत हुई और नामुनासिब सी मालूम हुई कि मुआविजा न दिया जाय और जमींदारी

[माननीय माल सचिव]

जब्त कर ली जाय। अव्वल तो क़ानूनी अड़चनें हैं जिससे उनको मुआविजा देना जरूरी है और इसके अलावा एक तादाद जमींदारों की है और अगर उनकी जायदाद जिस पर वह चाहे सही तरीक़े से या ग़लत तरीक़े से उनकी मिल्कियत है और जिससे उनकी गुजर-औक़ात होती है, अगर आज हम एकबारगी उससे उनको महरूम कर दें और उनको छोड़ दें और उनकी जीविका का कोई माकूल इन्तजाम तक न रहे तो क्या हश्र होगा, उनका और उनके बालबच्चों का और उसके क्या असरात होंगे हमारे सूबे पर, हमारे सूबे के रहनेवालों पर, यह भी बात देखने के क़ाबिल थी और इसका भी लिहाज रखा गया है।

इसके साथ-साथ हमने इस बिल मे जमींदारों को दो तबकों में तक़सीम किया है। एक बड़ा तबका जो पांच हजार रुपये या उससे ज्यादा मालगुजारी देता है और दूसरे वह लोग जो पांच हजार से कम मालगुजारी देते हैं। जहां तक छोटे जमींदारों का ताल्लुक़ है, उनकी तादाद तो बहुत काफी है, वह १८ लाख से कम न होंगे। उनको जमींदार कहना कहां तक ठीक होगा, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, मुमकिन है वह बुरा मान जायं, अगर मैं जमींदार न कहूँ, लेकिन जहां तक उनकी माली हालत का ताल्लुक़ है वह अच्छी नहीं है। लिहाजा इस बिल में हमने यह रखा है कि जो बड़े जमींदार हैं उनको ८ गुना मुआविजा दिया जायगा और जो छोटे हैं उनको यह मुआविजा तो मिलेगा ही लेकिन उसके साथ-साथ उनके लिये पुनर्वास का भी इन्तजाम किया गया है कि उनको २० गुने से लेकर ३ गुने तक और मुआविजा दिया जा सकता है। इस तरह से छोटों के लिये भी काफी प्रबन्ध कर दिया गया है ताकि वे अपनी आइन्दा आने वाली जिन्दगी को ठीक तरह से बसर कर सकें और अपने को नये समाज के निर्माण में ठीक तौर से बैठा सकें। इसलिये ये सब बन्दिशें और इन्तजामात उनके लिये भी किये गये हैं। जहां तक बड़े जमींदारों का सवाल है, उनकी जरूरियात के लिये और मौजूदा हालात को देखते हुये, किसानों की माली हालत को देखते हुये, हम उनको भी एक माक़ूल रक़म दे रहे हैं जिससे वे अगर चाहें तो अपना ठीक तौर से इन्तजाम कर सकते हैं और अपनी जिन्दगी चैन से गुजार सकते हैं। हां, इस मौजूदा हालत में जो उनके इस समय अखराजात हैं उनके लिये हमारा मुआविजा भले ही पूरा न होसके लेकिन अगर वे एक अच्छे नागरिक की हैसियत से उद्योग-धंधे में लग करके अपने जीवन का इन्तजाम करगे तो मैं समझता हूं कि जो रकम उनको मिलेगी वह बहुत मुनासिब और काफी होगी और उससे वे ठीक तौर से अपना इन्तजाम और प्रबन्ध कर सकते हैं।

इसके साथ-साथ हमने इस बिल में यह भी इन्तजाम किया है कि गांव-समाज परती जमीनों का मालिक होगा। वहां के तालाब, कुएं, फिशरीज, घाट, वग़ैरह का इन्तजाम सब गांव-समाज के अधीन होगा और आबादी, चरागाह, जंगलात इत्यादि सब गांव-समाज की मिल्कियत होंगे। इनका गांव-पंचायतें प्रबन्ध करेंगी और इस तरह से हम तो यह चाहते हैं कि हमारे गांवों के रहने वाले और वाक़ई जिनका खेती से ताल्लुक़ है और जमीन से ताल्लुक़ है वे लोग खुद गांव का प्रबन्ध करें और गांव में जितनी चीजों की जरूरत हो उनके मुताल्लिक़ वे इन्तजाम करे और अपने गांवों की जरूरियात को पूरा करें। असल में तो मिल्कियत गांव-समाज की होगी। यह हमारे देश का पुराना दस्तूर चला आया है, जिसको विदेशी हुकूमत के जमाने में बहुत ही क्षति पहुंची थी और क्षति ही नहीं बल्कि वह नेस्तोनाबूद ही कर दिया गया था कि हमारे गांव का समाज खुद ही सब अपने इन्तजामात करता था। इसको हम फिर से जीवित करना चाहते हैं ताकि हमारे गांव की एक रिपब्लिक हो और वह फिर से क़ायम हो करके अपने गांव का प्रबन्ध करे। इस तरह से इस बिल में सब बातों का इन्तजाम किया गया है।

इस बिल में हमने कोआपरटिव फार्मिंग का भी इन्तजाम किया है जिसकी वजह से कोआपरेटिव फार्मिंग जल्दी शुरू करने में काफी मदद मिले।

हमने कंसोलिडेशन (चकबन्दी) का भी इन्तजाम रखा है ताकि होल्डिंग्ज के कंसोलिडेशन का भी प्रबन्ध ठीक और माक़ूल तरीक़े से हो सके।

इस तरह से संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर ग़ौर से इस बिल को देखा जाय तो इससे बेहतर बिल इस मौजूदा हालत में नामुमकिन था। हो सकता है कि इसमें कुछ त्रुटियां भी रह गई हों। यदि आइन्दा इस भवन के सदस्य कृपा करके कुछ ऐसी बातें बतावेंगे तो उनको रफा करने की कोशिश की जावेगी। लेकिन जहां तक मौजूदा शक्ल इस बिल की है वह इस क़ाबिल है कि उसकी हर तरह से दाद दी जानी चाहिये। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह ऐवान इस पर विचार करके इसे स्वीकार करेगा।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि इस बिल पर विचार किया जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा जमाने में जो जमीन का क़ानून चल रहा है। उसके मुताबिक तो जमीन में काश्त करने वाला, जमीन में खेती करके ग़ल्ला पैदा करने वाला जमीन का मालिक नहीं है, बल्कि एक ऐसा वर्ग मालिक है जो जमींदार के नाम से कहा जाता है और वह जमींदार तबका सरकार और किसान के दरमियान का है। किसान जो अपनी मेहनत और मशक्कत से जमीन को हमवार बनाता है, जमीन को जरखेज बनाता है और गल्ला पैदा करता है तो सबसे बड़ी बात जो मौजूदा बिल हमारे माननीय माल सचिव ने उपस्थित किया है और मैं कांग्रेस गवर्नमेंट को बधाई देता हूँ कि उसमें इस वसूल को मान लिया गया है कि जो जमीन जोतता है वही जमीन का मालिक ह यानी जो जमीन की काश्त करता है वह ही जमीन का मालिक है। इससे दो बड़ी बातें होती हैं। पहली बात तो यह है कि जिसकी जमीन होती है, वह जो पैदा करता है उसको पूरे अख्तियारात होते हैं। इसलिये वह जमीन की क़ीमत बढ़ाता है, उसके जरखेजपन को बढ़ाता है। उसको भी फायदा होता है और मुल्क को भी फायदा होता है, क्योंकि उसके पास भी ज्यादा ग़ल्ला आता है और मुल्क को भी ज्यादा गल्ला मिलता है। अगर किसान समझता है कि जमीन तो दूसरे की है वह तो सिर्फ मेहनत तथा मशक्कत करके गल्ला पैदा करनेवाला है तो ऐसी सूरत में न तो उसको जमीन से उन्सियत होती है और न मुहब्बत होती ह क्योंकि उसे ख़तरा बना रहता है कि उसके हाथ से जमीन निकल जा सकती है। सब से बड़े उसूल की बात जो सामने है वह यह है कि जमीन का वही मालिक होगा जो जमीन जोतता है और गल्ला पैदा करता है और यह इंसाफ की भी बात है। जमीन किसी एक शख्स की बनाई हुई नहीं है और न किसी एक शख्स ने जमीन की एक इंच भी पैदा करने में कोई क़ाबलियत दिखाई है। वह तो एक चीज है ईश्वर की हवा-पानी की तरह है, जो जमीन की काश्त नहीं करता, उसको किसी क़िस्म का हक़ मालिकाना ग़लत उसूल था। वह कैसे इतने दिनों तक क़ायम रहा, यही आश्चर्य की बात है। आज जो हमारे जमींदार साहबान हैं वह ग़लत उसूल की बुनियाद पर अपने आपको जमीन का मालिक समझते चले आये थे, असल में वह जमीन के किसी भी सूरत में मालिक नहीं थे। हमने इस बिल में इस चीज़ को भी देखा है कि कोई मुखालिफत जमींदार साहबान की न हो। जमींदार जो खेत जोतता है वह भी मालिक होगा, लेकिन सरकार और किसान के बीच वाली बात जो ग़लत उसूल पर मबनी थी उसके बारे में खुशी के साथ कहना पड़ता है कि आज हम सैकड़ों वर्ष के गन्दे तरीक़े को ख़त्म करने जा रहे हैं और आज वही जमीन का मालिक है जो उस जमीन को मेहनत तथा मशक्कत से जोतता है और उसकी पैदावार बढ़ाता है।

दूसरी बात जो इस बिल के अन्दर ख़ास है वह यह है कि हालांकि जमींदार तबका यों तो जमीन का किसी सूरत से भी मालिक नहीं है, लेकिन क़ानून ने उसको एक अख्तियार दिया था। क़ानन की वजह से वह अपने आपको जमीन का मालिक समझता था और मैं उनको किसी तरीक़े से गुनहगार नहीं ठहराता। क्योंकि एक चीज चली आती है आदतन, और क़ानून इजाजत देता है, इसलिये वह भी अपने को मालिक समझने लगे।

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

चुनांचे हम देखते हैं कि उनकी गुजर-औकात का भी मुनासिब तरीक़े पर इन्तजाम किया गया है क्योंकि उनको मुनासिब तरीक़े पर मुआविजा दिया जा रहा है और जो छोटे तबक़े के ज़मींदार हैं उनकी भी सुन्दर व्यवस्था की गई है, उनका भी गुजर औकात का ज़रिया रखा गया है। इसलिए कि क़ानूनन उनको एक हक़ मिला था और आज क़ानून के ही ज़रिये से हम उस हक़ को उनसे ले रहे हैं। साथ ही हम उनको क़ानूनी तरीक़े पर कुछ देना भी चाहते हैं। इसके अलावा क़ानूनी तरीक़े पर किसानों के हुकूक को भी मज़बूत बनाये देते हैं, जो क़ानूनी हक़ मिला था उसे क़ानूनी तरीक़े पर लिया गया और क़ानूनी तरीक़े पर ही उन ज़मींदारों को कुछ दिया भी गया, तो ऐसी सूरत में जो एक व्यवस्था इस बिल के अन्दर है, आज जो ज़मींदारी खत्म करने का सिलसिला दिया जा रहा है, उसमें पुनर्वासन और मुआविजा भी है। यह इस बिल की एक खास अहमियत है और जिस पर मुमकिन है कुछ साहबान इख्तिलाफात पेश करें, लेकिन एक उसूल की चीज़ है और इस उसूल से कोई इन्कार नहीं कर सकता। साथ ही ज़मींदारों का भी ख्याल रखा गया है, उनके साथ सरकार की पूरी हमदर्दी है, पूरे तौर पर वह इस मुल्क के बाशिन्दे हैं और उनका भी हर एक के समान रहने का अधिकार है। गांव-समाज बनेगा, उसमें चाहे ज़मींदार हों, चाहे किसान हों, हर एक के बराबरी के हुकूक रहेंगे और किसी क़िस्म का तफर्का नहीं रह जायेगा और न किसी क़िस्म का भेद-भाव ही रहेगा। यह भी इस बिल की एक खास अहमियत है। हर एक जो ज़मीन जोतता है वह भूमिधर होगा और हर एक की बराबरी के दर्जे की हैसियत हो जायेगी। मैं तो इसे बखूबी समझता हूं कि किसानों और ज़मींदारों के बीच एक खाई बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन अब बराबर की हैसियत होने में उनमें मोहब्बत होगी, उनमें इखलाक होगा और गांव की व्यवस्था सुन्दर होगी।

एक खास अहमियत और जो इस बिल में है वह यह कि उनको मुआविजा देने के लिये अर्थात् पुनर्वासन अनुदान देने के लिये हमने इसमें जो व्यवस्था रखी है इस देश की तवारीख में उस व्यवस्था का कोई सानी नहीं है; उसके मुक़ाबिल की कोई स्कीम आज तक नहीं सोची गयी है। अपनी जगह पर वह एक गैर मिसाल चीज है। आज हम किसानों से कहते हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारी अदा करो, सरकार का साथ दो और उसके लिये आगे बढ़ो। इस ज़मींदारी को अपनी चीज समझ लो कि यह हमारी मिल्कियत है, गांव-समाज की मिल्कियत है। जैसे भी हो इसके लिये तुम कुछ दो। ऐसा भी नहीं है कि वह अलग से देंगे बल्कि वह तो उस लगान का जिसको वह आज तक बराबर अदा करते चले आ रहे हैं उसका एक जुज है जिसको उन्हें पहले अदा करना है। पहिले अदा करने के बदले में उन किसानों को ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा पहुंचता है। सबसे बड़ा फायदा यह पहुंचता है कि उनका लगान ४० साल के लिए आधा हो जाता है और दूसरा फायदा यह है कि वह अपनी ज़मीन के मालिक हो जाते हैं। साथ ही ज़मींदारों को कैश पेमेंट (नक़द अदायगी) करने से जो एक सवाल मुआविजा देने का है वह हल हो जाता है। अगर आज वह १० गुना लगान नहीं देते हैं और ज़मींदारों को मुआविजा बांड की शकल में दिया जाता है तो उसका यह मतलब होता है कि काश्तकार लगान पूरा देते चलें और उस लगान में से ज़मींदार साहबान को थोड़ा-थोड़ा करके किश्त की शक्ल में वह मुआविजा अदा किया जाए। किसानों को कोई जाहिरा फायदा इससे नहीं होता। यदि बांड की शक्ल में लगान से मुआविजा दिया जाय तो जो भूमिधरी का अधिकार दिया जा रहा है, उनका यह हक़ हासिल करने का सवाल एक अलग सी चीज हो जाती है। ज़मींदारों को मुआविजा भी मिलना चाहिये और नक़द मिलना चाहिये और ज़मींदारों और काश्तकारों का सम्बन्ध भी हमेशा के लिये खत्म हो जाय, साथ ही साथ इन सब चीजों की व्यवस्था इस बिल में की गयी है। किसान यह समझे कि हमने अपनी कमाई से ज़मींदारी खत्म करने के लिये रुपया दिया और ज़मींदारी खत्म करने में हमने

भी हिस्सा लिया। गवर्नमेंट का जो हिस्सा रहा वह तो अलग सी चीज है। किसानों को एक बल मिले कि हमने जमींदारी खत्म की और उनके बाल-बच्चे भी कहें कि हमारे बाप-दादा ने जमींदारी को खत्म किया था। यह एक बहुत बड़े उसूल की बात है। इसमें काश्तकार को बल मिलता है। मैं तो यह कहूँगा कि इस तरह से जो दिया जा रहा है और जिस स्कीम के साथ दिया जा रहा है इससे अच्छा तरीक़ा मौजूदा हालत में कोई हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ किसानों को लगान में सहूलियत भी दी जा रही है। इस उसूल की हिफाजत के साथ, और किसानों के हक़ को देखते हुए मुआविजा अदा करने का इससे अच्छा तरीक़ा नहीं हो सकता।

इसके अतिरिक्त इस बिल में जो खास व्यवस्था है वह कोआपरेटिव फार्मिंग की है। कोआपरेटिव फार्मिंग (सहकारी खेती) के बारे में भूमि और खेती के बड़े-बड़े जानकारों का विचार है कि इससे पैदावार बढ़ती है। इसके लिये भी काफी सहूलियतें इस बिल के अन्दर दी गयी हैं। कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये इसमें काफी प्रोत्साहन दिया गया है, जिसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में किसी को इनकार नहीं हो सकता।

सवा छः एकड़ तक की होल्डिंग का ख्याल इसमें रखा गया है। इसको एक मुनासिब होल्डिंग माना गया है। बुंदेलखंड जैसे कुछ इलाकों को छोड़कर आमतौर पर और जगहों पर सवा छः एकड़ की होल्डिंग एक मुनासिब होल्डिंग कही जा सकती है। पूर्वी जिलों को मैं जानता हूँ कि वहां होल्डिंग इतनी छोटी हो गयी है कि जिसकी वजह से वहां की पैदावार बहुत कम हो गयी है। खेत इतने छोटे-छोटे हो गये हैं कि उससे खेती न करना अच्छा है। न उसके अन्दर उनके हल-बैल को चारा मिल पाता है और न पूरा काम करने के लिये मौक़ा होता है। हमारे मुल्क में और तरह के उद्योग-धंधे न होने के कारण जमीन पर इतना बोझा बढ़ गया है कि एक खान्दान में बटते-बटते अगर दस एकड़ जमीन थी तो चार लड़कों में प्रत्येक के पास केवल ढाई एकड़ ही रह गयी और फिर उनकी साखें हुईं और आज दस-दस और आठ बिस्वा जमीन के मालिक बने हुए हैं। उसको छोड़ते नहीं, उतने में ही गुजर करने की कोशिश करते हैं, उनकी यह आदत हो गयी है। इस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मुनासिब यह है कि होल्डिंग का ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) न हो और [illegible]

[illegible] रे वर [illegible]

दूसरे [illegible]

इन्तजाम किया जाय। वे तमाम जिन्दगी ऐसी खेती में लगे रहें जहां से उनका गुजर न हो सकता हो और उनके लिये अगर दूसरा कोई जरिया भी न हो तो वह चीज तो ज्यादा दिन नहीं चल सकती। खेती के इतने ज्यादा टुकड़े होना मुनासिब भी नहीं है। अगर हिसाब लगाया जाय कि जितनी खेती है और जितने किसान हैं उन सबमें बांट दिया जाय तो फिर फी किसान पर बहुत कम जमीन पड़ती है और अगर हम इस पर ग़ौर करें तो पता चलेगा कि यह होल्डिंग को बांट-बांट करके जो खेती करने का तरीक़ा है इससे किसानों की हालत बहुत खराब है।

एक चीज जो खासतौर पर तवज्जह करने की है वह यह है कि जमीनों के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े जो हैं वे बहुत फासले पर हैं और दूर-दूर पर टुकड़े होने की वजह से न तो उनकी आबपाशी ठीक होती है, न ठीक से रखवाली हो सकती है और न वे उतनी पैदावार कर सकते हैं जितनी टुकड़े न होकर सब खेती, सब जमीन एक जगह होने से हो सकती थी। तो ऐसी सूरत में मुझे इस तरफ खास तवज्जह आप लोगों को दिलानी है। मैं अपनी जानकारी से गांवों में देखता हूँ कि किसानों के टुकड़े दूर-दूर होने की वजह से एक दिन एक खेत में आबपाशी करता है तो दूसरे दिन दूसरे खेत में जाकर हल बैल ले जाता है। हमारे यहां कुएं से आबपाशी होती है। मैं देखता हूँ कि किसान को यहां से वहां और वहां से यहां करने में सारा समय लगा देना पड़ता है। इसलिये इस चीज़

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

की तरफ बहुत तवज्जह की जरूरत है। जिस सूरत से भी हो सब चीजें एक जगह हों और जल्दी से जल्दी हों तो मुझे पूरा यकीन है कि गल्ले की पैदावार में काफी बढ़ती हो जाय।

मैं जो खास तौर पर इस बिल की एक चीज की तरफ इस भवन की तवज्जह दिलाना चाहता हूँ वह एक क्लास जो लैंडलेस लेबरर्स का है उसकी तरफ है। लैंडलेस लेबरर्स वह क्लास है जो खेती में ही अपनी मशक्कत को लगाता है, लेकिन उसके लिये जो व्यवस्था इस बिल में की गई है वह मेरी निगाह में मुनासिब नहीं है। इस क़ानून की व्यवस्था में कोई भी शिकमी पर खेत किसी को उठा नहीं सकता। अब तक जो रिवाज था आम तरीक़े पर लोग शिकमी को उठा दिया करते थे, लेकिन अब तो यह चीज नहीं रही और इस चीज के खत्म हो जाने के बाद ऐसे बहुत से लैंडलेस लेबरर क्लास के हैं जिनको जमीन शिकमी पर मिलती थी और काश्तकारी करते थे लेकिन अब उनको कोई शिकमी नहीं देगा तो वे जिनके पास जमीन रहेगी उससे महरूम हो जायेंगे। कोई यह चीज पसन्द नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में जब जमीन को न काश्तकार उठा सकता है किसी शिकमी को और न लैंडलेस लेबरर के लिये कोई व्यवस्था है तो मुझे उनकी किस्मत पर जरूर एतराज पैदा होता है। जो जमीन खाली हो और बहुत सी जमीन ऐसी है भी, इस क़ानून के मुताबिक़ ऐसी बहुत सी है भी, जो लोग खुद काश्त नहीं करेंगे उनकी जमीन भी खाली होगी तो किसी न किसी सूरत से जो जमीन खाली हो उनकी व्यवस्था का हक गांव-सभा को सुपुर्द होना चाहिये कि वह किसी दूसरे को कोआपरेटिव फार्मिंग वालों को दिया जाय या जिनके पास जमीन उनके गुजर-औकात के लिये कम है उनकी जमीन को पूरा करने के लिये दी जाय और आखिर में लैंडलेस लेबरर को दी जाय तो मेरा ऐसा अंदाजा है कि लैंडलेस लेबरर को एक इंच जमीन बच कर आने वाली नहीं है क्योंकि जो वेकेंट (खाली) लैंड (जमीन) होगी वह तो होल्डिंग को पूरा करने भर को नहीं होगी। जो मौजूदा होल्डिंग ६। एकड़ से कम है उनको पूरा करने में वह सब खत्म हो जायगी, इसलिये लैंडलेस लेबरर को रक्खे या न रक्खें, सब बेकार है। मेरे विचार से लैंडलेस लेबरर या जो लैंडलेस काश्तकार हैं, उसका यह हक़ है कि जो खाली जमीन है वह उनको दी जाय। यह तो मानी हुई बात है कि जमीन को वही तोड़ेगा, वही उसको ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिये इस क़ाबिल बनायेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। मैं फिर कहता हूँ कि इतना जरूर किया जाय कि जो वेकेन्ट लैंड है वह लैंडलस लेबरर को दी जाय।

दूसरी बात यह है कि मूलतः इस बिल में एक प्राविजन, दफा २२४, यह रक्खा गया था कि ६। एकड़ जमीन एकोनामिक होल्डिंग है। अगर वह ६। एकड़ जमीन किसी काश्तकार के पास अपने कब्जे में नहीं है और उसने शिकमी में उठा रक्खी है तो वह बेदखली द्वारा ६। एकड़ पूरा कर सकता है। अब जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसमें वह ६। एकड़ के बजाय ८ एकड़ कर दिया गया है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि वह ८ एकड़ किसी भी सूरत से न हो। जब हमने ६। एकड़ का मियार क़ायम कर लिया है तो फिर ८ एकड़ के रखने के कोई मानी नहीं है। ६। एकड़ एक ऐसा है जो एकोनामिक होल्डिंग मानी गई है। यह दूसरी बात है कि बुंदेलखंड या दूसरे स्थानों के लिये और तरीक़े पर ग़ौर कर लिया जाय। यह एक्सेपशनल केस है, लेकिन आम तरीक़े पर ६। एकड़ के बजाय ८ एकड़ का करना मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जो ६। एकड़ पहले था वही मुनासिब है और इसीलिये मैंने इससे अपनी राय का इत्तिफाक भी किया है।

एक चीज और क़ाबिले ग़ौर है कि आज बहुत से किसान ऐसे हैं जो कि काश्त कर रहे हैं लेकिन उनके नाम काग़ज शिकमी पर दर्ज नहीं हैं और लोग भी इसकी जानकारी

रखते हैं और मैं भी अपनी जानकारी से जनता हूँ कि जमींदारों ने शिकमी दिया है, किसानों ने शिकमी दिया है लेकिन कागजात मे शिकमी दर्ज नहीं है। अब फैसला, यह करना है कि कौन काबिज है और कौन नही है। अदालतों मे यह होता है कि पटवारी के कागजात को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। मैं मानता हूँ कि अदालत के कोर्टस् के लिमीटेशंस हैं, कोर्ट डाकूमेंटरी एवीडेंस को मानता है। उसके सामने और दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। इसलिये पटवारी के कागजात को ही एक डिसाइडिंग फैक्टर बना लिया जाता है। लेकिन इंसाफ तो यह है कि वाकयात को देखे। यह न हो कि वाकया कुछ और हो लेकिन जो पटवारी ने दर्ज कर लिया है उसी को माना जाय।

इस दिक्कत का हल निकलना चाहिये। इस दिक्कत का ऐसा कोई हल सोचना है कि जो सही काबिज हैं उनको वह जमीन मिल जाये। इसके लिये कोई लैंड रिकार्ड आफिसर या कोई जिलेवार आफिसर या कोई एक कमेटी हो जिसमें नान-आफीशियल मेम्बर हों उसमे चाहे एम० एल० एज० हों या और कोई हों, उन लोगों को सोचकर कोई कमेटी बनाई जाय जो इस चीज को तय करें। इसकी वजह से काफी दिक्कत काश्तकारों को हो रही है। बहुत से काश्तकार जमीनों से महरूम किये जा रहे हैं, बहुत सी जमीनें छीनी जा चुकी हैं और छीनी जा रही हैं और वे फौजदारी मुक़दमा भी नहीं चला सकते। दफा १४५ मे भी हार जाते हैं। सबूत जिस तरह से देखा जाता है उसकी बुनियाद पर १४५ में भी किसान मुकदमा हार जाता है लेकिन मौके पर वही काबिज चला आता है और बीस बरस से काबिज है। इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर है कि मौके पर जो किसान काबिज हैं उनको सही हक़ वह दिलाये। गवर्नमेंट के मुलाजिमीन जो पटवारी हैं उन्होंने सही तौर पर, इंसाफन वहां दर्ज नहीं किया है और जिसकी वजह से गलत फैसले हो जाते हैं, उसके लिये गवर्नमेंट को कोई इन्तजाम जरूर करना चाहिये कि वह किसानों के हाथों मे से ऐसी जमीन न जाने दें। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा किसी जोर-जुल्म और किसी अदालत के गलत फैसले की वजह से हो रहा है। लेकिन बात यह है कि अदालत लिखे सबूत पर जाती है और ग़रीब किसान उसके खिलाफ अदालत मे किसी भी तरह से सबूत नहीं दे सकता है। न तो वह कागज़ात की बिना पर ही जीत सकता है और न पैसे की वजह से ही जीत सकता है। इसलिये ऐसी हालत में किसान को सिर्फ जमीन छोड़कर भाग जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। मेरा कहना यह है कि इस क़ानून से सही मानों में किसानों को लाभ पहुँचना चाहिये। और किसी न किसी तरीक़े से उसके बारे में हमें सोचना चाहिये। उसको सही तौर से कब्जा मिलना चाहिये क्योंकि आज तक उसका क़ब्जा उस पर मौजूद है और वही जमीन का सही मालिक भी है।

एक खास बात की तरफ में श्रीमान् जी का ध्यान और दिलाना चाहता हूँ कि एक उसूल इस बिल में यह भी रखा गया है, कि जो शिकमी काश्तकार हैं और जमीन के मालिक दोनों हैं, तो उनका नाम अधिवासी टेनेन्ट रखा गया है जो ५ साल बाद १५ गुना देने के बाद उसके मालिक हो सकेंगे। इस उसूल को जब हमने मान लिया है कि जमीन का जोतने वाला ही जमीन का मालिक होगा तो फिर ऐसा क्यों कि कुछ को १० गुना अभी देने पर भूमिधारी हक मिल जावे और कुछ को ५ साल तक इन्तजार करना पड़े। जब हमने उसको मालिक मान लिया तो इस सवाल को कितने दिनों के लिये क्यों टाला जा रहा है? अगर वे मालिक हैं तो आज ही उनको भी भूमिधारी बनने का मौका दिया जाना चाहिये। उनको ५ बरस तक रोके रखना उसूलन ठीक नहीं है। आज तो किसानों के पास थोड़ा सा रुपया है और उसका सबूत भी है। अब जबकि उनके पास फसल भी है, ईख की फसल हुई है आलू की फसल हुई है और जबकि उन्होंने जोश के साथ रुपया जमा करना शुरू किया है, तब क्यों नहीं उनको यह हक़ दिया जा रहा है। किसी भी

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

चीज का एक वक्त हुआ करता है। आज जो शिकमी काश्तकार हैं जिनके पास रुपया है कौन जानता है कि उनके पास ५ बरस बाद पैसा न हो। मान लिया जाय कि बच्चों के खाने भर को भी न हो तब कौन आपका रुपया जमा करेगा। मुझे उम्मीद है और होना चाहिये हरएक इंसान को कि आज जो हमारी गल्ले की हालत है वह बहुत जल्द सुधरेगी और गल्ले की पैदावार बढ़ेगी और गल्ले का भाव लाजिमी तौर पर घटेगा। मेरा ऐसा ख्याल है कि ५ वर्ष में मुल्क की हालत बदल जायेगी और उस वक्त किसान के लिए १० गुना लगान जमा करना ५० गुना के बराबर हो सकता है। इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि उस अधिवासी को जो शिकमी काश्त करता है उसको भी फौरन १५ गुना लगान जमा करने का मौक़ा मिलना चाहिये ताकि वह भी अपनी जगह पर मुस्तकिल काश्तकार हो जाय और वह यह न सोच सके कि ५ वर्ष के बाद हमारा नम्बर आयेगा और उस वक्त पता नहीं कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज हम यह चाहते हैं कि जो लोग जमीन जोतते हैं चाहे वह असली काश्तकार हों चाहे शिकमी काश्तकार हों भाई-चारे की तरह से भूमिधर होकर गांव में समाज बनायें। अब बीच में कोई तबका एक मिनट के लिये नहीं रहना चाहिये। यह क़ानून जिस दिन बने और लैंड रिफार्म जिस दिन अमल में आवे उसी दिन वह मुकम्मल तौर से अमल में आवे और हर इंसान जो काश्त करता है अपनी जमीन का भूमिधर हो जाय। यह हमारा नुक्ते-निगाह होना चाहिये और इसीलिये मैं इस ऐवान का ध्यान इसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ।

इस बात के लिये कि इस क़ानून के जरिये से जो हमदर्दी किसानों के साथ दिखाई गई है जिससे किसानों की हैसियत ऊंची हो रही है मैं उसके लिये सरकार को बधाई देता हूँ। आज किसान सोचने लगा है कि हम भी एक इंसान हैं और हमारा भी एक दर्जा है। आज तक जमींदारों के नीचे वह गुलामी की जिन्दगी गुजार रहा था लेकिन अब उसको उससे छुटकारा मिल रहा है। आज उसके दिल में शान पैदा हो गई है। आज देहात में एक जीवन आ गया है। जो रुपया जमा करने की बात है उस संबंध में भी आज किसानों में एक उमंग है। वह इस बात को समझ रहा है कि बहुत जल्द उसको नजात मिलेगी और वह भी सब के साथ बराबर दर्जे पर भूमिधर बन कर जिन्दगी बसर करेगा। इसलिये मैं किसानों की तरफ से सरकार को बधाई देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह ऐवान इस बिल का पूर्ण रूप से स्वागत करेगा और किसानों के आशीर्वाद का भागी होगा जो उसूल हम बहुत दिनों से कहते आये हैं आज वह उसूल नुमायां हो रहे हैं। इन उसूलों को लेकर हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमने एक ऐसा क़दम रक्खा है इस सूबा में, जिसका मुक़ाबिला कहीं नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि ऐवान का हरएक मेम्बर इस बिल का स्वागत करेगा और हमें आशा है कि किसानों के और अच्छे दिन आयेंगे।

*श्री निहालुद्दीन—हुजूरवाला, जमींदारी के मुताल्लिक़ अभी तक जितनी गुफ्तगू हुई और जो लिखा जा चुका है वह मेरे नजदीक़ मसला करीब-क़रीब ऐसा है कि जिसमें किसी मुल्क के हिस्से में कोई इख्तलाफ का मौक़ा नहीं है। उम्मीद यह की जाती थी कि सेलेक्ट कमेटी के सामने यह बिल जाने के बाद वह सब खामियां और कमजोरियां जो कि इब्तदाई बिल में थीं, दूर हो जायंगी। बिल दो हिस्से में था—अव्वल वह हिस्सा जो कि जमींदारी खत्म करने के मुताल्लिक़ है, दूसरा वह हिस्सा जो आइन्दा शक्ल व सूरत काश्तकारों को भूमिधर व असामी व उन हकूक़, फरायज और जिम्मेदारी के मुताल्लिक़ है। बिल में हक़ीक़तन दो हिस्से थे—एक तो यह कि जो आज भी हैं, एक वह जो कि मुस्तक़िल और दवामी है। वह लोग जो क़ानून बनाने के माहिर हैं

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

वह इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वह कानून के जितने हिस्से मुख्तलिफ हैं वह कुछ ऐसे हैं कि कुछ मुद्दत के बाद वह बेकार, लाअमल हो जाते हैं और कुछ हिस्से कानून के दवामी होते हैं। इनको अलग-अलग होना चाहिये था। सूरतसूरत यह कि बिल की सूरत गजम्मजे की तरह हो गयी है। अगर दोनों को अलग-अलग होना चाहिये था तो वह जो जमींदारी को खत्म करने के सिलसिले में है और दूसरा वह जो मुस्तकिल तौर पर [illegible] करने के मुताल्लिक है और हमें उम्मीद थी कि सेलेक्ट कमेटी से [illegible] लोगों के सामने जब यह बिल जायगा तो वह इन्तजामी कानूनसाजी की [illegible] से इस कमी को महसूस करके बिल को दो टुकड़ों में इस ऐवान के सामने पेश करेंगे। यह हिस्सा जो बिल का है वह मेरे नजदीक नाकाबिल [illegible] बिल है, और इससे यह मालूम होता है कि उन लोगों को जिन्होंने इस पर इतना वक्त सर्फ किया और इतनी मेहनत की इन्तजामी लेजिस्लेशन के बारे में नावाकफियत थी या अगर नावाकफियत नहीं थी तो उन्होंने अपनी जानकारी को ठीक तौर से इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की जिसकी कि उम्मीद की जाती थी।

बाकी रहा उसूल के मुताल्लिक कि जमींदारी खत्म करने पर मुआविजा दिया जाय तो किस तरह से दिया जाय और जमींदारी खत्म की जाय, इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ राय नहीं हो सकती। मुतअल्लिक उसूल की बिना पर मैं तो कहता हूँ कि जमींदारी को अभी ही खत्म हो जाना चाहिये, इसमें जितनी जल्दी की जाय वह ठीक ही है। खास तौर पर यह कहा जाता है कि मुआविजे की जरूरत नहीं है। यह एक उसूल है और सही उसूल है। और अगर इस उसूल को माना जाय तो मैं सबसे पहला आदमी होऊँगा कि इसकी ताईद करूँगा कि बिना किसी मुआविजे के जमींदारी खत्म की जाय। मगर अगर आप इस उसूल पर कायम नहीं रहते और मुआविजा देते हैं तो इसमें कोई सवाल नहीं होना चाहिये कि बड़े आदमी को मुट्ठी भर कम दिया जाय, उससे छोटे को मुट्ठी भर ज्यादा दिया जाय और उससे छोटे को उससे भी मुट्ठी भर ज्यादा दिया जाय। यह कोई उसूल नहीं है। [illegible] के मुताबिक मुआविजा देना कवायद की रू से जायज माना जाता है। अगर आप जमींदारी को लेते हैं तो उसके मुताबिक आपको मुआविजा देना चाहिये। सवाल अब यह रहा कि मुआविजा कहाँ से दिया जायगा। यह जो एक पुकार है कि दस गुना रुपया जमा किया जाय, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुल्क की हालत अब इतनी [illegible] कैपिटल हमारे यहाँ इतना है कि कर्ज लेकर जमींदारों को दिया जा सकता है। मैं किसी को मुआविजा देने की ताईद के लिये नहीं खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि मैंने अपनी इब्तदायन तकरीर में कहा था। अगर मुल्क की हुकूमत को आम मफाद के लिये यह जरूरी है कि बिना मुआविजे जमींदारी खत्म की जाय तो उसको आप कर सकते हैं। अगर आप मुआविजा देते हैं तो आपको काश्तकारों की जेबें टटोलने की जरूरत नहीं है। यह बात तभी वह आदमी महसूस कर सकता है जो जानता है कि उसको आप बिला मुआविजा के हक दे दें। वरना यह सरमायेदारी एक किस्म की तरफदारी है कि उन्हीं लोगों को हुकूक मिले जो १० गुना अपना लगान सरकार के यहाँ जमा करते हैं; जो लोग इसी तरह से मुल्क की दौलत में इजाफा करते हैं जैसा कि सरमायेदार करता है। अगर उसके पास १० गुना लगान देने को नहीं है तो आप क्यों उसको हुकूक से महरूम करते हैं? आप अगर बिला किसी बुनियादी उसूल के उनको हुकूक देते हैं तो तमाम काश्तकारों को यह हुकूक दिये जायँ जो १० गुना लगान दे सकता है या नहीं दे सकता है। आप कर्ज ले सकते हैं और उस कर्जे की अदायगी बड़ी आसानी के साथ उस आमदनी से की जा सकती है जो कि जागीरदारों के पास से आपके पास आयेगी। इन अल्फाज के साथ मैं इस रिपोर्ट पर जो आज हमारे सामने रखी गई है अपनी राय का इजहार करता हूँ और उन लोगों की खिदमत के लिये हमदर्दी जाहिर करता हूँ जिन्होंने इस रिपोर्ट को लिखा। मुझे उम्मीद है कि मुश्तरकी गौर के बाद वह खामियाँ दूर हो जायँगी जिनकी तरफ मैंने इशारा किया है।

श्री साजिद हुसैन--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब ! सेलेक्ट कमेटी की अंग्रेजी की कापी मुझे अभी लंच के बाद मिली। मगर जो कुछ भी मुझे अन्दाजा हुआ उससे यह मालूम हुआ कि जिस बात की उम्मेद की जाती थी, जिस बात पर दावा किया जाता था वह सब जबानी ही रह गया। मतलब यह था कि जमींदारी खत्म करके हम एक ऐसी सूरत पेश करें, एक ऐसी सूरत पैदा करें कि मुल्क के अन्दर ज्यादा गल्ला पैदा हो। मुल्क के काश्तकार और मुल्क की जनता मालदार हो जाय। उनका रहन-सहन का जो स्टैंडर्ड है वह बढ़ जाय। जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है अगर ऐसा होता तो मैं कम से कम एक ऐसा शख्स था जो कि बावजूद किसी जाती नुकसान के इसकी ताईद करता अगर महज मक़सद वोटों से था तो इसके मुताल्लिक़ मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। कहा यह गया कि पैदावार इससे बढ़ेगी। अब आप देखें कि पैदावार कैसे बढ़ जायगी। भूमिधर को हक़ दिया गया है कि वह अपनी होल्डिंग जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर ले। वह चाहे तो उसको खाली मैदान कर दे, उस जगह पर चाहे तो वह कारखाने बना लेवे या कुछ भी करे या न करे। इससे मुल्क की पैदावार कैसे बढ़ जायगी। यह बात समझ में नहीं आई यह भी कहा गया कि हम सवा छः एकड़ या आठ एकड़ जो भी एक मियार है, जो भी इकोनामिक होल्डिंग कही जाती है उसके लिये भूमिधर को यह भी हक़ है कि वह उसने कम भी कर सकता है तो इससे पैदावार कैसे बढ़ जायगी और उन लोगों के मुता-ल्लिक़ जहां तक कि छोटे जमींदारों का ताल्लुक है उनकी तादाद इतनी है कि जैसा अभी कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य ने कहा कि उनको भी काश्तकार ही समझना चाहिए। जब यह ख्याल है तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है ? करीब-करीब आठ लाख एकड़ जो उन की सीर की जमीन उठी हुई है उससे भी उनको हाथ धोना पड़ेगा। यानी जो वह शिकमी पर दिए हैं वह भी उनको वापिस न होगी। इसके अलावा आप देखें कि आप उनकी हालत को मुआविजा देकर किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं। जब आप उनका शुमार भी जनता और अवाम में ही करते हैं तो फिर तो उनके साथ भी कोई खास रिआयत का बर्ताव क्यों नहीं करते या इन्साफ क्यों नहीं करते ? इसको तरजीह दी गई है कि शिकमी खुदकाश्त करें। आप यह देखें कि यह ज्यादा बेहतर समझा गया है कि वह लन्डलेस लेबरर को एम्पलाय करें और उनसे काम लें बहैसियत मजदूर के उन को एम्पलाय करें, आप देखें कि उसको क्या मुनाफा होता है और सबटीनेन्ट (शिकमी काश्तकार) को क्या होता है। आप देखें कि आजकल मजदूर को कितनी रकम कम मिलती है और उसको नकद लगान से उस सूरत में कितना फ़ायदा होता है। आपने इस बात का कोई लिहाज नहीं किया है और जल्दी में यह तमाम काम आप कर रहे हैं। बड़े जमींदारों की यह हालत है कि वह लोग काफी तादाद में मकरूज हैं एग्रीकल्च-रल इन्कम-टैक्स देने के बाद आज उन को अपनी जायदाद फरोख्त करने की जरूरत हो रही है।

एक साहब ने मिल्कियत की बात कही कि यह कोई अच्छी चीज नहीं है और यह न रहनी चाहिए जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, यह बात उसके मुंह से तो नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि आज उनकी गवर्नमेंट तो कैपिटलिस्टों (पूंजीपतियों) के कदमों पर गिर रही है कि आप अपना रुपया मुल्क की इन्डस्ट्री में लगाइए। किसी दूसरी पार्टी के लोग अगर ऐसा कहें तो किसी कदर मुनासिब होता लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले मिल्कियत के बारे में ऐसा कहें यह जरा समझ में नहीं आता।

जहां तक सोशलाइजेशन और नेशनेलाइजेशन का ताल्लुक है मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि एक तरफ तो आप नेशनेलाइजेशन करते हैं और दूसरी तरफ बहुत ही सख्त किस्म की सर-माएदारी के आप हामी हैं। यह चीज हमारी समझ में नहीं आती। मैं यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका की तारीफ करता हूं कि उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारा सरमाएदार मुल्क है और हम कैपिटलिज्म को ही अच्छा समझते हैं और वह अच्छा है या गलत लेकिन वह लोग उसी पर कायम हैं। मगर हमारे मुल्क की इकोनामी क्या है यह समझ में नहीं आता। एक तरफ

आप सोशलाइजेशन के तरीके से काम लेते हैं और दूसरी तरफ आप के सामने यह सवाल है कि कैपिटलिज्म को कैसे बचावें। यह चीज आप की हमारी समझ में नहीं आती कि आप चाहते क्या हैं ? एक अजीब कनफ्यूजन (गडबड़) है और कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे इस मुल्क का बेडा पार होगा और हमारी सरकार जल्दी में इस तरह के काम करने के लिए तैयार हो जाती है और बाद में भी उसे कोई कामयाबी दिखाई नहीं देती।

हमको इंतहाई खुशी है और इस तजवीज से खुश होना चाहिए कि यहां की जनता मालदार हो जाय। यहां के लोग अच्छी हालत में हों मगर हम तो देखते हैं कि माल तो चन्द आदमियों के हाथों में जमा होता चला जा रहा है। आम तरीके से ख्वाह काश्तकार हो जमींदार हो उन लोगों के पास से रुपया रोजबरोज खींचता चला जाता है। यह रुपया कहां जा रहा है यह राज की बात नहीं है। यह हमारी आंखों के सामने की बातें हैं कि किधर जा रहा है। जब तक इसका इंतजाम न हो या कोई गवर्नमेंट इसका इंतजाम न करे या उसमें इतनी ताकत न हो कि वह जिन लोगों को डिसप्लेस करें जिन की रोजी निकाल लें उसका भी कोई इंतजाम करें। मेरे ख्याल में तो मेरे सामने कोई बात नहीं आई। मुनासिब नहीं है सरकार के लिये इस तरीक से वह करे। क्या उनके हुकूक काश्तकारों को दे दिये। किस तरह का अमल किया गया। वह लगान आज देते हैं लगान कल भी देंगे। क्या वह लगान से बच गए यह बात समझ में नहीं आई। हां कुछ रुपया दे दिया समझिये उसके सूद से उनका लगान दे दिया। दूसरी जगह उसी रुपये का उसी देहात में कितना ज्यादा सूद मिलेगा। फिर असल कहीं नहीं जायगा। यहां असल का पता भी नहीं चलेगा। अब बजाय जमींदार के वह आप के अमलेवालों को लगान देंगे। रिश्वत का बाजार यों ही क्या कम है ? फिर पूरी बेईमानी हो जायगी। रिश्वत का बाजार खूब ज्यादा हो जायगा। यही आप चाहते हैं। खर कोई मुजायका नहीं है। करप्शन और ब्राइबरी घटी नहीं है। आप का यह दावा कि हम यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं गलत है। ब्राइबरी और करप्शन को हटाने के यह तरीके नहीं हैं। आज भी लोगों को शिकायतें हैं। इससे मुल्क में शिकायतें और बढ़ेंगी और मुल्क में एक कन्फ्यूजन पैदा कर देंगे। जहां तक कपिटलिज्म का ताल्लुक है मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से और किस किस्म का स्टेप आप ले सकते हैं ? किस तरीके से उस को खत्म कर सकते हैं। हां, यह दूसरी बात है कि कम्युनिज्म का रास्ता खुल जाय। जैसा कि सर जगदीश प्रसाद ने कहा कि सैपर्स और माइनर्स का काम सरकार करेगी। इसमें शक नहीं है। इससे मुल्क की हालत न अच्छी हो सकती है और न दुरुस्त होती है। न मुल्क की तरक्की की कोई सूरत दिखाई देती है। जो बेसिक सवाल हैं उसकी तरफ तवज्जह नहीं है। सरकार की तवज्जह नहीं है। सरकार को दिलचस्पी नहीं है। आबादी बढ़ रही है उस के लिये कहां से गल्ला आएगा। बर्थ कन्ट्रोल का इंतजाम करें। आप को चाहिये था कि ज्यादा आबादी को आस्ट्रेलिया में बसवाते आप ने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि अंग्रेज आगे कदम बढ़ायें तो उनके पीछे चलने लगें। जो फायदा की चीज है वह करें। जहां तक जनता की जरूरत है यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि वह क्योंकर पूरी होगी। क्या आप लोग समझते हैं कि जमीन रबड़ हो जायगी ? यह बात तो ठीक नहीं है। जहां तक जंगलात का ताल्लुक है साइनटिस्ट के ख्यालात के मुताबिक २५ होना चाहिए। जहां तक मैंने सुना है इस सूबे में १२ फी सदी रकबा जंगलात में शामिल है। मतलब यह है कि जितना होना चाहिए उतना भी नहीं है। जमीन कहां से लायेंगे। अगर आप बारिश बढ़ाने का इन्तजाम करना चाहते हैं तो कम से कम कुछ जंगलात और लगाइयें। तो यह सब कन्फ्यूजन है मुल्क के सामने। आपने जल्दी में आकर के कि फलां पार्टी न आजाय, ऐसा किया कि भूमिधरी के सिलसिले में शायद कुछ और हमारे वोटर्स बन जायं। लेकिन जहां तक मुल्क की हमदर्दी और दोस्ती का ताल्लुक है, इसके कुछ माने नहीं हैं। मैं तो महात्मा गांधी की तारीफ करूंगा कि इस शख्स ने इतना काम किया लेकिन कोई आफिस, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेना पसन्द नहीं किया और यही सच्ची हमदर्दी है। इसमें तो यह है कि एक पार्टी की मानोपली है, एक पार्टी गैंग है जो कब्जा किये हुये है। क्या हम हिन्दुस्तानी नहीं हैं, क्या और लोग हिन्दुस्तानी नहीं हैं ? क्या उनको हक नहीं है, क्या उनको दर्द नहीं है ? इसके यह माने नहीं कि आप मुल्क का सत्यानाश करें।

श्री मोहन सिंह यादवाचार्य—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब ! मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन कुछ अपने विचार रखते हुये। हमारी सरकार जो इस समय किसानों के साथ हमदर्दी कर रही है कि वह अपना दसगुना लगान जमा करदे तो जमीन के मालिक हो जायें, यानी जितनी काश्त उनके हाथ में है उसके वह भूमिधर बन जायं, तो जिनके पास पैसा है वह तो जमाकर रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं और जिनके पास खाने-पीने से नहीं फुरसत मिलती है उनकी कोई रकम बढ़ती तो है नहीं और न देहात में उनके कोई कारखाने या कलें चलती हैं उनके लिये सरकार क्या इन्तजाम कर रही है ? उनके लिये तो रफ़्तार धीरे २ है । जैसे कि तीन महीने को रक्खो और उसको आगे फिर थोड़ा बढ़ा दिया। तो यह हमदर्दी तो आपकी नहीं है. लेकिन जब सरकार से कहा गया कि एक, दो महीना इधर छोड़ दिया जाय और नवम्बर, दिसम्बर में शुरू किया जाय ताकि मार्च, अप्रैल तक दस गुना लगान पूरा जमा हो जाय तो उस वक्त हमारे भाई लोग यह कहते थे कि नहीं सरकार, रुपया तो किसान देने को तैयार है। लेकिन वसूल का हाल तो तब मालूम हुआ जब घर में रंग ही नहीं है। और मुझे क्या कहना है। मुझे तो यह कहना है कि जो आदमी पट्टेदार है वह तो अपना लगान जमा कर देंगे, लेकिन जो २०, २५ वर्ष से बराबर जोतते चले आते हैं और आज भी जोत रहे हैं लेकिन पटवारी के खाते में उनका नाम नहीं, वह क्या करे ? हाकिमों से कहा जाता है जो इस वक्त मौजूद हैं जिलों के अन्दर तो वह कहते हैं कि हम फैसला वही देंगे जिसका नाम पटवारी लिखता है। तो इसके लिये हमारी सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ? पटवारी की मौजूदगी में किसान और जमींदार दोनों परेशान हैं और मैं नहीं जानता कि हमारी कांग्रेस सरकार किसके कहने से इस बात को समझेगी या इसके ऊपर कोई अपना आदमी तैनात करेगी कि वह दौरा करे और दौरा करके ठीक जांच-पड़ताल करे और वहां कोई ऐसा हाकिम तैनात करे और सही बात का पता लगावे जो जमीन को धरती से मजरूआ बनाये। ऐसा किसान आज अपना दस गुना लगान किस तरह से दाखिल करे। कोई उसकी बातचीत नहीं है। न कोई उसका सिर पैर है। वह अदालत में भी जाता है, मारा-मारा फिरता है और अगर वह अपने खेत को जोतता है तो वह जमीनवाला उस पर जाकर क़ब्ज़ा कर लेता है जिसके नाम खेत है। फिर यह भी होता है कि जमींदार उसके ऊपर दावा करता है या वह जिसके पास ज्यादा जमीन है, मालदार है या ठेकेदार है वह दावा करता है। फैसला किसान के खिलाफ होता है। किसान के ऊपर दफ़ा १०७ लगाई जाती है और वह बेचारा परेशान होता है।

किसान के पास जो कुछ भी है या जो कुछ वह अपनी मेहनत से पैदा भी कर लेता है वह तो उसको खाने को है नहीं, पहिनने को है नहीं और वह बेचारा १०७ में लटका-लटका घूमता है। आप जानते हैं कि आजकल वकीलों की फ़ीसें कितनी बढ़ गई हैं। किसान उनको भी नहीं दे सकता। वह बेचारा पैदल या लारी या मोटर पर चढ़ कर आता है। कभी उस पर भी विचार किया कि जहां पर बसें चलती हैं या लारियां चलती हैं, उन पर लिखा हुआ होता है कि २२ सवारी, ३३ सवारी, ३८ सवारी। लेकिन जरा उनका चेकिंग किया जाय तो उनमें मालूम होगा कि कितनी सवारियां हैं। जहां से वे चलती हैं और जहां स्टेशन पर उनको पहुंचना है वहां तक रास्ते में भी बैठाते चले जाते हैं। सवारी पर सवारी और लारी पर सवारी। मगर कोई देखने वाला नहीं है।

तो मेरी प्रार्थना है कि सरकार तो ग़रीब किसानों के लिये खूब करती है। लेकिन कागज में या जबानी सरकार इन्तजाम करे और उसके साथ गांव-गांव जाकर उसके आदमी देखें कि दरअसल जमीन कौन जोतता है और पटवारी जमीन किसके नाम लिखता है। इसके लिये आजतक आपने कितने पटवारियों को सजा दी है ? पांच सौ दरख्वास्तें मेरे पास हैं और तीन सौ मैंने प्रधान जी को दी थीं। उन्होंने उनको कलेक्टर के पास भेज दिया जो उसकी मेज पर रखी हुई एक बंडल की सूरत में मौजूद है। मगर देखभाल कुछ नहीं। कलेक्टर तो कहता है कि मैं बुड्ढा हूं और पेंशन पर जानेवाला हूं। मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो नव-युवक कालिजों से निकलते हैं, हमारे कालिजों से निकल रहे हैं, उनको इधर उधर टकरावें नहीं। आप

बुड्ढों को पेन्शन देकर के अलग करदे और उन दानों को तीन-तीन महीने की ट्रेनिंग दे करके उनको जिले में भेजे ताकि वे न्याय के साथ, इन्साफ के साथ, और सच्चाई के साथ यह फैसला करें कि दरअसल जमीन है किसकी और जोतता कौन है। मगर हमारी सरकार को तो बहुत सी मुसीबतें हैं, जैसे कपड़ा, शक्कर, तेल, नमक। और भी बहुत सी चीजें हैं। इन सबके लाइसेंस हैं। जिनके पास लाइसेंस हैं वहीं जेब भरते हैं और सरकार इसके लिये आदमी भी ऐसे मुकर्रर करती है कि एक आदमी जोहे जितनी चोरी दिन भर बेचता रहे लेकिन पब्लिक को कुछ भी नहीं मिलता। तो कोई फैसला नहीं है। अगर आप गलत समझते हैं कि तो मैं आपको दस बीस जिलों का दौरा करा के दिखा सकता हूं कि ऐसा है या नहीं। मगर इस पर विचार कौन करे। जितनी रिआया है, जितनी देहात की रिआया और किसान हैं, वे सब सरदार के ऊपर हैं। सरकार को देखना चाहिये कि रिश्वत बिल्कुल नहीं होनी चाहिये और ब्लैक-मार्केट भी नहीं होना चाहिये। मगर इसे कौन और इस पर विचार कौन करे? जैसे हम किसान लोग टकटकी लगाते हैं कि आकाश से वर्षा हो उसी तरह से सरकार के हाकिम टकटकी लगाते हैं। हमारी सरकार ऐसा इन्तजाम करे कि कोई किसी तरह की रिश्वत न हो या गुलामी न हो या ठेकेदारी न हो।

डिप्टी स्पीकर--माननीय सदस्य की तवज्जह मैं इस तरफ दिलाता हूं कि यह जमींदारी विनाश बिल है। इसमें शक्कर वगैरा का कोई सवाल नहीं आता है। आप कृपा करके इसी बहस पर अपनी बातचीत को रखें।

श्री भारत सिंह यादवाचार्य--मैं डिप्टी स्पीकर साहब से प्रार्थना करता हूं कि जो दो चार हाथ मैं आगे चला गया हूं तो मैं देहात का रहनेवाला हूं।

श्रीमान् जी, हमारी सरकार इसका जल्द से जल्द प्रबंध करे और कोई अफसर स्थायी या स्थानिक या कहीं से भी चाहे वह अस्थाई हो मुकर्रर करे कि जो काश्तकार जमीन को बनाता है और जोतता है वही उसका मालिक रहे। उसके पास आप को ऐसा हुक्म मिले कि वह इस हिसाब से अपना दस गुना लगान जमा करे या आप सरकार हैं, मालिक हैं, सबको आश्वासन देते हैं कि किसी को कष्ट नहीं होगा लेकिन काश्तकार के कष्टों का वारापार नहीं है उसकी कोई जांच-पूछ नहीं होगी, देखभाल नहीं होगी और यह कहा जाता है कि किसान सब से अच्छा है.--

> खुद खाना नहीं खिलाता है, देखो दिन रात कमाता है।
> उसकी मेहनत पर करो ध्यान, सब कहते हैं जिसको किसान ।।
> खेती के सिवाय कुछ काम नहीं, थकने का लेता नाम नहीं।
> नित उठता है होते बिहान, सब कहते हैं जिसको किसान ।।
> मेला ठेला और तीर्थ धाम, पैदल चलता है सुबह शाम।
> रखता नहीं खाने सुख का मान, सब कहते हैं जिसको किसान ।।
> कुछ मेंड बबूल व आम नहीं, खाना में किसान का नाम नहीं।
> ध्यान करता है भगवान में ईमान, सब कहते हैं जिसको किसान ।।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे। अपने हाकिमों को हुक्म दे कि वह अपने-अपने जिले के संबंध में रिपोर्ट दें। जहां तक मेरा संबंध है मैं दस बीस जिलों की रिपोर्ट दूंगा कि जमीन किसकी है और कौन जोतता है।

श्री मुहम्मद रजा खां--जनाबवाला! मैं तो यह अर्ज करता हूं कि जहां तक जमींदारी का ताल्लुक है जमींदारी का खात्मा लाजिमी और जरूरी था और वह हो रहा है। मेरा ख्याल है

[श्री मुहम्मद रजा खां]

कि इस बिल में सेलेक्ट कमेटी ने बमुकाबिले पहिले के कुछ तरक्क़ी की है और छोटे जमींदारों को कुछ फायदा पहुंचाने की कोशिश की है लेकिन वह बहुत ही कम है। मैं यह ख्याल करता हूं कि किसानों में भूमिधर बनने का जोश बहुत ही कम है यानी ज्यादा नहीं है। इस वजह से कि इस बिल में काश्तकार को यह हक़ तो दिया गया है कि वह अपनी जमीन बेच सकता है लेकिन उनको शिकमी कर देने का हक़ नहीं दिया गया है। काश्तकार ज्यादातर ग़रीब है, मालदार काश्तकार बहुत ही कम है। अक्सर उनको क़र्ज वग़ैरा की जरूरत होती है। वह यह महसूस करते हैं कि अगर एक मर्तबा अपनी जमीन बेच डाली तो वह हमेशा के लिये चली जायेगी। शिकमी पर देने का हक़ जैसे पहिले था पांच साल, कि तीन साल वह खुद काश्त करे बाद को शिकमी पर दे दे। काश्तकार इसको बहुत ज्यादा पसन्द करता है।

मेरा ख्याल यह है कि यह उसूल कि जमीन को जो काश्त करेगा वही उसका मालिक होगा, मैं तो यह समझता हूं कि जो शख्स काश्त को खुद अपने हाथ से करता है या किसी को शरीक कर लेता है वह भी जमीन का मालिक है, मगर यह कहना कि वह आदमी जो अपने हाथ से काश्त नहीं करता वह मालिक नहीं है जमीन का, यह उसूल तो रूस का है। हिन्दुस्तान को उस उसूल को क़र्ज नहीं लेना चाहिये। मेरे ख्याल में यह बात किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। हमें हिन्दुस्तान की हालत को देखते हुए दूसरे मुल्कों के नजरिये से फायदा उठाने की कोशिश न करना चाहिए। हमें तो अपने मुल्क के लिए जो यहां के काश्तकारों के लिए मुफ़ीद हो, यहां के जमींदारों के लिए मुफीद हो, वही सब काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हुकूमत को कम्यूनिज्म के उसूलों को नहीं अपनाना चाहिए। इसमें शक नहीं कि हिन्दुस्तान के काश्तकार का जहां तक सवाल है उनका एक बड़ा हिस्सा ग़रीब है और यह कहना कि काश्तकार अपनी जमीनों में इसलिए मेहनत नहीं करता कि वह जमीन का मालिक नहीं है, ग़लत है। मैं तो समझता हूं कि वह इस वक्त भी मालिक है और वह महसूस करता है कि मैं जमीन का मालिक हूं। जमींदारी का खात्मा होने से यह यक़ीन कर लेना कि पैदावार में इजाफ़ा हो जायगा, मेरे ख्याल में यह चीज ग़लत है। इस वजह से कि बहुत से छोटे-छोटे जमींदार है जो अपने हाथ से खेती करते हैं। क्या उन्होंने अपनी काश्त बढ़ाने में कोई कोताही की, नहीं की। काफ़ी मेहनत से काम किया मगर पैदावार नहीं बढ़ा सके। यह काम तो हुकूमत का है कि वह उनको खाद सप्लाई करे, और और आसानियां दे क्योंकि आराजी की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गयी है, पेश्तर की तरह नहीं है। उसमें काश्तकार पूरी जमीन में खाद नहीं डाल सकता। यह काम हुकूमत का है कि वह उसको इमदाद दे।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत से मुक़द्दमात काश्तकार के अब भी १७१ के तय नहीं हुए है। हुआ यह कि काश्तकार ने दरख्वास्त वापसी की दी मगर अदालत से वह खारिज हो गयी। कमिश्नरी से रूलिंग लेना है। कोर्ट में मुक़द्दमात भेजे गये है। बरेली में ऐसे मुक़द्दमात बहुत हैं। काश्तकार उस वक्त तक रुपया हर्गिज देने को तैयार नहीं हो सकता जब तक कि उसको यह यक़ीन न हो जाय कि वह जमीन का भूमिधर सही तरीक़े से बन सकता है। कोर्ट में एक साल से वह मुकद्दमे पड़े हुए हैं। जहां तक कि मुआविजे का सवाल है मैं समझता हूं कि सरकार को क़र्ज लेना चाहिए और कर्जा ले कर जमींदारों को मुआविजा देना चाहिए और काश्तकारों की आइंदा की आमदनी जो गवर्नमेंट के पास जायगी उससे वह अदा हो सकता है। बड़े और छोटे जमींदारों का सवाल रखना मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब नहीं है। छोटे जमींदारों को भी जिन्दा रहने का हक़ होना चाहिए। बड़ों के पास बड़ा रुपया है और सामान भी काफ़ी है लेकिन छोटे २ जमींदार जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको जिन्दा रखना हुकूमत का फ़र्ज हो जाता है। जहां तक इस बिल का ताल्लुक़ है मुझे उसकी बहुत सी बातों से इत्तिफ़ाक़ नहीं है। उनके मुताल्लिक़ में आइंदा वक्त आने पर अर्ज करूंगा। आम तौर से जहां तक जमींदारी के खात्मे का सवाल है इसको खत्म होना था और इसको होना चाहिए।

श्री अब्दुल बाकी--जनाबवाला ! इस बिल के कंसीड्रेशन (विचार) के मुतालिक मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने चन्द चीजों का ज़िक्र किया है और उसी पर बुनियाद रखी गयी है इस बिल के कंसीड्रेशन की और इस बिल की ताईद की। मैं अपनी तकरीर में तकरीबन अपने पेशेनज़र उन्ही उमूर को रखूंगा। मेरी जाती राय इस बिल के मुताल्लिक यह है कि अभी गवर्नमेंट की यह कोशिश है और यह कोशिश नातमाम नाकिस और नामुकम्मिल है। न इससे गवर्नमेंट का वह मंशा पूरा होता है जिसका वह बबांगे दोहल ऐलान कर रही है और न काश्तकारों को फायदा पहुंच सकेगा जिसका स्लोगन के ज़रिये से ढिंढोरा पीटा जा रहा है, और न मुल्क को फायदा पहुंचेगा, जिस फायदे की उम्मीद दिलायी जा रही है। बुनियादी चीज़ यह बताई जा रही है कि ज़मीदार का बड़ा इक्तदार था इस सूबे में और उसने काश्तकारों पर बड़ा सितम किया। एक हद तक यह चीज सही है। काश्तकारों ने तकलीफ उठाई और ज़मीदारों ने अपनी जिन्दगी राहत से बसर की और ज़मीदारी का नाजायज़ फायदा भी उठाया। मगर हम को देखना यह है कि जो बिल हमारे सामने है जो आइन्दा कानून बनने वाला है उससे क्या हम ज़मीदारों को मुल्क का मुआज्जिज बाशिन्दा रख सकते हैं और किसानों की हैसियत को बुलंद कर सकते हैं या नहीं। मेरे ख्याल में किसी मुल्क का यह नजरिया नहीं हो सकता कि जिन की हालत पहिले से अच्छी हो उनको और पस्त किया जाय। जिनकी हालत खराब है उनको तो बुलन्द करना ही है, मगर जिनकी हालत बुलंद है उनको पस्त करना हरगिज अच्छा नहीं। देखना यह है कि इस बिल से ज़मीदार किस सतह पर पहुंचता है। हम अगर गौर करेंगे तो हमको यह मालूम होगा कि अगर किसी के म्आशियत के ज़रिये को ले लिया जाय और उसका माकूल इन्तज़ाम न किया जाय तो उसकी जि-न्दगी बरबाद हो जायगी। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस मामले में न तमाम ज़मीदारों को बरबाद करना चाहती है जिनका ज़रिये माश ज़मीदारी है। और मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता कि क्या गवर्नमेंट यहां तक नहीं समझ रखती कि वह एक ऐसी चीज़ ला रही है जिसकी वजह से एक तबका खराब होगा और आइन्दा खुद गवर्नमेंट की परेशानी का बायस होगा। मैं समझता हूं कि यह बिल बिल्कुल अनप्लांड है। मैं तमसिले के तौर पर एक चीज़ कह दूं। मैं रेल पर आ रहा था। अब गवर्नमेंट ने सेकेंड के दो हिस्से कर दिये हैं आर्डिनरी और स्पेशल। पहिले तीसरा, इंटर, सेकेंड और फर्स्ट के दर्जे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने इन्टर का दर्जा तोड़ दिया मगर उजलत में तोड़ा। फिर बादिले नाख्वास्ता वैसा ही करना पड़ा। मगर इंटर कर देते तो सब समझते कि बड़ी अहमक थी गवर्नमेंट, इसलिये बादिले नाख्वास्ता आपने इंटर तो उसका नाम नहीं रखा सेकन्ड स्पेशल रख दिया। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस वक्त जो बिल ला रही है यही धोखा फिर गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा और बादिले नाख्वास्ता गवर्नमेंट पछतायेगी लेकिन पछताने के लिये वक्त नहीं होगा, आप अफसोस करेंगे मगर अफसोस करने के लिये आपके पास दिन नहीं होंगे। आप नदामत करेंगे मगर आपकी नदामत बेकार जायगी इसलिये मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट इस बिल को बनाते वक्त फिर एक मर्तबा नहीं हजार मर्तबा गौर कर ले कि उसके क्या नतायज होंगे, मुल्क में इसके क्या असरात होंगे? ज़मीदारों का क्या हाल होगा, इसको इस दुख दर्द को सुनाने के लिये तो ज़मीदार पार्टी आपके सामने कहेगी मेरे पास न तो एक धूर ज़मीन है और न काश्तकारी है मगर मैं इतनी समझ रखता हूं कि कानून का क्या अन्जाम होगा। उजलत में आप जो कानून बना रहे हैं उसके क्या अन्जाम होंगे इस पर आपको गौर कर लेना चाहिये। आज गवर्नमेंट जो कहती है कि हम किसानों की हालत बुलन्द कर रहे हैं तो यह समझना चाहिये कि जो काश्तकार बुलन्द होना चाहता है उसमें क्या हिम्मत है। आया वह भी इस बिल इस्तकबाल कर रहा है या नहीं। अगर बिल में दरहकीकत उसकी दिलचस्पी होती और अगर वह इसको दिलोजान से चाहता होता तो मेरे ख्याल में आपको जुलाई के बाद से आपने जो दौरे किये हैं उसकी ज़रूरत न पड़ी होती। आपने इस सूबे में तमाम रास्ते को पार किया है, कितनी धूल फांक डाली, कितना पेट्रोल सर्फ किया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने, हुक्कामान ने और खुद कैबिनेट के मेम्बरान दौरा कर रहे हैं उनको मालूम हो ही गया होगा कि क्या कर लिया आपने? अगर दरहकीक़त काश्तकार के दिल में इसका एहतराम होता कि आपने भलाई की है तो आपके दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती। काश्तकार खुद आपके क़दमों में लाकर वह रक़म रख

[श्री अब्दुल बकी]

मगर जिमदारी आपको अबालीशन (विनाश) के लिये जरूरत है। जरा देखिये कि मुल्क में आपके देखेगे मुतल्लिक लोगों का क्या ख्याल है। जहां आप जायेंगे तो आप कुछ औरही समां अपने खिलाफ देखेंगे। बड़ी हिरफाबाजियां हो रही हैं। कोई काश्तकार से कहता है कि १० गुना जमा करने से तो घर निकल जायगा, अदवाड़ा निकल जायगा, पछवाड़ा निकल जायगा और इस तरीके से १० गुना जमा किया जा रहा है। काश्तकार इस बिल की असलियत समझ रहा है, आप यह रिजोल्यूशन सन् १९४६ में पेश किया था, एक छोटा बच्चा भी जानता है, जो काश्तकार नहीं हैं वे भी जानते हैं कि यह बिल क्या है? जमींदार तो आज उजलत कर रहा है कि उसकी जमींदारी जल्द खत्म हो। आपने इधर नुमका लगान बन्द कर दिया, उसका लगान वसूल नहीं होता, मालगुजारी आप सीने पर चढ़कर ले लेते हैं मैं कहता हूं कि आप जुल्म कर रहे हैं। दीजिये सबको बराबर का मौका। लेकिन आप कहते हैं कि हम जमा ले लेते हैं तो कम्पेन्सेशन (तलिकर) दे रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि आप दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब आप की जेब से पैसा नहीं है तो आप बेकार के लिये क्यों गजब ढा रहे हैं उन पर जिनके पास पैसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट दरहकीकत जमींदारी अबालिश करना चाहती है तो अबालिश करने के लिये कर्ज ले। उन लोगों से पैसा ले जिनके पास पैसा है उनसे ले कर मुआविजा दिया जाय। यह क्या है कि आप दे रहे हैं जमींदार को और गला घोंट रहे हैं उस बेचारे काश्तकार का जिनके पास कुछ नहीं है। फेयरप्ले और जस्टिस तो यह होती कि आप काश्तकारों की हालत का जायजा लेते कि वे अदा करने की ताकत को रखते भी हैं। मगर आज आप इस वक्त जो वसूल कर रहे हैं, जानते हैं, उनके बारे में काश्तकार क्या ख्याल कर रहा है? वह समझता है कि आप इन्सालवेन्ट (दीवालिये) हैं। और आपके पास पूंजी और सरमाया नहीं है। आप काश्तकार की जेब को तलाश करते हैं। कभी यह मंशा नहीं होना चाहिये कि आप कानून ऐसा लाये जिससे कि वे जिनको कि कानून से फायदा है और जिनके लिये क़ानून बनाया गया है वे ही समझे कि कानूनसाज हमारे दुश्मन हैं और हमारे साथ साजिश की जा रही है, चाल चली जा रही है। अभी एक मेरे लायक दोस्त ने कहा कि हम इस राय के हैं कि बिला मुआविजे के जमींदारी तोड़ दी जाय। यह तो खुला डाका है। वन्स यू गिव दी गवर्नमेंट दिस पावर, अगर एक मर्तबा आपने गवर्नमेंट को यह हक़ दे दिया कि कोई चीज वह बिला मुआविजे के ले ले तो कल वह हमारी अचकन उतार लेगी, हमारा पैजामा घसीट लेगी, घर और जायदाद तो ले ही लेगी। मैं समझता हूं कि यह तो डाकेजनी है। मैं इस राय का नहीं हूं कि गवर्नमेंट कोई प्रापर्टी बिला मुआविजा के ले। अब तक जो गवर्नमेंट रही है उनको जब कोई जरूरत पड़ी तो उसने जो भी चीजें लीं उसका सही माकूल दाम दिया। मैं इस गवर्नमेंट को कंडेमन करता हूं। मेरी जबान में जितनी भी ताकत है, उस ताक़त से मैं इसको कंडेमन करता हूं। यह जो क़ानून है वह निहायत खराब है, बेकार है। यह कहीं नहीं हुआ कि एक नेशन की कोई चीज गवर्नमेंट ले ले और मुआविजा न दे। खैर आप तो यह कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप भी ऐसा करते तो आप भी एक हद दर्जे की गलती करते। इट उड हैव बीन रांग बाई दी कांस्टीटयूशन (संविधान के अन्तर्गत यह चीज गलत होती)। आपने कांस्टीटयूशन में तय कर लिया है कि जब किसी की मिल्कियत को लेंगे तो कम्पेन्सेशन अदा करेंगे। आपको कम्पेन्सेशन अदा करना है। अब सवाल यह है कि आप किस तरह से कम्पेन्सेशन अदा करते हैं। मैं तो समझता हूं कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज आर वास्ट, रिसोर्सेज आर ग्रेट (सरकार के जरिये बहुत वसीह और बड़े हैं)। बात जो समझने की है वह यह है कि वह रिसोर्स क्या है? आप समझते हैं कि वह रिसोर्सेज ये हैं कि गरीबों की जेबें टटोली जायें। गरीबों की जेबें न पकड़िये, काश्तकार से मुआविजा न लीजिये। एक तो यह रिसोर्स है कि गवर्नमेंट शुड टेक लोन (सरकार ऋण ले)। आप जो यह कहते हैं कि आठ गुना दिया जाय, पांच गुना दिया जाय और जो आप इसी वजह से बिल को सेलेक्ट कमेटी या इधर से उधर से घुमाते हैं, वह सिर्फ इसलिये कि आप समझते हैं कि आपकी जेब में कुछ नहीं है और यह सोचते हैं कि मुआविजा दिया जाय तो कैसे दिया जाय। यू शुड टेक लोन (आपको ऋण लेना चाहिये)। सब प्रापर्टी का (जायदाद) वैल्युयेशन (तशखीश) करें। पे दी

करेक्ट वैल्युयेशन आफ दी प्रापर्टी (जायदाद की सही रकम तशखीस हो वह दीजिये)। हर जमींदार की जमींदारी ले ली जाय बट यू मस्ट पे दी फुल कम्पेन्सेशन (लेकिन आपको पूरा मुआविजा देना चाहिये) । जो उसका करेक्ट वैल्युयेशन है उसको आप दें । दी कम्पेन्सेशन शुड बी आन करेक्ट वैल्युयेशन, आन यूनीफार्म बेसिस (मुआवजा सही तशखीस और एकसा बुनियाद पर मबनी होना चाहिये ।) और अगर आप यह चाहते हैं कि हम जो चाहेंगे वह देंगे तो यह रांग है, टोटली रांग कम्प्लीटिली एब्सर्ड (बिलकुल गलत और बेहूदा चीज है ।) बाजार में एक क़िस्म के कपड़े का एक ही भाव होता है और जो दो निर्ख से बेचता है तो वह ब्लैक-मार्केटिंग है । जैसा कि आपने चीनी में किया है । बाजार में दो-दो रुपये सेर बेची और अपनी दूकानों में १३ आने सेर । आई डिनाउन्स इट, आई डिनाउन्स इट विद फुल पावर । (मैं इसकी निन्दा करता करता हूं, मैं पूरी शक्ति से इसकी निन्दा करता हूं) ।

माननीय माल सचिव—मेरे लायक दोस्त हिन्दी में बोला करें तो ज्यादा अच्छा है ।

डिप्टी स्पीकर—माननीय सदस्य महोदय उस प्रस्ताव का जरूर ख्याल रक्खेंगे जो इस भवन ने मंजूर किया है । मालूम होता है वे गुस्से में बोल गये ।

श्री अब्दुल बाकी—मैं अपने आप को उस प्रस्ताव तक महदूद करूंगा जो आनरेबिल वजीर रेवेन्यू ने हाउस के सामने रखा है। जैसा कि............।

डिप्टी स्पीकर—मैंने यह नहीं कहा था कि आप गुस्से में बिल से बाहर चले गये लेकिन यह कहा था कि आप शायद गुस्से की वजह से अंग्रेजी बोलने लगे। जहां तक जबान का ताल्लुक है भवन की सब कार्यवाही सूबे की जबान में ही होनी चाहिये ।

श्री अब्दुल बाकी—वह गुस्से की अंग्रेजी नहीं थी बल्कि प्यार की अंग्रेजी थी।

डिप्टी स्पीकर—अब आप उस प्यार की अंग्रेजी को छोड़ दीजिये।

श्री अब्दुल बाकी—अब मैं प्यार करना छोड़ दूंगा। मैं यह जिक्र कर रहा था कि हर चीज का निर्ख और शरह एक ही होना चाहिये लेकिन गवर्नमेंट का निर्ख का मियार मुख्तलिफ करना मेरे ख्याल में उसकी सूझ-बूझ की खराबी की वजह से है। आसान तरीका तो यह है कि आप मुआविजे को तो एकसां दीजिये इस पर तफसील के वक्त तो उस वक्त बोलूंगा जब कि दफात आयेंगी लेकिन इस वक्त तो इतना ही कहूंगा कि आप ने जो यह उसूल बनाया है वह उसूल गलत है। आपने एक चीज की शरह और निर्ख को मुख्तलिफ करार दिया है । इस बिल में जो सब से खराब बात है वह यही है कि इसमें निर्ख में इख्तलाफ़ रखा गया है, मालूम होता है आपने उसको सोचा नहीं है। आप उसे सोचें, दुबारा सोचें, सेबारा सोचें। दरअसल आप को अगर मुआविजा देना है तो आप यूनीफ़ार्म, एकसां मुआविजा दीजिये और हर छोटे-बड़े के लिये एकसां मुआविजा रखिये।

दूसरी गलत बात यह है कि अगर आप कम मुआविजा देंगे तो सबसे बड़ी तक़लीफ़ इस मुल्क के उन लोगों को होगी कि जो आप ही के हिस्से हैं, आप ही के पार्ट ऐंड पार्सिल हैं यानी जमींदार लोग बड़ी ऊंची बुलंदी से पस्ती में गिरेंगे और शायद सदियों तक अपने को ऊंचा और बुलंद नहीं कर सकेंगे । यह कितने बड़े दुख की बात है कि मुल्क का एक तबका पस्ती में डाल दिया जाता है। अगर ऐसा होगा तो वह आप के साथ क्या हमदर्दी रखेंगे ? मरीज की तरह से जमींदार इस वक्त तो महसूस हीं क्या करेंगे अभी तो वह जमींदारी लेकर बैठे हुये हैं, अभी तो वह इन्तजाम करते हैं। अभी तो वह उस मरीज की मिस्ल हैं जिसके इर्द-गिर्द तबीब और घर के लोग बैठे हुये हैं। उसे तब महसूस होगा जब कि तबीब उठ जायगा, घर वाले चल देंगे और वह बिल्कुल मर जायगा। उनके लिये आप ने इस बिल में कोई इन्तजाम नहीं किया है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि यह बिल नाकिस है, नातमाम है इसमें बड़े अमेन्डमेन्टों (संशोधनों) की जरूरत है। जमींदारों को जमीन का सही मुआविजा दीजिये, उनको वह जगह दीजिये जिसके वह मुस्तहक़ हैं, जो

[श्री अब्दुल बाक़ी]

उनके शायानेशान है। मेरे लायक दोस्त ने यह बात कही कि वे बन्दोबस्त कर रहे हैं। कोआपरेटिव सोसाइटियों के जरिये से अनाज और गल्ला बढ़ाने की। यह तो आप की एक स्कीम है, आप का एक ख्याल है, आप का एक नजरिया है, सही है या गलत यह तो मालूम होगा जब इस पर आप अमल करेंगे। जमाना आप को बतायेगा कि आप की राय कहां तक दुरुस्त है और आप का नजरिया कहां तक काबिले अमल है। आप यह समझते हैं कि आप छोटी–छोटी होल्डिंग खत्म करेंगे और कोआपरेटिव बना कर के प्रोडक्शन (उपज) बढ़ायेंगे लेकिन मैं बहुत बड़े तजुर्बे के बाद आप से बताता हूं कि जब एक मर्तबा आप कोआपरेटिव सोसायटीज बना देंगे और उसके मेम्बरान यह महसूस करेंगे कि हमारा मखसूस हिस्सा जो था वह बाक़ी नहीं रहा तो होगा यह कि वह मेहनत कम करेंगे। और लेबर से जी चुरायेंगे मुझे ऐसा अन्देशा मालूम होता है कि इस तरह वह चीज मुनाकिस हो जायगी। आप समझते हैं कि अच्छा नतीजा होगा लेकिन मुझे डर मालूम होता है कि कहीं इसका ननीजा खराब न निकले। इसलिये मैं तो यह समझता हूं कि अगर आप दरहक़ीक़त मुल्क की पैदावार बढ़ाना चाहते थे तो आप को किसानों से यह कह देना चाहिये था कि हम तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। तुम्हारे मामले में हम जरा भी दस्तन्दाजी नहीं करेंगे अगर तुम ज्यादा से ज्यादा पैदा करोगे तो वह तुम्हारा ही होगा लेकिन इस बिल के अन्दर मुझे कोई ऐसा प्राविजन या सेक्शन नजर नहीं आ रहा है। क़ानून ऐसा बनाना चाहिये कि क़ानून की दफात की वजह से काश्तकार यह समझे कि उसे अच्छा हक़ दिया गया है क्योंकि इससे वह दिलचस्पी से काम करेगा और पैदावार ज्यादा बढ़ायेगा।

तीसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि मैं यह कहना चाहता था जैसा कि आनरेबिल मिनिस्टर ने फरमाया है कि काश्तकारी का क़ानून बड़ा पेंच दरपेंच कानून था और उसमें इन्दराजात बहुत पेचीदा थे लेकिन अब हम उसको सिम्पलीफाई (आसान) करना चाहते हैं। मैं यह समझता था कि जब जमींदारी का एबालिशन हो जायगा और जमींदारी खत्म हो जायगी तो मामला बहुत सादा हो जायगा। सिर्फ एक क्लास काश्तकारों का रह जायेगा, मगर आप ने भूमिधर रख दिया, सीरदार रख दिया और असामीदार रख दिया। अगर एक किस्म के काश्तकार होते तो मामला ज्यादा सिम्पलीफाई हो जाता मगर ऐसा आपने नहीं किया है। यह बहुत बड़ी खराबी है इस बिल की। आप ने यह कहा कि हम पेचीदगियां रफा कर रहे हैं मगर आप यह नहीं समझे कि अभी इसके अन्दर बहुत सी पेचीदगियां हैं।

चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मेरे एक लायक मुकर्रिर ने यह कहा है कि गवर्नमेंट बिल को तैयार कर चुकी है और उसका प्रचार भी उसने किया है मगर अभी गवर्नमेंट को यह पता नहीं है कि एक्चुअल कल्टीवेटर (वास्तविक किसान) है कौन। एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो जोतते हैं खुद और कागज में नाम चला आता है दूसरों का। गवर्नमेंट की सब से ज्यादा तवज्जह इस बात पर होना चाहिये थी कि जब वह जमींदारी को तोड़ रही है तो कम से कम इस बात का बन्दोबस्त कर लेती और इस बिल में कोई ऐसा प्राविजन रखती जिससे यह मालूम हो जाता कि वह इन्दराज पर एतमाद करेगी यह दरहक़ीकत जो असली काश्तकार हैं जिनकी जोत में वाकई जमीन है उनका लिहाज करेगी।

मुझे तो इस बिल में कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है। और जैसा कि मेरे लायक दोस्त ने जो कहा है वह चीज बिल्कुल सही है। मैं भी आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर आप काश्तकारान का भला करना चाहते हैं तो आप के लिये यह जरूरत है कि आप सबसे पहिले इस बात की कोशिश करें कि जमीन पर कब्जा है किसका, इसको ठीक तौर से पता लगावें। आपने

मुल्क में जो एक खल्फिशार फैला रखा है कोई काबिज है, तो कोई इन्दराज है और पटवारी को लांग लेटिच्यूड दे रखा है, कम से कम मेहरबानी करके उसकी रस्सी को काट डालिये। यह तो न हो कि उससे कस दीजिये। इसकी तरफ आप को फौरन तवज्जह करने की जरूरत है। पांचवी बात इस सिलसिले मे मैं यह अर्ज करना चाहता हू और गालिबन इस मौके पर इसी पर अपनी तकरीर भी खत्म कर दूंगा और आगे चल कर अगर मौका मिला तो अपने ख्यालात को जरा वजाहत के साथ अर्ज करूंगा। दरहकीकत यह बिल बड़ा मुन्तशिर बिल है। आपने तमाम चीजों को उलट-पलट कर एक जगह उठा कर रख दिया है। एक मुफीद और गैरमुफीद सब चीजों को आपने एकजा रख दिया है जैसा कि मेरे लायक दोस्त निहालुद्दीन साहब ने कहा कि दोनों चीजों को अलग-अलग होना चाहिये था। जमींदारी तोडने का अलग और जमींदारी निजाम का अलग। दोनों अलग-अलग चीज हैं और दोनो के दो डिपार्ट-मेन्ट्स हैं। मगर आप सबको एक में मिला कर मरगूबा तैयार कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि एक हिस्सा तो दवामी का है और दूसरा हिस्सा जमींदारी को खत्म करने का है। और इन दोनों को अलग-अलग होना चाहिये था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर गौर किया जायगा। आप को चाहिये था कि दोनो के लिये अलग-अलग कानून बनाते। एक में तो जमींदारी खत्म करने को बात होती और दूसरे में यह होता कि आगे उसका इन्तजाम क्या होगा? आगे जो आप जमींदारी का बन्दोबस्त रखना चाहते हैं वह किस तरह से रखेंगे। दोनों दो चीजे हैं इसलिये दोनों के लिये अलग-अलग कानून बनाना चाहिये था। इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही कह कर अपनी तकरीर खत्म करता हूं और एक बार फिर आनरेबिल मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह बिल बड़ी नाकिस हालत में है और इनको फिर पाये तकमील तक पहुंचावे।

श्री हर प्रसाद सिंह--श्रीमान डिप्टी स्पीकर महोदय। मैं कोई बड़ी लम्बी तकरीर करने के न तो काबिल हूं और न करना चाहता हूं। मैं तो दो एक सजेशंस (सुझाव) माननीय माल सचिव की सेवा मे पेश करना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि वह उनपर गौर करके अपने इस बिल में कुछ संशोधन कर लेंगे। मैं बुन्देलखंड से आया हूं। बुन्देलखंड की अवस्था सूबे के तमाम और जिलों से बिल्कुल ही अलग है। बुन्देलखड की भूमि बहुत ही कमजोर है और साधन भी बुन्देलखंड में बहुत कम है। यहां पर न तो काफी नहरें हैं और न काफी सड़कें हैं। कहने का मतलब यह है कि बुन्देलखंड सब तरह से गिरा हुआ है। तो इकोनामिक होल्डिंग देने की जो बात है उसके लिये मैं यह कहूंगा कि वहां के लोगों को कम से कम बीस एकड़ भूमि दी जाय। बात यह है कि वहां की जमीन साधारण है और जितने काश्तकार हैं वे ज्यादातर बड़े बड़े ही हैं। और अगर उनको आप छोटी होल्डिंग देंगे तो मेरा ख्याल यह है कि उसमें उनका गुजर नहीं हो सकेगा और न कामयाबी ही हो सकेगी। बाज जगहों पर एक फसल होती है और बाज जगहों पर दो फसलें होती हैं मगर पैदावार बहुत कम है। ऐसी हालत में मैं चाहता हूं कि बुन्देलखंड का लिहाज हमारे माननीय माल मंत्री महोदय करें।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। बाज जमींदार ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी कुल सीरें शिकमियों को उठा रखी हैं, उनको सिर्फ ८ एकड़ जमीन मिलेगी। अब आप ख्याल फरमायें कि एक तरफ तो वह जमींदार हैं जिनके पास सैकड़ों बीघा सीर होगी जो कि उनको मिलेगी और दूसरी तरफ वह जमींदार हैं जैसे कि औरतें जमींदार हैं, उन औरतों से उनकी सीरें ठेके पर लोगो ने ली हुई है या औरतो के जमींदार होने से किसी ट्रेसपासर ने उस पर कब्जा कर लिया है तो ज्यादातर उनकी सीरें शिकमियों के पास हैं। जो उनको ८ एकड़ मिलेगी उससे कैसे उनका गुजारा होगा। उन स्त्रियों के लिये २० एकड़ कम से कम शिकमियों से निकाल कर उनको देना चाहिये। २० एकड़ जमीन उनको मिल जाना चाहिये ताकि वह भी अपनी गुजर बसर अच्छी तरह से कर

[श्री हरप्रसाद सिंह]

सकें। इस तरह के केसेज बहुत कम हैं, इनको कंसीडर करके एक प्राविजन इस तरह का जरूर कर दिया जावे कि जिनकी कुल सीरें शिकमियों के पास हैं उनको कम से कम २० एकड़ तो जरूर मिल जाय और बाकी जो शिकमी काश्तकारों के पास है उनको भूमिधर करार दे दिया जाय।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ख्याल आप लोगों का है और जो लोगों की शिकायत है कि इस १० गुना लगान के इकट्ठा करने में ज्यादती हुई है, मैं समझता हूं यह बात बिल्कुल गलत है। जहां तक मेरे जिले का ताल्लुक है मैंने देखा है कि लोगों से बहुत नरमी का साथ पेमेन्ट करने के लिये कहा गया है और लोगों ने अपनी राजी से वालिन्टियरी तरीके से रुपये का पेमेन्ट किया है। एक बात यह कही गई है कि गवर्नमेंट इन्साल्वेन्ट (दीवालिया) हो गई है। शायद उन्होंने इस उसूल को नहीं समझा कि अगर काश्तकार ही पेमेन्ट करता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जब कि काश्तकार को भूमिधर बनाया जा रहा है और उसको पूरी तरह से हकूक दिये जा रहे हैं। क्या मेरे भाई को यह नहीं मालूम है कि इसकी खबर सुनकर बहुत से जमींदारों ने खेतवार यानी एक-एक खेत करके तमाम खेत उन्हीं काश्तकारों के हाथ बेच दिये थे कि जिनकी काश्त के अन्दर वह खेत थे। तो ऐसी हालत में १० गुना लगान उनसे वसूल करके अगर जमींदारों को मुआविजा गवर्नमेंट दे रही है तो वह कोई गुनाह नहीं कर रही है बल्कि इंसाफ कर रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट एक तरह से काश्तकारों के साथ रिआयत कर रही है। ऐसी सूरत में यह कहना कि जमींदारी बिला मुआविजा खतम कर दी जाय यह ठीक नहीं है और यह उसूल गलत है। मैं भी एक छोटा सा जमींदार हूं मैं तो इससे सन्तुष्ट हूं कि जो मुआविजा मिलेगा वह ठीक है और उससे सन्तोष है। बहुत जमींदार अपनी लापरवाही की वजह से सीर शिकमी को दिये हुए हैं तो उनके ऊपर इतनी रिआयत कर दी जाय कि जो शिकमी हैं उनके पास से बड़ा हिस्सा निकाल कर उन जमींदारों को दे दिया जाय ताकि वह भी अच्छी तरह से अपना गुजारा इस दुनिया में कर सकें।

श्री भगवान दीन मिश्र--श्रीमान् आज जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था बिल पर जिन माननीय सदस्यों ने अपनी सम्मति प्रकट की है उनमें से केवल बाकी साहब को छोड़कर बाकी सब लोगों ने जमींदारी को खत्म करने का समर्थन किया है। एक बात तो मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि वह समर्थन कई रूप में हुआ है और उसमें कई प्रकार के सुझाव भी रखे गए हैं, किन्तु प्रायः सभी ने जिमींदारी को खत्म करने की बात अपनी सम्मति में जाहिर की है। इस सम्बन्ध में यह कहना आवश्यक है कि जो कुछ सुझाव लोगों ने रखे हैं जिनमें बतलाया है, किसी साहब ने जमीदारों के साथ हमदर्दी दिखलाकर कई सुझाव रखे हैं, किसी साहब ने किसानों के सम्बन्ध में कुछ अलग २ अवस्थायें दिखलाकर सुझाव रखे हैं लेकिन जो बिल आया है वह कुछ सिद्धान्तों पर रखा गया है। उसके सिद्धान्तों को मानते हुए अगर आप सिद्धान्त के साथ विचार करें तो मैं समझता हूं कि जिस स्वरूप में और जिस तरह से यह बिल लाया गया है वह सर्वोच्च उचित तथा मान्य भी है। आप यह देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार के खत्म होने के बाद और देश में जनतन्त्र राज्य कायम होने पर और देश में पूर्ण स्वतन्त्रता होने के बाद भी देश के अधिक से अधिक रहने वाले किसानों को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हुई और किसान का गला आज भी उसी जमींदारी प्रथा के नीचे दबा हुआ है जब कि देश दो वर्ष पहिले स्वतन्त्र हो चुका है। इसलिये यह देखकर कि देश में पूर्ण स्वतन्त्रता तभी हो सकेगी कि जब देश के ८५ फी सदी किसानों को परतन्त्रता और जो जमींदारी का बोझ उन पर है, जो जमींदारी प्रथा की देन है, उसे जल्द से जल्द दूर किया जाय। इस तरह से यह प्रथा दूर करने के लिये हमारी सरकार ने बहुत पहिले से जो वादा किया था और

समय-समय पर जिस की घोषणा भी की है उसी आधार को लेकर सरकार दर्बार सन् ४६ में यह प्रस्ताव भवन के सामने लाई थी कि वह जमींदारी को खत्म करेगी।

हमारे बाकी साहब ने कहा है कि इसमें बहुत उजलत की गई। मैं समझता हूँ कि बहुत से माननीय मेम्बरान यह भी कहेंगे कि इसमें बहुत देर की गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर विचार किया जाय तो इसमें उजलत तो कतई नहीं की गई है और देर भी नहीं की गई है। यह एक बड़ा अहम और महत्वपूर्ण प्रस्ताव था कि जिस पर इतना कभी विचार करने के बाद जिस शक्ल में यह बिल अब पेश किया गया है उससे जाहिर होता है कि इस में इतना समय लगना आवश्यक ही था। मैं समझता हूँ कि इस पर हमारी प्रवर समिति ने जिस तरह से विचार किया है और जिस तरह से बहुत सी चीजों को हल करने की कोशिश की गई है इस बात को देखते हुए ... को किस तरह से समुचित से समुचित सुविधा पहुंचाई जा सकती है ... में कोई अधिक समय नहीं लगा है। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग ... विचार के हैं कि जिन का यह कहना है कि जमींदारी प्रथा अवश्य खत्म होनी चाहिये, ऐसा कोई भी दल या पार्टी नहीं है यहां तक कि समझदार जमींदार या राजा महाराजा भी यह बात कहने के लिये तैयार हैं कि अब यह प्रथा दूर होनी चाहिये।

कुछ लोगों का विचार ... है कि जमींदारी खत्म करने के लिये मुआविजे की जो रकम कही गई है, वह गलत है। ... बिना मुआविजा खत्म हो जानी चाहिये। अगर इस पर पूर्ण बहस और विचार किया जाय तो मैं समझता हूँ कि वास्तव में ... संसार में यह नियम है कि जो जिसकी जायदाद और सम्पत्ति है, उस जायदाद और सम्पत्ति को बिना मूल्य दिये हुए लेना किसी तरह न्याय संगत नहीं है। यह आप कह सकते हैं कि वह सम्पत्ति कहां से आई? आप यह कह सकते हैं कि यह सम्पत्ति अनर्जित सम्पत्ति है, लेकिन फिर भी यह आप को मानना पड़ेगा कि सकड़ों वर्षों से ... दारी को भी जमींदार की सम्पत्ति माना गया है। ऐसी अवस्था में वह जो उनकी सम्पत्ति है, उसके एवज और न ले के उचित से उचित मुआविजा देना न्यायसंगत ही है। आप को शायद यह भी मालूम है कि विधान परिषद् ने यह नियम बनाया है कि जो किसी की सम्पत्ति है उसका मुआविजा देना चाहिये। जो लोग यह कहते हैं कि मुआविजा न देकर जमींदारी लेना चाहिये तो वह बात न्यायसंगत नहीं मालूम होती है। दूसरी ओर अगर आप ऐसा नियम बनावेंगे या रिवाज जारी करेंगे, जमींदारी प्रथा को खतम करने के लिये सरकार द्वारा किसी की सम्पत्ति ... वह जबरदस्ती ले ली जाय तो इससे देश में अव्यवस्था कायम हो जायगी। फिर न जमींदार, क्या किसान किसी को कोई सम्पत्ति नहीं अपनी जाएगी। एक किसान दूसरे किसान की सम्पत्ति को बिना किसी मुआविजे या बिना किसी ... अपने जोर में और अपने बल से जबरदस्ती से ले लेना चाहेगा। इस प्रकार से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अशांति और अव्यवस्था हो जायगी। दूसरी बात पर आप विचार करें कि इस स्वराज्य और जनतन्त्र युग में यह जमींदार तबका जो हमारे यहां अच्छी परिस्थिति में है उसको भी देखना है, उसके लिये भी गौर करना है, उसके लिये भी रास्ता निकालना है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो कर देश में एक स्वतन्त्र भारतीय की हैसियत से गर्व से बसर कर सके, निर्वाह कर सके। आपको यह भी विचार करना है कि ऐसी अवस्था में यदि आप यह न सोचें या ऐसा विचार न करें कि चूंकि जमींदारों ने कुछ ज्यादतियां की हैं, उनका शोषण किया है, इसलिये उसके बदले में मानवीय भावना से उनके निर्वाह की शक्ल न निकालें और जबरदस्ती जमींदारी खत्म कर दें तो देश में शान्ति खत्म हो जायगी। दूसरी बात यह होगी कि आपके सूबे में १८ लाख खाते हैं या २० लाख खाते हैं। अगर एक घर में चार आदमी या पांच आदमी गिने जायें तो एक करोड़ आदमी होंगे जो बेकार हो जायंगे। अगर आप उनको संघर्ष का मौका दें तो सूबे में एक कोने से दूसरे कोने

[श्री भगवान दीन मिश्र]

तक रक्तपात हो और खून की नदियां बहें। आप यह जानते हैं कि कांग्रेस महात्मा गांधी की अनुयायी संस्था है। महात्मा गांधी ने विदेशियों से देश को स्वतन्त्र करने में रक्तपात की कभी भी सलाह नहीं दी। शान्ति और अहिन्सा से लड़ाई लड़कर देश को आजाद किया। ऐसी अवस्था में आज हमारी सरकार उचित नहीं समझती कि जमींदारी को इस तरीके पर खत्म किया जाय जिसमें रक्तपात सम्भव हो, जिससे देश में अशांति सम्भव हो, देश में अव्यवस्था हो। जमींदारी खत्म करने के लिये तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि जमींदार राजी होकर जमीन किसानों के हाथ में दे दें। यह चीज जापान को छोड़ कर किसी दूसरे मुल्क में नहीं पाई गई है या दूसरा तरीका यह है कि आप उनको कुछ उचित से उचित मुआविजा दें या जैसा कि कुछ लोगों का सुझाव है और संभव है इस भवन के सामने भी वही सुझाव आवे कि कुछ भी न देकर जमींदारी ले लेना चाहिये। ऐसे जमींदारी ले लेने की बात जो है और जो उसके साथ शंका होगी वह तो सामने है। रूस में जमींदारी इसी तरह से खत्म की गई लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि चार वर्ष तक वहां घोर संघर्ष हुआ और उससे बहुत कुछ जन और धन की हानि हुई। ऐसी सूरत में हमारी सरकार उस व्यवस्था को किसी तरह से पसन्द नहीं करती। इसलिये हमारे यहां मुआविजा की तजवीज की गई। वह मुआविजा कहां तक उचित है। इस पर अगर आप विचार करें तो जमींदार की दृष्टि से उसको अपने पुरुषार्थ पर खड़े होने की पूरी सुविधा दी गई है। अगर वह चाहेगा तो उस मुआविजे को लेकर वह अपने पुरुषार्थ से देश में एक स्वतंत्र भारतीय की हैसियत से अच्छी तरह से रह सकता है। लेकिन जो बेकार और निकम्मा बन कर इस जमींदारी प्रथा के आधार पर जीवित रहा है, जिन्होंने अधिक से अधिक सुख उठाया है उनका कायम रखना देश के लिये किसी तरह से उचित नहीं है। इसलिये जमींदारी प्रथा को खत्म करके और उनको भी ऐसा अवसर दे करके जिससे वह अपने पुरुषार्थ से खड़े हो सके, इस बिल के द्वारा आपके सामने यह समुचित योजना रखी गई है।

हमारे एक साहब ने एक बात यह भी कही, और वह भी हमारे बाकी साहब ने कही कि साहब दस गुना लगान के सिलसिले में लोगों को घर से निकालने की बात कही जाती है या उनको धमकी दी जाती है कि तुम्हारे घर नहीं रह जायंगे। मैं समझता हूं कि आज यह एक नयी बात कही गई है। सब तरफ से टीका-टिप्पणी सुनते हुए और विरोधियों की भी जो टीका-टिप्पणी है उसको देखते हुए आज भवन के सामने एक नयी बात बाकी साहब के मुंह से निकली और वह यह है धमकियां दी जाती हैं। मैं यह कह सकता हूं कि इस योजना के सफल बनाने में जिस तरह से समझाने से और जिस तरह से किसानों के लाभ के लिये यह योजना है इस बात को जिस सफलता के साथ हमारे सरकारी कर्मचारियों और देश के कार्यकर्त्ताओं ने इस योजना को सफल बनाने में जिस प्रकार चेष्टा की है मैं कह सकता हूं कि उसमें कहीं धमकी की गंध भी नहीं आई है और न आयेगी। ऐसी सूरत में यह कहना उचित नहीं है।

अब दूसरी बात एक और है कि किसानों के पास धन की कमी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसानों के पास धन की कमी है, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि किसानों के पास धन की कमी को दूर करने का ही यह साधन है और यही उपाय है। और यह उपाय हम लोग इस तरह से उनके सामने नहीं रखना चाहते कि जिससे आगे चलकर वे भी निकम्मे बनें और जमींदारी प्रथा की तरह उनके सामने भी यह अवसर आये कि वे भी इससे हटा दिये जायें। अगर आप यह कहते हैं कि गवर्नमेंट क़र्जा लेकर उनको भूमिधर बना दे तो गवर्नमेंट जो क़र्जा लिया करती है या अगर गवर्नमेंट कोई योजना चलाती तो वह क़र्जा किसके ऊपर होता है, जरा गौर करने की बात है। भवन के जिम्मेदार माननीय सदस्य यह कहें कि क़र्जा ले लिया जाय और किसानों से कहा जाय कि

तुम जमीन के मालिक हो तो आपको धोखा दिया जाता है, इसके माने यह हुए। कांग्रेस सरकार आपके सामने यह बात साफ़ कहना चाहती है कि अगर हम क़र्जा लेंगे तो किसके बल पर लेंगे। हुकूमत वहां की जनता के बल पर हुआ करती है। चाहे सालवेंट गवर्नमेंट हो वह भी वहां की जनता की हुआ करती है। ऐसी सूरत में यह सुझाव भी किसी तरह से उचित नहीं मालूम होता है। हां, यह बात अवश्य है कि अगर किसान अपने लगान का दस गुना जमा करके अपनी जमीन का मालिक बनना चाहता है तो वह भी यह समझेगा और उसके कुल के जो बच्चे होंगे उनको भी इस बात का गर्व होगा कि हमारे बुजुर्गों ने जिस जमीन का आधिपत्य हासिल किया है उसका मुआविजा दिया है और इस तरह का मुआविजा दिया है जो कांग्रेस सरकार, (जो जनता की सरकार है) उसके द्वारा जो उचित से उचित मुआविजा निश्चित किया गया है। अगर आप गौर करें तो आपको पता लगेगा कि इस सूबे में साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन है जिसमें से करीब २८० लाख एकड़ जमीन तो बंजर और परती की शक्ल में है ऐसी कुल जमीन जो भी है उसका मुआविजा रक्खा गया है। अगर आप ग़ौर करें तो मालूम होगा कि शायद हमारे जमींदार साहबान को जो दो रुपया इस फ़सल में और दो पया उस फ़सल में जिलेदारों को नजराना देना पड़ता है उससे भी कम है। ऐसी सूरत में इस मुआविजे के बारे में मैं तो समझता हूं कि प्रत्येक भारतीय का और सूबे के रहने वाले का यह कर्त्तव्य है कि वह इस जना को सफल बनाने में पूरा-पूरा सहयोग दे क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे अच्छा अवसर किसानों के अपनी जमीन का मालिक बनने का दूसरा नहीं आ सकता। आप जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र में यह बात पहिले भी थी कि किसान जो खती करता है वही पृथ्वी का मालिक है। लेकिन बृटिश साम्राज्य ने इसे उलट दिया और जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया। इसलिये इस जनतन्त्र राज्य में सब से पहले इस बात की आवश्यकता थी कि किसान को जमीन का मालिक बना दिया जाय। इस हेतु इस जमींदारी उन्मूलन बिल को लाकर हमारी सरकार ने सूबे को रहने वाली जनता का उपकार किया है। उसके लिये मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं।

एक सज्जन ने इस बिल के बारे में यह भी कहा है कि ये दोनों कानून अर्थात् जमींदारी उन्मूलन और भूमिव्यवस्था एक साथ लाना उचित नहीं है। हमारे माननीय मेम्बर ने यह कहा है कि ये चीजें अलग-अलग हैं। वास्तव में दोनों अलग-अलग चीजें हैं। लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि यदि किसी चीज को कोई मिटाना चाहता है, किसी प्रथा को अगर कोई मिटाना चाहता है, तो उस प्रथा को मिटाने के बाद हमारी क्या प्रथा होगी, हम किस तरह से उसे चलायेंगे, यह बात भी आवश्यक हो जाती है। अगर कोई सरकार इस तरह से दूरदर्शिता से काम नहीं लेती है तो वह बहुत बड़ी ग़ल्ती करती है। वह तो हमारे लोहिया साहब की योजना के अनुसार होगी (कि जमींदारी २४ घंटे में खत्म हो सकती है)। लेकिन २४ घंटे में जमींदारी खत्म होने में खतरा है जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा। मैं समझता हूं कि जमींदारी उन्मूलन के साथ ही साथ भूमि-व्यवस्था हमारी आगे चल कर क्या होगी, यह बात भी हमारी सरकार के लिये बहुत आवश्यक है। अतएव हमारी सरकार ने जो भूमिव्यवस्था की बात रखी है वह भी सर्वथा उचित है और इसी समय रखनी चाहिये। इस सम्बन्ध में बहुत सी दफायें हैं और उनमें कई प्रकार की बातें रखी गई हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि यह बिल जो है उसमें समाज को वर्गों में बांटा गया है और इसमें कितने ही वर्ग मुक़र्रर किये हैं, जैसे भूमिधर, सीरदार, अधिवासी और असामी। उनका कहना है कि इस तरह से वर्गविहीन समाज बनाने का जो नारा है कि वर्गविहीन समाज बन जाय, यह जो आदर्श था यह चीज इस बिल से पूरी नहीं होती है। लेकिन मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जरा ग़ौर के साथ विचार करें जहां पर अवध क़ानून लगान अलग हो और आगरा कानून लगान अलग हो उन दोनों को एक में मिलाया गया। इसके अलावा जितने सूबे में काश्तकार हैं, अगर आप विचार

[श्री भगवानदीन मिश्र]

करें तो आपको मालूम होगा कि उस सब चीज को खत्म करके एक ऐसी चीज लाई गई है जिसके आधार पर जल्द से जल्द थोड़े समय में एक वर्ग विहीन समाज बन जायगा। आज जो भूमिधर और सीरदार ये दो चीजे रखी हैं ये क्यों रखी हैं? हमारे कुछ भाइयों ने शिकायत की है कि किसानों के पास पैसा नहीं है और इस वजह से वे कैसे भूमिधर बन सकते हैं। बहुत से लोगों ने गलत प्रोपेगेन्डा भी किया है कि जो भूमिधर नहीं बन सकेंगे उन की भूमि भी गई। यह गलत बात है। हमने यह योजना रखी है कि जो अपने उद्योग से पूरा प्रयत्न करके दसगुना लगान जमा करके जमीन का मालिक बनेगा, वह भूमिधर कहलायेगा। बाकी लोग जो किसी तरह से नहीं बन सकते हैं, उनके रास्ते मे भी कोई रुकावट या रोड़ा नहीं है। वे मौरूसी काश्तकार जैसे आज हैं वैसे रहेंगे। अधिवासियों के लिये यह मौका दिया गया है कि ५ वर्ष के बाद उनको १५ गुना लगान जमा करके भूमिधर बनने का हक होगा। इसके बारे में कुछ सज्जनों ने अलग-अलग रायें प्रगट की हैं और मैं समझता हूं कि इसमे अलग-अलग रायें हो सकती हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने एक सुझाव दिया कि जब आप यह कहते हैं कि सरकार और किसान के बीच में कोई मध्यवर्ती जमाअत उपलन नहीं होनी चाहिये, तब कोई वजह नहीं मालूम होती कि ५ वर्ष का इन्तजार उन शिकमी काश्तकारों के लिये क्यों रखा जाये जबकि आप कहते हैं कि हर जमीन का जोतने वाला भूमिधर बन सकता है। लेकिन अगर आप इस पर भी गौर करें कि आपकी सरकार ने जो कानून बनाये थे उनमे हमेशा इस बात को रखा था कि हर मौरूसी काश्तकार अपनी जमीन शिकमी पर उठा सकता है। कभी तीन साल और कभी पांच साल के लिये। आज भी यह कानून मौजूद है। ऐसी अवस्था मे इस व्यवस्था के बनने के बाद, जबकि हमारी व्यवस्था बदल रही है। मै यह कह सकता हूं कि ग्राम पंचायतें और इस बिल के पास होने के बाद हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसमे अगर कोई क्रांतिकारी तब्दीली कही जा सकती है तो इससे ज्यादा शांतिमय तरीके से वह तब्दीली नहीं हो सकती। इसलिये इसके अन्दर इस बात का मौका दिया गया है कि जिनको कानून के जरिये हक दे रखा था कि वह शिकमी पर जमीन दे सकते हैं। उनके लिये हक दिया गया है कि वह पांच साल तक इसका फायदा उठा लें। बाद को १५ गुना देकर भूमिधरी बन सकते हैं। अगर कोई समय की कमी करने का मौका दे सकें तो अच्छा होगा। इस पर भी पुनः विचार किया जा सकता है।

इस बिल के सिलसिले में एक बात मैंने प्रवर समिति के सामने रखी थी लेकिन मुझे दुःख है कि वह बात प्रवर-समिति की रिपोर्ट में न आ सकी। उस बात को मैं इस हाउस के सामने भी रखना चाहता हूं। आप क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं और वह सराहनीय है तो हमें फिर भी जो आप सब की अवस्था है उसे कानून बनाते समय भूलना नहीं चाहिये। इसको भी अपने मस्तिष्क में रख कर कानूनी व्यवस्था करनी चाहिये। अच्छे से अच्छा वही कानून कहा जा सकता है जिसे देश के साथ ठीक तरह से संचालित कर सकें। वह केवल कागज पर ही न रह जाए और जनता उसका दुरुपयोग न करना शुरू कर दे। इसलिये ऐसे कानून को ज्यादा मुनासिब नहीं कहा जा सकता। इसीलिये मैंने यह निवेदन किया था और हाउस के सामने भी कह देना आवश्यक समझता हूं आज भी यह दशा है कि बिना सहायक या मजदूर के कोई भी किसान खेती नहीं कर सकता। जो लोग ट्रैक्टर पर भरोसा करते हैं उनसे भी पूछिए कि क्या केवल ट्रैक्टर से ही खेती हो सकती है। इसमें भी मजदूरों की आवश्यकता होती है। आज तक हमारे यहीं प्रथा चली आई है। जो सहायक रहते हैं वह बहुत सी जगह तो हिस्से पर रहते हैं जैसे छः हिस्सों में एक हिस्सा या पांच हिस्सों में एक हिस्सा। लेकिन अब तो मजदूरी प्रथा शुरू हो गई है। मेरा सुझाव यह है कि इस चीज को आप खत्म न करें। इससे आपकी अधिक अन्न उपजाओ योजना को धक्का पहुंचेगा । जब आप काश्तकार को इतनी सुविधा भी

नही देते कि वह मजदूर से या हरवाहे से अपनी जमीन मे मदद ले सके। आप कानून चाहे कड़े से कड़े बना दे लेकिन अगर वह समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं होता तो लोग उनका दुरुपयोग करना शुरू कर देते है। वह ऐसा करने के लिये मजबूर हो जाते है, विवश हो जाते है। इसलिये मै इस भवन के सामने और माननीय माल सचिव से प्रार्थना करूगा कि वह इस प्रश्न पर फिर से विचार कर ले। इसमे सदेह नही है कि आदर्श तो आदर्श हुआ करते है। लेकिन सामयिक व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ता है। इसकी उपेक्षा करना बुद्धिमानी की बात नही होती। एक सज्जन ने यह कहा था कि सवा छः एकड जमीन की व्यवस्था रखी गई थी। किंतु हमारी प्रवर-समिति ने ८ एकड़ रखी है। अभी-अभी हमारे एक मित्र ने बुदेलखण्ड के बारे मे कहा है कि ऐसी व्यवस्था हो कि कम से कम २० एकड़ रखी जाए।

लेकिन मै यह कहना चाहता हू कि थोड़ा सा आप विचार करे। जो व्यवस्था चल रही थी, जिस व्यवस्था मे हर आदमी अपनी परिस्थिति के अनुकूल शिकमी देकर अपनी जीविका चला सकता था, उसमे आप इतना परिवर्तन कर दे कि सवा ६ एकड़ से अधिक वह किसानी नही कर सकता तो मेरे ख्याल मे यह उसके साथ ज्यादती होगी, अन्याय होगा। मै समझता हू कि हर वर्ग के रहन-सहन का एक तरीका होता है, सब का रहन-सहन बराबर नही होता, यह दूसरी बात है कि हम इस बात का स्वप्न करे और ईश्वर करे कि वह दिन आये जब हम सब लोग सुखी हो, बराबर अवस्था मे हो, लेकिन अभी हम मे भेद है, अवस्थाओ मे भेद है। पश्चिमी जिलों मे जहा साधन है वहा पर सवा ६ एकड़ से एक परिवार निर्वाह कर सकता है, लेकिन पूर्वी जिलो के लिये मै साफ कह देना चाहता हू कि वहा सड़को के नाम पर गर्द उड़ती है। पानी की कोई व्यवस्था नही है, तालाबो पर हमारे जमींदारो और ताल्लुकेदारो के पट्टे है जिसके कारण किसान उन तालाबो से पानी भी नही ले सकता। वहा के लिये वही व्यवस्था रखना कि सवा ६ एकड़ से ज्यादा कोई खेती करने के लिये भी नही ले सकता। मेरे ख्याल में यह उसके साथ ज्यादती होगी। मैने तो यह सुझाव दिया था कि १० एकड़ होना चाहिए लेकिन सिलेक्ट कमेटी ने उसे ८ एकड़ ही रखा। यह भी पर्याप्त नही है, लेकिन इससे कम करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं होगा।

कुछ सज्जनों ने एक बात-बार बार दुहराई है। यह कहा गया है कि जो मुआविजा है उसमे भेद नहीं होना चाहिये। मै नही समझ सका कि ऐसे लोग जमीदारो के हमदर्द है या उनके वास्तव मे घातक हैं। यह कहना कि मुआविजे में भेद नहीं रखा जाना चाहिये, साधारण नियम यह है कि हमारी रोज की दिनचर्या मे भेद है, भेद रखा जाना स्वा-भाविक सी बात है। किसी के लिये कम खूराक पर्याप्त है और किसी के लिए ज्यादा। ऐसी सूरत में हमारी सरकार ने उन छोटे जमींदारों को भी, जिनकी तादाद १८ लाख के लगभग है, जिनके पास जमीन बहुत कम है उनको भी ८ गुना मुआविजा देती तो वह नही के बराबर होगा। हम जो कहते हैं कि हम उनको अपने बल पर खड़े होने का साधन देते है गलत होता। इसलिये उन जमींदारों का जो कम से कम जमींदारी रखते हैं, उनके पास कुछ काश्त भी है, जमींदारी से वह निर्वाह नही कर पाते, उनको भी बड़े जमींदारों की तरह ८ या १० गुना मुआविजा देना उचित नही है। हमने अपनी योजना मे २० गुने से लेकर २ गुने तक पुनर्वासन अनुदान देने की व्यवस्था रखी है। इसके मानी यह है कि छोटे से छोटा जमींदार २८ गुने तक मुआविजा पा सकेगा। यह बात दूसरी है कि एक पार्टी इस योजना को सामने लाई है, अतएव उसके बारे में कुछ न कुछ कहना जरूरी है, लेकिन ठंडे दिल से हमारे माननीय सदस्य अगर इस पर विचार करे तो मैं समझता हूं कि उनको भी इस बात पर विश्वास होगा कि यह योजना हर प्रकार से उपयोगी है और देश को आगे बढ़ाने वाली है। कुछ लोगों का यह कहना है कि नहीं साहब, इसमे क्या फर्क हो जायगा। मैं समझता हूं कि यह बड़ी भ्रमात्मक बात है, भूल की बात है। एक सीधी सी और मोटी सी बात

[श्री भगवानदीन मिश्र]

है कि अगर कोई आदमी किसी मकान में किरायेदार की हैसियत से रहता है तो वह उस मकान की कितनी परवाह करता है। अगर माननीय सदस्य गौर करेंगे तो उनको पता चलेगा कि किरायेदार और मालिक मकान की हैसियत में कितना फर्क है। आज भी जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने कानून के जरिये से सब तरह की सुविधायें देकर किसान की जमीन को काफी सुरक्षित कर दिया है, तब भी दफा ६१ और ७३ के मातहत चार आने की बकाया पर बेदखलियां की गयीं और फिर नजराना वसूल किया गया। ऐसी सूरत में यह कहना कि साहब, नहीं, उनमें फर्क क्या होगा यह बात गलत है। मालिक बन जाने के बाद उनकी प्रवृत्ति बदलेगी, वे ज्यादा उन्नति कर सकेंगे और सरकार उन की ज्यादा सहायता कर सकेगी, कृषि की उन्नति करने में।

अन्त में एक बात और कहूंगा। यह जो जमींदारी खत्म करने की बात है, इसमें यह सोचना कि वास्तव में आज स्वतन्त्र भारत में भी जमींदार ही जमीन का मालिक है जिसको कि किसान नहीं हटा सकता। सरकार को तो हटा सकता है। किसान को पूरा अधिकार है कि हर तीसरे या पांचवें वर्ष जिस गवर्नमेन्ट को उचित नहीं समझता जिस व्यक्ति को उचित नहीं समझता उसको वह अपना अगुवा और मेम्बर नहीं बनायेगा। लेकिन जमींदार को हटाने का कोई हक किसान को नहीं है, क्योंकि जमींदार किसान का बनाया नहीं है। इसलिये बहुत आवश्यक यह बात थी कि स्वतन्त्र भारत में वह प्रथा जो सैकड़ों वर्षों से चली आती थी और किसान और सरकार के बीच में मध्यवर्ती जमाअत थी जो आज भी किसानों का शोषण कर रही है जिससे किसान पनप नहीं सका उसको खत्म करना और भूमि का प्रबन्ध और उसकी व्यवस्था करना यह हमारी सरकार के लिये परमावश्यक चीज थी और सरकार ने इसको बना कर और भवन के सामने लाकर एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया है। इसके लिये मैं सरकार को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री रोशन जमां खां—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब! हुकूमत की तरफ से इस ऐवान के सामने आज जमींदारी मिटाने का कानून पेश किया गया है। ऐसे कानूनों पर गौर करने से पहिले एक बड़ा ही अहम सवाल मौजूदा हिन्दुस्तान की हर सियासी पार्टी के सामने आना चाहिये। वह अहम सवाल यह है कि आया जो मौजूदा समाज हमारे मुल्क और सूबे का है उसको हम उसी तरह से कायम रखना चाहते हैं या उसको बदलना चाहते हैं। अगर आपका फैसला यह है कि हम स्टेट्स को मौजूदा समाज को जैसा कि वह कायम है आयन्दा भी कायम रखेंगे जो मुमकिन है कि आपका इस कानून से कुछ इत्मीनान, संतोष और खुशी हो। लेकिन वह लोग जो कि मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था को, सरमायादारी निजाम को एक सिरे से खत्म करके इस मुल्क के समाज को बराबरी के बुनियाद पर कायम करना चाहते हैं उनके लिये इस कानून में खुशी के बजाय रंज और अफसोस के लिये ज्यादा मुकाम है।

आज हमारे देश के देहातों में बसने वालों में बहुत से लोग हैं। एक बड़ी लम्बी तादाद उन लोगों की है जो खेतिहर मजदूर कहलाते हैं और उन खेतिहर मजदूरों में तो बड़ी अच्छी खासी तादाद उन लोगों की है जो दिन भर खेतों में वालियां बीनते हैं, दाने चुनते हैं और दिन भर के बाद कहीं जाकर कुछ दाने उनको मिल पाते हैं जिनमें बड़ी मुश्किल से उनकी बसर होती है। खेतिहर मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, लेकिन उसको पूरी मजदूरी नहीं मिलती। छोटे-छोटे किसान हैं जिनके पास छोटे-छोटे रकबे हैं जो उनका ही पेट पालने को काफी नहीं हैं, बाल-बच्चों की कौन कहे। एक जिले की बाबत तो मुझे काफी तौर से मालूम है कि कटहल की दाल उनके हमेशा खाने की चीज रही है। छोटे काश्तकारों को छोड़ने के बाद बहुत मामूली सी तादाद उन बड़े काश्तकारों या किसानों की है कि जिनको आप कह सकते हैं कि वे खुशहाल

हैं। खुद हुकूमत की जमींदारी अबालीशन रिपोर्ट में यह चीज निहायत वजाहत के साथ बयान कर दी गई है कि इस वक्त हमारे सूबे में ४० फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास खाने भर के लिये गल्ला पैदा नहीं होता और न उनके पास और कोई काम का जरिया है। सिर्फ ३३ फीसदी किसान ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, काश्तकारी करते हैं और उनके पास खा-पीकर सब बराबर हो जाता है। सिर्फ २७ फीसदी किसान ऐसे हैं कि जिनके पास खाने-पहनने और कर्ज अदा करने के बाद कुछ थोड़ा सा बच रहता है। जहां तक जमींदारों का सवाल है छोटे जमींदार में ५,००० रुपया मालगुजारी तक के जमींदार को नहीं गिनता, बल्कि ढाई सौ रुपया तक मालगुजारी अदा करने वाले को छोटा जमींदार समझता हूं और उनके ऊपर जितने जमींदार हैं वे बड़े जमींदार हैं—छोटे जमींदारों की हालत किसानों से अच्छी नहीं है, जो बड़े जमींदार हैं उनकी हालत जरूर अच्छी है। इस निजाम को इस हालत को, बदलने के लिये अगर हम तैयार हैं तो हमें एक-दूसरे ही नुक्तेनिगाह से इस सारे कानून पर गौर करना पड़ेगा। हमें ऐसा कानून बनाने से पहिले एक प्लान तैयार करना होगा, एक नकशा तैयार करना होगा, एक खाका बनाना होगा जिसकी बुनियाद पर हम नये-नये इस्लाहात करेंगे। लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की पार्टी दोनों न सिर्फ स्टेट्स कओ की पार्टी बन कर रह गई हैं बल्कि साथ ही साथ वह बिला किसी प्लान के हर काम करने के लिये तैयार रहती है। आज हमारे वजीर माल साहब ने निहायत फख्र के साथ फरमाया कि इस कानून के लाने में, कोई देर नहीं हुई है। उन्हीं के जिले के दूसरे मुअज्जिज मेम्बर साहब ने कहा कि न इस कानून के लाने में देर हुई और न जल्दी ही हुई है। ठीक है, यह आपके बमूजिब देर न हो लेकिन सवाल यह है कि जब आपने सन् १९४६ ई० में, बल्कि सन् १९४६ से भी पहले सन् १९४५ में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह लिख दिया था कि हम जमींदारी खत्म करेंगे तो क्या आप जमींदारी को मिटाने में इतनी देर करने के मुस्तहक थे?

डाक्टर राम मनोहर लोहिया की उस स्पीच का हवाला दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि २४ घंटे के अन्दर जमींदारी खत्म हो सकती है और उसका मजाक सा उड़ाया गया है, लेकिन आज क्या कांग्रेस के दोस्त इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि उनके साथी शेख अबदुल्ला वजीरे आजम काशमीर ने किस तरह से एक नोटिफिकेशन के जरिये वहां जमींदारी को खत्म कर दिया और अगर आप हमारे कांग्रेसी दोस्त इस पर बोलते हैं तो मैं कह दूं, अदब के साथ , कि उन्हें पता नहीं है कि आपकी मरकजी सरकार और सरदार पटेल ने अबदुल्ला के इस इरादे में रुकावट डालने की पूरी कोशिश की। २४ घंटे की बात है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पर एतराज हो सके। २४ घंटे की चीज का मतलब यह है कि जिस तरह से आप इस कानून के जरिये से आप सरकार को इस बात का अख्तियार देते हैं कि वह एक नोटिफिकेशन जारी करे कि आज से सारी जमींदारी, सारी जायदाद , सारे खेत, सारे हकूक, हुकूमत के पास आ गए, उसी तरह से जब २४ घंटे की बात कही जाती है तो उसका मतलब यह होता है कि अगर आप एक चीज को करना चाहते हैं तो उसके लिये एक ऐलान जारी कीजिए कि आज से जमींदारी खत्म हुई और उसके बाद किसान यह लगान सरकार को अदा करें। दूसरी और जो चीजें हैं वे बाद को तय होंगी कि मुआविजा दिया जाय या नहीं।

एक सदस्य—और भी लम्बी स्पीच दें।

श्री रोशन जमां खां—जी, लम्बी स्पीच नहीं है। आप समझ लें ५-६ मिनट और हैं, कल तकरीर होगी। बहरहाल आप घबरायें नहीं, कल और मजेदार तकरीर सुनेंगे और मुमकिन है कि इस ऐवान में गर्मी भी पैदा हो। मैं आज तो चाहता नहीं कि इस ठंडक में ज्यादा गर्मी पैदा करें क्योंकि आप लोगों को शायद ज्यादा तकलीफ महसूस होगी।

एक सदस्य—क्या जमींदारी एक नोटिफिकेशन के जरिये से खत्म हो सकती है।

श्री रोशन जमां खां--हमारे करीब में बैठे हुए कांग्रेसी दोस्त फरमाते हैं कि क्या जमींदारी एक नोटिफिकेशन के जरिये खत्म हो सकती है। अफसोस है, शायद उन्होंने मौजूदा बिल को पढ़ा नहीं। उसमें खुद ही लिखा है कि सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करे कि जमींदारी खत्म कर दी गई और फिर सारे हुकूक हिज मैजेस्टी या गवर्नमेंट मे वेस्ट हो जायेंगे। फिर कैसे कांग्रेस बेंचेज पर बैठे हुए लोग ऐसी बात कर सकते हैं ! हां ! अगर वह किसी चीज को पढ़ना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते तो बात और है।

जहां तक डिले (देरी) की बात है उसके लिये तो हमारे वज़ीरे माल साहब बहुत ज्यादा मुजरिम हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव आया, हमारे वज़ीरे माल साहब ने सूबे का दौरा किया, हर जगह कहा कि अब के आइन्दा जून तक, हमारी रिपोर्ट शाया हो जाएगी। अप्रैल, १९४८ ई० मे एलेक्शन हो रहा था।

माननीय माल सचिव--मैं अपने लायक दोस्त को याद दिलाना चाहता हूं कि बजट सेशन के सिलसिले में मुझसे जब सवाल किया गया कि पहिली जून तक क्या जमींदारी खत्म हो जायगी तो मैंने जवाब दिया था कि यह पहिली जून तक कैसे हो सकता है, जो आप फरमाते हैं मैंने नहीं कहा।

श्री रोशन जमां खां--हमारे माल सचिव ने सुनने की कोशिश नहीं की। मैंने बजट स्पीच का हवाला नहीं दिया। मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलेक्शन का जो अप्रैल १९४८ ई० मे हुआ था और उसके सिलसिले में आपने जो दौरा किया था उसका हवाला दे रहा हूं। उसमें आपने कहा था कि जून १९४८ ई० तक हमारी रिपोर्ट शाया हो जायगी और गोरखपुर पहुंच कर वहां वह तकरीर की जो सर जगदीश प्रसाद को ही जेबा देती है, वहां उन्होंने कहा कि हमें जमींदारी का बहुत ज्यादा इन्तजाम करना है इसलिये ऐसे मामले में देरी होना जरूरी है। बजट का सेशन जब आया और उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जमींदारी मिटाने का सवाल सिर्फ चन्द महीनों का है। जनाब वाला चन्द महीना क्या साल भर हो गया, मैं अर्ज करूंगा कि इस कानून के लाने में और इस कानून के बनाने में सरकार की तरफ से बहुत काफी देरी हुई है।

एक सदस्य--यह आपकी हौसला अफ़जाई के लिये।

श्री रोशन जमां खां--जो प्लान कि अब तैयार किया गया है उसी से साबित है कि सरकार ने ज़मींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें कहीं, जब बिल इस ऐवान में आया तो उसमें पूरे तौर पर उन उसूलों को जो ज़मींदारी अबालीशन कमेटी ने बनाये थे, खत्म किया गया। इसके बाद जो उसूल उन्होंने इस बिल में रखे थे उनको इस सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में खत्म करने की कोशिश की गई है और जनाब वाला एक चीज और मैं इस ऐवान की तवज्जह के लिये कहे देता है और यह हक़ीकत है कि इस ऐवान के बाहर इस वक्त कांग्रेस के मुकाबले में एक ही विरोधी दल है और वह सोशलिस्ट पार्टी है। इस सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर जो इस ऐवान में सिर्फ तीन हैं उन्होंने इस बात को अपनी तौहीनी समझा कि वे यह कहते कि हम लोगों को भी सेलेक्ट कमेटी में जगह दी जाय। लेकिन क्या आपका यह फर्ज नहीं था और आप जबकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी की हैसियत से काम करना चाहते हैं और अगर आप यह चाहते है कि एक सही विरोधी दल को राय सेलेक्ट कमेटी में शामिल हो, तो आपका यह फ़र्ज था कि सेलेक्ट कमेटी में उनमें से यानी सोशलिस्ट पार्टी में से लेते। लेकिन आपने सोशलिस्ट पार्टी, जो कि एक प्रोग्रेसिव प्रगतिवादी प्रतिक्रियावादी संस्था है, उसके बजाय रिऐक्शनरी, प्रतिक्रियावादी रज--अत पसन्द लोगों को सेलेक्ट कमेटी में भरने की कोशिश की। उसका नतीजा यह हुआ

कि नोट आफ डीसेन्ट जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट मे देखने को मिलता है वह प्रतिक्रियावादी और रजअत पसन्द लोगो का तैयार किया हुआ है, जो तरक्की पसन्द जमाअत का नुक्तेनिगाह हो सकता है, उसकी सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में झलक नही है।

डिप्टी स्पीकर--अब हम उठते हैं। आप अपनी तकरीर कल जारी रखिए।

(इसके बाद भवन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
मन्त्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त।

लखनऊ,
९ जनवरी, सन् १९५० ई०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

विवरण-पत्र

जिला	लोहा
१—मुजफ्फरनगर	१२ टन
२—मेरठ	३३ ,,
३—अलीगढ़	२० ,,
४—आगरा	१८ ,,
५—मैनपुरी	३ ,,
६—बरेली	२६ ,,
७—बिजनौर	३ ,,
८—मुरादाबाद	६ ,,
९—इटावा	३ ,,
१०—कानपुर	१८ ,,
११—जौनपुर	२४ ,,
१२—देवरिया	१२ ,,
१३—आजमगढ़	६ ,,
१४—नैनीताल	६ ,,
१५—लखनऊ	१२ ,,
१६—फैजाबाद	४५ ,,
१७—प्रतापगढ़	४२ ,,

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

युक्त प्रान्तीय तेल की कम्पनियों द्वारा अलग-अलग प्रतिमास प्राप्त किये हुए पेट्रोल की मात्रा का विवरण

(१) अक्तूबर सन् १९४८ ई० से जून सन् १९४९ ई० तक

क्रम-संख्या	महीनों के नाम		बर्मा शेल आयल कं०	इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कं०	कैल्टेक्स इंडिया कं०	स्टैंडर्ड वैकुअम आयल कं०
			गैलन	गैलन	गैलन	गैलन
१	अक्तूबर, १९४८	..	५,१२,४९६	१,१४,६८७	१,६१,३०२	१,६२,९५५
२	नवम्बर, १९४८	..	५,०१,७४९	१,४२,१३९	१,६२,५६७	२,२२,२०४
३	दिसम्बर, १९४८	..	६,५२,८८४	१,७८,३८०	२,२०,४८९	२,७१,१७७
४	जनवरी, १९४९	..	६,७१,०८०	१,०५,२१०	१,३२,६८२	१,८०,९४०
५	फरवरी, १९४९	..	६,००,०३१	१,१०,१२६	१,७३,९६४	२,०४,८२८
६	मार्च, १९४९	..	७,८०,३६७	१,५१,७१७	२,०४,८०९	३,३८,०७३
७	अप्रैल, १९४९	..	८,३८,०००	१,११,४६०	१,६१,९४०	२,३९,९००
८	मई, १९४९	..	८,०७,३११	१,३६,९७०	१,९९,९६०	२,६३,६९८
९	जून, १९४९	..	८,१९,१८४	१,१६,२७२	१,६५,५६०	१,६८,८२२

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

विद्यालयों के सहायक निरीक्षकों (डिप्टी इन्सपेक्टरों) के लिये नौकरी के नियम

५—(१) भर्ती के साधन—(अ) इन नियमों के पांचवे भाग मे निर्धारित प्रत्यक्ष रीति के अनुसार तथा

(आ) इन नियमों के छठवे भाग मे निर्धारित रीति के अनुसार उप-सहायक निरीक्षकों (सब-डिप्टी इन्सपेक्टरों) की पदोन्नति द्वारा.............नौकरी मे भर्ती की जायगी।

किन्तु प्रत्येक तीन स्थायी रिक्त स्थानों मे से दो की पूर्ति प्रत्यक्ष द्वारा तथा तृतीय की पूर्ति किसी उप-सहायक निरीक्षक (सब-डिप्टी इन्सपेक्टर) की पदोन्नति द्वारा की जायगी।

(२) किन्तु प्रत्यक्ष भर्ती से संबंधित नियमों की अभीष्ट दशाओं की पूर्ति करने की अवस्था में उप-सहायक निरीक्षकगण (सब-डिप्टी इंसपेक्टरों) भी सहायक निरीक्षण (सब-डिप्टी इन्सपेक्टर) स्वरूप प्रत्यक्ष भर्ती के लिये समर्थ हो सकेंगे।

८-व—(अ) नियम ५ (१) (अ) के अन्तर्गत भर्ती किये जाने वाले पदार्थी का वय भर्ती-वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को निश्चित रूप से पूरे २८ वर्ष का होना चाहिये और पूरे ३३ वर्ष से कम होना चाहिये।

(आ) ५ (१) (अ) के अन्तर्गत भर्ती किये जाने वाले पदार्थी का वय भर्ती-वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को पूरे ५० वर्ष से कम होना चाहिये।

९—शिक्षा संबंधी योग्यतायें—नियम ५ (१) (अ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष भर्ती के लिये तब तक समर्थन होगा जब तक कि—

(१) उसने संयुक्त प्रान्त मे विधिपूर्वक संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की अथवा गवर्नर द्वारा इस हेतु मान्य अन्य किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि तथा शिक्षा की ऐसी उपाधि के अभाव मे गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज अथवा गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कालेज, प्रयाग के एल० टी० का उपाधि-पत्र अथवा लखनऊ या आगरा के गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेजों मे से किसी का प्रमाण-पत्र अथवा इस हेतु युक्त प्रान्त मे विधिपूर्वक संस्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा गवर्नर द्वारा मान्य किसी अन्य विश्वविद्यालय की शिक्षा का उपाधि-पत्र न प्राप्त कर लिया हो, तथा

(२) बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इंटरमीडियेट एजूकेशन, युक्त प्रान्त द्वारा संचालित हाई स्कूल की अथवा युक्त प्रान्त की विभागीय परीक्षा के रजिस्ट्रार द्वारा संचालित वर्तमान भारतीय भाषाओं की विभागीय विशिष्ट परीक्षा (डिपार्टमेंटल स्पेशल इक्जामिनेशन) जैसी कोई सार्वजनिक परीक्षाओं द्वारा परीक्षित प्रान्त की किसी एक भाषा (उर्दू अथवा हिंदी) का पर्याप्त ज्ञान न रखता हो, तथा

(३) किसी मान्य पाठशाला मे शिक्षक स्वरूप अथवा उप-सहायक निरीक्षक (सब-डिप्टी इसपेक्टर) स्वरूप कम से कम ३ वर्षों की अनुमोदित सेवा न की हो।

विद्यालयों के उप-सहायक निरीक्षकों (सब-डिप्टी इन्सपेक्टरों) के लिये नौकरी के नियम

तृतीय भाग—भर्ती

५—भर्ती—नौकरी में भर्ती प्रत्यक्ष रूप से तथा—

(१) इन नियमों के पांचवें भाग में निर्धारित रीति के अनुसार प्रधानाध्यापकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों में से तथा

(२) इन नियमो के छठवे भाग मे निर्धारित रीति के अनुसार प्रधानाध्यापकों मे से की जावेगी

किन्तु स्थायी रिक्त स्थानो मे भर्ती इस प्रकार से की जावेगी कि इस श्रेणी के १० प्रतिशत स्थानो पर सदैव प्रधानाध्यापक नियुक्त रहेगे।

६—साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व—(१) पाचवे नियम के अतर्गत नौकरी मे प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्तिया करते समय विभिन्न सम्प्रदायो को उचित प्रतिनिधित्व देने तथा किसी एक वर्ग अथवा सम्प्रदाय के बाहुल्य को रोकने के लिये उचित ध्यान रखा जायगा।

(२) शिक्षा विभाग मे सचालक किसी विशिष्ट सम्प्रदाय अथवा वर्ग के लिये सुरक्षित रखे जाने वाले स्थानो की सख्या का निणय करेगे तथा निर्णय की सूचना कमीशन को देगे।

८—वय जिस वर्ष मे भर्ती की जाने को है, उसकी जनवरी के प्रथम दिन को भर्ती किये जाने वाले पदार्थी का वय।

(१) नियम ५ (१) के अन्तर्गत निश्चित रूप से पूरे २२ वर्ष का होना चाहिये और पूरे ३० वर्ष से कम होना चाहिये।

(२) नियम ५ (२) के अतर्गत निश्चित रूप से पूरे ३० वर्ष का होना चाहिये और पूरे ४५ वर्ष से कम होना चाहिये।

९—शिक्षा सबधी योग्यताये नियम ५ (१) के अतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष भर्ती के लिये तब तक समर्थ न होगा जब तक कि—

(१) उसने सयुक्त प्रान्त मे विधिपूर्वक सस्थापित किसी विश्वविद्यालय की अथवा गवर्नर द्वारा इस हेतु मान्य अन्य किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि तथा शिक्षा की ऐसी उपाधि के अभाव में गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज अथवा गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कालेज प्रयाग के एल० टी० का उपाधि—पत्र अथवा युक्त प्रान्त की विभागीय परीक्षाओ के रजिस्ट्रार द्वारा प्रदत्त आग्ल—हिन्दुस्तानी परीक्षक का प्रमाण-पत्र अथवा युक्त प्रान्त मे विधिपूर्वक संस्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा गवर्नर द्वारा मान्य किसी अन्य विश्वविद्यालय की शिक्षा का उपाधि—पत्र न प्राप्त कर लिया हो तथा—

(२) बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इटरमीडिएट एजूकेशन युक्त प्रान्त द्वारा सचालित हाई स्कूलो की अथवा युक्त प्रान्त की विभागीय परीक्षाओ के रजिस्ट्रार द्वारा सचालित विभागीय विशिष्ट हिन्दुस्तानी परीक्षा (डिपार्टमेंटल स्पेशल वर्नाक्युलर इक्जामिनेशन) जैसी कोई सार्वजनिक परीक्षाओ द्वारा परीक्षित प्रान्त की किसी एक भाषा (उर्दू अथवा हिन्दी) का पर्याप्त ज्ञान रखता हो। किन्तु उपर्युक्त परिच्छेद (१) मे निर्धारित योग्यताओ के प्रति परिगणित जाति के पदार्थियो के लिये युक्त प्रान्त के विभागीय परीक्षाओ के रजिस्ट्रार द्वारा प्रदत्त आग्ल—हिन्दुस्तानी शिक्षक का प्रमाण—पत्र न्यूनतम योग्यता होगी।

(३) नियम ५ (२) के अतर्गत भर्ती किये जाने वाले प्रधानाध्यापको की दशा मे जिन्होने हाई स्कूल ऐन्ड इंटरमीडियेट एजूकेशन युक्त प्रान्तीय द्वारा सचालित हाई स्कूल परीक्षा अथवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हे वरीयता दी जायगी।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर)

शिकायतों की सूची

तिथि	नाम ए न० ल० ०	शिकायत का सारांश	शिकायत पर कार्रवाई
२४-१-४९	श्री अदील अब्बासी	(अ) ११२३ नं० गाड़ी समय पर न पहुंचने के विषय में	स्टाफ को उचित हिदायत कर दी गई है।
		(ब) गाड़ी की रफ्तार २० मील से अधिक होने के विषय में	गाडी के अन्दर लगा हुआ स्पीड कंट्रोलर गैस्केट फिर से चेक किया गया।
		(स) गाड़ी के अन्दर धूल अधिकता से आने के विषय में,	गाड़ी के अन्दर फर्श की दराजे लोहे की पत्तियों से और दरवाजे के पास की दराजें लकड़ी तथा रबड़ लगाकर बन्द की गई और कानपुर सेंट्रल वर्कशाप को भी गाड़ियों में इस शिकायत को दूर करने की सूचना दी गई।
		(ड) स्टेशन पर यात्रियों का सामान रखने के लिये कुलियों के विषय में	कुलियों का पर्याप्त प्रबन्ध स्टेशन पर किया गया है।
		(क) ३६१८ नं० की गाड़ी में शिकायत की किताब न मिलने के विषय में	कन्डक्टर को आगाह कर दिया गया है।
		(ख) ३९१८ नं० की गाड़ी पुरानी होने के विषय में	गाड़ी की मरम्मत कर दी गई
		(ग) गाड़ी में यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की असुविधा के विषय में	गाड़ी में खड़े हुए यात्री मोटर गाड़ी विधान १४० (अ) के अनुसार ले जाये जाते हैं। खड़े होने का टिकट केवल उन्हीं यात्रियों को दिया जाता हैं, जिन्हें बहुत थोड़ी दूर जाना होता है।
२६-१-४९	श्री मी० सुलेमान	अन्दर से टिकट न मिलने के विषय में	यात्री खिड़की पर लाइन में खड़े होकर बाहर से टिकट ले सकते हैं। अन्दर से टिकट बांटने की प्रथा ठीक न होने से किसी को अन्दर टिकट नहीं दिया जाता।
२६-५-४९	श्री रामेश्वर लाल	(अ) लकड़मंडी स्टेशन पर कुली न होने के विषय में	उचित प्रबन्ध कर दिया गया है।

तिथि	नाम एम० एल० ए०	शिकायत का सारांश	शिकायत पर कार्रवाई
		(ब) लकड़मंडी स्टेशन पर पानी का नल होने की आवश्यकता के विषय में	प्रबन्ध किया जा रहा है ।
		(स) लकडमंडी स्टेशन पर स्टाफ के रहने का यथोचित प्रबन्ध के विषय मे	प्रबन्ध किया जा रहा है ।
		(ड) मुसाफिरखाने की छत टीन के बजाय फूस का छप्पर होने के विषय मे	मुसाफिरखाने की छते छप्पर की नही बनाई जा सकती है क्योंकि उनमे आग लगने की अधिक संभावना है । टीन की छतो के नीचे लकड़ी के तख्ते इत्यादि लगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।
		(क) लकड़ मडी स्टेशन से गाड़ियाबढ़ाने के विषय में	यात्रियो की अधिकता होने पर या और कोई खास वजह मालूम हो तो गाड़ियां बढ़ाई जाती हैं ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर)

जिला इलाहाबाद

प्रश्न-संख्या	नाम और पता	सिफारिश करने वाला	जेल जाने की अवधि
१	श्री काशीनाथ जैसवाल, क्रास्थवेट रोड, इलाहाबाद	एस० पी० ..	सन् १९४२ के आंदोलन में तीन साल की सज़ा
२	श्री छोटेलाल गुप्ता, शंकरगढ़, इलाहाबाद	सुपरिन्टेंडेंट पुलिस ..	सन् १९४२ के आंदोलन में १साल की सज़ा
३	श्री रामेश्वर प्रसाद, खुल्दाबाद, इलाहाबाद	सभापति, जिला कांग्रेस कमेटी, इलाहाबाद	"
४	श्री भगवान दीन, निहालपुर, इलाहाबाद	डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ..	सन् १९४२ के आंदोलन में ८ माह की सज़ा
५	श्रीमती गिरीश कुमारी, बरांव कोठी, इलाहाबाद	सरकार की आज्ञा से	एक राजनीतिक पीड़ित की आश्रिता
६	श्री अल्लाबख्श, अटाला, इलाहाबाद	एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट	सन् १९४२ के आंदोलन में संपत्ति लूट ली गई
७	श्री यदुनाथ सिंह, शहरारा बाग़, इलाहाबाद	सालिगराम जैसवाल एम० एल० ए०	कई आन्दोलनों में जेल गये तथा एक साल तक फरार रहे

१९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल पर संयुक्त विशिष्ट समिति (ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी) की रिपोर्ट

१––ज़मींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था बिल विचार करने के लिये संयुक्त विशिष्ट समिति को सौंपा गया था। हम लोगों ने, जो इस समिति के मेम्बर हैं, इस बिल पर विचार किया है और अपनी रिपोर्ट के साथ नत्थी करके संशोधित बिल प्रस्तुत करते हैं।

२––समिति ने २, ३, ५, ६, ७, ८ सितम्बर को और २४ से २९ अक्तूबर तक और ११, १३ और १४ नवम्बर तथा ४, ५, ६, १९ और २१ दिसम्बर, १९४९ ई० को अपनी बैठकें कौंसिल हाउस में की।

३––हमने बिल की प्रत्येक धारा पर वाद–विवाद किया है और उसमे बहुत से संशोधन किये है, जिनमे से सब संशोधन समान महत्व के नहीं हैं। हमने बहुत से ऐसे परिवर्तन किये हैं जिनसे महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर प्रभाव पड़ता है। अन्य संशोधन या तो केवल वाक्य–रचना (आलेखन) सम्बन्धी हैं या दूसरे संशोधनो के परिणामस्वरूप करने पड़े हैं इस रिपोर्ट मे केवल उन्हीं संशोधनों की चर्चा की गई है जिनका प्रभाव महत्वपूर्ण सिद्धान्तो पर पड़ता है। अन्य संशोधन हमारे दोहराये हुये बिल के आलेख से मालूम हो जायेंगे।

अध्याय १

प्रारम्भिक

४––इस बिल की धारा १ (२) में उन क्षेत्रों का विवरण दिया है जहां पर यह बिल लागू न होगा। इस धारा के उपखंड (ग) मे यह निदेश है कि यह बिल ऐसे आस्थानों पर लागू न होगा जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अधिकार में रखे गये हों या प्राप्त किये गये हों। "सार्वजनिक प्रयोजन" पद विवादास्पद है। अतएव हमने यह काम सरकार के लिये छोड़ दिया है कि वह इस बात की घोषणा करे कि सार्वजनिक प्रयोजन क्या है। इस सम्बन्ध मे हमने उपधारा (२–क) बढ़ा दी है, जिसमे यह निदेश रखा गया है कि इस विषय मे प्रान्तीय सरकार की घोषणा निश्चायक होगी। इस सम्बन्ध में एक अपवाद यह रखा गया है कि ऐसी भूमि जो ७ जुलाई, १९४९ ई० से पहले गृह–निर्माण की किसी योजना के लिये प्राप्त की गई हो, सार्वजनिक उपयोगिता के किसी निर्माण–कार्य के लिये प्राप्त की गई समझी जायगी। हमारी राय में यह बात आवश्यक थी, ताकि विकास की योजनाओं को धक्का न पहुँचे।

हाल ही में संयुक्त प्रान्त में विलीन हुये बनारस, रामपुर और टेहरी-गढ़वाल राज्यों के प्रदेशों को सम्मिलित करने के प्रयोजन से हमने एक नये खंड (घ) का भी समावेश कया है।

ं—धारा २ में यह व्यवस्था की गई है कि यह बिल ऐसे किसी क्षेत्र पर लागू ो या तो म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, कंटूनमेंट या टाउन एरिया घोषित किया गया हो या इसके बाद घोषित किया जाय या उसमें सम्मिलित हो। यदि कोई ऐसा क्षेत्र, जिसमें इस बिल के निदेशों के अधीन नये अधिकार उत्पन्न होते हों, बाद में किसी म्युनिसिपैल्टिी में मिला लिया जाय. तो यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि इसका नये प्राप्त किये ये अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस असंगति (anomaly) को दूर करने के लिये हमारी यह राय है कि इस बिल के निदेशों में ऐसे म्युनिसिपल क्षेत्र ही सम्मिलित किये जाने चाहिये जो ७ जुलाई, १९४९ ई० को विद्यमान थे अर्थात् उस दिनांक को विद्यमान थे जब यह बिल व्यवस्थापिका सभा में प्रस्तुत किया गया था। नये म्युनिसिपल क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था होगी यह बात एक पृथक् विधान का विषय होगा, जिसका प्रस्ताव उद्देश्यों और कारणों के विवरण में किया गया है।

—हमने "पट्टा" और "खान" शब्दों की दो अतिरिक्त परिभाषाओं श किया। ये परिभाषायें अध्याय ६ के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हैं जिसमें खानों और खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। हमने पट्टे की परिभाषा में शिकमी पट्टा (sub-lease), भावी पट्टा (prospecting lease) या पट्टे पर या शिकमी पट्टे पर उठाने का अनुबन्ध (agreement to lease or sub-let) भी सम्मिलित किया है। हमने "खान" की परिभाषा यों रख दी है कि इसमें ऐसा खोदा हुआ गर्त सम्मिलित है जहां पर खनिज पदार्थों को खोजने या प्राप्त करने के लिये कोई काम किया गया हो या किया जा रहा हो, किन्तु उसमें तत्सम्बन्धी कोई निर्माण कार्य, मशीनें, ट्रामवे — साइडिंग (siding) सम्मिलित न होंगे। हमने यह बात भी कह दी है कि केवल इसी दशा में चालू समझी जायगी जबकि उसमें काम प्रारम्भ होने की डयन माइंस ऐक्ट, १९२३ की धारा १४ के अधीन दी गई हो।

धारा १

ने "गांव" शब्द की परिभाषा विस्तृत कर दी है, जिससे कि उसमें ऐसी ा भी समावेश हो जायगा जबकि सम्पूर्ण गांव एक ही जगह पर न हो या गांव के भिन्न-भिन्न भाग भिन्न-भिन्न जिलों में पड़ते हों।

७—हमने पहले अध्याय की धारा ४ निकाल दी है, जिसमें यूनाइटेड प्राविंसेज वेन्यू ऐक्ट, १९०१ ई० और यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ ई० के उन क्षेत्रों में रद्द किये जाने का वर्णन है जो धारा ६ के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति में दिए गये हैं। हमने अध्याय १२ में, जिनमें विविध विषयों का वर्णन किया गया है, निवर्तन (repeal) के सम्बन्ध में व्यापक शब्दावली में एक नई धारा का समावेश किया है।

अध्याय २

मध्यवर्तियों के स्वत्वों का हस्तगत किया जाना और उनके परिणाम

८—धारा ५ में इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई है कि प्रान्तीय सरकार ने संयुक्त प्रान्त में स्थित सभी आस्थानों को हस्तगत करने का निश्चय किया है। हम इस प्रकार की घोषणा को अनावश्यक समझते हैं, विशेषतः संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९ के प्रवर्तित हो जाने के बाद। अतएव हमने इस धारा को निकाल दिया है और तदनुसार धारा ६ तथा ७ में परिवर्तन कर दिये हैं।

धारा १ और १४

९—धारा ८ के विषय के सम्बन्ध में बहुत कुछ बहस हुई। हमने यह निश्चय किया कि कुओं को स्वत्वाधिकार में लाने की बात को छोड़ कर इस धारा में कोई और परिवर्तन न किया जाय। अतएव हमने यह व्यवस्था की है कि ऐसे निजी कुओं के अतिरिक्त जो आबादियों, खातों अथवा बागों में स्थित हैं, सभी कुयें महामहिम (His Majesty) को हस्तान्तरित हो जायेंगे और उनके स्वत्वाधिकार में आ जायेंगे।

अभिप्राय को और अधिक स्पष्ट करने के लिये हमने इस बिल में प्रयुक्त शब्द "हाटों" और "बाजारों" के बाद शब्द "मेलों" बढ़ा दिया है।

हमने धारा ८ में एक पृथक् खंड (झ) बढ़ाया है, जिसका अभिप्राय यह है कि स्वत्वाधिकार में आने के दिनांक पर सब वर्तमान महाल और उनके सब उप-विभाग और मालगुजारी की अदायगी के सब अनुबन्ध समाप्त हो जायेंगे। स्वत्वाधिकार में आने का यह अनिवार्य परिणाम है और हमारी राय में इस बात का स्पष्ट निरूपण कर देना है।

धारा १५

१०—हमने धारा ९ के खंड (ख) में से शब्द "नियत किये जाने वाले" दिये हैं जिससे कि ऐसे सब देय (dues) जो स्वत्वाधिकार के दिनांक वसूल किये जाने योग्य हो गये हों, अब भी उसी तरह से वसूल किये जा सकेंगे अब तक किये जाते थे।

रा १७

११—धारा १० और ११ में यह व्यवस्था की गई है कि निजी जंग मीनाशयों के सम्बन्ध में जो संविदे (मुआहिदे) ८ अगस्त, १९४६ ई० के बाद हों, वे स्वत्वाधिकार के दिनांक से व्यर्थ (void) हो जायंगे, किन्तु दिनांक से पहिले के संविदों (मुआहिदों) पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अभिप्राय के सम्बन्ध में सम्भव सन्देहों को मिटाने के लिये हमने धारा ११ दिया है और उसके निदेशों को धारा १० की एक उपधारा के रूप में भाषा द रख दिया है।

ा १८

१२—धारा ८ (क) में कुओं के स्वत्वाधिकार में आने के सम्बन्ध में परिवर्तन के अनुरूप ही हमने धारा १२ में आवश्यक परिवर्तन किया है। इससे यह बात

स्पष्ट हो जाती है कि आबादियों, खातों अथवा बागों में स्थित केवल निजी कुओं को ही उनके वर्तमान स्वामी अपने अधिकार मे रखेंगे। अन्य सब कुएं महामहिम (H.s M-jesty) के स्वत्वाधिकार मे आ जायंगे।

१३—उन सीरदारों की सीर की हदबंदी की व्यवस्था धारा १३ मे की गई है, जो यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट की धारा १६ के निदेशों के अनुसार २५० रु० के ऊपर माल्गुजारी देते हो, ताकि ऐसे खेत जिनमे काश्तकारों ने मौरूसी अधिकार प्राप्त कर लिये हों, अन्य खेतों से पृथक् किये जा सकें। इस धारा के सम्बन्ध में दो बातों पर वाद-विवाद हुआ:—

(१) सीर की हदबन्दी की जो व्यवस्था इस धारा में की गई है क्या उसे छोड़ दिया जाय, और

(२) यदि हदबन्दी (Jemarcati.n) की व्यवस्था न की जाय, तो क्या सीर के सब काश्तकार धारा २१ (क) के अधीन अधिवासी हो जायं या उन सबको मौरूसी काश्तकार घोषित कर दिया जाय, ताकि वे धारा २० के अधीन सीरदार हो जायं।

हम सब लोग इस बात से सहमत थे कि हदबन्दी सम्बन्धी कार्रवाइयों के कारण अध्याय ३ के अधीन प्रतिकर निर्धारित करने में बहुत विलम्ब होगा और इसलिये इसे छोड़ दिया जाय। हम लोगों ने बहुमत से यह भी तय किया कि २५० रु० से अधिक मालगुजारी देने वाले जमींदारों की सीर के सब काश्तकारों को मौरूसी काश्तकार बना दिया जाय। तदनुसार हमने इस धारा की वाक्य-रचना फिर से की है और धारा १४ में आवश्यक परिणामी परिवर्तन कर दिया है।

१४—मध्यवर्तियों के अधिकारों को हस्तगत करने के कारण किसी ठेकेदार की निजी जोत पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन धारा १५ में किया गया है। यदि किसी ठेकेदार की निजी जोत की भूमि किसी मध्यवर्ती की सीर या खुदकाश्त हो तो वह धारा १९ के अधीन उक्त मध्यवर्ती की भूमिधरी हो जायगी और ठेकेदार उसका असामी हो जायगा जो ठेके की अवधि समाप्त होने पर या स्वत्वाधिकार में जाने के दिनांक से ५ वर्ष व्यतीत होने पर, जो भी अवधि कम हो, बेदखल हो सकेगा। यदि ठेकेदार की निजी जोत की भूमि सीर या खुदकाश्त से भिन्न हो और उसका क्षेत्रफल ५० एकड़ से अधिक न हो, तो ठेकेदार उसका मौरूसी काश्तकार समझा जायगा और वह धारा २० के अधीन सीरदार हो जायगा। यदि क्षेत्रफल ५० एकड़ से अधिक हो, तो वह ५० एकड़ का मौरूसी काश्तकार हो जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि किसी कृषि-फार्म का भाग न हो और उस फार्म को कुशलता और सफलता से चलाने के लिये और अधिक क्षेत्र आवश्यक न हो। ऐसी दशा में कलेक्टर उसको मौरूसी काश्तकार के रूप में अपने पास ५० एकड़ से अधिक भूमि रखने का अधिकार दे सकता है और इसके लिये उसको मौरूसी दरों से लगाये गये लगान से पांच गुनी धनराशि देनी होगी। हमने इन निदेशों पर काफी सोच-

विचार किया है और हमारी यह राय है कि ५० एकड़ की सीमा को घटा कर ३० एकड़ कर दिया जाय। बिल में अधिक से अधिक ३० एकड़ भूमि की जोत रखी गई है। हमें इस बात का कोई सबल कारण नहीं मालूम होता कि स्वत्वाधिकार में जाने के दिनांक के बाद किसी ठेकेदार को क्यों ३० एकड़ भूमि से अधिक भूमि रखने की अनुमति दी जाय, क्योंकि उसको उसके ठेकेदारी के अधिकारों की हानि के बदले में, प्रतिकर देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी मालूम होता है कि किसी ठेकेदार को अपने कब्जे में स्थायीरूप से ३० एकड़ से अधिक भूमि रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, चाहे वह किसी कृषि-फार्म के प्रयोजन के लिए ही क्यों न अपेक्षित हो। क्योंकि यदि उसने ठेके पर ली हुई भूमि पर फार्म का काम शुरू किया है तो उसने यह काम इस बात की पूरी जानकारी के साथ किया है कि ठेका अपनी अवधि के समाप्त होने पर खत्म हो सकता है। अतएव हमारा यह मत है कि उसको ३० एकड़ से ऊपर की उस भूमि में केवल असामी के अधिकार दिये जायं जिसे कलेक्टर किसी कृषि-फार्म के सुचारु और सफल संचालन के लिये आवश्यक समझे।

हमने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि कुछ स्थानों में बहुत बड़ी संख्या में इस अभिप्राय से ठेके दिये गये हैं कि ठेकेदार, ठेके में दी गई भूमि के बड़े भाग में स्वयं खेती करे। ऐसी दशाओं में काश्तकारी के पट्टे दिये जाने चाहिये थे, किन्तु ठेकों का निष्पादन इस प्रयोजन से किया गया कि उक्त भूमि में मौरूसी अधिकार उत्पन्न न होसकें। इसलिये हमने ऐसे ठेकेदारों को धारा १५ के प्रतिबन्धों से अलग रखा है और इसके लिये एक नई धारा १४ (क) का समावेश किया है, जिसमें यह निदेश किया गया है कि यदि ठेके के सम्बन्ध में यह बात मालूम हो कि वह ठेकेदार द्वारा स्वयं खेती करने के प्रयोजन से दिया गया है तो ठेकेदार मौरूसी काश्तकार समझा जायगा। धारा १४-क

१५—धारा १७ में ऐसी संयुक्त सीर या अन्य भूमियों की हदबन्दी की व्यवस्था की गई है जो संयुक्त रूप से सहभागियों के कब्जे में हों। वाक्य-रचना की दृष्टि से ठेकेदार की निजी जोत की भूमियां भी इस धारा के अन्तर्गत आ जाती हैं जो कि स्पष्टतः इस धारा का अभिप्राय नहीं है। अतएव हमने पंक्ति २ में आये हुये शब्द "मध्यवर्ती" के बाद शब्द "जो ठेकेदार न हो" बढ़ा दिये है। धारा १७

१६—धारा १८ में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसी भूमियों पर, जो उन भूमियों से भिन्न हों, जिनमें धारा २१ (ग) के अधीन अधिवासी अधिकार उत्पन्न होते हों, कब्जा रखने वाले व्यक्ति जो १ जनवरी सन् १९३८ ई० को किसी ऐसे अभिलेख (record) में काबिज के रूप में दर्ज हों, जो यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अध्याय ४ के अधीन पुनरीक्षित (revised) हो या जो विशेष कार्रवाइयों (special operations) द्वारा संशोधित किया गया हो, मौरूसी काश्तकार समझे जायेंगे। काबिज (occupant) की परिभाषा के लिये (अंग्रेजी बिल में) इस धारा की [illegible] इटेड प्राविंसेज टेनेंसी (एमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा २७ की उपधारा धारा १८

(१) के खंड (ग) से ली गई है, किन्तु हमें १ जनवरी, १९३८ ई० के दिनांक में कोई विशेष महत्व की बात नहीं मालूम होती और इसीलिये हमने उसे छोड़ दिया है। हमने इस धारा में परिवर्तन भी किये हैं जो धारा १३ के उपर्युक्त परिवर्तन और धारा १९ तथा २० के बाद वर्णित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप किये गये हैं।

धारा १८-क, १९ तथा २०

१७—धारा १९ में मत्र मध्यवर्तियों को ऐसी भूमियों में भूमिधरी अधिकार देने की व्यवस्था की गई है जो उनके पास या कब्जे में सीर, खुदकाश्त, बाग या उनकी निजी जोत के रूप में हो और धारा २० द्वारा अवध के स्थायी पट्टेदारों (permanent lessee in Oudh) और दवामी काश्तकारों (permanent tenure holders) के अतिरिक्त जो मध्यवर्तियों के वर्ग में रखे गये हैं, सब काश्तकारों, अतीयादारों और बाग़दारों को सीरदारी के अधिकार दिये गये हैं। हमारे मत में सब शरह मुअइयन काश्तकारों और माफीदारों को भी भूमिधरी अधिकार दिये जाने चाहिए। शरह मुअइयन काश्तकारों को पहिले से ही हस्तान्तरण अधिकार प्राप्त है और यह बात उपयुक्त नहीं मालूम होती है कि उनसे भूमिधर पद प्राप्त करने के लिये अपने लगान की दस गुनी धनराशि देने के लिये कहा जाय। यही बात माफीदारों के सम्बन्ध में भी है। उन्हें कोई लगान नहीं देना पड़ता और इसलिये उन्हें अपने आप ही इस प्रतिबन्ध के साथ भूमिधरी अधिकार मिल जाने चाहिये कि स्वत्वाधिकार के दिनांक से उन पर उपयुक्त मालगुजारी लगाई जाय। हमारा यह भी विचार है कि सीर की भूमियों के ऐसे काश्तकारों को, जिनके पास किसी ऐसे पट्टे के आधार पर भूमि हों, चाहे वह दवामी पट्टा हो या इस्तमरारी, जिसके अधीन उन्होंने सीर के साधारण काश्तकारों की अपेक्षा अधिक अच्छे अधिकार प्राप्त किये हों, धारा २१ के अधीन अधिवासियों को दिए गये अधिकारों की अपेक्षा अधिक ऊंचे अधिकार दिये जाने चाहिये। अतएव हमने यह प्रस्ताव किया है कि उनको धारा २० के अधीन सीरदार बना दिया जाय।

धारा २१

१८—धारा २१ सीर के ऐसे काश्तकारों को अधिवासी अधिकार देती है जो उन काश्तकारों से भिन्न हों, जिन्हें मौरूसी काश्तकार, शिकमी असामी, और कब्जेदार (occupants) नहीं समझा जाता है और जिनको धारा १८ के अधीन मौरूसी काश्तकारों के अधिकार नहीं दिये गये हैं। हमारा यह विचार है कि यनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी (एमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्ध में अभिविष्ट (referred to) शिकमी असामियों को अधिवासी अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये, किन्तु उन्हें ऐसे असामियों के रूप में ही रहने दिया जाय, जिन्हें उनकी नियत अवधि के समाप्त होने पर बेदखल किया जा सके। हमने इस धारा में जो और परिवर्तन किये हैं वे धारा १८ और २० में किये गये संशोधनों के परिणामस्वरूप हैं। सीर की भूमियों के किसानों को अधिवासी अधिकार देने के सम्बन्ध में बहुत लम्बा वाद-विवाद चलता रहा, किन्तु अन्त में हम लोग धारा २१ के सिद्धान्त को ही पालन करने के लिये सहमत हुये।

धारा २३

१९—धारा २३ किसी न्यायालय की डिग्री या आज्ञा के अनुसार की गई लगान की कमी के अतिरिक्त किसी और प्रकार से १ जुलाई, १९४८ ई० के बाद की गई र।

की कमियों को निरर्थक करती हैं। हमारा यह मत है कि ऐसी कपटपर्ण डिक्री पर भी विचार नहीं किया जाना चाहिये जिसमें लगान सकिल रेट से भी कम रखा गया हो और तदनुसार हमने इस आशय का एक प्रतिबन्ध बढ़ा दिया है।

धारा २४

२०—१ जुलाई, १९४८ ई० के बाद किये गये किसी स्थान के अन्तरण को, चाहे वह बिक्री द्वारा किया गया हो या दान द्वारा, धारा २४ अमान्य ठहराती है। अभिप्राय यह है कि ऐसे अन्तरणों पर ध्यान न दिया जाय जो जमींदारी–उन्मूलन के पूर्वानुमान के आधार पर इस प्रयोजन से किये गये हों कि अध्याय ५ के अधीन प्राप्त अपेक्षाकृत अधिक धनराशि का पुनर्वासन अनुदान प्राप्त किया जाय। हमारा यह विचार है कि जो अन्तरण १ जुलाई, १९४८ ई० और ७ जुलाई, १९४९ ई० के बीच में किये गये हों जब कि उक्त बिल लेजिस्लेटिव असेम्बली में प्रस्तुत किया गया था, उनको केवल पुनर्वासन अनुदान की धनराशि निर्धारित करने के प्रयोजन के लिये अमान्य ठहराया जाय। ऐसी दशाओं में पुनर्वासन अनुदान इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये मानो अन्तरण किया ही न गया हो, किन्तु अनुदान की धनराशि अन्तरण–ग्रहीता (transferee) को दी जाय। ७ जुलाई, १९४९ ई० के बाद किये गये अन्तरणों की दशा में यह समझा जाना चाहिये कि अन्तरण–ग्रहीता (transferee) को कोई आगम (title) नहीं दिया गया है और वह किसी भी पुनर्वासन अनुदान के पाने का अधिकारी न होगा। यदि किसी व्यक्ति ने ७ जुलाई, १९४९ ई० के बाद अपने पक्ष में कोई अन्तरण कराया है तो उसने यह बात इस बिल के निदेशों की पूरी जानकारी के साथ की है और उसे कोई भी सुविधा नहीं दी जानी चाहिये। हमारी यह भी राय है कि इस धारा के अधीन लगाये गये निरोध दो प्रकार के अन्तरणों पर लागू न किये जायं। यदि कोई अन्तरण किसी न्यायालय की आज्ञा के अधीन किसी डिक्री के निष्पादन या रुपये के भुगतान के सम्बन्ध में किया गया हो, तो हमारे विचार से ऐसा अन्तरण सच्चा है और मान लिया जाना चाहिये। इसी प्रकार हमारा यह मत है कि किसी पूर्णतः पुण्यार्थ स्थापित किये गये वक्फ, ट्रस्ट, इन्डाउमेंट या समिति के पक्ष में किये गये अन्तरणों पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय जब तक कि प्रांतीय सरकार किसी विशेष दशा में इसके विपरीत आदेश न दे। हमने धारा २४ में जो संशोधन किये हैं, उन्हें दृष्टि में रखते हुये धारा ४० अनावश्यक है और निकाल दी गई है।

धारा २६

२१—धारा २६ में यह व्यवस्था की गई है कि धारा ६ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, कलेक्टर सभी आस्थानों को अपने अवधान (charge) में ले ले। खंड (ख) द्वारा कलेक्टर को यह शक्ति (power) दी गई है कि वह किसी स्थान के अंगभूत किसी भूमि, इमारत या अन्य स्थान में प्रवेश करे और उसकी तलाशी ले। हमने तलाशी लेने की शक्ति हटा दी है, क्योंकि हमारे मत में यह बात बिल के प्रयोजनों के लिये अनावश्यक थी।

अध्याय ३

प्रतिकर का निर्धारण

धारा ४३ तथा ४८

२२—हमने इस अध्याय की सामान्य योजना सुरक्षित रखी है, किन्तु धारा ४३ और ४८ में कुछ परिष्कार किये हैं, जिनका सम्बन्ध किसी मध्यवर्ती की पक्की निकासी (net assets) के अवधारण (determination) से है। धारा ४३ में किसी महाल या गांव के सम्बन्ध में कच्ची निकासी अवधारित करने का विषय है। उसके खंड (क) में यह व्यवस्था की गई है कि [illegible]

लगान देय हो, किन्तु अवधारित न किया गया हो, तो वह मौरूसी दरों के अनुसार अवधारित किया जाय। सब दशाओं में मौरूसी दरों के अनुसार लगान की गणना करने से राज्य पर अनुचित भार आ पड़ेगा। अतएव हम निदेश को बदल दिया है और यह व्यवस्था की है कि मातहतदारों और साकितुल मिल्कियत काश्तकारों की दशा में लगान साकितुल मिल्कियत दरों के अनुसार और बाग के अतिरिक्त अन्य सब दशाओं में मौरूसी दरों के अनुसार लगान अवधारित किया जायगा। खंड (ग) के अधीन सायर सम्बन्धी आय का हिसाब बारह वर्ष की आय के औसत के आधार पर लगाया जाता है। हमारी यह राय है कि पिछले दस वर्षों की आय को आधार मानना पर्याप्त होगा। जंगलों की आय के सम्बन्ध में जिसके लिये खंड (घ) में व्यवस्था की गई है, हमारी यह राय है कि बीस से चालीस वर्षों की अवधि के भीतर जैसा भी प्रत्येक दशा में उचित समझा जाय, होने वाली आय के आधार पर हिसाब लगाया जाना चाहिये। हमने यह भी व्यवस्था कर दी है कि वार्षिक आय का निर्धारण करते समय जंगल की वास्तविक अवस्था का ध्यान रक्खा जाय। धारा ४८ में यह व्यवस्था की गई है कि किसी मध्यवर्ती की पक्की निकासी निकालने के लिये उसकी कच्ची निकासी में से क्या-क्या घटाया जाय। हमने उस धारा की उपधारा (घ) में इसलिये परिवर्तन कर दिया है कि इस उपखंड में उल्लिखित आय के कारण कच्ची निकासी में से कोई धनराशि घटाने से पहिले कृषि-आय कर, मालगुजारी, अबवाब और खंड (ग) में अभिदिष्ट प्रबन्ध-व्यय की समानपाती धनराशियां निकाल ली जायं।

धारा ५९, ६१ और ६१-क

२३—धारा ५९ के अधीन ठेकेदार को देय प्रतिकर के सम्बन्ध में हमने स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था करनी आवश्यक समझी कि प्रतिकर अधिकारी को यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिये कि मध्यवर्ती के समस्त अधिकार हस्तगत किये जा रहे हैं। उक्त अधिकार नित्यता के आधार पर हैं और यह कि ठेकेदार के अधिकार परिमित प्रकार (limited character) के हैं। हमने यह भी व्यवस्था की है कि धारा ६१ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दी गई अपील की ऐसी डिक्री के विरुद्ध, जिसमें मध्यवर्ती और उसके ठेकेदार के प्रतिकर सम्बन्धी पारस्परिक भागों का विभाजन किया गया हो, हाई कोर्ट में अपील ऐसे आधारों पर की जानी चाहिये जिनका उल्लेख कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ ई० की धारा १०० में किया गया है।

अध्याय ४

प्रतिकर का भुगतान

धारा ७२

२४—धारा ७२ में यह व्यवस्था की गई है कि यदि प्रतिकर पाने का अधिकारी वक्फ, ट्रस्ट या इन्डाउमेंट हो या अवयस्क या किसी व्यावहारिक अक्षमता (legal disability) के अधीन हो या परिमित स्वामी (limited owner) हो तो प्रतिकर ऐसे अधिकारिक या बैंक के पास, जो नियत किया जाय, जमा कर दिया जाय।

हमने इस बात को स्पष्ट करने के लिये एक उपधारा बढ़ाई है कि ऐसे व्यक्ति को, जिसके लिये उक्त प्रतिकर जमा किया गया हो, जमा की गई धनराशि को, उस विधि के अनुसार काम में लाने के अधिकारों पर, जिससे उसके अधिकार अनुशासित होते हों, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने किसी ऐसी सम्भव शंका को निवारण करने के लिये कि व्यवस्थित आस्थानों (settled estates) के मालिक परिमित स्वामी (limited owner) नहीं हैं, एक स्पष्टीकरण भी बढ़ा दिया है।

अध्याय ५

पुनर्वासन अनुदान

२५—हमने इस अध्याय की सामान्य रचना और योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया है। धारा ७५ के अधीन पुनर्वासन अनुदान केवल उन्हीं मध्यवर्तियों को दिये जायंगे, जिनकी कुल देय मालगुजारी पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होती है। सम्भव शंकाओं को निवारण करने के लिये कि ऐसे मध्यवर्तियों पर भी, जो, मालगुजारी न देते हों, किन्तु जो केवल लगान या अंशतः मालगुजारी और अंशतः लगान देते हों, यह प्रतिबन्ध लागू होता है, हमने एक नई धारा १०४ (क) बढ़ा दी है।

धारा ७५ और १०४-क

अध्याय ६

खान और खनिज पदार्थ

२६—हमने इस अध्याय में सिवाय एक छोटे से परिवर्तन के, जो धारा १०८ में किया गया है, कोई परिवर्तन नहीं किया है। उसमें यह बात स्पष्ट की गई है कि स्वत्वाधिकार के दिनांक पर मध्यवर्ती को किसी ऐसी खान, जिसे वह स्वयं चलाता हो, के पट्टे को छोड़ देने का विकल्प (option) प्राप्त होगा।

धारा १०८

अध्याय ७

गांव-समाज और गांव-सभा

२७—गांव-समाज के संगठन की जैसी व्यवस्था धारा ११५ में की गई है, हम उससे सहमत हैं, किन्तु हमारा यह विचार है कि असामियों के साथ अधिवासियों को भी सम्मिलित कर लिया जाय। इसके अतिरिक्त यह ब्योरा अनावश्यक है, जैसा कि खंड (ग) में किया गया है कि किसी सहकारी खेती संस्था (co-operative farm) के सदस्य गांव-समाज के भी सदस्य होंगे, क्योंकि ऐसे सदस्य या तो खंड (क) या (ख) के अन्तर्गत आ जायंगे।

धारा ११५

२८—धारा ११७ के अधीन किसी ऐसी भूमि के, जो जोत की भूमि या बाग की भूमि से भिन्न हो, गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में जाने की व्यवस्था करने वाले निदेश पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि यदि किसी गांव में कृषिगत क्षेत्र की अपेक्षा कृषिहीन क्षेत्र बहुत अधिक हो तो कृषिहीन क्षेत्र का कोई भाग सरकार के विवेक से गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में न जाने दिया जाय। हमारा विचार है कि इस बात का निश्चय करने के लिये कि कृषि-हीन क्षेत्र का कोई भाग स्वत्वाधिकार में जाने से अलग रखा जाय या नहीं, यह कसौटी नहीं होनी चाहिये कि कृषिगत क्षेत्र की तुलना में उसका आकार बहुत बड़ा है। किन्तु यह बात गांव-समाज की आवश्यकताओं की दृष्टि से तय की जानी चाहिये।

धारा ११७

अध्याय ८

खातेदारों के वर्ग

घ धारा १३३ — २९—धारा १३३ के अनुसार कतिपय वर्गों की भूमियों में सीरदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे, किन्तु यह बात सम्भव है कि ऐसी भूमि में यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेन्सी ऐक्ट के अधीन पहले से ही मौरूसी अधिकार उत्पन्न हो गये हों। ऐसी दशाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिये हमने इस धारा में इस आशय का एक खंड जोड़ दिया है कि धारा २० के निदेशों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकेगा, जिसके अधीन उसी धारा में उल्लिखित काश्तकारों को सीरदारी अधिकार मिलते हैं।

भूमिधरी अधिकारों का उपार्जन

धारा १३५—१३९ — ३०—धारा १३५—१३९ में इस ऐक्ट के प्रारम्भ होने से पहले ही भूमिधरी अधिकार उपार्जन करने के लिये काश्तकार द्वारा अपने वार्षिक लगान से दसगुनी धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में निदेश रखे गये हैं।

संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ ई० के प्रवर्तित होने के परिणामस्वरूप उक्त निदेश अनावश्यक हो गये हैं। किन्तु हमने पुरानी धारा १३५ के स्थान पर एक नई धारा १३५ रखी है, जिससे कि संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ ई० के सम्बन्ध में कुछ अभिवांछनीय परिवर्तनों को लागू किया जा सके। इनके आधार पर कोई सह-कृषक किसी जोत के केवल अपने भाग के सम्बन्ध में रुपया जमा कर सकता है और यदि वह कुल जोत के वार्षिक लगान का दस गुना रुपया जमा कर दे तो वह दूसरे सह-काश्तकारों के कारण दी हुई धनराशि को मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल कर सकता है।

हमने इन बातों के सम्बन्ध में भी व्यवस्था की है कि सीर के काश्तकारों को भी, जिन्हें हमने धारा १३ के अधीन मौरूसी काश्तकार प्रख्यापित किया है और भूमि के कब्जेदारों को भी, जिन्हें हमने धारा १८ के अधीन मौरूसी काश्तकार प्रख्यापित किया है या जिन्होंने यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट के अधीन मौरूसी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं, संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ ई० के अधीन रुपया जमा करने की सुविधायें दी जानी चाहिये और यह कि उस दशा में जब जोत का कोई भाग शिकमी काश्तकार के अधिकार में हो तो असल काश्तकार उस भूमि के न उठाये हुये भाग के सम्बन्ध में ही रुपया जमा कर सकता है और यह कि उस दशा में जब देय लगान मौरूसी दरों पर लगाये जाने पर उस धनराशि के दुगने से भी अधिक हो तो उस धनराशि को घटा देना चाहिये जिससे कि वह दस गुना भुगतान करने के प्रयोजन के लिये उक्त धनराशि के दुगने से अधिक न रहे। किसी ऐसी जोत की दशा में, जो शिकमी काश्तकार के कब्जे में हो, शिकमी काश्तकार भूमिधरी अधिकारों को अर्जन करने के लिये धारा २२२ के अधीन पांच वर्ष की अवधि तक बिना प्रतीक्षा किये हुये ही अपेक्षित रुपया जमा कर सकता है यदि असल काश्तकार इस बात से सहमत हो। इसके अतिरिक्त हमारा यह मत है कि किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसने संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ ई० के अधीन प्रख्यापन प्राप्त कर लिया हो, यह समझा जाना चाहिये कि प्रख्यापन के दिनांक से इस बिल के अधीन भूमिधर को दिये गये अधिकार उसे प्राप्त हैं और वह उस पर आरोपित दायित्व के अधीन है।

३१—हमने माफीदारों का वर्गीकरण उनसे किसी धनराशि के भुगतान के लिये बिना ही भूमिधरों के रूप में किया है और इस कारण हमने धारा १४२ निकाल दी है। उसके स्थान पर हमने यह प्रतिबन्ध रखा है कि उस दशा में जब मौरूसी काश्तकार द्वारा देय लगान सर्किल रेट पर लगाये गये लगान के दुगने से अधिक होता हो तो उसे अपने लगान का दस गुना देने के लिये बाध्य नहीं किया जायगा, किन्तु उससे कुछ कम धनराशि ली जायगी जो सर्किल रेट के दुगने के हिसाब से लगाई जायगी। हमारा यह मत है कि जो काश्तकार अत्यधिक लगान देते हैं उनको यह सुविधा दी जानी चाहिये और हमारा यह भी विचार है कि भविष्य में ऐसे काश्तकार की मालगुजारी किसी दशा में भी सर्किल रेट के दुगने से अधिक नियत नहीं की जाय। धारा १४२-३

३२—हमने इस बात के लिये भी व्यवस्था करना आवश्यक समझा है कि उस दशा में जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी जोत के अपने ही भाग के सम्बन्ध में भूमिधर बन गया है, जिस पर उसका और ऐसे लोगों के साथ-साथ जो सीरदार हों, संयुक्त अधिकार हो तो भूमिधर उक्त जोत में से अपने भाग के विभाजन के सम्बन्ध में नालिश कर सकता है। यह निदेश विभाजन सम्बन्धी सामान्य निदेशों के एक अपवाद के रूप में है, जिनके सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में आगे चर्चा की गई है। धारा १४३

भूमि का उपयोग और उसकी उन्नति

३३—हमने यह व्यवस्था करने के लिये धारा १४६ और १४७ की रचना फिर से की है कि जब भूमिधर अपनी जोत में सम्मिलित किन्हीं भूमि-खंडों को औद्योगिक या भवन-निर्माण के प्रयोजनों के लिये काम में लाये तो वह उस सम्बन्ध में कलेक्टर से एक प्रख्यापन पाने का स्वत्वाधिकारी होगा और ऐसा प्रख्यापन (Declaration) होजाने पर इस अध्याय में अन्तरणों और पट्टों के सम्बन्ध में लगाये गये प्रतिबन्ध लागू न हो सकेंगे और उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भूमिधर अपने निजी धर्म शास्त्रीय विधान (Personal law) से अनुशासित होगा। यदि किसी भूमिधर की ऐसी भूमि जो कृषि-फलोत्पादन या पशु-पालन के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त न होती हो, किसी समय उपरोक्त प्रयोजनों के लिये काम में लाई जाने लगे, तो कलेक्टर इस सम्बन्ध में एक प्रख्यापन जारी करेगा और ऐसे प्रख्यापन के हो जाने पर उक्त भूमिधर फिर से इस अध्याय के निदेशों से अनुशासित होने लगेगा। उपरोक्त दोनों दशाओं में से प्रत्येक दशा में भूमिधर भूमिधर ही बना रहेगा। इस बात को स्पष्ट करने के लिये हमने धारा १९० का खंड (घ) निकाल दिया है। धारा १४६, १४७ और १९०

३४—धारा १४८ के बाद, जिसमें सीरदार या असामी को अपनी जोत की उन्नति करने का अधिकार दिया गया है, हमने दो और धारायें १४८-क, और १४८-ख बढ़ायी हैं। धारा १४८ में हमने यह व्यवस्था की है कि यदि उन्नति किसी ऐसी भूमि में की जाय या किसी ऐसी भूमि के लिये हानिकारक हो, जो उस खातेदार की जोत या खाते में सम्मिलित न हो जिसमें उक्त उन्नति की हो तो ऐसी भूमि के खातेदार की या गांव-सभा की जैसी भी दशा हो, लिखित अनुज्ञा प्राप्त की जानी चाहिये। धारा १४८ (ख) में हमने यह व्यवस्था की है कि यदि उस जोत से, जिस पर कोई उन्नतिमूलक काम बनवाया गया हो, अंशतः बेदखली हो भी जाय, तो भी कुल जोत को उस उन्नतिमूलक काम से लाभ पहुँचता रहेगा यद्यपि जोत के उस भाग पर, जिस पर उन्नतिमूलक काम बनवाया गया हो, दूसरे व्यक्ति का कब्जा हो जाय। यह निदेश यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट के प्रचलित निदेशों के अनुसार ही हैं। धारा १४८-क और १४८-ख

३५—धारा १५० के बाद हमने एक और धारा १५०-क बढ़ायी ह, जिसके अधीन किसी असामी की बेदखली की आज्ञा देने वाले न्यायालय के लिये यह अनिवार्य रखा गया है कि वह उन्नतिमूलक काय के सम्बन्ध म, यदि कोई हो, प्रतिकर अवधारित करे और डिग्री या बेदखली की आज्ञा के साथ प्रतिकर के भुगतान करने का प्रतिबन्ध लगा दे। धारा १५०-क

अन्तरण

धारा १५३

३६—भूमिधर को दिये गए अन्तरण के अधिकार पर धारा १५३ में प्रतिबन्ध लगाया गया है। उस धारा में यह निश्चित किया गया है कि कोई क्रेता अपनी जोत या खाते को २० एकड़ से अधिक नहीं बढ़ा सकता। वाक्य-विन्यास के अनुसार धारा १५३ की यह भी व्याख्या की जा सकती है कि यह प्रतिबन्ध केवल उसी क्रेता पर लागू होता है जिसके पास पहले से भी कुछ भूमि हो। किन्तु इस बिल का यह अभिप्राय नहीं है। इसमें भविष्य की जोतों या खातों की सीमा अधिक से अधिक ३० एकड़ तक रक्खी गई है। हमने अपने आलेख में इस दोष को दूर कर दिया है। हमने पुण्यार्थ स्थापित संस्थाओं के पक्ष में एक अपवाद भी रखा है और वे हमारी राय में ३० एकड़ से अधिक भूमि प्राप्त कर सकती हैं।

धारा १५६

३७—धारा १५६ से किसी अक्षमता-ग्रस्त भूमिधर या सीरदार को अपनी जोत उठा देने की अनुज्ञा दी गई है। हममें से कुछ लोगों का यह विचार हुआ है कि लगान पर भूमि उठाने का यह निदेश बहुत ही संकुचित है, किंतु फिर भी हम लोग सीमित प्रतिबन्धों (restricted condition) के अधीन भी लगान पर भूमि उठाने के किसी सामान्य अधिकार के देने के विरुद्ध थे। क्योंकि यह बात इस बिल के मूल सिद्धांतों के विपरीत होगी। किंतु हमने असमर्थता-ग्रस्त व्यक्तियों की सूची में वृद्धि की है और उसमें ऐसे व्यक्ति को, जो किसी गम्भीर व्याधि से पीड़ित होने के कारण खेती न कर सकता हो और २५ वर्ष तक की अवस्था के विद्यार्थी को सम्मिलित किया है, जो किसी स्वीकृत संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहा हो। हमने यह भी व्यवस्था की है कि किसी संयुक्त खाते की दशा में, जिसमें सब खातेदार किसी असमर्थता से ग्रस्त न हों, असमर्थता-ग्रस्त सहभागी (co-sharer) उस खाते के अपने भाग या खंड को लगान पर उठा सकता है। भूमि को इस प्रकार से खंडशः लगान पर उठाने की दशा में हमने असमर्थता-ग्रस्त सहभागी या उसके पट्टेदार को खाते का बटवारा कराने का अधिकार खाते के रकबे पर विचार न करते हुए दिया है।

धारा १६०

३८—धारा १६० में भूमि की अदला-बदली के अधिकार से हम सहमत हैं, किंतु हमने उसमें इस आशय का एक प्रतिबन्ध बढ़ा दिया है कि इस अधिकार का प्रयोग धारा १५३ के निदेशों को विफल करने के लिये नहीं किया जाना चाहिए।

धारा १६२, १६६

३९—धारा १६२ से १६६ तक में विभिन्न खातेदारों द्वारा अवैध अन्तरणों के परिणामों का वर्णन किया गया है। उन धाराओं की वाक्य-रचना समीचीन नहीं थी। हमने तीन पृथक् धाराओं १६२, १६३ और १६३-क में भूमिधरों द्वारा किए जाने वाले अवैध अन्तरणों के सम्बन्ध में व्यवस्था की है और एक परिणामी संशोधन धारा १६४ में और सम्बन्धित धाराओं १६५ और १६६ में किया है जिनमें सीरदारों और असामियों द्वारा जैसी कि आजकल उनकी वधिक स्थिति है, किये जाने वाले अवैध अन्तरणों का वर्णन किया गया है। हमने भूमिधरों द्वारा अवैध अन्तरणों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की है कि:—

(क) यदि धारा १५३ के निदेशों के प्रतिकूल कोई विक्रय या दान किया जायगा, तो वह अन्तरण व्यर्थ होगा और अन्तरिणी गांव-सभा द्वारा बेदखल किया जा सकेगा। ऐसी बेदखली के फलस्वरूप वह भूमि खाली हो जायगी और गांव-सभा द्वारा उसकी व्यवस्था की जाएगी। अन्तरणकर्ता को विक्रय का प्रतिफल अपने पास रखने या अन्तरिणी से वसूल करने का अधिकार इस आधार पर प्राप्त होगा कि अन्तरिणी को इस बात का अवश्यमेव ज्ञान होना चाहिये कि उसको कोई भूमि मोल लेने का अधिकार भी है या नहीं।

(ख) यदि कोई बन्धक धारा १५४ के निदेशों के प्रतिकूल किया जायगा, तो उस बन्धक को विक्रय समझा जायगा और यदि वह विक्रय धारा १५३ के अर्थों में अवैध होगा, तो अवैध विक्रय के परिणाम लागू होंगे।

(ग) अवैध रूप से लगान पर भूमि उठाने की दशा में—

(१) यदि पट्टेदार के पास कुल क्षेत्र, जिसमें उसके द्वारा लगान पर उठाया हुआ क्षेत्र भी सम्मिलित है, ३० एकड़ से अधिक न हो, तो पट्टेदार सीरदार हो जायगा, और

(२) यदि उपर्युक्त कुल क्षेत्र ३० एकड़ से अधिक हो, तो पट्टेदार क्रेता हो जायगा और धारा १५३ और १६२ के निदेश लागू होंगे।

उत्तराधिकार

४०—हमने धारा १६७ के अधीन भूमिधरों को दिया गया वसीयत करने का अधिकार स्त्रियों से हटा लिया है, क्योंकि इनको आजीवन स्वत्व का ही उत्तराधिकार मिलता है और यह भी व्यवस्था कर दी है कि वसीयत लिखित और विधिवत् प्रमाणित होनी चाहिए। धारा १६७

४१—हमने धारा १६९ में दिये गए उत्तराधिकार के क्रम में कुछ परिवर्तन कर दिये हैं। हमारी समझ में विधवा, सौतेली माता को इतना ऊंचा स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और तदनुसार हमने उसको पुरुष जातीय वंशानुक्रम में पुंसन्तति में से किसी की विधवा (widow of a male lineal descendant) और अविवाहिता पुत्री के बीच में रख दिया है। हमने भाई के पौत्र को भी पितामह के पुत्र के बाद सम्मिलित कर लिया है। धारा १६९

४२—धारा १७० का उसकी वाक्य-रचना के अनुसार यह अर्थ लगाया जा सकता है कि विवाहिता पुत्रियां, जिनको अविवाहित दशा में स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले पूर्ण उत्तराधिकार मिला था, अब अपने अधिकारों से वंचित हो जायंगी। स्पष्टतः यह बात वांछनीय नहीं है। अतएव हमने उन दशाओं के सम्बन्ध में, जिनमें उत्तराधिकार स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले मिला था और उन दशाओं के सम्बन्ध में, जिनमें उत्तराधिकार स्वत्वाधिकार के दिनांक के बाद मिलेगा, पृथक्-पृथक् व्यवस्था की है। धारा १७०

४३—हम इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं कि किसी खाते में किसी भी व्यक्ति का स्वत्व केवल इस कारण से नहीं समझा जायगा कि वह किसी आस्थान में किसी खातेदार के साथ संयुक्त है। हमें यह मालूम है कि यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ ई० में इस प्रकार का एक निदेश है, किंतु इसके कारण संयुक्त परिवार के छोटे सदस्यों को बहुत कठिनाइयां हुई हैं और उन्हें उनके अधिकारों से केवल ऐसे कारणों के आधार पर वंचित रखा गया है, जैसे कि किसी खाते के क्षेत्रफल या लगान में परिवर्तन होना, जिसके कारण विधि के अनुसार उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। हमारा यह विचार है कि संयुक्त परिवारों के सम्बन्ध में अब तक जो धारणा (presumption) रही है वही बनी रहनी चाहिये। धारा १७३

बटवारा

४४—इस बिल में मूल खाते का क्षेत्रफल ६¼ एकड़ रखा गया है और इससे कम क्षेत्रफल के खातों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटने का निषेध किया गया है। इसमें व्यवस्था की गई है कि यदि किसी ऐसे खाते का बटवारा कराने का विचार हो तो उसका विक्रय (sale) और बिक्री की धनराशि का वितरण (distribution) किया जाना चाहिये। यही विचार ऐसे बटवारे के सम्बन्ध में है जिसके कारण मूल खाते के क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल के खाते बनते हैं। हमने इस सामान्य नियम के दो अपवाद रखे हैं। संयुक्त खाते की दशा में यदि खातेदारों में से धारा १७४, १७९ और १८१

कोई एक खातेदार भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर ले और दूसरे ऐसा न करें, तो हमारा यह मत है कि इस बात का विचार किये बिना ही उस खाते का क्षेत्रफल कितना है, उक्त भूमिधर का भाग अलग कर दिया जाना चाहिये । और यह कि यदि संयुक्त खातेदारों (joint holders) में से कोई एक व्यक्ति धारा १५६ में वर्णित किसी असमर्थता से ग्रस्त हो और अपने भाग को लगान पर उठा दे, तो उस भाग को शेष खाते से अलग करने की अनुमति दी जानी चाहिये। हमने यह भी व्यवस्था की बटवारे के सब वादों में गांव-सभा फ़रीक (party) बनाई जायगी और अदालत अपने विवेक से उपर्युक्त विकल्प के परिणामस्वरूप भूमि से वंचित हुए व्यक्ति के लिये गांव-सभा के अधिकार में रहने वाली रिक्त भूमियों से उपर्युक्त भाग नियत कर सकती है। हमने अदालत को उपर्युक्त दशाओं में अपने विवेक से बटवारे को मना कर देने का भी अधिकार दिया है।

समर्पण (surrender) और परित्याग (abandonment)

धारा १८६

४५— यदि कोई सीरदार अपने खाते को समर्पण करना चाहे तो हम समझते हैं कि उसे न केवल गांव-सभा को ही, किंतु तहसीलदार को भी इसकी सूचना देनी चाहिए । इससे बाद के अनावश्यक झगड़े दूर हो जायंगे।

धारा १८९, १८९-क और १८९-ख

४६—यदि कोई सीरदार या असामी अपने खाते को कृषि, फलोत्पादन या पशु-पालन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिये लगातार दो वर्षों तक काम में न लाए, तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने खाते का परित्याग (abandonment) कर दिया है । असमर्थता-ग्रस्त सीरदार को सम्भव कठिनाई (hardship) से बचाने के लिये हमने यह विशेष बात बढ़ा दी है कि ऐसी दशाओं में गांव-सभा को असमर्थता-ग्रस्त व्यक्ति की ओर से उसका खाता असमर्थता की बची हुई अवधि के लिये लगान पर उठा देना चाहिये ।

यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट के इसी प्रकार के एक निदेश के अनुरूप हमने यह बात भी बढ़ा दी है कि क्षेत्रपति (land-holder) किसी ऐसे खाते पर, जो परित्यक्त समझा जाता हो, कब्जा करने से पहले अपने अभिप्राय की सूचना तहसीलदार को देगा और तब तहसीलदार सम्बन्धित सीरदार या असामी को उस पर आपत्ति करने का अवसर देगा। यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो यह समझा जायगा कि सीरदार या असामी की अवैध बेदखली हुई है ।

धारा १९२-क और १९२-ख

४७—धारा १९२ के बाद, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसी भूमिधर या सीरदार का अधिकार समाप्त होने पर उसके अधीनस्थ (holding under him) असामी का भी स्वत्व समाप्त हो जायगा, हमने दो नई धारायें १९२-क और १९२-ख बढ़ाई । पहली धारा का सम्बन्ध यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेन्सी ऐक्ट की पद्धति के अनुसार स्वत्वों के विलीन होने (merger) से है और दूसरी धारा में यह व्यवस्था की गई है कि सीरदार या असामी के स्वत्व के समाप्त हो जाने पर भी खेतों में लगी हुई फ़सल के सम्बन्ध में उसका अधिकार बना रहेगा जैसा कि बेदखली की दशा मे होता है।

धारा १९४-क

४८—धारा १९४ द्वारा गांव-सभा को अधिकार दिया गया है कि किसी को खाली भूमि में (उस भूमि को छोड़ कर, जिसमें धारा १३३ के कारण सीरदारी का अधिकार नहीं उत्पन्न हो सकता) सीरदारी के अधिकार दे दे। हमारी सम्मति में यदि भूमि धारा १५ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) में खाली हुई है तो ठेका देने वाले को भूमि लेने का प्रथम अधिकार मिलना चाहिये, यदि उसकी कोई सीर इस कारण से नष्ट हो गई हो कि इस विधान में हमने धारा १३ में कुछ मध्यवर्तियों के सीर के काश्तकारों को मौरूसी अधिकार दे दिये हैं । ऐसे मध्यवर्ती अपने खातों को इस साधन का लाभ उठाते हुए ५० एकड़ से अधिक न बढ़ावें, इसलिये हमने प्रतिबन्ध भी लगा दिया है।

४९—धारा १९६ में गांव-सभा को यह आज्ञा दी गई है कि वह किसी व्यक्ति की रिक्त भूमि देने के सम्बन्ध में किस प्रकार के तारतम्य के क्रम (order of precedence) का अनुसरण करे। हमारा प्रस्ताव है कि खातेदारों में उन व्यक्तियों को तरजीह देना चाहिये, जिन्होंने यू० पी० टेनेन्सी एब्वीजिशन आफ प्रिविलेजस ऐक्ट में अपना अधिकार प्रमाणित कर लिया है या धारा १४३ में सनद पा ली है। धारा १९६

हमने इस धारा के अधीन गांव-सभा द्वारा दी गई किसी आज्ञा के विरुद्ध सब-डिवीजनल अफसर के यहां अपील करने की भी व्यवस्था कर दी है। हमने गांव-सभा को निष्पक्ष व्यवहार में लगाये रखने के लिये यह बात आवश्यक समझी।

बेदखली

५०—धारा २०० के खंड (च) में यह व्यवस्था की गई है कि किसी असमर्थता-ग्रस्त खातेदार का असामी जिन आधारों पर बेदखल किया जा सकता है, उनमें से एक यह है कि क्षेत्रपति (land-holder) भूमि को अपनी निजी जोत में लेना चाहता है। हमारी यह राय है कि यदि असामी के पास भूमि किसी नियत अवधि के पट्टे के आधार पर हो, तो असमर्थ व्यक्ति के स्वयं भूमि जोतने के अपने अधिकार को काम में लाने से पहले उस अवधि को अवश्य समाप्त हो जाने दिया जाय। धारा २००

५१—हमने उन दशाओं के सम्बन्ध में भी व्यवस्था की है, जिनमें निर्णीत ऋणी (judgement debtor) की बिना कटी फसल या पेड़ उस भूमि पर स्थित हों, जिससे वह बेदखल किया जा रहा है। हमने यह व्यवस्था यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट की धारा १६० के आधार पर की है। धारा २००-क

५२—धारा २०१ में यह व्यवस्था की गई है कि यदि असमर्थ खातेदार का असामी वाद प्रस्तुत करने की नियत अवधि (period of limitation) के भीतर ही बेदखल न किया गया, तो वह उक्त अवधि के समाप्त होने पर अपनी अधिकृत भूमि का भूमिधर या सीरदार, जैसी भी दशा हो, बन जायगा। हमने इस निदेश को परिष्कृत कर दिया है जिससे कि उक्त असामी को सीरदार के पद से ऊंचा पद न मिल जाय। धारा २३१

५३—यदि असमर्थता-ग्रस्त खातेदार किसी असामी को इस आधार पर बेदखल कर दे कि वह भूमि को स्वयं जोतना चाहता है, तो उसको तीन वर्ष के भीतर नये पट्टे पर भूमि देने का निषेध किया गया है। सम्भव कठिनाई को दूर करने के लिये हमने इस अवधि को घटा कर दो वर्ष कर दिया है। धारा २०२

५४—धारा २०७ के अधीन यदि कोई अतिक्रमी (tresspasser) वाद प्रस्तुत करने की अवधि के भीतर बेदखल न किया जायगा तो वह सम्बन्धित खाते के अनुसार भूमिधर, सीरदार या असामी हो जायगा। हमने इस निदेश को परिष्कृत कर दिया है, जिससे कि अतिक्रमी (tresspasser) को सीरदार के अधिकार से ऊंचा अधिकार प्राप्त न हो सके। धारा १९७, २०७ और २०८

५५—धारा २०९ की उपधारा (१) के अधीन सार्वजनिक पशुचर भूमि, श्मशान या कब्रिस्तान, तालाब, रास्ता या खलिहान की भूमि को कोई काश्तकार गांव-सभा के वाद प्रस्तुत करने पर उस दशा में बेदखल किया जा सकेगा, जब उसको ८ अगस्त, १९४६ ई० को, जब जमींदारी-विनाश प्रस्ताव असेम्बली में स्वीकार किया गया था या उसके बाद काश्तकार के रूप में भूमि उठाई गई हो। अनाज की आजकल की बढ़ी-चढ़ी कीमतों के कारण लोगों की यह प्रवृत्ति हो गई है कि वे गांव की सार्वजनिक उपयोग धारा २०९

की भूमियों को भी जोतने-बोने लगे हैं। यह बात स्पष्टतः अवांछनीय है। उपधारा (१) के निदेश तो उपधारा (२) से बहुत कुछ रद्द हो जाते हैं जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि काश्तकार ने भूमिधरी अधिकारों को प्राप्त करने के लिये अपने लगान का दस गुना रुपया जमा कर दिया हो, तो वह बेदखल न किया जा सकेगा। हमने उपधारा (२) निकाल दी है और उपधारा (१) के निदेशों का विस्तार कर दिया है जिससे कि उसमें उन जमींदारों के लिये व्यवस्था हो जाय, जिन्होंने उक्त भूमियों में कृषि करना प्रारम्भ कर दिया है।

लगान

धारा २११-क

५६—धारा २११ द्वारा हमने 'असामियों' के लगान नियत करने के लिये वादों (suits) की व्यवस्था की है और यह नियम बनाया है कि उनका लगान मौरूसी दरों का १३३ १/३ प्रतिशत नियत किया जाएगा। हमारी समझ से असामियों के लगान के सम्बन्ध में यह उच्चतम सीमा उचित है।

धारा २१३

५७—हमने धारा २१३ निकाल दी है, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि सब लगान नकद रुपये में अदा किये जायं। हमारे प्रान्त में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खेती-बारी इतनी गिरी हुई दशा में है कि काश्तकार नकद रुपए में लगान देना पसन्द न करेंगे।

धारा २१३-क, २१३-ख और २१३-ग

५८—हमने तीन नई धाराएं, २१३-क, २१३-ख और २१३-ग बढ़ायी हैं, जिसमें असामी द्वारा पोस्टल मनीआर्डर से लगान का रुपया भेजा जाना वध घोषित किया गया है और रुपया पाने वाले की रसीद (payees receipt) को एविडेन्स ऐक्ट के अन्तर्गत ग्राह्य (admissible) माना है। उसमें जिन्सी लगान के नकदी बदलने (commutation) की भी व्यवस्था की गई है और यह निदेश रखा है कि लगान दो समान धनराशियों की किस्तों में देय होगा।

धारा २१४, २१४-क, २१४-ख, २१४-ग, २१४-घ और २१४-ङ

५९—हमने धारा २१४ उसके वर्तमान स्वरूप में निकाल दी है और उसके स्थान पर लगान वसूल करने और लगान न दे सकने पर एक प्रार्थना-पत्र के आधार पर बेदखल किये जाने के सम्बन्ध में ब्यौरेवार निदेश रखे हैं। यदि उक्त प्रार्थना-पत्र का विरोध किया जायगा तो वह वाद के रूप में परिवर्तित हो जायगा और यदि उस वाद (suit) में कोई बात आगम (title) सम्बन्धी उठेगी तो वह वाद दीवानी की अदालत के सुपुर्द कर दिया जायगा। उसमें इस अपवाद की भी व्यवस्था की गई है कि ऐसी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में जो या तो केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार के स्वामित्व में हों या उनके प्रबन्ध में हों, बक़ाया लगान मालगुजारी के बकाया की तरह वसूल किया जाय।

धारा २१५-क

६०—हमने नार्दर्न इंडिया केनाल ऐंड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ ई० की धारा ४७ के अधीन नहर का महसूल वसूल करने के लिये वाद उपस्थित करने के सम्बन्ध में एक निदेश बढ़ा दिया है।

धारा २१६ और २१७

६१—धारा २१६ और २१७ में प्रान्तीय सरकार को बहुत व्यापक अधिकार दिये गए हैं जिनके अनुसार वह इस अध्याय के निदेशों को प्रवर्तित करने के लिए टेनेंसी ऐक्ट और यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में परिष्कार (modification), अनुकलन (adaptation) और संशोधन कर सकती है। उनकी वैधता सन्देहास्पद है। अतएव हमने उन्हें निकाल देने का निश्चय किया है। हमने इस अध्याय में और अध्याय १० में, जिसमें मालगुजारी के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है, जो नई धारायें बढ़ाई हैं, उनसे हमें आशा है कि काम चल जायगा।

धारा २१६-क

६२—हमने ऐसे निदेश रख दिये हैं जिनके अनुसार गांव-सभा अपनी सर्किल में स्थित किसी भूमि में किसी व्यक्ति के अधिकार की घोषणा कराने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकती है। हमारी राय में इससे गांव-सभा को भूमि प्रबन्ध सम्बन्धी अपने कर्त्तव्यों के पालन करने में सहायता मिलेगी।

अध्याय ९

अधिवासी

९३—हमने एक यह निदेश रख दिया है कि किसी अधिवासी के मरने पर उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे उ के खातेगत स्वत्व की व्यवस्था धारा १६९ से १७३ तक के निदेशो के अनुसार की जायगी। इसके सम्बन्ध मे किसी स्पष्ट निदेश के न होने के कारण यह बात सन्देहास्पद थी कि अधिवासी के मरने पर उसका खाता क्षेत्रपति (Land-holder) को तो न लौट जायगा। धारा २१९

९४—धारा २२२ मे हमने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है और यह निदेश रखा है कि अधिवासी भूमिधरी अधिकारो को प्राप्त करने के लिये किसी समय भी इस धारा म उल्लिखित पांच वर्षों की अवधि से पहले भी, अपने क्षेत्रपति की लिखित सहमति प्राप्त करके रुपया जमा कर सकता है। हमने तुरन्त रुपया भुगतान करने का यह अधिकार उन अधिवासियो को भी दिया है, जिनके क्षेत्रपति धार्मिक तथा पुण्यार्थ स्थापित संस्थायें हैं। यह आवश्यक नही है कि ऐसे अधिवासियो को ५ वर्ष तक प्रतीक्षा करने के लिये बाध्य किया जाय। धारा २२२

९५—धारा २२३ मे उस दशा में अधिवासी के क्षेत्रपति को प्रतिकर देने की बात कही गई है जब वह भूमिधरी अधिकार प्राप्त करले। इस धारा के सिद्धान्त का पालन करते हुए हमने शरह मुअइयन काश्तकारो और माफीदारो को भी शामिल कर लिया है, जिनको हमने भूमिधरो के वर्ग मे रखा है और यह व्यवस्था की है कि अधिवासी द्वारा जमा की हुई कुल धनराशि उनको प्रतिकर के रूप मे दे दी जाय। धारा २२३

९६—धारा २२४ में उन परिस्थितियो का वर्णन किया गया है, जिनमें भूमिधर या सीरदार किसी अधिवासी को बेदखल करना चाहे। ऐसी बेदखली उस दशा में की जा सकती है जब क्षेत्रपति के पास उस सर्किल में उसकी निजी जोत की भूमि ६ १/४ एकड से कम हो। किन्तु बेदखली करने से पहले असिस्टेंट कलेक्टर के लिये यह आवश्यक होगा कि वह यदि सम्भव हो, तो क्षेत्रपति की निजी जोत के क्षेत्र की खाली भूमियो में से भूमि लेकर पूरे ६ १/४ एकड कर दे। जब यह बात पूरी नही की जा सकेगी तभी अधिवासी बेदखल किया जायगा। हमने दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। एक तो हम यह समझते हैं कि ६ १/४ एकड़ की सीमा बहुत कम है और यह कि खाते के क्षेत्रफल की सीमा की यह संख्या लाभप्रद खातो की स्थिति के अनुसार नियत की जानी चाहिये। तदनुसार हमने उसको बढ़ाकर ८ एकड कर दिया है। किन्तु यह व्यवस्था भी कर दी है कि प्रान्त भर मे क्षेत्रपति की निजी जोत की कुल भूमि के क्षेत्र का भी विचार किया जाना चाहिये। दूसरे यह कि हमने उपधारा (४) में दिये हुये क्रम को उलट दिया है और यह व्यवस्था की है कि बेदखल किये गये अधिवासी को ही खाली भूमियो में से भूमि दी जानी चाहिये न कि क्षेत्रपति को, जिसको हमारी राय मे निजी भूमि को फिर से प्राप्त कर लेने का अधिकार है। इसका एक परिणाम यह होगा कि यदि अधिवासी को नई भूमि दी जायगी तो वह उसका सीरदार हो जायगा। धारा २२४

अध्याय १०

मालगुजारी

९७—महाल के हिस्सेदारों पर मालगुजारी देने का जो संयुक्त तथा व्यक्तिगत भार था उसको अब धारा २३० से गांव के सब मालगुजारी देने वालों पर लगा धारा २३०

दिया गया है। किसान समुदाय अब तक केवल असली ही लगान देने के लिये बाध्य था। इस निदेश के कारण उन पर प्रभाव पड़ेगा और शायद इसके कारण उनको कठिनाई पड़े। इस कठिनता को दूर करने के लिये हम लोगों ने यह रखा है कि मालगुजारी देने का संयुक्त भार उन्हीं क्षेत्रों मे लगाया जाय, जिनका गवर्नमेंट समय-समय पर प्रख्यापन करे। इस संशोधन का यह असर होगा कि यदि कलेक्टर को प्रतीत होगा कि इस गांव में मालगुजारी बिना संयुक्त भार के सिद्धान्त के लागू किये हुए नहीं उगाही जा सकती तो वह अपने कारणों के सहित सरकार को रिपोर्ट भेजेगा।

६८—सीरदार जो स्वत्वाधिकार के पहले गल्लई लगान दे रहे थे उनके नकदी लगान करने के निदेश भी इस विधान में दिये गए हैं।

धारा २४०—क, ख, ग धारा २४१—क, ख धारा २४२—क, ख

६९—नये बन्दोबस्त, जिनका विवरण धारा २४० में दिया हुआ है, के सम्बन्ध में हमने कई नई धाराएँ और जोड़ी हैं। ये लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के निदेशों के अनुरूप हैं।

धारा २४५

७०—धारा २४५ में सरकार को अधिकार प्राप्त है कि व्यवस्थापिका सभा की सम्मति से भूमि की उपज का मूल्य बढ़ने, घटने पर उनके अनुरूप मालगुजारी भी घटा-बढ़ा दें। यह निदेश ४० साल तक व्यवहार में न आवेगा और चूंकि उस समय की अवस्था का ठीक-ठीक जान लेना इस समय कठिन है, इसलिये हमने इस धारा को छोड़ दिया है।

धारा २४६

७१—हम लोगों ने धारा २४६ को भी छोड़ दिया है, क्योंकि हमारी सम्मति में यदि किसी ने अपने खेत पर कोई उन्नतिमूलक कार्य किया है तो उसे ८० वर्ष तक मालगुजारी में रिआयत देने की आवश्यकता नहीं है।

धारा २५०—क, ख

७२—धारा २५० के निदेशों के अनुसार हम लोगों ने धारा २५०—क, ख और जोड़ दी हैं।

धारा २५०—ग, घ, ङ

७३—हमने यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के निदेशों के अनुरूप बन्दोबस्त की निगरानी के निदेश इस विधान में सम्मिलित कर दिये हैं।

धारा २४६

७४—यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के वर्तमान निदेशों के उदाहरण पर हमने भी इस निदेश को इस विधान में सम्मिलित कर दिया है कि तहसीलदार की दी हुई सनद इस बात का निश्चियात्मक प्रमाण होगी कि मालगुजारी बाकी है और व्यक्तिगत नादेहन्दों के बारे में गांव-सभा सनद जारी कर सकेगी।

धारा २५५—२५९

७५—धारा २५५ जिलाधीश को अधिकृत करती है कि मालगुजारी उगाहने के लिये खेत से उपज उठाना रोक दे। धारा २५६ के अधीन जिलाधीश उपज को काटने तथा एकत्रित करने से रोक सकता है। धारा २५६ के अधीन मालगुजारी उगाहने के प्रकार धारा २५७ और २५८ में दिये हुए हैं। हमारी सम्मति में जिलाधीशों को ऐसे असाधारण अधिकार देने उचित नहीं हैं। अतएव हमने इन धाराओं को छोड़ दिया है।

धारा २६०

७६—धारा २६० में मालगुजारी के उगाहने के प्रसारों (processes) का वर्णन दिया हुआ है। अधिकारियों को केवल स्वयं बाकीदार को ही गिरफ्तार तथा रोक रखने का अधिकार हमने दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि संयुक्त भार के सिद्धान्त पर कोई भी व्यक्ति दूसरे की मालगुजारी के लिये पकड़ कर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। धारा २६०—क, ख और ग में हमने भिन्न-भिन्न प्रसारों (processes) की प्रक्रिया (procedure) दी है।

७७--धारा २६२ में क, ख, ग तथा घ में हम लोगों ने नादेहन्दों की अचल सम्पत्ति से मालगुजारी उगाहने की प्रक्रिया दी है।

धारा-२६२ क, ख, ग और घ

७८--धारा २६३ कलेक्टर को अधिकृत करती है कि मालगुजारी की उगाही के लिये गांव को कुर्क कर ले। हम लोगों ने कुर्की में रखने की अवधि ५ साल से घटा कर ३ साल कर दी है और यदि बकाया शीघ्र वसूल हो जाय तो कुर्की खंडित कर दी जायगी। हम लोगों ने यह भी प्रबन्ध कर रक्खा है कि इस अधिकार का व्यवहार गांव के किसी विशेष क्षेत्र में भी हो सकता है। इस कुर्की के परिणामों का दिग्दर्शन धारा २६३-क, ख, ग और घ में दिया है।

धारा २६३ और २६३-क, ख, ग

हमने यह भी रक्खा है कि इस धारा के अधीन प्रार्थना-पत्र तथा प्रक्रियाओं (proceedings) में लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अध्याय ९ और १० (इस विधान से संशोधित होने के बाद) लागू हो जायंगे।

२६३-घ

अध्याय ११

सहकारी फार्म

७९--हम लोगों ने धारा २६५ में ५० एकड़ से घटा कर ३० एकड़ की सीमा कर दी है। इस घटाने के कारण सहकारी फार्मों को प्रारंभ में विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।

धारा २६५

८०--२७८ एवं २८२ धाराओं को छोड़ दिया गया है, क्योंकि इन विषयों का समावेश विशेष औचित्य के साथ नियमों में किया जा सकता है।

धारा २७८ और २८२.

८१--फार्मों के नये सदस्यों के बनाने के नियमों के निरूपण करने का अधिकार हमारी सम्मति से फार्म ही को होना चाहिये।

धारा २८४

अध्याय १२

विविध

८२--२९९ (ङ) तथा ३०१ धाराओं को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हमने उन्हें अनावश्यक समझा। हमने धारा ३०५ की उपधारा (१) को भी छोड़ दिया है, क्योंकि हमारी सम्मति में धारा ३०६ की उपधारा (२) और (३) में दिये हुए साधन प्रांतीय सरकार एवं सरकारी कर्मचारियों की रक्षा के लिये पर्याप्त थे और अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है कि और किसी दूसरे को भी इस रक्षा के साधन प्राप्त हों।

धारा २९९, ३०१ और ३०५

८३--हम लोगों ने इस विधान की अनुसूची ३ में वादों, प्रार्थना-पत्रों एवं प्रक्रियाओं को सुननेवाले न्यायालयों का विवरण दिया है। इस अनुसूची में दी हुई प्रक्रियायें इसी अनुसूची में दिये हुए माल के न्यायालयों द्वारा ही सुनी जा सकेंगी। इस विधान के अन्तर्गत अन्य प्रक्रियायें, जो उसमें वर्णित नहीं हैं, समर्थ दीवानी न्यायालय के सामने प्रस्तुत होंगी। तहसीलदार, असिस्टेंट कलेक्टर और कलेक्टर या प्रतिकर अफसर को (जिसे हमने आवश्यकतानुसार उचित समझा है) मूल न्यायालय बना दिया है। छोटे-छोटे मामलों को छोड़कर, जहां कमिश्नर के यहां केवल एक अपील होने की आज्ञा दी गई है, अन्य मामलों में हमने बोर्ड को दूसरी अपील सुनने का भी अधिकार दिया है। हमने ऐसा प्रबन्ध रक्खा है कि यदि किसी प्रक्रिया में किसी स्वामित्व के आगम का प्रश्न

धारा ३०४-क, ग

उठ खड़ा हो तो फरीक को उचित समर्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये। हर हालत में हमने विधि (law) और सामर्थ्य (jurisdiction) के विषयों पर माल-परिषद् को निगरानी का भी अधिकार दिया है।

धारा ३०६-क

८४—हम लोगों ने नए विषय का समावेश किया है और अचल सम्पति के विषय में शफा का हक उड़ा दिया है। हमारी सम्मति में हक-शफा का जीवन समाप्त हो चुका है और उसको बनाये रखना सिर्फ झगड़े की जड़ होगी।

धारा ३०६-ख

८५—यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट में यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि थोड़ी जन-संख्या वाले क्षेत्रफलों में अर्थात् बुन्देलखंड, यमुना के दक्षिण भाग में इलाहाबाद में इटावा, आगरा और मथुरा में दो एकड़ के क्षेत्रफल को एक एकड़ मान लेना चाहिये। अतः हम लोगों ने सामान्यतः यह मान लिया है कि इस विधान में क्षेत्रफल लगाने के सम्बन्ध में उपरोक्त स्थानों में दो एकड़ एक एकड़ के बराबर मानना चाहिये।

धारा ३०७-क

८६—हमने धारा ४ त्याग दी है और उसके स्थान पर धारा ३०७ (क) बना दी है, जिसमें अनुसूची ४ की सूची १ में वर्णित ऐक्टों के निवर्तन (repeal) का वर्णन है और साथ ही साथ सूची २ में यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के व्यापक संशोधनों का वर्णन है। इन संशोधनों में बटवारा, मालगुजारी की उगाही तथा बन्दोबस्त के अध्याय विशेष रूप से छोड़ दिये गये हैं, क्योंकि इन विषयों का समावेश इस विधान में हो चुका है। लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में तीन अपीलों का निर्देश है, अब केवल २ ही अपीलों की अनुज्ञा दी गई है और विधि के विषय में (on a point of law) निगरानी का भी अधिकार दिया है। दाखिल खारिज तथा अविवादग्रस्त उत्तराधिकार के मामले अब पंचायती अदालत द्वारा निर्णीत होंगे। दूसरे मामले तहसीलदार के पास भेजे जायंगे जो यदि विवादग्रस्त हैं या जिनमें हस्तान्तरण अवैध प्रतीत होता है, तो तहसीलदार उनको हाकिम परगना के पास भेज देगा।

८७—यह बिल १० जून, १९४९ ई० के विशेष गजट में प्रकाशित हुआ था और हमारी सम्मति है कि अब संशोधित बिल फिर से प्रकाशित कर दिया जाय।

गोविंद वल्लभ पन्त	*एस० ऐजाज रसूल
हुकुम सिंह विश्वेन	*मुहम्मद जमशेद अली खां
चरण सिंह	*सुल्तान आलम खां
विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी	†जगन्नाथ बख्श सिंह
‡द्वारका प्रसाद मौर्य	*वीरेन्द्र शाह
चतुर्भुज शर्मा	हर गोविन्द सिंह
अलगूराय शास्त्री	राघवेन्द्र प्रताप सिंह
*त्रिलोकी सिंह	बैजनाथ
शिवदान सिंह	रामचन्द्र गुप्ता
मुजफ्फर हसन	अख्तर हुसैन
*जयपाल सिंह	सुमत प्रसाद जैन
*रामशंकर लाल	*रामनारायण गर्ग
बलदेव प्रसाद सैलानी	*फूल कुंवरि
†फूलसिंह	*के० ऐजाज रसूल (बेगम)
भगवानदीन मिश्र	*सुरेश प्रकाश सिंह

‡अपने संशोधन के अधिकार को रखते
*मतभेद की टिप्पणी पर आश्रित।
†टिप्पणी सहित।

मतभेद लेख

सर्वश्री मोहम्मद जमशेद अली खां, एजाज रसूल, सुल्तान आलम खां और श्रीमती के० एजाज़ रसूल के मतभेद का नोट

१—वक्फ अललऔलाद धमार्थ प्रयोजनों के लिये कानून (statute) (१९१३ ई० के वक्फ ऐक्ट नं० ६) द्वारा पुण्यार्थ इन्डाउमेंट (endowment) घोषित किया गया है। जब तक यह ऐक्ट (कानून) रहता है तब तक इसके आदेश मान्य होंगे। इस विचार से सभी अललऔलाद वक्फों को जमींदारी विनाश बिल के पैरा ७८ के वाक्यखंड (क) में रखना चाहिये।

२—यदि यह मत स्वीकार नहीं किया जाता, तो वक्फ अललऔलाद को ऐसा वक्फ समझना चाहिये, जिसमें वक्फकर्त्ता के वंशजों (descendants), उत्तराधिकारी (heirs) या सम्बन्धियों के लिये है एक वक्फ है और प्रत्येक फलभागी (beneficiary) और उसकी शाखा उत्तराधिकार (inheri-tance) के साधारण नियमों के बजाय वक्फ के रूप में वास्तविक लाभों का एक भाग प्राप्त करेंगे। यदि किसी वक्फकर्त्ता ने उत्तराधिकार के सामान्य कानून को ही चलने दिया, तो प्रत्येक वक्फकर्त्ता के व्यक्तिगत कानून के अनुसार प्रत्येक हिस्सा पाने वाले का लाभों में से कोई भाग (शेयर) प्राप्त होता है। ऐसे कानून से पृथक बात केवल वितरण सम्बन्धी है, जो व्यक्तिगत कानून के अनुसार नहीं किन्तु वक्फकर्त्ता की इच्छा के अनुसार है। कोई कारण नहीं कि प्रत्येक फलभागी (beneficiary) को लाभों की उस सीमा तक उसमें साझीदार क्यों न समझा जाय जहां तक वह वक्फ के अधीन भाग प्राप्त करने का अधिकारी है। इसका यह मतलब होता है कि यदि वक्फ की उपेक्षा की जाय, तो उचित यह होगा कि उक्त वक्फ के अधीन प्रत्येक फलभागी (beneficiary) लाभों की उस सीमा तक, जो वह अपने उपयोग के लिये प्राप्त करने का अधिकारी हो और फल की उस सीमा तक जो वक्फकर्त्ता वालों की योजना के अनुसार उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगा, मध्यवर्ती (intermediary) समझा जायगा।

किसी वक्फ अललऔलाद (वंशजों के प्रति) के अधीन ऊपर बताये गये अधिकारों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुये पैरा ३ (१) में मध्यवर्ती (intermediary) की परिभाषा में शब्द "किसी वक्फ, टस्ट या धर्मादाय के अधीन कोई फलभागी, जो वास्तविक लाभों का एक भाग ऐसे भाग को सीमा तक अपने लाभ के लिये प्राप्त करने का अधिकारी है" सम्मिलित होने चाहिये। इन शब्दों को मध्यवर्ती (intermediary) की परिभाषा सम्बन्धी वाक्यखंड १ में जोड़ा जाना चाहिये।

इससे किसी फलभागी (beneficiary) को वक्फ अललऔलाद (वंशजों के प्रति) के अधीन प्राप्त होने वाले पुनर्वासन अनुदान (rehabilitation grant) की धनराशि पर असर पडेगा, जो किसी आस्थान में साझीदार की तरह एक यूनिट समझा जायगा।

३—प्रत्येक फलभागी (beneficiary) के देय प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान (rehabilitation grant) को इस ढंग से सुरक्षित रखना चाहिये जैसा उक्त बिल के पैरा ७१ और ७२ में व्यवस्था की गई है। जमींदारी विनाश ऐक्ट के प्रयोजनों के सिवाय वक्फ अललऔलाद वैध है और लागू करने योग्य है। किसी भी फलभागी (beneficiary) की पूंजी विशेष कार्य में लगाने और व्यय करने का अधिकार न होगा, जिससे उसके उत्तराधिकारियों को हानि पहुंचे, जैसा कि उक्त वक्फ की योजना में दिया हुआ है।

४—प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान (rehabilitation grant) किसी भी दशा में किसी मुतवल्ली (Mutawalli) को नहीं दिया जाना चाहिये। कानून के अधीन मुतवल्ली केवल एक मनेजर है। वह एक फलभागी (beneficiary) न

हो सकता है और उस हैसियत से उसको वैसा ही समझा जायगा, जैसा कोई दूसरा फलभागी (beneficiary), लेकिन इसके अतिरिक्त उसकी कोई विधिक हैसियत नहीं है। प्रिवी कौंसिल ने इन शब्दों से उसकी स्थिति का वर्णन किया है--

श्री अमीर अली ने निर्णय देते हुये कहा--"जब एक बार प्रख्यापित कर दिया जाता है कि कोई विशेष संपत्ति वक्फ है या किसी ऐसे पद का प्रयोग किया जाता है, जिससे वक्फ का अभिप्राय प्रगट होता हो, तो वक्फकर्त्ता के अधिकार समाप्त हो जाते हैं और उसकी मिल्कियत भगवान की हो जाती है। वक्फ का मैनेजर मुतवल्ली, गवर्नर सुपरिंटेंडेंट या क्यूरेटर है। खानकाह की दशा में अध्यक्ष सज्जादानशीन कहलाता है। किन्तु न तो सज्जादानशीन को और न मुतवल्ली को वक्फ की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त है। उक्त संपत्ति में उसे अधिकार प्राप्त नहीं है और पारिभाषिक अर्थ में वह एक ट्रस्टी नहीं है। वक्फनामे में संपत्ति ट्रस्टियों को हस्तांतरित नहीं की जाती इस्लामी कानून के अधीन जिस क्षण कोई वक्फ कायम किया जाता है उसी क्षण वक्फ के सम्पत्ति संबंधी सभी अधिकार वक्फ के नहीं रह जाते और भगवान के हो जाते हैं।"

क्यूरेटर चाहे वह मुतवल्ली या सज्जादानशीन या किसी दूसरे नाम से पुकारा जाय केवल एक मैनेजर है। १९२०, ३ पी० सी०, पृष्ठ ४८ पृष्ठ ४६ पर स्तम्भ २ के अनुसार जिसका उद्धरण एक पहिले के मुकदमे से दिया गया है, नुस्खा १९२२, पी० सी० पृष्ठ १२३ पृष्ठ १२७ स्तम्भ १ ।

ज्योंही जमींदारी का विनाश हो जायगा प्रत्येक मुतवल्ली व्यावहारिक रूप से कार्यरहित अधिकारी (Functus officio) हो जायगा। उसके लिये प्रबन्ध करने को कुछ नहीं रह जायगा। बहुत सी दशाओं में एक मुतवल्ली की हैसियत किसी वेतन भोगी मैनेजर से अधिक नहीं है। अनेक दशाओं में मैनेजरों की एक कमेटी मुतवल्ली के कर्त्तव्यों को करती है। इन कारणों से प्रतिफल और पुनर्वासन अनुदान पाने वाला व्यक्ति कोई मुतवल्ली नहीं, बल्कि ऊपर बताई गई विधि से अपने-अपने फलभागी स्वत्व के अनुसार प्रत्येक फलभागी होना चाहिये।

(१) मोहम्मद जमशेद अली खां।

(२) एजाज रसूल ।

ता० २१ दिसम्बर, १९४९ ई०

(३) के० एजाज रसूल बेगम ।

(४) सुल्तान आलम खां।

श्री रामशङ्कर लाल के मतभेद का नोट

प्रान्त को संपन्न बनाने के विषय में होने वाली प्रगति के सम्बन्ध में जमींदारी उन्मूलन और भूमि-व्यवस्था (लैंड रिफार्म) में बहुत विलम्ब हो चुका है। मुझे इस बात की प्रसन्नता ह कि वतमान बिल के आदेशों में इन दोनों समस्याओं को सन्तोषजनक रूप से हल किया गया ह। इस बिल के आदेशों का सामान्य रूप से समर्थन करते हुए मुझे इस बात का खेद ह कि उक्त बिल के आदेशों में निम्नलिखित संशोधनों की आवश्यकता है:—

१—धारा २१ उस भूमि के सम्बन्ध में है, जो भूल से जमींदारों की सीर और खुदकाश्त लिखी गई थी, यद्यपि वह वास्तव में काश्तकारों के क़ब्जे में हैं। दुर्भाग्यवश मेरे जिले अर्थात बस्ती में ऐसे हजारों किसान हैं। कांग्रेस सरकार ने इन लेखों का संशोधन करने के लिये दो बार विशिष्ट अधिकारी नियुक्त किये, किन्तु अब भी कुछ ऐसे किसान हैं कि जिन्होंने अपनी काश्त की भूमि पर दावा नहीं किया और इसलिय उनके नाम नहीं लिखे जा सके। चूंकि पिछली विशेष कार्यवाही में परिस्थितिवश लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ५४ के अधीन क़ानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकी यद्यपि इसका विस्तृत और पूर्ण प्रबन्ध किया गया था कि रिकार्ड अफसर के निर्णय (findings) ठीक उतरें। उपर्युक्त त्रुटियों के कारण कुछ अदालतों ने रेकर्ड अफसरों के निर्णयों को उन मुक़दमों में नहीं माना है, जो जमींदारों ने युक्त प्रान्तीय क़ब्जा आराजी ऐक्ट की धारा ६३ के अधीन या क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड की धारा १४५ के अधीन दायर किये। परिणाम यह हुआ कि अधिकांश काश्तकार अपने जीविकापालन के केवल एकमात्र साधन से वंचित कर दिये जायेंगे। बहस के समय यह एक भावना थी कि इस धारा को इस प्रकार बनाया जायगा, जिससे उन सब दखीलकारों को अधिवासी संबंधी अधिकार प्राप्त हो जायं, जो १३५६ फस्ली में रिकार्ड सम्बन्धी कार्यवाही में दर्ज किये गये थे। किन्तु धारा की वर्तमान शब्दावली उपर्युक्त भावना के अनुसार नहीं है। इसलिये या तो यह धारा इस प्रकार बनाई जाय, जिससे, उपर्युक्त भावना प्रगट हो या वर्तमान रूप में ऐसे दखीलकारों को फिर से क़ब्जा दिलाने के आदेश बनाये जायं जो उपर्युक्त निर्णयों के फलस्वरूप बेदखल हो गये हों। धारा २२४ उक्त बिल के मूल आदेशों में से एक है। भूमि के पुनः वितरण करने के प्रश्न का यह एक दूसरा हल है। हममें से कुछ लोग, जो कुछ सीमा तक उक्त भूमि को फिर से बांटने के लिये इच्छुक थे, इस धारा के पक्ष में थे, क्योंकि इससे हमको सीमा निर्धारण (demareation) संबंधी कठिनाई नहीं पड़ती और फिर भी भूमिहीन असामियों या शिकमी काश्तकारों को दिये जाने के लिये बहुत कम रक़बा बचता है।

भूमि को फिर से वितरण करने की अपेक्षा इस धारा से बहुत से काश्तकारों को अधिक सुरक्षा और अधिकार प्राप्त होते हैं। कमेटी ने धारा १८२ में मूल खाते के रूप में ६$\frac{1}{4}$ एकड़ स्वीकार किया, किन्तु इस धारा में इसने इस सीमा को ८ एकड़ तक बढ़ा दिया है। परिणाम यह होगा कि शिकमी काश्तकारों की अधिकांश संख्या, जिन्होंने भूमिधरी अधिकारों को उक्त बिल के मूल आदेशों द्वारा प्राप्त कर लिया है, अब पांच वर्ष बाद बेदखल कर दिये जायेंगे। मैं समझता हूँ कि इन सीमाओं को घटा कर ६$\frac{1}{4}$ एकड़ कर देना चाहिये।

उपर्युक्त विशेष विवरण के साथ में कमेटी की सिफारिशों से सहमति प्रगट करता हूँ और उस पर अपने हस्ताक्षर शर्त के अधीन करता हूँ कि हाउस में यदि आवश्यक होगा तो संशोधनों को प्रस्तुत करने का मुझे अधिकार होगा।

रामशंकर लाल।

श्री जयपाल सिंह और श्री द्वारका प्रसाद मौर्य के मतभेद की टिप्पणी

धारा १३ के अनुसार जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था बिल में २५० रुपये से अधिक मालगुजारी देने वाले जमींदारों की सीर के शिकमी काश्तकारों को वंशानुगामी अधिकार दिये गये हैं, किन्तु २५० रु० से कम मालगुजारी देने वाले जमींदारों के शिकमी काश्तकारों और काश्तकारों के शिकमियों को अथवा अधिवासियों को, जिनके कब्जे में जमीन है और जिसे वे जोतते रहे हैं, वंशानुगामी अधिकारों से वंचित रक्खा गया है। इनकी संख्या साढ़े ६३ लाख के लगभग है। इस प्रकार इतने काश्तकारों के भाग्य का फैसला ५ वर्ष के लिये बड़े काश्तकारों पर ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे जमींदारों के रहम पर छोड़ दिया गया है। जब हम लगभग सवा करोड़ काश्तकारों के फायदे के लिये, जिनमें ६३ लाख शिकमी काश्तकार भी हैं, जमींदारी का उन्मूलन कर भूमि-सुधारकर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं कि आधे के लगभग छोटे किसान उसी जमींदारी दलदल में फंसे रहें और वे बड़े-बड़े काश्तकारों अथवा छोटे जमींदारों के पंजे में फंस कर बेदखली के लाखों मुकदमों में आपस की वैमनस्य रूपी चक्की के पाटों में पिसते रहें। देखने में आया है कि छोटे जमींदार व बड़े काश्तकार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच-पांच और दस-दस झूठे मुकदमों में उन्हें फंसाये रहते हैं। उनका यही उद्देश्य रहता है कि काश्तकार गरीबी से तङ्ग होकर, बार-बार अदालतों में आने-जाने से ऊब कर, काफी अपव्यय और गवाहों को लाने तथा उन पर व्यय करने से लाचार होकर जमीनों को छोड़ दें। दूसरी ओर वकील भी उनसे रुपया ही चूसते हैं। वास्तव में वकीलवर्ग से भी उनको कोई कानूनी सहायता नहीं मिलती। कारण यह है कि मध्यवर्ग के जमींदार लोग ही लगभग वकील होते हैं और न्यायाधीश भी इसी वर्ग के होते हैं।

जब हमने यह सिद्धांत एक बार नहीं, अनेक बार स्वीकार किया और भूमि-सुधार निमित्त प्रस्ताव रखते हुये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बार-बार स्वीकार किया कि भूमि उन जोतने वाले लोगों के पास जानी चाहिये अथवा वही लोग काश्तकार हैं, जो जमीन को अपने हाथ से बोते-जोतते और इसमें मेहनत तथा परिश्रम कर के फसल पैदा करते हैं, तो अब कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम काश्तकारों में यह भेद रक्खें कि एक वे काश्तकार हैं, जो स्वयं हल नहीं जोतते और खेत में मेहनत तथा परिश्रम नहीं करते और दूसरे वह, जो स्वयं हल चलाते हैं। इस प्रकार हम अपने बुनियादी सिद्धांत को ही समाप्त कर रहे हैं। शिकमी तथा दूसरे प्रकार के काश्तकार भी तो असली काश्तकार ही हैं। वे पांच साल तक और भी घसिटते रहें, इसका कोई कारण मुझे तो दिखाई नहीं देता। इससे स्पष्ट

है कि इस बिल द्वारा मध्यवर्ग का एक प्रिविलेज़ क्लास (privilege class) बन जायगा, जो बिल के उद्देश्य के बिलकुल विपरीत होगा।

धारा २१ में दर्ज काश्तकार अधिकतर हरिजन अथवा भूमिहीन मजदूरों में से हैं। दूसरे उन छोटी-छोटी जातियों में से हैं, जो पिछड़ी हुई हैं। इसलिये इस भेद के कारण ऊंचे दर्जे के लोग अथवा मध्यवर्ग के काश्तकार, जिसमें सभी छोटे-छोटे जमींदार सम्मिलित हैं, अपने हितों की रक्षा करने में ही केवल सफल नहीं होंगे, बल्कि अपने से छोटे काश्तकारों को, जो कुल काश्तकारों में लगभग आधे हैं, पांच साल तक और यहीं तक नहीं इससे भी अधिक समय तक सामाजिक और आर्थिक गुलाम बनाने और भविष्य के लिये अपने राजनीतिक अधिकारों को इस आधार पर कि वे लोग जमींदार, सरमायेदार और हर प्रकार से समर्थ हैं, बचा सकने में समर्थ होंगे। आमतौर से जमींदार लोग चाहे वह छोटे हों अथवा बड़े, छोटी-छोटी जाति के लोगों को, जिनकी हमेशा से सामाजिक तथा आर्थिक दशा शोचनीय रही है, अधिक लगान और अधिक नजराना द्वारा उनका अधिक शोषण करने के निमित्त अपनी जमीन लगान पर उठाते रहे हैं। दूसरे बड़े काश्तकार भी अपनी काश्त से अधिक भूमि उन शिकमी काश्तकारों को उठाते रहे हैं, जिनका अधिक से अधिक शोषण किया जा सकता रहा है। ये लोग बहुत दिनों से अपनी मालगुजारी अथवा लगान का दुगुना, चारगुना ही नहीं, बल्कि दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह गुना तक वसूल करते रहे हैं और बड़ी-बड़ी रकमें नजराने के रूप में लेते रहे हैं। फलतः ऐसे किसानों के कष्टों और दुखों तथा उनके इस शोषण के कारण ही कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने का निश्चय किया था। यदि हम इस प्रकार की कमी इस कानून में छोड़ जायेंगे, तो इसका यह परिणाम होगा कि बीच के लोग ही जमीन को सदा अपने हाथों में रख सकेंगे और इस मध्यवर्गीय काश्तकार और जमींदार, जो अपनेआप तो जोतना-बोना जानते नहीं और जो सदैव कम मजदूरी पर जुतवाते और बुआते हैं और उन करोड़ों खेतिहर मजदूरों की गाढ़े पसीने का, कमाई का, जिसे उन्होंने मेहनत तथा परिश्रम करके अपने हाथ से हल जोतकर पैदा की है, मुफ्त में दुरुपयोग करते रहेंगे और सदा मजदूरों का खून चूसते रहेंगे। परिणामस्वरूप बड़े-बड़े काश्तकारों तथा छोटे-छोटे जमींदारों के पंजों में जमीन सदा रहेगी और उसके बोने और जोतने वालों के हाथ में कभी आयेगी ही नहीं। जिन जमींदारोंके पास जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भूमि का कुछ भी भाग उनके पास काश्त के लिये नहीं रहेगा उनको गांव-समाज के अधिकृत भूमि में से काश्त के लिये देने की स्वीकृति की गई है, जो सिद्धान्त गलत है। ऐसे जमींदारों ने कभी स्वयं खेती नहीं की है और यदि वह किसी भी प्रकार खेती करते होते तो उनके पास अवश्य ही काश्त में भूमि होती। यही कारण है कि ऐसे जमींदारों के पास

खुदकाश्त की भूमि नहीं रही है, क्योंकि न तो वे स्वयं खेती करते थे और न उन्होंने बेईमानी अथवा चालबाजी से अपने कब्जे में भूमि को बनाये रक्खा वरन उन्होंने उसे लगान पर उठा रक्खा। इस प्रकार जमींदारों को जमीन देना न्याय-संगत नहीं है।

इन बातों को ध्यान में रखकर हमें अपने निजी लाभ को छोड़ देना होगा। किसानों द्वारा किये जाने वाले शोषण को भी रोकना होगा। इस बिल में आमूल परिवर्तन करना चाहिये, क्योंकि इस बिल में ऐसे किसानों को भी मान लिया गया है, जो दूसरों का शोषण करते रहे हैं। जहां हमें लाखों किसानों को उन्नत करना है वहां हमें करोड़ों खेतिहर मजदूरों और उन गरीब किसानों को भी उन्नत करना होगा, जिनका सारा जीवन ही खेती पर निर्भर है। उनके साथ न्याय करने के लिये यह आवश्यक है कि उन सभी काश्तकारों को एक ही श्रेणी में माना जावे और काश्तकारों में अभी से कोई भेद-भाव न रक्खा जावे। इस काश्तकार काश्तकार के भेद-भाव को अभी से समाप्त किया जावे। यदि हम ऐसा नहीं करते तो इससे भूमि-सुधार बिल का उद्देश्य स्वयं ही समाप्त हो जाता है। सब को भूमिधर हो जाने के समान अधिकार मिल जाने चाहिए। यदि यह भी नहीं हो सकता तो सभी शिकमी काश्तकारों को अपने लगान का पन्द्रह गुना धन जमा कर भूमिधर अधिकार सुरक्षित करने के लिये अवसर देना बहुत ही आवश्यक है और उन्हें अपने गाढ़े पसीने की कमाई के दुरुपयोग होने से बचाना चाहिये। उन्हें यह सहूलियत होनी चाहिये कि वे भी अपना रुपया इसी समय जमा कर भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर सकें। पांच साल के बाद यदि अनाज और दूसरी चीजों के भाव गिर गये, तो कोई भी शिकमी अथवा अधिवासी काश्तकार अपना रुपया जमींदारी-उन्मूलन कोष में जमा नहीं कर सकेगा और भूमिधर बनने से वंचित रह जायगा। इस तरह से हम करीब साढ़े ६२ लाख शिकमी अधिवासी काश्तकारों को, जो खेतिहार मजदूरों और विशेष कर पिछड़ी हुई जातियों और हरिजनों में से हैं, हमेशा के लिये भूमिधर के अधिकार से वंचित कर देंगे। इस समय जिस काश्तकार को वंशानुगामी अधिकार प्राप्त है, यदि उसके द्वारा पैदा की हुई चीजों के दाम गिर जायं तो वह अपना दस गुना लगान जमा करने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता और भूमिधर नहीं बन सकता। जब वंशानुगामी काश्तकार ही सस्ते समय में भूमिधर नहीं बन सकते तो बेचारे शिकमी और अधिवासी काश्तकारों के लिये तो सस्ते समय में लगान का १५ गुना जमा करना और भी कठिन हो जायेगा। अतः सभी शिकमी काश्तकारों को सीरदार के अधिकार तुरन्त मिल जाने बहुत ही आवश्यक हैं अन्यथा वे कभी भी भूमिधर नहीं बन सकेंगे।

खेतिहर मजदूर, जो खेतों पर काम करते हैं, जिनके पास अपने जीवन-निर्वाह के लिये स्वतन्त्र रूप से कोई जमीन नहीं है, उनको भी कांग्रेस तथा इस

त्वल के सिद्धांतानुसार सबसे पहिले रिहैब्लिटेट (rehabilitate) करना आवश्यक है; किन्तु इस बिल में उनके रिहैब्लिटेट करने की कोई भी धारा नहीं है, उनके लिये कोई न कोई व्यवस्था करनी आवश्यक है। (१) ग्राम-समाज के पास जो भी जमीन खेत के लिये आयेगी उसमें सबसे पहले खेतिहर मजदूरों को देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। (२) सम्मिलित खेती (cooperative farming) में खेतिहर मजदूरों को सभी दूसरे काश्तकारों की भांति सम्मिलित करना चाहिये। कारण यह है कि यह वर्ग सदैव जमीन पर ही जीवन निर्वाह करता रहा है। वह मेहनती तथा परिश्रमी है और दूसरे की अपेक्षा अधिक परिश्रम कर अधिक गल्ला पैदा कर सकता है, जिसकी इस समय देश को बहुत ही आवश्यकता है। (३) इस समय लाखों एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है, उसको एकदम प्राप्त करके खेतिहर मजदूरों में बांट देनी चाहिये और नई तोड़ की भूमि खेतिहर मजदूरों को देने की व्यवस्था (provision) की जाय। (४) बहुत से जमींदारों ने हजारों बीघे फर्जी काश्त अपने नाम करा कर अपने अधिकार में कर रक्खी है, उसमें अच्छी पैदावार बढ़ाने के हेतु जमींदारों के पास जोत में रखने के लिये इतनी जमीन छोड़ देनी चाहिये, जो कि उनके परिवार के गुजारे के लिये तो काफी हो, पर उनका दुरुपयोग और उससे गरीबों का शोषण न हो सके। अतः यह आवश्यक है कि जिन जमींदारों ने जमींदारी-उन्मूलन प्रस्ताव के पास होने से पूर्व (अर्थात् ८ अगस्त, १९४६ ई०) अपने फार्म बना लिये थे अथवा बड़े पैमाने पर खेती कर रहे थे, उनको छोड़कर बाकी जमीनों को प्राप्त करके खेतिहर मजदूरों में बांट देना चाहिये। इस निमित्त किसी जमींदार के पास ३० एकड़ से अधिक भूमि न रहनी चाहिये। न्याय तो यही है कि देश और समाज की उन्नति के लिये उन्हें ऐसी ज़मीनों को स्वयं ही छोड़ देना चाहिये, जिन पर वे स्वयं काश्त नहीं करते और फसल पैदा नहीं करते। उनको कोई अन्य व्यवसाय करना चाहिये।

देश में यद्यपि सिंचाई और खाद की सहूलियत सरकार की ओर से होते हुए भी जमीन की पैदावार में दिन-प्रतिदिन कमी होती जा रही है, उसका यही एक कारण है कि अधिकतर किसान स्वयं खेती नहीं करते हैं, बल्कि वे कागजी काश्तकार रहे हैं। हमें इस प्रकार के कागजी काश्तकारी तरीके को खतम करना है। भूमि उसी को मिलनी चाहिये, जो उसे जोतता है न कि दूसरे से जुतवाता है। इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देने के लिये निम्नलिखित दो तरीके काम में लाने चाहिये :—

१—यदि कोई भूमिधर और सीरदार अपनी भूमि को अथवा उसके भाग को किसी अन्य व्यक्ति को जोतने के लिये उठावेगा अथवा जुतावेगा तो वह भूमि अथवा वह भाग ऐसे भूमिधर अथवा सीरदार के अधिकार में न रह कर खाली पड़ी हुई जमीन अर्थात् वेकेन्ट लैंड (vacant land) घोषित की जाय और वह गांव-समाज के अधिकार में आ जाय।

९—ग्राम-समाज को यह अधिकार हो कि वह इस खाली पड़ी हुई जमीन और अन्य प्रकार की अधिक जमीन को ऐसे लोगों को ही दे, जो स्वयं खेतों जोतकर पैदावार करते हैं और जिन्होंने दूसरों के यहां मजदूरी पर खेत जोता है। बिना हल जोतने वाले को भूमि किसी प्रकार भी नहीं दी जायगी।

अभी तक बहुत सी भूमि ऐसी है, जिसका सही इन्दराज रेवेन्यू कागजात में नहीं हो पाया। जमींदारी-उन्मूलन होते ही ऐसे काश्तकारों की समस्या, जो खेत पर काबिज रहे हैं, उसे जोतते आये, किन्तु उनकी काश्त का इन्द्राज रेवेन्यू कागजों में नहीं है, हमारे सामने एक भयानक रूप धारण करेगी। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी काश्त के इन्द्राज के लिये हर जिले में सरकारी, गैर-सरकारी और धारा सभाओं के सदस्यों की एडहाक कमेटी द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिससे सही-सही इन्द्राज हो सके।

वर्तमान ऐक्ट की धारा १८० के सभी काश्तकार ऐसे हैं, जो भूमि को वर्षों से जोतते आये हैं, किन्तु जमींदार और बड़े काश्तकारों के स्वार्थवश उनकी काश्त रेवेन्यू कागजों में दर्ज नहीं हो पाई है और इस धारा के अनुसार सभी केसों को वर्षों से स्टे (stay) किया हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे ही भूमि के असली जोतने वाले हैं। अतः भूमि के असली जोतने वाले सिद्धांत निमित्त उनको अधिकार देने के लिये यह आवश्यक है कि उनको सीर-दारी के अधिकार दिये जायं और उनको लगान का दस गुना रुपया जमा कर भूमिधरी अधिकार देने का प्राविजो (proviso) इस बिल में किया जाय।

शिकमी काश्तकारों को टेनेन्ट इन चीफ की लिखित रजामन्दी से अपने लगान का दसगुना रुपया देकर भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने की धारा इस बिल में आई है, उससे एक प्रतिशत भी लाभ होने की आशा नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में हर जमींदार अथवा काश्तकार यह चाहता है कि अपने पास से एक इंच भी जमीन न जाकर दूसरों की जमीन को प्रपञ्च रच कर अपने अधिकार में लिया जाय। जिस किसी भी जमींदार अथवा काश्तकार से इस अधिकार को दूसरों को देने की चर्चा की जाती है तो वह इसका विरोध ही करता है। इस प्रकार की धारा लाने से कोई लाभ नहीं है। अतः असली काश्तकार को सीधे (direct) तरीके से ही अधिकार देने की व्यवस्था की जाय।

इस बिल की धारा २२६ के अनुसार पांच साल के बाद अधिवासी असामी हो जायंगे, जो किसी समय भी धारा २२४ के अनुसार भूमिधर और सीरदार द्वारा बेदखल किये जा सकते हैं। यह भी भूमि के असली जोतने वाले सिद्धांत की अवहेलना करना है। भूमि जोतने वाले के पास रहनी चाहिये। इसलिये अधिवासियों को बेदखल न करने की धारा इस बिल में लाई जानी चाहिये।

लाभकर खेती (economic holding) ६ एकड़ हो होनी चाहिये और ८ एकड़ लाभकर खेती नहीं हो सकती, क्योंकि एक हल की खेती दो बैलों से ठीक ढङ्ग से जोती जाय, तो ६ एकड़ भूमि ही उसको उसके लिये पर्याप्त है। एक साधारण परिवार के लिये भी ६ एकड़ भूमि पर्याप्त है। इससे अधिक भूमि दो बैलों से जुतवाना बहुत ही कठिन है।

हमें समाज में इस तरह के परिवर्तन लाने है, ताकि सब लोग बराबर हों और जो जैसा काम करता है उसको वैसा ही फल मिल सके। यदि वह खेती करता है तो उसको अपनी फसल का पूरा हक मिलना चाहिये और यदि वह खेती नहीं करता तो मुफ्त में उसे उस फल को हड़पने से उसे रोकना चाहिये।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चजगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यचिद्धनम् ॥१॥
ईशोपनिषद्।

हम यह सहन नहीं कर सकते कि हम अपने निजी लाभ के कारण दूसरों का शोषण करते रहें। किसानों और काश्तकारों द्वारा शोषण का भी हमें रोकना होगा और ऐसे किसानों, जमींदारों और काश्तकारों को भूमि का अधिकार न दिया जावे, जो दूसरों का शोषण करते हैं।

२१ दिसम्बर, १९४८ ई०

जयपाल सिंह,
द्वारका प्रसाद मौर्य।

नोट—संयुक्त प्रान्तीय सरकारी जमींदारी-उन्मूलन समिति रिपोर्ट खण्ड २ के अनुसार शिकमी काश्तकारों की संख्या—पृष्ठ ७ खतौनी भाग नम्बर १ (११) के अनुसार २४,२७,३८१।

पृष्ठ ८ खतौनी	२ (२)	११,८६,०७५।
पृष्ठ ,,	२ (५)	१५,९३,७१८।
पृष्ठ ,,	२ (६)	११,५४,९०४।
कुल योग	....	६३,५९,०७८

जयपाल सिंह,
द्वारका प्रसाद मौर्य।

राजा जगन्नाथ बख्श सिंह का नोट

मैं इस रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर इस शर्त के अधीन करता हूं कि मुझे हाउस में संशोधनों को प्रस्तुत करने का अधिकार रहेगा। मैं इस बिल में सम्मिलित किये गये अनेक आदेशों और सिद्धान्तों से केवल असहमत ही नहीं हूं किन्तु उनसे मेरा घोर मतभेद भी है. फिर भी मैं मतभेद का नोट नत्थी नहीं करता हूं क्योंकि मैं ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी की अधिकांश बैठकों में भाग नहीं ले सका था।

२३ दिसम्बर, १९४९ ई० — जगन्नाथ बख्श सिंह

श्री सुल्तान आलम खाँ, एम० एल० ए० के मतभेद का नोट

मुझे खेद है कि मै अपने साथियों से उन कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के सम्बन्ध मे सहमत नहीं हूँ, जिनके बारे मे निर्णय दिया जा चुका है और जिनका बिल मे समावेश किया गया है। मैं मानता हूँ कि यह अवसर जमींदारी विनाश के प्रश्न के गुण और दोषो पर विवेचन करने के लिये नहीं है। जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में एसी स्थिति और परिस्थितियां पैदा की गई है, जिनके कारण केवल देश और सारे प्रान्त के ही हित मे नही बल्कि जमींदारवर्ग की रक्षा और भलाई के लिये भी जमींदारी का विनाश आवश्यक है। यह इतिहास का एक सुविख्यात तथ्य है कि जमींदार अपने गांव का एक मुख्य अंग और वही सम्पूर्ण देहाती समाज का मध्यबिन्दु हुआ करता था। इसमे कोई सन्देह नही कि कुछ दिनो से इस प्राचीन व्यवस्था मे भी भ्रष्टाचार आ गया है जैसा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे है, लेकिन इस चीज को उचित रूप से कानून कब्जा आराजी मे संशोधन करके अच्छी तरह दूर किया जा सकता था क्योंकि इस कानून ने जिस ढंग से वह आजकल लागू है शोषण की तनिक भी गुंजाइश नहीं रक्खी है। इन लोगो को उपयोगी स्थानीय नेता बनाया जा सकता था और उन्हीं लोगो से ग्रामीण-क्षेत्रो मे विकास-योजनाओ को कार्यान्वित करने का काम लिया जा सकता था।

सरकार और संयुक्त प्रान्त के जमींदारों के बीच उसी प्रकार एक अन्तरिम समझौता हो सकता था, जिस तरह कि भारत-सरकार ने उद्योगपतियों को यह आश्वासन देकर समझौता कर लिया है कि आगामी दस वर्षो तक उद्योग-धंधो का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायगा। यदि ऐसा करना ही आवश्यक था तो यह सरकार हल्के-हल्के जमींदारी-विनाश योजना का अनुकरण कर सकती थी जैसा कि इस सम्बन्ध मे पड़ोसी बिहार प्रान्त ने किया, यह योजना हर पहलू से अधिक व्यावहारिक है।

किसी भी प्रकार हो यदि जमींदारी-विनाश वास्तव मे हो जाय तो सरकार का कर्त्तव्य है कि वह जमींदारो, उनके कुटुम्बियों और उनके आश्रितों के लिये यदि उदाररूप से न हो सके तो एक उचित गुजारे की तथा समाज मे अच्छा और उम्दा जीवन बिताने के लिये आश्वासन देने की व्यवस्था करे। यह इस विचार से और भी जरूरी है. क्योकि भारत-संघ के नये संविधान मे यह व्यवस्था रक्खी गयी है कि मुआवजे के सम्बन्ध मे कोई मुकदमा नही चलाया जा सकता है । यह स्मरण रहे कि जमींदार इसी भूमि की संतति है और उनकी संख्या किसी भी प्रकार नगण्य नही है। प्रान्त मे लगभग २३ लाख जमींदार है और लगभग ७ लाख काश्तकार शरह मोअइयन (Fixed rate tenants) और माफीदार (rent free grantees) है, जो व्यावहारिक रूप में सब प्रकार से जमींदार है । मान लीजिये कि प्रत्येक जमींदार के पांच आश्रित है, जिनमे उनके कुटुम्बी और नौकर भी सम्मिलित हैं (जिनके बारे में सहानुभूतिपूर्ण विचार होना चाहिये और जिनकी बिल मे अभाग्यवश अवहेलना की गई है), तो जमींदारी की आय से जीवन-निर्वाह करने वाले प्राणियों की संख्या डेढ़ करोड़ यानी भारत के इस सबसे बड़े प्रान्त की जन-संख्या के चौथे भाग तक पहुँचती है । उनको बेकार और निर्धन बना देना कभी राज्य के लिये लाभप्रद न होगा । यह बुद्धिमानी की नीति नहीं हो सकती। विशेषकर ऐसे समय में जबकि साम्यवाद भारत का द्वार खटखटा रहा है। यदि जमींदार राज्य पर भारस्वरूप थे, जैसे कि वे अब होके रहेंगे, तो ग्रामीण-क्षेत्रों में एक वर्गरहित समाज स्थापित करने का विचार स्वप्नमात्र होगा। इस प्रकार जान-बूझ कर या अनजाने में हम एक और अधिक पिछड़े हुये वर्ग को जन्म देंगे, यद्यपि वे बुद्धिमान होंगे, किन्तु उनकी आर्थिक दशा बहुत ही क्षीण होगी।

यह भी अतिशय अवांछनीय है कि अब भी जमींदारों की निन्दा की जाती है और उनको गालियां दी जाती हैं। मृत्युशय्या पर पड़े, लेटे हुये किसी व्यक्ति की निन्दा करना मर्यादा और नैतिकता के समस्त सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इस दिशा में बढ़ावा देने से जो गम्भीर परिणाम होंगे उनसे किसानों के हृदय में जमींदारों के विरुद्ध स्थायीरूप से घृणा उत्पन्न हो जायगी और यदि घटनाचक्र निर्बाध गति से चलने दिया जायगा तो केवल इन तथा कथित पुरान पापियों के लिये ही नहीं किन्तु उनके बाल-बच्चों और आगामी पीढ़ियों के लिये भी, जो इस विषय में बिल्कुल निर्दोष होंगे और जिनका जमींदारी से कोई प्रयोजन न रहेगा, गांव नर्कतुल्य बन सकते हैं। प्रान्त की शान्ति और सम्पन्नता के नाम पर मैं सरकार से यह अपील करता हूँ कि जहां तक जमींदारों का सम्बन्ध है जमींदारी-विनाश-कोष में धन संचय के लिये प्रचार संयम भाषा में किया जाय।

सरकार की नीति यह होनी चाहिये कि जमींदार को अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिये प्रोत्साहित करें कदाचित् इसी तथ्य के आधार पर छोटे-छोटे जमींदारों को पुनर्वासन अनुदान देने की व्यवस्था की गई है यद्यपि यह उपलक्षित रीति से है तथापि सरकार को मानना पड़ा है कि उनकी सामाजिक स्थिति शरणार्थियों की सी कर दी गई है और यह बात कदाचित् सत्य है।

यह स्मरणीय है कि कुछ समय पहिले जमींदारों को व्यापार के लाइसेंस यह कह कर नहीं दिये गये कि उन्होंने उससे पहिले कुछ विशेष वस्तुओं का व्यापार नहीं किया था। इस प्रकार जमींदारों तथा नये उद्योग करने वालों को हतोत्साह कर दिया जाता है तथा चोर बाजारी करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस अभागे वर्ग के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाये तथा एक प्रकार के जमींदार उद्योग को प्रोत्साहन दे। इसके अलावा सरकार को जमींदारों के आश्रितों को जीविका के साधन देने का उत्तरदायित्व लेना चाहिये।

अभी भी भूमि व्यवस्था का पूरा चित्र हमारे सामने नहीं है, क्योंकि यह नियम कुमायूं डिवीजन, सरकारी सम्पत्ति, म्युनिसिपैलिटियों, नोटीफ़ाइड क्षेत्रों, टाउन क्षेत्रों और कैन्टूनमेंट बोर्ड पर लागू नहीं है। ऋण के सम्बन्ध में वह मसविदा, जिसके लिये अधिकारी बचन दे चुके हैं, अभी हमारे सामने नहीं है। इससे भी क्षतिपूर्ति की धाराओं पर काफी प्रभाव पड़ेगा। बिहार और मद्रास के जमींदारी-विनाश कानूनों में ऋण के सम्बन्ध में धारायें जोड़ दी गई हैं, यह और भी अच्छा होता यदि भूमि-सुधार का सारा मसविदा एक साथ प्रस्तुत कर दिया जाता ताकि सारे पहलुओं पर एक साथ विचार किया जा सकता और उसे एक साथ ही लागू किया जाता।

जमींदारों के दृष्टिकोण से प्रस्तुत मसविदे में प्रतिकर तथा 'सीर और खुदकाश्त' ही दो प्रमुख बातें हैं। हमें इनका अलग-अलग विश्लेषण करना चाहिये। जहां तक प्रतिकर का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि यह केवल नाममात्र के लिये है, तिस पर भी जमींदारों के दुखों तथा संकट को और बढ़ाने के लिये इसकी बहुत सम्भावना है कि यह कई किस्तों में दिया जाय, क्योंकि इसके लिये धन प्राप्ति की आशा कम है। मसविदे के सुझावों के अनुसार यह प्रतिकर कुल सम्पत्ति का आठगुना उस बची हुई सम्पत्ति का होगा, जो कुल आय में से जमीन की व्यवस्था के खर्च का १९ गुना पिछली बाकी किस्तें, भूमिकर, स्थानीय कर और भूमि आय कर घटाकर बाकी रहेगी। फिर यह भी नहीं भूलना चाहिये कि यह भूमि आय कर (एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स) पिछले साल ही जमींदारी-विनाश के समय से शुरू हुआ है। इस प्रकार उपर्युक्त विधि के उपरान्त जमींदारों को नाममात्र के लिये जो प्रतिकर मिलेगा वह भी यदि बांडों में चुकता किया जाय, जिस पर उन्हें केवल २ १/२ प्रतिशत

ब्याज मिलेगा, तो जमींदारों की वर्तमान आय में, जो भूमिकर के लगाये जाने के बाद बहुत ही घट गई है, ८० प्रतिशत कमी हो जायगी। इस हिसाब से यदि हम कृषि के अयोग्य बंजर, परती जमीन और बिखरे पेड़ों से उसकी आमदनी को भी जोड़ते हैं तो उसका लाभ बीस प्रतिशत से भी कम रह जाता है, किसी व्यक्ति से उसकी आय का अस्सी प्रतिशत से भी अधिक त्यागने को कहना किसी प्रकार न्यायसंगत नहीं है। वह जीवन की नितान्त आवश्यकताओं को कैसे पूरी करेगा यह समझ में नहीं आता है।

७१ वी धारा के अन्तर्गत विचार यह जान पड़ता है कि सरकार जमींदारी–विनाश कोष के संचय पर आशा किये बैठी है। यदि वह सफल होती है तो वह नकद रुपयों में प्रतिकर देगी नहीं तो बांडों में। कई अवसरों पर सरकारी वक्ताओं ने इस तरह का अपना मन्तव्य स्पष्ट कर दिया है। निःसन्देह यह सरकार के लिये बड़ी समस्या है कि रुपया कहां से मिले, अपने साधनों के बल पर वह रुपया नकद नहीं चुका सकती है, और भारत-सरकार ने इसके लिये उधार देना अस्वीकार कर दिया है। अधिकृत सूत्रों से बड़ी आशा प्रकट किये जाने पर भी जमींदारी–विनाश कोष के संचय की आज तक की सफलता से १७५ करोड़ रुपये जमा किये जाने की सम्भावना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होती है, मेरा दृढ़ मत है कि प्रत्येक जमींदार को इस संचय में हार्दिक सहयोग देना चाहिये, परन्तु मुझे भय है कि इसकी सफलता की आशा करना कठिन है। निपुण अर्थ शास्त्रियों का यह मत है कि मुद्रा का देहातों में इतना प्रचलन नहीं है कि यदि सब कृषक चाहें भी तो भी वे यह पूंजी दे सकें।

यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि जमींदारों को इस विनाश योजना के अन्दर केवल नाममात्र का प्रतिकर मिलेगा उनका रुपया बांडों में चुकता करना उनके लिये और भी अधिक अनुचित और कठिन होगा, और अन्त में इसका परिणाम आर्थिक पतन होगा। इसलिये मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम के पास प्रचुर धनराशि है, जो कि निरुपयोग पड़ी हुई है। यदि संयुक्त प्रान्त की सरकार उनसे या भारत–सरकार की मध्यस्थता की सहायता से कहीं दूसरी जगह से ढाई प्रतिशत ब्याज की दर पर १७५ करोड़ रुपये उधार लेने की बातचीत करे तो वह जमींदारों का रुपया नकद भुगतान कर सकती है और साथ ही सब झंझटों, लोक अप्रियता और जमींदारी-विनाश कोष योजना के भार व्यय से बच जायगी। जमींदारों को देने के बदले जैसे कि बांडों के बारे में किया जाता है, वे निजाम को भुगतान कर सकते हैं, जिसे कि ब्याजरूप में प्रतिवर्ष ४ करोड़ से भी अधिक रुपये मिलेंगे और इस प्रकार उनकी धन–सम्पत्ति बढ़ जायगी। इस ढंग से जमींदार अपने रुपयों को लाभप्रद व्यापार आदि में लगायें और इस प्रकार अपने जीवन-स्तर का निर्वाह करेंगे और राष्ट्रीय सम्पत्ति में सम्वृद्धि करेंगे। किसानों को बिना कुछ भुगतान किये भूमिधरी के अधिकार मिल जायंगे और तब संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ ई० [(यू० पी० एग्रीकल्चरल टेनेन्ट्स (एक्वीजिशन आफ प्रिविलेजेज़)] के अधीन भूमिधर बनाने का जो प्रस्ताव किया गया है उसके फलस्वरूप सरकार को कई करोड़ के सारे लगानों या मालगुजारी से प्राप्त धन के आधे की हानि उठाने आवश्यकता न होगी। मुझे आशा है कि संबंधित दिशाओं से उपर्युक्त प्रस्ताव पर समुचित विचार किया जायगा।

यह विदित हो जायगा कि किसानों को भूमिधरी अधिकारों को प्राप्त करने के लिये दस गुना लगान सरकार को देना ही पड़ेगा, किन्तु जमींदार को उसके जमींदारी अधिकारों के हस्तगत करने के बदले में उसकी वास्तविक सम्पत्ति का केवल अठगुना ही दिया जायगा। सब के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिये और उनके साथ न्याय होना चाहिये और इसी एक सिद्धान्त के आधार पर जमींदार यथोचित रीति से

उचित प्रतिकर (मुआवजे) का दावा कर सकता है, जिस के लिये जिस सभा-सचिव, चौधरी चरण सिंह ने अपनी जमींदारी विनाश नामक पुस्तक में सुझाव दिया है।

परती भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि और बिखरे हुए वृक्षों के लिये कोई प्रतिकर न दिया जायगा जबकि जमींदारी-विनाश समिति में यहां तक कि समाजवादियों ने भी परती भूमि के लिये दो रुपए प्रति एकड़ देने का सुझाव रखा था। कृषि योग्य बंजर भूमि इस प्रान्त में एक करोड़ एकड़ है और इसलिये जमींदारों को १६ करोड़ रुपए की हानि होती है। बिहार में यह भूमि जमींदारों के पास रहने दी गई है। बिखरे वृक्षों और जमींदार के खुदवाये हुए कुओं के लिये भी प्रतिकर दिया जाना चाहिये। सीर और खुदकाश्त भूमि की जमींदार को अतिआवश्यकता है, क्योंकि भविष्य में उसे पूर्णरूपेण इसी पर अवलम्बित रहना पड़ेगा। वर्तमान संविधान के अनुसार जो सीर नियमानुसार शिकमी रूप में किसी को दी जायगी, वह हाथ से निकल जायगी। यह बिलकुल असंगत है और इस कार्य-विधि से, जिसे कि न्याय और धर्म के समस्त उद्देश्यों के विभिन्न किसी नियम पूर्वनिधि से कार्यान्वित हुआ न समझा जाना चाहिये, यह सम्भव है कि इस प्रश्न के विधान पर से लोगों का विश्वास हट जाय। उन जमींदारों के लिये वैकल्पिक रूप से खेत जोतने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिन्होंने सीर भूमि को शिकमी नहीं कर दिया था और जो अब जमींदारी-विनाश होने के उपरान्त खेत जोतकर जीवन-निर्वाह करने के लिये बहुत उत्सुक हैं।

उन्होंने पिछले दिनों में जुताई नहीं की है, इसलिये उन्हें भूमि हस्तगत करने का कोई अधिकार नहीं है, यह कोई दलील नहीं है। स्पष्टतः उनकी अच्छी आमदनी रही और इसी कारण उन्होंने अपने काश्तकारों से जबरदस्ती भूमि अपने लाभ के लिये वापस न ली। इसका भी ध्यान रखना चाहिये। परती भूमि, जोत में लाने लायक बेकार पड़ी भूमि और इधर-उधर के बिखरे हुए पेड़ों को उनके कब्जे में रहने देना अधिक वांछनीय है। ऐसा करने से इस बिल के उद्देश्यों में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि जहां तक परती भूमि, जोत में लाने लायक बेकार भूमि तथा इधर-उधर बिखरे हुए पेड़ों से उनका सम्बंध है उनको मध्यवर्ती नहीं कहा जा सकता।

अब इस बिल पर उसकी एक-एक धारा लेकर विचार करें। धारा ८ तथा धारा ९ के अन्तर्गत विज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येक आस्थान के मध्यवर्त्तियों के समस्त अधिकार, आगम तथा स्वत्व श्रीमान् सम्राट में निहित है। गांव में स्थित कब्रस्थान या श्मशान-भूमि के संबंध में इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं की गई। हिन्दुओं, मुसलमानों तथा ईसाइयों की अपनी-अपनी कब्रस्थान तथा श्मशान भूमियां हैं। जिन व्यक्तियों की निजी इमारतें इत्यादि सम्पत्ति है उनके सम्बन्ध में उनके साथ बन्दोबस्त करने की व्यवस्था धारा १२ के अधीन की गई है। इस धारा में ऐसे कब्रस्थानों तथा श्मशान भूमि के सम्बन्ध में, जो किसी कुटुम्ब तथा वर्ग की सम्पत्ति है उसके साथ बन्दोबस्त करने का कोई हवाला या जिक्र भी नहीं किया गया है। इसी कारण यह अत्यन्त आवश्यक है कि बिल के वाक्यखंड १२ के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था और की जाय जिससे यह समझा जा सके कि ऐसे कब्रस्थानों तथा श्मशान भूमि के सम्बन्ध में उन कुटुम्ब तथा वर्ग के साथ, जिनकी यह सम्पत्ति है, बन्दोबस्त कर लिया गया है। उनमें जो पड़ पड़े हों उन्हें भी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिये, जिसका उनमें स्वत्व हो। ऐसे कितने ग्रामों में से, जो अब कब्रस्थान हैं, कुछ ऐसे हैं, जो बिलकुल भर गए हैं और उनमें आगे के लिये मुर्दे गाड़ने के वास्ते कोई स्थान नहीं रह गया है। इस कारण यह बहुत आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसे गांवों में, जहां कब्रस्थानों की ऐसी दशा हो, सरकार को चाहिये कि वह उपयुक्त क्षेत्र मुर्दे गाड़ने के लिये नियत कर दे और गांव-समाज से उसका कोई संबन्ध न रहे।

इस बिल की धारा ८ के वाक्यखंड-क के अनुसार समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं। भोगाधिकारों के लिये भी अपवाद नहीं किया है या छूट नहीं दी है। इसीलिये यह अधिकार

भी अब समाप्त हो जायेंग। जहां तक वक्फ़ का संबंध है ये अधिकार भी महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक साल अनेक उर्स और मेले लगते हैं। इन अवसरों पर इतनी भीड़ होती है कि न केवल वक्फ़ों के अधीन जमीनों पर ही परन्तु मन्दिरों आदि के निकट की जमीनों पर भी दर्शनार्थी अपना अड्डा जमा लेते हैं। गांववासियों का सम्मान तथा भोगाधिकारों के कारण ही ... प्रकृति मनुष्य ऐसे जन–समूहों में हस्तक्षेप नहीं कर पाते। इसी कारण यह वांछनीय है कि बिल की धारा १२ में ऐसी व्यवस्था और कर दी जाय जिससे धारा ८ के वाक्यखंड–क अधीन समाप्त किये गए अधिकार पुनः लागू कर दिये जायं और उस व्यक्ति के साथ, जो धारा ५ के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के पहले से, जो ऐसे अधिकार रखता था, बन्दोबस्त कर लिया जाय। दूसरा यह तरीका है कि भोगाधिकारों पर यह ऐक्ट लागू न किया जाय।

९–ख—लगान के बकाया, अबवाब, सायर या अन्य देय, जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले हुए हों, पहले की भांति ही उस व्यक्ति द्वारा वसूल किये जायेंगे, जिसे उन्हें वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो। परन्तु ऐसी डिग्रियों में बेदखलियों का निषेध है। जमींदार के लिये ऐसे देय वसूल करना बहुत कठिन हो जायगा और यह उचित है कि यह व्यवस्था की जाय कि वे मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किये जा सकें।

धारा १२—मुझे प्रसन्नता है कि जोत के अन्दर वाले निजी कुयें काश्तकार या सम्बन्धित व्यक्ति के ही रहेंगे। जैसा कि हाल में संशोधन किया गया है। किन्तु निजी कुओं को भी, जो जोतों के बाहर हैं, मध्यवर्तियों की ही सम्पत्ति माना जाना चाहिये और ऐसा न करने की दशा में उस व्यक्ति को उन कुओं के हस्तगत करने का उचित मुआविजा दिया जाना चाहिये।

धारा २४—इस धारा के निदेश से और अधिक अनुचित कुछ नहीं हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन बेच दी है या दान में दे दी है तो उसका यह कार्य क्यों उस तारीख से, जब कि उसने ऐसा किया है, गैर–कानूनी समझा जाय। वाक्यखंड के निकाल देने से यद्यपि सरकार को कुछ अधिक प्रतिकर देना पड़ेगा किंतु न्याय और साम्य की यही मांग है।

धारा ३३—किसी आस्थान के ले लेने से पूर्व, आगम ऋण सम्बन्धी सब प्रश्नों का समाधान कर लेना चाहिये। वाक्यखंड ६ के अधीन आस्थान को स्वत्वाधिकार में करने की सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित होने से पूर्व, इन सब मामलों का समाधान हो जाना चाहिये। आस्थान सम्बन्धी किये गए मुतालबों के निर्णय करने के तरीके की व्यवस्था धारा ३५ और ७३ तथा धारा ३०४–क और ३०४–ख में निर्धारित कर दी गई है। यह बड़ा लम्बा–चौड़ा तरीका है और इससे मध्यवर्तियों का विनाश हो जायगा। इसलिये शीघ्रता के विचार से इस सम्बन्ध में विशेष अदालतें स्थापित की जायें, जैसा कि बिहार में किया गया है। किसी भी दशा में ऐसे मामलों में प्रतिकर या भुगतान न रोका जाय। प्रतिभूति लेकर जमींदार को इसका भुगतान किया जा सकता है। यदि ऐसा न हो सके तो जितने समय तक भुगतान न किया जाय उतने समय का सूद भी उसे दिया जाय।

धारा ४८ (ख)—किसी मध्यवर्ती की पक्की निकासी अवधारित करने में कृषि–कर की धनराशि न घटायी जानी चाहिये। प्रतिकर के सम्बन्ध में मैं इस प्रश्न पर पहले ही विचार कर चुका हूं। कारण स्पष्ट ही है। भविष्य में अबवाब लागू न होंगे और इसी कारण उनके गुणक प्रतिकर में से घटा दिये जाते हैं; किंतु कृषि आयकर जारी रहेंगे और इसलिये उनके गुणक को नहीं घटाना चाहिये।

४८ (ग)—प्रबन्ध–व्यय, जो घटाया गया है वह उससे अधिक है, जितने की व्यवस्था कृषि आयकर ऐक्ट में की गई है। यह किसी दशा में भी १० प्रति सैकड़ा से अधिक न होना चाहिए। लगान की ऐसी बकाया पर, जो वसूल न हो सके, क्यों कोई छूट

दी जाय। यह उस जमींदार पर दोहरी मार होगी जिसने पहले ही अलग से न हुए लगान के भाग पर मालगुजारी दे दी हो।

वक्फ--हममें से कुछ ने इस विषय पर लम्बा-चौड़ा नोट प्रस्तुत किया है। जहां तक पुनर्वासन अनुदान के देने का सम्बन्ध है, यह बहुत अनुचित है कि 'वक्फ अललऔलाद' को एक इकाई माना गया है। यह उचित है कि वर्तमान फल भागियों को पृथक इकाइयां मानी जायं, क्योंकि व्यावहारिक रूप मे वह पृथक् इकाइयां ही हैं। तदनुसार धारा ७२ और ७८ को संशोधित करना चाहिये। धारा ७८ का स्पष्टीकरण 'वक्फ अललऔलाद' के धार्मिक पहलू पर अनुचित हस्तक्षेप है। दान घर से आरम्भ होता है और इसीलिये कुटुम्ब या वंशजों के भरण-पोषण के सम्बध मे कोई व्यवस्था करना अधार्मिक या अनुदार व्यय नहीं करार दिया जा सकता। बिल के अधीन जो प्रतिकर दिया गया है, वह केवल नाममात्र ही है। इस कारण फलभागियों को पृथक् इकाइयो मानने से पुनर्वासन अनुदान के रूप में कुछ अधिक रुपया इन अभागे व्यक्तियों को मिल जायगा और हमें इसे बुरा न मानना चाहिये। वक्फ संस्थापकों ने उन्हें इसलिये स्थापित किया था, जिससे सम्पत्ति अयोग्य उत्तराधिकारियों के हाथों में न चली जाय, परन्तु उन्होंने यह न सोचा था कि ऐसा करना उनके उत्तराधिकारियों और वंशजों के लिये एक अतिरिक्त आर्थिक हानि का कारण होगा।

वक्फ के फलभागियों के लिये धारा ७५ कठिनाई और परेशानी पैदा करती है। प्रतिकर धनराशि उनके अधिकार में न रहेगी। मुझे डर है कि धारा ३० के अधीन देय अंतरिम प्रतिकर के सम्बन्ध में भी यह स्थिति होगी। अंतरिम प्रतिकर का उद्देश्य मध्यवर्तियों का भरण-पोषण करना है। जब तक पूरे प्रतिकर का अवधारण और भुगतान न हो जाय। जहां तक वक्फ के फलभागियों का सम्बन्ध है, मध्यवर्तियों को सहायता पहुंचाने का जो अंतरिम प्रतिकर का उद्देश्य है वह विफल हो जायगा। मेरे विचार में युक्त प्रान्तीय सरकार के लिये सबसे उपयुक्त यह होगा कि वह इस बिल को ऐक्ट बनाने के पहले केन्द्रीय सरकार से कहे कि वह वक्फ ऐक्ट को रद्द कर दे। उन मामलों के सम्बन्धमें यह और भी आवश्यक है, जिनमें वक्फ सम्पत्ति विशेषकर जायदाद के रूप में है। जमींदारी विनाश के उपरान्त वक्फ ऐक्ट निदेशों के अधीन बचे हुये छोटे घरों या दूसरी सम्पत्ति का प्रबन्ध करना बहुत असुविधाजनक और खर्चीला हो जायगा। 'वक्फ अलल-औलाद' के फलभागियों को अंतरिम प्रतिकर देने के नियमों के अंतर्गत जो भी कार्यवाही की जाय वह यथार्थ रूप में हो। जिससे जब वह बिल ऐक्ट बन जाय तो फलभागियों के अंतरिम भरण-पोषण के लिये उनको अंतरिम प्रतिकर देने में कोई अड़चन न रहे। मुझे यह अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है।

धारा ११९ (ख) वाक्यखंड ख से आबादी स्थल और पूरा वाक्यखंड ग निकाल दिया जाय। ऐसे स्थलों को जमींदार के अधिकार में ही रहने दिया जाय, यदि वे बिल के अंतर्गत नहीं आते। इन स्थलों के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति मध्यवर्ती नहीं है।

अध्याय ५--यह निर्विवाद है कि ऐसे जमींदारों को कृषि-आयकर से सबसे अधिक हानि हुई है, जो पांच हजार से लेकर दस हजार तक मालगुजारी देते हैं। इसलिये पुनर्वासन अनुदान पाने की अधिकतम सीमा बढ़ाकर दस हजार रुपये की मालगुजारी तक कर दी जाय।

अध्याय ६--इस अध्याय में पत्थरों और कंकड़ों को अपवाद गिना जाय। इस दशा में एक काश्तकार के शोषण का प्रश्न ही नहीं उठता।

हाट, बाजार और मेलों को अधिकार में न दिया जाय। इनसे जो आय होती है वह जमींदारी आय बिलकुल नहीं है। मेला लगाने वाले जमींदार और गैर जमींदार दोनों ही हो सकते हैं। इनमें केवल व्यापारिक स्वार्थ निहित है और निजी प्रयत्नों से मेले

लगाये गये है। इनके सम्बन्ध मे उनके मध्यवर्ती होने का कोई प्रश्न ही नही उठना। इस अतिरिक्त आय के सम्बन्ध मे किसी को बुरा न मानना चाहिये और इस आय को जमीदार की निजी सम्पत्ति ही रहने देनी चाहिये। यदि ऐसा नही किया जाता है तो धारा १०८ के आधार पर हाटो, बाजारों और मेलो को पट्टे पर देने की कोई व्यवस्था इस बिल मे कर दी जाय। मेला लगाने वालों का काम किसी भी रूप मे खानो के मध्यवर्ती के काम से नीचे दर्जे का नहीं है।

धारा १३५—इस संशोधित बिल में धारा १३५ के अधीन एक अनुसूची जोड दी गयी है, इसके अनुसार सरकार कृषि (काश्तकारी) विशेषाधिकारों के हस्तगत करने के ऐक्ट सन् १९४९ ई० के निदेशों को संशोधित करना चाहती है। यह एक बहुत विचित्र और हास्यास्पद तरीका है, जिससे ऐक्ट के सम्मान को धक्का लगने की सम्भावना है। यदि सरकार अधिकार प्राप्त करना चाहती है तो उसे इसके लिये या तो धारा सभा के सम्मुख जाना चाहिये या एक आर्डिनेंस जारी करना चाहिये, जैसी कि स्थिति हो, किन्तु ऐसे कार्यों को कार्यकारी अधिकारों द्वारा पूरा करना वांछनीय नहीं ह। धारा १४६-१४७ मूल बिल की धारा १४६-क का संशोधन कर दिया गया है और उसका क्षेत्र भी सीमित कर दिया गया है। मेरी राय मे मूल वाक्यखंड अधिक उपयुक्त था। संशोधित वाक्यखंड के अधीन प्रख्यापन से पूर्व कलेक्टर को इस बात के लिये सन्तुष्ट करना पडेगा कि भूमि रखने या उद्योग के लिये आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भूमि भूमिदारी भूमि ही रहेगी, चाहे वह प्रख्यापन के उपरोक्त कृषि के लिये उपयोग मे न लाई जाय और क्षेत्रपति को उसका लगान देना पड़ेगा, यह अनुचित है।

१५५—भूमि का लगान पर उठाया जाना निषिद्ध है, किन्तु इस प्रचुर भूमि को लगान पर उठाये जाने की व्यापक मांग है और इसके कई कारण भी है। ऐसे मजदूरो को, जिसके पास भूमि नहीं है, साझेदार या किसी प्रकार के 'सेवा अधिकार' (Adٕoıce renaııca) मिलने चाहिये। मेरी राय मे भूमिदारों को अपनी जोत का हिस्सा लगान पर उठाने की आज्ञा दी जानी चाहिये। इससे यू० पी० एग्रीकल्चरल टिनेन्ट्स (एक्विजिशन आफ प्रिविलिजेज) ऐक्ट, १९४९ ई० के अधीन जमींदारी-विनाश कोष का संचय तीव्र गति से बढ़ेगा। सरकार इस पर अवश्य विचार करे और यदि इसी सिद्धान्त के अनुसार वह भविष्य मे भूमि को लगान पर उठाने की अनुमति दे तो इस समय भूमि को शिकमी पट्टे पर उठाने का परिणाम यह न होना चाहिये कि भूमि मालिक आला (tenants in charge) या जमीदारो, जैसी भी दशा हो, के हाथ से निकल जाय।

१५६—अक्षम व्यक्तियों की सूची में (च) के बाद केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार या स्वशासन संस्थाओं में आवश्यक सेवा करने वाले व्यक्तियो को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में मेरा यह विचार है कि पुलिस वाले और स्थानीय बोर्डों के अध्यापक समाज के प्रति उनकी उपयोगिता के विचार से इस रियायत को पाने के योग्य है।

धारा २२४-३७—इस धारा के अधीन इस बिल का उद्देश्य यह है कि ऐसे किसानों को कुछ सुविधायें दी जायं, जिनके पास अलाभकर खाते है, परन्तु यह धारा भी उन्ही क्षेत्रों पर लागू होगी, जिन्हें प्रान्तीय सरकार निर्दिष्ट करे। इसे व्यापक होना चाहिये और इस पर कोई प्रतिबन्ध न लगाना चाहिये। इससे केवल उन्हीं लोगो को लाभ पहुंचना चाहिये, जो वास्तव में ऐसे लाभ के अधिकारी हों। यह रियायत ऐसे किसी व्यक्ति को क्यों न दी जाय जो वैध रूप से इसे पा सकता हो। मेरा यह दृढ़ विचार है कि इस प्रतिबन्ध को हटा लेना चाहिये और धारा २२४ के वाक्यखंड (१) को निकाल देना चाहिये।

किसी संयुक्त खाते के सम्बन्ध में प्रत्येक साझीदार को यह अधिकार होना चाहिये कि निजी काश्त में ८ एकड़ भूमि रखने के लिये वह अपने अधिवासी को बेदखल कर सके।

धारा २५२—यह विचार है कि मालगुजारी एकत्रित करने का प्रबन्ध और तत्सम्बंधी कारिन्दों की व्यवस्था नियमों के अधीन होने दी जाय । धारा २५३ के अधीन गांव पंचायतों को यह काम सुपुर्द किया जायगा। मुझे खेद, है कि में इससे सहमत नहीं हो सकता, इन संस्थाओं को इस काम का कोई अनुभव नहीं है और वे स्वयं अभी परीक्षण की अवस्था में हैं और उनको अभी से यह महत्वपूर्ण काम सुपुर्द करने में खतरा है। यदि सरकारी अमीनों द्वारा वसूली कराई जाय तो उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होगी और वे उत्तरदायी व्यक्ति नहीं होंगे । मेरा विचार यह है कि जब मालगुजारी के संचय के सम्बन्ध में संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धान्त मान लिया गया है तो पुराने लम्बरदारों को ही यह काम तब तक करने दिया जाय जब तक इन पंचायतों को पर्याप्त अनुभव न हो जाय। पुराने लम्बरदार अनुभवी व्यक्ति हैं और मैं आशा करता हूं यदि उन्हें वसूली का पारिश्रमिक दिया जाय तो वे यह कार्य करना पसन्द करेंगे। यदि इस ढंग से काम किया जाय तो सस्ता भी पड़ेगा।

धारा २६५—यद्यपि इस ऐक्ट में सहकारिता के आधार पर खेती करने की व्यवस्था की गई है फिर भी इसे उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कि देना चाहिये था। इस आधार पर वही लोग खेती करें जो स्वयं ऐसा करना चाहते हों और इस ऐक्ट में इस सम्बन्ध में तनिक भी विवश करने की व्यवस्था नहीं की गई है। श्रमिकों के न मिलने की समस्या बढ़ती ही जायगी और अल्प खातों में यंत्र द्वारा खेती करना सम्भव नहीं है। अभाग्यवश हमारे देश का किसान आलसी और लकीर का फकीर है और मुझे डर है कि इस ऐक्ट में सहकारिता के आधार पर खेती करने की जो व्यवस्था की गई है उससे सहकारिता के कामों और यंत्र द्वारा खेती करने के लाभों का उपयोग करने का प्रोत्साहन उसे मिलना कठिन होगा और उपज बढ़ाने के लिये इस ओर ठोस कार्य-वाहियां करनी पड़ेंगी। 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन को तीव्र गति से चलाने के लिये सहकारी आधार पर खेती करने की अपेक्षा खातों को एकजा करना अधिक आवश्यक है। हमारी स्टेट्यूट बुक (Statute Book) में एक ऐक्ट अवश्य है, परन्तु समस्त व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये वह बेकार हो गया है। इस बिल में भी इनकी व्यवस्था नहीं की गई है। यद्यपि अन्य सभी बातें बार-बार आई हैं।

धारा २९१—इस वाक्यखंड के अन्तर्गत जिन अफसरों की नियुक्ति की जाय वे दीवानी के अनुभवी जुडीशियल अफसर हों। इस विषय पर बिहार या मद्रास के ऐक्टों की अपेक्षा यह बिल बहुत लम्बा चौड़ा है और फिर भी इससे बहुत आवश्यक निदेश नियमों के लिये छोड़ दिये गये हैं। यहां ऋण सम्बन्धी कानून का एक पृथक कानून होगा जबकि उन प्रान्तों ने इसी प्रकार के ऐक्टों में ऋण संबंधी प्रस्ताव सम्मिलित कर दिये हैं, जहां तक हो सके खंडों में कानून नहीं बनाना चाहिये । उपर्युक्त मुख्य सुझावों के अतिरिक्त इस बिल के आदेशों को सुधारने के लिये बहुत से अन्य प्रस्ताव किये जा सकते हैं।

उपर्युक्त विचारों के अधीन में इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता हूं और संशोधनों के प्रस्तुत करने का अधिकार उस समय के लिये सुरक्षित रखता हूं जबकि यह बिल धारा सभा के सामने विचार के लिये आयेगा।

लखनऊ,
तारीख २२ दिसम्बर, १९४९ ई०

सुल्तान आलम खां,
एम० एल० ए०।

सर्वश्री वीरेन्द्रशाह, जमशेद अली खां, सुरेश प्रकाश सिंह, एजाज रसूल, राम नारायण गर्ग तथा श्रीमती फूलकुमारी और बेगम एजाज रसूल के मतभेद का नोट

जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था बिल सम्बन्धी संयुक्त प्रवर समिति की बैठकों में हम इस हार्दिक इच्छा से सम्मिलित हुये कि इस अति प्रभावकर प्रस्ताव की इस प्रकार पुनर्रचना करने में सहायता दे, जिससे जमींदारवर्ग के साथ घोर अन्याय न होते हुये काश्तकारों का वास्तविक लाभ हो। हमें यह लिखते खेद होता है कि प्रवर समिति में वादविवाद होते समय कोई महत्व का विषय स्वीकार कराने में हम असफल रहे और समिति द्वारा संशोधित बिल में उसकी प्रायः सभी बुरी बातें मौजूद हैं। बिल की अधिकतर धाराओं के सम्बन्ध में बहुमत रिपोर्ट से मतभेद प्रकट करने के सिवा हमारे लिये कोई मार्ग नहीं है। अब हम इस मतभेद के कारण बताते हैं और बिल के कुछ मुख्य दोष प्रदर्शित करते है। हम इसकी पूरी स्वतंत्रता अपने पास रखना चाहते हैं कि जब प्रवर समिति द्वारा संशोधित बिल व्यवस्थापक मंडल में पेश हो तब उसमें आवश्यक संशोधन उपस्थित करें।

२—आरम्भ में हम उन बड़ी कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिनमें हमने काम किया। इस बिल में लगभग ३०० धाराओं के यू० पी० टिनेन्सी ऐक्ट, १९३८ के संशोधन, २२० से अधिक धाराओं के लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के संशोधन और यू० पी० एग्रीकल्चरल टिनन्ट्स (एक्वीजीशन आफ प्रिविलेजेज) ऐक्ट, १९४९ के संशोधन सम्मिलित किये गये है। हमें बिल के खंडशः या इन ऐक्टों के संशोधनों पर कोई टिप्पणियां नहीं दी गई हैं और इस कारण हमारे सामने रख गये बहुसंख्यक संशोधनों का महत्व समझने में हमें सहायता देने के लिये हमारे पास कोई लिखित मार्ग प्रदर्शन नहीं था। समिति के बहुसंख्यक सदस्यों के व्यवहार से ऐसा मालूम होता था कि ऐसे महत्व का और जटिल बिल, जिसका करोड़ों आदमियों पर प्रभाव पड़ेगा हमारे यहां से अधिक से अधिक शीघ्रता के साथ पास होना चाहिये, चाहे इसके बहुसंख्यक दोषों के कारण इसमें शीघ्र ही संशोधन क्यों न करने पड़ें। यूनाइटेड प्राविन्सेज एग्रीकल्चरल टिनेन्ट्स (एक्वीजीशन आफ प्रिविलेजेज) ऐक्ट, १९४९ के विचार के समय जो असाधारण कार्यविधि अपनायी गयी उससे यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है। मूलतः उपस्थित किये गये जमींदारी-विनाश बिल में जमींदारी के विनाश के बाद भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के सम्बन्ध में एक अध्याय था। चूंकि सरकार जमींदारी-विनाश के पहले ही जमींदारी-विनाश कोष के लिये काश्तकारों से धन लेने के लिये उत्सुक थी इसलिये जल्दी से एक कानून बना दिया गया, जिससे कुछ श्रेणियों के काश्तकार अपनी पेशगी भुगतान कर दें और जमींदारी-विनाश के बाद भूमिधरी अधिकार प्राप्त करें। कानून बना देने के बाद सरकार ने उसके क्षेत्र को बढ़ाना और उसमें ठोस परिवर्तन करना चाहा। कानून को संशोधित करने के बजाय इस कानून के संशोधन इसलिये प्रवर समिति के सामने पेश किये गये हैं कि वे विनाश बिल में सम्मिलित कर दिये जायें और सब से निन्दनीय बात यह है कि इन संशोधनों के सम्बन्ध में किये गये प्रवर समिति के निश्चय संशोधनों के व्यवस्थापिका के समक्ष उपस्थित किये जाने के पूर्व ही तुरन्त निष्पादक आज्ञाओं के रूप में परिवर्तित किये जा रहे हैं। कानून बनाने और उन्हें संशोधित करने के मान्य ढंग का व्यंग चित्रण करने वाले इस ढंग का हम घोर विरोध करते हैं। जमींदारी-विनाश कोष की वसूली को किसी भी उपाय से बढ़ाने के लिये यदि सरकार इतनी उत्सुक है तो वह कानून बनाने के सम्बन्ध में ऐसी कार्यविधि को अपनाने के बदले जो आगे के लिये भयंकर उदाहरण होगी, एक आर्डिनेंस बना सकती है। इन संशोधनों में से जो हमारी बैठकों के आखिरी समय में, जब जमींदारी-विनाश कोष की वसूली योजनानुसार

नहीं हो पा रही थी, हमारे सामने उपस्थित किये गये कुछ का हवाला देकर हम अपनी टीका को सुस्पष्ट करना चाहते हैं। संशोधनों के अनुसार ज्योंही कोई व्यक्ति यू० पी० एग्रीकल्चर टेनेन्ट्स (एक्वीजीशन आफ प्रिविलेजेज) ऐक्ट के अधीन डिक्लेरेशन प्राप्त कर लेता है त्योंही वह भूमिधर हो जाता है, यद्यपि जमींदारी-विनाश बिल अभी प्रवर समिति में ही है और इस भूमिधर को दूसरे भूमिधर बनाने में सहायता देने के लिये असाधारण अधिकार दिये जाते हैं। वह बिना जमींदार को पूछे किसी को भी सहकाश्तकार लिख सकता है। इस समय सचिव-मंडल का एकमात्र लक्ष्य यह है कि वर्तमान कानूनों को संशोधित करने के लिये की जाने वाली साधारण विधियों का कोई भी विचार किये बिना किसी भी प्रकार जमींदारी-विनाश कोष के लिये धन प्राप्त किया जाय।

३—अब हम पूरे बिल को लेते हैं। उद्देश्य और कारण सम्बन्धी वक्तव्य में कहा गया है कि "वर्तमान भूमि-व्यवस्था में बिना मौलिक परिवर्तन किये कृषि-कार्यक्षमता तथा वृद्धिगत खाद्योत्पादन के सुनिश्चित करने, ग्रामीण जनता के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये अवसर देने के हेतु ग्राम-निर्माण की कोई योजना नहीं चलाई जा सकती"। हम देखना चाहते हैं कि इन महत्वाकांक्षी दावों को बिल कहां तक पूरा करता है। हम पहले इसका पता लगाना चाहते हैं कि क्या बिल से काश्तकार की वर्तमान स्थिति सुधरती है और यदि सुधरती है तो किन दृष्टियों से। जमींदारी के विनाश के बाद कृषकों के तीन मुख्य वर्ग होंगे—भूमिधर, जिन्हें हस्तान्तरण करने का सीमित अधिकार होगा, सीरदार, जिन्हें ऐसा कोई अधिकार न होगा और असामी, जिन्हें कोई स्थायी भौमिक अधिकार न होगा और इस कारण जो जमींदार द्वारा बदखल किया जा सकेगा। काश्तकारों (जिनमें बिना सहमति दखल किये हुये और ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे जिन्होंने जमींदार की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है) और मातहतदारों को भूमिधरी अधिकार तभी प्राप्त हो सकेंगे जब काश्तकार अपने लगान की दस गुना रकम और मातहतदार मुख्य काश्तकार के लगान की साधारणतः पंद्रह गुना रकम अदा करेगा। सरकार आशा करती है कि वह तुरन्त ही १९५ करोड़ रुपया और विनाश बिल स्वीकार हो जाने के बाद और रुपया एकत्र कर लेगी। भूमिधर को जो नये अधिकार मिलेंगे, वे ये होंगे :—

(१) उसका मौजूदा लगान आधा घट जायगा (बिल का वाक्यखंड १४३)।

(२) उसे हस्तान्तरण का सीमित अधिकार मिलेगा (वाक्यखंड १५१)।

(३) वह अपनी जमीन को चाहे जिस काम में ला सकेगा (वाक्यखंड १४५, १४७)।

(४) वह अपने भाग को विभक्त करा सकेगा (वाक्य खंड ३, १४३-अ)।

(५) वह वसीयतनामा लिख कर अपने खाते की वसीयत कर सकेगा (वाक्यखंड १६७)।

४—भूमिधरी के निदेशों पर हम कुछ विस्तार से विचार करना चाहते [illegible] कारण वे भूमि अधिकार की नयी प्रणाली की धुरी हैं। रुपये के भुगतान पर लगान के आधा कर दिये जाने और उसका नया नाम मालगुजारी रखने का मतलब यह है कि उन काश्तकारों ने, जिनके पास तैयार रकम है और कर्ज नहीं लिया है, सरकार को ५ प्रतिशत व्याज पर वापस न हो सकने वाला कर्ज दिया, बशर्ते कि अगले ४० वर्षों में मालगुजारी न बढ़े। उन काश्तकारों के मामले में, जिन्हें कर्ज लेना है इसका अर्थ यह है कि जिस व्याज पर रकम कर्ज दी जायगी उससे बहुत अधिक व्याज पर कर्ज लिया जाय और इस कर्ज को वापस करने का भार भी उस पर रहे। जहां तक आर्थिक लाभ का संबंध है दोनों ही मामलों में काश्तकारों की स्थिति वर्तमान स्थिति से खराब ही होगी। ऐसे भी बहुत से मामले होंगे जिनमें ऐसे लोग जिन्हें कोई

अधिकार नहीं है, इस आशा से रकमें दे देंगे कि इससे उनके दावे मे मजबूती आयेगी। वे अफसर जिन्हें धन संग्रह का काम सोंपा गया है यथाशक्ति अधिक धन संग्रह करने की व्यग्रता के कारण इसकी ओर विशेष ध्यान नहीं देते कि कौन अधिकारी दावेदार है। परिणाम यह होगा कि बाद में अत्यधिक मुकदमे इसके निर्णय के लिये चलेंगे कि एक विशिष्ट व्यक्ति को रक़म जमा करने और भूमिधरी अधिकार का दावा करने का अधिकार था या नहीं। दूसरों के सामने दृष्टान्त उपस्थित करने के लिये मुखिया, पंच, सरपंच, स्कूलों के अध्यापक आदि सरकारी नौकरों पर जो दबाव निःसंकोच डाला जा रहा है उसका विचार हम अपने परीक्षण मे छोड़ देते है। हम इस प्रश्न के अधिक संगीन पहलुओं पर विचार करना चाहते है। भूमि को जोतने वाले लगभग डेढ़ करोड़ व्यक्तियों को भूमिधरी अधिकार देने और उन्हे ज़मीन को चाहे जिस काम मे लाने की अनुमति देने का उद्देश्य क्या है? यह स्पष्टरूप से लिखा गया है कि भूमिधर अपनी ज़मीन को किसी भी काम मे ला सकता है (वाक्यखंड १४५) वह उसे ऐसे काम मे ला सकता है जो कृषि, बागबानी या पशुपालन से संबंधित नहीं है। वह उसे औद्योगिक अथवा रहने के काम में ला सकता है। बिक्री के अधिकार सहित इस वाक्यखंड का परिणाम क्या होगा? अपेक्षाकृत गरीब काश्तकारों की बहुत सी भूमि ज़मीन के सट्टेबाजों और महाजनों के हाथ बिक जायगी। अन्नों व फलों के उत्पादन अथवा पशुपालन के अलावा दूसरे किसी काम में ग्राम भूमि का उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता किस प्रकार देश को खाद्य-सामग्री के विषय में आत्मनिर्भर बनाने मे सहायक होगी। क्या इसी प्रकार भूमिधरों को अधिक अन्न उपजाने के लिये प्रोत्साहित किया जायगा। इस वाक्यखंड का क्या परिणाम होगा कि भूमिधर अपने भाग को विभक्त करा सकता है (वाक्यखंड-१४३-अ)? ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है कि विभक्त भाग ६ १/४ एकड़ से, जो मौलिक जोत का प्रमाण है, कम न होगा। बिल की मूल योजना का इस प्रकार मौलिक त्याग स्पष्टतः इसलिये किया गया है कि कोटन्योर होल्डर, यू० पी० एग्रीकल्चरल टिनेन्ट्स (एक्वीजीशन आफ प्रिविलेजेज) ऐक्ट, १९४८ ई० के अधीन भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के हेतु अपने हिस्से के लगान का दसगुना देने के लिये प्रवृत्त हों। अविभाज्यता के इस सिद्धान्त का यदि अब पालन नहीं करना है तो कोई कारण नहीं कि दूसरे टेन्योर होल्डरों के मामले मे विभाजन की अनुमति क्यों न दी जाय और पूरे १९१ वाक्यखंड की फिर से रचना न की जाय। यही आलोचना वसीयतों (वाक्यखंड १६७) पर लागू होती है। क्यों भूमिधर अपने खाते की इस प्रकार वसीयत कर सकता है कि उससे बहुत से अलाभकर खाते तैयार हों। यदि वह ऐसा कर सकता है तो अलाभकर खातों की संख्या घटाने की यह सब बातें सुखद कल्पनामात्र हैं।

५—हस्तान्तरण (मुन्तकिली) के सीमित अधिकार देने के सम्बन्ध में हमें इस बात की शंका है कि क्या इस प्रकार का अधिकार देना सर्वथा लाभदायक होगा। २५० रु० से कम मालगुजारी देने वाले जमींदारों की भूमि मुन्तकिल और रेहन करने के सम्बन्ध में १९४० ई० के एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऐक्ट में कड़े प्रतिबन्ध रक्खे गये थे। यदि बिक्री द्वारा हस्तान्तरण करने में केवल यही प्रतिबन्ध है कि अन्तरण के बाद अन्तरिणी ३० एकड़ से अधिक भूमि का मालिक न बन सके, तो साहूकारों के हाथ में काफी भूमि चली जायगी। क्योंकि मकरूज (ऋणग्रस्त) होने की सम्भावनायें बहुत बढ़ जायेंगी और प्रान्त के किसी भी भाग मे खेतिहरों और अखेतिहरों में कोई भेद न रह जायगा।

६—इसलिये यह कहने के लिये हम विवश है कि ज़मींदारी उन्मूलन कोष के लिये अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की सरकार की इच्छा के कारण भूमि-व्यवस्था के अनेकों सिद्धान्तों का, जिनकी घोषणा सरकार द्वारा उच्च स्वर से की गई थी, त्याग किया गया है और बहुत सी एसी कार्यकारी आज्ञायें जारी की गई हैं, जो मौजूदा कानूनों की घोर विरोधी हैं। हम लोगों को धारा १३५ (२) से घोर आपत्ति है, जो उन तमाम आज्ञाओं, कार्यवाहियों और प्रख्यापनों की क्षतिपूर्ति करता है, जो १९४९ ई० के

यू० पी० एग्रीकलचरल टनैन्ट्स (एक्वीजीशन आफ प्रिविलेजेज) ऐक्ट के अवधि काल में जारी किये गये थे। हम लोगों को यह विश्वास करने के लिये कारण है कि जमींदारी उन्मूलन कोष के लिये धन-संग्रह करने के लिये माल विभाग के कर्मचारियों को बहुत सी आपत्तिजनक आज्ञायें जारी की गई हैं। हमने सरकार से उन तमाम कार्यकारी आज्ञाओं की नकल मांगी है, जो बोर्ड आफ रेवेन्य, माल विभाग और नये निर्मित विभाग, जिसके श्री खेर प्रधान हैं, द्वारा जारी किये गये हैं। हम केवल ऐसी एक आज्ञा का हवाला देंगे। हमें मालूम हुआ है कि हाल ही में एक आदेश जारी किया गया था कि खातों में नये इन्दराज की तस्दीक जमींदार की स्वीकृति के बिना ही कानूनगो द्वारा की जा सकेगी या ऐसे लोगों का नाम खातों में मातहत कर्मचारियों की उपेक्षा द्वारा दर्ज कराना, जिनका उन खातों में कोई अधिकार नहीं है या जिनका अधिकार संदिग्ध है, एक अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी प्रलोभन है। हमने पटवारियों द्वारा बांटे गये छपे हुये परचे भी देखे हैं। गन्ना पैदा करने वालों की ओर से बांड रूप है कि गन्ने की कीमत, जो चीनी के कारखानों से तय हुई है, जमींदारी उन्मूलन कोष में देने के लिये कारखानों द्वारा काट कर जमा की जा सकती है। हमें मालूम हुआ है कि गन्ने का काश्तकार जिस क्रम और तादाद में गन्ना किसी कारखाने में ले जा सकता है उसकी पूरी व्यवस्था इस प्रकार बदल दी जाने वाली है कि दोनों बातों के सम्बन्ध में उन्हीं को तरजीह मिले, जो भूमिधर होने के लिये तैयार हैं। हमने धन-संग्रह करने के इन आपत्तिजनक तरीकों की ओर अपने इस दलील के समर्थन के लिये संकेत किया है कि क्षतिपूरक सम्बन्धी धारा [धारा १३५ (२)] इसलिये बनाई गई है कि उसके अन्तर्गत ऐसी निन्दनीय आज्ञायें आ जायें। इस प्रश्न के विवाद को हम जमींदारी उन्मूलन समिति की सिफारिशों की ओर संकेत करके समाप्त करेंगे, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधान मंत्री महोदय थे और जिसमें सेलेक्ट कमेटी ज्वाइन्ट (प्रवर समिति) के बहुत से सदस्य शामिल थे। इस समिति ने तमाम काश्तकारों बिना किसी मूल्य (शुल्क) के ही हस्तान्तरण अधिकार प्रदान किये जाने की सिफारिश की थी। हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि अब उनसे ऐसा रुपया क्यों मांगा जा रहा है। हमारा विचार है कि यदि बहुमत द्वारा स्वत्व हस्तान्तरण अधिकार वांछनीय समझा जाय तो यह अधिकार निःशुल्क प्रदान किया जाना चाहिये।

७—अब हम बिल के एक दूसरे मौलिक सिद्धान्त पर विचार करेंगे यानी यह कि जमीन जोतने वालों का जमींदार को लगान देने का अर्थ है उनका शोषण, पतन और अधीनता। अक्षमों के सिवा जिनकी तालिका धारा १५६ में दी गई है दूसरों का और उन असामियों के सिवा जिनकी व्यवस्था धारा १३४ में की गई है दूसरों से लगान वसूल करना निषिद्ध किया जाने वाला है।

यदि उद्देश्य यह था कि कृषि उत्पादन साधनों का समाजीयकरण किया जाय तो किसी जमींदार द्वारा मजदूरों के जरिये जमीन की जुताई कराना उसे लगान पर उठाने से कुछ कम शोषण की बात नहीं समझना चाहिये था। उदाहरण के लिये कोई भी व्यक्ति उस जमीन पर किसी आदमी को मजदूरी देकर काम नहीं करा सकता है जो उसे मवेशियों को पालन के लिये या अपने काम में लाने के लिये दी गई हो। बिल में लगान वसूल करने के सम्बन्ध में जो निषेध किया गया है उससे एक विचित्र परिणाम निकलता है। वह जमींदार, जिसके पास एक फार्म हो, जिसमें गांव की कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भाग शामिल हो, (आ गया हो) और जिसे मजदूरी देकर जोता जाता हो और इस प्रकार यद्यपि उसने भूमि रहित लोगों की संख्या बढ़ा दी हो, फिर भी उसे 'हितैषी' कह कर पुकारा जाता है और उस जमींदार को शोषक कह कर पुकारा जाय जिसने अपनी जमीन का अधिक भाग काश्तकारों को लगान पर दे दिया हो, जिन्हें अपनी भूमि के सम्बन्ध में तुरन्त स्थायी और मौरूसी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और जिनका लगान कानून द्वारा नियंत्रित होता रहता है और यह लगान कृषि पैदावार के मौजूदा मूल्य उपज के हिसाब से उसकी पैदावार

की कुल कीमत का १/२० या १ ३० होता है। यह एक ऐसा भेद रक्खा गया है जिसकी तर्क से पुष्टि नहीं हो सकती और वह समाजवाद के अथवा के सिद्धान्तों पर आधारित है। आखिर ऐसे विकृत सिद्धान्तों को पश्चात् दर्शी (retrospective) प्रभाव रखने वाला सिद्धान्त क्यों मान लिया गया। आगरा टेनेन्सी ऐक्ट जो मौजूदा प्रधान मंत्री के प्रथम कार्यकाल में पास हुआ था उसके अन्तर्गत काश्तकारों ने कानूनी तौर पर जो जमीन शिकमी पर उठाई है उसका कुल रकबा लगभग १७॥ लाख एकड़ है। जमींदारों द्वारा शिकमी पर उठाई गई जमीन का रकबा लगभग १०,६७,००० एकड़ है (देखिये पृष्ठ ८, खंड २ जमींदारी-उन्मूलन समिति की रिपोर्ट)। इस जमीन का काफी हिस्सा उन लोगों के कब्जे से निकल जायगा, जिन्होंने उसे शिकमी पर उठाया था। इस सम्बन्ध में हम दो उद्धरण देना चाहते हैं—एक १९३९ इ० की आगरा टेनेन्सी बिल सम्बन्धी सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से, दूसरा जमींदारी-उन्मूलन समिति की रिपोर्ट से और इन दोनों समितियों में प्रधान मंत्री महोदय ने प्रमुख भाग लिया था "इसलिये हम लोगों ने निश्चय किया है कि ऐसी हालतों में सीर के काश्तकारों को मौरूसी हक नहीं दिया जाना चाहिये जब तक कि जमींदार का उत्तराधिकारी (वारिस जानशीन) कोई ऐसा व्यक्ति न हो, जो काश्त की देख-भाल करने के योग्य हो या जमींदारी कोर्ट आफ वार्ड की निगरानी (संरक्षण) से मुक्त न हो जाय। हम यह भी नहीं चाहते कि बड़े जमींदार भविष्य में अपनी निजी काश्त के लिये एक मुनासिब रकबा हासिल करने के अधिकार से वंचित रहें सिर्फ इसलिये कि ऐक्ट लागू होते समय उन्होंने अपनी सीर को सम्भवतः उचित कारणों से शिकमी पर उठा दिया था; क्योंकि वे घर से दूर सरकारी नौकरी या व्यवसाय या व्यापार में लगे हुये हैं। इसलिये हम लोगों ने एक सीमा निर्धारित कर देने का निश्चय किया है ताकि अपेक्षाकृत बड़े जमींदारों की सीर उनके सीर के काश्तकारों का हक मौरूसी प्रदान कर दिये जाने से कम न हो सके।" (१९३९ के आगरा टेनेंसी बिल सम्बन्धी सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट वाक्यखंड १३ बी)।

(२) "असल काश्तकार को अपनी पूरी जोत या उसके किसी भाग को एक सीमित काल के लिये शिकमी पर उठा देने का कानूनी हक हासिल है और यदि कानून द्वारा उसे प्रदान किये गये अपने अधिकार को अमल में लाने के लिये दंडित किया जाय तो इससे उनमें ऐसी भावना पैदा हो जायगी जिससे वह अपने को सुरक्षित नहीं समझेंगे। इसके अलावा शिकमी काश्तकारों में से बहुत से ऐसे हैं जो केवल भूमि रखे (allotment holders) हैं और जिनके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा होता है कि वह उसके द्वारा अपनी आमदनी बढ़ा सकें। आमतौर पर वे कुशल काश्तकार नहीं हैं और बहुधा उनके पास खेती के कारोबार को अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में स्थायी तौर पर चलाने के लिये वर्किंग (कार्यशील) पूंजी या स्टाक (राशि) नहीं होता है।" (युक्त प्रान्तीय जमींदारी-उन्मूलन समिति की रिपोर्ट खंड १, पृष्ठ ३८१)।

८—२५० रुपये से अधिक मालगुजारी अदा करने वाले जमींदारों के सम्बन्ध में १९३९ के टेनेंसी ऐक्ट (कानून कब्जा आराजी) द्वारा उन्हें ५० एकड़ तक की सीर रखने का हक दिया गया था। अब यह अधिकार भी छीन लिया गया है और उनके सीर के काश्तकारों को तात्कालिक प्रभाव सहित मौरूसी के अधिकार दे दिये गये हैं। ऐसे अचानक कानूनी परिवर्तनों से वर्तमान सरकार द्वारा किये गये व्यवस्थापन कार्यों में (बनाये गये कानूनों से) और भी संरक्षण की भावना उत्पन्न होगी।

९—हम लोगों का यह दृढ़ विचार है कि शिकमी पर उठाने के सम्पूर्ण निषेधों से बहुतेरी छल-कपट की बातें उत्पन्न होंगी और ऐसे लोगों को विशेष क्लेश पहुंचेगा जैसे स्कूलों के अध्यापक और उन्हें जो स्वशासन संस्थाओं में नौकरी करते हों या सरकारी नौकरी करते हों। स्कूल के अध्यापकों और पुलिस दल के लोगों के सम्बन्ध में, चाहे वे नागरिक क्षेत्र में काम करते हों या सशस्त्र दल में, अपवाद करना बहुत ही न्यायोचित है। हम लोगों का यह भी मत है कि शिकमी उठाने के निषेध को पश्चात्दर्शी (retrospective) न होना चाहिये और जिन लोगों ने मौजूदा कानून के अनुसार शिकमी उठाया है उन्हें ठेकों की समाप्ति के बाद उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिये।

१०—हमें खेद है कि मौरूसी काश्तकारों का लगान खाते के रकबे के अनुसार रुपये में ६ आना से १ आना तक घटाने के सम्बन्ध में जमींदारी–विनाश कमेटी की सिफारिश को और इस सिद्धान्त को दखीलकार और गैरदखलीकार काश्तकारों के लगान पर लागू करने की बात के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कमेटी ने यह अनुमान लगाया था कि लगान में लगभग १३२ लाख रु० की कमी हो जाती (जमींदारी–उन्मूलन की रिपोर्ट खंड १, पृष्ठ ५३८)।

११—हम प्रस्तावित भूमिसुधार व्यवस्था का किसानों पर प्रभाव पड़ता है उसकी जांच को काश्तकारों से मालगुजारी वसूल करने के ढंग का संकेत करके समाप्त करेंगे। भूमिधरों और सीरदारों द्वारा मालगुजारी अदा करने का दायित्व संयुक्त और पथक-पृथक होगा [वाक्य खंड २१०, (१) नये वाक्य खंड २३० (२)] में सच्ची सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है और सब बातें सरकार के विवेक पर छोड़ दी गई हैं। पौने दो करोड़ किसानों की दशा में जिनमें से अधिकतर बिना पढ़े लिखे हैं संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त को लागू करने से उत्पीड़न और भ्रष्टाचार बढ़ेंगे। मालगुजारी अदा न करने (खंड २६०) की दशा में जो दंड रक्खे गये हैं उनमें न केवल गिरफ्तारी और हिरासत शामिल है, किन्तु जन–सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम भी, जिसमें फस्ल भी शामिल है और अचल सम्पत्ति का विक्रय भी। यह स्पष्ट है कि राज देय धनराशियों का भुगतान न करने के दायित्व और दंड दोनों ही बहुत बढ़ जायेंगे और वे अधिक से अधिक दृढ़ता के साथ लागू किये जायेंगे।

१२—इस सम्बन्ध में हम काफी कह चुके हैं कि यदि भूमि सुधार योजना बिल में सम्मिलित की गई तो उससे काश्तकार को कोई सहायता न मिलेगी बल्कि उसके भार और खतरे काफी बढ़ जायंगे, उसका लगान कम न होगा। छोटी छोटी जोतों का तरीका जारी रहेगा, अलाभकर जोतों की संख्या में कोई कमी न होगी, कुल जोतों के रकबे का ९१ प्रतिशत ऐसे जोतों का रकबा होगा यदि लाभकर जोतों का रकबा इस समय ८ एकड़ नियत कर दिया जाता है। भूमिधरी अधिकारों को प्रदान करने के लिये जो जर पेशगी मांगा जायेगा उसके कारण और जमींदारी–उन्मूलन कोष की वसूली के लिये जिन बढ़े तरीकों का प्रयोग किया जायगा उसके कारण बहुत से लोग कर्जदार हो जायेंगे, भूमि शिकमी देने पर पाबन्दियों को पश्चात् दर्शी प्रभाव सहित लागू करने से लगभग १७ १/२ लाख एकड़ भूमि मुख्य काश्तकारों के हाथ से निकल जायगी जिसके कारण वे बड़ी कठिनाई में पड़ जायेंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी देय धनराशियां वसूल करने के तरीकों से "काश्तकार के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास" न हो सकेगा बल्कि माल विभाग के मामूली कर्मचारी, जो अपने लालच भ्रष्टाचार के लिये बदनाम हैं, उन्हें और भी तुच्छ बना देंगे।

१३—अब हम बिल की योजना पर संक्षेप में इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे कि जमींदारों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पुनर्वासन अनुदान संबंधी भुगतान के और अतिरिक्त १० रुपया मालगुजारी देने वाले और एक लाख रुपया माल–जारी देने वाले जमींदारों में कोई भेद न किया जायगा, २० लाख से कुछ अधिक जमींदारों में से प्राय: २० लाख जमीदार २५० रु० या इससे कम मालगुजारी देते हैं और इनमें ८६ प्रतिशत से कुछ अधिक २५ रु० या इससे कम मालगुजारी देते हैं। जमींदारी–उन्मूलन समिति ने उन्हें लगान पाने वाला नहीं बल्कि वास्तव में काश्तकार बताया है। जमींदारी–उन्मलन समिति की रिपोर्ट भाग १, पृष्ठ ३४३। वे ऐसे जमींदार या मालिक नहीं हैं जो अपनी जमींदारी में न रहते हों। फिर भी उन्हें समाप्त करना है क्योंकि वे लगान पाने वालों के निन्दित वर्ग में आते हैं, यद्यपि कि यह मान लिया गया है कि उनमें से बहुतों की हालत काश्तकारों से भी अधिक खराब है। अपनी बहुत सी सीर जमीन भी जो उन्होंने शिकमी दे रक्खी है और जो कुल ५९ लाख एकड़ में से ८ लाख एकड़ है यानी लगभग १४ प्रतिशत है, उनके हाथ से निकल जायगी। इसके अतिरिक्त इनके वे मालिकाना अधिकार भी बिना किसी मुआवजे के समाप्त हो जायंगे जो इन्हें काश्तकारी योग्य परती जमीन और उस जमीन में आबादी और इधर–उधर फले हुये पेड़ों में प्राप्त

हैं। मैंने तीन ही उदाहरण दिये हैं, इन २० लाख जमींदारों को कितना मुआवजा मिलेगा। जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट भाग १ के पृष्ठ४१८ और ४२० में दी हुई कच्ची निकासी और मालगुजारी के आंकड़े को लेकर और कच्ची निकासी की मालगुजारी पर १८॥। प्रतिशत के लगे कर और १५ प्रतिशत के प्रबन्ध व्यय को लेकर सब हिसाब लगाने से जैसा कि बिल में व्यवस्था की गई है, कुल संपत्ति का ८ गुना मुआवजे की रकम केवल २६ करोड़ ८० लाख रुपये होगी। स्पष्टतः यह बहुत ही अपर्याप्त है। जमींदार, दस श्रेणियों में विभाजित किये गये हैं। उनका मुआवजा निर्धारित करने के लिये यदि विभिन्न गुणकों का प्रयोग किया जाता, उनसे उत्पन्न कानूनी कठिनाइयों को दूर करने के लिये, और मुआवजे को पूरा करने के लिये पुनर्वासन अनुदान देने के तरीके पर अमल किया गया है, किन्तु पुनर्वासन अनुदान पाने वाली श्रेणियों के लिये विभिन्न गुणकों का प्रयोग करके पुनर्वासन अनुदान नीचे के क्रमानुसार निर्धारित की जायगी। २५० रु० या इससे कम मालगुजारी देने वाले जमींदारों की सूरत में पुनर्वासन अनुदान की रकम लगभग ५२ करोड़ ९६ लाख रुपये होगी। हमारा अनुमान है कि समस्त आठों श्रेणियों, अर्थात् ५,००० रु० और इससे कम मालगुजारी देने वाले सब जमींदारों को कुल मुआवजा और पुनर्वासन अनुदान की रकम ११२ करोड़ २३ लाख रुपये होगी जिसमें से ६५ करोड़ ८३ लाख की पुनर्वासन अनुदानें होंगी। यह पुनर्वासन अनुदान दी कैसे जायगी? बिल में यह बात सरकार के ऊपर छोड़ दी गई है कि वह इसके देने का तरीका नियत करे (वाक्यखंड ७१)। किन्तु हमारी समझ में नहीं आता कि नकद या काबिले इन्तकाल बांड के रूप में देने के अतिरिक्त पुनर्वासन अनुदान और दूसरे किस रूप में दी जा सकती है। २० लाख छोटे-छोटे जमींदारों का पुनर्वासन कैसे सम्भव हो सकता है, यदि उनका मुआवजा और पुनर्वासन अनुदान नकद न देकर एनुइटीज (सालाना किस्तों) में दिया जायगा। इसका अर्थ पुनर्वासन कराना नहीं किन्तु बेघरबार करना होगा। किन्तु शायद जमींदारों के मामले में, जिसका वह जानबूझकर उन्मूलन कर रही है, पुनर्वासन का अर्थ ऐसा है जो साधारणतया लोग उस शब्द से नहीं समझते है। हमारा यह दृढ़ विचार है कि ऐसे जमींदारों की सूरत में जिनका मुआवजा इतना अपर्याप्त है कि पुनर्वासन अनुदान देकर उसे पूरा किया जा रहा है, मुआवजे और पुनर्वासन अनुदान की सारी रकम नकद दी जानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो १ करोड़ ऐसे लोगों को हटाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त यह बहुत ही कठोर विचार है कि खेती करने वाले मालिकों से लगभग ८ लाख एकड़ अच्छी भूमि ले ली जाय और इसके ऊपर खेती योग्य परती पड़े हुये बड़े रकबों और एक बड़ी संख्या में इधर-उधर फैले पेड़ों को उनसे छीन लिया जाय और फिर उन्हें ऐसे ढंग पर, जिन्हें सरकार निर्धारित करेगी, एक पुनर्वासन अनुदान दिया जाय। सरकार द्वारा दी गई अनुदानों से ये हटाये गये व्यक्ति दूसरा कौन सा नया पेशा शुरू करेंगे। इनके काम करने के लिये कौन सी नई राहें खोली गई हैं। पश्चिमी पंजाब के काश्तकार शरणार्थियों को भी खेती ही के काम में लगाकर फिर से बसाया गया है इस प्रान्त में हठपूर्ण सिद्धान्त कि काश्तकारी की जमीन को लगान पर देना एक समाज विरोधी कार्य है, के लिये छोटे-छोटे जमींदारों के हितों का बलिदान किया जा रहा है। इंगलैण्ड या अमेरिका में इसे ऐसा नहीं समझा जाता।

१४--अब हम उन जमींदारों के मामलों पर विचार करेंगे जो ५,००० रु० और इससे अधिक मालगुजारी देते हैं किन्तु ऐसा करने के पहिले इस मसले को ठीक से समझने के लिये हम कुछ बातें बता देना जरूरी समझते हैं। मिनिस्टरों द्वारा हमें बार-बार आश्वासन दिया गया है कि सरकार की भूमि-सुधार नीति जमींदारों के विरुद्ध किसी शत्रुता की भावना पर नहीं आधारित है। हम चाहते हैं कि कहने और करने में अन्तर न हो। जब अगस्त, १९४६ ई० में सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का निश्चय कर लिया था तो उसने इसके बाद मालगुजारी के १० प्रतिशत से १८॥। प्रतिशत तक कर (अबवाब) क्यों बढ़ा दिया और ज़मींदारी-उन्मूलन बिल को असेम्बली में पेश करने के ६ महीने पहिले

एक कृषि आय कर ऐक्ट (एग्रीकल्चरल इनकम् टैक्स ऐक्ट) क्यों पास किया? इन दोनों कार्रवाइयों को कार्यान्वित किये जाने के बारे में भी हम कुछ कहेंगे। बढ़ाये गये अबवाब का पर्ता १ आना ६ पाई फी रुपया होता है जिसमें से ३ पाई फी रु० किसान देना है। चूंकि लगान देने वालों की सूची के अनुसार उनकी संख्या १७ करोड़ है, इसके माने हैं कि काश्तकारों को एक साल में लगभग २७ लाख देने पड़े। सरकार कर की पूरी रकम जमींदार से वसूल कर लेती है जिन्हें काश्तकार से उस कर का हिस्सा वसूल करने का अधिकार है। किन्तु जहां तक है, जमींदारों ने लगभग ...ल रकम अदा कर दी है और ज्यादा जिलों में किसानों ने इसका भुगतान नहीं किया क्योंकि किसानों के इस भुगतान के दायित्व के सम्बन्ध में कोई आज्ञा नहीं जारी की गई। ५,००० रु० और इससे अधिक मालगुजारी देने वाले जमींदारों के ऊपर कृषि आयकर का एक बहुत बड़ा भार पड़ गया है, यही नहीं, कि यह केवल कठोरता के साथ लागू किया जा रहा है, बल्कि दो वर्ष का कर उनसे एक ही वर्ष में वसूल किया जा रहा है और यह वसूली इतनी कड़ाई के साथ की जा रही है कि बहुत सी बड़ी-बड़ी रियासतों को भी अपनी नियत किस्त अदा करने में कठिनाई हुई। इससे यह साफ साबित होता है कि यह ऐक्ट राज्य की आय के विचार से नहीं पास किया गया था बल्कि बड़े-बड़े जमींदारों को आर्थिक रूप से असमर्थ बनाने के लिये पास किया गया था ताकि वे जमींदारी-उन्मूलन का विरोध न कर सकें। हम जमींदारी-उन्मूलन समिति की रिपोर्ट के भाग १ का पृष्ठ ३५७ के निम्नांकित उस अंश की ओर ध्यान दिलाना नितान्त आवश्यक समझते हैं जिस पर कि प्रान्त के प्रधान सचिव और माल सचिव ठाकुर हुकुम सिंह ने अपने हस्ताक्षर किये हैं। "जब तक कि जमींदारी जिस पर कि निश्चय ही बार-बार अकाल पड़ने और स्थायी रूप से खाद्यान्न की कमी की जिम्मेदारी है, समाप्त नहीं कर दी जाती, तब तक हमारे खाद्यान्न सम्बन्धी संकट का स्थायी और अन्तिम हल नहीं हो सकता"। ४० वर्ष हुये इस प्रान्त में कोई दुर्भिक्ष नहीं आया। किसान जितना आज खुशहाल है उतना कभी नहीं था और मंत्रिमंडल के अपने अनुदानों के अनुसार भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के लगभग २०० करोड़ रुपया आसानी से दे सकते हैं। खाद्यान्न का अभाव ज़मींदारी प्रथा के कारण हैं क्योंकि अधिकतर भूमि किसान के पास है, जिन्हें उस पर स्थायी और मौरूसी अधिकार प्राप्त हैं, और जिसका लगान आजकल उनकी कुल पैदावार के मूल्य के हिसाब से लगभग ६ पाई फी रुपया है। भारत का विभाजन जिसके कारण एक अधिक मात्रा में मिलने वाले गेहूँ और चावल की सप्लाई बन्द हो जाने, बरमा के अलग होने और लड़ाई के कारण बर्बादी होने तथा इसके फलस्वरूप वहां अन्दरूनी गड़बड़ होने, बराबर तेज़ी के साथ आबादी के बढ़ने और अनाज का उपभोग बढ़ने और उपज करने वाले के पास अधिक मात्रा में अतिरिक्त अनाज रह जाने के कारण देहातों में रहने वालों द्वारा अच्छी किस्म का अनाज खाये जाने, क्योंकि उसकी फसल के दाम बहुत बढ़ जाने के कारण पहिले की अपेक्षा थोड़ी ही मात्रा में अनाज बेचकर वह अपने देय अदा कर देता है, हमारे कृषि विभागों की अयोग्यता और अभी हाल तक राजनीतिक शान्ति और व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं में सरकार के उलझे रहने के कारण कृषि विभागों की ओर ध्यान न दे सकने, आदि के कारण गल्ला न पैदा करने वालों के लिये गल्ले की कमी है न कि ज़मींदारों के होने के कारण, जो कि इस प्रान्त में अधिकतर संस्थाओं में काश्तकारी करते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं कि माननीय सचिवों से जो इस प्रकार के बयान देते हैं यह आशा नहीं की जा सकती कि वे ज़मींदारी-उन्मूलन समस्या पर निष्पक्ष रूप से विचार करेंगे, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग १/५ आबादी को निर्मूल करने का सवाल है। दूसरा अस्त्र जो प्रायः ज़मींदारों पर चलाया जाता है वह यह अभियोग है कि वे सामन्तशाही अत्याचारी हैं। केवल यह बात कि ज्यादातर भूमि किसानों के कब्जे में है जिनके लिये स्टेच्यूट में अवधि और लगान की सुरक्षा की गई है, और यह कि २० लाख से अधिक ज़मींदार २५० रु० और इससे कम मालगुजारी देते हैं और इसलिये बहुत छोटे-छोटे मालिक है, इस अभियोग को खत्म कर देती है। इस पूरे वाद-विवाद में मंत्रिमंडल ने अपने समर्थकों पर अधिक

विश्वास किया है और विवेक और तर्क की बिल्कुल ही परवाह नहीं की क्योंकि इनके विचार में यह दुर्बलों के अस्त्र हैं। हम यह नहीं भूले हैं कि संविधान में सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक वाक्यखंड को अन्त में जानबूझ कर इसलिये संशोधन किया गया कि युक्त प्रान्त के जमींदार कानूनी अदालतों में मंत्रिमंडल के मुआवजा सम्बन्धी प्रस्तावों के खिलाफ दावा न कर सकें। वैधानिक वकील और ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति डा० अम्बेदकर ऐसे कुशल ला मिनिस्टर ने इस संशोधन को बेकायदा समझा और विधान परिषद् में उन्होंने इसे पेश करने की जिम्मेदारी न ली।

१५—अब हम बड़े-बड़े जमींदारों के मुआवजे के प्रश्न पर वास्तविक बातों के आधारों पर विचार करेंगे न कि जमींदारी भूमि अधिकरण के लिये ... करने के सिद्धान्तों पर। ऐसे जमींदारों की कुल सम्पत्ति का ५ करोड़ से कुछ अधिक और उनकी मालगुजारी का १८१ लाख का तखमीना किया गया है। सरकार उन्हें लगभग १० करोड़ रुपये का कुल मुआवजा देने का विचार करती है ये लोग कोई पुनर्वासन अनुदान पाने के अधिकारी न होंगे। हम एक साधारण सूत्र उपस्थित करते हैं, हम चार व्याख्यात्मक विवरण-पत्र नत्थी, जिसके देखने से फौरन ही पता चल जायगा कि बिल के मुआवजा संबंधी वाक्यखंडों के अधीन ऐसे जमींदारों की वर्तमान आमदनी किस प्रकार घट जायगी। उनकी वर्तमान आमदनी, यदि सिर्फ वही कुल आमदनी ली जाय जिस पर मालगुजारी निर्धारित की गई है, मालगुजारी, अबवाब कर, प्रबन्ध व्यय तथा कृषि आयकर देने के बाद लगभग ८० प्रतिशत कम हो जायगी। वास्तव में कमी इससे भी अधिक होगी क्योंकि गांवों की इमारती लकड़ी खाली जमीन जिसका कुल रकबा लगभग १ करोड़ एकड़ है, बेचने, खेती योग्य बेकार जमीन में काश्त करके होने वाली आमदनी आदि विविध आय बिना किसी मुआविज़ा के खत्म हो जायगी और सायर की अन्य आय एक नाममात्र की रकम देकर ले ली जायगी। इसके अतिरिक्त ऐसे जमींदारों के पास सीर और खुदकाश्त का लगभग १,६१,००० एकड़ का जो कुल रकबा है उसमें से ६०,००० एकड़ से अधिक लगान पर दिया हुआ है न कि केवल वह सारी भूमि जो लगान पर उठा दी गई है, निकल जायगी बल्कि ऐसी भूमियों के लिए क्षतिपूरक धन मौरूसी दरों के आधार पर आंका जायगा, क्योंकि सभी शिकमी असामियों को अविलम्ब मौरूसी अधिकार दे दिए जायंगे। सरकार ने ऐसे जमींदारों में से प्रत्येक को अधिक से अधिक ५० एकड़ भूमि के लिए आज्ञा दे रक्खी थी, जिसमें मौरूसी काश्तकारी के अधिकार नहीं उत्पन्न हो सकते थे। यह मामूली रियायत भी अब उनसे छीन ली गई है और इस रियायत का छीना जाना पश्चातदर्शी प्रभाव से कार्यान्वित होगा। इस विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है कि जमींदारों को इसके बदले में जो क्षतिपूरक धन दिया जायगा वह वास्तव में जब्ती के बराबर है। इनमें से कुछ जमींदार कर्ज के भार से दबे हुए हैं और उनकी रियासतें कोर्ट आफ वार्ड्स की देखरेख में हैं। इनमें से बहुत से ज़मींदार मुफलिस हो जायेंगे। कोर्ट आफ वार्ड्स की हाल की रिपोर्ट से प्रकट होता है कि सभी कर्जदार तथा कुल दायित्वों को अदा करने की क्षमता रखने वाली रियासतों की वार्षिक आय ८६ लाख रुपये प्रतिवर्ष है जब कि कुल ऋण १४५ लाख रुपये हैं।

सरकार के क्षतिपूरक धन—सम्बन्धी प्रस्तावों का बड़े जमींदारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस बात को प्रकट करने के लिए कि किस सीमा तक बिल में वर्णित क्षतिपूरक प्रस्तावों द्वारा वार्डों की वर्तमान आय घट जायगी और कर्ज से लदी हुई रियासतों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सम्बन्ध में कोई भी वर्णन कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रेसीडेंट द्वारा दी गई रिपोर्ट से अधिक विश्वासपूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रेसीडेंट ऐसे सरकारी अधिकारी हैं जिनकी सेवाएं कुछ समय के लिये कोर्ट आफ वार्ड्स को दे दी गई हैं। हम बलपूर्वक यह कहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में अविलम्ब एक रिपोर्ट मांगे और वह रिपोर्ट बिल पर विवाद होने से पूर्व ही व्यवस्थापक मंडल के सम्मुख रक्खी जाय। यह रिपोर्ट इतनी ठीक होगी कि इस पर शक ही नहीं किया जा सकता और इस प्रसंग स्थिति में न्याय के अर्थ के विषय में कोरा वाद—विवाद करने की अपेक्षा यही रिपोर्ट बड़े

जमींदारों के सम्बन्ध में प्रस्तावित क्षतिपूरक धन आंकने का अधिक सच्चा साधन होगी। हम कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा सीरों को लगान पर उठाए जाने वाली पूर्व नीति के उलटने के सम्बन्ध में विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। ऐसी भूमियां उसी स्तर पर क्यों नहीं मानी जातीं, जिस पर असमर्थ व्यक्तियों द्वारा उठाई हुई भूमियां हैं। ये भूमियां अपने मालिकों को वापस मिलनी चाहिये। हमें बहुत शोक है कि समिति ने बहुमत से हम लोगों द्वारा प्रस्तुत क्षुद्र संशोधनों को भी ठुकरा दिया। बिल के अन्तर्गत बड़े जमींदारों की मुसीबत का वर्णन समाप्त करने से पूर्व ही हम बड़े जमींदारों के कर्मचारियों की उन कठिनाइयों का वर्णन करेंगे जो जमींदारी-उन्मूलन के फलस्वरूप उन पर आ पड़ेगी। सपरिवार इन कर्मचारियों की संख्या ५ लाख है। क्या सरकार इनके लिये दूसरा धंधा ढूंढेगी अथवा इनका भरण-पोषण करेगी या इनको सड़क पर यों ही मारे-मारे फिरने देगी। बिल में उनके अस्तित्व पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया है और इनके लिये कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई है।

१६--हम यह बता देना चाहते हैं कि सरकार के क्षतिपूरक धन-सम्बन्धी प्रस्तावों पर तब तक यथेष्ट रूप से विचार नहीं किया जा सकता जब तक हम यह न जान जाएं कि सरकार जमींदारों के ऋण का प्रश्न किस प्रकार हल करेगी। बिहार और मद्रास के जमींदारी-उन्मूलन बिलों में इस महत्वपूर्ण प्रश्न की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्ताव मौजूद हैं। किन्तु इस बिल में जब कि ४० वर्ष बाद होने वाले मालगुजारी के बन्दोबस्त के विषय में तो व्यवस्था कर दी गई है, (धारा २३९ और इसके बाद की धाराएं) ऋणों के प्रश्न को दूसरे बिल के लिए छोड़ रक्खा गया है। हमारी राय में तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को असन्तोषप्रद ढंग से निपटाना है। हमारा यह दृढ़ मत है कि ऋणों के प्रश्न के सम्बन्ध में सरकारी प्रस्ताव अविलम्ब ही प्रकाशित किए जाएं।

१७--बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए तथा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार आधुनिक ढंग से संचालित निजी जंगलों से संबंधित प्रस्तावों से भी हमारा बड़ा ही गहरा मतभेद है, इन्हें तो झाड़ियों का जंगल मान लिया गया है [धारा ४३ (घ)] इन जंगलों में मुश्किल से कोई कृषि-योग्य में भूमि है तथा उनमें असामी जमींदार प्रथा तो है ही नहीं। ऐसे जंगलों के संरक्षण के लिये मई, १९४९ ई० यू० पी० प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट पास किया गया था और इस ऐक्ट के अन्तर्गत बहुत सी विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी हैं। इन जंगलों के बहुत से मालिकों ने ऐक्ट के आदेशों के अनुसार कार्यशील योजनाएं तैयार कर ली हैं और सरकार ने योजनाओं को स्वीकार भी कर लिया है और इन लोगों ने इन्हीं योजनाओं के अनुसार वृक्षों को काटना आरम्भ कर दिया है। हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि इस ऐक्ट के अन्तर्गत नीति को इस प्रकार एकदम क्यों बदल दिया गया है और इन जंगलों को ऐसे मुआविजे के आधार पर प्राप्त कर लिया गया है जिससे बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि जंगलों के बहुत से मालिकों ने लकड़ी के व्यवसाय में बहुत सी पूंजी लगा रक्खी है। जमींदारी-उन्मूलन से लकड़ी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि फिर भी सरकार इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है, तो जंगलों का मूल्य उसी आधार पर आंका जाना चाहिए जो आधार सरकारी जंगलों के लिए स्वीकृत है। हमारी राय में यू० पी० फारेस्ट्स ऐक्ट को पर्याप्त समय तक प्रभावशील रखना चाहिये जिससे कि इसकी कार्यविधि का सम्यक् निर्णय किया जा सके। इसे एक वर्ष तक भी प्रभावशील न रख कर रद्द कर देना, हमारी राय में अनावश्यक है। हम यह भी बता देना चाहते हैं कि विशेषत: बस्ती और गोरखपुर के जिलों में उन स्वामियों को मुआविजा देने का कोई भी प्रस्ताव नहीं किया गया है जिन्होंने असामियों के लिए सिंचाई-सम्बन्धी निर्माण-कार्य संचालित किए हैं और इनमें बहुत सी रकम खर्च की है। हमारा विचार है कि सिंचाई-सम्बधी निर्माण-कार्यों के ऐसे स्वामियों को पर्याप्त मुआविजा देना चाहिये और इस बात

का प्रबन्ध करना चाहिये कि इन निर्माण-कार्यों की रक्षा भली प्रकार से हो सके और कुव्यवस्था तथा असावधानी के कारण उनकी उपादेयता में कमी न पड़े।

१८—हम अब बिल के उन महत्वपूर्ण आदेशों पर विचार करेंगे जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। हम जोरों से नई धारा (२-क) पर आपत्ति करते हैं, जिसके अनुसार घोषणा द्वारा इस बिल के अतिरिक्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत सरकार सार्वजनिक कार्य के लिए भूमि प्राप्त कर सकती है और इस प्रकार दीवानी न्यायालयों में कोई भी सुनवाई न हो सके।

१९—हमें कोई वजह नहीं मालूम होती कि धारा ३ (१) में ठेकेदारों को मध्यवर्ती क्यों माना गया है। वह तो केवल पट्टेदार हैं और आगरा टेनेंसी ऐक्ट की धारा २१४ के अधीन उनके पट्टे की अधिकतम अवधि १० वर्ष निर्धारित की गई है। और न हमें उसकी कोई वजह मालम होती है कि उन नियमों को जिनके अनुसार उन्हें मुआविजा मिलेगा, क्योंकि अस्पष्ट रूप में और मुआविजा अफसर की मर्जी पर छोड़ दिया गया है (धारा ५८, ५९ और ६०)।

२०—क्योंकि ठेकेदार एक सीमित अवधि के लिये केवल पट्टादार ही होता है, इसलिये समस्त भूमि जिस पर वह काश्तकारी करता हो ठेके की अवधि की समाप्ति पर पट्टा देने वाले को वापस मिल जानी चाहिए और किसी क्षेत्र को खाली की हुई भूमि न मानना चाहिये। धारा १५ (२) ख (१) और धारा १५ (३) (ख) कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ १४ में कहा है कि कुछ तालुकों में बहुत से ठेके केवल इस नियत से दिए गए हैं कि ठेकेदारों को उनके सम्बन्ध में मौरूसी अधिकार प्राप्त न हो जाएं। हम नहीं जानते कि कमेटी के ध्यान में कौन से तालुके हैं। किन्तु इसका स्पष्ट उद्देश्य यह है कि ऐसे बहुत से तालुकों से उनकी सीर और खुदकाश्त भूमि छीन ली जाय। हमारे ध्यान में भी एक विशेष तालुका है जिसके और सरकार के बीच दीवानी का एक मुकदमा चल रहा है। हम जानना चाहते हैं कि पट्टा देने वाले की नियत के सम्बन्ध में कौन निर्णय करेगा। क्या किसी ऐसे ठेकेदार को जिसने किसी मालिक की सीर और खुदकाश्त भूमियां इस स्पष्ट प्रतिबन्ध से ली हों कि उन पर वह खुद खेती करेगा। अब यह आज्ञा दी जायगी कि वह अपने ठेके की शर्तों का उल्लंघन करे और अपने लिए मौरूसी असामी के अधिकार प्राप्त कर ले। हम इस प्रस्ताव का घोर विरोध करते हैं कि कुछ बड़ी बड़ी रियासतों में कुछ ठेकेदारों के साथ रियायत की जाय। किसी भी दशा में नियत के प्रश्न पर निर्णय देने का अधिकार मुआविजा अफसर के हाथ में न छोड़ देना चाहिए। यह उचित और आवश्यक है कि दीवानी की अदालतें ही ऐसे मामलों पर निर्णय दें। इन ठेकेदारों के साथ असाधारण बर्ताव करने के विशेष उद्देश्य के लिए साक्ष्य विधान (Evidence Act) में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है और न हमको इसका कोई उचित कारण प्रतीत होता है कि राहिन की सीर और खुदकाश्त के अतिरिक्त भूमि पर मुर्तहिन के व्यक्तिगत कब्जे को उस दशा में जब कि मुर्तहिनी के अधिकारों का अन्त हो जाय, राहिन का कब्जा क्यों न मानें। [धारा १६ (२) (ख)]।

२१—बिल में उन मालिकों के पालन-पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है जिनकी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में "हकीयत" (स्वामित्व) के मुकदमे चल रहे हैं या बाद में दायर किए जाएं। इस पूरे प्रश्न को अस्पष्ट छोड़ दिया गया है। [धारा ३० (२)] इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से व्यवस्था करनी चाहिए।

२२—बिल की धारा ६६ में "अधिकार रखने वाले व्यक्ति" की परिभाषा इतनी विस्तृत है कि धारा ५० के अधीन नोटिस जारी होने के बाद "अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों" को हकीयत के ऐसे मुकदमे जो झूठे हों और जिनका उद्देश्य परेशान करना हो, दायर करने के लिए असीमित अवसर मिल जायगा।

२३--धारा ३९ (१) यह धर्मशास्त्र के स्वीकृत नियमों के विपरीत है। बिहार ऐक्ट (धारा २०) में ऐसी सम्पत्ति को एक यूनिट नहीं माना गया है। वैसी ही व्यवस्था इस बिल में भी करनी चाहिए।

२४--हमारा विचार है कि हिन्दू ट्रस्ट या एन्डाउमेंट के सम्बन्ध में कार्रवाई का कोई प्रयत्न करने के पहिले यह आवश्यक है कि उक्त ट्रस्टों या एन्डाउमेंटों का वर्गीकरण कोई ऐसा अधिकारपूर्ण कमीशन करे, जिसमें हिन्दूमत के सर्वांग प्रतिनिधि हों। हमारा यह दृढ़ मत है कि हिन्दू ट्रस्टों और एन्डाउमेंटों का प्रश्न जमींदारी-उन्मूलन के प्रश्न में सम्मिलित न करना चाहिए और उक्त प्रश्न के लिए इस बिल में नहीं बल्कि एक और अलग बिल के द्वारा व्यवस्था करनी चाहिए।

२५--हमारी चेष्टा है कि भूमि-सम्बन्धी प्रबन्ध तथा शासन में गांव पंचायतों, गांव समाजों और गांव सभाओं का उत्तरदायित्व उस सीमा से कहीं अधिक होना चाहिए, जिसका कि इस बिल में प्रस्ताव किया गया है। हमारा मत है कि अब वह समय आ गया है कि राजस्व-शासन ग्रामीण प्रजातन्त्रों के हाथ में होना चाहिए और पटवारियों की नियुक्ति और बरखास्त करने का अधिकार कलेक्टरों को नहीं बल्कि इन्हीं प्रजातन्त्रों को प्राप्त होना चाहिये। अब राजस्वशासन की ब्रिटिश नौकरशाही प्रणाली में मौलिक रूप से परिवर्तन करना चाहिए। राजस्व-सम्बन्धी समस्त अधिकार को जो कलेक्टर को अब तक प्राप्त रहे है उसी रूप से जारी न रहना चाहिए।

२६--बोर्ड आफ़ रेवेन्यू (माल बोर्ड), कमिश्नरों और कलेक्टरों की वर्तमान व्यवस्था को इसी रूप में न रखने दिया जाय। हमारा विचार है कि माल के जिन वादों (मुक़दमों) पर पंचायत निर्णय न दे सकती हो उन पर भविष्य में दीवानी के न्यायालय निर्णय दिया करें। हम इस सुधार पर बहुत अधिक जोर देते हैं, क्योंकि हाल के अनुभव से हमें यह मालूम हो गया है कि माल के न्यायालय शासनाधिकारियों (executive) की उंगलियों पर नाचते रहते हैं। एक ही प्रकार के लोगों के हाथ में कार्यकारी (executive), माल सम्बन्धी और वैचारिक (जुडीशियल) शक्तियों के संचित हो जाने से शासन के अधिकारियों की इच्छा से विध की उचित प्रक्रिया (ड्यू प्रोसेस आफ ला) विफल हो जाती है।

२७--हम इस सिद्धान्त के बिल्कुल विरुद्ध हैं कि प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो कि वह किसी व्यक्ति को मालगुजारी वसूल करने के लिए नियुक्त कर सके (खंड २५२)। इस निदेश का किसी दल विशेष के सदस्यों को उस दल की सेवाएं करने के उपलक्ष्य में पुरस्कार देने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसे माल के कलेक्टरों की नई जगहें बनाने का हम घोर विरोध करते हैं।

२८--(खंड २०४) हम समिति के बहुसंख्यक सदस्यों के इस अविश्वास से सहमत नहीं हैं कि दीवानी के न्यायालय इस बिल के भाग १ के अधीन दी हुई आज्ञाओं पर निष्पक्ष होकर कार्रवाई न कर सकेंगे और उन्हें ऐसा करने का सामर्थ्य नहीं है। इसके विपरीत हमारा यह विचार है कि ऐसे न्यायालय और उनके अफसर ऐसे मामलों पर बिना भय के कार्यवाही करेंगे, क्योंकि उनकी भावी उन्नति शासनाधिकारियों के ही ऊपर निर्भर न रहेगी। हमारा विचार है कि यह खंड निकाल दिया जाना चाहिये।

२९--(खंड २९१) हमारा यह मत है कि इस खंड में जिन अधिकारियों का उल्लेख किया गया है वे सब नियमित वैचारिक विभाग में ही लिए जाएं और प्रतिकर कमिश्नर (Compensation Commissioner) तो हाईकोर्ट के विचारपति (जज) के पद का होना चाहिये जब तक उक्त अधिकारी सरकारी शासनाधिकारियों (Executive - Government) के प्रभाव से मुक्त या स्वतन्त्र न होंगे तब तक उनके निर्णयों का जमींदारों के हितों के विरुद्ध

होने का भय बराबर बना रहेगा। आयरलैंड की भूमि व्यवस्था कमीशन (लैंड कमीशन) के सदस्यों में से एक वैचारिक (जुडीशियल) कमिश्नर है जो हाई कोर्ट का जज है और छः सामान्य कारबारी कमिश्नर (lay commissioner) हैं जो अत्यन्त आवश्यक मामलों में सरकारी प्रभाव से मुक्त या स्वतन्त्र होते हैं। सामान्य कमिश्नरों के निर्णय के विरुद्ध अपील ट्रिब्यूनल के सामने जिसका एक सदस्य हाई कोर्ट का जज होता है, करने की भी व्यवस्था की गई है। हमें यह भय है कि प्रतिकर निर्धारण करने के काम को कम से कम समय में और ऐसे अधिकारियों द्वारा जो पूर्णतया उसके वश में हों पूरा-पूरा करा लेने के प्रयोजन से सरकार यह काम शासन के छोटे और अनुभवहीन अधिकारियों को यहां तक कि तहसीलदारों को भी सौंपेगी। यदि यह अत्यन्त महत्व और उत्तरदायित्व का काम ऐसे लोगों के हाथ में दिया गया जिनकी ईमानदारी, योग्यता, निष्पक्षता और स्वतन्त्रता पर आलोचना की जासकती हो, तो २० लाख सेअधिक मालिकों के जो ४ करोड़ एकड़ से ऊपर भूमि के स्वामी हैं और जिनकी जमाबन्दी निकासी १७ करोड़ रुपये से ऊपर है, प्रतिकर निर्धारण का काम कम से कम समय में समाप्त तो किया जा सकता है, किन्तु यह बात सत्य और समुचित व्यवहार के प्रतिकूल ही होगी।

३०—खंड १ (३) हमारी राय तो यह है कि यह विधान इस समय लागू न करके आगामी सामान्य निर्वाचन के बाद जिसके होने की सम्भावना एक दो वर्ष में है, लागू किया जाय। इस सुझाव के लिए हमारा यह विचार है कि बिल की सब से मुख्य बात अग्रिम धनराशि या लगान का भुगतान करके भूमिधारी अधिकार प्राप्त करना है। अतएव निर्वाचक-वृन्द या जनता को इसके समझाने और इतनी व्यापक और ऐसी अपूर्व योजना पर जिसमें किसानों को १७५ करोड़ से अधिक रुपये का भुगतान करना होगा, अपना निर्णय देन के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इंगलैण्ड के श्रमिक दल (मजदूर दल) की सरकार भी इस्पात उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी विधान को आगामी सामान्य निर्वाचन के बाद लागू करने के लिए राजी हो गई है, यद्यपि उक्त विधान का जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था बिल के सामने कुछ भी महत्व नहीं है। इसमें अचम्भे की कोई बात नहीं है यदि ऐसे भूमि व्यवस्था सम्बन्धी क्रान्तिकारी परिवर्तन करने में जिनका प्रभाव लाखों व्यक्तियों पर पड़ता है, कुछ समय लग जाय और इस सम्बन्ध में कुछ महीनों का विलम्ब जब तक कि आगामी निर्वाचन का परिणाम ज्ञात न हो जाय, हो जाना नितान्त उपयुक्त है।

३१—उस तर्क का कि कांग्रेस के घोषणापत्र (manifesto) के अनुसार मंत्रिमंडल के लिए यह आवश्यक है कि वह अगले निर्वाचन की प्रतीक्षा न करके जमींदारी उन्मूलन के लिए विधान बनाए और उसे लागू करे, हमारे पास यह उत्तर है कि उक्त घोषणा-पत्र के आदेशात्मक (mandatory) होने पर औचित्य से अधिक जोर दिया जाता है। कांग्रेस का घोषणा-पत्र बहुत व्यापक और विस्तृत लेख-पत्र था, जिसकी केवल एक मद यह थी कि राज्य और भूमि जोतने वाले कृषकों के बीच से मध्यवर्तियों को दूर कर दिया जाय। किन्तु उसमें मुख्यतः इस बात पर जोर दिया गया था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देने के लिये बाध्य किया जाय। उक्त घोषणा-पत्र (मेनीफेस्टो) में सभी मध्यवर्तियों के सम्बन्ध में आदेश दिए गए थे। किन्तु प्रवर समिति में इस बिल की भूमिका ही बदल दी गई है कि जिससे कि एक ही वर्ग के मध्यवर्तियों अर्थात् जमींदारों पर ही जोर दिया जा सके। यदि मध्यवर्ती शब्द की ठीक-ठीक व्याख्या

की जाय तो इसका यह अर्थ निकलेगा कि रैयतवारी और काश्तकार अदना की मिल्कियत (peasant propritorship) की पद्धतियों का भी उन्मूलन किया जाय और ऐसे लोगों को भी हटाया जाय, जिन्हें हस्तान्तरण करने, उप-पट्टे पर भूमि देने और विक्रय करने के प्रतिबन्ध रहित अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि स्थायी बन्दोबस्त के क्षेत्रों में शरह मुअयन काश्तकार, और दूसरे वर्गों के उन काश्तकारों को भी दूर किया जाय, जिन्होंने अपनी भूमियां उप-पट्टे पर उठा दी थीं। कांग्रेस के घोषणा-पत्र के आदेशों का इस प्रकार से अस्पष्ट और संकुचित सा अर्थ कर दिया है कि वे केवल जमींदारों पर ही लागू हो सकें। सम्भवतः इसका कारण यह है कि उनमें संगठन का अभाव है और इसी से राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका दल शक्तिहीन है। अतएव चार वर्ष पहले निर्वाचन के समय पर निकाले हुए घोषणा-पत्र में की हुई प्रतिज्ञाओं को अविलम्ब पालन करने के अनिवार्य दायित्व पर बहुत अधिक जोर न दिया जाना चाहिए। और उस घोषणा-पत्र में भी भूमि व्यवस्था के सुधार की चर्चा महत्वपूर्ण और मूल उद्योगों के राष्ट्रीयकरण या राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन लिए जाने की बात के बाद और बहुत सी और बातों के बाद की गई है। यदि उद्योगों के राष्ट्रीय-करण की बात घोषणा-पत्र में रहते हुए भी स्थगित की गई है, तो इस बिल में प्रस्तावित भद्दी और असंगत भूमि व्यवस्था भी उस समय तक रोकी जा सकती है, जब तक कि एक दो वर्ष बाद अगला सामान्य निर्वाचन न हो जाय और जनता उसके द्वारा अपने मत की घोषणा न कर दे।

३२--हम यह कहने का साहस करते हैं कि मंत्रिगण और वर्तमान व्यवस्थापक सभाओं में उनके अनुयायीगण निर्वाचकों के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वे कांग्रेस की नीति बनाने वाले कुछ बड़े बड़े लोगों के विचारों को ही दोहराते रहते हैं। लगभग ३० वर्ष पूर्व लोगों के मन में उक्त विश्वासों की धारणा हो गई थी। उस समय अवध के किसानों के न तो खाते ही सुरक्षित होते थे और न लगान की ही कोई व्यवस्था थी। ये विश्वास अब बहुत पुराने पड़ गए हैं, क्योंकि वे इस प्रान्त के काश्तकारी विधानों में १९२१ ई० से किए गए परिवर्तनों से बहुत पहले के विश्वास हैं। यहां पर यह कह देना असंगत न होगा कि पहले दो महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय किए गए थे जब व्यवस्थापक सभा में उन्हीं जमींदारों का बहुमत था जिनकी आज कल बहुत निन्दा की जाती है। हमारा संकेत अवध रेन्ट ऐक्ट, १९२१ और आगरा टनेंसी ऐक्ट, १९२६ से है। उक्त परिवर्तनों के कारण आज संयुक्त प्रान्त की भूम्यधिकार की व्यवस्था, रैयतवारी और मालिक अदना के स्वामित्व की (पीजेंट प्रोप्राइटर शिप) व्यवस्थाओं से अच्छी है जिनमें इस प्रान्त की अपेक्षा अस्थायी कृषकों (tenants at will) या ग़ैर दखीलकार असामियों की संख्या बहुत अधिक रहती है। यह बात कि कृषक जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करने और उसके इस स्थान पर बिल की योजना रखने के लिये बाध्य कर रहे हैं, तथ्य के प्रतिकूल है। वे काश्तकार जो सरकार के मत के अनुसार इस समय इतने सम्पन्न हैं कि वे लगभग २०० करोड़ रुपय निस्संकोच दे सकते हैं, उस जमींदारी प्रथा को

उन्मूलन करने के लिए क्यों उत्सुक होंगे जिसके अधीन वे इतने फलते-फूलते रहे हैं। और यदि वे स्वयं इतने उत्सुक हैं तो सरकार को उन्हें यह समझाने के लिए क्यों इतना घोर परिश्रम करना चाहिए कि जमींदारी प्रथा बन्द की जानी चाहिए। इसके विपरीत हम यह दयनीय दशा देखते हैं कि सरकार अपने सब साधनों और सब युक्तियों से इस प्रयोजन के लिये काम ले रही है कि किसान इस बिल के मुख्य सिद्धान्त अर्थात् जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को स्वीकार कर लें। यदि इस बिल को किसानों से अभिमत कराने के लिए इतना संगठित प्रयत्न और कर दाताओं का इतना अधिक धन व्यय करना आवश्यक है तो हमारी यह मांग बिलकुल उचित है कि इस बिल के लागू होने के पहले, इस पर अगले चुनाव में जनता की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। हम इस युक्ति को और अधिक पुष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने अपने मत के प्रतिपादन और समर्थन करने के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए हैं।

३३--उपसंहार--हमने इस अत्यन्त विवादास्पद बिल पर मोटे रूप में अपने विचारों को व्यक्त किया है। यह बिल गांव मे रहने वाले २० लाख से अधिक जमींदारों को दूर करके गांव समाज के सारे संगठन को ही छिन्न-भिन्न करता है और इस प्रकार से उस स्थायी आधार को नष्ट करती है जो शान्ति और नई व्यवस्था बनाए रखने में अमूल्य सेवा करता रहा है। गांवों मे पहले से ही अव्यवस्था के चिन्ह प्रकट होने लगे हैं। जो लोग वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को हिंसात्मक उपायों और साधनों से नष्ट करने में विश्वास करते हैं हमारे उन पूर्वीय पड़ोसियों की ओर से हमे उत्तरोत्तर भय होता जा रहा है। यह समय प्रान्त की भूम्यधिकार व्यवस्था के सम्बन्ध मे व्यापक और विस्तृत परिवर्तन करके अनुभव प्राप्त करने का नहीं है। और उस दशा में जब इससे किसानों को लाभ नहीं पहुँचेगा, किन्तु इसके विपरीत लाखों जमींदार उन्मूलित और निर्धन हो जायंगे। उनमे उग्र रोष और घोर असन्तोष के भाव उत्पन्न हो जायंगे और वे हिंसात्मक सिद्धान्तों के अनुयायी हो जायंगे। हम यह जानते हैं कि किसानों को हमारे विरुद्ध भड़काना और हम पर बुरे से बुरे दोष लगाना सरल है। हम उस अत्याचार से अपरिचित नहीं हैं जो किसी एक प्रबल राजनीतिक दल द्वारा उस दशा मे किया जा सकता है, जब कोई प्रबल विरोधी दल न हो और जब जनता घोर अज्ञान से आवृत हो और सरकार के सम्बन्ध में जो यह समझती हो कि वह उन्हें जब चाहे उत्पीड़ित कर सकती है और जो चाहे, सो कर सकती है और जिसका सरकार के सम्बन्ध में यह विचार न हो कि वह उसे बना या बिगाड़ सकती है। प्रवर समिति में हम अल्पसंख्यक थे और व्यवस्थापक सभाओं में तो हमारी संख्या बहुत ही कम है। तो भी हम उन लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने मे चूक न करेंगे, जिन्होंने हमें अपना प्रतिनिधि चुना है। स्वतन्त्रता की सच्ची कसौटी अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुरक्षा है। बहुसंख्यक दल को इस देश के लिये स्वतन्त्रता प्राप्त करने के अपने गौरवान्वित कार्यों पर ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे इस प्रकार से आचरण करना चाहिए कि स्वतन्त्रता की मूल भावनाएं ही नष्ट न हो जाएं। और अल्पसंख्यकों के अधिकार किसी मृगमरीचिका का अनुसरण करने में परों तले न रौंदे जायं निष्पक्षता और न्याय, राजनीतिक दलों के नेताओं के पूर्व द्वेष या पक्षपात और पूर्व स्नेह की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं।

जनता की इच्छा और किसी सार्वजनिक नेता की उमंगे और उसकी हठीली चित्तवृत्तियां सदा एक ही बात तो नहीं होतीं।

हस्ताक्षर---

लखनऊ,
२२ दिसम्बर, १९४९

फूल कुमारी।
के० एजाज रसूल बेगम।
मो० जमशेद अली खां।
एस० एजाज रसूल।
सुरेश प्रकाश सिंह।
वीरेन्द्र शाह।
राम नारायण गर्ग।

परिशिष्ट जिसका उल्लेख १५ पैरा में किया गया

पृष्ठ १

फारमूले

एन = कृषि आयकर घटाने से पूर्व पक्की निकासी ।

एफ = भिन्न जो कच्ची निकासी देय मालगुजारी के भाग से बनती है, उदाहरणार्थ ३०/१००, ३५/१००, ४०/१००, इत्यादि, इत्यादि।

जी = कच्ची निकासी = $\frac{८० \text{ एन}}{६८ - ९५ \text{ एफ}}$

आर = मालगुजारी = $\frac{८० \text{ एन} \times \text{एफ}}{६८ - ९५ \text{ एफ}}$

सी = मालगुजारी के अबवाब (मालगुजारी का) = १८$\frac{३}{४}$% = $\frac{१५ \text{ एन} \times \text{एफ}}{६८ - ९५ \text{ एफ}}$

एम = प्रबन्ध इत्यादि का व्यय कच्ची निकासी के १५% पर = $\frac{१२ \text{ एन}}{६५ - ९५ \text{ एफ}}$

उदाहरण

यदि मालगुजारी = कच्ची निकासी का ३२ प्रतिशत

भाग (एफ) = ३२/१०० = ८/२५

$$\text{जी} = \frac{८० \text{ एन}}{६८ - ९५ \times \frac{८}{२५}} = \frac{१०० \text{ एन}}{४७}$$

$$\text{आर} = \frac{८० \text{ एन} \times \text{एफ}}{६८ - ९५ \times \frac{८}{२५}} = \frac{३२ \text{ एन}}{४७}$$

$$\text{सी} = \frac{१५ \text{ एन} \times \text{एफ}}{६८ - ९५ \times \frac{८}{२५}} = \frac{६ \text{ एन}}{४७}$$

$$\text{एम} = \frac{१२ \text{ एन}}{६८ - ९५ \times \frac{८}{२५}} = \frac{१५ \text{ एन}}{४७}$$

क्रम-संख्या	कच्ची निकासी	माल गुजारी कच्ची निकासी का ३० प्रतिशत	जबवाब मालगुजारी, का १८ ३/४ प्रतिशत	प्रबन्ध इत्यादि का व्यय कच्ची निकासी का १५ प्रतिशत	स्तम्भ ३ से ५ तक का योग	कृषि आय-कर के घटाने के पूर्व पक्की निकासी	कृषि आय-कर		कृषि आय-कर घटाने के बाद पक्की निकासी	पूँजीकर (मुआवजा) स्तम्भ १० का ८ गुना
							धनराशि	स्तम्भ २ का प्रतिशत		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
१	२०.३	६.१	१.१	३.१	१०.३	१०	.७	३.४	९.३	७४.४
२	४०.५	१२.२	२.३	६.१	२०.५	२०	२.१	५.२	१७.९	१,४३.२
३	५०.६	१५.२	२.८	७.६	२५.६	२५	३.०	५.९	२२.०	१,७६.०
४	६०.८	१८.२	३.४	९.१	३०.८	३०	४.६	७.६	२५.४	२,०३.२
५	१,०१.३	३०.४	५.७	१५.२	५१.३	५०	११.५	११.४	३८.५	३,०८.०
६	१,५१.९	४५.६	८.५	२२.८	७६.९	७५	२१.८	१४.४	५३.२	४,२५.६
७	२,०२.५	६०.८	११.४	३०.४	१,०२.६	१,००	३३.८	१६.७	६६.२	५,२९.६
८	३,०३.८	९१.१	१७.१	४५.६	१,५३.८	१,५०	६१.२	२०.१	८८.८	७,१०.४

९	४,०५.१	१,२१	२२.८	६०.८	२,०५.१	२,००	९०१	२२२	१,०९९	८,७९.२
१०	५,०६.३	१,५१.९	२८.५	७६.०	२,५६.३	२,५०	१,१९०	२३५	१,३१.०	१०४८.०
११	६,०७.६	१,८२.३	३४.२	९१.२	३,०७.६	३,००	१,४७९	२४.३	१,५२.१	१२,१६.८
१२	१,८१.०	२,४३.०	४५.६	१२१.५	४,१०.१	४,००	२,००.०	२४.७	२,००.०	१,६,००.०
१३	१०,१२.७	३,०३.८	५७.०	१,५१.९	५,१२.७	५,००	२,५००	२४.७	२,५०.०	२०,००.०
१४	१२,१५.२	३,६४.६	६८४	१,८२३	६,१५२	६,००	३,०००	२४.७	३,००.०	२२४,००.०
१५	१४,१७.७	४,२५.३	७९.७	२,१२.७	७,१७.७	७००	३,५०.०	२४.७	३,५०.०	८,०००
१६	१६,२०.३	४,८६.१	९१.१	२,४३.१	८,२०.३	८,००	४,००.०	२४.७	४,००.०	३२,००.०
१७	१८,२२.६	५,४६.८	१,०२५	२,७३४	९,२२.८	९,००	४,५०.०	२४.७	४,५०.०	३६,००.०
१८	२०,२५.३	६,०७.६	१,१३९	३,०३.८	१०,२५.३	१०,००	५,०००	२४.७	५,००.०	४०,००.०

टिप्पणी—(१) सारे अंक हजारो में है। इसलिये दशमलव बिन्दु के बाद, अक से तात्पर्य उतने ही सैकडो रुपयो से है। उदाहरणार्थ .१ से तात्पर्य १०० रुपये से है .३ से तात्पर्य ३०० रुपये से है, .७ से तात्पर्य ७०० रुपये और ५३.३ से तात्पर्य ५३,३०० रुपये से है। (२) कच्चो निकासिया से तात्पर्य उन कच्ची निकासियों से है, जिनके ऊपर मालगुजारी नियत की गई है। (३) कुल मालगुजारी अबवाब और प्रबन्ध का व्यय कच्ची निकासी का ५०.६२५ प्रतिशत है। कृषि आय–कर घटाने के बाद कुल प्रतिशत कटौती के अक निकालने के लिये ५०.६२५ प्रतिशत के अक मे सबधित कच्ची निकासी के सामने स्तम्भ (९) मे दिये हुये प्रतिशत अको को जोड़िये, इस प्रकार मद १८ में सपूर्ण सपत्तिया २०,२५,३०० है और कुल कटौती ५०.६२५ + २४.७ = कच्ची निकासी का ७५.३२५% है। (५) २०, २५, ३० रुपये की संबधित कच्ची निकासी का मुआविजा लगभग २४ महीने की कच्ची निकासी के बराबर है।

क्रम-संख्या	कच्ची निकासी	मालगुजारी कच्ची निकासी का ३२ प्रतिशत	अववाब मालगुजारी का १८ ३/४ प्रतिशत	प्रबन्ध इत्यादि का व्यय कच्ची निकासी १५ प्रतिशत	स्तम्भ ३ से ५ तक का योग	कृषि आय-कर घटाने के पूर्व पक्की निकासी	कृषि आय कर		कृषि आय कर के घटाने के बाद पक्की निकासी	प्रतिकर (मुआविज़ा) स्तम्भ १० का ८ गुना
							धनराशि	स्तम्भ २ का प्रतिशत		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
१	२१.३	६.८	१.३	३.२	११.३	१०	.७	३.३	९.३	७४.४
३	४२.६	१३.६	२.६	६.४	२२.६	२०	२.१	४.९	१७.९	१,४३.२
२	५३.२	१७.०	३.२	८०	२८.२	२५	३.०	५.६	२२.०	१,७६.०
४	६३.८	२०.४	३.८	९.६	३३.८	३०	४.६	७.२	२५.४	२,०३.२
५	१,०६.४	३४.०	६.४	१६.०	५६.४	५०	११.५	१०.८	३८.५	३,०८.०
६	१,५९.६	५१.१	९.६	२३.९	८४.६	७५	२१.८	१३.७	५३.२	४,२५.६
७	२,१२.८	६८.१	१२.८	३१.९	१,१२.८	१,००	३३.८	१५.९	६६.२	५,२९.६
८	३,१९.१	१,०२.१	१९.१	४७.९	१,६९.१	१,५०	६१,२	१९.२	८८.८	७,१०.४

९	४,२५.५	१,३६.२	२५.५	६३.८	२,२५.५	२,००	९०.१	२१.२	१,०९.९	८,७९.२
१०	५,३१.९	१,७०.२	३१.९	७९.८	२,८१.९	२,५०	१,१९.०	२२.४	१,३१.०	१०,४८.०
११	६,३८.३	२,०४.३	३८.३	९५.७	३,३८.३	३,००	१,४७.९	२३.२	१,५२.१	१२,१६.८
१२	८,५१.१	२,७२.३	५१.१	१,२७.७	४,५१.१	४.००	२,००.०	२३.५	२,००.०	१६,००.०
१३	१०,६३.८	३,४०.४	६३.८	१,५९.६	५,६३.८	५,००	२,५०.०	२.३५	२,५०,०	२०,००.०
१४	१२,७६.६	४,०८.५	७६.६	१,९१.५	६,७६.६	६,००	३,००.०	२३.५	३,००.०	२४,००.०
१५	१४,८९.४	४,७६.६	८९.४	२,०३.४	७,८९.४	७,००	३,५०.०	२३.५	३,५०.०	२८,००.०
१६	१७,०२.१	५,४४.७	१,०२.१	२,५५.३	९,०२.१	८,००	४,००.०	२३.५	४,००.०	३२,००.०
१७	१९,१४.९	६,१२.८	१,१४.९	२,८७.२	१०,१४.९	९,००	४,५०.०	२३.५	४५०.०	३७,००.०
१८	२१,२७.७	६,८०.९	१,२७.७	३,१९.१	११,२७.७	१,०००	५,००.०	२३.५	५,००.०	४०,००.०

टिप्पणी:—(१) सम्पूर्ण अंक हजारों में हैं। इसलिये दशमलव बिन्दु के बाद अंक से तात्पर्य उतने ही सैकड़े रुपयों से है, उदाहरणार्थ .१ से तात्पर्य १०० रुपये से है, .३ से तात्पर्य ३०० रुपये से है, .७ से तात्पर्य ७०० रुपये से है और ५३.३ से तात्पर्य ५३,३०० रुपये से है। (२) कच्ची निकासियो से तात्पर्य उन कच्ची निकासियों से है जिनके ऊपर मालगुजारी नियत की गई है। (३) कुल मालगुजारी अबवाब और प्रबन्ध का व्यय कच्ची निकासी का ५३ प्रतिशत है। कृषि–आय–कर घटाने के बाद कुल प्रतिशत कटौती के अंक निकालने के लिये ५३ प्रतिशत के अंक में संबंधित कच्ची निकासी सामने के स्तम्भ ९ दिये हुये प्रतिशत अंकों को जोड़िये, इस प्रकार मद १८ में कच्ची निकासिया २१,२७,७०० है और कुल कटौती ५३ + २३.५ कच्ची निकासी ७६.५ प्रतिशत है। (४) २१,२७,७०० रुपये की संबंधित कच्ची निकासी का ७६.५ प्रतिशत है। ४,२१,२७,७०० रुपये की संबंधित कच्ची निकासी का मुआविजा लगभग २२ महीने की कच्ची निकासी के बराबर है।

क्रम-संख्या	कच्ची निकासी	मालगुजारी कच्ची निकासी का प्रतिशत	अबवाब मालगुजारी का १८ ३/४ प्रतिशत	प्रबन्ध इत्यादि का व्यय कच्ची निकासी का १५ प्रतिशत	स्तम्भ (३) से (५) तक का योग	कृषि आय-कर घटाने के पूर्व पक्की निकासी	कृषि-आय कर		कृषि-आय कर घटाने के बाद पक्की निकासी	प्रतिकर (मुआविजा) (स्तम्भ १०—का ८ गुना)
							धनराशि	स्तम्भ (२) का प्रति शत		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
१	२३.०	८.१	१.५	३.५	१३.०	१०	.७	३.०	९.३	७४.४
२	४६.०	१६.१	३.०	६.९	२६.०	२०	२.१	४.६	१७.९	१,४३.२
३	५७.६	२०.१	३.८	८.६	३२.६	२५	३.०	५.२	२२.०	१,७६.०
४	६९.१	२४.२	४.५	१०.४	३९.१	३०	४.६	६.७	२५.४	२,०३.२
५	१,१५.१	४०.३	७.६	१७.३	६५.१	५०	११.५	१०.०	३८.५	३,०८.०
६	१,७२.७	६०.४	११.३	२५.९	९७.७	७५	२१.८	१२.६	५३.२	४,२५.६
७	२,३०.२	८०.६	१५.१	३४.५	१,३०.२	१,००	३३.८	१४.७	६६.२	५,२९.६
८	३,४५.३	१,२०.९	२२.७	५१.८	१,९५.३	१,५०	६१.२	१७.७	८८.८	७,१०.४

९	४,६०.४	१,६१.२	३०.२	६९.१	२,६०.४	२,००	९०.१	१९.६	१,०९.९	८,७९.२
१०	५,७५.५	२,०१.४	३७.८	८६.३	३,२५.५	२,५०	१,१९.०	२०.७	१,३१.०	१०,४८.०
११	६,९०.६	२,४१.७	४५.३	१,०३.६	३,९०.६	३,००	१,४७.९	२१.४	१,५२.१	१२,१६.८
१२	९,२०.९	३,२२.३	६०.४	१,३८.१	५,२०.९	४,००	२,००.०	२१.७	२,००.०	१६,००.०
१३	११,५१.१	४,०२.९	७५.५	१,७२.७	६,५१.१	५,००	२,५०.०	२१.७	२,५०.०	२०,००.०
१४	१३,८१.३	९०.६	२,०७.२	७,८१.३	६.००	३,००.०	२१.७	३,००.०	२४,००.०	—	
१५	१६,११.५	५,६४.०	१,०५.८	२,४१.७	९,११.५	७.००	३,५०.०	२१.७	३,५०.०	२८,००.०
१६	१८,४१.७	६,४४.६	१,२०.९	२,७६.३	१०,४१.७	८,००	४,००.०	२१.७	४,००.०	३२,००.०
१७	२०,७१.९	७,२५.२	१,३६.०	३,१०.८	११,७१.९	९,००	४,५०.०	२१.७	४,५०.०	३६,००.०
१८	२३,०२.२	८,०५.८	१,५१.०	३,४५.३	१३,०२.०	१०,००	५,००.०	२१.७	५,००.०	४०,००.०

टिप्पणी—(१) सारे अंक हजार की संख्या में हैं। इसलिये दशमलव बिन्दु के बाद अंक से तात्पर्य उतने ही सैकड़े रुपयो से है, उदाहरणार्थ ·१ से तात्पर्य १०० रुपये से है, ·३ से तात्पर्य ३०० रु० से है ७ से तात्पर्य ७०० रुपये से है और ५३.३ से तात्पर्य ५३,३०० रुपये से है, (२) कच्ची निकासियो से तात्पर्य उन कच्ची निकासियों से है जिनके ऊपर मालगुजारी निश्त की गई। (३) कुल मालगुजारी अबवाब और प्रबन्ध का व्यय कच्ची निकासी का ५६.६ प्रतिशत है। कृषि आय कर के घटाने के बाद, कुल प्रतिशत कटौती के निकालने के लिये ५६.६ प्रतिशत के अंक में कच्ची निकासी के सामने स्तम्भ ९ में दिये हुये प्रतिशत अंकों को जोडिये, इस प्रकार मद १८ में कच्ची निकासियां २३,०२,२०० है और कुल कटौती ५६.६ × २१.७ = कच्ची निकासी का ७८.३ प्रतिशत है। (४) २३,०२,२०० रुपये की संबंधित कच्ची निकामी का मुआविजा लगभग २१ महीने की कच्ची निकासी के बराबर है।

क्रम-संख्या	कच्ची निकासी	मालगुजारी कच्ची निकासी की ४० प्रतिशत के हिसाब से	अबवाब मालगुजारी के १८ ३/४ प्रतिशत के हिसाब से	प्रबन्ध इत्यादि का व्यय कच्ची निकासी के १५ प्रतिशत पर	३ स्तम्भ से ५ स्तम्भ तक का योग	पक्की निकासी कृषि आय-कर घटाने के पूर्व	कृषि आय-कर धनराशि	कृषि आय-कर स्तम्भ २ का प्रतिशत	पक्की निकासी कृषि आय-कर घटाने के बाद	प्रतिकर मआविजा स्तम्भ १० का ८ गुना
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
१		१०.७	२०	४.०	१६.७	१०	.७	२.६	९.३	७४.४
२	२६.७	२१.३	४.०	८.०	३३.३	२०	२.१	३.९	१७.९	१,४३.२
३	५३,३.७	२६.७	५.०	१०.०	४१.७	२५	३.०	४.५	२२.०	१,७६.०
४	६६,०.०	३२.०	६.०	१२.०	५०.०	३०	४.६	५.८	२५.४	२,०३.२
५	८३,३.३	५३.३	१०.०	२०.०	८३.३	५०	११.५	८.६	३८.५	३,०८.०
६	१.०	८०.०	१५.०	३०.०	१,२५.०	७५	२१.८	१०.९	५३.२	४,२५.६
७	२,००.७	१,०६.७	२०.०	४०.०	१,६६.७	१,००	३३.८	१२.७	६६.२	५,२९.६
८	२४,०६.०	१०,६०	३०.०	६०.०	२,५०.०	१,५००	६१.२	१५.३	८८.८	७,१०.४

९	५,३३०.३	२,१३.३	४०.०	८०.०	३,३३.३	२,००	९०.१	१६.९	१,०९.९	८,७९.२
१०	६,६६.७	२,६६.७	५०.०	१,००.०	४,१६.७	२,५०	१,१९.०	१७.८	१,३१.०	१०,४८.०
११	८,००.०	३,२०.०	६०.०	१,२०.०	५,००.०	३,००	१४७.९	१८.५	१,५२.१	१२,१६.८
१२	१०,६६.७	४,२६.७	८०.०	१,६०.०	८६,६६.७	४,००	००.०	१८.७	२,००.०	१६,००.०
१३	१३,३३.३	५,३३.३	१,००.०	२,००.०	४,३३.०	५,००	२,५०.०	२,५०.०	१८.७	२०,००.०
१४	६,००.०	६,४०.०	१,२०.०	२,४०.०	१०,००.०	६००	३,००.०	१८.७	३,००.०	२४,०.००
१५	१८,६६.७	७,४६.७	१,४०.०	२,८०.०	११,६६.७	७,००	३,५०.०	१८.७	३,५०.०	२८,०.००
१६	२१,३३.३	८,५३.३	१,६०.०	३,२०.०	१३,३३.३	८,००	४,००.०	१८.७	४,००.०	३२,००.०
१७	२४,००.०	९,६०.०	१,८०.०	३,६०.०	१५,००.०	९,००	४,५०.०	१८.७	४,५०.०	६३,००.०
१८	२६,६६.७	१०,६६.७	२,००.०	४,००.०	१६,६६.७	१०,००	५,००.०	१८.७	५,००.०	४०,००.०

टिप्पणी--(१) सारे अंक हजारों में हैं। इसलिये दशमलव बिन्दु के बाद अंक से तात्पर्य उतने ही सैकड़े रुपये है, उदाहरणार्थ, .१ से तात्पर्य १०० से है, '३ से तात्पर्य ३०० रुपये से है, '७ से तात्पर्य ७०० रुपये से है और ५३.३ से तात्पर्य ५३,३०० रुपये से है। (२) कच्ची निकासी से तात्पर्य केवल उन कच्ची निकासियों से है जिनके ऊपर मालगुजारी नियत की गई है (३) कुल मालगुजारी अबवाब और प्रबन्ध का व्यय कच्ची निकासी का ६२.५ प्रतिशत है। कुल आय कर घटाने के बाद, कुल प्रतिशत कटौती के अंक निकालने के लिये ६२·५ प्रतिशत के अंक से संबंधित कच्ची निकासी के सामने स्तम्भ ९ में दिये हुये प्रतिशत अंकों को जोड़िये, इस प्रकार मद १८ में कच्ची निकासियां २६,६६,७०० हैं और कुल कटौती ६२.५ + १८.७ = कच्ची निकासी का ८१.२ प्रतिशत है। (४) २६,६६,७०० रुपये की संबंधित कच्ची निकासी प्रतिकर (मुआविजा) लगभग १८ महीने की कच्ची निकासी के बराबर है।

श्री त्रिलोकी सिंह जी, एम० एल० ए० की विरोधात्मक टिप्पणी

धारा १—इस बिल के द्वारा किसानों को कुछ अधिकार दिये गये हैं। इसका कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि ऐसे आस्थानों के किसान, जो धारा १ के वाक्यखंड २ उपवाक्यखंड (ख) और (ग) के प्रयोजनों के लिये इस बिल के नियमों से मुक्त कर दिये गये हैं, उन अधिकारों से वंचित रक्खे जायं। सरकारी आस्थानों के किसान अथवा किसी स्थानीय अधिकारी के आस्थानों के किसान या किसी ऐसे आस्थान के किसान जो सार्वजनिक प्रयोजन या सार्वजनिक उपयोग के लिये हों, किसी प्रकार अन्य आस्थानों के किसान से भिन्न नहीं है। ऐसे किसानों को भी उन अधिकारों के दिये जाने की आवश्यकता है जो दूसरे किसानों को दिये जा रहे हैं। यदि इन क्षेत्रों मे स्थिति ज्यों की त्यों रहने दी गई तो किसानों को बड़ा दुःख होगा और यह ठीक ही है।

'सार्वजनिक प्रयोजन' और 'सार्वजनिक उपयोग के कार्य' शब्दों की परिभाषा की जानी चाहिये। यदि विस्तृत परिभाषा देना संभव न हो तो इस सम्बन्ध मे कुछ संकेत करना ही पड़ेगा कि इनके अन्तर्गत कौन-कौन सी बातें आती हैं। ऐसी किसी परिभाषा के बिना बहुत से झगड़ों के उठ खड़े होने की सम्भावना है जिनसे गड़बड़ी पैदा हो सकती है।

धारा १ के वाक्यखंडों के उपवाक्यखंड (ग) और धारा ७८ के वाक्यखंड (क) के आदेशों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। साधारणतया वक्फ, ट्रस्ट, ऐसे धर्मादायों जो पूर्णरूप से पुण्यार्थ हों, सार्वजनिक प्रयोजन की सम्पत्ति होती है और इसलिये ये धारा १ के वाक्यखंड २ के उपवाक्यखंड (ग) के अपवादों के अन्तर्गत आती है, जो प्रत्यक्ष रूप से इस बिल का उद्देश्य नहीं है। इस परस्पर विरोध को मिटा देना चाहिये नहीं तो बहुत से आस्थानों के सम्बन्ध मे इस क़ानून का उद्देश्य विफल हो जायगा।

धारा १ के पहले प्रतिबन्धात्मक वाक्यखंड के द्वारा प्रान्तीय सरकार को अधिकार दिया जाता है कि वह इस ऐक्ट को अन्य क्षेत्रों में ऐसे संशोधनों के साथ लागू करे जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार मामले में आवश्यक हो। किसी ऐक्ट के आदेशों को संशोधित करने का अधिकार एक व्यवस्थापक अधिकार है और वह किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। सिद्धान्त यह है कि धारा सभायें वह अधिकार दूसरों को दे सकती है जो मुख्य क़ानून के 'अधीन' हों। इस मामले मे बिना किसी प्रतिबन्ध के दूसरे को अधिकार दिये गये हैं और इसलिये उससे संबंधित आदेश धारा सभाओं के प्रतिकूल है और उसे निकाल देना चाहिये। कुछ दशाओं में ऐक्ट में संशोधन करने के इसी प्रकार के अधिकार दूसरे और तीसरे प्रतिबन्धात्मक वाक्यखंडों में दिये गये हैं। इनको भी निकाल देना चाहिये।

धारा ८ उपधारा (ङ) और (६) में व्यवस्था की गयी है कि मध्यवर्ती का हित ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८८ ई० की धारा ७३ के आदेशों के अधीन होगा। इन प्रान्तों के बहुत से आस्थान कर्जदार हैं और यदि उनके कर्जों का निपटारा किये बिना उनको ऋण मुक्त कर दिया जाय तो यह बिलकुल अनुचित होगा। पिछले समय में ज़मींदारी का मूल्य बहुत था और विशेष रूप से बड़े बड़े आस्थानों को जो प्रतिकर देने का विचार किया गया है वह उन आस्थानों के मूल्य से बहुत कम है जो इनकम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट में निर्धारित किया गया है। ऐसी सम्पत्तियों का मूल्य भी जिन पर पेशगियां दी गयी है और जिनका मूल्य पहले से घट गया है, उसी अनुपात से अवश्य घटा दिया जाय।

मेरा यह सुझाव है कि या तो साथ ही साथ एक पृथक कानून प्रस्तुत किया जाय या इस बिल मे इसकी व्यवस्था की जाय। इस सम्बन्ध में मेरा निजी विचार यह है कि इनकम्बर्ड स्टेटस ऐक्ट या डेट रिडम्पशन ऐक्ट या एग्रीकलचरिस्ट रिलीफ ऐक्ट या ऋण सम्बन्धी किसी अन्य ऐक्ट के अधीन दीवानी, माल या विशेष कोर्ट मे कार्यवाहियां जारी रहें, जैसे कि यह ऐक्ट पास ही नहीं हुआ और किसी डिग्री के करने के बदले किसी मध्यवर्ती के आस्थान का भाग वर्तमान ऋण ऐक्ट के आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायगा और ऐसे भाग के सम्बन्ध मे यह समझा जाय कि डिग्री की पूर्ति के लिये उसका स्वत्व हस्तांतरण डिग्रीदार को किया गया। और इस बिल के अध्याय ३ के अधीन उसका प्रतिकर डिग्रीदार को अदा कर दिया जायगा। इसी प्रकार की व्यवस्था उन दशाओं मे भी की जा सकती है जिनमें डिग्री दे दी गयी हों और किस्त अदा की जा रही हों और उन दशाओ मे भी ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिनमें ऋण की वसूली के लिये अब कोई कार्रवाइया विचाराधीन न हो।

इसलिये मेरी राय में ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट के वाक्यखंड (ङ) और (६) के सम्बन्ध मे धारा ७३ का उल्लेख निकाल दिया जाय। इस धारा के रहने देने से ऋणग्रस्त आस्थानों के हित को बहुत हानि पहुँचेगी और बन्धक-भोगियो को अनुचित अधिकार प्राप्त हो जायंगे।

धारा ८३ (ग)

किसी भी मध्यवर्ती (Intermediary) के लिये यह कठिन होगा कि वह १० वर्ष के सायर आय के आंकडे दे। साधारणतया वह भू-आगम (रेवेन्यू) के रेकार्डों मे ऐसे इन्दराजात के कराने की परवाह नही करता और यदि ऐसे इन्दराज किये भी जाते तो उनके प्रमाणित उद्धरणों को प्राप्त करने में बहुत व्यय और समय नष्ट होता और परेशानी भी होती। अतएव ऐसी दशाओं में जब १० वर्ष को आय के आंकड़े न दिये जा सकें वर्तमान आदेश (Provision) से उससे उद्देश्य के विफल हो जाने की सम्भावना है। इसके बजाय मेरा यह सुझाव है कि ३ वर्ष के आकड़ों से काम चल जायगा।

वाक्यखंड (घ)

बनो का इस प्रकार सामान्यरूप से श्रेणी विभाजन किया जा सकता है। अपने आप उगने वाले साधारण बन तथा भली प्रकार आयोजित अमूल्य बन जैसे टौंग्या (Taungya) प्लान्टेशन इत्यादि। आयोजित बनों की दशा में वृक्षो के पूर्णरूप से तैयार होने में सामान्यरूप से ५० वर्ष से अधिक लग जाते हैं। २० से ४० वर्ष तक के आकड़ों के आधार पर हिसाब लगाने से यह पता चलता है कि कुछ बनों से कुछ भी आय न होगी। इसलिये ऐसे अमूल्य बनो को सर्वथा भिन्न आधार पर रखना चाहिये। हाल ही में संयुक्त प्रान्तीय बन (जंगलात) ऐक्ट के अधीन इनमे से अधिकाश के सम्बन्ध मे विज्ञापन निकले थे। मैं समझता हूं कि प्रतिकर (Compensation) निर्धारित करने की प्रस्तावित विधि से कुछ दशाओं में बड़ी कठिनाई होगी। मै यह सुझाव रखता हूं कि बड़े वृक्षों की लागत बन विभाग के वर्तमान नियमों के अधीन निर्धारित की जाय और इस प्रकार प्रतिकर निर्धारित मूल्य का एक तिहाई या एक-चौथाई के रूप में दिया जाय। वर्तमान मूल्यों के अनुसार भुगतान करना अन्यायपूर्ण होगा, क्योकि असाधारण दशाओं के कारण मूल्य बहुत बढ़े हुये हैं और मूल्यो के बहुत समय तक उसी स्तर पर बने रहने की सम्भावना नहीं है और ऐसी सम्पत्तियों का मूल्य जबसे उन्मूलन योजना का प्रस्ताव हुआ है, बहुत गिर गया है।

बन एक अमूल्य राष्ट्रीय सम्पत्ति है और जिन्होंने इन बनों को सुरक्षित रखा है, उन्हें दंड न देना चाहिये।

धारा १६९

असामियों में भी कुछ ऐसे वर्ग है जिनमे व्यक्तिगत कानून के अनुसार ही सम्पत्ति के अधिकार प्राप्त है। भूमिधरों को कम से कम यह अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि उत्तराधिकार के मामलों मे वे अपने व्यक्तिगत कानून के अधीन रहें।

अध्याय ११ कोआपरेटिव (सहकारी) फार्मिंग

ग्रामीण दशाओं के विकास के लिये सहकारी फार्मों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है, किन्तु कोआपरेटिव सोसाइटीज़ ऐक्ट की धारा ३३ के अधीन आय का एक पर्याप्त भाग लाभों के रूप मे बाटा नहीं जा सकता। यदि यह आदेश लागू रहेगा तो किसी ऐसे सहकारी फार्म को चलाने के लिये कोई प्रोत्साहन न रह जायगा। जहां तक लाभों के विभाजन का सम्बन्ध है मेरे राय में कोआपरेटिव सोसाइटीज़ ऐक्ट के इस आदेश को लागू न रहने देना चाहिये।

२७-१२-१९५२ त्रिलोकी सिंह

१९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल

जैसा कि विशिष्ट समिति द्वारा संशोधित किया गया है

(विशिष्ट समिति के संशोधन रेखांकित कर दिये गये हैं)

कृषक और राज्य (state) के मध्यवर्तियों (Intermediaries) से युक्त जमींदारी प्रथा को हटाने, संयुक्त प्रान्त में स्थित आस्थानों (estates) में उनके अधिकार, आगम और स्वत्व (rights, title and interest) को हस्तगत (acquire) करने तथा इस प्रकार हटाने और हस्तगत करने के परिणाम-स्वरूप भौमिक अधिकार (land tenure) सम्बन्धी विधि (law), में सुधार करने और इनसे सम्बद्ध अन्य विषयों की व्यवस्था के लिये,

बिल

यह उचित और आवश्यक है कि कृषक और राज्य (state) के मध्यवर्तियों से युक्त जमींदारी प्रथा को हटाने और संयुक्त प्रान्त में स्थित आस्थानों में उनके अधिकार (rights) आगम (title) और स्वत्व (interest, हस्तगत (acquire) करने और इस प्रकार हटाये जाने और अधिकार आगम और स्वत्व हस्तगत करने के परिणामस्वरूप भौमिक अधिकार (land tenure) सम्बन्धी विधि में सुधार और इनसे सम्बद्ध अन्य विषयों की व्यवस्था की जाय, इसलिये निम्नलिखित विधान (ऐक्ट) बनाया जाता है—

भाग १

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और आरम्भ।

१—(१) यह विधान (ऐक्ट), १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधान (ऐक्ट) कहलायेगा।

सं० प्रा० ऐक्ट १७, १९३९ ई०

(२) इसका प्रसार (extent) निम्नलिखित को छोड़कर पूरे युक्त प्रान्त में होगा—

(क) युनाइटेड प्राविन्सेज़ टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ ई० का प्रथम परिशिष्ट (the first schedule) में दिए क्षेत्र,

(ख) ऐसे आस्थान (estates) या उनके भाग, जो केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार या किसी स्थानिक अधिकारिकी (Local authority) के स्वामित्व में (owned by) हों, या

(ग) ऐसे क्षेत्र जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन या सार्वजनिक उपयोगिता (public purpose or public utility) के काम के लिये हों और उसी के लिए दखल में हों तथा जिनके विषय में प्रान्तीय सरकार ने इस बात का प्रख्यापन कर दिया हो अथवा जो लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८९४ संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने का ऐक्ट, १९४८ ई० या १९४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (अस्थायी अधिकार) ऐक्ट या इस विधान से भिन्न सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि हस्तगत (acquisition) करने से सम्बन्ध रखने वाले किसी दूसरे विधायन (enactment) के अधीन प्राप्त किये गये हों,

सं० प्रा० ऐक्ट १, १८९४, सं० प्रा० ऐक्ट २६, १९४८, सं० प्रा० ऐक्ट ३९, १९४८

(घ) कोई क्षेत्र जो ३०, नवम्बर, १९४९ ई० को निम्नलिखित के अन्तर्गत था :—

(१) बनारस स्टेट (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ ई० में दी हुई परिभाषा के अनुसार बनारस स्टेट।

(२) रामपुर स्टेट (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ ई० में दी हुई परिभाषा के अनुसार रामपुर स्टेट, या

(३) टेहरी-गढ़वाल स्टेट (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ ई० में दी हुई परिभाषा के अनुसार टेहरी-गढ़वाल स्टेट।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रान्तीय सरकार ऐसे अपवादों (exceptions) [*] और परिष्कारों (modifications) के साथ, जिनसे कोई मौलिक अन्तर नहीं पड़ता हो, और जो परिस्थिति के अनुसार आवश्यक हों, ऐसे क्षेत्र या आस्थान में यह पूरा विधान या उसका कोई भाग प्रसारित (extend) कर सकेगी;

और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब यह विधान या इसका कोई भाग ऐसे क्षेत्र या आस्थान में अपवादों, [*] या परिष्कारों के साथ या उनके बिना इस प्रकार प्रसारित कर दिया जाय, तो वहां प्रचलित कोई ऐक्ट या अधिनियम (regulation) जो इस विधान से या उसके इस प्रकार प्रसारित भाग से या उसमें किये गये किसी [*] परिष्कार से असंगत (inconsistent) हो, रद्द (repealed) समझा जायगा।

और यह भी प्रतिबन्ध है कि जहां तक बनारस जिले के परगाना कसवार राजा में इस विधान के लागू होने का सम्बन्ध है वह ऐसे परिवर्तन, परि-

[*] निकाल दिया गया।

कार और अनुकूलन (alteration, modifications and adaptation) के साथ लागू होगा जिनके विषय में प्रान्ती [illegible] गजट में [illegible] द्वारा यह प्रख्यापित [illegible] कि वे [illegible] उक्त परगने में प्रचलित [illegible] के लिये [illegible]।

(२—क) उपधारा (४) [illegible] खंड (अ) [illegible] अधीन प्रांतीय सरकार द्वारा किया गया [illegible] इस बात का निश्चायक प्रमाण (conclusive evidence) होगा कि भूमि [illegible] के लिये या सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य के लिये है या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए [illegible] की गई थी।

स्पष्टीकरण :—ऐसे क्षेत्र के विषय में, जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन निर्बंधित (registered) किसी सहकारी संस्था (Co-operative Society) को, या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन निबंधित किसी संस्था (Society) को या इन्डियन कंपनीज ऐक्ट, १९१३ के अधीन स्थापित किसी सार्वजनिक परिसीमित कम्पनी (Public Limited Co.) के पास ७ जुलाई, १९४९ ई० को किसी गृह-निर्माण योजना के प्रयोजनों के लिये रहा हो, यह समझा जायगा कि वह ऐसी भूमि है जो सार्वजनिक उपयोगिता के काम के लिये है।

(३) [illegible] तुरन्त [illegible] हो जायगा (Shall come into force at once)।

(४) '...' के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का ऐसा असिस्टेंट कलेक्टर भी है, जिसे प्रान्तीय सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के सब या कोई कार्य (functions) सम्पादन करने का अधिकार दिया हो,

(५) 'प्रतिकर कमिश्नर' (Compensation Commissioner) का तात्पर्य धारा २९१ के अधीन नियुक्त प्रतिकर कमिश्नर से है और उसके अन्तर्गत सहायक प्रतिकर कमिश्नर (Assistant Compensation Commissioner) भी है;

(६) 'प्रतिकर अधिकारी' (Compensation Officer) का तात्पर्य धारा २९१ के अधीन नियुक्त प्रतिकर अधिकारी से है;

(७) 'डिक्री' का वही अर्थ है, जो उसे कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दिया गया है;

ऐक्ट ५, १९०८

(८) 'आस्थान' (estate) का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र (area) से है, जो यूनाइटेड प्राविन्सेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३२ के खंड (clauses) (ए), (बी), (सी) या (डी) के अधीन तैयार किये गये और रखे गये रजिस्टरों के या उक्त धारा के खंड (?) के अधीन रक्खे गये [*] रजिस्टरों के, जहां तक उसका सम्बन्ध दवामी काश्तकार (permanent tenure holder) से है, एक ही इन्द्राज के अंतर्गत (included under one-entry) हो; और उसमें किसी आस्थान के या आस्थान में के अंश (share) का भी अंतर्भाव है (includes);

सं० प्रा० ऐक्ट ३, १९०१

[*] निकाल दिया गया।

(९) 'गांव-कोष', 'गांव-पञ्चायत' और 'गांव-सभा' का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविंसेज पञ्चायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन संघटित या स्थापित क्रमानुसार गांव-फंड, गांव-पञ्चायत और गांव-सभा से है,

सं० प्रा० ऐक्ट २६, १९४७

(१०) 'गांव-समाज' का तात्पर्य धारा ११४ के अधीन स्थापित गांव समाज से है;

(११) 'उन्नति' का अर्थ किसी खाते (holding) के सम्बन्ध में निम्नलिखित है :—

(१) खाते की भूमि में खाते-दार (tenure-holder) द्वारा अपने रहने के लिये बनाया गया घर या ऐसे अन्य निर्माण, जो उसने कृषि (Agriculture), फलोत्पादन (Horticulture) या पशु-पालन (Animal Husbandry) सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये खाते की भूमि में बनाये या खड़े किए हों;

(२) कोई ऐसा निर्माण, जिससे खाते की भूमि के मूल्य में वास्तविक (material) वृद्धि होती हो, जो पूर्वोक्त प्रयोजनों से सङ्गत (consistent) हो और जो, यदि खाते की भूमि पर न बनाया गया हो तो, वह या तो उसे सीधे (directly) लाभ पहुंचाने के लिये बनाया गया हो या बनाए जाने के बाद खाते को सीधे लाभ पहुंचाने के योग्य कर दिया गया हो और इस खण्ड के पूर्वोक्त निदेशों को बाधित न करते हुए (subject to), इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(क) कुवें, जल-प्रणालियों (water channels) और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये पानी पहुंचाने या उसके बांटने (distribution) से सम्बन्धित किसी दूसरे निर्माणों (works) का बनाना,

(ख) भूमि से पानी के निकास के लिए या बाढ़ अथवा कटाव या ऐसी अन्य सम्भव जल-क्षति से भूमि को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए निर्माण-कार्य

(ग) भूमि का उद्धार (reclaiming), भूमि को जंगल-झाड़ से रहित करना (clearing), उसमें घेरा बांधना, उसे चौरस (levelling या समसमुन्नत करना (terracing),

(घ) ऐसी इमारत का बनाना जो खाते की भूमि के सुविधानुकूल या लाभदायक उपयोग अथवा दखल के लिए आवश्यक हो और जो उक्त भूमि के बिलकुल समीप किसी ऐसी भूमि पर बनाई गई हो जो गांव की बस्ती (village site) से भिन्न हो,

(ङ) पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये तालाब या अन्य जलाशय बनाना,

(च) खाते की भूमि में पेड़ और झाड़ लगाना,

(छ) पूर्वोक्त किसी निर्माण का नवीकरण (renewal) या पुनर्निर्माण (reconstruction) अथवा उसमें ऐसे परिवर्तन या परिवर्द्धन करना, जो केवल मरम्मत के ही प्रकार के न हों

(१५) 'विधिक प्रतिनिधि' का अर्थ वही है जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में, 'legal representative' का दिया गया है,

ऐक्ट सं० ५, १९०८

१५-(क) "खान" का तात्पर्य ऐसी सभी खोदाइयों (excavations) से है जिनमें खनिज पदार्थों की खोज या प्राप्ति के लिये कोई कार्य (operation) किया गया हो या किया जा रहा हो, किन्तु खान से सम्बन्ध रखने वाले कोई निर्माण, मशीनरी, ट्रामवे या साइडिंग (siding) उसके अन्तर्गत नहीं हैं; और कोई खान तभी चालू (in operation) समझी जायगी जब उसके व्यापार आरम्भ (commencement of operation) का कोई नोटिस इन्डियन माइन्स ऐक्ट, १९२३ की धारा १३ के अनुसार उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जिसमें वह खान स्थित हो, दे दिया गया हो और किसी समर्थ अधिकारिक (competent authority) को उसके व्यापार बन्द करने की सूचना न दी गई हो।

(१६) 'नियत' (prescribed) का तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(१७) 'पिछला कृषि-वर्ष' (previous agricultural year) का तात्पर्य उस कृषि-वर्ष से है, जो उस कृषि-वर्ष से ठीक पहले हो, जिसमें स्वत्वाधिकार का दिनांक पड़ता हो,

(१८) 'सम्पत्ति' का अध्याय ५ में तात्पर्य आस्थानों से भिन्न सम्पत्ति से है,

(१९) 'स्वामी' (proprietor) का तात्पर्य किसी आस्थान के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति से है, जो न्यासी के रूप (in trust) में या अपने ही लाभ के लिये किसी आस्थान में स्वामित्व रखता हो।

और 'स्वामी' के अन्तर्गत स्वामी के दाय के उत्तराधिकारी (heirs) और स्वत्व के उत्तराधिकारी (successors-in-interest) हैं;

(२०) 'प्रान्तीय सरकार' (Provincial Government) का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त की सरकार से है;

(२१) 'धर्मार्थ' (religious purpose) के अन्तर्गत ऐसे सभी प्रयोजन हैं, जिनका सम्बंध धार्मिक उपासना, शिक्षा या सेवा अथवा धार्मिक कृत्यों (religious rites) के सम्पादन से हो;

(२२) 'पुनर्वासन अनुदान अधिकारी' (Rehabilitation Grants Officer) का तात्पर्य धारा १९१ के अधीन नियुक्त पुनर्वासन अनुदान अधिकारी से है;

(२३) 'गांव' (village) का तात्पर्य ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है, जो, चाहे एकत्र (compact) हो या नहीं, तत्सम्बन्धी जिले के माल-अभिलेख (Revenue Records) में गांव के रूप में अभिलिखित(recorded) हो और उसके अन्तर्गत ऐसा क्षेत्र भी है जिसे प्रान्तीय सरकार गजट में प्रकाशित सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा गांव होना प्रख्यापित कर दे,

(२४) ऐसे शब्दों और पदों (expressions) का, जिनकी परिभाषा इस ऐक्ट में नहीं की गई है और जिनका प्रयोग यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ ई० में किया गया है, वही अर्थ होगा जो उनको उक्त ऐक्ट में दिया गया है,

सं० प्रा० ऐक्ट १७, १९३९

(२५) ऐसे शब्दों और पदों का, जिनकी परिभाषा इस ऐक्ट में या यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ ई० में नहीं की गई है और जिनका प्रयोग यूनाइटेड प्राविंसेज़ लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ ई० में किया गया है, वही अर्थ होगा, जो उनको उक्त ऐक्ट में दिया गया है।

सं० प्रा० ऐक्ट १७, १९३९

सं० प्रा० ऐक्ट सं० ३, १९०१

अध्याय २

मध्यवर्तियों के स्वत्वों का हस्तगत किया जाना और उसके परिणाम

५--[*]

आस्थानों का महामहिम के स्वत्वाधिकार में आना

६--(१) इस ऐक्ट के प्रारम्भ होने के बाद यथाशीघ्र प्रान्तीय सरकार विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित (declare) कर सकेगी कि निर्दिष्ट किए जाने वाले दिनांक से संयुक्त प्रान्त में स्थित सब आस्थान (estates) महामहिम के स्वत्वाधिकार में आ जायेंगे (shall vest in His Majesty) और इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक से [जिसे आगे चलकर स्वत्वाधिकार का दिनांक (date of vesting) कहा जायगा] ऐसे सब आस्थान सब भारों से मुक्त (free from all encumbrance) इस प्रान्त के प्रयोजनों के लिये महामहिम को हस्तान्तरित (transfer) होकर उनके स्वत्वाधिकार में उस दशा को छोड़ जिसकी आगे व्यवस्था की गई है आ जायंगे।

(२) प्रान्तीय सरकार के लिए वैध (lawful) होगा कि यदि वह आवश्यक समझे, तो उपधारा (१) में अभिदिष्ट (referred to) विज्ञप्ति समय-समय पर केवल ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए जारी करे जो निर्दिष्ट किए जायं और उपधारा (१) के सब निदेश (provisions) ऐसी प्रत्येक विज्ञप्ति पर और उसके विषय में लागू होंगे।

विज्ञप्ति का गज़ट में प्रकाशित किया जाना

७--धारा [*] ६ में अभिदिष्ट विज्ञप्ति गजट में और ऐसे अन्य प्रकार से प्रकाशित की जायंगी जो नियत किया जाय,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गजट में विज्ञप्ति का हिन्दी में प्रकाशन इस बात का निश्चायक प्रमाण (conclusive proof) होगा कि उसका यथावत् (due) प्रकाशन हो गया है।

---

[*] निकाल दिया गया।

आस्थान के महामहिम के स्वत्वाधिकार में जाने के परिणाम

८—जब किसी क्षेत्र के विषय में धारा ६ के अनुसार विज्ञप्ति गजट में प्रकाशित हो जाय तब किसी संविदा (contract), लेख्य (document) या उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि (any other law for the time being in force) में किसी बात के रहते हुये भी, और इस ऐक्ट में किसी भिन्न व्यवस्था के न होने पर (save as otherwise provided in this Act) स्वत्वाधिकार के दिनांक के प्रारम्भ से ऐसे क्षेत्र में आगे लिखे परिणाम उत्पन्न होंगे :—

(क) ऐसे क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि योग्य या ऊसर भूमि, बाग-भूमि, गांव की सीमाओं के भीतर और बाहर के जंगलों, (गाव की आबादी), खातेा (holdings) या बागेा के पेड़ों केा छोड़ अन्य पेड़ों, मीनाशयेां (fisheries) तथा (खातों, बाग अथवा आबादी के निजी कुओं केा छोड़), अन्य कुओं, तालाबों, पोखरों, जल-प्रणालियों (water channels), नाव-घाटों (ferries), रास्तों, आबादी के स्थलों (abadi sites), हाटेां, [*]बाजारेां और मेलेां सहित प्रत्येक आस्थान में, तथा चलती हुई या न चलती हुई खानेां और खनिज-पदार्थों (mines and minerals) में यदि कोई अधिकार हेां, तेा उनके सहित और भूमि के नीचे के (in sub-soil), मध्यवर्तियेा के सब अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त होकर सब भारेां से मुक्त, प्रान्त के प्रयेाजनेा के लिए, महामहिम (His Majesty) के स्वत्वाधिकार में आ जायंगे;

(ख) इस प्रकार हस्तगत किए गए आस्थान की भूमि का तथा ऐसी भूमि या उसकी मालगुजारी से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारेां और विशेषाधिकारेां का प्रत्येक अनुदान और आगम का पुष्टिकरण, चाहे वह वापस लिया जा सकता हेा या नहीं, समाप्त हेा जायंगे,

---

[*] निकाल दिया गया।

(ग) किसी आस्थान या उसमें स्थित खाते की भूमि से सम्बन्धित ऐसे सभी लगान, अबवाब (cess) स्थानिक कर (Local rates) और सायर जो स्वत्वाधिकार के दिनांक के बाद के हों और जो आस्थान न हस्तगत किये जाने की दशा में मध्यवर्ती को देय (payable) होते, प्रान्तीय सरकार के स्वत्वाधिकार में आ जायंगे और उसको देय होंगे, न कि मध्यवर्ती को, और यदि इस खंड के निदेश के विपरीत कुछ दिया जाय, तो देने वाला अपने दायित्व से वैध रूप से मुक्त न होगा;

(घ) इस प्रकार हस्तगत किये गये आस्थान से सम्बन्धित ऐसी सभी मालगुजारी (revenue), अबवाब (cesses) या अन्य देयों (dues) की सब बकाया (arrears) जो मध्यवर्ती से स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले के किसी समय के लिए प्राप्य (due) हो, ऐसे मध्यवर्ती से वसूल की जाने योग्य रहेगी और वसूली के अन्य ढङ्ग को बाधित न करते हुए (without prejudice to any other mode of recovery), ऐसे मध्यवर्ती को, अध्याय ३ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर (compensation) की, धनराशि से काटकर वसूल की जा सकेगी ;

(ङ) किसी आस्थान में इस प्रकार हस्तगत किया गया मध्यवर्ती का स्वत्व किसी दीवानी या माल (civil or revenue) न्यायालय की किसी डिक्री या अन्य प्रसर (process) के निष्पादन (execution) में कुर्क या नीलाम नहीं हो सकेगा और स्वत्वाधिकार के दिनांक पर वर्तमान (existing) प्रत्येक कुर्की और उस दिनांक से पहले दी गई कुर्की की आज्ञा, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ के निदेशों (provisions) को बाधित न करते हुए, निष्प्रभाव हो जायगी (shall cease to have force);

ऐक्ट ४, १८८२

(च) (१) ऐसा प्रत्येक भोगबन्धक (mortgage with possession) जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी आस्थान या किसी आस्थान के किसी भाग (part share) पर हो, धारा ६ के अधीन प्रान्तीय सरकार के अधिकारों को बाधित न करते हुए उस धनराशि के लिए, जो ऐसे आस्थान या उसके भाग पर सुरक्षित हो, इष्टिबन्धक (simple mortgage) में परिवर्तित (substituted) समझा जायगा,

(२) बन्धक-पत्र (mortgage deed) या किसी दूसरे इकरारनामे (agreement) में किसी बात के रहते हुए भी उपखण्ड (१) के अनुसार परिवर्तित इष्टिबन्धक के सम्बन्ध में प्रख्यापित धनराशि पर ब्याज ऐसी दर से और ऐसे दिनांक से चलेगा जो नियत किए जाएं;

(छ) किसी ऐसे रुपये के लिए, जो किसी ऐसे आस्थान या उसके भाग के बन्धक से सुरक्षित (secured) हो या उस पर भार-रूप (charged) हो, कोई दावा (claim) जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले मध्यवर्ती के विरुद्ध किया जा सकता हो या दायित्व जो उसने स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले उपगत (incurred) किया हो, ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ में दी हुई रीति से भिन्न किसी रीति से, आस्थान में उसके स्वत्व के विरुद्ध व्यवहार में नहीं लाया जा सकेगा (shall not be enforceable);

ऐक्ट ४, १८८२

(ज) नियत किये जाने वाले प्रकार के ऐसे सब वाद (suits) और व्यवहार (proceedings), जो किसी न्यायालय में स्वत्वाधिकार के दिनांक पर विचाराधीन (pending) हों और स्वत्वाधिकार के दिनांक से पूर्व ऐसे किसी वाद या व्यवहार में हुई डिक्री या आज्ञा

से सम्बन्ध रखने वाली सब कार्यवाहियां स्थगित कर दी जायंगी (shall be stayed)।

(झ) स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर विद्यमान सभी महाल और उनके उपविभाग तथा किसी स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, हिस्सेदार या लम्बरदार द्वारा मालगुजारी के देन के सम्बन्ध में किये गये सभी अनुबन्ध (engagement) समाप्त और निष्प्रभाव हो जायेंगे।

कुछ अधिकारों के सम्बन्ध में अपवाद

९--इस अध्याय में कही गई किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकारों पर नहीं होगा—

(क) इस ऐक्ट के पूर्वोक्त निदेशों के अनुसार हस्तगत किये गये किसी आस्थान के अंतर्गत किसी खान को चलाते रहने का अधिकार, जो समय विशेष पर प्रचलित (for the time being in force) विधि (law) द्वारा नियमित होगा (shall be governed);

(ख) स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले के लगान, अबवाब (cess), सायर या [*] अन्य देयों को बकाया (arrears) की वसूली का अधिकार इस ऐक्ट में किसी बात के रहते हुए भी, वे पहले की तरह ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूल किये जा सकेंगे जिसे उन्हें वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लगान की बकाया की कोई डिक्री या लगान की बकाया न देने के कारण बेदखली की आज्ञा किसी खाते से वाद ऋणी (judgment-debtor) की बेदखली द्वारा निष्पादित (executed) नहीं की जायगी;

और यह भी प्रतिबन्ध है कि जिस मध्यवर्ती का ऐसे आस्थान में स्वत्व, जिसके विषय में बकाया देय है, इस ऐक्ट के निदेशों के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो, उसके द्वारा देय

लगान, अबवाब, स्थानिक कर (local rate) सायर या पूर्वोक्त अन्य देय उसे मिलने वाले प्रतिकर में से वसूल किये या चुकाये जा सकते हैं और पाने वाले व्यक्ति को वसूली के दूसरे साधनों के अतिरिक्त यह साधन भी प्राप्त रहेगा।

८ अगस्त, १९४६ ई० से पहिले की संविदाओं का स्वत्वाधिकार के दिनांक से व्यर्थ होना

१०—(१) ऐसे आस्थान में स्थित किसी निजी जंगल या मीनाशय के सम्बन्ध में जंगल से उपज या मीनाशय से मछली लेने के लिए मध्यवर्ती और किसी अन्य व्यक्ति में ८ अगस्त, १९४६ ई० के बाद हुई प्रत्येक संविदा (contract) स्वत्वाधिकार के दिनांक से व्यर्थ (void) हो जायगी।

८ अगस्त, १९४६ ई० को या पहले हुए संविदा पर प्रभाव न पड़ना.

(२) इस अध्याय में दी हुई किसी बात का प्रभाव ऐसे व्यक्तियों के उपधारा (१) में उल्लिखित प्रकार की किसी ऐसी संविदा (contract) के अधीन प्राप्त अधिकारों पर न पड़ेगा जो ८ अगस्त, १९४६ ई० को या उसके पूर्व हुई हो।

११—[*]

निजी कुओं, आबादी के पेड़ों और इमारतों का बंदोबस्त वर्तमान स्वामियों के साथ होना

१२—किसी आस्थान में स्थित ऐसे सब निजी कुएं, जो खातों, बाग अथवा आबादी में हों या आबादी के पेड़ और सब इमारतें, जो किसी मध्यवर्ती या काश्तकार या दूसरे व्यक्ति की हैं या उसके उपभोग में हों, चाहे वह गांव में रहता हो या न रहता हो, मध्यवर्ती, काश्तकार या अन्य व्यक्ति के, जैसी भी दशा हो, बने रहेंगे या उसके उपभोग में रहेंगे और सम्बद्ध (appurtenant) क्षेत्र सहित उन कुओं या इमारतों के स्थल (sites) के विषय में यह समझा जायगा कि उनका बन्दोबस्त प्रान्तीय सरकार ने उसके साथ ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर किया है, जो नियत की जायं।

सीर के काश्तकार

१३—ऐसी भूमि का प्रत्येक काश्तकार जो ऐसे मध्यवर्ती की सीर अभिलिखित हो जिस पर स्वत्वाधिकार के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक

---

[*] निकाल दिया गया।

पर संयुक्त प्रान्त में २५० रु० से अधिक वार्षिक मालगुजारी लगी हो और यदि मालगुजारी नहीं लगी है तो इतना स्थानिक कर (local rate) लगा हो जो २५० रु० की वार्षिक मालगुजारी पर देय हो, उस भूमि का मौरूसी काश्तकार समझा जायगा और उसके लगान की दर वही समझी जायगी जो उक्त दिनांक पर उसके द्वारा देय हो और धारा १६ के प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि सीर नहीं मानी जायगी।

भरण-पोषण के लिये दी गई सीर या खुदकाश्त

१४—यदि किसी व्यक्ति ने अपनी सीर या खुदकाश्त किसी दूसरे व्यक्ति को भरण-पोषण (maintenance) के लिये दे दी हो तो ऐसा दूसरा व्यक्ति [*] धारा १३ में किसी बात के होते हुए भी उस भूमि का असामी समझा जायगा और उसको वह भूमि उस अवधि तक रखने का अधिकार रहेगा जब तक उसको भरण-पोषण पाने का अधिकार रहे।

ठेकेदार का कुछ अवस्थाओं में मौरूसी काश्तकार समझा जाना

१४ क—(१) यदि कोई भूमि स्वत्वाधिकार के दिनांक के ठीक पहिले के दिनांक पर ठेकेदार की निजी जोत में रही हो और यह सिद्ध हो कि ठेका इस दृष्टि से दिया गया था कि ठेकेदार उस भूमि में स्वयं खेती करे, तो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ ई० में किसी बात के रहते हुए भी ठेकेदार उस भूमि का मौरूसी काश्तकार समझा जायगा और उसके लिये मौरूसी दरों से लगान का देनदार होगा।

(२) उक्त भूमि का ठेके के प्रारम्भ से ठेकेदार की निजी जोत में रहना, इंडियन एविडेन्स ऐक्ट, १८७२ ई० की धाराये ६१ और ६२ में किसी बात के रहते हुए भी इस बात के प्रमाण में ग्राह्य होगा कि ठेका उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रकार का था।

---

[*] निकाल दिया ।

ठेकेदार के कब्जे का आस्थान

१५—(१) उपधारा (२) के निदेशों को बाधित न करते हुए (subject to), किसी आस्थान या उसके अंश के ठेकेदार को स्वत्वाधिकार के दिनांक से ऐसे आस्थान की किसी भूमि को ठेकेदार के रूप में अपने पास या कब्जे में रखने का अधिकार न रह जायगा।

(२) जहां ऐसी कोई भूमि स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर ठेकेदार की निजी जोत में रही हो, वहां—

(क) यदि वह ठेका दिये जाने के दिनांक पर ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त थी, तो धारा १९ के प्रयोजनों के लिये स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर वह ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त समझी जायगी तथा स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठेकेदार उसका असामी हो जायगा और स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर लागू मौरूसी दरों से लगान का देनदार होगा एवं भूमि पर, ठेके की शेष अवधि (unexpired period) या स्वत्वाधिकार के दिनांक से पांच वर्ष, दोनों में से जो कम हो उस अवधि के लिये उसी रूप में काबिज रहने का अधिकारी होगा,

(ख) यदि वह ठेका देने के दिनांक पर ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त नहीं थी, और

(१) उसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक नहीं है तो, धारा २० के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि ठेकेदार उस पर मौरूसी काश्तकार के रूप में ऐसे लगान पर जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर लागू मौरूसी दरों से लगाये गये लगान के बराबर हो, काबिज रहा है,

(२) उसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक है, तो यह समझा जायगा कि उसमें से तीस एकड़ पर वह उक्त धारा के प्रयोजनों के लिये पूर्वोक्त प्रकार से मौरूसी काश्तकार के रूप में काबिज रहा है और शेष खाली भूमि समझी जायगा तथा ठेकेदार धारा २०६ के निर्देशों के अनुसार उससे बेदखल हो सकेगा;

[*]

(३) उपधारा (२) के खण्ड (क) और (ख) में दिए निरोधों (restriction) के रहते हुए भी, यदि कलेक्टर को ठेकेदार का प्रार्थना पर और ऐसी जांच के बाद, जो नियत की जाय, सन्तोष हो जाय कि ऐसा करना किसी वर्तमान कृषि फार्म के सुचारु और सफल (efficient and successful) संचालन (wor King) के लिये आवश्यक है, तो वह ठेकेदार को, भूमि रखने की आज्ञा दे सकता है :—

(क) यदि वह उपधारा (२) (क) में आने वाली भूमि हो तो ५ वर्ष से अधिक अवधि के लिए और

(ख) यदि वह उक्त उपधारा के खंड(ख) में आने वाली भूमि हो तो ३० एकड़ से अधिक रखने के लिये।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ठेकेदार इस प्रकार अनुज्ञात भूमि ठेके की अवधि के बाद रखने का अधिकारी न होगा और उस अतिरिक्त भूमि का जो उसे खण्ड (ख) के अधीन ३० एकड़ से ऊपर मिली हो, वह गांव-सभा की ओर से असामी होगा और उसके निमित्त उस लगान का देनदार होगा जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर लागू मौरूसी दर के अनुसार हो।

[*] निकाल दिया गया।

भोगबन्धकों के कब्जे का आस्थान

१६—(१) उपधारा (२) के निदेशों को बाधित न करते हुए किसी आस्थान या उसके अंश (share) के किसी भोगबन्धकों (mortgagee with possession) को स्वत्वाधिकार के दिनांक से यह अधिकार न रह जायगा कि वह उस आस्थान की किसी भूमि को भोगबन्धकी के नाते से अपने पास या कब्जे में रख सके।

(२) जहां ऐसी कोई भूमि स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर बन्धकों (mortgagee) के निज जोत में रही हो, वहां—

(क) यदि वह भूमि बन्धक (mortgage) के दिनांक पर बन्धककर्त्ता की सीर या खुदकाश्त रही है तो धारा १८ के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायगा कि वह बन्धककर्ता या उसके विधिक प्रतिनिधि (legal-representative) की सीर या खुदकाश्त है, और

(ख) यदि बन्धक के दिनांक पर वह बन्धककर्त्ता (mortgagor) की सीर या खुदकाश्त नहीं थी तो बन्धकी द्वारा अगले छः मास के भीतर प्रान्तीय सरकार को ऐसी धनराशि दे दिये जाने पर, जो स्वत्वाधिकार के दिनांक पर लागु मौरूसी काश्तकारों की दर से लगाये लगान का पांच गुना हो, धारा २० के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायगा कि वह भूमि बन्धकों के पास पूर्वोक्त दिनांक पर और उक्त दर के लगान पर मौरूसी काश्तकार के नाते थी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बन्धकों दिये गए समय के भीतर उपर्युक्त धनराशि न दे तो, ऐसी भूमि में उसके सब अधिकार समाप्त हो जायेंगे; और वह भूमि खाली भूमि समझी जायगी तथा बन्धकी धारा २०६ के अधीन गांव-सभा द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर ऐसे बेदखल

हो सकेगा मानों वह उक्त भूमि पर इस ऐक्ट के निदेशों के प्रतिकूल काबिज रहा हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए भोगबन्धकी के अन्तर्गत उसके भोगबन्धक सम्बन्धी अधिकारों का ठेकेदार भी होगा।

संयुक्त आस्थानों में सीर खुदकाश्त आदि का परिच्छेद

१७—(१) यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर किसी ऐसे आस्थान या आस्थानों में जो मध्यवर्ती और अन्य व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व में हों, ठेकेदार से भिन्न मध्यवर्ती के पास कोई भूमि उसके आनुपातिक अंश से अधिक निज जोत में अथवा सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती के बाग के रूप में रही हो, तो यथाशीघ्र नियत अधिकारिक (prescribed authority) ऐसे मध्यवर्ती के अंश के अनुपात में भूमि का परिच्छेद कर देगा।

(२) (क)—धारा १६ के प्रयोजनों के लिए केवल उतनी भूमि, जिसका इस प्रकार परिच्छेद किया जाय, उसकी सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती का बाग समझी जायगी, और

(ख) वह भूमि, जो उसके पास उसके अंश से अधिक हो, धारा २० के प्रयोजनों के लिए उसके पास साकितुल मिलकियत काश्तकार (ex-proprietary tenant) की भूमि के रूप में समझी जायगी और उसे स्वत्वाधिकार के दिनांक पर लागू साकितुल मिलकियत काश्तकारों के दर से लगान देना होगा।

ऐसी भूमि के काबिज का मौरूसी काश्तकार होना जिसमें प्रवर अधिकार न हों

१८—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम ऐसी भूमि के सम्बन्ध में (जो उस भूमि से भिन्न हो जो धारा १३ में अभिदिष्ट मध्यवर्ती के अतिरिक्त किसी मध्यवर्ती की सीर या खुदकाश्त अभिलिखित हो या जो बाग भूमि अथवा धारा २० के खंड (१) से (७) तक में उल्लिखित व्यक्ति या शरह मोअइयन काश्तकार या माफीदार के खाते के अन्तर्गत भूमि

अभिलिखित हो) [*] ऐसे अभिलेख (record) में, जो यूनाइटेड प्राविंसेज़ लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अध्याय ४ के अनुसार पुनरीक्षित (revised) किया गया हो या ऐसे अधिकारी द्वारा संशोधित किया गया हो जिसे किसी क्षेत्र में वार्षिक रजिस्टरों के संशोधन के लिये प्रांतीय सरकार ने विशेष रूप से नियुक्त किया हो, काबिज़ के रूप में दर्ज हो और जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर उस भूमि पर काबिज़ था या जिसे यूनाइटेड प्राविन्सेज़ टेनेन्सी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (१) के खंड (सी) [clause (c)] के अनुसार कब्ज़ा वापस पाने का अधिकार हो, ऐसा मौरूसी काश्तकार समझा जायगा जो उक्त दिनांक पर ऐसे काश्तकारों पर लागू दर से लगान का देनदार था।

सं० प्रा० ऐक्ट ३, १९०१

सं० प्रा० ऐक्ट १०, १९४७

सीर की जमीन जो काश्तकार के अधिकार में पट्टा दवामी या इस्तमरारी के रूप में हो।

१८—(क) ऐसी भूमि जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर किसी मध्यवर्ती की सीर थी किन्तु उक्त दिनांक पर पट्टा दवामी या इस्तमरारी पर किसी काश्तकार के पास थी, धारा १९ के प्रयोजनों के लिए ऐसे मध्यवर्ती की सीर न समझी जायगी पर वह धारा १३ और १७ के प्रयोजनों के लिए उसकी सीर समझी जायगी।

सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती के बाग का उसके मध्यवर्ती के साथ भूमिधर के रूप में बन्दोबस्त किया जाना

१९—(१) धारा १३, १७, १८ और १८ (क) के निदेशों को बाधित न करते हुए ऐसी सब भूमि जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर

(क) किसी मध्यवर्ती के पास या कब्ज़े में सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती के बाग के रूप में हो, या समझी जाती हो,

(ख) जो अवध में स्थायी पट्टेदार के पास बाग के रूप में या निज जोत में हो,

---

[*] निकाल दिया गया।

(ग) जो शरह मुअइयन काश्तकार के पास शरह मुअइयन काश्तकार के नाते और माफीदार के पास माफीदार के नाते हो, तो

यह समझा जायगा कि प्रान्तीय सरकार द्वारा ऐसे मध्यवर्ती या पट्टेदार के साथ उसका बन्दोबस्त कर दिया गया है और ऐसे व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह उस भूमि को इस ऐक्ट के निर्देशों को बाधित न करते हुए भूमिधर के नाते अपने कब्जे में ले ले या रखे।

(२) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विषय में जो संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार विशेषाधिकार उपार्जन विधान, १९४६ ई० की धारा ३ में उल्लिखित वर्ग का हो और जिसे किसी खाते या उसके किसी अंश के सम्बन्ध में उक्त विधान की धारा ६ में अभिदिष्ट प्रख्यापन प्रदान कर दिया गया है, उक्त प्रख्यापन के बाद में निरस्त न होने की दशा में यह समझा जायगा कि वह उस खाते या उसके उस अंश का भूमिधर है जिसके सम्बन्ध में प्रख्यापन दिया गया है और सप्रभाव है।

खाते की भूमि का उसके काश्तकार के साथ सीरदार के रूप में बन्दोबस्त होना

२०--ऐसी सब भूमि के विषय में, जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर किसी व्यक्ति के पास नीचे लिखे रूप में हो या रही समझी जाय, यह समझा जायगा कि उसका बन्दोबस्त प्रान्तीय सरकार ने उस व्यक्ति के साथ कर दिया है और इस ऐक्ट के निदेशों को बाधित न करते हुये, केवल उन दशाओं को छोड़, जिनकी कि धारा १९ की उपधारा (२) में व्यवस्था की गई है, उस व्यक्ति को अधिकार होगा कि सीरदार के रूप में वह भूमि अपने कब्जे में ले ले या रखे--

(१) [*]

[*] निकाल दिया गया।

(२) अवध में विशेष शर्तों वाला काश्तकार (tenant holding on special terms in Avadh),

(३) साक़िदुल मिल्कियत काश्तकार (ex-proprietary tenant),

(४) दख़ीलकार काश्तकार (occupancy tenant),

(५) मौरूसी काश्तकार (hereditary tenant),

(६) [*]

(७) काश्तकार रियायती लगान (grantee at favourable rate of rent), अथवा

(८) बाग़दार (grove-holder)।

(९) कोई व्यक्ति जिसके पास धारा १८-क में अभिदिष्ट भूमि पट्टा दवामी या इस्तमरारी पर हो।

सीर के काश्तकारी शिकमी या काबिज का अधिवासी होना

२१—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर इस ऐक्ट के निदेशों के अनुसार निम्नलिखित था या समझा गया हो, अर्थात्—

(क) सीर का ऐसा काश्तकार, जो उस काश्तकार से भिन्न हो, जिसका उल्लेख धारा २०(९) में है या जिसके पक्ष में धारा १३ के निदेशों के अनुसार मौरूसी अधिकार उत्पन्न होते हों,

(ख) बाग-भूमि से भिन्न किसी भूमि का ऐसा शिकमी काश्तकार (sub-tenant), जो यूनाइटेड प्राविन्सेज़ टेनेन्सी अमेंडमेंट ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) से सम्बद्ध प्रतिबन्ध में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार से भिन्न हो, या

(ग) ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम ऐसी किसी भूमि पर (उस भूमि को छोड़ जिस पर धारा १८ के निदेश लागू होते हों) काबिज़ के रूप में [*] ऐसे अभिलेख में दर्ज हो, जो

[*] निकाल दिया गया।

यूनाइटेड प्राविंसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अध्याय ४ के अनुसार पुनरीक्षित (revised) या ऐसे अधिकारी द्वारा संशोधित किया गया हो, जिसे प्रान्तीय सरकार ने किसी क्षेत्र (tract) में वार्षिक रजिस्टरों के संशोधन के लिये विशेष रूप से नियुक्त किया हो, और जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर उस भूमि पर काबिज रहा हो या उसको ऐसी भूमि पर कब्जा वापस पाने का यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेन्सी (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (१) के खण्ड (सी) [clause (c)] के अनुसार अधिकार रहा हो,

सं० प्रा० ऐक्ट सं० ३, १९०१

सं० प्रा० ऐक्ट १०, १९४७

जब तक कि वह धारा १९ की उपधारा (२) में उल्लिखित जमीन का भूमिधर न बन गया हो, उक्त भूमि का अधिवासी कहलायेगा और इस ऐक्ट के निदेशों को बाधित न करते हुए, उसे उस भूमि पर क़ब्ज़ा लेने या रखने का अधिकार होगा।

गैर दखीलकार काश्तकारों, बाग-भूमि के शिकमियों और काश्तकारों के बंधकियों का असामी होना

२२—प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास या दखल में स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर कोई भूमि निम्नलिखित के नाते रही हो, इस ऐक्ट में किसी बात के रखते हुए भी, उस भूमि का असामी समझा जायगा—

(क) किसी मध्यवर्ती की बाग-भूमि का गैरदखीलकार काश्तकार (non-occupancy tenant),

(ख) बाग-भूमि का शिकमी काश्तकार (sub-tenant),

(ख ख) यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेंसी [अमेंडमेंट] ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) से सम्बद्ध प्रतिबन्ध में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार,

(ग) धारा १६ की उपधारा (१) के खंड (ख) और (ग), तथा धारा २० के खंड (२)

से (९) तक में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग के व्यक्ति का बन्धकी (mortgagee),

(घ) पशुचर भूमि का या ऐसी भूमि का, जिस पर पानी हो और जो सिंघाड़ा और किसी दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो अथवा ऐसी भूमि का, जो नदी के तल (bed of a river) में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो, गैरदखीलकार काश्तकार,

(ङ) ऐसी भूमि का गैरदखीलकार काश्तकार, जिसके विषय में प्रान्तीय सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि उसमें टौंगिया रीति से बन लगाने का विचार है या वह उसके लिये अलग कर दी गई है, या

(च) ऐसी भूमि का काश्तकार, जिसके विषय में प्रान्तीय सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि वह अस्थायी या अस्थिर (shifting or unstable) खेती के क्षेत्र का भाग है।

स्पष्टीकरण—"टौंगिया रीति से बन लगाने" का तात्पर्य बन लगाने की उस रीति (system of afforestation) से है, जिसमें प्रारम्भिक अवस्था में पेड़ों के लगाने के साथ-साथ खेती की फसलें भी बोई जाती हैं और जिसमें फसलों का बोना उस समय बन्द हो जाता है जब इस प्रकार लगाये गये पेड़ ऐसी छतरी के रूप में हो जायँ जिससे खेती की फसलों का बोना असम्भव हो जाय।

१ जुलाई, १९४८ को या उसके बाद हुए लगान-परिवर्तन का न माना जाना

२३—यद्यपि इस ऐक्ट के अधीन हस्तगत किये गए आस्थान के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध में १ जुलाई, १९४८ ई० को या उसके बाद किसी मध्यवर्ती या किसी काश्तकार द्वारा या उसकी ओर से कोई संविदा (contract) की गई हो या कोई बात की गई या होने दी

गई हो, तब भी उस भूमि के सम्बन्ध में स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर काश्तकार द्वारा देय लगान उस लगान के बराबर समझा जायगा जिसका वह काश्तकार या उसका पूर्वाधिकारी (predecessor-in-title) देनदार रहा हो और यदि उक्त दिनांक के बाद किसी न्यायालय की डिक्री या आज्ञा के अतिरिक्त किसी और प्रकार से कोई कमी हो या छूट मिले, तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त डिक्री या आज्ञा के अनुसार कम किया हुआ लगान जो उपर्युक्त सर्किलरेट के अनुसार लगाये गए लगान से कम हो तो इस प्रकार लगाया गया लगान ही देय लगान होगा।

विक्रय या दान द्वारा हस्तांतरण का मान्य न होना

२४—(१) किसी विधि (law) में किसी बात के रहते हुए भी किसी आस्थान या उसके भाग का ऐसा हस्तान्तरण, चाहे वह विक्रय (sale) द्वारा हुआ हो या दान (gift) द्वारा—

(क) जो १ जुलाई, १९४८ ई० को या उसके बाद हुआ हो, मध्यवर्ती को देय पुनर्वासन अनुदान की मात्रा निर्धारित करने के लिए मान्य नहीं होगा।

(ख) जो ७ जुलाई, १९४९ ई० के बाद हुआ हो, किसी भी प्रयोजन के लिए मान्य नहीं होगा और उस आस्थान के विषय में यह समझा जायगा कि उसका स्वत्व हस्तान्तरणकर्ता के अधिकार में ही स्थित है।

(२) उपधारा (१) में कही गई कोई बात किसी ऐसे विक्रय पर लागू नहीं होगी :

(क) जो रुपया दिये जाने की किसी डिक्री या आज्ञा के निष्पादन में किसी न्यायालय की आज्ञा के अधीन हुआ हो, या

(ख) जो किसी केवल पुण्यार्थ स्थापित, वक्फ, न्यास (trust) निबन्ध (एंडाउ—

मेंट) या संस्था के लिए किया गया हो; जब तक कि प्रान्तीय सरकार किसी विशेष दशा में इसके विपरीत आदेश न दे।

स्पष्टीकरण—उपधारा (२) के प्रयोजनों के लिए संस्था का वही अर्थ है जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन निबन्धित हुई (registered) "सोसाइटी" का है।

इस ऐक्ट के निदेशों को विफल करने वाले संविदा और इकरारनामों का व्यर्थ होना

२५—ऐसी प्रत्येक संविदा (contract) या इकरारनामा (agreement) जो १ जुलाई, १६४८ ई० को या उसके बाद किसी मध्यवर्ती और दूसरे व्यक्ति के बीच हुआ हो और जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव निम्नलिखित हो, व्यर्थ और विफल (null and void) होगा और इस धारा द्वारा व्यर्थ और विफल प्रख्यापित (declared) किया जाता है :—

(क) सीरदार को उसके खाते के अन्तर्गत किसी भूमि की मालगुजारी (land revenue) के दायित्व से पूर्णतः या अंशतः मुक्त करना, या

(ख) किसी मध्यवर्ती को पुनर्वासन-अनुदान (rehabilitation grant) के निमित्त कोई ऐसी धनराशि पाने का अधिकार देना जो उक्त संविदा या इकरारनामा के न होने पर इस ऐक्ट के अनुसार उसे मिलने वाली धनराशि से अधिक हो।

कलेक्टर द्वारा आस्थानों का अवधान में ले लिया जाना

२६—धारा ६ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, कलेक्टर या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिये यह वैध (lawful) होगा कि वह—

(क) कोई आस्थान या आस्थानों के भाग तथा सभी ऐसे स्वत्व (interests) अपने अवधान (charge) में ले ले जो इस अध्याय के निदेशों के अनुसार महामहिम के स्वत्वाधिकार में आ गये हों और ऐसे कार्य करे या कराये और ऐसा बल प्रयोग करे या कराये जो कले-

क्टर या उक्त प्रकार से नियुक्त अधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो,

(ख) इस अध्याय के निदेशों के अनुसार हस्तगत किये गए आस्थान के अन्तर्गत किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश कर, [*] और उसका पर्यालोकन (survey) या पैमायश (measurement) करे या कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जो उसके विचार से इस ऐक्ट के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो,

(ग) किसी व्यक्ति को किसी आस्थान या उसके भाग से सम्बद्ध (relating to) बही (books), हिसाब (accounts) या अन्य लेख्य (documents) निर्दिष्ट (specified) अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने की और ऐसे अधिकारों को ऐसी और सूचना, जो निर्दिष्ट की जाय या मांगी जाय, देने की आज्ञा दे, और

(घ) यदि बही, हिसाब और अन्य लेख्य आज्ञा के अनुसार प्रस्तुत न किये जायं तो किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश करे और ऐसी बही, हिसाब तथा दूसरे लेख्य लेकर अपने कब्जे में कर ले।

नियम बनाने का अधिकार

२७—(१) प्रान्तीय सरकार इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए (without prejudice to the generality of the foregoing powers), ऐसे नियम निम्नलिखित बातों की व्यवस्था कर सकते हैं :—

(क) [*]

(ख) धारा ६ के अधीन आस्थानों के स्वत्वाधिकार में आने के पूर्व की कार्यवाहियां (proceedings),

---

[*] निकाल दिया गया।

(ग) इस अध्याय के अधीन स्थगित किये हुए वादों और व्यवहारों का निस्तारण (disposal of suits and proceedings),

(घ) धारा २६ के अधीन दावाओं के अधिदान में किये जाने से सम्बन्ध रखने वाले विषय,

(ङ) ऐसे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

अध्याय ६

प्रतिकर का निर्धारण

आस्थान हस्तगत किये जाने के लिये मध्यवर्ती का प्रतिकर पाने का अधिकारी होना

२८—प्रत्येक मध्यवर्ती, जिसका किसी आस्थान में अधिकार (right), आगम (title) या स्वत्व (interest) इस ऐक्ट के निर्देशों के अधीन हस्तगत कर लिया जाय, आगे की गई व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा और उसको प्रतिकर दिया जायेगा।

प्रतिकर देय होने का तिथि

२९—(१) इस ऐक्ट के अधीन आस्थान हस्तगत किये जाने के निमित्त दिया जाने वाला प्रतिकर स्वत्वाधिकार के दिनांक से देय हो जायगा, किन्तु यह बात उसकी मात्रा के अवधारण पर उपाश्रित रहेगी।

(२) इस प्रकार अवधारित मात्रा पर प्रान्तीय सरकार स्वत्वाधिकार के दिनांक से अवधारण के दिनांक (date of determination) तक २ १/२ प्रतिशत ब्याज देगी।

अन्तरिम प्रतिकर

३०—(१) प्रान्तीय सरकार ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, अन्तरिम (interim) प्रतिकर देने का निर्देश कर सकती है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से नौ मास के भीतर मध्यवर्ती को देय प्रतिकर इस ऐक्ट के निर्देशों के अनुसार

अवधारित न किया जाय, तो मध्यवर्ती की प्रार्थना पर प्रान्तीय सरकार को उसे ऐसा अन्तरिम प्रतिकर दिये जाने का निर्देश करना होगा।

(२) यदि किसी आस्थान या उसके भाग में किसी मध्यवर्ती के अधिकार, आगम और स्वत्व के विषय में कोई व्यक्ति विवाद करता हो (disputes) तो, ऐसे आस्थान या भाग के सम्बन्ध में दिया जाने वाला अन्तरिम प्रतिकर ऐसी रीति से, ऐसे व्यक्ति को और ऐसे प्रतिबन्धों और निरोधों (restrictions) के अधीन, जो जमानत, वापसी या दूसरी बातों के विषय में नियत किये जायं, दिया जायेगा।

अन्तरिम प्रतिकर का संधान

३१—धारा ३० के अधीन दिया गया अन्तरिम प्रतिकर इस ऐक्ट के अधीन देय प्रतिकर का भाग समझा जायगा और उसी में से काट कर संधानित (adjusted) कर दिया जायगा।

प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान की प्रक्रिया

३२—धारा ६ के अधीन हस्तगत किये गये आस्थान के विषय में प्रतिकर निर्धारण तथा प्रतिकर पाने के अधिकारी मध्यवर्ती को उसके भुगतान से, सम्बन्ध रखने वाले सब व्यवहार ऐसे प्रतिकर अधिकारी के सामने होंगे, जिसके अधिक्षेत्र में हस्तगत किया गया आस्थान स्थित हो।

अधिकार-अभिलेखों के इन्दराजों के सम्बन्ध में परिकल्पना (presumption)

सं० प्रा० ऐक्ट ३, १९०१

३३—धारा २४ और ३४ के निदेशों को बाधित न करते हुए और उस दशा को छोड़ जिसकी व्यवस्था धारा ५० में की गई है, यूनाइटेड प्राविंसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के निदेशों के अधीन तैयार किये गये या पुनरीक्षित (revised) अधिकार-अभिलेखों (record of rights) में पिछले कृषि-वर्ष के प्रत्येक इन्दराज के विषय में, इस ऐक्ट के अधीन प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वे उससे सम्बन्ध रखने वाले आस्थान या भाग के प्रत्येक मध्यवर्ती के अधिकार, आगम और स्वत्व (right, title and interest) को ठीक-ठीक व्यक्त करते हैं।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यूनाइटेड प्राविंसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के निदेशों के अधीन या किसी न्यायालय की डिक्री या आज्ञा के परिणामस्वरूप अधिकार-अभिलेखों (record of rights) में किये गए किसी परिष्कार (modification), परिवर्तन (alteration) अथवा संशोधन (correction) पर, चाहे वह स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहिले हुआ हो या बाद में, प्रतिकर अधिकारी ध्यान रखेगा।

सं० प्रा० ऐक्ट ३, १९०१

अधिकार-अभिलेखों में लेख या गणना की अशुद्धि को ठीक किया जाना

३४- यूनाइटेड प्राविंसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ ई० या समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुए भी, यदि प्रतिकर अधिकारी को यह सन्तोष हो जाय कि पिछले कृषि वर्ष के अधिकार-अभिलेख में कोई लेख या गणना की अशुद्धि (clerical or arithmetical mistake) या ऐसी कोई भूल है जो बिल्कुल प्रत्यक्ष हो (error apparent on the face) तो वह स्वयं अथवा किसी स्वत्व रखने वाले व्यक्ति की प्रार्थना पर उसको शुद्ध कर सकता है।

सं० प्रा० ऐक्ट ३, १९०१

दीवानी न्यायालय में स्वत्व स्थापित करने का अधिकार

३५—धारा ३४ [*] ३ [*] और ५३ में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के इस अधिकार पर नहीं होगा कि वह किसी अधिकारक्षेत्र प्राप्त न्यायालय में उचित विधिक व्यवहार (due process of law) द्वारा किसी स्थान या उसके भाग के सम्बन्ध में अपना स्वत्व स्थापित कर सके।

अधिकार- अभिलेखों के इन्दराजों से सम्बन्धित विचाराधीन वाद और व्यवहार

३६—यदि किसी दीवानी या माल के न्यायालय में स्वत्वाधिकार के दिनांक पर ऐसा कोई वाद या व्यवहार विचाराधीन हो या उक्त दिनांक पर या उसके बाद प्रस्तुत किया जाय जिसमें धारा ३३ में उल्लिखित अधिकार अभिलेख के किसी इन्दराज की शुद्धता पर आक्षेप किया जाता हो (is challenged) या जिसमें उसकी शुद्धता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाद हो (directly or indirectly in dispute), तो उस वाद

[*] निकाल दिया गया।

या व्यवहार का कोई भी फरीक वाद-पत्र या उज्रदारी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रतिकर अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु केवल ऐसा करने से ही यह न समझा जायगा कि वह प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे व्यवहार में फरीक हो गया है

३७—[*]

वाद-पत्र या उज्रदारी का प्रतिकर व्यवहार के अभिलेख का अंग होना

३८—धारा ३६ के अधीन [*] प्रस्तुत किए गए वाद-पत्र या उज्रदारी की प्रतिलिपि प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे व्यवहार के अभिलेख का अंग हो जायगी (shall form part of the record) और प्रतिकर अधिकारी धारा ४४ के अधीन तैयार की गई प्रतिकर निर्धारण तालिका में तत्सम्बन्धी विवाद का विषय ऐसे ब्योरों के साथ दर्ज करायेगा जो नियत किये जायं।

प्रत्येक मध्यवर्ती का अलग इकाई माना जाना

३९—इस ऐक्ट के अधीन प्रतिकर निर्धारण और पुनर्वासन अनुदान के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक मध्यवर्ती एक अलग इकाई (separate unit) समझा जायगा ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के सम्बन्ध में—

(क) यदि पिता स्वत्वाधिकार के दिनांक पर जीवित था तो वह पुत्र/पौत्रादिक क्रम वाली अपनी पुंसन्तति के साथ (with his male lineal descendants in the male line of descent) संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति के विषय में एक ही इकाई समझा जायगा;

(ख) खंड (क) की दशा को छोड़ उसके सभी अंग (members) अलग-अलग इकाइयां माने जायंगे।

स्पष्टीकरण—यदि ८ अगस्त, १९४६ ई० को या उसके बाद कोई बटवारा हुआ हो तब भी कुटुम्ब संयुक्त ही समझा जायगा।

४०—[*]

[*] निकाल दिया गया

महाल या गांव की कच्ची निकास का विवरण

४१—किसी महाल या गांव के सम्बन्ध में किसी मध्यवर्ती की प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार करने से पूर्व प्रतिकर अधिकारी—

(क) यदि महाल की भूमि एक से अधिक गांव में नहीं है, तो महाल की, और

(ख) यदि महाल की भूमि एक से अधिक गांव में है, तो गांव की,

कच्ची निकासी (gross assets) का एक विवरण तैयार करेगा।

धारा ४१ के अधीन विवरण पर उज्र

४२—(१) धारा ४१ के अधीन विवरण तैयार हो जाने पर प्रतिकर अधिकारी उस विवरण से सम्बन्ध रखने वाले गांव या महाल में नियत की जाने वाली रीति से एक सामान्य आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे महाल या गांव में स्वत्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा देगा कि वह उस समय के भीतर जो निर्दिष्ट किया जाये, उक्त विवरण के किसी इन्दराज के ठीक न होने या उसके प्रकार के विषय में या उसमें किसी बात के छूट जाने के सम्बन्ध में उसे जो कुछ उज्र करना हो करे, यदि इस बात से महाल या गांव की, जैसी भी दशा हो, कच्ची निकासी की धनराशि के अवधारण (determination) पर प्रभाव पड़ता हो या उसके पड़ने की सम्भावना हो।

किन्तु सदैव यह प्रतिबन्ध रहेगा कि यदि और जहां तक कोई उज्र धारा ३३ में अभिदिष्ट (referred) अधिकार-अभिलेख के किसी इन्दराज की शुद्धता पर आक्षेप के रूप में होगा तो वह वहां तक ग्राह्य नहीं होगी (shall not be entertained)।

(२) ऐसी उज्रदारी प्रस्तुत किये जाने और उसकी सुनवाई और निस्तारण की तथा उसके निर्णय में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों की, प्रक्रिया प्रान्तीय सरकार नियत कर सकती है।

महाल या गांव की कच्ची निकासी

४३—किसी महाल या गांव के सम्बन्ध में कच्ची निकासी (gross assets) महाल या गांव के अन्तर्गत भूमि या आस्थान की कुल कच्ची आय (aggregate gross income)

होगी और उसमें निम्नलिखित का अन्तर्भाव होगा (shall include) :—

(क) सीर के काश्तकारों (tenants of Sir) को छोड़ अन्य काश्तकारों, मातहतदारों (under-proprietors), अदना मालिकों (sub-proprietors), दवामी काश्तकारों (permanent tenure-holders), अवध के दवामी पट्टेदारों (permanent lessees in Avadh), रियायती लगान के काश्तकारों (grantees at a favourable rate of rent) या बागदारों द्वारा या उनकी ओर से देय अबवाबों और स्थानिक करों (local rates) सहित :—

(१) नकदी लगान, या

(२) यदि लगान जिन्सी है या अंशतः नकदी और अंशतः जिन्सी है तो, वह लगान जो यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ ई० के निदेशों के अनुसार लगाया जाय, और

(३) यदि लगान देय हो किन्तु अवधारित न हुआ हो तो मातहतदार और साकितुल-मिल्कियत काश्तकारों के सम्बन्ध में साकितुल-मिल्कियत दरों से अवधारित लगान और बाग-दारों को छोड़ अन्य के सम्बन्ध में मौरूसी दरों से अवधारित लगान।

(ख) ऐसी भूमि के लगान के निमित्त, जो आस्थान के समस्त मध्यवर्तियों की निज जोत में हो या उनके पास मध्यवर्ती के बाग, खुदकाश्त या ऐसी सीर के रूप में हो, जिसमें मौरूसी अधिकार न उत्पन्न होते हों, तो वह धनराशि, जो उसी प्रकार की भूमि के साकितुलमिल्कियत काश्त-कारों को लागू दरों से लगाई जाय, तथा ऐसी सीर के निमित्त, जिसमें मौरूसी अधिकार उत्पन्न होते हों, वह धनराशि जो मौरूसी दरों से लगाई जाय,

(ग) सायर, जिसके अन्तर्गत हाटों, बाज़ारों मेलों और मीनाशयों (fisheries) की आय होगी और जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के

८९ कृषि-वर्षों की उसी प्रकार की आय के जोड़ के दसवें अंश के बराबर हो,

(घ) वनों की वार्षिक औसत आय की गणना की जायगी :—

(१) स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के २० से ४० वर्ष तक की, जैसा प्रतिकर अधिकारी उचित समझे, आय के आधार पर लगाई हुई वन की औसत वार्षिक आय,

(२) स्वत्वाधिकार के दिनांक पर वन के वार्षिक आय के अनुमान पर।

(ङ) ऐसे मध्यवर्ती के विषय में, जिसे अपने आस्थान या आस्थानों के अन्तर्गत खानों या खनिज-पदार्थों (minerals) के निमित्त स्वामित्व (royalties) मिलता हो, स्वामित्व की वह औसत आय, जो उस कृषि-वर्ष से, जिसमें स्वत्वाधिकार का दिनांक पड़ता हो, ठीक पहिले के बारह वर्षों में मध्यवर्ती द्वारा अबवाब (cess) या आय-कर (income-tax) के निर्धारण के लिए वार्षिक विवरणों के आधार पर या यदि ऐसे विवरण उससे कम ही काल के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, तो उतने ही काल के वार्षिक विवरणों के आधार पर लगाई जाय,

(च) यदि कोई मध्यवर्ती अपने आस्थान या आस्थानों के अन्तर्गत खानों को स्वयं चलाता हो, तो ऐसी खानों से होने वाली औसत कच्ची वार्षिक आय, जो खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट आधार पर लगाई जाय।

प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका

४४—इस ऐक्ट के अधीन प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के लिये प्रतिकर अधिकारी नियत रीति से एक ऐसी प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका (draft compensation assessment roll) तैयार करेगा, जो उक्त अधिकारी की सुविधानुसार एक या अधिक महाल या गांव में उस मध्यवर्ती के स्वत्वों के सम्बन्ध में

होगी और जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई जायंगी :—

(क) धारा ४६ से ४९ तक में से जो भी धारायें लागू हों, उनके निदेशों के अनुसार लगाई गई उसकी कच्ची और पक्की निकासी (gross assets and net assets),

(ख) पूर्वोक्त महालों या गांवों में मध्यवर्ती के अंश या स्वत्वों के सम्बन्ध में उसके द्वारा प्रान्तीय सरकार को देय मालगुजारी, अबवाब या दूसरे देयों की ऐसी बकाया (arrear), जिसका उल्लेख धारा ८ के खण्ड (घ) में है,

(ग) पूर्वोक्त महालों या गावों में अपने अंश या स्वत्व के सम्बन्ध में मध्यवर्ती द्वारा देय पिछले कृषि-वर्ष की मालगुजारी, और

(घ) ऐसे दूसरे ब्यौरे जो नियत किये जायं।

पहला स्पष्टीकरण—ऐसे आस्थानों के विषय में, जिन पर स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर मालगुजारी निर्धारित न हो, मालगुजारी ऐसी धनराशि समझी जायगी, जो स्थानिक करों (local rates) के आधार पर या जहां स्थानिक कर न हों, तो ऐसे सिद्धान्तों पर जो नियत किये जायं, लगाई जाय।

दूसरा स्पष्टीकरण—यदि किसी आस्थान पर केवल देखावटी (nominal) मालगुजारी निर्धारित हो, तो इस धारा के प्रयोजनों के लिये यह न समझा जायगा कि उस पर मालगुजारी निर्धारित नहीं है।

विवरण और प्रतिकर निर्धारित तालिका पर प्रतिकर अधिकारी के हस्ताक्षर होना

४५—धारा ४१ के अधीन तैयार किये गये विवरण और धारा ४४ के अधीन तैयार की गई प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका पर प्रतिकर-अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और उक्त विवरण तथा तालिका उन बातों के प्रमाण में ग्राह्य होंगे जो उनमें लिखी हों। (shall be receivable as evidence of the facts stated therein)।

४६—धारा ४४ के प्रयोजनों के लिये महाल या गांव में किसी मध्यवर्ती के स्वत्वों के सम्बन्ध

में उसकी कच्ची निकासी निम्नलिखित का जोड़ होगी :—

(क) महाल या गाव के किसी ऐसे भाग या भागों के सम्बन्ध में, जिसमें उसका ऐकान्तिक (exclusive) स्वत्व हो, धारा ४१ के अधीन प्रस्तुत किये गये विवरण में दर्ज कुल कच्ची निकासी, और

(ख) ऐसे भाग या भागों के सम्बन्ध में, जिसमें औरों के साथ उसका स्वत्व में धारा ४१ के अधीन प्रस्तुत किये गये विवरण महाल या गांव के उक्त भाग या भागों में उसके अंश के अनुपात में हो।

ठेकेदार के कब्जे के आस्थान की निकासी

४७—जहां स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर किसी आस्थान या उसके भाग में किसी मध्यवर्ती का स्वत्व या अंश किसी ठेकेदार के पास हो, वहां धारा ४३ में दिये सिद्धान्तों के अनुसार लगाई जाने वाली उस ठेकेदार की कच्ची निकासी, चाहे वह मध्यवर्ती को देय न भी हो, ऐसे आस्थान या भाग के, जैसी भी दशा हो, सम्बन्ध में, उस मध्यवर्ती की कच्ची निकासी समझी जायगी।

स्पष्टीकरण—ठेका प्रारम्भ होने के दिनाक पर जो भूमि ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त हो, उसको छोड़कर, अन्य ऐसी भूमि की कच्ची निकासी, जो ठेकेदार की निजी जोत में हो, वह धनराशि समझी जायगी, जो लागू मौरूसी दरों के अनुसार अवधारित हो।

मध्यवर्ती की पक्की निकासी

४८—धारा ४४ के प्रयोजनों के लिये महाल या गांव के सम्बन्ध में किसी मध्यवर्ती की पक्की निकासी ऐसे मध्यवर्ती की कच्ची निकासी में से निम्नलिखित को घटा कर निकाली जायगी :—

(क) ऐसी धनराशि जो पिछले कृषि-वर्ष में उसके द्वारा प्रान्तीय सरकार या प्रवर क्षेत्रपति (superior land holder) को

महाल या गांव में मध्यवर्ती के अंश या स्वत्व के सम्बन्ध में मालगुजारी या लगान तथा अबवाब या स्थानिक करके निमित्त देय थी,

(ख) मध्यवर्ती द्वारा महाल या गांव में उसके अंश या स्वत्वों के सम्बन्ध में पिछले कृषि-वर्ष के लिये दिये गये या दिये जाने वाले कृषि-आय-कर के, यदि कोई हो, निमित्त ऐसी धनराशि जो नियत रीति से लगाई जाय,

(ग) प्रबन्ध व्यय (cost of management) और लगान की ऐसी बकाया, जो वसूल न हो सकती हो—दोनों मिलकर कच्ची निकासी के १५ प्रतिशत के बराबर,

(घ) जहां कोई भूमि मध्यवर्ती के पास उसकी निज जोत में या खुद्काश्त, मध्यवर्ती के बाग या ऐसी सीर के रूप में हो, जिसमें मौरूसी अधिकार न उत्पन्न होते हों वहां उसकी निज जोत, खुदकाश्त, बाग या सीर की भूमि के केवल ऐसे भाग के निमित्त, जो धारा १९ में उल्लिखित है, ऐसी धनराशि जो साक़ितुलमिल्कियत दरों से लगाई गई हो और जिसमें से १ से ३ तक की निम्नलिखित कटौतियां (Deductions) निकाल दी जायं :—

[१] कृषि-आय-कर, यदि कोई हो, जो पिछले कृषि-वर्ष में उक्त भूमि के सम्बन्ध में देय रहा हो; यह नियत रीति से निश्चित किया जायगा।

[२] मालगुजारी, अबवाब और स्थानिक कर जो पिछले कृषि-वर्ष में उक्त भूमि के सम्बन्ध में देय रहा हों, ये नियत रीति से निश्चित किये जायंगे।

[३] खंड (ग) में अभिदिष्ट विषयों के निमित्त उपर्युक्त धनराशि का १५ प्रतिशत।

(ङ) धारा ४३ के खण्ड (ङ) में उल्लिखित

स्वामित्व से हुई आय पर दिये गये आय-कर के (income-tax) का ऐसा औसत जो उक्त खण्ड में उल्लिखित काल के अनुसार लगाया गया हो तथा नियत की जाने वाली दरों से लगाया गया वसूली का व्यय,

(च) धारा ४३ के खण्ड (च) के अधीन प्रवधारित कच्ची आय का ९५ प्रतिशत; यह अध्याय ६ में जारी रखे गये अधिकारों के सम्बन्ध में उसके लिये सुरक्षित आय का भाग समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये ऐसी मालगुजारी, जो महामहिम (His Majesty) या प्रान्तीय सरकार या किसी दूसरे समर्थ आधिकारिक (competent authority) द्वारा या उसकी ओर से दिये गये अनुदान (grant) या किये गये पुष्टीकरण (confirmation) के कारण अभ्यर्पित (assigned) अभित्यक्त (released), अभिसंधित (compounded) या निष्क्रीत (redeemed) की गई हो, प्रान्तीय सरकार को देय मालगुजारी नहीं समझी जायगी।

मातहतदारों, अदना-मालिकों, दवामी काश्तकारों और अवध के दवामी पट्टेदारों की कच्ची और पक्की निकासी निकालना

४९—मातहतदारों (under proprietors) अदना-मालिकों (sub-proprietors), दवामी काश्तकारों (permanent tenure-holder) और अवध के दवामी पट्टेदारों (permanent lessees in Avadh) पर धारा ४४ से ४८ तक के निदेश ऐसे आनुषंगिक (incidental) परिवर्तनों (changes) और परिष्कारों (modifications) के साथ जो नियत किये जायं, लागू होंगे और फिर ऐसे मध्यवर्तियों की कच्ची और पक्की निकासी तदनुसार लगाई जायगी।

प्रस्ताविक प्रतिकर निर्धारण तालिका का प्राथमिक-प्रकाशन

५०—(१) किसी मध्यवर्ती के विषय में प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण-तालिका तैयार हो जाने पर प्रतिकर अधिकारी—

(क) गज़ट में और ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाय, उस सम्बन्ध में नोटिस प्रकाशित करेगा, और

(ख) प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण-तालिका की प्रति (copy) के साथ पूर्वोक्त नोटिस की एक प्रति सम्बन्धित मध्यवर्ती पर तामील करेगा या करायेगा।

(२) स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को और ऐसे व्यक्ति को, जो यह कहता हो कि किसी ऐसे अंश या स्वत्व में जिसमें उसे अधिकार प्राप्त है मध्यवर्ती का नाम प्रतिनिधि रूप में या संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्त्ता के रूप में दर्ज है, उपधारा (१) के अधीन नोटिस द्वारा आज्ञा दी जायगी कि वे उपस्थित होकर दो मास के भीतर ऐसी तालिका के विषय में उज्रदारी करें ; ..

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई उज्रदारी इस आधार पर ग्राह्य नहीं होगी (shall not be entertained) कि आस्थान में मध्यवर्ती का अधिक या कम अंश या भाग है या उसका कोई अंश या भाग नहीं है; किन्तु यह बात उस दशा में न लागू होगी जब उक्त उज्रदारी नोटिस में उल्लिखित आधारों में से किसी आधार पर हो या धारा ३३ अथवा ३४ के अधीन किसी आज्ञा के अनुसार की गई हो।

उज्रदारी सुनने का दिनांक

५१—दिये गये समय के भीतर कोई उज्रदारी होने पर प्रतिकर अधिकारी उसको रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करके उसकी सूचना सम्बन्धित मध्यवर्ती को और ऐसे स्वत्व रखने वाले व्यक्ति (person interested) को देगा, जो धारा ५० के अधीन नोटिस के प्रतिवाद (reply) में उपस्थित हुआ हो।

उज्रदारियों की सुनवाई और निर्णय

५२—धारा ५० के अधीन प्रस्तुत की गई उज्रदारियों की सुनवाई और निर्णय करने में प्रतिकर अधिकारी को दीवानी न्यायालय (Civil Court) के सभी अधिकार, जहां तक वे लागू हो सकें और इस अध्याय के निदेशों से असंगत (inconsistent) न हों, प्राप्त होंगे और ऐसे परिष्कारों (modifications) को बाधित न करते रहते हुए जो नियत किये जायं, वह उस

प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १६०८ में अचल सम्पत्ति (immovable property) सम्बन्धी वादों की सुनवाई और निस्तारण (disposal) के लिये दी गई है।

ऐक्ट सं० ५, १६०८

धारा ४२ या ५२ के अधीन आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना

५३—प्रतिकर अधिकारी द्वारा किसी उज्रदारी के सम्बन्ध में धारा ४२ या ५२ के अधीन दी गई निर्णयात्मक आज्ञा दीवानी न्यायालय की डिक्री समझी जायगी और उसमें मुकदमे का संक्षिप्त विवरण, विचारणीय विषय, उनका निर्णय और ऐसे निर्णयों के कारण दिये जायंगे।

डिस्ट्रिक्ट जज को अपील

५४—यदि प्रतिकर अधिकारी द्वारा किसी उज्रदारी के सम्बन्ध में धारा ४२ या ५२ के अधीन दी गई निर्णयात्मक आज्ञा से कोई व्यक्ति असन्तुष्ट हो तो वह, किसी विधि (law) में किसी बात के रहते हुये भी, उक्त आज्ञा के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील कर सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि तालिका में दर्ज पक्की निकासी (net assets) और मध्यवर्ती द्वारा बताई गई पक्की निकासी में २,५०० रु० से अधिक का अन्तर हो तो, अपील हाईकोर्ट में हो सकेगी।

हाईकोर्ट को अपील

५५—धारा ५४ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दी गई अपील की डिक्री के विरुद्ध, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा १०० में दिये गये आधारों में से किसी आधार पर अपील हाईकोर्ट में हो सकेगी।

ऐक्ट सं० ५, १६०८

अन्तिम प्रतिकर निर्धारण तालिका

५६—(१) यदि धारा ५० के अधीन नोटिस जारी होने पर प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका के सम्बन्ध में कोई उज्रदारी न की गई हो या यदि ऐसी उज्रदारियां होने पर उनका अन्तिम निस्तारण (disposal) हो गया हो और तदनुसार प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका में संशोधन, परिवर्तन या परिष्कार कर दिया गया हो, तो प्रतिकर अधिकारी उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा और अपनी मुहर भी लगा देगा।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किये और मुहर लगाये जाने पर प्रतिकर निर्धारण तालिका अन्तिम हो जायेगी।

तालिका की प्रतिलिपि का मध्यवर्ती को दिया जाना

५७—प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर निर्धारण तालिका की एक प्रतिलिपि बिना शुल्क सम्बन्धित मध्यवर्ती को दे देगा और एक प्रतिलिपि परगना के अधिकारी आसस्टेन्ट कलेक्टर (Asstt. Collector incharge of the sub-division) के कार्यालय के सूचना-पट्ट (notice board) पर भी लगवा देगा।

प्रतिकर की मात्रा

५८—ऐसे महालों या गांवों में जिनसे प्रतिकर निर्धारण पांडु तालिका का सम्बन्ध है, किसी मध्यवर्ती के स्वत्वों के निमित्त उस प्रतिकर रूप में देय धनराशि, ऐसी दशा को छोड़ जहां मध्यवर्ती का स्वत्व ठेकेदार के पास हो या जहां मध्यवर्ती स्वयं ठेकेदार हो, तालिका में लिखित पक्की निकासी के अठगुने के बराबर होगी।

ठेकेदार को देय प्रतिकर की मात्रा

५९—जहां मध्यवर्ती का स्वत्व किसी ठेकेदार के पास हो वहां मध्यवर्ती की प्रतिकर निर्धारण तालिका में दी हुई पक्की निकासी पर धारा ५८ में दिये सिद्धान्तों के अनुसार लगाया गया प्रतिकर उक्त आस्थान में मध्यवर्ती और ठेकेदार के स्वत्वों के संबन्ध में उन दोनों को संयुक्त रूप में देय प्रतिकर होगा और प्रतिकर अधिकारी उक्त धनराशि को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखते हुए उन दोनों में बांट देगा :—

(क) नज़राना (premium), यदि ठेके या पट्टे के प्रारम्भ में कोई दिया गया हो,

(क क) के की अवधि (term) और प्रतिबन्ध (conditions);

(ख) ठेके की समाप्ति के कारण ठेकेदार को यदि कोई हानि हुई हो तो वह;

(ग) ठेके के अन्तर्गत आस्थान या आस्थानों की कच्ची और पक्की निकासी,

(घ) ठेकेदार द्वारा प्रतिवर्ष देय धनराशि,

(घ घ) यह तथ्य (fact) कि मध्यवर्ती के तो सभी अधिकार, जो सब के सब हस्तगत किए जा रहे हैं, सदा के लिए (held in perpetuity) थे, पर ठेकेदार के अधिकार सीमित प्रकार ही के हैं; और

(ङ) ऐसे अन्य विषय जो नियत किये जायं।

धारा ५६ के अधीन प्रक्रिया

६०—मध्यवर्ती और उसके ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजित करने में प्रतिकर अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो नियत की जाय।

धारा ५९ के अधीन आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना।

६१—(१) मध्यवर्ती और उसके ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजित करने के सम्बन्ध में प्रतिकर अधिकारी की आज्ञा अधिक्षेत्र-प्राप्त (of competent of jurisdiction) दीवानी न्यायालय की डिक्री समझी जायगी।

(२) समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुए भी, उपधारा (१) में उल्लिखित डिक्री के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील हो सकेगी [*]।

हाईकोर्ट को अपील

६१-क—धारा ६१ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दी गई अपील की डिक्री के विरुद्ध अपील कोड आफ सिविल प्रोसीजर १६०८ ई० की धारा १०० में दिये गए आधारों में से किसी आधार पर हाईकोर्ट में हो सकेगी।

अपील के स्मरण-पत्र पर देय न्याय शुल्क

६२—कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० ई० में किसी बात के रहते हुए भी धारा ५४, ५५, ६१ या ६१ (क) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली अपील के स्मरण-पत्र (memorandum) पर देय न्याय-शुल्क (court fee) वह होगा, जो नियत किया जाय।

ऐक्ट सं० ७, १८७० ई०

तालिका में प्रतिकर का दर्ज किया जाना

६३—किसी मध्यवर्ती को प्रतिकर के रूप में देय धारा ५८ और ५६ के अधीन अवधारित धनराशि के विषय में प्रतिकर अधिकारी यह प्रख्यापित करेगा कि वह उस मध्यवर्ती को उन महालों या

[*] निकाल दिया गया।

गांवों में, जिनका सम्बन्ध प्रतिकर-निर्धारण तालिका से है, उसके स्वत्व के निमित्त देय प्रतिकर है और प्रतिकर अधिकारी उसे तालिका में अपने ही हाथ से अभिलिखित करेगा।

ऐसी अशुद्धियों का ठीक किया जाना, जो अकामतः हुई हों

६४—(१) प्रतिकर निर्धारण तालिका के अन्तिम (final) हो जाने पर, ऐसी दशा को छोड़, जिसकी व्यवस्था इस ऐक्ट के द्वारा या अधीन की गई हो, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जायगा।

(२) अधिक्षेत्र-प्राप्त प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर दिये जाने के समय से पूर्व किसी समय भी चाहे स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति (a person interested) की प्रार्थना पर प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी लेख सम्बन्धी या गणना सम्बन्धी अशुद्धियों (clerical or arithmetical mistakes) को या किसी ऐसी अशुद्धि को, जो उसमें किसी आकस्मिक भूल या चूक (accidental slip or omission) से हो गई हो, ठीक कर सकता है।

न्यायालय द्वारा समादेश का निषेध

६५—ऐसे न्यायालय या आधिकारिक (authority) के अतिरिक्त, जिसके सामने प्रतिकर आधिकारिक की आज्ञा या डिक्री के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन कोई अपील विचाराधीन हो, किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी कोई न्यायालय या अधिकारी इस अध्याय के अधीन प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे व्यवहार (proceeding) के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा समादेश (injunction) नहीं जारी करेगा, जिसके परिणाम-स्वरूप उक्त व्यवहार रुक जाय।

स्वत्व रखने वाले व्यक्ति की परिभाषा

६६—इस अध्याय में "स्वत्व रखने वाला व्यक्ति" के अन्तर्गत ऐसे सब व्यक्ति हैं, जो चाहे उनका नाम अधिकार-अभिलेखों में अभिलिखित हो या न हो, अपने आपको मध्यवर्ती के नाते ऐसा प्रतिकर या उसका कोई भाग या अंश पाने का अधिकारी बताते हैं, जो इस ऐक्ट के अधीन

आस्थानों के हस्तगत किये जाने के कारण निर्धा-
रित किया या दिया जाने वाला हो।

नियम बनाने का अधिकार

६७—(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रान्तीय सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुए (without prejudice to he generality) ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :—

(क-१) धारा २९ के अधीन ब्याज लगाने की रीति और सिद्धान्त;

(क) धारा ३१ के अधीन अन्तरिम (inter im) प्रतिकर को घटाने और संधानित करने (deducting and adjust ing) की रीति;

(क क) जिन क्षेत्रों में लगान का दर अवधारित नहीं की गई हैं उनमें ऐसी दर निर्धारित करने की रीति और सिद्धान्त;

(ख) धारा ३४ के अधीन अधिकार-अभिलेखों में संशोधन करने की प्रक्रिया;

(ग) धारा ३६ के अधीन प्रार्थना-पत्र या उज्रदारी के दाखिल करने की प्रक्रिया।

(घ) विवरण प्रस्तुत करने की रीति (ma nner) और आकार (form); धारा ४१ के अधीन;

(ङ) प्रतिकर-निर्धारण तालिका तैयार करने की रीति और आकार, धारा ४४ के अधीन;

(च) उज्रदारी प्रस्तुत करने की रीति और आकार, धारा ५० के अधीन;

(छ) उज्रदारी रजिस्टर में दर्ज करने की रीति और आकार, धारा ५१ के अधीन;

(ज) संशोधन करने में अनुसरण की जाने वाली (to be followed) रीति और प्रक्रिया, धारा ६४ के अधीन;

(झ) वे विषय, जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत किये जायं।

अध्याय ४

प्रतिकर का भुगतान (Payment of Compensation)

६८—प्रत्येक मध्यवर्ती को प्रत्येक आस्थान में उसके अधिकार, आगम और स्वत्व के हस्तगत किये जाने के निमित्त प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि दी जायगी, जो धारा ६३ के अधीन इस सम्बन्ध में प्रस्थापित की गई हो।

तालिका में दर्ज प्रतिकर का मध्यवर्ती को दिया जाना

६९—धारा ७३ के निदेशों को बाधित न करते हुए, इस विधान के अधीन देय प्रतिकर उस मध्यवर्ती को दिया जायगा, जिसका नाम प्रतिकर निर्धारण-तालिका में दर्ज हो।

तालिका में दर्ज मध्यवर्ती का प्रतिकर पाना

७०—यदि प्रतिकर पाने का अधिकारी प्रतिकर पाने के पहले ही मर जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधि को देय होगा।

विधिक प्रतिनिधि को देय प्रतिकर

७१—इस विधान के अधीन देय प्रतिकर ऐसे रूप में [*] दिया जायगा, जो नियत किया जाय।

प्रतिकर के भुगतान का रूप

७२—(१) जहां प्रतिकर पाने का अधिकारी वक्फ, न्यास (Trust) या निबन्ध (इन्डाऊमेंट) हो अथवा वह अवयस्क हो, किसी व्यावहारिक अक्षमता (legal disability) के अधीन हो, या कोई सीमित स्वाम्य वाला व्यक्ति हो वहां किसी विधि (law) में किसी बात के रहते हुये भी किन्तु व्यापक निदेशों (general Direction) को बाधित न करते हुए, जो प्रान्तीय सरकार दे, प्रतिकर उस व्यक्ति के लिये और उसकी ओर से ऐसे आधिकारिक या बैंक के पास, जो नियत किया जाय, जमा कर दिया जा सकेगा।

कुछ दशाओं में बैंक या अन्य आधिकारिक के पास प्रतिकर का जमा किया जाना

(२) ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसके लिए या जिसकी ओर से प्रतिकर जमा किया गया हो, उक्त प्रतिकर के उपयोग (utilization) और विनियोग [*] निकाल दिया गया।

(disposal) करने के अधिकारी को नियमित करने वाली विधि के अनुसार उसका उपयोग और विनियोग करने का अधिकार उपधारा (१) में कही गई किसी बात से बाधित होता न समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति केवल इस कारण सीमित स्वामित्व वाला व्यक्ति न समझा जायगा कि मद्रास सेटल्ड इस्टेट्स एक्ट, १९१७ ई० या यूनाइटेड प्राविन्सेज इस्टेट्स ऐक्ट, १९२० ई० के निदेशों के अधीन उस भूस्थान के सम्बन्ध में, जिसके लिए प्रतिकर देय है, प्रख्यापन कर दिया गया है।

प्रतिकर का न्यायालय या आधिकारिक के हाथ में दिया जाना

७३—यदि किसी न्यायालय या आधिकारिक के सामने किसी वाद या अन्य कार्यवाही में विचाराधीन हो ... कि के अध्याय २ के अधीन अवधारित कुल प्रतिकर या उसका भाग पाने के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो या पड़ सकता हो, वहां उक्त न्यायालय या आधिकारिक का अधिकार होगा कि प्रतिकर अधिकारी को आदेश दे कि इस प्रकार देय धनराशि को उसके अधिकार में दे दे (place at his disposal) और तब उस धनराशि का विनियोग (disposal) उस न्यायालय या आधिकारिक की आज्ञा के अनुसार ही किया जायगा।

नियम बनाने का अधिकार

७४—(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रान्तीय सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :—

(क) प्रतिकर की धनराशि को धारा ७३ के अधीन न्यायालय या आधिकारिक के अधिकार में देने में (in placing at the disposal of) अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(ख) वे विषय, जो नियत किये जाने वाले हों या नियत किये जायं ।

अध्याय ५

पुनर्वासन अनुदान (Rehabilitation Grant)

पुनर्वासन अनुदान का दिया जाना

७५—ठेकेदार के अतिरिक्त प्रत्येक मध्यवर्ती को, जिसके आस्थान इस विधान के निदेशों के अधीन हस्तगत कर लिए गए हों, आगे की गई व्यवस्था के अनुसार पुनर्वासन अनुदान दिया जायगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर ऐसे क्षेत्रों में स्थित, जिनमें यह विधान लागू हो, उस मध्यवर्ती के सब आस्थानों के सम्बन्ध में देय कुल मालगुज़ारी (aggregate land revenue) पांच सहस्र रुपये से अधिक रही हो, तो उसको ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया जायगा ।

दिनांक, जिससे अनुदान देय होगा

७६—धारा ७५ के अधीन देय पुनर्वासन अनुदान ऐसे दिनांक पर या ऐसे दिनांक से देय होगा, जिस पर मध्यवर्ती को ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें यह विधान लागू होता हो, उसके सब आस्थानों के सम्बन्ध में दिया जाने वाला प्रतिकर [*] अवधारित हो जाय ।

विधिक प्रतिनिधि का अनुदान पाने में अधिकारी होना

७७—धारा ७५ के अधीन पुनर्वासन अनुदान पाने का अधिकारी मध्यवर्ती यदि मर जाय तो उसका विधिक प्रतिनिधि (legal representative) उक्त अनुदान पाने का अधिकारी होगा और पायगा ।

वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) का वर्गीकरण

७८—पुनर्वासन अनुदान के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजनों के लिए सभी वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) नीचे लिखे तीन वर्गों में रक्खे जायेंगे:—

---

[*] निकाल दिया गया ।

(क) ऐसे वक्फ़, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) जो पूर्णतः धर्मार्थ या पुण्यार्थ (for religious or charitable purpases) हों,

(ख) ऐसे वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) जो अंशतः धर्मार्थ या पुण्यार्थ हों और अंशतः दूसरे प्रयोजनों के लिए हों,

(ग) ऐसे वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) जो पूर्णतः ऐसे प्रयोजनों के लिए हों जो धर्मार्थ या पुण्यार्थ से भिन्न हों ।

स्पष्टीकरण—किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के रहते हुए भी किसी वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) की सम्पत्ति से होने वाले ऐसे लाभ के (profits), या लाभ के ऐसे भाग के विषय में, जो संस्थापक (founder) या उसके कुटुम्बियों अथवा उनके या उनके वंशजों (descendants) के भरण-पोषण (maintenance) के उपयोग में आता हो या आने के लिए हो (intended to be used), यह समझा जायगा कि वह धर्मार्थ या पुण्यार्थ उपयोग में नहीं आता है और न वह उक्त उपयोग में लाए जाने के लिए है।

८ अगस्त, १९४९ ई० को या उसके बाद हुए वक्फ, ट्रस्ट, इन्डाऊमेंट का न माना जाना

७९—समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी, इस विधान के निर्देशों के अधीन हस्तगत किए गए किसी आस्थान या आस्थान के भाग के सम्बन्ध में कोई ऐसा वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment), जिसके विषय में आगे चलकर अपवाद (exception) न किया गया हो और जिसका ८ अगस्त, १९४९ ई० को या उसके बाद सृजन हुआ हो (created), इस विधान के अधीन पुनर्वासन अनुदान के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजनों के लिए वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) नहीं माना जायगा और प्रत्येक ऐसा आस्थान या आस्थान का भाग, जिसके सम्बन्ध

में कोई वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) इस प्रकार किसी मध्यवर्ती द्वारा किया गया हो, ऐसे मध्यवर्ती का ही माना जायगा और उसके सम्बन्ध में पुनर्वासन अनुदान इस प्रकार अवधारित किया जायगा मानो उक्त वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) का सृजन हुआ ही न हो

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऊपर किसी बात के रहते हुए भी उक्त आस्थान या भाग के सम्बन्ध में दिया जाने वाला पुनर्वासन अनुदान, मुतवल्ली, न्यासी (trustee) या ऐसे अन्य व्यक्ति को देय होगा, जिसका उक्त वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) के प्रबन्ध का अधिकार प्राप्त हो न कि मध्यवर्ती को।

अपवाद (exception)—ऐसा वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment), जो पूर्णतः पुण्यार्थ (for charitable purposes) हो, यदि प्रान्तीय सरकार किसी विशेष मामले में कोई और निर्देश न दे, तो मान लिया जायगा।

पुनर्वासन अनुदान पाने का अधिकारी मध्यवर्ती

८०—अधिक्षेत्र प्राप्त किसी न्यायालय की डिक्री या आज्ञा को बाधित न करते हुए मध्यवर्ती, जिसे अध्याय ३ और ४ के अधीन किसी आस्थान के सम्बन्ध में प्रतिकर देय हो या दिया गया हो, पुनर्वासन अनुदान के प्रयोजनों के लिए ऐसे आस्थान का स्वत्वाधिकारी (entitled) समझा जायगा।

पुनर्वासन अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र

८१—अनुदान पाने का अधिकारी मध्यवर्ती, अनुदान के देय हो जाने पर अनुदान के अवधारित किये और दिये जाने के लिए पुनर्वासन अनुदान अधिकारी (Rehabilitation Grant Officer) को यथाशीघ्र लिखित प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

धारा ८१ के अधीन प्रार्थना-पत्र के ब्यौरे

८२—धारा ८१ के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र में निम्नलिखित ब्यौरे दिये जायंगे :—

(क) ऐसे क्षेत्र में स्थित, जिसमें यह विधान लागू होता हो, प्रार्थी के सब आस्थानों के विवरण,

(ख) ऐसे सब आस्थानों को अध्याय ३ के अधीन अवधारित पक्की निकासी,

(ग) वह दिनांक, जिस पर या जिन पर प्रतिकर अन्तिम रूप से अवधारित हुआ हो या प्रार्थी को दिया गया हो और उस प्रतिकर की मात्रा,

(घ) स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रार्थी द्वारा उसके पूर्वोक्त प्रत्येक आस्थान के सम्बन्ध में निर्धारित या निर्धारित समझी गई मालगुजारी,

(ङ) यदि प्रार्थी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का अंग हो तो उसकी सीधी वंश-परम्परा में जीवित सब पुंजातीय सन्तति तथा पूर्वजों के नाम (the names of all his male lineal descendants or ascendants who are alive) और ऐसे आस्थानों के, यदि कोई हों, ब्यौरे, जिनका इस विधान के अधीन हस्तगत किये जाने के कारण प्रतिकर अवधारित किया गया हो या ऐसी किसी सन्तति या पूर्वज को दिया गया हो,

(च) यदि प्रार्थी वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) हो, तो—

(१) वह वर्ग, जिसमें धारा ७८ के खंड (क) से (ग) तक के शब्दों में वह वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) आता हो,

(२) उसकी समस्त सम्पत्ति और आस्थानों से, चाहे वे इस विधान के अधीन हस्तगत किये गये हों या नहीं, होने वाली कुल आय,

(३) इस विधान के अधीन हस्तगत किए गए आस्थान या आस्थानों की अलग-अलग आय,

(४) धारा ७८ के खंड (ख) में आने वाले वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) के विषय में,

उसकी ऐसी आय, सम्पत्ति और आस्थान, जो पूर्णतः धर्मार्थ या पुण्यार्थ अलग कर दिए गए हों, उपयोग में आते हैं या उपयोग में आने के लिए हों और उसकी ऐसी आय, सम्पत्ति और आस्थान, जो पूर्णतः ऐसे प्रयोजनों के लिए अलग कर दिए गए हों, उपयोग में आते हैं या उपयोग में आने के लिए हों जो धर्मार्थ या पुण्यार्थ से भिन्न हों,

(छ) वह अधिकार, जिसके आधार पर प्रार्थी अनुदान मांगता हो,

(ज) ऐसे दूसरे ब्यौरे जो नियत किये जायं।

धारा ८१ के अधीन प्रार्थना-पत्र का सत्यापन और उस पर हस्ताक्षर

ऐक्ट ५, १९०८

८३—धारा ८१ के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र पर उस रीति से हस्ताक्षर और सत्यापन (verification) किया जायगा, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में वाद-पत्रों (plaints) के हस्ताक्षरण और सत्यापन के लिये विहित किया गया है।

धारा ८१ के अधीन प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र का प्रस्तुत करना

८४—(१) धारा ८१ के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र के साथ एक शपथ-पत्र (affidavit) स्वयं प्रार्थी का या यदि प्रार्थी वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) हो या अवयस्क (minor) अथवा ऐसा व्यक्ति हो, जो किसी अन्य व्यावहारिक अक्षमता से ग्रस्त हो (suffering from any- other, legal disability), तो मुतवल्ली, न्यासी (trustee) प्रबन्धक (manager) या अभिरक्षक (guardian) का, जैसी भी दशा हो, होगा और उसमें यह लिखा होगा कि इसके पहले ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया था और न दिया गया है और यह भी कि प्रार्थी को अब तक इस विधान के निदेशों के अनुसार कोई पुनर्वासन अनुदान नहीं दिया गया है।

(२) प्रत्येक ऐसे प्रार्थना-पत्र के साथ अधिकार-अभिलेख (record of right) के संगत उद्धरण (relevant extracts) और प्रत्येक ऐसे आस्थान के विषय में, जिसके सम्बन्ध में इस विधान के अधीन प्रतिकर अन्तिम रूप से अवधारित किया जा चुका हो या दिया जा चुका हो, प्रतिकर निर्धारण तालिका की प्रतिलिपि होगी।

प्रार्थना-पत्र में झूठे वक्तव्य के लिये दण्ड

८५--यदि धारा ८३ में उल्लिखित सत्यापन (verification) में कोई व्यक्ति ऐसा वक्तव्य दे, जो झूठा हो और जिसे वह झूठा होना जानता हो या जिसके झूठा होने का उसे विश्वास हो या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास न हो, तो यह समझा जायगा कि उसने इण्डियन पीनल कोड की धारा १९३ के अधीन दण्डनीय अपराध किया है।

ऐक्ट ४५, १८६० ई०

धारा ८१ के अधीन प्रार्थना-पत्र का प्रस्तुत करना

८६--धारा ८१ के अधीन प्रार्थना-पत्र ऐसे पुनर्वासन अनुदान अधिकारी को दिया जायगा, जिसके अधिक्षेत्र में प्रार्थी साधारणतः रहता हो तथा वक्फ, न्यास (trust), निबन्ध (endowment) या निगम (corporation) के विषय में, जहाँ उसका प्रधान कार्यालय हो।

स्पष्टीकरण--यदि प्रार्थी किसी भी पुनर्वासन अनुदान अधिकारी के अधिक्षेत्र में साधारणतः न रहता हो, तो प्रार्थना-पत्र किसी ऐसे पुनर्वासन अनुदान अधिकारी को दिया जायगा, जिसके अधिक्षेत्र में आस्थान स्थित हो या हों।

प्रार्थना-पत्र की सुनवाई का दिनांक

८७--(१) यदि प्रार्थना-पत्र यथोचित रूप (proper form) में हो और यथावत् प्रस्तुत किया गया हो और ऐसी प्राथमिक जाँच (preliminary enquiry) के बाद, जो नियत की जाय, पुनर्वासन अनुदान अधिकारी को सन्तोष हो जाय कि उक्त प्रार्थना-पत्र को विचारार्थ ग्रहण करने के लिये (for entertaining) आधार है, तो वह उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करेगा और

प्रार्थना-पत्र का तथा उसकी सुनवाई के लिए निश्चित दिनांक का नोटिस—

(क) प्रार्थी पर और ऐसे व्यक्ति पर, जिसको उसके विचार से प्रार्थना-पत्र का विशेष नोटिस दिया जाना चाहिये, तामील करायेगा, और

(ख) अपने कार्यालय के किसी प्रमुख भाग पर लगवायेगा।

(२) किसी वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) के विषय में पुनर्वासन अनुदान अधिकारी गज़ट में और ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाय, एक सामान्य नोटिस (general notice) प्रकाशित करेगा, जिसमें सब स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को उज्रदारी, यदि कोई हो, नियत समय के भीतर करने का आदेश होगा।

(३) यदि किसी मध्यवर्ती की प्रतिकर निर्धारण तालिका में धारा ३८ के अधीन किये गये विवाद के विषय में कोई इन्दराज या कोई व्यक्ति धारा ३६ में अभिदिष्ट प्रकार के वाद या व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाले वाद-पत्र या उज्रदारी की प्रमाणित प्रतिलिपि (certified copy) प्रस्तुत करे, तो यदि ऐसे वाद या व्यवहार के परिणाम से धारा १०० के अधीन अवधारित किए जाने वाले गुणक (multiple) पर प्रभाव पड़ने वाला हो या उसके पड़ने की सम्भावना हो, तो पुनर्वासन अनुदान अधिकारी उस प्रार्थना-पत्र की सुनवाई स्थगित कर देगा (shall stay)।

धारा ८१ के अधीन प्रार्थना-पत्र पर उज्र

८८—कोई स्वत्व रखनेवाला व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक पर या उससे पहले प्रार्थना-पत्र के किसी इन्दराज की विशुद्धता या प्रकार पर आक्षेप के रूप में, या उसमें किसी बात के छूट जाने के सम्बन्ध में, उज्रदारी कर सकता है, यदि ऐसे इन्दराज या छूट का प्रभाव निम्नलिखित पर पड़ता हो या उसके पड़ने की सम्भावना हो—

(क) वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) के अन्तर्गत सम्पत्ति या आस्थानों का अवधारण,

(ख) ऐसी सम्पत्ति या आस्थान का अवधारण, जो धर्मार्थ या पुण्यार्थ अलग कर दी गई हो, उपयोग में आती हो या उपयोग में आने के लिए हो,

(ग) ऐसे आस्थान या सम्पत्ति की ऐसी आय या आय के भाग का अवधारण, जो धर्मार्थ या पुण्यार्थ अलग कर दी गई हो या उपयोग में आती हो,

(घ) प्रार्थी को देय पुनर्वासन अनुदान की मात्रा का अवधारण,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां तक कोई उज्रदारी आस्थानों के सम्बन्ध में अध्याय ३ के अधीन अवधारित कच्ची या पक्की निकासी की मात्रा की शुद्धता पर आक्षेप के रूप में होगी वहां तक वह ग्राह्य नहीं होगी।

उज्रदारियों की रजिस्ट्री और फरीकों को नोटिस

८९—यदि पुनर्वासन अनुदान मांगने वाले एक से अधिक हों या यदि धारा ८८ के अधीन कोई उज्रदारी की गई हो, तो पुनर्वासन अनुदान अधिकारी ऐसे दावों या उज्रदारियों को (claims or objections) नियत रीति से रजिस्टर में दर्ज करेगा और उससे सम्बन्ध रखने वाले फरीकों (parties) पर ऐसे प्रत्येक दावे या उज्रदारी की प्रतिलिपि सहित नोटिस तामील करके या कराके उन्हें आदेश देगा कि वे धारा ८७ के अधीन निश्चित किये गये सुनवाई के दिनांक पर उपस्थित होकर उसका उत्तर दें।

उज्रदारियों की जांच और निस्तारण

९०—इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक पर या ऐसे दिनांक पर, जिसके लिए सुनवाई बढ़ा दी गई हो, पुनर्वासन अनुदान अधिकारी दावों और उज्रदारियों पर विचार और उनका निस्तारण (dispose of) करेगा।

प्रबन्ध परिव्यय

९१—किसी लेख्य (document) में या वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) के प्रशासन (administration) की योजना में किसी बात के रहते हुए भी पुनर्वासन अनुदान अधिकारी प्रबन्ध और अन्य परिव्ययों (charges) के निमित्त वही धनराशि या धनराशियां दिलाएगा जो नियत की जायं।

आस्थान के विषय में हस्तान्तरण या बंटवारे की वैधता की जांच

९२—धारा ८१ के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र और धारा ८८ के अधीन प्रस्तुत उत्तरदारी का निर्णय करते समय पुनर्वासनअनुदान अधिकारी प्रत्येक आस्थान के ऐसे हस्तान्तरण या बंटवारे की वैधता (validity) की जांच करेगा, जो धारा २४ और ३९ के निर्देशों के प्रतिकूल प्रार्थी के पक्ष में या उसके द्वारा या उसकी ओर से किया गया हो, और पुनर्वासन अनुदान के निमित्त प्रार्थी को देय धनराशि प्रख्यापित करने में वह ऐसे हस्तान्तरण या बंटवारे पर विचार नहीं करेगा।

उत्तरदारियों के निस्तारण के सम्बन्ध में आज्ञा

९३—दावों और उत्तरदारियों के निस्तारण के सम्बन्ध में पुनर्वासन अनुदान अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा में ऐसे ब्योरे होंगे, जो नियत किए जायं।

आस्थानों के विवरण

९४—धारा ८८ के अधीन की गई उत्तरदारियों के निर्णय के बाद तथा धारा ९२ के अधीन जांच पूरी हो जाने पर पुनर्वासन अनुदान अधिकारी प्रार्थी के विषय में एक ऐसा विवरण तैयार करेगा, जिसमें नीचे लिखी बातें दिखाई जायंगी :—

(क) ऐसे क्षेत्र में स्थित, जिसमें यह विधान लागू हो, प्रार्थी के सब आस्थानों के ब्योरे,

(ख) ऐसे सब आस्थानों की अध्याय ३ के अधीन अवधारित पक्की निकासी,

(ग) स्वत्वाधिकार के दिनांकसे ठीक पहिले के दिनांक पर ऐसे सब आस्थानों के विषय में निर्धारित या निर्धारित समझी गई कुल मालगुजारी,

(घ) यदि प्रार्थी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का अंग हो, तो सब ऐसे आस्थानों के ब्योरे, जिनके विषय में प्रार्थी या उसके पुंजातीय सीधे वंशानुक्रम में पुंजातीय वंशज या पूर्वज (male lineal descendants or ascendants in the male line of descent and ascent) को प्रतिकर देय हो या दिया गया हो, ऐसे सब आस्थानों की अध्याय ३ के अधीन अवधारित पक्की निकासी तथा पूर्वोक्त दिनांक पर ऐसे सब आस्थानों के विषय में निर्धारित या निर्धारित समझी गई मालगुजारी, और

(ङ) ऐसे अन्य ब्योरे जो नियत किए जायं।

वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) के सम्बन्ध में विवरण

९५—वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) के विषय में धारा ९४ के अधीन तैयार किये जाने वाले विवरण में उस वर्ग का उल्लेख होगा, जिसमें धारा ७८ के अधीन किये गये वर्गीकरण के अनुसार वह आता हो और यदि वह वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) उक्त धारा के वर्ग (ख) में आता हो, तो निम्नलिखित और ब्योरों का भी उल्लेख होगा :—

(क) उसके अन्तर्गत सब सम्पत्ति और आस्थानों के ब्योरे,

(ख) ऐसी सम्पत्ति और आस्थान, जो—

(१) ऐसे प्रयोजन के लिये पूर्णतः (exclusively) अलग कर दिए गए हों, जो धर्मार्थ या पुण्यार्थ हों,

(२) ऐसे प्रयोजनों के लिए पूर्णतः अलग कर दिए गए हों, जो धर्मार्थ या पुण्यार्थ से भिन्न हों,

(३) पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए भी पूर्णतः अलग न किए गए हों;

(ग) अलग-अलग ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति या आस्थान से होने वाली कच्ची और पक्की आय,

(घ) खंड (ख) के उपखंड (३) में उल्लिखित सम्पत्ति और आस्थानों से होने वाली पक्की आय के वे भाग, जो—

(१) धर्मार्थ या पुण्यार्थ, और

(२) धर्मार्थ या पुण्यार्थ से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग में आते हों या आने के लिए हों;

(ङ) पक्की आय के उस अंश का, जिसका उल्लेख खंड (घ) के उपखंड (१) में है और उस पक्की आय का, जिसका उल्लेख खंड (घ) के उपखंड (२) में है, अनुपात;

(च) (१)—खंड (ख) के उपखंड (१) में उल्लिखित आस्थानों की पक्की निकासी;

(२) खंड (ख) के उपखंड (२) में उल्लिखित आस्थानों की पक्की निकासी;

(३) खंड (ख) के उपखंड (३) में उल्लिखित ऐसे आस्थानों की पक्की निकासी, जिनकी आय धर्मार्थ या पुण्यार्थ उपयोग में आता है या आने के लिये है;

(४) खंड (ख) के उपखंड (३) में उल्लिखित ऐसे आस्थानों की पक्की निकासी, जिनकी आय धर्मार्थ या पुण्यार्थ से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग में आती है या आने के लिए है;

(छ) आस्थानों की ऐसी पक्की निकासी का जोड़, जो—

(१) धर्मार्थ या पुण्यार्थ,

(२) धर्मार्थ या पुण्यार्थ से भिन्न प्रयोजनों के लिये,

उपयोग में अलग कर दी गयी हो, उपयोग में आती हो या उपयोग में आने के लिये हो;

(ज) खंड (छ) के उपखंड (१) और (२) में आनेवाले आस्थानों के विषय में निर्धारित या निर्धारित समझी गई मालगुजारी।

धारा ६५ के अधीनी सम्पत्ति के वर्गीकरण और पक्की निकासी के विभाजन के सिद्धान्त

६६—धारा ९५ के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति और आस्थानों के वर्गीकरण और उक्त धारा के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिये पक्की आय के विभाजन (apportioning) करने में पुनर्वासन अनुदान अधिकारी निम्नलिखित का ध्यान रखेगा :—

(क) वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) के संस्थापक की, यदि कोई इच्छा हो, तो उसका,

(ख) सम्पत्ति और आस्थानों की आय के उन भागों का, जो इन प्रयोजनों में सामान्य रूप से उपयोग किये और लगाये गये हों,

(ग) न्याय (justice), साम्या (equity) और सद्विचार (good conscience) के सिद्धान्तों का ।

आस्थान की पक्की निकासी का विभाजन

९७—धारा ६५ के खंड (च) के उपखंड (२) और (३) के प्रयोजनों के लिये उक्त धारा के खंड (ख) के उपखंड (२) में उल्लिखित आस्थानों की पक्की निकासी का विभाजन करते समय पुनर्वासन अनुदान अधिकारी पक्की निकासी को उक्त धारा के खंड (ङ) में उल्लिखित अनुपात में बांटेगा ।

धर्मार्थ या पुण्यार्थ या अन्य प्रयोजनों के लिए आस्थानों की मालगुज़ारी का अवधारण

९८—ऐसे आस्थानों के सम्बन्ध में, जिनकी आय—

(क) धर्मार्थ या पुण्यार्थ,

(ख) धर्मार्थ या पुण्यार्थ से भिन्न,

प्रयोजनों के लिये उपयोग में आती हो या उपयोग में आने के लिये हो, निर्धारित या निर्धारित-समझी गई मालगुज़ारी अवधारित करने के लिये धारा ६५ के खंड (ख) के उपखण्ड (२) में उल्लिखित सब आस्थानों पर निर्धारित मालगुज़ारी उक्त धारा के खण्ड (ङ) में उल्लिखित अनुपात में बांटी जायगी।

९९—धारा ९४ के अधीन विवरण तैयार हो जाने पर पुनर्वासन अनुदान अधिकारी प्रत्येक मध्यवर्ती को देय पुनर्वासन अनुदान की मात्रा अवधारित करेगा।

पुनर्वासन अनुदान की मात्रा का अवधारण

१००—वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) की दशा को छोड़ और ऐसे न्यूनाधिक सन्धानों (marginal adjustments) के साथ, जो नियत किये जायं, किसी मध्यवर्ती को देय पुनर्वासन अनुदान की मात्रा धारा ९४ के अधीन तैयार किये गये विवरण में उल्लिखित पक्की निकासी और ऐसे गुणक का गुणनफल होगी, जो परिशिष्ट १ में दी हुई तालिका के अनुसार लागू हो।

अनुदान की मात्रा

१०१—वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) के विषय में देय पुनर्वासन अनुदान की मात्रा निम्नलिखित होगी—

वक्फ, न्यास(trust), निबन्ध (endowment) के विषय में पुनर्वासन अनुदान की मात्रा

(क) यदि वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) धारा ७८ में उल्लिखित वर्ग (क) में आता हो, तो ऐसी वार्षिक वृत्ति (annuity), जो ऐसे वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) के अन्तर्गत सभी आस्थानों की पक्की निकासी में से वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) की देय प्रतिकर पर २½ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज घटाकर बची धनराशि के बराबर हो,

(ख) यदि वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) धारा ७८ में उल्लिखित वर्ग (ग) में आता हो, तो वह धनराशि, जो धारा १०० में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय,

(ग) यदि वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) धारा ७८ में उल्लिखित वर्ग (ख) में आता हो, तो—

(१) धारा ९५ के खंड (ख) के उपखंड (१) में उल्लिखित आस्थानों के सम्बन्ध में

ऐसी बाधक वृत्ति, जो खण्ड (क) में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय,

(२) धारा ९९ के खण्ड (ख) के उपखंड (२) में उल्लिखित आस्थानों के सम्बन्ध में, ऐसी धनराशि, जो धारा १०० में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार लगाई जाय।

कुछ वर्गों की मध्यवर्तियों के विषय में पुनर्वासन अनुदान

१०२—मातहतदारों, अदना मालिकों, दवामी काश्तकारों और अवध के दवामी पट्टेदारों के विषय में इस अध्याय के निदेश ऐसे आनुषंगिक परिवर्तनों और परिष्कारों के साथ, जो नियत किये जायं, लागू होंगे।

अपील

१०३—[*]धारा ८७ के अधीन प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत करने की या धारा ९० के अधीन उत्तरदायी के निस्तारण की या धारा ९९, १०० या १०१ के अधीन दी गई पुनर्वासन अनुदान अधिकारी की, आज्ञा के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील हो सकेगी।

(२) [*]

पुनरीक्षण (revision)

१०४—इस बात के विषय में अपने सन्तोष के लिये कि धारा १०३ के अधीन अपील के निर्णय में डिस्ट्रिक्ट जज की आज्ञा विधि के अनुसार दी है या नहीं, हाईकोर्ट उक्त अपील का अभिलेख (record) मंगा कर उस विषय में ऐसी आज्ञा दे सकता है, जो वह उचित समझे।

मालगुजारी की परिभाषा।

१०४-क—इस अध्याय में "मालगुजारी" पद के अन्तर्गत मातहतदार, दवामी काश्तकार तथा अवध में पट्टेदार इस्तमरारी द्वारा अवर स्वामी (superior proprietor) या स्वामी (proprietor) को, जैसी भी दशा है, देय लगान भी है।

अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया

१०५—अध्याय ४ के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ (mutatis mutandis) पुनर्वासन अनुदान के भुगतान पर भी लागू होंगे।

---

[*] निकाल दिया गया।

नियम बनाने का अधिकार

१०६—(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रान्तीय सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुए ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :—

(क) वह अवधारित करने की प्रक्रिया कि कोई वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) धर्मार्थ या पुण्यार्थ है या नहीं,

(ख) धारा ८१ के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र का आकार (form) और प्रक्रिया,

(ग) धारा ८४ के अधीन शपथ-पत्र का आकार और उसे प्रस्तुत करने की रीति,

(घ) धारा ८७ के अधीन प्रकाशित होने वाले सामान्य नोटिस का आकार,

(ङ) वह आकार और प्रक्रिया, जिसमें धारा ८७ और ८८ के अधीन उज्रदारियां प्रस्तुत की जायंगी,

(च) धारा ९० के अधीन की गई उज्रदारियों की सुनवाई और निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(छ) धारा ९१ के अधीन दिलाये जाने वाले प्रबन्ध-परिव्ययों (management charges) के अवधारण की रीति,

(ज) धारा ९२ के अधीन जांच की प्रक्रिया,

(झ) वह आकार, जिसमें और वह रीति, जिसके अनुसार धारा ९४ और ९५ में उल्लिखित विवरण तैयार किए जायंगे;

(ञ) वे विषय, जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत किये जायं।

अध्याय ६

खान और खनिज पदार्थ (Mines and Minerals)

खानों के संचालन का इस अध्याय द्वारा नियमित होना

१०७—इस विधान में किसी बात के रहते हुए भी खानों को चलाने और उनसे खनिज पदार्थ निकालने का अधिकार स्वत्वाधिकार के दिनांक से इस अध्याय के निदेशों द्वारा नियमित होगा (shall be governed by)।

मध्यवर्ती द्वारा चलाई जाने वाली खानें

१०८—(१) स्वत्वाधिकार के दिनांक से ऐसी सब खानों के विषय में, जो इस विधान के अधीन हस्तगत किये गये आस्थान या आस्थानों के अन्तर्गत हों और उक्त दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर चालू रही हों तथा जिन्हें मध्यवर्ती स्वयं चला रहा हो, मध्यवर्ती के ऐसा चाहने पर यह समझा जायगा कि वे प्रान्तीय सरकार द्वारा मध्यवर्ती को पट्टे पर दे दी गई है और ऐसे मध्यवर्ती को उन खानों को पट्टेदार के नाते में अपने कब्जे में रखने का अधिकार होगा।

(२) प्रांतीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले उक्त पट्टे की शर्तें और प्रतिबन्ध ऐसे होंगे, जो प्रांतीय सरकार और मध्यवर्ती के बीच तय हो जायं या यदि इस प्रकार तय न हो पायें तो वे, जिन्हें धारा १११ के अधीन नियुक्त खानिक विचारक मण्डल (Mines Tribunal) तय कर दे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सब प्रतिबन्ध और शर्तें खान चलाने के नये पट्टों के प्रदान (grant of new mining leases) को नियमित करने के लिये समय विशेष पर प्रचलित केन्द्रीय (Central) विधान (Act) के निदेशों के अनुसार होंगी।

खानों और खनिज पदार्थों के चालू पट्टे

१०९—(१) यदि आस्थान या आस्थानों के स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले उक्त आस्थान अथवा उसके या उनके किसी भाग के, अन्तर्गत किसी खान या खनिज पदार्थों का कोई चालू पट्टा हो, तो ऐसे पट्टे के अन्तर्गत सम्पूर्ण

आस्थान या आस्थानों के अथवा उसके या उनके उस भाग के विषय में यह समझा जायगा कि स्वत्वाधिकार के दिनांक से उस चालू पट्टे के पट्टेदार के पक्ष में प्रान्तीय सरकार ने इस पट्टे को शेष अवधि के लिये खान या खनिज पदार्थों का पट्टा कर दिया है और ऐसे पट्टेदार को उस पट्टे की सम्पत्ति अपने कब्जे में रखने का अधिकार रहेगा।

(२) प्रान्तीय सरकार द्वारा दिये गये पूर्वोक्त पट्टे की शर्तें और प्रतिबन्ध आवश्यक परिवर्तन के साथ वे ही होंगी, जो उपधारा (१) में अभिदिष्ट (referred) चालू पट्टे की थीं; किन्तु उनमें एक प्रतिबन्ध यह और होगा कि यदि प्रांतीय सरकार का यह मत हो कि पट्टेदार ने इस विधान के प्रारम्भ के दिनांक से पहिले कोई अन्वेषण (prospecting) या विकास (development) कार्य नहीं किया है, तो प्रांतीय सरकार को अधिकार होगा कि उक्त दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय तीन मास का लिखित नोटिस देकर पट्टे को समाप्त कर दे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वर्तमान खान सम्बन्धी पट्टों के परिष्कार का नियमन (regulating) करने वाले समय विशेष पर प्रचलित किसी केन्द्रीय विधान के निर्देशों के अनुसार उक्त पट्टे की शर्तों और प्रतिबन्धों में कोई परिष्कार करने में इस धारा में कही गई कोई बात बाधक नहीं समझी जायगी।

(३) उपधारा (१) में अभिदिष्ट खान और खनिज पदार्थों के पट्टेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि भूतपूर्व मध्यवर्ती से इस आधार पर कोई क्षतिपूर्ति मांग सके कि उक्त खान और खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में ऐसे मध्यवर्ती द्वारा दिए गये पट्टे की शर्तें इस विधान का व्यापार प्रारम्भ (operation) हो जाने के कारण पूरा किये जाने के योग्य नहीं रह गई हैं।

खानों से सम्बद्ध इमारतें और भूमि

११०—यदि किसी आस्थान या आस्थानों के अन्तर्गत खानों और खनिज पदार्थों का कोई पट्टा धारा १०८ या १०९ के कारण प्रांतीय सरकार द्वारा दिया हुआ समझा जाय, तो ऐसी सब इमारतें और भूमि, जो ऐसे पट्टे के अन्तर्गत न हों, उस भूमि के सहित, जिस पर खान सम्बन्धी कोई निर्माण (works), मशीनरी, ट्रामवे या साइडिंग (siding) स्थित हों, आस्थान या आस्थानों के स्वत्वाधिकार में जाने के दिनांक से प्रांतीय सरकार द्वारा पट्टेदार को पट्टे पर दे दी गई समझी जायंगी, चाहे वे उस आस्थान के अन्तर्गत हों या ऐसे किसी दूसरे आस्थान या आस्थानों के अन्तर्गत हों, जो इस विधान के व्यापार (oporation) में आने के कारण महामहिम के स्वत्वाधिकार में आ गए हों और पट्टे के अन्तर्गत खानों के चलाने और खनिज पदार्थों के निकालने से सम्बन्ध रखने वाले प्रयोजनों के लिए पट्टेदार के उपयोग और कब्जे में हो, और पट्टेदार को अधिकार होगा कि ऐसी सब इमारतें और भूमि ऐसे उचित और न्याय्य (fair and equitable) लगान पर अपने कब्जे में रखे, जो प्रान्तीय सरकार और पट्टेदार के बीच तय हो या यदि तय न हो, तो उस लगान पर, जिसे धारा १११ के अधीन नियुक्त खानिक विचारक मण्डल (Mines Tribunal) निश्चित कर दे।

खानिक विचारक मण्डल

१११—(१) धारा १०८, ११० और ११२ के प्रयोजनों के लिए नियुक्त प्रत्येक खानिक विचारक मण्डल में एक अध्यक्ष (Chairman) और एक सदस्य होगा, जिनमें से पहिला कोई डिस्ट्रिक्ट जज और दूसरा कोई खान विशेषज्ञ होगा और दोनों प्रांतीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायंगे।

(२) धारा १०८ के अधीन प्रान्तीय सरकार द्वारा किये गये पट्टे की शर्तों और प्रतिबन्धों के तय करने में खानिक विचारक मण्डल को यह अवधारित करने का अधिकार रहेगा कि कितनी सम्पत्ति प्रांतीय सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई समझी जाय।

(३) विचारक मण्डल उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो नियत की जाय।

(४) यदि किसी विषय पर अध्यक्ष और सदस्य में कोई मतभेद हो, तो अध्यक्ष इस सम्बन्ध में चीफ जस्टिस द्वारा नामांकित (nominated) हाई कोर्ट के किसी जज के पास वह विषय अभिदेश (reference) के लिए भेज देगा और विचारक मंडल ऐसे जज के निर्णय से बाध्य होगा।

समय से पूर्व खानों और खनिज पदार्थों की समाप्ति के निमित्त प्रतिकर

११२—(१) यदि धारा १०९ की उपधारा (२) में उल्लिखित अतिरिक्त प्रतिबन्ध (additional condition) के अनुसार खानों या खनिज पदार्थों का कोई पट्टा प्रांतीय सरकार द्वारा समाप्त कर दिया जाय, तो समय से पूर्व पट्टे की समाप्ति के निमित्त पट्टेदार, प्रांतीय सरकार से ऐसा प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा, जो प्रांतीय सरकार और पट्टेदार के बीच तय हो जाय या इस प्रकार तय न होने पर, जो धारा १११ के अधीन नियुक्त खानिक विचारक मंडल द्वारा अवधारित किया जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन देय प्रतिकर अवधारित करते समय विचारक मंडल और बातों के साथ उस मामले (transaction) के जेन्य या अजेन्य (genuine or otherwise) होने का और ऐसे काल का, जिस तक वह पट्टा चालू रह चुका है, ध्यान रक्खेगा।

नियम बनाने का अधिकार

११३—प्रान्तीय सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

भाग २

अध्याय ७

गांव-समाज और गांव-सभा

गांव-समाज का स्थापना और निगमाकरण

११४—(१) प्रत्येक गांव के लिये ऐसे दिनांक या दिनांकों से और ऐसे नाम से, जो नियत किये जायं, एक सतत अनुक्रम वाले (having per-

petual succession) ऐसे गांव-समाज की स्थापना की जायगी, जो एक निगमित संस्था (body corporate) होगी और, किसी दूसरे विधायन (enactment) को बाधित न करते हुए उसे यह भी सामर्थ्य प्राप्त होगा कि अपने नैगम नाम (corporate name) से दूसरे पर वाद प्रस्तुत कर सके और दूसरा उस नाम पर उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सके, वह चल और अचल सम्पत्ति को उपार्जित (acquire) कर सके, रख सके, उसका प्रशासन (administering) और हस्तान्तरण कर सके तथा संविदा भी कर सके ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रान्तीय सरकार के निर्देशानुसार एक गांव से अधिक या कम के लिये भी एक गांव-समाज स्थापित हो सकेगा।

(२) वह क्षेत्र, जिसके लिये कोई गांव-समाज स्थापित किया जाय, मंडल (circle) कहलायेगा।

गांव-समाज का निर्माण और उसकी सदस्यता।

११५—गांव-समाज में ऐसे सब वयस्क (adult) व्यक्ति होंगे, जो समय विशेष पर—

(क) उस मण्डल में साधारणतया निवास करते हों, जिसके लिये गांव-समाज की स्थापना हुई हो, या

(ख) उस मण्डल में भूमिधर, सीरदार, असामी या अधिवासी के नाते भूमि रखते हों।

(ग) [*]

स्पष्टीकरण (१)—यदि कोई व्यक्ति किसी मंडल में साधारणतया रहता हो या उसमें उसके कुटुम्ब के रहने का कोई ऐसा घर हो, जिसमें वह कभी-कभी रहता हो या उसमें रहने का उसका कोई ऐसा घर हो, जिसमें वह जब चाहे तब रह सके और जिसमें वह कभी-कभी रहता भी हो, तो यह समझा जायगा कि वह उस मण्डल में साधारणतया निवास करता है।

स्पष्टीकरण (२)—यदि कोई खाता, किसी न्यास (trust), संस्था (society) या व्यक्तियों के किसी दूसरे संघ (association)

के पास हो, या उसकी ओर से किसी और के पास हो, तो ऐसे न्यास (trust), संस्था या संघ का प्रधान अधिकारी या कार्यकर्ता (functionary) इस धारा के प्रयोजनों के लिये खाते के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी समझा जायगा।

गांव-समाज की सीमाओं का परिवर्तन।

११६—प्रान्तीय सरकार गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा—

(क) किसी ऐसे मण्डल की सीमाओं को, जिसके लिये गांव-समाज स्थापित किया गया हो, बदल सकती है, और

(ख) किसी मण्डल के अन्तर्गत कुल क्षेत्र या उसका कोई भाग किसी दूसरे मण्डल को संक्रामित कर सकती है।

गांव-समाज के अधिक्षेत्र में परिवर्तनों के कारण आनुषंगिक आज्ञायें।

११७—यदि प्रान्तीय सरकार—

(क) किसी क्षेत्र को एक गांव-समाज के अधिक्षेत्र से किसी दूसरे गांव-समाज के अधिक्षेत्र में संक्रामित (transfer) कर दे, या

(ख) किसी क्षेत्र को किसी गांव-समाज के अधिक्षेत्र में सम्मिलित कर दे या उसे किसी गांव-समाज के अधिक्षेत्र से निकाल दे,

तो वह ऐसी आनुषंगिक या पारिणामिक (incidental or consequential) आज्ञाएं दे सकती है, जो आवश्यक प्रतीत हों।

कुछ भूमि आदि का गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में आना।

११८—धारा ६ में उल्लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने पर किसी समय प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकेगी कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से (जो इस अध्याय में आगे चलकर निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा)—

(१) समय विशेष पर किसी खाते या बाग़ के अन्तर्गत भूमि को छोड़ अन्य सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं,

(२) गांव की सीमाओं के भीतर स्थित सब जंगल,

निकाल दिया गया।

(३) खाते, बाग या आबादी के पेड़ों को छोड़ अन्य सभी पेड़,

(४) सार्वजनिक कुएं,

(५) मीनाशय,

(६) हाट, बाजार और मेले,

(७) तालाब, पोखर, निजी नाव-घाट, जल-प्रणालियां (water-channels), रास्ते और आबादी के स्थल (abadi sites),

जो मंडल में स्थित हों और इस विधान के अधीन महामहिम (His Majesty) के स्वत्वाधिकार में आ गये हों, उस मंडल के लिये स्थापित गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में आ जायंगे ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि [*] प्रान्तीय सरकार की राय में किसी गांव में उस भूमि का क्षेत्रफल, जिसमें खेती न होती हो, गांव-समाज की साधारण आवश्यकताओं से अधिक हो, तो प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा कि उक्त भूमि के किसी भाग को, इस धारा के अधीन गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में जाने से अलग रक्खे और ऐसी आनुषंगिक और पारिणामिक (incidental and consequential) आज्ञाएं दे, जो आवश्यक हों,

और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि किसी समय पूर्वोक्त कोई भूमि या वस्तु प्रान्तीय सरकार हस्तगत कर ले, तो गांव-समाज को उस प्रतिकर के अतिरिक्त, जो उसे उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर किए गए किसी विकास-कार्य के निमित्त प्राप्य हो, हस्तगत किये जाने के निमित्त इस प्रकार कोई और प्रतिकर पाने का अधिकार न होगा और न वह पायेगा।

गांव-सभा द्वारा भूमि आदि का अधीक्षण, प्रबन्ध और नियन्त्रण।

११६—(१) इस विधान के निदेशों को बाधित न करते हुए निर्दिष्ट दिनांक से गांव-सभा को गांव-समाज के लिए और उसकी ओर से ऐसी सब भूमि, गांव की सीमाओं के भीतर के जंगलों (खातों, बागों या आबादी के पेड़ों को छोड़)

अन्य पेड़ों, सार्वजनिक कुंओं, मीनाशयों, तालाबों, पोखरों, जल-प्रणालियों, रास्तों, आबादी के स्थलों, हाटों तथा बाजारों और मेलों के, जो धारा ११८ के अधीन गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में आ गये हों, सामान्य अधीक्षण (general superintendence), प्रबन्ध और नियंत्रण का भार सौंप दिया जायगा।

(२) पूर्वोक्त निदेशों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, गांव-सभा के कार्यों और कर्त्तव्यों के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे:--

(क) कृषि का विकास और उन्नति,

(ख) जंगलों और पेड़ों [*] की रक्षा, रख-रखाव और विकास,

(ग) आबादी के स्थलों और गांव के गमनागमन मार्गों (village communications) का रख-रखाव और विकास,

(घ) हाटों, बाजारों और मेलों का प्रबन्ध,

(ङ) सहकारी खेती का विकास,

(च) पशुपालन का विकास,

(छ) खातों की चकबन्दी (consolidation of holdings),

(ज) गृह-उद्योगों (cottage industries) का विकास,

(झ) मीनाशयों, कुओं और तालाबों का रख-रखाव तथा विकास,

(ञ) [*]

(ट) अन्य ऐसे विषय, जो नियत किए जायं।

हाट, बाज़ार, मेले और निजी नाव, घाट आदि का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या दूसरे अधिकारियों के स्वत्वाधिकार में आना।

१२०—धारा ११८ और ११९ में किसी बात के रहते हुए भी, प्रान्तीय सरकार किसी समय गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से ऐसे हाट, बाजार, मेले, निजी नाव, घाट और जल-प्रणालियां, जो इस विधान के पूर्वोक्त निदेशों

[*] निकाल दिया गया।

के अनुसार गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में आ गये हों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी अन्य आधिकारिकी को संक्रामित हो जायंगे और उसके स्वत्वाधिकार में चले जायंगे और तब उस बोर्ड या आधिकारिकी पर इस विधान में किसी बात के रहते हुये भी, समय विशेष पर लागू की जा सकने वाली विधि के अनुसार उसके प्रबन्ध, अधीक्षण और नियन्त्रण का भार होगा।

गांव-पंचायत के कर्त्तव्य, कार्य और अधिकार।

१२१—गांव-सभा के लिये और उसकी ओर से गांव-पंचायत ऐसे कार्यों का सम्पादन करेगी, उसको ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे और वह ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगी, जो इस विधान के ... विधान के अधीन बने नियमों के द्वारा या अभ्यर्पित (assigned), दिये गये (confe... या लगाए गये (imposed) हों।

सं० प्रा० ऐक्ट २६, १९४७ ई०

भूमि-प्रबन्ध के लिए गांव-पंचायत की समिति।

१२२—यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत ऐक्ट, १९४७ ई० में किसी बात के रहते हुए उक्त ऐक्ट की धारा २९ के निदेशों के * प्रत्येक गांव-पंचायत आगे चल कर की गई ... स्था के अनुसार अपने अधिक्षेत्र के प्रत्येक (circle) के लिये एक समिति (commit... भूमि के प्रबन्ध और बंदोबस्त से सम्बन्ध वाले कर्त्तव्यों का पालन करने तथा ऐसे कार्यों के लिए, जो नियत किए जायं, स्थ... करेगी।

सं० प्रा० ऐक्ट २६, १९४७ ई०

समिति का संगठन

१२३—धारा १२२ के अधीन स्थापित ... में गांव-पंचायत के उस समय वाले ऐसे सदस्य होंगे, जो उस मंडल के हों, जिसके समिति स्थापित की गई हो;

सं० प्रा० ऐक्ट २६, १९४७ ई०

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे स... की संख्या दस से कम हो, तो गांव-सभा के ऐसे सदस्य, जो तत्सम्बन्धी मंडल के हों, गांव-समाज के सदस्यों में से इतने सदस्य चुन लेंगे, जिन्हें मिलाकर समिति के सदस्यों की संख्या दस हो जाय।

---

[*] निकाल दिया गया।

१२४—समिति की अवधि (term) आकस्मिक रिक्तियों (casual vacancies) को भरने की रीति, उसके कार्य करने की प्रक्रिया और उसके कार्यों का संचालन (conduct of business ये सब नियत प्रकार के होंगे।

समिति की अवधि और दूसरे विषय।

१२५—गांव-कोष (Gaon Fund) में निम्नलिखित जमा किये जायंगे :—

(१) वह कुल धन, जो इस विधान के अधीन गांव-पंचायत या समिति को मिले, चाहे वह उसे अपने लिए मिला हो या गांव-समाज या गांव-सभा के लिए या उसकी ओर से,

(२) ऐसा और धन, जो नियत किया जाय

इस विधान के अधीन गांव-पंचायत द्वारा प्राप्त द्रव्य का गांव कोष में जमा होना।

१२६—यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत-राज ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा ३२ में किसी बात के रहते हुए भी, गांव-पंचायत को अधिकार होगा कि नियत रीति के अनुसार गांव-कोष (Gaon Fund) को इस विधान के अधीन अपने कर्त्तव्यों के पालन और कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में होने वाले परिव्ययों (charges) में लगावे,

गांव-कोष का इस विधान के सम्बन्ध में उपयोग होना।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा या यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत-राज ऐक्ट, १९४७ ई० की किसी बात का ऐसा अर्थ न होगा और न लगाया जायगा, जिसके फलस्वरूप गांव-पंचायत किसी ऐसे धन को, जो प्रान्तीय सरकार के लिए या उसकी ओर से वसूल किया गया या उगाहा गया हो, उक्त उपयोग में ला सके।

१२७—(१) यूनाइटेड प्राविन्सेज़ पंचायत-राज ऐक्ट, १९४७ ई० में किसी बात के रहते हुए भी, प्रान्तीय सरकार ऐसी आज्ञायें और निर्देश गांव-पंचायत या समिति को दे सकती है, जो इस विधान के प्रयोजनों के लिये आवश्यक प्रतीत हों

गांव-पंचायत या समिति का प्रान्तीय सरकार की आज्ञाओं और निर्देशों को कार्यान्वित करना।

(२) गांव-पंचायत या समिति और उसके पदाधिकारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि तुरन्त ऐसी आज्ञायें कार्यान्वित करें और ऐसे निदेशों का पालन करें।

कुछ परिस्थितियों में गांव-पंचायत या समिति के कार्यों के निर्वहण करने की वैकल्पिक व्यवस्था।

१२८—(१) यदि किसी समय प्रान्तीय सरकार को यह सन्तोष हो जाय कि—

(क) गांव-पंचायत या समिति ने इस विधान के अधीन या द्वारा लगाए गए अपने कर्त्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन किसी उपयुक्त कारण या अपदेश के न रहते हुए भी (without reasonable cause or excuse) नहीं किया है,

(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस विधान के अधीन या द्वारा लगाए गए कर्त्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन करने में गांव-पंचायत या समिति असमर्थ हो गई है या हो जा सकती है, या

(ग) और कारणों से ऐसा करना उपयुक्त या आवश्यक है,

तो गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके वह प्रख्यापित कर सकती है कि इस विधान के अधीन गांव-पंचायत के कर्त्तव्यों, अधिकारों और कार्यों का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या आधिकारिक द्वारा ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निरोधों (restrictions) के साथ, जो नियत किए जायं, किया जायगा।

(२) प्रान्तीय सरकार ऐसे आनुसंगिक और पारिणामिक निदेश बना सकती है, जो उसको इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

नियम बनाने का अधिकार।

१२६—(१) प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा कि इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनावे।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:—

(क) गांव-समाज के स्थापन से सम्बन्ध रखने वाली प्रक्रिया और कार्यवाही,

(ख) धारा १२२ में उल्लिखित समिति के लिए व्यक्तियों के चुनाव का संचालन (conduct) और उक्त चुनाव के समय या सम्बन्ध में शंकाओं का समाधान तथा विवादों का निर्णय,

(ग) गांव-पंचायत या समिति द्वारा अपने कर्त्तव्यों का पालन, कार्यों का सम्पादन और अधिकारों का प्रयोग करने की रीति और प्रक्रिया,

(घ) इस विधान के प्रयोजनों के लिए गांव-कोष (Gaon Fund) के उपयोग और उसमें से रुपया देने की रीति और प्रक्रिया,

(ङ) वे विषय, जिनके सम्बन्ध में और वह रीति जिसके अनुसार प्रान्तीय सरकार इस विधान में धारा १२७ के अधीन गांव-पंचायत या समिति को निर्देश दे,

(च) धारा १२८ के अधीन गांव-पंचायत के कार्यों और कर्त्तव्यों के किए जाने की वैकल्पिक व्यवस्था (alternative arrangement) की प्रक्रिया (procedure) और कार्यवाही (proceedings),

(छ) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए हिसाब की बहियों (books of account), अन्य रजिस्टर और विवरण (statement) रखने की प्रक्रिया और आकार,

(ज) इस विधान के प्रयोजनों के लिए गांव-पंचायत के वेतन-भोगी सेवकों (paid employees) की नियुक्ति, नियंत्रण और उनकी सेवाओं की अन्य शर्तें,

(झ) इस विधान के प्रयोजनों के लिए गांव-पंचायत द्वारा किए जाने वाले पत्र-व्यवहार की रीति और लेख्यों (documents) और संविदाओं (contracts) का निष्पादन (execution),

(ञ) गांव-पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध वादों और व्यवहारों का संचालन,

(ट) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखने वाले किसी विषय में गांव-पञ्चायत, समिति या किसी सरकारी अधिकारी का सामान्यरूप से पथ-प्रदर्शन (guidance), और

(ठ) ऐसे अन्य विषय, जो इस अध्याय के अधीन नियत किये जाने वाले हों या किये जायं।

अध्याय ८

भौमिक अधिकार (Tenure)

जातों का वर्गीकरण

खातेदारों के वर्ग

१३०—इस विधान के प्रयोजनों के लिए खाते-दारों (tenure-holders) के निम्नलिखित वर्ग (classes) होंगे :—

(१) भूमिधर,

(२) सीरदार, और

(३) असामी।

भूमिधर

१३१—निम्नलिखित वर्गों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भूमिधर कहलाएगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा, जो इस विधान द्वारा या इसके अधीन भूमिधरों को दिये गये हों या उन पर लगाये गये हों, अर्थात् :—

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो आस्थानों के हस्तगत किये जाने के फलस्वरूप धारा १९ के अधीन भूमिधर हो जाय,

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस विधान के निदेशों के अधीन या अनुसार भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर ले।

सीरदार

१३२—निम्नलिखित वर्गों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सीरदार कहलाएगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों

के अधीन रहेगा, जो इस विधान द्वारा या इसके अधीन सीरदार को दिये गये हों या उस पर लगाए गए हों, अर्थात्—

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो आस्थानों के हस्तगत किये जाने के फलस्वरूप धारा २० के अधीन सीरदार हो जाय,

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस विधान के निदेशों के अनुसार खाली भूमि सीरदार के रूप में उठा दी जाय,

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस विधान के निदेशों के अनुसार या अधीन किसी अन्य प्रकार से सीरदार के अधिकार प्राप्त कर ले।

वह भूमि, जिसमें सीरदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे।

१३३—धारा १३२ में किसी बात के रहते हुए भी किन्तु धारा २० के निदेशों को बाधित न करते हुए, निम्नलिखित भूमि में सीरदारी अधिकार प्राप्त होंगे :—

(क) पशुचर भूमि (pasture land) या ऐसी भूमि, जिस पर पानी हो और जो सिंघाड़ा या दूसरी उपज पैदा करने के काम में आता हो या ऐसी भूमि, जो नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो,

(ख) अस्थिर (shifting) या अस्थायी (unstable) खेती के ऐसे भूखंड, जिन्हें प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट कर दे, और

(ग) ऐसी भूमि, जिसके विषय में प्रान्तीय सरकार ने गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि उसमें टौंगिया रीति से वन लगाने का विचार है या वह इसलिये अलग कर दी गई है।

असामी

१३४—निम्नलिखित वर्गों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति असामी कहलाएगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन रहेगा, जो इस विधान द्वारा या

उसके अधीन असामी को दिये गये हों या उस पर लगाये गये हों, अर्थात्—

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर कोई भूमि—

(१) मध्यवर्ती के बाग के गैर-दखीलकार काश्तकार (non-occupancy tenant) के नाते,

(२) बाग भूमि के शिकमी (sub-tenant) के नाते,

(२=क) यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनैंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक अनुच्छेद (Proviso) के अधीन शिकमी काश्तकार के नाते,

(३) धारा २० में कहे गये (१) से (८) तक के वर्गों में से किसी में आने वाले व्यक्ति के बंधकी (mortgagee) के नाते,

(४) धारा १४ के अनुसार भरण-पोषण के बदले में,

(५) पशुचर-भूमि या ऐसी भूमि के गैर-दखीलकार काश्तकार के नाते, जिसमें पानी हो और जो सिंघाड़ा या अन्य उपज पैदा करने के काम में आती हो या जो किसी नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो,

(६) ऐसी भूमि के गैर-दखीलकार काश्तकार के नाते, जिसे प्रान्तीय सरकार ने उक्त दिनांक से पहिले गजट में विज्ञप्ति द्वारा अस्थिर और अस्थायी (shifting and unstable) खेती के भू-खण्ड का भाग प्रख्यापित कर दिया हो,

(७) ऐसी भूमि के गैर-दखीलकार काश्तकार के नाते, जिसके विषय में प्रान्तीय सरकार ने उक्त दिनांक से पहले गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि

उसमें टौंगिया रीति से बन लगाने का विस्तार है या वह इसलिये अलग कर दी गई है,

(८) ऐसे ठेकेदार के नाते, जिसके विषय में धारा १५ की उपधारा (२) के खंड (क) में व्यवस्था की गई है,

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस ऐक्ट के निदेशों के अनुसार किसी भूमिधर या सीरदार ने अपने खाते के अन्तर्गत भूमि पट्टे पर उठा दी हो,

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे स्वत्वाधिकार के दिनांक पर या उसके बाद गांव-सभा ने या ऐसे व्यक्ति ने, जिसे ऐसा करने का अधिकार हो, धारा १३३ में वर्णित भूमि पट्टे पर उठा दी हो, और

(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वत्वाधिकार के दिनांक पर या उसके बाद इस विधान के निदेशों के अधीन असामी के अधिकार प्राप्त कर ले।

भूमिधरी अधिकार उपार्जन

यू० पी० ऐक्ट १०, १९४९ ई० के अन्तर्गत संयुक्त खातों में भूमिधरी अधिकार उपार्जन करना।

१३५--(१) यदि कोई खाता संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ ई० की धारा ३ में उल्लिखित (क) से (घ) तक के वर्गों में से किसी में आने वाले दो या अधिक व्यक्तियों के पास रहा हो और उक्त विधान की धारा ६ के अधीन कोई प्रख्यापन संयुक्त रूप से उन सब के पक्ष में न होकर उनमें से एक या अधिक के ही पक्ष में हुआ हो, तो उक्त प्रख्यापन केवल इसलिए ही अवैध न समझा जायगा कि वह खाते के एक भिन्नात्मक अंश (fractional sharo) के ही सम्बन्ध में हुआ है और उक्त विधान के निदेश, उसमें किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार पढ़े जायेंगे और उनका इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानो परिशिष्ट २ में दिए संशोधन उसमें कर दिए गए थे और उक्त विधान के प्रारम्भ से ही प्रचलित थे।

(२) संदेहों के निराकरण (removal of doubts) के लिए यह प्रख्यापित किया जाता है कि उक्त विधान के अधीन और उसके प्रचलन के काल में किसी समय जो आज्ञाएं दी गई होंगी, जो कार्यवाहियां

की गई होंगी, जिन प्रख्यापनों का प्रदान हुआ होगा तथा जो अधिक्षेत्र प्रयोग में लाए गए होंगे वे सब उसी प्रकार ठीक (good) और वैध (valid in law) समझे जायंगे मानों उक्त विधान उपधारा (१) द्वारा संशोधित रूप में सभी प्रभावी दिनांकों (material dates) पर प्रचलित था।

१३६—[&
१३७—[&
१३८—[&
१३९—[&]

ऐक्ट के प्रारम्भ के बाद भूमिधरी अधिकारों के उपार्जन के लिये प्रार्थना-पत्र।

१४०—यदि प्रान्तीय सरकार द्वारा विज्ञापित किये जानेवाले दिनांक से तीन मास समाप्त होने से पहले किसी समय धारा १३२ के खंड (क) में उल्लिखित वर्ग वाला सीरदार ऐसी भूमि के लिये, जिसका वह सीरदार हो, प्रान्तीय सरकार को स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर देय या देय समझे जाने वाले लगान का दस गुना दे दे तो, परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को उस विषय में यथावत् प्रार्थना-पत्र देने पर उसको इस बात का प्रख्यापन पाने का अधिकार होगा कि उसने ऐसी भूमि के सम्बन्ध में धारा १४३ में उल्लिखित अधिकार प्राप्त कर लिये हैं।

धारा १४० के अधीन प्रार्थना-पत्र के साथ खजाने का चालान।

१४१—धारा १४० में अभिदिष्ट प्रार्थना-पत्र के साथ खजाने (treasury) का चालान रहेगा, जिससे यह व्यक्त हो कि पूर्वोक्त धनराशि जमा कर दी गई है और उसमें उस अधिकार का भी संक्षिप्त वर्णन रहेगा, जिसके अनुसार प्रार्थी उक्त भूमि को अपनी बतलाता हो।

धारा १४० के अन्तर्गत धनराशि का जमा करना।

१४२—यदि कोई सीरदार या उसका स्वत्व पूर्वाधिकारी (predecessor in interest) स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर खाते का मौरूसी काश्तकार रहा हो तो धारा १४० के अधीन जमा की जाने वाली धनराशि, इस विधान में किसी बात के रहते हुए भी, उसके द्वारा देय लगान की, और यदि उक्त देय लगान लागू मौरूसी दरों से लगाए गए लगान के दुगने से अधिक हो, तो इस प्रकार लगाए गए लगान की दुगनी धनराशि की ही, दस गुनी होगी।

प्रमाण-पत्र का दिया जाना।

१४३—(१) यदि प्रार्थना-पत्र यथावत दिया गया हो और असिस्टेंट कलेक्टर को यह सन्तोष हो जाय कि प्रार्थी धारा १४० में उल्लिखित प्रख्यापन का अधिकारी है, तो वह उसे इस बात का प्रमाण-पत्र दे देगा।

[&] निकाल दिया गया

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रमाण-पत्र दिये जाने पर उसके दिनांक के ठीक बाद के कृषि-वर्ष के प्रारम्भ से सीरदार--

(क) उस खाते या खाते के अंश का, जिसके सम्बन्ध में उक्त प्रमाण-पत्र दिया गया हो, भूमिधर हो जायगा और हुआ समझा जायगा, और

(ख) [*]उस खाते या उसमें के अंश की मालगुजारी के निमित्त ऐसी कम की हुई धनराशि का देनदार होगा, जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उसके लिये देय या देय समझे जाने वाले लगान की आधी हो।

स्पष्टीकरण---यदि उपरोक्त दिनांक पर किसी सीरदार द्वारा देय लगान लागू मौरूसी दरों से लगाए गए लगान के दुगने से अधिक हो, तो उसके द्वारा देय लगान खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार लगाए गए लगान की दुगनी धनराशि के बराबर ही समझा जायगा।

भूमिधरी अधिकारों के प्राप्त होने पर जोत का बंटवारा

१४३---(क) यदि कोई व्यक्ति धारा १९ या धारा १४० के अधीन किसी ऐसे खाते के एक अंश के सम्बन्ध में भूमिधर हुआ है, जो उसके पास दूसरे या दूसरों के साथ में, जो सीरदार है, संयुक्त रूप से रहा है, तो उक्त भूमिधर, खाते में अपने अंश के बंटवारे के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है और बंटवारा हो जाने पर उसके अंश में जो भूमि पड़ेगी उसका वह भूमिधर समझा जायगा।

धारा १३२ के खंड (ख) में उल्लिखित वर्ग के सीरदार का भूमिधरी अधिकार उपार्जन करना।

१४४---धारा १४०, १४१ और १४३ के सब निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ धारा १३२ के खंड (ख) में उल्लिखित वर्ग के सीरदार को लागू होंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रान्तीय सरकार को देय धनराशि उस मालगुजारी की दसगुनी होगी, जो खाता मिलने पर उसके द्वारा देय हो और उक्त धनराशि खाता मिलने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय दी जा सकेगी,

और यह भी प्रतिबन्ध है कि धारा १४३ में अभिदिष्ट प्रमाण-पत्र मिलने पर देय मालगुजारी उस मात्रा तक कम कर दी जायगी, जो खाते के मिलने पर देय मालगुजारी की धनराशि की आधी हो।

निकाल दिया गया।

भूमि का उपयोग और उन्नति

भूमिधर का अपने खाते की कुल भूमि पर एकान्तिक कब्जे का अधिकार।

१४५—इस ऐक्ट के निदेशों पर उपाश्रित रहते हुए, भूमिधर को ऐसी सब भूमि पर, जिसका वह भूमिधर हो, एकान्तिक (exclusive) क़ब्ज़े का अधिकार होगा और उसको यह भी अधिकार होगा कि जिस प्रयोजन में चाहे उसमें उसका उपयोग कर सके।

उद्योग या निवास के प्रयोजनों के लिये जोत का उपयोग

१४६—(१) भूमिधर, जो अपने खाते या उसके किसी भाग को उद्योग या निवास के प्रयोजन के लिए (for industrial or residential purposes) काम में लाता हो, कलेक्टर से इस बात के प्रख्यापन के लिए प्रार्थना कर सकता है और कलेक्टर ऐसी जांच के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, संतुष्ट हो जाने पर तदनुसार प्रख्यापन दे देगा।

(२) उपधारा (१) मे उल्लिखित प्रख्यापन के प्रदान पर (इस धारा से भिन्न) इस अध्याय के निदेश ऐसी भूमि के सम्बन्ध मे उक्त भूमिधर को लागू न रह जायेंगे और तदुपरान्त वह उक्त भूमि के उत्तराधिकार के विषय में ऐसी व्यक्तिगत विधि (personal law) से, जिसके वह अधीन हो , नियमित होगा।

कृषि के लिये भूमि का उपयोग।

१४७—(१) यदि किसी भूमिधर के पास की कोई भूमि, जो कृषि, फलोत्पादन या पशुपालन से सम्बन्ध रखने वाले प्रयोजनो के लिए उपयोग मे न आ रही हो, ऐसे प्रयोजनों के लिये उपयोग में आने वाली भूमि हो जाय, तो कलेक्टर, यदि उन्हे इस बात का संतोष हो जाय, इस बात का प्रख्यापन कर सकते है और तदुपरान्त भूमिधर उक्त भूमि के सम्बन्ध में इस अध्याय के निदेशों के अधीन होगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी भूमि के बारे में प्रख्यापन प्रदान हो जाने पर भूमिधर भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके क़ब्ज़े में उक्त गाटा (plot) हो—

(क) यदि वह भूमि उसके पास किसी ऐसी संविदा या पट्टे के अधीन हो, जो इस अध्याय के निदेशों से असंगत (inconsistent) हो, तो वह ऐसा क़ाबिज़ समझा जायगा, जो धारा २०९ के अधीन बेदख़ल हो सके,

(ख) यदि वह भूमि उसके पास किसी ऐसी संविदा या पट्टे (contract or lease) के अधीन हो, जो इस अध्याय के निदेशों से असंगत न हो, तो वह उक्त भूमि में ऐसे अधिकारों का अधिकारी होगा, जो उक्त संविदा या पट्टे के निदेशों के अनुसार अवधारित किये जायं,

(३) उपधारा (२) के उपखंड (क) में अभिदिष्ट ऐसा पट्टा या संविदा, जो इस अध्याय के निदेशों से असंगत हो, प्रख्यापन के दिनांक से वहां तक व्यर्थ (void) हो जायगा जहां तक वह असंगत हो;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि का भोगबंधक (mortgage with possession) उस देय धनराशि के लिये, जो उस भूमि द्वारा सुरक्षित की गई हो, ऐसे दृष्टिबन्धक (simple mortgage) में परिवर्तित समझा जायगा, जिस पर ऐसी दर से ब्याज चलेगा, जो नियत की जाय।

धारा १४६, १४७ के अन्तर्गत की गई घोषणा का निबंधन

१४७-क—धारा १४६ और १४७ के अधीन दिए गए प्रत्येक प्रख्यापन की एक प्रतिलिपि कलेक्टर द्वारा तत्सम्बन्धी सब-रजिस्ट्रार को भेज दी जायगी और वे, इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ ई० में किसी बात के रहते हुए भी, उसे बिना शुल्क और नियत रीति से निबंधित (register) कर लेंगे।

सीरदार या असामी का अपने खाते की भूमि पर एकान्तिक कब्जे का अधिकार।

१४८—इस ऐक्ट के निदेशों पर उपाश्रित रहते हुए, सीरदार या असामी को अपने खाते के अन्तर्गत सभी भूमि पर एकान्तिक क़ब्ज़ा (exclusive possession) का अधिकार होगा और उसको यह भी अधिकार होगा कि वह कृषि, फलोत्पादन या पशु-पालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये उस भूमि का उपयोग करे और उसमें किसी प्रकार की उन्नति करे;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भूमि, जिसके विषय में प्रान्तीय सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर दिया हो कि उसमें टौंगिया रीति से बन लगाने का विचार है या वह उसके लिए अलग कर दी गई है, उसके असामी द्वारा किसी ऐसे उपयोग में नहीं लाई जायगी, जो खेती की फसल बोने के प्रयोजनों से भिन्न हो।

उन्नति के कार्यों में प्रतिबन्ध

१४८-क—सीरदार या असामी कोई ऐसी उन्नति न कर सकेगा, जो किसी ऐसी भूमि पर हो, या किसी ऐसी भूमि के लिए हानिकारक हो, जो उस खाते के अन्तर्गत न हो, जिसको उस उन्नति द्वारा लाभ पहुंचाना अभिप्रेत है, जब तक ऐसी भूमि के खातेदार

की या जहां ऐसी भूमि किसी खाते का भाग नहीं है, तो गांव-सभा को लिखित अनुज्ञा (written permission) न मिल जाय।

अन्य भूमि की उन्नति के कार्य।

१४८-ख--(१) यदि खातेदार ने भूमि पर कोई उन्नति की हो और ऐसी भूमि मालगुजारी की बक़ाया में या रुपये की किसी डिक्री के निष्पादन में बिक जाय या खातेदार ऐसी भूमि से बेदखल हो जाय, तो क्रेता (purchaser) या क्षेत्रपति (Land-holder), जैसी भी दशा हो, उक्त उन्नति का अधिपति (owner) हो जायगा, किन्तु खातेदार ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जो उसके क़ब्ज़े में बच रही हो, उक्त उन्नति से पहुँचने वाले लाभ का उतना ही और उसी प्रकार अधिकारी रहेगा जितना और जिस प्रकार उस उन्नति द्वारा उसे अब तक लाभ पहुँचता रहा है।

(२) यदि खातेदार ने ऐसी भूमि पर कोई उन्नति की हो, जो मालगुजारी की बकाया में या किसी न्यायालय द्वारा दी गई रुपये की किसी डिक्री या आज्ञा के निष्पादन में उसके किसी भाग के बिक जाने के बाद या अपनी भूमि के किसी भाग से उसके बेदखल हो जाने के बाद, उसके क़ब्ज़े में बच रही हो, तो क्रेता या क्षेत्रपति, जैसी भी दशा हो, उस भूमि के सम्बन्ध में, जो खातेदार के क़ब्ज़े में नहीं रह गई है, ऐसी उन्नति के लाभ का उतना ही और उसी प्रकार अधिकारी होगा जितना और जिस प्रकार उस उन्नति द्वारा ऐसी भूमि को अब तक लाभ पहुँचता रहा है।

असामी द्वारा की गई उन्नति के लिये प्रतिकर पाने का अधिकार।

१४९--(१) असामी को, जिसने गांव-सभा या क्षेत्रपति की, जैसी भी दशा हो, लिखित सहमति से कोई उन्नति की हो, निम्नलिखित दशाओं में, प्रतिकर पाने का अधिकार होगा :--

(क) जब (धारा १६५ या २०३ में उल्लिखित आधारों के अतिरिक्त) धारा २०० में उल्लिखित किसी आधार पर कोई बेदखली की डिक्री या आज्ञा हो गई हो;

(ख) जब वह गांव-सभा या अपने क्षेत्रपति (land-holder) द्वारा, जैसी भी दशा हो, अवैध रूप से बेदखल कर दिया गया हो और उसने अपने खाते पर क़ब्ज़ा वापस न पा लिया हो; या

(ग) जब वह खंड (क) में उल्लिखित आधारों में से किसी आधार पर बेदखली का भागी (liable to ejectment) हो जाने पर या अपने पट्टे की समाप्ति पर खाते को छोड़ दे।

(२) असामी को उस दशा में कोई प्रतिकर न दिया जाएगा जब उसने पूर्वोक्त लिखित सहमति के बिना कोई उन्नति की हो।

प्रतिकर की मात्रा का अवधारण।

१५०—उन्नति के लिये प्रतिकर की धनराशि अवधारित करते समय नीचे लिखी बातों पर ध्यान रक्खा जावेगा :—

(क) निर्माण की लागत,

(ख) निर्माण की दशा और वह अवधि, जिसमें खाते के मूल्य में उसके द्वारा वास्तविक वृद्धि होते रहने की सम्भावना हो,

(ग) निर्माण द्वारा खाते की उपज के मूल्य या परिमाण में होने वाली वृद्धि की मात्रा,

(घ) वह अवधि, जिसमें प्रतिकर मांगने वाला असामी उन्नति का लाभ उठा चुका हो, और

(ङ) पेड़ों की आयु, उनका वर्ग और उनसे हो सकने वाली आय।

१५०-क—(१) किसी असामी की बेदख़ली के लिए लाए गए किसी वाद या व्यवहार में, यदि उन्नति के लिए कोई प्रतिकर देय हो, तो न्यायालय बेदख़ली की कोई डिक्री या आज्ञा देने के पूर्व धारा १४९ के अधीन असामी को देय प्रतिकर की मात्रा निर्धारित करेगा।

(२) यदि प्रतिकर की मात्रा उस धनराशि से अधिक हो, जो खाते के सम्बन्ध में असामी से, यदि कोई वाद-व्यय देय हो तो उसके सहित, बकाया लगान के रूप में, चाहे उसकी डिक्री हुई हो या नहीं, वसूल की जा सकती हो, तो बेदख़ली की डिक्री या आज्ञा इस प्रतिबन्ध के साथ होगी कि क्षेत्रपति या गांव सभा उक्त काश्तकार द्वारा प्राप्य अवशेष (balance) ऐसे समय के भीतर, जो न्यायालय निर्दिष्ट कर दे, उस काश्तकार को दे दे।

(३) यदि प्रतिकर की मात्रा असामी से वसूल की जा सकने वाली उस धनराशि से अधिक न हो, जो उपधारा (२) में उल्लिखित है, तो उसकी बेदख़ली हो जाने पर यह समझा जायगा कि उक्त प्रतिकर का भुगतान हो गया और अवशेष (balance) धारा २०० (क) के निदेशों को बाधित न करते हुए उस असामी से वसूल किया जा सकेगा।

हस्तान्तरण

भूमिधर के स्वत्वों का अन्तरणीय होना।

१५१—इस अध्याय में आगे दिये गये प्रतिबन्धों को बाधित न करते हुए, भूमिधर का स्वत्व हस्तान्तरणीय (transforable) होगा।

सीरदार या असामी के स्वत्वों का अन्तरणीय न होना।

१५२—उस दशा को छोड़, जिसमें इस विधान द्वारा स्पष्ट रूप से अनुज्ञा दी गई हो, सीरदार या असामी का स्वत्व हस्तान्तरणीय न होगा (shall not be transforable)।

भूमिधर के अन्तरणाधिकार पर निरोध।

१५३—किसी भूमिधर को कोई भूमि विक्रय या दान द्वारा (पुण्यार्थ स्थापित संस्था से भिन्न) किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार न होगा, यदि ऐसा व्यक्ति उक्त विक्रय (sale) या दान (gift) के परिणामस्वरूप ऐसी भूमि का अधिकारी हो जाय, जो उस भूमि से मिलकर जो उसके पास, चाहे अकेले चाहे अपने अवयस्क पुत्र या अन्य अवलम्बी अथवा उसके साथ रहने वाली पत्नी या साथ रहने वाले पति के साथ, संयुक्त प्रान्त में ३० एकड़ से अधिक हो जाय।

भूमिधर का भूमि को बन्धक रखना।

१५४—कोई भूमिधर अपनी ऐसी भूमि का, जिसका वह भूमिधर हो, इस प्रकार का बन्धक न कर सकेगा, जिससे दिये गये या दिये जाने वाले रुपये की सुरक्षा के लिए बन्धक की हुई भूमि में बन्धकी को क़ब्ज़ा दिया जाता हो या भविष्य में दिया जाने वाला हो।

भूमि का लगान पर उठाया जाना।

१५५—उन दशाओं को छोड़, जिनकी व्यवस्था धारा १५६ में की गई है, किसी भूमिधर, सीरदार या असामी को किसी भी काल के लिये अपने खाते की कोई भूमि लगान पर उठाने का अधिकार न होगा।

अक्षम व्यक्ति का भूमि को लगान पर उठाना

१५६—(१) ऐसा भूमिधर या सीरदार जो—

(क) स्त्री,

(ख) अवयस्क (minor),

(ग) पागल या जड़,

(घ) ऐसा व्यक्ति जो अन्धेपन, दारुण रोग या अन्य शारीरिक निर्बलता के कारण खेती करने में अक्षम (incapable) हो,

(ङ) किसी स्वीकृत संस्था (recognised institution) में अध्ययन करता हो और २५ वर्ष से अधिक आयु का न हो,

(च) भारत की स्थल सेना, नौसेना या वायु-सेना सम्बन्धी सेवा में हो, अथवा

(छ) निरोधन (detention) या कारावास में हो अपना कुल खाता या उसका कोई भाग लगान पर उठा सकता है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई खाता एक से अधिक व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से हो और वे सभी खंड (क) से (छ) तक में उल्लिखित अक्षमताओं के अधीन न हों, किन्तु उनमें से एक या अधिक ही उक्त अक्षमताओं के अधीन हों तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को अधिकार है कि खाते में अपना अंश लगान पर उठा दें।

(२) यदि उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य (proviso) के अधीन खाते का कोई अंश लगान पर उठा दिया गया हो तो असामी या किसी खातेदार की प्रार्थना पर न्यायालय उठाने वाले का अंश अवधारित करके खाते का बटवारा कर सकता है।

पट्टे का निबन्धन।

न्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ में किसी बात ी, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये, या वर्षानुव from year to year), पट्टा रजिस्टर्ड करण (instrument) द्वारा अथवा नियत रीति से, किया जा सकता है।

धारा १५७ के अधीन पट्टे का निबन्धन न होना।

१५८—केवल इसलिये कि उसके सम्बन्ध में धारा १५७ के निदेशों का पालन नहीं हुआ है, धारा १६५ के प्रयोजनों के लिए किसी पट्टे के विषय में यह नहीं समझा जायगा कि वह इस विधान के निदेशों के प्रतिकूल हस्तान्तरण है।

स्वत्व के उत्तराधिकारी का पट्टे से बाध्य होना।

१५९—यदि कोई खाता धारा १५६ के निदेशों के अनुसार उठाया गया हो तो, भूमिधर या सीरदार के, जैसी भी दशा हो, स्वत्व का उत्तराधिकारी (successor-in-interest) पट्टे की शर्तों से जहां तक वे इस विधान के निदेशों के प्रतिकूल न हों, बाध्य होगा।

अदला-बदली।

१६०—(१) कोई भूमिधर या सीरदार अपनी उस भूमि को, जिसका वह भूमिधर या सीरदार हो, किसी अन्य भूमिधर या सीरदार से बदल सकता है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई बदलाई, जिसके परिणामस्वरूप उसके किसी फरीक की भूमि ३० एकड़ से अधिक हो जाय, वैध (valid) नहीं होगा।

(२) उपधारा (१) के अनुसार बदलाई होने पर बदले में मिली भूमि में वे ही अधिकार होंगे, जो बदले में दी गई भूमि में थे।

अदला-बदली से मालगुजारी पर प्रभाव न पड़ना।

१६१——इस प्रकार बदली गई भूमियों पर निर्धारित या उनके लिए देय मालगुजारी की धनराशि पर धारा १६० की किसी बात का प्रभाव नही होगा।

इस ऐक्ट के प्रतिकूल हस्तान्तरण।

१६२——(१) यदि किसी खाते या उसके भाग का हस्तान्तरण धारा १५३ के निदेशों के प्रतिकूल किया गया हो तो, वह व्यक्ति जिसके पक्ष में हस्तान्तरण हुआ हो, किसी विधि मे किसी बात के रहते हुए भी, गांव-सभा के वाद पर ऐसे खाते या भाग से बेदखल हो सकेगा और तब वह भूमि खाली भूमि हो जायगी, किन्तु इस धारा म कही गई कोई बात, देने से शेष रह गए कुल मूल्य या उसके भाग को वसूल करने के हस्तान्तरण कर्ता के अधिकार को, या जिसके पक्ष में हस्तान्तरण किया गया है उससे भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को यदि ऐसे खाते या भूमि के प्रति कोई दावा है तो उसके उस दावे को कार्यान्वित करने के लिये व्यवहार में लाने के अधिकार को, बाधित न करेगी।

(२) इस धारा के अधीन बेदखली के प्रत्येक वाद में हस्तान्तरणकर्ता फरीक बनाया जायगा।

भूमिधर द्वारा कब्जे सहित हस्तान्तरण का विक्रय समझा जाना।

१६३ [*] किसी भूमिधर द्वारा किया गया किसी खाते या उसके भाग का ऐसा हस्तान्तरण जिसके द्वारा उधार दिए गए या दिए जाने वाले रुपए की तथा वर्तमान या भविष्य ऋण की अदायगी को, या किसी ऐसे अनुबन्ध (engagement) के सम्पादन को जिससे कोई आर्थिक दायित्व उत्पन्न होता हो, सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिये हस्तान्तरणी को कब्जा हस्तान्तरित किया जाय, हस्तान्तरण के लेख्य में या समय विशेष पर किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी, सदा और सब प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसको हस्तान्तरण किया गया हो, विक्रय समझा जायगा और इस प्रकार के प्रत्येक विक्रय के विषय में धारा १५३ और १६२ के निदेश लागू होंगे।

धारा १५६ के प्रतिकूल पट्टे का परिणाम।

१६३-क——यदि धारा १५६ मे अभिदिष्ट भूमिधर से भिन्न कोई भूमिधर अपने खाते को या उसके किसी भाग को लगान पर उठा दे तो, किसी विधि, संविदा या पट्टे के लेख्य में किसी बात के रहते हुए भी, पट्टेदार——

[*] निकाल दिया गया।

(क) यदि उस भूमि को मिलाकर जो उसे लगान पर उठाई गई है उसके पास की कुल भूमि का क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक नहीं होता है तो उस भूमि का सीरदार हो जायगा और सीरदार हुआ समझा जायगा।

(ख) यदि उपरोक्त कुल भूमि का क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक होता है तो उस भूमि का क्रेता हो जायगा और क्रेता हुआ समझा जायगा तथा धारा १५३ और १६२ के निदेश आवश्यक परिवर्तनो के साथ उसको लागू होंगे।

इस अध्याय के प्रतिकूल हुए हस्तान्तरण का व्यर्थ होना।

१६४--[※] किसी सीरदार या असामी द्वारा या उसकी ओर से [※] इस अध्याय के निदेशों के प्रतिकूल किया गया प्रत्येक हस्तान्तरण व्यर्थ (void) होगा।

हस्तान्तरण के व्यर्थ होने के परिणाम।

१६५--यदि इस विधान के निदेशों के विरुद्ध किसी सीरदार या असामी ने कोई हस्तान्तरण किया हो तो, वह व्यक्ति जिसके पक्ष में हस्तान्तरण हुआ हो और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसने उस पूरे खाते या उसके भाग का इस प्रकार कब्जा प्राप्त कर लिया हो, गांव-सभा या क्षेत्रपति के, जैसी भी दशा हो, वाद पर बेदखल हो सकेगा।

धारा १६५ के अधीन हुई बेदखली के परिणाम।

१६६--धारा १६५ के अधीन वाद के फलस्वरूप सीरदार या असामी के बेदखल हो जाने पर खाते में या उसमें की गई किसी उन्नति में उक्त सीरदार या असामी के सभी अधिकार और स्वत्व तथा ऐसी उन्नति के लिये प्रतिकर पाने के भी अधिकार और स्वत्व समाप्त हो जायंगे।

उत्तराधिकार

भूमिधर द्वारा वसीयत

१६७--(१) उपधारा (२) में की गई व्यवस्था की दशा को छोड़ कोई भी भूमिधर अपने खाते या उस किसी भाग की दित्सा (वसीयत) कर सकता है (bequeath by will)।

१६७--(२) कोई ऐसा भूमिधर जो किसी खाते या उसके भाग में किसी विधवा पत्नी, माता, सौतेली माता, पितामह, पितामही, अविवाहित पुत्री या अविवाहित बहिन के अधिकार के आधार पर अधिकार रखता हो, ऐसे खाते या भाग की दित्सा (वसीयत) नहीं कर सकता।

(३) उपधारा (१) के निदेशों के अधीन की जाने वाली प्रत्येक दित्सा (वसीयत) किसी विधि, आचार (custom) या व्यवहृत (usage) में किसी बात के रहते हुए भी, लिखित, और दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत, होगी।

[※] निकाल दिया गया।

सीरदार और असामी द्वारा वसीयत।

१६८--किसी सीरदार या असामी को अपने खाते या उसके भाग की दित्ता (वसीयत) करने का अधिकार नहीं होगा।

उत्तराधिकार का सामान्य-क्रम।

१६९--यदि कोई पुरुष भूमिधर, सीरदार या असामी मर जाय तो उसके खाते में उसके स्वत्व का उत्तराधिकार धारा १६७ और १७१ के निदेशों को वाधित न करते हुए, निम्नलिखित क्रम से होगा :--

(क) पुरुष जातीय वंशानुक्रम में पुंसन्तति (male lineal descendants in the male line of descent),

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पिता से पूर्व मरे हुए पुत्र के पुत्र या पुत्रों को, वे चाहे जितनी नीची पीढ़ी में हों, वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा, जो मृतक को, यदि वह उस समय जीवित होता, मिलता।

(ख) विधवा पत्नी,

(ग) पिता,

(घ) विधवा माता,

(ङ) [*]

(च) पितामह (father's father),

(छ) विधवा पितामही (father's mother),

(ज) पुरुष जातीय वंशानुक्रम में पुंसन्तति में से किसी की विधवा (widow of male lineal descendant in the male line of descent),

(ज ज) विधवा सौतेली माता,

(झ) अविवाहिता पुत्री,

(ञ) नवासा (daughter's son),

(ट) भाई अर्थात् मृतक के पिता का पुत्र,

(ठ) अविवाहिता बहिन,

(ड) भतीजा अर्थात् मृतक के पिता के पुत्र का पुत्र,

(ढ) पितामह का पुत्र,

(ढ ढ) भाई का पौत्र,

(ण) पितामह का पौत्र।

विधवा पत्नी, माता पुत्री इत्यादि के रूप में उत्तराधिकार पाने वाली स्त्री के विषय में उत्तराधिकार क्रम।

१७०--(१) यदि कोई भूमिधर, सीरदार या असामी, जिसे स्वत्वाधिकार के दिनांक के [*] बाद किसी खाते में विधवा पत्नी, माता, सौतेली माता, पितामही, अविवाहिता पुत्री या अविवाहिता बहिन के नाते उत्तराधिकार मिला हो, मर जाय, विवाह कर ले या ऐसे

[*] निकाल दिया गया।

खाते अथवा उसके किसी भाग का परित्याग कर दे (abandons) या समर्पण कर दे (surrenders) तो, ऐसा खाता या भाग अंतिम पुंजातीय (male) भूमिधर, सीरदार या असामी के ऐसे निकटतम जीवित उत्तराधिकारी (nearest surviving heir) को मिलेगा, जो ऐसा व्यक्ति न हो जिसे पितामह के रूप में उत्तराधिकार मिला हो; ऐसा उत्तराधिकारी धारा १६९ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा।

(२) यदि कोई भूमिधर या सीरदार जिसने स्वत्वाधिकार के दिनाक से पहले किसी खाते में कोई स्वत्व विधवा पत्नी, माता, सौतेली माता, पितामही, पुत्री, बहिन या सौतेली बहिन के नाते उत्तराधिकार में पाया हो—

(क) मर जाय और ऐसा भूमिधर या सीरदार उपर्युक्त दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर उक्त खाते के अन्तर्गत भूमि का मध्यवर्ती रहा हो, या वह खाता उसके पास शरह मुअय्यन काश्तकार या अवध में साकितुलमिल्कियत अथवा दखीलकार काश्तकार या अवध मे विशेष शर्तो वाले काश्तकार के नाते रहा हो, और

(१) वह अपनी व्यक्तिगत विधि (personal law) के अनुसार खाते में केवल आजीवन स्वत्व की अधिकारिणी रही हो तो, खाता उत्तराधिकार में अन्तिम पुंजातीय मध्यवर्ती या अंतिम पुंजातीय पूर्वोक्त प्रकार के काश्तकार के सब से निकटतम जीवित उत्तराधिकारी को मिलेगा, ऐसा उत्तराधिकारी धारा १६९ के निदेशो के अनुसार निश्चित किया जायगा, और यदि

(२) वह अपनी व्यक्तिगत विधि के अनुसार खाते में पूर्ण स्वत्व की अधिकारिणी रही हो तो खाते का उत्तराधिकार धारा १७२ में उल्लिखित क्रम के अनुसार चलेगा।

(ख) मर जाय, विवाह करले या ऐसे खाते का परित्याग या समर्पण करदे तो उपर्युक्त दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर खाता ऐसे भूमिधर या सीरदार के पास, खंड (क) में अभिदिष्ट मध्यवर्ती या काश्तकार के नाते न होकर और किसी प्रकार रहा हो तो खाता उत्तराधिकार मे ऐसे अंतिम पुंजातीय काश्तकार को मिलेगा, जो ऐसा

व्यक्ति न हो, जिसे पितामह के रूप में उत्तराधिकार मिला हो, ऐसा उत्तराधिकार धारा १६९ के निदेशो के अनुसार निश्चित किया जायगा।

(३) उपधारा (१) के निदेश आवश्यक परिवर्तन के साथ उस असामी को भी लागू होग जिसन स्वत्वाधिकार के दिनाक से पहले खाता उत्तराधिकार में पाया हो।

(४) उपधारा (१) की कोई ऐसी बात ऐसे व्यक्ति को लागू नही होगी जिसे धारा १७२ के निदेशो के अधीन किसी खाते म किसी स्वत्व का उत्तराधिकार मिला हो।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनो के लिये अंतिम पुंजातीय भमिधर, सीरदार या असामी पद के अन्तर्गत, जैसी भी दशा हो, अतिम पुंजातीय काश्तकार बागदार, अवध मे दवामी पट्टदार, माफीदार या सीरदार अथवा खुदकाश्त रखन वाला व्यक्ति भी है।

पितामह को उत्तराधिकार मिले खाते के सम्बन्ध में उत्तराधिकार का क्रम।

१७१---यदि कोई भूमिधर, सीरदार या असामी, जिसको स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले या बाद किसी खाते में पितामह के रूप में स्वत्व का उत्तराधिकार मिला हो, मर जाय या ऐसे खाते का या उसके भाग का परित्याग या समर्पण कर दे (abandons or surrenders) तो ऐसा खाता या उसका भाग उत्तराधिकार में ऐसे अन्तिम पुंजातीय भूमिधर, सीरदार या असामी के, जिससे ऐसे पितामह ने खाते में स्वत्व का उत्तराधिकार पाया हो, निकटतम जीवित उत्तराधिकारी को मिलेगा। ऐसा उत्तराधिकारी धारा १६९ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा।

अन्य प्रकार से स्वत्व पाने वाली स्त्री के सम्बन्ध में उत्तराधिकार का क्रम।

१७२---यदि कोई स्त्री जातीय भूमिधर, सीरदार या असामी (धारा १६९ या १७० में उल्लिखित भूमिधर, सीरदार या असामी से भिन्न) मर जाय तो खाते में उसका स्वत्व निम्नलिखित क्रम से उत्तराधिकार में जायगा :---

(क) पुंजातीय वंशानुक्रम में पुंसन्तति (male lineal descendants in the male line of descent):

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पिता से पूर्व मरे हुए पुत्र के पुत्र या पुत्रो को, वे चाहे जितनी नीची पीढ़ी में हो, वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा जो मृतक को, यदि वह उस समय जीवित होता, मिलता।

(ख) पति,

(ग) पुंजातीय वंशानुक्रम में किसी पुंसन्तति की विधवा,

(घ) पुत्री,

(ङ) पुत्रिका-पुत्र, (daughter's son)
(च) भाई
(छ) भाई का पुत्र,
(ज) बहिन,
(झ) बहिन का पुत्र (sister's son)।

गलितांश द्वारा स्वत्व का संक्रमण।

१७३--[*] यदि कोई विधवा सपत्नी या सहखातेदार (co-tenure-holder) इस विधान के निदेशों के अधीन कोई उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर जाए, तो ऐसे खाते में उसका स्वत्व गलितांश रूप में संक्रमित होगा (shall pass by survivorship)।

(२) [*]

बंटवारा

भूमिधर या सीरदार के खाते का बंटवारा योग्य होना।

१७४--(१) भूमिधर और सीरदार अपने खाते के बंटवारे का वाद प्रस्तुत कर सकते हैं (may sue)

(२) ऐसे प्रत्येक वाद में उससे सम्बन्ध रखने वाली गांव-सभा फरीक बनाई जायगी।

१७५--[*]
१७६--[*]
१७७--[*]
१७८--[*]
१७९--[*]

कई खातों के बंटवारे का एक ही वाद।

१८०--यदि वाद के सब फरीक प्रत्येक खाते में संयुक्त रूप से स्वत्व रखते हों, तो एक से अधिक खाते के बँटवारे के लिए केवल एक वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

खाते का विक्रय

१८१--(१) उस दशा को छोड़ जिसकी व्यवस्था उपधारा (३) में की गई है, यदि बटवारे के किसी वाद में न्यायालय इस परिणाम पर पहुंचे, कि

(क) बटवारा किए जाने वाले खाते या खातों का कुल क्षेत्रफल (Aggregate Area) ६.१/४ एकड़ से अधिक नहीं है, या

(ख) बंटवारे का परिणाम यह होगा कि कोई खाता ६.१/४ एकड़ से कम बन जाएगा, तो खंड (क) में आने वाली दशाओं में, खाते या खातों को बांटने की कार्यवाही करने के स्थान पर यह निर्देश करेगा कि वे बेच दिए जायं और उनके विक्रय से मिला धन बांट दिया जाय, और, खंड (ख) में आने वाली दशाओं में, या तो वाद को खारिज कर देगा या खाते को ऐसे सिद्धांतों के अनुसार, जो नियत किये जायं, बांट देगा।

[*] निकाल दिया गया।

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाए गए नियम उन परिस्थितियों को नियत करेंगे जिनमें किसी सहखातेदार को खाते में उसके अंश के स्थान पर प्रतिकर दिया जा सके और ऐसे सहखातेदार को गांव-सभा द्वारा धारा १९४ के निदेशों के अधीन भूमिठाई जा सके।

(३) उस खातेदार के विषय में, जिसे धारा १५६ के निदेश लागू होते हो, और जिसने खाते मे अपना अंश या उसका कोई भाग दूसरे को उठा दिया हो तथा ऐसे सह-खातेदार के विषय मे, जिसने इस विधान के या संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ के निदेशों के अधीन यथावत् खाते के केवल एक अंश के सम्बन्ध में ही भूमिधरी अधिकार प्राप्त किये हों, न्यायालय बांट कर उक्त अंश को अलग कर देगा किंतु जहां शेष खाते का सम्बन्ध है यदि इस धारा के निदेश लागू हों, तो उनके अनुसार न्यायालय कार्यवाही करेगा।

बेचे जाने वाले खाते का मूल्यांकन।

१८२—यदि न्यायालय ने धारा १८१ के अधीन खाते या खातों के विक्रय की आज्ञा दी हो, तो वह ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, आज्ञा के द्वारा उनका मूल्यांकन (valuation) कराएगा और फिर इस प्रकार निश्चित किए गए मूल्य पर उन सहखातेदारों को क्रयाधिकार के ऐसे तारतम्य (order of preference) के अनुसार, जो नियत किया जाए, मोल लेने को कहेगा।

क्रयाधिकार तारतम्य।

१८३—यदि दो या अधिक ऐसे सहखातेदार, जिन्हें तारतम्य के अनुसार बराबर का क्रयाधिकार हो, मोल लेने की अलग-अलग इच्छा प्रकट करें, तो न्यायालय उसे उनमें से ऐसे के हाथ बेचने की आज्ञा देगा, जो धारा १८२ के अधीन निश्चित किए गए मूल्य से ऊपर सब से अधिक मूल्य पर मोल लेने को तैयार हो।

धारा १८३ के अधीन क्रय न करने पर विक्रय।

१८४—यदि कोई भी अंशधर (share-holder) धारा १८२ के अधीन निश्चित किए गए मूल्य या उससे अधिक पर मोल लेने को तैयार न हो तो न्यायालय उसे ऐसे अंशधर के हाथ बेच दिए जाने की आज्ञा देगा, जो सब से अधिक मूल्य देने को तैयार हो।

विक्रय की प्रक्रिया।

१८५—उस दशा को छोड़कर जिसके विषय में इससे पहले व्यवस्था की गई है, यदि किसी खाते के सम्बन्ध में [*] धारा १८१ के अधीन दी हुई आज्ञा के अनुसार बेचने की आज्ञा दी गई हो तो न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो नियत की जाय।

समर्पण, परित्याग, समाप्ति और उपार्जन

सीरदार द्वारा खाते का समर्पण (surrender)।

१८६——चाहे खाता लगान पर उठा हो या नहीं, उसका कब्जा छोड़कर तहसीलदार को लिखित प्रार्थना-पत्र देकर और गांव-सभा को अपने ऐसे विचार का लिखित नोटिस देकर सीरदार अपने खाते या उसके किसी भाग का समर्पण कर सकता है।

१८७——असामी गांव-सभा या क्षेत्रपति को, जैसी भी दशा हो, अपने ऐसे विचार का लिखित नोटिस देकर और खाते का कब्जा छोड़कर अपने कुल खाते का समर्पण कर सकता है, परन्तु उसके केवल भाग का नहीं।

१८८——यदि सीरदार या असामी १ अप्रैल से पूर्व प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत न करे या नोटिस न दे तो, वह समर्पण करने पर भी समर्पण के दिनांक से ठीक बाद के कृषि वर्ष के लिये उस खाते की मालगुजारी या लगान का, जैसी भी दशा हो, देनदार होगा।

असामी द्वारा खाते का समर्पण।

१८९-[*](१) यदि किसी सीरदार ने, (जो अवयस्क, पागल या जड़ न हो) या किसी असामी ने अपना खाता लगातार दो कृषि वर्षों तक कृषि, फलोत्पादन या पशु-पालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये काम में न लाया हो, तो गांव-सभा या क्षेत्रपति तहसीलदार को प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि ऐसे सीरदार या असामी को, जैसी भी दशा हो, इस आशय का नोटिस दिया जाय कि वह इस बात का कारण दिखलावे कि उक्त खाता परित्यक्त क्यों न माना जाय।

(२) उक्त प्रार्थना-पत्र में ऐसे ब्योरे होंगे, जो नियत किए जायं।

(३) यदि तहसीलदार इस निर्णय पर पहुंचे कि प्रार्थना-पत्र यथावत् दिया गया है, तो वह सीरदार या असामी पर, नियत किये जाने वाले आकार में एक नोटिस तामील करवा के या नियत रीति से प्रकाशित करा के उसे निश्चित किये जाने वाले दिनांक पर उपस्थित होने के लिये, और इस बात का कारण प्रकट करने के लिये, आदेश देगा कि उक्त खाता परित्यक्त क्यों न समझा जाय।

(४) यदि नोटिस के उत्तर में सीरदार या असामी उपस्थित न हो या उपस्थित हो पर उसका प्रतिवाद न करे, तो तहसीलदार खाते को परित्यक्त (abandoned) प्रख्यापित कर देगा और तदुपरान्त, उस दशा को छोड़ जिसकी व्यवस्था धारा १७० और १७१ में की गई है, खाते के विषय में यह समझा जायगा कि वह खाली भूमि है। [*] निकाल दिया गया।

अक्षय सीरदार की में असामी जोत की स्वीकृति।

१८९—(क) यदि किसी ऐसे सीरदार ने, जो अवयस्क, पागल या जड हो, अपना खाता लगातार दो कृषि वर्षों तक कृषि, फलोत्पादन या पशुपालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये काम मे न लाया हो, तो सीरदार और उसके अभिरक्षक (guardian) को नोटिस देने और ऐसी जांच के बाद, जो नियत की जाय, तथा पूर्वोक्त दो वर्षो की समाप्ति के बाद गाव सभा, किसी विधि मे किसी बात के रहते हुए भी, उक्त खाते के अन्तर्गत भूमि उक्त सीरदार की ओर से किसी व्यक्ति को असामी के रूप मे ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर जो नियत की जायं, उठा सकती और इस विधान के ऐसे सब निदेश, जो धारा १०४ के खड (ख) मे उल्लिखित वर्ग के असामी को लागू होते है, उसे भी उसी प्रकार लागू होंगे, मानो उक्त भूमि उसे स्वय सीरदार द्वारा उठा दी गई हो।

पारत्यक्त जोत में प्रवेश।

१८९ (ख) धारा १८९ या १८९-क के निदेशो के प्रतिकूल खाते पर कब्जा कर लेने वाली गाव-सभा या क्षेत्रपति के विषय मे यह समझा जायगा कि उसने खातेदार को इस प्रकार बेदखल कर दिया है जो इस विधान के निदेशो के अनुकूल (otherwise than in accordance with) नही है।

भूमिधर के स्वत्व की समाप्ति(extinction)

१९०—भूमिधर के खाते या उसके किसी भाग में उसका स्वत्व निम्नलिखित दशाओ में समाप्त हो जायगा:—

(क) यदि वह कोई दिसा (वसीयत) किए बिना और इस विधान के निदेशो के अनुसार उत्तराधिकार का कोई अधिकारी छोड़े बिना मर जाय.

(ख) यदि खाते के अन्तगत भूमि, भूमि हस्तगत करने (acquisition of land) से सम्बन्ध रखने वाली समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अनुसार हस्तगत कर ली गई हो, या

(ग) यदि वह क़ब्जे से रहित कर दिया गया हो और क़ब्ज़ा वापस लेने का उसका अधिकार अवधि-बाधित (barred by limitation) हो गया हो। [*]

(घ) [*]

सीरदार के स्वत्व की समाप्ति (extinction)।

१९१—(१) धारा १७० और १७१ के निदेशो को बाधित न करते हुए किसी खाते या उसके भाग में सीरदार का स्वत्व निम्नलिखित दशाओ म समाप्त हो जायगा :—

[*] निकाल दिया गया।

(क) यदि वह इस विधान के निदेशों अनुसार उत्तराधिकार का कोई अधिकारी छोड़े बिना मर जाय,

(ख) यदि खाता धारा १८९ के निदेशों के अनुसार परित्यक्त प्रख्यापित हो गया हो,

(ग) यदि वह अपने खाते या उसके भाग का समर्पण कर दे,

(घ) भूमि हस्तगत करने से सम्बन्ध रखने वाली, समय विशेष पर प्रचलित, किसी विधि के अनुसार यदि खाते के अन्तर्गत भूमि हस्तगत कर ली गई हो,

(ङ) यदि इस विधान के निदेशों के अनुसार उसकी बेदखली हो गई हो, या

(च) यदि वह कब्जे से रहित कर दिया गया हो और क़ब्ज़ा वापस लेने का उसका अधिकार अवधिवाधित हो गया हो,

(२) उपधारा (१) के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ असामियों को भी लागू होंगे।

विलय

असामी के स्वत्व की समाप्ति।

१९२—किसी भूमिधर या सीरदार के अधिकार, आगम और स्वत्व के समाप्त होने पर, उसके अधीनस्थ (holding under him) असामी का भी स्वत्व समाप्त हो जायगा।

१९२-क—यदि पूरे खाते मे असामी का स्वत्व तथा भूमिधर या सीरदार का स्वत्व एक ही व्यक्ति के स्वत्वाधिकार में, अधिकार के अधीन (in the same right) आ जायं तो खाते में असामी का स्वत्व समाप्त हो जायगा।

सीरदार या असामी के स्वत्व समाप्त होने पर उसके अधिकार और दायित्व।

१९२-ख—सीरदार या असामी का स्वत्व समाप्त हो जाने पर उसे अपना खाता छोड़ देना पड़ेगा और उस दशा को छोड़ कर जिसमें उसका स्वत्व, भूमि हस्तगत करने से सम्बन्ध रखने वाली, समय विशेष पर प्रचलित, किसी विधि के निदेशों के अधीन या अनुसार समाप्त हुआ हो, उसे खाते पर विद्यमान खड़ी फसल और किसी निर्माण को हटा ले जाने के सम्बन्ध में वही अधिकार होगा, जो उसे इस विधान के निदेशों के अधीन बेदखल हो जाने पर होता।

स्वत्वों की समाप्ति पर भूमि का गांव सभा द्वारा ले लिया जाना।

१९३—निम्नलिखित अवस्थाओं म गांव-सभा को किसी खात या उसके भाग के अन्तर्गत भूमि पर क़ब्ज़ा कर लेने का अधिकार होगा जहां :—

(क) भूमि किसी भूमिधर के पास रही हो और ऐसी भूमि में उसका स्वत्व धारा १९० के खंड (क) के अधीन समाप्त हो गया हो,

(ख) भूमि किसी सीरदार के पास रही हो और ऐसी भूमि में सीरदार का स्वत्व धारा १९१ के खंड (क), (ख), (ग) या (ङ) के अधीन समाप्त हो गया हो, या

(ग) धारा १३३ में उल्लिखित किसी वर्ग के अन्तर्गत कोई भूमि असामी के पास रही हो और असामी बेदखल हो गया हो या उसका स्वत्व इस विधान के निदेशों के अनुसार किसी अन्य प्रकार से समाप्त हो गया हो।

भूमि का उठाया जाना

१९४—गांव-सभा को अधिकार होगा कि धारा १३३ में उल्लिखित वर्गों की भूमि को छोड़ कोई भूमि किसी व्यक्ति को सीरदार के रूप में उठा दे, यदि

(क) भूमि खाली भूमि हो,

(ख) भूमि धारा ११७ के अधीन गांव-सभा के स्वत्वाधिकार में हो (is vested in the Gaon Sabha), या

(ग) भूमि धारा १९३ के, या इस विधान के किसी दूसरे निदेश के, अधीन गांव-सभा के कब्जे में आ गई हो।

कुछ दशाओं के मध्यवर्तियों का सीरदार के साथ में जमीन उठा देना।

१९४-क—यदि कोई भूमि धारा १५ की उप-धारा (२) के खंड (ख) के उपखंड (२) के अधीन खाली हो जाय और ऐसी भूमि स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी ऐसे मध्यवर्ती के स्वामित्व में रही हो, जिसकी सीर में धारा १३ के अधीन मौरूसी अधिकार उत्पन्न हो गए हों तो गांव-सभा ऐसे मध्यवर्ती की प्रार्थना पर प्रार्थी को ऐसी भूमि या उसका भाग सीरदार के रूप में उठा देगी, किन्तु प्रार्थी भूमि के इस प्रकार उठाए जाने के परिणाम स्वरूप ऐसी भूमि का अधिकारी न होगा, जो उस भूमि से मिल कर, जो उसके पास हो, संयुक्त प्रान्त में ५० एकड़ से अधिक हो जाय।

धारा १३३ में उल्लिखित भूमि का उठाया जाना।

१९५—गांव-सभा को अधिकार होगा कि धारा १३३ में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग की भूमि किसी व्यक्ति को असामी के रूप में उठा दे, यदि

(क) भूमि खाली भूमि हो,

(ख) भूमि गांव-सभा के स्वत्वाधिकार में हो, या

(ग) भूमि धारा १९३ के, या इस विधान के किसी दूसरे निदेश के अधीन गांव-सभा के क़ब्जे में आ गई हो।

१९६—(१) धारा १९४ या १९५ के अधीन किसी व्यक्ति को सीरदार या असामी के रूप में भूमि उठाते समय गांव-सभा, धारा १८१ या २२४ के अधीन बने नियमों या न्यायालय की आज्ञा को बाधित न करते हुए, निम्नलिखित तारतम्य (order of preference) का अनुसरण रखेगी :—

धारा १९४ और १९५ के अधीन भूमि उठाने में व्यक्तियों का तारतम्य।

(क) इस विधान के अधीन स्थापित ऐसी सहकारी खेती संस्था (co-operative farm) जिसके पास उस गांव-सभा के अधिक्षेत्र में की भूमि हो, ताकि उसके क़ब्ज़े में कृषि सम्बन्धी या खेती-योग्य पर्याप्त भूमि आ सके,

(ख) ऐसा भूमिधर जिसे धारा १९ की उपधारा (२) या धारा १४३ लागू होती हो और जिसके पास उस मंडल में ६ १/४ एकड़ से कम क्षेत्रफल की भूमि हो,

(ख ख) उन भूमिधरों से भिन्न जिन्हें खण्ड (ख) लागू होता हो ऐसे खातेदार जिनके पास उस मंडल में ६ १/४ एकड़ से कम क्षेत्रफल की भूमि हो,

(ग) उस मंडल में रहने वाला ऐसा मजदूर जिसके पास कोई भूमि न हो, और

(घ) कोई दूसरा व्यक्ति।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन दशाओं में जिन्हें खण्ड (ख) और खण्ड (ख ख) लागू होते हों, ऐसे खातेदार को केवल उतनी ही भूमि मिलेगी जितनी उसके पास की कुल भूमि के क्षेत्रफल को ६ १/४ एकड़ कर देने के लिए पर्याप्त हो।

(२) जो व्यक्ति गांव-सभा द्वारा उपधारा (१) के अधीन दी गई आज्ञा से असंतुष्ट हो वह परगना अधिकारी के सामने अपील कर सकता है, परगना अधिकारी अपील की ऐसी रीति से सुनवाई और निर्णय करेंगे, जो नियत की जाय।

बेदखली

१९७—कोई भी भूमिधर बेदख़ल नहीं हो सकेगा।

भूमिधर का बेदखल न हो सकना

१९८—उस दशा को छोड़, जिसकी व्यवस्था इस ऐक्ट में की गई है, कोई सीरदार या असामी अपने खाते से बेदख़ल नहीं हो सकेगा।

सीरदार और असामी की बेदखली।

१९९—धारा १६५, २०३ या २०९ में उल्लिखित किसी आधार पर और गांव-सभा के वाद पर सीरदार की बेदख़ली उसके खाते से हो सकेगी।

सीरदार की बेदखली की प्रक्रिया।

२००—धारा २१६ और ३०७ के निदेशों को बाधित न करते हुए, असामी की बेदखली उसके खाते से क्षेत्रपति के वाद प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित आधार या आधारों पर हो सकेगी :—

(क) जो धारा १६५, १९२ या २०३ में उल्लिखित हैं,

(ख) कि वह धारा १३४ के खंड (क) के उपखंड [१], [२], (२ क), [५] और [६] या खंड (ग) में उल्लिखित किसी वर्ग का है और उसके पास भूमि वर्षानुवर्ष क्रम से है या [*] उसकी अवधि बीत गई है, या प्रचलित (current) कृषि-वर्ष के अन्त के पूर्व बीत जायगी,

(ग) कि वह धारा १३४ के खंड (क) के उपखंड [३] में उल्लिखित वर्ग का है और बन्धक सम्बन्धी ऋण की भरपाई हो गई है,

(घ) कि वह धारा १३४ के खंड (क) के उपखंड [४] में उल्लिखित वर्ग का है और भरण-पोषण की वृत्ति (maintenance allowance) पाने का उसका अधिकार अब विद्यमान नहीं रह गया है (does not any longer subsist),

(ङ) कि वह धारा १३४ के खंड (क) के उपखंड [७] में उल्लिखित वर्ग का है और खेतों की फसलों का पैदा करना असम्भव हो गया है,

(च) कि वह धारा १३४ के खंड (ख) में उल्लिखित वर्ग का है और

(१) क्षेत्रपति भूमि को अपनी निज जोत में लेना चाहता है और उन दशाओं में जहां पट्टा एक निश्चित अवधि के लिए हो, यह कि ऐसी अवधि बीत गई है, या

(२) अक्षमता (disability) का अन्त हो गया है।

(छ) कि वह धारा १३४ के खंड (क) के उपखंड (८) में उल्लिखित वर्ग का है और धारा १५ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) में उल्लिखित अवधि बीत गई है

(ज) कि उसके विरुद्ध कोई ऐसी बकाया लगान की डिक्री है जिसके रुपए का भुगतान अभी नहीं हुआ है और ऐसी डिक्री बेदखली द्वारा निष्पादित की जा सकती है।

बेदखली होने पर फसल और पेड़ सम्बन्धी अधिकार

२००-क—(१) यदि (धारा २०६ के अधीन दी गई डिक्री से भिन्न) किसी डिक्री के, या दखल होने की आज्ञा के निष्पादन में न्यायालय को इस बात का संतोष हो जाय कि उस भूमि पर, जिसकी दखलदिहानी होने को है,

कोई ऐसी बिना बटोरी फसल या पेड़ विद्यमान है, जो वादऋणी (judgment debtor) की संपत्ति है, तो डिक्री या आज्ञा का निष्पादन करने वाला न्यायालय, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में किसी बात के रहते हुए भी, निम्नलिखित रीति से कार्यवाही करेगा :—

(क) यदि धारा १५० के अधीन निर्धारित प्रतिकर, यदि कोई हो, घटाने के बाद वादऋणी से प्राप्य धनराशि ऐसी फसलों या पेड़ों के मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो तो न्यायालय गांव-सभा या क्षेत्रपति को, जैसी भी दशा हो, उक्त भूमि पर क़ब्ज़ा फसलों और पेड़ों के साथ दिलवा देगा और ऐसी फसलों या पेड़ों में वादऋणी के समस्त अधिकार डिक्रीदार को संक्रमित हो जायगे।

(ख) यदि धारा १५० के अधीन निर्धारित प्रतिकर, यदि कोई हो, घटाने के बाद, वादऋणी से प्राप्य धनराशि ऐसी फसलों या पेड़ों के मूल्य से कम हो, और

[१] गांव-सभा या क्षेत्रपति ऐसी धनराशि और मूल्य का अन्तर वादऋणी को दे दे तो न्यायालय तत्संबंधी गांव-सभा या क्षेत्रपति को खाते पर दखल दे देगा और ऐसी फसलों या पेड़ों में वाद ऋणी के समस्त अधिकार डिक्रीदार को संक्रमित हो जायंगे;

[२] गांव-सभा या क्षेत्रपति ऐसे अन्तर को न दे तो वादऋणी को अधिकार होगा कि एसी फसलों या पड़ों को या ऐसे पेड़ों के फलों को, जब तक ऐसी फसलें या पेड़ बटोर कर हटा न लिए जायं या नष्ट न हो जायं या काट न डाले जायं, जैसी भी दशा हो, भूमि के उपयोग और दखल के लिए ऐसा प्रतिकर देकर, जो न्यायालय निश्चित करे, पाले पोसे, बटोरे या हटा ले जाय।

(२) बेदखली की डिक्री या आज्ञा का निष्पादन करने वाला न्यायालय, किसी फरीक की प्रार्थना पर फसलों और पेड़ों का मूल्य, तथा उपधारा (१) के खण्ड (ख) के निदेशों के अधीन वादऋणी द्वारा देय प्रतिकर, अवधारित कर सकता है।

धारा २०० के अधीन बेदखली के वाद का न प्रस्तुत होना या ऐसे वाद में मिली डिक्री का निष्पादित न होना।

२०१—यदि उसके लिए नियत अवधि के भीतर किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसे असामी की बेदखली का कोई वाद जिसे धारा १३४ के खंड (क) के उपखंड [१] से [४] तक में से कोई या खंड (ख) लागू होता हो, प्रस्तुत न हुआ हो या ऐसे वाद में हुई डिक्री निष्पादित न हुई हो, तो ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर असामी ऐसी भूमि का [*] सीरदार, [*] हो जायगा।

धारा २०० के अधीन बेदखली के परिणाम।

२०२—यदि धारा २०० के खंड (a) (१) में उल्लिखित किसी आधार पर असामी अपने खाते से बेदखल हो गया हो तो बेदखली के दिनांक से दो वर्ष के भीतर क्षेत्रपति किसी व्यक्ति को उस खाते का पट्टा नहीं देगा।

इस ऐक्ट के निदेशों के प्रतिकूल भूमि को काम में लाने पर बेदखली।

२०३—कृषि, फलोत्पादन या पशुपालन से संबंध रखनेवाले प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन में भूमि का उपयोग करने के कारण सीरदार या असामी गांव-सभा या क्षेत्रपति (land-holder) के, जैसी भी दशा हो, वाद पर बेदखल हो सकेगा और उसको ऐसी क्षतिपूर्ति (damages) भी देनी होगी, जो उस भूमि को उक्त प्रयोजनों के लिये फिर से उपयुक्त बनाने के लिये आवश्यक कार्यों पर होनवाले व्यय के बराबर हो।

धारा २०३ के अधीन बेदखली की डिक्री।

२०४—(१) परिस्थितियों का ध्यान रखते हुये धारा २०३ के अधीन बेदखली की किसी डिक्री में न्यायालय यह निर्देश कर सकता है कि सीरदार या असामी की बेदखली कुल खाते से की जाय या उसके किसी भाग से।

(२) डिक्री में यह भी निर्देश रहेगा कि यदि सीरदार या असामी डिक्री के दिनांक से ठीक बाद के तीन मास के भीतर क्षति को ठीक कर दे, तो डिक्री वाद-व्यय (costs) के अतिरिक्त और किसी बात के लिये निष्पादित (executed) नहीं की जायगी।

क्षति या ह्रास ठीक करने के लिए या उसके निमित्त प्रतिकर दिलाये जाने के लिए वाद।

२०५—धारा २०३ में किसी बात के रहते हुए भी गांव-सभा या क्षेत्रपति को अधिकार होगा कि बेदखली का वाद न लाकर निम्नलिखित विषय में वाद प्रस्तुत कर सके:—

(क) प्रतिकर सहित या प्रतिकर बिना समादेश (injunction) के लिये, या

(ख) खाते की भूमि की क्षति (damage) या ह्रास (wast) के ठीक करा पाने के लिये (for repairs)

भूमि पर अागम बिना काबिज व्यक्ति का बेदखली।

२०६—यदि कोई व्यक्ति समय विशेष पर प्रचलित विधि के निदेशों के अनुकूल, और (otherwise than in accordance)

(क) जहां भूमि किसी भूमिधर, सीरदार या असामी के खाते का भाग हो, वहां ऐसे भूमिधर, सीरदार या असामी की सहमति बिना,

---

निकाल दिया गया है।

(ख) जहां भूमि किसी भूमिधर, सीरदार या असामी के खाते का भाग न हो, वहां गांव-सभा की सहमति बिना, किसी भूमि पर क़ब्जा कर ले या अपना क़ब्जा रखे रहे तो वह भूमिधर, सीरदार, असामी या गांव-सभा के, जैसी भी दशा हो, वाद पर बेदखल हो सकेगा और क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा।

भूमि पर आगम बिना काबिज व्यक्ति की बेदखली।

२०७—यदि तत्सम्बन्धी अवधि के भीतर धारा २०६ के अधीन वाद प्रस्तुत न किया जाय या ऐसे वाद में हुई डिक्री निष्पादित न की जाय, तो कब्जा कर लेने या रक्खे रहने वाला व्यक्ति।

धारा २०० के अधीन वाद का न प्रस्तुत होना या उसके अधीन मिली डिग्री का निष्पादन न होना।

(क) [*]

(१) जहां भूमि भूमिधर या सीरदार के खाते की भूमि का भाग हो, उसका सीरदार हो जायगा और ऐसी भूमि पर यदि कोई असामी हो तो उसके अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायंगे;

(२) यदि भूमि गांव-सभा की ओर से क़ब्जा रखने वाले किसी असामी के खाते का भाग हो, उसका असामी हो जायगा।

(३) ऐसी दशा में जहां धारा २०६ के खण्ड (ख) के निदेश लागू होते हों, [*] सीरदार या असामी हो जायगा, मानो उसे क़ब्जा गांव-सभा ही द्वारा मिला हो।

धारा २०७ के सीरदार की बेदखली।

२०८—(१) ऐसा व्यक्ति, जो धारा २०७ के खंड (क) के निदेशों के अधीन [*] सीरदार हो गया हो, इस विधान में इससे पूर्व किसी बात के रहते हुए भी, ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, गांव-सभा द्वारा भूमि से बेदखल किया जा सकता है।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन [*] किसी सीरदार के विरुद्ध बेदखली की डिक्री हो जाय और ऐसा [*] सीरदार उस डिक्री के निष्पादन में बेदखल हो जाय, तो खाते म उसके अधिकारों का अन्त हो जायगा और भूमि खाली भूमि हो जायगी।

सार्वजनिक उपयोग की भूमि से व्यक्तियों की बेदखली।

२०९—(१) यदि किसी मध्यवर्ती ने ८ अगस्त, १९४६ ई० को या उसके बाद कोई ऐसी भूमि जो अभिलिखित (recorded) या आचारिक (customary) सार्वजनिक पशुचर भूमि, श्मशान या क़ब्रिस्तान, तालाब, रास्ता या खलिहान थी, अपनी जोत में कर लिया हो य किसी काश्तकार को उठा दिया हो वह ऐसा प्रतिकर देने पर, जो नियत किया जाय, धारा १९७ में किसी बात के रहते हुए भी गांव-सभा द्वारा प्रस्तुत वाद पर, उस भूमि से बेदखल किया जा सकता है।

---

[*] निकाल दिया गया।

(२) [❀]

लगान

असामी का लगान।

२१०---ऐसे प्रतिबन्धों और निरोधों को बाधित न करते हुए, जो नियत किये जायं, प्रत्येक असामी भूमि का कब्जा मिलने पर ऐसे लगान का देनदार होगा, जो उसके और उसके क्षेत्रपति या गांव--सभा के बीच, जैसी भी दशा हो, तय हो जाय।

लगान में परिवर्तन न किया जाना।

२११---किसी असामी द्वारा देय लगान उस रीति और उस आयति (extent) के अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था इस विधान द्वारा या उसके अधीन की गई हो और किसी रीति से या आयति तक परिवर्तित नहीं हो सकेगा।

लगान निश्चित कराने का वाद।

२११--क---(१) यदि किसी व्यक्ति ने, जिसे कोई भूमि किसी के क़ब्जे में देने का, या किसी को किसी भूमि पर क़ब्जा रख रहने की अनुज्ञा देने का, अधिकार हो, किसी को किसी भूमि पर उस भूमि के असामी के रूप में कब्जा दे दिया हो या क़ब्जा रख रहने की अनुज्ञा दे दी हो पर लगान न निश्चित हुआ हो तो असामी या क़ब्जा अथवा अनुज्ञा देने वाला व्यक्ति क़ब्जा के काल के भीतर या उसके बीतने पर तीन वर्ष के भीतर लगान निश्चित कराने का वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन लाए वाद में वादी--कालावधि संबंधी विधि को बाधित न करते हुए (subject to the law of limitation) बकाया की डिक्री की भी प्रार्थना कर सकता है।

(३) उपधारा (१) के अधीन लाए गए वाद में जिस लगान की डिक्री होगी वह वही लगान होगा, जो क़ब्जा या अनुज्ञा दिए जाने या असामी--अधिकार उत्पन्न होने के, जैसी भी दशा हो, वर्ष से पहले वाले वर्ष में देय रहा हो, या यदि उक्त वर्ष में कुछ लगान न देय रहा हो तो लगान उस दर से लिया जायगा जो उक्त भूमि में लागू--मौरूसी दरों के १३३ १/३ प्रतिशत के बराबर हो।

लगान देने के निमित्त उपज का भाराक्रांत रहना।

२१२---किसी असामी की जोत के प्रत्येक खाते की उपज और ऐसे खाते में स्थित प्रत्येक पेड़ के फल उस खाते के सम्बन्ध में उस असामी द्वारा देय लगान के लिये बन्धक रखे समझे जायंगे और जब तक वह लगान दे या किसी दूसरे प्रकार से चुका न दिया जाय तब तक किसी न्यायालय की डिक्री या आज्ञा के निष्पादन में नीलाम द्वारा ऐसी उपज या फल के सम्बन्ध में कोई

और दावा (claim) उसके विरुद्ध कार्यान्वित नहीं हो सकेगा (shall not be enforced)।
२१ ३[*]

लगान के अदायगी का ढंग।

२१३-(क)—(१) किसी भी असामी के लिए डाकघर के मनीआर्डर द्वारा अपना लगान देना वैध होगा, किन्तु गांव सभा या क्षेत्रपति का इस प्रकार दिया गया रुपया ले लेना क्षेत्रपति या गांव-सभा के, जैसी भी दशा हो, यह सिद्ध करने के मार्ग में कि किसी वर्ष या किसी किस्त के निमित्त देय धनराशि प्राप्त धनराशि से भिन्न थी, कोई बाधा नहीं उपस्थित करेगा।

(२) जहां लगान डाकघर के मनीआर्डर द्वारा भेजा गया हो, वहां पाने वाले की रसीद या ऐसे मनीआर्डर पर, जिसपर यथावत् डाकघर की मोहर लगी हो, उसकी अस्वीकृति सूचक अनलेख (Endorsement of refusal) रीतिक रूप से सिद्ध हुए बिना ही (without formal proof) प्रमाण में ग्राह्य होगा और जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध न हो जाय, उसके विषय में यह प्रकल्पित कर लिया जायगा (shall be presumed) कि उसमें उक्त लगान की प्राप्ति या अस्वीकृति अभिलिखित है।

लगान का नगदी में परिवर्तन।

२१३-(ख)—यदि लगान जिन्सी हो या खड़ी फसल के अनुमान (estimate) या कूत (appraisement) के अनुसार या बोई हुई फसल के अनुसार बदलती रहने वाली दरों पर या ऐसे ढंगों में से अंशतः एक पर और अंशतः दूसरे या दूसरों पर निर्भर हो तो परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर उसे नियत रीति के अनुसार स्वतः (at his own disteritión) नगदी में परिवर्तित कर सकते हैं और गांव सभा के या उस व्यक्ति के, जिसके द्वारा, या जिसे, लगान देय हो, चाहने पर अवश्य ही ऐसा कर देंगे।

लगान अदा करने की किस्त।

२१३-(ग)—किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर (in the absence of a contract to the contrary) लगान दो बराबर किस्तों में उस कृषि-वर्ष के, जिसके संबंध में उक्त लगान देय हो, नवम्बर के पहले दिनांक और मई के पहले दिनांक को, देय होगा।

बकाया लगान की अदायगी और उसके न होने पर बेदखली के लिये प्रार्थना-पत्र।

२१४—(१) यदि किसी असामी के किसी खाते का कुल लगान या उसका कोई भाग तीन मास के ऊपर बकाया में पड़ा रहे तो गांव-सभा या क्षेत्रपति, जैसी भी दशा हो, बकाया की अदायगी की, तथा उसके अदा न होने पर खाते से असामी की बेदखली की, आज्ञा के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

२—उक्त प्रार्थना-पत्र कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ ई० में वादपत्रों के हस्ताक्षर (signing) और सत्यापन (verification) के लिए नियत रीति से हस्ताक्षरित (signed) और सत्यापित (verified) किया जायगा।

धारा २१४ के अधीन प्रार्थना-पत्र के नोटिस का असामी के नाम जारी होना।

२१४-(क)—(१) धारा २१४ में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र पाने पर अधिक्षेत्र प्राप्त न्यायालय (the court having jurisdiction) असामी पर नोटिस तामील करवा कर उसके द्वारा उसे आदेश देगा कि वह या तो प्रार्थनापत्र के व्यय सहित बकाया को नोटिस की तामील के दिनांक के तीस दिन के भीतर, दे दे या दी जानेवाली अवधि के भीतर इसका कारण दिखलावे कि खाते से उसकी बेदखली की कोई आज्ञा उसके विरुद्ध क्यों न दे दी जाय।

(२) यदि दिए गए समय के भीतर असामी नोटिस में उल्लिखित धनराशि प्रार्थी को दे दे या जमा कर दे तो न्यायालय उसकी भरपाई दर्ज कर देगा और प्रार्थना-पत्र को खारिज कर देगा और जमा की हुई धनराशि प्रार्थी को दे दी जायगी।

धारा २१४-क में के अधीन जारी हुई नोटिस के अपालन पर अदायगी की आज्ञा।

२१४—(ख)—(१) यदि असामी पर धारा २१४ (क) के अधीन दिया गया नोटिस यथावत् तामील हो गया हो, किन्तु उसने पूर्वोक्त धनराशि दी या जमा न की हो और कोई उज्रदारी भी न प्रस्तुत करे तो तहसीलदार उक्त धनराशि की अदायगी की, और उसके न अदा होने पर खाते से असामी की बेदखली की, आज्ञा दे देगे।

(२) यदि असामी उपस्थित होकर दावे (claim) का प्रतिवाद करे तो प्रार्थनापत्र वादपत्र मान लिया जायगा और यदि आवश्यक हो तो न्यायालय प्रार्थी को ऐसे अतिरिक्त न्याय-शुल्क के देने की आज्ञा देगा, जो बकाया लगान और बेदखली के वादपत्रों से संबंध रखने वाली समय विशेष पर प्रचलित विधि के अनुसार देय हो।

(३) यदि प्रार्थी लिए गए समय के भीतर न्याय-शुल्क न दे तो प्रार्थनापत्र अपासित कर दिया जायगा (shall be rejected)।

(४) यदि न्याय-शुल्क यथावत् दे दिया जाय तो, एसी दशा में जहां असामी यह कहता हो कि प्रार्थी क्षेत्रपति नहीं है या खाते अथवा उसके किसी भाग का वह स्वयं भूमिधर या सीरदार है, न्यायालय मुक़द्दमे को अधिकार-क्षेत्र प्राप्त दीवानी न्यायालय को संक्रमित (transfer) कर देगा और तब दीवानी न्यायालय उसकी उसी प्रकार सुनवाई और अवधारण करेगा मानो वह ऐसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया बकाया लगान और बेदखली का वाद हो।

(५) उपधारा (३) के अधीन किसी प्राथनापत्र का अपासन (Rejection) बकाया लगान की वसूली के लिए प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत करने में बाधक न होगा।

बकाया लगान की डिक्री या आज्ञा के निष्पादन का ढंग।

२१४--(ग)--(१) कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में किसी बात के रहते हुए भी किसी असामी के विरुद्ध बकाया, लगान की अदायगी की डिक्री या आज्ञा, उस धनराशि के जिसकी डिक्री हुई है, न देने पर निष्पादन के दूसरे ढंगों के अतिरिक्त खाते से असामी की बेदखली द्वारा निष्पादित हो सकेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि दखलदिहानी की कोई आज्ञा तब तक न दी जायगी जब तक वादऋणी पर निश्चित किए जाने वाले दिनांक पर इस बात का कारण प्रकट करने के लिए, कि उक्त आज्ञा क्यों न दी जाय, कोई नोटिस न तामील हो जाय।

(२) यदि दखलदिहानी के बाद एक मास के भीतर काश्तकार उस कुल धनराशि को, जिसके संबंध में वह बेदखल हुआ हो, जमा कर दे तो बेदखली की आज्ञा निरसित (cancel) कर दी जायगी और काश्तकार को कब्जा तुरन्त वापिस कर दिया जायगा।

बकाया लगान पर ब्याज।

२१४-(घ)--उस दिनांक से, जिसपर लगान देय हो जाय, असामी ऐसी किस्त पर जो देने से रह जाय, ६-१/४ प्रतिशत सूद का देनदार होगा।

सरकारी सम्पत्ति के सम्बन्ध में बकाया लगान की वसूली।

२१४--(ङ)--लगान की ऐसी बकाया, जो किसी ऐसी संपत्ति के संबंध में हो जो केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार के सत्वाधिकार में हो या एसे क्षेत्रों के संबंध में हो, जो धारा २६३ के निदेशों के अधीन कुर्क हुआ हो, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

बकाया की डिक्री देते समय विपत्ति के निमित्त न्यायालय का छूट देना

२१५—(१) यदि लगान की बकाया का वाद सुनते समय न्यायालय को यह सन्तोष हो जाय कि उस काल में जिसके लगान की बकाया का दावा किया जाता है, खाते का क्षेत्रफल जलाप्लावन के कारण (diluvion) या किसी दूसरे कारण से तत्वतः (substantially) घट गया था या उसकी उपज सूखा, ओला, बालू पड़ जाने या अन्य विपत्ति (calamity) के कारण तत्वतः कम हो गई थी, तो उसके लिए यह वैध होगा कि वह लगान में ऐसी छूट दे दे जो उसको न्यायसंगत प्रतीत हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी किसी छूट से यह नहीं समझा जायगा कि जिस काल के लिये वह दी गई है उसके अतिरिक्त किसी और काल के लिये भी असामी द्वारा देय लगान में कोई परिवर्तन हो गया है।

(२) यदि न्यायालय उपधारा (१) के अधीन छूट दे तो, प्रान्तीय सरकार या इस संबंध में अधिकृत कोई दूसरा आधिकारिक ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो नियत किये जायं, मालगुजारी में पारिणामिक (consequential) छूट की आज्ञा देगा।

विविध (Miscellaneous)

सिंचाई संबंधी देयों की बकाया का वाद

२१५-क—यदि किसी व्यक्ति को कोई रुपया नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ की धारा ४७ के अधीन नहर संबंधी देय (canal dues) के निमित्त प्राप्य हो तो वह ऐसे रुपये की वसूली के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है।

२१६—[❀

प्रख्यापनिक वाद (Declaratory)

२१६-क—स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट, १८७७ की धारा ४२ में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी गांव-सभा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो अपने को किसी भूमि में किसी अधिकार का अधिकारी बतलाता हो, ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकार के प्रख्यापन के लिए वाद प्रस्तुत कर सकती है और न्यायालय स्वविवेकानुसार (in its discretion) ऐसे व्यक्ति के अधिकार का प्रख्यापन कर सकता है और गांवसभा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे वाद में किसी अपर उपशम (further relief) की प्रार्थना करे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वादी आगम के प्रख्यापन मात्र (mere declaration of title) के अतिरिक्त कोई अपर उपशम मांग सकता हो पर न मांगे तो न्यायालय इस प्रकार का कोई प्रख्यापन न करे।

[❀] निकाल दिया गया।

२१७—[❀]

२१८—(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रान्तीय सरकार नियम बना सकती है।

नियम बनाने के अधिकार

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:—

(क) [❀]

(ख) [❀]

(ग) [❀]

(घ) [❀]

(च) [❀]

(छ) धारा १४० के अधीन दी जाने वाली धनराशि देने की प्रक्रिया,

(ज) धारा १४० के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना—पत्र का आकार और उसके देने की प्रक्रिया,

(१) धारा१४३ के अधीन प्रमाण-पत्र (certificate) के प्रदान की प्रक्रिया और ऐसे प्रमाण—पत्र का आकार,

(२) धारा १४३ क के अधीन खाते के बटवारे की प्रक्रिया और ढंग,

(झ) धारा १६० के अधीन भूमि की बदलाई की प्रक्रिया।

(ट) धारा १६३ के अधीन हस्तान्तरण के विक्रय रूप में पुष्टीकरण (confirmation) की प्रक्रिया।

(ठ) धारा १६५ के अधीन सीरदार और असामी बेदखली की प्रक्रिया,

(ड) धारा १८६ और १८७ के अधीन दी जाने वाली नोटिस का आकार और उसकी तामील का ढंग,

(ढ) [❀]

(ण) धारा १९३ के अधीन गांव—सभा द्वारा भूमि को क़ब्ज़े में ले लेने की प्रक्रिया,

(त) धारा १९४ और १९५ के अधीन भूमि को उठाने की प्रक्रिया,

(थ) इस अध्याय के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों और अन्य व्यवहारों को निर्णय करने वाले अधिकारियों का सामान्य पथ-प्रदर्शन (guidance),

(द) वे विषय, जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

[❀] निकाल दिया गया।

अध्याय ९

अधिवासी

अधिवासी के अधिकार

२१९--(१) उस दशा को छोड़ जिसकी व्यवस्था धारा २२०, २२१ और २२४ में की गई है, लगान देने पर अधिवासी को वे सब अधिकार और दायित्व प्राप्त रहेंगे, जो उसको स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त थे या जिनके वह अधीन था।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी संविदा या दूसरे अनुबन्ध (engagement) में किसी बात के रहते हुए भी, अधिवासी द्वारा देय लगान में कोई ऐसा परिवर्तन न किया जायगा, जो इस विधान के अधीन न किया जा सके।

(२) किसी अधिवासी के मर जाने पर खाते में उसका स्वत्व उत्तराधिकार के विषय में धारा १६९ से १७३ तक के निदेशों द्वारा नियमित होगा।

अधिवासी का लगान

२२०--यदि अधिवासी द्वारा देय लगान के संबंध में कोई अनुबन्ध (engagement) न हो, [*] तो स्वत्वाधिकार के दिनांक से उसके द्वारा देय लगान उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू मौरूसी (hereditary) दरों से लगाए गए लगान के १३३ १/३ प्रतिशत के बराबर होगा।

अधिवासी की बेदखली

२२१--धारा २२४ के निदेशों को बाधित न करते हुए कोई अधिवासी निम्नलिखित आधारों को छोड़ किसी दूसरे आधार पर अपनी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकेगा और निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर लाये जाने वाले बेदखली के वादों से सबंध रखने वाले अध्याय ८ के निदेश, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त अधिवासी असामी रहा हो :--

(क) कि उस पर लगान बाकी है,

(ख) कि उसने अपने खाते या उसके किसी भाग का हस्तान्तरण कर दिया है, या

सं० प्रा० ऐक्ट, ३ १९०१ ई०

(ग) कि वह भूमि का किसी ऐसे प्रयोजन में उपयोग करता है जो कृषि, फलोत्पादन या पशुपालन से संबंध न रखता हो।

अधिवासी का भूमिधर अधिकार उपार्जित करना

२२२--(१) यदि इस विधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की अवधि के बाद किसी समय या ऐसे पांच वर्ष के भीतर अपने क्षत्रपति की सहमति से किसी समय अधिवासी प्रान्तीय

[*] निकाल दिया गया।

सरकार को निम्नलिखित धनराशि दे दे, तो वह परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र देने पर उस भूमि का भूमिधर प्रख्यापित होने का अधिकारी होगा :--

(क) यदि उसके पास ऐसी भूमि है, जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर सीर या खुदकाश्त अभिलिखित थी, तो ऐसी धनराशि जो उक्त दिनांक पर प्रचलित मौरूसी दरों से लगाये गये लगान पन्द्रह गुनी हो, और

(ख) किसी और दशा में ऐसी धनराशि जो उक्त दिनांक पर उस भूमि के काश्तकार द्वारा उक्त भूमि के लिये देय लगान की पन्द्रह गुनी हो।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित प्रख्यापन हो जाने पर ऐसी भूमि में क्षेत्रपति के सब अधिकार और स्वत्व समाप्त हो जायंगे।

(३) धारा १४०,१४१ और १४३ के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और उसकी सुनवाई के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(४) उपधारा (१) में किसी बात के रहते हुए भी उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर किसी समय प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा सब अधिवासियों को आदेश दे सकेगी कि निर्दिष्ट किए जाने वाले दिनांक पर या उससे पहले उक्त उपधारा (१) में उल्लिखित धनराशि जमा कर दें।

(५) ऐसे प्रत्येक अधिवासी की, जो उक्त दिनांक पर या उससे पहले रुपया जमा न कर सकें, क्षेत्रपति के वाद पर भूमि से तुरन्त बेदखली हो सकेगी, मानो वह ऐसा व्यक्ति था जो इस ऐक्ट के निदेशों के अनुकूल और क्षेत्रपति की अनुमति बिना कब्जा किये हुए या रक्खे हुए था।

(६) उपधारा (१) में किसी बात के रहते हुए भी, ऐसा अधिवासी जिसके पास कोई भूमि किसी पुण्यार्थ या धर्मार्थ संस्था की ओर से हो, उक्त उपधारा में उल्लिखित धनराशि किसी समय दे सकता और उपधारा (१) से (५) तक के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर लागू होंगे।

अधिवासी के क्षेत्रपति का प्रतिकर पाना

२२३--[*]यदि किसी अधिवासी ने धारा २२२ के निदेशों के अनुसार भूमिधर के अधिकार और स्वत्व उपार्जित कर लिये हों, तो प्रान्तीय सरकार क्षेत्रपति को निम्नलिखित धनराशि देगी :--

[*] निकाल दिया गया।

(क) यदि क्षेत्रपति या उसका पूर्वाधिकारी (Predecessor) धारा १९ की उपधारा (१) के खण्ड (क) में अभिदिष्ट भूमिधर था तो ऐसी धनराशि, जो धारा २२२ के अधीन जमा की हुई धनराशि की एक-तिहाई हो, और उसी के साथ ऐसी धनराशि जो इस विधान के निदेशों के अनुसार उसे देय प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान के, यदि कोई हो, बराबर हो;

(ख) यदि वह धारा २२२ की उपधारा (१) के अधीन दिए गए प्रख्यापन के दिनाक पर खण्ड (क) मे अभिदिष्ट भूमिधर से भिन्न भूमिधर था, तो धारा २२२ के अधीन जमा की गई कुल धनराशि;

(ग) यदि वह या उसका स्वत्व पूर्वाधिकारी धारा २२२ की उपधारा (१) के अधीन दिए गए प्रख्यापन के दिनाक पर सीरदार था, तो वह धनराशि, जो उक्त धारा के अधीन जमा की गई धनराशि की एक-तिहाई के बराबर हो।

अलाभकर खाते से अधिवासी की बेदखली—

२२४—(१) गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रान्तीय सरकार यह प्रख्यापित कर सकती है कि विज्ञप्ति के दिनांक से निर्दिष्ट क्षेत्रों में इस धारा के निदेश लागू हो जायंगे।

(२) जहा किसी मंडल में भूमिधर या सीरदार का कोई खाता या उसका भाग किसी अधिवासी के दखल में है वहां यदि संयुक्त प्रात में भूमिधर या सीरदार की निजीजोत में कोई भूमि नहो है या ८ एकड़ से कम है, तो वह परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को इस आधार पर अधिवासी की बेदखली के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि वह अधिवासी के दखल वाली भूमि को अपनी निजीजोत में लाना चाहता है।

(३) गांव-सभा और ऐसे सब अधिवासी, जो प्रार्थी की ओर से किसी भूमि पर काबिज हों, [*]इस धारा के अधीन लाए गए व्यवहार में फरीक़ बनाये जायंगे।

(४) यदि प्रार्थना-पत्र यथावत् दिया गया हो और असिस्टेंट कलेक्टर को ऐसी जाच के बाद, जो नियत की जाय, यह संतोष हो जाय कि प्रार्थी के पास अपनी निजी जोत में कोई भूमि नही है, या आठ एकड़ से कम भूमि है, और अधिवासी के क़ब्जे की भूमि को वह अपनी निजी जोत में लाना चाहता है, तो वह अधिवासी या अधिवासियो की बेदखली की आज्ञा इतनी भूमि से दे देगा जितनी को मिलाकर प्रार्थी की निजी जोत में आठ एकड़ भूमि हो जाय।

(५) जब-कभी कोई अधिवासी उपधारा (४) के निदेशों के अधीन बेदखल हो गया हो, असिस्टेंट कलेक्टर गांव-सभा के कथन को सुनकर गांव-सभा को यह आदेश दे सकता है कि उक्त भूमि के अधिवासी को, लागू मौरूसी दरों से लगाए गए इतने मूल्य की, खाली भूमि सीरदार के रूप में उठा दे, जो उसी प्रकार लगाए गए उस भूमि के मूल्य के बराबर हो, जिससे उसकी बेदखली की आज्ञा हुई है।

अक्षम क्षेत्रपतियों के सम्बन्ध में अपवाद।

२२५—यदि क्षेत्रपति या जहां एक से अधिक क्षेत्र-पति हों वे सब ऐसे व्यक्ति रहे हों जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर धारा १५६ में उल्लिखित वर्गों में से किसी के अन्तर्गत थे तो धारा २२१ से २२४ तक की कोई बात अधिवासी को लागू नहीं होगी।

अधिवासी का ५ वर्ष बाद असामी हो जाना—

२२६—ऐसा अधिवासी, जिसे धारा २२५ लागू होती हो, इस विधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर, ऐसे सब अधिकारों और दायित्वों के साथ, जो इस विधान के द्वारा या अधीन किसी असामी को दिये गये हों, या उस पर लगाए गए हों, असामी हो जायगा और असामी समझा जायगा।

नियम बनाने का अधिकार—

२२७—(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रान्तीय सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:—

(क) धारा २२४ के अधीन दिए जाने वाले प्रार्थना-पत्र का आकार और उसमें दिये जाने वाले ब्यौरे,

(ख) धारा २२४ के अधीन दिए जाने वाले प्रार्थना-पत्र की सुनवाई और निर्णय करने की प्रक्रिया,

(ग) यह निर्णय करने के सिद्धान्त कि कौन-कौन अधिवासी और कितने क्षेत्र से धारा २२४ के अधीन बेदखल किया जाय या किए जायं,

(घ) धारा २२४ के अधीन दी गई आज्ञाओं को कार्यान्वित करना, और

(ङ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

अध्याय १०

मालगुजारी

गांव पर निर्धारित मालगुजारी।

२२८—(१) किसी गांव में स्थित भूमि के सम्बन्ध में सभी भूमिधरों और सीरदारों द्वारा देय कुल मालगुजारी उस गांव पर निर्धारित मालगुजारी समझी जायगी।

(२) किसी गांव पर निर्धारित मालगुजारी पूरे गांव के अन्तर्गत सभी भूमि तथा उसके लगान, लाभ या उपज पर प्रथम भार (first charge) होगी।

(३) [※]

भूमिधर या सीरदार की भूमि पर मालगुजारी का दायित्व

२२९—(१) ऐसी भूमि को छोड़ जो इसके बाद प्रान्तीय सरकार के अनुदान या उसके साथ हुई संविदा द्वारा पूर्णतः या अंशतः मालगुजारी के दायित्व से मुक्त कर दी जाय, ऐसे व्यक्ति के पास की, जो उसका भूमिधर या सीरदार हो या समझा जाय, सभी भूमि पर, वह कहीं भी स्थित हो, प्रान्तीय सरकार को देय मालगुजारी का दायित्व होगा।

(२) यद्यपि अभ्यर्पित (assigned), अभित्यक्त (released), अभिसंधित (compounded) या निष्क्रीत (redeemed) होने के कारण मालगुजारी प्रान्तीय सरकार को देय न हो, तब भी वह भूमि पर निर्धारित की जा सकती है।

(३) न तो किसी भूमि पर किसी के कब्जे की कोई दीर्घकालीनता (length of occupation) न इस विधान के प्रारम्भ से पहले सम्राट प्रान्तीय सरकार या क्षेत्र-पति द्वारा दिया गया कोई अनुदान ऐसी भूमि को मालगुजारी के दायित्व से मुक्त कर सकेगा।

भूमिधर और सीरदार गांव पर निर्धारित मालगुजारी के लिये दायित्व

२३०—(१) गांव के सभी भूमिधर और सीरदार उस गांव पर समय विशेष पर निर्धारित मालगुजारी देने के प्रान्तीय सरकार के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग भी उत्तरदायी होंगे तथा ऐसे व्यक्ति जिन्हें ऐसे भूमिधर और सीरदार के स्वत्व उत्तराधिकार द्वारा या किसी अन्य प्रकार से मिलें वे उस स्वत्व को पाने के समय देय मालगुजारी की कुल बकाया के लिये उत्तरदायी होंगे।

(२) उपधारा (१) के निदेशों के होते हुए भी, कोई भूमिधर या सीरदार, ऐसे खाते की, जिसमें वह पूर्णतः (wholly) या अंशतः स्वत्व रखता हो, मालगुजारी की बकाया को छोड़ और किसी मालगुजारी की बकाया देने को तब तक न बाध्य (compelled) किया जायगा जब तक प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह न प्रख्यापित कर दे कि उपधारा (१) के निदेश किसी निर्दिष्ट क्षेत्र को लागू होंगे।

दूसरों की ओर से मालगुजारी का दिया जाना

२३१—यदि किसी भूमिधर या सीरदार ने अपने अंश से अधिक मालगुजारी दी हो तो वह दूसरे भूमिधरों और सीरदारों से उनकी ओर से इस प्रकार दिये गये अधिक धन की प्रतिपूर्ति करा सकता है (may require to reimburse)।

निकाल दिया गया।

भूमिधर द्वारा देय मालगुजारी की मात्रा

२३२—इस विधान के निदेशों को बाधित न करते हुए प्रत्येक भूमिधर अपनी भूमिधरी भूमि के लिये प्रान्तीय सरकार को मालगुजारी के निमित्त निम्नलिखित का देनदार होगा:—

(क) यदि वह स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर,

(१) मध्यवर्ती था, तो धारा ४८ के खंड (घ) के उपखंड (२) में अवधारित धनराशि,

(२) शरहमो अइयन काश्तकार था, तो ऐसी धनराशि जो उक्त दिनांक पर उसके द्वारा देय लगान के बराबर हो, और

(३) माफीदार था, तो ऐसे सिद्धान्तों के आधार पर, जो नियत किए जायें, अवधारित धनराशि;

(क क) यदि वह धारा १९ की उपधारा (२) के अधीन भूमिधर हुआ हो, तो ऐसी धनराशि जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर उसके द्वारा उक्त भूमि के लिए देय लगान के आधे के बराबर हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पूर्वोक्त लगान लागू मौरूसी दरों से लगाए गए लगान के दुगने से अधिक हो तो मालगुजारी ऐसे दरों से लगाए गए लगान के ही बराबर होगी।

(ख) यदि उसने भूमिधर के अधिकार धारा १४३ के अधीन उपार्जित किये हों तो उक्त धारा की उपधारा (२) के खंड (ख) में उल्लिखित मालगुजारी की धनराशि,

(ग) यदि उसने भूमिधर के अधिकार धारा १४४ के अधीन उपार्जित किये हों तो उक्त धारा में उल्लिखित मालगुजारी की धनराशि,

(घ) [*]

(ङ) यदि वह धारा २२२ के अधीन भूमिधर प्रख्यापित हुआ हो तो वह धनराशि जो नियत किये जाने वाले सिद्धान्तों पर अवधारित की जाय।

सीरदार द्वारा देय मालगुजारी की मात्रा

२३३—(१) इस विधान के निदेशों को बाधित न करते हुए प्रत्येक सीरदार उस भूमि के लिये, जो उसके पास सीरदार के नाते हो, मालगुजारी के निमित्त प्रान्तीय सरकार को निम्नलिखित का देनदार होगा:—

[क] यदि वह धारा २० के अधीन सीरदार हुआ हो तो वह धनराशि जो उक्त दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर उसके द्वारा देय या देय समझे गये लगान के बराबर हो,

---

* निकाल दिया गया।

[ख] यदि सीरदार को धारा १९४ के अधीन भूमि उठाई गई हो तो ऐसी धनराशि जो नियत किये जाने वाले सिद्धान्तों पर अवधारित की जाय, या

[ग] यदि उसने सीरदार के अधिकार धारा २०१ या २०७ के अधीन उपार्जित किये हों तो वह धनराशि जो ऐसे सीरदार द्वारा देय थी जिसके अधिकार उसने इस प्रकार उपार्जित किये हैं।

(२) यदि उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट सीरदार स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर उक्त भूमि के लिए ऐसे लगान का देनदार हो जो जिन्सी हो या खडी फसल के अनुमान या कूत के अनुसार या बोई हुई फसल के अनुसार बदलती रहने वाली दरों पर या ऐसे ढंगों में से अंशतः एक पर और अंशतः दूसरे या दूसरों पर निर्भर हो तो उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा देय लगान वह धनराशि समझा जायगी जिसे असिस्टेंट कलेक्टर नियत की जाने वाली रीति से और नियत किए जाने वाले सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित कर दें।

१ जुलाई, १९४८ ई० को या इसके बाद मिली भूमि के लिये सीरदार द्वारा मालगुजारी

२३४—धारा २३३ में किसी बात के रहते हुये भी, किसी सीरदार द्वारा ऐसी भूमि के लिये देय मालगुजारी जो उसे काश्तकार के रूप में १ जुलाई, १९४८ ई० को या उसके बाद उठाई गई है, ऐसी दशा में जब स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर उसके द्वारा देय लगान उक्त दिनांक पर लागू मौरूसी दरों से अवधारित लगान की धनराशि से कम निकले, उक्त धनराशि के बराबर होगा।

धारा २३२ और २३३ के अधीन मालगुजारी देने के दिनांक और किस्तें

२३५—(१) प्रान्तीय सरकार ऐसा या ऐसे दिनांक, जिनसे और ऐसी किस्तें, जिनमे धारा २३२ और २३३ में अभिदिष्ट भूमिधरों और सीरदारों द्वारा मालगुजारी देय होगी, नियत कर सकती है।

(२) जो मालगुजारी या उसकी कोई किस्त निश्चित दिनांक पर या उसके पहिले देने से रह जायगी मालगुजारी की बकाया हो जायगी और उसके देनदार व्यक्ति बाकीदार (defaulters) हो जायेंगे।

भूमिधर या सीरदार द्वारा देय अबवाब और स्थानीय कर

२३६—(१) यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी क्षेत्र में किसी आस्थान के सम्बन्ध में अबवाब या स्थानिक कर निर्धारित और देय हों तो स्वत्वाधिकार के दिनांक पर इस विधान के निर्देशों के अनुसार भूमिधर या सीरदार द्वारा देय मालगुजारी के अन्तर्गत उतना ही अबवाब और स्थानीय कर समझा जायगा जितना उसके खाते की भूमि के सम्बन्ध

में ३० जून, १९४९ ई० को आदेय हो (levied with respect to the land in his holding on June 30, 1949)।

(२)--उपधारा (१) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जा सकेगा कि किसी स्थानिक अधिकारी को मालगुजारी में इस प्रकार अन्तर्गत धनराशि को अबवाब और स्थानिक कर के निमित्त आरोपित (impose) करने का अधिकार है।

सीरदार द्वारा खाते के किसी भाग के समर्पण के कारण मालगुजारी में कमी

२३७--यदि धारा १८६ के अधीन सीरदार अपने खाते का केवल एक ही भाग समर्पित (surrender) करे तो, उसके द्वारा देय मालगुजारी की धनराशि ऐसे सिद्धान्तों पर, जो नियत किये जायं, घटा दी जायगी।

ऐसे भूमिधर की मालगुजारी में परिवर्तन जिसकी धारा २३२ लागू होती है

२३८--इस विधान में किसी बात के रहते हुये भी, भूमिधर [※] द्वारा देय मालगुजारी उसके खाते के क्षेत्रफल के घटने या बढ़ने के आधार को छोड़ किसी और आधार पर इस विधान के प्रारम्भ से ठीक बाद के चालीस वर्षों के भीतर परिवर्तित नहीं की जायगी।

मालगुजारी का आरम्भिक बन्दोबस्त

२३९--इस विधान के प्रारम्भ से चालीस वर्ष के बाद किसी समय प्रान्तीय सरकार किसी जिले या उसके भाग की मालगुजारी का बन्दोबस्त (settlement) करने का निदेश दे सकती है। आगे चलकर इसको आरम्भिक बन्दोबस्त (original settlement) कहा जायगा।

बन्दोबस्त मालगुजारी का पुनरीक्षण

२४०--आरम्भिक बन्दोबस्त से चालीस वर्ष बाद किसी समय प्रान्तीय सरकार किसी जिले या उसके भाग की मालगुजारी का नया बन्दोबस्त करने का निर्देश दे सकती है। इसको आगे चलकर पुनरीक्षित बन्दोबस्त (revision settlement) कहा जायगा--

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि समय विशेष पर प्रचलित बन्दोबस्त की समाप्ति से पहिले मालगुजारी में कोई वृद्धि कार्यान्वित नहीं होगी।

बन्दोबस्त की विज्ञप्ति

२४०-क-- प्रान्तीय सरकार के यह निश्चित करने के बाद कि किसी जिले या उसके भाग का नया बन्दोबस्त प्रारम्भ किया जाय, उस आशय की विज्ञप्ति यथाशीघ्र प्रकाशित कर दी जायगी और तदुपरान्त उक्त जिला या उसका भाग तब तक बन्दोबस्त कार्यवाही के अधीन समझा जायगा जब तक बन्दोबस्त कार्यवाही की समाप्ति को प्रख्यापित करने वाली विज्ञप्ति प्रकाशित न हो जाय।

[※] निकाल दिया गया।

बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति और उसके अधिकार।

२४०-ख--प्रान्तीय सरकार किसी जिले या उसके भाग के बन्दोबस्त का भार ग्रहण करने के लिये एक अधिकारी (जिसे आगे चल कर बन्दोबस्त अधिकारी कहा जायगा) तथा इतने सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, जितने वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है, और जब तक उक्त जिला या उसका भाग बन्दोबस्त कार्यवाही के अधीन रहेगा, तब तक ऐसे अधिकारी उन अधिकारों का प्रयोग करेंगे, जो उन्हें इस विधान द्वारा दिये जायं।

कलेक्टर के अधिकारों का बन्दोबस्त अधिकारी के पास संक्रमण।

२४०-ग--कोई जिला या उसका कोई भाग बन्दोबस्त कार्यवाही के अधीन हो जाने पर प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी को नक्शा और खसरा के रख-रखाव तथा वार्षिक रजिस्टरों की तैयारी के कर्त्तव्य संक्रमित (transfer) कर सकती है और ऐसा होने पर बन्दोबस्त अधिकारी को वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो यूनाइटेड प्राविन्सेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के तीसरे अध्याय द्वारा कलेक्टर को दिये गये हैं।

बन्दोबस्त की अवधि

२४१--बन्दोबस्त चालीस वर्ष तक प्रचलित रहेगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एहतमाली प्रदेशों (precarious tracts) और कछार क्षेत्रों (alluvial areas) के विषय में प्रान्तीय सरकार यह निर्देश कर सकती है कि ऐसे क्षेत्रों में, जो निर्दिष्ट किये जायं, बन्दोबस्त किसी ऐसे समय के लिये प्रचलित रहेगा, जो चालीस वर्ष से कम हो;

और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि प्रान्तीय सरकार का यह मत हो कि पुनरीक्षित बन्दोबस्त की कार्यवाही अनुपयुक्त होगी यदि ऐसे बन्दोबस्त में किसी कारण से देर हो गई हो तो, प्रान्तीय सरकार समय विशेष पर प्रचलित बन्दोबस्त की अवधि ऐसे समय के लिये बढ़ा सकती है जिसे वह उचित समझे।

एहतमाली या कछार दोनों का कलेक्टर द्वारा बन्दोबस्त।

२४१-क--यदि किसी एहतमाली प्रदेश या कछार क्षेत्र के विषय में निश्चित की गई बन्दोबस्त की अवधि ४० वर्ष से कम हो और ऐसी अवधि बीत जाय या बीतने को हो तो कलेक्टर ऐसे प्रदेशों और क्षेत्रों की मालगुजारी का निर्धारण और उनका बन्दोबस्त ऐसी रीति से करेगा जो नियत की जाय।

धारा २४१-क के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग।

२४१-ख- (१) धारा २४१ (क) के अधीन बन्दोबस्त करने और मालगुजारी का निर्धारण पुनरीक्षण करने के प्रयोजन के लिये कलेक्टर को बन्दोबस्त अधिकारी के सब अधिकार प्राप्त होंगे।

(२) कोई बन्दोबस्त धारा २४१-क के अधीन किया गया मालगुजारी के निर्धारण का पुनरीक्षण (revision) या धारा २५० के अधीन मालगुजारी का स्थगन (suspension) तब तक अंतिम न होगा जब तक वह कमिश्नर द्वारा स्वीकृत न हो जाय।

बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

२४२—जब किसी जिला या उसके भाग के बन्दोबस्त कार्यवाही के अधीन आजाने पर बन्दोबस्त अधिकारी या सहायक बन्दोबस्त अधिकारी (Settlement Officer or Assistant Settlement Officer) बन्दोबस्त कार्यवाही के अधीन प्रत्येक गांव का निरीक्षण करेगा और ऐसी रीति से और ऐसे सिद्धान्तों पर, जो नियत किये जायं, उस जिले या भाग को भूमि-श्रेणियों (soil classes) और निर्धारण मंडलों (assessment circles) में बांट देगा।

कुछ दशाओं में माफी पर मालगुजारी का निर्धारण।

२४२-क—बन्दोबस्त अधिकारी ऐसी सब भूमि के विषय में जो किसी प्रतिबन्ध के साथ या किसी विशेष अवधि के लिये मालगुजारी के दायित्व से मुक्त कर दी गई हो जांच करेगा और यदि उसे यह ज्ञात हो कि प्रतिबन्धों का उल्लंघन हुआ है या अवधि समाप्त हो गई है तो ऐसी सब भूमि पर मालगुजारी का निर्धारण कर देगा।

माफी रखने का आगम।

२४२-ख—(१) यदि किसी ऐसी भूमि के विषय में, जो मालगुजारी से मुक्त न अभिलिखित हो, कोई यह दावा करे कि वह मालगुजारी से मुक्त है, तो उसे ऐसी भूमि को अपने अधिकार में मालगुजारी से मुक्त रखने का आगम सिद्ध करना पड़ेगा।

(२) यदि वह अपने आगम को सिद्ध कर ले और उससे बन्दोबस्त अधिकारी को सन्तोष हो जाय तो यह मामला प्रांतीय सरकार को प्रसूचित कर दिया जायगा (shall be reported) और इस संबंध में सरकार जो आज्ञा देगी वह अंतिम होगी।

(३) यदि आगम (title) इस प्रकार सिद्ध न हो तो बन्दोबस्त अधिकारी उस भूमि पर मालगुजारी-निर्धारण की कार्यवाही करेगा और उस भूमि के अधिकारी व्यक्ति के साथ उसका बन्दोबस्त करेगा।

गांव में खातों के कुल क्षेत्रफल पर मालगुजारी का निर्धारित होना।

२४३—वह भूमि जिस पर साधारणतया मालगुजारी निर्धारित की जायगी, ऐसी भूमि को छोड़ जिसके विषय में इस धारा में आगे अपवाद किया गया है, गांव के भूमिधरों और सीरदारों के अभिलेख वर्ष वाले सभी खातों की संकलित भूमि (aggregate holdings area) होगी:—

अपवाद

(१) ऐसी भूमि जिस पर ऐसी इमारतें हों जो उन्नति न समझी जायं,

(२) खलिहान,

(३) कब्रिस्तान और श्मशान भूमि, और

(४) ऐसी और भूमि जो नियत की जाय।

मालगुजारी-निर्धारण के सिद्धान्त।

२४४—(१) किसी निर्धारण मंडल में किसी खाते के लिये देय मालगुजारी निर्धारित करते समय बन्दोबस्त अधिकारी ऐसे खाते की उपज की उस अनुमानित औसत बचत का ध्यान रक्खेगा जो नियत की जाने वाली रीति से निश्चित (ascertained) या अनुमानित (estimated) खेती के साधारण व्यय घटाकर बचे और मालगुजारी उपज की बचत का ऐसा प्रतिशत होगी जो प्रान्तीय सरकार की सिफारिशों पर विचार करके संयुक्त प्रान्तीय विधायिका (United Provinces Legislature) द्वारा पास किये गये प्रस्ताव से निश्चित किया जाय, ऐसी सिफारिशें गजट में तथा निर्धारण मंडल मे, ऐसी किसी दूसरी रीति से, जो नियत की जाय, प्रकाशित हो जाने के एक मास बाद किसी समय विधायिका के सामने रखी जायंगी।

(२) उपज की बचत पर जितने प्रतिशत से मालगुजारी निर्धारित होगी वह प्रान्तीय सरकार द्वारा नियत किये हुये क्रमिक मान (graduated scale) के अनुसार बदलता रहेगा, वह उपज की सबसे अधिक बचत वाले खातों पर सबसे अधिक होगा और उपज की सबसे कम बचत वाले खातों पर सबसे कम।

(३) भूमिधर को लागू प्रतिशत सीरदार को लागू प्रतिशत के आधे से अधिक नहीं होगा।

२४५-

२४६—[ ]

मालगुजारी निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव।

२४७—बन्दोबस्त अधिकारी, किसी गांव की मालगुजारी का निर्धारण पूरा कर चुकने पर, अपने प्रस्ताव ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा, जो नियत की जाय, ऐसी उज्रदारियों पर विचार करेगा, जो प्रस्तुत की जायं और फिर अपने प्रस्ताव ऐसी उज्रदारियों के साथ, यदि कोई हों, और ऐसी आज्ञाओं के साथ, जो उन पर दी गई हों, नियत आधिकारिक (authority) को भेज देगा और ऐसा आधिकारिक अपनी आलोचना (comments) के साथ उन्हें प्रान्तीय सरकार के पास भेज देगा।

निर्धारण के प्रस्तावों पर प्रान्तीय सरकार की आज्ञायें।

२४८—(१) प्रान्तीय सरकार धारा २४७ में उल्लिखित सामग्री पर तथा नियत आधिकारिक की आलोचना (comments) पर विचार करके ऐसी आज्ञा देगी जो वह उचित समझे।

---

[*] निकाल दिया गया।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई प्रान्तीय सरकार की आज्ञा पर किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जा सकेगा (shall not be called in question)।

बन्दोबस्त के प्रचलित काल में मालगुजारी का न घटाया या बढ़ाया जाना।

२४९--(१) उस दशा को छोड़ जब खाते का क्षेत्रफल या उसके अन्तर्गत भूमि का उपजाऊपन नदी के बहाव (fluvial action) या किसी दूसरे प्राकृतिक कारण से घट या बढ़ गया हो, किसी खाते पर निर्धारित मालगुजारी बन्दोबस्त के प्रचलित रहते हुये घटायी या बढ़ायी नही जा सकेगी, पर यह बात इस विधान के निदेशों को किसी प्रकार बाधित न करेगी।

(२) जब-कभी उपधारा (१) के अधीन मालगुजारी घटाई या बढ़ायी जाय, तो प्रान्तीय सरकार ऐसी भूमि पर काबिज असामी द्वारा देय लगान घटा या बढ़ा सकती है।

कृषि सम्बन्धी विपत्ति आने पर मालगुजारी में छूट या उसका स्थगन।

२५०--(१) इस विधान में किसी बात के रहते हुये भी, ऐसी कृषि सम्बन्धी विपत्ति (agricultural calamity) के आने पर, जिससे किसी गांव या गांव के भाग की फसल पर प्रभाव पड़े, एसी विपत्ति से प्रभावित किसी खाते की पूरी मालगुजारी या उसके किसी भाग को प्रान्तीय सरकार किसी समय के लिये छोड़ सकती है या स्थगित कर सकती है।

(२) जब-कभी प्रान्तीय सरकार उपधारा (१) के अधीन कार्य करे तो, ऐसी भूमि पर काबिज असामी द्वारा देय कुल लगान या उसके किसी भाग को वह छोड़ सकती है या स्थगित कर सकती है।

कालावधि के प्रयोजनों के लिये धारा २५० के अधीन हुए स्थगन की अवधि का निकाल दिया जाना।

२५०-क--यदि धारा २५० के अधीन लगान की अदायगी स्थगित कर दी जाय तो लगान की वसूली का वाद प्रस्तुत करने के लिये दी गई अवधि की गणना करते समय वह अवधि, जिसमें लगान की अदायगी स्थगित रही हो, निकाल दी जाएगी।

धारा २५० के अन्तर्गत आज्ञा का न्यायालय द्वारा आक्षेप न किया जाना।

२५०-ख--(१) धारा २५० के अधीन दी गई किसी आज्ञा पर किसी दीवानी या माल न्यायालय मे कोई आक्षेप न किया जा सकेगा (shall not be questioned)।

(२) कोई वाद या प्रार्थना-पत्र न तो ऐसे रुपये की वसूली के लिये, जिसकी अदायगी के विषय में धारा २५० के अधीन छूट दे दी गई हो और न स्थगन की अवधि के भीतर किसी ऐसे रुपए के लिये, जिसकी अदायगी उक्त धारा के निदेशों के अधीन स्थगित कर दी गई हो, लाया जा सकेगा।

कृषि सम्बन्धी पैदावार के मूल्य मे ह्रास के कारण पुनरीक्षित बन्दोबस्त का होना।

२५०-ग---यदि प्रान्तीय सरकार को यह सन्तोष हो जाय कि कृषि सम्बन्धी पैदावार के मूल्य मे कोई ऐसा तात्त्विक ह्रास (substantial decaying) हो गया है, जिसके कुछ समय तक बने रहने की सम्भावना है, तो इस विधान में, या समय विशेष पर प्रचलित किसी दूसरे विधायन (enactment) में, किसी बात के रहते हुए भी, वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी क्षेत्र विशेष मे पुनरीक्षित बन्दोबस्त का आदेश दे सकती है।

धारा २५०-ग के अधीन बन्दोबस्त के लिये अधिकारी की नियुक्ति।

२५०-घ---धारा २५० ग के अधीन विज्ञप्ति जारी हो जाने के बाद किसी समय भी प्रान्तीय सरकार ऐसे क्षेत्र में बन्दोबस्त अधिकारी के अधिकारो से युक्त कोई अधिकारी, ऐसे निरोधो और प्रतिबन्धो के साथ, जो उसे उचित जान पड़े, नियुक्त कर सकती है, किंतु इस प्रकार नियुक्त किसी अधिकारी को कोई ऐसा अधिकार न दिया जा सकेगा, जिससे वह उक्त क्षेत्र की मालगुजारी बढ़ा सके।

मालगुजारी से मुक्त अनुदानो के सम्बन्ध में वार्षिक जाच।

२५०-ङ---ऐसी सब भूमि के विषय मे जो मालगुजारी की अदायगी से, किसी प्रतिबन्ध के साथ या किसी विशेष अवधि के लिये मुक्त कर दी गई हो, कलेक्टर प्रति वर्ष जाच किया करेगा।

यदि प्रतिबन्ध का उल्लघन हुआ हो तो वह उस मामला को आज्ञा के लिये कमिश्नर को प्रसूचित (report) कर देगा और यदि अवधि समाप्त हो गई हो या, जहा माफी का अनुदान माफीदार के जीवन-काल के ही लिये हो, यदि माफीदार मर गया हो, तो वह भूमि पर मालगुजारी निर्धारित करके अपनी कार्यवाही स्वीकृति के लिए कमिश्नर को प्रसूचित कर देगा।

खेती-भूमि घटाने या बढ़ाने के कारण मालगुजारी का घटाना या बढ़ाना।

२५१---जब प्रान्तीय सरकार साधारण या विशेष आज्ञा द्वारा इस प्रकार के निर्देश दे तो, प्रत्येक कृषि-वर्ष के प्रारम्भ में गांव-सभा, एहतमाली प्रदेशों या कछार-क्षेत्रों में स्थित खातों के क्षेत्रफल के सभी परिवर्तनो के विषय में कलेक्टर को सूचना देगी और तब कलेक्टर, ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, ऐसी भूमि का, जो खेती से निकल गई हो, या खेती में ले ली गई हो, ध्यान रखते हुये, गाव पर निर्धारित मालगुजारी बढ़ा या घटा सकता है।

मालगुजारी की वसूली

२५२—मालगुजारी की वसूली के लिये प्रान्तीय सरकार ऐसा प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे साधनों (agencies) का उपयोग कर सकती है, जो वह उचित समझे।

मालगुजारी की वसूली का प्रबन्ध।

२५३—(१) गजट मे सामान्य या विशेष आज्ञा प्रकाशित करके प्रांतीय सरकार गाव-सभा को ऐसे क्षेत्र में जिसके लिये वह स्थापित की गई हो या उसके किसी भाग में, प्रांतीय सरकार के लिये या उसकी ओर से मालगुजारी और ऐसे दूसरे देय जो नियत किये जायं, वसूल करने और उगाहने का भार सौंप सकती है।

गांव-पंचायत द्वारा मालगुजारी का वसूली।

(२) जब गांव-सभा को उपधारा (१) के अधीन इस प्रकार भार सौंपा गया हो तो तत्सम्बन्धी गांव-पंचायत का कर्त्तव्य होगा कि वह इस विधान के निदेश के या समय विशेष पर प्रचलित किसी दूसरी विधि के अनुसार अपने क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रांतीय सरकार को देय मालगुजारी तथा पूर्वोक्त देयों को वसूल करे और उगाहे।

२५४—जब गांव-सभा को धारा २५३ के अधीन मालगुजारी और दूसरे देयो की वसूली और उगाही का भार सौंपा गया हो तो,

गांव-सभा द्वारा मालगुजारी की वसूली के परिणाम।

(क) धारा २३० के आदेशो को बाधित न करते हुए, प्रत्येक भूमिधर और सीरदार अपने द्वारा समय विशेष पर देय मालगुजारी और दूसरे देयो का गांव-सभा के प्रति देनदार होगा।

(ख) मालगुजारी और दूसरे देयों की ऐसी धनराशि, जो गांव-पंचायत के किसी सदस्य (जिसके अन्तर्गत प्रेसीडेंट और वाइस-प्रेसीडेंट भी है) या किसी अधिकारी ने वसूल कर ली हो और प्रांतीय सरकार को न मिली हो, समय विशेष पर प्रचलित किसी दूसरी विधि के अधीन उसके दायित्व (liability) को बाधित न करते हुए, उससे या उसकी ऐसी सम्पत्ति से, जो उसके विधिक प्रतिनिधियो (legal representatives) के हाथ में हो, मालगुजारी की बकाया (arrears of land revenue) के रूप में वसूल की जायगी, और

(ग) उसके द्वारा या उसकी ओर से वसूल की और उगाही गई मालगुजारी या दूसरे देयों पर गांव-सभा को ऐसा कमीशन दिया जायगा, जो नियत किया जाय।

<u>२५४-क—तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हिसाब का लेखा, इस अध्याय के प्रयोजनो के लिये मालगुजारी के बाकी होने का, उसकी मात्रा का और ऐसे व्यक्ति के विषय मे जो बाकीदार हो, निश्चायक प्रमाण होगा;</u>

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे गांव में, जिसके सम्बन्ध में धारा २५३ के अधीन आज्ञा दी गई हो, ऐसा लेखा किसी विशेष बाकीदार के सम्बन्ध में गांव-सभा द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।

२५५—[*]
२५६—[*]
२५७—[*]
२५८—[*]
२५९—[*]

२६०—मालगुजारी की बकाया निम्नलिखित रीतियोंमें से एक या अधिक से वसूल की जा सकेगी :—

(क) किसी बाकीदार पर मांग-पत्र (writ of demand) या उपस्थिति-पत्र (citation) तामील कर के,

(ख) उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध (detention) से,

(ग) उसकी चल-सम्पत्ति की, जिसके अन्तर्गत उपज भी है, [*] कुर्की या नीलाम से,

(घ) खाते की कुर्की से,

(ङ) उस खाते का हस्तान्तरण कर के जिसके सम्बन्ध में बकाया हो,

(च) बाकीदार की दूसरी अचल-सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम से।

मांग-पत्र और उपस्थिति-पत्र।

२६०-क—(१) मालगुजारी की बकाया के देय होते ही तहसीलदार मांग-पत्र जारी करके बाकीदार को आदेश दे सकते हैं कि वह निर्दिष्ट किये जाने वाले समय के भीतर बकाया दे दे।

(२) मांग-पत्र के अतिरिक्त या उसके स्थान पर तहसीलदार निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक पर उपस्थित होने और देय बकाया को जमा करने के लिये बाकीदार के विरुद्ध उपस्थिति-पत्र जारी कर सकते हैं।

(३) जहां धारा २६१ के अधीन गांव-सभा को अधिकार दिया गया हो, वहां उपधारा (१) और (२) में अभिदिष्ट मांग-पत्र और उपस्थिति-पत्र गांव-सभा की ओर से गांव-पंचायत द्वारा जारी किया जा सकता है।

[*] निकाल दिया गया।

गिरफ्तारी और निरोध

२६०-ख--कोई भी मालगुजारी का बाकीदार गिरफ्तार किया जाकर ऐसी अवधि के लिये, जो १५ दिन से अधिक न हो, निरोध में रखा जा सकता है, जब तक कि वह गिरफ्तारी और निरोध का व्यय, यदि कोई हो, उक्त अवधि से पहले ही न दे दें,

किंतु प्रतिबन्ध यह है कि इस धार के अधीन किसी स्त्री या अवयस्क की गिरफ्तारी या निरोध न हो सकेगा;

और यह भी प्रतिबन्ध है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध ऐसे बकाया के लिये न हो सकेगी, जो किसी ऐसे खाते के सम्बन्ध में हो, जिसका भूमिधर या सीरदार न हो।

चल-सम्पत्ति की कर्की और नीलाम।

२६०-ग—(१) बाकीदार चाहे गिरफ्तार हुआ हो या नहीं, कलेक्टर उसकी चल-सम्पत्ति को कुर्क और नीलाम कर सकते हैं।

(२) इस धारा के अधीन प्रत्यक कुर्की और नीलाम दीवानी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में चल-सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम के विषय म, समय विशेष पर प्रचलित विधि के अनुसार, किया जायगा।

(३) कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ६० के प्रतिबन्धात्मक वाक्य के खंड (ए) से (ओ) तक में उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त, एसी वस्तुएं भी, जो केवल धार्मिक उपासना के लिये अलग कर दी गई हों, इस धारा के अधीन कुर्की और नीलाम से मुक्त रहेंगी।

(४) कुर्की और नीलाम का व्यय मालगुजारी की बकाया में जोड़ दिया जायगा और उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा।

(५) जहां धारा २६० के खंड (ग) के अधीन गांव-सभा को वसूली का अधिकार दिया गया हो, वहां गांव-सभा चल-सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो नियत की जाय।

गांव-पञ्चायत का धारा २६० के अधिकारों का प्रयोग।

२६१—यदि गांव-सभा को धारा २५३ के अधीन मालगुजारी वसूल करने और उगाहने का भार सौंपा गया हो तो, प्रान्तीय सरकार गजट में तत्सम्बन्धी या विशेष आज्ञा प्रकाशित करके सामान्य गांव-पंचायत को अधिकार दे सकती है कि वह मालगुजारी की वसूली और उगाही में धारा २६० के खंड (क), (ग) और (घ) में उल्लिखित सब अधिकारों या उनमें से किसी का प्रयोग करे।

मालगुजारी की बकाया की वसूली के लिये खाते का नीलाम—

२६२—(१) इस विधान में किसी बात के रहते हुय भी, यदि किसी खाते की मालगुजारी बाकी हो तो, कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह स्वयं या गांव-पंचायत की प्रार्थना पर खाते को ऐसी रीति से जो नियत की जाय बेचकर बिक्री से प्राप्त आय को बकाया के भुगतान में लगा दे और यदि कुछ बचे तो उसे भूमिधर या सीरदार को, जसी भी दशा हो, लौटा दे।

(२) इस धारा के अधीन हुए विक्रय की प्रसूचना (report) कलेक्टर नियत अधिकारी को देगा।

विक्रय-मूल्य का प्रयोग

२६२-क—खाते का धारा २६२ के निदेशों के अधीन बिकने पर उसका विक्रय-मूल्य, पहले नीलाम के व्यय की अदायगी में लगाया जायगा और फिर उसके बाद माल-गुजारी की बकाया के भुगतान में और जो बचेगा, वह उस व्यक्ति को देय होगा, जो उसका अधिकारी हो।

दूसरी अचल-सम्पति में बाकीदार के स्वत्व के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार—

२६२-ख—(१) यदि मालगुजारी की कोई बकाया धारा २६० के खंड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित किसी भी प्रसर (process) द्वारा वसूल न हो सके तो कलेक्टर, बाकीदार की किसी दूसरी अचल-सम्पत्ति में बाकीदार के स्वत्व से, बकाया वसूल कर सकते हैं, मानो उक्त बकाया ऐसी दूसरी सम्पत्ति पर निर्धारित मालगुजारी की बकाया हो और उसी के सम्बन्ध में देय हो।

(२) ऐसा रुपया जो मालगुजारी के रूप में वसूल किया जा सकता हो, पर किसी भूमि विशेष के सम्बन्ध में देय न हो, इस धारा के अधीन बाकीदार की किसी अचल-संपत्ति से वसूल किया जा सकता है।

धारा २५२ के अधीन नियुक्त व्यक्ति द्वारा अदा की गई बकाया की वसूली—

२६२-ग—धारा २५२ के अधीन नियुक्त ऐसा व्यक्ति, जिसने ऐसे गांव के, जिसके लिये वह नियुक्त हुआ हो, किसी खातेदार द्वारा देय मालगुजारी की बकाया देदी हो, उसे देने से ६ महीने के भीतर कलेक्टर को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि उसकी ओर से

उक्त बकाया को वसूल करा दिया जाय, मानो वह सरकार को देय मालगुजारी की बकाया हो।

ऐसा प्रार्थना-पत्र पाने पर, और इस बात का संतोष कर लेने के बाद कि मांगा जाने वाला रुपया ऐसे व्यक्ति को देय है, कलेक्टर उक्त खातेदार या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो खाते के कब्जे में हों, व्यय और ब्याज सहित ऐसी धनराशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा, मानो वह मालगुजारी की बकाया हो।

यदि ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में, जिसकी वसूली के लिये इस धारा के अधीन कलेक्टर ने आज्ञा दी हो, कोई वाद (suit) लाया जाय तो उसमें कलेक्टर प्रतिवादी न बनाया जायगा,

इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दी गई किसी आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी, किंतु उस आज्ञा की कोई बात या इस धारा के अधीन दी गई कोई आज्ञा, मालगुजारी की बकाया के सम्बन्ध में खातेदार द्वारा वाद प्रस्तुत किए जाने के मार्ग में बाधक न होगी।

विधान के प्रारम्भ समय देय बकाया के निदेशों का लागू किया जाना-

२६२-घ--मालगुजारी की बकाया की वसूली से सम्बन्ध रखने वाले इस विधान के निदेश, इस विधान के प्रारम्भ के समय देय मालगुजारी की सभी बकाया को तथा ऐसे रुपयों को जो मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किए जा सकते हों, लागू होंगे।

मालगुजारी की बकाया में गांव की कुर्की--

२६३--(१) कभी मालगुजारी बकाया में पड़ जाने के बाद किसी समय कलेक्टर उस गांव को या उसकी किसी भूमि को जिसके सम्बन्ध में वह बकाया हो, कुर्क कर ले और उसे ऐसे काल के लिये जो उसे उचित जान पड़े या तो स्वयं अपने प्रबन्ध में ले ले या किसी ऐसे एजेंट के प्रबन्ध में दे दे जिसे उसने इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया हो,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कुर्की के दिनांक से ठीक बाद के कृषि-वर्ष के प्रारम्भ से तीन वर्ष से अधिक के लिये कोई गांव या उसमें की कोई भूमि इस प्रकार कुर्क नहीं की जायगी और यदि बकाया इस अवधि के भीतर ही चुका दी जाय तो कुर्की निरस्त (cancelled) कर दी जायगी।

(२) कुर्की की अवधि के समाप्त हो जाने पर गांव के सम्बन्ध में देय मालगुजारी की बकाया सम्बन्धी सरकार के समस्त दावों से मुक्त होकर गांव छोड़ दिया जायगा, और उस पर उसकी मालगुजारी की किसी बकाया के लिये सरकार का कोई दावा न रह जायगा।

उसके प्रबन्ध के अधीन क्षेत्र के सम्बन्ध में कलेक्टर के अधिकार और आभार।

२६३–क––जब तक कोई निर्दिष्ट क्षेत्र इस प्रकार कलेक्टर के पास अपने ही प्रबन्ध में रहे, कलेक्टर ऐसे अनुबन्ध (engagement) से, जो बाकीदार और असामी या अधिवासी के बीच हुआ हो और कुर्की के काल में विद्यमान रहा हो, बाध्य होगा, और इस प्रकार अपने प्रबन्ध में ली हुई सम्पत्ति का प्रबन्ध करने और उससे उत्पन्न होने वाले लगान और लाभ को पाने का अधिकारी होगा। उक्त सम्पत्ति से इस प्रकार वसूल किया गया मालगुजारी की ऐसी किस्त को, जो कुर्की के बाद देय हुई हो तथा कुर्की और प्रबन्ध के व्यय को, अदायगी में लगाय जायगा और फिर यदि कुछ बचेगा तो वह उस बकाया के भुगतान में, जिसके निमित्त कुर्की हुई हो, लगाया जायगा।

उस खाते को, जिसके सम्बन्ध में बकाया देय हो, लगान पर उठाने के कलेक्टर के अधिकार।

२६३––ख (१) यदि मालगुजारी की बकाया किसी खाते के सम्बन्ध में देय हो, तो इस विधान में किसी बात के रहते हुए भी कलेक्टर उक्त खाते को, बाकीदार से भिन्न किसी व्यक्ति को अगली जुलाई के पहले दिन से लेकर धिक से अधिक दस वर्ष के काल के लिये तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जिन्हें कमिश्नर निश्चित कर दें, उठा सकता है।

(२) इस धारा की किसी बात का किसी ऐसे खातेदारों के दायित्व पर, जो इस विधान के अधीन मालगुजारी की बकाया का देनदार हो, कोई प्रभाव न पड़ेगा।

(३) पट्टे की अवधि के बीत जाने पर खाता तत्सम्बन्धी खातेदार के पक्ष में, उक्त खाते की बकाया के लिये प्रांतीय सरकार के समस्त दावों से मुक्त होकर, प्रत्यर्पित (restored) हो जायगा।

कुर्क क्षेत्र के लगान तथा तत्संबंधी अन्य देयों की अदायगी।

२६३–ग––धारा २६३ के अधीन किसी क्षेत्र के कर्क होने या धारा २६३–ख के अधीन उसके लगान पर उठा दिए जाने, पर घोषणा (proclaimation) के दिनांक के बाद, असामी, अधिवासी या कब्जा रखने वाले अन्य व्यक्ति के द्वारा, उस भूमि के लगान या अन्य देयों के निमित्त, कलेक्टर से भिन्न, किसी व्यक्ति को की गई किसी अदायगी से वैध रीति से किसी दायित्व का परिशोध (discharge) न होगा।

२६३-घ--इस विधान द्वारा संशोधित यूनाइटेड प्राविंसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अध्याय ९ और १० के निदेशों, जहां तक वे इस विधान के निदेशों से असंगत न हों, इस अध्याय के अधीन दिये गए प्रार्थना-पत्रों और चलने वाले व्यवहारों (proceedings) पर लागू होंगे।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१ ई० के निदेशों का इस अध्याय के अधीन प्रार्थना-पत्रों और व्यवहारों पर लागू किया जाना।

२६४--(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रान्तीय सरकार नियम बना सकती है।

नियम बनाने का अधिकार।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :—

(क) भूमिधर या सीरदार द्वारा दिये गये अधिक धन की धारा २३१ के अधीन प्रतिपूर्ति (reimbursement) की प्रक्रिया,

(ख) धारा २४७ के अधीन उज्रदारी करने की रीति,

(ग) धारा २५१ के अधीन मालगुजारी के बढ़ाने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(घ) मालगुजारी के वसूली के लिये धारा २५२ के अधीन रीति और व्यवस्था (arrangement),

(ङ) धारा २५३ के अधीन गांव-पंचायत द्वारा मालगुजारी की वसूली की प्रक्रिया,

(ङ ङ) धारा २६० के अधीन अचल-सम्पत्ति की कुर्की, हस्तान्तरण और विक्रय की प्रक्रिया,

(च) धारा २६१ के अधीन गांव-पंचायत द्वारा अधिकारों के प्रयोग की रीति,

(छ) इस अध्याय के अधीन कर्त्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में अधिकारियों का सामान्य पथ-प्रदर्शन,

(ज) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत किये जायें।

अध्याय ११

सहकारी फार्म (Co-operative Farm)

२६५—गांव-समाज के ऐसे दस या अधिक सदस्य, जिनके पास सब मिला कर तीस एकड़ या उससे अधिक भूमि में भूमिधरी या सीरदारी अधिकार हों और जो सहकारी फार्म (farm) खोलना चाहते हों, को-आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ ई० के अधीन नियुक्त

सहकारी खेती संस्था का निर्माण।

ऐक्ट सं० २, १९१२ ई०

रजिस्ट्रार को (जो आगे चलकर रजिस्ट्रार कहा जायगा), उसकी रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं।

रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र।

२६६—सहकारी फार्म की रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ अधिकार अभिलेखों के ऐसे उद्धरण (extracts) जिनमें उस मंडल के प्रत्येक प्रार्थी के पास के सब खेतों की अभिलिखित क्रम संख्या (recorded numbers) सहित उनका कुल क्षेत्रफल दिखाया गया हो और जिनमें ऐसे और भी ब्योरे हों, जो नियत किये जायं, प्रस्तुत करने होंगे

सहकारी खेती संस्था की रजिस्ट्री।

२६७—(१) यदि रजिस्ट्रार को ऐसी जांच के बाद, जो नियत की जाय, यह संतोष हो जाय कि प्रार्थना-पत्र यथावत् (duly) दिया गया है, तो वह कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ ई० के अधीन सहकारी फार्म की रजिस्ट्री कर देगा और रजिस्ट्री का एक प्रमाण-पत्र (certificate) दे देगा।

ऐक्ट २, १९१२ ई०

(२) रजिस्ट्रार प्रमाण-पत्र की एकप्रति कलेक्टर को ऐसी कार्यवाही के लिये, जो नियत की जाय, भिजवा देगा।

किसी सदस्य की भूमि का संस्था को अन्तरण होना

२६८—किसी सहकारी फार्म की धारा २६७ के अधीन रजिस्ट्री हो जाने पर उस मंडल में स्थित सभी खातों की भूमि, जो भूमिधर, सीरदार या असामी में से किसी भी वर्ग के सदस्य के पास हो, उस सहकारी फार्म की रजिस्टरी के निरसित (cancelled) होने तक, उस सहकारी फार्म को हस्तान्तरित, और उसके कब्जे में समझी जायगी, और उसके बाद से उक्त भूमि उस फार्म के पास, इस अध्याय के निदेशों के अनुसार रहेगी और इस विधान में किसी बात के रहते हुए भी, वह फार्म धारा १४८ में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिये या गृह-उद्योग (cottage industries) के विकास के लिये उसे उपयोग में ला सकेगा।

अलाभकर खातों की सहकारी खेती संस्था का निर्माण

२६९—यदि किसी मंडल के अलाभकर (uneconomic) खातों में भूमिधरी या सीरदारी अधिकार रखने वाले कुल व्यक्तियों में से कम से कम ऐसे दो-तिहाई, जिनके खातों का क्षेत्रफल सब मिलाकर उस मंडल के ऐसे कुल खातों के संकलित (aggregate) क्षेत्रफल का कम से कम दो-तिहाई हो, कलेक्टर को संयुक्त रूप से प्रार्थना-पत्र दें कि एक सहकारी फारम स्थापित किया जाय, तो कलेक्टर नोटिस द्वारा उस मंडल के शेष ऐसे खातों के सब खातेदारों को आज्ञा देगा कि वे यह बतायें कि उस मंडल के ऐसे खातों के अन्तर्गत सब भूमि को मिलाकर एक सहकारी फारम क्यों न स्थापित और संगठित (constituted) किया जाय।

उज्रदारियों का निस्तारण।

२७०—कलेक्टर उन खातेदारों के उज्र सुनेगा, जो अपनी सुनवाई चाहते हों और उन्हें सुनकर, यदि उसको यह संतोष न हो कि ऐसा करना उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियो के परम हित (best interest) के लिये नहीं है, तो वह यह आज्ञा देगा कि उस मंडल के अलाभकर खातों के अन्तर्गत सभी भूमि सम्मिलित करके एक सहकारी फार्म स्थापित कर दिया जाय।

धारा २७० के अधीन आज्ञा की तामील।

२७१—धारा २७० के अधीन सहकारी फार्म स्थापित करने की आज्ञा का नोटिस उससे प्रभावित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर तामील किया जायगा और नियत रीति से मंडल में घोषित भी किया जायगा।

अपील

२७२—यदि कोई व्यक्ति धारा २७० के अधीन दी गई कलेक्टर की आज्ञा से असन्तुष्ट (aggrieved) हो तो, वह आज्ञा के दिनांक से साठ दिन के भीतर कमिश्नर को अपील कर सकता है, और अपील में कमिश्नर द्वारा दी गई आज्ञा अन्तिम और निश्चायक (conclusive) होगी।

अलाभकर खातों की सहकारी खेती संस्था का रजिस्ट्री।

ऐक्ट २, १९१२ का

२७३—(१) सहकारी फार्म स्थापित करने के लिये धारा २७० या २७२ के अधीन दी गई आज्ञा की एक प्रतिलिपि कलेक्टर रजिस्ट्रार को भिजवा देगा और तब रजिस्ट्रार को आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट १९१२ के अधीन उस फार्म की रजिस्ट्री कर देगा और रजिस्ट्री का एक प्रमाण-पत्र (certificate) दे देगा ।

(२) रजिस्ट्रार प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि कलेक्टर को ऐसी कार्यवाही के निमित्त, जो नियत की जाय, भिजवा देगा ।

अलाभकर खातों की भूमि का संस्था को अन्तरण होना

२७४—किसी सहकारी फार्म की धारा २७३ के अधीन रजिस्ट्री हो जाने पर उस मंडल मे स्थित सभी अलाभकर खातों की भूमि, जो भूमिधर, सीरदार या असामी मे से किसी के भी पास हो, उस सहकारी फार्म की रजिस्ट्री के निरसित (cancelled) होने तक, उस सहकारी फार्म को हस्तान्तरित, और उसके कब्जे में समझी जाएगी और उसके बाद से उक्त भूमि उस फार्म के पास, इस अध्याय के निदेशों के अनुसार रहेगी और इस विधान मे किसी बात के रहते हुए भी, वह फार्म धारा १४८ में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिये या गृह-उद्योग (cottage industries) के विकास के लिये उसे उपयोग में ला सकेगा।

ऐसे भूमिधर या सीरदार की भूमि का ले लिया जाना, जो संस्था में सम्मिलित न हो।

२७५—यदि कोई ऐसा भूमिधर या सीरदार, जिसके पास किसी ऐसे मंडल मे कोई अलाभकर खाता हो, जिसमें फार्म की रजिस्ट्री [illegible] २७३ के अधीन की गई हो, उस फार्म [illegible]म्मलित न होना चाहे तो

रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र के प्रदान से तीन मास के भीतर उस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र देने पर धारा २७४ में उल्लिखित भूमि में अपने स्वत्वों के निमित्त ऐसा प्रतिकर, ऐसे सिद्धान्तों पर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, पाने का अधिकारी होगा, और तब ऐसी भूमि में उसके सब स्वत्व उक्त सहकारी फार्म को हस्तान्तरित होकर उसके स्वत्वाधिकार में चले जायेंगे और वह व्यक्ति फार्म का सदस्य नहीं रहेगा।

रजिस्ट्री के परिणाम।

२७६—यदि धारा २६७ या २७३ के अधीन किसी सहकारी फार्म के सम्बन्ध में रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र दिया गया हो तो, को-आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के निदेश, जहां तक वे इस विधान या इसके अधीन बने नियमों से असंगत (inconsistent) न हों, उसे लागू होंगे।

ऐक्ट २, १९१२

संस्था की उपविधि

२७७—धारा २६५ या २६९ के अधीन प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ सहकारी फ़ार्म की प्रस्तावित उपविधियों (by-laws) की एक प्रतिलिपि दी जायगी और उन उपविधियों के विषय में यह समझा जायगा कि वे ऐसी उपविधियां हैं, जिनका को-आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ ई० की धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन प्रस्तुत होना आवश्यक है।

१९१२ का ऐक्ट २

२७८—[*]

संस्था को दी गई भूमि का उसके भूमिधर या सीरदार के स्वत्वाधिकार में रहना।

२७९—इस अध्याय की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि सहकारी फार्म में भूमिधर या सीरदार द्वारा या उसकी ओर से दी गई भूमि में उक्त भूमिधर या सीरदार का स्वत्व नहीं रह गया है।

संस्था को दी गई भूमि का विनियोग।

२८०—(१) उस दशा को छोड़, जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) में की गई है, सहकारी फार्म के किसी सदस्य को यह अधिकार नहीं होगा कि अपने द्वारा फार्म में दी गई किसी भूमि का वह किसी प्रकार से विनियोग (disposition) कर सके।

(२) सहकारी फार्म का कोई ऐसा सदस्य, जो उस फार्म को अपने द्वारा दी गई भूमि का भूमिधर हो, ऐसी भूमि की विरासत वसीयत (testamentary disposition) और फार्म की अनुज्ञा (permission) से किसी अन्य प्रकार का भी विनियोग (disposition) कर सकता है।

सदस्यों के अधिकार, विशेषाधिकार, भार और दायित्व।

२८१—सहकारी फार्म के प्रत्येक सदस्य को ऐसे अधिकार और विशेषाधिकार होंगे और वह ऐसे आभारों (obligations) और दायित्वों (liabilities) के अधीन रहेगा और उसको ऐसे कर्त्तव्य पालन करने होंगे, जो इस विधान द्वारा या इसके अधीन उसको दिए या उसपर लगाये गये हों।

---

[*]—निकाल दिया गया।

२८२- -[*]

संस्था का मालगुजारी और अन्य देयों के लिये दायित्व।

२८३--ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो सहकारी फार्म के पास धारा २६८ या २७४ के अधीन आई हो, उक्त फार्म अपने संघठित होने के दिनांक से भूमिधर, सीरदार या असामी द्वारा देय सब मालगुजारी, अबवाब स्थानिक कर या लगान का देनदार होगा।

नये सदस्यों का प्रवेश

२८४--कोई ऐसा व्यक्ति, जो उस मंडल का रहने वाला हो, जिसमें कोई सहकारी फार्म स्थित हो, या जो ऐसे मंडल में बसने का विचार करता हो या जो उसमें खेती करता हो, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के साथ, जो उस फार्म द्वारा लगाए जायं, उस फार्म का सदस्य बनाया जा सकता है।

उत्तराधिकारियों का संस्था के सदस्य होना।

२८५--यदि कोई सदस्य, जिसकी भूमि सहकारी फार्म में हो, मर जाय तो इस विधान के अधीन होने वाले उसके उत्तराधिकारी उस फार्म के सदस्य हो जायंगे।

संस्था की भूमि की चकबन्दी।

२८६--(१) प्रत्येक सहकारी फार्म का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपनी भूमि की चकबन्दी (consolidation) का उद्योग करे।

(२) सहकारी फार्म परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector of the Sub-Division) को अपनी भूमि की चकबन्दी के लिए ऐसे ब्यौरों (particulars) के साथ, जो नियत किए जायं, प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

(३) असिस्टेंट कलेक्टर, यदि किन्हीं कारणों से, जिन्हें अभिलिखित करना उसके लिए आवश्यक होगा,[*] ऐसा करना अनुपयुक्त (inexpedient) न समझे तो भूमि की चकबन्दी की आज्ञा दे देगा। और ऐसे प्रयोजन के लिये वह मंडल के भीतर की भूमि की अदला-बदली (exchange) का भी निर्देश कर सकेगा।

(४) भूमि की बदलाई का निर्देश करते समय असिस्टेंट कलेक्टर, जहां तक सम्भव हो, बदलाई में मिली हुई भूमि के बदले लगभग उसी के बराबर मूल्य की भूमि के दिये जाने की आज्ञा देगा और यदि दोनों के मूल्य में अन्तर हो, तो वह नक़द प्रतिकर देने का भी निर्देश कर सकता है।

(५) उपधारा (३) के अधीन भूमि की बदलाई का निर्देश होने पर सहकारी फार्म उसके सदस्यों और ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी भूमि की बदलाई हुई हो, बदले में मिली भूमि में वे ही अधिकार होंगे, जो उन्हें बदले में दी गई भूमि में थे।

(६) इस धारा के अधीन दी गई असिस्टेंट कलेक्टर की प्रत्येक आज्ञा के विरुद्ध कमिश्नर के सामने अपील हो सकेगी।

[*] निकाल दिया गया।

सहकारी खेती संस्था को ऋण देना।

२८७--(१) सहकारी फार्म द्वारा इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर प्रान्तीय सरकार उस फारम को ऐसी मात्रा तक और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, धारा २७५ के अधीन प्रतिकर देने के लिये ऋण देगी।

(२) उपधारा (१) के निदेशों के अधीन दिया गया ऋण, ऐसी रीति से और ऐसी किस्तों में, जो नियत की जायं, चुकाया (repaid) जायगा और समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी और धारा २२८ के निदेशों को बाधित न करते हुए, ऐसा ऋण समय विशेष पर उस फार्म के अन्तर्गत सभी भूमि पर प्रथम भार (first charge) होगा।

सहकारी खेती संस्था को रियायत और सुविधायें।

२८८--(१) सहकारी फार्म को ऐसी रियायतें (concessions) और सुविधायें (facilities), जो नियत की जायं, पाने का अधिकार होगा;

(२) पूर्वोक्त निदेशों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, रियायतों और सुविधाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे :—

(क) मालगुजारी में कमी,

(ख) कृषि-आय कर में कमी या उससे मुक्ति (exemption),

(ग) सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों से निःशुल्क शिल्पकला सम्बन्धी राय (free technical advice),

(घ) ब्याज पर या बिना ब्याज के धन की सहायता (financial aid), सहायक अनुदान तथा ऋण (grant of subsidy and loans),

(ङ) गांव-सभा से काश्तकारी पर भूमि पाना, और

(च) सिंचाई के सरकारी साधनों से सिंचाई की प्रथमता (priority)।

अलाभकर खाते।

२८९--(१) यदि किसी मंडल में किसी भूमिधर या सीरदार के कुल खातों का संकलित क्षेत्रफल ऐसी मात्रा से कम हो, जो प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित करे, तो ऐसे सभी खाते मिलकर भूमिधर या सीरदार का "अलाभकर खाता" (uneconomic holding) कहलायेंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति सामान्य रूप से या प्रान्त के किसी भाग या भागों के लिये प्रकाशित की जा सकेगी और उसके द्वारा भिन्न-भिन्न भागों के लिये भिन्न-भिन्न मात्रायें निर्दिष्ट की जा सकेंगी।

[*] निकाल दिया गया।

२९०--(१) प्रान्तीय सरकार इस अध्याय के प्रयो-जनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है,-

नियम बनाने का अधिकार।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को न बाधित करते हुए ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:--

(क) धारा २६५ के अधीन प्रार्थना-पत्र का आकार और उसकी सुनवाई और निर्णय की प्रक्रिया,

(ख) धारा २६७ की उपधारा (२) या धारा २७३ की उपधारा (२) के अधीन कलेक्टर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही ;

(ग) धारा २६९ के अधीन प्रार्थना-पत्र का आकार और धारा २७० के अधीन उज्रदारियों की सुनवाई और निर्णय की प्रक्रिया ;

(घ) धारा २७२ के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली अपीलों का आकार और अपील के स्मरण-पत्र (memorandum) पर दिये जाने वाले न्याय-शुल्क (court-fee) की मात्रा ;

(ङ) वे सिद्धान्त, जिनपर, और वह रीति, जिससे, धारा २७५ के अधीन प्रतिकर अवधारित किया या दिया जाय ;

(च) इस अध्याय के अधीन निबन्धित(रजिस्टर) किये जाने वाले सहकारी फार्मों की उपविधियों के आदर्श आकार (model form);

(छ) ऐसा या ऐसे आधार जिन पर सह-कारी फार्म किसी भूमिधर को धारा २८० के अधीन अपनी भूमि का विनियोग करने की अनुज्ञा दे ;

(ज) सदस्यों के अधिकार, विशेषाधिकार, आभार, दायित्व और कर्तव्य ;

(झ) सदस्यों का प्रवेश,त्याग-पत्र (resig-nation) देना और निकाला जाना (expulsion) ;

(ञ) सदस्य के त्याग-पत्र देने या निकाले जाने के परिणाम और फार्म को दिये गये भूमि, धन, कृषि सम्बन्धी पशु और उपकरणों के सम्बन्ध में ऐसे सदस्यों द्वारा प्रतिकर की मांग का चुकाया जाना ;

(ट) धारा २८६ के अधीन खातों की चकबन्दी करन, भूमि की बदलाई का निर्देश देन और प्रतिकर अदायगी में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्त ;

(ठ) धारा २८७ के अधीन दिये जाने वाले ऋण और उस पर लिया जाने वाला ब्याज ;

(ड) धारा २८८ के अधीन सहकारी फार्म को दी जाने वाली रियायतें और सुविधायें ;

(ढ) सदस्यों द्वारा भूमि, धन और दूसरी सम्पत्ति का अंशदान उनका मूल्यांकन (valuation) और सधान (adjustment) ;

(ण) फार्म में काम करने वाले सदस्यों का वेतन और मजदूरी (remuneration and wages);

(त) फार्म के व्यय और अन्य देयों की अदायगी ,

(थ) फार्म की उपज और लाभ का बांटना,

(द) फार्म द्वारा या उसकी ओर से वादों का प्रस्तुत किया जाना या उनका प्रतिवाद (defending) और संविदाओं (contracts) तथा अन्य लेख्यों (documents) के निष्पादन की रीति ;

(ध) सामान्य रूप से संस्था के कार्यों का प्रचालन (conduct of affairs) और उसका संचलन (working) ;

(न) सदस्यों के निजी ऋणों का भुगतान (liquidation) और उनकी साख का नियमन (regulating of their credit),

(प) कृषि के विकास के लिये तथा नियन्त्रित योजना के अनुकूल कृषि सम्बन्धी उत्पादन (planned agricultural production) के लिये प्रान्तीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले निर्देश ;

(फ) भूमिधरों और सीरदारों से भिन्न सदस्यों के सम्बन्ध में उत्तराधिकार का नियमन (regulating the succession to members); तथा

(ब) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत किये जायं।

अध्याय १४

प्रकीर्ण (Miscellaneous)

इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये अधिकारियों और आधिकारिकों की नियुक्ति।

२९१—इस विधान के प्रयोजनों के लिये प्रान्तीय सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है:—

(क) प्रतिकर कमिश्नर (Compensation Commissioner),

(ख) सहायक प्रतिकर कमिश्नर (Assistant Compensation Commissioners),

(ग) प्रतिकर अधिकारी (Compensation Officers), तथा

(घ) पुनर्वासन अनुदान अधिकारी (Rehabilitation Grants Officers)।

अधिकार और कर्त्तव्य।

२९२—(१) प्रतिकर कमिश्नर और सहायक प्रतिकर कमिश्नर ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे और प्रतिकर अधिकारियों और पुनर्वासन अनुदान अधिकारियों के कार्य के पर्यवेक्षण (supervision) और अधीक्षण (superintendence) के ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं।

(२) प्रतिकर अधिकारी और पुनर्वासन अनुदान अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस विधान या उसके अधीन बने नियमों के द्वारा या अधीन उन्हें दिए गए या उन पर लगाए गए हों।

अधिकारों का प्रतिनिधान।

२९३—गजट के विज्ञप्ति द्वारा प्रान्तीय सरकार इस विधान द्वारा मिले अपने अधिकारों में से किसी को अपने अधीन किसी भी अधिकारी (officer) या आधिकारिक (authority) को विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किए जाने वाले किन्हीं भी प्रतिबन्धों (conditions) और निरोधों (restrictions) के अधीन प्रयोग करने के लिये सौंप सकती है।

कुछ विषयों में साक्षियों को उपस्थित कराने का अधिकार।

२९४—निम्नलिखित विषयो के सम्बन्ध में किसी भी प्रतिकर अधिकारी या पुनर्वासन अनुदान अधिकारी को ऐसे सब सामर्थ्य (powers), अधिकार (rights, और विशेषाधिकार (privileges) प्राप्त होंगे, जो किसी व्यवहार (action) के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालयों (Civil Courts) को हैं:—

(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और उनको शपथ देकर, प्रकथन (affirmation) करा के, या अन्य प्रकार से उनके वक्तव्य लेना और अपने अधिक्षेत्र से बाहर साक्षियों का वक्तव्य लेने के लिये कमीशन या निवेदन-पत्र (letter of request) जारी करना;

(ख) लेख्य (documents) प्रस्तुत करने को बाध्य करना;

(ग) न्यायालय के अपमान (contempt) के लिए लोगों को दंड देना;

और किसी भी व्यवहार (action) में साक्षियों को उपस्थित कराने और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिए दीवानी न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी रीतिक प्रसर (formal-process) के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सम्मन भेजा जा सकता है और वह उस ही के बराबर समझा जायगा।

२९५--(१) नियत किये जाने वाले किन्हीं भी प्रतिबन्धों या निरोधों को बाधित न करते हुए, प्रतिकर अधिकारी या पुनर्वासन अनुदान अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह ऐसे लेख्य, पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करे या ऐसी सूचना दे जो प्रतिकर अधिकारी या पुनर्वासन अनुदान अधिकारी इस विधान के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग या अपने कर्तव्यों का उचित पालन करने के लिये आवश्यक समझे।

लेख इत्यादि प्रस्तुत कराने का अधिकार।

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य, पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, यह समझा जायगा कि वह इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा १७५ और १७६ के अर्थ में विधितः ऐसा करने को बाध्य (legally bound) है।

२९६--ऐसे प्रतिबन्धों या निरोधों पर उपाश्रित रहते हुए, जो नियत किये जायं, इस ऐक्ट के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए किसी समय, किसी भूमि पर, ऐसे जनसेवकों (public servants) सहित जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रवेश कर सकता है और उसका पर्यालोकन (survey) या पैमाइश (measurements) कर सकता है या अन्य ऐसा कार्य कर सकता है, जो वह इस ऐक्ट के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक समझे।

भूमि पर प्रवेश करने और पर्यालोकन इत्यादि का अधिकार।

२९७--किसी प्रतिकर अधिकारी या पुनर्वासन अनुदान अधिकारी के सामने होने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि वह इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में और धारा १९६ के प्रयोजनों के लिय एक वैचारिक व्यवहार (judicial proceeding) है।

प्रतिकर अधिकारी और पुनर्वासन अनुदान अधिकारी के सामने व्यवहारों का वैचारिक व्यवहार माना जाना।

२९८--इस ऐक्ट के अधीन प्रतिकर अधिकारी या पुनर्वासन अनुदान अधिकारी द्वारा वाद-व्यय (costs) के सम्बन्ध में दी गई आज्ञा, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उक्त वाद-व्यय पाने का अधिकारी हो, उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि सहित अधिक्षेत्र-प्राप्त मुंसिफ को प्रार्थना-पत्र देकर कार्यान्वित कराई जा सकती है और मुंसिफ उसे इस प्रकार निष्पादित करेगा मानो वह उस मुंसिफ द्वारा दिये गये रुपये की डिक्री के निष्पादन का प्रार्थना-पत्र हो।

वाद-व्यय।

२९९--ऐसा नोटिस या अन्य लेख्य, जिसकी तामील इस विधान द्वारा अपेक्षित (required) या अधिकृत

नोटिस के तामील की रीति।

(authorised) हो, निम्नलिखित प्रकार से तामील किया जा सकेगा —

(क) उस व्यक्ति को देकर, जिसपर उसकी तामील होनी है, या

(ख) उस व्यक्ति के साधारण अथवा अन्तिम ज्ञात निवासस्थान (usual or last known place of abode) पर उसे छोड़ कर, या

(ग) उसके साधारण या अन्तिम ज्ञात निवास स्थान के पते पर उसे रजिस्ट्री-पत्र द्वारा भेज कर, या

(घ) किसी निगमीकृत कम्पनी या संस्था (incorporated company or body) के विषय में उस कम्पनी या संस्था के मंत्री (Secretary) या किसी दूसरे प्रधान कार्याधिकारी (principal functionary) के नाम से उसके प्रधान कार्यालय में देकर या उसके पते से रजिस्ट्री-पत्र द्वारा भेज कर, या

(ङ) [*]

(च) ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाय।

लेखों के विवरणों और रजिस्टरों के निरीक्षण करने और प्रतिलिपि लेने का अधिकार।

३००—इस विधान या इसके अधीन बने नियमों के अनुसार रक्खे जाने वाले सब लेखों, विवरणों और रजिस्टरों का निरीक्षण ऐसे समय पर, ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन और ऐसा शुल्क [*] देने पर, जो नियत किया जाय, किया जा सकेगा, और ऐसा शुल्क [*] देने पर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि किसी ऐसे लेख्य, विवरण या रजिस्टर [*] या उसके किसी अंश की प्रतिलिपि ले सके।

३०१—[*]

कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में आस्थान या खाते।

३०२—समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के रहते हुए भी, इस विधान के निदेश ऐसा कोई आस्थान या उसका भाग हस्तगत (acquisition) करने के सम्बन्ध में जो यूनाइटेड प्राविंसेज कोर्ट आफ़ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२ या समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन कोर्ट आफ वार्ड्स या प्रान्तीय सरकार के प्रबन्ध में हो, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे इस विधान के अधीन हस्तगत किए गए किसी आस्थान पर लागू होंगे।

सं० प्रा० ऐक्ट ४, १९१२ ई०

व्यवहार का अन्तरण

३०३—(१) किसी फरीक (party) के प्रार्थना-पत्र पर और दूसरे फरीक़ों को नोटिस देकर और ऐसे फरीक़ की सुनवाई करके, जो अपनी सुनवाई चाहता हो, या ऐसे नोटिस बिना स्वयं ही, डिस्ट्रिक्ट जज अपने अधिक्षेत्र के किसी प्रतिकर अधिकारी या पुनर्वासन अनुदान

निकाल दिया गया।

अधिकारी के सामने चल रहे किसी व्यवहार (proceeding) को अपने यहां मंगा सकता है और अपने अधिक्षेत्र में नियुक्त और उस व्यवहार के निस्तारण में समर्थ (competent to dispose of) किसी अन्य प्रतिकर अधिकारी या पुनर्वासन अनुदान अधिकारी को, जैसी भी दशा हो, उसे निस्तारण (disposal) के लिये संक्रामित (transfer) कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी व्यवहार के संक्रामित होने पर उस अधिकारी को, जो उसके बाद उस व्यवहार का निस्तारण करे, अधिकार होगा कि यदि संक्रमण (transfer) की आज्ञा में कोई विशेष निर्देश हो तो उसे बाधित न करते हुए, चाहे वह उसकी कुल मुनवाई आदि से फिर करे या उस अवस्थान (point) से प्रारम्भ करे जिस पर वह व्यवहार संक्रामित हुआ था।

कुछ विषयों में दीवानी न्यायालय का अधिक्षेत्र न होना।

३०४—उस दशा को छोड़[*] जिसकी व्यवस्था इस विधान के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्रकार से की गई हो, ऐसा कोई वाद या दूसरा व्यवहार किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा, जिसका सम्बन्ध प्रतिकर निर्धारण तालिका मे किसी इन्दराज के होने या न होने से या भाग १ के अधीन दी गई किसी आज्ञा से हो। [*]

इस विधान के अधीन वादों आदि की अवेक्षा।

३०४-क—(१) ऐसी दशा को छोड़, जिसके विषय में इस विधान द्वारा या इसके अधीन कोई व्यवस्था की गई हो, परिशिष्ट ३ के स्तम्भ ४ में उल्लिखित न्यायालय को छोड़ कोई दूसरा न्यायालय, उक्त अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित किसी वाद, प्रार्थना-पत्र या व्यवहार (proceeding) की, सिविल प्रोसीजर कोड, १९०८ में किसी बात के रहते हुए भी, अवेक्षा न करेगा (shall not take cognizance)।

(२) ऐसी दशा को छोड़, जिसके विषय में आगे व्यवस्था की गई है, पूर्वोक्त परिशिष्ट के स्तम्भ ३ में उल्लिखित वादों और व्यवहारों में से किसी में दी गई किसी आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

(३) उक्त परिशिष्ट के स्तम्भ ३ में उल्लिखित व्यवहारों में स्तम्भ ४ में उल्लिखित न्यायालय द्वारा दी गई अन्तिम आज्ञा (final order) के विरुद्ध उसी परिशिष्ट के स्तम्भ ५ में उल्लिखित न्यायालय या आधिकारिक के सामने अपील हो सकेगी।

[*] निकाल दिया गया।

(४) उपधारा (३) के अधीन की गई अपील में की गई अन्तिम आज्ञा के विरुद्ध उसी के आगे पूर्वोक्त परिशिष्ट के स्तम्भ ६ में उल्लिखित आधिकारिक के सामने द्वितीय अपील हो सकेगी।

आगम सम्बन्धी प्रश्न के उठने पर प्रक्रिया।

३०४-ख---(१) यदि परिशिष्ट ३ के स्तम्भ ३ में उल्लिखित किसी वाद या व्यवहार मे, किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जो उक्त वाद या व्यवहार का विषय हो, कोई ऐसा प्रश्न उठाया जाय, जिसका सम्बन्ध किसी फरीक के आगम (title) से हो, और जो सीधे तौर से तथा तत्वतः विचारणीय विषय (directly and substantially in issue) हो, तो न्यायालय, यदि उस प्रश्न का किसी समर्थ न्यायालय द्वारा उसके पूर्व निर्णय न हो चुका हो, धारा ३०४-क में किसी बात के रहते हुए भी किसी ऐसे फरीक को, जिसे वह ऐसा आदेश देना उचित समझे, आदेश देगा कि वह ऐसी आज्ञा से तीन मास की अवधि के भीतर अधिक्षेत्र-प्राप्त न्यायालय में ऐसे प्रश्न के अवधारण (determination) के लिये वाद प्रस्तुत करे और तदुपरान्त जब तक पूर्वोक्त अवधि समाप्त न हो जाय तब तक के लिये, और यदि कोई वाद प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो जब तक उक्त वाद का निर्णय न हो जाय तब तक के लिये, अपने सामने चल रहे वाद या व्यवहार को स्थगित कर देगा।

(२) यदि वह फरीक, जिसे उपधारा (१) के अधीन वाद प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया हो, उसके निमित्त दिये गए समय के भीतर उक्त आदेश का पालन न करे, तो न्यायालय उक्त विचारणीय विषय का निर्णय उसके विरुद्ध कर देगा।

(३) यदि उपर्युक्त निर्देश के अनुसार वाद प्रस्तुत कर दिया गया है, तो न्यायालय उस वाद के निर्णय के अनुसार कार्यवाई करेगी ।

मुकदमों को मंगा भेजने का बोर्ड को अधिकार।

३०४-ग---परिशिष्ट ३ में अभिदिष्ट किसी ऐसे वाद या व्यवहार का अभिलेख (record), जिसे किसी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णित किया हो और जिसमें कोई अपील न हो सकती हो, या यदि हो सकती हो तो न प्रस्तुत की गई हो, बोर्ड अपने यहां मंगा सकता है, और यदि यह प्रतीत हो कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने---

(क) किसी ऐसे अधिक्षेत्र का प्रयोग किया है जो उसे विधितः प्राप्त नहीं था, या

(ख) विधितः प्राप्त किसी अधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है, या

(ग) अधिक्षेत्र का प्रयोग करने मे अवैध रूप से (illegally) या वास्तविक अनियमिततापूर्ण (with material irregularity) आचरण किया है, तो बोर्ड ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उपयुक्त समझे।

३०५——(१)[*]

(२) यदि ऐसा कोई कार्य सद्भाव से और इस विधान के द्वारा या अधीन लगाये गये कर्त्तव्यों के पालन या सौंपे गये कार्यों के सम्पादन मे किया गया हो तो, उसके विषय में किसी अधिकारी या सरकारी सेवक पर कोई दीवानी या फौजदारी व्यवहार न चल सकेगा।

(३) इस विधान के किसी निदेशों के कारण या इस विधान के या उसके अधीन बने नियमों के अनुसार सद्भाव से की गई या की जाने वाली किसी बात से हुई या हो सकने वाली क्षति (damage) या अन्य हानि (injury) के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद या कोई दूसरा व्यवहार नहीं चल सकेगा।

प्रान्तीय सरकार के दायित्व की भरपाई

३०६——इस विधान के निदेशों के अनुसार प्रतिकर या पुनर्वासन अनुदान देने पर प्रान्तीय सरकार ऐसे व्यक्ति को, जिसे वास्तविक अधिकार हो, प्रतिकर या पुनर्वासन अनुदान देने के अपने दायित्व से पूर्णतया मुक्त हो जायगी, किन्तु यदि किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे प्रतिकर या अनुदान के सम्बन्ध में कोई ऐसा अधिकार हो, जिसे वह उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे प्रतिकर या अनुदान दिया गया है, उचित व्यवहार द्वारा कार्यान्वित कर सके, तो प्रतिकर या पुनर्वासन अनुदान के ऐसे प्रदान का उस दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जिन क्षेत्र में यह विधान लागू होगा वहां से शफा के अधिकारों का लोप।

३०६-क——(१) किसी विधि (law) आचार (custom) उपचार (usage) या अनुबन्ध (agreement) के रहते हुए भी, ऐसे क्षेत्र में, जिसमें यह विधान लागू होता हो, किसी अचल-सम्पत्ति के किसी भी विक्रय के सम्बन्ध में, वह चाहे ऐच्छिक रूप से (voluntarily) किया गया हो, या चाहे न्यायालय की आज्ञा के अधीन कोई अग्रक्रयाधिकार (right of pre-emption) न होगा।

[*] निकाल दिया गया।

(२) किसी न्यायालय में, चाहे वह मलिक न्यायालय (court of first instance) हो, चाहे अपील का और चाहे पुनरीक्षण (revision) का, ऐसी सम्पत्ति के विषय में अग्रक्रयाधिकार सम्बंधी सभी वाद खारिज हो जायंगे, किन्तु ऐसे किसी वाद में हुआ वाद-व्यय (cost) दिलाना न्यायालय के स्वविवेक (discretion) पर निर्भर होगा ।

कुछ जिलों में क्षेत्रफलों का अवधारण ।

३०६-ख---इस विधान के किसी निदेश के अधीन निश्चित किये गये क्षेत्र की गणना के प्रयोजनों के लिये बुंदेलखंड तथा जमुनापार वाले इलाहाबाद, इटावा, आगरा और मथुरा जिले के भागों में जो दो एकड़ हैं वह एक एकड़ के बराबर गिना जायगा।

इस ऐक्ट के अधीन आज्ञा द्वारा अन्य विधानों का संशोधन और अनुकलन।

३०७---(१) किसी विधान (Act) के निदेशों को इस विधान (Act) के निदेशों के अनुकूल बनाने के लिये प्रान्तीय सरकार आज्ञा द्वारा (by an order) किसी ऐसे विधान (Act) के निदेशों को अनुकलित, परिष्कृत, संशोधित या रद्द कर सकती है (may adapt, modify or amend or repeal) और इस प्रकार अनुकलित, परिष्कृत, संशोधित या रद्द किये हुए विधान का ऐसा प्रभाव होगा मानो वह इस विधान द्वारा अनुकलित, परिष्कृत, संशोधित या रद्द किया गया हो।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा का पांडुलेख प्रान्तीय विधायिका (Provincial Legislature) के सामने रखा जायगा और विधेयकों (Bills) के पास करने और उनपर विचार करने (passing and consideration) की प्रक्रिया, जहां तक हो सके उक्त आज्ञा के विचार, संशोधन और पास करने के सम्बन्ध में लागू होगी।

(३) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस विधान के प्रारम्भ के दिनांक से सप्रभाव होगी (shall take effect)।

निवर्तन।

३०७-क---किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा ६ के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से लेकर---

(क) परिशिष्ट ४ की सूची १ में उल्लिखित विधायन (enactment) जहां तक वे ऐसे क्षेत्र में लागू होते हैं, रद्द हो जायंगे और इसके द्वारा रद्द किये जा रहे हैं;

(ख) कोई दूसरे विधायन, जो इस विधान के अध्याय ८ से १० तक के निदेशों से असंगत हों, जहां तक वे असंगत होंगे, रद्द हो जायंगे और इसके द्वारा रद्द किये जा रहे हैं;

(ग) युनाइटेड प्राविंसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट ३, १९०१, पूर्वोक्त परिशिष्ट की सूची २ के स्तम्भ ३ में उल्लिखित आयति पर्यन्त (to the extent) संशोधित समझा जायगा और इसके द्वारा संशोधित किया जा रहा है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस विधान के अधीन कोई व्याख्या (interpretation), कार्यवाही या बात युनाइटेड प्राविंसेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के निदेशों के अनुसार की जायगी, तो वह उसी प्रकार की जा सकती है, मानो इस ऐक्ट द्वारा वह रद्द न हुआ हो।

कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार।

३०८—(१) ऐसा हो सकता है कि यूनाइटेड प्राविंसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ या यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ या भौमिक अधिकारों से सम्बन्ध रखने वाली किसी अन्य विधि (any other law relating to land tenure) के निदेशों से इस विधान के निदेशों पर संक्रमण (transition) होने मे कठिनाइयां उत्पन्न हों,

सं० प्रा० ऐक्ट सं० ३, १९०१
सं० प्रा० ऐक्ट सं० १७, १९३९

इसलिये प्रान्तीय सरकार उक्त संक्रमण की सुविधा के लिये आज्ञा द्वारा —

(क) निर्देश कर सकती है कि यह विधान यूनाइटेड प्राविंसेज लैंड रवेन्यू ऐक्ट, १९०१ या यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ अथवा भौमिक अधिकारोंसे सम्बन्ध रखने वाली किसी अन्य विधि के कोई निदेश ऐसी निश्चित अवधि के लिए और ऐसे क्षेत्रों में, जो आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किए जायं, ऐसे अनुकलन और परिष्कार के साथ, जो निर्दिष्ट किए जायं, सप्रभाव रहेंगे,

सं० प्रा० ऐक्ट सं० ३, १९०१
सं० प्रा० ऐक्ट सं० १७, १९३९

(ख) उपर्युक्त किसी कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसे अन्य अस्थायी निदेश बना सकती है, जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये गये हों ।

(२) धारा ६ के अधीन हुई विज्ञप्ति के दिनांक से एक वर्ष बीत जाने पर किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई आज्ञा इस धारा के अधीन न दी जायगी।

(३) इस धारा के अधीन दी गई आज्ञा उसके दिये जाने के बाद यथाशीघ्र प्रान्तीय विधायिका के दोनों भवनों (both Chambers of the Provincial Legislature) के सामने रखी जायगी।

अध्याय ३ से ५ तक के अधीन व्यवहारों में प्रांन्तीय सरकार का फरीक होना।

३०९—(१) अध्याय ३ से ५ तक के ... प्रतिकर अधिकारी या पुनर्वासन अनुदान ... सामने प्रत्येक व्यवहार में प्रान्तीय सरकार ... और फरीक समझी जाएगी और प्रान्तीय ... तामील किया जाने वाला या तामील किए जाने के लिए अभिप्रेत (intended) प्रक्रम, नोटिस कलेक्टर या

एक्ट ..., १९

ऐसे आधिकारिक पर तामील किया जा सकेगा जिसे कलेक्टर नामांकित (nominate) कर दे।

(२) उक्त अध्यायों या धारा ३१० की उपधारा (१) के खंड (घ) में किसी बात के रहते हुए भी, प्रान्तीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से अपील प्रस्तुत करने की कालावधि (period of limitation) उस आज्ञा के दिनांक से, जिसके विरुद्ध अपील की जायं, नब्बे दिन की होगी।

सामान्य नियम

३१०—(१) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस विधान द्वारा दिए गए प्रत्येक अधिकार के विषय में यह समझा जायगा कि निम्नलिखित की व्यवस्था करने का अधिकार उसके अन्तर्गत है:—

(क) ऐसी कालावधि (time-limits) लगाने के लिए जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के लिए की जाने वाली बातें अवश्य की जायं, लगाई हुई अवधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में नियमों में निर्दिष्ट किसी आधिकारिक को अधिकार देकर या न देकर;

(ख) एसी दशाओं में, जिनके विषय में इस विधान में कोई विशष निदेश नहीं बनाया गया है, इस ऐक्ट के अधीन किसी वाद या दूसरे व्यवहार में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) इस विधान के अधीन प्राप्त अधिक्षत्र वाले किसी अधिकारी या आधिकारिक के कर्त्तव्य और ऐसे अधिकारी और आधिकारिक द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस सम्बन्ध में इस विधान में कोई विशेष निदेश नहीं बनाया गया है, इस विधान के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और अपील करने की कालावधि;

(ङ) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस सम्बन्ध में इस विधान में कोई विशेष निदेश नहीं बनाया गया है, इस विधान के अधीन अपील और प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क ;

(च) इस विधान के अधीन दिए जाने वाले प्रार्थना-पत्रों (applications), अपीलों और व्यवहारों (proceedings) पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के निदेशों का लागू किया जाना (application);

०८

(छ) इस विधान द्वारा प्रान्तीय सरकार या किसी दूसरे आधिकारिक, अधिकारी या व्यक्ति को मिले अधिकारों का प्रतिनिधान (delegation); तथा

(ज) एक आधिकारिक या अधिकारी के यहां से दूसरे आधिकारिक या अधिकारी के यहां व्यवहारों का संक्रमण ।

(२) इस विधान द्वारा दिया गया नियम बनाने का प्रत्येक अधिकार इस प्रतिबन्ध के अधीन रहेगा कि नियम पूर्व प्रकाशन (previous publication) के बाद ही बनाये जायं।

(३) इस विधान के अधीन बने सब नियम सरकारी गजट (official *Gazette*) मे प्रकाशित किये जायंगे, और यदि कोई आगे का दिनांक (later date) निर्दिष्ट न किया जाय तो, वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायंगे (come into force) ।

(४) इस विधान के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रान्तीय विधायिका के सामने कम से कम चौदह दिन तक रक्खे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधायिका अपने उस अधिवेशन मे करे जिनमे वह इस प्रकार रक्खे जायं।

परिशिष्ट १

(धारा १००)

क्रम-संख्या	ऐसे क्षेत्रों के, जिनका यह एक्ट लागू होता है, मध्यवर्तियों के सब आस्थानों पर निर्धारित या निर्धारित समझी जाने वाली मालगुजारी	धारा १०० के प्रयोजनों के लिये गुणक
१	२५ रु० तक	२०
२	२५ रु० के ऊपर किन्तु ५० रु० से नीचे ...	१७
३	५० रु० के ऊपर किन्तु १०० रु० से नीचे	१४
४	१०० रु० के ऊपर किन्तु २५० रु० से नीचे	११
५	२५० रु० के ऊपर किन्तु ५०० रु० से नीचे ...	८
६	५०० रु० के ऊपर किन्तु २,००० रु० से नीचे ...	५
७	२,००० रु० के ऊपर किन्तु ३,५०० रु० से नीचे ...	३
८	३,५०० रु० के ऊपर किन्तु ५,००० रु० से नीचे ...	२

नोट—अन्य सब परिशिष्ट विशिष्ट समिति द्वारा रखे गये हैं ।

परिशिष्ट २

(धारा १३५)

संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ में संशोधन

क्रम-संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
१	३	वर्तमान धारा ३, धारा ३ की उपधारा (१) होगी और निम्नलिखित खंड (ङ) के रूप में जोड़ी जायगी :— "(ङ) काबिज (ऐन आक्युपायर)"
	३	वर्तमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखे जायेंगे:— "स्पष्टीकरण (१)—यदि खाता दो से अधिक काश्तकारों (टेनेन्ट्स) के पास संयुक्त रूप से हो तो किसी काश्तकार द्वारा देय लगान इस धारा के प्रयोजनों के लिय वह धनराशि समझी जायगी जो उस खाते में उसके अंश के अनुपात में हो।" स्पष्टीकरण (२)—इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद— "(१) 'भूमि पर क़ाबिज़' (आक्युपायर आफ लैन्ड) का तात्पर्य किसी ऐसे भूमि के (आक्युपायर) क़ाबिज़ से है, जो धारा ६ के अधीन स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले वाले दिनांक पर किसी ऐसे खाते के अन्तर्गत नहीं है, जो दवामी काश्तकार, अवध में इस्तमरारी पट्टेदार, बागदार, काश्तकार माफीदार रियायती लगान के काश्तकार की हो, या जो सीर या खुदकाश्त न हो अथवा जो ठेकेदार या किसी बन्धकी के निजी जोत में न हो।" "(२) 'मौरुसी काश्तकार' के अन्तर्गत सीर का ऐसा काश्त-कार भी है, जिसके स्वामी पर धारा ६ के अधीन प्रख्यापन के दिनांक से ठीक पहले वाले दिनांक पर संयुक्त प्रान्त में २५० रु० से अधिक माल-गुज़ारी लगाई गई हो अथवा यदि ऐसी मालगुज़ारी न लगाई गई हो तो ऐसा स्थानिक कर लगाया गया हो, जो उस धनराशि से अधिक हो, जो वार्षिक २५० रु० के मालगुज़ारी पर स्थानिक कर के रूप में लगाया जाय।"
	३	निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में जोड़ा जायगा:— "(२) उपधारा (१) मे किसी बात के रहते हुए भी यदि कोई खाता दो से अधिक काश्तकारों के पास संयुक्त रूप में हो तो, ऐसे काश्त-कारों में से कोई भी उक्त उपधारा में अभिदिष्ट धनराशि को खाते के दूसरे सभी काश्तकारों की ओर से जमा कर सकता है।"
	३-क	धारा ३ के बाद निम्नलिखित धारा ३-क के रूप में जोड़ दिया जाय :— "३-क—(१) यदि धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (क) से (घ) तक में लिखित किसी व्यक्ति के खाते का कोई भाग किसी शिकमी-दार के पास हो तो ऐसा व्यक्ति, खाते के अवशष भूमि के लिय देय लगान का १० गुना देने पर (ऐसी धनराशि असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा अवधारित की जायगी) अवशेष के सम्बन्ध में उक्त उपधारा के अधीन प्रार्थना-पत्र दे सकता है और धारा ४ से ७ तक के निदेश ऐसे प्रार्थना-पत्र को लागू होंगे मानो कि अवशष भूमि एक पृथक खाता थी।

क्रम-संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
		(२) धारा ३ की उपधारा (१) के निदेश शिकमीदार के विषय में भी सप्रभाव होंगे मानो कि वह भी अपने पास की भूमि का काश्तकार है: "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त धारा के अधीन जब तक कि क्षेत्रपति की लिखित सहमति न हो, कोई प्रार्थना-पत्र नही दिया जायगा और यह कि प्रान्तीय सरकार को देय धनराशि उस भूमि के सम्बन्ध मे क्षेत्रपति द्वारा देय लगान की १५ गुनी होगी और यदि क्षेत्रपति इससे भी सहमत न हो तो ऐसे लगान की १० गुनी होगी।' स्पष्टीकरण—उपधारा (१) और (२) में 'पद देय लगान' का तात्पर्य ऐसे लगान से है जिसे असिस्टेन्ट कलेक्टर निम्नलिखित का ध्यान रखते हुए निश्चित करें:— (१) पूरे खाते के लिये क्षत्रपति द्वारा देय लगान, (२) उस खाते का भाग जो शिकमीदार के पास हो, और (३) ऐसे भाग का भेद और प्रकार(नेचर एन्ड क्वालिटी), (३) यदि धारा ३ क-और ६ के अनुसार किसी शिकमीदार के पक्ष में प्रख्यापन प्रदान हुआ है तो प्रख्यापन के दिनांक से क्षेत्रपति के विषय मे यह समझा जायगा कि किसी विधि या मसविदा मे किसी बात के रहते हुए भी उसने ऐसी भूमि को समर्पित कर दिया है और शिक-मीदार उस भूमि का ऐसा मौरूसी काश्तकार हो गया है, जिसे लगान की ऐसी धनराशि देनी पडेगी, जो धारा ३-क के स्पष्टीकरण के अनु-सार अवधारित धनराशि के बराबर हो।"
५	४	वर्तमान धारा ४, उपधारा (१) होगी और निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढा दी जायगी:— "(२) यदि काश्तकार द्वारा देय या देय समझा जाने वाला लगान ऐसी भूमि को लागू मौरूसी दरों से लगाये गए लगान से दुगुना या दुगुना से अधिक हो तो उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिय देय लगान वह धनराशि होगी जो उक्त धनराशि से दुगुनी से अधिक नहीं होगी और जिसे असिस्टेन्ट कलेक्टर उचित और ठीक तौर से अवधारित करेगा।"
६	६	उपधारा (२) की पंक्ति ४-५ में शब्द "गाटों के" के स्थान शब्द "खाते के सम्बन्ध में उसके द्वारा देय लगान" रखा जायगा।
७	६	उपधारा (३) में शब्द "खाते के लगान" के स्थान पर शब्द "खाते के सम्बन्ध में उसके द्वारा देय लगान" रखा जायगा।
८	६	उपधारा (८) के स्थान में निम्नलिखित रखा जायगा:— "(८) उस खाते की दशा में जो दो से अधिक काश्तकारों के पास संयुक्त रूप में हो, प्रख्यापन— (क) यदि धारा ३ की उपधारा (१) के अनुसार धनराशि जमा की गई हो तो केवल प्रार्थी के पक्ष में प्रदान होगा, और (ख) यदि उक्त धारा की उपधारा (२) के अनुसार धनराशि जमा की गई हो तो सभी सह-काश्तकारों के पक्ष में संयुक्त रूप से, प्रदान होगा।"
९	६	उपधारा (९) के बाद निम्नलिखित उपधारा (१०) जोड़ दी जायगी:— "(१०) ऐसी कोई धनराशि, जो उपधारा (९) के अनुसार देय हो, किसी व्यक्ति द्वारा जो उसका अधिकारी हो, मालगुजारी के बकाया के रूप

क्रम संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
		मे वसूल किया जा सकेगा, मानो कि वह ऐसी धनराशि थी जिसे संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधान १९४९, ई० की धारा २६२-ग लागू है।"
१०	७	वर्तमान धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा:— "(७) धारा ६ के अधीन प्रख्यापन के प्रदान होने पर, धारा ३ के अधीन भुगतान के या धारा ६ की उपधारा (४) के अधीन जमा करने के, जैसी भी दशा हो, दिनांक से प्रार्थी निम्नलिखित विशेषाधिकार का अधिकारी हो जायगा, अर्थात्— (क) (१) यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ ई० मे किसी बात के रहते हुए भी प्रार्थी बेदखली की किसी डिग्री या आज्ञा या बकाया लगान की किसी डिग्री के निष्पादन में बेदखल नहीं किया जा सकेगा। (२) यदि धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन धनराशि जमा कर दी गई हो तो ऐसे खाते से या उसके ऐसे भाग से। (३) यदि धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन धनराशि जमा कर दी गई हो तो ऐसे खाते से या उसके ऐसे भाग से जो उस खाते मे उसके अंश के अनुपात से हो। (ख) लगान की ऐसी किस्त के सम्बन्ध में, जो उक्त दिनांक के बाद देय हो जाय तो प्रार्थी, और उस दशा में जबकि धारा ३ की उपधारा (२) लागू हो तो खाते के सभी काश्तकार संयुक्त रूप से, किसी विधि या मसविदा में किसी बात के रहते हुए भी, ऐसी किस्त के लिये उस धनराशि के देनदार होंगे जो प्रार्थी द्वारा या काश्तकारों द्वारा संयुक्त रूप से देय धनराशि के आधे के बराबर होगी और अवशेष के विषय में यह समझा जायगा कि वह उस दिनांक पर जबकि किस्त देय हो गई, वह प्रार्थी के द्वारा या काश्तकारों के द्वारा प्रान्तीय सरकार के पास जमा कर दिया गया: किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त प्रकार का भुगतान ३१ दिसंबर, १९४९ ई० को या उसके पूर्व कर दिया गया है तो इस खंड के लाभ उन किश्तों के सम्बन्ध में भी होंगे, जो १ ली अक्तूबर, १९४९ ई० और ३१ दिसम्बर, १९४९ ई० के बीच में देय हो गई थी।"
११	७	धारा ७ के बाद निम्नलिखित नवीन धारायें ७-क और ७-ख जोड़ दी जायंगी:— ७-क—धारा ६ के अधीन किसी प्रख्यापन के कारण कोई व्यक्ति अपने खाते में उससे अधिक अंश का अधिकारी नहीं होगा जितने का कि वह इसके अतिरिक्त अधिकारी था और प्रख्यापन के होने पर भी खाते में किसी दूसरे काश्तकार का स्वत्व अप्रभावित रहेगा। ७-ख—यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ ई० में किसी बात के रहते हुए भी और जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था ऐक्ट, १९४९ ई० की १५१ से १६६ धाराओं (जिसमें दोनों धारायें अंतर्गत हैं) के प्रतिबन्धों को बाधित न करते हुए धारा ६ के प्रख्यापन के दिनांक से प्रार्थी को धारा ७ में वर्णित विशेषाधिकारों के अतिरिक्त यह भी अधिकार प्राप्त होगा कि उस खाते को सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूप से, जिसके बारे में प्रख्यापन हुआ है, वित्सा (Will) कर सके अथवा हस्तान्तरण कर सके।"
१२	१२	शब्द "द्वारा" और "निरस्त" के बीच में शब्द "या परिष्कृत" रख दिया जायगा।

परिशिष्ट ३

(धारा ३०४–क)

क्रम संख्या	धारा	कार्यवाही का ब्यौरा	मूल अधिक्षेत्र का न्यायालय	न्यायालय	
				प्रथम अपील	द्वितीय अपील
१	२	३	४	५	६
१	१५	भूमि की स्वीकृति या जोत की अवधि के बढ़ने के लिये ठेकेदार का प्रार्थना–पत्र ।	कलेक्टर	कमिश्नर	..
२	१६	बन्धकी द्वारा रुपया जमा करने का प्रार्थना–पत्र ।	असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी ।	”	..
३	३४	अधिकार अभिलेख के संशोधन का प्रार्थना–पत्र ।	प्रतिकर अधिकारी	”	बोर्ड
४	१४० १४४ २२२	भूमिधारी अधिकार के उपार्जन का प्रार्थना–पत्र ।	असिस्टेंट कलेक्टर, प्रथम श्रेणी ।	”	”
५	१४६ १४७	अध्यापन का प्रार्थना–पत्र ..	परगना के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर ।	”	”
६	१६५ १९२ २०० (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) और (ज) और २०६	असामी की बेदखली का वाद .	असिस्टेंट कलेक्टर, प्रथम श्रेणी	”	”
७	१८६ १८७	समर्पण का प्रार्थना–पत्र ..	तहसीलदार	”	..
८	१८९	परित्यक्त खाते के संबंध में नोटिस तामील करने का प्रार्थना–पत्र ।	”	”	....
९	१९६	भूमि उठाने के संबंध में गांव–सभा के आज्ञा के विरुद्ध उज्रदारी ।	परगना के इंचार्ज असिस्टेंट कलक्टर ।	”	...
१०	२१०	गांव–सभा द्वारा निश्चित किये हुए लगान के विरुद्ध उज्रदारी ।	”	”	बोर्ड

क्रम संख्या	धारा	परिस्कार या संशोधन			
११	२११–क	लगान अवधारित करने और बकाया लगान के लिये वाद।	असिस्टेन्ट कलेक्टर, प्रथम श्रेणी।	कमिश्नर	बोर्ड
१२	२१३–ख	लगान को नकदी में परिवर्तन का वाद।	"	"	"
१३	२१४	बकाया लगान की वसूली और बेदखली का प्रार्थना–पत्र।	तहसीलदार	"	"
१४	२१५–क	नहर संबंधी देयों की वसूली के लिये वाद।	"	"	"
१५	२२०	अधिवासी के लगान को अवधारित करने का प्रार्थना–पत्र।	असिस्टेन्ट कलेक्टर, प्रथम श्रेणी।	"	"
१६	२२१-ख और (ग)	अधिवासी की बेदखली का वाद	"	"	"
१७	२३३	मालगुजारी को नकदी में परिवर्तन का प्रार्थना–पत्र।	"	"	"
१८	२३७ २३८	मालगुजारी को घटाने के लिये प्रार्थना–पत्र।	परगना के इंचार्ज, असिस्टेंट कलक्टर	"	"
१९	२६९	सहकारी फार्म के बनाने के लिये प्रार्थना–पत्र।	कलेक्टर	"	"
२०	२८४	फार्म के भूमि की चकबन्दी के लिये प्रार्थना–पत्र।	"	"	"

अनुसूची ४

(धारा ४)

सूची १

क्रम संख्या	विधायन (enactment) का नाम
१	बंगाल पर्मानेन्ट सेटिलमेंट रेगुलेशन नं० १, १७९५।
२	दी बनारस फेमिली डोमेन्स रेगुलेशन नं० १५, १७९५।
३	बंगाल पर्मानेन्ट सेटिलमेंट (सप्लीमेंटल) रेगुलेशन नं० २७, १७९५।
४	बनारस इन्हेरीटेन्स रेगुलेशन नं० ५४, १७९५।
५	दी बनारस फेमिली डोमेन्स रेगुलेशन नं० ७, १८२८।
६	बंगाल लैंड रेवेन्यू (सेटिलमेंट ऐण्ड डिप्टी कलेक्टर्स) रेगुलेशन नं० ९, १८३३।
७	अवध सब-सेटिलमेंट्स ऐक्ट नं० २६, १८६६।
८	दी परगना कसवार राजा ऐक्ट नं० १, १९११।
९	परगना कसवार राजा एक्ट नं० ४।
१०	यूनाइटेड प्राविंसेज प्राइवेट इरीगेशन वर्क्स ऐक्ट नं० २, १९२०।
११	कैनिंग कालेज ऐण्ड ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन कन्ट्रीब्यूशन ऐक्ट नं० ४, १९२०।
१२	आगरा प्रिएम्पशन ऐक्ट नं० ९, १९२२।
१३	आगरा जमींदारी एसोसियेशन कन्ट्रीब्यूशन ऐक्ट नं० २, १९२७।
१४	यूनाइटेड प्राविंसेज अबेटमेंट आफ रेन्ट सूट्स ऐक्ट नं० १३, १९३८।
१५	यूनाइटेड प्राविंसेज रेगुलराइजेशन आफ रेमिशन्स ऐक्ट नं० १४, १९३८।
१६	यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेन्सी ऐक्ट नं १७, १९३९।

सूची २

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट नं० ३, १९०१

क्रम-संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
१	२१	(क) पंक्ति २ में शब्द "mahals" के स्थान पर शब्द "villages" रख दिया जायगा, और (ख) पंक्ति ३ और ४ में शब्द "Patwari's circle" and "circles" के स्थान पर शब्द "halka" रखा जायगा।
२	२३	"a patwari to each circle" के स्थान पर शब्द "halka" रखा जायगा।
३	२७	(क) पंक्ति ४ में शब्द "papers" के स्थान पर शब्द "documents" रख दिया जायगा। (ख) पंक्ति ६ में शब्द "Crown" के स्थान पर शब्द "Provincial Government" रख दिया जायगा।
४	२८	पंक्ति ६ में शब्द "village" और "or" के बीच में से विलेज के बाद का कामा और शब्द "mahal" निकाल दिया जायगा।
५	२९	वर्तमान धारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा :— " 29. (1) It shall be the duty of every tenure-holder to maintain and keep in repair at his cost the permanent boundary marks lawfully erected on his fields. (2) It shall be the duty of the Gaon Sabha to maintain and keep in repair at its cost the permanent boundary marks lawfully erected on the village situate within its jurisdiction. (3) The Collector may at any time, order, as the case may be, a Gaon Sabha or tenure holder— (*a*) to erect proper boundary marks on such villages or fields ; (*b*) to repair or renew in such form and nature, as may be prescribed, all boundary marks lawfully erected therein.
६	३०	शब्द "the owners of the counterminous villages, mahals or fields" के स्थान पर शब्द "tenure-holder or Gaon Sabha of counterminous fileds or villages as the case may be," रख दिये जायंगे।
७	३१	वर्तमानधारा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा :— " 31. The Collector shall prepare and maintan in the prescribed form a list of all villages and will show there in the prescribed manner the areas— (*a*) liable to fluvial action, (*b*) having precarious cultivation, and (*c*) the revenue whereof has, either wholly or in part been released, compounded, redeemed or assigned. Such registers shall be revised every five years in accordance with the rules framed in that behalf."

क्रम-संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
८	३२	वर्तमान धारा ३२ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा :— " 32. There shall be a record of rights for each village subject to such exceptions as may be prescribed by rules made under the provisions of section 234 the record of rights shall consist of a register of all persons cultivating or otherwise occupying land specifying the particulars required by section 55."
९	३३	(क) उपधारा (१) मे शब्द "set of the register enumerated in section 32" के स्थान पर शब्द "register mentioned in section 23" रख दिये जायगे। (ख) उपधारा (१) के अनुच्छेद पैरा २ मे और उपधारा (२) की पंक्ति २ मे आये हुए शब्द "registers" के स्थान मे शब्द "register" रखा जायगा। (ग) उपधारा (३) के स्थान मे निम्नलिखित रखा जायगा :— "No such change or transaction shall be recorded without the order of the Collector or as hereinafter provided, of the Tahsildar or the Panchayati Adalat as constituted under section 42 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947."
१०	३४	(क) उपधारा (१) के स्थान में निम्नलिखित रखा जायगा:— "(1) Every person obtaininig possession by succession or transfer of any land in a village which is required to be recorded in the register specified in section 32 shall report such succession or transfer to the Panchayati Adalat exercising jurisdiction in the village in which the land is situate." (ख) उपधारा (२) और (३) में जहां-कहीं भी शब्द "mortgage or" आये हों, निकाल दिये जायंगे। (ग) स्पष्टीकरण मे — (१) शब्द "proprietary share" के स्थान पर शब्द "holding" रखा जायगा, और (२) शब्द "register of proprietors" के स्थान में शब्द "record of rights" रखा जायगा। (३) स्पष्टीकरण के बाद फुलस्टाप को हटाया जायगा और निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा :— " or in exchange of holding under section 160 of the United Provinces Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1949."

क्रम-संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
११	३५	(१) वर्तमान धारा ३५ के स्थान मे निम्नलिखित रखा जाय :— "35. Notwithstanding anything contained in the Panchayat Raj Act, 1947, the Panchayati Adalat, on receiving such report, or from the facts otherwise coming to its knowledge, shall make such inquiry as appears necessary and in undisputed case of succession, if it appears to have taken place, shall direct the patwari of the halka to record the same in the annual register; if the succession is disputed the Panchayati Adalat shall refer the case to the Tahsildar who shall dispose it of after deciding the dispute in accordance with the provisions of section 40". (२) संशोधित धारा ३५ को ३५(१) पुनरांकित किया जाय। (३) निम्नलिखित उपधारा (२) और (३) के रूप में इस धारा में बढ़ा दी जाय :— "(2) The Panchayati Adalat shall make inquiries in the prescribed manner in all cases of transfer and shall submit them with its report to the Tahsildar. (3) The Tahsildar shall, if the case is not disputed before him, after satisfying himself that the transfer is valid, record the same in the annual register; if the transfer is disputed or the Tahsildar finds that it is in contravention of the provisions of the United Provinces Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1949, he shall refer the case to the Collector, who shall, after such inquiry, as may be prescribed, dispose it of."
१२	३६	धारा ३६ निकाल दी जायगी।
१३	३७	शब्द "one hundred" के स्थान मे शब्द "five" रखा जायगा।
१४	३८	पंक्ति ३ मे शब्द "mortgage or" निकाल दिया जायगा।
१५	३९	वर्तमान धारा ३९ के स्थान में निम्नलिखित रखा जायगा :— "The Collector may, on his motion, and shall, on the application of any person, correct any mistake or error in the annual register arising from any accidental slip or omission."
१६	४०	शब्द "Collector" के स्थान मे शब्द "Tahsildar" रखा जायगा।
१७	४१-ए	धारा ४१-ए निकाल दिया जायगा।
१८	४२	धारा ४२ निकाल दिया जायगा।
१९	४३	(क) पंक्ति १ से ४ में शब्द "rent payable" से पहले, शब्द "revenue or" रख दिया जायगा। (ख) पंक्ति २ में शब्द "tenant" के स्थान पर शब्द "tenure-holder" रख दिया जायगा।

क्रम-संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
		(ग) इस धारा के अन्त में अंक "1939" के बाद शब्द "or the United Provinces Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1949" रख दिया जायगा।
२०	४४	वर्तमान धारा के स्थान में निम्नलिखित रख दिया जायगा :— "4. All entries in the annual register shall, until contrary is proved, be presumed to be true"
२१	४५	धारा ४५ निकाल दी जायगी।
२२	५०	(क) पंक्ति २ से ३ में शब्द "owners of villages, mahals and fields" शब्द के स्थान में "Gaon Sabha, bhumidhars and sirdars" रख दिया जायगा। (ख) पंक्ति ५ में शब्द "their villages, mahals or fields" के स्थान मे शब्द "the villages and fields" रख दिया जायगा। (ग) इस धारा के अन्त में शब्द "owner" के स्थान पर शब्द "Gaon Sabha, bhumidhars or sirdars concerned" रख दिया जायगा। (घ) "स्पष्टीकरण" निकाल दिया जायगा।
२३	५३	वर्तमान धारा ५३ के स्थान में निम्नलिखित रखा जायगा :— "53. Where any local area is under record operation the record officer shall frame for each village therein the record specified in section 32 and the record so framed shall thereafter be maintained by the Collector instead of the record previously maintained under section 33."
२४	५४	अन्त की पंक्ति में सं० ४२ निकाल दी जायगी।
२५	५५	वर्तमान धारा ५५ के स्थान में निम्नलिखित रखा जायगा :— "55. The register of persons cultivating oro therwise occupying land specified in section 32 shall specify as to each tenure-holder the following particulars : (*a*) the class of tenure as determined by the United Provinces Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1949. (*b*) the revenue or rent payable by the tenure-holder, and (*c*) any other conditions of tenure which the Provincial Government may by rules made under section 234 require to be recorded."
२६	५६	धारा ५६ निकाल दी जायगी।
२७	५७	पंक्ति १० में शब्द "clauses (A) to (D) of" निकाल दिये जायेंगे।
२८	५८ से १८८ तक	धारायें ५८ से १८८ तक निकाल दी जायंगी। (चैप्टर्स ५ से ७ तक)

क्रम-संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
२९	२१०	उपधारा (१) के स्थान में निम्नलिखित रखा जायगा'— "(1) Appeals shall lie under this Act as follows .— (*a*) to the Record Officer from orders passed by any Assistant Record Officer; (*b*) to the Commissioner from orders passed by Assistant Collector or Tahsildar; (*c*) to the Board from judicial orders passed by a Commissioner or Additional Commissioner or Record Officer."
३०	२१२	(ख) उपधारा (२), (३) और (५) निकाल दिये जायं। धारा २१२ निकाल दी जाय ।
३१	२१३	वर्तमान धारा २१३ के स्थान में निम्नलिखित रखा जायगा :— "213. A second appeal shall lie to the Board from a final order deciding an appeal under clauses (*a*) and (*b*) of sub-section (1) of section 210 on any of the following grounds and no other, namely-- (1) that the decision being contrary to law or to some usage having the force of law— (2) the decision having failed to determine some material issue of law or usage having the force of law, (3) a substantial error or defect in the procedure as prescribed by this Act, which may possibly have produced error or defect in the decision of the case upon the merits."
३२	२१४	(क) उपधारा (१) निकाल दिया जायगा । (ख) पंक्ति १ में — (१) शब्द "or second appeal" निकाल दिये जायंगे । (२) शब्द "to" और "the Commissioner" के बीच में शब्द "Record Officer or" रख दिये जायंगे । (ग) पंक्ति २ में शब्द "sixty" के स्थान पर शब्द "thirty" रखा जायगा ।

क्रम संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
		(घ) उपधारा (३) मे— (१) शब्द "appeals, second appeal or third appeal" के स्थान में शब्द "appeal or second appeal" रखे जायंगे । (२) शब्द "ninety" के स्थान पर शब्द "sixty" रखा जायगा ।
३३	२२६	धारा २२६ निकाल दी जायगी ।
३४	२२७	खंड ८ से १७ तक निकाल दिये जायं ।
३५	२३१	धारा २३१ निकाल दी जायगी ।
३६	२३२	धारा २३२ निकाल दी जायगी ।
३७	२३३	खंड (सी) ओर (ई) से (एम) तक निकाल दिये जायंगे ।
३८	२३४	ब्रैकेट और अक्षर "(एफ)" निकाल दिये जायं और उसके स्थान में ब्रैकेट और अक्षर "(ई)" रख दिये जायं । (एम), (आई),(ओ) से (एस) तक निकाल दिये जायं । (जी) से (एल) तक, (एम) (२), (एन),(टी) और (यू) निकाल दिये जायं । खंड (वी) (१) में शब्द "not connected with settlement" निकाल दिये जायं । क्लाज(वी) (२) में शब्द "or settlement" और शब्द "other than costs recoverable by the Provincial Government in proceedings in partition cases" निकाल दिये जायं । क्लाज् (डबल्यू) (१) में शब्द "not connected with settlement" निकाल दिये जायं । क्लाज (डबल्यू) (२) में शब्द "or settlement" निकाल दिये जायं । क्लाज (एक्स) (१) में शब्द "not connected with settlement" निकाल दिये जायं । क्लाज (एक्स) (२) में शब्द "or settlement" निकाल दिये जायं ।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

८ अगस्त, १९४६ ई० को संयुक्त प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा (United Provinces Legislative Assembly) ने जमींदारी प्रथा को, जिसके अनुसार राज्य और कृषक के बीच मध्यवर्तियों की स्थिति है, हटाने के सिद्धान्त को स्वीकृत किया और यह प्रस्ताव पास किया कि ऐसे मध्यवर्तियों के अधिकार उचित प्रतिकर देकर हस्तगत कर लिये जायं। व्यवस्थापिका सभा के प्रस्ताव के अनुसार जमींदारी-उन्मूलन समिति नियुक्त की गई थी, जिसने इस जटिल प्रश्न के विविध पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करके अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें जमींदारी के विनाश और उसके स्थान पर हमारे देश की प्रतिभा और परम्परा के अनुकूल भूमि-व्यवस्था की विस्तृत योजना दी गई है। इस विषय में जनता ने बड़ी उत्सुकता प्रकट की और समाचार-पत्रों और सार्वजनिक सभाओं में इसके समान्य प्रश्नों पर बहुत वाद-विवाद हुआ। समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर उसकी सिफारिशों की भी खूब चर्चा हुई। अब यह बहुमत से स्वीकृत किया जाता है कि कृषि सम्बन्धी निपुणता और खाद्य-उत्पादन में वृद्धि को सुरक्षित रखने, ग्राम वासियों के जीवन-स्तर को उन्नत करने और कृषक के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के निमित्त अवसर देने के लिये वर्तमान भूमि व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किये बिना ग्राम्य-समाज के पुनरुत्थान की कोई सगठित योजना नहीं बनाई जा सकती है। शासन की सुविधा और उपयोगिता के कारणों से अंग्रेजों द्वारा स्थापित जमींदार-काश्तकार की प्रथा राजनैतिक स्वतंत्रता के आविर्भाव के साथ एक नयी परिपाटी में परिवर्तित हो जानी चाहिये, जिससे कृषकों को वे अधिकार और स्वतंत्रता फिर से प्राप्त हो जायं, जो उनके थे, और गांव-समाज को वह प्रभुत्व फिर से प्राप्त हो जाय, जिसका उपयोग वह ग्राम्य-जीवन के प्रत्येक अंग के सम्बन्ध में करता था।

बिल में यह व्यवस्था की गई है कि मध्यवर्तियों को उनकी पक्की निकासी का अठ-गुना प्रतिकर देकर उनके अधिकार हस्तगत कर लिये जायं। इससे बड़े जमींदारों को इतनी आय हो जायगी जो उनके उपयुक्त रहन-सहन के लिये पर्याप्त हो। अधिकतर जमींदार छोटी श्रेणी के हैं और उनके पुनर्वासन के लिए उनको पक्की निकासी के दो-गुना से बीस-गुना तक क्रमबद्ध पुनर्वासन अनुदान की भी व्यवस्था की गई है, जो कम आय वालों के लिये सबसे अधिक और अपेक्षाकृत बड़ी आय वालों के लिये सबसे कम होगा। आर्थिक और विधिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए काश्तकारों से यह कहा जायगा कि वे अपने लगान का दस गुना स्वेच्छा से दे दें। इससे जमींदारी का शीघ्र विनाश हो सकेगा, मुद्रास्फीति रोकी जा सकेगी और, कृषकों की बचत उत्पादनशील प्रयोजन में लगाई जा सकेगी। जो काश्तकार इस प्रकार धन देंगे उनको अपने खातों में अन्तरण योग्य अधिकार मिल जायेंगे, वे भूमिधर कहलायेंगे और अपने वर्तमान लगान का ५० प्रतिशत मालगुजारी के रूप में देंगे।

यह आवश्यक समझा गया है कि वर्तमान खातेदारी अधिकारों के भ्रामक भेदों के स्थान पर एक सरल और समान योजना रक्खी जाय। इसलिये यह व्यवस्था की गई है कि भविष्य में केवल दो प्रकार की खातेदारी होगी। यह आशा की जाती है कि अधिकतर कृषक भूमिधर हो जायंगे। वर्तमान मध्यवर्ती अपनी सीर, खुदकाश्त और बागों के सम्बन्ध में भूमिधर के वर्ग में रक्खे जायेंगे और इसी प्रकार वे काश्तकार भी, जो अपने लगान का दस-गुना दे दें। शेष काश्तकार सीरदार कहलायेंगे और उनको भूमि में स्थायी और वंशानुगामी अधिकार मिलेंगे, वे कृषि, फलोत्पादन या पशुपालन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए अपनी भूमि का उपयोग कर सकेंगे, और कोई भी उन्नति-कार्य कर सकेंगे।

खातेदारी का एक छोटा रूप असामी कहलायेगा, जो बहुत थोड़े व्यक्तियों को लागू होगा। इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि के गैर-दखीलकार काश्तकार होंगे जिसमें स्थायी

अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं, अर्थात् अस्थिर और अस्थायी खेती के क्षेत्र और ऐसे व्यक्ति, जिनको भविष्य में ऐसे भूमिधर और सीरदार अपनी भूमि लगान पर उठा द, जो स्वयं खेती करने में असमर्थ हों। जमींदारी प्रथा फिर से न उठ खड़ी हो इसको रोकने के लिये यह आवश्यक जान पड़ता है कि केवल ऐसे भूमिधरों और सीरदारों को अपनी भूमि लगान पर उठाने का अधिकार दिया जाय, जो असमर्थ हों, अर्थात् अवयस्क, विधवायें और ऐसे व्यक्ति, जो किसी शारीरिक या मानसिक निर्बलता से ग्रस्त हों।

ऐसे बहुसंख्यक कृषकों के स्वत्व को रक्षा करना भी वांछनीय है, जिनको इस समग्र भूमि में कोई स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं हैं, किन्तु जिनकी भूमि के छूट जाने पर सामाजिक अन्याय और गम्भीर आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायंगी। साधारणतया सीर के सभी काश्तकारों के, जिन्हें वंशानुगामी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, तथा वर्तमान शिकमी काश्तकारों के, पांच वर्ष के लिये काश्तकारी अधिकार सुरक्षित रक्खे जायंगे और उसके बाद वे मौरूसी दरों का या असली काश्तकार के लगान का १५-गुना देकर भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

अलाभकर खातों की वृद्धि रोकने के लिए यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में दिये गये परिमित उत्तराधिकारों की तालिका कुछ परिवर्तनों के साथ उसी रूप में रख ली गई है और भविष्य में खातों के ऐसे बटवारे का निषेध कर दिया गया है, जिससे अलाभकर खाते उत्पन्न हों। इस अभिप्राय से कि बड़े-बड़े खाते अत्यधिक संख्या में न हो जायं और उसके फलस्वरूप श्रमिकों का शोषण न हो, भविष्य में किसी व्यक्ति को क्रय या दान द्वारा इतनी भूमि प्राप्त करने की अनुज्ञा न दी जायगी कि उसका खाता ३० एकड़ से अधिक का हो जाय।

सार्वजनिक उपयोगिता की सब भूमि, जैसे आबादी-स्थल, रास्ते, बंजर-भूमि, जंगल, मीनाशय, सार्वजनिक कुंयें, तालाब और जल-प्रणालियां, गांव-समाज के, जिसमें गांव के सभी निवासी तथा पाही-काश्त कृषक सम्मिलित होंगे, स्वत्वाधिकार में आएंगी। गांव-समाज की ओर से कार्य-संचालन में गांव-पंचायत को भूमि के प्रबन्ध के विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। गांव को एक छोटा सा प्रजातन्त्र और सहकारी समाज बनाने की इस व्यवस्था का अभिप्राय आर्थिक और सामाजिक विकास की सुविधा देना और सामाजिक उत्तरदायित्व और भाईचारे का प्रोत्साहन है।

वर्तमान अलाभकर खातों की खेती के सम्बन्ध में होने वाली हानि और अकुशलता को दूर करने के लिए इस बिल में हमारी स्थिति के अनुकूल सहकारी खेती के प्रोत्साहन और शीघ्र उन्नति की व्यवस्था की गई है।

इस ऐक्ट के पास होने पर यथाशीघ्र उसके निदेशों को सरकारी आस्थानों पर भी लागू करने का विचार किया जाता है। म्युनिसिपैलिटी, कैन्टूनमेंट, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया की सीमाओं में स्थित कृषि-क्षेत्रों के सम्बन्ध में अलग क़ानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे मध्यवर्तियों के, जिनके अधिकार हस्तगत कर लिये जायंगे, ऋण कम करने के लिए एक दूसरा बिल होगा।

हुकुम सिंह विश्वेन,
माल सचिव।

पी० एस० यू० पी०--१३५ एल० ए० --१९५०

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

मंगलवार, १० जनवरी सन् १९५० ई०

असेम्बली की बैठक असेम्बली भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१८८)

अचल सिंह
अजित प्रताप सिंह
अब्दुल बाक़ी
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद
अर्नेस्ट माईकेल फिलिप्स
अलगूराय शास्त्री
अल्फ्रेड धर्मदास
असग़र अली ख़ां
अक्षयवर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
उदयवीर सिंह
ऐजाज़ रसूल
कमलापति तिवारी
करीमुर्रज़ा ख़ां
कालीचरण टण्डन
कुंजबिहारी लाल शिवानी
कुशलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्ण चन्द्र
कृष्ण चन्द्र गुप्त
केशव गुप्त
खानचन्द गौतम
खुशवक्तराय
खुशीराम
खूबसिंह
गंगाधर
गंगा प्रसाद
गंगा सहाय चौबे
गजाधर प्रसाद
गणपति सहाय
गणेश कृष्ण जैतली
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्र भानु शरण सिंह
चरण सिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथदास
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
जगमोहन सिंह नेगी
जयपाल सिंह
जयराम वर्मा
जवाहर लाल रोहतगी
ज़हूर अहमद
ज़ाकिर अली
ज़ाहिद हसन
जुगुल किशोर
त्रिलोकी सिंह

दयालदास भगत
दाऊदयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु अवस्थी
दीन दयालु शास्त्री
दीप नारायण वर्मा
नफ़ीसुल हसन
नवाज़िश अली खां
नवाब सिंह
नाज़िम अली
नारायण दास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
निहालुद्दीन
पूर्णमासी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रागनारायण
प्रेम किशन खन्ना
फख़रुल इस्लाम
फतेह सिंह राणा
फूलसिंह
बदन सिंह
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बशीर अहमद
बशीर अहमद अन्सारी
बादशाह गुप्त
बाबू राम वर्मा
बृजमोहन लाल शास्त्री
भगवती प्रसाद दुबे
भगवती प्रसाद शुक्ल
भगवानदीन
भगवानदीन मिश्र
भारत सिंह यादवाचार्य
भीम सेन
मंगला प्रसाद
मसुरिया दीन
महफ़ूज़ुर्रहमान
महमूद अली खां
मिजाजी लाल
मुकुन्दलाल अग्रवाल
मुज़फ़्फ़र हुसैन
मुहम्मद अदील अब्बासी
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माइल
मुहम्मद जमशेद अली खां
मुहम्मद नबी
मुहम्मद नज़ीर
मुहम्मद याकूब
मुहम्मद यूसुफ़
मुहम्मद रज़ा खां
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री
मुहम्मद सुलेमान अधमी
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुवंशनारायण सिंह
रघुवीर सहाय
राघव दास
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन सिंह
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार शास्त्री
राम कृपाल सिंह
रामचन्द्र पालीवाल
रामचन्द्र सेहरा
रामधारी पांडे
रामबली मिश्र
राममूर्ति
रामशंकर लाल
रामशरण
रामस्वरूप गुप्त
रुक्नुद्दीन खां
रोशन जमां खां
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसैन
लाखन दास जाटव
लालबहादुर, माननीय
लाल बिहारी टण्डन
लीलाधर अष्ठाना
लुत्फ़ अली खां
लोटन राम
वंश गोपाल
वंशीधर मिश्र
विजयानन्द मिश्र
विद्याधर बाजपेयी
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी
विश्वनाथ प्रसाद

विश्वनाथ राय
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
विष्णु शरण दुब्लिश
बीरबल सिंह
वीरेन्द्र शाह
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकर दत्त शर्मा
शान्ति प्रपन्न शर्मा
शिवकुमार पांडे
शिवकुमार मिश्र
शिवदयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिवमंगल सिंह
शिवमंगल सिंह कपूर
श्याम लाल वर्मा
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द सिंघल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सरवत हुसैन
सलीम हामिद खां
साजिद हुसन
सालिग्राम जयसवाल
सिंहासन सिंह
सीताराम अष्ठाना
सुदामा प्रसाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सूर्य प्रसाद अवस्थी
सईद अहमद
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हबीबुर्रहमान खां
हरगोविन्द पन्त
हर प्रसाद सत्य प्रेमी
हर प्रसाद सिंह
हरिहर नाथ शास्त्री
हसरत मोहानी
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल
हैदर बख्श

प्रश्नोत्तर

---

९ जनवरी सन् १९५० ई० की कार्य सूची के शेष प्रश्न

तारांकित प्रश्न

कोर्ट आफ़ वार्ड्स के अधीन की गई ज़मींदारियां

*९८--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कोर्ट आफ वार्ड्स में नये सुधार के बाद, जो इस सरकार के समय में हुए, कौन-कौन सी जमींदारियां और किन कारणों से उसके अधीन की गयीं ? उनका नाम और विवरण पृथक-पृथक दिये जांय तथा किन कारणों से ऐसी आवश्यकता हुई और कोर्ट की गयी जमींदारियों की निकासी क्या है ?

*९९--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि ऐसी कौनसी अन्य जमींदारियां हैं, जिन के लिये जनता की ओर से अथवा अन्य किसी तरीक़े से कोर्ट करने की मांग की गयी ? वह किस निकासी की थी ? उनके कौन मालिक थे तथा उनको कोर्ट आफ़ वार्ड्स के अधीन करने के क्या कारण थे ?

माननीय माल सचिव (श्री हुकुमसिंह)--सूचना अभी एकत्र नहीं की जा सकी है, अतएव उत्तर बाद में दे दिया जायगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि साल भर में अब तक यह इत्तिला इकट्ठा न होने के क्या वजूहात है ?

माननीय माल सचिव--इत्तिला बड़ी पेचीदा मांगी गयी है, उसमें काफ़ी वक्त लगेगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि कोई भी जमींदारी कोर्ट आफ़ वार्ड्स में अब तक ली गयी है या नहीं ?

माननीय माल सचिव--८-९ रियासतें ली गयी हैं।

*१००--श्री मुहम्मद असरार अहमद--(वापस लिया गया।)

पंचायती अदालतों के सरपंचों के चुनाव के सम्बन्ध में झगड़े

*१०१—श्री मुहम्मद असरार अहमद—(स्थगित किया गया।)

*१०२—श्री मुहम्मद असरार अहमद—(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पंचायती अदालतों के सरपंचों के चुनाव के सिलसिले में हर जिले में कितने झगड़े हुए ?

(ख) इन झगड़ों में कितने आदमी जख्मी हुए और कितने मारे गये ?

(ग) इस सम्बन्ध में कितने मुक़द्दमों का इन्दराज हुआ और कितने मुक़द्दमे चलाये गये ? इन मुकद्दमों में से कितनों में सजा हुई, कितने छूटे, कितने अदालत के विचाराधीन हैं और कितने पुलिस के पास जांच के लिए हैं ?

माननीय स्वशासन सचिव (श्री आत्माराम गोविन्द खेर)—(क) पंचायती अदालत के सरपंचों के चुनाव के सिलसिले में कानपुर, आजमगढ़, उन्नाव रायबरेली तथा प्रतापगढ़ में झगड़े हुये। इन जिलों में एक-एक स्थान में झगड़ा हुआ।

(ख) इन झगड़ों में एक व्यक्ति घायल हुआ, कोई मारा नहीं गया।

(ग) २ मुक़द्दमों का इन्दराज हुआ, १ मुक़द्दमा चलाया गया, न तो किसी मुक़द्दमे में सजा हुई और न कोई छोड़ा गया है, एक मुकद्दमा अदालत के विचाराधीन है और एक के सम्बन्ध में पुलिस जांच कर रही है।

स्थान, जहां १ अगस्त, १९४७ ई० से दफा १४४ लागू है

*१०३—श्री मुहम्मद असरार अहमद—(क) क्या सरकार बतायेगी कि प्रांत की किस-किस म्युनिसिपैलिटी और जिले में १ अगस्त सन् १९४७ ई० से अब तक दफ़ा १४४ लागू की गयी और क्यों ?

(ख) प्रत्येक स्थान पर यह दफा कितने दिन लागू रही ?

माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—(क) दफ़ा १४४ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत हुक्म जारी करने का अधिकार जिला मैजिस्ट्रेटों तथा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटों को प्राप्त है। वे लोग इस दफ़ा के अनुसार शान्ति स्थापित रखने के लिये जब जरूरत समझते हैं आज्ञायें जारी करते हैं। सरकार की ओर से ऐसी आज्ञायें जारी नहीं होतीं।

पहली अगस्त सन् १९४७ ई० से अब तक थोड़े-थोड़े दिनों के लिये दफ़ा १४४ की आज्ञायें बहुत से जिलों में जारी की गई हैं, लेकिन उनका पूरा ब्योरा देना संभव नहीं है। माननीय सदस्य जिस जगह के बारे में विशेष तौर से जानना चाहते हों वहां की पूरी इत्तिला इकट्ठी की जा सकती है।

(ख) इसका उत्तर १०३ (क) में शामिल है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि अब तक हर म्युनिसिपैलिटी में साल भर दफ़ा १४४ जारी रहती है। क्या उसको खतम करने के लिये गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनायी है ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लाल बहादुर)—जी नहीं, यह इत्तिला माननीय सदस्य की ग़लत है।

सोशल वर्केर्स को बंदूक और पिस्तौल के लाइसेन्सों का दिया जाना

*१०४—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या यह सही है कि सरकार ने सोशल वर्केर्स को बन्दूक और पिस्तौल के लाइसेन्स के लिए माली हैसियत संबंधी बंधन से मुक्त कर दिया है ?

माननीय प्रधान सचिव—जी नहीं।

*१०५—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार बतायेगी कि सोशल वर्केर्स से सरकार का क्या मतलब है और इस श्रेणी में कौन-कौन से लोग शामिल किये गये हैं ?

मानीय प्रधान सचिव--यह प्रश्न नहीं उठता।

*१०६--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार बतायेगी कि १६ अगस्त सन् १९४७ ई० से अब तक विभिन्न जिलों में किन-किन लोगों को और किस-किस तारीख से लाइसेन्स दिये गये हैं ?

माननीय प्रधान सचिव--माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी है उसका ब्योरा देने म बहुत समय और मेहनत की जरूरत है। माननीय सदस्य यदि किसी खास जिले या व्यक्ति के बारे में सूचना चाहें तो उन्हें खुशी से बताया जा सकता है और वे मुझसे जान सकते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी शिकायत आयी है कि सोशल वर्कर्स को स्टेटस न होने के बावजूद भी बन्दूक और पिस्तौल के लाइसेंस दिये गये हैं।

माननीय पुलिस सचिव--ऐसी शिकायत मेरे पास नहीं आयी है।

विभिन्न जिलों में इमारतों का सरकारी काम के लिये हस्तगत करना

*१०७--श्री मुहम्मद असरार अहमद--(क) क्या सरकार बतायेगी कि किस-किस जिले में कौन-कौन सी इमारतें किस सरकारी काम के लिए ली हुई हैं ?

(ख) यह इमारतें किस समय से ली गयी हैं और इनका मासिक किराया क्या है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव के सभा मंत्री (श्री लताफत हुसैन)--(क) (ख) सरकार यह समझती है कि इस सूचना के हासिल करने में जो वक्त और मेहनत लगेगी वह ज्यादा मुफ़ीद न होगी।

जिलों में सरकारी अफसरों के रहने का प्रबन्ध

*१०८--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार बतलायेगी कि प्रत्येक जिले में सरकारी अफ़सरों के रहने के लिए क्या प्रबन्ध है ?

श्री लताफत हुसैन--कुछ अफ़सरों को सरकारी मकान या प्राइवेट मकान किराये पर लेकर दिये गये हैं। बाकी अफ़सर अपने रहने का इन्तजाम खुद करते हैं।

विभिन्न वर्षों में सिविल सेक्रेटेरियट में प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों की संख्या

*१०९--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार बतलायेगी कि ३१ मार्च सन् १९४६ ई०, १९४७ ई०, १९४८ ई० व १९४९ ई० को गवर्नमेंट सिविल सेक्रेटेरियट में कुल कितने सेक्रेटरी, अतिरिक्त सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सुपरिन्टेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट, अन्य अफसर व क्लर्क काम कर रहे थे ? क्या सरकार प्रत्येक विभाग की सूची अलग-अलग देने की कृपा करेगी ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मन्त्री (श्री गोविन्द सहाय)--यू० पी० सिविल सेक्रेटरियट के प्रत्येक विभाग में ३१ मार्च सन् १९४६, १९४७, १९४८ तथा १९४९ ई० को गवर्नमेंट सिविल सेक्रेटेरियट में कार्य करने वाले सेक्रेटरी अतिरिक्त सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सुपरिन्टेंडेंट, अन्य अफसर व असिस्टेंट आदि की सूची† प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग प्रस्तुत की जा रही है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि अन्य आफिसर्स से क्या मतलब है।

श्री गोविन्द सहाय--सुपरिन्टेंडेंट्स और कई स्पेशल आफिसर्स, जो इस किस्म के होते हैं, सभी की सूची †इसमें दे दी गयी है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि १५ से ४० आफिसर्स क्यों मुक़र्रर किये गये ?

---

†सूची यहां पर छापी नहीं गई।

श्री गोविन्द सहाय--उसकी जरूरत थी, इसीलिये मुकर्रर किये गये।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि असिस्टेंट सेक्रेटरी १० के बजाय अब २० दो साल के अन्दर क्यों किये गये ?

श्री गोविन्द सहाय--दुश्वरतन काम बढ़ गया है, इसलिये मुकर्रर किये गये हैं।

राजनीतिक पीड़ितों को मोटर और लारी के परमिट

*११०--श्री बनारसी दास--(क) क्या सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों को मोटर और लारी चलाने के परमिट देने का निश्चय किया है ?

(ख) ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ?

(ग) इनमें से अब तक कितने लोगों को परमिट दिये गए हैं और कितनी लारियां चलने लगी हैं।

माननीय पुलिस सचिव--(क) जी हां।

(ख) पुरानी योजना (१९४८ ई०) के अन्तर्गत लगभग ५५० प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, नई योजना (१९४९ ई०) के अन्तर्गत करीब ५०० दरख्वास्तें आई हैं।

(ग) पुरानी योजना के अन्तर्गत कुल १६६ लोगों को परमिट स्वीकृत किया गया, जिसमे से १४३ लारियां व १८ ठेले चल रहे हैं। बाकी लोगों ने गाड़ी नही चलाई।

नई योजना के अन्तर्गत अभी परमिट दिया जा रहा है, इसलिये अभी यह बताना कि इस योजना के अन्दर कितने परमिट दिये गये संभव नहीं है।

*१११--श्री बनारसी दास--सन् १९४८ ई० तथा सन् १९४९ ई० में अब तक कुल कितने नये परमिट दिये गये हैं। कृपया जिलेवार सूची दी जाय।

माननीय पुलिस सचिव--सन् १९४८ ई० तथा १९४९ ई० में अब तक कुल २,५७१ नये परमिट दिये गये। इनकी जिलेवार सूचना नत्थी है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७३ पर)

*११२--श्री बनारसी दास--क्या यह सही है कि मेरठ के एक सज्जन को भिन्न-भिन्न नामों से १३ लारियों के परमिट मेरठ व बुलन्द शहर जिले में दिये गये हैं। यदि हां, तो क्यों ?

माननीय पुलिस सचिव--जी नहीं, जेनरल ट्रेडर्स ऐण्ड ट्रान्सपोर्ट कंपनी, मेरठ से संबंधित भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को अवश्य कुल मिला कर १३ परमिट, ९ स्टेज कैरेज के तथा ४ पब्लिक कैरियर के दिये गये हैं। किसी एक व्यक्ति को यह परमिट नही दिये गये हैं।

श्री बनारसी दास--मेरठ के जनरल ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या राजनीतिक पीड़ित हैं ?

माननीय पुलिस सचिव--जी नहीं, राजनीतिक पीड़ित उस अर्थ में, जिसमें माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं, नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो कि राजनीतिक कार्य कर्ता हैं और उन्होंने कष्ट भी उठाये हैं।

श्री बनारसी दास--उन लोगों को परमिट्स किस आधार पर दिये गये हैं ?

माननीय पुलिस सचिव--जब कि रोडवेज की स्कीम चलाने और नेशनलाइज़ेशन का फैसला हुआ उस वक्त जो लोग कि प्राइवेट आपरेटर्स थे, उनकी तरफ से बहुत विरोध हुआ, सारे सूबे में और ऐसी दिक्कत भी मालूम हुई कि काम का चलाना ही मुश्किल हो जायगा। मेरठ डिवीजन की यह कम्पनी जिन लोगों की है उन्होंने खास तौर से हमारे कामों में बड़ी मदद पहुंचायी है। उनकी तरफ से बहुत सी गाड़ियां चलती थीं, इसलिये कुछ समय तक के लिये इस कम्पनी को ये परमिट्स दिये गये हैं और वैसे भी जो कि डिस्प्लेस्ड आपरेटर्स हैं उनको हम प्रायरिटी देते हैं परमिट देने में। इस वास्ते यह कोई नयी बात नही की गई है। ऐसे बहुत से लोग उस कम्पनी में शामिल हैं। इस वास्ते कुछ ज्यादा परमिट्स उनको दिये गये हैं।

श्री बनारसी दास---क्या गवर्नमेंट उन व्यक्तियों के नाम बतलाने की कृपा करेगी, जो कि इस कम्पनी के अन्दर सम्मिलित है ?

माननीय पुलिस सचिव---इस वक्त नाम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बाद में बतला सकता हूं।

बुलन्दशहर जिला प्रदर्शनी का प्रबन्ध और उस पर खर्चा

*११३---श्री बनारसी दास---(क) क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बुलन्द-शहर में कोई जिला प्रदर्शिनी कमेटी है ? इस कमेटी का क्या विधान है ?

(ख) क्या जिलाधीश महोदय उसके प्रधान है ?

(ग) ऐसी जिला प्रदर्शनियो से सरकार का क्या सम्बन्ध है ?

माननीय स्वशासन सचिव---(क) जी हां, इस कमेटी में पैट्रन, प्रेसीडेंट वाइस प्रेसीडेंट जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी आडीटर और सदस्य होते हैं। साधारण सदस्यता की फीस ५० रु० है तथा विशेष सदस्यता की ५०० रु० और २०० रु० देने पर कोई भी पैट्रन बन सकता है। चन्दा देने वाली सभी सार्वजनिक संस्थाओं को प्रति संस्था एक सदस्य और हर म्युनिसिपल व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को प्रति बार्ड दो सदस्य जनरल कमेटी के लिये नामजद करने का अधिकार है। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइन्ट सेक्रेट्री और आडीटर प्रति वर्ष जनरल कमेटी द्वारा चुने जाते है तथा प्रदर्शनी का प्रबन्ध पदाधिकारियो के अतिरिक्त जनरल कमेटी द्वारा नियुक्त १५ सदस्यो की एक कार्यकारिणी समिति द्वारा होता है।

(ख) जी हां, जिला मैजिस्ट्रेट पद की हैसियत से जनरल कमेटी के प्रधान है।

(ग) कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। परन्तु प्रतिवर्ष सरकार ग्रान्ट देती है। सरकार की तरफ से उसी प्रदर्शनी में एक घोड़ो की नुमाइश की जाती है और पब्लिक वर्क्स, पशु-पालन और कृषि-विभाग इसमें सहयोग देते हैं।

श्री बनारसी दास---क्या गवर्नमेंट यह बतायेगी कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है ?

माननीय स्वशासन सचिव---इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भी वही है, जो अन्य प्रदर्शनियों का हुआ करता है। जो वहां पर बड़ी-बड़ी चीजे होती है उनको जनता में दिखाया जाता ह और उनको इन सब चीजों का ज्ञान कराया जाता है।

श्री बनारसी दास---क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि यह प्रदर्शनी वास्तव म एक रईस और सरकारी अफसरों के मनोरंजन का एक साधन है ?

माननीय स्वशासन सचिव---इस प्रकार की कोई खबर सरकार को नहीं है।

श्री बनारसी दास---क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि यह प्रदर्शनियां ब्रिटिश सरकार की ओर से अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने के लिये ही कायम की गई थीं और इस समय केवल यह रुपये का दुरुपयोग है ?

माननीय स्वशासन सचिव---ब्रिटिश सरकार के जमाने में कोई भी इसका हेतु रहा हो, लेकिन आनरेबिल मेम्बर यह जानते है कि इस सरकार का भी वही उद्देश्य हो सकता है कि जनता में प्रचार करके उसका ज्ञान बढ़ावें और उससे जानकारी करावें।

श्री बनारसी दास---क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि जिला बोर्ड बुलन्दशहर ने इस क़िस्म का एक प्रस्ताव पास किया है कि जिला के उद्योग-धंधों की तरक्क़ी के लिये इस प्रदर्शनी का तमाम प्रबन्ध जिला बोर्ड को दे दिया जाय ?

माननीय स्वशासन सचिव--इस प्रकार की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री बनारसी दास--क्या गवर्नमेंट इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि इन जिले की प्रदर्शनियों का तमाम प्रबन्ध जिला बोर्ड को दे दिया जाय?

माननीय स्वशासन सचिव--जी हां, एक इस प्रकार का आम प्रस्ताव मेरे पास आया है और उस पर विचार हो रहा है।

*११४--श्री बनारसी दास--क्या सरकार को मालूम है कि इस जिला प्रदर्शनी का सारा प्रबन्ध और संगठन जिलाधीश के मातहत प्रायः सरकारी कर्मचारी ही करते हैं?

माननीय स्वशासन सचिव--जैसा कहा जा चुका है वास्तविक प्रबन्ध जनरल कमेटी द्वारा निर्वाचित १५ सदस्यों की कार्यकारिणी समिति करती है। प्रदर्शनी की भिन्न-भिन्न शाखाओं के प्रबन्ध के लिये अलग-अलग उप-समितियां बनाई जाती हैं, जिनमें मुख्यरूप से ग़ैर-सरकारी सदस्य होते हैं। अलबत्ता अभी तक यह प्रथा रही है कि जनरल सेक्रेटरी कोई डिप्टी कलेक्टर होता है और एक ज्वाइन्ट सेक्रेटरी तहसीलदार होता है।

*११५--श्री बनारसी दास--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४९ ई० में जिला प्रदर्शनी में कुल कितना रुपया व्यय हुआ? इसमें चन्दे से कितना रुपया प्राप्त हुआ?

माननीय स्वशासन सचिव--सन् १९४९ ई० की प्रदर्शनी पर अब तक ३४,४९९ रु० १ आ० ५ पा० ख़र्च हुआ है, जिसमें सदस्यता की फीस से १०,१०७ रु० प्राप्त हुआ था।

*११६--श्री बनारसी दास--(क) क्या सरकार को मालूम है कि सारा चन्दा प्रायः सरकारी नौकरों ने वसूल किया?

(ख) यह चन्दा सरकारी कर्मचारियों ने किस अधिकार से वसूल किया?

माननीय स्वशासन सचिव--(क) जी हां, स्वेच्छा से दिये गये इन चन्दों को सिर्फ जिला के माल विभाग के कर्मचारियों ने वसूल किया था।

(ख) सरकार ने इसकी अनुमति दे दी थी।

श्री बनारसी दास--क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि जिसको स्वेच्छा से चन्दा वसूल करना कहा जाता है उसके लिये जनता को आम असन्तोष है कि प्रदर्शनियों का चन्दा वसूल करने में सरकारी अधिकारी जबरदस्ती करते हैं?

माननीय स्वशासन सचिव--इस प्रकार की शिकायत कम से कम मेरे पास तो नहीं आई है। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि शायद वहां हो। किन्तु वहां पर लोगों को इतनी गहरी कोई तकलीफ नहीं है, जिसकी शिकायत सरकार के पास भेज सकें।

मंगलवार, १० जनवरी सन १९५० ई० के

ताराङ्कित प्रश्न

पीलीभीत में सेशन्स के मुकदमों की सुनवाई तथा असेसरों की उपस्थिति

*१--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--क्या यह सत्य है कि सेशन्स के मुक़दमों में गवाहों असेसरों, अभियुक्तों और ज़ामिनों पर सम्मनों की तामील ज़िलाधीश द्वारा हुआ करती है?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मन्त्री (श्री चरण सिंह)--जी हां।

*२--श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल--क्या यह सत्य है कि प्रत्येक सेशन्स के मुक़दमे के लिए ८ असेसर बुलाये जाते हैं, और कम से कम ३ के आ जाने पर मुक़दमे की सुनवाई हो सकती है?

श्री चरण सिंह--प्रत्येक सेशन्स के मुक़दमे के लिये कम से कम ३ परन्तु यदि सम्भव हो सके तो ४ असेसरों की आवश्यकता होती है और इसलिये इस संख्या के दुगने असेसर प्रायः बुलाये जाते हैं।

*३—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पीलीभीत में १ जनवरी सन् १९४८ ई० से—

(क) सेशन्स के कितने मुकदमे इस कारण से स्थगित किये गये कि उनके गवाह, अभियुक्त या असेसर तामील न होने के कारण नहीं आये ?

(ख) सेशन्स के कितने मुकदमे असेसरों के पर्याप्त संख्या में उपस्थित न होने के कारण विलम्ब से आरम्भ हुए जब कि अनुपस्थित असेसरों के स्थान में शहर से नये असेसर तुरन्त तलब करके असेसरों की कमी सेशन्स जज साहब ने पूरी की ?

श्री चरण सिंह—(क) पीलीभीत में १ जनवरी सन् १९४८ ई० से गवाहों के न आने के कारण ८ सेशन्स के मुकदमे, अभियुक्तों के न आने के कारण १ और असेसरों के न आने के कारण ४ मुकदमे स्थगित किये गये।

(ख) असेसरों के न आने से ७ सेशन्स के मुकदमों म शहर के दूसरे असेसरों को बुलाना पड़ा, जिसमें देर हुई।

*४—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सत्य है कि जिन तिथियों पर सेशन्स के मुक़दमे लगे होते हैं, उन पर प्रायः और कोई काम नहीं लगाया जाता है ?

श्री चरण सिंह—जी हां।

*५—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या सरकार कृपा करके पीलीभीत सेशन्स न्यायालय के सम्बन्ध में १ जनवरी सन् १९४८ ई० से गवाहों, अभियुक्तों या असेसरों की अनुपस्थिति के कारण स्थगित किये गये मुकदमों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना देगी :—

(क) संख्या सेशन्स मुकदमा ?
(ख) नाम अभियुक्त ?
(ग) संख्या धारा व नाम कानून, जिसके अन्तर्गत मुकदमा चला हो ?
(घ) सेशन्स न्यायालय की तिथि या तिथियां ?
(ङ) तिथि या तिथियां, जिसके लिए मुक़दमा स्थगित हुआ ?
(च) कारण, जिससे स्थगित हुआ ?
(छ) अभियुक्त जेल में थे या जमानत पर छूटे हुये थे ?
(ज) सरकारी रुपये की हानि, जो मुकदमें में स्थगित होने से हुई—
(१) जज के वेतन में ?
(२) गवाहों और असेसरों के मार्ग-व्यय और भोजन में ?
(३) वकील सरकार की फीस में ?

श्री चरण सिंह—आवश्यक सूचना मेज पर रक्खी है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७५ पर)

*६—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सत्य है कि उपरोक्त मुक़दमे केवल इस लिए स्थगित करने पड़े कि गवाहों और असेसरों पर सम्मनों की तामील में लापरवाही की गयी ?

श्री चरण सिंह—जी हां, सम्मन तामील करने में लापरवाही के लिये कुछ सम्मन तामील करने वालों को उपयुक्त सजा दी गई है तथा कुछ के सम्बन्ध में जांच हो रही है।

*७—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सत्य है कि सेशन्स जज साहब और सरकारी वकील ने कई बार जिलाधीश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, किन्तु फिर भी इसका प्रबन्ध नहीं किया गया ?

श्री चरण सिंह—यह सत्य है कि सरकारी वकील और सेशन्स जज ने जिलाधीश का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और अब असेसरों और गवाहों के सम्मनों की तामील में काफी देख-भाल व सख्ती से काम लिया जाता है और दशा काफी सुधर गई है।

*८--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि जिससे गवाहों और असेसरों आदि पर सम्मनों की तामील न होने पर मुक़दमों के स्थगित होने से जो सरकार का व्यय व्यर्थ नष्ट होता है न हुआ करे?

श्री चरण सिंह-- इस समय सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना नहीं है, परन्तु वह इस विषय पर विचार करेगी।

पी० सी० एस० में परिगणित जातिवालों के लिए जगहों की व्यवस्था

*९--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--(क) क्या पी० सी० एस० में शेड्यूल क्लास वालों के लिए कुछ जगहें रिजर्व थीं? यदि हां, तो कितनी?

(ख) कुल कितने शिड्यूल क्लास वाले (पिछली) परीक्षा मे बैठे? कितने लिये गये?

श्री गोविन्द सहाय--(क) जी हां। परिगणित जाति के उम्मीदवारों के लिये पांच जगहें सुरक्षित (रिजर्व) रखी गयी थीं।

(ख) परिगणित जाति के २८ उम्मीदवार परीक्षा में बैठे और उनमें से दो उम्मीदवार डाक्टरी परीक्षा में पास होने की शर्त पर नियुक्ति के लिये मंजूर किये गये थे।

*१०--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या पी० सी० एस० के चुनाव में रिजर्वेशन का कुछ लिहाज किया गया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री गोविन्द सहाय--जी हां। इस प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो ५ जगह रिजर्व थीं और २८ उम्मेदवार बैठे थे, उनमें से ५ सबसे अच्छे उम्मीदवार क्यों नहीं चुन लिए गए?

माननीय प्रधान सचिव--पब्लिक सर्विस कमीशन ने २८ उम्मीदवारों में से इम्तहान का नतीजा और मिनिमम क्वालिफिकेशन देखकर एक नाम भेजा था, मैंने कहा कि कम से कम दो होने चाहिए, इस तरह से दूसरे को बाद में हमने शामिल कराया।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो बकिया ३ जगहें रिजर्व से पूरी न हो सकीं वह किनको और किस लिहाज से दी गईं।

माननीय प्रधान सचिव--उस लिस्ट में जो लोग आर्डर आफ मरिट से मुस्तहक़ थे, उन्हीं को दी गईं।

जनाने अस्पतालों को सरकारी सहायता

*११--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--[स्थगित किया गया।]

अदालतों तथा सरकारी दफ्तरों में देवनागरी लिपि के प्रयोग का अभाव

*१२--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि प्रान्त के विभिन्न जिलों में किस-किस विभाग में राजकीय लिखा-पढ़ी देवनागरी लिपि में नहीं होती और किस-किस अदालत में अब भी उर्दू भाषा में काम होता है।

श्री गोविन्द सहाय--प्रान्त के विभिन्न जिलों में सभी दफ्तरों और अदालतों में राजकीय काम में हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन पूरी तौर पर ऐसा होने में समय लगेगा। अदालतों में भी उर्दू भाषा के बदले हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार कृपा करके बतलाएगी कि जिलों के विभागों में जो लिखा-पढ़ी प्रान्तीय सरकार से होती है वह अब भी अंग्रेजी भाषा में होती है और नागरी का व्यवहार नहीं किया जाता?

श्री गोविन्द सहाय--जहां तक सरकार की पालिसी का सम्बन्ध है, इस बात का आदेश दिया गया है कि जहां तक भी हिन्दी को प्रोत्साहन दिया जा सके, दिया जाना चाहिए।

*१३--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या यह सही है कि लखनऊ के सरकारी दफ्तरों और अदालतों में अब भी अधिकांश कार्य फ़ारसी लिपि में होता है और देवनागरी लिपि का व्यवहार बहुत कम किया जाता है ? क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सरकारी विज्ञप्ति की अवहेलना करने वाले राज कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री गोविन्द सहाय--जी नहीं। अधिकतर सरकारी कर्मचारियों ने हिन्दी सीख ली है और सबको आदेश दे दिया गया है कि वे जल्दी से जल्दी हिन्दी भाषा सीख लें ?

चालानी मुक़दमों का सबूत न मिलने के कारण स्थगित किया जाना

*१४--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि विभिन्न जिलों में सन् १९४९ ई० में कितने चालानी मुक़दमे पुलिस की तरफ से सबूत मौजूद नहीं होने के कारण दो बार से अधिक स्थगित करना पड़े ?

माननीय पुलिस सचिव--सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२० पर)

हरदोई जिले में, १९४८-४९ ई० में चोरी, डकैती और क़त्ल की घटनायें

*१५--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार यह बतलायेगी कि हरदोई जिले के विभिन्न थानों में १ मई सन् १९४८ ई० से ३१ मई सन् १९४९ ई० तक चोरी, डकैती और क़त्ल की कितनी दुर्घटनाएं हुई ?

माननीय पुलिस सचिव--१ मई सन् १९४८ ई० से ३१ मार्च सन् १९४९ ई० तक हरदोई जिले के विभिन्न थानों में १,४६४ घटनायें चोरी, ३० घटनायें डकैती और ४९ घटनायें क़त्ल की हुईं।

*१६--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--[स्थगित किया गया।]

मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों में बिजली की सप्लाई

*१७--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों में सन् १९४८ ई० में किन-किन लोगों को, कितनी-कितनी और किस-किस काम के लिए बिजली दी गयी ?

श्री लताफत हुसैन--एक नक़शा, जिसमेंमांगी गई सूचना दी है, मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२१ पर)

कमिश्नरों के कार्यालयों के हेड असिस्टेंटों के बारे में प्रश्न

*१८--श्री निहालुद्दीन (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि कुछ कमिश्नरों के कार्यालयों के हेड असिस्टेंट उसी कार्यालय में चार वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे हेड असिस्टेंटों के नाम, डिवीजन का नाम, जिसमें वह काम कर रहे हैं और समय जब से वह लगातार उस डिवीजन में काम कर रहे हैं, बताने की कृपा करेगी ?

माननीय माल सचिव--यह सच है कि कुछ कमिश्नरों के कार्यालयों के हेड असिस्टेंट उसी कार्यालय में चार वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे थे। उनका विवरण नीचे दिया हुआ है :--

१--श्री एम० एच० सिंह, रुहेलखंड डिवीजन--१ नवम्बर, १९४२ ई०।

२--श्री सूरज प्रसाद सिन्हा, इलाहाबाद डिवीजन--१४ जून, १९४५ ई०।

*१९—श्री निहालुद्दीन (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि आम तरीके पर एक हेड असिस्टेंट एक डिवीजन में चार वर्ष से अधिक नहीं रखा जाता? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया वह विशेष वजह बतायेगी, जिससे इन हेड असिस्टेंटों को एक ही कार्यालय में चार साल से अधिक रखा गया?

माननीय माल सचिव—जी हां, श्री एम० एच० सिंह का बरेली में ही रखना इस कारण उचित समझा गया कि वहां के कमिश्नर की जगह तोड़ दी गई थी और वहां एक अनुभवी हेड असिस्टेंट का रखना आवश्यक था। श्री एम० एच० सिंह का तबादला अब दूसरे डिवीजन में कर दिया गया है और वह २७ सितम्बर से दो महीने की छुट्टी पर चले गये हैं।

श्री सूरज प्रसाद सिन्हा, सितम्बर सन् १९४९ ई० में अवकाश ग्रहण करने वाले थे, अतएव उनके तबादले का प्रश्न नहीं उठाया गया। अब उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया है।

*२०—श्री निहालुद्दीन (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि इन हेड असिस्टेंटों में से गत तीन वर्ष के अन्दर किसी-किसी के तबादले का आदेश हुआ था? यदि हां, तो हर एक के लिए कितनी बार यह आदेश हुआ था और उसका क्या नतीजा हुआ?

माननीय माल सचिव—जी हां, श्री एम० एच० सिंह के तबादले का आदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा दो बार हुआ, किन्तु दोनों बार बाद में रद्द कर दिया गया।

*२१—श्री निहालुद्दीन (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह इन हेड असिस्टेंटों के तबादला करने का इरादा रखती है या नहीं?

माननीय माल सचिव—यह प्रश्न अब नहीं उठता।

संयुक्त प्रांतीय स्कूलों के शिक्षकों के वेतन का क्रम

*२२—श्री राम शरण—क्या सरकार कृपा कर के यह बतलायेगी कि उसने पे कमेटी के हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल (आधुनिक जूनियर हाई स्कूल) के अध्यापकों के वेतन के स्केल सम्बन्धी निर्णय को मान लिया है?

माननीय शिक्षा सचिव के सभा मंत्री (श्री महफूजुर्रहमान)—जी हां, जहां तक मिडिल स्कूलों का सम्बन्ध है, लोकल बाडीज द्वारा व्यवस्थित स्कूलों के अध्यापकों के लिये कमेटी द्वारा व्यवस्थित वेतन-क्रम में सरकार ने कुछ संशोधन किया था।

श्री रामशरण—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रश्न संख्या २२ में जो संशोधन का जिक्र किया गया है, वह क्या है?

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णानन्द)—इस वक्त मैं ठीक नहीं बतला सकता, लेकिन जिस वक्त पे-कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर असेम्बली में बहस हुई थी उस वक्त मैंने बतला दिया था कि वह सब बात उसमें की गई है।

*२३—श्री रामशरण—क्या यह ठीक है कि पे-कमेटी ने ट्रेंड अन्डर ग्रेजुएट "सी० टी०" के लिए वेतन का स्केल ७५—५—१२०—८—२०० रु० रक्खा है।

श्री महफूजुर्रहमान—जी हां।

*२४—श्री रामशरण—क्या यह ठीक है कि संचालक, शिक्षा विभाग ने अपने दिनांक २४ फरवरी, १९४९ ई० की पत्र संख्या जी० एल० नं० एच०-५६/३०—२०(३०), द्वारा ए० टी० सी० अंग्रेजी शिक्षकों का वेतन पे-कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ४५—२—५५-प्र० अ०—२—७५ रु० देने का आदेश दिया है?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हां।

*२५---श्री रामशरण---क्या यह ठीक है कि पे-कमेटी की रिपोर्ट में जो अन्ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट शिक्षकों के वेतन का स्केल दिया गया है वही शिक्षा विभाग ने ए० टी० सी० के लिए देना स्वीकार किया है ?

श्री महफूजुर्रहमान---अन्ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट शिक्षकों के लिये पे-कमेटी के रिपोर्ट में कोई वेतन नहीं दिया है।

श्री रामशरण---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यू० पी० पे-कमेटी ने मिडिल स्कूलों के उन अध्यापकों के लिये, जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं और ट्रेन्ड नहीं हैं, ४५-२-५५ रु० वेतन की दर नियत की है ?

माननीय शिक्षा सचिव---मैं इस वक्त ठीक नहीं कह सकता। रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने नहीं है।

*२६---श्री रामशरण---क्या यह ठीक है कि सरकार के आदेशानुसार सरकार से सहायता पाने वाले विद्यालयों मे भी सी० टी० पास अर्थात् ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट अध्यापकों को भी ७५-५-११०-६-१४०-७-१७५ रु० के स्केल से मासिक वेतन दिया जाता है ?

श्री महफूजुर्रहमान---जी हां।

*२७---श्री रामशरण---क्या यह ठीक है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट को मासिक वेतन पे-कमेटी के निर्णय के अनुसार ७५-५-१२०-८-२०० रु० के ग्रेड से दिया जाता है ?

श्री महफूजुर्रहमान---जी हां।

*२८---श्री रामशरण---यदि हां, तो क्या सरकार यह बतलायेगी कि गवर्नमेंट हाई स्कूल के ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट अध्यापकों तथा उन सी० टी० अध्यापको के ग्रेड मे, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जूनियर हाई स्कूल मे अंग्रेजी शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं इतना अन्तर अभी तक क्यों है ?

श्री महफूजुर्रहमान---उनके काम सर्वथा एक से नहीं है।

*२९---श्री रामशरण---क्या यह ठीक है कि पूरे सूबे मे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीनस्थ जूनियर हाई स्कूलों में सी० टी० (ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट) शिक्षकों की संख्या केवल ५२ है ?

श्री महफूजुर्रहमान---जी हां।

*३०---श्री रामशरण---क्या यह ठीक है कि मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने अपने यहां के जूनियर हाई स्कूल्स के सी० टी० पास अंग्रेजी शिक्षकों को ए० टी० सी० पास शिक्षकों के वेतन से, जो पे-कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अन्ट्रेन्ड टीचर्स के वेतन के बराबर है, अधिक देना स्वीकार नहीं किया है?

श्री महफूजुर्रहमान---अभी हाल में सरकार ने अंग्रेजी अध्यापकों के लिये ४५-२-६५ कौ० बा०-३-८० का ग्रेड स्वीकार किया है और यह मुरादाबाद सहित समस्त बोर्डों में लागू है।

श्री रामशरण---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मिडिल स्कूलों में अंग्रेजी के अध्यापकों में जो ट्रेंड है और जो ट्रेंड नहीं हैं उनके वेतन के दर में कुछ अन्तर किया गया है ?

माननीय शिक्षा सचिव---मैं समझता हूँ फर्क जरूर होगा, लेकिन इस सवाल से तो यह बात पैदा नहीं होती। प्रश्न ३० में तो आपने कोई दूसरा ही सवाल पूछा था।

श्री रामशरण---क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि २० साल से पहिले उन ट्रेंड अध्यापकों को ५० रुपये मासिक प्राथमिक वेतन दिया गया था ?

माननीय शिक्षा सचिव---बीस साल पहले क्या हुआ था, मुझे ठीक नहीं मालूम।

श्री रामशरण--क्या ४५-२-६५ रु० की वेतन दर जो नियत की गई है वह ट्रेंड अध्यापकों के लिये भी लागू है?

माननीय शिक्षा सचिव--मेरा ख्याल है कि यह दर ट्रेंड के लिये ही लागू है।

*३१--श्री रामशरण--क्या मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों के सी० टी० पास अंग्रेजी अध्यापकों ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से प्रार्थना की है कि वह उनको पे-कमेटी के निर्णयानुसार सी० टी० (ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट) के स्केल के अनुसार वेतन दे?

श्री महफूजुर्रहमान--जी हां।

*३२--श्री रामशरण--क्या सरकार यह बतायगी कि ए० टी० सी० शिक्षकों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जूनियर हाई स्कूल में नियुक्त होने पर क्या ग्रेड दिया जायगा?

श्री महफूजुर्रहमान-- कृपया प्रश्न ३० के उत्तर को देखिये।

*३३--श्री रामशरण--क्या सरकार इन ट्रेन्ड अन्डर गेजुयेट (सी० टी०) शिक्षकों के वेतन के विषय में अपना स्पष्ट निर्णय सूचित करेगी?

श्री महफूजुर्रहमान--कृपया प्रश्न नं० ३० के उत्तर को देखिये।

झांसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा बिजली का उत्पादन तथा वितरण

*३४--श्री कुञ्जबिहारी लाल शिवानी--तारीख १६ जुलाई सन् १९४६ ई० तक झांसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी प्रतिदिन कितनी बिजली उत्पन्न करती थी? इसमे से कितने यूनिट बिजली प्रतिदिन खर्च होती थी तथा कितने यूनिट बिजली रिजर्व मे रखी जाती थी?

श्री लताफत हुसैन--माननीय सदस्य के सवाल से यह ठीक-ठीक जाहिर नहीं होता कि वे दरअसल क्या जानना चाहते है। बिजली रिजर्व में नहीं रखी जाती और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी ने जब से बिजली देना शुरू किया है तब से १६ जुलाई, १९४६ ई० तक वह कितनी बिजली हर रोज पैदा करती थी और कितनी हर रोज खर्च करती थी इसकी सूचना इकट्ठी करने मे जो समय और परिश्रम लगेगा वह उससे हासिल होने वाले फायदे के मुकाबिले में कहीं ज्यादा होगा। हां, यह बताया जा सकता है कि १६ जुलाई, १९४६ ई० को २,२५२ कीलोवाट पावर्स बिजली पैदा हुई थी और २,११२ कीलोवाट पावर्स खर्च हुई थी।

*३५--श्री कुञ्जबिहारी लाल शिवानी-- तारीख १५ जून सन् १९४९ ई० तक झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी प्रतिदिन कितनी बिजली उत्पन्न करती थी? उसमें से प्रतिदिन कितनी बिजली खर्च होती थी तथा कितनी रिजर्व में रखी जाती थी?

श्री लताफत हुसैन--इस सवाल का जवाब भी सवाल नं० ३४ के जवाब से मिल जाता है। १५ जून सन् १९४९ ई० को ४,२२८ किलोवाट पावर्स बिजली पैदा हुई थी और ३,६९७ किलोवाट पावर्स खर्च हुई थी।

*३६--श्री कुन्जबिहारी लाल शिवानी--क्या यह सच है कि झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी ने अधिक बिजली उत्पन्न करने के लिये एक और नया इंजन लगाया है? यह नया इंजन कब लगा है और उससे कितनी बिजली उत्पन्न होती है?

श्री लताफत हुसैन--जी हां, यह इंजन मई, १९४९ ई० में लगाया गया था और इस इंजन की बिजली पैदा करने की शक्ति ३५० किलोवाट है।

*३७--श्री कुञ्जबिहारी शिवानी--क्या बिजली प्राप्त करने के लिये दी हुई दरख्वास्तों पर नम्बर सिलसिलेवार दिये जाते हैं? यदि नहीं तो दरख्वास्तों पर नम्बर देने के क्या नियम हैं और उनकी लिखा-पढ़ी कहां तक की जाती है?

श्री लताफत हुसैन--जी हां बिजली प्राप्त करने के लिये दी हुई दरख्वास्तों पर नम्बर सिलसिलेवार दिये जाते हैं।

श्री कुञ्जबिहारीलाल शिवानी--क्या यह सत्य है कि झांसी बिजली कम्पनी के खिलाफ बहुत सी दरख्वास्तें आनरेबिल मिनिस्टर साहब के पास आईं ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)--जो दरख्वास्तें जरूर आईं।

श्री कुन्जबिहारी लाल शिवानी--क्या माननीय मंत्री महोदय ने अपने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को उनकी जांच के लिये झांसी भेजा था ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--जी, यह भी सही है।

श्री कुन्जबिहारी लाल शिवानी--उस जांच का क्या नतीजा निकला ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--नोटिस की जरूरत है। इस वक्त मुझको कुछ याद नहीं है।

श्री कुञ्जबिहारी लाल शिवानी--क्या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की रिपोर्ट सरकार प्रकाशित करने के लिये तैयार है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--उसको पब्लिश करने की तो कोई जरूरत नहीं मालूम होती है। हां, आनरेबिल मेम्बर को मैं दिखला सकता हूँ।

श्री कुन्जबिहारी लाल शिवानी--क्या जो दरख्वास्तें बिजली कम्पनी में दी जाती हैं उनका इन्दराज सिलसिलेवार किसी रजिस्टर में होता है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--इस बात का जवाब तो जो जवाबात पढ़े गये हैं, उनमें मौजूद है।

श्री कुञ्जबिहारी लाल शिवानी--क्या सरकार को इत्मीनान है कि जो दरख्वास्तें जिस सिलसिले में आती हैं उनको उसी सिलसिले से बिजली के कनेक्शन दिये जाते हैं ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--रूल तो यही है। कभी-कभी अगर ऐसी शिकायतें आईं तो उनके बारे में जांच की गई और जैसा मुनासिब समझा गया किया गया।

दिबियापुर-बेला रोड, इटावा को पक्की करना

*३८--श्री दीनदयालु अवस्थी (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि दिबियापुर-बेला रोड, इटावा को पक्की कराने के लिये सन् १९४६ ई० में साढ़े पांच लाख रुपये का अनुमान (इस्टिमेट) स्वीकृत हुआ था ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--एक इस्टिमेट ६.५९ लाख रुपये का सन् १९४७ ई० में मंजूर किया गया था। सन् १९४६ ई० में कोई इस्टिमेट मंजूर नहीं हुआ था।

*३९--श्री दीनदयालु अवस्थी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि चीफ इंजीनियर ने जो काम के रेट सूबे भर के लिये मंजूर किये हैं, वही रेट दिबियापुर-बेला रोड पर क्यों नहीं लागू किये गये ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--चीफ इंजीनियर ने जो रेट सूबा भर के लिये मंजूर किया था वही रेट दिबियापुर-बेला सड़क के लिये भी लागू था।

*४०--श्री दीनदयालु अवस्थी (अनुपस्थित)--क्या सरकार अनुभव करती है कि कम दरें (रेट्स) होने के कारण इस सड़क का काम रुका पड़ा है ?

*४१--यदि हां, तो सरकार इस सड़क का काम चालू करने के लिये क्या उपाय सोच रही है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--ये सवाल पैदा नहीं होते।

पंचायत निरीक्षकों के पदों पर नियुक्तियां

*४२--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--क्या यह सच है कि अभी कुछ समय हुआ सरकार ने पंचायत निरीक्षकों के पदों के लिये नियुक्तियां की हैं? यदि हां, तो कब और कितनी ऐसी नियुक्तियां की हैं?

माननीय स्वशासन सचिव--जी हां।

६ जून, १९४९ ई० को ४६२।
१६ जलाई, १९४९ ई० को २१।
२ अगस्त, १९४९ ई० को २२।
२३ अगस्त, १९४९ ई० को २।
५ सितम्बर, १९४९ ई० को १२।

इनमें से ११ पंचायत निरीक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया है तथा ७ ने कार्यभार ही ग्रहण नहीं किया है। एक पंचायत निरीक्षक की मृत्यु हो गई है।

*४३--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि :--

(क) पंचायत निरीक्षकों के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये थे?

(ख) पंचायत निरीक्षकों की न्यूनतम योग्यतायें क्या रखी गई थी?

(ग) उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में से कितने समाज-सेवा शिक्षा प्राप्त पदाकांक्षियों के थे?

(घ) सरकार ने उपरोक्त पदाकांक्षियों में से कितनों को पंचायत निरीक्षक नियुक्त किया?

(ङ) स्वीकृत पदाकांक्षियों में कितने समाज-सेवा शिक्षा प्राप्त थे?

(च) जो पदाकांक्षी समाज-सेवा शिक्षा प्राप्त युवकों के अतिरिक्त छांट में आये हैं, उनकी शिक्षा की एवं अन्य योग्यतायें क्या हैं?

(छ) क्या समाज-सेवा शिक्षा प्राप्त पदाकांक्षियों में से कुछ को या सब को सरकार की ओर से कुछ और शिक्षायें भी (उदाहरणार्थ एरिया राशनिंग आफिसर के पद के लिये) दी गयी थीं? यदि हां, तो वह शिक्षायें क्या थीं, और कितने दिनों की थी और किस-किस को दी गई थीं और कहां-कहां दी गयी थीं और सरकार का उसमें कितना व्यय हुआ?

माननीय स्वशासन सचिव--

(क) (ख) इस सम्बन्ध में सरकारी विज्ञापन तथा आदेश संलग्न हैं, जिनमें योग्यताओं का स्पष्टीकरण किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३२६ पर)

(ग) ४२१।

(घ) १५९।

(ङ) पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी सूची "अ" तथा "ब" में समाज-सेवा शिक्षा प्राप्त २०३ व्यक्तियों को पंचायत निरीक्षक पद पर नियुक्त करने के लिये स्वीकृति दी है।

(च) प्रत्येक की योग्यता देना प्रश्नोत्तर में असम्भव तथा इसमें समय का सदुपयोग नहीं होगा।

(छ) सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजन पोलीटिकल सफरर्स और समाज-सेवा शिक्षा प्राप्त पदाकांक्षियों तथा अन्य के लिये सरकार ने कोई अनुपात निश्चित किया था?

माननीय स्वशासन सचिव--समाज सेवा शिक्षा प्राप्त पदाकांक्षियों और पोलीटिकल सफरर्स के लिये अनुपात निश्चित किया था।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--सरकार से मैं यह उत्तर जानना चाहता हूं कि क्या हरिजनों के लिये भी कोई अनुपात निश्चित किया गया था?

माननीय स्वशासन सचिव--इसमें हरिजनों के लिये साधारण हरिजनों के बारे में जो अनुपात का विचार है वह और जो बाकी बच रहे हैं उनमें विचार किया गया है।

*४४--श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल--क्या यह सच है कि पंचायत निरीक्षकों के अब भी कुछ पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने?

माननीय स्वशासन सचिव--५ सितम्बर, १९४९ ई० को कोई स्थान पंचायत निरीक्षक पद का रिक्त नहीं था।

*४५--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--क्या सरकार यह कृपा करके बतायेगी कि उपरोक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब और किस प्रकार से करने का विचार रखती है?

माननीय स्वशासन सचिव--प्रश्न नहीं उठता।

*४६--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--क्या यह सच है कि सरकार का इरादा अब शेष रिक्त स्थानों की पूर्ति केवल समाज-सेवा शिक्षा प्राप्त पदाकांक्षियों में से ही करने का है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

माननीय स्वशासन सचिव--प्रश्न ही नहीं उठता।

*४७--श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पंचायत निरीक्षकों के चुनाव करने की समिति के कौन कौन सदस्य थे?

माननीय स्वशासन सचिव--श्री भगवत नारायण जी भार्गव सचालक, पंचायत राज तथा श्री प्रकाश नारायण माथुर, सचालक सोशल सर्विस चुनाव समिति के सदस्य थे। समाज-सेवा शिक्षा प्राप्त पदाकांक्षियों के चुनाव के पश्चात् श्री भार्गव जी के अस्वस्थ्य हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री चरण सिंह जी सभा सचिव, चुनाव समिति के सदस्य हुये। राजनीतिक पीड़ित तथा साधारण श्रेणी के पदाधिकारियों का चुनाव इन लोगों ने किया था।

*४८--श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल--क्या सरकार ने इस समिति के चुनाव के सम्बन्ध में कोई आदेश दिये थे? यदि हां, तो क्या उनमें यह भी आदेश था कि समाज-सेवा शिक्षा प्राप्त पदाकांक्षियों को चुनाव में प्राथमिकता दी जावे? यदि हां, तो क्या इस आदेश का पालन किया गया?

माननीय स्वशासन सचिव-- जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

तराई भाबर गवर्नमेंट इस्टेट का सुधार

*४९--श्री श्रीचन्द सिंघल (अनुपस्थित)-- क्या यह सच है कि सरकार तराई भाबर गवर्नमेंट इस्टेट के सुधारार्थ ६ लाख रुपया सालाना ग्रान्ट देती है? क्या सरकार अब तक किये गये सुधार का विवरण देगी?

माननीय स्वशासन सचिव--सरकार ५ लाख रुपया सालाना ग्रांट तराई (क) भाबर व गढ़वाल भाबर स्टेटों के सुधारों के लिये देती है, इस गांट का अधिक भाग तराई भाबर स्टेट के लिये ही दिया गया है।

(ख) तराई भाबर इस्टेट में किये गये सुधारों का संक्षिप्त विवरण एक अलग ब्योरे में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३८९ पर)

तराई भाबर गवर्नमेंट इस्टेट के किसानों को माफी की लकड़ी और सीमेंट की चादरें दिया जाना

*५०—श्री श्रीचन्द्र सिंघल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलायेगी कि तराई भाबर गवर्नमेंट इस्टेट के किसानों को काश्तकारी के लिये जो माफी की लकड़ी जंगलात से दी जाती है वह उनको गत २ वर्ष से सरकारी शेड्यूल के मुताबिक पूरी दी गई है या कम? अगर कम, तो क्या कमी किसी और रूप से पूरी की गई या नहीं?

माननीय स्वशासन सचिव—गत दो वर्ष से तराई भाबर व गवर्नमेंट स्टेट्स के किसानों को सरकारी शेड्यूल के मुताबिक काश्तकारी के लिये पूरी-पूरी लकड़ी दी गई है।

*५१—श्री श्रीचन्द्र सिंघल—(अनुपस्थित) क्या यह सच है कि २ वर्ष से ऊपर हुए तराई भाबर गवर्नमेंट की ओर से काश्तकारों को आधी कीमत पर सीमेंट की चादरें देने के लिए काश्तकारों से इन्डेन्ट लिए गए थे? यदि हां तो कितनी चादर काश्तकारों ने इन्डेन्ट की और उनमें से कितनी चादर अभी तक पक्के मकान बनाने के निमित्त काश्तकारों को दी गईं?

माननीय स्वशासन सचिव—जी हां।

काश्तकारों ने ३४७० चादरें इन्डेन्ट की थीं परन्तु रेल यातायात की कठिनाइयों के कारण अभी तक कोई भी चादर इन लोगों को नहीं दी जा सकी।

फतेहपुर जिले के शाखा ग्राम में ६ आदमियों से १६०० रु० वसूल करने का मामला

*५२—श्री वंश गोपाल—क्या सरकार को मालूम है कि फतेहपुर जिले के शाखाग्राम में ६ आदमियों से लगभग १,६०० रु० का अनाज तहसीलदार फतेहपुर ने इस कारण वसूल कर लिया कि अनाज देने के रजिस्टर में उनके नाम और निशान अंगूठा फरजी दर्ज थे?

माननीय कृषि सचिव (श्री निसार अहमद शेरवानी)—जी हां, विदित है। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर फतेहपुर की प्रार्थना पर तहसीलदार फतेहपुर ६ कृषकों से १६०० रु० १२आ० की बीज की वसूली की जो उन कृषकों के नाम रजिस्टर में दर्ज था निशान अंगूठा फरजी होने की बात बाद को ज्ञात हुई। कृषकों की दरख्वास्तों के बावजूद भी बीज की वसूली तहसीलदार द्वारा कराई गई क्योंकि यदि किसानों की शिकायतें निराधार सिद्ध होतीं तो फिर बीज वसूली का कोई दूसरा इलाज न रह जाता।

श्री वंशगोपाल—जब काश्तकारों ने दरख्वास्त दी तो रुपया वसूल करने के पहले क्यों तहकीकात नहीं कर ली गयी?

माननीय कृषि सचिव—रिपोर्ट यह थी कि जिन काश्तकारों ने दरख्वास्त दी है उनके पास जो कुछ भी था वह उसको अलग कर रहे थे और ख्याल यह था कि जब वह उसे अलग कर देंगे तो वसूली की कोई तरकीब नहीं रहेगी।

श्री वंशगोपाल—जवाब में यह कहा गया है कि तहकीकात जारी है। क्या यह बात सही नहीं है कि तहकीकात खत्म हो गई है और चार्ज शीट आ गयी है।

माननीय कृषि सचिव—जो शख्स सुपरवाइजर था उसके खिलाफ मुकद्दमा चल रहा है।

श्री वंशगोपाल—तहकीकात खत्म होने के बाद साबित होने पर क्या मुकद्दमा चल रहा है?

माननीय कृषि सचिव—मामला अदालत में है इसके मुताल्लिक यह कहना कि तहकीकात जो हो चुकी है वह सही है या गलत यह अदालत के फैसले के बाद पता चलेगा।

५३--श्री बंशगोपाल--क्या ऊपर लिखे मामले में पुलिस और जिला अधिकारियों ने तहकीकात की और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उन छः काश्तकारों के नाम व निशान अंगूठा फरजी दर्ज थे? क्या सरकार तहकीकात के नतीजे की नकल मेज पर रखने की कृपा करेगी?

माननीय कृषि सचिव--उपरोक्त विषय में जिला अधिकारी तथा पुलिस जांच कर रहे हैं। पुलिस ने श्री देवकली प्रसाद सुपरवाइजर, कृषि विभाग पर भारतीय दंड विधान संग्रह की धारा ४०९, ४६६ के अनुसार अभियोग लगाया है तथा जांच अभी जारी है।

*५४--श्री बंशगोपाल--क्या उन काश्तकारों ने इस मामले में सरकार को कोई कानूनी नोटिस है दी?

माननीय कृषि सचिव--जी हां, कृषकों ने सिविल प्रोसिड्योर कोड की धारा ८० के अन्तर्गत नोटिस दी है।

*५५--श्री बंशगोपाल--सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है?

माननीय कृषि सचिव--कृषकों की नोटिस पर जिले के सरकारी वकील की सम्मति से सरकार ने निश्चय किया है तथा कलेक्टर फतेहपुर को आदेश दे दिया है कि फिंगर प्रिंट ब्युरो (Finger Print Bureau) की रिपोर्ट के अनुसार जिन कृषकों का निशान अंगूठा रजिस्टर में दर्ज निशान अंगूठा से मेल नहीं खाता उनका रुपया वापस कर दिया जाय किन्तु रुपया वापस करने से पहले श्री देवकली प्रसाद, कृषि सुपरवाइजर के विरुद्ध लगाये गये फौजदारी अभियोग के फैसले की प्रतीक्षा कर ली जाय।

श्री बंशगोपाल--यह कहा गया है कि उनको हिदायत दी गई है जिनका निशानी अंगूठा नहीं मिलता है, क्या सरकार को पता नहीं है कि गवर्नर ने यह आदेश दे दिया है कि जिनके निशानी अंगूठा नहीं मिलते हैं उनको भी रुपया वापिस दे दिया जाये।

माननीय कृषि सचिव--सवाल संख्या ५५ के जवाब में यह बता दिया गया है कि जिन लोगों के मुताल्लिक फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो से जवाब आ गया है कि उनके निशानी अंगूठा नहीं मिलते उनके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हुक्म दे दिया गया है कि उनको रुपया वापिस दे दिया जाये।

फतेहपुर जिले में गल्ले की वसूली

*५६--श्री बंशगोपाल--क्या यह ठीक है कि सन् १९४६ ई० में फतेहपुर जिले में कम अनाज वसूल होने के कारण सन् १९४७ ई० में तहकीकात की गई और उसके फलस्वरूप फतेहपुर जिला गेहूं के लिये डेफिसिट एरिया पाया गया और फतेहपुर जिले में सन् १९४७ ई० में अनाज नहीं वसूल किया गया?

माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभान गुप्त)--(क) १९४७ ई० में कोई ऐसी तहकीकात फतेहपुर जिले में नहीं की गई (ख) और न यह जिला अनाज की कमी वाला (डेफिसिट) क्षेत्र पाया गया। इसके विपरीत इसमें अनाज बचता है।

श्री बंशगोपाल--सन् १९४६ ई० में कोई तहकीकात नहीं की गई तो फिर सन् १९४७ ई० में डाइरेक्ट प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं किया गया।

माननीय अन्न सचिव--फतेहपुर जिला हमारे प्रान्त के उन जिलों में है जहां कोर्स ग्रेन्स अधिकांश मात्रा में उत्पन्न होते हैं। इसलिये सन् १९४६ ई० में तथा सन् १९४९ ई० में जब सरकार को कोर्स ग्रेन्स भी इकट्ठा करने की आवश्यकता हुई तो वहां पर डाइरेक्ट प्रोक्योरमेंट स्कीम भी जारी की गयी। सन् १९४७ ई० में कोर्स ग्रेन्स की आवश्यकता नहीं थी, इसलिये वहां डाइरेक्ट प्रोक्योरमेंट की स्कीम जारी नहीं की गयी।

श्री बंशगोपाल--क्या सरकार को इस बात का पता नहीं है कि फतेहपुर में कोर्स ग्रेन्स अधिकतर बांदा और रायबरेली से आते है?

माननीय अन्न सचिव--मेरे पास जो इत्तिला है वह यही है कि वहां जौ और चना अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। इसीलिये वह जिला इन चीजों के लिये सरप्लस समझा जाता है।

श्री बंशगोपाल--तो क्या सरकार ने सन् १९४९ ई० में फिर कोई तहकीकात करने की आवश्यकता नहीं समझी कि यह डेफिसिट एरिया है या नही ?

माननीय अन्न सचिव--इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी चूंकि सरकार के पास इत्तिला थी कि वहां कोर्स ग्रेन्स अधिकांश मात्रा मे पैदा होते है।

*५७--श्री बंशगोपाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कोई तहकीकात की गई है कि जिसके फलस्वरूप फतेहपुर का जिला सन् १९४९ ई० मे स्थानीय आवश्यकता से अधिक पैदा करने वाला क्षेत्र (सरप्लस एरिया) हो गया है ? यदि हां, तो तहकीकात किसने की और उसका क्या नतीजा निकला ? यदि नहीं तो सन् १९४९ ई० मे गल्ला वसूली की आज्ञा क्यों दी गई ?

माननीय अन्न सचिव--(क) ऐसी कोई तहकीकात १९४९ ई० मे नही की गई।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नही।

(ग) १९४९ ई० मे अनाज वसूल किया गया था क्योंकि फतेहपुर बचत वाला (सरप्लस) जिला माना जाता है।

गल्ला वसूली के सिलसिले में फतेहपुर जिले में गिरफ्तारियां

*५८--श्री बंशगोपाल--(क) गल्ला वसूली के सिलसिले में फतेहपुर जिले में कुल कितने आदमी गिरफ्तार हुये ?

(ख) कितने आदमियों को सजा हुई, कितने जेल भेजे गये और बाद को जमानत पर छूटे ?

माननीय अन्न सचिव--(क) १२२ आदमी गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) सब मिलाकर ४८ व्यक्ति फिर हवालात भेजे गये। इनमें से ३३ व्यक्ति जमानत देने पर छोड़ दिये गये। सिर्फ १५ व्यक्तियों को सजा हुई। किसी की भी कैद की सजा बहाल नहीं रक्खी गई।

*५९--श्री बंशगोपाल--क्या यह ठीक है कि खागा तहसील जिला फतेहपुर मे एक ऐसा आदमी गिरफ्तार किया गया जिसका लड़का एक दिन पहले मर चुका था ? क्या यह भी ठीक है कि वह गल्ला दे रहा था फिर भी उसको हथकड़ी डालकर थाने के लिये भेज दिया गया ?

माननीय अन्न सचिव--यह बात ठीक नहीं है। श्री जगदेव प्रसाद पांडेय के लड़के की मृत्यु हैजे से एक दूसरी जगह पर हुई जबकि वह बारात में गया हुआ था और उसकी मृत्यु का पता जिला अधिकारियों और उसके पिता को तभी चला जब वे जमानत पर छूटे।

(ख) यह बात ठीक नहीं है।

*६०--श्री बंशगोपाल--क्या यह बात ठीक है कि गिरफ्तार किये हुये आदमी हथकड़ी डालकर १०-१०,१५-१५ मील तक पैदल लाए गये और उनको खाना-पानी कुछ नहीं दिया गया ?

माननीय अन्न सचिव--यह बात ठीक नहीं है।

खजुहा तहसील जिला फतेहपुर में सरकारी गल्ला वसूली की कीमत और बाजार भाव के फर्क का वसूल किया जाना

*६१--श्री बंशगोपाल--क्या सरकार को मालूम है कि खजुहा तहसील, जिला फतेहपुर में ऐसे सैकड़ों आदमी है जिनसे सरकारी गल्ला वसूली की कीमत और बाजार

भाव गल्ले की कीमत का फर्क ले लिया गया? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया? क्या सरकार की इसमें अनुमति थी?

माननीय अन्न सचिव--(क) सरकार को इसकी कोई जानकारी नही है। यदि ऐसी कोई बात हुई भी हो तो उसका पता अधिकारियो को नहीं था।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नही।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नही।

प्रांत में गल्ला वसूली के सिलसिले में गिरफ्तारियां तथा दण्ड का ब्यौरा

*६२--श्री बंशगोपाल--सूबे मे अनाज वसूली के सिलसिले मे प्रत्येक जिले मे कितने कितने आदमियो के खिलाफ वारन्ट निकले, कितने जेल भेजे गये और कितनो को सजा हुई?

माननीय अन्न सचिव--एक नकशा माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३९१ पर)

श्री बंशगोपाल--क्या सरकार को इस तरह की गिरफ्तारिया जो प्रान्त भर मे हुई, उससे सतोष है?

माननीय अन्न सचिव--सरकार तो यह नही चाहती कि किसी काम मे गिरफ्तारिया की जाय। लेकिन जब लोग सरकार की योजनाओ से असहयोग करते है तो मजबूरी हालत मे कानून की रक्षा के लिये और योजना को सफल बनाने के लिये लोगो को विवशतः जेल भेजना पडता है।

श्री बंशगोपाल--क्या आइन्दा फिर प्रोक्योरमेंट करने का और वही नीति बरतने का सरकार का इरादा है?

माननीय अन्न सचिव--यह मसला विचाराधीन है। माननीय सदस्य से भी इस बात की राय ली जायगी कि हम आइन्दा साल प्रोक्योरमेंट करे या न करे।

म्युनिसिपल बोर्ड सोरों, जिला एटा में भैंसे, पड़वा आदि जिबा करने की मनाही

*६३--श्री निहालुद्दीन (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड सोरों, जिला एटा ने कोई उपनियम (बाईला) बाबत मजबा बनाये है कि जिससे सोरो म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर भैसे, भैस, पड़वा के जिबह करने की मुमानियत की गयी है?

माननीय स्वशासन सचिव-- जी हां।

*६४--श्री निहालुद्दीन (अनुपस्थित)--अगर हां, तो कब और क्या सरकार उसकी एक नकल मेज पर पर रखेगी?

माननीय स्वशासन सचिव--यह प्रतिबन्ध बोर्ड द्वारा १५ अगस्त, १९४७ मे लागू किया गया था।

बोर्ड के उपनियम की एक नकल प्रेषित है--

Copy of the relevant byelaw--

No horned cattle such as cows, bullocks, he-buffaloes, she-buffaloes and other young ones shall be slaughtored in any slaughter house.

सम्बद्ध उपनियम की प्रतिलिपि निम्न है:--

("कोई सींग वाला मवेशी जैसे गाय, बैल, भैसा, भैस और अन्य बच्चे बधस्थानो मे बध न किये जायेंगे।")

तहसीलदारों को एक जिले में रखने की अवधि

*६५--श्री मुहम्मद असरार अहमद--(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह कायदा है कि एक तहसीलदार एक जिले में ५ साल से अधिक नही रक्खा जाता है?

(ख) यदि हां, तो क्या इस कायदा पर अमल हो रहा है ?

माननीय माल सचिव--(क) ऐसा कोई कायदा नहीं है, पर सन् १९३५ की एक राजाज्ञा के अनुसार कोई भी तहसीलदार किसी एक तहसील में साधारणतः पांच साल से अधिक नहीं रह सकता।

इस सरकारी आदेश पर पूरा अमल हो रहा है।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

*६६-७५--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--[स्थगित किये गये]

कुमायूं डिवीजन में रेगुलर पुलिस के थानों में थानेदारों का निजी अथवा सरकारी व्यय पर क़ानूनी पुस्तकें आदि रखना

*७६--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार बतायेगी कि कुमायूं डिवीजन में रेगुलर पुलिस के थानों में कौन-कौन सी कानूनी पुस्तकें, नियम, उपनियम, गजट या समाचार-पत्र सरकारी व्यय पर दिये जाते हैं और कौन-कौन थानेदार को निजी व्यय पर रखना पड़ता है ?

माननीय पुलिस सचिव-- कुमायूं डिवीजन के पुलिस के थानों में निम्नलिखित प्रकाशन सरकारी व्यय पर दिये जाते हैं:--

१--इंडियन पीनल कोड।
२--क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड।
३--पुलिस रेगुलेशन्स।
४--आर्म्स रूल्स, आर्डिनेंस इत्यादि।
५--पुलिस गजट।
६--क्रिमिनल इन्टेलिजेन्स गजट।

कोई समाचार-पत्र सरकारी व्यय पर नहीं दिया जाता। थानेदारों को ज़िला पुलिस के पुस्तकालयों से भी पुस्तकें दी जाती हैं। किसी थानेदार को निजी व्यय पर कोई पुस्तक नहीं रखनी पड़ती।

*७७-१०३--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--[स्थगित किये गये।]

गढ़वाल जिले में यात्रा लाइन पर काम करने वाले सरकारी सैनिटरी इन्स्पेक्टरों तथा मेहतरों का वेतन

*१०४--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् १९४५, १९४६, १९४७ और १९४८ ई० में तथा जून सन् १९४९ ई० तक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गढ़वाल जिले में कुल कितना रुपया यात्रा लाइन में खर्च हुआ है ?

माननीय अन्न सचिव--यात्रा लाइन में व्यय का ब्योरा निम्नांकित तालिका में दिया हुआ है--

सन्	रुपया
१९४५-४६	९३,६९८
१९४६-४७	१,२६,३३६
१९४७-४८	१,४६,४६०
अप्रैल से जून, १९४९	५१,१७६

*१०५--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि गढ़वाल जिले में कितने सरकारी सनिटरी इन्सपेक्टर रहते हैं। तथा इनमें से कितने यात्रा लाइन में रहते हैं। तथा उनमें से प्रत्येक को कितना वेतन तथा भत्ता मिलता है ?

माननीय अन्न सचिव--गढ़वाल जिले में सेनिटरी इंसपेक्टरों की संख्या सात है। बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा के समय सातों इंसपेक्टर यात्रा-मार्ग पर नियुक्त कर दिये जाते हैं। उनका वेतन-क्रम ७०--५--१२० है। इनके अलावा उन्हें ३० रु० नियत भत्ता तथा १५ रु० बतौर क्षतिपूर्ति भत्ते के मिलता है। वे साधारण महंगाई भी पाते हैं।

*१०६--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि यात्रा लाइन के हर सेनिटरी इन्स्पेक्टर के सहायतार्थ अन्य कितने और कौन से कर्मचारी रहते हैं और उनमें से प्रत्येक को क्या मासिक वेतन व भत्ता आदि व्यय दिया जाता है?

माननीय अन्न सचिव--हर एक सेनिटरी इंस्पेक्टर को दवाइयां, कीटाणु नाशक द्रव्य तथा निजी सामान ढोने के लिये दो कुली मिलते हैं। इन कुलियों को केवल स्थानीय दर से वेतन मिलता है।

*१०७--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि गढवाल यात्रा लाइन में बाहर से आये हुये मेहतरों को सन् १९४५-४६,४७-४८ ई० मे किस दर से मासिक वेतन तथा भत्ता दिया गया था?

माननीय अन्न सचिव--सन् १९४५-४६ तथा ४७ ई० में मेहतरों को ३५ रु० प्रतिमास वेतन मिलता था। इसके अलावा उन्हें ८ रु० बतौर भत्ते के पहली बार अपनी नौकरी पर जाने के लिये मिलता था। जब सन् १९४९ से उन्हें ४५ रु० प्रतिमास वेतन तथा नजीबाबाद से नियुक्त स्थान पर पहुँचाने का यथार्थ रेल तथा मोटर का भाड़ा भी मिलता है।

पिछले चार वर्षों में बद्रीनाथ तथा केदारनाथ में आटा तथा चावल का भाव

*१०८--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गढ़वाल जिले में बद्रीनाथ तथा केदारनाथ में पिछले ४ वर्षों में प्रत्येक वर्ष किस भाव से आटा-चावल बिका तथा वर्तमान समय में किस दर से बिकता है।

माननीय माल सचिव--

	१९४५			१९४६			१९४७			१९४८			वर्तमान भाव		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
बद्रीनाथ आटा	५९	६	०	५९	६	०	६२	८	०	७८	२	०	८०	०	०
केदारनाथ आटा	५४	११	०	५४	११	०	५४	११	०	७०	५	०	७८	२	०
बद्रीनाथ चावल	५०	०	०	५०	०	०	५६	४	०	८०	०	०	१२०	०	०
केदारनाथ चावल	४३	१२	०	४३	१२	०	५०	०	०	८०	०	०	१२०	०	०

नोट--ऊपर लिखे हुए भाव प्रतिमन के हिसाब से हैं।

चमोली तहसील के क्लर्कों की महंगाई बढ़ाने के लिये जिलाधीश, गढ़वाल का प्रार्थना-पत्र

*१०९--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या यह सच है कि सन् १९४६ ई० में जिलाधीश, गढ़वाल ने चमोली तहसील के क्लर्कों की महंगाई बढ़ाने के लिये प्रार्थना-पत्र सरकार की सेवा में भेजा था? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया?

माननीय माल सचिव--यह सच है कि सन् १९४६ में जिलाधीश, गढ़वाल ने चमोली तहसील के कर्मचारियों के महंगाई के भत्ते की वृद्धि के लिये सरकार से प्रार्थना की थी, परन्तु १--४--४७ से नवीन वेतन-प्रणाली के लागू हो जाने के कारण तथा महंगाई के भत्ते में वृद्धि हो जाने के कारण सरकार ने जिलाधीश के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या नया वेतन और भत्ता जो बढ़ा है, वह जिलाधीश की सिफारिश के बराबर आता है?

माननीय माल सचिव--नोटिस की जरूरत है।

कुमायूं डिवीजन में नयाबाद प्रोसीडिंग का काम

*११०--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कुमायूं डिवीजन में नयाबाद प्रोसीडिंग का काम जो लड़ाई के समय में बन्द था अब चालू हो गया है?

माननीय माल सचिव--जी हां।

कुमायूं डिवीजन के पटवारियों व उजरती अमीनों का मासिक वेतन तथा भत्ता

*१११--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या यह सही है कि हाकिम इलाका की अदालत में जमीन को दरख्वास्त के लिए प्रार्थी को अमीन फीस के नाम से कुछ रुपया जमा करना पड़ता है? यदि हां, तो कितना?

माननीय माल सचिव--जी हां, यदि अमीनों के कार्य-क्षेत्र हेड क्वार्टर से १५ मील के भीतर हैं तो प्रार्थी को १॥ रु० प्रतिदिन के हिसाब से अमीन फीस जमा करनी पड़ती है।

*११२--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि कुमायूं डिवीजन के प्रत्येक जिले की तहसीलों में कितने पटवारी व उजरती अमीन हैं और उन्हें क्या क्या मासिक वेतन उजरत तथा भत्ता मिलता है?

माननीय माल सचिव--सूची (१) संलग्न है। ६०--४--८० द० रो० ४--१०० रु० के वेतन स्केल में अमीनों को मासिक वेतन मिलता है साथ ही महंगाई का भत्ता भी मिलता है। इसके अतिरिक्त साढ़े ५ रु० मासिक कुली भत्ता मिलता है। उजरती अमीनों को काम करने पर १॥ रु० प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३८३ पर)

*११३--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कुमायूं कमिश्नरी में कुल कितनी डिप्टी कलेक्टर्स की अदालतें हैं तथा प्रत्येक अदालत में कौन-कौन उजरती अमीन हैं?

माननीय माल सचिव--कुमायूं डिवीजन में डिप्टी कलेक्टरों की १० अदालतें हैं, इन अदालतों में काम करने वाले उजरती अमीनों के नाम सूची में २ में दिये हुए हैं।

जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट का कुमायूं कमिश्नरी में लागू होना

*११४--श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय--क्या जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट कुमायूं कमिश्नरी पर भी लागू होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

माननीय माल सचिव--यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है।

बद्रीनाथ-केदारनाथ के यात्रियों की सुविधायें

*११५--श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि बद्रीनाथ-केदारनाथ की यात्रा के लिए पिछले दस वर्ष में किस-किस प्रान्त के कितने यात्री गये हैं?

माननीय शिक्षा सचिव--श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ के दर्शन के लिये पिछले दस वर्षों मे हिन्दुस्तान के सब ही प्रान्तो के यात्री आये, परन्तु यह गणना नही की गई कि किस प्रान्त के कितने यात्री आये।

*११६--श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय--(क) क्या सरकार की ओर से उक्त यात्रियो की गणना के लिये कोई प्रबन्ध है?

(ख) पिछले दस वर्ष से बद्रीनाथ-केदारनाथ की यात्रा मे कितने यात्री मरे है और उनके दाह संस्कार के लिए सरकार की ओर से क्या प्रबन्ध किया गया?

माननीय शिक्षा सचिव--(क) नही।

(ख) गणना का कोई प्रबन्ध न होने के कारण यह नही कहा जा सकता कि गत दस वर्षों मे कितने यात्री मरे। श्री बद्रीनाथ पुरी मे कमेटी की ओर से भ्रमण सा मनि स्वयंसेवको द्वारा मृतक यात्रियो का दाह संस्कार धार्मिक प्रथा से किया जाता है और गत दो वर्षो से यात्रा लाइन पर भी कमेटी द्वारा नियुक्त स्वयंसेवको द्वारा मृतक यात्रियों का दाह संस्कार होता है, जो लावारिस यात्री मर जाते है उनका दाह संस्कार सरकारी खर्च पर होता है।

*११७--श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय--क्या अन्य प्रान्तो की सरकार भी उन प्रान्तो के यात्रियो की बद्रीनाथ-केदारनाथ यात्रा मे सुविधा के लिये कुछ प्रबन्ध करती है? यदि हा, तो क्या?

माननीय शिक्षा सचिव--नही, प्रश्न का दूसरा भाग नही उठता।

*११८--श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय--(क) क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि बद्रीनाथ-केदारनाथ के यात्रा मार्ग मे उसने यात्रियो की सुविधा के लिए कितने भवन, किन-किन स्थानो पर बनाये है?

(ख) इनको बनाने के लिये रुपया किस फंड से लगाया जाता है और कौन देख-भाल कौन करता है?

माननीय शिक्षा सचिव--(क) बद्रीनाथ-केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कोई सरकारी भवन नही है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

*११९--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि केदारनाथ-बद्रीनाथ यात्रा लाइन मे कुली, डंडी, कंडी, घोड़े, बोझा, गाइड आदि की मजदूरी के सम्बन्ध मे सरकार की ओर से नियंत्रण के लिये क्या व्यवस्था है?

माननीय शिक्षा सचिव--सरकार की ओर से केदारनाथ-बद्रीनाथ यात्रा लाइन मे कुली, डंडी, कंडी, घोड़ा, बोझ, गाइड आदि की मजदूरी के नियंत्रण के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

*१२०--श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पिछले तीन वर्षो मे केदारनाथ-बद्रीनाथ यात्रा के यात्रियो को कुली, डंडी, घोड़े, बोझा, गाइड दैनिक मजदूरी पर मिलते रहे है?

माननीय शिक्षा सचिव--पिछले कुछ वर्षो से केदारनाथ-बद्रीनाथ यात्रा मे यात्रियो को कुली, डंडी, कंडी, घोड़ा, बोझा, गाइड आदि दैनिक मजदूरी पर मिलते तो है पर कुछ कठिनाई से।

*१२१--श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय--क्या यह सच है कि केदारनाथ-बद्रीनाथ यात्रा में जाने वाले यात्रियो ने अपनी असुविधाओं के विषय मे कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजे है? यदि हां, तो कब और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

माननीय शिक्षा सचिव---सरकार के पास बद्रीनाथ यात्रा मार्ग के विषय में अक्सर प्रार्थना-पत्र आते रहते हैं। ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिये जो कुछ भी उचित तथा सम्भव होता है, वह किया जाता है।

१२२---श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि केदार-नाथ-बद्रीनाथ यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिये सरकार ने [illegible] कोई योजना बनायी है?

माननीय शिक्षा सचिव---सरकार ने अभी कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जूट की बनी वस्तुओं के नियन्त्रण का आर्डिनेन्स

माननीय अन्न सचिव---मैं सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय जूट की बनी वस्तुओं के नियंत्रण के आर्डिनेंस (सन् १९४९ ई० की संख्या ९) की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूँ।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कोर्ट फीस [छूट (रेमीशन)] आर्डिनेन्स

माननीय माल सचिव---मैं सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय कोर्ट फीस [छूट (रेमीशन)] आर्डिनेंस सन् १९४९ ई० की संख्या २२ की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूँ।

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसिज इन्टरमिडियेट एजूकेशन (अमेंडमेंट) आर्डिनेन्स

माननीय शिक्षा सचिव---मैं सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविंसेज इंटरमिडियेट एजूकेशन (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस (सन् १९४९ ई० की संख्या ७) की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

आर्कोलाजिकल म्युजियम, मथुरा की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

माननीय शिक्षा सचिव---मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आर्कोलाजिकल म्युजियम, मथुरा की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

प्रान्तीय म्युजियम लखनऊ की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

माननीय शिक्षा सचिव---मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त प्रान्तीय म्युजियम, लखनऊ, की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

संयुक्त प्रान्तीय म्युजियम एडवाइजरी बोर्ड में काम करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

माननीय शिक्षा सचिव---मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त प्रान्तीय म्युजियम, एडवाइ-जरी बोर्ड में काम करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

माननीय स्पीकर---इन तीनों प्रस्तावों पर, मेरा अनुमान है, किसी को कुछ कहना नहीं है। (कुछ ठहर कर) क्या मैं यह मान लूं कि भवन को ये स्वीकार है?

(तीनो प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कृषि तथा पशु-पालन स्थायी समिति में स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह द्वारा रिक्त हुये स्थान के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

माननीय माल सचिव--मैं प्रस्ताव करता हूँ कि स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह द्वारा रिक्त हुए स्थान पर, कृषि तथा पशु-पालन स्थायी समिति में काम करने के लिये एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह द्वारा रिक्त हुए स्थान पर, कृषि तथा पशु-पालन स्थायी समिति में काम करने के लिये एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

यूनाइटेड प्राविंसेज नर्सेज ऐण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में काम करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

माननीय अन्न सचिव--मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यूनाइटेड प्राविंसेज नर्सेज, मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, सन् १९४७ ई० की धारा ४(१) (ब) (२) के अनुसार यूनाइटेड प्राविंसेज नर्सेज ऐंड मिडवाइव्ज कौंसिल में काम करने के लिये दो सदस्यों का तीन वर्ष के लिये निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

माननीय स्पीकर--अब प्रश्न का रूप यह है कि यूनाइटेड प्राविंसेज नर्सेज, मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, सन् १९४७ ई० की धारा ४ (१) (ब) (२) के अनुसार यूनाइटेड प्राविंसेज नर्सेज ऐंड मिडिवाइव्ज कौंसिल में काम करने के लिये दो सदस्यों का तीन वर्ष के लिये निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बुन्देलखन्ड आयुर्वेदिक कालेज झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति में कार्य करने के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

माननीय अन्न सचिव--मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री शिवराम वैद्य द्वारा रिक्त हुए स्थान पर बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति में काम करने के लिए एक सदस्य का तीन वर्ष के लिए निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि श्री शिवराम वैद्य द्वारा रिक्त हुए स्थान पर बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालिज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति में काम करने के लिए एक सदस्य का तीन वर्ष के लिए निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय स्पीकर--जितने प्रस्ताव अभी आपने स्वीकार किए हैं उनके संबंध में मैं अपना निश्चय आपको पीछे बताऊंगा।

(इस समय श्री नफ़ीसुल हसन, डिप्टी स्पीकर, ने १२ बज कर १० मिनट पर सभापति का आसन ग्रहण किया।)

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल*

श्री रोशन जमां खां--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जमींदारी के मिटाने और जमीन का एक नया इंतजाम करने के बारे में सरकार की तरफ से जो क़ानून पेश किया गया है उस पर तक़रीर करते हुये कल मैंने यह बताया था कि जमींदारी को मिटाने की क्यों जरूरत है और वह

*९ जनवरी, सन् १९५० की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रोशन अली खां]

किस नुक्ते–निगाह से होना चाहिये। आज मैं अपनी तकरीर में, हुकूमत की तरफ से बिल में दिये गये अगराज व मकासिद, उद्देश्यों और कारणों, स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस ऐण्ड रीजंस पढ़ना चाहता हूं।

इसमें हुकूमत की तरफ से इस कानून को लाने के लिये दो वजूहात बताये गये हैं यानी दो मकसद करार दिये गये हैं।

It is now widely recognised that without a radical change in the existing land system no co-ordinated plan of rural reconstruction can be undertaken to ensure agricultural efficiency and increased food production, to raise the standard of living of the rural masses and to give opportunities for the full development of the peasant's personality.

(इस बात को अब सभी स्वीकार करने लगे हैं कि जब तक वर्तमान भूमि–प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन न किया जाय तब तक ग्राम पुनर्निर्माण की सहकारी योजना नहीं की जा सकती जिससे कृषि में सुधार तथा उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर को उन्नत किया जा सके और किसानों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अवसर प्रदान किया जाय।) दूसरा मकसद यह बताया गया है —

'The landlord-tenant system established by the British for reasons of expediency and administrative convenience, should, with the dawn of political freedom, give place to a new order which restores to the cultivator the rights and the freedom which were his and to the village community the supremacy which it exercised over all the elements of village life"

(जमींदार–किसान प्रणाली जिसको अंग्रेजों ने उपयोगिता तथा शासन सुविधा के कारण स्थापित किया था, उसके स्थान में स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर कोई नवीन व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसानों को अधिकार और स्वातन्त्र्य प्राप्त हो, जिन पर उनका जन्म–सिद्ध अधिकार है और ग्रामीण जनता को वे अधिकार मिल जायं जिनका प्रयोग वह ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंगों पर करती थी।)

देखना यह है कि ये मकासिद कहां तक इस बिल के जरिये से पूरे होते हैं। आज जो हमारी हालत है, आज जो हमारे समाज की सोसाइटी की हालत है उसमें क्या सचमुच इस कानून के जरिये से कोई रेडिकल चेंज हो रहा है, कोई बड़ी भारी तब्दीली की जा रही है। आज हमारे सूबे में खेती करने वालों की जो हालत है उसके बारे में मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। एक एकड़ तक खेती करने वालों की तादाद ३७.८ फ़ीसदी खाते हैं और जो आराजी उनकी जोत में है वह सिर्फ ६ फ़ीसदी है। एक से तीन एकड़ तक जो खाते हैं वह २९.६ फी सदी हैं और इनके कब्जे में १६.८ फ़ीसदी आराजी है। ३ से ६ एकड़ तक जो खाते हैं वह १८ फ़ी सदी हैं और उनके खाते में २२.८ फ़ीसदी आराजी शामिल है। ६ से १२ एकड़ तक जो जोत है वह १०.२ फी सदी हैं और उनमें २४.८ फ़ीसदी आराजी शामिल है। १२ एकड़ से ज्यादा जो जोत है उनकी तादाद ४.४ फ़ी सदी है और जिनमें २९.६ फ़ी सदी रक़बे शामिल हैं। इन २९.६ फ़ीसदी रक़बे में ४११ बड़े–बड़े फार्म्स भी शामिल हैं। इनके देखने से यह बात साफ हो जाती है कि हमारे सूबे में बसने वाले यानी खेती करने वालों में से ६७.४ फ़ीसदी आबादी ऐसे लोगों की है जिनके क़ब्जे में सिर्फ २२.८ फ़ीसदी आराजी है। और अगर ३ से ६ एकड़ वालों को भी शामिल कर लिया जाय तो उसकी तादाद ८५.४ यानी १०० में सिर्फ ८५.४ ऐसे हैं जिनके क़ब्जे में ४५.६ फीसदी रकबा है। यह बड़े अफसोस की बात और यही चीज है जिसमें हुकूमत का इम्तहान है, उसकी सियासत का इम्तहान है। अगर्चे १२ एकड़ से ज्यादा जोतने वालों की तादाद सिर्फ ४.४ फ़ी सदी है लेकिन उनके क़ब्जे में सबसे ज्यादा रक़बा है यानी २९.६ फ़ीसदी।

अब उस मक़सद को अगर हासिल करना है जो खुद हुकूमत ने इस बिल में बयान किया है तो उसके लिये क्या तरीक़ा हो सकता है जिससे यह न बराबरी जो हमारे समाज में बहुत ज्यादा फैली हुई है दूर हो सकती है।

हुकूमत की तरफ से कल वजीरेमाल साहब ने अपनी तक़रीर की लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने इस नुक्ते निगाह से हुकूमत की पालिसी को वाज़ै तौर पर बयान करने की कोई कोशिश नहीं की। मैं अपनी तरफ से यह बताना चाहता हूं कि आखिर हमारे पास ऐसे कौन से तरीक़े हैं कि जिससे हम और आप इस न बराबरी को दूर कर सकते हैं उन तरीक़ों में ज्यादातर ऐसे हैं जो हुकूमत को करने हैं। हुकूमत के लिये उनको करना जरूरी है लेकिन साथ ही साथ एक जम्हूरी मुल्क में जहां पर प्रजा का राज्य हो वहां पर सिर्फ हुकूमत की ही कोशिश जरूरी नहीं है बल्कि हुकूमत को इस बात के लिये भी कोशिश करना जरूरी है कि अवाम में एक ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करें, अवाम में एक ऐसा जोश पैदा हो कि जिसके जरिये से वह खुद ही बहुत सा काम करने को तैयार हो जायं और जो हुकूमत की पालिसी के अग़राज व मक़ासिद हैं वह पूरे हो सकें। इसके लिये सब से पहिले तो यह जरूरी है कि जमींदारी को एक सिरे से खत्म किया जाय। अब अलबत्ता जमींदारों में से जो लोग ग़रीब हैं, जिनको जरूरत है और जो खुद इस न बराबरी के शिकार हैं उनके पुनर्वास के लिये, उनके गुज़र के लिये एक ऐसा मुआविज़ा दिया जाय जिससे वह अपनी गुजर-बसर कर सकें। लेकिन मैं निहायत साफ तौर पर यह बताना चाहता हूं कि यह गुजरबसर और पुनर्वास का अनुदान जो दिया जायगा इस गरज़ से हरगिज नहीं हो सकता कि वह ज्यादा जमीन हासिल कर सकें, उनको ज्यादा जोत मिल सके और वह ज्यादातर मालदार हो जायं। बल्कि इस ग़रज से होगा कि उससे ग़रीब आदमी आराम के साथ अपनी ज़िन्दगी बसर कर सकें। एक जम्हूरी पार्टी का यह फ़र्ज है कि अपने मुल्क में सब बसने वाले लोगों के लिये गुजर-बसर की फिक्र करे।

दूसरा तरीक़ा जो इस नाबराबरी को दूर करने के लिये जरूरी है वह यह है कि इस बात को हर शख्स ध्यान में रखे, खासतौर से जमींदारी के मिटाने के सिलसिले में, कि जो आराजी जिस आदमी के क़ब्जे में है वह उसका मालिक हो और उन जोतने वालों में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जाति-पांत नहीं होगी, कोई बड़ा-छोटा नहीं होगा। बल्कि उनका एक क्लास होगा, उनकी एक जमात होगी और जो तरीक़ा कि इस क़ानून के अन्दर किया गया है कि बहुत सी क्लासेज क़ायम की गई हैं, ऐसे नहीं होंगे।

तीसरी बात जो इस न बराबरी को दूर करने के लिये जरूरी है जैसा कि मैंने अभी बतलाया और जैसा कि हमारे सूबे में है जिसके बारे में मैंने अभी आंकड़े इस ऐवान के सामने पेश किये हैं कि जमीन का फिर से बटवारा हो। जब तक जमीन का फिर से बटवारा नहीं होता है तब तक कोई भी मकसद आपका पूरा नहीं होता और वह अगराज व मक़ासिद जो हुकूमत की तरफ से इस बिल में बयान किये गये हैं वह हरगिज़ पूरे नहीं होंगे। वह सिर्फ हवाई बातें ही रह जायंगी और उनका कोई असर नहीं होगा। जमीन का बटवारा फिर से हो। इसके लिये इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि कोई शख्स ऐसा न हो, कोई खेती करने वाला ऐसा न हो कि जिसके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन हो और कोई खानदान ऐसा न हो जिसके पास १२ १/२ एकड़ से कम जमीन रहे। इसलिये इस न बराबरी को दूर करने के लिये यह बटवारा निहायत जरूरी है और जब तक यह हदबन्दी साफ तौर से नहीं कर दी जायगी तब तक समाज में किसी भी परिवर्तन से कोई कामयाबी नहीं हो सकती है।

चौथी बात जिसकी इस न बराबरी को दूर करने के लिए जरूरत है वह यह है कि गांवों में छोटी २ मशीनों की कारीगरी कायम की जाय और गावों में नौजवानों के लिए स्कूल खोले जायं। कहा जा सकता है कि इस बिल से इसका क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में मैंने कल भी आप से अर्ज़ किया था कि इस परिवर्तन को लाने के लिए आप को एक प्लान के मातहत चलना होगा और जाहिर है कि गांव के नए समाज का जो नक़शा आप बना रहे हैं उसमें इसका जिक्र आ सकता है। जब हम जमीन का फिर से बटवारा करने की बात करते हैं तो ऐसी सूरत पेश आ सकती है कि जो

[श्री रोशन जमां खां]

मोजूदा जमीन है वह हमारे सूबे मे बसने वाले खेती करने वाले कुटुम्बो के लिए काफी न हो, फिर बाकी जो सरप्लस आबादी रह जाती है उसके लिए आप क्या करेंगे ? उसे आप काहिल ओर सुस्त बनाकर नही बैठा सकते। हमको उससे भी काम लेना चाहिए। हम अपने मुल्क ओर सूबे की पैदावार को बढाना है। जिनको नए बटवारे मे जमीन नही मिलेगी उनको हमे छोटे २ कारीगरी के कामो मे लगाना है। जापान ने अमरीका ओर जर्मनी के कारखानो का मुकाबिला किया ओर उसने अपने इस मुकाबिले मे जो कामयाबी हासिल की वह उसने अपने बडे २ कारखानो के जरिए से हासिल नही की बल्कि उसने अपने मुल्क भर के छोटे २ कारीगरी के कामो को फैलाया और उसने उन्ही के जरिए से जर्मनी ओर अमरीका का तमाम सनअतोहिरफत ओर कारीगरी मे मुकाबिला किया ओर किसी तरह की दस्तकारी मे वह उनसे कम न रहा। इसलिए हमे भी इस चीज को अपने सूबे के लिए ध्यान में रखना जरूरी है ओर नोजवानो के लिए स्कूल खोलकर उनको इस तरह के कारीगरी के कामो मे लगाया जाय।

पाचवी बात जो इस नाबराबरी को दूर करने के लिए जरूरी है वह यह है कि गाव वालो को सहयोग ओर कोआपरेशन के जरिए से काम करने की तरगीब दी जाय। यह बहुत अहम चीज है और मै समझता हूं कि यह इस वक्त मुल्क के लिए बहुत जरूरी है मगर अफसोस की बात है, हुकूमत की तरफ से अगर इन बातो को मंजूर भी किया जाता है तो महज लफ्ज तो ले लिए जाते है लेकिन उसका जो मंशा होता है ओर जो मतलब होता है उसको खत्म कर दिया जाता है। एक बात और मै कहने वाला हूं और वह यह है कि एक खेतीहर पल्टन खड़ी की जाय जिसके जरिए से गल्ले की पैदावार को बढाया जाय ओर आज जो हमारे स्टलिंग बैलेन्सेज है और जो आमदनी हमको बाहर को सामान भेजने से होती है वह डेफिसिट में है और हमको कोशिश करनी चाहिए कि वह सरप्लस मे हो जाय। हमारी खेतिहर पल्टन की बात का शुरू २ में मजाक उड़ाया गया, उसके बाद नाम अपनाने की कोशिश की गई ओर फिर कुछ लोगों को कही—कही पर लाकर खेतीहर पल्टन का नाम दे दिया गया। इसके बारे में फिर जब बहस होगी तो अर्ज करूंगा।

छठी बात जिसके जरिए से हम इस नाबराबरी को दूर कर सकते है वह यही थी कि हम खेतीहर पल्टन खड़ी करे।

सातवीं बात यह है कि हुकूमत इस बात के लिए पूरी कोशिश करे कि खेती की पैदावार और कारखानों की पैदावार शहरों की पैदावार और देहातो की पैदावार की कीमतो में पैरिटी बराबरी और समानता क़ायम की जाय।

८ वी बात यह है कि जमीदारी खत्म करने के साथ ही साथ लगान घटाकर इतना कर देना है कि वह मालगुजारी के बराबर हो जाय। जो लगान किसान से आजतक जमीदार और ताल्लुक़ेदार साहबान लेते रहे है वह जमीदारी मिटाने के साथही इतना कम हो जाय जितनी मालगुजारी उस जमीन के बारे में जमींदार साहबान देते रहे है, उतना ही लगान किसान से लिया जाय।

९ वीं बात यह है कि खेतिहर मजदूरों का कर्जा माफ किया जाय। उनके मकान के बारे में साफ २ कानून बनाया जाय कि किसी किस्म की बेदखली नही हो सकती है। मुझे अफसोस है कि मै ज्यादा वक्त ऐवान का लेना नही चाहता। इस बारे में वजीर माल साहब ने कुछ बातें कही थी अगर मौक़ा मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी मौक़े पर उनकी इन बातों का जवाब दूं। मै उनको बताऊंगा कि उनके मौजूदा क़ानून से खेतिहर मजदूरों को फायदा नही है। आपने मकानों के बारे में आसानियां और रियायतें देहात में बसने वालों को दी है। हमारा मतालबा इससे आगे है कि साफ साफ क़ानून हो कि अगर खेतिहर मजदूर ने गांव में मकान बना लिया है तो उसको कोई बेदखल नहीं कर सकता।

एक सदस्य—यह भी होता है।

श्री रोशन जमां खां--१० वी बात जो उस नाबराबरी को दूर करने के लिये जरूरी है वह यह है कि हुकूमत सरकारी आमदनी का एक मुनासिब हिस्सा गांव पंचायत और जिला पंचायत को दे और वह रकम गांव--सुधार के काम मे सर्फ की जाय। गाव पंचायतो को सही मानो मे विलेज रिपब्लिक बनाया जाय। विलेज रिपब्लिक का जिक्र तो इस बिल मे भी है। विलेज रिपब्लिक वज़रा साहबान को इतना प्यारा है कि उसे हर मौके पर इस्तेमाल करते है। हमारे सूबे मे विलेज रिपब्लिक के लफ्ज का मखौल असली तौर पर हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। इसके बारे मे आज भी कुछ बाते अर्ज करूंगा।

११ वीं बात जो है वह हुकूमत से बराहरास्त वास्ता नही रखती लेकिन मै यह समझता हूं कि जम्हूरी हुकूमत के नुक्ते--निगाह से यह होना चाहिए कि सरकारी अफसरो पर ज्यादा भरोसा न करे और सूबे और मुल्क के बसनेवालो पर ज्यादा भरोसा करे। वह बात यह है कि तालाब और कुआं खोदना, बन्ध बांधना, खाद बनाना हर काम के लिये किसान नौजवानो की वालन्टियर टोलियां बनायी जाये। मै इस बारे मे अर्ज करना चाहता हूं कि हुकूमत ने पारसाल २५ लाख रुपया तालाब खोदने पर सर्फ किये। कागज पर तो बहुत से तालाब खोदे गए मगर जमीन पर बहुत कम तालाब खोदे गये।

मै तफसील मे नही जाना चाहता। इस मौके पर मै सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस सूबे की हालत को सुधारने के लिये सोशलिस्ट पार्टी यह तय कर चुकी है कि फरवरी और मार्च में वह एक सिंचाई सेना भर्ती करेगी और अप्रैल से वह सिंचाई सेना अपना काम शुरू कर देगी। हमारे कांग्रेस की बेंचों पर बैठे हुए दोस्त इस बात का ख्याल भी नही कर सकते है कि अवाम और जनता भी अपनी तरफ से कोई काम कर सकते है। सेना का लफ्ज जो आ गया तो उनके कान खड़े हो गये। हुकूमत की कुर्सियों पर बैठने के बाद उनको इसका कुछ ऐसा नशा सवार हो गया है और ऐसा चस्का लगा है कि उनकी मनोवृत्ति, उनकी फितरत ही बदल गई है, यानी वे यह समझ ही नही सकते। मै उनसे इस बारे में, अगर वे सुनना चाहते है तो अर्ज कर दूं कि हमारे एक सोशलिस्ट साथी ने एक खेतिहर पल्टन को भर्ती करके सूबा बिहार में १४ मील लम्बी नहर खोद डाली और सरकार का सारा पैसा बच गया। सरकार ने उसके लिये पांच लाख रुपये बजट में रखे थे लेकिन कभी भी वह रुपया दस्तयाब नही होता था। (हंसी) यह हंसने की बात नहीं है। हम और कुछ नहीं चाहते। आपसे पैसा नहीं चाहते। आपसे इतना जरूर चाहते है कि आप हमारे रास्ते में कोई रुकावट न डाले। आप साफ २ इस बात का ऐलान करें कि जो तालाब, जो नाला जिस तरीके से वह सिंचाई सेना सोशलिस्ट पार्टी की खोदना चाहती है वह खोद सकती है और हुकूमत की तरफ से उसमे कोई रुकावट नही होगी इसी के साथ २ एक दूसरा आश्वासन भी आपको देना चाहिये और वह यह है कि इस तरीके से जो पैदावार बढ़ेगी उस पर आप किसी किस्म का टैक्स लगाने की कोशिश नहीं करेगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो अगराज व मकासिद इस बिल में हुकूमत की तरफ से बयान किये गये है और उनको पूरा करने के लिये जो तरीका अभी बयान किया गया है, उसके बारे में बिल में कोई चीज है ? मै तो शुरू से इस चीज को गायब पाता हूँ, वह है ही नहीं। यह स्टेटमेंट आफ़ आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स (प्रयोजनों और कारणों के वक्तव्य) मे लिख तो जरूर दिया गया लेकिन उसको पूरा करने की कोई कोशिश इस बिल में नहीं की गई। जमींदारी मिटाने का मतलब क्या है ? एक आम इन्सान की निगाह में तो जमीदारी मिटाने का यही मतलब है कि उसकी जरूरियात पूरी हों, उसकी गरीबी दूर हो, उसके पास अगर जोतने के लिये काफी खेत नहीं है तो काफ़ी खेत मिले और उसकी जिन्दगी एक डीसेंट लिविंग (सुखमय जीवन) हो, उसकी जिन्दगी एक माकूल मियार की जिन्दगी हो। यही उसकी निगाह में है। किसान की निगाह में तो जमींदारी मिटाने के माने यह है कि उस पर कोई दबाव न रह जाय, कोई उसका खून न चूस सके। लेकिन यह बात इस बिल में मौजूद नहीं है अगर आप वाक़ई चाहते है कि इस हालत को बदलें जिसकी बाबत मैंने आज आदादोशुमार पेश किये है, तो आपके लिये यह जरूरी है कि जमीन का आप फिर से बटवारा क़बूल करें। अगर जमीन का फिर से बटवारा नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि आप स्टेटस को

[श्री रोशन जमां खां]

क़ायम रखना चाहते हैं। यह एक और बात है कि आप एक बड़े आपरेशन से भाग कर छोटी-छोटी कुनियों का इलाज करने की कोशिश करें, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप कुछ छोटी-छोटी बातें कर रहे हैं तो उनसे कोई बुनियादी तब्दीली नहीं होती है। जो समाज की ग़लत बुनियाद या ग़लत आधार इस वक्त है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है, वह यह है कि एक मालदार ग़रीब का खून चूसे और ऐशोइशरत की जिन्दगी बसर करे, ग़रीब मुसीबतों का शिकार रहे। यह बुनियादी कमी उस वक्त भी क़ायम रहती है जब कि आप इस क़ानून को बना देते हैं। अगर आप इसको दूर करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि जमीन का फिर से बटवारा हो। हालत क्या है ? इस क़ानून के बन जाने के बाद भी बड़े-बड़े फार्म क़ायम रहेंगे, उनका रक़बा कुछ कम नहीं होता है। सीर और खुदकाश्त का रक़बा जो जमींदारों के क़ब्जे में है, बिला लिहाज इसके कि किसके पास कितना रक़बा है, सबका सब क़ायम रहेगा। मौजूदा बिल जो सेलेक्ट कमेटी से आया है उसमें इतनी तरमीम जरूर की गई कि अब यह बात साफ़ कर दी गई है कि जो लोग, जो जमींदारान, २५० रु० से ज्यादा मालगुजारी देते हैं उनकी सीर पर जिन काश्तकारों का क़ब्जा है वे मौरूसी काश्तकार हो जावेंगे। लेकिन इसके अलावा और कोई तरमीम नहीं की गई। मसलन, अगर एक जमींदार है, उसके पास बहुत ज्यादा रक़बा है और खुद काश्त में है, किसान के क़ब्जे में नहीं है, किसी काश्तकार के क़ब्जे में वह जमीन नहीं है, तो वह सबकी सब उसके क़ब्जे में रहेगी और उसी की मिल्कियत होगी। इसी तरह से बड़े-बड़े जो काश्तकारान हैं उनको भी उसी तरह क़ायम रखा गया है।

इस बात का भी इन्तजाम इस बिल में नहीं है कि जो लोग छोटे-छोटे खाते रखे हुये हैं, जो थोड़े-थोड़े रक़बे की आराजी को जोतते हैं, उनकी आराजी में इजाफ़ा किया जाय। उनकी अनइकोनामिक होल्डिंग्ज (कम आमदनी वाली जोतों) को इकोनामिक (आमदनी वाली) बनाने की कोशिश करनी चाहिये। जो कुछ भी कोशिश की गई है उसके बारे में मैं आगे चल कर बताऊंगा। लेकिन यहां मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूंगा कि ग़रीब की ग़रीबी दूर करने की कोशिश नहीं की गई है। हां, यह जरूर कोशिश की गई है कि जो मालदार हैं उनकी दौलत क़ायम रहे। और खेतिहर मजदूरों को कौन पूछता है। इस हुकूमत की तरफ से पहिले यह बताया गया था कि खेतिहर मजदूर की हालत सुधारने के लिये हुकूमत तहक़ीक़ात करायेगी और उनकी हालत सुधारने के लिये, उनको अच्छा बनाने के लिये, पूरे तौर पर कोशिश करेगी। लेकिन हमने जो बात सुनी है, हम चाहते हैं कि हुकूमत उसका जवाब दे। अगर हमारी इत्तिला ग़लत है तो आप कह दीजियेगा कि गलत है, हमें संतोष हो जावेगा। वह यह है कि अब जब कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट खेतिहर मजदूरों के बारे में कुछ करने का इरादा कर चुकी है तो हमारे सूबे की हुकूमत ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि खेतिहर मजदूरों के बारे में कुछ न किया जाय। जमीन का बटवारा करने के लिये सरकार तैयार नहीं है। और उसके लिये वजह जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में यह बताई गई है कि हां, जमीन का बटवारा फिर से होना तो बहुत जरूरी है अगर हम इस सूबे के खेती करने वालों को आराम की जिन्दगी देना चाहते हैं, लेकिन क्या बतायें कुछ डर लगता है, हमको कुछ भय सा मालूम होता है।

चुनांचे इस रिपोर्ट के अल्फ़ाज मैं पढ़े देता हूं :—

We must reckon the fact that it would arouse a spirit of opposition among the substantial tenants and would inflict great hardship upon the landlords whose income will in any case be reduced by our scheme for the abolition of the zamindary.

(हमें इस तथ्य को मानना चाहिए कि यह वास्तविक किसानों के बीच में विरोध की भावना पैदा करेगा और इससे उन जमींदारों को बड़ी कठिनाई होगी जिनकी आय जमींदारी विनाश से किसी न किसी प्रकार घट जायगी।)

इसमें जो अल्फ़ाज़ खास तौर पर करने के काबिल है वह यह है कि सब्सटैंशियल टनेंटस, इसके बारे में मैंने पहिले ही कह दिया है कि हमारी सरकार सब्सटैंशियल टेनेंट्स और जमींदारों से डरती है और वह गरीब किसानों को शुमार में नहीं लाती है। हालांकि मैं हुकूमत को बतला दूं कि इन्क़लाब जब आता है तो गरीब ही करता है। जिसको तकलीफ़ होती है वही इन इन्क़लाब के लिये चलता है क्योंकि वह समझता है कि वह एक खास मिशन के लिये जा रहा है। उसी से डर को बात होना चाहिये लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है यानी सब्सटैंशियल टेनेंटस से तो डरते हैं और गरीब किसानों से नहीं डरते इसीलिये ज़मीन का फिर से बटवारा करने की बात को दफ़न कर दिया गया है। इसलिये मैं अर्ज़ करूं कि अगर हुकूमत इस नुक्ते-निगाह से चलती है कि मुखालिफ़त होगी और मुकाबिला करना पड़ेगा और इससे उसकी जान खतरे में पड़ जायेगी लिहाज़ा वह इस मुखालिफ़त को मोल न ले, तो यह कह देना चाहता हूं कि इससे उसकी जान नहीं बच सकती है। मैंने आपको बतलाया कि सिर्फ़ ४.४ फ़ीसदी लोग ऐसे हैं जिनके पास २९.६ आराज़ी है। मैंने आपको यह भी बतलाया कि ८५.४ फीसदी ऐसे खेती करने वाले हैं जिनके पास ४४.८ फीसदी आराज़ी है। अब सवाल यह है कि किन से डरना चाहिये, मैंने आज आंकड़े दिये हैं उससे यह साबित होता है अगर आप मेरी बात मानें, सोशलिस्ट पार्टी की बात मानें कि इकोनामिक होल्डिंग्स का रकबा १२ १/२ एकड़ करार दें तो मुश्किल से २ फ़ीसदी ऐसे काश्तकार या जमींदार होंगे जिनके पास १२ १/२ एकड़ आराज़ी है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मैक्ज़ीमम खाता का रकबा ३० एकड़ करार दिया है फिर तो मुश्किल से आधे प्रतिशत लोग ऐसे हैं। जिनको आपकी इस रिडिस्ट्रीब्यूशन से नुकसान पहुंचेगा। फिर डरने की ज़रूरत किससे है आधा १/२ प्रतिशत लोगों से यानी सबसटैंशियल टेनेन्टस से या ९९.५ फ़ीसदी ग़रीब काश्तकारों से जिनके पास साढ़े बारह एकड़ से आराज़ी कम है। अगर हुकूमत की बात मानी जाये यानी ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी की बात देखी जाये तो सवा छः एकड़ इकोनोमिक होल्डिंग्स मानी है। अगर इसी मियार को ठीक करार दिया जाये तो भी १४.६ फ़ीसदी लोग ऐसे हैं। अब सवाल यह है कि १४.६ फ़ीसदी सब्सटैंशियल टेनेन्टस से डरना चाहिये या ८६ फ़ीसदी लोगों से डरना चाहिये जो ग़रीब काश्तकार हैं। इस मुखालिफ़त और बगावत के बारे में हुकूमत का नजरिया कतई ग़लत है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक हुकूमत जो जम्हूरी है जिसकी आयन्दा जिन्दगी इसी बात पर मुन्हसिर है कि हमारे सूबे में बसने वाले बालिग मर्द और औरत चाहें तो रखें चाहें निकाल दें। फिर वह किस तरह से १५ फ़ीसदी से कम लोगों से डरती है और ८५ फ़ीसदी लोगों को कुछ भी नहीं समझती। मैंने अर्ज किया है कि ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में जो बात बतलाई गई है कि ज़मीन का बटवारा न हो कतअन ग़लत बेबुनियाद और लगो है। अगर यह वजह नहीं है तो मैं समझता हूं कि हुकूमत जम्हूरी उसूल से हट रही है और यह इसके लिये बिल्कुल नामुनासिब है कि वह इस तरह की बात करे कि ज़मीन का बटवारा फिर से न करे।

जून सन् १९४९ के महीने में वज़ीरे आज़म साहब ने एक बयान दिया था। इस बयान में डिस्प्रोपोरशनेट, डिसकंटेंट और एजीटेशन का ज़िक्र था और दूसरी तरफ यह कहा कि स्पीडी मैनर में ज़मीन का फिर से बंटवारा कर दिया है और उसे इस तरह बतलाया कि हम कहते हैं कि अब कोई एक मुकर्रर रकबे से ज्यादा आराज़ी खरीद नहीं सकेगा। एक तो हद की बात कही है। दूसरी बात यह बतलाई कि जब हम कह देते हैं और कानून बना देते हैं कि जो शख्स खुद अपनी आराज़ी नहीं जोत सकता है, वह आराज़ी छोड़ने के लिए मजबूर है और वह आराज़ी का मालिक नहीं रह सकता। इसका नतीजा यह होगा जैसा कि वज़ीर आज़म साहब की बात का मतलब है कि जो लोग ज़मीन को खुद नहीं जोत सकेंगे वह खुद ब खुद उसे छोड़ देंगे। लेकिन मैं निहायत सफ़ाई के साथ अर्ज़ कर दूं कि वह लोग जो बड़े रक़बे रखे हुए हैं, और वह उसे नहीं जोतते तो वह उसे खुशी से नहीं छोड़ देंगे। यह आपकी उम्मीद ग़लत है और अगर ऐसी उम्मीद आपकी है तो मैं क्या कहूं सिवाय इसके कि आपको खुद अवाम पर इत्मीनान नहीं रहा। आप यह समझ सकते हैं क्या किसी तरह का क़ानून बना कर बड़े रक़बे की खेती करने वालों को मजबूर कर देंगे कि वह आराज़ी छोड़ दें यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकती। इसकी वजह यह है कि किसी काम के करने में केवल

[श्री रोशन जमां खां]

मेहनत की जरूरत नहीं होती बल्कि मेहनत के साथ-साथ कैपिटल भी होती है, जिन लोगों के पास बड़े रकबे हैं, वह मेहनत नहीं करते, उनके पास आदमी कम है, जोतन वाले कम हैं, खुद न जोत सकें लेकिन उनके पास रुपया है, उसके जरिये से वह आराजी पर हमेशा क़ब्जा रखेंगे। हुक़ूमत खुद ही फार्मों की शक्ल उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ऐसी सूरत मे यह उम्मीद करना कि वह लोग खुशी से छोड़ दे गलत है। स्पीडी मैनर मे रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड (जमीन का दुबारा बटवारा) हो जायगा, यह ख्याल बिलकुल बेबुनियाद है। स्पीडी मैनर की बात जो कही गई, उसे ही नहीं बल्कि पूरे बिल पर सरकारी कार्यवाही को मैं डिलेइंग टैक्टिक्स (देर करने की नीति) समझता हूं। इस बात की कोशिश सरकार की तरफ से है कि जमींदारी को मिटाने में जितनी भी देरी हो सके की जाए ताकि एक गैर यक़ीनी हालत क़ायम रहे और इस तरह से उनकी गद्दी बरक़रार रहे इस पर मैं आगे चल कर सफाई से अर्ज करूंगा।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि स्पीडी मैनर मे कोई चीज सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। यह जो रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड के सिलसिले में स्पीडी मैनर की बात कही गयी है यह बात किसी तरह से सही नहीं करार दी जा सकती है।

मैंने अभी यह कहा था कि जो बड़ी जोत वाले हैं उनके पास सरमाया और पूंजी है। उसमें एक चीज और जोड़ दूं। और वह यह है कि उनके पास जो पूंजी आज है वह तो मौजूद ही है। इसके अलावा यह हुक़ूमत कहती है जरा थोड़ी सी पूंजी और ले लो और फेबुलस अमाउंट्स, बड़ी-बड़ी रक़में मुआविजे की शक्ल मे दी जा रही हैं। क्या हुक़ूमत की निगाह में जैसा कि इस बिल को देखने से मालूम होता है यही नजरिया है कि पूंजी के मुकाबिले मे मेहनत की कोई हक़ और दर्जा हासिल नहीं है, मैं आगे चल कर इसकी वजहत करूंगा कि जो कुछ दर्जा हासिल है वह पूंजी और सरमाये को है। उनके पास पहिले से सरमाया मौजूद है। उसके बाद और पूंजी उनको मुआविजे की शक्ल में दी जा रही है।

जहां तक छोटे-छोटे खेतों की बात है, अनइकोनामिक होल्डिंग्ज (अलाभ कर जोत) की बात है। उनकी इस जमीन का बटवारा करके खत्म किया जा सकता है। और अगर सरकार इस बात की कोशिश करती, जैसा कि वह एलान भी करती है कि हम तो नहीं चाहते कि हमारे सूबे मे छोटे-छोटे खेत रहें तो उसको इस जमीन का फिर से बटवारा करके खत्म करना चाहिये था। छोटे खातों को खत्म करने के लिये दो तरीक़े हो सकते हैं। एक तो यह कि बड़ी जोतों से खत निकाल करके छोटी जोतों में शामिल कर दिये जायं। दूसरे यह कि छोटी जोतों को खत्म करके बड़ी जोतों मे शामिल कर दिया जाय। लेकिन हमारी हुकूमत ने उल्टी बात की है, उल्टी गंगा बहाई है। वह बड़ी जोतों को खत्म करके छोटी जोतों में आराजी को मिलाकर बड़ी नहीं करना चाहती। मैं इसकी वजाहत जरा और कर दूं इसलिये कि हमारे उन बेंचों पर बैठने वाले दोस्त जरा समझने मे देर करते हैं। इस लिये मैं चाहता हूं कि इस चीज को मैं और ज्यादा साफ कर दूं। आपने इस क़ानून के जरिये से जमीन को एक कमोडिटी बना दिया है। एक ऐसी चीज बना दिया है जो बाजार में फरोख्त की जा सकती है और खरीदी जा सकती है। यह तो बात साफ है कि सवा छः एकड़ तक जोतने वाले लोग अपना लगान भी अदा करने की अहलियत नहीं रखते हैं। और ये लोग कभी भी किसी दूसरे की आराजी को खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। फिर कौन खरीदेगा? अमीर खरीदेगा, अमीर अपनी पूंजी के बल पर ग़रीब की दौलत खरीद कर अपने हाथ मे घसीट लेगा। यह जो आपने खरीदने और बेचने का हक दिया है उससे किसे फायदा पहुंचेगा, क्या वह ग़रीब काश्तकार क्या वह ७३ फीसदी लोग जिस के बारे में हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि उन के पास खाने भर को नहीं होता या खा पीकर सब बराबर हो जाता है, वह इसको खरीद सकते हैं? इसको वही २७ फ़ीसदी वाले लोग खरीद सकते हैं जिनके पास खाने-पीने के बाद भी बचा रहता है।

फिर क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा यह होगा कि छोटी जोत वाले जो किसान हैं छोटी जोत वाले जो लोग हैं उनकी सारी जमीन निकल कर बड़ों के क़ब्जे मे आ जायगी। एक बात मैं यहां और अर्ज कर दूं और वह यह है कि आपने कंट्रोल आफ प्राइसेज की भी बात रखी है।

आपने इस बिल मे इस बात की कोशिश की है कि जब बेचने के लिये कोई शख्स तैयार हो तो उसके लिए आपने जो शर्ते लगाई है उन शर्तो मे भी गरीबो को ही नुकसान होगा और अमीरों को फायदा होगा। इस तरीके से मेरा यह कहना है कि इस बिल के जरिये मे अनइकोनामिक होल्डिग्ज को इस तरह खत्म किया जा रहा है कि जो ढांचा आपने आइन्दा समाज का बनाया है उसमे छोटी जोत वाले अपनी सारी आराजी को बेचकर उन अमीरो के हाथ दे दे जिनके हाथ मे पहले से ज्यादा अराजी मौजूद है और इस तरह से आपने अमीरो को ही फायदा पहुचाया है। आपको शायद यह मालूम हो कि आज ऐसे लोग भी समाज मे मौजूद है जो गलत तरीके से आराजियां हासिल कर सकते है और इस तरह से वह अमीर लोग हर तरीके से फायदा उठावेगे।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बजे डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता मे भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रोशन जमा खा--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उठने से पहिले मै इस ऐवान मे यह अर्ज कर रहा था कि सरकार ने इस बिल को जिस तरह बनाया है उससे अनइकोनामिक होल्डिग्स इकोनामिक होल्डिग बनाने के बजाय तमाम अनइकोनामिक होल्डिग्स खुद ब खुद खत्म हो जाती है और जो इकोनामिक होल्डिग्स है उनके रकबे में इजाफ़ा हो जाता है। इस सिलसिले मे मुझे केवल एक बात और कहनी है और वह यह है कि दफ़ा १८१ और दफा २६० इस तरह बनायी गयी है कि जिससे अगर कोई किसान, जिसके पास ६ एकड़ से कम आराजी हो, खुद न बेचना चाहे, खुद न देना चाहे तो सरकार और सरकार की पूरी मशीनरी इस बात की कोशिश करेगी कि उससे आराजी छीन लीजाय। मै जरा इस चीज को और ज्यादा तफसील मे अर्ज करदूं। दफा १८१ मे बटवारे का जिक्र किया गया है और उसमे यह कहा गया है कि अगर किसी भी खाते के बाबत बटवारे का दावा दायर है जिसका कि रकबा ६ एकड़ से कम है तो उस हालत में अदालत को यह अख्तियार होगा कि खाते का बटवारा करने के बजाय उसे नीलाम कर दे और नीलाम से जो रकम मिले उसे बाट दे, और दफ़ा २६० मे मालगुजारी की वसूली का तरीका बताया गया है, उसमे भी साफ-साफ यह लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को यह अख्तियार है कि अगर किसी खाते की मालगुजारी वसूल न हो तो उस हालत मे वह उस खाते को किसी दूसरे के नाम मुन्तकिल कर दे। तो मेरी गुजारिश यह है कि इन दो दफात से ६। एकड़ से कम वाले खाते को हुकूमत और अदालत के जरिये से खत्म करने की कोशिश की गई है और इसके वही नतीजे होगे जो मैने अर्ज किया कि बजाय इसके कि अनइकोनामिक होल्डिग्स इकोनामिक होल्डिग्स बन जाय, तमाम अनइकोनिमक होल्डिग्स खत्म हो जायेंगी और इकोनामाकि होल्डिग्स मे शामिल हो जायंगी।

अब जो बातें मैने जमीन के फिर से बटवारे के बारे में कहीं है उनसे कुछ नतीजे निकलते है। एक नतीजा तो यह है कि जो नबराबरी हमारे समाज मे है वह नबराबरी बराबर कायम रहती है, दूर नहीं होती और जिस तरह से इस वक्त अमीर गरीब का खून चूसता है, इसी तरह से आइन्दा भी चूसता रहेगा। दूसरी बात जो नतीजे के तौर पर निकलती है वह यह है कि समाज का ढांचा जिस तरह बनाया जा रहा है उसमे पूंजी को मेहनत के मुक़ाबिले में बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है और जो भी कायदे और क़ानून बनाये गये है वे इसी नुक्तेनिगाह से बनाये गये है। किसी की पूंजी को सदमा न पहुंचाया जाय, इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि एक तानाशाही निजाम, एक फासिस्ट आर्डर हमारे सूबे में क़ायम होगा जिसका दूर करना एक जम्हूरी हुकूमत का सब से बड़ा फर्ज होना चाहिये, खास तौर से उस हुकूमत का जिसका यह दावा है कि वह तमाम क्लासेज को खत्म करके एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहती है।

लेकिन इस बिल मे जो चीजे रक्खी गई है उनसे वे सारी उम्मीदे जो कांग्रेस के ऐलानात की बिना पर उससे की जा सकती थी, खत्म हो गई। इस बिल में गांव समाज और कोआपरेटिव फार्मिग की बाबत भी अलग-अलग अध्याय और बाब कायम किये गये है। कोआपरेटिव फार्मिग का जो कानून बनाया गया है उसे हम ज्वाइन्ट स्टाक कंपनी का कानून कह दें तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिये। इस कोआपरेटिव फार्मिग की सारी धारायें औ सारी बातें इन्डियन कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट,

श्री रोशन जमां खां]

जिसकी हर समझदार आदमी ने मलामत की है, सही मानों में कोआ-परेटिव फार्मिंग नहीं हो सकती, उसकी बुनियाद पर है। और सब से बड़ी बात यह है कि जब तक आप जमीन का फिर से बटवारा न करें कोआपरेटिव फार्मिंग कामयाब नहीं हो सकती है। मैं कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में सेकेंड रीडिंग के मौके पर ज्यादा वजाहत के साथ अपने ख्यालात पेश करूंगा। इस मौके पर मुझे सिर्फ इतना ही अर्ज कर देना है कि इसमें जो चीजें रखी गई हैं उनसे सिर्फ यही नतीजा निकलता है कि मालदारों की हालत और मजबूत हो और गरीब और मजदूरों की हालत बद से बदतर हो जाय। गांव समाज का जिक्र इस कानून में पढ़कर बहुत खुशी होनी चाहिये थी कि कमअजकम हमारी सरकार ने एक नया समाज बनाने की कोशिश की है लेकिन अफसोस है कि गांव समाज के सिलसिले में जो कानून यहां पर रखा गया है वह हरगिज-हरगिज से संतोषजनक नहीं है। जो समाज कि इस बिल में है और जो समाज पंचायत राज ऐक्ट के जरिये से कायम होगा उससे यह नहीं मालूम होता कि इस बिल के जरिये से एक नया समाज कायम होगा या वह समाज रहेगा जिसे गांव-सभा या गाव-पंचायत कहते हैं। इस गांव समाज में गांव के तमाम बसने वाले शरीक होते तो बड़ी खुशी की बात होती लेकिन अख्तियार किसको दिये गये हैं? क्या सारे गांव वालों को अख्तियार दिये गये हैं; नहीं बल्कि एक एक्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है, एक कार्य समिति बनाई गई है और उसीको सारे अख्तियारात दे दिये गये हैं। ऐसे अख्तियारात को देने से क्या लाभ होगा जब तक कि हम एक वर्ग विहीन समाज न बना दें और वह उसकी एक्जीक्यूटिव कमेटी न हो, जब तक कि हम एक ऐसा समाज न बना दें जिसमें एक तबका के अलावा दूसरा तबका न हो नबराबरी को खत्म न कर दिया हो। लेकिन जब हमारी सोसाइटी मल्टीक्लास सोसाइटी है तो हमारी पंचायत भी मल्टीक्लास पंचायत होगी। जब बहुत से वर्ग होंगे तो अमीरों और मजबतों के जरिये गरीब सताये जायंगे। इन पंचायतों के इस गांव-समाज को, जो हमारी सरकार इस बिल के जरिये से बना रही है, रिपब्लिक का बड़ा उम्दा नाम दिया गया है उसको प्रजातांत्रिक हुकूमत का नाम दिया गया है, बड़ी खुशी की बात है और बहर-हाल इस बात को तो इस सरकार ने और सरकार की पार्टी ने तसलीम किया है कि गांव का इंतजाम अगर होना है, इस नये समाज में अगर हमें गाव का इंतजाम करना है तो हमको एक विलेज रिपब्लिक बनाना होगा, और गांव वालों को सारे अख्तियारात देने होंगे, लेकिन क्या हालत है? क्या इस कानून के जरिये से उनको कोई अख्तियारात दिये जा रहे हैं? क्या इस कानून के जरिये से वह अख्तियारात विलेज रिपब्लिक को मिल रहे हैं कि जो आज कल सूबाई और मरकजी हुकूमत यानी प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार को हासिल हैं। हरगिज नहीं, बल्कि बड़े अफसोस की बात है कि सरकार ने गांव पंचायतों को एक खिलौना बना रक्खा है, अपना एक एजेंट बनाने की पूरी कोशिश की है। सब से पहिली बात जो इस सरकार ने इस सिलसिले में की, जिसकी सब से ज्यादा निन्दा और मलामत होनी चाहिये, वह यह है कि इसने जो वफादारी की हलफ इन गांव पंचायतों के सदस्य, प्रधान, पंच और सरपंचों को दिया उसमें बजाय राज्य और स्टेट के वफादारी के, सरकार और गवर्नमेंट की वफादारी का जिक्र है। यह चीज बिल्कुल गलत है। किसी जम्हूरी मुल्क में किसी सरकार की पार्टी को यह हक हासिल नहीं है कि वह अपनी वफादारी का मतालबा करे, खास तौर से एक विलेज रिपब्लिक से, एक ऐसी पंचायत से कि जिसको खुद सरकार के लोग और सरकार के वजीर विलेज रिपब्लिक का नाम देते हैं।

१० गुना लगान की वसूली के सिलसिले में सरकार और सरकार के अफसरान ने जो तरीका इन पंचायतों के साथ इस्तेमाल किया है वह तो दुनिया के लिये आंख खोलने के लिये बहुत है। मैं इस चीज का जिक्र तो जब १० गुना लगान की वसूली का जिक्र करता, उस वक्त करता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन बात आ गई है इसलिये मैं इसका जिक्र इसी मौके पर किये देता हूं। सरकारी अफसरान ने इस बात की पूरी कोशिश की है क गांव पंचायतों के प्रधान, पंच और सरपंच सरकार के एजेंट बन कर १० गुना लगान

वसूल करावे। क्या यही विलेज रिपब्लिक है ? इस बारे मे मै कुछ मिसाले देना जरूरी समझता हूं। जिला अलीगढ़ तहसील सिकन्दराराव के पंचायत इंसपेक्टर शिव शंकर वर्मा साहब ने २४ दिसम्बर सन् १९४९ ई० को कुंअर इन्द्रपाल सिंह सरपंच अदालत रकसोल को हुक्म दिया कि जवाब दो कि तुम ओहदा से क्यो न अलग कर दिये जाओ? जुर्म क्या था? जुर्म यह था कि—तुमने ६ दिसम्बर सन् ४९ को मदगरी गाव मे एक सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग मे जमींदारी अबालिशन फंड की मुखालिफत की थी।

दूसरी वजह यह बतलाई गई है कि १० गुना लगान के खिलाफ कह कर आपने सरकार के खिलाफ बगावत किया है। इसलिये इस ओहदा पर आप के लिये रहना जनता के लिये नुक्सानदेह है। लिहाजा आप का यह काम दफा ९५ पंचायत राज ऐक्ट और कायदा ६१ पंचायत रूल्स के खिलाफ है।

अब आप खुद सोचे कि अगर यह विलेज रिपब्लिक है तो उनको पूरे अख्तियारात होने चाहिये। अगर कोई ज हूरी सरकार किसी ऐसे कायदे को बनाती है कि जिसके जरिये से गाव की पंचायतो को महज सरकार का एजेंट बना दिया जाय तो उस हुकूमत को एक जम्हूरी मुल्क में हरगिज नही बर्दाश्त करना चाहिये। जिला अलीगढ़ की एक दूसरी मिसाल यह है कि पंचायत इंसपेक्टर तहसील कौल जिला अलीगढ़ ने १५ दिसम्बर सन् ४९ को एक नोटिस श्री लाल सिंह, सरपंच अदालत शाखा को दिया कि आप को ओहदे से क्यो न हटा दिया जाय? इस जुर्म मे कि आप दस गुना लगान देने की मुखालिफत करते है। उसके बाद उन्हीं इंसपेक्टर साहब ने २४ दिसम्बर सन् ४९ को एक दूसरा नोटिस उस सरपंच साहब को दिया कि आप ने दस गुना लगान देने की मुखालिफत करके अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। दूसरा चार्ज उन पर यह लगाया गया कि २५ नवम्बर सन् १९४९ को लखनऊ मे होने वाले किसान प्रदर्शन में शिरकत करने के लिये आप जा रहे है। यह कहा का जुर्म है? क्या एक प्रजातंत्र मुल्क का यही तरीका है ? क्या एक ऐसे सूबे मे जहा कि गाव पंचायतो को विलेज रिपब्लिक का दर्जा दिया जाय जहां पर डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र का नारा लगाया जाता है, जहां सोशलिस्ट पार्टी खुल्लमखुल्ला एक डेमोक्रेटिक पार्टी की हैसियत से डेमोक्रेसी और सोशलिज्म की बुनियाद पर काम करती है, उसके आदमियो को इस तरह से सताया जाय। मै यह मान सकता हूं कि इस तरह के फर्जी या असली जुर्म आप के पंचायत इंसपेक्टरों ने लगाये, लेकिन उनके अलावा आपके पंचायत आफिसरो ने भी धमकी दी है, और वह बात मेरी समझ मे नहीं आती कि यह कहा तक जायज और मुनासिब है। बहरहाल एक हद तक यह हो सकता है, लेकिन महज इस जुर्म मे कि २५ नवम्बर सन् ४९ को लखनऊ मे होने वाले किसान प्रदर्शन मे शिरकत होने वाले है या दस गुना लगान की मुखालिफत करते है या सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग मे जाते है, यह तो ऐसी चीज है कि जो खुद सरकार के लिये बायसे शर्म है। और अगर सरकार अपने उत्तरदायित्व का, अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखती है तो उसको खुद इस मामले मे एक कदम उठाना चाहिये। इन्ही इन्सपेक्टर साहब ने १५ दिसम्बर सन् १९४९ को सरपंचों तक की ही यह बात नहीं है, बल्कि प्रधान तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। मैंने सुना है कि हमारी सरकार सरपंचों के लिये कायदे और नियम में कुछ इस तरह की तब्दीली कर चुकी है या करने वाली है जिसमें वे सोशलिस्ट या किसी पार्टी में हिस्सा नहीं ले सकते है। मै इस बात को मानने के लिये एक हद तक तैयार हूं कि अगर वे कांग्रेस और कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी में हिस्सा न लें तो उसमें कोई मुजायका नहीं हो सकता है। लेकिन आप इस तरह के कायदे बनावें जिसके माने यह हों कि वे सरकार और सरकारी पार्टी के कामों मे हिस्सा ले सकते है और विरोधी दल के कामों में हिस्सा नहीं ले सकते है तो यह चीज हरगिज–हरगिज बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और यह चीज सही भी नहीं कही जा सकती है। यह बात जो सरपंचों के बारे मे हुई है वह प्रधानों के बारे मे तो न होनी चाहिये थी लेकिन उन्हीं इन्सपेक्टर साहब ने तहसील कौल जिला अलीगढ, १५ नवम्बर सन् ४९ को भंवर सिंह प्रधान ग्राम पंचायत बाराहटी पर इस तरह का जुर्म लगाया कि तुम दस गुना लगान की मुखालिफत करते हो

[श्री रोशन जमां खां]

लिहाजा तुम्हे क्यों न हटा दिया जाय? यह तो इंसपेक्टर साहब की बात थी , यही तक नही है कि छोटे-छोटे आफिसर्स ही इस तरह के काम किये हों बल्कि देवरिया के जिला पंचायत आफिसर साहब ने ३० नवम्बर सन् ४९ को सरपंच अदालत छतौनी तहसील सलेमपुर को यह हुक्म दिया और यह नोटिस दी कि तुम्हे क्यों न ओहदे से हटा दिया जाय। उन पर जो इल्जाम लगाया गया है वह सबसे ज्यादा निराली बात है। उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि तुमने दस गुना लगान देने की मुखालिफत करके अपने हलफ के खिलाफ काम किया है। वह चीज है सरकार की वफादारी का हलफ जिसके बारे मे मैंने अभी आप के सामने जिक्र किया है। वह हलफ वफादारी का जो आपने गलती से लिया उसको लेकर आप डेमोक्रेसी को ठोकर मार रहे है। उस हलफ के माने आप यह लगाते है कि कोई शख्स सरकार की बनायी हुयी किसी योजना के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता है।

इसी तरह की एक नोटिस जिला गाजीपुर मे पदमपुर पंचायत के प्रधान त्रिवेणी को भी दी गई। इसी तरह की एक नोटिस १५ नवम्बर को जिला सीतापुर में प्रधान रामदत्त वर्मा को भी दी गई कि तुमको क्यों न इस पद से हटा दिया जाय। उनका जुर्म बताया गया कि उनकी गांव-सभा ने यह प्रस्ताव भेजा था कि १० गुना लगान के खिलाफ उनकी सभा थी। महराजपुर, जिले कानपुर में १५ दिसम्बर सन् १९४९ ई० को वहां के प्रधान को यह हुक्म दिया गया कि क्यों न उनको उस पद से हटा दिया जाय। उनका जुर्म सुनने के काबिल है। उन पर यह जुर्म लगाया गया कि उन्होंने १० गुना लगान के खिलाफ पर्चे छपवाकर बांटे थे, वह सरकार विरोधी मोर्चा संगठित कर रहे थे और उन्होंने अपना १० गुना लगान नहीं जमा किया था। क्या यही कानून है जो कि इस भवन से पास कराया गया था जिसमें यह साफ-साफ कहा गया था कि सरकार इस जमींदारी को बेचने के सिलसिले मे एक दुकान लगा रही है जिस खरीदार का जी चाहे इस सौदे को ले सकता है जिसका जी चाहे वह इस सौदे को न ले। मगर यह क्या हो रहा है। खरीदारों की गर्दन पकड़ कर जबरदस्ती वहां लाया जाता है कि तुम खरीदो।

एक सदस्य-- क्या आप से भी कहा गया था। ?

श्री रोशन जमां खां---आपकी सरकार मुझसे ऐसा करने के लिये कहने की हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन जिन मिसालों को मैंने अभी दिया है वह सब सोशलिस्ट पार्टी के दफतर की फाइल मे मौजूद है। अगर सरकार चाहे तो मैं उनको यह दिखा भी सकता हूं और पढ़ सकता हूं। इस तरह की बातें पंचायतों के बारे में करें और फिर उनको विलेज रिपब्लिक का नाम दिया जाय तो यह बड़ी तौहीन की बात है। मैंने अभी इन पंचायतों के बारे मे कहा एक दो मिसाले अपने जिले गोंडा के बारे में भी आप के सामने रखूंगा। हमारे दोस्त कांग्रेस बेंचों पर बैठे हुये गोंडा की मिसाल को सुनना चाहते हैं लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस तरह की बात को जब मैं आगे और मजालिम का जिक्र करूंगा उस वक्त पेश करूंगा। जो गांव सभायें बनाई गई है जिनको विलेज रिपब्लिक का नाम दिया गया है वह जिस तरह से सरकार ने अपने लिये खिलौने बनाया है उसका मैंने थोड़ा सा जिक्र किया। मैं यह समझता हूं कि पंचायत राज ऐक्ट पास हुआ था तब कुछ ऐसी हालत थी कि उस पूरे कानून पर बहस नहीं हो सकती थी और सरकार का मसविदा जिस तरह से आया था उसी तरह से चन्द दफाओं को छोड़कर उसी शकल में वह पास होगया था और वैसा ही बाकी रह गया था। इस बिना पर सरकार ने जो नाजायज अख्तियार रूल्स बनाने के लिये अपने लिये रखे थे उसका नाजायज तौर पर इस्तेमाल किया है और अभी तक उन अख्तियारात का नाजायज तौर पर इस्तेमाल कर रही है। लिहाजा इस ऐवान का यह हक है और फर्ज है कि पंचायत राज ऐक्ट की इस तरह से तरमीमात करे, संशोधन करे कि जिसके जरिये से यह सही मायनों मे विलेज रिपब्लिक बन सके।

इस गांव समाज के सिलसिले में एक सब से बड़ा बुनियादी सवाल यह उठता है कि क्या इस क़ानून के अन्दर सरकार गांव-समाज को लगान की वसूली या मालगुजारी की वसूली का हक़ भी दे रही है या नहीं मैंने देखा तो ऐसा कहीं नजर नहीं आता और न इसका कहीं जिक्र ही है। गांव-समाज को लगान व मालगुजारी की वसूली का हक़ मिलना एक बुनियादी सवाल है।

एक कांग्रेसी दोस्त मेरी बग़ल में बैठे हुए यह कहना रहे हैं कि जब सारी आराजी गांव समाज में वेस्ट करेगी तो जाहिर है कि उसको इस बात का अख्तियार हासिल होगा कि वह लगान व मालगुजारी भी वसूल करे। मुझे खुशी होती, अगर ऐसा होता, लेकिन शायद उन्होंने उस दफ़ा को पढ़ा नहीं है कि जिस में दिया गया है कि जितनी परती, आबादी और कुएं वगैरा होंगे उन पर गांव-समाज कंट्रोल करेगा लेकिन उसमें कोई अख्तियार मालगुजारी की वसूली का नहीं दिया गया है और इस बिल को देखने से मालूम होता है कि यह काम सरकारी अफसर करेंगे जो शायद जमींदारों और ताल्लुक़दारों के जिलेदारों वगैरा से कहीं ज्यादा जालिम साबित होंगे जैसे कि आज तक होते रहे हैं।

अभी तक मैंने आप को गांव-समाज और कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में बतलाया। कुछ और बातें मुझे अर्ज करनी थी लेकिन मैं समझता हूं कि उनमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र सेकेन्ड रीडिंग के वक्त आसानी के साथ किया जा सकता है। वह इसके मुताल्लिक़ है कि आपने किसानों को, खेती करने वालों की ४ श्रेणियां बनाई हैं। भूमिधर, सीरदार, असामी और अधिवासी। एमेंडेड बिल में ३ क़िस्मों का ही जिक्र है और अधिवासी का जिक्र नहीं है। वजीर माल साहब के मुंह से भी कल यह बात निकली थी कि ३ क्लास ही बनाई गई हैं। बटवारे के बारे में इस क़ानून में जिक्र है, बेदखली, लगान और मालगुजारी का भी जिक्र है और कुछ दूसरी बातों का भी जिक्र है। कुछ बातों पर मैं यह ज्यादा बेहतर समझता हूं कि सेकेन्ड रीडिंग के वक्त तफ़सील के साथ अपने ख्यालात पेश करूं लेकिन दो एक बातें जरूर इस मौक़े पर कहना चाहता हूं। एक तो यह कि आप बड़ा भारी जुल्म उन लोगों पर कर रहे हैं कि जिनको आप भूमिधर बना रहे हैं। आप कहते हैं कि उनको मालगुजारी अदा करने की जिम्मेदारी ज्वाइंट और सेवरल होगी यानी अगर एक खेत वाले ने अपना लगान अदा कर दिया तो उसकी रिहाई नहीं होगी बल्कि वह पाबन्द है कि वह गांव के तमाम खेत वालों की सबकी मालगुजारी सरकार को अदा करे और इसके लिए आप ने वसूली के सारे वह जालिमाना तरीक़े जो अंग्रेजी राज में रायज थे बरक़रार रखे हैं।

दूसरी बात यह है कि आप जो आराजी का बन्दोबस्त करना चाहते हैं वह ४० साल के बाद कर रहे हैं।

यह चीज तो ग़लत है। यह होना चाहिये कि जब आप जमींदारी मिटा रहे हैं तो उसकी जगह एक दूसरा निजाम लाया जा सके। आप का दावा है कि आप नया गांव-समाज बना रहे हैं। सोसाइटी में तब्दीली कर रहे हैं तो आप को जल्द से जल्द एक दूसरा बन्दोबस्त करना चाहिये न कि ४० साल तक आप बन्दोबस्त न करें। इस ४० साल के अन्दर जो शोषण जो जुल्म ग़रीबों पर हो रहे हैं मालदारों की तरफ से वह बराबर होते रहें।

अब मैं कम्पेन्सेशन और मुआविजे के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं हालांकि इस चीज का मुझे पहिले जिक्र करना चाहिये था लेकिन मैंने इसलिये इस चीज को और चीजों के बाद लिया है ताकि इस पर अलाहिदों से और सन्जीदगी के साथ गौर हो सके। सरकार ने इस बिल में मुआविजे के बारे में जो बातें रखी हैं उनकी मैं मुखालिफ़त करता हूं और सोशलिस्ट पार्टी का जो नुक्ते-निगाह है उसकी मैं ताईद करता हूं। मेरा कहना यह है कि हम किसी शख्स को मुआविजा देने के लिये तैयार नहीं हैं। हां, उन लोगों को जो ढाई सौ रुपए से कम मालगुजारी अदा करते हैं। उनको पुनर्वास और अनुदान की शक्ल में दिया जा सकता है। लेकिन जो लोग ढाई सौ रुपए से ज्यादा मालगुजारी अदा करते हैं उनकी जमीनों, उनके फारमों उनकी सीर और खुदकाश्तका जब तक फिर से बटवारा न हो जाय उनको कोई मुआविजा नहीं दिया जा सकता। जो मुआविजा दिया जाय अगर बटवारे को मान भी लिया जाय तो उस सूरत में किसी शख्स को एक लाख से ज्यादा पाने का हक नहीं होगा। कुल मुआविजा ५० करोड़ से ज्यादा न हो लेकिन इस क़ानून

[श्री रोशन जमा खां]

में मुआविजे की बुनियाद प्रापर्टी और जायदाद रखी गयी है। जिसके पास जितनी जायदाद है जितनी आराजी है उसी हिसाब से उसको मुआविजा दिया जाय। हम हरगिज-हरगिज इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी ने लुई फिशर से बात करते हुए यह कहा था कि जमींदारों की जमींदारी मिटाते वक्त मुआविजा देना नामुमकिन और असम्भव है। मैं ऐवान की इत्तिला के लिये महात्मा गांधी और लुई फिशर में जो बातचीत हुई और वह मुख्तसर है उसको पढ़ना चाहता हूं।

एक सदस्य—आचार्य जी वाली भी पढ़ दीजियेगा।

श्री रोशन जमा खां—आप लोग तो उनके नाम का माला जप रहे हैं उसी से आप लोगों की नजात होगी, अच्छा पढ़ूंगा।

"प्रसिद्ध अमरीकन लुई फिशर और महात्मा जी" लुई फिशर अपनी एक पुस्तक में अपने एक इंटरव्यू का लेख इस प्रकार करता है।

लुई फिशर—इस भारत में क्या होगा किसानों की हालत को सुधारने के लिये आप के पास क्या प्रोग्राम है?

गांधी जी—किसान जमीन का दखल करेंगे। हमें उन से कहना होगा वह इंतजाम ले लेंगे। जमींदारों को मुआविजा देने का तरीका मेरी दृष्टि में असम्भव है। करोड़पतियों के एहसान भी हमें ऐसा करने से नहीं रोक सकते। हर गांव एक स्वशासित इकाई होगा और स्वेच्छानुसार अपने जीवन का संचालन करेगा।

लुई फिशर—तो आपका ख्याल है कि जमींदारी का नाश बिना मुआवजा दिये होना चाहिये।

गांधी जी—"जरूर, जमींदारों को मुआवजा देना किसानों के लिये असम्भव होगा।"

अभी हमारे एक दोस्त ने आचार्य नरेन्द्रदेव जी का जिक्र किया और यह कहा कि उन्होंने क्या कहा था। मैं निहायत खुशी के साथ उनकी बात को क़बूल करने के लिये तैयार हूं। आप ख्याल फरमायें कि जमींदारी अबालिशन कमेटी बनायी गई थी। इस ऐवान की तजवीज अगस्त, सन् १९४६ के बमूजिब जब कि हमारा मुल्क आजाद नहीं हुआ था, गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट की दफ़ा २९९ को बदलने का हमें कोई अख्तियार नहीं था, उस वक्त जब कि वह सवालनामा जमींदारी अबालिशन कमेटी की तरफ से सन् १९४७ में जारी हुआ था, सोशलिस्ट पार्टी खुद कांग्रेस का एक अंग थी। आचार्य नरेन्द्रदेव जी के पास जो सवालनामा भेजा गया वह सोशलिस्ट पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं भेजा गया था बल्कि इस ऐवान के एक मेम्बर की हैसियत से उनके पास भेजा गया था। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वह ऐसा है कि उससे खुद यह बात साफ तौर जाहिर हो जाती है कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी किसी मुआविजा देने के खिलाफ थे। चूंकि राम कुमार जी ने उनके बारे में खासतौर से सवाल उठाया है इसलिये मैं यह चाहता हूं कि उस जवाब को जिसका ओरिजनल अंग्रेजी में है, पढ़ दूं।

If we were to examine this question in the light of the origin of the zamindari system and of the tortures, cruelties, extortions and oppressions perpetrated by the zamindars on the peasantry right up to the present day then the question of compensation as well as of acquisition recede to the background calling for an immediate confiscation of all lands by the State. But we refuse to yield to sentiments and want to examine the question dispassionately in its economic and social background.

Land is a gift of nature, with it is closely bound the life of the entire community. It can not be dealt as an individual property. In fact it is the sacred trust of the nation. Its fertility is the wealth of the society. Let us see how far these intermediaries have discharged this trust and preserved and augmented this wealth. It is common knowledge that the zamindars have not cared at all to even preserve the fertility of the soil, to talk little of effecting any reform in agri-

culture Their only aim has been to exploit the peasantry and lead a life of luxury and dissipation.

Let us also inquire into the manner in which these intermediaries acquired their present interests in the land. There are some who have become masters of large tracts of land without spending a single pie. Among the superior intermediaries the taluqdars of Avadh are a glaring example. There are others who had to pay in varying measures. But these zamindars in course of time have contented themselves not only with the rent which they could have lawfully realised from the peasantry but have employed the most heinous and barbarous methods in extorting nazranas, concealed rents, unauthorised realisation of sayar and other dues. They devised various methods and adopted several legislature measures to secure the ejectment of the tenant from time to time so that they may admit new tenants on enhanced rent and fresh premiums. They have taken forced labour from their tenants and have paid only nominally where they have paid at all.

It is only these days that the peasantry having become conscious has asserted itself at some places against forced or low paid labour. Considering all these factors we come to the conclusion that even those intermediaries who paid for their land have realised through these various methods several times more than the price they had paid for their land. Where then does the question of compensation arise? What do they want to be compensated? They realized their price long long ago not through rents but through their illegal exactions. And if an accounting were to take place the balance in favour of the peasantry would be impossible of payment by the zamindars. The poor peasant has paid with his life blood not only the so-called contracted rent to the zamindar, not only the entire price of the land he has been cultivating but for every pleasure of the landlord. No question of compensation can arise now. It arises less in case of Taluqdars who got all their estates only for their treachery to the nation if for anything at all".

(यदि हम इस प्रश्न को जमींदारी प्रणाली के मूल तथा उन यातनाओं, अत्याचारों, बलात्कारों और जुल्मों के प्रकाश में जांच करें जिनको आज तक जमींदार किसानों पर करते रहे हैं तो क्षतिपूर्ति तथा प्राप्ति का प्रश्न पीछे पड़ जाता है और राज्य द्वारा समस्त भूमि के हस्तगत करने का प्रश्न आगे आ जाता है। किन्तु हम भावनाओं के वशीभूत नहीं होते और इस प्रश्न को शान्त-चित्त से आर्थिक और सामाजिक आधार पर जांच करना चाहते हैं।)

भूमि प्रकृति की एक देन है जिसके साथ समस्त जाति का जीवन आबद्ध है। यह वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं समझी जा सकती। वास्तव में यह प्रकृति की एक पवित्र देन है। इसका उर्वरापन समाज की सम्पत्ति है। अब हमें इस पर विचार करना चाहिए कि इन मध्यस्थों ने इस प्रतिभूमि का किस प्रकार प्रबन्ध किया और इसकी रक्षा और वृद्धि किस प्रकार की? यह एक सर्वविदित बात है कि जमींदारों ने भूमि के उर्वरापन की रक्षा के लिए भी बिल्कुल प्रयत्न नहीं किया और कृषि में किसी प्रकार का सुधार करना तो दूर की बात रही। उनका उद्देश्य किसानों का शोषण मात्र, तथा आराम और अपव्यय करना ही रहा।

इन मध्यस्थों ने भूमि में वर्तमान अधिकार किस प्रकार प्राप्त किये इसके विषय में भी मालूम करना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया और विशाल भूमि-खंड के स्वामी बन गये। उच्च श्रेणी के मध्यस्थों में से अवध के ताल्लुकेदार विशेष उल्लेखनीय हैं। कुछ और लोग हैं जिन्हें विभिन्न आयोजनों में देना पड़ा। किन्तु कुछ समय के पश्चात् केवल उस लगान से ही संतुष्ट न हुए जो उन्हें क़ानूनी तौर से किसानों से मिलना चाहिए था किन्तु उन्होंने नजराना, गुप्त लगान तथा सायर और अन्य करों को वसूल करने में अत्यन्त घृणित

[श्री रोशन जमां खां]

और पाशविक तरीके इस्तेमाल किये। उन्होंने समय-समय पर किसान की बेदखली के लिए विभिन्न प्रकार के तरीक़े ढूंढ़े और अनेक क़ानूनी आयोजन अख्तियार किये जिससे कि वे नये किसानों को बढ़ाये हुए लगान और किश्त पर रख सकें। उन्होंने अपने किसानों से बलात् श्रम लिया और यदि उन्होंने इसके लिए कुछ दिया भी तो नाम मात्र के लिए।

केवल आज कल किसानों में कुछ जागृति हुई है और उन्होंने कुछ स्थानों में बलात् तथा न्यून पारिश्रमिक वाले श्रम का विरोध किया है। इन सब बातों पर विचार करके हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि उन मध्यस्थों ने भी जिन्होंने अपनी भूमि का मूल्य दिया किन्तु उन तरीक़ों से कई गुना अधिक किसानों से वसूल किया फिर क्षति-पूर्ति का प्रश्न ही कैसे उठता है? वे किस चीज की क्षतिपूर्ति चाहते हैं। उन्होंने बहुत पहिले ही केवल लगान के द्वारा नहीं अपितु, अवैध प्राप्तियों द्वारा अपना मूल्य वसूल कर लिया है और यदि कोई लेखा-जोखा किया जाय तो जमींदारों को किसानों के पक्ष में भुगतान करना असंभव हो जाय। गरीब किसान ने अपना खून पसीना एक करके जमींदार को अनुबद्ध लगान ही नहीं दिया, उस भूमि का समस्त मूल्य ही नहीं चुकाया जिस पर वह कृषि कर रहा है, किन्तु जमींदार की इच्छानुसार हर प्रकार के उसके आनन्द के लिए अब क्षति-पूर्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ताल्लुक़े-दारों के विषय में तो यह प्रश्न और भी कम उठता है जिन्होंने वह भूमि राष्ट्र को धोखा देकर प्राप्त की। इससे ज्यादा सख्त कोई शख्स मुआविजे के खिलाफ क्या कह सकता है? आचार्य जी को दर्द हो रहा है मुआविजा देते हुये लेकिन क़ानून उनको मजबूर कर रहा था, मुल्क की वह गुलामी मजबूर कर रही थी जो कि अंग्रेजी राज्य ने हमारे ऊपर डाली थी। इसलिये वह कहते हैं:—

Thus if under the present law the zamindari system could be abolished without the payment of any compensation it would be most equitable to all the parties. But unfortunately section 299 of the Government of India Act requires that compensation must be paid for the transference to public ownership of any land and that the amount of compensation or the principle upon which it is to be determined must be laid down. We have, therefore, to determine the principle upon which the amount of compensation to be paid to intermediaries is to be determined.

(इस प्रकार यदि वर्तमान क़ानून के अन्तर्गत जमींदारी प्रथा बिना क्षतिपूर्ति दिये समाप्त की जाती है तो यह सभी पक्षों के लिये न्याय संगत बात होगी। किन्तु दुर्भाग्य से गवर्नमेंट आफ़ इंडिया का सेक्शन २९९ में आदेश है कि भूमि के स्वत्व के हस्तान्तरण पर क्षति-पूर्ति अवश्य दी जाय और क्षति-पूर्ति की धनराशि या वह सिद्धान्त जिस पर यह निर्धारित की जाय अवश्य लिखित होनी चाहिए। अतः हमें उस सिद्धान्त को निर्धारित करना चाहिए जिसके आधार पर क्षति-पूर्ति की धनराशि निर्धारित की जाय जो मध्यस्थ को दी जाय)।

जैसा मैंने पढ़ा, आचार्य जी अपने इस बयान में निहायत साफ-साफ कहते हैं कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की गुलामी है, जिस क़ानून में हम बंधे हुये हैं, उसकी वजह से हम मआवजा देने के लिये मजबूर हैं। उसके खिलाफ हमें कहने या करने का हक़ नहीं है। सर्फ हम मुआविजे का प्रिंसपिल डिटरमिन कर दें यह निहायत जरूरी है। उसके आगे वह कहते हैं:—

One of the claims advanced by the zamindars is that the compensation must be of a nature as to maintain their present income. Some of them go to the length of saying that they must be paid an amount which yields an annual income equal to the rents they receive. The total annual rental demanded at present is about Rs. 24 crores. To talk of an amount yielding an annual interest of 24 crores is simply fantastic and does not deserve any examination.

The next claim put by the zamindars is that they should be paid full market price prevailing at present. Even though the claim of the zamindars for full market price is not justifiable on other grounds it is absolutely impossible for the State to pay. The total area of land under cultivation in 1942 was 3. 307 crores of acres out of which 59.6 lacs was under *sir* and *khudkasht* and 2.711 crores held by various classes of tenants. Even if we pay the price of the land held by the tenants alone. and put it at a flat rate of Rs. 500 per acre it comes to Rs. 1356 crores

If this amount were spread over a period of 50 years even which is an inordinately long period the annual amount of payment of compensation comes to Rs. 27 crores which is absolutely impossible for the state to pay.

If to this we add the market price of *sir* and *khudkasht* as well the amount comes to Rs. 33 crores per annum which is simply fabulous. Then it is neither expedient nor feasible to pay the zamindars at the prevailing market price.

The next question is about paying the zamindars under the Land Acquisition Act which means about 30 times the revenue demand. This again is not feasible. The Land Acquisition Act was meant for acquisition of small portions of land in which case a fairly high rate could be paid. But this is not possible where the entire landed property of the province is going to be acquired. This posistively is also ruled out.

(जमींदारों का एक दावा यह भी है कि क्षति-पूर्ति ऐसी होनी चाहिए जो उनकी वर्तमान आय के बराबर हो। कुछ तो यहां तक कह बैठते हैं कि उनको ऐसी धनराशि क्षति-पूर्ति के स्थान में मिलनी चाहिए जिससे उतनी ही आय हो जितनी उन्हें किसानों से मिलती है। वार्षिक लगान जो उन्हें इस समय प्राप्त होता है २४ करोड़ रुपये होते हैं। ऐसा कहना कि उनको इतनी धनराशि मिले जिससे वार्षिक आय २४ करोड़ रुपये हो एक कल्पना मात्र है, अतः इस पर विचार की आवश्यकता नहीं।

दूसरा जमींदारों का दावा यह है कि उन्हें इतना मूल्य मिलना चाहिए जितना इस समय देश में भाव हो। चाहे जमींदारों का वर्तमान भाव का दावा न्याय गत नहीं है इतना देना राज्य के लिए असंभव है। १९४२ में जिस क्षेत्र में कृषि हो रही थी, वह ३.३०७ करोड़ एकड़ है, इसमें से ५९.६ लाख एकड़ सीर और खुदकाश्त की भूमि है और २.७११ करोड़ एकड़ अनेक प्रकार के किसानों के पास है। जो भूमि केवल किसानों के पास हो और उसका मूल्य ५०० रु० प्रति एकड़ भी दिया जाय तो कुल १३ अरब ५६ करोड़ रुपया देना पड़ेगा। यदि यह धनराशि ५० वर्ष में दी जाय, हालांकि यह एक बहुत लम्बी अवधि है तो भी प्रतिवर्ष २७ करोड़ रुपये देने पड़ेंगे यह भी राज्य के लिए देना सर्वथा असंभव है यदि इसके साथ हम सीर और खुदकाश्त की कीमत आम भाव से भी जोड़ें तो यह धनराशि ३३ करोड़ प्रतिवर्ष होगी जो कि एक मनगढ़न्त चीज है। फिर जमींदारों को वर्तमान भाव से मूल्य देना न तो उचित ही है और न न्यायसंगत ही।

अगला प्रश्न जमींदारों को लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत मूल्य देने का है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि लगान की मांग से ३० गुना। यह भी उचित नहीं है। लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट का अभिप्राय छोटे-छोटे जमीन के हिस्सों का प्राप्त करना था, ऐसे मामले में बहुत ऊंची कीमत दी जाती थी। किन्तु यह ऐसे मामले में संभव नहीं है जहां प्रांत की समस्त भूमि प्राप्त की जा रही हो। यह भी सर्वथा अनियमित है।

माननीय माल सचिव--इससे तो एबालीशन में देर होगी।

श्री रोशनजमा खां--मुझे अफसोस है कि हमारे दूसरे दोस्त यानी रामकुमार जी जैसे लोग कहें तो कहें, वजीर माल साहब भी जहां कहीं बाहर जाते हैं और जब यह कानून जुलाई के सेशन में पेश हुआ था, उन्होंने आचार्य जी के नाम पर माला जपी थी और यह कहा था कि उनकी तो बहुत ज्यादा कद्र है। तो अब जबकि मैं आचार्य जी के बयान को खुद इस हाउस के सामने पेश कर रहा हूँ तो उनको ज्यादा बेसब्री से काम नहीं लेना चाहिये। यह जरूर है कि जिस चीज का यह बयान करते फिरते हैं वह इससे साबित नहीं होती। मैं जानता हूँ कि उनकी सारी इमारत, उनका सारा महल, जो उन्होंने अपनी दलीलों का तयार किया था, वह आचार्य जी के इस बयान के पढ़ने के बाद मसमार कर बैठ जाता है। लेकिन मैं महज इसलिये कि आचार्य जी पर जो गलत इलजामात लगाये गये थे उनको दूर कर दिया जाय इसलिये इस बयान का पढ़ना जरूरी समझता हूँ।

Thus the only sound principle which can be applied in determining the amount of compensation is the principle which is based not only upon the interest of the zamindars but also on the capacity of the State to pay, otherwise it would be reduced to a mere pious wish incapable of realisation. We are of the opinion that the only principle that can be applied is neither of the full market price nor of full compensation but the principle of making an equitable provision.

(अतः केवल एक ही उचित सिद्धान्त जोकि क्षतिपूर्ति की रकम के निर्धारण में लागू किया जा सकता है, ऐसा सिद्धान्त है कि जो जमींदारों के हित के आधार पर नहीं है किन्तु वह राज्य की देने की योग्यता पर भी आधृत है अन्यथा यह केवल एक पवित्र आशा ही रह जायगी जिससे कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारी यह सम्मति है कि जो सिद्धान्त लागू किया जाए वह आम भाव का सिद्धान्त भी न हो और न वह पूर्ण क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त भी हो किन्तु वह एक ऐसा सिद्धान्त हो जिसके अनुसार उचित रकम दे दी जाय।)

अब आगे आचार्य जी अपने इस बयान में उन जमींदारों के लिये एक स्केल बताते हैं और वह यह है कि:--

1. Zamindars paying land revenue up to Rs. 100 to be paid 25 times their revenue demand.
2. Zamindars paying land revenue between Rs 100 and Rs. 250/- 20 times.
3. ,, ,, ,, Rs. 250 and Rs 500/- 15 ,,
4. ,, ,, ,, Rs 500 and Rs 1,000 12 ,,
5. ,, ,, ,, Rs. 1,000 and over 10 ,,

or Rs. 5,00,000/- which ever is less.

therefore, we lay the following principles for the rehabilitation of the ex-propriated zamindars :

(अतः हम भूतपूर्व सम्पत्ति धारी जमींदारों की पुनर्व्यवस्था के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त निर्धारित करते हैं:--

१--जमींदार को जो कि १०० रु० तक भूमिकर देते हैं उन्हें उनकी लगान की मांग का २५ गुना दिया जाय।

२--जो १०० से २५० के बीच देते हैं उन्हें २० गुना
३--जो २५० से ५०० ,, ५१ ,,
४--जो ५०० से १,००० ,, १२ ,,
५--जो १,००० से अधिक ,, १० ,,

य ५,००,०००० रु० जो भी कम हो।)

उस वक्त आचार्य जी ने यह कहा था कि ५ लाख से ज्यादा मुआविजा किसी शख्स को पाने का हक़ नहीं है।

"This scale is meant only for arable land but so far as waste land, grove land, forest s, tanks pasture lands and abadi lands are concerned no compensation ought to be paid except the most nominal, say Rs. 2 per acre, in order to comply with the provisions of the Government of India Act. Similar is the case for sir and Khudkasht and land left in the possession of the intermediary.

According to this scale the total amount the State would be required to pay will come approximately to Rs. 100/- crores. It is not possible to pay it in a lump sum. To a large extent it has to be paid out of the rents realised from the peasantry. The total rental demand at present is approximately 24 crores."

(यह स्केल केवल कृषि-युक्त भूमि के लिए है, किन्तु जहां तक बंजर भूमि, बाग वाली भूमि, जंगल, चरागाह और आबादी भूमियों का सम्बन्ध है कोई क्षति-पूर्ति न दी जानी चाहिए, केवल नाममात्र के लिये २ रु० एकड़ प्रति देना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के आदेशों का पालन हो सके। इसी प्रकार सीर, खुदकाश्त तथा उस भूमि के विषय में भी जो मध्यस्थ के पास हैं।

इस स्केल के अनुसार राज्य की ओर से जो धनराशि दी जायगी वह लगभग १ अरब रुपये होगी। यह एक ही बार नहीं दी जा सकती। यह प्रायः उस रुपये में से दी जायगी जो लगान के रूप में किसान से वसूल किया जायगा। इस समय कुल लगान की मांग लगभग २४ करोड़ रुपये है।)

तो अगर आचार्य जी अपने लिये, कैबीनेट के लिये, कांग्रेस पार्टी के साथियों के लिये इतने ही पूज्य हैं तो क्या आपने कोई छूट दी किसान को?

बजाय इसके हमारी सरकार १८० करोड़ रुपया जमा करने का इरादा कर रही है।

After the abolition of the zamindari system we must give remission to the tenants to the extent of 4 crores. The collection charges of the rents at 13 per cent, come to 2.6 crores leaving the net total of 174 crores. This is accounted for as follows :

Government revenue at present realised ...	7	crores
Loss of revenue from stamps, court fees and registration. ...	2	,,
Improvement of Agriculture ...	4	,,
Balance left in the hands of the Government	4.4	,,
TOTAL	17.4	crores

Thus we are left with Rs. 4 crores approximately. To this we can add another Rs. 4 crores which we shall realise as rents from the *sir* and *Khudkasht* land of intermediaries and the tenants settled on the new lands. This will enable us to pay Rs. 8 crores per annum to the expropriated zamindars. We are of the opinion that all amounts of compensation up to Rs. 1000 to be paid in a lump sum in the very first year and the rest be spread over 15 years. In order to meet the amount payable in a lump sum the Government has to raise loan.

[श्री रोशन जमा खां]

Besides the superior and inferior proprietors the following classes of intermediaries should also be compensated :

(1) Permanent tenure holders;

(2) Tenants holding on special terms in Avadh ; and

(3) Occupancy tenants

जमींदारी प्रथा के विनाश के बाद हमें किसानों को ४ करोड़ तक की छूट देनी चाहिए। लगान के इकट्ठा करने का खर्चा १३ प्रतिशत के हिसाब से २.६ करोड़ होता है जिसमे कुल योग १७.४ करोड़ सम्मिलित नहीं है। इसका लेखा इस प्रकार है—

सरकारी कर जो इस समय वसूल हो चुका	.. ७ करोड़
स्टाम्प, कोर्ट फीस और रजिस्ट्रेशन के न्यून कर	.. २ करोड़
कृषि का सुधार ..	.. ४ करोड़
सरकार के हाथ मे शेष रकम .	.. ४.४ करोड़
कुल योग	.. १७.४ करोड़

इस प्रकार हमारे पास प्रायः ४ करोड़ रुपये है। इसके साथ ४ करोड़ और भी जोड़ दिये जायंगे जो हम मध्यस्थों की सीर और खुदकाश्त भूमि से नवीन भूमि वाले किसानो से वसूल करेगें। इससे हम भूतपूर्व भूमि मालिक जमीदारों को प्रति वर्ष ८ करोड़ रुपये दे सकेंगे। हमारी सम्मति है कि १,००० रु० तक क्षतिपूर्ति की धन–राशि पहले वर्ष एक मुश्त दे देनी चाहिए और शेष १५ वर्षो मे विभक्त कर दी जाय। इस एक मुश्त रक़म को देने के लिये सरकार को ऋण लेना होगा।

छोटे और बड़े जमींदारों के अतिरिक्त निम्नलिखित मध्यस्थों को भी क्षति–पूर्ति मिलनी चाहिए:—

(१) स्थायी खातेदार,

(२) किसान जिन्हे अवध में विशेष शर्त पर जोत मिली है, और

(३) साधिकार (आकूपेंसी) किसान।

यह सारा बयान है जो आचार्य जी ने उस वक्त यानी सन् १९४७ ई० मे दिया था। उसके पढ़ने से बहुत सी बातें साफ साफ मालूम होती हैं एक तो यह कि आचार्य जी को यह कह कर बदनाम करना कि वह मुआवजे के उसूल को तस्लीम कर चुके थे महज गलत है। वह खुद कहते है कि जमींदारों को न तो मुआविजा पाने का हक है और न कानून और अखलाक के बमूजिब देना चाहिए। लेकिन मजबूरी यह है कि हमारा मुल्क गुलाम है और हम मजबूर हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट की दफा २९९ को नहीं बदल सकते। इसलिये मुआवजा देना जरूरी है। इस मजबूरी की हालत मे उन्होंने इस उसूल को तस्लीम किया था। फिर भी उन्होंने कुछ उसूल रखे हैं एक तो यह कि जायदाद की बिना पर किसी को मुआवजा पाने का हक नहीं है। चुनांचे साफ साफ कह दिया है कि किसी शख्स को पांच लाख रुपये से ज्यादा मुआवजा पाने का हक नही है। इस उसूल को सोशलिस्ट पार्टी तस्लीम करती है और यह कहती है कि एक लाख रुपये से ज्यादा किसी को मुआवजा नहीं देना चाहिये। इस कानून में इस उसूल को भी खत्म कर दिया गया है। जो मौजूदा कानून है उसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी शख्स को एक सीमा तक मुआवजा दिया जायेगा। इससे ज्यादा नहीं दिया जायगा। दूसरा उसूल यह है कि इस मुआवजे का बार किसानों पर नहीं पड़ना चाहिये उन्होंने साफ साफ यह कह दिया था कि अगर इसी तरह से देना है तो साल ब साल ८ करोड़ रुपया जो किसानों का लगान है उससे अदा

कर सकते हैं लेकिन हमारी सरकार बहादुर आज क्या कर रही है ? यह तो आप सब लोगों को मालूम ही है। वह तो यह कहते थे कि २४ करोड़ में से कुछ तो ग्रामों की तरक्की के लिये छोड़ दें और कुछ वह मालगुजारी की शक्ल में ले लें और कुछ रूपया किसानों से लेकर जमींदारों को अदा कर दें। आजकल जो लगान है उसका एक तिहाई हिस्सा लें ले। लेकिन मौजूदा सरकार इस बिल के जरिये क्या कर रही है। वह कहती है कि हम मौजूदा लगान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है।

इस मौके पर मैं सब्स्टैन्शियल जमींदारों का जो खौफ़ तारी ह उसका जिक्र करता हूं। सरकार हमारी कहती है कि क्योंकि इन सब्स्टैन्शियल जमींदार साहबान को मुआविजा अदा करना है लिहाजा तुम १० साल का लगान पेशगी अदा कर दो। इस हकीकत को मानते हुए भी कि हमारे सूबे में ८५ फीसदी से ज्यादा ऐसे किसान बसते हैं जिनके पास खाने भर को भी पैदा नहीं होता उनसे यह मतालबा करना कि १० साल का लगान अदा करो कहां तक इंसाफ पर मबनी है इस पर आप खुद ही गौर फरमायें। आप तो सारा बार किसानों पर डाल रहे है आचार्य जी अपने बयान में किसानों पर कोई बार नहीं डाल रहे हैं। वह कहते हैं कि अगर मजीद रुपया देना भी है तो सरकार कर्जा ले लेकिन आप क्या कर रहे हैं। आप तो किसानों का गला दबा रहें हैं। उनसे आप १० साल का लगान देने को कह रहे हैं जिससे आप जमींदारों को मुआविजा देंगे।

आचार्य जी ने यह जो बयान दिया उसकी बिना पर यह कहना कि उन्होंने जमींदारों को मुआविजा देने के उसूल को तसलीम किया गलत है। उन्होंने १०० करोड़ रुपया मैक्जीमम एमाउंट देने को कहा, सोशलिस्ट पार्टी ने ५० करोड़ कहा लेकिन आपकी सरकार ने किसी भी मैक्जीमम एमाउंट को नहीं माना, हां सरकार कहती है कि जितना भी हिसाब लगाने से आ जाये वह दिया जायगा। तो ऐसी सूरत में मैं यह अर्ज करूंगा कि जो तीन उसूल आचार्य नरेन्द्र देव जी ने ले डाउन किये उनका आपने खून किया। और आपका यह कहना कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी मुआविजे के सवाल को तसलीम कर चुके हैं, महज ग़लत है। थोड़ी देर के लिए आइये हम आपकी खातिर, रामकुमार जी के खातिर, वजीर माल साहब के खातिर, कांग्रेस की बेन्चेज पर बैठे हुए दोस्तों की खातिर माने लेते हैं कि आचार्य जी ने तसलीम किया था। वजीर आजम साहब और वजीर माल साहब सरकार की पूरी मशीनरी अपने क़ब्जे में रखते हुए जिस रिपोर्ट को बनाने में उन्हें ३ साल लगे हों, उस रिपोर्ट की बुनियादों से हट कर उन्होंने यह क़ानून जुलाई में बनाया और अब जो मजीद ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में यह क़ानून आया, उसमें भी आपने तरमीमात कर दीं। क्या वजरा को इस बात का अख्तियार है ? वजीर आजम साहब पिछली कौंसिल में अपोजिशन के लीडर थे, वह तो बहुत पुराने काम करने वाले हैं, वह तो अपनी राय वक्तन फवक्तन बदल सकते हैं लेकिन अगर आचार्य नरेन्द्र देव जी अपनी राय बदल दें तो एक जुर्म करार दे दिया जाता है, उसका एक मखौल उड़ाया जाता है। क्या यह तरीक़ा अख्तियार करके आपने अपना मजाक नहीं उड़ाया ? जब जुलाई के सेशन में कांग्रेस की तरफ से हमारे वजरा साहब ने और दूसरे कांग्रेसी दोस्तों ने आचार्य जी का नाम बराबर लिया तो उन्होंने एक मजमून लिखा जो किताब की शक्ल में छप चुका है और जो पैम्फलेट की शक्ल में भी छप चुका है और वजीर माल साहब ने गालिबन उसे देखा भी होगा। उसमें उन्होंने आखिर में यह कहा है कि अगर हमारी बुद्धि पर इतना ज्यादा भरोसा है तो जरा थोड़ा सा और भरोसा ज्यादा कर दीजिये और जो कुछ मैंने कहा था अगर वह उसूल आप सरासर मान लें तो अब भी मैं सोशलिस्ट पार्टी से खुशामद करूंगा कि आप मेरी राय अपना लें। लेकिन यहां तो यह है "मीठा मीठा हप, कड़वा कड़वा थू।" जिस चीज के माने किसी हद तक सरकार के माफिक लगाये जा सकते हैं उसे तो सरकार तसलीम करने को तैयार है, मगर पूरा का पूरा बयान तसलीम करने को तैयार नहीं है। यह कोई तरीक़ा नहीं है। न इसको दलील का कोई तरीक़ा बताया जा सकता है। जहां तक सोशलिस्ट पार्टी का ताल्लुक़ है उसको आचार्य जी की राय को, बदलने का हक़ था। सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार जो अपनी राय जमींदारी के मिटाने और मुआविजा

[श्री रोशन जमां खां]

देने के बारे में दी वह जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट छपने के बाद दी। और अव्वल वक्त से कह दिया एक लाख से ज्यादा किसी को मुआविजा नहीं दिया जा सकता है और पांच करोड़ से ज्यादा कुल मुआविजा नहीं दिया जा सकता है। इसमें कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप कहें कि आचार्य जी अपने बयान से हट गये या सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी राय बदल दी। राय बदलना हमारे लिये और आपके लिये, हालात के बमूजिब हमेशा मुनासिब है। लेकिन सवाल यह होता है कि जो राय में या आप तब्दीली कर रहे हैं वह कहां तक सही है। जैसा मैंने अर्ज किया आचार्य जी का इस बारे में बारबार नाम लेना और यह कहना कि वह कांग्रेस और सरकार की स्कीमों की ताईद करते हैं, सरासर गलत है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या मैं आनरेबिल मेम्बर से एक सवाल पूछ सकता हूं? जमीन के मालिक किसान हों या सरकार, इसको जरा साफ कर दीजिए।

श्री रोशन जमां खां--जहां तक सरकार के जमीन का मालिक होने का ताल्लुक है अगर आपने इस बिल को पढ़ लिया होता तो बहुत अच्छा होता। मैं उस दफा को पढ़ कर ऐवान का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता जिसके जरिये से खुद इस बिल में इस बात को कहा गया है कि जिस दिन जमींदारी मिटाने का नोटिफिकेशन जारी होगा उसी दिन जमीनों के सारे राइट्स और इंटरेस्ट्स सरकार के हो जायंगे। उसके बाद इस बिल में उसूल है कि उसके बाद सरकार कुछ लोगों को अधिकार देती है। जहां तक सोशलिस्ट पार्टी का सवाल है, मैंने सुबह अर्ज कर दिया था कि "दि टिलर आफ दि स्वायल शुड बी दि मास्टर आफ दि लैंड ही कल्टीवेट्स।" जमीन जोतने वाला ही उस जमीन का मालिक हो जिसे वह जोतता है। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा वजाहत की क्या जरूरत है।

माननीय माल सचिव--मैं आपके जरिये से प्रार्थना करता हूं कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने जो कहा है, वह कह दें।

श्री राजाराम शास्त्री--मैं यह चाहता हूं कि सरकार की तरफ से आचार्य जी के बयान को छपवा कर भवन में बटवा दिया जाय।

माननीय माल सचिव--मैं आपकी इजाजत से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको आचार्य नरेन्द्र देव जी के बयान के उस हिस्से को जो इस प्वाइंट पर है कि जमींदारी अबालिशन होने के बाद किसानों को प्रोप्राइटरी राइट्स दिये जायं या न दिये जायं, पढ़ने में कोई गुरेज है?

श्री रोशन जमां खां--मुझे तो उस बयान के किसी लफ्ज से गुरेज नहीं था चुनांचे मैंने पूरा बयान पढ़ दिया और वह चीज जो मैंने पढ़ी थी उसके बारे में आप इस बात का भी ख्याल रक्खें कि जब कांग्रेस बेंचेज पर बैठे एक साथी श्री रामकुमार जी ने खुद यह मतालिबा किया कि आचार्य नरेन्द्र देव जी ने सन् १९४७ ई० में जमींदारी अबालीशन कमेटी के सामने क्या कहा था। आप सोशलिस्ट पार्टी के बयान को और आचार्य जी के बयान को जो मैंने यहां पढ़ा है और जो सोशलिस्ट पार्टी के एलानात हो चुके हैं उसको मिला देते हैं। हमने सोशलिस्ट पार्टी के एलान में साफ साफ कह दिया है कि टिलर आफ दि स्वायल शुड बी दि मास्टर आफ दि लैंड ही कल्टीवेट्स। जमीन जोतने वाला ही उस जमीन का मालिक हो जिसे वह जोतता है उसके बाद यह सवाल उठता नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र--ओनर या मास्टर।

श्री रोशन जमां खां--डिक्शनरी देखिये या किसी टीचर से पूछिये कि ओनर और मास्टर में क्या फर्क होता है।

डिप्टी स्पीकर--आप मुझको ही मुखातिब करते रहें। मुझे अफसोस होता है कि जब आप मुझे छोड़ कर दूसरे को मुखातिब करने लगते हैं।

श्री रोशन जमां खां--आचार्य जी के बयान को (जिसे कांग्रेस के दोस्तों ने बहुत बड़ा दर्जा दिया है मैं कहूँ हदीस कुरान या गीता के बराबर पढ़ा है) पढ़ने के बाद क्या उन्होंने, आचार्य जी ने कांग्रेस अग्रेरियन कमेटी के सामने जो गवाही दी है उसको भी पढ़ा है? उसको क्यों बिलकुल भूल जाते हैं और उसका जिक्र तक नहीं करते। मैं उनसे निहायत अदब के साथ कहूँगा कि वह उस गवाही को देखें और उस बयान को भी देखें और जब उसमें आचार्य जी ने बार-बार यह कह दिया कि मैं वह मुआविजे के उसूल को नहीं मानते तो फिर किसी साहब को यह हक नहीं है कि वह यह कहें कि उनको अपनी राय बदलने का हक़ नहीं है।

जनाबवाला इसके बाद एक बड़ा भारी सवाल यह पैदा होता है कि मुआविजे का भार किस पर पड़े। हमारी सरकार मुआविजे के सारे बोझ को सूबे के किसानों पर डालना चाहती है और उसने यह एलान किया कि वह इस सूबे के बसने वालों से, सूबे के काश्तकारों से १८० करोड़ रुपया वसूल करेगी। २ अक्टूबर सन् १९४९ ई० को जब दस गुना लगान की वसूली शुरू की गई उस वक्त जो बयान सरकार की तरफ से दिया गया था वह यह था कि तीन महीने के अन्दर यानी ३१ दिसम्बर तक कुल १८० करोड़ रुपया वसूल हो जायगा और इस सूबे से फ्यूडलिज्म का खात्मा हो जायेगा। मैंने कहते हुये सुना है, इसकी हक़ीक़त को तो वही समझ सकते हैं कि जिन्होंने इस बात को कहा कि कुछ साहबान कांग्रेस में और गवर्नमेंट में ऐसे थे कि जो यह कहते थे कि छः हफ्ते के अन्दर सारा १८० करोड़ रुपया वसूल हो जायगा लेकिन हालत क्या है? ३१ दिसम्बर के अन्दर बहुत फख्र के साथ इस बात का ऐलान किया गया है कि १२ करोड़ रुपया वसूल हो गया। कहां १८० करोड़ और कहां १२ करोड़ और उसमें भी बहुत कुछ फर्जी रकमें दिखाई गई हैं।

माननीय माल सचिव--क्वेश्चन (गलत)--

श्री रोशन जमां खां--फर्जी रक़म का आप हवाला चाहते हैं तो मैं जनाब वज़ीर माल साहब से आपके तवस्सुत से कहना चाहता हूँ कि मेरी तक़रीर के लम्बे होने की सारी जिम्मेदारी आपके दोस्तों पर है, वे सवाल पर सवाल कर रहे हैं। मैं सवालात के जवाबात देने से नहीं घबराता, बोलने के लिये शाम तक बोल सकता हूँ, ३-४ दिन बोल सकता हूँ; लेकिन मुझे इसके लिये मुजरिम न ठहराइये।

एक सदस्य--फर्जी जवाब न दें?

रोशन जमां खां--

फर्जी इस तरह से है कि मसलन एक खाते वाले ने, जिसके खाते का लगान २० रुपया है, दो रुपया जमा कर दिया तो यह मान लिया गया कि कुल लगान जमा हो गया और इसी तरह से २० रु० जमा समझ लिया गया है। मैं तो कहता हूँ कि जितने नक्शे आपके पास इस सिलसिले में हैं वे सब फर्जी हैं, सब ग़लत हैं। एक चीज आपने और की है कि जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, केन सोसाइटीज हैं उनसे एक प्रस्ताव यह पास कराया गया है कि जो रुपया उनके पास किसानों का है वह उससे दस गुना लगान अदा कर दें। यहां तक किया गया है कि एक एक खाते में चार-चार आदमियों ने रुपया जमा किया है। इस तरह से यह १२ करोड़ की रक़म ऐसी है जिसमें से बहुत ज्यादा रक़म वापिस करनी होगी क्योंकि वह क़ानून के बमूजिब आपके पास रह नहीं सकती। सही मानों में जो सही काश्तकार हैं उन्होंने रुपया अभी तक जमा नहीं किया है हालांकि आपकी हुकूमत की दमन की मशीनरी बहुत तेज हो गई है। मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि आपकी जो १० साला लगान जमा करने की स्कीम थी वह बिलकुल फेल हुई है, नाकामयाब हुई है और शायद इससे ज्यादा नाकामयाबी आपको किसी स्कीम में नहीं हुई होगी।

एक सदस्य--इससे आपको खुशी हुई होगी।

जी, हां खुशी है। हम तो इसके मुखालिफ हैं ही और इसको नाकामयाब बनाना चाहते हैं। उसकी नाकामी का नमूना अभी इस बिल में मौजूद है, जिससे कि हमारे लायक़ कांग्रेसी दोस्तों को भी इन्कार नहीं हो सकता। वे भी इसको मानते

श्री रोशन जमां खां]

हैं कि रुपया वसूल नहीं हो रहा है। वसूलयाबी की मियाद अब तक ३१ दिसम्बर थी, अब बढ़ा कर वह फरवरी कर दी गई है। उन्होंने फिर यह भी सोचा कि ये जो २५० रुपये से ज्यादा मालगुजारी देने वाले मालगुजार हैं उनके जो काश्तकार हैं उनको फौरी मौरूसी काश्तकारी का हक दे देना चाहिये ताकि वे रुपया जमा कर दें। हम उनके इस ख्याल से बहुत खुश हैं कि उन्होंने मौरूसी काश्तकारी का हक दिया, लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा हूँ वह यह है कि यह तरकीब है जो आपने निकाली है कि उनसे भी रुपया वसूल हो जाय। इसके अलावा जो सबसे बड़ी ज्यादती आपने की है और जो निहायत ही गलत है वह यह है कि जब आपने यह प्रिंस्पुल ले डाउन किया है कि ६। एकड़ से कम वाले खाते का बटवारा नहीं हो सकता तो फिर रुपया वसूल करने के लिये आपने यह भी रक्खा है कि अगर वह चाहते हैं तो जिनका खाता ६। एकड़ से कम है उसका बटवारा भी हो सकता है। क्या आप फिर भी अपनी नाकामयाबी को डंके की चोट पर एलान नहीं कर रहे हैं। क्या आप नहीं बता रहे हैं कि आपकी सारी स्कीम खत्म हो चुकी है, नाकामयाबी रही है और अपनी शर्म मिटाने के लिये आप सारी कोशिश कर रहे हैं। दस साला लगान वसूल करने के लिये आपने यह भी बेहूदगी की है कि अपना दमन चक्र जोरों पर चला रहे हैं। जो बन्दूक वाले हैं, आर्म्स वाले हैं, उनको बुला कर आपके डिप्टी कलेक्टर साहब कहते हैं कि अपना दस साला लगान दो जवाब मिलता है कि मैं तो जमींदार हूँ, मैं तो काश्तकार नहीं हूँ, मुझको दस सालाना लगान नहीं देना है, तो उनसे कहा जाता है कि अगर नहीं देना है तो वसूल कराइये। वे कहते हैं कि उनका कोई जोर नहीं है, वह शहर में रहते हैं, देहात उनके असर में नहीं हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका लाइसेंस रख लिया जाता है। आप १५ दिन के बाद आइये और बताइये कि आपने कितना वसूल करवाया। क्या जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत में हो रहा था, जिस तरह से वार फंड जमा कराया जा रहा था उसी तरह से आपकी हुकूमत इस दस साला लगान को वसूल नहीं कर रही है। फिर जाब्ता फौजदारी की दफा १०७ और ११७ क़ायम रहे उसका भी इस्तेमाल निहायत आजादी के साथ हो रहा है।

एक सदस्य—क्या इनकी कोई मिसाल है।

माननीय माल सचिव—मिसाल बता दीजिये।

श्री रोशन जमां खां—हमारे जिले में मौजा हरकिशुन है उसमें १० गुना लगान जमा नहीं हुआ तो वहां एक आदमी ने दूसरे आदमियों के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखाई कि फलां फलां आदमी रात को बैठे हुये यह कह रहे थे कि लगान मत दो।

एक सदस्य—मैं नाम जानना चाहता हूँ कि किसके खिलाफ रिपोर्ट दी गई।

श्री रोशन जमां खां—नाम आप अपने आफीसर्स से पूछ लीजिये और वह तो जनाब की कान्स्टीटुएन्सी का ही है।

एक सदस्य—क्या वही जहां पटवारी मारा गया था?

श्री रोशन जमां खां—किसी गांव म नहीं मारा गया। आप गलत कह रहे हैं।

डिप्टी स्पीकर—मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि आप दूसरी तरफ तवज्जुह न दें।

श्री रोशन जमां खां—कांग्रेस की बेंचों में खलबली मच जाती है जब मैं कोई बात बताता हूँ और चारों तरफ से शोर होने लगता है।

डिप्टी स्पीकर—हर एक आदमी अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहता है लेकिन आप मुझ ही तक तवज्जह रखिये।

श्री रोशन जमां खां—जहां तक आपके डिप्टी कलेक्टर्स का सवाल है, अव्वलन में जब कोई मुक़दमा पेश होता है।

एक सदस्य--कहा होना चाहिये ?

श्री रोशन जमां खां--जब मुकदमा पेश होता है तो मुकदमेबाजों से सवाल होता है कि आपने १० गुना लगान जमा किया है या नहीं। और जब तक आप रुपया जमा नहीं करेंगे रोजाना मुकदमे की पेशी होगी और मुकदमा फैसिल नहीं होगा। तहसीलदार साहब तलबगंज ने कई अर्जी नवीसो की मुअत्तली का आर्डर दे दिया और कहा कि आपने १० गुना रुपया क्यों नहीं जमा किया ? वह तहरीरी असली हुक्म मेरे पास है, अगर माननीय वजीर माल साहब या दूसरे कांग्रेसी दोस्त उसे देखना चाहें, तो मैं वह पेश करने को तैयार हूँ।

एक सदस्य--वह आपके पास कैसे है, वह तो अर्जी नवीसों के पास होना चाहिये ?

श्री रोशन जमां खां--इसमें सबसे बडा सवाल यह है कि इन अर्जीनवीसों ने यह लिखा कि उनके नाम मे कोई खाता नही है और यह इल्जाम लगाना कि रुपया जमा नही किया गया है, बिलकुल गलत है। यह इल्जाम लगाना निहायत जुल्म है। अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी मैंने इसका जिक्र किया, लेकिन मैं देखता हूँ कि उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज गवर्नमेंट अपने बनाये हुये कानून को, असेम्बली के बनाये कानून को खुद तोड़ रही है। कानून के बमूजिब इस रुपये के जमा कराने मे आपकी गवर्नमेंट मुजरिम है। आपको उसके लिये सजा मिलनी चाहिये। अभी पूरक बजट तो आया नहीं। मैं तो बहुत सी आशायें लेकर आया था कि सप्लीमेंटरी बजट देखने को मिलेगा उसमें देखा जायगा कि इस दस गुने लगान को वसूल करने के लिये किन-किन मदों से रुपया दिया जा रहा है।

मेरी मालूमात यह है कि प्राविंशियल कांग्रेस कमेटी को बहुत अच्छी खासी रकम दी गयी है।

एक सदस्य--कितनी ?

श्री रोशन जमा खां--गालिबन ५० हजार और आपने सरकारी सवारियो का जिस तरह गलत इस्तेमाल इस बारे में किया है वह भी बहुत ही काबिले मलामत है। यह हमारे दोस्त बहुत जोर से शोर करते हैं। जरा लखनऊ के उन कांग्रेसी दोस्तों के बयानात को पढ़िये जो कहते हैं कि १० गुना लगान की वसूली में जो इम्दाद सरकारी सवारियों या रुपया-पैसा से कांग्रेस वालों को की जा रही है उससे कांग्रेस वाले अपनी दलबंदी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जादू वह है जो सिर पर चढ़कर बोले। आपके बीच में बैठे हुये, आपके अंग बने हुये लोग जब एसी बातें करते है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि दमन चक्र नही है। सुना जाता है कि इस सूबा के कुछ अखबारात ऐसे है, जिनको इस सरकार ने कुछ रुपया दिया है और यह कहा है कि वह दस साला लगान की वसूली की मुआफकत में अगर मजामीन छापें तो उनकी इतनी इतनी कापियां खरीदी जायेंगी और उनको इम्दाद की जायेगी।

शूगर फैक्ट्रीज से यह कहा जाता है कि जिन काश्तकारों ने १० साला लगान अदा कर दिया है उनके साथ आप रिआयतें करें और आपके यहां उनका जो रुपया है उसको आप दस साला लगान के अदा करने मे मुजरा कर दें। गन्ने के दाम में जो कटौती होती है उसके लिए एक बात यह कही गयी है कि अगर कोई किसान यह कहे कि हम दस साला लगान देना चाहते हैं तो उसके लिए यह आसन पैदा की जाय कि यह दो आना की कटौती जो बाद में अदा होती वह आज ही अदा हो जाय।

इसके अलावा पटवारियों की तनख्वाहे रोकी गयी और उन तनख्वाहों को रोक करके उनको १० साला लगान की वसूली में लिया गया। तकावी का रुपया एक तरफ कागज पर लिखा जाता है कि फलां किसान को दिया गया लेकिन उसी जगह दूसरा क्लर्क यह लिख लेता है कि हमने दस साला लगान में वसूल पाया। तकावी का कानून इस तरह का नही है कि उस रुपया को दस साला लगान की वसूली मे लिख लिया जाय। अगर आप ऐसा करते है तो आप ही अपने कानून का उल्लंघन करते है।

माननीय माल सचिव--आपकी इजाजत से मै अपने लायक दोस्त से पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा काश्तकार है किस जिले मे, किस तहसील मे, किस मौजे मे जिसकी तकावी उसके दस गुना लगान मे जमा की गयी है।

श्री राजाराम शास्त्री--जब मिनिस्टर साहब यह पूछते है कि ऐसे आदमी का नाम बताया जाय, तो क्या वह इस बात की गारंटी कर सकते है कि जब हम ऐसा मामला पेश करे तो वह उनके नीचे के कर्मचारी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगे?

श्री रशान उमा खां--जनाब वाला हमारे जिले मे आम तौर पर ऐसा किया गया है, और दूसरे जिलों से भी ऐसी इत्तलाआत आई है। हमारे वजीर साहब उन लोगों का नाम जानना चाहते है जिनका तकावी का रुपया दस साला लगान मे वसूल कर लिया गया है लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि अंग्रेजी हुकूमत की मशीनरी जिस कदर दमनात्मक थी उससे ज्यादा दमनात्मक आज उनकी मशीनरी है। अगर वह काश्तकार शिकायतें करे तो उसका घर मे रहना मुश्किल हो जायेगा। मै इस मौके पर जिला बिजनौर की धर्मपुर फैक्ट्री का जिक्र करना चाहता हूं।

धर्मपुर शुगर फैक्टरी के किसानों को जब यह एहसास हुआ कि उनका रुपया दस साला लगान मे ले लिया जायगा तो वहां की सोशलिस्ट पार्टी के कारकुनों ने किसानों को समझाया और किसानों ने यह तय किया कि अब हम गुड़ बनायेगे और अपना गन्ना शुगर फैक्टरी को नही देगे। तो उसका जवाब सरकार की तरफ से यह दिया जाता है कि सरकार ने सोशलिस्ट पार्टी के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मगर उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि वहां पर गन्ने वालों ने हड़ताल कर दी और मजबूर होकर सरकार को सोशलिस्ट पार्टी के कारकुनों को छोड़ना पड़ा और यह धांधली जो सरकार करने वाली थी उसको सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चलने नहीं दिया। आज भी मुझे एक इत्तिला दी गयी है और वह यह है कि बाराबंकी जिले के बुढवल मिल मे इस बात का इन्तजाम किया गया है। आपके डिप्टी कलक्टरों और आफिसरों ने इस बात का इन्तजाम किया है कि जो लोग दस गुना लगान देकर भूमिधर बन गये है उनकी गाड़ी वजन करके उनको दाम दे दिया जाय और जो नहीं बने है उनको न दिया जाय। यह क्या है? क्या यह जुल्म नहीं है? क्या यह दमन नहीं है? क्या यह बेइंसाफी नहीं है? क्या यह कानून का तोड़ना नही है? जिस कानून को आपने बनाया उसी को आप तोड़ रहे है? क्या यह कानून की तौहीनी नहीं है? मै यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जालिमाना कानून और जालिमाना बर्ताव करने के बावजूद भी करीब तीन महीने में सिर्फ १२ करोड़ ही १८० करोड़ मे से आप वसूल कर पाये है जो आपके लिये बायसे शर्म है और सोचने का मौका है। आपको इसके ऊपर सोचना चाहिये और इस गलत स्कीम को, इस गलत योजना को छोड़ देना चाहिये। आपने जो दस साला लगान वसूल करने का यह कानून बनाया है वह सरकार की डिलेइंग टैक्टिक्स (विलम्बकारी चालाकियां) ही मालूम होती है। सरकार यह चाहती है कि जितनी भी देर जमींदारी मिटाने के कानून में हो सकती हो की जाय और इसीलिये आपने दस साला लगान की वसूली का ढोंग रचा है और यह बात इससे भी साबित होती है कि सरकार देर करना चाहती है, वह यों कि आज भी जब कि बिल ज्वांयट सेलेक्ट कमेटी से वापस आया है तो उसमे भी कोई निश्चित तारीख मुकर्रर नहीं की गयी है। किस तारीख से सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो जायगा। न आप इस सूबे से जल्दी जमींदारी को खत्म करना चाहते है और न पूरे सूबे में एक साथ आप जमींदारी को मिटाने जा रहे है। तो यह डिलेइंग टैक्टिज नहीं है तो और क्या है? और अगर आप इस तरह से जमींदारी मिटाने के कानून मे देर करना चाहते है तो फिर आपका यह कहना जेबा नही देता कि आप जमींदारी मिटाने के लिये बहुत ज्यादा उत्सुक और ख्वाहिशमन्द है।

अब इस दस साला लगान की वसूली के बारे मे मुझे कुछ चन्द बातें और कहना है। मै आनरेबिल वजीर माल साहब के एक वक्तव्य का जिक्र करूंगा। रायबरेली जिले मे एक जगह हमारे वजीरे माल साहब के बहुत कुछ दरिया और समुद्र पार करते हुये पहुंचे और वहां आपने कहा कि किसानों, दस साला लगान तुम लोग अदा कर दो, हमें अदा कर दो, कांग्रेस सरकार को

अदा कर दो और सोशलिस्ट पार्टी के आने पर वापस मांग लेना। रिफंड क्लेम कर लेना। म आनरेबिल वजीर माल साहब मे पूछना चाहता हूं कि ये बाते जो अखबारो मे छपी थी क्या ऐसा उन्होंने कहा था या नहीं? क्या ये बाते सही नहीं हे?

माननीय माल सचिव--जी, बिलकुल सही है।

श्री रोशन जमां खां--उन्होने मिसाल ही नही बल्कि दलील भी दी कि जिस तरह से सन् १९४२ ई० मे अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कुछ जुर्माना कांग्रेसी लोगों से वसूल किया था और बाद मे जब हमारी कांग्रेस सरकार आई तो उसने सब को वापस कर दिया।

अब जरा आप इस बुलन्द ख्याली पर ख्याल फरमाये कि एक जम्हूरी हुकूमत का वजीर कह रहा है और वह वजीर कह रहा है जो इस बिल का स्पान्सर करने वाला है। क्या वजीरे माल का मतलब यह है कि इस सूबे के रहने वाले यह समझें कि आप जनता पर उसी तरह से यह जुर्माना कर रहे है जिस तरह से अंग्रेजी सरकार ने सन् १९४२ ई० मे किया था। जब किसी पार्टी की सरकार अपनी पालिसी की वजह से कोई गलती करती है और उसकी मुखालफत दूसरी पार्टी किया करती है तो वह पार्टी किसी तरह से सरकार की गलती की जिम्मेदार नहीं हुआ करती। क्या इस वक्त आपका वही दर्जा है जो सन् १९४२ ई० मे अंग्रेजों का था और क्या अब यह जो दस साला लगान वसूल किया जा रहा है यह कोई जुर्माना है? क्या सोशलिस्ट पार्टी का और आपका वही ताल्लुक है जैसा कि आपका सन् ४२ मे अंग्रेजों के साथ था? अगर यह बात हो तो मै मान सकता हूं वरना आपको इस पर गौर करना चाहिये। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस बेंचों पर बठने वाले दोस्त वजीर माल से कोई सवाल इसके बारे मे नही पूछते कि वह इस तरह की बाते क्यों कहा करते है जो निराधार है।

जनाब वाला, दस साला लगान की वसूली बहुत बुरी तरह से नाकाम हुई है और इस स्कीम का जो अभी तक नतीजा रहा है उससे तो एक समझदार सरकार को यह सबक लेना चाहिये कि वह इस स्कीम को खतम कर दे, छोड़ दे और जमींदारी को खतम करने के लिये कोई दूसरा प्रयत्न करे। और अगर इस चीज का हिसाब लगाया जाये कि १२ करोड़ रुपया तीन महीने मे वसूल हो सका है तो १८० करोड़ रुपया के वसूल करने मे ४५ महीने लग जायगे। तीन साल से कम मे तो यह वसूल नहीं होगा। मान लीजिये कि आपने अपना दमन चक्र तेजी से चलाया तो साल भर तो कम से कम इसमे लग ही जायगा। जब कि जैसा पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि अगली सर्दियों मे चुनाव होने वाला है यह स्कीम आपकी धरी रह जायगी और मुमकिन है कि यह स्कीम बिला पूरी हुए ही रह जाये और सरकार अपनी गद्दी से हट जाय। आप ऐसी बाते करते है। बहुत जल्द चुनाव होने वाले है, पता नहीं कि क्या हो। आप ४० साल के हिसाब की बाते करते है, दो साल की बाते करते है और साल भर का इन्तजाम करते है। यह चीज बिलकुल नामुनासिब है। आपको इस चीज को वापस लेना चाहिये। आप यह चाहते है कि सूबे के लोगों को कशमकश मे रखे उनको गैर यकीनी हालत मे रखे। अगर आप इसको अपनी वोटों को मजबूत करने का तरीका ही बनाना चाहें तो इसकी बात दूसरी है।

जनाब वाला, मुझे कहना तो बहुत कुछ है। मैने काफी वक्त ऐवान का लिया है। मुझे जब दूसरी रीडिंग के वक्त मौका मिलेगा तो मै और बाते कहूंगा। इसलिये मै अब अपनी तकरीर को खतम करना चाहता हूं लेकिन चन्द बाते आखिर मे अपने दोस्तों से जरूर कहना चाहता हूं और वह यह है कि आप जो कानून बना रहे है उस कानून से गरीबों की गरीबी और मजबूरों की मजबूरी दूर नहीं होती है।

उससे मालदारों को फायदा हो सकता है और गरीब किसानों और खेती करने वालों का कोई फायदा नहीं है और मौजूदा समाज की जो बुनियाद है उसमे कोई तबदीली नहीं होती है। लिहाजा आपको समझदारी से काम लेना चाहिए और दोबारा गौर करना चाहिए और जिस तरह से आप यह मौजूदा बिल लाए है उसको बदलने की कोशिश कीजिए ताकि यह काम सही बुनियादों पर हो सके और जमींदारी मिटाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाइए और ज्यादा देर न कीजिए वर्ना इससे सूबे के लोगों का और गरीबों का ज्यादा नुकसान होगा।

श्री राम कुमार शास्त्री--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो जमींदारी उन्मूलन बिल विशिष्ट समिति द्वारा संशोधित होकर सभा भवन के सामने उपस्थित किया गया है मैं उसका हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं। जमींदारी उन्मलन योजना के संबंध मे हमारी सरकार ने विश्वास मानिए जो अपने प्रान्त की तथा समस्त भारतवर्ष की खास तौर से किसानों की सेवा की है उसका कोई मुकाबला हमारे इतिहास मे अभी तक नहीं पाया जाता है। हम ज्यों ज्यों इस स्कीम को कार्य रूप मे परिणित होते हुए देखते हैं और उसकी रचना की तरफ गौर करते हैं [illegible] [illegible] और साथ ही यह भी विश्वास बढता जाता है कि हमारी सरकार ने जो उत्तम प्रकार का आर्थिक ढांचा बनाने की व्यवस्था की है वह सर्वोत्तम है और वह हमारे हृदय की भावनाओ और आर्थिक विचारो को पूरा करती रहेगी। माननीय सभासद गण ?

डिप्टी स्पीकर--आप स्पीकर को ही मुखातिब करे, यही यहां का तरीका है।

श्री राम कुमार शास्त्री--डिप्टी स्पीकर साहब, मैं रोशन जमा खा साहब के व्याख्यान को जब जब सुनता हूं तब तब मेरे मन पर यह भाव प्रकट होता जाता है कि वह जमीदारी उन्मूलन बिल से कोई ताल्लुक नही रखते है बल्कि वह इस भवन के जरिए से अपने समाजवादी विचारो का प्रान्त मे प्रचार करना चाहते है। उन्होंने जब कमपेन्सेशन (मुआविजा) दस गुना लगान, रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट (पुर्नवास अनुदान) आदि का जिक्र किया तो उसमे उन्होने सिवा इसके कि किस तरह से ज्यादती हो रही है और जुल्म हो रहा है और कुछ नही कहा। जो स्कीम (योजना) इस सूबे में भूमिधरी की रायज हो रही है और जिसका प्रचार प्रान्त के कोने-कोने में हो रहा है और जिसमें हमें काफी सफलता भी मिलती जा रही है उसको हमें हमेशा विशाल हृदयता और अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए और ऐसा ही श्री रोशनजमां खां का भी ख्याल होना चाहिए। वह इस संशोधित बिल की मखौल उडाना चाहते है लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूं कि २८ सितम्बर से रोजबरोज न मालूम हमारे और हमारे साथियों के कितने दिन किसान भाइयों के बीच गुजरे है और उनके द्वारा लाखो रुपया दस गुना वसूल हो रहा है और होता रहेगा। जो सज्जन कहते है कि अलीगढ़ और गोंडा जिले में सरकारी अधिकारियो द्वारा किसानो पर तथा सरपंचों और लाइसेंसी बन्दूको पर ज्यादतियां की जा रही है उनका हमेशा यह भाव और विचार रहता है कि जिस से यहां के बैठे हुये सदस्यों और गैलरी के दर्शक लोगों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़े और वे दूसरी तरफ हो जांय। लेकिन आप विश्वास जानिए कि रोशन जमां साहब कहते कुछ और है और बात वास्तव में कुछ और होती है।

प्रान्त का आर्थिक ढांचा जो बनने जा रहा है उस सिलसिले मे हर एक किसान भाई दिल खोलकर दसगुना लगान जमा करना चाहता है और धूम से भूमिधर बन रहा है। शिकायत इस बात की रोशन जमां साहब करते है कि चीनी की फैक्ट्रियों से किसान रुपया लेते है और खुशी से दसगुने का रुपया नहीं देते है। मै श्रीमान के द्वारा उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी मिसाल वह बता सकते है कि कहां से कर्जा या उधार अथवा दाम लिया जा सकता है और किस आधार पर? अगर किसान भाई के घर रुपया-पैसा संयोग से नहीं है और अपने खेत की ईख तोला कर या बेच कर रुपया लेते है और सरकारी खजाने में जमा करते है तो कौन सी ज्यादती हुई? अगर मिल वाले उनको ईख के खरीदने की सुविधा और दाम तथा उनको भूमिधर बनने में सहायता पहुंचाते है तो क्या गुनाह करते है? अपने देश कीय दि आर्थिक स्थिति सुधारना है तो थोड़ी सी सुविधा उनको मिल गई अर्थात् उनकी गाड़ियां पहले तौल ली जायें या पर्चा के जरिये किसान को रुपया मिल जाय तो क्या यह जुल्म है? इसे ज्यादती आप कहते है। जुल्म का मियार क्या यही है? मै समझता हूं कि श्री रोशन जमां साहब की जितनी

बातें हैं अथवा जितनी उनकी दलीलें हैं वे सब थोड़ी हैं। वह इस स्कीम का वास्तव में मजाक उड़ाना चाहते हैं

श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, खां साहब ने यह भी बताया है कि दसगुना लगान के सिलसिले में बन्दूक के लाइसेंस दिये गये लोगों को धमकाया गया। मैं आपके जरिये उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई जमींदार जिसकी ज्यादती तोड़ फोड़ करने की आदत रही है और वे यदि अपनी जमींदारी के किसानों को दबाना चाहते हैं और जिन्हें लाइसेंस बन्दूक के मिले हैं और बराबर धमकी देते हैं तो क्या उन्हें रोकना चेतावनी देना कि अगर इस प्रकार कार्य करेंगे तो अनुचित होगा क्या यह जुल्म करना है ? उनसे पूछा जाय कि जो बन्दूक दी गई है यदि उसका दुरुपयोग हो तो मनाही नहीं करना चाहिये ? क्या यह ज्यादती हुई ? मैं उनसे पूछूंगा कि शासन कैसे चलेगा ? शासन का क्या ढंग हो सकता है वे ही बतायें। उनको पूछना चाहिये यह बहुत साधारण बात है वह तो तरह-तरह से हमारी जनप्रिय कांग्रेस सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। मैं श्रीमान् के द्वारा उनसे पुनः पूछूंगा कि वह इस प्रकार का प्रश्न उठाकर ज्यादती करते हैं। मेरे मित्र ने यह भी कहा है कि आठ एकड़ का होना ठीक नहीं, साढे छः एकड़ ठीक है। वह तो पढ़े-लिखे वकील हैं। आखिर यहां पर बहुत से साथी बैठे हुये हैं जिन्होंने कानून को खूब पढ़ा है और उनका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री पं० गोबिन्द बल्लभ पन्त की सारी जिन्दगी किसानों के कल्याण में गुजरी है क्या वह आठ एकड़ और ६॥ एकड़ का फर्क नहीं समझते हैं? मैं समझता हूं कि यह सारी बातें सामने रखकर जायज समझा गया है। इससे तो किसानों का कल्याण ही होने वाला है। उन्होंने वह चीज पेश की है जिससे वह खेती में उचित ढंग से लाभ प्राप्त कर सकें। लागत कम लगे और उपज अधिक हो वही खेती लाभदायक होती है। इसी से आठ एकड़ माना गया है। एक हल की जोत हो सकती है आठ एकड़ में। कम छोटे बैलों से हो सकती है। लेकिन १० एकड़ तक एक बड़े बैल-हल से अच्छी तरह जोत सकते हैं। यह कहना मुनासिब नहीं मालूम होता है। सरकार इस बात को समझती नहीं है। राजाराम शास्त्री को यह बात पसन्द होती तो उन्होंने उन रिपोर्टों और बयानात को जिन्हें आचार्य जी ने समय-समय पर दिये थे जनता के सामने उपस्थित किया होता या अखबारों और समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया होता। क्योंकि शिष्य के नाते उनको अधिकार हो सकता है। श्री रोशन जमां साहब इधर-उधर की गड़ी बातों को कहते हैं। तुलसीदास की रामायण की टीका सबको पसन्द नहीं। भाई राजाराम को टीका करने का पूर्ण अधिकार है। हुजूरवाला रोशन जमां खां रिपोर्ट की निचोड़ की बात छोड़ गये। उस रिपोर्ट के किसी कोने में इस बात का भी जिक्र है कि किसान को मालिकाना हक नहीं दिया जायगा। जमीन का स्वामित्व स्टेट के हाथ में होगा। इससे स्पष्ट हुआ कि समाजवादी किसानों को मालिकाना हक नहीं देना चाहते हैं केवल हवा की बातों से गुमराह करके किसानों की सहानुभूति चाहते हैं।

क्या यही इतनी देर तक आप बयान कर रहे थे? क्या इसी लचर बात को सामने रख कर आपने इस हाउस का इतना वक्त बरबाद किया? मैं उनके ध्यान को आर्कषित करना चाहता हूं कि वह मेहरबानी करके ऐसी बातें न कहें। आचार्य नरेन्द्रदेव जी की हमारे जितने भी कांग्रेस में सदस्य हैं कदर करते हैं और उनके पाण्डित्य का सदैव हम सम्मान करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी बात वह कह गये हैं कि जमींदारों को मुआवजा देना चाहिये, उनको मुआवजा देना उचित है तो उसको आपको भी मानना चाहिये। न मालूम कितने जमींदार भाइयों ने अपनी गांठ के रुपये को लगा कर जमीन खरीदी है वे मुआवजा पाने के अधिकारी हैं। हमारे किसान के कंधे इतने जबरदस्त व मजबूत नहीं हैं कि बाजार भाव के भार को वह सह सकें। जो थोड़ा बहुत वह दे सकते हैं उसको दे करके वह जमीन लेगा ताकि वह मुफ्तखोरा न कहलाये। हम चाहते हैं कि जमींदारों को

[श्री रामकुमार शास्त्री]

कुछ अवश्य दिया जाय। माननीय आचार्य नरेन्द्रदेव जी का निश्चित मत उस समय रहा है। चाहे वह गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के जमाने की बात हो उन्होंने इस राय को समझ-बूझ कर दिया है। जमींदारी प्रथा तो उस जमाने से आज तक उसी रूप से चली आ रही है उसमें जरा भी फर्क नहीं हुआ है। इसलिये उनको मुआवजा देना जिसे आचार्य जी कह चुके हैं वह ठीक है और देना चाहिये। उनको तमाम ऐसी बातों को भी याद रखना चाहिये जो देश के लिये शुभप्रद है। आचार्य जी की जो उचित बातें हैं उनको मानना रोशन जमां का कर्त्तव्य है। जमींदारों को मुआवजा देना है। लेकिन जब हम मुआवजा देने की बात करते हैं तो उसमें समाजवादी रोड़ा अटकाते हैं और गांवों में जाकर तरह-तरह की बातें कहते हैं जिससे हमारी यह स्कीम नाकामयाब हो किन्तु इस में विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसान दसगुना देकर भूमिधर बन रहा है।

हुजूर वाला, मुझको अच्छी तरह से मालूम है कि जिस जिले का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां पर इस प्रकार के आदमी नहीं हैं; वहां तो आर० एस० पी० के लोग हैं कम्युनिस्ट हैं और सोशलिस्ट भाई भी हैं। किन्तु इसकी संख्या नाममात्र की है और कुछ प्रभाव भी नहीं है। मुझे उस दिन की बात याद है जब लखनऊ में बड़ा जलूस पहुंचा। मैं भी अपने हल्के में दौरा कर रहा था। बड़ा शोर मचा था कि लखनऊ के शहर में एक बड़ा भारी जत्था सूबे के कोने-कोने से जा रहा है। श्रीमान् बस्ती जिले में मैं रहता हूं उसकी २८ लाख की आबादी है। मैंने भी दौरा करके शुमार करना शुरू किया और अपने भाइयों से पूछा कि आपके यहां से कितने आदमी लखनऊ गये हैं? विश्वास मानिये हुजूर १०-२० आदमी से ज्यादा लखनऊ नहीं आये थे। यह कहना कि किसानों पर ज्यादतियां हो रही हैं गलत है। मेरे वहां कोई ज्यादती नहीं हुई है। सूबे से कितने समाजवादी प्रतिनिधि आये हैं। इसका एक उदाहरण आपके द्वारा भवन के तमाम सदस्यों के सामने उपस्थित करता हूं। वह इस तरह से है कि बस्ती जिले के कलेक्टरेट कचहरी के मैदान के सामने एक जलूस बहुत छोटा जा रहा था जिसमें आर० एस० एस० के लोग रहे, आर० एस० पी० के लोग रहे और कम्युनिस्ट भी रहे। साथ ही दो-चार फुटकर लोग भी थे, ज्यादा से ज्यादा कुल ५० आदमी होंगे। उनका स्लोगन समाजवाद जिन्दाबाद, दसगुना लगान मत दो रहा जहां कहा गया कि दस गुना लगान मत दो उस पर तो उनकी राय मिलती रही लेकिन जब कहा जाता रहा कि समाजवाद जिन्दाबाद तब या दूसरी तरफ से यह आवाज उठती रही कि आर० एस० पी० जिन्दाबाद समाजवाद धोखा है। एक दूसरे दल को कहा जाता रहा कि धोखा है। इस किस्म की अपनी स्थिति तथा चालों को लेकर आप इस प्रान्त की चार-पांच करोड़ जनता को कितने दिनों तक धोखे में रख सकते हैं? इस तरह से आप किसानों को कब तक बर्गलायेंगे? इस तरह किसानों को मुगालते में डाल कर क्या आप किसानों को गुमराह करना चाहते हैं? उन पर ज्यादतियों का जिक्र करके जो ज्यादतियां नहीं हैं, हमारे अहलकारों को बदनाम करना चाहते हैं। मैं बस्ती जिले के कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर्स के साथ कई दिनों तक जिले के कोने-कोने में दौरा करता रहा हूं। लेकिन मुझे एक भी शिकायत इस किस्म की नहीं मिली। मुमकिन है कि कोई छोटी-मोटी शिकायत हुई हो। लेकिन उनके ऊपर कोई टार्चर हुआ हो, मैंने तो देखा और सुना नहीं। मालूम नहीं गोंडे की कचहरी में बैठ करके, उस छोटी सी कोठरी वाले दफ्तर में कहां से उनको ऐसी बातों का पता चलता रहा है। आश्चर्य की बात है। हुजूरवाला मैं समझता हूं कि आपके इस व्याख्यान का मतलब सिवाय विषाक्त वातावरण पैदा करने के और कुछ नहीं है। इससे वह अपने समाजवाद का प्रचार कर जनता को गुमराह करना चाहते हैं विश्वास है जनता अपने भले-बुरे को अच्छी तरह जानती है। उसे गुमराह करने का प्रयत्न असफल रहेगा।

दसगुना लगान जमा करने के सिलसिले में मैं यह जानता हूं कि हमारे लीडर्स ने भी बड़े-बड़े प्रोसेशन निकाले हैं। दो दिसम्बर का वाक्या मैं सदस्यों के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। दो दिसम्बर को एक काफी लम्बा जुलूस जिसमें लगभग ६ हजार आदमी पांच सौ झंडों को लेकरके जिसमें जमींदार उनके जिलेदार और बड़े-बड़े किसान जिनकी मालगुजारी १ लाख, २ लाख और ढाई लाख रुपये की हैसियत है वह बीसों सुसज्जित हाथियों २०-२५ घोड़ों के साथ और झंडों को फहराते हुये बस्ती जिले की बढ़नी बाजार से ले करके इटवा थाना तक पहुंचे और साढ़े छियालिस हजार रुपया एक दिन में उन्होंने खजाने में जमा कर दिया। मैं रोशन जमां साहब के ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं बस्ती जिले की ओर और गोंडा जिले का जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूं। उसे वह सब जानते होंगे मैं बस्ती जिले का जिक्र कर अपना निजी अनुभव बता रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक तहसील में नहीं, हरैया, बांसी डुमरियागंज में २८ दिसम्बर से लेकर ५ जनवरी तक मैं बराबर दौरा करता रहा और मेरे साथ में जमींदार श्रमिक और व्यापारी सभी लोग मौजूद थे। एक भी शिकायत वहां नहीं मिली जैसी वह बयान करते हैं। ३८ लाख रुपया से अधिक अब तक उस जिले से एकत्र हुआ जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां से भी २० लाख या २२ लाख रुपया इकट्ठा हुआ है। किसी किस्म की शिकायतें हमको नहीं मिलीं। आचार्य जी की सारी गाथायें जितनी भी उन्होंने अपनी लेखन तथा वक्तृत्वकला से की हैं क्यों नहीं कोई चीज ऐसी कहीं लिखी हो, उसको उठा करके यहां पर वह रखते हैं ? मुझे तो भय मालूम होता है और आशंका होती है उनके कथन की सत्यता पर। मैं दावे के साथ नहीं कहता कि कुछ बातें छोड़ दी गयी हैं। लेकिन मुझको भ्रम होता है कि उस स्टेटमेंट में भ्रमात्मक बातों को रख करके जनता को और यहां के लोगों को ऐसे भ्रम में डाला जाता है कि हमारी यह जमींदारी उन्मूलन कोष के एकत्र करने की स्कीम कामयाब न हो। यह स्कीम जनता से और सरकार में घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करती है। यह मेरा विश्वास है अगर कोई सरपंच कायदे के खिलाफ कोई काम करता है तो क्या आपकी ही शासन-व्यवस्था में जो शोशलिस्ट जमाने में यदि हो तो गलती करने को क्या आप चेतावनी भी न देंगे ? इसमें दमन-चक्र कहां से हुआ ?

आखिर हम लोग भी तो काम करने वाले हैं। हमारा भी तो सारे प्रान्त में जाल फैला हुआ है और ऐसे वक्त में हमने इस स्कीम को कामयाब बनाया है जिस वक्त हमारे पास कोई फसल नहीं थी उस समय हमने इतना रुपया एकत्रित किया, क्या यह गौरव की बात नहीं ? अगर हमने किसी तरह की ज्यादती की होती जैसा कि साम्राज्यवादी सरकार जो आपकी अंग्रेज सरकार वहां रह चुकी है उसने की थी, तो आज सूबे का किसान हमारे साथ कदापि न होता। उस सरकार ने लोगों का लोटा और थाली तक बिकवाया और लोगों को मुरगा तक बनाया यह सब उन्होंने वार-फंड के लिये किया था। अगर आप कोई ऐसी मिसाल जुल्म की दे देवें तो मैं कह सकता हूं कि हां हमसे कुछ गलती हुई है। आजकल के जमाने में रुपया एकत्र करना कोई आसान बात नहीं है। मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं अपने अहलकारान की कि उन्होंने इस स्कीम को कामयाब बनाया है। जिन पटवारियों के बारे में निन्दा की जाती है मैं उनकी प्रशंसा जोरदार शब्दों में करता हूं और बुलन्द आवाज में। आज १२ करोड़ रुपया जो मिला है, उसमें ज्यादातर उन्हीं लोगों का हाथ रहा है। इसका तो मैं यहां दावा नहीं करता कि उनमें कोई कमी नहीं है लेकिन इस स्कीम को और पंचायती राज्य को सफल बनाने में पटवारियों का जबरदस्त हाथ रहा है इसे मैं तस्लीम करता हूं। इस स्कीम के द्वारा सरकार का जनता से बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध और सम्पर्क रहा है। अब हमको इस दसगुना लगान के सिलसिले में गांव-गांव में भ्रमण करना पड़ रहा है। नये-नये अनुभव हो रहे हैं।

किसानों को हम ऊंचे स्थान पर पहुंचाते हैं जल्द से जल्द दसगुना लगान जमा करके हमें उनको एक ऐसे ढांचे पर लाना है जिससे वह अपने खेतों में

[श्री रामकुमार शास्त्री]

ज्यादा अन्न पैदा कर सके और अपने खेतों पर मालिकाना हक़ पा सके। पंचायतों के बारे में आप जिक्र करके विलेज रिपब्लिक की बात कहते हैं। सुनिए, दुनिया मे अमरीका और रूस तथा अन्य देशों मे डेमोक्रेसी है। लेकिन मैं बड़ी शान के साथ कहता हूं कि जिस तरह की डेमोक्रेसी हमारे यहां होने जा रही है उस तरह की कही और नही हो सकती। हो सकता है कि प्रारम्भ मे कुछ त्रुटियां रह गई हों इसे मैं मानता हूं। जो अपने यहां की सुन्दर व्यवस्था हो रही है उसके लिये शुरू मे कुछ गलतियों का होना स्वाभाविक सा है लेकिन मुझे उसकी सफलता पर काफी संतोष है। श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, जो व्यवस्था पंचायतों की की गई है जिसके बारे मे आप लोग शिकायत करते हैं उसको देखते हुये मैं तो यह कहूंगा कि पंचायतो तथा इस स्कीम द्वारा सरकार प्रान्त के कोने-कोने में गरीब के घर-घर पर अपने प्रतिनिधियों द्वारा पहुंच गई है, हर एक प्रतिनिधि गांवों मे जाता है आला से आला आफिसर वहां जाने मे और उस गरीब की टूटी चारपाई पर बैठने में गुरेज़ नहीं करते। बल्कि जो कुछ वह दे सकता है उसको लेकर सरकारी खज़ाने में जमा कर देते हैं और गरीब-अमीर सब को उत्साहित करते हैं। आप कहते हैं कि न जाने उसमे से कितनी रकम गलत जमा होती है। इससे मन मे आशंका होती है। उसको जो खेत मिला है या जोतता है कहीं उससे चला न जाये इस भय से पहले उसे रखने के लिये जमा करता है वह उसको अपने कलेजे से चिपकाये रखना चाहता है और यह भी चाहता है कि उसकी चप्पा-चप्पा ज़मीन उसके कब्जे में रहे फिर १०, २० और ५० बीघे की तो बात ही क्या है। उसके पास जो थोड़ा बहुत रुपया होता है उसको वह चाहता है कि ऐसी जगह रखे ताकि वह खतरे वाली जमीन चली न जाये और इसके साथ ही साथ जो दखीलकारी यानी मौरूसी ज़मीन होती है उस पर भी वह दसगुना लगान खुशी से जमा करता है। इस पर भी यह कहना कि फरजी रुपया जमा हो रहा है आधार रहित है तथा गलत बात है। ऐसी विकट सूरत में गलत रोक-थाम में जब हम १२ करोड़ रुपया इकट्ठा करते हैं तो बजाय इसके कि हमको दाद दें उल्टे नुक्ताचीनी करते हैं। समाजवादी लोक वेस्टेड इंट्रेस्ट से सहायता लेते हैं। म श्री रोशन जमां खां साहब की तो बात नहीं कहता लेकिन उनके बहुत से कारकुनान मुझे मिला करते हैं। वह लोग ज़मींदारों से ही पैसा लेते हैं और उनको बुरा-भला किसानों के समक्ष कहते हैं और उनके राग मे राग भी अलापते हैं। आज यहां पर कहते हैं कि ज़मींदारी उन्मूलन होना चाहिये और कोई मुआवजा न दिया जाय। वह चाहते हैं कि यहां का आर्थिक ढांचा जो है वह बहुत नीचे दरजे का है जिनके पास ज़मीन न हो उसको हम कहां से दे दें ? कौन सी ऐसी ज़मीन है जिसे हम दूसरे से काट कर उनको दे दें ? जैसे कि सवाल लैन्डलेस लेबर के बारे में है। हम जानते हैं कि हमारा सूबा कृषिप्रधान है लेकिन जो कानून है उसके अन्तर्गत ही हमने चार तरह के ज़मीन के टुकड़े मालिक बनाकर किये है एक भूमिधारी, दूसरे सीरदार, आसामी और अधिवासी हैं। २४ घंटे में कहीं ज़मींदारी हट नहीं सकती है। उनके बड़े नेता जो इस समय जेलखाने में हैं उनका फरमाना था कि २४ घंटे मे वह ज़मींदारी खत्म कर सकते हैं, जिसकी २०० वर्ष से जड़ जमी हुई है। उसे हटा कर हम चाहते हैं कि अनादि काल तक भूमिधर की प्रथा रहे और उसके फलस्वरूप हमारे गरीब किसानों का आर्थिक ढांचा अच्छा मजबूत होता रहे। देर जो होती है उन्मूलन में उसमें आपकी बडी भारी जिम्मेदारी है। आप उन स्टेटमेंट्स वक्तव्यों पर बहस करते हैं जिनके बारे में आपको पता तक नहीं है। इससे आप सभा-भवन का अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते हैं।

अगर हमारे भाई राजाराम जी शास्त्री कुछ जिक्र करते होते तो ठीक होता। काफी समय तक वह भी आचार्य जी के शिष्य रहे और मैं भी रहा। जहां नाजुक वक्त की बात हो, आचार्य जी जो कुछ भी कह रहे हों, उसे खेलाड़ी की भांति मान लेना चाहिये, उसकी मुखालिफत नहीं करना चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब,

मैं रोशन जमा साहब की जो बहुत गलत और लचर दलीलें हैं उनका मैं इन थोड़े लफ्जो के साथ घोर विरोध करता हूँ। जो हमारी जमींदारी उन्मूलन की स्कीम चल रही है और जो सफल हो रही है हर तरफ से, हर कोने पर कुछ समय के बाद हर किसान सूबे का, इसके मुताबिक भूमिधर अवश्य बनेगा, इसमें सन्देह नहीं। इस सफलता से हमें संतोष है और कांग्रेस सरकार को इसके वास्ते हम बधाई देते हैं। आशा है सरकार इसके द्वारा देश, प्रान्त व जिले की ग्रामीण जनता के आर्थिक ढाचे को सुधार कर उत्तम सेवा कर राम-राज्य की स्थापना करेगी।

श्री मुहम्मद यूसुफ--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कोई बड़ी तक़रीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं इस हाउस में बहुत कुछ शोर-गुल कर चुका हूँ। जमींदारी पर जो दिक्क़तें और मुसीबतें आई हैं उनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। हमारे मिनिस्टर साहब और प्रीमियर साहब को उससे पूरी वाक़िफ़यत है। अब तो वक्त यह है कि इसका सवाल नहीं होता आया। जमींदारी एबालिश हो या न हो, वह स्टेज जो खत्म हो चुकी है। अगर हुकूमत चाहती है कि जमींदारी खत्म हो तो खुली हुई बात है कि कोई उसको रोक नहीं सकता। तमाम इख्तिलाफात के होते हुए भी यह अख्तियार उनको है कि जमींदारी एबालिश करें। अगर वह समझती है कि एबालिशन से मुल्क का फायदा होगा, कौम का फायदा होगा, इक्तसादी हालत बुलन्द होगी, हर शख्स खुश होगा तो इन हालात में जमींदारी का एबालीशन जरूरी मालूम होता है।

यह चीज साफ है कि वह स्टेज खत्म हो चुकी कि आया जमींदारी का एबालिशन हो या न हो। अब सिर्फ मसला यह है, कि अगर अबालिशन आफ जमींदारी होती है तो किस शक्ल से होती है, और क्या-क्या चीजें ऐसी हैं जो तरमीम की जाएं जिससे यह बिल एक खूबसूरत बिल बन जाए और हर शख्स के हुकूक की हिफाजत हो सके। यह छोटे जमींदार है, यह बड़े जमींदार है, यह भूमिधर है और यह सीरदार, इस किस्से में पड़ कर अब कोई फायदा नहीं। अब तो अगर जमींदारी जाती है तो हमें देखना चाहिए कि कहां किस तरह से अबालिशन हम फौरन कर सकते हैं जिससे हमारी क़ौम की माली हालत दुरुस्त हो सके। आजादी मिल गयी लेकिन आजादी के लिए यह जरूरी है कि अवाम की माली हालत बढ़े और हर तबका तरक्की करे। यह नहीं कि फलां तबका मैजारिटी में है और फलां माइनारिटी में। यह ताक़त में है और वह नहीं। हमें सारी क़ौम को नुक्तेनिगाह से देखना है। आजादी के जितने फल हैं उन्हें हमें हासिल करना है। अगर आप बेनुल अकवामी दुनिया में एक वर्ल्ड सिटीजनशिप के बेसिस पर इसे कर सकें तो अच्छा है, ताकि दुनिया में शान्ति रहे, दुनिया में तरक्की हो और दुनिया अपनी लफर्काती जंग को खत्म कर दे। और रवादारी की बिना पर मोहब्बत की बिना पर पहले मुत्तफिक़ क़ौम हो, मुत्तफिक एशिया और इंटरनेशनल सिटीजन-शिप हो। एख्लाक, मोहब्बत, लव (प्यार) और ब्रादरहुड (भ्रातृभाव) का तख्युल हो। यह मियार है जो हमारे सामने आता है।

यह जरूर है कि पहले नेशनलिज्म (राष्ट्रीयता) का सवाल आता है, क्योंकि जब तक हम भाई-चारा पैदा नहीं कर लेते और महात्मा गांधी के फिलसफे की बिना पर, समझौते की बिना पर, रवादारी की बिना पर, अक्ल की बिना पर, दिमाग की बिना पर अपने को समझ नहीं लेते हैं, अपनी इक्तसादी हालत को दुरुस्त करने के लिये अपनी तमाम पालिसी और स्कीमों को दुरुस्त करने के लिये, इंटरनेशनल ब्रादरहुड तो आखिरी मक़सद है ही, लेकिन पहले नेशनेलिज्म का सवाल आ जाता है, इसलिये इंटरनेशनल ब्रदरहुड तक पहुँचने के लिये नेशनलिज्म एक जरूरी चीज हो जाती है। हम महात्मा गांधी के फिलसफे को मानने वाले हैं। उसी की बिना पर हम इम्पीरियलिज्म को खत्म करना चाहते हैं, कालो-नियलिज्म को खत्म करना चाहते हैं और उसी की बिना पर हम कहते हैं कि हम तमाम बुराइयां खत्म करने के लिये तैयार हैं और हमें उम्मीद है कि हम दुनिया के तमाम मसलों

[श्री मुहम्मद यूसुफ]

को हल कर लेंगे और एक निहायत बुलंद और खूबसूरत जिन्दगी पैदा कर सकेंगे, लड़ाई, जंग न होने पाये, भाई-भाई न लड़े, तबका-तबका न लड़े, न मजहब की बिना पर झगड़े रह जायं, और न तबके की बिना पर झगड़े रह जायं, ओर न पोलिटिकल इख्तिलाफात की बिना पर झगड़े रह जायं, यह हमारी कोशिश है।

इस बिल में एक चीज यह है कि हमारे मिनिस्टर साहब ने जो इसके इंचार्ज हैं, फरमाया कि हमने इसमें और तरमीमें कर दी हैं जो गालिबन लोगों को कुबूल होंगी। एक तरमीम के मुताल्लिक मैं फौरन अर्ज करूंगा और वह है फिक्स्ड रेट टिनेंट्स के (शरह मुअय्यन काश्तकार) मुताल्लिक कि उनको आपने भूमिधरी राइट्स दे दिये हैं। यह एक बड़ी चीज है कम से कम जहां तक पूरबी जिलों का ताल्लुक है, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, बनारस वहां यकीनी बहुत उम्दा असर होगा। लोग समझेंगे कि यह चीज इन्साफ की बिना पर की गयी है। उसके बाद मैं जानता हूँ कि इसका असर अच्छा होगा जमींदारों के लिये भी। जमींदार भी आखिर में भूमिधर होगा। जमींदार के नाम से लोगों को इतनी नफरत हो गयी है कि उसका नाम बदल ही दिया जाय तो अच्छा है। यह ख्याल हो जाय कि सभी भूमिधर हैं। कोई तसादुम ख्याल न रह जाय, बल्कि मुहब्बत का ख्याल हो, रवादारी का ख्याल हो, सच्चाई का ख्याल हो और हम अपनी जिन्दगी को निहायत खूबसूरत और बुलंद बना सकें, और माली जिन्दगी को, सियासी जिन्दगी को, अखलाकी जिन्दगी को दुरुस्त कर सके, चाहे तखय्युल कुछ भी हो, इख्तिलाफात कुछ भी हों। जब हमने आजादी हासिल कर ली है तो हमको उसे किसी बिना पर भी छोड़ना नहीं है, चाहे वह इख्तिलाफात की बिना हो, चाहे वह तसादुम की बिना हो, किसी भी बिना पर हम अपनी आजादी छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। बल्कि हम यह चाहते हैं कि हमारी आजादी क़ायम रहे। लिहाजा अगर इस नुक्तेनिगाह से इस बिल को देखा जाय तो मैं यह अर्ज करने की जुर्रत कर सकता हूँ कि इस बिल में बहुत सी तरमीमात ऐसी हैं जिनमें काश्तकारों को यकीनी फायदा है। हो सकता है कि चन्द चीजें उसमें ऐसी भी हों जो कि बहुत क़ाबिल क़बूल न हों काश्तकारों के लिये और खासकर बड़े काश्तकारों के लिये। लेकिन जहां तक जनरल इंटरेस्ट का सवाल है, जहां तक आमतौर पर काश्तकारों को हुकूक देने का मसला है और उनकी हालत को दुरुस्त करने का ताल्लुक है इस बिल से उनको यक़ीनी फायदा होगा। लिहाजा सबको थोड़ा-थोड़ा सा सैक्रिफाइस (त्याग) तो करना ही पड़ेगा और बग़ैर सैक्रिफाइस किये काम नहीं चल सकता। यह हो सकता है कि इसमें चन्द ऐसी चीजें हों जो काश्तकारों को क़ाबिले क़बूल न हों लेकिन उसमें ऐसी चीजें भी हैं जो काश्तकारों के फायदे की जरूर हैं और वह ऐसी की गई हैं जो एक किस्म का एडजस्टमेंट इंट्रेस्ट्स है। यह हो सकता है कि काश्तकारों को सब बातें पूरी न हुई हों क्योंकि यह इन्सानी फितरत है कि वह चाहता है कि और मिले और मिले और मिले, लेकिन तवाजुन करना होता है, बैलेन्स क़ायम करना पड़ता है और तराजू में तोल करके बातें करनी चाहिये, ताकि ऐसी बातें न हों कि फलां के साथ फेवर (पक्षपात) किया गया है या फलां के साथ ज्यादती की गई है। यह बात ठीक है और बिलकुल सही है कि जहां तक काश्तकारों का ताल्लुक़ है उनके साथ इसमें इन्साफ किया गया है, लेकिन जहां तक जमींदारों का ताल्लुक़ है उनको जिस हद तक इस बिल में जो मुआविजा रखा गया है उससे उतनी तशफ्फी नहीं हो सकती है जितनी होनी चाहिये। उसको यह मालूम होना चाहिये कि वह तबाह नहीं हो जायेगा उसकी हालत ऐसी हरगिज नहीं होगी कि उसके बाल-बच्चे तालीम न हासिल कर सकें और उसकी हालत इन्तहाई खराब हो जाय। जहां तक उनकी इक्तसादी हालत का ताल्लुक है वह तो इस बिल से खराब होती ही है, मगर अगर देखा जाय मिनहैसुल क़ौम के और मिनहैसुल मुल्क के तो यह मानना पड़ेगा कि सब चीजों के देखते हुये जो कुछ भी दिया जा रहा है वह ऐसा है कि उनकी माली हालत किसी न किसी तरह चलती रहेगी, लेकिन इसमें

जो बातें रखी गई हैं वह किसी तरीके से इस तरह की नहीं हैं जो जमींदारों को काबिले कबूल हो, लेकिन गवर्नमेंट की दिक्कतों को देखते हुये, करेन्सी की हालत को देखते हुये, मुल्क की हालत को देखते हुये यह ख्याल हमें भी है। अगर गवर्नमेंट बहुत कसीर रकम हमको देगी तो उसके लिये दिक्कतें पैदा हो जावेंगी और नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स को एक बड़े लम्बे जमाने तक स्टार्व करना (भूखों मरना) पड़ेगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो यह न समझें कि गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है हम सिर्फ गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि आप ऐसा न करें कि हमारी रोटी छिन जाय। क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर है। यह नजरिया मैंने आपके सामने रखा है कि आपको यह भी देखना है कि हमारी माली हालत को कैसे दुरुस्त करेंगे। हमारी जिन्दगी अलग नहीं है हम भी यहां के हैं। हमारी जिन्दगी बंधी हुई है अपने रिश्तेदारों अपने मुलाजमीन से, पब्लिक से, गवर्नमेंट के साथ, अवाम के साथ, हर उस तबके के साथ जिनकी जिन्दगी से हमारी जिन्दगी गुथी हुई है उन सबसे है और एक दूसरे से वाबस्ता है। अभी हमने सुना था कि चर्चिल साहब पर हमला किया गया उनकी गवर्नमेंट पर हमला किया गया कि उनकी हुकूमत के जमाने में ११ लाख आदमी अनइम्प्लायड बेकार रहे। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं सोचने लगा कि हमारे यहां अगर यह चीज पैदा हो जाये तो हम कैसे सम्हाल सकेंगे, हमारे लिये बड़ी दिक्कत होगी। मेरे कहने का मकसद यह है कि गवर्नमेंट को यह कहना चाहिये कि हमारी माली हालत दुरुस्त हो जाय अगर यह न हुआ तो बड़ी दिक्कत पेश आयेगी। जनाबे आप समझ लीजिये कि एक करोड़ आदमियों की माली हालत का सवाल है। कोई भी इससे इन्कार नहीं कर सकता कि इनकी माली हालत का असर हमारे सूबे की रवादारी के लिये बेहद पड़ता है। जैसा कि हमला हुआ है कि आपके जमाने में ११ लाख आदमी अनइम्प्लायड हैं, उसी तरह यहां भी एक करोड़ अनइम्प्लायड हो जायेंगे और वह एक बड़ी ही खतरनाक चीज हो जायगी। लिहाजा आपकी कोशिश यह होनी चाहिये कि यहां की एकानामिक प्राबलम हल कर सकें। अगर आप यह कदम उठायेंगे तो बड़ी भारी गलती करेंगे। आपको सबकी माली हालत को दुरुस्त करना है, यह आप कभी नहीं कर सकते कि किसी एक खास तबके की माली हालत को दुरुस्त करने के लिये दूसरे तबके को बरबाद कर दें, नेस्तनाबूद कर दें। अगर आप यह गलती तो करते हैं आप सबकी जिन्दगी को एक दम खत्म कर देंगे सरल एकोनोमिक खत्म हो जायगी। इन सब ख्यालात को पेश करने का मकसद यह है कि हम आपको आगाह कर दें कि आप सच्चाई के साथ, रवादारी की बिना पर, मसावात की बिना पर, हमदर्दी से यह सोचें कि हम किस तरह में इतने बेकार लोगों की जिन्दगी रिहेबीलेट करेंगे, जिसका असर सारे सूबे की एकानामी पर होगा। इसका असर खाली सूबे पर ही न पड़ेगा बल्कि इसका असर और भी दूर तक पहुँचेगा और सारे हिन्दुस्तान की माली हालत पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। यह चीजें ऐसी नहीं हैं कि लोग आसानी से समझ लें। यह तो बहुत बड़ा प्राबलम समझा है, इस पर जितना भी गौर किया जाय कम है। गौर करने के लिये और फिर उसका हल निकालने के लिये अभी तो कुछ वक्त आया ही नहीं हुआ है। मेरी तो सिर्फ एक ही गुजारिश है कि जो भी तरमीमात सामने आवें उन पर गवर्नमेंट रवादारी से, सच्चाई की बिना पर सोचे और अगर वह उसको पसन्द आवे, काबिलेकबूल हो तो बिना हिचक के गवर्नमेंट को कबूल कर लेना चाहिये। गवर्नमेंट जितना भी आगे बढ़ सकती है उतना बढ़ना उसके लिये जरूरी है, क्योंकि आपको सारे कौम को अपने साथ लेना है। अगर काश्तकारों की, अनइम्प्लायड लेबरर की, लैंडलेस लेबरर की तादाद ज्यादा है, तो इसलिये यह सोचना कि उसके मफाद के लिये काम करना चाहिये और चूंकि जमींदार एक छोटा तबका है, उसकी तादाद में भारी कमी है तो उसको छोड़ दें अपनी हाल पर। इस शक्ल से ये चीजें नहीं होनी चाहिये बल्कि सोच लेना चाहिये कि हम इस तरीके से चलें कि सबकी माली हालत अच्छी हो, चाहे वह काश्तकार तबका हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मजदूर हो चाहे जो

[श्री मुहम्मद यूसुफ]
हो, सबको मिलाकर रूरल एकानामी (ग्राम आर्थिक व्यावस्था) को इस तरह करे, इस तरह बनावे कि माली हालत दुरुस्त हो और तभी आप अपने सूबे की माली हालत को दुरुस्त कर सकते हैं और दूसरे जो प्राबलम हैं उनको भी हल कर सकते हैं।

आपको बड़े उसूलों पर चलना है, अपना काम खूबसूरती और रवादारी से करना है। महात्मा गांधी के जो उसूल हैं वे एक प्रैक्टिकल उसूल (क्रयात्मक) हैं। गांधी जी का कहना था, उनका उसूल था कि मसावात की बिना पर अगर कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी उसको दे दो। यह टालेरेन्स की बात है। इंसान एक बड़ी चीज है, इंसान तो सचमुच एक बुलन्द हैसियत है। वह जानवर से अपनी अलग हस्ती रखता है। हर इंसान का असर होता है, चाहे वह कोई हो, छोटा हो या बड़ा। मेरा गवर्नमेंट से यह कहना है कि सच्चाई की बिना पर, रवादारी को बिना पर, इंसाफ की बिना पर आपको अपना कदम उठाना है। आपको उन उसूलों पर चलना चाहिये कि जिनसे इंसान इंसान रहे, भाई भाई रहे और ऐसी फिजा आ जाय कि हम ऐटम बम बनाना खत्म कर दें और जिन्दगी ही बदल जाय। अपने बिल में हम ऐटम बम वाली जिन्दगी को जगह नहीं दे सकते हैं। गवर्नमेंट की पालिसी तो यह है कि वह कम्युनिज्म का मुकाबिला करना चाहती है, कौम कौम के दरमियान जो हेटरेड (घृणा) है उसको दूर करना चाहती है और ऐसी पालिसी पर चलना चाहती है जिससे आपसी इख्तिलाफात दूर हो जायं। यकीनन यह बिल ऐसा है जो कम्युनिज्म को रोकता है और नफरत की बिना को खत्म करता है। लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर जरूर गौर करना चाहिये। हमको तो अभी काफी ऊंचा जाना है दुनिया हमारी तरफ देख रही है। वायलेंस (हिंसा) की तरफ हमें नहीं जाना है। हमें तो महात्मा गांधी के फिलसफे से काम लेना है। जब भाई-भाई को, कौम-कौम को, इंसान-इंसान को मोहब्बत की नजर से देखें तब हम समझ सकेंगे कि हम आराम और सुकून की जिन्दगी बसर कर सकेंगे। लिहाजा इस बिल में कम्यूनिज्म को खत्म करने की स्कीम है, मगर सवाल यह है कि क्या यह अमल में आयेगा। मोहब्बत, सच्चाई और महात्मा गांधी के उसूल जिनके मातहत हम रहना चाहते हैं क्या उन पर हम अमल भी करेंगे या नहीं। अगर इंसान इंसान के साथ, कौम कौम के साथ, तबका तबका के साथ रवादारी नहीं बरत सकता है तो हमारा कदम बेकार है। यह मसले महज वैसे ही तय नहीं हो सकते तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे उसूलों पर चले जिससे ऐसी बातों को और उसूलों को कोई बरबाद न कर पाये। और हमारी इकानामिक हालत ऐसी खराब न हो जाय कि हमें अफसोस करना पड़े। यह नहीं होना चाहिये कि मेजारिटी की वजह से हम कुछ भी न सोचें। देखिये और समझ लीजिये कि आपके फायदे की बात हम कहते हैं। यह मैं मानता हूँ कि आप काश्तकारों और मजदूरों के हकूक को पहिले देखिये, लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरे तबकों के उसूल को भी देखिये। अभी तो हमें बहुत ऊंचा जाना है। हमारी इकोनौमिक लेबिल (आर्थिक स्तर) क्या है यह आपको देखना चाहिये। जब जमींदारों का नाम आता है तो लोग कहते हैं अक्खाह, यह तो जमींदार है, ताल्लुकेदार है और बहुत मालदार है। लेकिन देखिये कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ अपनी जिम्मेदारी को, पब्लिक के साथ अपनी जिम्मेदारी को, औरतों और बच्चों के साथ अपनी जिम्मेदारी को, मुलाजिमीन के साथ अपनी जिम्मेदारी को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनकी एकोनोमिक पोजीशन (स्थिति) का जहां तक ताल्लुक है वह ऐसा है "मेक टू एंड्स मीट" (गुजर बसर और यह बड़ा डिफिकल्ट (कठिन) हो रहा है। कहते हैं कि यह बड़े सरमायेदार हैं। अरे साहब सरमायेदार तो अफ्रीका और इंगलिस्तान में देखिये। यह तो गरीबों का मुल्क है। गरीब से गरीब मुल्क के लोगों से भी हमारी हालत बहुत खराब है।

आज हमारी इक्तिसादी हालत ऐसी है कि हमारे पास मुलाजिमान तक नहीं हैं। अगर मकानात वगैरा कुछ दुरुस्त नजर आते हैं तो यह कहा जाता है कि जमींदारों की माली हालत बहुत अच्छी है, लेकिन अगर देखा जाय तो उनके पास मार्जिन निल (गुंजायश बहुत कम) है, सिवाय

उनके जो बिजनेस वगैरा करते रहे हैं। चन्द हस्तियां ऐसी हो सकती हैं जिनकी हालत अच्छी हो लेकिन ज्यादातर लोगों की हालत खराब है और बहुत तो मकरूज हैं। जो लोग मकरूज हैं उनकी तो इक्तिसादी मौत हो जायेगी। इन सब बातों के बावजूद हम यह समझते हैं कि हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है उसका हम साथ दें, लेकिन हम यह इल्तिजा जरूर करेंगे कि हमारी इक्तिसादी हालत, हमारी माली हालत और हमारी इज्जत की वकत बहैसियत एक खादिमे काम के रहना चाहिये और मौका हमको देना चाहिये कि हम अपने कौम की खिदमत कर सकें, हुकूमत की खिदमत कर सकें और मुल्क की खिदमत कर सकें। इंगलिस्तान में देख लीजिये। वहां सोशलिस्ट गवर्नमेंट है लेकिन उन्होंने वहां अभी तक जमींदारी को अबालिश नहीं किया है क्योंकि वह जरूरत नहीं समझते हैं। वह प्रैक्टिकल सोशलिस्ट हैं, वह थ्यूरेटिकल सोशलिस्ट नहीं हैं। स्टील वगैरह का मामला उन्होंने लिया है, लेकिन जमींदारी को उन्होंने टच नहीं किया है। वहां उनको एक इकोनामिक क्रूस करना पड़ा है और बहुत मुमकिन है कि उनको कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़े। सवाल यह है कि अगर किसी चीज को नेशनलाइज करने में तमाम कौम की जिन्दगी बुलन्द होती है तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन सवाल यह है कि कहीं ऐसी हालत न पैदा हो जाय कि तमाम मुल्क की इक्तिसादी जिन्दगी बरबाद हो जाय। जमींदारी का मसला हर जगह के लिए है और ऐज ए वर्ल्ड प्राब्लम यह जरूरी है कि ऐसे फाइनेंसेज का इन्तजाम किया जाय जिनसे हमारी इक्तिसादी जिन्दगी बुलन्द हो सके। नेशनल वेल्थ बढ़ाने के यह माने नहीं होते हैं कि गवर्नमेंट के पास बहुत सा रुपया टैक्स से आ जाय। जरूरत यह है कि सारी कौम की हालत इतनी मजबूत हो जाय कि वह अपनी बुलन्दी की जिन्दगी गुजार कर सके। यह शुक्र की बात है कि यहां गवर्नमेंट ने यह तसलीम नहीं किया है कि वह कम्यूनिस्टिक उसूल की तहत में अपनी स्कीम को चलाये। उसने यह बात साफ कर दी है कि हम कम्यूनिस्टिक उसूल पर नहीं चलेंगे बल्कि गांधियन फिलासफी की बिना पर हम काम करेंगे। पहली चीज जो इस बिल में है वह काबिले गौर है और यकीनन यह चीज उम्दा है। अक्सर साहबान को यह डर है कि मुमकिन है कि इस तरह से जो लोग इस जगह पर हैं वे कम्युनिज्म की तरफ घूम जायें। यह हो सकता है लेकिन मुझे यकीन है कि कम्यूनिज्म को मानने पर और कम्यूनिस्टों से कोआपरेशन करने पर हमको गुलाम होकर रहना पड़े, उनके फिलासफे के हम गुलाम होकर रहें, उनके नफरत के फिलासफे को मान लें, जंग के फिलासफे को मान लें और तमाम नफरत के उसूल की बिना पर अपनी जिन्दगी बसर करें तो यह चीज हमारे यहां नहीं हो सकती है और न हम इसको मान ही सकते हैं। मुख्तलिफ रायें हो सकती हैं लेकिन जो मुख्तलिफ रायें हों उनको ऐडजस्ट करना चाहिये, बीसवीं सदी ऐडजस्ट करने के लिये ही है। अगर कम्यू-निस्ट पार्टी अपनी जगह से हट जाय और सब अपनी जगह से हट कर खूबसूरती और बुलन्दी के साथ फिलासफे जिन्दगी को प्रैक्टिकल बनावे और उसी बिना पर अपनी कौमी जिन्दगी को मुनज्जम कर दें तभी यह जंग मिट सकता है, लड़ाई खत्म हो सकती है और मुहब्बत की फिजा कायम हो सकती है। हमारे नेताओं ने सारी दुनिया में हिन्दुस्तान का एक लीडिंग पोजीशन बना दिया है। यह अभी का वाकया है कि पं० जवाहरलाल जी नेहरू ने बाहर जाकर बुलन्दी का डंका बजा दिया। महात्मा गांधी के फिलासफी को सारी दुनिया के सामने पेश कर दिया। अगर कोई दूसरा शख्स होता तो वह उसका गलत तर्जुमानी करता और उस पर लोग हंसते। कोई हंसता कोई मजाक उड़ाता और कोई गुस्सा होता। मगर नहीं, नफरत की निगाह से उन्हें कोई नहीं देख सका। सारी दुनिया के लोगों में हमारे पोजीशन को बहुत बुलन्द बनाने में पं० नेहरू का पूरा हाथ है इसको सभी को मानना पड़ेगा। हमें चाहिये कि हम अपने उसूल की बिना पर दुनिया के लोगों से कहें कि तुम हमारी तरफ आओ, और हम सब और दुनिया के लोग मिलकर एक ऐसी फिजा पैदा कर दें कि लड़ाई ही खत्म हो जाय और जो भीतरी लड़ाई इंसान की इंसान से है वह खत्म हो जाय तबके

[श्री मुहम्मद यूसुफ]

तबके की लड़ाई खत्म हो जाय अगर आज हम उस मकसद को हासिल करना चाहते है तो मुहब्बत की बिना पर सारी दुनिया एक हो जायगी। यूनिफार्मिटी आफ यूनिवर्सल लाइफ की बिना पर हम सारी कौम को एक साथ कर सकते है जिसमें किसी को कोई नफरत की निगाह से न देखे। क्योंकि आपकी लीडिंग पोजीशन होगी और हम समझते है कि हम इसको जरूर कर सकते है और इस पर नाज कर सकते है कि दुनिया को हम अपने रास्ते पर ला रहे है और सब को अपनी तरफ खीचे ला रहे है। तो यह खुली हुई बात है कि यह बिल नफरत की बिना पर नही बनाया गया है बल्कि मुहब्बत की बिना पर, रवादारी की बिना पर और सच्चाई की बिना पर यह बिल लाया गया है। यह जरूर है और हम तो इसको साफ कर देना चाहते है कि आज कल की दुनिया ऐसी नहीं है कि इतनी खराबियो के बाद, इख्तलाफ राय होने के बाद और इतना जिक्र होने के बाद कोई झूठी बात रक्खी गई हो। यह तो सूबे के सब कौमो की जिन्दगी को अच्छा बनाने के लिये बिल लाया गया है। कोई भी चीज हो वह तजुर्बे की बिना पर जरूर हो। इंसाफ की बिना पर और सच्चाई की बिना पर कोई चीज सामने आनी चाहिये और उसकी बिना पर हम अपनी जिन्दगी मुनज्जम करे और तमाम कौम की जिन्दगी मुनज्जम करें और उसके साथ-साथ तमाम दुनिया की जिन्दगी मुनज्जम करने की कोशिश करें तभी आपका मकसद पूरा हो सकता है और इसी से हम अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से बसर कर सकते हैं, तमाम दुनिया की कौमे अपनी जिन्दगी बसर कर सकती है और तमाम अन्दरूनी मसले इसी से हल कर सकते हैं। अगर हो जाय तो फिर यह शिकायत ही नही हो सकती है कि हम खिच कर कही कम्यूनिज्म की तरफ न चले जायं! जहां पर कम्यूनिज्म गवर्नमेंट है वहां भी लेबर कैपिटल के सिलसिले मे बड़ी मुश्किलात लोगों के सामने आ रही है। वहा उसूल तो यह है कि सरमाया किसी के पास न हो लेकिन वहा भी बड़े-बड़े सरमायेदार होते जा रहे है। क्योंकि अपारचुनिटी देखकर काम किया जाता है। इक्वल का माने इक्वैलिटी आफ राइट्स होता है यह नहीं कि अपालोजो बिफोर जस्टिस! सबकी जो माली हालत होती है वही अपनी खास जगह रखती है और उसने सब को नीचा कर दिया है। इसलिये माली हालत को दुरुस्त करने की निहायत जरूरत है; अगर आप गुरबत को सब मे बांटकर इस काम को करेंगे तो इससे आप बुलन्दी हासिल हरगिज नही कर सकते है। और इसी बिना पर इकानामिक हालत को भी बुलन्द करने में आप कामयाब नही हो सकते हैं। लिहाजा यह ख्याल गलत है कि कुछ आदमियों की माली हालत को खराब करके, बिगाड़ कर दूसरों की हालत अच्छी हो जायगी और देश की हालत उससे सुधर जायगी। सब के पास बिना दौलत के हुये आप दुनिया की किसी चीज को बुलन्द नही कर सकते। उसके लिये हर तबके का ख्याल आपको करना होगा। मजदूरों का भी ख्याल करना होगा और जिनसे आप जमीन छीनकर काश्तकारो को दे रहे है उनका भी ख्याल करना होगा। गरज कि सब तबकों की हालत को दुरुस्त करने के लिये उनका ख्याल करना होगा। अगर आप चाहते है कि मुल्क के अन्दर सब तबकों की हालत बुलन्द करे तो आपको जरूर इस उसूल को अख्तयार करना होगा। सब तबकों की हालत बुलन्द करने की यहां पर बहुत जगह है। काश्तकारों की हालत को बुलन्द करने की यहां पर बहुत जगह है लेकिन जब तक आप इंडिविजुअल की हालत को बुलन्द नहीं कर सकते तब तक आप किसी जमात या तबके की भी हालत को दुरुस्त नही कर सकते है और बुलन्द नहीं कर सकते है। जब तक आप गांधी जी के बताये हुए उसूल पर नहीं चलेंगे तब तक आप दुनिया के अन्दर बुलन्दी हासिल नही कर सकते हैं और दुनिया के अन्दर जो अपनी जगह लेना चाहते है वह आपको नही मिल सकती है। रूहानी दुनिया मे हमारा नाम बहुत बुलन्द है लेकिन इकानामिक दुनिया मे भी हमको नाम पैदा करना है मगर वह गरीबी सब में बांटकर नहीं पैदा किया जा सकता। हांलाकि गुरबत कोई बुरी चीज नहीं है कि जिसको नफरत की निगाह से देखा जाय

हर तबका गुरबत नवाज़ी का शिकार है जिस शख्स के अन्दर गुरबत, मुहब्बत, हमदर्दी, त्याग और सचाई है वह शख्स बहुत ऊंचा है और बहुत बुलन्द है, वह कोई भी तबके का आदमी हो वह बहुत ऊंचा आदमी है, उसकी कीमत उस आदमी से भी ज्यादा है जिसके पास करोड़ों रुपया है लेकिन फिर भी माली हालत को दुरुस्त किये बिना मुल्क की इकानामिक हालत को बुलन्द नहीं किया जा सकता। अगर किसी काम को रवादारी के साथ, ईमान्दारी के साथ, इन्साफ के साथ किया जाय तो फिर उसके नतायज खराब होने का अन्देशा नहीं रहता है। ज़मींदारी जो अभी तक कायम रही है वह भी आपके भाइयों की ही है, मुल्क मे रहने वालो की है और उनके ज़रिये भी मुल्क के अन्दर बहुत काम हुए हैं। उसको अगर उनका ख्याल रखकर किया जाय तो वह काम आसानी से हो सकता है। हम इस बात को मानते हैं कि यह चीज़ जरूरी है और यह जरूर किया जाना चाहिये लेकिन उनकी माली हालत को मद्देनजर रखकर इस पर पूरी तरह से विचार करना ज़रूरी है और इंसाफ और ईमान्दारी से इसको खत्म करना चाहिये। (कोरम के लिये घंटी बजी) तो मै अपने वज़ीर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जो पालिसी इस अमर के मुताल्लिक अख्तियार की है वह नफरत की बिना पर नहीं है बल्कि वह मुहब्बत की बिना पर है, ज़रूरत की बिना पर है। उसके अन्दर कुछ गलती ज़रूर है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट को उन पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि कही ऐसी शक्ल न हो जाय कि उससे और हालत मुल्क की खराब हो जाय और बजाय कुछ फायदा पहुंचने के और तबाही बरबादी में मुल्क फंस जाय और ज्यादा गड़बड़ हो जाय। लिहाज़ा उस पर दोबारा ग़ौर करने की ज़रूरत होगी। मै इस्तदुआ करता हूं कि जिस तरह से अमेंडमेंट आयेंगे उनके ऊपर गौर किया जावेगा। जो मुफीद होंगे उनको ज़रूर लिया जायगा और कोई मिडिल कोर्स (बीच का रास्ता) अख्तियार करने की सरकार ज़रूर कोशिश करेगी। मजदूरों की क्या डिमान्ड है और काश्तकारों की क्या डिमान्ड है इन सब को सरकार को भूल जाना चाहिये। और सही ख्यालात की बिना पर इस पर अमल करें और इस बिल को ऐसा बनायें कि जिससे सब को फायदा पहुंचे और सब के फायदे के लिये हो, किसी की इससे बरबादी न हो।

अब एक चीज और अर्ज करना ज़रूरी है और वह यह है कि आगे जो अमेंडमेंट वग़ैरा आवें और वह तो अपनी जगह पर आवेंगे ही और हालांकि जो कुछ तरमीमात अब तक हो गई हैं वह भी यक़ीनन काश्तकारों के फायदे के लिए ही है। वैसे प्रोपेगेन्डे के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं लेकिन यह चीज़ साफ है कि यह बिल जिस शक्ल में अब आप के सामने आया है उससे यह साफ ज़ाहिर है कि वह बड़े काश्तकारों के लिए मुफीद है और उस से ज्यादा मुफ़ीद छोटे काश्तकारों के लिए है। इसके साथ-साथ यह भी है कि ज़मींदारों की हालत तो रद्दी होगी ही लेकिन हम उसको मंज़ूर करने को ज़रूर तयार हो जायेंगें अगर गवर्नमेंट हमारे साथ हमदर्दी करेगी और ऐसी स्कीम लावेगी और हमारी माली इमदाद करेगी जिससे हम अपनी ज़िन्दगी को दोबारा मुनज्जम कर सकें और अपने फरायज व ड्यूटी को पूरा कर सके।

एक चीज और है जिसकी तरफ मैं ख़ास तौर पर मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह हमारा वक्फ का मसला है। यह चीज़ सेलेक्ट कमेटी में भी आ चुकी है और वहां डिसकस हो चुकी है। अब जिस शक्ल में बिल में प्राविज़न किया गया है उसमें वक्फ़ अललऔलाद को नहीं माना गया है और ख़ाली जिस तरह से जमींदारी का मुआवज़ा मिलेगा उसी तरह से इस पर भी मुआवज़ा दे दिया जावेगा। इस सवाल पर सरकार को और मिनिस्टर साहब को तवज्जह करनी चाहिए क्योंकि यह बुनियादी सवाल है और पहले से मानी हुई चीज है और मज़हबी नुक्तेनिगाह से भी ज़रूरी है। इससे गवर्नमेंट की कुछ बहुत थोड़ी सी आमदनी पर तो ज़रूर असर पड़ेगा लेकिन इससे आप अपनी माइनारिटी की हमदर्दी हासिल करेंगे और यकीन मानिए कि हम लोग आप को इस चीज़ को एप्रिशिएट करेंगे और आप की मेहरबानी होगी कि अगर हमें सरकारी ट्रेज़री से इसका रुपया भी मिल जाया करे। इससे रवादारी बढ़ेगी और आपका इक़बाल बुलन्द होगा और यह समाज के लिए बड़ी अच्छी, बेहतर और ज़रूरी चीज़ होगी। यह सरकार का शानदार क़दम होगा क्योंकि इस चीज़ को पहले भी माना जा चुका है और क़ानून भी पास हो चुका है और इस पर काफ़ी-बहस—मुबाहिसा हो चुका है और गवर्नमेंट

[श्री मुहम्मद यूसुफ]

आफ इंडिया में ऐक्ट भी पास हो चुका है। जिस तरह से भी हो सके इस चीज को बरकरार रखना चाहिए। यह चीज भी मुझे मिनिस्टर साहब और हाउस के सामने लानी थी। इसका असर बहुत अच्छा होगा और बहुत ही उम्दा चीज होगी और गवर्नमेंट की बहुत थोड़ी सी आमदनी पर ही इसका असर पड़ेगा, लेकिन इससे मुसलमानों के अखलाक़ पर बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। वह समझने लगेंगे कि अक़लियत में होते हुए भी हमारे साथ इन्साफ किया जाता है और हमारे हक़ूक़ की हिफ़ाजत की जाती है और इसमें इक्तसादी और बुनियादी सवाल दोनों हल हो जाते हैं। लिहाजा मैं यह अर्ज करना जरूरी समझता हूं और मैं आप से इस्तदुआ करता हूं कि इसके मुतालिक़ और आइन्दा जो भी अमेन्डमेंट आवें उन पर आप सहूलियत और इन्साफ़ के साथ गौरोखौज करें और प्रैक्टिकल सोशलिज्म पर अपना क़दम बढ़ावें। पंडित जवाहर लाल जी सब से बड़े सोशलिस्ट हैं उनसे ज्यादा सोशलिस्ट कौन हो सकता है। वैसे तो तमाम क़िस्म के अमेंडमेंट हर पार्टी और जमाअत की तरफ से आवेंगे लेकिन आप की यह पालिसी होनी चाहिए कि उनमें जो अच्छे हों और काबिल क़बूल हों उन पर जरूर गौर करना चाहिए और उनको मान भी लेना चाहिए। ख़ास तौर पर मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जह इसकी तरफ दिलाना चाहता हूं कि वह महज स्लोगन्स पर न जांय और एक प्रैक्टिकल व्यू हर चीज का अपने सामने रखें वर्ना यह सब एक अजीबोगरीब चीज हो जावेगी और हमें डर है कि तमाम एकानामिक आर्डर और इन्डस्ट्री वगैरा सब खत्म हो जायंगी एकानामिक इंडिपेंडर्स की बिना पर अरबन एरिया में जमींदार और काश्तकारों के ताल्लुक़ात और सब मामलों का फसला मिल कर करें तो अच्छे तरीक़ों से हो सकता है। सोशलिज्म का इस तरीक़े पर प्रैक्टिकल पालिटिक्स से तसादुम होगा। यह खुली हुई बात है इसमें बहस की जरूरत नहीं है। अगर डिक्टेटरशिप हुई तो यह चीज चल नहीं सकती है। जवाहरलाल से बड़ा सोशलिस्ट कौन है? अब तो सिर्फ स्लोगन्स रह गए हैं। इस सरकार में और सोशलिज्म में कोई फ़र्क नहीं है। नेशनलाइजेशन हो जायगा तो तमाम तबकों और मुल्क और क़ौम और आजाद हिन्दुस्तान के लिये होगा। हर आदमी को गौर करने के लिये तैयार रहना चाहिये। नेशनलाइजेशन बुलन्द उसूलों की बिना पर ही किया जा सकता है। नेशनलाइजेशन लैंड का कभी भी हिन्दुस्तान में चल नहीं सकता है उससे बरबादी और कुलैप्स होगा। सूबे और मुल्क में गड़बड़ हो जायगी। इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन धीरे धीरे और वक्त के साथ होना चाहिये और काटेज इंडस्ट्रीज को चलाना होगा। एग्रीकलचर इंडस्ट्री को डेवेलप करना होगा। हमारी माली और इक्तसादी हालत को अच्छा करना होगा। इन अल्फ़ाज के साथ मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि जहां तक काश्तकारों के फायदे का ताल्लुक़ है यह एक अच्छा बिल है। जमींदारों के ख्याल से तो यह उतना अच्छा नहीं है मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात की कोशिश करेंगे कि जमींदार भी अच्छी तरह जिन्दगी बसर कर सकें और वह अवाम और काश्तकारों और मुल्क की खिदमत कर सकें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल--जनाबवाला, अभी थोड़ी देर हुई रोशन जमां खां साहब की तकरीर हुई। उससे मुझमें जोश आया कि तकरीर करूं। लेकिन आज इस मौक़े पर यह चन्द बन्द पढ़ना चाहता हूं।

डिप्टी स्पीकर--क्या इसका उसी विषय से ताल्लुक़ है जो इस वक्त पेश है?

श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल--जी हां, सिर्फ उसी मसविदे को इसमें नक़ल कर दिया गया है।

डिप्टी स्पीकर--तो अच्छा।

श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल--

(१)

निजामे मुमलकत की जलवह सामानी का क्या कहना ।
हुसूले मुद्दआ की गौहर अफ़शानी का क्या कहना ।।
मआले ज़ीस्त की आला निगहबानी का क्या कहना ।
हुजूमे शौक़ की, इस बज्मे इरफानी का क्या कहना ।।
चमक उट्ठा हर एक जर्रा निगाहे अद्ल परवर से ।
निजाते दायमी दुनिया ने पाई फ़ितनह व शर से ।।

(२)

मुबारक हो तुझे ऐवाने सूबाई मुबारक हो ।
किसानों के यह दुख की चारा फ़रमाई मुबारक हो ।।
विजारत को अपोजीशन की एकजाई मुबारक हो ।
हुकुमसिंह जी को खुशी फिक्री व दानाई मुबारक हो ।।
मुबारक टंडन जी जाह को यह फख्रे इनसानी ।
कि आखिर सत्य निकली आज इस राजर्षि की बानी ।।

(३)

जनाबे 'पंत' के जलवों से यह सूबा चमक उट्ठा ।
वह कोहेनूर का शोला सरे मैदा भड़क उट्ठा ।।
ब रानाई ब ज़ेबाई चमन अपना महक उट्ठा ।
पपीहा, कोयले ताऊस हर नाएर चहक उट्ठा ।।
शजर झूमे चरागाहों का सब्ज़ा लैलहा उट्ठा ।
सदाए आफ़रीं आई वह शोरे मरहबा उट्ठा ।।

(४)

जमींदारी कभी होगी ब उनवाने ज़िमीन्दारी ।
मगर अब तो यह है इनसानियत के हक़ में गद्दारी ।।
करोड़ों आदमीयों की यह करती है दिल आज़ारी ।
इसी ने मुल्क की खोदी जहांबानी जहांदारी ।।
मिटा दो इसकी हस्ती को जमाना दुख से छूट जाए ।
कटें आराम से दिन-रात दुनिया सुख में हो जाए ।।

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, क्या कविता के पढ़ने के बीच में चे खूब, चे खूब और वाह-वाह के नारे लगाये जा सकते हैं ?

डिप्टी स्पीकर--नहीं, ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल--

(५)

किसानों ने हुकूके मिलकियत पाए किसानी पर ।
ब अन्दाजे जुनूं आया बुढ़ापा अब जवानी पर ।।
ग़मे फ़र्दा हुआ गायब हमारी कामरानी पर ।
निगाहें लोट जाएं क्यों न किश्ते ज़ाफ़रानी पर ।।
दुआएं ऐ जमीन्दारों तुम्हें भी दिल में देते हैं ।
अलावा इसके हर सामाने राहत बिल में देते हैं ।।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल]

(६)

वह क्या है जो नहीं देते तुम्हें मुन्की खजाने से ।
जमीन व जर मकां बाग़ात पाते हो ठिकाने से ।।
बचाया तुमको दुनिया की मलामत के निशाने से ।
तरक्क़ी होगी सच्ची अब तुम्हारी इस जमाने से ।।
हरी, बेगार, बेदखली व नजराना व मुटराना ।
निगाहें मेहरबानी से भुलाया इसका अफसाना ।।

(७)

जिमींदारी को देकर मुआवजा हमने सखावत की ।
यही तो थे जिन्होंने कौम से अक़सर बग़ावत की ।।
कहां से मुस्तहक़ होते थे यों कहिये इनायत की ।
जो सच पूछो हुकूमत ने नुमायां यह शराफत की ।।
चलो मिल-जुल के अपनाओ हुकूमत के तरीकों को ।
बराबर हो के बिठलाओ अमीरों को ग़रीबों को ।।

(८)

असामी आदवासी सीर का हलधर कि भूमिधर ।
न कोई तफरिका डाला न की तक़सीमे माल व जर ।।
जिराअत का बने पेशा वसीला रिज्क का घर-घर ।
वही महकूम हाकिम हो वही अफसर वही मेम्बर ।।
तखैयुल यह मुसावाती बयक रफतार बढ़ जाए ।
सुकूं से मंजिले तामीर पर मेमार बढ़ जाए ।।

(९)

किसानों तुम जमींदारी के ऐबों में न फंस जाना ।
मिटा देता है इंसा को बुरी बातों में लग जाना ।।
कहीं तुम ऐश की दुनिया में भूले से न फंस जाना ।
मजा जब है कि अपनी मेहनतों में और कस जाना ।।
जमाने को तुम अब अपनी तरक्क़ी कर के दिखला दो ।
अगर चाहो तो हिम्मत कर के तुम पत्थर को पिघला दो ।।

(१०)

जमींदारी किसानों के लिये थी आंख का जाला ।
इसे दस्ते करम से पंत जी ने साफ़ कर डाला ।।
बहारे जिन्दगी का तुम में हर एक हो के मतवाला ।
दिखा दे बन के भूमिधर तो अपना बोल हो बाला ।।
करेगा याद हमको हश्र तक अपना व बेगाना ।
कुछ इस अन्दाज से लिखा गया है अपना अफ़साना ।।

(११)

रहो आजाद होकर जिन्दगी में फिर बहार आए ।
तरक्क़ी के मदारिज का तुम्हें हुस्ने शेआर आए ।।
मए इन्सानियत का कुछ तो आंखों में खुमार आए ।
फलो फूलो निहाले जिन्दगी में बर्ग व बार आए ।।
जरा हम याद कर लें किसने यह दीवान लिक्खा था ।
"रफ़ी अहमद" ने इस क़ानून का उनवान लिक्खा था ।।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां—हुजूरवाला, कम से कम इतना तो मैं क़ाबिल नहीं हूं कि अपने मजमून को नज्म में अदा कर सकूं लेकिन एक छोटी सी नज्म में उसका कुछ जवाब तो पेश करना जरूर ही चाहता हूं। और वह एक शेर की सूरत में है, जो मैं पढ़ता हूं :—

उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जबान मेरी है बात उनकी।
उन्हीं की महफ़िल संवारता हूं, चिराग़ मेरा है रात उनकी।।

इसके अलावा जो कुछ मेरे दोस्त रोशनजमां खां साहब ने इस बिल के सिलसिले में फरमाया है, इसका जवाब देना कम से कम जमींदार मेम्बर के लिये ठीक नहीं है। बल्कि इनका गवर्नमेंट की बेंचेज से ज्यादा ताल्लुक़ है। जो थोड़ा बहुत उनकी तक़रीर के मफहूम से मैं समझ सका हूं और जहां तक जमींदारों का ताल्लुक़ है इस मौक़े पर मैं मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता हूं। इलेक्शन लड़ना है, इसलिये किसी न किसी तरह से कहना है। उनकी तक़रीर की बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनकी बातों का जवाब आनरेबिल मिनिस्टर साहब देने की तक़लीफ गवारा करेंगे।

हुजूर वाला, जमींदार क्लास का जो नुमायन्दा सेलेक्ट कमेटी के अन्दर गया था उन्होंने अपने ख्यालात इस बिल के मुताल्लिक़ वजाहत के साथ नोट आफ़ डीसेन्ट (मतभेद) में पेश कर दिये हैं अब इस मौक़े पर दो चार चीजें जो मेरे जहन में हैं वह पेश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे कांग्रेसी भाई और खसूसन हमारी गवर्नमेंट के मेम्बर इस पर गौर फरमायेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मौक़े पर जब कि आप समाज और सोसाइटी के निजाम में एक ऐसी बड़ी तब्दीली करने जा रहे हैं उस वक्त सीरियसनेस (संजीदगी) और तवज्जह के साथ आपको गौर करना चाहिये। आप कितना जबरदस्त इन्कलाब इसके जरिए से मुल्क में ला रहे हैं, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मैं कभी भी इस राय का नहीं रहा कि जमींदारी को मुतलक़न खतम कर दिया जाय। मैं कभी भी इसकी मुआफ़िक़त में नहीं रहा। जब सेलेक्ट कमेटी में इस बिल के जाने का मसला आया तो इस लिहाज से कि हमारी गवर्नमेंट और सरकार बक़ौल मुल्क की बेहतरी के और भलाई के लिये एक ऐसा सिस्टम जारी करने जा रही है तो हमने यह समझकर सेलेक्ट कमेटी में जाना मंजूर कर लिया और यह समझकर कि गवर्नमेंट की जानिब से, कांग्रेस सरकार की जानिब से एक ऐसा निजाम आयेगा जो सबकी बेहतरी के लिये और इसलिये नेशन और मुल्क की भलाई के लिहाज से हमने उसमें जाने से इन्कार नहीं किया। इस नजरिये को लेकर हम सेलेक्ट कमेटी में शरीक हुये और तमाम चीजों को जो गवर्नमेंट की जानिब से कही या पेश की गई देखा और गौर किया, लेकिन बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों की कोई तजवीज नहीं मानी गई। यह चीज नोट आफ़ डीसेंट से बखूबी जाहिर है। आप जब समाज में इस क़दर इन्क़लाब करने जा रहे हैं तो उस सिस्टम के रायज करने के बाद समाज और मुल्क या सूबे में क्या हालत हो जायेगी, इस पर आपने गौर नहीं फरमाया। पुराने जमाने की हिन्दू सल्तनत के जमाने में भी, मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऐतिहासिक घटनाएं कह रहा हूं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं, उन्होंने चाहे जो तब्दीलियां की हों मगर इस सिस्टम को किसी न किसी सूरत में जरूर क़ायम रखा। इसके बाद मुग़लों की हुकूमत आई और उन्होंने ७०० बरस तक सल्तनत की और उन्होंने भी इस निजाम को क़ायम रखा।

उसके बाद बाहर की हुकूमत देश पर मुसल्लत हुई और उन्होंने किसी न किसी तरह से इस निजाम को क़ायम रखा और इस तरह से कायम रखा कि लोगों का यह ख्याल होने लगा कि यह इतना पुराना निजाम अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है।

लखनऊ में सदस्यों के लिए कर्फ्यू के परमिट

डिप्टी स्पीकर--मुझे यह बतलाना है कि लखनऊ में रात के लिए कर्फ्यू लगा हुआ है। ७ बजे शाम से सबेरे ७ बजे तक कोई नहीं निकल सकता है। मैंने आज शास्त्री जी से कहा था कि कोई इन्तजाम कर दिया जाय। चुनांचे उन्होंने वह इन्तजाम कर दिया है कि हमारे असेम्बली के सैक्रेटरी मेम्बरान को परमिट जारी कर सकते हैं। दो-तीन मिनट में वह जारी हो जाएंगे। सैक्रेटरी साहब से वह परमिट ले ले ताकि उनके लिए कोई रुकावट न रहे।

(इसके बाद भवन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया)।

कैलासचन्द्र भटनागर,
मन्त्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त

लखनऊ,
१० जनवरी सन् १९५०

नत्थी 'क'

(देखिए ९ जनवरी, १९५० ई० के शेष तारांकित प्रश्न १११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०८ पर)

सन् १९४८ ई० तथा सन् १९४९ ई० में अब तक कुल निम्नलिखित जिलेवार परमिट दिये गये :—

नाम जिला		संख्या परमिट	नाम जिला		संख्या परमिट
मेरठ	..	३१०	गोंडा	..	४३
मुजफ्फरनगर	.	६६	बहराइच	..	१०
सहारनपुर	.	८७	बलिया	..	१२
देहरादून	.	१४८	आजमगढ़	..	१६
लखनऊ	..	६६	गाजीपुर	..	४
उन्नाव	..	९	इलाहाबाद	..	११३
सीतापुर	..	११	बनारस	..	८०
खीरी	..	८	मिर्जापुर	..	८७
प्रतापगढ़	..	११	जौनपुर	..	९
सुलतानपुर	.	१०	बरेली	..	१००
फैजाबाद	..	१०	मुरादाबाद	..	३१
रायबरेली	..	५	बिजनौर	..	३७
बाराबंकी	..	१२	बदायूं	..	१७
हरदोई	..	५	शाहजहांपुर	..	३६
मैनपुरी	..	१५	पीलीभीत	.	२३
मथुरा	..	३५	कानपुर	..	११०
फर्रुखाबाद	..	१८	फतेहपुर	..	४
आगरा	..	१०५	झांसी	..	१३
अलीगढ़	..	२७	जालौन	..	१०
एटा	..	४	हमीरपुर	..	१३
बुलंदशहर	..	२४	बांदा	..	५
गोरखपुर	..	४२	इटावा	..	८
देवरिया	..	२६	नैनीताल व अल्मोड़ा	..	४२२
बस्ती	..	१०	गढ़वाल	..	३०१
			योग	..	२,५७१

नत्थी
(देखिए १० जनवरी, १९५० के तारांकित प्रश्न सं०

स्थगित किया हुआ मुकद्दमा क्रम-संख्या	संख्या सेशंस मुकद्दमा	नाम अभियुक्त	संख्या धारा व नाम कानून जिसके अंतर्गत मुकद्दमा चलाया गया हो	सेशंस न्यायालय की तिथि या तिथियां
१	२	३	४	५
१	स० टि० न० ४, १९४९	रेक्स बनाम जानकी	धारा ३९५ ताजी-रात हिंद	३१-३-४९ १-३-४९
२	स० टि० न० ३३, १९४८	रेक्स बनाम हेतराम वगैरा	धारा १४७ १४९ ३०२ ४३६ ता० रा० हिंद	२५-१-४९ २६-१-४९ २७-१-४९ २९-१-४९ ३१-१-४९
३	स० टि० न० ३, १९४६	रेक्स बनाम मोहन चंद्र वगैरा	धारा ३७९ ताजी-रात हिंद ५२ पो० आफिस ऐक्ट	२-१२-४८ ४-२-४९ ५-२-४९ ६-२-४९ ७-२-४९ २८-२-४९ २९-२-४९
४	स० टि० न० ३७ १९४८	रेक्स बनाम लालता प्रसाद वगैरा	धारा ३०४ ताजी-रात हिंद	५-२-४९ ७-३-४९ ८-३-४९

'ख'
७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३११ पर)

तिथि या तिथियां जिसके लिये मुकद्दमा स्थगित हुआ	कारण जिससे स्थगित हुआ	अभियुक्त जेल में थे या जमानत पर छूटे हुये थे	सरकारी रु० की हानि, जो मुकद्दमे में स्थगित होने से हुई । १—जज के वेतन में, २—गवाहों और असेसरों के मार्ग व्यय और भोजन में, ३—वकील सरकारी की फीस ।
६	७	८	९
..	..	जमानत पर	यह कुछ देरी से आरम्भ हुआ, पूरे असेसर नहीं आये, शहर से दूसरा नया असेसर बुलाया गया । कोई हानि वेतन को नहीं हुई । दो दिन का मुकद्दमा था और दो दिन में ही समाप्त हो गया ।
२८—१—४९	गवाह साबित नही आये । २७ को प्रार्थना—पत्र देकर २८ न होकर २९ को हटाया ।	जमानत पर थे	६ रु० असेसरों के मार्ग व्यय व भोजन में । जजव वकील सरकारी के वेतन में कोई हानि नही हुई ।
२८ से २९ को स्थगित हुआ	७—२—४९ को पूरे गवाह नहीं आये । कलकत्ता व इटावा व अमृतसर के निवासी प्रार्थना—पत्र पर २९ को तारीख़ पड़ी । २८ को गवाह न आये, २९ को मुकद्दमा हुआ ।	जमानत पर थे	७ रु० ३ आना असेसरों के मार्ग व्यय व भोजन में ।
५—३—४९	केवल दो असेसर आये । दुबारा सम्मन जारी हुए ७ ता० को ।	जमानत पर थे	५ रु० असेसरों के मार्ग व्यय व भोजन में । ४ रु० ८ आना गवाहों आधे दिन की फीस १५ वकील । सरकार की फीस की हानि हुई ।

स्थगित किया हुआ मुकद्दमा क्रम-संख्या	संख्या सेशंस मुकद्दमा	नाम अभियुक्त	संख्या धारा व नाम कानून जिसके अंतर्गत मुकद्दमा चलाया गया हो	सेशंस न्यायालय की तिथि या तिथियां
१	२	३	४	५
५	स० टि० न० १०–१२, १९४९	रेक्स बनाम हुलासी वगैरा	धारा ३९५ ताजीरात हिंद	६–५–४९ २५–५–४९ २६–९–४९ २७–९–४९
६	स० टि० न० ९, १९४९	रेक्स बनाम रामलाल वगैरा	धारा ३६३–३७६ ताजीरात हिंद	२७–४–४९ २८–४–४९ २९–४–४९ ३०–४–४९
७	स० टि० न० ८, १९४६	रेक्स बनाम हेतराम वगैरा	धारा ३०४, ३२५, ३२३ सब धारा ३४ ताजी-रत हिंद	२०–४–४९ १६–५–४९ ५–५–४९
८	स० टि० न० २१, १९४९	रेक्स बनाम काली वगैरा	धारा ३०२, ३२३, १४८, १४९ ताजीरात हिंद	२८–४–४९ १६–५–४९
९	स० टि० न० १४, १९४९	रेक्स बनाम गिरधारी वगैरा	धारा ३९५ ताजीरात हिंद	६–६–४९ ७–६–४९ ८–६–४९

तिथि या तिथियां जिसके लिये मुकद्दमा स्थगित हुआ	कारण जिससे स्थगित हुआ	अभियुक्त जेल में थे या जमानत पर छूटे हुये थे	सरकारी रु० की हानि, जो मुकद्दमे में स्थगित होने से हुई। १—जज के वेतन में, २—गवाहों और असेसरों के मार्ग व्यय और भोजन में, ३—वकील सरकार की फीस।
६	७	८	९
६—५—४९ २६—५—४९	असेसर पूरी संख्या मे नहीं आये, २६ को गवाह पेश होकर बाद दोपहर थानेदार तफ-तीश, जिसने दी नहीं, आया, इस कारण २७ को हटा दिया।	हुलासी जेल में अर्जुन व मथुरा जमानत पर	१६ रु० ४ आना गवाहों के और ७ रु० असेसरों के मार्ग व्यय और भोजन में और कोई हानि नहीं हुई।
२७—४—४९	को असेसर देर से आये तामील गलत हुई, देरी से आरम्भ हुआ।	जमानत पर	कोई हानि नही हुई।
२०—४—४९	,,	जमानत पर	३ रु० गवाहो के वेतन मे हानि हुई।
२८—४—४९	गवाह सबूत थानेदार नहीं आये केवल एक असेसर आया, २८ को हटाकर १६ को हुआ	२ जमानत पर ८ जेल में	२ रु० ८ आना असेसरों के मार्ग व्यय भोजन में हुए। ४१ रु० ८ आना असेसर के मार्ग व्यय व भोजन में। यह मुजफ्फरपुर, के पुलिस के गवाह न आने से हुए और वही जिम्मेदार हैं।
६—७—१९४९ को हटाया	६ को भागीरथ मुलजिम व एक असे-सर नहीं आया, ७ को बाद दोपहर ३ बजे श्री अख्तर आलम कार्रवाई शुरुआत करने वाले नहीं आये तो ८ को हटाया।	जमानत पर	७ रु० ८ आना गवाहों और १३ रु० असेसरों के मार्ग व्यय और भोजन में खर्च हुये आधे दिन की फीस वकील सरकार में हानि हुई।

स्थगित किया हुआ मुकद्दमा क्रम-संख्या	संख्या सेशंस मुकद्दमा	नाम अभियुक्त	संख्या धारा व नाम कानून जिसके अंतर्गत मुकद्दमा चलाया गया हो	सेशंस न्यायालय की तिथि या तिथियां
१	२	३	४	५
१०	स० टि० न० १३, १९४८	रेक्स बनाम ब्रह्मानन्द वगैरह	धारा ३९५-३९७ ताजीरात हिंद	१६-६-४ १७-६-४९ १८-६-४९ २०-६-४९ २४-६-४९ २५-६-४९
११	स० टि न० १५, १९४८	रेक्स बनाम अब्दुल अजीज वगैरह	धारा ३७३-३७८ ताजीरात	२५-८-४८ २६-८-४८ ७-९-४८ ७-९-४८
१२	स० टि० न० २७, १९४८	रेक्स बनाम शिवलाल वगैरह	धारा ३६६ ताजीरात हिंद	२०-१२-४८ २१-१२-४८ २३-१२-४८
१३	स० टि० न० १६, १९४९	रेक्स बनाम नियाज उल्ला	धारा ३९५ ताजी रात हिंद	२०-६-४९ २१-३-४९

तिथि या तिथियां जिसके लिये मुकद्दमा स्थगित हुआ	कारण जिससे स्थगित हुआ	अभियुक्त जेल में थे या जमानत पर छूटे हुये थे	सरकारी रु० की हानि, जो मुकद्दमे में स्थगित होने से हुई । १—जज के वेतन में, २—गवाहों और असेसरों के मार्ग व्यय और भोजन मे, ३—वकील सरकार की फीस ।
६	७	८	९
२२–६–४९ से २३–६–४९ को हटा	२० तारीख को बाद दोपहर श्री हरीशचन्द श्रीवास्तव जिनके नाम सम्मन नहीं निकला २२ को हटा दिया २२ को नहीं आये तो २३ को हटा दिया इस तारीख को भी नहीं आये तो २४ को हटा दिया ।	२ जमानत पर और ७ जेल में थे	३० रु० गवाहों और २ रु० ८ आना असेसरों मे खर्च हुये ।
२६–६–४८	यह मुद्दकमा २६ को श्री सुख दर्शन शर्मा थानेदार व चपरासी मु० सदीक के न आने के कारण हटा	जमानत पर थे	१ रु० ८ आना गवाहों और ७ रु० ८ आना असेसरों के मार्ग व्यय भोजन मे खर्च हुये ।
२१–१२–४८	इस तारीख पर गवाह सबूत नहीं आये इस कारण बाद दोपहर हटाया गया	जमानत पर	कोई हानि नही हुई ।
२०–६–४९	२० ता० को गवाह सबूत तलब नहीं हुए, इस कारण मुकद्दमा हटाया गया ।	एक जमानत और एक जेल में	७ रु० ८ आना असेसरों के मार्ग व्यय व भोजन में हानि हुई ।

नत्थी 'ग'

(देखिये १० जनवरी, १९५० के तारांकित प्र० सं० १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१३ पर)

नाम जिला		स्थगित किये हुये मुक़द्दमों की संख्या	नाम जिला		स्थगित किये हुये मुक़द्दमों की संख्या
आगरा	..	२२२	शाहजहांपुर	..	५७
अलीगढ़	..	..	बहराइच	..	..
बुलन्दशहर	..	..	बाराबंकी	..	१६
देहरादून	..	१४	फैजाबाद	..	९३
एटा	..	९२	गोंडा	.	..
मैनपुरी	..	१०४	हरदोई	..	३६५
मेरठ	..	३५	लखनऊ	..	३२
मथुरा	..	९	प्रतापगढ़	..	१३
मुजफ़्फ़रनगर	..	४०	रायबरेली	..	७
सहारनपुर	..	६२	सीतापुर	..	..
इलाहाबाद	..	७०	सुलतानपुर	..	..
बांदा	..	७	उन्नाव	..	..
कानपुर	..	२२३	आजमगढ़	..	२६
इटावा	..	४९	बलिया	..	७८
फर्रुखाबाद	..	६१	बस्ती	;	१४
फतेहपुर	..	२१	बनारस	..	६
हमीरपुर	..	२२	गाजीपुर	..	२०
जालौन	..	३५	देवरिया	..	१५
झांसी	..	..	गोरखपुर	..	१००
बरेली	..	..	जौनपुर	..	..
बिजनौर	..	..	मिर्जापुर	..	११
बदायूं	..	..	सी० आई० डी०	..	६
खीरी	..	५	जी आर० पी०, ए० सी० डी० और		
नैनीताल	..	६	ई० सेक्शन	..	१४५
मुरादाबाद	..	६५	बी० सेक्शन	..	१२१
पीलीभीत	..	४			

नत्थी 'घ'

(देखिये १० जनवरी, १९५० ई० के तारांकित प्रश्न सं० १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१३ पर)

मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर ज़िलों में सन् १९४८ ई० में दिये गये बिजली के कनेक्शनों का नक्शा

क्रम-संख्या	बिजली पाने वाले का नाम	बिजली का भार	काम जिसके लिये बिजली दी गई	कैफियत
	जिला मुरादाबाद			
१	श्री रघुबर दयाल, पुजारी स्ट्रीट, मुरादाबाद ..	०.६ किलोवाट	रोशनी और पंखा	
२	,, नन्दकिशोर मेहरा, राजोगली, मुरादाबाद ..	०.२४ ,,	,,	..
३	,, मुहम्मद नौशा, गुनियां बाग़ मुरादाबाद	०.४६ ,,	,,	..
४	,, पृथ्वीराज मिश्रा, जिलाल स्ट्रीट, मुरादाबाद ..	०.४ ,,	,,	..
५	,, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर, मुरादाबाद	५ हार्स पावर	पम्पिंग सेट	..
६	,, अनवर अली, भाई सराय, मुरादाबाद ..	०.७८ किलोवाट	रोशनी और पंखा	..
७	,, अजीजुल रहमान, पक्का सराय, मुरादाबाद ..	०.२७ ,,	,,	..
८	,, अमर सिंह, गंज, मुरादाबाद	०.३१५ ,,	,,	..
९	,, सेक्रेटरी, खत्री धर्मशाला, मुरादाबाद ..	०.७९५ ,,	,,	..
१०	,, केदारनाथ, दी माल, मुरादाबाद ..	१.३८ ,,	,,	..
११	,, सैयद हातिमउद्दीन राहत मौलाई मुहल्ला डहरिया, मुरादाबाद ..	०.३९ ,,	,,	..

क्रम-संख्या		बिजली पाने वाले का नाम	बिजली का भार	काम जिसके लिये बिजली दी गई	कैफियत
१२	श्री	अनवरुल हक़, गलशहीद, मुरादाबाद ..	०.२९ किलोवाट	रोशनी और पंखा	..
१३	,,	बेनीदास पोरवल मु० गुजराती, मुरादाबाद	०.४६५ ,,	,,	..
१४		मैनजर, कारोनेशन इंटर – कालेज, मुरादाबाद	१.८ ,,	,,	..
१५	,,	चुन्ना लाल शंखधर, गरीखाना मुरादाबाद ..	०.४५ ,,	,,	..
१६	,,	शाबिर हुसेन, मुहल्ला डहरिया, मुरादाबाद	०.४५ ,,	,,	..
१७	,,	अमीनुद्दीन बारसी, बछरावां	१० हार्स पावर	औद्योगिक	..
१८	,,	रामनिवास, चांदपुर ..	०.५ किलोवाट	रोशनी और पंखा	..
१९	,,	बृजवासी लाल, चांदपुर ..	०.५ ,,	,,	..
२०	,,	हकीम मुहम्मद मेहदी, अमरोहा	०.१६५ ,,	,,	..
२१	,,	बृज मोहन शरण, अमरोहा	०.१०५ ,,	,,	..
२२	,,	मुहम्मद मुजफ्फर हुसेन, बछरावां ..	०.२२५ ,,	,,	..
२३	,,	बाकेलाल गुप्त, अमरोहा ..	०.२२५ ,,	,,	..
२४	,,	मुहम्मद आबिद, अमरोहा	०.२४५ ,,	,,	..
२५	,,	अजहर हुसेन सिद्दीकी, चांदपुर	०.४९ ,,	,,	..
२६	,,	सुदर्शन दयाल, हसनपुर ..	०.४९५ ,,	,,	..
२७	,,	फजल अहमद, अमरोहा ..	०.२४ ,,	,,	..
२८	,,	जगदीश शरण, चन्दौसी आइल मिल, चंदौसी ..	०.१६ ,,	,,	..
२९	,,	गोपालदास बदामी, हयातनगर, सम्भल ..	०.१६ ,,	,,	..

क्रम-संख्या	बिजली पाने वाले का नाम	बिजली का भार	काम जिसके लिये बिजली दी गई	कैफियत
३०	श्री मनकूल शरण, मु० ठेर, सम्भल ..	०.३ किलोवाट	रोशनी और पंखा	..
३१	आनरेरी सेक्रेटरी, एस० एम० कालेज, मिहीवाल, फ्री होस्टल चन्दौसी	१.०६ ,,	,,	..
३२	,, प्यारेलाल, मु० कोट, संभल	०.३ ,,	,,	..
३३	,, यशोदानन्दन वार्शनी मुहल्ला पील, चन्दौसी ..	०.२२ ,,	,,	..
३४	आनरेरी सेक्रेटरी, एस० एम० कालेज, न्यू० होस्टल, चन्दौसी ..	०.८७ ,,	,, तथा घरेलू काम	..
३५	,, शम्भू शरण रस्तोगी, हयात नगर, सम्भल ..	१५ हार्स पावर	तेल व आटा मिल	..
	जिला मुजफ्फरनगर			
३६	डा० हीरालाल सेक्रेटरी डी० ए० वी० कालेज, मुजफ्फर नगर ..	३ हार्स पावर	ट्यूबवेल	..
३७	श्री हरी रतन स्वरूप, नई मंडी, मुजफ्फरनगर	३ ,,	,, खती के काम के लिये	..
३८	,, रघुवीर शरण, म्यूनिसिपल कमिश्नर मुजफ्फरनगर	३ ,,	,,	..
३९	,, पद्म प्रसाद जैन, खदेरवाली स्ट्रीट, मुजफ्फरनगर	१० ,,	नेवाड़ फैक्टरी	..
४०	,, सज्जाद अहमद, कैराना, जिला मुजफ्फरनगर ..	०.१९ किलोवाट	रोशनी और पंखा	..
	जिला सहारनपुर			
४१	,, तेज अनामल वर्क्स, सहारनपुर	२५ हार्स पावर	औद्योगिक काम के लिये	..

क्रम-संख्या		बिजली पाने वाले का नाम	बिजली का भार	काम जिसके लिये बिजली दी गई	कैफियत
४२		रानी राजकुमारी लधौरा, रुड़की जिला सहारनपुर	०.५ किलोवाट	रोशनी और पंखा	
४३	श्री	चमन लाल, गगोह, जिला सहारनपुर	०.३८ ,,	,,	.
४४	,,	आशाराम शराफ, देवबन्द .. सहारनपुर	०.२४५ ,,	,,	.
४५	,,	नरेन्द्र कुमार जैन, देवबन्द, सहारनपुर ..	०.२५ ,,	,,	..
४६	,,	मकबूल अहमद, देवबन्द, .. सहारनपुर	१५ हार्स पावर	,, आटा की चक्की	
४७		महत मनी भारती, निर्वानी .. अखाड़ा, कनखल हरद्वार यूनियन	२ हार्स पावर	पानी पम्प करने के लिये	..
४८	श्री	जगदीश सिंह, नवाबगंज, सहारनपुर	०.२२५ किलोवाट	रोशनी और पंखा	..
४९		डा० आर० बागची, कोट .. रोड, सहारनपुर	०.३६० ,,	,,	..
५०		डा० आर० बागची, ..	३ हार्स पावर	एक्सरे प्लाट	..
५१	श्री	गिरधारी लाल ब्रह्मानन्द, .. विटोगंज, रुड़की, सहारनपुर	०.६ किलोवाट	रोशनी और पंखा	शादी के लिये टेम्पो-रेरी कनेक्शन
५२	,,	राधाकृष्ण कबाड़ी बाजार .. रुड़की, सहारनपुर	१ ,,	,,	,,
५३	,,	गणेश दास, रुड़की, सहारनपुर	०.५ ,,	,,	,,
५४	,,	सुन्दरलाल जैन, रुड़की, .. सहारनपुर	१ ,,	,,	,,
५५	,,	यम० आई० अन्सारी, .. मु० सत्ती, रुड़की, सहारनपुर	०.५ ,,	,,	गी कनेक्शन

क्रम–संख्या	बिजली पाने वाले का नाम	बिजली का भार	काम जिसके लिये बिजली दी गई	कैफियत
५६	श्री धनप्रकाश गुप्ता, ५८ ई० डब्ल्यू० रुड़की, सहारनपुर ..	०.१ किलोवाट	रोशनी और पंखा	री–कनेक्शन
५७	,, कैलाशचन्द्र, गवर्नमेंट कंट्रेक्टर रुड़की, सहारनपुर	४ ,,	,,	शादी के लिये टेम्पोरेरी कनेक्शन
५८	,, नेमचन्द जैन, रुड़की, सहारनपुर ..	२.५ ,,	,,	,,
५९	,, हरनाम सिंह, मंगल भवन रुड़की सहारनपुर ..	१ ,,	,,	,,
६०	,, सुन्दर लाल जैन, रुड़की, सहारनपुर ..	१ ,,	,,	,,
६१	,, प्रेमचन्द, कबाड़ी बाजार, रुड़की, सहारनपुर ..	०.५ ,,	,,	,,
६२	,, भागीरथ लाल सुमेरचन्द्र, रुड़की, सहारनपुर ..	०.५ ,,	,,	,,
६३	,, कुंदालाल परशुराम, रुड़की, सहारनपुर	५ ,,	,,	,,
६४	,, ज्ञानचन्द्र, होस्टल सुपरिन्टेंडेंट, गवर्नमेंट हाई स्कूल रुड़की, सहारनपुर ..	०.२५ ,,	,,	,,
६५	,, ज्ञान चन्द्र वर्मा, घड़ी साज, सहारनपुर	०.२५ ,,	,,	,,
६६	,, चण्डी प्रसाद शर्राफ रुड़की, सहारनपुर ..	३ ,,	,,	,,
६७	,, महंत आशाराम पुरी ९८ नम्बर तालाब रुड़की, सहारनपुर ..	०.४ ,,	,	,,
६८	,, सुरजा मल वल्द भागीरथ लाल सहारनपुर	०.५ ,,	,,	,,
६९	सेक्रेटरी, रामलीला कमेटी रुड़की, सहारनपुर ..	५ ,,	,,	,,

नत्थी 'ङ'

(देखिए १० जनवरी, १९५० के तारांकित प्रश्न सं० ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१८ पर)

विज्ञापन

पंचायत इन्सपेक्टर की नियुक्ति--सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि युक्त प्रांतीय शासन द्वारा पंचायत इन्सपेक्टरो के पद पर नियुक्ति के इच्छुक उम्मीदवार को, जो निम्नांकित योग्यतायें रखता हो, अपना मुद्रित (टाइप किया) प्रार्थना-पत्र आवश्यक सूचना के साथ संचालक, पंचायत राज, प्रान्तीय सचिवालय, लखनऊ के पास दिनांक मार्च, १९४९ ई० के ४ बजे सायंकाल तक भेज देना चाहिये। प्रार्थना-पत्र के प्राप्ति की सूचना चाहने वाले व्यक्ति उसे जवाबी रजिस्ट्री द्वारा भेजें।

२--योग्यता (क)--उम्मेदवार का हाई स्कूल तथा इन्टरमिडियेट बोर्ड की इन्टरमिडियेट परीक्षा हिन्दी विषय के साथ अथवा सरकार द्वारा मान्य अन्य समक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि हिन्दी भाषा इन्टरमीडियेट परीक्षा का एक विषय न रहा हो तो हाईस्कूल परीक्षा का विषय हिन्दी अवश्य होना चाहिये।

(ख) जिस उम्मीदवार ने निम्नांकित परीक्षाओं में से एक को भी हाईस्कूल परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ पास की हो या अंग्रेजी भाषा को ऐच्छिक विषय के रूप में लेकर निम्नांकित परीक्षाओं में से किसी एक को पास किया हो तो ऐसी योग्यता प्रस्तर २(क) में निर्धारित न्यूनतम योग्यता के समकक्ष मानी जायगी।

(१) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की मध्यमा परीक्षा।
(२) काशी विद्यापीठ की शास्त्री परीक्षा।
(३) गुरुकुल कांगड़ी की विद्याविनोद परीक्षा।
(४) क्वीन्स संस्कृत कालेज की मध्यमा परीक्षा।

३--वेतन--वेतन दर १२०-६-१८० दक्षता रोक १०-२०० होगी।

४--आयु--उम्मीदवार की आयु १ जनवरी, १९४९ ई० को २२ वर्ष से कम और २५ वर्ष से अधिक न होनी चाहिये। सरकारी अथवा स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारी ४५ वर्ष की आयु तक के लिये जा सकेंगे। देश की सेवा में त्याग किये और कष्ट पाये हुये व्यक्तियों के लिये आयु की चरम सीमा ४ वर्ष अधिक होगी।

५--निवासी--उम्मीदवार युक्त प्रान्त अथवा बनारस, रामपुर या टेहरी-गढ़वाल की रियासत का निवासी हो।

६--आयु तथा शिक्षा सम्बन्धी योग्यता के प्रमाण-पत्रों की और दो जिम्मेदार व्यक्तियों के, जो उम्मीदवार के संम्बन्धी न हों, उत्तम आचरण के प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियां, तथा देश की सेवा में त्याग किये और कष्ट पाये व्यक्तियों के लिये इस सम्बन्ध में शिक्षा-प्रमाण का नीचे उल्लेख है उसकी प्रतिलिपि का आवेदन-पत्र के साथ भेजना आवश्यक है। उम्मीदवार की नियुक्ति के अधिकारियों से भेंट करने (इन्टरव्यू) के समय कुल प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी पड़ेंगी।

७--उम्मीदवार को ग्रामीण-जीवन और समाज-सेवा कार्य का भी अनुभव होना चाहिये।

८--उम्मीदवार को अपने व्यय पर चुनाव समिति के सन्मुख उपस्थित होना होगा।

९--चुने जाने के पश्चात् उम्मीदवार को एक पक्ष की शिक्षा दी जायगी जिस काल में उसे चार रुपया प्रति दिन के हिसाब से वृद्धि दी जायगी।

१०--इस पद के कुछ स्थान देश की सेवा में त्याग किये और कष्ट पाये व्यक्तियों लिये तथा समाज-सेवा (सोशल सर्विस) डिप्लोमा प्राप्त लोगों के भी लिये सुरक्षित कि गये हैं।

११—देश सेवा में त्याग करने वाले जो उम्मीदवार शासकीय पत्र सं० ओ-१२९०-११८/१००३-४७, दिनांक ५ अप्रैल, १९४८ ई० जिसका संक्षेप में उद्धरण नीचे दिया जाता है, के अधीन शिक्षा सम्बन्धी योग्ताओं में सुविधा करने के इच्छुक हों, उसे उसमें दिये गये आदेशानुसार आवश्यक प्रमाण-पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा।

१२—यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव डालेगा, तो वह पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जायगा।

१३—प्रारम्भ में यह पद अस्थायी होंगे, परन्तु कालान्तर में उनका स्थायी हो जाना सम्भव है।

सूचना—(१) शासकीय पत्र सं० ओ०-१२९०/११८,-१००३ ४७, ता० ५ अप्रैल, १९४९ ई० के अनुसार हाई स्कूल परीक्षा या युक्त प्रान्तीय सरकार द्वारा मान्य अन्य समकक्ष परीक्षा, इंटरमीडियेट परीक्षा की योग्यता के बराबर समझी जायगी।

(२) उपर्युक्त सुविधा का लाभ साधारणतः ऐसे उम्मीदवार के लिये सीमित रहेगा, जिसने कम से कम ६ मास की सजा पाई हो तथा जिसके प्रमाण में वह उस जिलाधीश का जिसके कार्यक्षेत्र में उसका निवास है, एक सार्टीफिकेट उस आशय का प्रस्तुत करेगा कि उम्मीदवार ने देश की राजनैतिक उन्नति के हेतु कम से कम ६ मास की सजा भोगी है।

मुकुट बिहारी लाल दर,
मंत्री, स्वशासन विभाग।

शासकीय आदेश संख्या २९१०/पं० रा० वि०—११४-४८ दिनांक २६, फरवरी १९४९ ई० जो संचालक पंचायत राज विभाग से पबलिक सर्विस कमीशन के मन्त्री को प्रेषित किया गया था, का उद्धरण—

२—पदों के लिये निर्धारित योग्यतायें निम्नलिखित हैं—

(१) निवास स्थान-सामाजिक कार्यों तथा ग्राम जीवन के अनुभवों के साथ संयुक्त प्रान्त का निवासी हो।

(२) आयु-२२ से ३५ वर्ष केवल सरकारी तथा स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों को छोड़ कर जिनकी अधिकतम आयु सीमा में ४५ वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

(३) शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें इन्टरमीडियेट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष संयुक्त प्रान्तीय सरकार से मान्य परीक्षायें, हिन्दी का अच्छा ज्ञान अनिवार्य है।

शासकीय आदेश संख्या ९१७३ (पं रा० वि० दिनांक १३ जुलाई, १९४९ ई०) जो संचालक पंचायत राज विभाग द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन के मन्त्री को प्रेषित किया गया था का उद्धारण—

३—मुस्लिम पदाधिकारियों में से थोड़े ही पदाकांक्षी प्राप्त होने के कारण शासन में मुसलमान पदाकांक्षियों को हिन्दी विषय के साथ हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने से मुक्त कर दिया है, यदि वे हिन्दी लिखने तथा पढ़ने में पूर्णतया योग्य हैं।

शासकीय आदेश संख्या ५०२८ पं० रा० वि०—११४-४८, दिनांक २५ मार्च, १९४९ ई० जो संचालक पंचायत राज विभाग से पब्लिक सर्विस कमीशन के मन्त्री को प्रेषित किया गया था, के उद्धरण—

३—इसलिये शासन ने निश्चित किया है कि वर्तमान चुनाव के लिये तथा आदेश संख्या २९१० ई० दिनांक २६ फरवरी, १९४९ के आंशिक संशोधन में निर्धारित योग्यताओं में निम्नलिखित छूट दे दी जावे, यदि चुनाव समिति की राय में पदाकांक्षी पद के लिये पूर्णतया योग्य है तथा इन छूटों के न दिये जाने पर वह चुना नहीं जा सकता है।

(क) राजनैतिक पीड़ित (श्रेणी अ)।

(अ) शासकीय आदेश संख्या १२९०, ११८—१००३-४७, दिनांक ५ अप्रैल, १९४७ ई० में निर्धारित ६ मास के कारावास के दंड की शर्त का पालन दृढ़ता के साथ न किया जावे। केवल इतना ही पर्याप्त होगा कि यदि पदाकांक्षी ने व्यक्तिगत रूप से देश के हित के लिये हानियां उठाई है तथा आदर्शनीय सेवाये की हों तथा अब वह अपने को निन्दनीय कार्यो मे पृथक रखता हो,

(ग) न्यूनतम आयु सीमा मे एक वर्ष की कमी कर दी जावे तथा अधिकतम आयु सीमा ३५ से ४५ वर्ष तक बढ़ा दी जावेगी।

(स) शिक्षा सम्बन्धी योग्यताये—यदि राजनैतिक पीड़ितो मे से निर्धारित शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं के योग्य पदाकाक्षी पूर्ण संख्या मे न प्राप्त हो तो ऐसे पदाकांक्षी को उसके अत्युक्त जनकार्यों, साधारण कार्य क्षमता तथा अधिक अनुभव के दृष्टिकोण से चुना जा सकता ह, यदि उसकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता, उस प्रकार के राजनैतिक पीड़ितों के लिये निर्धारित योग्यता से एक कक्षा कम है।

(ख) साधारण तथा समाज-सेवा प्राप्त पदाकांक्षी। श्रेणी ब तथा स विशेष परिस्थिति मे 'निर्धारित न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमाओं मे एक वर्ष की छूट दी जा सकती है।

नत्थी 'च'

(देखिये १० जनवरी सन् १९५० ई० के तारांकित प्रश्न सं० ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१९ पर)

संलग्न ब्योरा

योजनाओ के नाम	अनुदान व्यय १९४७-४८	अनुदान व्यय १९४८-४९	अनुदान १९४९-५०
१-ट्रैक्टरों की खरीद	१,५०,०००	१,६०,०००	६०,०००
	९,६९१	१,८१,३४२	
२-कुये (आरटीजन वेल्म) बनाने का खर्च	५०,०००	२०,०००	५० ०००
		९,६३८	
३-तार (Fancing Wire)	२,००,०००	१,००,०००	५०,०००
	४९ ४७६	३,४३९	
४-५ ट्यूबवेल बनाने का खर्चा	१,००,०००	६०,०००	५०,०००
५-सीमेंट (असबैस्टस) की चादरें और जाली की खरीद	५०,०००	२५,०००	५,०००
६-पुराने हथकलों की मरम्मत और नयों की खरीद	१०,०००	१५,०००	१६,०००
	८,९३०	१३,५८६	
७-गांवों में नल द्वारा पानी पहुंचाने की योजना	१५,०००	४०,०००	१५,०००
	३,७३६	८,२१५	
८-भाबर मे पानी की नालियों में टूट-फूट की मरम्मत	२०,०००	४०,०००	६०,०००
	२८,३५९	३,७४८	
९-रामनगर गन्दे नाले की योजना	४०,०००	५०,०००	७०,०००
		१७,८३३	
१०-गांव की सड़कें बनाने की योजना	..	..	१५,०००
११-मलेरिया रोकने के सम्बन्ध में ग्राम कम्पाउन्डरों की योजना	..	..	२०,०००
कुल ..	६,३५,०००	५,१०,०००	४,११,०००
	१,००,१९२	२,३७,८०१	

सन् १९४७-४८ ई०

सन् १९४७-४८ ई० में हल के मोल लेने में ९,६९१ रु० व्यय हुआ। जंगली जानवरों से बचाने के लिये खेतों के चारों ओर लगान के लिये ४९,४७६ रु० का तार खरीदा गया। भाबर में जल का अत्यन्त कष्ट है। गावों को पाइप द्वारा पानी पहुंचाने की योजना पर ३,७३६ रु० खर्च किया गया। पानी लेजाने वाले नलों के सुधार एवं बनाने के लिये २८,३५९ रु० का व्यय हुआ। (हथकलों) हैन्ड पम्प के सुधारने तथा लगाने में ८,९३० रु० खर्च हुआ। इस तरह से १९४७-४८ में १,००,१९२ रु० कुल व्यय हुआ।

सन १९४८-४९ ई०

सन् १९४८-४९ ई० में १,८१,३४२ रु० से ६ ट्रैक्टर मय औजारों के मोल लिये गये। ३,४३९ रु० का तार खरीदा गया। नलों में पानी ले जाने की योजना पर ८,२१५ रु० व्यय हुआ। (हथकलों) हैन्ड पम्प्स् की मरम्मत एवं लगान में १३,५८६ रु० व्यय हुआ। पानी की नालियों की टूट-फूट एवं सुधार में ३,७४८ रु० का खर्च पड़ा। तराई में कुछ कुयें इस प्रकार के बनते हैं कि उनमें से पानी सदैव बाहर फुवारे की तरह निकला करता है, ऐसे आरटीजन बेल्स बनाने में ९,६३८ रु० लगे। रामनगर के गन्देनाले की योजना में १७,८३३ रु० का व्यय हुआ। इस प्रकार सन् १९४८-४९ में २,३७,८०१ रु० का काम हो सका। सन् १९४९-५० ई० की योजनायें सरकार की स्वीकृति के लिये माल परिषद से आ चुकी हैं और ये अब सरकार के विचाराधीन हैं।

नत्थी 'छ'

(देखिये १० जनवरी सन् १९५० ई० के तारांकित प्रश्न सं० ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२३ पर)

जिला		गिरफ्तारी के जो वारन्ट जारी किये गये उनकी संख्या	जेल भेजे गये व्यक्तियों की संख्या	सजा पाने वाले व्यक्तियों की संख्या
सहारनपुर	..	१,२६५	३	..
मुजफ्फरनगर	..	७४४	४८	..
मेरठ	..	२,२५४	२८	१
बुलन्दशहर		१४८	..	७
अलीगढ़	..	६१३	..	१३६
मथुरा	..	१९	५	..
आगरा	..	१६३	८९	२०
मनपुरी	..	१७६४	..	७०
एटा	..	१५२	१०१	१
बरेली	..	३४२	६	१३
बिजनौर	..	२००	३	३
बदायूं	..	३२२	३४	१५७
मुरादाबाद	..	३१८	११	२२
शाहजहांपुर	..	५५३	९	२०
पीलीभीत	..	..	.	

जिला		गिरफ्तारी के जो वारन्ट जारी किये गये उनकी संख्या	जेल भेजे गये व्यक्तियों की संख्या	सजा पाने वाले व्यक्तियों की संख्या
फर्रुखाबाद	..	७०८	..	६०८
इटावा	..	६९०	१८२	१०१
कानपुर	..	८४	५०	१
फतेहपुर	..	१५१	४८	१५
इलाहाबाद	..	८५३	..	..
झांसी	..	८३४	..	२१६
जालौन	..	२११	२५	१
हमीरपुर	..	५१	..	१
बांदा	..	५०४	१५६	.
लखनऊ	..	४३७	६	३
उन्नाव	..	२२२	..	३
रायबरेली	..	१२७	..	६
सीतापुर	..	५	३	२
हरदोई	..	३१८	७	..
खीरी	..	१७	.	..
गोंडा	..	७८९	९	७०
बहराइच	..	११९	४	..
बाराबंकी	..	५९	१	..
कुल	..	१५,०३५	८२८	१,४७७

नत्थी 'ज'

(देखिये १० जनवरी, सन् १९५० ई० का तारांकित प्रश्न सं० ११२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२६ पर)

जिला			बटवारा अमीन	उजरती अमीन
नैनीताल	..	..	..	६
अल्मोड़ा	..	..	..	..
बारामंडल	..	..	२	८
पाली रानीखेत तहसील		..	२	६
पिथौरागढ़ तहसील	..	..	१	६
लोहाघाट	..	..	१	२
गढ़वाल		..		
पौड़ी तहसील	..	..	२	३
लैन्ड रेकार्ड आफिस पौड़ी		..	१	
लैन्सडाउन तहसील	..	..	२	२
चमोली तहसील	..	..	२	२

सूची २

ज़िला	कोर्ट का नाम	उजरती अमीन का नाम
नैनीताल ..	ज़िला कार्यालय	१—श्री श्री किसन
		२—श्री देवान सिंह
		३—श्री किसन सिंह
		४—श्री रामदत्त
		५—श्री दान सिंह
		६—श्री हर दत्त
अल्मोड़ा ..	कारामंडल	१—श्री गंगा दत्त
		२—श्री मनी राम
		३—श्री रेवाधर
		४—श्री जीत सिंह
		५—श्री दुर्गादत्त
		६—श्री उम्मेद सिंह
		७—श्री विष्णु दत्त
		८—श्री मोती सिंह
	पाली रानीखेत	१—श्री बच राम
		२—श्री हर सिंह
		३—श्री टीका राम
		४—श्री हीरा बल्लभ
		५—श्री चिन्तामनी
		६—श्री गोबिन्द बल्लभ
	पिथौरागढ़	१—श्री मनोरथ
		२—श्री मोहन सिंह
		३—श्री मदन सिंह
		४—श्री बंशीधर
		५—श्री धनीराम
		६—श्री पूर्णानन्द
	लोहाघाट	१—श्री खीम सिंह
		२—श्री लक्षमन सिंह
गढ़वाल	बारहस्यूं	१—श्री भुवन चन्द्र
		२—श्री गुनानन्द
		३—श्री शंकर सिंह
	लैन्सडाउन	१—श्री चन्दन सिंह
		२—श्री विद्यादत्त
	चमोली	१—श्री नारायण सिंह
		२—श्री दरबान सिंह

पी० एस० यू० पी० १३६—एल० ए०—१९५०—५०००

संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

बुधवार, ११ जनवरी सन् १९५० ई०

असेम्बली की बैठक असेम्बली-भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१८७)

अचल सिंह
अजित प्रताप सिंह
अब्दुल बाक़ी
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद
अम्मार अहमद खां
अर्नेस्ट माईकेल फिलिप्स
अली जर्रार जाफ़री
अल्फ्रेड धर्मदास
असग़र अली खां
अक्षयबर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फन्थम
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
उदयवीर सिंह
एजाज़ रसूल
कमलापति तिवारी
करीमुर्रज़ा खां
कालीचरण टण्डन
किशनचन्द पुरी
कुंजबिहारी लाल शिवानी
कुशलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्ण चन्द्र
कृष्ण चन्द्र गुप्त
केशव गुप्त
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
खानचन्द गौतम
खुशवक्तराय
खुशीराम
खूबसिंह
गंगाधर
गंगा प्रसाद
गंगा सहाय चौबे
गजाधर प्रसाद
गणपति सहाय
गणेश कृष्ण जैतली
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय
चतुर्भुज शर्मा
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्र भानुशरण सिंह
चरण सिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ दास
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
जगन प्रसाद रावत
जगमोहन सिंह नेगी
जय कृष्ण श्रीवास्तव
जयपाल सिंह

जयराम वर्मा
जहीरुल हसनैन लारी
जहूर अहमद
जाकिर अली
जाहिद हसन
जुगुल किशोर
त्रिलोकी सिंह
दयालदास भगत
दाऊदयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु अवस्थी
दीन दयालु शास्त्री
दीप नारायण वर्मा
नफ़ीसुल हसन
नवाजिश अली खां
नवाब सिंह
नाजिम अली
नारायण दास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
पूर्णमासी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रागनारायण
प्रेम किशन खन्ना
फखरुल इस्लाम
फतेह सिंह राणा
फूलसिंह
बदन सिंह
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बशीर अहमद
बादशाह गुप्त
बाबू राम वर्मा
बृजमोहनलाल शास्त्री
भगवती प्रसाद दुबे
भगवती प्रसाद शुक्ल
भगवानदीन
भगवानदीन मिश्र
भारत सिंह यादवाचार्य
भीम सेन
मंगला प्रसाद
मसुरिया दीन
महफूजुर्रहमान
महमूद अली खां
मिजाजी लाल
मुकन्द लाल अग्रवाल
मुजफ्फर हुसैन
मुहम्मद अदील अब्बासी
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माइल
मुहम्मद जमशेद अली खां
मुहम्मद नबी
मुहम्मद नजीर
मुहम्मद यूसुफ़
मुहम्मद रजा खां
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
मुहम्मद शाहिद फाखरी
मुहम्मद सुलेमान अधमी
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुवंशनारायण सिंह
रघुवीर सहाय
राजकुमार सिंह
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन सिंह
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार शास्त्री
राम कृपाल सिंह
रामचन्द्र पालीवाल
रामचन्द्र सेहरा
रामधर मिश्र
रामधारी पांडे
राम बली मिश्र
राम मूर्ति
राम शंकर लाल
राम शरण
राम स्वरूप गुप्त
रोशन जमां खां
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन
लाखन दास जाटव
लालबहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन
लीलाधर अष्ठाना
लुत्फ अली खां
लोटन राम
बंशीधर मिश्र
विजयानन्द मिश्र
विद्याधर बाजपेयी

विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी
विश्वनाथ प्रसाद
विश्वनाथ राय
विष्णु शरण दुब्लिश
वीरेन्द्र शाह
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकर दत्त शर्मा
शान्ति प्रपन्न शर्मा
शिव कुमार पांडे
शिव कुमार मिश्र
शिव दयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिवमंगल सिंह
शिवमंगल सिंह कपूर
श्याम लाल वर्मा
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द सिंघल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सरवत हुसेन
सलीम हामिद खां
साजिद हुसैन
सालिग्राम जयसवाल
सिंहासन सिंह
सीताराम अस्थाना
सुदामा प्रसाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सूर्य प्रसाद अवस्थी
सईद अहमद
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हबीबुर्रहमान खां
हरगोविन्द पन्त
हरप्रसाद सत्यप्रेमी
हरिहरनाथ शास्त्री
हसरत मोहानी
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल
हैदर बख्श

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ११ जनवरी सन १९५० ई०

तारांकित प्रश्न

प्रान्तीय रक्षक दल के सेक्शन लीडरों की ट्रेनिंग

*१--श्री बंशगोपाल (अनुपस्थित)--क्या यह बात सही है कि सरकार सेक्शन लीडर की ट्रेनिंग प्रान्तीय रक्षक दल के ग्रूप लीडरों द्वारा कैम्पों में हर थाने की अलग करवाना चाहती है ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लाल बहादुर)--जी नहीं।

*२--श्री बंशगोपाल (अनुपस्थित)--क्या यह भी सच है कि सरकार न तो सेक्शन लीडरों को खाने का खर्च देना चाहती है और न उन्हें वर्दी-पेटी या सीखने के लिए राइफल या कोई दूसरा सामान ही देना चाहती है ?

माननीय पुलिस सचिव--सेक्शन लीडरों की शिक्षा अपने गांव या उसके पास के गांव में होती है इसलिये उनके खाने के खर्च का सवाल नहीं उठता। उनको शिक्षा के सम्बन्ध में राइफिलें दी जाती हैं पर शिक्षा के बाद वापस ले ली जाती हैं। वर्दी-पेटी नहीं दी जाती।

*३--९--श्री बंशगोपाल (अनुपस्थित)--[स्थगित किये गये।]

जिला बोर्ड के अध्यापकों की हड़ताल से सहानुभूति प्रकट करने पर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की बरखास्तगी

*१०---श्री बंशगोपाल (अनुपस्थित)---(क) क्या यह सच है कि जिला बोर्ड के जिन अध्यापकों ने हड़ताल की थी उनमें से बहुत से अध्यापक नये खुले हुए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर नियुक्त किये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो फतेहपुर जिले में ऐसे कितने अध्यापक हैं ?

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णा नन्द)---(क) जी हां।

(ख) ३२।

*११-----श्री बंशगोपाल (अनुपस्थित) (क) क्या यह भी सच है कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों के उन अध्यापकों के लिए बरखास्तगी का आदेश हो गया है जिन्होंने जिला बोर्ड के अध्यापकों की हड़ताल से सहानुभूति प्रकट की थी ?

(ख) यदि हां, तो फतेहपुर जिले में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों के कितने ऐसे अध्यापक हैं।

माननीय शिक्षा सचिव---(क) जी नहीं, ऐसे सब अध्यापकों को बरखास्त नहीं किया गया है।

(ख) एक भी नहीं।

*१२---श्री बंशगोपाल (अनुपस्थित)-सरकार ने यह नीति क्यों बरती कि जिन अध्यापकों ने स्वयं हड़ताल की उन्हें तरक्की दी गयी और जिन्होंने केवल सहानु-भूति प्रकट की वह बरखास्त किये गये?

माननीय शिक्षा सचिव---जिन अध्यापकों ने हड़ताल में प्रमुख भाग लिया और जिनके सम्बन्ध में ऐसा विश्वास करने का समुचित कारण प्रतीत हुआ कि भविष्य में उनका व्यवहार ठीक रहेगा उनको बोर्डों ने क्षमा कर दिया। उनमें जो हेडमास्टर होने के योग्य समझे गये उनको यह स्थान दिया गया है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को जो १ फरवरी १९४९ के पश्चात् चेतावनी दी जाने पर भी ३ दिन से अधिक हड़ताल पर रहे, बरखास्त कर दिया गया। सरकारी नौकरी के नियमों में अपवाद करने का कोई कारण नहीं देख पड़ता।

फतेहपुर शहर में कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स का सरकारी बोरों की अधिक दामों पर खरीदना

*१३---श्री बंशगोपाल (अनुपस्थित)---क्या सरकार को इस बात का पता है कि सरकारी गल्ले के राशन की दूकानों में दूकानदार को बोरे एक रुपया चार आने की दर पर सरकारी गोदाम से खरीदने पड़ते हैं जबकि यह बोरे बाजार में १२ आने या अधिक से अधिक एक रुपया प्रति बोरा की दर से बिकते हैं।

माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---डी० डब्ल्यू० क्वालिटी के नये बोरों के दाम आज्ञा-पत्र संख्या ११६३ २९-ए०-एफ दिनांक १८ मई १९४९ ई० द्वारा १ रुपया ४ आना प्रति बोरी निर्धारित हुआ था।

बाजार का भाव उसके उपरान्त कुछ घटने लगा पर घटकों को प्रायः नये बोरों के दाम नहीं देने पड़ते हैं किन्तु एक बार उपयोग किये हुये बोरों की दर से ही दाम देना पड़ता है।

*१४---श्री बंशगोपाल (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि फतेहपुर शहर के कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर ने, जिसके पास राशन की दूकानों का प्रबन्ध है, और अन्य दूकानदारों ने जिलाधीश तथा जिला सप्लाई अफसर से यह प्रार्थना की कि उन्हें हर बार

बोरा लेने पर मजबूर न किया जाय और उन्हें इस बात की अनुमति दी जाय कि वह लोग सरकारी गोदाम से अपने बोरों मे गल्ला ले जाया करे ?

माननीय अन्न सचिव--जी हां।

*१५--श्री बशगोपाल (अनुपस्थित)--क्या यह भी सच है कि फतेहपुर के जिलाधीश और जिला सप्लाई अफसर ने इस बात की सिफारिश प्रान्त के खाद्य विभाग से की? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया ? क्या सरकार इस निर्णय की एक नक़ल मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

माननीय अन्न सचिव--प्रथम भाग--जी हां।

द्वितीय भाग--सरकार ने बड़े-बड़े नगरों मे माह जून के दूसरे पक्ष मे बोरियों के प्रचलित दाम की सूचनाये मंगा कर यह निश्चय किया कि माह मई और जून मे गल्ले सहित दिये हुय बोरियों के दाम दो आना प्रति बोरी के दर से कम कर दिया जाय तथा हिसाब करके यह घंटकों के हिसाब मे मुजरा कर दिया जाय अथवा उनको यह रकम लौटा दी जाय।

तृतीय भाग--आज्ञा पत्र संख्या ११६३/२९-ए-एफ, दिनांक १८ मई, १९४९ ई० की प्रतिलिपि मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५९ पर)

*१६--श्री बशगोपाल (अनुपस्थित)--सरकार इस प्रकार की नीति क्यो बरतती है कि दूकानदार को इस बात पर मजबूर किया जाय कि वह सरकारी बोरों को बाजार भाव से अधिक मूल्य पर खरीदे ?

माननीय अन्न सचिव--यह सही नही है कि सरकार बोरियों के दाम बाजार भाव से अधिक लेती है। सरकार इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखती है कि सरकारी बोरियों के दाम बाजार भाव के आधार पर ही रक्खे जाये।

आगरा-बाह सड़क पर सरकार का बसें चलाने का विचार

*१७--श्रीमती लक्ष्मी देवी (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा-बाह सड़क पर कितनी सवारी की लारियां (बस) चलती है और औसतन कितने यात्री प्रतिदिन सफर करते है ?

(ख) क्या सरकार इस सड़क पर यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज की बसे चलाने का विचार करती हैं ? यदि हां, तो कब से ?

माननीय पुलिस सचिव--(क) आगरा-बाह सड़क पर इस समय २९ बसें चलती हैं और औसतन ६९० यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं।

(ख) जी हां। आशा है इस साल के अन्त तक रोडवेज की बसें इस पर चल सकेंगी।

आगरा जिले में डकैतियों को रोक-थाम

*१८--श्रीमती लक्ष्मी देवी (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में गत दो वर्षों में कितनी डकैतियां और क़त्ल हुए ?

(ख) इनमें से कितनी घटनाएं तहसील बाह और फतेहाबाद में हुई और कितनी अन्य तहसीलों में ?

(ग) इनको रोकने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

माननीय पुलिस सचिव---(क) सूचना इस प्रकार है---

			१९४७	१९४९
डकैती	..	..	५५	६३
कत्ल	..	..	६४	४६

	(ख) बाह और फतेहाबाद तहसील में		अन्य तहसीलों में	
	१९४७	१९४९	१९४७	१९४९
डकैती ..	२६	१९	२९	४४
कत्ल .	१६	१५	४९	३१

(ग) इस सम्बन्ध में इन्सपेक्टर जनरल पुलिस ने आगरा जाकर डकैती रोकने के बारे में आगरा शहर और जिले के प्रधान लोगों से बातचीत की, अधिकारियों से भी उन्होंने बातें की और विशेष आदेश दिये। हाल ही में दो नई पुलिस चौकी खोलने और चार थानों में पुलिस की संख्या बढ़ाने की आज्ञा दे दी गयी है। इस जिले में रेलों और सड़कों की कमी तथा नदी के कछार की भूमि अधिक है और ग्वालियर तथा धौलपुर की रियासतें मिली हुई होने के कारण उधर से डकैतों के जत्थे आया करते हैं। कोशिश की गयी है कि रियासतों के साथ सम्मिलित प्रयत्न करके इसका मुकाबिला किया जाय। जिले की पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में काफी सतर्कता से काम किया है और मशहूर डकैतों के जत्थों के कुछ आदमी गिरफ्तार किये गये हैं। इस साल २६ डकैतियों में से १० का पता लगाया जा चुका है। पी० ए० सी० की पांच कम्पनियां वहां हैं। उनके साथ पुलिस ने लगभग १५० छापे मारे हैं।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बहराइच के पशुवध सम्बन्धी उपनियमों पर सरकारी नीति पर असन्तोष

*१९---श्री भगवान दीन मिश्र (अनुपस्थित)---(क) क्या सरकार को मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बहराइच ने पशुवध सम्बन्धी उपनियम सर्वसम्मति से पास करके ता० ९ फरवरी, १९४९ ई० को सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे?

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि ये उप-नियम सरकार द्वारा घोषित नीति के ही आधार पर बनाये गये थे?

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि दो बार तार द्वारा स्मरण कराने पर भी अब तक उसकी स्वीकृति नहीं आयी?

(घ) क्या यह सही है कि कमिश्नर फैजाबाद ने लगभग ४ महीने के बाद उपनियमों की अंग्रेजी प्रतिलिपि बोर्ड से मांगी?

(ङ) प्रान्त की भाषा हिन्दी घोषित हो जाने पर अंग्रेजी प्रतिलिपि भेजना बोर्ड के लिए क्यों आवश्यक था?

माननीय स्वशासन सचिव (श्री आत्माराम गोविन्द खेर)---(क) कमिश्नर की रिपोर्ट द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बहराइच के पशु-संबंधी उप नियम कमिश्नर को २५ फरवरी, १९४९ को मिले।

(ख) ऐसे उपनियमों की स्वीकृति का अधिकार अब कमिश्नरों को दे दिया गया है इस कारण वे उपनियम सरकार के पास नहीं आये।

(ग) कमिश्नर की रिपोर्ट से सरकार को विदित हुआ है कि इस सम्बन्ध में कमिश्नर को केवल एक तार ता० १७-मई, १९४९ ई० को मिला था।

(घ) जी नहीं, उपनियमों की अंग्रेजी प्रतिलिपि लगभग २॥ माह बाद मांगी गई।

(ङ) चूंकि गजट अभी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित होता है अतः गजट की अंगरेजी प्रति के लिये उपनियमों की अंगरेजी प्रति का भेजना बोर्ड के लिये आवश्यक था।

*२०--श्री भगवान दीन मिश्र (अनुपस्थित)--क्या यह भी सही है कि बोर्ड द्वारा अंगरेजी प्रतियां भेजने पर भी बोर्ड को बाध्य किया गया कि वह अंगरेजी में भी उपनियम पास करके भेजे?

माननीय स्वशासन सचिव--जी हां, क्योंकि बोर्ड ने अपने २३ मई सन् १९४९ पत्र में उपनियमों की अंगरेजी प्रति की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं ली थी।

*२१--श्री भगवान दीन मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार ऐसी अवस्था में यह बतलाने की कृपा करेगी कि कमिश्नर की यह टाल-मटोल की नीति किस आधार पर अवलम्बित है? क्या सरकार को ज्ञात है कि म्युनिसिपल बोर्ड बहराइच के पशुबध सम्बन्धी उपनियमों पर सरकारी नीति के विरुद्ध जिले में असन्तोष फैला है?

माननीय स्वशासन सचिव--कमिश्नर ने अपनी जिम्मेदारी के कारण उपनियमों की अंग्रेजी प्रति को भी बोर्ड द्वारा पास कराना आवश्यक समझा। असन्तोष के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई विशेष रिपोर्ट नहीं आई।

राजनीतिक पीड़ितों को सुविधायें

*२२--श्री श्रीचन्द सिंहल (अनुपस्थित)--सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों को रोजगार में लगाने के लिये क्या-क्या सुविधाएं दी हैं?

माननीय पुलिस सचिव--माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी है उसका संक्षिप्त ब्यौरा यह है--

इस प्रान्त में राजनीतिक पीड़ितों को उद्योग में लगाने के लिये २९,५०० रु० एकमुश्त धन के रूप में तथा ४३,००० रु० उधार दिया गया है।

अगस्त, १९४२ आन्दोलन से सम्बन्धित क्षतिपूर्ति के लिये सरकार ने अब तक २३,१८,४१० रु० दिये हैं।

म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के १७७ अध्यापक जो नौकरी से हटा दिये गये थे फिर से अपनी जगह पर नियुक्त किये गये। कुछ अध्यापकों को जिन्होंने सन् १९४२ के आन्दोलन में भाग लिया था १६,४८३ रु० ११ आ० बकाया तनख्वाह के रूप में दिया गया।

सरकार ने तराई और भावर स्टेट में कुछ राजनीतिक पीड़ितों को ११६ एकड़ जमीन खेती करने के लिये दी है।

यातायात विभाग से भी उन्हें ट्रकों के परमिट दिये जाने की व्यवस्था है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सन् १९२१, १९३१ और १९४०-४१ के सत्याग्रहियों को राजनीतिक पीड़ित मानना क्यों अस्वीकार किया गया?

माननीय पुलिस सचिव--राजनीतिक पीड़ित मानने से तो कभी इन्कार नहीं किया जा सकता चाहे जिस किसी राजनीतिक काम में किसी ने भी तकलीफ उठाई हो लेकिन जहां तक इस मुआविजे का सवाल था इसके बारे में जो सरकारी हुक्म निकला था उसमें यह लिख दिया गया था कि जिन लोगों ने सन् १९४२ में नुकसान उठाया है सिर्फ उनके मुआविजे का सवाल पैदा होता है और उन्हें मुआविजा दिया गया है।

नोट--तारांकित प्रश्न २२--३० श्री मुहम्मद असरार अहमद ने पूछे।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैं यही जानना चाहता था कि यह मुआविजा उन लोगों को भी क्यों नहीं दिया गया जो पहले के हैं ?

माननीय पुलिस सचिव--जहां तक नुकसान का सवाल है यानी किसी का मकान उजाड़ दिया गया हो, जला दिया गया हो इस तरह के नुकसान बहुत ज्यादा सन् १९४२ में ही हुये। इससे पहले दूसरे किस्म के नुकसान थे। यानी जो गिरफ्तार हुये उन पर जुर्माने हुये। तो जहां तक जुर्माने वगैरह का सवाल है उस जुर्माने वगैरह को लौटाने की बात तो पुरानी हुई, जिन पर जुर्माने वगैरह हुये उनको दिये भी गये। लेकिन बड़े पैमाने पर जुर्माने वगैरह सिर्फ १९४२ में हुये। उन्ही को लौटाने की बात सरकार ने इस हुक्म में उठाई।

*२३--श्री श्रीचन्द सिंघल (अनुपस्थित)--इम्दाद के लिये कितने राजनीतिक पीड़ितों ने प्रार्थना-पत्र भेजे ? उनमें से कितनों को इम्दाद मिली और किस-किस रूप में ?

माननीय पुलिस सचिव--हर एक आदमी का पूरा ब्योरा देने में सूचना बहुत लम्बी हो जायगी और उसे इकट्ठा करने में काफी समय भी लगेगा परन्तु माननीय सदस्य जिस व्यक्ति विशेष के बारे में सूचना चाहें वह दी जा सकती है। सरकार ने प्रान्त में अब तक ५६२ राजनीतिक पीड़ितों को १,००,७४० रु० सालाना पेंशन के रूप में और ५८,३५० रु० एकमुश्त रकम के रूप में दिया है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि सन् १९४२ ई० में मारे गये लोगों की कुल कितनी दरख्वास्तें मुआविजे और कर्जे के लिये आईं ?

माननीय पुलिस सचिव--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि जन लोगों की दरख्वास्तें आईं उनमें कितने फीसदी लोगों को इम्दाद दी गयी ?

माननीय पुलिस सचिव--बिल्कुल ठीक तो नहीं कह सकता लेकिन अंदाजा यह है कि ३५, ४० फीसदी लोगों को दी गयी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि बकीया ६० फीसदी लोगों को इम्दाद किस वजह से नहीं दी गयी ?

माननीय पुलिस सचिव--बहुत से ऐसे केसेज हैं जिनकी अभी जांच हो रही है, कुछ लोगों ने दरख्वास्तें ही ठीक से नहीं दीं। बहुत से लोगों ने समय के बाद दरख्वास्तें दीं। इसी कारण इतनी तादाद है जिनको अभी तक इम्दाद दी जा चुकी है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि कुछ लोगों को इस क़दर कम्पेन्सेशन दिया गया कि उन्होंने कम्पेन्सेशन लेने से इनकार कर दिया ?

माननीय पुलिस सचिव--मुमकिन है कि दो-चार ऐसे हों, लेकिन अच्छी तरह से जांच कर फैसला किया गया है।

*२४--श्री श्रीचन्द सिंघल (अनुपस्थित)--क्या एप्रूवर्स (इकबालियों) को भी सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों की श्रेणी में रक्खा है ? क्या सरकार को पता है कि कुछ इक़बाली राजनीतिक पीड़तों की तरह से सरकार से इम्दाद और सहूलियत ले रहे हैं ?

माननीय पुलिस सचिव--सरकार ने अपनी जानकारी में किसी भी एप्रूवर्स (इक़बाली) को कोई सहूलियत और सहायता नहीं दी है।

अलीगढ़ के हाफिज उस्मान को हथकड़ी डालकर जेल भेजना

*२५--श्री श्रीचन्द सिंघल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किस-किस दफा के मुलजिम और क़ैदी हथकड़ी डाल कर कचहरी से जेल भेजे जाते हैं ?

माननीय पुलिस सचिव--विचाराधीन और सजा पाये हुये कैदी के हथकड़ी डालने के नियम साथ नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४६१ पर)

*२६--श्री श्रीचन्द सिंघल (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि हाफिज उस्मान साहब, जो अलीगढ़ के एक प्रतिष्ठित कांग्रेसमैन हैं और जिनको अलीगढ़ में दफा १७४ आई० पी० सी० में ५० रु० जुर्माना हुआ था, हथकड़ी डालकर ता० २७ जून को जेल भेजे गये ?

माननीय पुलिस सचिव--श्री हाफिज उस्मान को अलीगढ़ के जुडीशिल मजिस्ट्रेट ने २६ जुलाई, १९४९ ई० को इंडियन पीनल कोड की धारा १७६ के अन्तर्गत ५० रु० जुर्माना और जुर्माना न देने पर १ महीने की सादी क़ैद की सजा दी थी। श्री हाफिज उस्मान ने जुर्माना नहीं दिया और वे क़ैद भुगतने को जेल भेजे गये। जब वे अदालत से अदालत की हवालात ले जाये जा रहे थे तो साधारण श्रेणी के क़ैदियों के नियमों के अनुसार उन्हें हथकड़ी डाली गयी थी। रास्ते में अकस्मात् सुपरिन्टेंडेंट पुलिस ने जो अपने दफ्तर से निकल रहे थे उनको देखा और उनकी हथकड़ियां उतरवा दी। श्री हाफिज उस्मान के जेल जाते समय हथकड़ियां नहीं थीं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि हाफिज उस्मान को जब सजा दी गई तो उन्हें किस क्लास के लिये रखा गया ?

माननीय पुलिस सचिव--अदालत ने जब कोई क्लास नहीं दिया तब वे आर्डिनरी क्लास में ही आते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट को इल्म है कि हाफ़िज उस्मान के मुताल्लिक सब लोगों को मालूम था कि वह न भाग सकते हैं और उनकी वहां काफी इज्जत भी है तो फिर उनको हथकड़ी क्यों लगाई गई ?

माननीय पुलिस सचिव--जहां तक हाफिज उस्मान साहब की जात का ताल्लुक़ है मैंने उन्हें इस वाक़ये के बाद पहले-पहल देखा और इसमें कोई शक नहीं कि वह बहुत मुअज्जिज शख्स हैं और जो मुझ पर उनकी बातों का असर पड़ा वह मुझे एक बहुत ऊंचे क़िस्म के आदमी मालूम हुये और मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि उनको हथकड़ी लगाई गई। लेकिन आप देखेंगे कि उनको गिरफ्तार कर ले जाने वाले कांस्टेबिल्स थे और कांस्टेबिल्स को इस बात का ख्याल होना या इस बात की जानकारी होना कोई लाजिमी बात नहीं थी। जबकि अदालत ने उनको क्लासिफाई नहीं किया तो उन्होंने जो मामूली क़ायदा था उसको बरता। मगर वह कुछ ही क़दम गये थे कि सुपरिन्टेंडेंट पुलिस ने उनको देखा और अपने सामने हथकड़ी उतरवा दी और वह जेलखाने बग़ैर हथकड़ी पहनाये हुये ही ले जाये गये।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतायेगी कि जिन लोगोंने उनको हथकड़ी लगाई थी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी ?

माननीय पुलिस सचिव--कार्यवाही इसलिये नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने कोई बेकायदा काम नहीं किया।

*२७--श्री श्रीचन्द सिंघल (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि हाफिज उस्मान के हथकड़ी किस नियम के अनुसार डाली गयी थी ?

माननीय पुलिस सचिव--जैसा प्रश्न २६ के उत्तर में कहा गया है, श्री हाफिज उस्मान के हथकड़ी नियमानुसार ही डाली गयी थी।

पुलिस के स्पेशल प्रासीक्यूटिंग अफसरों का जुडीशियल मैजिस्ट्रेट बनाया जाना

*२८--श्री श्रीचन्द सिंघल (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ पुलिस के स्पेशल प्रासीक्यूटिंग अफ़सरों को जुडीशियल मैजिस्ट्रेट बनाया है ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा-मंत्री (श्री गोविन्द सहाय)--पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुने गये जुडीशियल मजिस्ट्रेटों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहिले स्पेशल प्रासीक्यूटिंग आफिसर रह चुके हैं।

मैजिस्ट्रेटों के मुकद्‌मों की पाक्षिक रिपोर्ट

*२९--श्री श्रीचन्द सिंघल (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि हर मैजिस्ट्रेट अपने मुक़दमों की पाक्षिक रिपोर्ट अपने ज़िलाधीश के पास भेजता है?

माननीय प्रधान सचिव के सभा-मंत्री (श्री चरण सिंह)--जी हां।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट और दूसरे डिप्टी कलेक्टर जिलाधीश के लिये यह रिपोर्ट किस गर्ज से भेजते हैं?

श्री चरण सिंह--उनकी इत्तिला के लिये और अगर बाद में कभी जरूरत पड़े तो नके मशविरे के लिये।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि यह क़ायदा कब से चला आ रहा है और कब तक जारी रहेगा?

श्री चरण सिंह--यह बहुत दिनों से चला आ रहा है और गवर्नमेंट जब तक जरूरी समझेगी क़ायम रखेगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि यह रिपोर्ट बजाय सेशन्स जज के कलेक्टर को क्यों भेजी जाती है?

श्री चरण सिंह--यह पन्द्रह रोजा रिपोर्ट कहलाती है, पहिले से मजिस्ट्रेट इसको भेजते रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कभी भी किसी अदालती मामले में हिदायत नहीं देता। अगर कोई एक्ज़ीक्यूटिव मामला हो तो हिदायत जरूर देता है, लेकिन अदालती मामले में नहीं।

*३०--श्री श्रीचन्द सिंघल (अनुपस्थित)--क्या यह भी सच है कि जिलाधीश उनके फैसलों पर टीका करके और अपनी राय देकर रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट के पास उसकी जानकारी के लिये भेज देता है?

श्री चरण सिंह--जी नहीं।

कृषि विभाग के लिए ट्रैक्टरों की खरीद

*३१--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या यह सच है कि सरकार ने कृषि विभाग या किसी और विभाग के लिए फ़ोर्डसन मेजर ट्रैक्टर ख़रीदे हैं? यदि हां, तो कब? कितने और कितने दामों पर?

माननीय कृषि सचिव (श्री निसार अहमद शेरवानी)--जी हां। १५ नवम्बर सन् १९४७ ई० से सितम्बर सन् १९४८ ई० तक १०० ट्रैक्टर। प्रति ट्रैक्टर का मूल्य १२,००० रुपया।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि ये १२ लाख के ट्रैक्टर्स एक ही क़िस्म के बराहरास्त ख़रीदे गये या स्टोर पर्चेज के जरिये से और किस ग़र्ज़ से?

माननीय कृषि सचिव--गर्ज तो जाहिर है जो परती जमीन पड़ी है तराई भाबर और मेरठ की खादर की जमीन को काश्त में लाने के लिये खरीदे गये और इसके मुताल्लिक़ जो भी खरीददारी हुई वह स्टोर पर्चेज डिपार्टमेंट के जरिये से हुई।

*३२--श्री मुहम्मद असरार अहमद--इन ट्रैक्टरों की हार्स पावर क्या है? सरकार ने इसकी कैसे जांच की है?

माननीय कृषि सचिव--२२ हार्स पावर। अमेरिका की मेसर्स फोर्ड कम्पनी ने हार्स पावर का प्रमाण दिया है।

हर एक कारखाने के हर एक ट्रैक्टर की हार्स पावर अन्तर्राष्ट्रीय ब्रेक हार्स पावर की जांच के अनुसार ३५ हार्स पावर है। यह जांच इंजिन के बोरें स्ट्रोक की ओर खोलने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय कांस्टेंट को गुणा करके निश्चित की जा सकती है।

ऐसी जांच वहीं पर की जा सकती है जहां पर विस्तृत सुविधायें मिलती हैं जैसे कि इंगलैंड की नेशनल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इंस्टीटयूट और अमेरिका की अमेरिकन इंस्टीटयूट आफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग निवास-का में। इस देश में इस प्रकार की आसानियां भी नहीं मिलती हैं। इस कारण भिन्न-भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध कारखानों द्वारा प्रमाणित हार्स पावर सत्य मान ली गई है।

*३३--श्री मुहम्मद असरार अहमद-यह ट्रैक्टर किस फर्म से खरीदे गये हैं और उस फर्म के कौन-कौन डाइरेक्टर हैं।

माननीय कृषि सचिव-सर्वश्री यूनाइटेड प्राविंसेज़ कमर्शियल कारपोरेशन ३, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मैनेजिंग प्रोप्राइटर श्री एम० वाही। यह एक प्राइवेट संस्था है।

*३४--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार बतायेगी कि इस फ़र्म ने उसे क्या कमीशन दिया है?

माननीय कृषि सचिव--कुछ नहीं।

*३५--श्री मुहम्मद असरार अहमद-क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रान्त में किस-किस माडल, किस-किस हार्स पावर, किस-किस कारखाने और किस-किस क़ीमत के ट्रैक्टर मंगाये जा रहे हैं और उनको खरीदने के लिये सरकार क्या सुविधायें देती है?

माननीय कृषि सचिव--इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना नत्थी है--

सरकार कोई भी सुविधा प्रत्येक सरकारी विभाग को ट्रैक्टर खरीदने में नहीं देती है। आमतौर से प्रत्येक सरकारी विभाग में किसी भी सामान को खरीदने के लिये आर्डर कानपुर में स्थित प्रान्तीय डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के पर्चेज आफिसर के द्वारा दिये जाते हैं।

प्रत्येक फर्म जो कि ट्रैक्टर का व्यापार करती है जब कभी चाहे इस आफिसर से स्वयं मिल सकती है या पत्र-व्यवहार कर सकती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४६२ पर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि सवाल में एक जगह २२, एक जगह ३५ और नत्थी में १८ हार्स पावर दिया हुआ है, तो कौन सा हार्स पावर सही माना जाय, फोर्डसन मेजर का?

माननीय कृषि सचिव-यह एक टेकनिकल मामला है जिसको मैं समझता हूं मुअज्जिज मेम्बर खुद नहीं समझे। हार्स पावर एक-एक ट्रैक्टर में कई-कई क़िस्म के होते हैं। एक हार्स पावर ड्रा पावर होता है जो हर ऐंजिन में डिफरेंट (भिन्न) होता है। यह ऐंजिन की साख के ऊपर कैलकुलेट हिसाब किया जाता है। इसके अलावा उसमें और भी हार्स पावर रहती हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद-क्या गवर्नमेंट यह बतायेगी कि जिस कम्पनी से यह ट्रैक्टर्स खरीदे गये उनके हिस्सेदार और डाइरेक्टर्स कौन-कौन से हैं?

माननीय कृषि सचिव--इस सवाल का जवाब दिया जा चुका है। माननीय सदस्य सवाल नम्बर ३३ की तरफ तवज्जह करें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि मैनेजिंग डाइरेक्टर के अलावा और कौन-कौन से डाइरेक्टर्स हैं?

माननीय कृषि सचिव--मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुझे मालूम नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि इस कम्पनी से गवर्नमेंट को कोई डिस्काउंट क्यों नहीं मिला जबकि और सब ट्रांसपोर्ट वेहीकिल्स पब्लिक को कमीशन पर मिलते हैं?

माननीय कृषि सचिव--मुझे इसके मुताल्लिक मालूम नही है। यह डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के द्वारा पर्चेज किये गये। जो कीमत ठहराई गई, वह कमीशन का लिहाज करके ठहराई गई ?

जिला बदायूं में बिजली के लोड में वृद्धि

*३६--श्री मुहम्मद असगर अहमद--क्या सरकार बतायेगी कि जिला बदायू में इस्लाम-नगर उझियानी तथा बिलसी में बिजली का लोड सन् १९४६-४७-४८ और १९४९ ई० में कितना बढ़ाया गया और किस आधार पर ?

माननीय सार्वजनिक निमाण सचिव व सभा-मत्री (श्री लताफत हुसैन)--माननीय सदस्य के प्रश्न से यह ठीक-ठीक जाहिर नही होता कि वे इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की बिजली की अधिकतम माग की सीमा (Maximun Demand Limit) की वृद्धि जानना चाहते है या यह जानना चाहते है कि इन स्थानो मे नये कनेक्शनो के देने से लोड मे क्या वृद्धि हुई है।

जहा तक अधिक तम मांग की सीमा (Maximum Demand Limit) का सवाल है, इस्लाम नगर, उझानी और बिलसी के बिजली पहुँचाने वाली कम्पनी की माग की सीमा १७० किलोवाट तक सरकार द्वारा १९४६ मे बढा दी गई थी और इसी तरह बदायूं की बिजली कम्पनी की मागे १९४६ मे १३० किलोवाट बढा दी गई थी। इन कम्पनियो की मांग की सीमा सरकार ने चीफ इंजीनियर, नहर विभाग को सिफारिश पर मुकर्रर की थी। इसके बाद और कोई वृद्धि नही की गई।

यदि माननीय सदस्य का मंशा नये कनेक्शनो के देने से बिजली के लोड मे हुए इजाफे से है, तो उसका विवरण निम्नलिखित है--

स्थान		वर्ष	बिजली का लोड	
इस्लाम नगर	..	१९४६	०.३४ किलोवाट	
		१९४७		
		१९४८		
		१९४९		
बिलसी	..	१९४६	१.६४	,,
		१९४७	१६.९०२	,,
		१९४८		,,
		१९४९		,,
उझानी	..	१९४६	८७.४७६	,,
		१९४७	२.२४२	,,
		१९४८		
		१९४९	१९.५	,,
बदायूं	..	१९४६	२४.५१०	,,
		१९४७	११.३७०	,,
		१९४८	०.७६५	,,
		१९४९	३९.०७०	,,

उपर्युक्त कनेक्शन सरकार या बिजली कम्पनियों द्वारा मंजूर किये गए थे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट यह बतायेगी कि शहर बदायूं के मुकाबिले में कस्बा डमियानी को बहुत ज्यादा बिजली की माग क्यो मंजूर की गई ?

श्री लताफ़त हुसैन—वहा ज्यादा बिजली की जरूरत पेश आई, इसलिये वहा ज्यादा दी गई।

*३७—श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या सरकार बतायेगी कि शहर बदायूं का लोड उपरोक्त सालो में कितना-कितना बढ़ाया गया ?

श्री लताफ़त हुसैन—यह सूचना प्रश्न संख्या ३६ के उत्तर मे दी जा चुकी है।

पशु-पालन विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*३८—श्री हर गोविन्द पन्त—(क) संयुक्त प्रान्त के सरकारी पशु-पालन विभाग मे कितने सीनियर पोल्ट्री इन्स्पेक्टर तथा कितने जूनियर पोल्ट्री इन्स्पेक्टर काम करते हैं ?

(ख) वे उक्त पदों पर कितने वर्षों से आरूढ़ हैं तथा उनके वेतन के वर्तमान ग्रेड क्या हैं ?

माननीय कृषि सचिव—(क) ६ सीनियर और १० जूनियर।

(ख) पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुनाव किये जाने से पहले ये कर्मचारी इन जगहो पर १९४४ ई० से काम कर रहे थे। १ अप्रैल १९४७ ई० से इन जगहो के लिये जो नये स्केल मंजूर किये गये हैं वे ये हैं।

सीनियर—२००—१५—३५० रु०

जूनियर १२०—६-२१०—१०—२५० रु०

श्री हरगोविन्द पन्त—जिन पदाधिकारियो के विषय मे प्रश्न है और जिनकी नियुक्ति सरकारी मुहकमों में सन् ४४ में हुई, क्या ये लोग उससे पहले यू० पी० पोल्ट्री एसोसियेशन मे भी नौकरी पर थे ?

माननीय कृषि सचिव—इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। नोटिस मिलने पर दे सकता हूं।

*३९—श्री हरगोविन्द पन्त—क्या सरकार ने उक्त पदों के लिये हाल मे पब्लिक सर्विस कमीशन से चुनाव करवाया था ? यदि हां, तो उसका नतीजा क्या हुआ ?

माननीय कृषि सचिव—(१) जी हां।

(२) सीनियर पोल्ट्री इंस्पेक्टरों की ५० फीसदी जगहे इन जगहों पर पहले से काम करने वालों को मिली और ५० फीसदी जगहे बाहर वालों को, जबकि जूनियर पोल्ट्री इन्सपेक्टरों की सभी जगहे मुहकमे में पहले से काम करने वालों को मिली।

*४०—श्री हरगोविन्द पन्त—उक्त चुनाव के फलस्वरूप किस-किस ग्रेड के कौन-कौन कर्मचारी अपने पदों से हटाये गये हैं या हटाये जा रहे हैं ? जो नौकरी में कायम रहेंगे उनका वेतन कितना होगा ?

माननीय कृषि सचिव (१) सीनियर पोल्ट्री इन्सपेक्टरों में से एक इन्सपेक्टर को जिसे पब्लिक सर्विस कमीशन ने नहीं चुना, सहकारी विभाग (कोआपरेटिव डिपार्टमेंट) में उसकी असली नौकरी पर वापस भेज दिया गया है। ऐसे बाकी तीन ओहदेदारो (कर्मचारियों) का जूनियर पोल्ट्री इन्सपेक्टरों के नीचे दर्जे की जगहों पर १२०-६-२१० १०-२५० रु० के स्केल में नौकरी में बनाये रखने के सवाल पर अभी विचार हो रहा है।

(२) ऊपर के भाग (१) में दिये गये उत्तर को देखते हुय यह प्रश्न उठता ही नहीं।

श्री हरगोविन्द पन्त—सरकारी नौकरी में आने से पहले इन लोगों का वेतन कितना था ? घट गया है या बढ़ गया है ?

माननीय कृषि सचिव--बढ़ गया है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि ये आफिसर्स कहां-कहां पर काम करते हैं ?

माननीय कृषि सचिव--मैं इस वक्त इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता।

*४१--श्री हरगोविन्द पन्त--पुराने सरकारी कर्मचारियों को उपरोक्त नये प्रबन्ध से जो क्षति पहुँची है, उसकी पूर्ति के बारे में क्या सरकार का कोई विचार है ? यदि है, तो क्या ?

माननीय कृषि सचिव--जी नहीं। जिनकी छटनी की गयी है वे सभी अस्थायी (आरजी) जगहों पर काम कर रहे थे और उन्हें मुआविजा देने का प्रश्न उठता ही नहीं न इस प्रश्न पर तब विचार किया गया था जब ९ सीनियर और ३६ जूनियर पोल्ट्री इन्सपक्टरों में से ऊपर बताये गये सिर्फ ६ सीनियर और १० जूनियर पोल्ट्री इंसपेक्टरों को अक्तूबर १९४७ ई० में नौकरी में रहने दिया गया था और बाकी लोगों को छटनी में हटा दिया गया।

*४२--५३--श्री चतुर्भुज शर्मा--(स्थगित किये गये।)

पंचायत राज से सम्बन्धित चुनावों के बाद गांवों में बलवों की अधिकता

*५४--श्रीमती लक्ष्मी देवी--(क) क्या यह सच है कि पंचायत राज से सम्बन्धित चुनावों के बाद ग्रामों में अधिक बलवे होने लगे हैं ?

(ख) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में कितने पंचों और सरपंचों पर दफा १०७ लगायी गयी है ?

(ग) क्या यह पंच तथा सरपंच केवल काश्तकार ही हैं या जमींदार भी ?

माननीय पुलिस सचिव--(क) ऐसा नहीं है।, परन्तु चुनाव के कारण कहीं कहीं गांव के आपसी मनमुटाव शुरू में बढ़ गये थे जो अब शान्त हो रहे हैं।

(ख) ७९४ पंच और सरपंचों पर दफा १०७ लगाई गई है।

(ग) यह पंच तथा सरपंच जमींदार अथवा काश्तकार दोनों ही हैं।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि गांव राज कानून के लागू होने पर जनता में एक नया जोश व खरोश पैदा हो गया है ?

माननीय पुलिस सचिव--इसमें कोई शक नहीं।

नीलगायों से खेती को हानि

*५५--श्रीमती लक्ष्मी देवी--(क) २५ अक्तूबर सन् १९४८ ई० के प्रश्न ४५ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खेती को नीलगायों से बचाने का सरकार ने कोई प्रबन्ध विचार लिया है ? यदि हां, तो क्या और वह प्रबन्ध कब तक हो जायगा ?

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि नीलगाय नामक जानवर इस समय भी खेतों में बहुत नुकसान पहुँचा रहा है ?

माननीय कृषि सचिव--(क) खेती को नीलगायों से बचाने के लिये जंगल विभाग की ओर से एक विज्ञप्ति नं० ३४०६/१४--५८५-१९४७ तारीख २६ अक्तूबर, १९४९ जारी हुआ है जिसमें नीलगाय को न मारने के बारे में पूर्व निकाली गई विज्ञप्ति नं० २१५६/१४, तारीख ४ अक्तूबर १९४७ ई० को रद्द कर दिया गया है।

(ख) जी हां। परन्तु अब आशा है कि नीलगाय के मारने पर प्रतिबन्ध हटाने के पश्चात् यह तकलीफ कम होती जायगी।

खेती की उन्नति के लिये काश्तकारों को सुविधायें

५६--श्रीमती लक्ष्मी देवी--(क) क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि खेती की उन्नति के लिये कितनी ऐसी दरख्वास्तें आयी हैं जिन पर तकावी मांगी गयी है और अभी तक कितनी तकावी दी गयी है ?

(ख) खेती के लिए क्या क्या सुविधा सरकार काश्तकारों को देने का इरादा रखती है ?

माननीय कृषि सचिव--(क) इच्छित सूचना निम्नलिखित है--

	१९४८-४९	१९४९-५० (लगभग अक्तूबर सन् ५० तक)
(१) 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के सम्बन्ध में तकावी के लिये जो कुल दरख्वास्तें आई, उनकी संख्या ..	६३०	९५६
(२) कुल रोकड़ तकावी जो प्रदान की गयी ..	३,४२,२०३	२,१३,११२ रु०

(ख) खेती की उन्नति के लिये वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त सरकार और कोई अन्य सुविधा इस समय देने का विचार नहीं रखती।

श्रीमती लक्ष्मी देवी--क्या सरकार को यह मालूम है तकावी देते समय १० परसेंट उसमें से अहलकार काट देते हैं ?

माननीय कृषि सचिव--गवर्नमेंट को इसका इल्म नहीं है। अब तो तकावी के मुताल्लिक जो नयी योजना जारी की गयी है वह यही है कि जिला मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एसोसियेशन के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन, और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन ये इन तमाम तकावी को अपने इन्तजाम में बाटेंगे।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार को यह मालूम है कि तकावी की जो दरख्वास्तें आती है उन पर तकावी मिलने में काफी देर होती है ?

माननीय कृषि सचिव--जी हां। मगर अब उम्मीद है कि आइन्दा ऐसा नहीं होगा।

श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी--क्या सरकार को यह मालूम है कि जो किसान तकावी के लिये दरख्वास्तें देते हैं वे साल-साल दो-दो साल तक दफ्तरों में पड़ी रहती हैं और कम से कम १५, २० क्लर्कों के हाथ से निकलती हैं ?

माननीय कृषि सचिव--इसके मुताल्लिक जवाब दिया जा चुका है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि जल्दी तकावी देने के लिये नया कायदा गवर्नमेंट ने क्या तजवीज किया है जिसका अभी जिक्र किया गया है?

माननीय कृषि सचिव--नयी तजवीज यह है हर जिले में एक प्लानिंग कमेटी बनेगी जिसमें चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, चेयरमैन डेवलपमेंट एसोसियेशन, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और जितने हर मुहकमे के आफिसर हैं वह जिले के मुताल्लिक प्लानिंग करेंगे और वह प्लानिंग सूबे में आवेगी और यहां एक कमेटी मुकर्रर की गयी है जो सारे जिलों की प्लानिंग होगी उनको देख कर और उसकी पूरी तसवीर सामने रख कर हर जिले के लिये रुपया और सामान का एलाटमेंट करेगी और उसके बाद जिलों को मुत्तला कर दिया जायगा कि हर जिले के लिये इतना एलाटमेंट किया गया उसके बाद एक कमेटी जिले में होगी। जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चेयरमैन होगा और चेयरमैन डेवलपमेंट एसोसियेशन चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, चेयरमैन, कांग्रेस कमेटी उसके सदस्य

होंगे। यह कमेटी जो एलाटमेंट हुआ है उसको देखते हुये जो भी जिले की योजनायें हैं उनमें सामान और रुपया तक़सीम करेगी।

श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी---क्या सरकार को यह मालूम है कि जो लोग तकावी लेते हैं उनको जमानत देना पड़ती है, जमानत देने वाले के लिये बहुत सख्त नियम हैं, जिसके अनुसार किसानों को तकावी में सहूलियत नहीं मिल सकती है?

माननीय कृषि सचिव---इस मसले पर गवर्नमेंट ने काफी विचार किया है। यह मसला रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है और वहां पर जो तकावी देने के नियम थे उनमें अब तरमीम की गई है। उसमें यह ख्याल रखा गया है कि जिन लोगों को सरकार रुपया दे उसकी वसूलयाबी में किसी तरह की दिक्कत न हो। उसकी वसूलयाबी की पूरी उम्मीद हो तो उसी के मुताबिक़ रुपया दिया जाय।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि जिले में दरख्वास्त देने के बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के विचार करने में और सूबे की प्लानिंग कमेटी के विचार करने में कितना समय लगाना गवर्नमेंट ने तय किया है?

माननीय माल सचिव (श्री हुकुम सिंह)---इसका अन्दाजा नहीं लगाया गया है।

गांवों में खेतों की चकबन्दी

*५७---श्रीमती लक्ष्मी देवी---क्या निकट भविष्य में खेती की उन्नति के लिए सरकार गांवों में चकबन्दी कराने का विचार रखती है?

माननीय माल सचिव---इस प्रान्त में ज़मींदारी प्रथा के अन्त होने के पश्चात् सरकार चकबन्दी के प्रश्न पर फिर विचार करेगी।

*५८---श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी---[वापस लिया गया।]

जिला फैजाबाद के घरेलू उद्योग-धंधों के विषय में पूछ-ताछ

*५९---श्री गणेशकृष्ण जैतली---(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद कोआपरेटिव सोसाइटी सहकारिता समिति का कितना रुपया उद्योग में लगा है?

(ख) उसमें से कितना रुपया महाजनों का है और कितना शेयर का है?

माननीय उद्योग सचिव (श्री केशवदेव मालवीय)---(क) फैजाबाद की समितियों के व्यवसाय में लगभग ८,७,७७० रुपया लगा हुआ है।

(ख) इसमें से लगभग ८६,३४६ रुपये शेयर का है और शेष अमानत जमानत तथा क़र्ज़ का है अमानतें मेम्बरों तथा गैर मेम्बरों की हैं। जिनमें सभी वर्ग के लोग हैं। महाजनों का रुपया नहीं है।

श्री गणेशकृष्ण जैतली---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ८६,३४६ रु० कितने लोगों के शेयर में से मिला है?

माननीय उद्योग सचिव---इस वक्त इसकी तो कोई संख्या मेरे पास नहीं है, लेकिन काफी सदस्यों का होगा, क्योंकि १० रु० हर सदस्य को देना होता है, उसमें से वह २, ३ रुपया तो अवश्य ही दे चुके होंगे।

श्री गणेशकृष्ण जैतली---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इसके अलावा जो रुपया लगा हुआ है उस पर कितना ब्याज या मुनाफा होता है?

माननीय उद्योग सचिव---क़र्ज़ पर ब्याज बाजार की दर के अनुसार ही होता है और उसी के मुताबिक़ यहां भी है।

*६०--श्री गणेशकृष्ण जैतली--क्या केवल इन शेयरों द्वारा प्राप्त रुपया उद्योग-धंधों के चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है ?

माननीय उद्योग सचिव--केवल शेयर से इतना व्यवसाय नहीं चल सकता है। शेयर हर साल बढ़ाया जा रहा है। एकाएक इतने काम के लिए शेयर इकट्ठा होना असम्भव है।

*६१--श्री गणेशकृष्ण जैतली--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद में घरेलू उद्योग-धंधों पर अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है और कौन-कौन से धंधे खोले गये हैं।

माननीय उद्योग सचिव--जिला फैजाबाद में निम्नलिखित घरेलू उद्योग-धंधे भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों की रुचि के अनुसार खोले गये हैं--

	व्यवसाय और उद्योग-धंधों का नाम	स्थान का नाम	कब खोला गया	व्यय
		औद्योगिक शिक्षालय योजना		
१	बुनाई	लोरपुर	अगस्त सन् १९४६	३८,५४२ रु० मार्च सन् १९४७ ई० से अगस्त सन् १९४९ तक व्यय हुआ।
२	बुनाई	पकरैला	जून सन् १९४६	
३	रंगाई छपाई	टांडा	मार्च सन् १९४७	
४	सिलाई	अकबरपुर	अक्तूबर सन् १९४७	
		खद्दर योजना		
१	स्थानीय कर्मचारियों का शिविर	बड़ा गांव	अगस्त सन् १९४९	५२,४५३ रु० नीचे दिये हुये ढंग से व्यय हुआ।
२	,, ,,	रनीवा आश्रम गुसाईंगंज	,, ,,	१--७,३७५ रु० जिला विकास संघ रनीवा आश्रम को दिया गया।

व्यवसाय और उद्योग-धंधों काम नाम	स्थान का नाम	कब खोला गया	व्यय
३ स्वावलम्बी योजना	चना बाजार के नजदीक	नवम्बर सन् १९४८	२——२५,००० रु० का अनुदान जिला विकास संघ को दिया गया।
४ महिलाओ का चर्खा संबंधी शिक्षालय	रनीवा आश्रम गुसाईंगंज		३——२०,०७८ रु० का अनुदान रनीवा आश्रम को दिया गया।

उन्नत प्रकार से गुड़ बनाने तथा उन्नत प्रकार से बारधा घानी से तेल निकालने की शिक्षा

१ गुड़ व्यवसाय की उन्नति तथा बारधा घानी के प्रचार के लिये	फैजाबाद जिले मे	अप्रैल सन् १९४८	२१,८७३ रु० नीचे दिये हुये ढंग से व्यय हुआ।
			१——२,५९५ रु० सन् १९४८
			२——१३,५०० रु० उन्नत प्रकार के कोल्हू के लिये बांटा गया।
			३——५,६०० रु० उन्नत प्रकार की बारधा घानी के लिये बांटा गया।
			४——१७८ रु० स्थानीय कर्मचारियों को बोनस दिया गया।

*६२——श्री गणेशकृष्ण जैतली——(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन उद्योग-धंधों में कितने आदमियों ने और किस-किस विभाग से शिक्षा प्राप्त की ?

(ख) इन संस्थाओं की पैदावार से कितना लाभ है ?

माननीय उद्योग सचिव——(क) शिक्षार्थियों की संख्या जिन्होंने फैजाबाद जिले में भिन्न-भिन्न व्यवसायों में शिक्षा पाई है निम्नलिखित है——

क्रम-संख्या	व्यवसाय और उद्योग-धंधों का नाम	योजना	ऐसे शिक्षार्थियों की संख्या जो शिक्षा प्राप्त कर चुके
	औद्योगिक शिक्षालय योजना		
१	बुनाई	लोरपुर	३३
२	बुनाई	पकरैला	३०
३	रंगाई व छपाई	टांडा	२१
४	सिलाई	अकबरपुर	५
	खद्दर योजना		
१	स्थानीय कर्मचारियों का शिविर	बड़ा गांव	२०२
२	,, ,, ,,	रनीवा आश्रम	४५१
३	स्वावलम्बी योजना	चना बाजार	३९७
४	महिलाओं का चर्खा सम्बन्धी शिक्षालय	रनीवा आश्रम	२०
	गुड़ तथा वारधा घानी योजना		
१	गुड़ व्यवसाय उन्नति विभाग	फैजाबाद	६
२	उन्नत प्रकार की वारधा घानी से तेल पेरना	,,	३

(ख) ये योजनायें जनता में उद्योग की केवल शिक्षा व प्रचार करने के लिये चलाई गई हैं न कि तिजारत के लिये इसलिये लाभ हानि का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेश कृष्ण जैतली—क्या सरकार यह बतलायेगी कि २ वर्ष में जो शिक्षा पाए हुए लोग हैं और जिनकी संख्या अभी आप ने ३३, ३०, २१ और ५ इस प्रकार दी है, यह क्या इतने खर्च के बाद पर्याप्त हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—सरकार को जितना भी अवसर मिलेगा वह ऐसे शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ाने का उद्योग करेगी और इस संख्या से सन्तोष तो न हमें हो सकता है और न आपको होना चाहिये और हमारा और माननीय सदस्य का इस संख्या को बढ़ाने का उद्योग होना चाहिए। अभी तो यह बात ठीक ही है कि खर्च ज्यादा हुआ और शिक्षार्थी कम रहे।

श्री गणेश कृष्ण जैतली—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह जो धन शिक्षा के लिए दिया गया है उसको हर साल बढ़ाया जाता है ?

माननीय उद्योग सचिव--जरूरत होती है तो बढ़ाया जाता है।

किसानों से सीर के खेतों का छीना जाना

*६३--श्री गणेशकृष्ण जैतली--क्या सरकार को पता है कि जमींदारी उन्मूलन बिल उपस्थित होने के कारण, जमींदारों ने किसानों से सीर के खेत छीनना आरम्भ कर दिया है?

माननीय माल सचिव--जी नहीं।

ऐलोपैथी, होमियोपैथी, आयुर्वेदिक संस्थाओं की सरकार द्वारा स्वीकृत उपाधियां

*६४--श्री गणेशकृष्ण जैतली--क्या सरकार एलोपैथी, होमियोपैथी और आयुर्वेदिक शिक्षा की उन संस्थाओं का नाम बतायेगी जिनके द्वारा दी हुई उपाधियां वह स्वीकार करती है?

माननीय अन्न सचिव-

(क) ऐलोपैथिक .. (१) डाक्टरों के लिये--मनुष्य व स्त्री दोनों, आगरा यूनीवर्सिटी की एम० बी० बी० एस० डिग्री।

शिक्षाकेन्द्र--सरोजनी नायडू मेडिकल कालिज आगरा।

लखनऊ यूनीवर्सिटी की एम० बी० बी० एस० डिग्री।

शिक्षाकेन्द्र--महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, लखनऊ।

केवल महिलाओं के लिये--लेडी हारडिंग मेडिकल कालिज देहली की एम० बी० बी० एस० डिग्री, उसके अलावा इंडियन मेडिकल कौंसिल के द्वारा स्वीकृत वह देशी या विदेशी उपाधियां जो लखनऊ या आगरा के एम० बी० बी० एस० के बराबर या उससे ऊंची हैं उनको भी सरकार स्वीकार करती है।

(२) नर्सों के लिये--सरकारी नरसेज ट्रेनिंग सेन्टर का प्रमाण-पत्र या अन्य प्रान्तों के या विदेशी कुछ बराबर वाली या उनसे ऊंची उपाधियां जो उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐन्ड मिड वाइब्ज कौंसिल द्वारा स्वीकृत हों।

३--कम्पाउन्डरों के लिये--सरकारी कम्पाउन्डर्स ट्रेनिंग सेन्टर का प्रमाण-पत्र।

(ख) होमियोपैथिक अभी यह चिकित्सा प्रणाली सरकार द्वारा मान्य नहीं है। इसकी किसी शिक्षालय की उपाधियां स्वीकार करने का प्रश्न अभी नहीं उठता।

(ग) आयुर्वेदिक सरकारी नौकरियों के लिये स्वीकृत उपाधियां।

आयुर्वेदिक--(१) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की आयुर्वेद की या आयुर्वेद शास्त्राचार्य की उपाधियां।

(२) बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश की डी० आई० एम० डी० आई० एम०. एस० (जो अब बी० आई० एम० एस० की उपाधि में परिवर्तित कर दी गई है) की उपाधियां।

(३) मुस्लिम युनीर्वासिटी अलीगढ की बी. बी. टी. एस. की उपाधि ।

(४) आयर्वैदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालेज देहली की अन्तिम उपाधिया (आयुर्वेदाचार्य या भिषगाचार्य तथा कामिल--उल-तिब-बा-जराहन या काबिल उत-तिब-बा-जराहत) ।

(५) आयुर्वेदिक कालिज कांगडी जिला सहारनपुर की आयुर्वेदालंकार की उपाधि ।

(६) डी० ए० वी० कालेज लाहौर की "वैद्य वाचस्पति" की उपाधि ।

(७) सनातन धर्म प्रेमगिरी आयुर्वेदिक कालिज लाहौर की आयुर्वेदाचार्य की उपाधि ।

(८) गुरुकुल विश्वविद्यालय बृन्दावन की आयुर्वेद शिरोमणि की उपाधि ।

स्थानीय बोर्डों की नौकरियो के लिये स्वीकृत उपाधियां १ से ८ तक जसा ऊपर लिखा है ।

(९) अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ की "आयुर्वेदाचार्य" की उपाधि ।

(१०) डी० ए० वी० कालेज लाहोर की "वैद्य कविराज" की उपाधि ।

(११) तिब्बिया कालेज लाहोर की हकीम हाफिज की उपाधि ।

(१२) भूपेन्द्र तिब्बिया कालेज पटियाला की (हाफिजुल हुक्म) तथा माहिर-तिब-बा-जराहत) की उपाधिया ।

श्री गणेश कृष्ण जैतली---क्या सरकार उन प्रैक्टिशनर्स की संख्या कम करने का कोई रास्ता निकाल रही है कि जो बिना स्वीकृति लिए हुए प्रैकटिस कर रहे है ?

माननीय अन्न सचिव---हां, बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन ने जगह जगह पर कमेटियां नियुक्त की है और उनकी सिफारिश पर बिना स्वीकृति और उपाधियां प्राप्त लोगो को निकालने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

नहर विभाग के चीफ इंजीनियर की आज्ञा के विरुद्ध पदच्युत व्यक्तियो द्वारा अपील

*६५---श्री विजयानन्दमिश्र---(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि चीफ़ इन्जीनियर, नहर विभाग ने ९ दिसम्बर १९४७ को सर्किल आफ़िसों में हेड असिस्टेंटो की नियुक्ति के विषय में कोई आज्ञा निकाली थी ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त आज्ञा द्वारा कई सीनियर कर्मचारियों को पदच्युत किया गया है ?

(ग) क्या इन पदच्युत व्यक्तियो ने चीफ इन्जीनियर की आज्ञा के विरुद्ध सरकार से अपील की थी ? यदि हां, तो सरकार ने कितने व्यक्तियो की अपील मंजूर की और कब ?

श्री लताफत हुसैन---(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां, सिवाय श्री जै भगवान शर्मा के सरकार ने सब लोगों की अपील मंजूर कर ली थी और इसके बारे में सरकारी हुक्म ७ जनवरी, १९४९ को चीफ़ इन्जीनियर नहर विभाग को भेज दिया गया था ।

राजनीतिक आन्दोलन में किये गये जुर्मानों की वापसी

*६६--श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् १९३०-३२ ई० के स्वतन्त्रता संग्राम के संबंध में किये गये जुर्मानों के वापस करने के संबंध में उसकी क्या नीति है ?

श्री चरण सिंह--सन् १९३०-३२ ई० के आन्दोलन में किये गये जुर्मानों को वापस करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, यदि ऐसे व्यक्ति जिन पर जुर्माना किया गया था, इस बात का प्रमाण दे सकें कि उनसे जुर्माना वास्तव में वसूल किया गया था ।

श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी--किस प्रकार के प्रमाण से सरकार को सन्तोष होगा ?

श्री चरण सिंह--अगर वाक़ई यह साबित हो जायगा कि जुर्माना वसूल किया गया है ।

श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी--क्या सरकार को मालूम है कि उस वक्त के कागजात सरकारी खजानों में नहीं है और रसीदें भी लोगों के पास नहीं रही हैं, इस हालत में सरकार किस तरह के प्रमाण से सन्तुष्ट होगी ?

श्री चरण सिंह--अगर रसीद होगी तो उसका विश्वास किया जायगा और अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट समझेंगे कि वह विश्वसनीय है तो उसकी बिना पर वह जुर्माना वापिस किया जा सकेगा ।

श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी--और यदि रसीद नहीं है क्योंकि इतने दिनों के बाद रसीद होना संभव नहीं है तो उस हालत में क्या होगा ?

श्री चरण सिंह--मैं समझता हूं कि यह बात माननीय सदस्य भी स्वीकार करेंगे कि जबानी कह देने पर ही कि जुर्माना हुआ था उसका वापिस कर देना मुनासिब नहीं है और इस तरह की जबानी बात पर अमल करना मुनासिब न होगा ।

श्री काली चरण टन्डन--क्या सरकार को पता है कि जुर्माना वसूल करने का रेकार्ड अदालत में भी रहता है और पुलिस के पास भी जुर्मानों का रेकार्ड रहता है ?

श्री चरण सिंह--जी हां ।

श्री काली चरण टन्डन--तो क्या पुलिस के रेकार्ड का सबूत इन जुर्मानों को वापिस कर के लिये सरकार मान लेगी ?

श्री चरण सिंह--मान लेगी अगर वे क़ायम हों, लेकिन वे आम तौर पर तलफ़ हो चुके हैं ।

*६७--श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी--(क) क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने झांसी जिले में सन् १९४०-४२ ई० के आन्दोलन के संबंध में किये गये किन-किन लोगों का जुर्माना अब तक वापस नहीं किया है ?

(ख) इसका क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह--(क) सर्व श्री (१) भैरों प्रसाद (२) अहमद खां (३) प्राणीलाल गुप्ता के जुर्माने अभी तक वापस नहीं किये गये हैं ।

(ख) उक्त सत्याग्रहियों के प्रार्थना-पत्र मियाद के बाद आये थे और अब सरकार की विशेष आज्ञा से उनका भी जुर्माना वापस करने के संबंध में उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी--क्या सरकार को मालूम है कि श्री भैरों प्रसाद से जुर्माना वसूल करते समय उनकी बहुत सी जायदाद पुलिस द्वारा लेकर बहुत कम क़ीमत पर नीलाम की गई थीं ?

श्री चरण सिंह--हां, ऐसा श्री भैरों प्रसाद जी कहते हैं । अगर उनका यह नुक़सान साबित हो जाय तो सरकार उसकी पूर्ति करने पर भी विचार करेगी ।

श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी--क्या सरकार को मालूम है कि भैरों प्रसाद जी ने अपनी क्षतिपूर्ति के लिये ३,८०० रु० का क्लेम किया है और उसकी दरख्वास्त सरकार के पास भेज दी गई है ?

श्री चरण सिंह---उनके जुर्माने के वापिस किये जाने का हुक्म तो १२ नवम्बर को हो चुका है और वह उनके जिले मे पहुंच भी गया होगा। जहां तक नुक़सान के पूरा करने का सवाल है, वह मसला अभी विचाराधीन है। उन्होंने दरख्वास्त कब दी थी यह तो मैं सही नहीं बता सकता लेकिन जब माननीय सदस्य कहते हैं कि दी थी तो मैं कह सकता हूं कि जल्दी ही फसला हो जायगा।

श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी---क्या सरकार को मालूम है कि उन्होंने जो दरख्वास्ते दी है उनमें से एक की कई एक प्रतिलिपियां माननीय पुलिस सचिव को वहां के एम० एल० ए० के द्वारा, प्रश्नकर्त्ता के द्वारा दी गई हैं और उन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ ?

माननीय पुलिस सचिव---मुझे अफ़सोस है कि मैंने बाक़ी सवालात नहीं सुने ? लेकिन जहां तक जुर्माने के वापिस करने का सवाल है, देर तो जरूर लगती है क्योंकि पुराने रेकार्ड को खोजना पड़ता है और ऐसा भी है कि २०, २५ के रेकार्ड आसानी से नहीं मिलते। मिलने पर जुर्माना वापिस कर दिया जाता है क्योंकि एक केस ऐसा मैंने देखा और उसमे जुर्माना वापिस कर दिया गया, तो यह मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यदि इसमें भी पता चलेगा तो वापिस जरूर कर दिया जायगा।

*६८---श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी--क्या सरकार उन व्यक्तियों को, जिन पर सन् १९३०--३२ ई० के आन्दोलन मे जुर्माने हुए थ, कुछ सहायता देने का विचार कर रही ह ?

श्री चरण सिंह---सरकार उन व्यक्तियों को, जिन पर सन् १९३०---३२ ई० के आन्दोलन में केवल जुर्माने ही हुये हे किसी प्रकार की विशेष रूप से सहायता देने पर विचार नहीं कर रही है।

श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी---क्या सरकार उन व्यक्तियों को सहायता देने का विचार कर रही है जिन पर जुर्माने हुए हैं या सजाएं हुई हैं ?

श्री चरण सिंह---जहां तक जुर्माने का संबंध है वह वापिस कर दिया जायगा और कोई विशेष सहायता देने का विचार नहीं है।

यमुना किनारे की घाटों आदि वाली जमीन के संबंध में आगरे की जनता की शिकायत

*६९---श्री रामचन्द्र सेहरा---क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि आगरा नगर में यमुना किनारे की जमीन जिस पर घाट, शिवालय, मंदिर, बग़ीचा इत्यादि बने हुए हैं, किस सरकारी विभाग के नियन्त्रण में है ?

माननीय स्वशासन सचिव---आगरा जिले के उत्तरी पूर्वी कोने के सामने स्थित केलों की बगीचों से उत्तर की ओर छावनी सीमा के १८ नम्बर स्तम्भ तक जितने घाट स्थित हैं वे गैरिजन इन्जीनियर कोर्ट वान के नियंत्रण में हे। इससे आगे अवशेष यमुना तट की भूमि जिस पर घाट आदि बने हुए हैं नजूल विभाग के नियंत्रण में है।

*७०---श्री रामचन्द्र सेहरा---क्या यह सच है कि यह स्थान जनता के हितार्थ सार्वजनिक प्रयोग के लिये दिये गये थे तथा इन स्थानों पर स्नान घाट, विश्रान्त घाट, गऊ घाट इत्यादि बने हुए थे ?

माननीय स्वशासन सचिव---नजूल विभाग संबंधी यमुना तट पर स्थित ९ घाट किराये पर पट्टे पर उठे हुए हैं जिनमें से अधिकतर जनता के हितार्थ सार्वजनिक उपयोग के लिये दिये गये हैं। इनके अलावा अवशेष स्थान भिन्न-भिन्न पुरुषों के नाम बिला किराया जनता के हितार्थ नजूल विभाग के कागजात में दर्ज हैं। इन स्थानों पर घाट बने हुये हैं।

श्री रामचन्द्र सेहरा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन ९ आदमियों के नाम क्या २ हैं ?

माननीय स्वशासन सचिव—मेरे पास उनकी फेहरिस्त नही है। इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामचन्द्र सेहरा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन ९ घाटो को पट्टे पर दे रखा है उनको जनता की कमेटी के अख्तियार में देने का विचार रखती है?

माननीय स्वशासन सचिव—यदि माननीय सदस्य सरकार को लिखेंगे तो इस विषय पर विचार कर लिया जायगा।

*७१—श्री रामचन्द्र सेहरा—क्या यह भी सच है कि इन स्थानों पर घाट इत्यादि नष्ट करके रहने के स्थान, होटल, ट्रांस्पोर्ट कम्पनियां, आढ़त की दुकाने, इत्यादि बनवा दी गयी है?

माननीय स्वशासन सचिव—यह सच है कि कुछ स्थानो पर घाट वालों ने इमारतें बनवा ली है जो कि प्रश्न मे कहे गये कामो में इस्तेमाल हो रही है।

*७२—श्री रामचन्द्र सेहरा—क्या स्थानीय जनता की ओर से इस विषय मे सरकार के पास कोई शिकायत आयी है? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी शिकायतो को दूर करने तथा मांगों को पूरा करने का विचार रखती है?

माननीय स्वशासन सचिव—जी हां, इस विषय पर कलेक्टर से जाच करने तथा रिपोर्ट भेजने के लिये कहा गया है। पूरी रिपोर्ट अभी तक नही है।

श्री अचल सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन शिकायतो को दूर करने के लिए क्या किया गया है?

माननीय स्वशासन सचिव—इन शिकायतों के बारे म बराबर जिलाधीश को लिखा गया है। वह तहक़ीक़ात करके अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।

*७३—८६—श्री बलभद्र सिंह—[तब से माननीय सदस्य की मृत्यु हो गई।]

महोली, जिला सीतापुर के आदर्श थाने में चोरी, डकैती तथा कत्ल के मामलों की संख्या

*८७—श्री कृष्णचन्द्र गुप्त—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि महोली, जिला सीतापुर मे जब से आदर्श थाना कायम हुआ है, तब से अब तक उस थाने में कितने चोरी, डकैती तथा क़त्ल के मामलों का इन्दराज हुआ है?

माननीय पुलिस सचिव—सूचना इस प्रकार है:—

चोरी	४१
डकैती	५
क़त्ल	२

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो आदर्श थाना स्थापित किया गया है उसमें कौन २ से आदर्श रखे गये है?

माननीय पुलिस सचिव—प्रश्न ८७ से इसका मतलब नहीं निकलता है लेकिन सभी बातों में कोशिश की जाती है कि जो भी पुलिस के काम हों वह उनको अच्छी तरह से करें।

*८८—श्री कृष्णचन्द्र गुप्त—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इनमें से कितने मुक़द्दमे चल रहे है और कितनों में सजा हो चुकी है?

माननीय पुलिस सचिव—इस समय चोरी के ४ मुक़द्दमे चल रहे है और चोरी के ११, डकैती के ३ और कत्ल के १ मामले की अभी जांच हो रही है। शेष मामलों के जांच में सफलता नहीं मिली।

आदर्श थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये योग्यता

*८९--श्री कृष्णचन्द्र गुप्त--आदर्श थानों तथा चौकियों में सब-इन्स्पेक्टर तथा हेड कांस्टेबिल की नियुक्ति के लिए क्या न्यूनतम योग्यता आवश्यक है ?

माननीय पुलिस सचिव--आदर्श थानों में नियुक्ति के लिये शिक्षा संबंधी आदि योग्यता वही है जो और थानों के लिये है, परन्तु इनके लिये विशेष मेहनती और ईमानदार कर्मचारी चुने जाते हैं।

जिला सीतापुर में गांव सभा के मंत्रियों का चुनाव

*९०--श्री कृष्णचन्द्र गुप्त--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर में गांव सभा (ग्राम पंचायत) के मंत्रियों का जो चुनाव किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है ? क्या सरकार ने इसके लिए कोई कमेटी नियुक्त की थी ?

माननीय स्वशासन सचिव--चुनाव कमेटी के द्वारा जो सरकारी आदेश द्वारा नियुक्त की गई थी।

*९१--श्री कृष्णचन्द्र गुप्त--यदि हां, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस कमेटी के सामने कुल कितनी दरख्वास्तें पेश हुई थीं और उनमें से कितने व्यक्तियों का चुनाव किया गया ?

माननीय स्वशासन सचिव--लगभग ५०० पेश हुई थीं, २६० चुने गये।

श्री कृष्णचन्द्र गुप्त--सरकार द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसमें लगभग ५०० के बताया गया है। क्या सरकार सही संख्या बताने की कृपा करेगी ?

माननीय स्वशासन सचिव--सही संख्या सरकार के पास होती तो बतला दी जाती। ५०० के लगभग ही उत्तर आया है। शायद एक दो कम या ज्यादा हों।

*९२--श्री कृष्णचन्द्र गुप्त--इनमें कितनी दरख्वास्तें राजनैतिक पीड़ितों की थीं ? उनमें से कितनों का चुनाव किया गया ?

माननीय स्वशासन सचिव--४० में से २७

*९३--श्री कृष्णचन्द्र गुप्त--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन मंत्रियों के चुनाव में कितनी हरिजनों की दरख्वास्तें थीं ? उनमें से कितनों का चुनाव हुआ है ?

माननीय स्वशासन सचिव--१२ में से ५

सरकारी योजना के अन्तर्गत प्रान्त में शहद की पैदावार

*९४--श्री हरगोविन्द पन्त--सरकार ने संयुक्त प्रान्त में कहां-कहां एपीकल्चर (मौनपालन) केन्द्र खोले हैं और उनसे कितना शहद प्रतिवर्ष प्राप्त होता है ?

माननीय कृषि सचिव--सरकार ने ज्योलीकोट, लखनऊ, पीलीभीत, लखीमपुर तथा बरेली में मौन पालन केन्द्र खोले हैं। ज्योलीकोट में प्रतिवर्ष लगभग १०० से १२५ पौंड शहद प्राप्त होता है। लखनऊ और पीलीभीत के मौनपालन केन्द्रों से पिछले वर्ष क्रमशः ३४ और १४ पौंड शहद प्राप्त हुआ था। बरेली और लखीमपुर में मौनपालन केन्द्र कुछ ही दिन पहले क़ायम किये गये हैं।

*९५--श्री हरगोविन्द पन्त--उक्त विभाग पर कुल कितना वार्षिक व्यय होता है और उससे सरकार को कितनी आय होती है ?

माननीय कृषि सचिव--सन् १९४८-४९ की आय तथा व्यय निम्नलिखित है--

	पहाड़ी देशों मे	मैदानो मे
	रु०	रु०
व्यय	३१,८६४	२२,०७८
आय	१,८१८	७

*९६--श्री हरगोविन्द पन्त--प्रान्त के किन-किन जिलो में शहद की अधिक पैदावार होती है और कहा कहा उत्तम शहद (मधु) प्राप्त होता है ?

माननीय कृषि सचिव--प्रान्त के निम्नलिखित जिलो मे शहद अधिक पैदा होता है:--

पहाड़ी इलाका--अलमोड़ा, नैनीताल।

मैदानी इलाका--सहारनपुर, बिजनौर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, झांसी, पीलीभीत।

उत्तम शहद अलमोड़ा नैनीताल, गढ़वाल और देहरादून जिलो में मिलता है।

जिला अलमोड़ा में मधुमक्खी पालने के लिये सहायता

*९७--श्री हरगोविन्द पन्त--क्या सरकार को मालूम है कि जिला अलमोड़ा मे मधु-मक्खी पालने वालो का एक संघ बन गया है, जो अखिल भारतीय संघ से संबंधित है ?

माननीय कृषि सचिव--जी हां, परन्तु जहां तक ज्ञात हुआ है इस संघ का काम अल्मोड़ा नगर और इसके आसपास तक ही सीमित है।

*९८--श्री हरगोविन्द पन्त--क्या सरकार से उक्त संघ ने कोई सहायता मांगी है ? यदि हां, तो उसे कितनी सहायता दी गयी ?

माननीय कृषि सचिव--जी हां, सरकार कुछ कर्मचारियो की तनख्वाह के अलावा २,००० रुपये की सहायता देने का विचार कर रही है।

*९९--श्री हरगोविन्द पन्त--यदि नही दी गयी, तो क्या यह सच है कि उसके स्थान पर अल्मोड़ा के किसी व्यक्ति को मौन पालन के लिए आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ?

माननीय कृषि सचिव--प्रश्न ९८ के उत्तर के अनुसार यह प्रश्न ही नही उठता।

*१००--श्री हरगोविन्द पन्त--क्या यह सच है कि अल्मोड़ा मे एक ही व्यक्ति को मौनपालन के लिए तीन भिन्न अनुदान क्रमशः मौनपालन विभाग, कृषि विभाग तथा उद्योग विभाग से सहायतार्थ मिले है ? यदि हां, तो इन अनुदानो का योग कितना होता है ?

माननीय कृषि सचिव--जी हां, यह सच है। इन अनुदानों का योग २,७६० रु० है।

*१०१--श्री हरगोविन्द पन्त--संघ के मुक़ाबिले व्यक्ति को अनुदान देना क्यों उचित समझा गया ?

*१०२--जिस व्यक्ति को उपरोक्त तीन अनुदान दिये जा रहे है, उसकी विशेष योग्यता क्या है ?

माननीय कृषि सचिव--श्री रामकृष्ण धाम एक संस्था है व्यक्ति नही इसलिये ये प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री हरगोविन्द पन्त--रामकृष्ण धाम नाम की संस्था कब और किस उद्देश्य से स्थापित की गयी है इसके सस्दय कौन और कितने हैं ?

माननीय कृषि सचिव--इसका मुझे इल्म नहीं है ।

श्री हरगोविन्द पन्त--क्या सरकार को मालूम है कि रामकृष्ण धाम केवल एक कुटी है और इसका अल्मोड़ा रामकृष्ण मिशन से भी कोई विशेष संबंध नहीं है ?

माननीय कृषि सचिव--मुझे इसका इल्म नहीं है । मेरे सामने जब यह सवाल आया था तो मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा और इसके डिप्टी डाइरेक्टर मुट्टू साहब से इसके मुताल्लिक मशविरा कर लिया था और यह मालूम हुआ था कि यह सही है कि वह शहद की मक्खी पालने का काम कर रहे हैं ।

श्री हरगोविन्द पन्त--यह संस्था कब से मौन पालन करने लगी है और इसमें काम करने वाले सज्जन कितने हैं और उनकी क्या योग्यता है ?

मानीय कृषि सचिव--जहां तक मुझे याद है ब्रह्मानंद कोई स्वामी हैं, वह इसको चला रहे हैं ।

*१०३--११६--श्री हरगोविन्द पन्त--[स्थगित किये गये ।]

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविन्सेज एकोमोडेशन रिक्वीजिशन (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस

माननीय अन्न सचिव--मैं सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविन्सेज एकोमोडेशन रिक्वीजिशन (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस (सन् १९४९ ई० की सं० ४) की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं ।

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्परेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड एविक्शन आर्डिनेंस

मानीनय अन्न सचिव--मैं सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविंसेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस (सन् १९४९ ई० की सं० ५) की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं ।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था *बिल--(जारी)

माननीय स्पीकर--माननीय माल सचिव के प्रस्ताव पर कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल पर, जैसा कि वह संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय, विवाद चल रहा है ।

कल श्री जमशेद अली खां साहब बोल रहे थे । वह अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां--हुजूरवाला, कल मैं यह कह रहा था कि मेरे दोस्त रोशनजमा खां साहब ने जो कुछ भी इस बिल के सिलसिले में फरमाया वह मेरे ख्याल में इस से ज्यादा नहीं था कि एक खास पोलिटिकल जमात को एलेक्शन में कामयाबी हासिल करनी है, उसके लिये वह जमींदारों की तबाही व बर्बादी सामने रखकर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं । इस सिलसिले में उन्होंने आचार्य नरेन्द्रदेव जी के जवाबात जो उन्होंने एबालिशन कमेटी के सिलसिले में दिये थे वह भी बयान किये और उन्होंने कहा कि आचार्य जी ने जो अपनी राय उस वक्त जाहिर की थी वह दूसरी पोलिटिकल जमाअत से चूंकि उनका ताल्लुक था लिहाजा उनकी वह राय उस सिलसिले में थी । लेकिन चूंकि अब वे सोशलिस्ट पार्टी के सदर हैं और सोशलिस्ट जमाअत से उनका ताल्लुक है लिहाजा अब उन्होंने अपनी राय को बदल दिया । यह इस ऐवान का हर शख्स समझ सकता है कि जिसकी राय ऐसे मामले के ऊपर कि जो खास ताल्लुक रखता है एक ऐसे अहम बिल से महज पार्टी के उलटफेर की बिना पर तबदील हो जाये

---

*९ जनवरी सन् १९५० ई० की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

उसकी कौन सी राय मानने के क़ाबिल हो सकती है, इसका फैसला मैं ऐवान के ऊपर छोड़ता हूं। दूसरी चीज जो मेरे दोस्त रोशन जमां साहब ने निहायत जोर के साथ कही थी वह यह थी कि जमीनों का रिडिस्ट्रीब्यूशन (पुर्नवितरण) किया जाय। लेकिन बाज चीजें कहने में बहुत आसान मालूम होती हैं। गोया उनके नजदीक़ यह तरीक़ा हो कि पहले तमाम जितने काश्तकार और जमींदार हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके खड़ा कर दिया जाय और फिर जमीन को जिस तरह से कपड़ा फाड़ कर तक़सीम किया जाता है इसी तरह से जमीन तक़सीम करके उनको दी जाय। यह चीज कहने के लिये आसान है लेकिन इसके क्या असरात होंगे? जमीन से जमींदारों और काश्तकारों का कितना गहरा ताल्लुक है और किस--किस चीज से और किस-किस सोबये जिन्दगी से उसका ताल्लुक़ है इस पर उन्होंने गौर नहीं फरमाया, बहरहाल यह एलेक्शन की कशमकश है और एलेक्शन को जीतने के लिये जो कुछ कहना चाहे वे कह सकते हैं, इसका उनको हक़ हासिल है। लेकिन यह चीज जाहिर है कि वह इसके हक़ में है कि जमींदारों को मुआविजा दिया जाय लेकिन चूंकि कांग्रेस ने एक ख़ास तादाद मुआविजे की रखी थी इसलिये उसको दूसरा जामा पहनाने के लिये आपने कम तादाद उस मुआविजे की मक़र्रर कर दी।

अब मैं दो-चार बातें अर्ज करूंगा। इससे पेश्तर कि आप इस क़दीम निजाम को हमेशा के लिये खत्म करें आपको यह सोचना जरूरी है कि आख़िर इसके बाद वह कौन सा निजाम होगा, वह कौन सा सिस्टम आप क़ायम करने जा रहे हैं जिससे कि कौम और मुल्क की फलाह और बहबूदी हो सके? क्या यह आपने गौर किया कि आप जमींदारी को ख़त्म करने के बाद इस सूबे की किस २ चीज को ख़त्म कर देंगे? आपके जमींदारी को ख़त्म करने के साथ ही इस सूबे के तमाम जितने कौम और मुल्क की फलाह व बहबूदी के काम में रुपया सर्फ किया जा रहा है वह सब बन्द हो जायेगा? इस जमींदारी के ख़त्म होने के बाद आप यहां के जो मदरसे हैं और मकतब हैं और पाठशालायें हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, उसी के साथ आप इनकी इमदाद को ख़त्म कर रहे हैं, आप यहां के कल्चर और तहजीब को तबाह करने जा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर गौर करने के बाद आपको यह देखना चाहिये कि कौन सा बेहतर निजाम आप ला रहे हैं। मैं तो यह देख रहा हूं कि आप जमींदारी को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही आप काश्तकारों की फलाह व बहबूदी के लिये कोई चीज नहीं कर सके। यह इससे जाहिर है कि जमींदारी एबालीशन फण्ड आपने जारी किया। अगर काश्तकार, टिलर आफ दि स्वायल (जमीन जोतने वाला) यह समझता कि यह चीज उसके लिये कोई फायदेमन्द है या कि उसके लिये ऐसी है जिसकी उसको तमन्ना और आरजू है, तो आपको जेड० ए० एफ० के लिये इसकदर मेहनत और मशक़्क़त और दौड़-भाग न करनी पड़ती। आपने जमींदारी एबालीशन फन्ड हासिल करने के लिये और जमा करने के लिये, दस-गुना रुपया जमा करने के लिये जो तदाबीर अख्तियार की हैं वह मेरे ख्याल में बहुत सी ऐसी हैं कि जो नामुनासिब और बेजा हैं, और कोई गवर्नमेंट ऐसी चीजों को पसन्द नहीं करेगी। आपने इस चीज को बिलकुल पसेपुश्त डाल दिया है कि जमींदारी एबालीशन फण्ड ख़त्म हो जाने के बाद कितनी मुक़द्दमेबाजियां इस सूबे के अन्दर शुरू हो जायेंगी इस वास्ते कि यह तो जाहिर है और मुझे यह मालूम है कि जिस वक्त जमींदारी एबालीशन फण्ड का दस-गुना रुपया हासिल किया जा रहा है उस वक्त इस चीज का बिलकुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है कि आया कितने हिस्सेदार इस खाते के अन्दर हैं और आया वे कितना हक़ रखते हैं। कहा तो सिर्फ यह जाता है कि वह उसका दस-गुना दाखिल कर दे, बाद को और देखा जायगा। आपको यह मालूम होगा कि ज्यादा तादाद उन काश्तकारों की है जिनको खुद ही यक़ीन नहीं था कि यह जमीन उनके हाथ में रहेगी या नहीं और इस तरीक़े से उन्होंने १०-गुना जमा करके अपने कब्जे में जमीन करने का अच्छा तरीक़ा निकाल लिया है। आप अपने इस जोश के अन्दर कि किसी न किसी तरीके से जिस स्कीम को आपने शुरू किया है कामयाब बनावें, सब के लिये एक अजीब व ग़रीब दिक़्क़त पेश कर रहे हैं।

जमींदारों के मुताल्लिक़ सब से बड़ा एतराज यह किया जाता रहा है कि ये लोग बेकार को जमीन से इतना रुपया पाते रहे हैं और उससे क़ौम और मुल्क को कोई नफ़ा हासिल नहीं होता।

तो इसका तरीक़ा यह नहीं था कि आप जमींदारों को खत्म कर दें। इसका तरीक़ा यह था कि आप जो जो जरूरी दुरुस्ती इसमें करना चाहते वह करते। और भी बातों से ऐसी सूरतें हो सकती थीं जिससे आप बेहतर तरीक़े से हमारी आमदनी का इस्तेमाल करते और यह सब चीजें आसानी से कर सकते थे। मसलन, आप यह कर सकते थे कि आप जमींदारी को क़ायम रखते हुये यह तय करते कि इसकी आमदनी का इतना हिस्सा जमीन की इम्प्रूवमेंट के लिये और दूसरे जो मुल्क की फलाह और बहबूदी के काम हैं उनमें सर्फ किया जाय, लेकिन यह सब इन्हीं लोगों के हाथों से सर्फा हो। इससे उनको यह ख्याल रहता कि हमारा वजूद क़ायम है, मौजूद है और हमारे हाथ से ही गांव की भलाई और बेहतरी के लिये इतना रुपया सर्फ कराया जाता है, ऐसी बहुत सी चीजें आप कर सकते थे जिन पर आपने गौर नहीं किया। आप जमींदारी को खत्म करने के बाद कितने आदमियों को बेरोजगार कर देंगे, इसके बाद कितने आदमी ऐसे होंगे जिनको अपना पेट पालना दुश्वार हो जायगा। आपने अभी तक रिफ्यूजी प्राबलेम पूरे तौर पर साल्व (हल) नहीं किया और अब आप एक करोड़ के करीब आदमियों को और रिफ्यूजी बनाने जा रहे हैं। यह कहां का इंतजाम है, इसको आप अच्छी तरह सोचें और देखें कि इसके क्या नतायज होंगे ? यह कहा जाता है कि चूंकि कांग्रेस मेनीफेस्टो के अन्दर यह चीज है इसलिये हमारे ऊपर लाजिम था कि चाहे जो कुछ भी नतीजे हों इसको खत्म कर दें। तो मेरा कहना है कि वह मेनीफेस्टो बहुत बड़ी चीज है, उसके अन्दर और भी बहुत सी चीजें हैं, क्या उन सबको आपने पूरा किया ? इंडस्ट्री के बारे में आपने क्या किया, और भी बहुत सी चीजें हैं जो उसमें दी हुई हैं, क्या सब को पूरा कर लिया जो आप इतने बड़े इंतजाम को खत्म करने के लिये तय्यार हो गये हैं ? कुछ की जबान पर यह है कि यह तरकीब हम एलेक्शन में राय हासिल करने के लिये कर रहे हैं। किस तरह मैं कहूं कि आया राय हासिल करने का जो तरीक़ा आपने अख्तियार किया है वह कहां तक दुरुस्त है ? मैं तो सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि इस तरीक़े से आपने जमींदारों को भी दुश्मन बना लिया है और एलेक्शन की दुश्वारियां भी इससे दूर नहीं हो सकतीं। आप ठंडे दिल से गौर करेंगे तो खुद ही देखेंगे और उसका जवाब पा जायेंगे। आज किसान क्या कह रहा है, जो लेबरर है वह क्या कह रहा है और जो दूसरे सेक्शन के लोग हैं वे कांग्रेसी सरकार के खिलाफ क्या राय रख रहे हैं इसको आप बखूबी समझ लें और गौर कर लें।

आप एक दिन में दुनियां का इंतजाम करने जा रहे हैं और उसके क्या असरात होंगे। इस पर आपने कोई ग़ौर नहीं किया। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अगर आपने ग़ौर नहीं किया है तो उसका नतीजा यह होगा कि जिस गर्ज के लिये आपने यह सब किया है वह गर्ज आपको हासिल नहीं होगी। मेरी तो यह राय और गुजारिश है कि आप इतना बड़ा इंकलाब पैदा कर रहे हैं। १७५ करोड़ रुपया आप काश्तकारों से वसूल करने का इरादा कर रहे हैं। क्यों न आप आने वाले एलेक्शन का इंतजार करें जिससे कि यह मालूम हो जाय कि आया मुल्क इसके लिये क्या कहता है, इस तरह से १७५ करोड़ रुपया वसूल करने के मुताल्लिक़ क्या कहता है। मैं इसरार करूंगा कि आप इस ऐक्ट का नाफ़िज करना दूसरे जनरल एलेक्शन तक के लिये मुल्तवी कर दें। उसका बहुत जमाना अब बाक़ी नहीं है सिर्फ कुछ महीने हैं उसके बाद आपको यह हक़ हासिल होगा। आप एलेक्शन में इस चीज को खास इश्यू बनावें। बिना मुल्क की राय लिये इतने बड़े इंकलाब को करना नामुनासिब होगा, इसलिये ऐसे बड़े मसले पर आप पब्लिक की राय मालूम करके रुपया वसूल करें।

अब देखना यह है कि भूमिधरी के हक़ूक़ जो आपने काश्तकारों को दिये हैं क्या इस क़ीमत पर काश्तकार उसे हासिल भी करना चाहते हैं ? इससे ५ फ़ीसदी का सिम्पिल इंटरेस्ट (साधारण ब्याज) ही काश्त कारों को मिलता है। अगर वह इस रुपये को दूसरे कामों में लगाते तो कहीं ज्यादा फ़ायदा उनको होता। इससे आपने उतना भी नहीं किया जो जमींदारों ने किया जब कि उनके हाथ में पुरानी हुकूमत थी और जबकि रेंट ऐक्ट जारी किया गया था और उसके जरिए से काश्तकारों को हक़ूक़ दिये गये थे। वे उन हक़ूक़ से कहीं ज्यादा हक़ूक़ थे जो आप आज काश्तकारों को देने जा रहे हैं। जो कुछ आप देने जा रहे हैं वह सिवाय इसके कि काश्तकारों को मुजिर साबित

[श्री मुहम्मद जमशेदअली खां]

हो और कुछ नहीं है। आपने ट्रांसफर राइट्स जो कयूद से रिहा कर दिये है उनसे सिर्फ यही होगा कि जमीन बनियों और साहूकारों के हाथ मे चली जायगी, और नान ऐग्रीकल्चरिस्ट्स ऐग्रीकल्चरिस्ट्स बन जायेंगे। इसके सिवाय और कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है।

आपने अपने बिल मे सब टेनेंट्स को, शिकमी काश्तकारों को भी मुस्तक़िल कर दिया है और आपने अपने कानून से उन काश्तकारों को भी रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देकर मुस्तकिल बना दिया है। बहुत से ऐसे छोटे-छोटे जमींदार लोग है जिन्होंने किसी खास मजबूरी की वजह से अपनी जमीन को साल भर के लिये उठा दिया था और इस वजह से उठा दिया था कि मौजूदा क़ानून की रू से वह ऐसा कर सकते थे और यह सोचकर कि इस साल यह मजबूरी है और अगले साल खुद उसे कर लेंगे वह सबके सब इस बिल के जरिये से खत्म कर दिये गये और जो बरसहा बरस से उस जमीन को बो रहे थे उनसे वह जमीन छीन ली गई और साल भर से या ६ महीने से काश्त करने वाले को वह जमीन दे दी गई। इस तरह से शिकमी काश्तकार को जमीन देकर यह हकूक देकर उन छोटे जमींदारों को आपने नुक़सान पहुंचाया है जिनके बारे मे जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट मे भी तहरीर किया गया है कि जो २५ रु० तक की मालगुजारी देने वाले जमींदार है उनकी हैसियत बिल्कुल काश्तकारों की सी है, उनके लिये कोई एबालीशन करना बेसूद है लेकिन इसके तहत आपने उनकी जमींदारी का भी एबालीशन कर दिया। लेकिन आज आप उनको भी एबालिश कर रहे हैं और उनके सीर के हुकूक को आप इस तरह पामाल कर रहे हैं कि आप खुद अंदाजा कीजिये कि आप उनको क्या दे रहे हैं।

अब मैं मुआविजा के मुताल्लिक एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। आप अगर यह कहते कि हम जब्त कर रहे हैं तो मैं उसको समझ सकता था। अगर आप यह तय करते कि हम कान्फिस्केशन करना चाहते है तो वह भी बात समझ में आने वाली थी। एक तरफ आप कहते है और आप के मैनिफेस्टो में भी मौजूद है कि इक्विटेबिल कम्पेंसेशन दिया जायगा लेकिन दूसरी तरफ जो मुआविजा दिया जा रहा है उसकी हकीकत कुछ और है। मैं आपके सामने यह अर्ज करदूं कि एबालिशन कमेटी रिपोर्ट मे जो कुछ आपने दर्ज किया था उसके अन्दर ऐग्रीकल्चर इनकम्-टैक्स का कहीं जिक्र नहीं था। इस बिल को लाने से पहले आप ऐग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल ले आये जो कि बिल्कुल ग़लत चीज थी और बेमौका थी। कोई भी शख्स इस चीज को पसन्द नहीं करता कि ऐग्रीकल्चर इनकम्-टैक्स बिल उस वक्त लाया जाय जबकि हम जमींदारी खत्म करने जा रहे हों। लेकिन जिम्मेदार लोगों ने और हमारे प्रीमियर साहब ने यह कहा था कि जहां तक उस बिल का ताल्लुक है यह न समझिये कि यह आप की आमदनियों को कम करने के लिए है और उससे आपका मुआविजा कम हो जायगा। मुआविजा पर इसका कोई असर नहीं होगा। जब सिलेक्ट कमेटी के मौक़ा पर यह बात याद दिलाई गयी तो यह कहा गया कि वह तो उस वक्त हमने रक्खा था जबकि एबालिशन कमेटी ने ३-गुना मुआविजा तजवीज किया था और अब इस बिना पर कि हम इनकम-टैक्स शामिल कर रहे हैं हमने ८-गुना मुआविजा कर दिया है। क्या यह आपके लिये शायांशान है? क्या यह आपके लिए मुनासिब है कि एक मर्तबा आप यह कहें कि तीन-गुना मुआविजा दे रहे हैं और दूसरी मर्तबा यह कहें कि ८-गुना मुआविजा दे रहे हैं लेकिन इनमें इनकम-टैक्स वजा कर लेंगे? आपको उस वादा के बमूजिब, जो मुख्तलिफ मौक़ों पर दिया गया है, हरगिज कोई हक़ नहीं है कि मुआविजा तय करने के वक्त आप इनकम-टैक्स का लिहाज न रक्खें। इसी तरह मैं अर्ज करूंगा कि १५ परसेंट आपने खर्च रक्खा है जो बहुत ही ग़ैर-वाजिब है। जब आप खरीदना चाहें तब तो कुछ और क़ीमत हो और जब कोई दूसरा खरीदना चाहे तब कुछ और क़ीमत हो, क्या यही तरीक़ा होना चाहिये उस गवर्नमेंट का जो यह कहे कि हम पापुलर गवर्नमेंट हैं और हम तमाम पब्लिक की जानिब से रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको यह तरीक़ा हरगिज नहीं अख्तियार करना चाहिये। मैं आनरेबिल वजीर, माल से पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त मुल्क को जरूरत होती है, जिस वक्त क़ौम के सामने जरूरत होती है, उस वक्त किसी क्लास का ख्याल नहीं किया जाता है बल्कि बड़े-बड़े इंटरेस्ट के मुक़ाबिले में छोटे-छोटे इंटरेस्ट खत्म कर दिये जाते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि इस कौमी जरूरत के लिये, इस मुल्क की जरूरत के लिये आप जमींदारों से कितनी कुरबानी लेना चाहते हैं ? आखिर आप क्या चाहते हैं ? आप कितनी कुरबानी चाहते है ? जमींदार अपनी आमदनी का कितना परसेंट मुल्क की जरूरत के लिये पेश कर दे, हमने इसके बारे मे बार-बार दरियाफ्त किया। आप हमें यह तो बता दीजिये। मुल्की जरूरत के लिये और साहबान के सामने भी तो आपने सब चीजे रखी होगी। आखिर मुल्क में इंडस्ट्रियलिस्ट्स भी तो है। आपने उनसे कितनी कुरबानी मांगी है, आपने उनसे कितनी कुरबानी ली है ? जिस हिसाब से आप ने औरों से कुरबानी ली है उसी हिसाब से हमसे भी ले लीजिये। मगर आप तो जमींदारों की आमदनी का ८०, ८५ फ़ीसदी ले लेना चाहते है यह कहां तक मुंसिफाना है और कहा तक इक्वीटेबिल है ? आप जब मैनिफेस्टो की बिना पर जमींदारी एबालिश करने जा रहे ह तो उसी मेनिफेस्टो मे 'इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन' के अल्फाज भी तो लिखे हुये है। क्या यह इक्वीटेबिल है कि किसी की आमदनी का ८०, ८५ फ़ीसदी ले लिया जाय और उसको इक्वीटेबिल और जस्ट कहे ?

कर्जेजात के मुताल्लिक़ भी हमारे सामने कोई चीज नही है कि आप क्या तजवीज रखते है। कोर्ट आफ वार्ड्स की रिपोर्ट मौजूद है जिससे मालूम हो जायेगा कि कितनी रियासते मक़रूज हैं और कितनी कसीर तादाद मे, एक सौ कई लाख उन पर क़र्जा है। उसके लिये आपने हमारे सामने क्या तजवीज रखी है ? वह कोई चीज ऐसी नही है। मैं तो चाहता था कि क़र्ज को स्केल डाउन (कम) करने के मुताल्लिक जो तजवीज होती उसको भी इसके साथ ही लाया जाता ताकि पूरी तसवीर हमारे सामने होती और हम अपनी सही राय उस पर क़ायम कर सकते। मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी और इंसाफ के साथ ये तमाम चीजे करे। अगर आप यह चाहते हैं कि वाक़ई काश्तकारों को भी नफा पहुंचे और जमींदारों को भी नुक़सान न हो तो आप इस चीज को काश्तकारों और जमींदारों के दरमियान ही छोड़ दे। और कोई सेलिंग प्राइस मुक़र्रर (विक्रय-मूल्य) कर दे जिससे वे आपस मे ही तय कर ले कि इसके लिये कितना मुआविजा तजवीज करते है। इस तरीक़े से मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। जब यह मसला सामने आया था तो मैंने कहा था कि काश्तकारों को जमींदारों के साथ वालंटरी परचेज (ऐच्छिक क्रय) की छूट होनी चाहिये जिससे वे आपस में ही सारी चीजें तय कर ले और ये तमाम चीजे आपको न करनी पड़ें जोकि आप कर रहे हैं जिस रफ्तारसे आपके इस फंड का रुपया वसूल हो रहा हैं उससे मुझे तो यकीन नहीं होता कि आपका वह टारगेट फीगर, जो १७५ करोड़ का है, पूरा हो सकेगा। आप एक तरफ रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने जा रहे है। क्या रिहैबिलिटेशन ग्रांट कागज की सूरत मे होगी ? क्या आप छोटे जमींदारों को कागज देकर रिहैबिलिटेशन करेंगे ? जबकि आपके पास इतना रुपया नहीं होगा तो आखिर आप क्या करेंगे ? इसके लिये आपने क्या सोचा है ? आपने फैसला किया है और आप का यह हुक्म है कि इन चीजों को आपको करना है तो फिर आप यह कह कर नहीं छूट सकते कि रुपया वसूल नहीं हुआ इसलिये मजबूरी है। इसलिये कि आप उसके लिये जिम्मेदार हैं और आपने यह स्कीम पेश की है। आप यह बिल लाये है और खुद लाये है लिहाजा तमाम पहलुओं पर आपको गौर करना है। और जितने असरात होंगे और हो रहे हैं उन तमाम की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप परती और ऐग्रीकल्चरल वेस्ट लैंड जमींदारों से ले रहे हैं। वह दरख्त जो क़सीर तादाद मे इस वक्त मौजूद है उन सबको आप जमींदारों से ले रहे हैं। बाजार, हाट जो कसीर तादाद में सर्फ करके जमींदारों ने क़ायम किये थे उनको आप उनसे ले रहे हैं। दरख्तों का कोई मुआविजा आप जमींदारों को नहीं दे रहे है, परती लैंड का कोई मुआविजा आप नहीं दे रहे है। कहा यह जाता है कि साहब, इतने दिनों से आपके पास ये जमीनें थीं लेकिन आपने उनको डेवलप (उन्नत) नहीं किया। मैं अर्ज करूंगा कि अब जो सहूलियतें मौजूद हैं क्या वे सहूलियतें इनको डेवलप करने के लिये उस वक्त मौजूद थीं ? आप अगर यह करते, कोई वक्त मुअयन करते कि इतने दिनों के लिये यह परती जमीनें तुमको डेवेलप करने के लिये दी जाती है, इतना हम टाइम लिमिट करते है, अब मुल्क आजाद हुआ है सब लोगों को हर क़िस्म की आजादी बहम पहुंच रही है। अब दो चार वर्ष के अन्दर

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

तुम इन परती जमीनों को डेवेलप करो और अगर हम लोग नहीं करते तो हमसे ले ली जाती। अगर ऐसा होता तो मैं समझ सकता था कि आपने ठीक किया लेकिन आप एक कलम से इसको खतम कर रहे हैं। उनकी लखूखा एकड़ जमीन को एकदम ले रहे हैं। हमने जो बाग़ात लगाये थे, जिनके लगाने में हमने एक कसीर रकम सर्फ की थी उनको भी एकदम ले रहे हैं। क्या यह तरीका है, जिस तरीक़े के मातहत इस बिल को चलाना चाहते हैं।

कल बारबार यह दरियाफत किया जा रहा था कि आचार्य नरेन्द्र देव जी ने क्या कहा और उन्होंने क्या फरमाया। अरे जनाब उनके ऊपर न जाइये। आपको तो यह ख्याल करना चाहिये कि अवाम में आपके लिये क्या ख्याल पैदा हो रहा है। आपके मुताल्लिक क्या ख्याल अब पब्लिक का होता जा रहा है। "कहती है तुझको खल्क खुदा ग़ायबाना क्या" आचार्य जी ने कुछ भी कहा हो लेकिन किसानों का अब आपकी तरफ से क्या ख्याल हो रहा है, लैंडलेस लेबरर्स का क्या ख्याल हो रहा है, छोटे जमींदार आपको क्या कह रहे हैं, इन सब बातों पर आपको ख्याल करना चाहिये। आपको इसका पता लगेगा जब आप उनके पास एलेक्शन के लिये जायंगे। आप उनसे राय हासिल करने के लिये यह सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपने एलेक्शन को जीतने के लिये जो मशीन बनाई है वह गलत साबित होगी क्योंकि इसी वजह से एलेक्शन में भी आपके लिये सख्त दिक्क़त पैदा हो जायगी। किसी ग़लत चीज पर इसरार करना कोई अक्लमन्दी नहीं है। महज इस बिना पर कि आप इस बिल को ऐवान के सामने लाये हैं, एक स्कीम आपने पेश की है जो कि नाकामयाब साबित हो चुकी है आप उसको वापस लेने के लिये तैयार नहीं हैं। आप उसके ऊपर इसरार कर रहे हैं। यह कोई अच्छी स्टेट्समैनशिप नहीं है। आप पापुलर मिनिस्टर हैं, आप बेतकल्लुफ़ कहे जाते हैं। जो तजवीज आपने एक बार पेश की वह जब नाकामयाब हो चुकी है तो आपको उसको वापस लेना चाहिये और कोई दूसरी तजवीज लाना चाहिये। यह जमींदारी का मसला तो एक बहुत बड़ा जबरदस्त इन्स्टी-ट्यूशन है। लेकिन जो आपने हालात मुल्क में पैदा कर दिये हैं उनके बमूजिब उसका ख़त्म हो जाना ही अच्छा है। आपके रात-दिन के प्रोपेगन्डे ने वह हालात पैदा कर दिये हैं कि जिनसे जमींदार और काश्तकार के बीच ताल्लुक़ अच्छे होना बहुत नामुमकिन है। इसलिये मैं खुद चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस जमींदारी को आप ख़त्म कर दें। अब जमींदारों के लिये कोई मौक़ा नहीं रह गया है कि अब वह आराम से अपनी ज़िन्दगी बसर कर सकें और उनकी खुश-गवारी काश्तकारों के साथ और ज्यादा दिन तक चल सके। आप यह सोचिये कि आप अवाम के सामने क्या रख रहे हैं। आपकी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिये कि जिससे किसी को भी कोई नफ़ा न पहुँचे। और हरएक बसर के लिये दिक्क़त और परेशानी पैदा हो जाय। आपने जमींदारी एबालीशन फंड के इकट्ठा करने में उन सब चीजों को तर्क कर दिया है जो आपने खुद ही लागू की थीं। आपके बनाये हुए ऐक्ट जितने थे वह सब आपने पसेपुश्त में डाल दिये हैं। आपने जो एक्जिक्यूटिव आर्डर भेजे हैं वह इतने शर्मनाक हैं कि उसके लिये आपको शर्म आनी चाहिये। यह ऐवान जो कुल्ली अख्तियारात रखता है जहां कि तमाम क़ानून बनाये जाते हैं लेकिन आपने यहां के बनाये हुए क़ानूनों को भी अपने एक्जिक्यूटिव आर्डर के जरिये से ख़त्म कर दिया और उनकी तरफ जरा भी तवज्जह नहीं की महज इसलिये कि आपका जो १०-गुना फंड है वह हासिल हो जाय। यह बहुत ग़लत बात है। अगर आप यह मिसाल अपने लिये क़ायम करने वाले हैं कि आपके बनाये हुए क़ानून इस तरह से ठुकराये जांय तो आप यक़ीन मानिये कि मुल्क के अन्दर आप अच्छा इन्तज़ाम, अच्छी हुकूमत की मिसाल क़ायम नहीं कर सकेंगे। आप बड़े जोर शोर से कहा करते हैं कि एक्जीक्यूटिव और जूडीशियरी अलहदा होने चाहिए और हमेशा से जब से कांग्रेस पार्टी बरसरे हुकूमत आई है और पहली मर्तबा भी जब आप बरसरे हुकूमत थे उस वक्त भी हमारे यही प्रीमियर साहब कहते थे कि एक्जीक्यूटिव और जूडीशियरी अलहदा २ होने चाहिए। क्या आपका यही तरीक़ा उन दोनों को अलग करने का है कि आज आप एक्जीक्यूटिव आर्डर के जरिए से तमाम उन क़ाननों को दरहम बरहम करते जाते हैं जो यहीं इस ऐवान ने पास किए थे। यही चीजें आपको सोचना हैं।

इसी सिलसिले में एक बहुत जरूरी बात मुझे वक्फ अलल औलाद के बारे में भी कहना है। मैंने सिलेक्ट कमेटी में भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि यह हमारा एक मजहबी मसला है और मुसलमानों के नजदीक वक्फ जो खुदा के नाम पर होता है और औलाद के नाम होता है वह एक ही है और एक ही दर्जा रखता है और इसी बिना पर इसका क़ानून भी पास हो चुका है और यह क़ानून मौजूद है और आपको इस वास्ते इसको अलहदा नहीं करना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ कि आप इसको चैरिटेबिल वक्फ से अलाहदा कर रहे हैं। इस तरह से तो आप उन वक्फों की मंशा को बिल्कुल खत्म कर देते हैं यह एक मजहबी मसला है और मैं अपने वजीर माल साहब से कहूँगा कि वह इस पर ग़ौर व तवज्जह करें। इस सिलसिले में मैंने अपना नोट आफ डिसेन्ट भी दिया है।

एक बात और जरा सी तवज्जह दिलाने के क़ाबिल है जिस की तरफ मैंने सेलेक्ट कमेटी को भी मुखातिब किया था और वह यह है कि आपने तमाम हाट बाजार भी गांव पंचायतों के सुपुर्द कर दिए हैं। बेहतर यह था कि जिस तरह से जमींदार उनको अब तक कामयाबी के साथ चला रहे हैं उन्हीं को चलाने दिया जाता। लेकिन अगर आप यह पसन्द नहीं करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता कि आप इनको डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को ही दे दें। अगर आपने यह गांव-पंचायतों को दे दिए तो हर पांच-पांच क़दम पर यह बाजार लगेंगे और नतीजा यह होगा कि काश्तकारों को अच्छी नस्ल के मवेशी जो अब तक एक जगह पर मिल जाते हैं वह न मिल सकेंगे और क़रीब-क़रीब मेले होंगे तो मवेशियों की बीमारी भी ज्यादा फैलेगी और गांव-पंचायतें उसको रोक न सकेंगी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरह उनके पास कोई वेटरनरी का महकमा नहीं है और यह इन्तजाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही अच्छी तरह से कर सकता है। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तक़रीर को खत्म करता हूँ।

श्री गणपति सहाय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जमींदारी-उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था बिल का हार्दिक स्वागत करता हूँ और इसके साथ ही यह भी बतलाना चाहता हूँ कि जिस जिले में से मैं आया हूँ उस जिले में भी इस बिल का बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। कल हमारे एक समाजवादी भाई ने बड़ी पुरजोश तक़रीर करते हुए यह कहा था कि सरकार की तरफ से उन जमींदारों के खिलाफ जो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं या उन समाजवादी भाइयों के विरुद्ध जो भूमिधर बनने के लिये जगह जगह खिलाफ प्रचार कर रहे हैं सरकार की तरफ से दमन-चक्र चलाया जा रहा है। मैं उनकी इत्तिला के लिये यह बताना चाहता हूँ कि वह मेरे जिले में चलें और देखें कि वहां के जमींदारों और ताल्लुक़दारों ने जो जमींदार यूनियन के मेम्बर हैं उन्होंने खुल्लम-खुल्ला नोटिसें बांटी हैं और लेक्चर दे रहे हैं और किसानों को रोक रहे हैं कि वह दसगुना लगान जमा न करें। समाजवादी भाई हमारी कांग्रेस की मीटिंगों में जाते हैं और वहां इसकी मुखालिफत करते हैं। किसानों को जो रुपया दाखिल करने तहसील में जाते हैं उनको वहां से हटा कर और बरगलाकर रुपया जमा करने नहीं देते। अभी थोड़े दिन हुए कि माननीय माल मंत्री हमारे जिले में दौरे के सिलसिले में गए थे। उस दौरे के सिलसिले में जो सभा हुई उस सभा में हमारे समाजवादी भाई अपनी लाल झंडी लेकर पहुँचे और अपने लाल झंडे से हमारी भूमिधरी की चलती हुई रेल को रोकना चाहते थे। मैं आपसे यह बतलाना चाहता हूँ कि बावजूद इसके कि जमींदार मुखालिफत कर रहे हैं और ताल्लुक़दारान काश्तकारों को दबा रहे हैं और बावजूद इस के कि समाजवादी भाई हमारी मीटिंगों में आते हैं और उसको दरहम व बरहम करने की कोशिश करते हैं और किसानों को तहसील से वापस ले जाते हैं मगर हमारे जिले में किसानों ने इसका बड़ा स्वागत किया है। शायद आपको यह मालूम है कि हमारा जिला लखनऊ और फैजाबाद की कमिश्नरी में भूमिधरी के मामले में अव्वल है। जितना रुपया हमारे जिले से दाखिल हुआ है उसको फीसदी दूसरे जिलों से मिलाकर देख लिया जाय तो आपको पता चलेगा कि बावजूद इसके कि छोटा जिला है।

[श्री गणपति सहाय]

लेकिन लखनऊ और फैजाबाद की कमिश्नरी को मिला कर उन १२ जिलों में जिला सुल्तानपुर अव्वल है। मुझे यह भी मालूम है कि हमारे कुछ भाई इस बात के लिये तैयार हो रहे हैं कि आपके सामने दो एक मिसालें ऐसे जमींदारों की पेश करें जिन पर १०७, ११७ ज़ाब्ता फौजदारी का मुक़दमा चल रहा है। मैं उनकी इत्तिला के लिये बतलाना चाहता हूँ कि जो जमींदार भाई और समाजवादी भाई ग्रामीण पंचायतों के सरपंच हैं और अदालती सरपंच हैं वे खुल्लम-खुल्ला हमारी मुखालिफत कर रहे हैं। हमारे जिले के हुक्काम ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं उनकी इत्तिला के लिये बतलाना चाहता हूँ कि अगर कोई जमींदार किसी किसान की ४० बीघे की कच्ची फसल कटवा ले और हाथी पर चढ़कर उनको मारने के लिये बन्दूक लेकर धमकाये और उसको गिरफ्तार कर लिया जाय तो क्या इसको भूमिधरी रोकने का मुक़दमा कहा जायगा। जो मुक़दमा कच्ची फसल काटने और हाथी पर चढ़कर और बन्दूक लेकर किसान को धमकाने के लिये क़ायम हुआ है तो क्या वह मुक़दमा भूमिधर की मुखालिफत करने का कहा जायगा। अब इसके साथ-साथ मैं सिलेक्ट

अच्छी है। इसके साथ-साथ चन्द बातें ऐवान के सुझाव के लिये पेश करना चाहता हूं जिसके लिये मैं उम्मीद करता हूँ कि यह ऐवान काफी गौर करेगा और हमारे माल मंत्री उसे बिल में लाने की ओर उसमें संशोधन करने की कोशिश करेंगे।

पहली बात जो मुझे बतलानी है वह यह है कि आपने अपने बिल में यह लिखा है कि यह क़ानून कैंटूनमेंट एरिया, म्यूनिसिपैलिटीज और रामपुर स्टेट, बनारस स्टेट और टेहरी गढ़वाल स्टेट के लिए लागू नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि जो अंग्रेजी में बिल छपा हुआ है उसमें एक सेक्शन में ये तीनों स्टेट भी लिखी हुई हैं। लेकिन अगर उसको जाने दिया जाय तो मैं यह कहूँगा कि आपने कैंटूनमेंट और म्यूनिसिपैलिटीज को इस बिल से अलग करने में थोड़ी बहुत भूल की है। भूल इस वास्ते की है कि बहुत सी म्यूनिसिपैलिटीज और बहुत से कैंटूनमेंट एरियाज ऐसे हैं जिनमें जमींदारों की जमीनें आ गई हैं और वे जमीनें काश्तकारों को उठी हुई हैं। मैं अपने जिले के लिये बतला सकता हूँ कि मेरे जिले में जो म्यूनिसिपलिटी है उसमें प्राइवेट जमींदारों की जमीनें हैं और वह काश्तकारों को उठी हुई हैं। वे काश्तकार बेचारे अभी तक सताये जा रहे हैं, जैसे देहातों में सताये जाते हैं। उन काश्तकारों से म्यूनिसिपैलिटी लगान नहीं वसूल करती, उन काश्तकारों पर म्यूनिसिपैलिटी इजाफा लगान नहीं करती, उन काश्तकारों को म्यूनिसिपैलिटी पट्टा नहीं देती बल्कि वह प्राइवेट जमींदारियां म्यूनिसिपल एरिया में शामिल हो गई हैं। वह जमींदारान ही उनका पट्टा देते हैं, वही लगान वसूल करते हैं और वही हर तरीक़े से मालिक हैं। अगर आप इस बिल को या इस ऐक्ट को तमाम म्यूनिसिपैलिटीज पर नहीं लगायेंगे, तो उन बेचारे किसानों की हालत, जो अभी तक पीसे और चूसे जा रहे हैं, वैसी ही रहेगी और कोई तरक्क़ी नहीं कर सकेगा। ऐसे किसानों को भूमिधर बनने में कठिनाई ही नहीं है बल्कि भूमिधर बनना ग़ैर-मुमकिन हो रहा है।

दूसरी बात जो मैं आपकी तवज्जह में लाना चाहता हूँ यह है कि आपके इस बिल में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी तारीफ आपने बिल में नहीं दी है। मसलन आपने बिल में यह लिखा है कि गांव-समाज को वे तमाम अधिकार उस तमाम प्रापर्टी के सम्बन्ध में होंगे जो हिज मैजेस्टी में वेस्ट करेंगे। उसी के साथ गांव-समाज को पूरा अधिकार है दावा करने का, पट्टा देने का और तमाम इन्तजाम करने का। मैं बतौर जवाब के यह बता देना चाहता हूँ कि उसमें यह भी क़ानून मौजूद है कि गवर्नमेंट गांव-समाज को पूरे अख्तियार भूमि के इन्तजाम के सम्बन्ध में दे सकती है। जहां लगान वसूल करने के बारे में कुछ साफ़ नहीं लिखा हुआ है, वहां यह भी लिखा है कि गवर्नमेंट को

अधिकार है कि रूल बनाये । तो गवर्नमेंट रूल बना सकती है। ऐसी हालत में हमारे समाजवादी भाई का यह एतराज कि उसमें लगान वसूल करने का कोई अधिकार गांव समाज को नहीं दिया गया है, बिल्कुल व्यर्थ है।

इसके आगे मैं यह भी बतलाना चाहता हूँ कि आपने इस बिल में लैण्डहोल्डर शब्द इस्तेमाल तो किया है मगर उसकी कोई डैफीनीशन नहीं दी है हालांकि इसकी तारीफ़ यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में और और एक, दो में है। मगर आपने इस बिल में लैण्ड-होल्डर की कोई डेफीनीशन नहीं रखी है और इस लफ्ज का इस्तेमाल कई सेक्शनों में आया है चाहे गांव समाज एक तरह का लैंड होल्डर तमाम गांव का होगा मगर गांव समाज के अलावा भी आपने यह इस्तेमाल किया है और कहा है कि उनको बेदखली का अख्तियार होगा, बकाया लगान का अधिकार होगा और तरह-तरह के अख्तियार किसानों पर होंगे।

दूसरे आपने अपने बिल में यह भी लिखा है कि जो कोई मुआहिदा सिर्फ इंटरमीडियरी से और किसी दूसरे शख्स से किसी जंगल के बारे में यानी प्राइवेट फारेस्ट के बारे में हुआ होगा तो वह मुआहिदा नाजायज समझा जायेगा। मैं निहायत अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि इस बात की जरूरत है कि आप प्राइवेट फारेस्ट की डेफीनीशन भी इस बिल में दर्ज कर दें क्योंकि फ़ारेस्ट के माने बहुत कुछ हो सकते हैं गांवों में और खासकरके हमारे पूर्वी जिलों में फारेस्ट बहुत कम हैं। वह फारेस्ट जो बड़ी तादाद में हैं ज्यादातर गवर्नमेंट के अधिकार में हैं। गांवों में रूसा, ढाक और रेंव के जंगल हैं जिनमें दो चार दस और १५ बीघे में ढाक रेंव अडूसा गांव वाले इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इनको भी फारेस्ट की तारीफ में लाते हैं तो किसानों और जमींदारों के लिये बहुत मुश्किल पड़ेगी। इन ढाक के जंगलों से किसान लोग ढाक काटते हैं और ऊख पकाते हैं। इस वास्ते मैं गुजारिश करता हूँ कि प्राइवेट फारेस्ट के बारे में जो आपने लिखा है कि अगर कोई मुआहिदा हुआ होगा तो नाजायज समझा जायेगा इसलिये प्राइवेट फारेस्ट की तारीफ करना बहुत जरूरी है कि आपका प्राइवेट फारेस्ट से क्या मतलब है। अब इसके बाद मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने अपने बिल में इस बात का प्रावीजन किया है और इस बात का एक्सेप्शन रखा है कि जो लोग मुआवजे के एवज में सीर या खुदकाश्त की आराजी आये होंगे उनकी सीर या खुदकाश्त की आराजी उनके क़ब्जे में रखी जायेगी जब तक उनके गुजारा का हक़ क़ायम है। मैं आपसे अर्ज करूँगा कि सब गुजारेदारान ऐसे नहीं हैं जो जमीन पाये हुये हों या जिनको सीर या खुदकाश्त मिली हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अवध स्टेट ऐक्ट देखें तो आपको मालूम होगा कि ताल्लुक़ेदार साहबान के जो छोटे भाई या भतीजे हैं जिनको क़ानून से गुजारा पाने का हक़ है। वह जमीन नहीं पाये हुए हैं, सीर खुदकाश्त या मौजा नहीं पाये हुये हैं बल्कि नक़दी गुजारा पाते हैं। उनको माहवार एक रक़म मुक़र्रर कर दी गई है। चाहे वह डिक्री या दस्तावेज से मुक़र्रर हुई हो, चाहे वह प्राइवेट कंट्रेक्ट इसे मुक़र्रर हुई हो। आपने इस बिल में इस बात का कोई भी इन्तजाम नहीं किया है कि ऐसे गुजारेदारान को जिनको कि नक़दी गुजारा मिलता है और जिनके पास कोई जमीन नहीं है और सीर, खुदकाश्त या मौजा नहीं है उनका क्या हश्र होगा। उनके लिये आपने क्या इन्तजाम किया है ? उनको आप क्या देना चाहते हैं। आपने यह भी नहीं लिखा है कि जो मुआवजा जमींदारों को दिया जायेगा उसमें से कोई रक़म गुजारेदारान को भी मिलेगी। ऐसी हालत में मेरी गुजारिश है कि इन गुजारेदारान की हालत को देखें और विचार करें और ऐसे गुजारेदारान को जिनको नक़दी मिलती है और जिनके पास जोतने को एक बिसवा जमीन तक नहीं है। उनको क्या दिया जायगा।

तीसरी बात जो मैं आपके सुझाव के लिये पेश करना चाहता हूँ वह यह है कि आपने भूमिधर के सम्बन्ध में जो कुछ नये सेक्शंस लिखे हैं उनमें आपने चन्द बातों पर विचार नहीं किया। एक तो मैं आपसे यह बतलाना चाहता हूँ इस गुजारे के सम्बन्ध में अलावा

[श्री गणपति सहाय]

ताल्लुकेदारान के, गुजारेदारान के जिनको अवध स्टेट ऐक्ट के अनुसार नकदी गुजारा मिलना चाहिये उनको छोड़ कर आपने उन बेवाओं का भी कोई खयाल नहीं किया जिनको कोई हिस्सा नहीं मिला, जिनको केवल नक़दी गुजारा मिल रहा है। खानदान मुश्तर्का में उनके पति के देहान्त हो जाने के कारण उनको जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलता, महज गुजारा मिलता है। या तो वह घर में रह कर अपने ससुर, अपने जेठ या खानदान के किसी आदमी की नजरे इनायत पर रह कर गुजर-बसर कर रही हैं या वह घर से निकाल दी गयी हैं तो उनका नक़दी गुजारा अदालत से मुकर्रर हो गया है। ऐसी हालत में उन बेवाओं का जिनको केवल नक़दी गुजारा मिल रहा है उनका क्या हश्र होगा, उनको क्या मिलेगा, उनकी जीविका कैसे चलेगी। ऐसी हालत में आपको उन लोगों के वास्ते जिनको नक़दी गुजारा मिल रहा है अवध स्टेट ऐक्ट के मुताबिक़ जैसे ताल्लुकेदारान के रिश्तेदार या भाई बन्द वग़ैरह और उन हिन्दू बेवाओं को, जिनके पति के मर जाने से जमींदारी में कोई हिस्सा नहीं मिलता, उनके लिये कोई न कोई इन्तजाम करना चाहिये।

भूमिधारी के हक हासिल करने के लिये आपने बहुत सहूलियतें दी हैं लेकिन उसी के साथ-साथ आपने जो यह कानून रखा है कि असल काश्तकारों का शिकमी काश्तकारान ५ साल के बाद १५-गुना लगान दाखिल करें तब उनको भूमिधर के हक़ हासिल हो सकते हैं। मैं अर्ज करूँगा कि इन ५ साल की मियाद रखने से आपका क्या मतलब है, यह मेरी समझ में नहीं आया। आपने असल काश्तकारान के लिए यह रखा है कि जो जमीन उनकी जोत में है, जिसको उन्होंने शिकमी पर नहीं उठाई थी, उस बची हुई जमीन के वास्ते अगर वह रसदी लगान का १० गुना दाखिल कर दें, तो वह भूमिधर हो सकते हैं लेकिन जो शिकमी हैं वह अगर १५ गुना लगान अभी अदा कर दें और भूमिधर बन जायें तो इसमें क्या क़ानूनी नुक्स पड़ेगा ?

कतिपय समितियों के लिये सदस्यों के चुनाव का कार्यक्रम

माननीय स्पीकर---अब एक बजा है आप कृपया बैठ जाइये। मुझे कुछ घोषणायें करनी हैं। कल माननीय सदस्यों ने कुछ प्रस्ताव स्वीकृत किये थे जिनके अनुसार कुछ संस्थाओं के लिये चुनाव करवाना मेरा कर्तव्य है।

आर्केलाजिकल म्यूजियम, मथुरा की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये १ सदस्य।

प्रान्तीय म्यूजियम लखनऊ, की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये १ सदस्य।

प्रान्तीय म्यूजियम ऐडवाइजरी बोर्ड के लिए २ सदस्य।

कृषि तथा पशु-पालन स्थायी समिति के लिए १ सदस्य।

प्रान्तीय नर्सेज एंड मिडवाइफ काउन्सिल के लिए २ सदस्य।

बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये १ सदस्य।

मैंने चुनाव के लिये यह कार्य क्रम नियत किया है। नामांकन-पत्र यानी नामिनेशन पेपर प्राप्त करने के लिये कल १२ बजे तक।

नामांकन-पत्र की जांच के लिये कल साढ़े बारह बजे अर्थात् प्राप्ति से आध घंटे बाद जांच होगी।

चुनाव से नाम वापस लेने के लिये कल चार बजे तक और परसों यानी तेरह तारीख को रीडिंग रूम में बारह बजे से चार बजे तक, अगर जरूरत होगी तो, मत प्रदान किये जायंगे।

श्री नवाजिश अली खां---तेरह तारीख या चौदह तारीख ?

माननीय स्पीकर---चौदह तारीख मैंने इसलिये नहीं रखी कि चौदह तारीख को आप लोगों को पार्लियामेंट के लिये चुनाव करना होगा, यदि नामांकन-पत्र पच्चीस से ज्यादा आये।

(कुछ रुक कर)

गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव विभाग ने एक प्रार्थना भेजी है कि हज कमीशन के लिये असेम्बली के एक मुस्लिम सदस्य का चुनाव किया जाय। पिछला चुनाव, संभव है कि मेम्बरों को याद हो, फरवरी सन् १९४७ ई० में हुआ था। तीन साल हो गये और उनका समय ३१ जनवरी तक है। अब वह समय समाप्त हो रहा है। इसलिये इस असेम्बली से एक सदस्य को चुनना है। मैं घोषणा करता हूँ कि कल तीन बजे दिन तक नामांकन-पत्र यानी नामिनेशन पेपर आ सकेंगे। तेरह तारीख को एक बजे दिन के समय तक नाम वापस लेने की तिथि होगी और मत प्रदान चौदह तारीख को एसेम्बली रीडिंग रूम में दो बजे से चार बजे तक होगा। इसमें इस असेम्बली के सिर्फ मुस्लिम सदस्य हिस्सा ले सकेंगे।

(इस समय १ बज कर ५ मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बज कर १० मिनट पर श्री नफीसुल हसन, डिप्टी स्पीकर, की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल--(जारी)

श्री गणपति सहाय--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं भूमिधरी अधिकार के सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर रहा था। भूमिधरी का रुपया दाखिल करने के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि यह रुपया बहुत कम दाखिल हुआ और १२ करोड़ रुपया जो दाखिल हुआ है वह इतना कम है बमकाबिले उस तादाद के जोकि गवर्नमेंट ने उम्मीद की थी कि वसूल होगा, इस क़दर कम है कि गवर्नमेंट को यह स्कीम ड्राप कर देनी चाहिये और यह कह देना चाहिये कि हम नाकामयाब हुये। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूँगा कि यह बात नहीं है कि गवर्नमेंट की यह योजना असफल हुई है या गवर्नमेंट की तजवीज़ नाकामयाब हुई है बल्कि वाक़या यह है कि किसानों के पास इतना रुपया नहीं है कि वह एकबारगी दस-गुना दाखिल करके भूमिधर बन सकें। मैं मिसालन आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जिला सुल्तानपुर शायद अवध में क्या बल्कि तमाम सूबे में सबसे गरीब जिला है। यह डेफीसिट डिस्ट्रिक्ट्स में शुमार किया जाता है। हमारे यहां न तो कोई ट्यूब-वेल्स हैं, न हमारे यहां नहर हैं और न और कोई आबपाशी की सुविधायें हैं। किसान बहुत ग़रीब हैं लेकिन इस गरीबी की हालत में भी हमारे किसानों ने निहायत खुशी के साथ १०-गुना लगान दाखिल करके इतना दाखिल किया है और उसमें दाखिल करने में अपना इतना फायदा समझा है कि एक-एक तहसील में पांच-पांच, छः-छः गांव के गांव भूमिधर बन गये यानी वहां एक किसान भी ऐसा नहीं है जो भूमिधर न बन गया हो।

श्री हसरत मुहानी--यानी सब किसान जमींदार हो गये?

श्री गणपति सहाय--जमींदार नहीं भूमिधर।

श्री हसरत मुहानी--जमींदार और भूमिधर में फ़र्क़ क्या?

श्री गणपति सहाय--यह फर्क़ तो आप जब क़ानून पढ़ेंगे तो पता लगेगा। इसी के सम्बन्ध में मैं माल-मंत्री महोदय का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह भूमिधरी का क़ानून जो बना है इस सम्बन्ध में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे लोगों को भी अधिकार दिया गया है कि जिनके नाम खाते में दर्ज नहीं हैं। कहा यह गया है कि जो रुपया दाखिल हुआ है वह उन लोगों का है कि जिनका न कोई हक़ है बल्कि जो यह समझते हैं कि हम रुपया दाखिल करके भूमिधर बन जायेंगे।

यह बिल्कुल ग़लत बात है असल में रुपया उन किसानों ने दाखिल किया है जो खाते में दर्ज हैं जोकि खाते के काश्तकार हैं, जो लगान देते हैं और जो काबिज हैं। अगर कोई

[श्री गणपति सहाय]

रकम ऐसी दाखिल हुई है तो उन खातों के बारे में जो खाते निजाई हैं। अगर कोई ऐसे निजाई खाते में है जिसमें एक भाई का नाम दर्ज है उसका छोटा भाई भी है और उसके बड़े भाई ने रुपया दाखिल किया है लेकिन चूंकि बड़े भाई के नाम खाता है लिहाजा छोटे भाई का नाम खाते में नहीं था तो छोटे भाई ने भी रुपया दाखिल किया है लेकिन उसको भूमिधरी का डिक्लेरेशन या सनद नहीं मिली है वह तो अब अदालत में फैसला हो जायेगा कि उसका यह हक है तो उसको उस हक के लिहाज से भूमिधरी अधिकार मिल जायगें। तो ऐसे खाते मुतनाजिया में और रुपये दाखिल हुये हैं यह गलत है, यह बिल्कुल गलत बात है। अब जो माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि आपने भूमिधरी के कानून के सम्बन्ध में यह लिखा है कि भूमिधरों का अख्तियार इन्तकाल होगा आपने उसको हिबा करने का अख्तियार दिया, बय करने का अख्तियार दिया, और हर किस्म का इन्तकाल करने का अख्तियार दिया है लेकिन रेहन करने का अख्तियार नहीं दिया है। यह मेरी समझ में बात नहीं आई कि उनको रेहन करने का अख्तियार क्यों नहीं दिया जा रहा है और इसलिये मैं आपसे बड़े अदब में कहूंगा कि अगर आप रेहन करने के भी अख्तियारात दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सूबे में कोई भी किसान ऐसा न बाकी बचेगा जो भूमिधरी का १० गुना रुपया दाखिल न करे। उस वक्त वह एक सौ, दो सौ या हजार जितना जरूरत होगी उतना रुपया लेकर भूमिधर बन जायगा और उसके बाद अपनी जमीन छुड़ा लेगा।

इसके बाद मैं यह भी अर्ज करूंगा कि आपके कानून में इस बात की कमी है कि जब आपका कानून जारी हो जायगा, गजट में नोटीफिकेशन हो जायगा तब जमींदार का हक खत्म हो जायगा और उसी के साथ मुर्तहिन का हक भी खत्म हो जायगा। आपने मुर्तहिन के लिये यह रक्खा है कि जो जमीन जमींदार की रेहन के कब्जे में थी वह सीर जमींदार को वापिस होगी और उसका वह भूमिधर होगा, लेकिन अगर कोई जमीन मुर्तहिन के रेहन लेने के बाद सीर होती है तो वह जमीन उस मुर्तहिन की रहेगी और अगर वह पांच गुना लगान दे देगा तो उसका भूमिधर हो जायगा। मैं जनाब से अर्ज करूंगा कि आप जमींदार को तो यह अधिकार दे रहे हैं, लेकिन वह काश्तकार जिसने अपनी २, ४, १० बीघा जमीन रेहन कर दी है, अगर वह किसी जरूरत के वक्त चाहे तो उसे अधिकार नहीं है। इस ऐक्ट भर को उलट डालिये तो कहीं भी इस बात का पता नहीं चलेगा कि जो काश्तकार अपनी जमीन को रेहन कर देता है तो उसे अपनी जमीन रेहन से छुड़ा कर भूमिधर बनने का अधिकार है। पहले यह कानून था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने यह फैसला कर दिया है कि काश्तकार दफा १२ के अन्दर दावा करके अपनी जमीन फकरेहन करा सकता है। अगर जनाब जमींदार के साथ यह रियायत है तो काश्तकार के साथ भी होना चाहिये। काश्तकार को भी अपनी जमीन को फकरेहन कराने का और उसमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने का हक मिलना चाहिये।

इसके बाद आपने जो अख्तियारात इन्तकाल के दिये हैं उनमें आपने बेवा के लिये, संशोधन में यह लिखा है कि बेवा को अख्तियार वसीयत करने का नहीं होगा। मेहरबान जरा देखिये अपनी दफा को, बेवा को अख्तियार बयनामा करने का है, हिबा करने का है तो उसके पास वसीयत करने को रह ही क्या जाता है। अगर वसीयत करना है तो वह हिबा कर देगी, बयनामा कर देगी, फिर वसीयत का हक उससे लेने का क्या मतलब है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

इसके बाद आपने जो कानून बनाया है कि भूमिधर के मरने के बाद कौन-कौन उसके वारिस होंगे तो आप देखेंगे कि वह भूमिधर के साथ अन्याय है। आप भूमिधर के उन्हीं वारिसों को रखते हैं जो असामी या सीरदार के हो सकते हैं। अगर आप भूमिधर, सीरदार और असामी को एक ही पैमाने पर रखते हैं और उनकी वरासत भी वही रखते हैं

जो असामी और सीरदार की रखते है, तो आखिर मे भूमिधर को दसगुना देने से क्या अधिकार मिला, सिवाय इसके कि वह अपनी जमीन बेच दे, हिबा कर दे या अपनी जमीन वसीयत कर दे। अगर आप गौर से देखे तो आपको पता चलेगा कि भूमिधर के साथ यह सरासर अन्याय है, क्योंकि आप उसको केवल इतना ही अधिकार देते ह कि फलां फलां आपके वारिस होंगे ओर अगर ये वारिस न होंग तो आपकी जमीन नजूल हो जायगी। खास कर अवध के जो कब्जेदारान है उनकी कब्जेदारी की जमीन, उनके पर्सनल ला, (जाती कानून,) से मिलती है। इसी तरह से अवध एक्स प्रोप्राइटरी टेनेन्ट्स की वरासत उसी तरह से होती ह जो उनका पर्सनल ला ह। अगर वह हिन्दू ह तो हिन्दू ला के मुताबिक और अगर मुसल्मान ह तो मोहम्मडेन ला के मुताबिक । मगर आपने १०--१२ वारिस बना कर उसको खत्म कर दिया है। अगर वह काश्तकार ताकिनुलमिल्कियत रहता तो कभी भी उसकी वरासत खत्म नहीं होती। मै अर्ज करता हूँ कि कम से कम भूमिधरो के लिये यह कानूनी तरमीम कीजिये कि उनकी भी पर्सनल ला के मुताबिक ही विरासत होगी न कि उनकी वरासत महदूद होगी। इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने एक अनोखी बात इस कानून मे रख दी है जिसका बहुत बडा असर संतानो पर पडेगा। आपने लिखा है कि बगैर ब्याही बहन और बगैर ब्याही लड़की दोनो वारिस हो सकतो हे। मगर उसके साथ ही यह भी लिखा है कि वह बहन या लड़की शादी कर लेगी तो उस हक से महरूम हो जायेगी। जो आराजी उसके बाप की थी, जो आराजी उसके भाई की थी वह आराजी खत्म हो जायगी जिस वक्त शादी कर लेगी। अगर कोई बेवा शादीशुदा हैं और उसने अगर कोई जायदाद पाई है और अगर उसने भूमिधरी या सीरदारी का हक पाया है तो अगर वह शादी कर लेती है ओर उसको उस जमीन से महरूम कर दिया जाता है तो यह पुराना क़ानून है वह हो सकता है। मगर यह कि लड़की अगर क्वांरी रहे तब तक तो उसका हक रहे लेकिन अगर वह ब्याह कर ले तो उस हक़ से महरूम कर दी जाय। बहन यदि क्वारी रहे तो उसका हक रहे लेकिन अगर ब्याह कर ले तो उसकी वह जायदाद जाती रहे वह उससे महरूम हो जाय। आपके समाज मे विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित हो रही है उसको भी इस कानून से कितना धक्का पहुँचेगा यह आप देखेंगे। छोटी जातियो मे विधवा-विवाह और पुनर्विवाह अब भी प्रचलित हैं। इसके क्या मानी कि अगर कोई कुरमी की औरत ने अपने पति की जायदाद पाई है, लेकिन जब तक वह विधवा हैं तब तक तो उस पर उसका हक है, लेकिन अगर वह शादी कर लेती हैं तो उसका हक खत्म हो जाता है। जब वह दूसरा शौहर कर लेती हैं, हालाकि वह उसकी जाति मे रायज है ओर हमेशा से चला जाता है कि वह दूसरी शादी कर सकती हैं, लेकिन आपके कानून के जरिये से अगर वह छोटी जाति की विधवा आज शादी कर लेती हैं तो वह उस अपने हक से महरूम कर दी जायगी। इसके साथ ही आप अब ऊंची जाति मे भी विधवा विवाह ओर पुनर्विवाह जारी कर रहे हैं तो इस क़ानून से उसको भी बहुत धक्का पहुँचेगा। वे लोग भी विधवा विवाह और पुनर्विवाह करने मे हिचकेंगे। यह बहत ही अहम मसला है इसलिये आप अपने कानून में से उस दफा को जिसमे आपने यह लिखा हैं कि शादी करने से वे अपनी जायदादो से महरूम कर दी जायगी, आप निकाल दें। समय बहुत हो गया है। मैं सिर्फ दो एक छोटी-छोटी बातें आपकी तवज्जह मे लाना चाहता हूँ। आपने जहां पर इंटरमीडियरीज की तारीफ लिखी है और जहा पर उनके काश्तकारों का जिक्र किया है वहा पर आपने पट्टेदार इस्तमरारी बन्दोबस्त अवध, का जिक्र किया है। अगर आप ज्यादा और गौर करते और ऐसे आदमियो से मशविरा लेते जो रोजमर्रा अदालत दीवानी या अदालत माल मे काम करते है, तो आपको पता चलता है कि अवध में कुछ ऐसे भी इंटरमीडियरीज हैं जिनके काश्तकारों का कोई भी तजकिरा आपके बिल में नहीं है। वह कौन लोग है ? वह वही लोग हैं जिनको बन्दोबस्त अव्वल से ठेका दवामी नाकाबिले इंतकाल और काबिले तवरीस का अधिकार मिला है और जो लोग कहे जाते हैं ठेकेदार दवामी । आप बिल को एक सिरे से दूसरे सिरे तक उलट डालिये, लेकिन ठेकेदार दवामी का कहीं जिक्र नहीं है। अगर आप अवध

[श्री गणपति सहाय]

प्रान्त में ढूंढें तो आपको हर ज़िले में ठेकेदार दवामी मिलेंगे। बाज–बाज जिलों में तो यह लोग हजारों की तादाद में मिलेंगे, लेकिन आपने उनका कहीं जिक्र नहीं किया है। मैं आपसे अर्ज करूँगा कि ठेकेदार दवामी को भी आप इंटरमीडियरीज़ में रखिये और उनके काश्तकारों के मुताल्लिक जो कुछ आप अधिकार देना चाहते हैं वह दीजिये।

आखिर में मैं एक बात और अर्ज करूँगा कि उन लोगों की क्या हालत होगी इस क़ानून के पास होने के बाद जिनके पास जागीरें हैं। वह जागीरें उन लोगों की नहीं हैं जो बड़े–बड़े जागीरदार कहलाते हैं, बल्कि वह छोटे–छोटे मज़दूर और छोटे २ काश्तकार हैं जो एक बीघा, २ बीघा या ४ बीघा ज़मीन नौकरी–चाकरी करने के सिलसिले में माफी पाये हुये हैं। इन लोगों के वास्ते आपके बिल में कोई भी दफा या क्लाज़ नहीं है। इन लोगों का क्या हश्र होगा।

आखिर में मैं ज्वाइंट हिन्दू फैमिली या हिन्दू खानदान मुश्तर्का के बारे में कहना चाहता हूँ। जहां पर आपने मुआविजा का जिक्र किया है वहां पर आपने लिखा है कि जो इंद्राजात काग़ज़ातदेही हैं होंगे उन इंद्राजात को कम्पेंसेशन आफिसर या मुआविजा का अफसर, जिसको आप मुक़र्रर करेंगे, क़तई और नातिक मानेगा और किसी ज्वाइंट फेमिली की जायदाद के सिलसिले में अगर कोई उज्र कर सकता है तो सिर्फ यह कर सकता है कि उसका मुनाफा कम है या ज्यादा है। वह कोई इस बात का उज्र नहीं कर सकता है कि उसके खानदान मुश्तर्का में सिर्फ एक आदमी का नाम खेवट में दर्ज है, लेकिन मेरा भी हिस्सा है, इसलिये हमको भी मुआविजा मिलना चाहिये। इस क़ानून को उसी हालत में रहने से बहुत बड़ा जुल्म होगा ज्वाइंट हिन्दू फैमिली के मेम्बरान पर। ज्यादातर ऐसा ही है कि ज्वाइंट हिन्दू फैमिली में सिर्फ एक आदमी का नाम खेवट में दर्ज है। जिस आदमी का नाम दर्ज है उसी का नाम क़तई मान करके और इंद्राजातदेही को सही मान करके उसको आप मुआविजा देंगे और खानदान के दूसरे मेम्बरान को अगर उज्र करने का हक़ नहीं होगा तो उनकी बड़ी हक़तलफी होगी। लिहाजा मैं अर्ज करता हूँ कि आप इन सब बातों पर ग़ौर करके आप अपने मसविदा में संशोधन करने की कोशिश कीजिये।

*श्री हसरत मुहानी—जनाबवाला, मैं समझता हूँ कि मैं शुरू ही में इस बात का एलान कर दूं कि मैं इस जमींदारी एबालिशन बिल का सख्त मुखालिफ हूँ। इस लिये नहीं कि मैं जमींदारी एबालिशन को नहीं चाहता बल्कि मैं यह कहता हूँ कि यह बिल जो आपने पेश किया है यह जमींदारी एबालिशन बिल नहीं है बल्कि जमींदारी को बदस्तूर क़ायम रखने वाला बिल है। जमींदारी को खत्म करने और उसको मंसूख करने का सिर्फ एक ही ज़रिया है और वह है नेशनलाइजेशन आफ लैंड। अगर आप जमीन का नेशनलाइजेशन कर दें तो जमींदारी खत्म हो जायगी। अगर आप कैपिटलिज्म को खत्म करना चाहते हैं तो नेशनलाइजशन आफ इण्डस्ट्रीज कीजिये। जब इंडस्ट्रीज का नेश–नलाइजेशन हो जायगा तो प्राइवेट कैपिटलिज्म खुद ब खुद खत्म हो जायगा। यह दो शक्लें ही जमींदारी को खत्म करने और सरमायेदारी को खत्म करने के लिये हैं। सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है नेशनलाइजेशन आफ लैंड और नेशनलाइजेशन आफ इंडस्ट्रीज़। अब नेशनलाइजेशन आफ लैंड के क्या माने हैं? उसके माने यह हैं कि जमीन जो है वह खुदा की इनायत है, खुदा की दी हुई है जिसको अतिया इलाही कहते हैं, जो मजहब को नहीं मानते हैं, जैसे कुछ कम्यूनिस्ट हैं जो मजहब को नहीं मानते हैं, वह कहते हैं कि जमीन जो है वह खुदा की तरफ से गिफ्ट है। इस पर किसी का क़ब्जा नहीं है। कोई शख्स इसका मालिक नहीं है। मालिक सिर्फ उस हिस्से का हो सकता

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

है जो उसके इस्तेमाल में आवे। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रख दूं। जैसे एक दरिया है वह बहता चला जाता है। जहां जहां से वह बह कर जाता है उस पर किसी का क़ब्जा नहीं है। अलबत्ता अगर कोई शख्स अपने घर में एक घड़ा या एक बधना या एक लोटा पानी उसमें से निकाल कर अपने इस्तेमाल के लिये लावे तो उतना पानी उसकी पर्सनल प्रापर्टी हो जायगी। बाक़ी दरिया बदस्तूर उसी हालत में रहेगा और वह किसी की प्राइवेट प्रापर्टी नहीं होगा। उस पर उन सबकी मिल्कियत है जहां—जहां से वह बहता हुआ जाता है। अगर आप यह चाहते हैं कि ज़मींदारी को खत्म करें, अगर वाक़ई आपका मंशा ऐसा है तो इसके माने यह हैं कि ज़मीन जो है उसको प्राइवेट मिल्कियत से निकाल कर स्टेट की मिल्कियत में देना चाहिये। कुल ज़मीन जब तक स्टेट की मिल्कियत में नहीं होगी तब तक आप ज़मींदारी का एबालिशन नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इसमें आपने किया क्या है? चन्द बड़े—बड़े ज़मींदारों को तो आपने खत्म किया है और उनको खत्म करने के बाद फिर उनकी ज़मीन को नीलाम में लगा दिया है। आप कहते हैं कि जो काश्तकार अपने लगान का दसगुना दे देगा उसका लगान आधा हो जायगी और उसको अपनी ज़मीन पर पूरा हक़ होगा, उस ज़मीन की मिल्कियत उसको दे दी जायगी और वही उसका मालिक होगा। इसके क्या माने हुए? फर्ज़ कीजिये कि एक जिले में दस बड़े—बड़े ज़मींदार हैं तो उनकी ज़मींदारी तो आपने जब्त कर ली और नीलाम पर लगा कर दस हजार और छोटे छोटे ज़मींदार बना दिये मैं नहीं समझता हूँ कि आपके इस भूमिधर और ज़मींदार में फ़र्क़ क्या है सिवा इसके कि वे बड़े बड़े ज़मींदार थे, उनकी जगह पर ये छोटे—छोटे ज़मींदार हो गये। एक बात मैं और कह दूं, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने यह बिल बनाया है उनको उर्दू जबान और फ़ारसी ज़बान के अल्फ़ाज़ की क़तई जानकारी नहीं है। ज़मीन जो फारसी का लफ्ज है उसको तो भूमि कर दिया और दार जो फारसी का लफ्ज है उसकी जगह पर धर कर दिया। इसके क्या माने हैं? ज़मींदार की जगह पर भूमिधर करने के सिवा और कोई फ़र्क़ इसमें नहीं है। चन्द बड़े—बड़े ज़मींदारों को खत्म करके उससे हजार गुना छोटे—छोटे ज़मींदारों को आप पैदा कर देते हैं। उसमें और ज़मींदार में कोई और फ़र्क़ नहीं है। आप जिस बिना पर ज़मींदारी को खत्म करना चाहते हैं वह कौन सा उसूल भूमिधर के अन्दर नहीं है। ज़मींदार भी खुदकाश्त नहीं करता है, वह दूसरों के ज़रिये से काश्त कराता है और उससे फायदा खुद उठाता है। आपने ५० एकड़ की क़ैद लगाई है कि इतना मिलेगा इससे ज्यादा कोई नहीं रख सकेगा। तो उसके बाद क्या होगा? क्या वह एक आदमी खुद जोतेगा और उस ज़मीन को बोयेगा। यह ज़ाहिर है कि जो हालत ज़मींदार की थी वही हो जायगी। ज़ाहिर में दिखाने के लिये वह यह कहेगा कि मैं नौकर रखे हूँ, उन्हीं से जुतवाता हूँ और बुवाता हूँ। इसके अलावा जितनी ज़मींदारों की सीर की ज़मीन हैं क्या उसमें से वह खुद जोतेंगे, बोयेंगे। वह उनके पास रहेगी। वह भी काश्तकारों के पास चली जायगी। तो क्या इससे फ़र्क़ पड़ जायगा? अभी तक जो ज़मीन ज़मींदारों के क़ब्जे में थी अब भूमिधर के क़ब्जे में हो जायगी। जो खराबी ज़मींदारों के वक्त में थी वही खराबी भूमिधर के वक्त में भी होगी। इसलिये मैं कहता हूँ कि मैं इस क़ानून की मुखालफत करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इसकी यह वजह नहीं है कि मैं ज़मींदारी एबालिशन नहीं चाहता हूँ। मैं इसको इसलिये मुखालफत करता हूँ कि यह क़ानून हमारी मरज़ी और मंशा के बिल्कुल खिलाफ है और वक़ाअतन ज़मींदारी को एबालिश नहीं करता बल्कि इसको और बेहतर शक्ल में क़ायम करता है। चन्द बड़े—बड़े ज़मींदारों को खत्म करके उनकी जगह पर हजार गुणा छोटे—छोटे ज़मींदारों को बना कर रख देता है। इसके अन्दर वह तमाम खराबियां मौजूद हैं जिनको मिटाने का आपको दावा है कि हम यह मिटाने के लिये कर रहे हैं। मुझको मालूम है कि इसके अन्दर जो यह सिलसिला जारी किया है कि इंटरमीडियरी न रहे, इस इंटरमीडियरी का मिटाना मुमकिन नहीं है जब तक कि आप किसी क़िस्म का काश्तकार रखते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इंटरमीडियरी के माने यह हैं कि जो ज़मीन की मिल्कियत या गांव की ज़मीन है,

[श्री हसरत मुहानी]

या मुल्क की जमीन है उसका सिवाय स्टेट के और कोई मालिक नहीं हो सकता। कोई भी प्राइवेट प्रापर्टी न रहे। जब प्राइवेट प्रापर्टी नहीं रहेंगी तो जितनी भी जमीन होगी वह सब स्टेट के पास चली जायगी। तब स्टेट का फर्ज हो जायगा कि वह अपने इन्तजाम में उस पर काश्त कराये। काश्त कौन करेगा? काश्त वही करेगा जो कि अब कर रहा है। फर्क क्या होगा? फर्क यह होगा कि काश्त तो वह जरूर करेगा लेकिन काश्त करने के बाद जब फ़सल काटने का वक्त आयेगा और उससे जो गल्ला पैदा होगा वह गल्ला काश्तकार के पास नहीं जायगा बल्कि वह गल्ला स्टेट की मिल्कियत हो जायगी और उससे जो बड़े-बड़े फायदे होंगे वह मैं अभी आपके सामने बयान करूँगा। फिर जो लोग काश्त करते हैं वही करेंगे, वही बोयेंगे और काटेंगे, लेकिन काश्तकार की हैसियत से वह मजदूर हो जायगा और वह उजरत लेकर ही काम करेगा। स्टेट उनको उजरत देगी। जो लोग खेत में काम करेंगे वह स्टेट से उजरत पायेंगे। वह उजरत इस शकल में पायेंगे कि उनको कोई नुक़सान नहीं होगा जैसा कि रूस में आज कल होता है। वहां खुद स्टेट जमीन की मालिक है, काश्तकार वही है, जो बोता है और जोतता है। और वह सब काश्तकार उजरत पर काश्तकारी करते हैं। साल भर काम करने के बाद जितनी उजरत उनको ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है उनको दी जाती है। एक हिस्सा नक़दी के रूप में उजरत दी जाती है और एक हिस्सा गल्ले की शकल में दी जाती है। और वह जितने आदमियों की बाबत साबित कर देते हैं कि हमारे घर में इतने आदमी खाने वाले हैं उतना गल्ला उनको मिल जाता है और बाक़ी उनको नक़दी की सूरत में मिल जाता है इस तरह से अगर आप भी करेंगे और जब गल्ला स्टेट की मिल्कियत होगा तभी आपको स्टेट को कुव्वत हासिल होगी और इस तरह से वह गल्ले की क़ीमत भी मुक़र्रर कर सकती है और अगर वह चाहे तो अपने एहतमाम में राशनिंग की दूकानें भी क़ायम कर सकती हैं और इस तरह से लोगों को आर सस्ते से सस्ते दामों पर गल्ला दे सकते हैं और पढ़ा, बग़ैर पढ़ा, ग़रीब अमीर, बच्चा या बूढ़ा कोई भी अपना गल्ला इस तरह से आसानी से पा सकता है जैसा कि आज कल सोवियट रूस में होता है। आपकी राशन की दूकान जैसे आज चल रही है वह बिलकुल फजूल है, लगो है और उनसे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक उसूल की बात बतलाता हूँ और वह यह है कि जब तक आप ऐसा न करेंगे कि प्रोक्योरमेंट भी आपके हो हाथ में हो तब तक आपको किसी तरह की कामयाबी हासिल नहीं हो सकती और न उस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूशन के कोई मानी हैं। इस तरह से आप आसानी के साथ गल्ला भी हासिल कर सकेंगे और उसके बाद आप जिस तरह से चाहें गल्ला तक़सीम कर सकते हैं। जब तक आपके हाथ में गल्ले का हासिल करना नहीं तब तक भागे-भागे काश्तकारों के पीछे फिरना आपकी हिमाकत है और काश्तकारों से कहना कि इतना गल्ला दे दो उतना दे दो यह लगो है। इस तरह से दूकानें खोलना आप की लग़वियत की बात है और इससे बढ़कर दुनिया में और कौन सी लग़वियत की बात हो सकती है। इसकी वजह यह है कि आप ऐसी स्कीम लाते हैं जो कामयाब नहीं हो सकती और जो इंसानी फितरत के बिलकुल ख़िलाफ है। आप ग़ौर कीजिए और मुझे तो कानपुर जिले का अपना जाती तजुर्बा है। वहां के कलेक्टर साहब ने, कृष्ण चन्द्र साहब ने यह मुक़र्रर किया कि हम हर काश्तकार से दस फीसदी या इतना गल्ला प्रोक्योरमेंट (प्राप्त) कर लेंगे। पहले तो उन्होंने कहा कि हम गेहूँ साढ़े दस रुपया मन ले लेंगे और फिर उन्होंने हालिम की क़ब्र पर लात मारी और कहा कि अब हम १३ रुपया १० आना मन ले लेंगे। मगर काश्तकार बेवक़ूफ नहीं है। उसके दिमाग़ में भी यह चीज है कि क्यों इस निर्ख पर गल्ला दें जब उस का घर बैठे २० रुपये और २५ रुपये मन बिक सकता है। अगर वह इस तरह से आपको देता है तो उससे ज्यादा पागल और कौन होगा, जब घर बैठे आपको मालूम होना चाहिये कि ब्लैक मार्केट करने वाले आप के आदमी जाकर काश्तकारों से २०, २५ और ३० रुपया मन गेहूँ खरीदते हैं और फिर वह सवा सेर और डेढ़ सेर का लाकर बेंचते हैं तो क्या आप उम्मीद रखते हैं

कि आपको साढ़े १३ रुपये में गेहूँ मिल सकता है। ऐसा ख़याल करना मेरी समझ में नहीं आता है कि इससे ज्यादा और क्या हिमाक़त और बेवकूफी आप की हो सकती है। नतीजा यह होता है कि आपकी स्कीम जो प्रोक्योरमेंट की डिस्ट्रीब्युशन की और चीप राशनिंग की दूकान खोलने की और शहर में गल्ला बांटने की थी वह फेल होती है, चल नहीं सकती क्योंकि वह क़तई ख़िलाफ फितरत है और अननेचुरल है।

हमारे दोस्त रोशनजमां खां साहब जो सोशलिस्ट हैं उनका दावा और उनके ख़यालात भी अजीबोगरीब हैं। वह भी उसी हिमाक़त में मुब्तला हैं। वह कहते हैं कि साहब यह तो सारी जमीन उसी की है कि जो उसको जोतता बोता है। काश्तकार की मिलकियत होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि यह तो बिल्कुल लगो बात है और कोई अक्लमन्दी की बात नहीं है। जिस शख्स के पास जमीन होगी वह उसकी मिलकियत हो जायगी। वही जमींदार है चाहे वह छोटा जमींदार हो। फिर आपका यह दावा कि हम जमींदारी को अबालिश करते हैं बिल्कुल ग़लत और उल्टा दावा है। आप जमींदारी को अबालिश नहीं करते बल्कि दस जमींदारों के बजाय दस हजार जमींदार क़ायम करते हैं। यह आप अच्छा धोका देते हैं कि वह दस गुना लगान दे दे तो मालिक हो जायगा। क्या काश्तकारों को यह मालूम नहीं। हां, एक बात की मैं तारीफ करता हूँ। सोशलिस्टों ने अच्छा सबक़ पढ़ा दिया है। यह जो कहते हैं कि तुम मालिक हो गए यह नहीं होगा। जमींदारी एबालिशन किया गया है। चन्द साल के बाद वह कहेंगे कि यह भी जमींदार हैं। इनको भी अबालिश करो। उनको मुआविजा भी दिया है। जो भूमिधर हैं उनको मुआविजा भी नहीं मिलेगा। उनसे कहेंगे कि तुमने इतने दिन तक खा लिया, जोत भी लिया। मुआविजा कैसा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर वाक़ई इसे दूर करना है तो जब हमारे यहां से पन्त जी और मेरे दोस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू कांस्टीटुएंट असेम्बली में वकालत करने के लिये गए और वहां यह मजमून पेश किया तो मैंने खड़े होकर बहुत सख्ती के साथ मुख़ालिफत की और एक घंटे तक तक़रीर की। मैंने कहा कि मैं जो एतराजात कर रहा हूँ पहले उनका जवाब दीजिए। उसके बाद इस क़ानून को पेश कीजिये और पास कीजिए। वहां क्या हुआ? जो यहां होता है वही वहां भी हुआ। आप लोगों को मालूम है कि हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर हैं। फाइनेंन्स मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं। वह सब क्या कहते हैं। वन पार्टी वन रूल और यह कहा जाता है कि नाउ दी क्वेश्चन इज पुट (अब सवाल पेश किया जाता है) और वह क़ानून पास हो गया। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। यह कौन सा तरीका इंसाफ है, यह कौन सा दयानतदारी का तरीक़ा है। आप कम्यूनलिस्ट हैं क्योंकि आप कम्यूनल एलेक्टोरेट से मुन्तखिब होकर आए हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि हिन्दुओं को हिन्दुओं ने और मुसलमानों को मुसलमानों ने एलेक्ट किया है। इस बिना पर वह सारा काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग ख़त्म हो गयी। एक सेक्शन ख़त्म हो गया। अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी बाकी है सेण्टर असेम्बली में और वह प्योर कम्यूनलिस्ट है। यही वजह है कि जो क़ानून आप पेश करते हैं और पास करते हैं वह दयानतदारी के ख़िलाफ हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बुरा कहते हैं। आप कहते हैं कि हमारी सेक्युलर स्टेट है। इन बातों से आपकी मेरे दिल में जरा वक़अत नहीं बाक़ी है। मेरे दिल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिये गुन्जायश है।

श्री राममूर्ति--इस समय किस मजमून पर बहस हो रही है। क्या आप रिलेवेंट बोल रहे हैं?

डिप्टी स्पीकर--मौलाना हसरत मोहानी, जो मजमून इस वक्त जेर बहस है आप उसी पर बोलिये।

श्री हसरत मुहानी--मेरा सारा ताल्लुक़ इसी बात पर है। मैं इस बिल का मुख़ालिफ हूँ। बजाय पहले के आप बेस्ट फार्म में जमींदारी को क़ायम कर रहे हैं। पहले दस जमींदार थे तो अब दस हजार जमींदार होंगे।

एक सदस्य--यह इर्रेलीवेंट (असंगत) बोल रहे हैं।

श्री हसरत मुहानी--रेलीवेंट किसको कहते हैं यह मैं आप लोगों से बेहतर जानता हूँ। मैं यह कह रहा था कि जब तक आप बीच में से कुल इन्टरमीडियेरीज को नहीं निकालेंगे तब तक यह ऐबालीशन आफ जमीदारी नहीं हो सकती। और जब मैं कुल इंटरमीडियरीज को कहता हूँ तो मौरूसी काश्तकार, दखीलकार काश्तकार, जितनी भी किस्म काश्त-कारान की हैं, वे सब की सब इंटरमीडियरीज में हो जावेगी। इंटरमिडियरीज कब खत्म होंगे। जब कि जमीन की मिल्कियत स्टेट के पास चली जायगी और नेशनलाइजेशन आफ लैण्ड के मुताबिक सब मिल्कियत होगी। सब जमीन की काश्तकारी स्टेट की तरफ से होगी। जो काश्तकार होंगे वे काश्तकारी तो करेंगे मगर वह मालिक की हैसियत से नहीं करेंगे बल्कि उनको उजरत दी जावेगी। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि जब साल में खेत कटेंगे, उनको मजदूरी दे दी जायगी, समथिंग इन कैश ऐन्ड समथिंग इन काइंड (कुछ नकदी के रूप में और कुछ गल्ले के रूप में)। और अगर इसके बाद भी उनमें से कोई ऐसे मनचले होंगे जो कहेंगे कि जितना हमको दिया गया है वह हमारी जरूरत के लिये काफी नहीं है, हमको इससे ज्यादा मिलना चाहिये, हमको इससे ज्यादा की जरूरत है तो वह आम बाजार में जाकर आम गोदाम से खरीद सकते हैं। वहां कीमतें मुकर्रर होंगी उन पर कोई भी खरीद सकेगा। न उनमें कोई खराबी है, न खतरा। मैंने वहां पर कस्टीट्यूएंट असेम्बली में भी, यही कहा था और यहां भी यही कहता हूँ। हमारे मिनिस्टर लोग जो हैं वे यहां मौजूद भी नहीं हैं और कोई सुनता भी नहीं। वे कहते हैं कि बकते क्या हैं बकने दो। वोट तो हमारे हाथ में है और जब हम पेश करेंगे या जो भी पेश करेंगे, पास तो हो ही जावेगा। मैं आपसे कहता हूँ कि इस बात का इत्मीनान न कीजियेगा। यह तरीका जो है यह गरूर का है और वन पार्टी गवर्नमेंट का है? इसका नतीजा कभी दुनिया में अच्छा नहीं निकलता। मुझको यह मालूम होता है कि चीटी के पर निकल आये और अब उसकी मौत करीब है।

माननीय माल सचिव--जब चींटी बहुत पुरानी हो जाती है, तब उसके पर निकल आते हैं।

श्री हसरत मुहानी--मैं यह चैलेंज के साथ कहता हूँ और कोई साहेब मिनिस्टर हों या कोई भी हों, पहले मेरी बातों का जवाब दें कि किस तरह से आप इसको एबालीशन कह रहे हैं। जब तक आप इसका जवाब नहीं देते और सिर्फ अपने वोट के भरोसे पर यहां आकर बैठ जायेंगे तो "Now it may be a question of years but it will be a question of months and days and if you will persist in this policy you will be finished soon. There is no alternative other than that" (हो सकता है कि कई वर्ष लग जाये किन्तु महीनों और दिनों ही का मामला हो जायगा और यदि आप अपनी इसी नीति पर अड़े रहे तो शीघ्र ही आप का अन्त हो जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है।)

माननीय माल सचिव--मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर अंग्रेजी में न बोला जाकर हिन्दी में बोला जाय तो ज्यादा अच्छा हो।

डिप्टी स्पीकर--वह ग़ालिबन किसी तहरीर का हवाला दे रहे थे।

श्री हसरत मुहानी--जो कुछ मैं कहना चाहता था, मैंने कह दिया।

एक सदस्य--मौलाना कहिये आप कहिये, हम सुन रहे हैं।

श्री हसरत मुहानी--कोई सुननेवाला नहीं है, यही तो मैं कहता हूँ। मैं इस बिल की मुखालिफत सिर्फ एक बिना पर करता हूँ और वह यह कि यह एबालीशन आफ जमीदारी नहीं बल्कि यह हमेशा के लिये जमीदारी कायम करने का और एक जमीदार के बजाय सैकड़ों ह

जमींदार पैदा करने के लिये बिल है। यह कहा जाता है कि साहब भूमिधर बन जायगें यह सरासर धोखा है इसमे कुछ और नही रक्खा हुआ है कोई फर्क भूमिधर और जमींदार मे नही है। जो खराबियां जमीदार मे मौजूद है या जमींदारी मे मौजूद है और जिनके मिटाने के लिये आप इसे पेश कर रहे है, उससे बदतर शक्ल हो जायगी। आपने कहा कि ५० एकड़ से कम एक शख्स को नहीं दी जावेगी, यह भी नही हो सकता है मेरा ख्याल है कि जिन लोगो ने यह बिल बनाया है उन्होने एक बुरी नकल की है हमारी सोवियट यूनियन की। सोवियट यूनियन ने भी पहले गलत फहमी की बिना पर यह कहा था कि भाई, एकदम से नेशनलाइजेशन आफ लैड न करे। उन्होने यह किया था कि एकदम नेशनलाइजेशन आफ लैंड न करके बल्कि जो बडे-बड़े काश्तकार थे उनके पास जमीन रहने दी और छोटे-छोटे काश्तकारो की जमीन को मिला दिया। उन्होने वह कुलाक सिस्टम कायम किया। यह वही था जैसा कि आपका भूमिधर सिस्टम है। नतीजा क्या हुआ छै महीने भी नही गुजरे कि उनको अपनी हिमाकत का सबक मिल गया और एक साल के अन्दर उनको बिल्कुल मिटा करके प्योर सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट सिस्टम जारी कर दिया और जमीन की काश्त स्टेट के हाथ मे रखी। जिन लोगो को काश्तकारी के लिये मुकर्रर किया वह सिर्फ उजरतदार थे। जब फसल काटने का वक्त आयेगा तो सारी फसल स्टेट की हो जायेगी। प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथ मे होगा। फिक्सेशन आफ प्राइसेज (कीमत मुकर्रर करना) उनके हाथ में होगा आप लोगो की तरह नही। जिनके हाथ मे प्रोक्योरमेंट नहीं है वह फिक्सेशन आफ प्राइसेज कैसे कर सकते हैं और क्या गल्ला हासिल कर सकते है। मैने पंडित जवाहरलाल जी से दो बाते कही थी। एक तो यह कि कब्ल इसके कि आप इसको पास करे मेहरबानी करके मेरी बातों का पहले आप जवाब दे। अगर नही देते तो इसके कोई माने नही है। बेकार आप दुनिया को धोखा देते है कि हमारी तो सेक्यूलर स्टेट है। लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आर० एस० एस० को बुरा कहती है लेकिन जो उनका प्रोग्राम है उसकी आपने भी तो नकल की है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप कांग्रेस गवर्नमेंट की मुखालफत करते हे। अगर यह चली जायेगी तो इसकी जगह पर हिन्दू सभा या आर० एस० एस० आ जायेगे I have got softest corner in my heart for them (मेरे दिल मे उनके लिये बहुत हमदर्दी मौजूद है।) आर० एस० एस० चाहे मुसलमानो के खिलाफ कुछ भी करे लेकिन यह एक फंडामेंटल प्रिंसिपल तो यह है जो हमने कायम किया है। हमारी हिन्दुस्तान की जो गवर्नमेंट क़ायम हुई है वह सोशलिस्ट रिपब्लिक है। यह नहीं कि जवाहर लाल अभी भी किंग जार्ज के पुछल्ले बने हुये है। आर० एस० एस० के लोग ईमानदार हैं।

माननीय मंत्री माल—यह मैं कैसे कहूँ कि यह रेलीवेन्ट है या इर्रलीवेंट।

डिप्टी स्पीकर—मौलाना जो बिल है उसी पर आप अपनी बहस को महदूद रखे।

श्री हसरत मोहानी—जिस उसूल पर बिल बनाया गया वह बिल्कुल गलत है। इसलिये मैं आपको बतला रहा हूँ कि एबालीशन के माने तब पैदा होंगे जब आप सोशलिस्ट बेसिस पर अपनी सोसाइटी की तजीम करे, जिस वक्त आप नेशनलाइजेशन आफ लैंड करे। जब आप ऐसा करेंगे तब आपकी जमीन प्राइवेट से निकल कर स्टेट की मिल्कियत मे आयेगी। साथ ही स्टेट काश्तकारी का इन्तजाम करेगी, काश्तकार वही होंगे लेकिन काश्त की पैदावार उनके पास नही रहेगी, वह स्टेट की मिल्कियत होगी। मेरा दावा है कि इस वक्त हिन्दुस्तान की सरजमीन पर काश्तकार से बढ़ कर ब्लैक-मार्केट करने वाला और कोई नही है। एक-एक काश्तकार ने अपनी हैसियत से १००-गुना रुपया इस ब्लैक-मार्केट से जमा किया है। हमारी कांग्रेस सरकार को भी इसका हाल मालूम है और यही वजह है कि उन्होने यह समझ कर कि

[श्री हसरत मुहानी]

काश्तकार ने ब्लैक-मार्केट में खूब रुपया जमा किया है, यह १०-गुना लगान दे देंगे और १८० करोड़ रुपया आसानी से जमा हो जायगा जिसमें से हम १३० करोड तो बड़े-बड़े जमींदारों को जिनकी हम जमींदारी खत्म कर रहे हैं उनको दे देंगे और बाकी ५० करोड़ को हजम कर जायेंगे, ब्लैकमार्केट के तौर पर। बड़े जमींदारों से जमीन ले ले, उसके बाद नीलाम पर बोली चढ़ा दें। १०-गुना लगान लेकर उसको जमींदार बना दें। १८० करोड़ रुपया वसूल होगा, १३० करोड़ जमींदारों को चला जायेगा, बाकी बचेगा ५० करोड। इससे बढ़कर ब्लैक-मार्केट और क्या हो सकती है ? खैर मेरा मतलब यह है कि होना यह चाहिए कि जमीन स्टेट की मिल्कियत हो, कोई इंटर-मीडियरी न हो, न कोई जमींदार न मौरूसी काश्तकार और न कोई दखलकार। काश्त स्टेट की होगी, उजरतदार के तौर पर जिसे स्टेट चाहे मुकर्रर कर ले, उनको उजरत दे दी जायेगी। जितना फायदा होगा उसके हिसाब से उजरत मुकर्रर की जायगी। इसमें ब्लैक-मार्केट की गुंजाइश नहीं रहेगी। ब्लैकमार्केट में बेचने के लिये काश्तकार के पास गल्ला ही नहीं रहेगा।

लेकिन यह जो सूरत कायम है वह बिल्कुल अननेचुरल है, यह चल नहीं सकती। इसी-लिए पास्ट्रीट्यूएट असेम्बली में मैंने कहा था "यू शुड टेक करेज इन बोथ हैंड्स एंड ट्राई टू ऐक्ट' (आपको हिम्मत से काम लेकर काम करने की कोशिश करनी चाहिये)। जब तक आप यह नहीं करेंगे यह चीज चलने वाली नहीं है। १० करोड़ रुपया भी अब तक वसूल नहीं हुआ। क्या इन थोड़े से लोगों को ही आप भूमिधर बना देंगे, जिन्होंने कि रुपया दे दिया है और बाकी सब मोची के मोची रह जायेंगे। एक उसूल कायम करके उस पर चलना चाहिए, जिससे इधर-उधर न हो सके। इसीलिये कहता हूँ कि वह मौका नहीं है, बिल्कुल बेमौका यह बिल है। इसमें कोई तौहीन की बात नहीं है। गवर्नमेंट का यह खयाल था कि काश्तकार आसानी से अपने लगान का दस-गुना दे देगा और उसकी वजह यह थी कि जमींदारों की जमीन होती थी और वह किसी काश्तकार को जमीन उठाता है, तो सिर्फ एक-एक पट्टे के लिये पांच-पांच सौ, और एक-एक हजार लोग देते हैं। जब पट्टा लिखवाने में पांच-पांच सौ रुपया, एक-एक हजार रुपया अदा कर देते हैं तो अब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट को यह उम्मीद थी कि ऐसी हालत में जमीन का मालिक बनने के लिये दस-गुना लगान देने में किसको क्या तकलीफ हो सकती है। सोशलिस्ट पार्टी वाले भी यही कहते हैं कि जमीन की मिल्कियत उसकी ही है जो जोते-बोवे। हरएक मजहब में यही है कि पानी, हवा, जमीन और आग यह चार चीजें खुदा की देन हैं, और जो खुदा को नहीं मानते वह कहते हैं कि नेचर की देन है। यह किसी की मिल्कियत नहीं है। एक इंसान सिर्फ उतने हिस्से का मालिक हो सकता है जो उसके इस्तेमाल में आता है। उतने हिस्से का मालिक हो सकता है जो उसके इस्तेमाल मे आता है। इसके मानी यह है कि जमीन किसी की मिल्कियत नहीं है। लेकिन हर इंसान को यह हक्क हासिल है कि वह अगर चाहे तो अपनी जरूरत के मुताबिक़ एक बीघा, दो बीघा जोते-बोये। वह उसकी पर्सनल प्रापर्टी हो जायगी। बाक़ी अगर इससे ज्यादा रखना चाहे और उसमें काश्तकार बसाये तो फिर वह जमींदारी हो गयी। इसलिये मेरी दरख्वास्त है वजीर साहबान यहां मौजूद नहीं हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त नहीं हैं, तो जब कल आएंगे तो मेरी बातों का जवाब देंगे, अगर उनके दिमाग में जर्रा बराबर भी इंसाफ और हक़पसन्दी का माद्दा होगा तो मेरी इस बात को मानेंगे कि जब तक वह अपने दिल में पूरे तौर से इस पर क़ायम न हो जायं, जब तक सोशलिस्ट या कम्यूनिस्ट सिस्टम अख्तियार करने के क़ाबिल न हो जायं, उस वक्त तक जमींदारी के एबालिशन का दावा बिल्कुल लगो है। मैं तो हुकूमत से यह कहता हूँ कि जो लोग प्राइवेट भी रखना चाहते हैं और एबालिशन आफ जमींदारी भी करना चाहते हैं "आइदर दे आर फूल्स

आर दे आर नेव्ज" (वे या तो बेवकूफ हैं या धूर्त हैं) मेरे कहने का मतलब यह है कि मेहरबानी फरमा कर इस बिल को वापस लीजिये क्योंकि अव्वल तो इसका मौक़ा नहीं, दूसरे इसके जो सेक्शन हैं उनसे एबालिशन आफ ज़मींदारी नहीं होता बल्कि उससे दस हजार गुना बुरी शक्ल में ज़मींदारी क़ायम हो जाती है। जब तक आपको खुदा तौफीक न दे, निगाह और बसीरत अता न फरमाये कि आप यह सोचें कि एबालिशन आफ ज़मींदारी बग़ैर नेशनलाइजेशन आफ लैंड के नहीं हो सकता उस वक्त तक इस बिल को लाना सिवा इसके कि हिमाकत कही जाय और कोई चीज़ नहीं है।

श्री फूल सिंह—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, विशिष्ट समिति से संशोधित बिल पर जो बहस इस भवन के सामने पिछले तीन दिनों से हो रही है मैंने उसको गौर से सुनने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी तक़रीरें तो इस बिल से कुछ संबंध नहीं रखतीं। ब्लैक मार्केटिंग, सेक्युलर स्टेट, कंट्रोल, राशनिंग, शूगर, सेपरेशन आफ जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव दुनिया में जितने मसले हो सकते थे सभी इस पर बहस में आ गये। मैं समझता हूं कि उन चीजों पर मुझे कुछ नहीं कहना चाहिये। कुछ साथियों ने इस बिल के जरा नज़दीक से चर्चा करने का प्रयत्न किया। उनका ज्यादातर जोर इस बात पर रहा कि जो रुपया १०—गुना लगान की शक्ल में जमा किया जा रहा है उसमें किसानों पर दबाव डाला जा रहा है, तरह—तरह के लोभ किसानों के लिये पैदा किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस दलील से भी इस बिल का कोई संबंध नहीं है। सवाल इस भवन के सामने यह है कि विशिष्ट समिति द्वारा संशोधित बिल जो भवन के रू-बरू पेश है उसमें क्या-क्या कमियां हैं और उसमें क्या क्या इस्लाहात होने चाहिये। ज़मींदार साहबान में से जो बुजुर्ग क़िस्म के लोग हैं जिनकी रहनुमाई और नुमाइन्दगी कल के दिन नवाब यूसुफ़ साहब ने की उनका यह कहना है कि अब यह बहुत देर हो गई है इसका चर्चा करने के लिये कि आया ज़मींदारी का उन्मूलन हो या नहीं अब तो यह काम जल्द हो और किस तरह से हो इस मामले पर विचार करना चाहिये। इस बिल की मंशा से जो लोग इत्तफ़ाक़ नहीं करते उनकी दो बातें तो मेरी समझ में आ सकती हैं। एक तो वह फरीक जिसकी यह राय हो कि ज़मींदारी जैसी की तैसी बनी रहे और कोई हेरफेर इसमें न हो और दूसरी बात जो मेरे बुजुर्ग मौलाना हसरत मुहानी साहब ने अभी बयान की है वह मैं समझता हूं कि इन तीन दिनों में इस बात की तो सिवाय चन्द ज़मींदार भाइयों को छोड़कर किसी ने भी ताईद नहीं की कि मौजूदा ज़मींदारी प्रथा जो है वह नष्ट न की जाय। इस पर सब इत्तफाक़ राय से मालूम पड़ते हैं। मौलाना साहब भी इस पर मुत्तफिक़ थे और हमारे दूसरे लाल टोपी वाले सोशलिस्ट भाई भी इसके पक्ष में थे और सब इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं। मौलाना साहब का कहना है कि ज़मीनों के काश्तकारों को भूमिधर न बनाकर नेशनलाइज़ करना चाहिये। उन्होंने अपने रूस की मिसाल पेश की थी।

श्री हसरत मुहानी—भूमिधर बनाकर नहीं बग़ैर भूमिधर बनाये।

श्री फूल सिंह—मैं निहायत अदब से यह कहना चाहता हूं कि मौलाना साहब की तरह उन सब भाइयों की जिन्होंने किताबें पढ़कर राय क़ायम की है यही राय है कि ज़मीन को नेशनलाइज़ करना चाहिये। मैं रूस की बातें बहुत जानता नहीं हूं लेकिन इतना मालूम है कि जब रूस में यह क़ानून बना और इस पर अमल किया जाने लगा कि ज़मीन की मालिक सरकार और किसान को मजदूरी मिले या सरकार इसकी जरूरत को मुहइया करे तो दो नतीजे उसके हुये। एक यह कि जितने बैल वग़ैरह थे सब सरकार के हो गये और चारा भी सरकार का हो गया लेकिन किसान को अपने बैल से मोहब्बत रही। तो जब शाम को सब बैल बांधे जाते थे और चारे डालने का काम होता था तो सारे किसान चारा भर-भर कर बैलों के पास डालते थे, हालांकि यह काम सरकारी नौकरों का था। नतीजा यह हुआ कि जो चारा साल भर के लिये था वह चार महीने में खत्म हो गया। दूसरे यह कि उन्हें यह मालूम था कि काम करो या न करो तनख्वाह तो मिलनी ही है। हल लिया तो किसी ने १० क़दम ले जाकर खड़ा कर दिया और किसी ने २५ क़दम ले जाकर खड़ा कर दिया। हां, काम तो किया शाम तक लेकिन काम हुआ कुछ नहीं।

श्री हसरत मुहानी—हमारे दोस्त को यह मालूम ही नहीं कि कलेक्टिव फार्मिंग के क्या माने हैं। इसके माने यह है कि सब काश्तकार जमा होकर काम करते हैं और जितना काम करते हैं वही उनको उजरत मिलती है।

श्री फूल सिंह—तो किसी ने कहा कि मेरे बैल का पांव खराब हो गया उसे ठीक करले, या कुछ न कुछ बहाना हो गया। गर्ज यह कि सब के सब जब तक छुट्टी का घंटा न हुआ खेत में रहे लेकिन खेत की जुताई न की गई। नतीजा यह हुआ कि पहले साल बहुत ज्यादा जमीन बिला जुते रह गई और रूस में कहत पड़ा।

जो लोग इस देश में खेती से सम्बन्ध रखते हैं उनको मालूम है कि खेती करने वालों में तीन किस्म के लोग हैं। पहला नम्बर उनका है जो जमीन के मालिक या काश्तकार हैं। दूसरा उनका जिनका जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है, जिन्हें पैदावार का कुछ अंश मिलता है। जिन्हें हलवाहा कहते हैं। तीसरे वे लोग जो मजदूरी पर खेती करते हैं। यह हर आदमी को तजुर्बा है कि जो मजदूरी पर खेती करते हैं शायद अपनी मजदूरी के बराबर काम नहीं करते हैं। हलवाहे जो हैं, जिनको पैदावार का कुछ अंश मिलता है वह कुछ काम करते हैं, लेकिन जो मालिक है जमीन का उसको बुखार चढ़ जाय तब भी खेती का काम करता रहता है, उसकी टांग टूट जाय तो भी काम करेगा, उसका बाप मर जाय तो भी काम करता रहेगा, धूप हो, पानी बरसता हो, दिन हो, रात हो, कुछ भी हो, काम करता रहता है। तो मैं अपने उन दोस्तों से जिन्होंने किताबें पढ़ कर यह राय कायम कर ली है कि देश की पैदावार बढ़ाने का तरीका एक ही है और वह यह है कि जमीन को नेशनलाइज कर दिया जाय, निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि यह खतरे की घंटी है। इस तरफ चलने से देश की पैदावार बढ़ना तो एक तरफ रहा, देश की तबाही होने का इमकान है और यह खुशी की बात है कि किसान की इस बात को सरकार ने मंजूर किया और यह क़ानून बनाया। दूसरा तरीक़ा जो हो सकता है और जो निकलता है, यानी यह है कि जमीन में काश्तकार का हक़ पैदा कर दिया जाय, उसको अपनी मिल्कियत दे दी जाय और कांग्रेस सरकार ने इसको अख्तियार किया। जो राय मेरे सोशलिस्ट भाई रखते हैं मुझे वे माफ करेंगे, वह न तो हियां में हैं और न शियों में हैं, न नेशनलाइजेशन के माफिक न पेटी प्रोप्राइटरशिप के माफिक। कल जब रोशन जमां साहब तकरीर कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी क्या राय है तो उन्होंने एक वकील की तरह से दांव-पेंच की बातें की और यह नहीं कहा कि किसानों का क्या होना चाहिये।

रोशन जमां खां साहब तो इस पेच से निकल गये। लेकिन उनके और उन लोगों के बुजुर्ग आचार्य नरेन्द्रदेव साहब ने जो लिखित बयान और जबानी बयान दिया था उसमें दो तीन बातें साफ हैं। उन्होंने कहा कि किसान को जमीन पर मालिकाना हक तो दिया जाय लेकिन किसान को हक़ इन्तक़ाल न रहे, किसान को जमीन के बेचने का हक न रहे। उन्होंने एक बात और कही कि किसान के पास उतनी ही जमीन रहे और वह उतनी ही जमीन का मालिक रहे कि जिसको वह खुद जोत सके। अगर कोई मजदूरों और हलवाहों को रख कर खेती कराता है तो इस बात को भी वह मंजूर नहीं करते हैं। इस तरह से आचार्य नरेन्द्र देव जी की यह मंशा थी कि किसानों के जो हक़ूक़ हैं उनमें थोड़ा सा इजाफ़ा हो जाय लेकिन उन्होंने यह साफ कहा कि मैं यह नहीं चाहता हूं कि किसान पेटी प्रोपराइटर हो जाय। आज भले ही सोशलिस्ट पार्टी के लोग किसानों को बहकायें कि अगर हमारे हाथ में सत्ता आयेगी तो हम सब किसानों को जमीन मुफ्त बांट देंगे, लेकिन देखने के क़ाबिल दो बातें हैं कि जो कुछ वह देते हैं या देना चाहते हैं वह क्या चीज है और किस क़ीमत पर वह देना चाहते हैं और कांग्रेस सरकार जो देना चाहती है वह क्या चीज है और किस क़ीमत पर वह देगी। सोशलिस्ट भाई तो किसानों को मालिक बनाना चाहते ही नहीं हैं। भूमिधरी के वे बिलकुल खिलाफ हैं। वे पर्सनल प्रोपराइटरशिप और पेटी प्रोपराइटरशिप के क़ायल नहीं हैं। इसके विरुद्ध कांग्रेस सरकार ने जो बिल इस भवन के सामने उपस्थित किया है, उसमें भूमिधरी के राइट्स हैं। हसरत मुहानी साहब ने फरमाया कि भूमिधरी और जमींदारी में क्या फर्क़ है वे नहीं समझ पाये। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस बिल की मंशा रिमूवल आफ इन्टरमिडियरी की है।

श्री हसरत मुहानी--क्या भूमिधर इंटरमीडियरी (मध्यवर्ती) नहीं है

श्री फूल सिंह--जमींदारी के मानी अगर देखा जाय तो यह है कि जमींदार को उसके इस्तेमाल का पूरा-पूरा हक़ होगा (जमा) हक़ इंतकाल होगा, (जमा), हक़ विरासत होगा। यह तीन चीज़ें मिल्कियत के मानी मे आती हैं। मिल्कियत के एक मानी यह भी है कि वह जिस चीज का मालिक है उसको यह हक हासिल है कि वह उस चीज को जिसको चाहे बेच दे, रेहन कर दे या काश्त पर दे दे। इसका दूसरा मतलब यह है कि वह जिस चीज का मालिक है उस चीज को जिसको चाहे दे दे। तीसरी बात यह है कि वह जिस चीज का मालिक है वह चीज़ उसके बाद उसके वारिसों को मिलेगी। भूमिधरी हक़ में विरासत का हक़ शामिल हैं उसका यह हक़ उसको मिलेगा लेकिन इन्तकाल के हक़ मे कुछ मोडीफिकेशन्स किये गये हैं। भूमिधर को यह हक़ हासिल होगा कि वह ज़मीन का बयनामा कर दे लेकिन भूमिधर को यह हक़ हासिल नहीं होगा कि वह उस ज़मीन को किसी काश्तकार को उठा दे और भूमिधर बना बैठा रहे और उसे यह भी हक़ नहीं है कि वह ज़मीन को रहन दख़ली कर दे। मै समझता हूं कि यह दो बड़े बड़े फ़र्क़ हैं।

श्री हसरत मुहानी--यह बाल की खाल तो मेरी समझ में नहीं आती।

श्री फूल सिंह--बाल पतला है, घबराइयेगा नहीं, आप समझने की कोशिश करें।

तो मैंने अर्ज़ किया कि किसानों में यह फ़र्क है और जमींदारों मे यह फर्क़ है। इससे यह साफ जाहिर है कि जो चीज इस क़ानून के ज़रिये से किसानों को दी जा रही है वह उस चीज से कहीं ज्यादा है जिसकी चर्चा आचार्य नरेन्द्र देव जी ने अपने बयान में की है।

दूसरी चीज यह है कि किस क़ीमत पर जमींदारी ली जा रही है। हमारे दोस्त सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने तमाम देहात में बड़ा शोर किया कि हम तो किसानों को मुफ्त मे ज़मीन दे देंगे और यहां भी वह कहते हैं कि साहब यह व्यर्थ रुपया खराब किया जा रहा है। मै अपने दोस्त रोशन जमां साहब से अगर यह अर्ज़ करूं तो बेजा न होगा कि जितने घंटे उन्होंने अपना भाषण दिया उतने घंटों मे कम से कम दो हज़ार रुपया सरकार का ख़र्च हुआ होगा इस भवन की हाज़िरी पर, और यह रुपया उस रुपया के मुक़ाबिले मे जो कुल ज़मीदारी स्कीम पर अभी तक सरकार ने ख़र्च किया है कहीं ज्यादा मालूम होता है। (एक आवाज़--असेम्बली ही न बोलायी जाय)। असेम्बली तो बोलायी जाय लेकिन आप इतने घंटे तक न बोला करें। मै माफ़ी चाहूंगा अगर मैं कहूं कि अगर कोई माकूल बात हो तो आप कहें मगर राशन की बातों के लिये और कंट्रोल की चर्चा करने के लिये यह भूमिधरी का बिल शायद मौजूं मौक़ा नहीं था।

श्री अब्दुल बाक़ी--ट्रस्ट मे विरासत कैसे चलेगी

श्री फूल सिंह--मैं ट्रस्ट के मुताल्लिक़ भी अर्ज़ करूंगा। मुआविजा की चर्चा मैं कर रहा था। आप देखिये कि जो स्कीम आचार्य जी ने कमेटी के सामने पेश की उस स्कीम के ऊपर अगर गौर किया जाय तो यह मालूम होगा कि उस स्कीम की रू से मालगुजारी का २५ गुना मुआविजा देना चाहिये उन जमींदारों को जिनकी मालगुज़ारी १०० रुपया तक है। इस बिल के ज़रिये जो इस भवन के सामने उपस्थित ह २५ रुपया तक के मालगुज़ारों को २८ गुना मुआविज़ा मिलेगा, यानी अगर आप इधर गौर करें कि २० लाख मे से १७ लाख ज़मींदार ऐसे हैं जिनकी मालगुज़ारी २५ रुपया से कम है तो आपको यह मालूम होगा कि २० लाख मे से १७ लाख जमींदारों को सोशलिस्ट पार्टी की स्कीम से नुक़सान होने जा रहा था। इस शक्ल में कि वह उनको २५ गुना मुआविज़ा देने वाले थे लेकिन इस बिल में उनको २८ गुना मुआविज़ा मिल रहा है। यही एक बात इसमे नहीं है, दूसरी एक और बात भी इसमें है। कल रोशन जमां खां साहब ने चर्चा की कि हमारी राय में तो मुआविज़ा ज्यादा से ज्यादा एक लाख रुपया होना चाहिये। मैं नहीं जानता कि रोशन जमां साहब की जो बात है वह सोशलिस्ट पार्टी को मंजूर है या नहीं। चूंकि उनके नेता अपने बयान में यह बात कह चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा ५ लाख रुपया मिलना

[श्री फूल सिंह]

चाहिये। वैसे तो उसूलन मैं सोशलिस्ट पार्टी की इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मुआविज़ा की ज्यादा से ज्यादा कितना कितना मुआवज़ा दिया जाय इसकी सीमा निर्धारित होनी चाहिये। तो मैं आपसे यह कह रहा था कि उसूलन यह बात सही है कि कितना मुआविज़ा ज्यादा से ज्यादा किसी शख्स को मिले, यह मियार मुक़र्रर होना अच्छा होता है और अच्छा होता कि कांग्रेस सरकार भी इस बात को मानती। लेकिन देखना यह है कि आया इस बात को न मानकर कांग्रेस सरकार ने कुछ बड़ी भारी गलती की है या नहीं। मैंने वह आंकड़े निकाले हैं जिनसे यह फ़र्क़ मालूम होगा कि अगर आचार्यजी की स्कीम मानी जाती तो क्या होता। वे ज़मींदार कि जिनको ५ लाख रुपये से ज्यादा मुआविज़ा मिलने वाला है उनकी तादाद कुल ३७ हैं। उन ३७ आदमियों को इस बिल के मसविदे के मुताबिक ३ करोड़ रुपया मिलने वाला था। आचार्य जी की स्कीम के मुताबिक़ ५ लाख रुपया फी आदमी के हिसाब से एक करोड़ ८५ लाख रुपया मिलना चाहिये। इस तरीक़े से सोशलिस्ट भाइयों की बात न मान कर कांग्रेस सरकार एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपया ज्यादा देने जा रही है। यह १ करोड़ १५ लाख रुपये की रकम १८० करोड़ रुपयों का जो कि कुल मुआवज़ों के बराबर है, एक बहुत छोटा हिस्सा है। अगर आप यह भी गौर करे कि इस बिल में उन लोगों को जो कि ५ हज़ार रुपये से ज्यादा के मालगुज़ार हैं, आठ गुना मुआविज़ा मिलेगा और आचार्य जी की स्कीम में उनको दस गुना मुआविज़ा दिया गया है, तो मेरे ख्याल में सोशलिस्ट पार्टी के भाइयों को यह इल्ज़ाम कांग्रेस पर लगाने की गुंजायश नहीं होती कि कांग्रेस पूंजीपतियों की ज्यादा मदद कर रही है बल्कि यह इल्ज़ाम उन पर ख़ुद आयद होता है। आचार्य जी की स्कीम के मुताबिक १७ लाख छोटे-छोटे ज़मींदारों को जो कुछ मिलना चाहिये, हम उससे ज्यादा उनको दे रहे हैं। उनकी स्कीम के मुताबिक ५ हज़ार से ज्यादा मालगुज़ारी देने वालों को जो मिलना चाहिये, उससे हम उनको कम दे रहे हैं। एक तरह से आचार्य जी और सोशलिस्ट पार्टी के लोग बड़े ज़मींदारों के माफिक हैं और छोटे ज़मींदारों और छोटे काश्तकारों के खिलाफ हैं और कांग्रेस पार्टी का यह मसविदा जो है, उन लोगों की मदद कर रहा है। एक चर्चा और की गयी। आचार्य जी ने तो अपने बयान में यह कहा था कि कम से कम होल्डिंग ६ या ७ एकड़ का होना चाहिये। लेकिन रोशनज़मां खां ने साढे बारह एकड़ का कम से कम होल्डिंग बताया। मैं इस बात को मानता हूं कि आपको यह अख्तियार है कि जैसे-जैसे मौक़ा पड़े, वैसे-वैसे अपनी राय बदलते रहें। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जरा आप हिसाब लगा लीजिये। मुमकिन है कि रोशनज़मां खां साहब हिसाब में बहुत ज्यादा दिलचस्पी न रखते हों। इस प्रान्त में एक करोड़ बाईस लाख किसान हैं और बीस लाख ज़मींदार हैं। इस तरह से एक करोड़ ४२ लाख किसान और ज़मींदार हुये। अगर रोशन ज़मां साहब की बात मान ली जाय और हर आदमी को साढ़े बारह एकड़ ज़मीन मिले और उनकी यह बात भी मान ली जाय कि ३० एकड़ से ज्यादा किसी को नहीं मिले तो मैं यह समझता हूं कि इस बात में कुछ वज़न है, ऊपर की भी कुछ लिमिट होनी चाहिये। लेकिन जैसा मैंने मुआवज़े के मुताल्लिक़ अर्ज़ किया, इसके मुताल्लिक़ भी मैं आपको यह दिखाऊंगा कि इससे भी कोई बड़ा भारी नफा होने वाला नहीं है। अगर १२ १/२ एकड़ ज़मीन हर आदमी को मिले तो प्रान्त के अन्दर कुल ज़मीन १७-१८ करोड़ एकड़ होनी चाहिये। अगर आप आंकड़ों को देखें तो आपको यह मालूम होगा कि खेती जिस रक़बे में होती है वह कुल ३६७ लाख एकड़ है और जिस ज़मीन पर काश्त नहीं होती है वह २३, २४ लाख एकड़ है और अगर खेती के रक़बे का मीज़ान किया जाय तो कुल प्रान्त के खातों का रक़बा ४ करोड़ १९ लाख एकड़ है। अगर सारे जंगल और जितनी उफ्तादा ज़मीन है वह भी शामिल कर ली जाय तो ६ करोड़ ८० लाख एकड़ ज़मीन प्रान्त में कुल होती है। तो बाक़ी १०--११ करोड़ एकड़ ज़मीन आप किस प्रान्त से लाकर देंगे यह मैं जानने से कासिर हूं।

श्री रोशन ज़मां खां--आप इन्डस्ट्रीज़ से ले सकते हैं।

श्री फूल सिंह——इन्डस्ट्रीज के अन्दर सामान पैदा होता है । जमीन पैदा नही हुआ करती है । आप तो तमाम दुनिया भर मे न्योता देते फिरते है कि तुमको भी जमीन मिलेगी । अगर आप साढे बारह एकड़ जमीन हर आदमी को नही देते है, तो दुनिया भर मे न्यौते देने का क्या मतलब है ? मै आपसे यह कहना चाहता हूं कि अच्छा हो इस मसले पर आप ध्यानपूर्वक गौर करे । हम लोगों ने शेखचिल्ली की कहानी बचपन मे सुनी थी । अब वह शेखचिल्ली की कहानी देखने को मिलती है । कितना देश के अन्दर रक़बा है और उससे कितनी पैदावार हो सकती है, यह सब चीजे आप लोगों को मालूम है । जिन्होंने हमेशा कलम चलाई है, जिन्होंने खेती के लिये किताबों से इल्म हासिल किया हो । उनको जरा इसके समझने मे देर लगेगी और मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर वे लोग इस मामले मे दखल देंगे तो देश के लिये हितकर नहीं होगा । यह जमीन की बात जैसा कि मैंने कहा कि यह ऐसी आसान नही है जैसा कि वह समझते है । मुवावजे की बहुत शिकायत की जाती है कि जमींदारों को इतना मुवावज़ा क्यों दिया जा रहा है । यह मेरे दोस्त भूले न होंगे कि आचार्य जी ने पड़ती जमीन पर, चरागाह पर, बंजर पर, इन सब पर दो रुपया फी एकड़ मुआवज़ा तजवीज़ किया या । उनके हिसाब से ४ करोड़ रुपया और बढ़ जाता अगर इसी हिसाब से मुआवज़ा दिया जाता । मैं निहायत अदब से यह कहना चाहता हूं कि यह चीजें कुछ देखभाल करने से ताल्लुक रखती हैं । अच्छा हो कि हम सब लोग वाकयात को जहन मे रखकर स्कीमे बनावे । यह नहीं कहा जा सकता है कि यह जो तजवीज़ है इस मे कोई इसलाह नही हो सकती । नही, यह काबिल इसलाह है ओर अगर इसमें खामियां होंगी तो उनका सुधार भी हो सकता है लेकिन उनका कुछ संबंध वाकयात से होना चाहिए महज ख्याली बातो से देश का ज्यादा भला नही हो सकता है ।

एक बात और जो बहुत क़ाबिले ग़ौर है और मै समझता हूं कि उसमे भी कुछ सदाक़त है और वह यह ह कि यह जो क़ानून हमने बनाया है इसमें यह तै किया गया है कि जो भूमिधर बनेगा उसका लगान आधा हो जायगा । मैं समझता हूं कि एक ही क़िस्म की ज़मीन पर किसी का लगान कम हो और किसी का ज्यादा हो यह कोई अच्छी बात नही है और ज्यादा अच्छा तो यही है कि जमीनों का लगान उन जमीनों की क़िस्मों से कुछ ताल्लुक़ रखता हो । लेकिन एक बात हम भूल जाते है कि लगान को किसी उसूल पर लाने के लिए कुछ समय की जरूरत है । कल मेरे दोस्त रोशन ज़मां ख़ां साहब फरमा रहे थे कि इस क़ानून में जो यह लिखा हुआ है कि ४० साल तक बन्दोबस्त नहीं होगा यह बेजा बात है और वह जल्द से जल्द होना चाहिए । हमारी कफियत उस किसान की सी है कि जो अगर खुद घोड़े पर बैठता है तो लोग कहते है कि घोड़ा इसका मालूम नहीं होता और जब वह घोड़े के पीछे—पीछे चलता है तब भी लोग यही कहते है कि घोड़ा उसका मालूम नहीं होता और जब वह घोड़ा कन्धे पर लेकर चलता है तब भी लोग कहते है कि घोड़ा इसका मालूम नहीं होता । अगर हम कहते है कि जो लगान अब तै हो जायगा वह ४० साल तक घटेगा-बढ़ेगा नहीं तब आप कहते है कि बन्दोबस्त जल्द होना चाहिए और अगर हम कहते है कि बन्दोबस्त जल्द ही करना चाहते है तो आप कहते है कि आप के मन मे बेईमानी है और आप अब लगान आधा कर देंगे और भूमिधरी का क़ानून ख़त्म होते ही लगान फिर बढ़ा देंगे । आपका यह कहना है कि मौजूदा मालगुज़ारी ही रहनी चाहिए और लगान को आधा करने से किसान का नुक़सान है । आप भाइयों मे से कुछ लोगों को यह तो मालूम होगा कि अगर किसी ज़मीन का लगान एक रुपया है तो उस क़िस्म की ज़मीन के मौरूसी खाते का लगान १२ आने होगा और मालगुज़ारी ८ आने । जिस खाते का लगान १२ आने है इस क़ानून के रहते हुए उसे सिर्फ ६ आने ही देना पड़ेगा और अगर मेरे दोस्त की बात मानी जाय तो उस तरह ६ आने के बजाय ८ आना देना चाहिए । मेरें अर्ज़ करने का मतलब यह है कि अगर लगान का निस्फ़ न रखकर मौजूदा मालगुज़ारी की तरह ही सबके लिए रख दिया जाय तो इस से भी सब किसानों का फायदा न होगा, यह ख्याल ग़लत है । बहुत से किसान ऐसे है कि जिनको लगान का निस्फ़ देने में ही नफ़ा ह और मालगुज़ारी देने में नुक़सान है । मैं यह उसूल मानता हूं कि

[श्री फूल सिंह]

दर क़ायदे से ही होनी चाहिए। मालगुज़ारी वसूल करने से ही कोई भारी नफ़ा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आप के सामने दो-तीन आंकड़े पेश करना चाहता हूं। कुल लगान अठारह सौ सत्तर लाख रुपया है और मालगुज़ारी ६७८ लाख रुपया है, जो अब सरकार वसूल करती है और १३२ लाख रुपया लोकल रेट (दर) है। १०८ लाख इनकम टैक्स है। इस तरीक़े से जो जमींदार है, वे सरकार को ९१८ लाख रुपया सालाना देते हैं। यह ९१८ लाख कुल लगान का ४८.९ फी सदी है। इस मसविदे की रू से किसान से ५० फ़ीसदी लिया जायगा। जो तजवीज रोशन जमां खां साहब ने पेश की है और जो तजवीज इस बिल में दर्ज है, इन दोनों में १.१ फीसदी का फर्क है। अगर इस फ़र्क़ को फी बीघा बांटा जाय तो एक पैसा फी बीघा में आता है इसलिये कहने के लिये यह एक बड़ी तजवीज है। मुनासिब उसूलन तजवीज है लेकिन इससे कोई बड़ा अन्तर पड़ने जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। आचार्य जी ने जो बयान दिया था, उस समय उन्होंने आधे लगान की बात नहीं की थी। उनका कहना यह था कि लगान बदस्तूर रहेगा महज ४ करोड़ रुपया कम कर दिया जायगा। लगान ज्यों का त्यों बना रहे। यह अच्छी बात है या यह अच्छी बात है कि उसको फौरन आधा कर दिया जाय। फौरन बन्दोबस्त होना चाहिए। यह बात कहने के लिये तो आसान है, लेकिन जिन लोगों को खेती की मालूमात है, वह जानते हैं कि एक बन्दोबस्त में कम से कम तीन साल लगते हैं। सरकार के पास इतना स्टाफ मौजूद है कि एक साल में ज्यादा से ज्यादा तीन जिलों का बन्दोबस्त कर सके। इसलिये फौरन बन्दोबस्त किया जाय, तो प्रान्त भर में बन्दोबस्त करने में ५० साल लग जायेंगे। जो लोग इस बात के क़ायल हैं कि जिस तरह से क़ानून बन रहा है, खेती के लिये और बन्दोबस्त के क़ानून को लिया जाय, वह यक़ीनन यह चाहते हैं कि जमींदारी प्रथा क़ायम रहे और जो नया क़ानून लिया जा रहा है, वह किसी तरह से टल जाय। यह चीज भी कोई बड़े वजन की चीज नहीं है। इस क़ानून में जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया, काफ़ी गुन्जायश है, संशोधन करने के लिये, लेकिन जितने भाषण इस भवन में हुए हैं, उनसे यह मालूम होता है कि आम तौर से सब लोग इससे संतुष्ट हैं। फिर भी काफ़ी गुन्जायश है, तरमीम करने की। यह क़ानून म्यूनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज और छावनी में जो जमीनें हैं, उन पर लागू नहीं हो रहा है। विशिष्ट समिति ने इस दफ़ा में जो खामी थी, एक हद तक उसे दूर कर दिया है। अगर धारा ज्यों की त्यों बनी रहती तो सब गांव वाले यह कहते कि टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया में यह क़ानून लागू नहीं है, इसलिये हमारे हैं। गांवों के जमींदार ये कहते कि हमारे गांव टाउन एरि-याज में शामिल कर लिये जांय। ७ मार्च, १९४९ से मगर पहले यह क़ानून उन जमीनों पर लागू न होगा। पहले म्यूनिसिपल में शामिल की जाय। इस दफ़ा के रहने से भी उन सब जमींदारों को बहुत नफ़ा है और उन हलकों के काश्तकारों का बहुत नुक़सान है। यह भी सब जानते हैं कि २६ जनवरी तक जमींदारी संबंधी जितने क़ानून देश और प्रान्त की असेम्बली में पेश हो जायेंगे उन क़ानूनों में जो धारायें मुआविज़े के मुताल्लिक रखी जायंगी उनके मुताल्लिक अदालतों में चाराजुई न हो सकेगी। २६ जनवरी के बाद पेश किये हुए क़ानूनों के मुताल्लिक़ अदालतों में चाराजुई हो सकेगी। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। कि इन जमीनों के संबंध में जो म्यूनिसिपलिटी टाउन एरिया नोटीफाइड एरिया और छावनियों के हदूद के अन्दर है उनके संबंध में क़ानून २६ जनवरी के पहले इस भवन के सामने आ जाना चाहये। वरना वहां के काश्तकारों को नुक़सान पहुंचने का डर है। एक बड़ी चीज जिसकी चर्चा मैंने भूमिधर और जमींदार का फ़र्क़ दिखलाते हुये की यह है कि भूमिधर को जमीन किसी काश्तकार को उठाने का हक़ नहीं होगा। पिछले क़ानून में भी और यह मसविदा भी जब इस भवन के सामने आये, इन दोनों में बेवा औरतें, नाबालिग बच्चे और और इसी क़िस्म के लोग इस धारा से बरी रखे गये थे। लेकिन पिछले क़ानून में भी यह बात थी और जो असली मसिवदा इस क़ानून का था उसमें भी यह बात थी कि शर्त यह है कि अगर किसी खाते में बेवा औरतें भी हों या नाबालिग बच्चे भी हों और कुछ लोग उस खाते के बालिग हों तो यह धारा उन पर लागू हो

जावेगी । यानी वे बेवा औरतें और नाबालिग बच्चे इस क़ानून का नफ़ा नहीं उठा सकेंगे । नतीजा यह होता था कि बेवा औरतें और नाबालिग़ बच्चे उन लोगों के रहम पर थे जो बालिग़ थे और खातों में हिस्सेदार थे । विशिष्ट समिति ने इस धारा का संशोधन करके यह किया कि अगर कोई शख्स डिसेबिल्ड परसन्स की फेहरिस्त में आता है, यानी बेवा है, नाबालिग़ है या अपाहज है या फौज में नौकर या जेल में नौकर है, तो भले ही खाते का कोई हिस्सेदार बालिग़ हो, वह अपने हिस्से को शिकमी को उठा सकता है और तक़सीम करा सकता है । यह संशोधन करके ऐसे लोगों पर सरकार ने एक बड़ा एहसान किया है । जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि कुछ मौके ऐसे रहने चाहिये जिनमें किसानों को यह गुंजायश हो कि वे जमीन को उठा सकें तो दो बातें इस भवन के सामने आईं । उसूलन यह मान लिया जाय कि किसी शख्स को यह हक नहीं है कि वह अपनी ज़मीन को औरों को जोतने के लिये दे लेकिन ऐसे मौके आ सकते हैं जब कोई अपनी ज़मीन को जोतने के क़ाबिल न रहे तो ऐसी हालत में उसको दूसरे से जुतवाने का हक हो । यदि वे जमीनें खाली पड़ी रहीं तो देश की पैदावार में कमी पड़ेगी और उन लोगों का भी नुकसान होगा जो अपनी ज़मीनों को जोतने के काबिल नहीं हैं । इसलिये विशिष्ट समिति ने एक और धारा बना दी है यानी यह कि अगर कोई किसान बीमार हो और बीमारी की वजह से खेती नहीं कर सकता है तो उसे यह हक है कि अपनी ज़मीन को बीमारी के अर्से के लिये दूसरे को जोतने के लिये दे दे ।

मैं सरकार का ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहता हूं । हममें से जो किसान हैं वे यह बात जानते होंगे कि किसान को अपना बैल खुद से ज्यादा प्यारा होता है । अगर उसको अपने को बुखार आ जाय तो ऐसी खास बात नहीं है लेकिन अगर बैल बीमार हो जाय तो यह उसके लिये बहुत बड़ी चीज़ है । मवेशियों की बीमारी का इलाज बहुत कम होता है । पिछले साल सरकार की ओर से जब ग़ल्ला इकट्ठा करने की स्कीम चल रही थी, मुझे कुछ जिलों में घूमने का मौका मिला और यह मालूम हुआ कि बैलों में बीमारी थी इस वजह से किसानों का बहुत सा काम रुका पड़ा था । मैंने मार्च, अप्रैल, मई और जून इन चार महीनों के आंकड़े मवेशियों के इकट्ठे किये हैं जिनसे मालूम होगा कि मार्च सन् १९४९ ई० में ३,८०० मवेशी बीमार थे । अप्रैल में १८,४००, मई में ७४,५०० और जून में ४१,६०० मवेशी बीमार थे । इससे अंदाज़ा होगा कि बहुत सी हालतों में किसान खेती करने से महरूम रह जाता है । इसलिये कि उसके मवेशी बीमार हो जाते थे । मैं समझता हूं कि इन हालतों में किसान को गुंजायश मिलनी चाहिये कि वह अपनी ज़मीन और लोगों से जुतवा सके । इस क़ानून में भूमिधरी और सीरदार को भी ज़मीन तब्दील करने का हक़ दिया गया है और यह लिखा गया है कि अगर कोई जमीन बदली जायगी तो उस बदली हुई ज़मीन में भी वही हक़ उसको पैदा हो जायेंगे जो उसके असली ज़मीन में उसको थे । इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग खेती करते हैं वह जानते हैं कि चकवार खेती करने से नफ़ा होता है । यानी अगर कहीं ऊख की पैदावार करना है तो अच्छा हो कि सब लोग एक ही जगह बोयें लेकिन दिक्क़त यह होती है कि सब किसानों के खेत एक जगह पर नहीं होते । इसलिये आम तौर से किसान ऐसी फसलों के लिये खेत बदल लिया करते हैं । लेकिन इस क़ानून की रू से बदली हुई जमीन में वही हक़ पैदा हो जायेंगे ।

श्री हसरत मुहानी--कलेक्टिव फार्मिंग इसीलिये रखा गया है ।

श्री फूलसिंह--आप लोगों ने कलेक्टिव फार्मिंग किताबों से मालूम किया है । आपका ख्याल है कि फार्मिंग किताबों में किया जाता है लेकिन असल में यह जमीन में होता है । इसलिये किताबों का फार्मिंग जमीन के फार्मिंग से भिन्न है मैं आपसे कह रहा था कि इस तरह से जो जमीन में तब्दीली की जाती है उनमें ऐसे हक़ पैदा नहीं होने चाहिये । यह संशोधन भी इस क़ानून में आना चाहिये । अगर यह आ जायेगा तो इससे किसानों को बहुत नफ़ा पहुंचेगा । काश्त पर ज़मीन उठाने के संबंध में एक चीज़ और है और जिस पर लोग एक मत नहीं हैं वह है सरविस टेन्योर की । उन ज़मीन के संबंध में जो जोतने के लिये किसी खिदमत के एवज़ में दी जाती

[श्री फूल सिंह]

है, मसलन किसी गांव का कोई बढ़ई है उसके पास एक भेंस है तो गांव के किसान अक्सर ऐसा कर देते हैं कि एक आध बीघा जमीन उसको दे देते हैं ताकि वह उसको जोतकर अपने जानवर को गुजर कर ले। लेकिन इस मौजूदा क़ानून से अगर कोई शख्स इस मतलब से भी जमीन देगा तो जिसको वह जमीन मिलेगी उसको हक़ पैदा हो जायेगा। इस मामले पर जब चर्चा हुई तो बहुत से दोस्तों की यह राय थी कि ऐसे संशोधन इस बिल मे नहीं आने चाहिये क्योंकि इससे गरीब खेतिहर मजदूरों को नुकसान पहुंचेगा और उन पर जबरदस्ती होगी। मैंने कुछ जिलों मे, जब मैं दौरे पर गया, इस बात की चर्चा की और मेरी इत्तिला यह है कि अक्सर गांव मे ऐसे आदमियों की तादाद काफ़ी है जो खेती नहीं करते और जिनके पास एक न एक मवेशी जरूर है। बेशतर लोग गांव मे जो खेती नही करते दूध के मवेशी गाय या भैंस रखते हैं। यह मुमकिन है कि उस गांव मे खेती करने वालों के पास इतने मवेशी न हों अब अगर यह कानून बन जायेगा तो मेरी राय में ऐसे सब लोगों को, जो खेती नहीं करते है मगर मवेशी रखते हैं, उनको मवेशी रखना मुश्किल हो जायेगा क्योंकि यक़ीनन गांव के मजदूर लोग मोल लेकर चारा मवेशियों को नहीं डाल सकते। मेरे ख्याल में ऐसा होने से ग़रीब खेतिहर मजदूरों और गांव के उन सभी लोगों को जो खेती नहीं करते, नफा है।

दरख्तों के संबंध में भी मुझे एक बात अर्ज़ करना है। हमारे बुजुर्ग आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने अपने बयान मे यह फरमाया था कि जो जमीन खाली पड़ी हुई है उसमें जो दरख्त है अगर वह किसी के लगाये हुए है तब तो वह मालिक रहे। अगर किसी के लगाये हुए नहीं है तो जमींदारों को हक़ है कि उन दरख्तों को काट लें। अगर ऐसा क़ानून बनता तो परती जमीनों मे जितने दरख्त होते वह सब ख़त्म हो जाते। इसलिए सरकार ने उन दरख्तों की कटाई रोकी। मगर उस रोक से अब किसानों को नुक़सान है। मैं यह बात कह सकता हूं कि अगर मंत्री जी अपने जिले के कलेक्टरों से मालूम करेंगे तो उनको पता चलेगा कि इस पाबन्दी से किसानों को अपने खेती के काम में बड़ी अड़चन पड़ रही है। पिछले दिनों में लोगों ने यह कहा कि इन दरख्तों के काटने की इजाजत देने का काम जंगलात के महकमे का है लेकिन जंगलात के मुहकमा के लोग हर जिले में नहीं होते। उन लोगों के पास दरख्वास्तें जाती है तो आसानी से मंजूर नहीं होतीं। कई तरीके लोगों को अख्तियार करने पड़ते है। मैं जो बिल संबंधी बात थी उसकी चर्चा करने जा रहा था। जब सन् ३९ में क़ानून लगान बना उस वक्त खेती करने वालों की बात सुन कर यह तै किया गया था कि खेतों के अन्दर के दरख्तों के मालिक काश्तकार होंगे और मेंड़ पर के दरख्तों के मालिक जमींदार। यह दफ़ा इस क़ानून पर एक बदनुमा धब्बा थी। खेती की मेंड़ कोई इतनी चौड़ी नहीं होती कि अगर उसके ऊपर दरख्त खड़े रहें तो उससे खेतों को नुक़सान न पहुंचे। उनकी छाया खेतों पर पड़ती है, उनकी जड़े खेती को ख़राब करती हैं। अगर ऐसे दरख्तों के मालिक दोनों तरफ के काश्तकार हों, तब यह कहना कि यह दरख्त मेंड़ के जमींदार को इसलिए दे दिये गये ताकि काश्तकारों मे झगड़ा न हो बन्दर-बांट का जिक्र करना है।

मैं समझता हूं कि इसमें यह लिखा हुआ है कि यह सब दरख्त गांव सभा को पहुंच जाएंगे। अच्छा हो कि हम इस बिल में यह संशोधन लाएं कि मेंड़ के दरख्तों का मालिक मेंड़ के दोनों तरफ के भूमिधर या सीरदार हों। इससे दरख्तों की हालत भी किसी हद तक सुधर जायगी।

कल एक बात गांव सभा के संबंध में कही गयी। यह कहा गया कि गांव-सभाएं तो आजाद जमातें है। उनको पूरा हक है कि वह अपनी राय का खूब प्रचार करें और यह मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह सरकार की राय से सहमत हों। जहां तक मेरा ख्याल है सरकार ने गांव-सभाओं पर कोई जोर डाला भी नहीं है और गांव-सभाओं को स्वतन्त्र मानती हैं। लेकिन मेरी जाती राय मे यह सरकार की कमजोरी है। अगर गांव-सभाओं को या डिस्ट्रिक्ट बोर्डों या म्युनिसिपल बोर्डों को यह आजादी दी जा सकती है कि सरकार की जो बुनियादी स्कीमें हों उनकी मुखालिफत में वह प्रचार कर सकें और उनके खिलाफ अमल कर सकें तो मेरे ख्याल में इस आजादी के बहुत ग़लत माने लगाये जा रहे हैं। आजादी के माने यह हैं कि आप इस तरीक़े से आजाद

है कि आप जो सोसाइटी का दूसरा इंतजाम है उसको दरहम बरहम न करे। आजादी के यह मानी नहीं है कि जो चाहे सड़क पर मकान बना ले, जो चाहे कहीं क़ब्ज़ा कर ले, जो जिस स्कीम की मुखालिफत करना चाहे वह करे। अगर इस क़िस्म की आजादी दी गयी तो उसका भविष्य अच्छा नहीं होगा। यह आजादी जो आज गांव सभाओं के फर्जी हमदर्द पुकार रहे है, सही मानों मे आजादी नहीं है, पिछले दिनों कुछ रियासतों के बारे मे भी यही कहा गया था कि रियासते अब आजाद है, अब हमे हक़ है कि पाकिस्तान से दोस्ती कर ले या किसी दूसरे मुल्क से कर ले। मेरे ख्याल मे यह बुनियादी सवाल है। किसी नजाकत मे आकर या झंझट से बच कर सरकार को इससे पीछे नही हटना चाहिये। किसी गांव सभा, डि० बोर्ड, म्यु० बोर्ड या किसी भी आटोनामस बाडी को यह मजाज नही होना चाहिये कि सरकार के बुनियादी उसूलों की मुखालिफ्त करे। सरकार की बुनियादी स्कीमों के साथ-साथ चल कर वह स्वतन्त्र है। लेकिन स्वतन्त्रता के माने यह नहीं है कि सरकार के उसूलों और क़ानूनों की मुखालिफत करने लगें। मै समझता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान देने की कृपा करेगी।

कल एक बात और कही गयी कि मालगुजारी कि अदायगी की जिम्मेदारी मुश्तरका और मुनफरदन है। मेरे दोस्तों ने संशोधित बिल की धारा २३०, जिम्न २ का अध्ययन नहीं किया। यह सही है कि हर शख्स उसी क़दर मालगुज़ारी के देने का जिम्मेदार होगा जो उसके हिस्से के मुताल्लिक़ है। यह सही है कि सरकार ने अपन पास कुछ हक महफूज रख लिये हैं लेकिन सरकार के पास तो बहुत सारे हकूक महफ़ूज़ हैं। जैसी कि धारा अब है उस धारा मे यह संभव नहीं है कि किसी और की मालगुजारी की नादेहन्दी मे किसी दूसरे आदमी को नुक़सान पहुंचे। मगर यह खुली बात है कि और जो पाबन्दियां है या जो तरीके मालगुजारी की वसूली के लिये हैं। मसलन् यह कि अदमअदायगी मालगुजारी मे गिरफ्तारी की जा सके या यह कि उस शख्स की जमीन अदमअदायगी मालगुजारी मे नीलाम की जा सके, यह दोनों धाराये रहनी चाहिये या नहीं। मेरा ख्याल है कि इसकी कोई ज़रूरत नही है और शायद यह सख्त पड़ेगी। मेरी राय है कि इसको निकाल दिया जाय। यह बात मै इस बिना पर कहता हूं कि जो काश्तकार कल तक काश्तकार थे, सौ रुपये लगान के काश्तकार थे, अगर वह सौ रुपये लगान बिना जेल जाये, बिना अपनी जायदाद नीलाम कराये अदा कर सकता था तो क्या वजह है कि आज हम यह सोचें कि अब जब कि वह सौ का आधा ५० रुपया लगान उसका रह गया है वह नहीं देगा और अब इन हथियारों की जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल में इन मामलों पर हमारी सरकार ध्यान देगी।

गांव सभा की चर्चा करते हुये हमारे दोस्तों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि इन्हें माल-गुजारी की वसूलयाबी का अख्तियार नहीं दिया गया है। मेरे ख्याल मे यह भी सही नहीं है। धारा २५३ इस मामले में काफ़ी स्पष्ट है। कुछ अख्तियारात जो इन मामले मे सरकार ने अपने पास रखे है, मै समझता हूं इस बात को ध्यान मे रखते हुये कि जो तजुर्बा यह सरकार करने जा रही है अपने क़िस्म का नया तजुर्बा है और उससे बड़े भारी नतायज निकलने का मौक़ा है, यह लाजिमी है कि सरकार उन सब हालतों को भी ध्यान में रखे जब कि कोई गांव सभा इस काम को न कर सके या करने से कासिर हो या करने से इन्कार करे तो ऐसे समय के लिये यह धारा मै समझता हूं अपनी जगह पर मुनासिब ही है। लगान के दस गुना जमा करने के संबंध में जो इस भवन मे चर्चा थी, हमारे दोस्तों को यह शिकायत थी कि सरकार ने यह भी कह दिया कि जिनका लगान ज्यादा है उनका लगान कम कर दिया जायगा। इस संशोधित बिल मे एक धारा यह है कि अगर किसी शख्स का लगान सर्किल रेट की दोचन्दी से ज्यादा हो तो उसको सरकिल रेट की दोचन्दी से ही दस गुना देना पड़ेगा। मै समझता हूं कि यह धारा इस बिल मे लाकर सरकार ने किसानों की हमदर्दी की है। अगर यह संशोधन न होता तो इसके माने यह होते कि वह जमींदार जो किसानों का हमदर्द है, वह घाटे में रहता और उन जमींदारों के किसान घाटे मे रहते हैं और वह जमींदार जो दबा सकता है, इजाफा कर सकता है उसको फायदा था और उसके किसानों को नुक़सान रहता। इस संबंध में एक संशोधन की गुंजायश है कि जहां सरकार ने यह तय किया है कि किसानों का यह हक़ है कि अपने लगान को सरकिल रेट की दोचन्दी समझकर उसका दुगना जमा कर दे, जमींदारों को जो मुआविजा मिलेगा वह उसको असल लगान के हिसाब से

[श्री फूल सिंह]

मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह जमींदार को रियायत है और अच्छा यह है कि जिस कायदे से किसान लगान का दसगुना जमा करे उसी क़ायदे से जमींदार को मुआविज़ा मिले। सर्किल रेट की द्विचन्दी वाली जो बात है यह भी कुछ मुनासिब नहीं मालूम होती। अच्छा तो यह है कि यह क़ायदा बन जाय कि सर्किल रेट का दसगुना जमा करे और सर्किल रेट ही आइन्दा मालगुज़ारी हो जाय, बजाय इसके कि किसी की सर्किल रेट की द्विचन्दी मालगुज़ारी है, किसी की सर्किल रेट से ज्यादा है और किसी की सर्किल रेट से कम है। तो मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाता हूं कि इसको भी सोचे कि क्या यह संभव है या नहीं कि बजाय इसके कि आइन्दा कि मालगुज़ारी लगान का आधा हो, यह इस कानून में हो जाय कि आइन्दा की मालगुज़ारी सर्किल रेट होगी। अगर इस तरीके से यह कानून बन जाता है तो जनता को बहुत नफा होगा।

कुछ भाइयों की यह भी शिकायत है कि पहले ३१ दिसम्बर की तारीख़ रखी गई थी, अब उसे बढ़ाकर २८ फरवरी कर दिया है। मुझे ताज्जुब हुआ जब यह शिकायत उन लोगों की तरफ से आई जो किसानों के नुमाइन्दे बनने का दावा करते हैं, जो किसानों के हमदर्द होने का दावा करते हैं। अगर कोई रियायत सरकार ने किसानों को दी है तो उनको तो सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिये न कि उस रियायत की बिना पर सरकार की आलोचना करनी चाहिये। वाक़या यह है कि ३१ दिसम्बर तक किसान को इतना मौका नहीं था जो अपनी फसल वगैर बेचकर उस समय के अन्दर दस-गुना रुपया जमा कर सकते। सरकार ने बहुत नफा तो किसानों को नहीं दिया यानी यह कि ३१ दिसम्बर से पहले जो लोग अपने लगान का दस-गुना जमा कर देते उन्हें तो पिछली खरीफ का लगान आधा देना पड़ता। अब ३१ दिसम्बर के बाद २८ फरवरी तक जो लगान का दस-गुना जमा कर देंगे उनकी पिछली ख़रीफ का ३/४ हो जायगा, १/४ माफ हो जायगा। थोड़ा नफा किसानों को इससे है। मैं समझता हूं कि यह जो काम सरकार ने किया उसके लिये हम किसानों की तरफ से सरकार के आभारी हों। यह भी शिकायत है कि जो भूमिधर बनने जा रहे हैं उनको गन्ना देने के लिये पर्चियों में रियायत की जा रही है। रोशन जमां ख़ां साहब या उनके साथी यदि खेती करते होते तो उनको यह मालूम होता कि यह जो गन्ने के काटे पर जाने का क़ायदा है उनकी पर्चियों को वितरण करने का काम सरकार का काम नहीं है बल्कि यह काम किसानों की अपनी को-आपरेटिव सोसाइटी किया करती है। को-आपरेटिव सोसाइटीज़ का यह हमेशा क़ायदा रहा है कि अगर किसी को जरूरत है तो उसकी रियायत की जाती है। अगर किसी किसान के यहां शादी है या उसको और कोई ख़र्चा करना है तो बाकी किसान इस बात पर रज़ामंद हो जाते हैं, बाकी किसान उसको मौक़ा देते हैं कि वह गन्ना बेचकर अपना काम कर ले। इस उसूल पर को-आपरेटिव सोसाइटीज़ ने अपने किसान भाइयों को जो भूमिधर बनने का इरादा रखते थे, यह मौक़ा दिया। इसके लिये वह को-आपरेटिव सोसाइटियां और बाराबंकी की को-आपरेटिव सोसाइटी जिसका ज़िक्र रोशन जमां ख़ां करते थे, धन्यवाद की पात्र हैं कि उन्होंने अपने भाइयों के साथ यह हमदर्दी की।

इस क़ानून का ज़िक्र करते वक़्त उन २८ हज़ार पटवारियों की, जो मुहक़मे माल की संगे बुनियाद हैं, कोई चर्चा न की जाय तो बात आधी ही रह जायगी। मैं जानता हूं कि पटवारी गांव का वह तबक़ा है जो बहुत ही बदनाम है और उतना बदनाम है जितना शायद वह निकम्मा नहीं है। मुझे पटवारी वर्ग के साथ पिछले एक साल से काम करने का मौक़ा मिला है और मैं यह कह सकता हूं कि इस पिछले एक साल में पटवारी वर्ग में जो सुधार हुआ है अगर आप उसे देखें तो प्रसन्न होंगे। मैं आपको बता सकता हूं कि पटवारी संस्था इस बात पर जोर देती है कि अगर कोई पटवारी ठीक तरह से काम नहीं करता है तो सरकार के सज़ा देने के अतिरिक्त पटवारी संस्था भी अलहदा से उसे सज़ा देने का इरादा रखती है। आपको यह जान कर खुशी होगी और इस बात का अहसास आज ज़िले-ज़िले के कलेक्टर, कमिश्नर और कांग्रेसी कार्यकर्त्ता करते हैं। मैं तो यह चाहता हूं और यह मुमकिन भी है कि यह २८ हज़ार पटवारी, यह २८ हज़ार पढ़े-लिखे आदमी इस देश के एक मुफ़ीद अंग बन जायें और उनकी मुनासिब सेवा कर

सकें। मैं यह इक़बाल करता हूं कि अभी तक पटवारी इसके मुस्तहक़ नहीं हुये हैं लेकिन आपको यह याद रखना चाहिये कि जब यह बिल बने तो यह २८ हज़ार आदमी जो सरकार का हर काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह अनपढ़ आदमियों से भी कम है, जो बाल-बच्चेदार आदमी हैं, उनके लिये इस बिल को बनाते वक्त सरकार इस बात का अवश्य ध्यान रखेगी कि यह २८ हज़ार आदमी ज़मींदारी उन्मूलन में सरकार का साथ देकर अपनी मौत को नज़दीक़ ला रहे हैं और वे इस बात के लिये तैयार हैं कि सरकार और देश को नफ़ा हो और उनके लिये चाहे जो कुछ हो। मैं समझता हूं कि सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह इन लोगों का ध्यान रक्खे और कोई ऐसा तरीक़ा सोचिये जिससे २८ हज़ार पटवारी सही तरीक़े से कहीं खपाये जा सकें और जो सेवा करने के वह योग्य हैं उनसे वह सेवा ली जाय।

एक सदस्य--उन्मूलन कर दिये जायं तो अच्छे रहेंगे?

श्री फूल सिंह--यक़ीनन उनका उन्मूलन तो हो ही रहा है और शायद उधर के लोगों का भी उन्मूलन हो रहा है लेकिन मैं यह समझ रहा था कि उस तरफ की बेंचेज़ के बैठने वाले लोग जो अपने उन्मूलन से घबड़ाते हैं उनको बाक़ी और लोगों के उन्मूलन से डर नहीं होगा। यह बात ऐसी ही हुई कि हमारे दोस्तों के नाखून जो थे वह कम हो गये हैं वर्ना अभी तक वह खून निकाल लेते।

तो मैंने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि वह किसी जमात का उन्मूलन नहीं करना चाहती है, न सोशलिस्ट पार्टी का, न मुस्लिम लीग का बल्कि वह ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन करना चाहती है नकि ज़मींदारों का। इसी तरह सरकार की यह मंशा नहीं है कि वह पटवारियों का उन्मूलन कर दे बल्कि वह पटवारी जो सरकार की सबसे ज्यादा सेवा इस वक्त कर रहे हैं उनका वह ध्यान रक्खेगी और उनसे मुनासिब काम लेगी। मैं यह चन्द बातें इस बिल के संबंध में इस भवन के सामने कहना चाहता था।

श्री वीरेन्द्र शाह--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं भी जो भवन के सामने बिल उपस्थित है उसके विरोध में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बिल की सिलेक्ट कमेटी का मैं भी एक मेम्बर था और मैं इस उद्देश्य से उसमें गया था कि शायद वहां जाकर काश्तकारों और आम जनता की भलाई के लिये और ज़मींदारों को अन्याय से बचाने के लिये अपनी राय सरकार के सामने रख सकूं। मुझे बहुत खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि हम लोगों ने जो कुछ संशोधन वहां रखना चाहे सरकार ने अपनी ज़िद के सामने एक को भी नहीं सुना। यह बात आपको इससे साबित होगी कि इतने अहम बिल की सिलेक्ट कमेटी कुल चार सिटिंग में बीस दिन के अन्दर खत्म होगई। इसमें ऐसे बिल के ऊपर भी विचार करना था जिनके बनाने में १२ महीने सिलेक्ट कमेटी को लगे थे जैसे यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि कब्ल इसके कि इसकी धाराओं के ऊपर अपने विचार प्रगट करूं। मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इनके ऊपर कोई विचार नहीं किया न सिलेक्ट कमेटी ने कुछ किया और न आज ही यहां पर कुछ कर रही है। आज भी हम यह देखते हैं कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। इस बिल से २३ लाख ज़मींदारों के घर परिवार और आश्रित, सब मिला कर एक करोड़ जनता पर असर पड़ता है। उसको आप किस तरह से खपाने जा रहे हैं। उनकी रोटी के लिये और उनका जीवन आगे रहने के लिये आप कौन सी चीज करने जा रहे हैं? ऐसी कोई चीज आपने हमारे सामने नहीं रखी है। मैं आप से यह अर्ज़ करूं कि अगर आप यह चाहते हों कि एक करोड़ आदमियों को बरबाद करके प्रान्त में सुख शान्ति बनी रहे और प्रान्त तरक्की करे तो यह आप की भूल है। आप कदापि ऐसा नहीं कर पायेंगे। एक करोड़ आदमियों को बरबाद करके आप फिर चाहें कि प्रान्त की तरक्की हो, यह नामुमकिन बात है। अब मैं यह बतलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट और कांग्रेस ने जो बारबार

[श्री वीरेन्द्र शाह]

अपने इलेक्शन सम्बन्धी मैनिफेस्टो का उदाहरण दिया है कि पहले वैसा हम तय कर आये हैं और उसी वजह से यह करने जा रहे हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उस मैनिफेस्टो में तो आप ने मध्यवर्ती, यानी बीच वाली जो जमात है उसको खत्म करने के लिये कहा और उसको खत्म करके काश्तकारों को जमींदार बनाने के लिये कहा है। आज हर एक काश्तकार यही समझता है कि जमींदारी खत्म होने के बाद जमींदार हो जायंगे। आप कहने के लिये चाहे जो भी कह लें लेकिन वे जानते हैं कि जमींदारों के बाद जमींदार हम बनेंगे। और यही कांग्रेस ने वादा भी किया है। लेकिन इस बिल के जरिये से हम देखते हैं कि हमारे समाजवादी लोग जैसा चाहते थे कि हर एक चीज स्टेट की हो, उसको स्वयं हमारी सरकार ने खुद श्री गणेश कर दिया है और इस बिल से जमींदार आज खुद सरकार बना रही है। आपने वादा किया था कि किसानों को जमींदार बनायेंगे। अगर इसमें किसी को सन्देह हो तो मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी जाकर किसानों से पूछ कर देख ले कि कि वह क्या कहता है। किसी किसान से पूछने पर वह यही कहेगा कि हमको जमीन्दार बनाने के लिये यह जमींदारी खत्म की गयी है या खत्म की जा रही है। पर आज आप कदापि ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप उनको भूमिधर या नाना प्रकार के नाम देते हैं, लेकिन उन जमींदारों का जरा सा अंश भी बेचारे किसानों को नहीं मिलने वाला है। उल्टे आप उनसे टैक्स लेकर उनको भूमिधरी देते हैं। आप कोई बड़ा भारी अहसान की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी बातों को सरकार ने सेलेक्ट कमेटी में नहीं सुना। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप भाइयों को अपनी बातें सुना दूं। क्यों कि मैं समझता हूं कि सरकार ने वैसे नहीं सुना तो आप के जरिये सरकार पर कुछ असर हो जायगा और वह आप की बात सुनेगी। हां, तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि आज २३ लाख जमींदारी को खत्म करके हमारी सरकार बहादुर किसानों को भी बरबाद करने जा रही है। मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं कि इससे वास्तव में किसानों का कितना बड़ा लाभ और हानि हो रही है। किसानों का लगान तो आधा होने का नहीं जब तक कि वे भूमिधर नहीं बनते। और तब तक उनके लगान में कोई कमी भी नहीं हो रही है। इस बिल में कोई धारा ऐसी नहीं है जिससे हम यह जान सकें कि लगान में कमी हो रही है। एक उम्मीद यह थी कि जमीन्दारों से जो जमीन मिलेगी वह किसानों को मिलेगी लेकिन वह भी नहीं होने जा रहा है। जिनके पास जमीन है वे खुद जोत रहे हैं या और जो जमीन है वे सब सरकारी फार्मों में चली जायंगी। कोई जमीन खाली नहीं है जो किसानों को दी जायगी। तीसरा जो हक शिकमी का काश्तकारों को था जिससे किसी मजबूरी की हालत में वे शिकमी पर अपनी जमीन उठा सकते थे वह हक भी आप आज उनसे ले रहे हैं। चौथी बात यह है कि जो अपनी जमीन का बटवारा १ बीघे से लेकर २० बीघे तक कर सकते थे वह बटवारा अब नहीं कर सकेंगे। उनके खान्दान का बटवारा करने का हक़ आपने इसमें रोक दिया है। इस हक़ को भी आपने उनसे ले लिया है और अब वह अपनी जमीन का बटवारा नहीं कर सकते हैं। (एक आवाज घर में कर सकते हैं) खेत-को नहीं बांट सकते है। भविष्य में आपने जो वसूली का तरीका रखा है उसकी जिम्मेदारी अभी तक तो व्यक्तिगत थी लेकिन अब आपने उसको सामूहिक कर दिया है अब वह सामूहिक जिम्मेदारी से वसूल की जायगी। अभी हमारे माननीय दोस्त फूल सिंह साहब बतला रहे थे कि जब तक कलेक्टर लिखेगा नहीं वह इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आप यह जानते हैं कि कलेक्टर ऐसा लिखेगा नहीं कि वह ऐसा हुक्म दे देगा। लिहाजा किसानों पर एक आफत मौजूद है। इससे किसानों का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ यह है कि जमींदारों को आप यह कह कर मुआवजा दे रहे हैं कि उनको खत्म किया

जा रहा हूं। काश्तकारों को जमींदार बनाने के लिये आपने उनको भूमिधर बनाया है अब उस भूमिधर के बनाने में जो १०-गुना लगान उनसे मांगा है, तो इससे यह साबित है कि आप यह समझते थे कि जमींदार इतने खराब हैं, जमींदारी के अन्दर इतने ऐब आगये हैं कि काश्तकार फोरन इस बात को सुनते ही आपको लगान दे देगा। उस रुपये से आप अपना भी काम चलायेंगे और उसमें से कुछ जमीन्दार को भी दे देंगे लेकिन अब तीन महीने के तजुर्बे से आपको मालूम होगया होगा कि यह किस तरह से वसूल हो रहा है। इस भवन में और सदस्यों ने भी बताया और हम भी आगे चलकर यह बतायेंगे कि आप ने वसूलयाबी के लिये कौन-कौन से हथकन्डे और तरीके अख्तियार किये हैं जो कि एक प्रजातंत्रात्मक सरकार को शोभा नहीं देते हैं।

अब मैं प्रीऐम्बिल के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। उसमें आपने कहा है कि जो मध्यवर्ती लोग हैं, उनको हटा दिया जायगा और उनको हटाने के लिये ही आपका यह बिल था। अब इस सिलेक्ट कमेटी में जमींदारी प्रथा को भी आपने शामिल कर दिया है। इसका मतलब यह है और हमने कमेटी में इस सवाल को उठाया भी था कि जहां जमींदार का सीधा सबंध हो जैसे सायर, हाट, बाजार जो मध्यवर्ती के नियम के अन्दर आते नहीं हैं, तो इन चीजों को जमींदार के लिये छोड दिया जाय। सरकार जमींदार से ऐसी चीजों में अपना सबंध रखे। जहां तक लगान का सबंध है, असामी और जमींदार का सबंध है उसको सरकार ले ले। और उन चीजों को छोड़ दे, जिससे कि जमींदारों को सीधी आमदनी होती है और जो इस तरह से आमदनी होती है, वह उनकी बनी रहे, लेकिन इन चीजों का भी अन्त करने के लिये सरकार ने जमींदारी प्रथा को भी उसमें जोड़ दिया है। फिर सरकार का यह कहना कि हम जमींदारों से दुश्मनी नहीं रखते हैं और जमींदारों से यह कहा जाय कि उनको बरबाद नहीं किया जाता है तो इस तरह से इस आमदनी को लेने का क्या मतलब है? हम जानना चाहते हैं कि सायर की आमदनी, बाजार, हाट और बागात की जो आमदनी होती है, उसका मध्यवर्ती से क्या संबंध है। उसका काश्तकार और जमींदार से क्या ताल्लुक है, आप क्यों उसको लेना चाहते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये कि जब सरकार यह कहती है कि हम जमींदारों को खतम नहीं करना चाहते, तो फिर सरकार क्यों इस तरह की रीति को बरतती है। हमने कमेटी में भी यह कहा कि हम आपके साथ हैं, जिससे मुल्क का फायदा है, हम साथ देने के लिये तैयार हैं। किन्तु यदि आप हमको रखना चाहते हैं तो इस बिल में ऐसी चीजें छोड़ सकते हैं, जिससे हम भी जिन्दा रहें। आप मध्यवर्ती को मिटाना चाहते हैं तो मिटा दीजिये। आप चाहते हैं कि सरकार और काश्तकारों के बीच में कोई न रहे तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमारी सायर की आमदनी है, बागात है, जंगल हैं, कुएं हैं बाजार है, हाट है जिनसे हमारा सीधा संबंध है। अगर उनको छोड़ दिया जाय तो जमींदारों के पास बहुत चीजें रह सकती हैं और उनके पास उन चीजों को तरक्की देने और डेवेलप करने का काम भी रह सकता है। जैसे सरकार कहती है कि इस तरह से परती जमीन पर ज्यादा अन्न पैदा होगा, लेकिन मैं आप से कहता हूं कि इस जमींदारी ऐबालिशन बिल से अन्न की पैदावार बढ़ेगी नहीं बल्कि और घट जावेगी। क्योंकि जो जमींदार रुपया वगैरह लगाकर और देकर परती को अच्छा बनाने की जुर्रत रखते हैं और खेती को बढ़ाने की आशा रखते हैं वह इस बिल को देखकर हताश हो गए और वह अब सोचते हैं कि अब हमारा जमीनों में क्या इन्टरेस्ट है और जमींदारों के अलावा काश्तकार भी सोचते हैं कि आगे चलकर सोशलिस्ट तरीक़े से भी जमीनें हमारे कब्जे में नहीं रहेंगी, लिहाजा इस तरह से हम खेती में कोई ज्यादा तरक्की नहीं करेंगे। सरकार अपनी तरक्क़ी चाहे जैसे करे। चाहे फार्म बनावें या ट्रैक्टर चलवाए, लेकिन गांवों में किसी की हिम्मत नहीं है कि जो अब अन्न-उत्पादन की ओर ध्यान दे सके। हमारा कहना यह है कि सायर की आमदनी जहां मध्यवर्ती का सवाल नहीं पैदा होता है, उस चीज को तो सरकार को जमींदारों के लिए छोड़ना ही चाहिए और अगर आप यह चीज छोड़ देते हैं, तो बहुत सी बातें आप ही हल हो जाती हैं।

[श्री वीरेन्द्र शाह]

अब बिल में कुछ मुख्य धारायें ऐसी हैं कि जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। एक धारा ३९ है। यह ज्वाइन्ट हिन्दू फैमिली के बारे में है। इसमें यह है कि बाप-बेटे में बटवारा नहीं हो सकता जिसका भी हिस्सा हो उसको जरूर मान लेना चाहिए। ऐसा और बिलों में भी है और बिहार में माना गया है। उसको मैं आप लोगों को अभी पढ़कर सुनाए देता हूं, वह इस प्रकार है और बिहार जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की २० वीं धारा में लिखा हुआ है कि :—

"In preparing such compensation assessment roll, every proprietor or tenure-holder or a member of a joint Hindu family having or entitled to a share in the estate or tenure, as if there were a partition on the day fixed for the purposes of assessment and payment of compensation, shall be treated separately."

(ऐसी प्रतिकर निर्धारण सूची तैयार करते समय प्रत्येक स्वामी या खातेदार या हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य को, जिसका किसी आस्थान या पट्टे में भाग हो या वह उसका अधिकारी हो, अलग २ समझा जायगा जैसा कि प्रतिकर निर्धारण और देने के उद्देश्य के लिये नियत दिन को विभाजन हुआ हो)। लेकिन आपने यहां पर कोई इस तरह की चीज नहीं रक्खी है। आपने सिर्फ भाइयों के लिए ही रखा है और लड़कों के लिए यह नहीं रखा है। मैंने यह बात सेलेक्ट कमेटी के सामने भी रक्खी थी। जब बाप जिन्दा है तो वह हिस्सेदार है और अपना हिस्सा पाता है, लेकिन आप बाप के जिन्दा रहने पर बटवारे का हक़ उस को नहीं दे रहे हैं। यह मुनासिब नहीं है। यह चीज भी आपको ठीक करना चाहिए।

तीसरी चीज यह है कि आप क्लाज १२ में जमींदार को जमीन उसके रहने का मकान और कोर्ट यार्ड और सामने की जमीन के बारे में कुछ तै नहीं करते हैं और आप कहते हैं कि बाद में यह चीज सरकार तै कर देगी। आप देखेंगे कि बिहार ऐक्ट की धारा ५ में भी उन्होंने रखा है और होम स्टेड्स के नाम से यह रखा गया है। लेकिन आप की धारा १२ में यह है कि सूबे की सरकार इसे बाद में तै करेगी और जो इलाकों पर मकान और कोर्ट यार्ड वगैरह हैं उनका झगड़ा इस वक्त बीच में ही छोड़ दिया जायगा। मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि बिहार में उन्होंने ऐसा रखा है कि वह सब ऐसी चीजें फीरेन्ट पर उन मालिकों को दे दी जावेंगी। मैं आपसे कहूंगा कि आप भी बिहार की तरह तै कर दीजिये तो इससे हमारा काफ़ी फ़ायदा है जिससे बाद में सरकार को तै करने में दिक्क़त भी न हो।

अब दूसरी चीज कम्पेंसेशन के बारे में है। आप कहते हैं कि हम इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन दे रहे हैं। मैं आप से कहता हूं कि आप का इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन तो इसी से जाहिर होता है कि जो कम्पन्सेशन आप दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा उस रुपए की तादाद है कि जिसको आप फिर से बसाने की ग्रान्ट या रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट कहते हैं। आपने इसमें जरा-जरा सी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर रुपया बचाने की कोशिश की है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आपने ऐसी कई धारायें रखी हैं और उनमें आप ने रखा है कि इस बिल के पास होने के बाद अगर कोई बटवारा या हिस्सा जमींदार ने बांटा तो गवर्नमेंट कुल पर ही कम्पेन्सेशन का हिसाब लगावेगी। आपने शायद यह चीज सन् १९४६ से ही लागू कर दी है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह से तो सरकार ने जो बिल के आने पर टैक्स लगाया है वह भी नाजायज है और यह भी सरकार की नाजायज चीज है और उसके भी कोई मानी नहीं हैं। आप इस तरह की चीजें करते हैं और आप किसी की नहीं सुनते हैं। आपने जमींदारी बिल के पास होने के पहले अबवाब एक दम से दस फीसदी से सवा १८ फीसदी कर दिया।

६ महीने के बाद ऐग्रीकल्चरल टैक्स लगा दिया। दूसरी चीज यह है कि १५ टाइम्स आप टैक्स लेते ह । अब मुआविजे का सवाल है इस कानून के पेश हो जाने के बाद ३ टैक्स सरकार ने जमीदारो पर लगाए। जमीदारो की आमदनी का ८० फीसदी सरकार इन करो के द्वारा ले लेती है । हमसे सरकार मालगुजारी, अबवाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स वगैरह ले रही है। ८० फी सदी का १/५ हिस्सा दे रही है अगर उसकी नेट इनकम एक हजार है तो दो सौ दे रही है। आप रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि दरअस्ल जमीदारो को कितना मुआविजा मिलता है यह कहूँगा कि हमे कुछ भी न दिया जाय और सरकार हमारी जमीदारी को जब्त कर ले। सरकार हमे रुपयो की जायदाद का मुआविजा कौड़ियो मे दे रही है। अगर किसानों का फायदा है तो मै यह कहना चाहता हूँ कि मै व्यक्तिगत तरीके से मालगुजारी नही देता हूँ सिर्फ ४ हजार रुपया देता हूँ। म कहता हूँ कि यह ४ हजार लगान में कम कर दिया जाय तो मुझे एक पैसा मुआविजा न दिया जाय। यह मै नही मान सकता कि सरकार मुझको तो कम दे और खुद ज्यादा वसूल करे, भूमिधर से आप दस-गुना लेते है तो हमे २० गुना देना चाहिये जो बाजार का भाव है। यह २० गुना रेट हुआ जो आपको जमीदारों को देना चाहिये। तभी यह इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन (जायज मुआविजा) हो सकता है।

श्री फतेह सिंह राणा—कहां से दे ?

श्री वीरेन्द्र शाह—यह आप जानें । इस बिल मे बहुत सी कमियां है। जब दूसरी रीडिंग आवेगी उस समय हम उनका और जिक्र करेंगे। लेकिन फिर भी दो-चार चीजे अब बतला देना चाहता हूँ जैसे हिन्दू रिलीजस ट्रस्ट। आपने देखा कि वक्फ के बारे मे आवाज उठाई गई। हिन्दू रिलीजस ट्रस्ट की मंदिरो मे जायदादे लगी हुई है। आज तो सरकार इस बात को मानती है कि हम उसको पूरा खर्चा देंगे। दुनिया के हाल को देखते हुये और जो रवैया मुल्क का इस समय चल रहा है उसको देखते हुये मैं तो भय खाता हूँ, आगे चल करके इसमे ऐसा होगा कि इसके खर्च मे कमी की जावेगी। इस बिल की धारायें ऐसी रखी गई है कि आपका कम्पेन्सेशन आफिसर उस खर्चे को काट सकता है। तो हमारे मंदिरो मे जो खर्चे होते हैं उसमे सरकार कमी कर सकती हैं। इस तरह से तो सरकार एक हाथ से देगी और दूसरे से ले लेगी। इसलिये मै चाहता हूँ कि मन्दिरों मे जो जमीदारियां लगी हुई है उनको इससे एग्जेम्प्ट किया जाय। यह समस्या इतनी जटिल है कि इसको आप अलहदा दूसरे बिल के जरिये लावे। अलहदा दूसरे बिल मे आप इसको कंट्रोल करे तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार ने पहाड़ी तीन जिलों को छोड़ दिया है और स्टेट्स जो अब मर्ज होकर आई है उनको भी छोड़ दिया है।

श्री केशव गुप्त—वे तो शामिल है।

श्री वीरेन्द्र शाह—तो कम से कम तीन पहाड़ी जिलों को तो जरूर छोड़ा है और वहां पर कोई ऐसी जटिल समस्या जरूर होगी। कोई वजह ऐसी जरूर होगी जिससे आप उनको नहीं ले रहे है। मै कहता हूँ कि हिन्दू रिलीजस ट्रस्ट भी ऐसी ही समस्या है, इसको भी आप छोड़ दें। इसमें लाने से मैं यह समझता हूँ कि हमारे धर्म में आक्षेप होगा। हिन्दू धर्म में यह लिखा है कि कोई मन्दिर जब कायम किया जाता है तब कोई स्थायी सम्पत्ति उसके लिये लगा दी जाय। तो जमींदारी एक ऐसी स्थायी सम्पत्ति मानी गई है और आप उसको ले रहे है, यह ठीक नहीं है। अगर कल कोई कंम्यूनिस्ट या सोशलिस्ट सरकार हुई तो उसके लिये मस्जिद या मन्दिर कोई मतलब नहीं है। वह समझेगे कि हमारे पास हक़ आ गया है कि इनको भी हड़प करो। आगे चलकर के धर्म के मामले मे मुमकिन है कि कुछ और नुक़सान पहुँच जावे ।

श्री रोशन जमां खां—हम ऐसा नहीं करेंगे।

श्री वीरेन्द्र शाह---कोई भी आये, हमको सबसे भय है। मैं चाहूँगा कि इस पर सरकार जरूर ग़ौर करे। पन्त जी जब फैजाबाद गये थे तो यह कहा था कि तुम्हारे मन्दिरों में कोई कमी नहीं होगी और पूजा में कोई कमी नहीं होगी। तो जब आप खर्चा दे रहे हैं तो उसको एग्जेम्प्ट क्यों नहीं कर देते ? मैं तो चाहता हूँ कि एक अलहदा बिल से इसको किया जाय। इसमें झगड़ा पड़ने का डर है क्यों ? न जाने आगे गवर्नमेंट कौन आये जो मन्दिर की जायदादों को नष्ट कर दे। मैं मानता हूँ कि हमारे महंत लोग उसको बरबाद करते हैं और यह भी मानता हूँ कि कुछ फीसदी खराब भी जाती है। आप इटली में देखिये कि पोपकी कितनी बड़ी स्टेट है।

एक सदस्य---रूस में।

श्री वीरेन्द्र शाह---हां, वहां नहीं है, लेकिन एक दिन आयेगा जब वहां भी धर्म पहुँचेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार उन चीजों को न ले जिनसे मामला जटिल पड़ जाये। मैं समझता हूँ कि अगर आप उनको छोड़ देंगे तो वह कहीं भाग नहीं जायेग। जायदाद उनके हाथ में रहेगी। आप उसको कोर्ट आफ वार्ड्स भले ही कर ले, लेकिन इस बिल के साथ नही जानी चाहिये और अगर इस बिल के साथ जायेगी तो वह खतरे में पड़ जायेगी।

अब मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि दस गुना लगान वसूल करने के बारे में यहां पर बहुत कुछ कहा गया है। मैं भी कहना चाहता हूँ। कहा यह जाता है कि दस गुना लगान वसूल कर रहे हैं। मैं यह कहूँगा कि अगर साफ-साफ जमींदारों से मतलब होता तो जमींदारों का इत्मीनान क्यों न किया जाता। जबकि जमींदार लाखों रुपये का लगान वसूल करता है और सरकार में रेवेन्यू जमा करता है तो फिर क्या वजह थी कि उसे बेईमान समझा गया और उसको जमा करने के लिये नये तरीके कायम किये गये। इसके क्या माने हैं। जमींदार आज यह देखता है कि जिसके नाम पर आप रुपया ले रहे हैं वह सब धोखा है। आप जो जमींदार को दे रहे हैं वह न देने के बराबर है। पता नहीं कि आप इस रुपये को किस चीज में लगायें और इसका भी पता नहीं कि आप खुद चले जायं या वापस कर दे जैसा कि सन् १९४२ में हुआ था। उसी की तरह यह भी वसूल हो रहा हो। मैं एक अखबार की बात आपको पढ़े देता हूँ। अगर हम कोई बात कहेंगे तो कहा जायेगा कि वह जमींदार जला हुआ है, क्योंकि जमींदारों की जमींदारी जा रही है। लिहाजा यह ग़लत कह सकता है। इसलिये मैं तो आपके मेम्बर की बात कहूँगा जो आपके मेम्बर ने बयान दिया है उससे आपको सबक़ सीखना चाहिये। इस अखबार का नाम स्वतंत्र भारत है।

दस गुना लगान जमा करने में पुरानी नौकरशाही का तरीक़ा ही बर्ता जा रहा है। लाला ब्रज मोहन लाल शास्त्री एम० एल० ए० ने बरेली में दस गुने लगान की चर्चा करते हुये एक वक्तव्य में कहा है कि दस गुना लगान जमा करने में बरेली में अधिकारियों की ओर से वही पुराने नौकरशाही तरीक़ों का प्रयोग किया गया है जो तरीक़ा (युद्ध-कोष) वार फंड वसूल करने में प्रयोग किये जाते थे। हमारे पास काफी शिकायतें इस बात की आई हैं कि जिन लोगों के पास बन्दूकों के लाइसेंस हैं उनको काफी परेशान किया गया। उनसे साफ-साफ कहा गया कि या तो दस गुना लगान जमा कराओ नहीं तो तुम्हारा लाइसेंस पुनः जारी नहीं किया जायगा। इस प्रकार की शिकायतें हर जगह से हमारे पास आई हैं। आपने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि श्री खेरा साहब अभी हाल ही में बरेली आये थे और सर्किट हाउस में अधिकारियों और ग़ैर-सरकारियों की सभा हुई थी। इस सभा में श्री खेरा साहब ने जोर दिया था कि खंडसारियों से भी १० गुना लगान जमा करने में सहायता ली जाय। अगर कोई खंडसारी सहायता नहीं दे तो उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाय। जब ऊंचे-ऊंचे अधिकारियों की जेहनियत यह है तो मामूली

अधिकारी तो एक दम आगे ही चलेंगे। क्या यह वही पुराने हथखंडे नही ह जिनका कांग्रेस ने बराबर विरोध किया है? क्या यह वह तरीक़े नहीं थे जिनके जरिये वार फंड आदि जनता से वसूल किया जाता था? अपने वक्तव्य में आपने कहा कि बरेली जिले में केवल २ प्रतिशत रुपया वसूल हुआ है। इसकी जिम्मेदारी इन तरीक़ों पर ही है। यह एक एम० एल० ए० साहब का बयान है जो आपकी पार्टी मे है और अभी निकाले नहीं गये हैं। आइंदा निकाले जाएं या न निकाले जाएं। (एक सदस्य---इस पर उनके दस्तखत हैं?) यह तो अखबार वाले जाने।

इसके अलावा जितनी दरख्वास्तें मेरे पास आई हैं। इनमे कहा गया है कि दस गुना लगान नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारे पास रुपया नहीं है, आप कोई जरिया बतलावें जिससे हम बच सकें। लोग हमें परेशान करते हैं। गल्ला वसूली की बात कही जाती है। गल्ला है नहीं, फसल खड़ी हुई है। कोई वजह है कि सरकार उनसे गल्ला मांगे। उनको पकड़ा जाता है और कहा जाता है कि फौरन् गल्ला दो। आपके प्रधान मंत्री जी का यह भाषण था कि किसी पर जोर नहीं डाला जा सकता। जब आपकी नीति यह है तो फिर क्यों आपके कमचारी इस तरह से जोर-जुल्म करते है? अगर आपका इशारा न हो तो मैं कभी नहीं मान सकता कि आपके कर्मचारी इतने निडर होकर इजलास में कहें कि १० गुना लगान की रसीद दाखिल करो तब मामला सुना जायगा। मैं यह नहीं कहता कि आप वसूल न करें, जरूर करें। लेकिन जो रवैया चल रहा है उससे वसूली होगी नहीं। जो वसूल होगा उससे ज्यादा आप खर्च कर डालेंगे। अभी सप्लीमेंटरी बजट नहीं आया है जिसके जरिये से हम इसका विरोध करते। १० हजार आदमी इसमें मुला-जिम रखे गये हैं। वे इस काम को कर रहे हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---आपको मुआविजा कैश में लेना है या बांड्स में?

श्री वीरेन्द्र शाह---इस तरह से टारचर (सताना) करके रुपया वसूल किया जाए तो नकदी आप नहीं दे सकेंगे। जहां तक आपने कहा कि नकदी में लोगे या बांड्स में, तो सरकार ने इस बिल में बतलाया ही नहीं है, आप पूछते कैसे हैं? सरकार बतलाए कि किस तरह से देना चाहती है। हम तो जरूर चाहेंगे कि नकदी दी जाए। आप समझ लीजिए कि अगर आप छोटे जमींदारों को नकदी नहीं देंगे तो आप उनको खत्म भी नहीं कर सकेंगे। जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में यह चीज कोई नहीं थी कि आप शिकमी ले लेंगे। लेकिन आपने इसमें यह कहा है कि चाहे छोटा जमींदार हो या बड़ा, यह १८ लाख एकड़ जमीन जो शिकमी पर उठी हुई है वह उनके हाथ से चली जायगी। जो जमींदार ढाई सौ के ऊपर हैं उनको आपने हेरीडिटरी टेनेंट बना दिया और छोटे जमींदारों को आपने पांच साल तक लटका दिया है, पांच साल के बाद वह भी जमीन उनसे निकल जायगी, क्योंकि आपने रखा है कि पन्द्रह गुना देने के बाद वह शिकमी भी मौरूसी हो जायगा।

जिस वक्त टेनेंसी बिल आया था उस वक्त मैंने मिनिस्टर साहब से इस्तदुआ की थी, तो उन्होंने कहा था कि पचास एकड़ जमीन रहने दिया है, लेकिन आज जब जमींदार उस जमीन को रखना चाहता है तो आप कहते है कि पांच साल तक इंतजार कीजिये। दो दफा इसी भवन में जमींदार की सीर और खुदकाश्त पांच-पांच साल के लिये शिकमी पर उठाने की आपने इजाजत दी। जब अबालिशन का वक्त आया तो आप ही अपने बनाये हुए कानून के विरुद्ध यह कहते हैं कि नहीं, हम उसको बेदखल नहीं कर सकते हैं, जो जमीन को जोते हुए हैं। आपने बीस साल तक वह मौका दिया। उसके बाद आप यह कहते हैं कि हम आपको एक महीने का भी अब मौका नहीं दे सकते। इसके मानी यह हैं कि आपने बीस साल पहले जमीन को अबालिश कर दिया।

अगर गवर्नमेंट छोटे जमींदारों से हमदर्दी करती है तो उन्हीं की मदद करे। हम तो देखते हैं कि जमींदार क्या किसानों तक के लिये खतरा है। अब सरकार जमींदार हो जायगी और लगान सख्ती से वसूल करने का जो तरीका रखा गया है, वह कब तक निभ सकेगा।

[श्री वीरेन्द्र शाह]

ठेकेदार को आपने मध्यवर्ती माना है। उसको भी हमारे बराबर मान लिया है। हमने लगान वसूल करने के लिये ठेका दे दिया कि आप इस गांव का लगान वसूल करके इतना रुपया देते रहेंगे, बाकी मुनाफा आप लेते रहेंगे। अब सरकार यह पास करती है कि अगर तीस एकड़ उनकी जोत हो तो वह दे दी जाय उसके बाद जितनी जमीन बाकी बचे वह जमीन गांव-सभा की होगी, यानी वह सरकार लेना चाहती है। जमींदारों के पास फिर कहां से जमीन आयेगी। टेनेंसी ऐक्ट में ठेकेदार के लिये आपने यह किया था कि दस साल के ऊपर किसी ठेकेदार के पास जमीन नहीं रहेगी। उन्हीं पर आप इतनी कृपा कर रहे हैं। तीस एकड़ जमीन दे रहे हैं मुफ्त की, जिस पर उनको कोई हक नहीं है। उसके बाद अगर वह फार्मिंग किये हुए हैं तो कलेक्टर की इजाजत से उसको जारी रखे कुछ दिनों तक बाद में गांव-सभा को वह जमीन मिल जायगी। न आप मुआविजा देते हैं, न जमीन जोतने के लिये देते हैं और न सायर की आमदनी देते हैं, तो जमींदार किस तरह से जिन्दगी बसर करेगा। आप छोटे या बड़े जमींदार की क्या मदद करते ह उनके लिये सरकार ने क्या सोचा है कि ये २३ लाख जमींदार जिस वक्त बेकार हो जायंगे और परिवार समेत मिलाकर करीब १ करोड़ आदमी के होंगे इनको सरकार किस तरह से काम में लगायेगी, सिवाय इसके कि जिस तरह से शरणार्थी लोगों की हैसियत है, उनकी भी रह जायगी। मैं इस शब्द को नहीं दुहराना चाहता। हमारे देश में एक विपत्ति आई और उसके परिणामों को हम आज तक भोग रहे हैं और वही गलती आज आप फिर करने जा रहे हैं जिसके जरिये यही आफत, यही दुख अपने प्रान्त में फिर आयेगा और आपको यह झेलना पड़ेगा। जब जमींदार मारे-मारे फिरेंगे उनके पास रोटी नहीं होगी आप सुनेंगे कि फलां गांव लूट लिया गया, फलां जगह लूट-मार हो गई तो मैं कहता हूँ कि आप इसे देखिये। हम भी इस प्रान्त के निवासी हैं। मैं उन जमींदारों की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने कौन सी योजना उनके काम में लगाने के लिये बनाई है, कौन सी मिलें तैयार की हैं ? कोई लड़ाई भी तो नहीं हो रही है, जिसमें जाकर मर खप जाते। मैं एक ठाकुर की हैसियत से कहता हूं कि हम नहीं चाहते कि अपने रोटी के लिये अपने भाइयों का खून करें। किसी बाहरी देश की लड़ाई होती तो हम दिखाते कि किस तरह से अपनी जमीन की रक्षा की जाती है। महाराजाओं की मिसालें दी जाती हैं कि फलां महाराजा ने अपने स्टेट को छोड़ दिया। मैं कहता हूँ कि उन्होंने देश के लिये छोड़ा था बाहर वालों के लिये नहीं। हम भी आज जो कुछ भी करने के लिये तैयार हैं वह इसीलिये। हम आपकी इस कार्यवाही का कोई जवाब नहीं देते हैं तो सिर्फ इसीलिये कि यह हमारे देश के भाई हैं। हम समझते हैं कि हमारे देशवासी हैं ग़लती करते हैं। लेकिन फिर भी अपना समझ कर आपसे कहते हैं और कहेंगे और अपनी रोटी को लेकर मानेंगे। आपको उसका इन्तजाम करना होगा। देश सेवा के लिये जहां भी आप हमसे कहें हम लड़ने-मरने के लिये तैयार हैं, लेकिन आपको हमारा खयाल करना होगा। हमारी रोटी का सवाल आपको हल करना होगा। आज हमारी आमदनी १ हजार है तो पांच सौ कीजिये, दो सौ कीजिये, लेकिन आप आज जो कम्पेन्सेशन दे रहे हैं उससे आप आमदनी का अन्दाजा लगा लीजिये कि क्या आमदनी रहती है। जमींदार एक मिडिल क्लास सोसाइटी है। अगर आप उसके हक को मार देंगे तो यह समझ लीजिये कि आज यह जो आपकी नौकरशाही है, आपके यह जो नौकर हैं, क्लर्क हैं, उनके ऊपर भी आफत आयेगी। कितने बड़े बोझ को हम सम्हाले हुये हैं। जिस दिन जमींदारी खत्म हो जायेगी, इनके ऊपर कितना भार पड़ेगा इसको आप समझ लीजिये।

(इसके बाद भवन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
मंत्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त।

लखनऊ,
११ जनवरी, सन् १९५० ई०

नत्थी 'क'

देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९९ पर

To

The COMMISSIONER,
FOOD & CIVIL SUPPLIES,
UNITED PROVINCES.

Dated *Lucknow May* 18, 1949.

Subject —*Prices Of Gunny Bags.*

FOOD & CIVIL SUPPLIES (A) DEPARTMENT

SIR,

IN continuation of G. O. no. 662/XXIX-A (F), dated February 26, 1949 fixing the prices of gunny bags for the quarter ending March 31, 949, I am directed to say that Government have fixed the following prices for the bags specified below to be charged from the date of receipt of this Government Order and to be operative till these prices are revised.

		Rs.	a.	p.	
1.	New Gunny bags, D. W quality	1	4	0	per bag
2.	Once used gunny bags, D. W. quality	1	0	0	,, ,,
3.	More than once used bags	0	12	0	,, ,,
4	Not serviceable, damaged and repaired	0	8	0	,, ,,
5.	Foreign bags containing imported wheat, large size...	1	4	0	,, ,,
6	Foreign bags containing imported wheat, small size...	0	12	0	,, ,,

I am to add that an additional charge of annas four per bag over D. W. quality will be made for the corresponding quality of 'B' Twill bag.

I am to make it clear that a new bag means that which is actually new and has not been used before. A new bag used in storage for a period more than a fortnight shall be treated as once used bag. As such all bags in which grain is received by Regional Food Controllers and Town Rationing Officers shall be treated as once used and charged for at Re. 1-per bag of D. W. quality and at Re. 1-4 per bag of 'B' Twill quality.

Yours faithfully,
TUFAIL AHMAD,
For *Secretary.*

FINANCE (SUPPLY) DEPARTMENT.

No. 1163 (i)/XXIX-A (F)

Copy forwarded to the Accountant General, United Provinces, Allahabad, for information.

Copy also forwarded to all Regional Accounts Officers and Senior Accounts Officers, Headquarters for information.

By order,
KESHAV DAS
Assistant Secretary (Finance).

OFFICE OF THE COMMISSIONER, FOOD & CIVIL SUPPLIES, UNITED PROVINCES, LUCKNOW

No. 1163 (ii) XXIX-A (F)

Copy forwarded to all District Magistrates for information and necessary action with the request that their reports on tendency of rise and fall in the prices of the bags along with their recommendations for the revised prices should reach this office not later than June 15, 1949.

Copy also forwarded to —

1. All Town Rationing Officers, United Provinces.
2. All Regional Food Controllers and Deputy Regional Food Controllers.
3. Provincial Marketing Officer (Food).
4. Deputy Director, Rationing.
5. All Sections of Food and Civil Supplies.

By order,
S. S. L. KAKKAR,
Assistant Commissioner (Rationing).

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०२ पर)

बन्दियों के स्थान परिवर्तन करने के नियम

१——घोषित बन्दी——

१५३——(अ) हथकड़ी निम्नलिखित नियमों के अनुसार घोषित बन्दियों को रेल द्वारा या सड़क से ले जाते समय हथकडियां डाली जायंगी :——

(१) जब तक सुपरिन्टेडेंट पुलिस कोई विशेष कारण नहीं समझता, ए श्रेणी के बन्दियो को हथकडी नहीं लगाई जायगी।

(२) बी श्रेणी के वे पुरुष बन्दी जिन्हे दो वर्ष से अधिक सपरिश्रम कारावास का दण्ड दिया गया है, वे हथकड़ी डाल कर ले जाये जायेंगे।

(३) बी श्रेणी के अन्य बन्दी, उस समय तक जब तक कि सुपरिंटेंडेंट पुलिस कोई विशेष कारण नहीं समझता हथकड़ी नहीं पहनेंगे।

(४) वे पुरुष बन्दी जिन्हें ए या बी श्रेणी नहीं मिली है तथा वे साधारणतः हथकड़ी पहनेंगे।

२——विचाराधीन बन्दी——

नियम १८५ और १८६ के अन्तर्गत जिन बन्दियों को कचहरी मे य मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का भार पुलिस को दिया जाता है उन्हें हथकड़ी या बेड़ी या दोनो डालने के निर्णय और उसके पालन करने का उत्तरदायित्व भी पुलिस पर होता है।

जब तक भागने, आक्रमण करने या आत्महत्या करने का विशेष भय नहीं होता, तब तक परिशिष्ट में दिये हुए अभियोगों के बन्दियों को रेल द्वारा या सड़क से कचहरी ले जाते समय हथकड़ी नहीं डाली जायगी इन्हें हथकड़ी डालते समय सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस या किसी उच्चपदाधिकारी को लिपिबद्ध आज्ञा ले लेनी चाहिये।

परिशिष्ट मे दी हुई धाराओं के अतिरिक्त धाराओं के विचाराधीन बन्दियों को भागने, आक्रमण करने या आत्महत्या करने से रोकने के लिये हथकड़ियां डाली जायंगी।

परिशिष्ट

भारतीय दंड-विधान के अध्याय ५–ए, ६ और ७ मे दिये हुए अपराध भारतीय दंड–विधान के अध्याय ८ मे दी हुई १५३–ए के १६० धारायें, धारा १७० और १७६ के अपराधो को छोड़कर अध्याय ९–ए और १०, धारायें ११६–ए, २२४, २२५–बी और २२६ के अपराधों को छोड़कर अध्याय ११, अध्याय १३, १४ और १५, १६ मे दी हुई धारायें ३१२ से ३१६, ३२३, ३२४ से ३३२, ३४१ से ३५० और ३५२ से ३५५। अध्याय १७ की धारायें ३२४ से ३२९, ४०३, ४०४, ४२१ से ४३४, ४४७ और ४४८, भारतीय दंड–विधान के अध्याय १८, १९, २०, २१ और २२ और अन्य ऐक्टों के समस्त अननुसंधेय अपराध और वे व्यक्ति जिन पर भारतीय दंड–विधि संग्रह धारा १०८ की कार्यवाही जारी हो।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०५ पर)

धीरे धीरे चलने वाले ट्रैक्टर

नाम तथा प्रकार	ड्रावर हार्स पावर	सप्लाई करने वाले	मूल्य
एलिस चैमर्स			रु०
एच० डी० ७	६१	सर्वश्री पाशाभाई पटेल ऐण्ड कम्पनी, बम्बई।	१६,०००
एच० डी० १०	९०		३५,०००
एच० डी० १७५	१७५		८०,०००
इन्टरनेशनल हारवेस्टर			
टी० डी० ९	३५	सर्वश्री वोलकर्ट ब्रदर्स, बम्बई।	११,०००
ओलीवर क्लैट्रिक			
डी० डी०	६१	सर्वश्री विलियम जैक ऐंड कंपनी, कलकत्ता।	२९,७५०
बी० डी०	३५		३१,२३०
फाउलर			
एफ० डी० ३	३५	सर्वश्री मार्शल ऐंड संस, कलकत्ता।	२५,०००
उस्तवाक	२०	सर्वश्री मुन्नालाल ऐंड संस, कानपुर।	१४,०००
अनसाल्ड इटालियन	५०	,,	३६,०००
फाऊलर मार्शल	३५	सर्वश्री मार्शल ऐंड संस, कलकत्ता।	१८,०००
व्हील ट्रैक्टर			
फोर्डसन मेजर	१८	सर्वश्री यू० पी० कमर्शियल कार्पोरेशन, लखनऊ।	१२,०००
एम० एम०	४०	सर्वश्री बी० के० खन्ना ऐंड कम्पनी, देहली।	१७,०००

नाम तथा प्रकार	ड्रावर हार्स पावर	सप्लाई करने वाले	मूल्य
			रु०
मैसी हैरिस			
५५ के	४२	सर्वश्री कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट कम्पनी, बम्बई।	१४,०००
४४ के	३५	,,	१२,०००
३० के	२२	,,	८,०००
ओलीवर ८० के० डी०	१८	सर्वश्री विलियम जैक कम्पनी, कलकत्ता।	७,०००
फील्ड मार्शल	३५	सर्वश्री मार्शल ऐंड संस, कलकत्ता।	१०,०००
सिम्पसन	३५	सर्वश्री मुन्नालाल ऐंड सन्स, कानपुर।	९,०००

पी० एस० यू० पी०—१३७ एल० ए०—१९५०—५०००

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

बृहस्पतिवार, १२ जनवरी, सन् १९५० ई०

असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१८१)

अचल सिंह
अजित प्रताप सिंह
अब्दुल बाकी
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद
अम्मार अहमद खां
अर्नेस्ट माईकेल फ़िलिप्स
अली जर्रार जाफरी
अल्फ्रेड धर्मदास
असगर अली खां
अक्षयबर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
उदयवीर सिंह
ऐजाज रसूल
कमलापति तिवारी
करीमुर्रजा खां
कालीचरण टण्डन
किशनचन्द पुरी
कुशलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्णचन्द्र गुप्त
केशव गुप्त
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
खानचन्द गौतम
खुशवक्त राय
खुशीराम
खूबसिंह
गंगाधर
गंगाप्रसाद
गंगासहाय चौबे
गजाधर प्रसाद
गनपति सहाय
गणेश कृष्ण जैतली
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविन्दवल्लभ पन्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह
चरणसिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ दास
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
जगनप्रसाद रावत
जगमोहनसिंह नेगी
जैपाल सिंह
जैराम वर्मा
जहीरुल हसनैन लारी
जहूर अहमद
ज़ाकिर अली
जाहिद हसन

जुगुलकिशोर
त्रिलोकी सिंह
दाऊदयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीनदयालु अवस्थी
दीनदयाल शास्त्री
दीपनारायण वर्मा
नफीसुल हसन
नवाजिश अली खां
नवाब सिंह
नाजिम अली
नारायणदास
निसार अहमद शेरवानी
पूर्णमासी
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयागनारायण
प्रेमकिशन खन्ना
फ़ख़रुल इस्लाम
फजलुर्रहमान खां
फतेहसिंह राणा
फूल सिंह
बदन सिंह
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बशीर अहमद
बशीर अहमद अनसारी
बादशाह गुप्त
बृजमोहन लाल शास्त्री
भगवती प्रसाद दुबे
भगवती प्रसाद शुक्ल
भगवान दीन मिश्र
भारत सिंह यादवाचार्य
भीमसेन
मंगला प्रसाद
मसुरियादीन
महफूजुर्रहमान
महमूद अली खां
मिजाजी लाल
मुकुन्दलाल अग्रवाल
मुजफ्फर हुसैन
मुहम्मद अदील अब्बासी
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल
मुहम्मद जमशेदअली खां
मुहम्मद नबी
मुहम्मद नजीर
मुहम्मद रजा खां
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
मुहम्मद शाहिद फाखरी
मुहम्मद सुलेमान अधमी
यज्ञ नारायण उपाध्याय
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुवंशनारायण सिंह
रघुबीर सहाय
राजकुवार सिंह
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधामोहन सिंह
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार शास्त्री
राम कृपाल सिंह
रामचन्द्र पालीवाल
रामचन्द्र सेहरा
रामजी सहाय
रामधारी पांडे
रामनारायण
रामबली मिश्र
राममूर्ति
रामशंकरलाल
रामशरण
राम स्वरूप गुप्त
रोशन जमां खां
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसैन
लाखन दास जाटव
लालबहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टण्डन
लीलाधर अस्थाना
लुत्फ अली खां
लोटनराम
वंशीधर मिश्र
विजयानन्द मिश्र
विद्याधर बाजपेयी
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी
विश्वनाथ प्रसाद
विश्वनाथ राय
विष्णुशरण दुब्लिश
वीरेन्द्रशाह
वेंकटेश नारायण तिवारी

शंकर दत्त शर्मा
शान्ति प्रपन्न शर्मा
शिव कुमार पाण्डे
शिवकुमार मिश्र
शिव दयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिवमंगल सिंह कपूर
श्यामलाल वर्मा
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द सिंघल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सरवत हुसैन
सलीम हामिद खां
साजिद हुसैन
सिंहासन सिंह
सीताराम अस्थाना
सुदामा प्रसाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सुल्तान आलम खां
सूर्य प्रसाद अवस्थी
सईद अहमद
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हबीबुर्रहमान खां
हरगोविन्द पन्त
हरप्रसाद सत्यप्रेमी
हसरत मोहानी
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल
हैदर बख्श

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १२ जनवरी, १९५० ई०

तारांकित प्रश्न

कोआपरेटिव सोसाइटी की सदस्यता के लिये नियम

*१—श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि कितने प्रतिशत मेम्बर हो जाने पर किसी जगह पर कोआपरेटिव सोसाइटी बन सकती है ?

माननीय उद्योग सचिव (श्री केशव देव मालवीय)—कम से कम १० सदस्यों की एक सहकारी समिति रजिस्टर की जा सकती है। उपभोक्ता सहकारी स्टोरों को अपने कार्य क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिनिधि बनाने और अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से यह विभाग ऐसे स्टोरों के लिए यह जोर देता है कि रजिस्टरी के पहले से अधिक से अधिक सदस्य भर्ती कर लें।

*२—श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या यह सही है कि चाहे जितने कम प्रतिशत मेम्बर हों, किसी भी कोआपरेटिव सोसाइटी को राशनिंग की दूकान दी जा सकती है?

माननीय उद्योग सचिव—उपभोक्ता सहकारी स्टोरों को साधारणतः खाद्यान्न की राशनिंग की दूकानें तब दी जाती हैं जबकि उस सब-एरिया के कार्ड रखने वालों के पच्चीस प्रतिशत उसके सदस्य हों और जबकि जिला अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि वे स्टोर खाद्यान्न वितरण का कार्य कुशलतापूर्वक चला सकेंगे।

*३—श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या इन कोआपरेटिव सोसाइटियों को इस बात का हक है कि वे किसी भी कार्ड होल्डर को किसी समय भी राशन देना बन्द कर दें ?

माननीय उद्योग सचिव—नहीं।

१३५६ फसली में देवरिया जिले में खेती की पैदावार एवं अकाल से उत्पन्न स्थिति के विषय में पूछताछ

*४--श्री रोशन जमां खां--(क) क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि १३५६ फस्ली मे देवरिया जिले मे खेती होने वाली जमीन मे कितने एकड मे अनाज, कितने मे ईख और कितने मे दूसरी फसले पैदा की गयी ?

(ख) खरीफ और रबी की अलग-अलग कितने एकड़ भूमि मे खेती की गयी थी?

(ग) इस जिले की जन-संख्या कितनी है ?

(घ) एक व्यक्ति पर औसतन कितनी अनाज पैदा करने वाली जमीन पडती है ?

(ङ) इस जिले मे औसत पैदावार प्रति एकड़ क्या है ?

(च) इस वर्ष अनाज औसत पैदावार प्रति एकड़ क्या हुई है ?

(छ) इस वर्ष यानी १३५६ फस्ली मे रबी की औसत पैदावार प्रति एकड़ कितनी हुई है ?

माननीय माल सचिव (श्री हुकुमसिंह)--(क) १३५६ फस्ली मे देवरिया जिले में खेती होने वाली जमीन पर निम्नलिखित क्षेत्रो मे अनाज, ईख तथा दूसरी फसले पैदा की गई--

अनाज	ईख	दूसरी वस्तुएं
११,९६,५६१ एकड़	१,१५,३९१ एकड़	५५,७६७ एकड़

(ख) खरीफ १३५६ फसली में ८,२०,६१५ एकड़ पर तथा रबी मे ५,४७,१०४ एकड़ भूमि में खेती की गई।

(ग) इस जिले की जन-संख्या १९,६५,५३१ है।

(घ) एक व्यक्ति पर औसत न॰ ५३८ एकड अनाज पैदा करने वाली जमीन पडती है।

(ङ) इस जिले मे औसत पैदावार १० मन फी एकड है।

(च) १३५६ फसली मे इस जिले मे अनाज की औसत पैदावार ६ १/४ मन फी एकड हुई।

(छ) १३५६ फसली रबी में ६ मन प्रति एकड की औसत पैदावार हुई है।

श्री रोशन जमां खां--देवरिया जिले का जहा तक ताल्लुक है, क्या सरकार यह बतलायेगी कि वह जिला गल्ले के लिहाज से डिफीसिट (कमीवाला) एरिया है ?

माननीय माल सचिव--मेरा ख्याल है डिफीसिट एरिया है।

श्री रोशन जमां खां--सरकार ने देवरिया जिले मे गल्ले की कमी को पूरा करने के लिये क्या-क्या यत्न किये हैं ?

माननीय माल सचिव--पैदावार बढ़ाने की तरकीब करती है।

माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--और समय-समय पर जब गल्ले की कमी रही है वहां गल्ला भेजा गया है।

*५--श्री रोशन जमां खां--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस वर्ष इस जिले में रबी की फसल रुपये में बारह आने से अधिक मारी गयी थी ?

माननीय माल सचिव--यह गलत है। इस जिले में केवल ३७ गावों मे रबी की फसल को आठ आना से ज्यादा नुकसान हुआ।

श्री रोशन जमां खां--क्या १३५६ की रबी की फ़सल के बारे में सरकार को डिस्ट्रिक्ट एग्रीकलचरल डिपार्टमेंट ने कुछ कम्यूनिकेशन भेजा था ?

माननीय माल सचिव--नोटिस की जरूरत है।

श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि जब देवरिया जिला डिफीसिट एरिया माना जाता है तो वहां प्रोक्योरमेंट स्कीम में गल्ला लिया गया या नहीं ?

माननीय अन्न सचिव-- नहीं ।

श्री रोशन जमां खां--क्या ९ जुलाई, १९४९ ई० को १३५६ में देवरिया जिले में रबी की फसल मारे जाने के बारे में एक डेप्यूटेशन माननीय प्रधान सचिव से मिला था ?

माननीय प्रधान सचिव--(श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)--तारीख तो मुझे याद नहीं, कुछ लोग मिले थे, उसे डेप्यूटेशन कहा जा सकता है। उनसे बातें भी हुई थीं और समझा भी गया था कि उनके जो ख्यालात हैं वे गलत हैं। उनकी समझ में भी आ गया था, लेकिन बाहर जा कर फिर उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू कर दी।

श्री रोशन जमां खां--क्या उस डेप्यूटेशन ने माननीय प्रधान सचिव से एक नान अफिशियल इन्क्वायरी करने की मांग की थी ?

माननीय प्रधान सचिव--मांग कहिये या दरख्वास्त कहिये जो कहिये, कुछ किया था, लेकिन गैर जरूरी समझा गया। जहां कहीं रेमीशन वगैरह का सवाल उठे और अगर नान आफिशियल इन्क्वायरी होने लगे तो उन्हें वक्त न मिले। आफिशियल्स ने बहुत लिबरली सारा काम किया और देखा और उनकी जो सिफारिशें थीं उन पर अमल किया गया। वहां चीप ग्रेनशाप्स खोले गये और वहां कोर्स ग्रेन्स रक्खे गये, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था।

*६--श्री रोशन जमां खां--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिले में अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है ?

माननीय माल सचिव--इस जिले में अकाल की स्थिति नहीं है।

*७--श्री रोशन जमां खां--क्या यह सच है कि जिले भर में आमतौर से ३२ रु० मन चावल और ३० रुपया मन से कम पर गेहूं नहीं मिल रहा है ?

माननीय माल सचिव--जी नहीं।

*८--श्री रोशन जमां खां--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सन् १९४७ ई० की बरसात में बिसनपुरा थाने के बतरौली धुरखडवा के श्री रोशन जी (हरिजन) भूख से पीड़ित होकर मर गये थे ?

माननीय माल सचिव--जी नहीं। श्री रोशन की मृत्यु साधारण तौर पर बुखार के कारण हुई।

*९--श्री रोशन जमां खां--उस वर्ष और कितने लोग भूख से पीड़ित होकर मरे थे ?

माननीय माल सचिव--कोई भी मनुष्य भूख से पीड़ित होकर इस जिले में नहीं मरा।

*१०--श्री रोशन जमां खां--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष भी वैसी ही स्थिति पैदा हो गयी है ?

माननीय माल सचिव--जी नहीं।

*११--श्री रोशन जमां खां--अकाल से बचाने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

माननीय माल सचिव--यह सवाल नहीं पैदा होता।

*१२--श्री रोशन जमां खां--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गांव में ८० प्रतिशत लोगों के पास न तो अनाज है और न खरीद कर खाने के लिए पैसा है ?

माननीय माल सचिव--ऐसे लोगों की संख्या लगभग नहीं के बराबर है।

*१३-१५--श्री रोशन जमां खां--[स्थगित किए गए]

जिला देवरिया में गेहूं के बीज के दाम

*१६--श्री रोशन जमां खां--गेहूं के बीज का दाम इस समय किस दर से लिया जा रहा है और दो महीना पहिले किस दर से लिया जा रहा था ?

माननीय कृषि सचिव (श्री निसार अहमद शेरवानी)--मई सन् १९४९ ई० को बीज गोदाम बन्द कर दिये गये थे और गेहूं के बीज के बारे जितना रुपया बाकी था, जून, जुलाई और अगस्त माह में नकदी के रूप में निम्नलिखित दर से जमा कर लिया गया--

(क) बाजार दर तथा उसके ऊपर १२ १/२ प्रतिशत दन्ड।

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित दर तथा उसके ऊपर ५० प्रतिशत दन्ड।

बाजार में थोक बिक्री की दर प्रति मन, जून जुलाई और अगस्त माह में इस प्रकार थी --

	रु० आ० पा०
जून	२०--९--११
जुलाई	२०--६--२
अगस्त	१९--४--१

इस समय सरकार द्वारा लिये गए एफ० ए० क्यू० गेहूं की सबसे ऊंची दर १३ रु० प्रति मन थी।

जिला देवरिया में बीज तथा तकावी की वसूली

*१७--श्री रोशन जमां खां--बीज की वसूली में कितनी वारन्ट गिरफ्तारी और कुर्की जारी की गयीं ?

माननीय माल सचिव--बीज की वसूली के सिलसिले मे २१ वारन्ट गिरफ्तारी और ८२ वारन्ट कुर्की के जारी किए गए।

*१८--श्री रोशन जमां खां--क्या सरकार को ज्ञात है कि बीज और तकावी की वसूली में भारी कठिनाई पड़ रही है ?

माननीय माल सचिव--बीज तथा तकावी की वसूली में कोई असाधारण कठिनाई नहीं पड़ी।

*१९--श्री रोशन जमां खां--क्या सरकार इस सम्बन्ध में वसूली स्थगित करने का आदेश देने का विचार रखती है ?

माननीय माल सचिव--सरकार इस सम्बन्ध में सामान्य तौर पर वसूली स्थगित करने का आदेश देने का विचार नहीं रखती, परन्तु उन व्यक्तियों के लिये जिन्हें कोई विशेष कठिनाई पड़ती है सरकार माफी देने या वसूली स्थगित करने के प्रश्न पर हमेशा हमदर्दी से गौर करती है।

जिला देवरिया में खेती के योग्य परती जमीन

*२०--श्री रोशन जमां खां--जिले भर में कितनी जमीन ऐसी है जिस में खेती हो सकती है लेकिन वह परती है ?

माननीय माल सचिव--इस जिले में १,१८,८४३ एकड़ कृषि योग्य भूमि परती पड़ी है। कलेक्टर देवरिया को लैंड यूटिलाइजेशन ऐक्ट, १९४८ के अनुसार इस भूमि पर खेती कराने का नियमानुसार प्रबन्ध करने का आदेश दिया गया है।

रियासत कुंडवां तमकोही सलेमगढ़, पडरौना में परती जमीन

*२१--श्री रोशन जमां खां--रियासत कुंडवां, तमकोही, सलेमगढ़ तथा पडरौना में कितनी जमीन जिस में पहले खेती होती थी, इस समय परती पड़ी हुई है ?

माननीय माल सचिव--रियासत तमकोही में कोई भी भूमि परती नहीं पड़ी है। कुंडवां सेलेमगढ़ तथा पडरौना रियासतों में ६१०, १७३ और १, ०९४ एकड़ भूमि क्रमशः परती पड़ी है।

*२२—श्री रोशन जमा खां—क्या यह सच है कि उक्त रियासतों के मालिकान ने इरादतन इन खेतों को परती छोड़ रखा है ?

माननीय माल सचिव—यह सर्वथा सत्य नहीं है कि उक्त रियासतों के मालिकान ने इरादतन इन जमीनों को परती छोड़ दिया है। इसमें से बहुत सी जमीन इस वास्ते परती पड़ी है कि रियासत में बद इन्तजामी है या कि मजदूर नहीं मिलते हैं या कि जमींदारों तथा काश्तकारों में कुछ झगड़ा है।

*२३—श्री रोशन जमा खां—यह जमीनें कितने दिन से परती पड़ी हुई हैं ?

माननीय माल सचिव—२३३ एकड़ भूमि तीन साल तक से परती पड़ी है। ५६९ एकड़ भूमि ४ से ६ साल तक से परती पड़ी है और ३० एकड़ ७ साल से ऊपर से परती पड़ी है। इन रियासतों में १,०४५ एकड़ सीर की जमीन भी परती पड़ी है, पर उसकी मुद्दत का ठीक अनुमान नहीं मिल सकता।

श्री रोशन जमा खां—क्या सरकार यह बतलायेगी कि परती जमीनें जो किसानों के साथ तय की गयी हैं उनके लगान की शरह सर्किल रेट के बमूजिब है या उससे ज्यादा रखा गया है ?

माननीय माल सचिव—यह बात बतलाना इस वक्त तो नामुमकिन है लेकिन शरह जो दरमियान फरीकेन तय हुई है वही मुकर्रर हुई है।

तमकोही राज, जिला देवरिया का कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में आना तथा उनसे वहां की खेती तथा मजदूरों पर असर

*२४—श्री रोशन जमा खां—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि तमकोही राज, जिला देवरिया कब से कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में आया है ?

माननीय माल सचिव—तमकोही रियासत, जिला देवरिया कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में १० मई सन् १९४८ ई० से आई है।

*२५—श्री रोशन जमा खां—कोर्ट आफ वार्ड्स में आने के बाद रियासत की आमदनी बढ़ी है या घटी ? यदि बढ़ी है तो कितनी और किन जरियों से और यदि घटी है तो इसके क्या कारण हैं ?

माननीय माल सचिव—जब से यह रियासत कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में आई है इसकी आय २,९६,९०१ रु० से बढ़कर ३,००,०६० रु० हो गयी है और परती जमीन के उठाने से यह इजाफा हुआ है।

*२६—श्री रोशन जमा खां—क्या कोर्ट आफ वार्ड्स खेतों का बन्दोबस्त करते समय किसानों से कोई रकम वसूल करता है। यदि नहीं तो पुराने किसानों को बेदखल करने का क्या प्रयोजन है ?

माननीय माल सचिव—जी नहीं कोर्ट आफ वार्ड्स की तरफ से किसानों की बेदखली बहुत कम होती है और केवल निम्नलिखित अवस्थाओं में होती है—

(१) जब कि किसान लगान नहीं देता।

(२) जब बिला इजाजत जमीन जोत लेता है और लगान देने पर तैयार नहीं होता।

(३) जब कानून के खिलाफ जमीन शिकमी पर उठा देता है।

*२७—श्री रोशन जमा खां—पिछले जून में कितने मुकद्दमे बेदखली के दायर हुए हैं ?

माननीय माल सचिव—गत जून, १९४९ ई० में बेदखली के २५२ मुकद्दमे दायर किये गये।

*२८—श्री रोशन जमा खां—कोर्ट आफ वार्ड्स कितनी जमीन पर खेती करने जा रहा है।

माननीय माल सचिव--ऐसे रक्षितों की तरफ से जो नाबालिग होने या दूसरे कारण से स्वयं जमीन नहीं जोत सकते है कोर्ट आफ वार्ड्स १४३२ एकड भूमि जोत रहा है।

*२९--श्री रोशन जमां खां--उस खेती से अगले वर्ष मे कितना लाभ और व्यय का अनुमान है ?

माननीय माल सचिव--जो भूमि कोर्ट आफ वार्ड्स जोत रहा है उस पर १,४५ ०५२ रुपये का व्यय और ३३,००८ रुपये के लाभ का अनुमान है ।

*३०--श्री रोशन जमां खां--उस खेती पर कितने आदमी काम करेंगे ?

माननीय माल सचिव--१८३२ एकड भूमि पर लगभग १०० मुस्तकिल मजदूर काम करेंगे और आवश्यकतानुसार गैर मुस्तकिल मजदूर रक्खे जायेंगे।

[1]३१--श्री रोशन जमां खां--उस खेती के कोर्ट आफ वार्ड्स मे आ जाने की वजह से कितने मजदूर बेरोजी हो जायेंगे ?

माननीय माल सचिव--कोई भी मजदूर बेरोजी न होगा बल्कि पहले से ज्यादा मजदूर काम मे लगेंगे क्योंकि इस रकबे मे बहुत सी जमीन जो पहले बंजर थी अधिक अन्न पैदा करने की योजना के अनुसार जोती जा रही है।

देवरिया जिले में पुलिस के अमले में वृद्धि

[1]३२--श्री रोशन जमां खां--देवरिया जिले में वर्तमान कप्तान के जमाने मे कितनी डकैतियां। कत्ल, चोरी, बलवे हुये है और इनके पहले के कप्तान के जमाने मे कितने ? दोनों कप्तान कितने दिन तक यहां रहे ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लालबहादुर)--

अफसर का नाम	अवधि	डकैती	हत्या	चोरी	बलवा
पहले के कप्तान	ता० १८-५-४६ से ता० १८-१२-४७ तक	६९	६१	९९५	१५१
इस समय के कप्तान	ता० १५-१२-४७ से ता० २६-८-४९ तक	४५	३२	७१३	२२४

श्री रोशन जमां खां--क्या सरकार यह बतलायेगी कि जिन कप्तान साहब का जिक्र इस सवाल में वर्तमान कप्तान से किया गया है वह अब भी मौजूद है या उनका तबादला हो गया है ?

माननीय पुलिस सचिव--उनका तबादला हो गया है ।

*३३--श्री रोशन जमां खां--कितने पुलिस के अफसर इस वक्त पहिले से बढ़ाये गये है?

माननीय पुलिस सचिव--मांगी गई सूचना साथ की सूची में दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५२९ पर)

जिला देवरिया में यू० पी० शुगर कम्पनी लिमिटेड के फार्मों के बारे में पूछताछ

*३४--श्री रोशन जमां खां--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि बभनौली, बैकुंठपुर सपहा और डोमांठ जिला देवरिया में यू० पी० शुगर कम्पनी लिमिटेड के फार्म कितने एकड के है ?

माननीय उद्योग सचिव--

बभनौली फार्म	१२३८.७५	एकड
बैकुंठपुर फार्म	५६३.७७	एकड
सपहा फार्म	५०३.१५	एकड
डोमांठ फार्म	४३२.७५	एकड

*३५--श्री रोशन जमा खां--इस में कितने मजदूर काम करते है ? क्या इनका कोई संघ है ?

माननीय उद्योग सचिव--इन फार्मों में ३६१ मजदूर काम करते है और इनका एक संघ भी है ।

*३६--श्री रोशन जमा खां--यदि हां तो क्या यह संघ ट्रेड यूनियन के आधार पर संगठित है ?

माननीय उद्योग सचिव--यह संघ भारतीय ट्रेड यूनियन ऐक्ट, १९२६ ई० के अन्तर्गत प्रमाणित है ।

*३७--श्री रोशन जमां खां--क्या इसके सम्बन्ध में कोई एवार्ड भी हुआ है ?

माननीय उद्योग सचिव--जी हां ।

*३८--श्री रोशन जमा खां--क्या यह सच है कि जिले भर में यही एक खेतिहर मजदूरों का संघ संगठित है ?

माननीय उद्योग सचिव--जी हां ।

*३९--श्री रोशन जमां खां--इस फार्म से इस वर्ष कितनी जमीन ले ली गई ?

माननीय उद्योग सचिव--३० जुन १९४९ के बाद इस फार्म से १०६३.३१ एकड़ जमीन वापिस ले ली गई ।

*४०--श्री रोशन जमा खां--यह ली हुई जमीन किसे दी जा रही है ?

माननीय उद्योग सचिव--यह ली हुई जमीन तमकोही राज्य को वापस दे दी गई है।

*४१--श्री रोशन जमां खाँ--इस जमीन के ले लेने की वजह से कितने मजदूर बेरोजी के हो रहे हैं ?

माननीय उद्योग सचिव--९६ मजदूर।

*४२--श्री रोशन जमां खां--इस प्रकार बेरोजी के मजदूरों के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

माननीय उद्योग सचिव--इन निकाले हुये मजदूरों के नाम कोर्ट आफ़ वार्ड्स तमकोही के स्पेशल मैनेजर के पास भेज दिये गये थे । सरकार को आशा है कि उनमें से बहुत मजदूर कार्य में लग गए होंगे ।

*४३--श्री रोशन जमां खां--इस फार्म ने अपनी खेती की जमीन के कितने अंश में अनाज की खेती और कितने में ईख की खेती की है ?

माननीय उद्योग सचिव--लगभग ७९७.१७ एकड़ में ईख की खेती और ९३५.१६ एकड़ में अनाज की खेती की गई है ।

*४४--श्री रोशन जमां खां--क्या सरकार यह जानती है कि इस जिले में अनाज की कमी रहती है और है ?

माननीय उद्योग सचिव--जी हां ।

*४५--श्री रोशन जमां खां--किन-किन फ़ैक्टरियों के पास कितने-कितने किसानों की ईख का दाम बाकी है ?

माननीय उद्योग सचिव--निम्नलिखित फैक्टरियों के पास किसानों के ईख के दाम बाकी हैं --

१--फरेंदा	४३	किसान
२--लक्ष्मी गंज	१२	
३--रामकोला पंजाबी	३६०	
४--पडरौना	३१४	
५--कठकुइयां	५००	
६--सिसवां	४५०	
७--घुघुली	३००	
८--सिसवां बाजार	२००	
९--छितौनी	१५७	
१०--कैप्टनगंज	३१४	
११--पिपराइच डायमन्ड	३००	
१२--गौरी बाजार	९२	
१३--प्रतापपुर	२१०	
१४--भटनी	१५०	
१५--देवरिया	७१८	

श्री रोशन जमां खां--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन जिन किसानों का रुपया जिन फैक्टरियों के जिम्मे बाकी है उसकी वसूली के लिये सरकार ने क्या-क्या प्रयत्न किया है ?

माननीय उद्योग सचिव--सरकार ने बहुत प्रयत्न किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस वक्त मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं शायद इसमें से बहुत से किसानों को दाम मिल गये होंगे।

सूबे के किसानों में गल्ला वसूली की योजना से असन्तोष

*४६--श्री वंश गोपाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी तक सूबे में गल्ला वसूली की योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्ति पकड़े गये, कितनों पर मुकद्दमे चले, कितनों पर जुर्माना हुआ और कितनों को जेलखाने की सजा हुई ?

माननीय अन्न सचिव--एक नक्शा माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५३२ पर)

श्री रोशन जमां खां--क्या सरकार ने भी इस बात की भी जांच की है कि यह जो गिरफ्तारियां या दूसरी बातें हुई हैं उसके बारे में सरकारी अफ़सरों ने कहां तक गलती की ?

माननीय अन्न सचिव--जहां जहां से इस सिलसिले में शिकायत आई सरकार ने उन शिकायतों के सम्बन्ध में इन्क्वायरी कराई। कहीं अगर किसी अफसर की गलती सरकार को मालूम हुई तो सरकार ने उन सरकारी अफसरों को या तो ताक़ीद की, या सख्त हिदायत दी या उनके कैरेक्टर रोल में कुछ बातें लिख दी गईं।

*४७--श्री वंश गोपाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार को इस बात का पता है कि गल्ला वसूली नीति के कारण सूबे के किसानों में बहुत असन्तोष फैल गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको दूर करने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है ?

माननीय अन्न सचिव--सरकार इस सत्यता से भिज्ञ है कि किसानों के एक तबके ने अनिवार्य सरकारी गल्ला वसूली को नापसन्द किया। सरकार उनकी आपत्तियों को यथासंभव दूर करने के उपायों पर विचार कर रही है।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ४६-४८ श्री रोशन जमां खां ने

*४८--श्री वंशगोपाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार खरीफ की फसल में भी गल्ला वसूल करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो यह योजना कब तक चलेगी?

माननीय अन्न सचिव--हां, काम प्रारम्भ हो ही चुका है।

पिछले दो आर्थिक वर्षों में सेक्रेटेरियट में अवैतनिक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति

*४९--श्री खुशवक्त राय--(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले दो आर्थिक वर्षों में सेक्रेटेरियट में कितने अवैतनिक विशेष अधिकारी (आनरेरी आफिसर्स औन स्पेशल ड्यूटी) नियुक्त किये गये? उनके नाम क्या हैं और उनकी नियुक्ति किन कामों के लिए की गई?

(ख) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इन अधिकारियों को काम करने के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गयी हैं?

(ग) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इन अधिकारियों ने पिछले दो आर्थिक वर्षों में प्रतिमास कितना मार्ग-व्यय (भत्ता) लिया?

माननीय प्रधान सचिव--(क) पिछले दो आर्थिक वर्षों में निम्नलिखित तीन अवैतनिक विशेष कार्याधिकारी सेक्रेटेरियट में नियुक्त किये गये।

१--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी विशेष कार्याधिकारी, गृह विभाग। माननीय सचिव को राजनैतिक पीड़ितों से सम्बन्धित कार्य में सहायता देने के लिये।

२--श्री गोपीनाथ दीक्षित, अवैतनिक प्राविन्शियल आर्गेनाइजर पंचायत, युक्त-प्रान्तीय पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत पंचायतें संगठित करने के लिये।

३--श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा, एम० एल० ए० अवैतनिक विशेष कार्याधिकारी, शिक्षा विभाग। शहरों में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा आरम्भ करने उसको बदलने तथा उसका प्रसार करने के लिये और स्कूली पुस्तकों के प्रकाशन के लिये।

(ख) इन्हें नीचे लिखी सुविधायें दी गईं--

१--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--

(अ) मुफ्त रहने की जगह या उसके बदले १५० रु० प्रतिमास मकान किराये का भत्ता।

(ब) सरकारी कार्य के लिये स्टाफ़ कार का उपयोग।

(स) कार के चलाने के खर्च तथा उसकी देखरेख के लिये १५० रु० प्रतिमास का भत्ता।

२--श्री गोपीनाथ दीक्षित--

(अ) स्टाफ कार का उपयोग।

(ब) कार चलाने के तथा दूसरे खर्चों के लिये ४५० रु० प्रतिमास का भत्ता।

३--श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा--

(अ) हेडक्वार्टर में रहने के समय तथा दौरे पर वही भत्ता जो व्यवस्थापिका सभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के किसी सदस्य को सभा की बैठक के दिनों में मिलता है।

(ब) दफ्तर के लिये ३० रु० मासिक किराये पर मकान।

(ग) इन अफसरों को निम्नलिखित सफर भत्ता प्रतिमास दिया गया—

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी	रु० आ० पा०	श्री गोपीनाथ दीक्षित	श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा	रु० आ० पा०
मार्च १९४८ ई०	१७२ ० ०	कोई सफर	मई–जून १९४८ ई०	७६९ ९ ०
		भत्ता नहीं	जुलाई ,,	५३४ ० ०
		दिया गया	अगस्त ,,	४२६ ५ ०
मई ,,	१८२ ० ०		सितम्बर ,,	४८५ १० ०
अगस्त ,,	१५८ ८ ०		अक्तूबर ,,	२४० १४ ०
अक्तूबर ,,	२४५ २ ०		नवम्बर ,,	५४६ १३ ०
नवम्बर ,,	३०० १ ०		दिसम्बर ,,	४६१ ५ ०
दिसम्बर ,,	५८ २ ०		जनवरी १९४९ ई०	३८३ ११ ०
			फरवरी ,,	५१७ १३ ०
			मार्च ,,	४०२ १ ०
योग	१०२० १३ ०		योग :—	४८९८ १

अन्न उगाही योजना पर सरकारी व्यय

*५०—श्री खुशवक्त राय—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष की अन्न उगाही योजना के अन्तर्गत कितना कितना गेहूं, जौ व चना एकत्रित किया गया ?

(ख) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस अन्न उगाही योजना पर सरकार ने कुल कितना रुपया व्यय किया ?

माननीय अन्न सचिव—(क) गेहूं १,५०,३४१ टन
चना १,४७,०८४ टन
जौ २७,२६८ टन

(ख) ११,६८,६९,०५८ रु० खर्च हुआ है।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गेहूं, चना व जौ पर प्रति मन उनके प्राप्त करने में कितना खर्च हुआ ?

माननीय अन्न सचिव—यही आंकड़े जो दिये गए हैं इनको जोड़ लिया जाय तो आप हिसाब निकाल सकते है।

श्री खुशवक्त राय—अध्यक्ष महोदय, इसमें जो आंकड़े दिये गए हैं उसमें गेहूं, चना, जौ पर अलग–अलग कितना खर्च हुआ ? यह मैं जानना चाहता हूं ?

माननीय अन्न सचिव—अलग–अलग खर्च का सवाल नहीं उठता है क्योंकि जो खरीदारी होती है वह एजेंटों के द्वारा होती है और जो अफसर गेहूं के लिये नियुक्त किये जाते हैं उन्हीं के द्वारा चना व जौ की भी खरीदारी होती है, इसलिये अलग–अलग यह आंकड़े नहीं निकाले गए हैं कि गेहूं और चना, जौ पर कितना खर्च हुआ। बहरहाल जो आंकड़े दिए गए हैं अगर उनको जोड़ लिया जाय और जितना रुपया खर्च हुआ है उस से उसको भाग कर लें तो उनको पता चल सकेगा कि प्रति मन कितना खर्च हुआ।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार कृपा करके बतलाएगी कि गेहूं, चना व जौ की खरीदारी में अलग-अलग कितना खर्च हुआ ?

माननीय स्पीकर--इसका जवाब दे दिया गया है। अभी उन्होंने जवाब दिया है कि जितने कार्यकर्ता है वे खरीदारी का काम एक साथ करते है। इसी मे जवाब आ गया।

श्री रोशन जमां खां--क्या सरकार यह बतलायेगी कि ग्रेन प्रोक्योरमेंट का जो खर्च बतलाया गया है उसमे रेवेन्यू विभाग के उन अफिसर्स की तनख्वाहें भी शामिल है मसलन पटवारी कानूनगो वगैरा कि जिन्होंने गल्ला वसूली में काम किया है ?

माननीय अन्न सचिव--नहीं।

श्री रोशन जमा खां--क्या सरकार यह बतलाएगी कि अगर इन खर्चों को भी उसी खर्च मे जोड़ दिया जाय तो ग्रेन प्रोक्योरमेंट पर कुल खर्च फी मन के हिसाब से कितना हुआ ?

माननीय अन्न सचिव--पटवारी और दूसरे अफसर कि जिनका जिक्र किया गया, वह अलावा ग्रेन प्रोक्योरमेंट के काम के और भी काम करते है उनका मुख्यतः दूसरा काम रहता है इसलिए वह खर्च जो पटवारियों वगैरा पर होता है उस खर्च के आंकडे इस खर्च में नहीं जोडे गए हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलावेगी कि इस खर्च में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एस० डी० ओ० व तहसीलदार वगैरा को जो भत्ता दिया गया है, क्या वह इसमें शामिल नहीं है ?

माननीय अन्न सचिव--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरा पर जो खर्च हुआ है वह शायद इस में शामिल न होगा। मै ऐसा अनुमान करता हूं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या यह भी सही है कि एस० डी० ओ० तहसीलदार वनायब तहसीलदार का भी भत्ता व तनख्वाह इसमें शामिल नहीं है ?

माननीय अन्न सचिव--मै इसका नोटिस चाहता हूं।

*५१-५२-श्री राम जी सहाय--[स्थगित किये गए।]

न्यू काउन्सिलर्स रेजिडेंस, लखनऊ में पानी की कुव्यवस्था

*५३--श्री फखरुल इस्लाम--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इसका क्या कारण है कि न्यू काउन्सिलर्स रेजिडेंस मे पानी म्युनिसिपल बोर्ड लखनऊ से नहीं लिया जाता और इसका सरकार स्वयं प्रबन्ध करती है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव के सभामन्त्री (श्री लताफत हुसैन)--लखनऊ वाटरवर्क्स में पानी की कमी की वजह से काउन्सिलर्स रेजीडेंस में पानी म्युनिसिपल बोर्ड से नहीं लिया गया और सरकार इसका खुद इन्तिजाम करती है।

*५४--श्री फखरुल इस्लाम--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पिछले १८ महीने में न्यू काउन्सिलर्स रेजिडेंस का पम्पिंग स्टेशन कितनी बार और कब कब फेल हुआ और प्रत्येक बार कितने घंटे तक पानी की सप्लाई बन्द रही ?

श्री लताफत हुसैन--इसके बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है। जब कभी पम्प फेल हुआ उसको फौरन ही ठीक कराया गया और आदमियों के जरिये पानी पहुंचाने का मुनासिब इन्तिजाम किया गया।

श्री फखरुल इस्लाम--क्या सरकार बतायेगी कि ऐसा मोटर क्यों फिक्स किया गया है कौंसिलर्स रेजीडेंस में जो बार बार खराब होता है और जिससे पानी नहीं मिलता है ?

श्री लताफत हुसैन--मशीन पर किसी का एतबार नहीं होता लेकिन जहां तक हो सकता है इंतजाम किया जाता है और अगर खराबी होती है तो ठीक कर दी जाती है।

श्री फज़लुल इस्लाम--क्या सरकार जानती है कि जो मोटर लगाया गया है वह बहुत खराब और पुराना है और जिसकी वजह से वह बार-बार फेल हो जाता है?

श्री लताफत हुसैन--ऐसी कोई इत्तिला सरकार के पास नहीं है कि वह बेकार है, अगर बेकार होता तो उसे नहीं लगाया जाता।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार को मालूम है कि इसी तरह का पम्प पुराने काउन्सिलर्स रेजीडेन्स में भी लगा हुआ है वहां कभी कोई शिकायत नहीं हुई?

श्री लताफत हुसैन--जी हां, ठीक है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार बतलायेगी कि इस मुसीबत को दूर करने के लिये और मुस्तकिल पानी की सप्लाई का सरकार ने कोई इंतजाम किया है या नहीं?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)--नम्बर ५५ का जवाब देख लीजिये।

५५--श्री फज़लुल इस्लाम--इसके सुधार के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री लताफत हुसैन--एक ट्यूब वेल का इन्तिजाम किया गया है जो करीब करीब तय्यार होने को है उस समय तक जब तक ट्यूब वेल तैयार हो पानी पहुंचाने का आरजी इन्तिजाम किया गया है। उसके अलावा एक और पम्प लगा दिया है ताकि वक्त जरूरत पर उससे काम लिया जा सके।

बदायूं, एटा आदि जिलों में यादव जाति को जरायम पेशा करार देने के विषय में सरकारी नीति

*५६--श्री भारत सिंह यादवाचार्य (अनुपस्थित)--क्या बदायूं, एटा, फर्रुखाबाद और मैनपुरी जिलों में सरकार यादव (अहीर) जाति को जरायम पेशा करार देने का विचार कर रही है?

माननीय प्रधान सचिव--जी नहीं।

*५७--श्री भारतसिंह यादवाचार्य (अनुपस्थित)--यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

माननीय प्रधान सचिव--यह प्रश्न नहीं उठता।

सेक्रेटेरियट के चपरासियों की संख्या एवं उनके लिए क्वार्टरों का प्रबन्ध

*५८--श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेक्रेटेरियट में कुल चपरासियों की संख्या कितनी है?

श्री लताफत हुसैन--६६१।

*५९--श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन चपरासियों के निवास करने के लिए कितने सरकारी क्वार्टर हैं और इस समय उनमें कितने चपरासी निवास करते हैं?

श्री लताफत हुसैन--१३७ सरकारी क्वार्टर है और उनमें १४१ चपरासी रहते हैं।

*६०--श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--क्या सरकार को यह मालूम है कि इस समय लखनऊ में किराये पर मकान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन तथा खर्चीला है?

श्री लताफत हुसैन--जी हां।

*६१—श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या बड़े बड़े शहरों में चपरासियों को मकान का भत्ता दिया जाता है ? यदि हां तो सेक्रेटेरियट के उन चपरासियों को जिन्हें सरकारी क्वार्टर नहीं दिये जा सके हैं, मकान का एलाउन्स क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री लताफत हुसैन—जी नहीं।

*६२—श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार सेक्रेटेरियट के चपरासियों के निवास करने के लिये कोई प्रबन्ध करने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

श्री लताफत हुसैन—जी हां, जैसे ही कोई ठिकाने की जमीन चपरासियों के क्वार्टर बनाने लायक मिल जाय।

शिक्षा विभाग के जिला इन्सपेक्टरों के अन्तर्गत हरिजन अध्यापकों का अनुपात

*६३—श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा विभाग के जिला इन्स्पेक्टरों के अन्तर्गत राजकीय स्कूलों में जिलेवार कितने अध्यापक लिये जा चुके हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ?

*६४—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष (सन् १९४८–४९ ई०) राजकीय पाठशालाओं के लिए जिलेवार कितने हेड मास्टरों का चुनाव हुआ है और उन में कितने हरिजन हैं ?

माननीय शिक्षा सचिव के सभा मंत्री (श्री महफूजुर्रहमान)—एक सूची जिसमें जिलेवार सूचना दी गयी है माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५३३ पर)

*६५–६७—श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये।]

जिला आजमगढ़ के गांधी हरिजन गुरुकुल को सरकारी सहायता

*६८—श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला आजमगढ़ में एक गांधी हरिजन गुरुकुल चल रहा है ?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हां

*६९—श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह श्री गांधी गुरुकुल को सालाना कितनी सहायता देती है ?

श्री महफूजुर्रहमान—यह संस्था अस्वीकृत होने के कारण कोई नियत वार्षिक सहायता नहीं पा रही है। इसकी स्वीकृति का प्रश्न विचाराधीन है। इस संस्था को ६६,००० रु० का अस्थायी अनुदान गत वर्ष दिया गया था।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह प्रश्न जो विचाराधीन है इसकी स्वीकृति का कब तक निर्णय हो जावेगा ?

श्री महफूजुर्रहमान—वहां टीचरों की ट्रेनिंग के वास्ते स्कूल खोला गया था और जब डिपार्टमेंट को इतमीनान हो जायगा कि वह ठीक काम कर रहा है तो उस वक्त उसको रिकगनाइज कर लिया जायगा।

*७०—श्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक नयी स्कीम के अन्तर्गत जिलेवार कितनी राजकीय पाठशालायें गांवों से अलग बसी हुई हरिजन बस्तियों में बन चुकी हैं ?

(ख) क्या सरकार उन बस्तियों का नाम और पता बताने की कृपा करेगी ?

नोट—प्रश्न संख्या ६३–६४ तथा ६८–७० श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य ने पूछे।

श्री महफूजुर्रहमान--एक सूची जिसमें जिलेवार सूचना दी गयी है माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५३३ पर)

पोलीभीत इत्यादि में शराब की दूकानों की बिक्री तथा नीलाम

*७१--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत, देशनगर, खकरा, पकरिया व सराय की शराब की दूकानों पर सन् १९४७-४८ ई० में कितने गैलन शराब की बिक्री हुई ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मन्त्री (श्री चरण सिंह)--सन् १९४७-४८ ई० में पीलीभीत शहर की शराब की दूकानों पर निम्नलिखित बिक्री हुई--

देशनगर	..	३,६५० गैलन
खकरा	..	१,३१२ गैलन
पकरिया	..	३,०८० गैलन
सराय	..	३,१७२ गैलन

*७२--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या यह सच है कि देशनगर वाली शराब की दूकान सन् १९४७-४८ ई० में ४३,००० रु० में और सन् १९४८-४९ ई० में ३९,००० रु० को नीलाम की गयी ?

श्री चरण सिंह--जी हां, यह सच है।

*७३--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या यह सच है कि १९४८-४९ ई० में पकरिया और सराय वाली शराब की दूकानों के नीलाम की बोली क्रमशः ३७००० रु० और ३६,००० रु० तक आयी परन्तु फिर भी इन का नीलाम स्थगित कर दिया गया ; यदि हां तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री चरण सिंह--यह सच है कि सन् १९४८-४९ ई० में पकरिया की शराबवाली दूकान की सब से अधिक बोली ३७००० रु० तथा सराय की ३६,००० रु० की हुई परन्तु १९४७-४८ की अपेक्षा यह बोलियां बहुत कम थीं अतएव नीलाम स्थगित कर दिया क्योंकि इससे सरकार को हजारों रुपये की हानि थी। सन् १९४७-४८ में यह दूकानें क्रमशः ४४,००० रु० और ४५,००० रु० में नीलाम हुई थीं। परिवर्तित नीलाम में यह दूकानें क्रमशः ४७,००० रु० और ५१,००० रु० में सबसे अधिक बोली बोलने वालों के नाम नीलाम कर दी गई।

*७४--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या यह सच है कि सन् १९४८-४९ ई० में खकरा पकरिया सराय और बिठौरा की शराब की दूकानों की बोली एक साथ ली गयी और नीलाम बोली बोलने वाले व्यक्ति के नाम खतम कर दिया गया और बाद को बोली बोलने वाले के बताए हुये व्यक्तियों के नाम उपरोक्त चार दूकानों पर अलग अलग लिख दिये गये ? यदि हां तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री चरण सिंह--अन्य जिलों के ठेकेदारों में से किसी एक ने खकरा पकरिया सराय और बिठौरा शराब की दूकानों की एक बोली सवा लाख रु० की दी परन्तु उसकी बोली नहीं मानी गई और ठेकेदारों से हर दूकान के लिये पृथक-पृथक बोली बोलने को कहा गया। तब ठेकेदारों ने अलग अलग बोलियां बोलीं।

*७५--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या यह सच है कि एक ठेकेदार ने उक्त नीलाम के बाद शीघ्र ही जिलाधीश को शिकायत लेकर खुली जांच की और नीलाम स्वीकार न करने की प्रार्थना की किन्तु वह प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी ?

श्री चरण सिंह--जी हां यह सच है कि एक ठेकेदार ने उक्त नीलाम के पश्चात् जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र देकर जांच करने और नीलाम स्वीकार न करने की

प्रार्थना की थी पर यह प्रार्थना जिलाधीश द्वारा भली प्रकार जांच करने और प्रार्थी के वकील को सुनने के पश्चात उक्त शिकायत को निराधार पाया गया। अत: प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई।

*७६--श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या यह सच है कि उक्त ठेकेदार ने उपरोक्त मामले में जांच के लिए लिखित शिकायत प्रधान सचिव, मादक-कर सचिव, एक्साइज कमिश्नर और स्थानीय भ्रष्टाचार निरोधक समिति को भी भेजी थी? क्या उपरोक्त सचिवों ने या एक्साइज कमिश्नर ने या भ्रष्टाचार निरोधक समिति ने कोई जांच की? यदि की, तो उसका क्या परिणाम निकला?

श्री चरण सिंह--कार्यालय के लेखों से यह विदित होता है कि छोटेलाल नामक एक व्यक्ति ने प्रार्थना-पत्र भेजा था जिस पर जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी गई। एक प्रार्थना-पत्र माननीय प्रधान सचिव के पास भेजा गया जिस पर कमिश्नर बरेली को जांच करके रिपोर्ट देने का आदेश हुआ।

*७७--श्री मुहम्मद असरार अहमद--(क) क्या यह सच है कि माननीय प्रधान मन्त्री ने रुहेलखंड डिवीजन के कमिश्नर के पास जांच करने को आदेश दिया?

(ख) क्या उपरोक्त कमिश्नर महोदय ने कोई जांच की?

(ग) यदि की, तो क्या नतीजा निकला?

श्री चरण सिंह--(क) माननीय प्रधान सचिव ने कमिश्नर बरेली डिवीजन को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया।

(ख) कमिश्नर महोदय ने जांच के पश्चात् माननीय प्रधान सचिव को अपनी रिपोर्ट भेज दी थी।

(ग) उन्होंने माननीय प्रधान सचिव के पास यह रिपोर्ट भेजी कि प्रार्थना-पत्र निराधार है और यह जमा कर दिया जाय।

*७८--श्री मुहम्मद असरार अहमद--(क) क्या यह सत्य है कि एक्साइज कमिश्नर ने ठेकेदार की असल अर्जी जिलाधीश पीलीभीत के पास अपनी रिपोर्ट देने को ९ मार्च, १९४८ ई० को भेजो थी?

(ख) यदि हां तो क्या जिलाधीश ने कोई रिपोर्ट भेजी?

(ग) यदि हां तो क्या और कब?

श्री चरण सिंह--(क) एक प्रार्थना-पत्र श्री छोटे लाल ठेकेदार द्वारा आबकारी कमिश्नर के पास भेजा गया जिसे उन्होंने जिलाधीश पीलीभीत के पास अपने अनुमोदन (एन्डोर्समेन्ट) संख्या ७२९, ता० १४ अगस्त, १९४८ ई० द्वारा रिपोर्ट के लिये भेजा। कोई प्रार्थना-पत्र ९ मार्च, १९४८ ई० को नहीं भेजा गया।

(ख) और (ग)--जिलाधीश के पास कमिश्नर रुहेलखंड डिवीजन ने भी उक्त मामले में जांच व रिपोर्ट देने का आदेश भेजा था। पूरी जांच करने के पश्चात् जिलाधीश ने कमिश्नर डिवीजन के जरिये ९ जून, १९४८ ई० को आबकारी कमिश्नर के पास रिपोर्ट भेजी कि शिकायत निराधार है और जमा कर दी जाय।

*७९--श्री मुहम्मद असरार अहमद--(क) क्या यह सच है कि जिलाधीश, पीलीभीत ने एक्साइज आफिसर की रिपोर्ट पर उस ठेकेदार को जिसने शिकायत की थी ब्लैक लिस्ट कर दिया?

(ख) क्या सरकार उपरोक्त ठेकेदार की एक्साइज अधिकारी के खिलाफ शिकायत और एक्साइज आफिसर की ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही और रिपोर्ट की प्रतिलिपियां मेज़ पर रखने की कृपा करेगी?

श्री चरण सिंह--(क) मई सन् १९४८ ई० में जांच के समय जिलाधीश ने उपरोक्त ठेकेदार को आबकारी के काम का ठेका लेने के अयोग्य ठहराया और तत्पश्चात् वह ब्लैक लिस्ट कर दिया गया।

(ख) किसी भी ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही गुप्त रक्खी जाती है। अतः खेद है कि सरकार इन पत्रों को साधारणतया दिखाने में असमर्थ है।

शारदा कैनाल से बाराबंकी जिले को अपर्याप्त पानी

*८०--श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी--क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि शारदा कैनाल से इस वर्ष बाराबंकी जिले को पानी बहुत कम और समय से नहीं मिला है ?

श्री लताफत हुसैन--इस वर्ष बाराबंकी जिले को शारदा कैनाल से पानी समय पर और पिछले वर्षों से अधिक मिला है।

*८१--श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी--क्या यह सही है कि इस वर्ष नहरों की गहराई और चौड़ाई को बढ़ा दिया गया था तब भी पानी कम आया ?

श्री लताफत हुसैन--नहरों को गहरा और चौड़ा करने के कारण बाराबंकी जिले को इस वर्ष काफी पानी मिला।

श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी--क्या सरकार ने इस बात की खोज करने की कोशिश की है जब जिले में पानी ज्यादा मिला तब उसके वितरण में कहां पर त्रुटि हुई जिससे किसानों को आम शिकायत पानी की कमी की हुई ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--किसानों को पानी न मिलने की आम शिकायत कोई पैदा ही नहीं हुई।

*८२--श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी--बाराबंकी जिले को सन् १९४५, १९४६, १९४७ व १९४८ ई० में प्रति वर्ष कितना-कितना पानी दिया गया और नहरों के चौड़ा और गहरा तथा विस्तृत होने के बाद सन् १९४९ ई० में कितना पानी दिया गया ?

श्री लताफत हुसैन--सन् १९४५ से १९४८ ई० तक बाराबंकी जिले को निम्नलिखित सूची के अनुसार पानी मिला--

वर्ष	खरीफ मिलियन क्यूबिक फिट	रबी मिलियन क्यूबिक फिट
१९४५	५३४०	२८४०
१९४६	६४८०	४३७०
१९४७	३५७०	३१८५
१९४८	४४८०	३०००

सन् १९४९ ई० में खरीफ में ४८२० मिलियन क्यूबिक फिट पानी दिया गया। रबी फसल की सूचना मार्च सन् १९५० ई० के बाद प्राप्त हो सकेगी।

*८३--श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी--क्या गवर्नमेंट ने इस वर्ष सांवां आदि जायद फ़स्लों को नहर का पानी न देकर क़तई रोक दिया है।

श्री लताफत हुसैन--जी नहीं। सरकार ने जायद फ़सल यानी सांवां आदि को पानी देना बंद नहीं किया है।

*८४--श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी--क्या गवर्नमेंट अधिक अन्न उपजाने के लिये पानी की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देने का विचार रखती है ?

श्री लताफत हुसेन--सरकार ने नहरों को चौड़ा और गहरा करना शुरू कर दिया है ताकि पानी का बटवारा ज्यादा अच्छी तरह हो सके और पानी का नुकसान कम हो और उन इलाकों में भी सिंचाई हो सके जिनमें अब तक पानी नहीं पहुंच रहा है, और ज्यादा गल्ला पैदा हो सके।

वैद्यों को ट्रेनिंग देकर मेडिकल कालेजों की अन्तिम परीक्षा में बैठने की सुविधा

*८५--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार वैद्यों को एक या दो वर्ष ट्रेनिंग देकर मेडिकल कालेजों की अन्तिम परीक्षा में बैठने की सुविधा देने पर विचार कर रही है?

माननीय अन्न सचिव--जी नहीं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या सरकार इसका कारण बतलायेगी कि उन्होंने इसको उचित क्यों नहीं समझा?

माननीय अन्न सचिव--अभी मेडिकल कालेज में जो शिक्षा हमारे स्टूडेंट्स को दी जाती है वह वैद्यों को जो शिक्षा दी जाती है उससे भिन्न है। इसीलिए अभी इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सका है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक चौपड़ा कमेटी नियुक्त की थी। उसकी सिफारिशें केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के सामने आई हुई हैं। इन सिफारिशों पर कोई विचार नहीं किया गया है और जब तक वह मंजूर न कर ली जाएं तब तक यह संभव नहीं कि इन दोनों तरह की प्रणालियों के स्टूडेंट्स को एक ही संस्था में पढ़ा सकें और एक ही प्रकार की उपाधि प्राप्त करा सकें।

*८६--श्री दीनदयालु शास्त्री--यदि उत्तर हां में हो, तो किन-किन आयुर्वेदिक कालेजों के स्नातकों को यह सुविधा दी जायगी?

माननीय अन्न सचिव--प्रश्न नहीं उठता।

*८७--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार आयुर्वेदिक के प्रचार की दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग में पृथक आयुर्वेदीय डाइरेक्टर रखने की व्यवस्था पर विचार कर रही है?

माननीय अन्न सचिव--जी नहीं।

*८८--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार स्वास्थ्य विभाग में आयुर्वेद के औषधालयों के निरीक्षण एवं उन्नति के लिए डिप्टी डाइरेक्टर की नियुक्ति करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

माननीय अन्न सचिव--जी हां। एक डिप्टी डाइरेक्टर मेडिकल एन्ड हेल्थ सर्विसेज आयुर्वेद की नियुक्ति हो गई है और डिप्टी डाइरेक्टर ने अपने पद का चार्ज भी ले लिया है।

सहारनपुर म्युनिसिपैलिटी द्वारा वाटर वर्क्स व ड्रेनेज के लिए प्रान्तीय सरकार से ऋण की मांग

*८९--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या यह सत्य है कि सहारनपुर म्युनिसिपैलिटी ने वाटर वर्क्स व ड्रेनेज के लिये प्रान्तीय सरकार से कुछ लाख रुपये का लोन मांगा है?

माननीय स्वशासन सचिव (श्री आत्माराम गोविन्द खेर)--जी हां।

*९०--श्री दीनदयालु शास्त्री--सरकार के पास यह मांग कब आई थी और इसके निर्णय में अभी कितना समय और लगेगा?

माननीय स्वशासन सचिव--पहले सन् १९४६ में और दुबारा अप्रैल सन् १९४८ ई० में। वर्तमान आर्थिक कठिनाई के कारण सरकारी सहायता नहीं दी जा सकती। इसलिये बोर्ड को सूचित किया गया है कि वह इन योजनाओं को वर्तमान काल के लिये स्थगित कर दे।

एटा से कासगंज तक सरकारी मोटर गाड़ियों का चालू किया जाना

*९१—श्री दीनदयालु शास्त्री—एटा से कासगंज तक सरकारी मोटर गाड़ियां कब से चालू की गई हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—२३ मई सन् १९४९ ई० से ।

*९२—श्री दीनदयालु शास्त्री—इस मार्ग पर कुल कितनी सरकारी गाड़ियां चल रही हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—१२ बसें ।

*९३—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि अब भी इस मार्ग पर एक व्यक्ति को अपनी गाड़ी चलाने का अधिकार सरकार की ओर से मिला हुआ है ?

माननीय पुलिस सचिव—यह सच नहीं है, परन्तु इस सड़क पर एक सज्जन को पहले से पी० एम० जी० की ओर से डाक ले जाने का ठेका मिला हुआ था । उनका ठेका अब भी जारी है और वह डाक टैक्सी में ले जाते हैं । यह ठेका ३० जून सन् १९५० ई० को समाप्त हो जायेगा ।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार उन सज्जन का नाम बतलाने की कृपा करेगी ?

माननीय पुलिस सचिव—माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो मैं उनको दफ्तर में बतला दूंगा ।

*९४—श्री दीनदयालु शास्त्री—इस व्यक्ति को यह विशेष सुविधा किस आधार पर दी गई है ?

माननीय पुलिस सचिव—इनको कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई है । पिछले प्रश्नों के उत्तर में जैसा बताया गया है डाक विभाग के अधिकारियों के लिखने पर उनको डाक ले जाने की इजाजत दी गई है ।

*९५-९६—श्री दीनदयालु शास्त्री—[अगले दिन के लिये स्थगित कर दिये गये]

ऋषीकेश में खाद बनाने की योजना

*९७—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार की ओर से पिछले दो वर्षों में खाद बनाने की कोई विशेष योजना ऋषीकेश में जारी की गई थी ?

माननीय कृषि सचिव—कोई विशेष खाद योजना नहीं जारी की गई थी ।

*९८—श्री दीनदयालु शास्त्री—इस योजना को कार्यान्वित होने में कुल कितना व्यय हुआ ?

माननीय कृषि सचिव—प्रश्न नहीं उठता ।

*९९—श्री दीनदयालु शास्त्री—इस योजना के अनुसार कुल कितना खाद बना और उसकी बिक्री में कुल कितनी आमदनी हुई ?

माननीय कृषि सचिव—प्रश्न ही नहीं उठता ।

ऋषीकेश के निकट अवस्थित पशुलोक का आय-व्यय

*१००—श्री दीनदयालु शास्त्री—आज कल ऋषिकेश के निकट में अवस्थित पशु-लोक में क्या आय हो रहा है ?

माननीय कृषि सचिव—युक्त प्रान्तीय सरकार की आनरेरी एडवाइजर श्रीमती मीरा बैन की देख-रेख में ऋषीकेश के पास पशुलोक आश्रम में दो योजनायें चालू की गई हैं यानी (१) ऐसे मवेशियों की रक्षा करना जिनका दूध सूख गया हो और (२) बूढ़े और बेकार मवेशियों के लिये कन्सेन्ट्रेशन कैम्प खोलना ।

मरे हुये जानवरों की खालों को महफूज रखने और उनकी हड्डियों की खाद बनाने का इन्तजाम कर दिया गया है। भटकते हुये मवेशियों से फैलने वाली छूत की बीमारियों पर पूरे तौर से काबू पाने के लिये इस इलाके में भटके हुये मवेशियों को पकड़ने का इन्तजाम कर दिया गया है। इस तरह पकड़े हुये कुछ मवेशी उनके जायज दावेदारों को खर्चे का मुआवजा देने पर दे दिये जाते हैं और बाकी मवेशी आम नीलाम करके बेच दिये जाते हैं।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि अब तक ऋषीकेश के निकट अवस्थित पशुलोक में मरे हुये जानवरों की कितनी खालें इकट्ठा हुईं ?

माननीय कृषि सचिव--इसलिये नोटिस की जरूरत है।

*१०१--श्री दीनदयालु शास्त्री--पशुलोक का वार्षिक आय-व्यय क्या है ?

माननीय कृषि सचिव--सालाना आय व खर्च हर साल के लिये नीचे दिया गया है--

	आय	खर्च
	रु०	रु०
१९४७-४८	कुछ नहीं	२२,१८९
१९४८-४९	८,१२६	१,३४,५५६
१९४९-५० (३० सितम्बर, १९४९ ई० तक)	४०,१२१	६०,८२३

*१०२--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या यह सच है कि जिस जंगल में पशुलोक बसा है वहां जानवर मुफ्त में चरते थे और अब उन्हीं जानवरों पर भारी फीस चरायी के लिए ली जाती है ?

माननीय कृषि सचिव--जी नहीं जंगलात विभाग उन स्थानीय लोगों से चराई की फीस लेता था जो अपने मवेशियों को वहां चराते थे। उन जानवरों के लिये कोई फीस नहीं ली जाती थी जो अपने आखिरी दिनों को बिताने के लिये कन्सेन्ट्रेशन कैम्प में भेजे जाते हैं और उन मवेशियों के लिये नाममात्र की फीस ली जाती है जो ड्राई सालवेज सेन्टर (सूखे मवेशियों के सुरक्षा केन्द्र) में ऐसे मालिकों द्वारा लाये जाते हैं जो उनका दूध सूख जाने के बाद उनको पालने का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते।

*१०३--श्री दीनदयालु शास्त्री--इस पशुलोक के चारों ओर तार लगाने में कुल क्या व्यय हुआ है ?

माननीय कृषि सचिव--७,५४० रु०।

[प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो जाने के कारण शेष प्रश्न अगले दिन की कार्य सूची में रख दिये गये]

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था-बिल*

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् जी, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि भूमि-व्यवस्था बिल पर जो विवाद हो रहा है वह आज समाप्त किया जाय और कल से इस बिल पर धारा प्रति-धारा रूप से विचार किया जाय। अतः आज के लिये विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों के लिये समय निर्धारित कर दिया जाय और वह १५ मिनट से अधिक न हो और आज विवाद समाप्त कर कल से धारा-धारा विवाद कर लिया जाय।

* ९ जनवरी सन् १९५० ई० की कार्यवाही में छपा है।

श्री सुलतान आलम खां--हुजूरवाला अभी यह तजवीज आई है कि आज इस बिल पर बहस खत्म हो जाय और आज की तकरीरों के लिये १५ मिनट का वक्त मुकर्रर कर दिया जाय मैं निहायत अदब से आप के सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह तरीका सही नहीं होगा, इसलिये कि यह बिल बहुत ही अहम बिल है और बहुत से लोग अभी भी इस पर तकरीर करना चाहते हैं। जिन लोगों को पहले तकरीर करने का मौका मिला उनके ऊपर वक्त का कोई तायुन नहीं था, लेकिन अब जो तकरीर करेंगे उनके ऊपर १५ मिनट तायुन करना मुनासिब नहीं है। अगर एक दो दिन और तकरीर जारी रहे तो इसमें ऐवान का कोई नुकसान नहीं है और न गवर्नमेंट को दिक्कत होगी। इस पर पूरी तरह से बहस करने का मौका देना चाहिये ताकि हर पहलू रोशनी में आ जाय। इसके लिये कम से कम एक दो दिन और बढ़ाया जाय और वक्त की कोई पाबन्दी न लगाई जाय कि तकरीर कितने वक्त की होनी चाहिये।

माननीय स्पीकर--मैं इस प्रस्ताव को अभी नहीं ले रहा हूँ। हर एक सदस्य को अधिकार है कि जब वह उचित समझे कि बहस समाप्त हो तो उसके लिये सामने रखे लेकिन जो प्रश्न श्री द्वारिका प्रसाद जी ने रखा है वह उस तरह का नहीं है इस लिये मैं उसको बहस बन्द करने के प्रस्ताव के रूप में नहीं ले रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र शाह--माननीय स्पीकर महोदय, मैंने भाषण का आखीरी समय अपना विचार प्रकट करने के लिया। आज मैं अपनी छोटी सी तकरीर के साथ अपना भाषण खत्म करूंगा।

आज अभी माननीय सदस्य मौर्य जी ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि अब इसकी बहस आज खत्म करके आगे से क्लाज बाई क्लाज, सेकेण्ड रीडिंग ले लिया जाय।

माननीय स्पीकर--आपको इस विषय पर कहने की जरूरत नहीं। आपको अपने विषय पर जो कुछ कहना है, कहे।

श्री वीरेन्द्र शाह--मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जमींदारी उन्मूलन बिल जो पेश है वह एक गलत सी चीज है। अभी थोड़े दिन हुये एक ऐक्ट 'प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट' के नाम से बना है उसमें यह तजवीज थी कि जितने भी फारेस्ट (जंगल) है उनको सरकार द्वारा नियंत्रित करके ठीक तरह से चलाया जाय।

अब इस बिल में ऐसे फारेस्ट्स भी ले लिये गये हैं। उनके बारे में मैं यह कहूंगा कि ये काश्त की जमीन से मुख्तलिफ चीज हैं। जिस तरह से और रोजगार है उसी तरह से लकड़ी का भी एक रोजगार है और टिंबर यानी लकड़ी का रोजगार करने वाले लोगों ने बहुत से जंगल मोल लिये। जमींदारियों से इन जंगलों का कोई ताल्लुक ही नहीं है और न असामियों से ही इनका कोई ताल्लुक और जहां तक मध्यवर्ती का सवाल है वह भी इसपर लागू नहीं होता। मैं सरकार से कहूंगा कि लोगों ने लाखों रुपया अपना इस काम में लगाया है क्योंकि वे रोजगार करना चाहते थे लेकिन आज इस बिल के द्वारा आप उनको खत्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जमींदारियों की तरह उनको थोड़ा सा मुआविजा दे दिया जाय। इस तरह से आप उनको हड़प लेना चाहते हैं। सरकार का उद्देश्य इस बिल से यह था कि मध्यवर्तियों को हटाकर किसानों से सीधा संपर्क कायम करें लेकिन इस विषय में वह उस उद्देश्य से बहुत दूर जा रही है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर सरकार इन जंगलों को लेना चाहती है तो उसके एवज में पूरा मुआविजा मिलना चाहिये। या तो वह उनको पूरी कीमत दे वरना उनके जंगलों को न लें। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि सरकार की माली हालत अच्छी नहीं है और वह फारेस्ट्स को लेकर चला नहीं सकती। जो प्राइवेट लोग सूबे की और आपकी मदद के लिये काम कर रहे हैं उनको काम करने का मौका दीजिये और आगे चल कर अगर आप उनको लेना ही चाहते हैं तो पूरा मुआविजा देकर उनको ले लीजिये। जिस प्रकार आपने कानपुर की

बिजली कंपनी को मुआविजा देकर, और माकूल मुआविजा देकर लिया है उसी तरह से आप जायों को ले। इन फारेस्ट्स को आप उसी प्रकार कम्पेंसेशन देकर लें जिस प्रकार आप और केपिटैलिस्ट्स की चीजों को लेते हैं यानी बाजार की रेट से आप उनका मुआविजा दें।

इस बिल के बारे में एक दूसरी तजवीज मैं यह करना चाहता हूं कि आपने बिहार के सूबे की तरह जमींदारों के ऊपर जो कर्जा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। कर्जों पर इनका क्या असर पड़ेगा उसकी आपने इस बिल में कोई रूप रेखा नहीं रखी है। मैंने सेलेक्ट कमेटी के मौके पर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था तो सरकार ने यह कहा था कि वे जल्द से जल्द इस बारे में एक बिल लायेंगे। मैं सरकार का ध्यान फिर इस ओर दिलाऊंगा और निवेदन करूंगा कि इस बिल के पास होने के पूर्व ही सरकार वह बिल भी ले आये और उसमें यह रखे कि जो कम्पेंसेशन उस जमीन पर जो कि उनके कर्जे में साहूकारों को दी गई है जमींदारों को मिले वही रुपया साहूकार लोग पाने के हकदार हों। इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट के मातहत जो डिग्रियां हुई हैं और उन डिग्रियों में डिग्रीहोल्डर को जो हिस्सा दिया गया है उस हिस्से पर जो कम्पेंसेशन आये उससे ज्यादा पाने का हकदार डिग्रीहोल्डर न हो। यह मेरी जाती तजवीज नहीं है। यह तो आपके अदालतों द्वारा ही करार दिया गया है कि किसी के कर्जे में जमींदारी का कितना हिस्सा काटा जाय। वह सालाना किस्त अदा करता है। जितना हिस्सा किश्त में लगा है, उसी का कम्पें-सेशन उसको मिलना चाहिये।

तीसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि सरकार ने मालगुजारी वसूल करने के लिए बहुत बड़ा अधिकार ले रक्खा है। उसमें यह भी लिखा है कि सरकार अगर चाहे तो वह एक व्यक्ति को मुकर्रर करके लगान वसूल करवा सकती है। यह चीज दफा २५७ में है। मैं इसका विरोध करता हूं। जब आप जमींदारियां खत्म करना चाहते हैं, जब आप मध्यवर्तियों को हटाना चाहते हैं तो सरकार क्यों ऐसे अधिकार लेती है, इसका उद्देश्य हमको मालूम होना चाहिये। एक व्यक्ति को मालगुजारी वसूल करने के लिए कलेक्टर चाहे तो मुकर्रर करले यह अधिकार उसूल और सिद्धांत के खिलाफ सरकार ने लिया है। इसमें मैं देखता हूं कि आगे चलकर यह होगा कि गांव सभा और अपने कर्मचारियों द्वारा जो वसूली का ढंग आपने रक्खा है वह तो ताक में रक्खे रह जायेंगे, और आप की पार्टी के लोग मुकर्रर हो जायेंगे, इस तरह आप नये जमींदार और नयी जमींदारियां कायम करेंगे। उनके जरिये आप वसूली करायेंगे और उनका परसेंटेज आदि भी तय करेंगे। मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस अधिकार को ही लेगी। भवन को भी यह अधिकार सरकार को नहीं देना चाहिये। अगर यह अधिकार सरकार को मिलते हैं तो इसके माने यह है कि हमारी जमींदारियों को नष्ट करके आप नये जमींदार चाहते हैं और अपनी पार्टी के जमींदार चाहते हैं।

चौथी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि यह बिल इतना अहम और जटिल है कि इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पास आप भले ही करलें लेकिन इसका अमल दूसरे चुनाव तक के लिए रोक लीजिये ताकि आम जनता और किसानों को पूरे तौर से मालूम हो जाय कि हमको इस बिल से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं और फिर वह आपको इलेक्ट करके भेजें, उस वक्त इस पर अमल होना चाहिए। इस बिल की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो किसानों को मालूम नहीं हैं। अगर आज हम और आप जल्दी जल्दी में इस बिल को पास कर लेते हैं तो नतीजा यह होगा कि दूसरी सरकार आयेगी और वह इसको बदलेगी जिससे तमाम लिटीगेशन, तमाम मुकदमाबाजी और तमाम उथल-पुथल होगा। सरकार ने जब यह ऐलान कर दिया है कि हम अगली जुलाई में एलेक्शन कराने वाले हैं तो एक साल का मामला है। कम्पेंसेशन वगैरह तय करने में तो एक साल वैसे ही लग जायेगा तो फिर आप इस सिद्धांत को ही क्यों नहीं मान लेते हैं कि इस बिल पर अमल

[श्री वीरेन्द्र शाह]

लेक्शन के बाद होगा। आप इंगलैंड मे देखिये वहां स्टील का जो बिल था उसको हाउस आफ लार्ड्स न मंजूर नहीं किया है बल्कि उन्होंने यह मंजूर किया है कि जनरल एलेक्शन के बाद उस बिल के ऊपर अमल होगा। उसी तरह आप भी तय करें कि आप इस बिल का निफाज जनरल एलेक्शन के बाद करेंगे। अगर आपको सपोर्ट मिलेगा और आप बहुमत में चुने जायेंगे। उसके पहले इस पर अमल करना मैं समझता हूं कि जनता के लिए हितकर नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप तमाम आपस के झगड़े झंझट और परेशानियां बढ़ायेंगे।

मैं इसी सिलसिले मे यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि हम लोगों ने कोशिश की कि जनता को इस बिल के बारे में बतायें और समझाना चाहते हैं लेकिन हम यह देखते हैं कि सरकार के छोटे-छोटे कर्मचारी लोग हर तरह से कोशिश करते हैं और हमारे प्रचार में हमारी मदद करने हमारी तरफ जो लोग आने वाले हैं उनको धमकाया जाता है उनको हर तरह से दबाया जाता है। मैं उदाहरण के रूप में पंचायत राज के इंस्पेक्टर का जो लिखा हुआ ओरिजिनल नोटिस आपको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं जिसमें उन्होंने गांव सभा के एक पंच को जिन पंचों को जनता ने पहले एलेक्शन में एडल्ट फ्रैंचाइज की बिना पर सब की राय से चुन कर भेजा है लिखा है। और उनके ऊपर आप इस तरह से नियन्त्रण करना चाहते हैं। सरकार उनसे चौकीदारों की तरह काम कराना चाहती है, पटवारियों की तरह काम कराना चाहती है। इससे यह भावना मालूम होती है कि जनता ने उनको प्रजातन्त्र के उसूलों पर चुन कर गांव सभाओं में भेजा है लेकिन आप उनको स्वतंत्र (इंडिपेंडेंट) और निष्पक्ष होने का मौका नहीं देते कि वे इस बात को समझें और वहां के लोगों को समझावें। मैं इस नोटिस को पढ़ देता हूं जो कि जालौन जिले के एक इंस्पेक्टर ने ग्राम सभा के एक सदस्य को लिखकर भेजा है।

पंच ग्राम सभा जगम्मनपुर। मुझको यह रिपोर्ट मिली है कि आप जमींदारी उन्मूलन के विरोध में प्रचार करते हैं। आप जवाब दें कि क्यों न आपके विरुद्ध नियम ६१ (ख) के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। इसका उत्तर एक सप्ताह के अन्दर मेरे कार्यालय मे आ जाना चाहिये नहीं तो समझा जावेगा कि आपके ऊपर आरोप सही है। अब आप देखिये कि जमींदारी उन्मूलन बिल के विरुद्ध में बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि जमींदारी एबालिशन का यह बिल बिलकुल नाकिस है और ठीक नहीं है और इसलिये उसका विरोध करते हैं। लेकिन आपके कर्मचारी लोग कहते हैं कि तुमने इस बिल का विरोध किया इस वजह से तुमको पंच के पद से हटा देंगे। अब आप ही कहिये कि यह कितनी बड़ी जबरदस्ती है। प्रधान मन्त्री जी ने भी कहा था कि आप आम पब्लिक में कहिये, जनता को समझाइये और अगर जनता इसको ठीक नहीं समझती है तो उसकी खबर हमारे पास आ जानी चाहिये। लेकिन अब हम जनता से क्या कहें और कैसे कहें? जनता के पंचों को तो इस तरह से धमकाया जाता है कि मैं क्या कहूं। यही चीज नहीं है मैं देखता हूं कि बहुत से जमींदारों की मोटरें रिक्वीजीशन तक की जाती है ताकि जमींदार लोग सरकार का कहीं पर विरोध न कर सकें। कई जिलों से ऐसी खबरें आई है कि अगर कोई जमींदार सरकार के इस जमींदारी एबालिशन फंड के इकट्ठा करने में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता है तो वहां के कलेक्टर लोग उन जमींदारों की मोटरें रिक्वीजीशन करते हैं और उनको हर तरह से मजबूर किया जाता है कि वे सरकार का साथ दें। जिस जमींदार के इलाके में दसगुना लगान की वसूली ठीक से नहीं होती है तो वहां के सरकारी कर्मचारी लोग उस जमींदार को हर तरह से परेशान करते हैं। यहां तक कि दफा १०७ का मुकद्दमा करके या और और तरह से परेशान करते हैं। उन पर मुकदमा चलाया जाता है, उनको धमकाया जाता है ताकि वे उनके साथ आ जायं।

माननीय माल सचिव--माननीय स्पीकर साहब, मैं राजा साहब से जानना चाहता हूं कि वे कृपा करके ऐसे आदमियों के नाम बतला दें।

श्री वीरेन्द्र शाह--अगर मिनिस्टर साहब नाम जानना चाहते हैं तो मैं उनके पास नाम लिखकर भेज दूंगा। दो चार आदमियों का नाम तो मैं बता ही दूंगा। सुल्तानपुर जिले के मुरलीधर सेठ बाउलो पर दफा १०७ की कार्यवाही चल रही है। औरों के नाम मैं बाद को आपके पास लिखकर दे दूंगा कि कितने आदमियों पर यह कार्यवाही हो रही है और उनको परेशान किया जाता है। इतने ज्यादा आदमी हैं कि जिनका नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है। आपको याद होगा कि मैंने कल आपको इस सम्बन्ध में बतलाया था। इसके अलावा मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस तरीके से इस बिल के बारे में हर एक आदमी को जानने से क्यों रोक लगाती है। अगर यह जनता के हित में बिल है तो जनता को समझाने में क्यों रोका जाता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर किसानों के फायदे के लिये यह बिल है तो किसानों को ठीक बात बताने से क्यों मना किया जाता है? क्यों पर्चों को मना किया जाता है कि जमींदारी उन्मूलन बिल के विरोध में कुछ हिस्सा न लो। अगर सरकार की तरफ से कोई फंड जमा होता और उसके लिये वे विरोध करते तो यह बात कुछ समझ में भी आ सकती थी, लेकिन जमींदारी उन्मूलन बिल के बारे में तो जनता से कोई आदमी सच्ची बात नहीं कह सकता है, आखिर इसके क्या माने हैं?

मैं सरकार को यह बतला देना चाहता हूं कि इस तरीके से वह ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते। और अन्त में मैं यह बता दूं कि यह बिल आप भले ही पास कर ले जायं, लेकिन जनता अगर यह समझती है कि इससे उसका हित नहीं होगा तो यह बिल जरूर आपको अमेंड करना होगा, रद्द करना होगा और बदल देना होगा। इसके ऊपर मैं आपको यह फिर कहूंगा कि आप इस पर सोचें और गौर करें। जितनी चीजें इसके अन्दर दी हुई हैं वह सिर्फ इस वजह से लाई गई हैं कि चूंकि जमींदारी खतम हो रही है इसलिये जितनी चीजें लूट की मिलें लूट लें। आपने यह कहा था कि हम मुआवजा देकर मध्यवर्ती को खतम करेंगे, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं जैसी हमारी सायर की आमदनी है, बाजार है, हाट है, परती है, बागात हैं यह सब चीजें हैं उनको आप मुफ्त में ही ले लेते हैं परती का आप कोई मुआवजा नहीं देते हैं। आपको अगर मध्यवर्ती को हटाना है तो आप मुआवजा देकर मध्यवर्ती को हटा दीजिये। प्राइवेट प्रापरटी से आप क्यों टच करते हैं, उसको क्यों हड़पना चाहते हैं। मन्दिरों की जायदाद है, प्रापरटी है उसको भी आप इसी के साथ झपट लेते हैं। वह तो कम से कम इस लूट में शामिल नहीं होना चाहिये। जमींदारी ही आपके लिये काफी है। धर्म के ऊपर तो आप हाथ मत डालिये। अन्त में मैं सरकार से फिर निवेदन करूंगा कि आपने बार-बार यह कहा है कि हम जमींदारों को बरबाद नहीं करेंगे और न उनको बरबाद करना चाहते हैं। जमींदारों से आप हमदर्दी रखते हैं। तो हम आपकी हमदर्दी क्या देखें जब हम प्रैक्टिस में यह देख रहे हैं कि जो चीजें आप छोड़ सकते थे उनको भी आप लिये लेते हैं बल्कि जमींदारी के खतम करने के साथ आप उसकी सब चीजों को ले लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि इस बिल का निफाज उस वक्त तक न किया जाय जब तक कि दूसरा एलेक्शन न आ जाय।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो बिल सरकार की तरफ से जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था के रूप में भवन के सामने पेश है उस पर अभी तक जो बहस मुबाहिसा हुआ उसको सुनने के बाद कुछ विशेष कहने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले माननीय माल मंत्री महोदय को मुबारकबाद देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से इस बिल को पेश किया है, जिससे कि हमारे सूबे में इसके सम्बन्ध में जो कुछ काम होगा वह दुनिया में और हमारे देश में और सरकारों के लिये एक बेनजीर चीज होगी। सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है और उसमें जो कुछ सुधार किये गये हैं और कुछ लोगों ने अपने

[श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

मतभेद के नोट उसमे दिये है उनको भी मने गौर से पढा। रामशंकरलाल जी ने जो पहला अपना मतभेद का नोट दिया है उसमे एक बात ऐसी लिखी है जिस के ऊपर मुझे कुछ निवेदन करने की जरूरत हुई। म यह नही जानता कि रामशंकरलाल जी कैसे सफल किसान है। यह जरूर जानता हू कि वह एक सफल वकील है, कानून का ज्ञान उनको जरूर है, लेकिन जो नोट उनका है उसको देखकर मुझे यह मालूम हुआ कि प्रैक्टिकल खेती का ज्ञान उनको नही है। उन्होने लाभकारी खेती के सम्बन्ध मे साफ कह दिया है कि एक हल के लिये सवा छः एकड ही लाभकारी खेती हो सकती है उससे ज्यादा नही हो सकत। उन्होने इस बात पर भी जोर दिया है और कहा है कि आठ एकड एक हल की बहुत लाभकारी खेती नही हो सकती। मेरी समझ मे नही आया कि यह हिसाब उन्होने कैसे लगाया है। मै तो समझता हूं कि एक हल की खेती जिसमें साधारणतः अच्छे बैल हो उस से आसानी के साथ १० एकड तक की खेती फायदे के साथ की जा सकती है। कुछ लोग अपना सिर हिला रहे है, अगर उनको इस बात से इनकार है तो मै उन को जरा तफसील के साथ बतलाना चाहता हू। हालांकि वक्त कम है और इसलिए मै ज्यादा वक्त नही लूगा। मै जानता हूं कि जिस किसान के पास एक हल है और अच्छे बल है तो वह कम से कम ३ एकड धान की खेती कर सकता है। धान के खेत जब जोते जाते है जब खूब बारिश होती रहती है और उस वक्त रबी के खेत नही जोते जाते। धान की खेती के अलावा जब ऊख की खेती का सवाल आता है यानी जब ऊख की खेती के लिए हल चलता है तब भी किसान के बैल खाली होते है और उनके लिए कोई दूसरा काम नही होता। इस तरह एक एकड़ ऊख ३ एकड धान और बाजरे की खेती के लिए भी थोडी जुताई की जरूरत होती है और भी कई चीजे खरीफ की खेती मे है। इस तरह से ५ एकड मे ऊख और खरीफ की खेती हो सकती है। इसके बाद मै मानता हू कि रबी की खेत में केवल ५ एकड़ ही एक हल के लिये रहनी चाहिए। इस तरह से पूरी फसल के लिए और हर जिस के लिए एक हल वाले किसान के पास १० एकड़ लाभकारी जमीन खेती के लिए मुनासिब कही जा सकती है।

अब आगे चलकर हमारे भाई जयपाल सिंह जी व श्री द्वारिकाप्रसाद जी मौर्य का मतभेद के नोट है। मौर्य जी वकील है और जयपाल सिंह जी भी उन से कम नही है और वह हर बात के लिए अपने को माहिर समझते है। उन लोगो ने गरीब काश्तकारो की भलाई के ख्याल से कुछ अच्छी अच्छी बाते उस मे लिखी है। मै जिनके लिए उन को मुबारकबाद देता हू और समझता हूं कि गरीबो की तकलीफ दूर करने की आग उनके दिल में जरूर है। लेकिन वे भी एक दायरे से आगे बढ गए है। यह चीज ठीक नही है। जब कभी हमको बोलने और लिखने की इजाजत हो तो हमें अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर के काम करना चाहिए। उन्होने जो तबियत में आया घसीट मारा और जो तबियत मे आया वह कह डाला है। यह चीज मेरे ख्याल से ठीक नही है। हर चीज की एक कैद होती है और दायरा होता है और उसी के अन्दर सब को रहना चाहिए। आप फरमाते है कि जो स्वयं हल जोतता है उसी को जमीन पाने का अधिकार है। हमारी सरकार ने ४ साल का समय महज इस बात के लिए लिया कि हर पहलू पर उसको अच्छी तरह से गौर करने का मौका मिल सके। हालां कि अब तक सरकार ने जो कुछ किया है उस मे उनकी राय है, उनका सहयोग है और उनको महीनों सेलेक्ट कमेटी में बहस करने का मौका दिया गया है, लेकिन न मालूम क्यों वे ऐसा समझते है।

लेकिन फिर भी वह अपने मतभेद को जाहिर करते है सरकार ने यह सोचा कि यह तो मुश्किल चीज है कि जो हल अपने हाथ से जोतता हो वही जमीन पाने का अधिकारी हो इसलिये सरकार ने उदारता से काम लिया और यह साफ कर दिया कि जो अपने हल से और अपनी मेहनत से काश्त करता है या मजदूरों से काश्त कराता है वह काश्तकार है और जमीन रखने का अधिकारी है। इन मेरे लायक दोस्तों को जो शोषित संघ के भी नेता है यह

समझना चाहिये कि आखिर हमारे सूबे मे बड़ी तादाद गरीब खेतिहर मजदूरों की भी है वे कहां जायंगे और कैसे बसर करेंगे या तो वह यह कहने कि जमीन का फिर से बटवारा हो और जितने भी हमारे सूबे मे खेती करने वाले लोग हैं उन सब को जमीन दी जाय। तब मजदूरों का सवाल नहीं आता। लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्हें इस नये भूमि व्यवस्था के लागू होने के बाद भी हम जमीन नहीं दे सकते हैं। वे बेचारे आखिर कहां जायेंगे। उनको मजदूरी कहां मिलेगी? आखिर वे खेतों ही पर मजदूरी करेंगे और उन लोगों के खेतों पर मजदूरी करेंगे जो अपने हाथ से जमीन नहीं जोत सकते। जमाने के लिहाज से हर एक मजदूर को ऐसी पूरी मजदूरी देनी पड़ेगी जिससे जिस तरह खेत का मालिक गुजर कर सकता है वैसे ही मजदूर भी। जहां तक आर्थिक मामले का ताल्लुक है वहां इस तरह से करना ही पड़ेगा। जहां तक श्री रोशन जमां खां की तकरीर का सवाल है मैं समझता हूं कि हमारे समाजवादी भाई तो इस सभा से चले गए लेकिन अपनी औलाद छोड़ गए। इस कहने से मेरा गलत मतलब न लगाया जाय।

श्री फखरुल इस्लाम--क्या आनरेबिल मेम्बर का यह कहना कि अपनी औलाद छोड गए पार्लियामेंटरी है।

माननीय स्पीकर--कुछ अच्छा तो नहीं है।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--मैं माफ़ी चाहता हूं। वे उत्तराधिकारी छोड़ गये। इनमे से कुछ तो बोल चुके और कुछ ऐसे हैं जिनको अभी बोलने का मौका नहीं मिला है। मुल्क आजाद हो गया, वह इस डिमोक्रेसी और प्रजातन्त्र का नारा लगाते हैं और आजादी का मतलब ऐसा समुद्रवन लगाते हैं जिसकी कोई सीमा न हो और इसी तरह की उनकी तकरीर हुई है।

मैं एक साहित्यिक या धार्मिक कथा का उदाहरण देना चाहता हूं। वह राजा भोज के सम्बन्ध मे है। जब राजा भोज के बाल्यकाल का जमाना था तो राजा भोज के चचा मुंज के एक लड़का था जो राजा भोज के बराबर अच्छा नहीं था। मुंज जी को यह लगा कि भोज अगर जिन्दा रहेगा तो मेरे लड़के को गद्दी नहीं मिलेगी। इसलिये भोज को उन्होंने जंगल में जल्लादों के साथ भेजा और यह हुक्म दिया कि इसको मार डालो ताकि हमारे लड़के को गद्दी मिले। जब जल्लाद लोग भोज को जंगल में ले गये और मारने का समय आया तो भोज ने कहा कि भाई हमको क्यों मारते हो। उन्होंने कहा कि आपके चचा मुंज ने हमारे जिम्मे यह काम सुपुर्द किया है। उन्होंने कहा कि मेरी एक चिट्ठी ले जाइये और मेरे चचा को दे दीजियेगा और मुझे मार डालिये। वह चिट्ठी लेकर जब जल्लादों ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि इस पृथ्वी पर रावण जैसे और युधिष्ठिर जैसे बड़े-बड़े महापुरुष पैदा हुये, बड़े-बड़े राजा पैदा हुये लेकिन यह पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। यह मालूम होता है हमारे चचा मुंज जी के साथ जायगी क्योंकि इस पृथ्वी से उनको बड़ी मुहब्बत है। उन जल्लादों ने उनको मारा नहीं और कहा कि आप भाग जाइये। हमें दया आती है, हम आपको नहीं मारते। वह चिट्ठी ले जाकर उन्होंने राजा मुंज को दे दिया और भोज अपने इधर उधर विचरने लगे। मुंज को उस चिट्ठी के पढ़ने से बड़ा धक्का लगा और कहा कि अगर भोज नहीं आये तो मैं आत्म-हत्या करूंगा। आखिर भोज खोज कर लाये गये और उनको गद्दी मिली और मुंज जी जंगल में चले गये। कहने का मतलब यह है कि गद्दी हासिल करने के लिये ऐसे घृणित काम के लिये भी मनुष्य को कटिबद्ध नहीं होना चाहिये जैसे इन दिनों समाजवादी भाइयों का रवैया हो रहा है।

मुझे रोशन जमां साहब की तकरीर का जैसे का तैसा जवाब नहीं देना है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि दो वर्ष और कुछ महीनों का जो हमारा आजादी का बच्चा है उसको मुन्ज की तरह जिन्दा जमीन में गाड़ने की जो तैयारी हमारे समाजवादी भाई कर रहे हैं जैसा कि

[श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

मेरी समझ में आता है तो मैं उनसे कहता हूं कि इस चीज पर वे ठंडे दिल से विचार करें जिसमें आगे उनको मुन्ज की तरह पश्चात्ताप करना न पड़े। इस तरह से कोई चीज किसी को हासिल नहीं होती। अपनी तकरीर के दौरान में उन्होंने कुछ आजादी और प्रजातंत्र की बात की और अभी हमारे राजा साहब वीरेन्द्रशाह ने भी जो आजादी के बड़े उपासक अपने को समझते हैं कहा। मैं समझता हूं कि उचित सीमा के अन्दर हमारी सरकार ने जितनी आजादी दिया है दुनिया में शायद ही कोई ऐसी सरकार हो जहां पर ऐसी आजादी मिली हो।

हमारे देश में जितने प्रान्त हैं और जितनी प्रान्तों की सरकारें हैं उनमें भी कहीं पर इस तरह उदारतापूर्वक आजादी नहीं दी गई है। जहां तक पंचायतों का सवाल है पंचायतों के जब चुनाव हो रहे थे गांवों के लोगों ने अपने गांव में बैठकर एक सुलह के साथ हर फिर्के के लोगों को लेकर, अच्छे अच्छे लोगों को लेकर, चुनाव करने की तैयारी की। हमारे समाजवादी भाइयों ने उस नक्शे को बिगाड़ा। कहीं शोषितों के नाम पर कहीं छोटे बड़ों के नाम पर, कहीं कम्युनिस्टों के नाम पर और कहीं समाजवादियों के नाम पर तोड़फोड़ करके हर जगह करीब-करीब चुनाव कराये गये। और अब हमारी सरकार के ऊपर यह दोषारोपण किया जाता है कि हर मामले में सरकार की तरफ से पंचायत के लोगों पर पाबन्दियां आयद हो रही हैं। जहां तक सभापतियों और गांव-सभा के मेम्बरों का सवाल है मैं अपने जिले की बात अच्छी तरह जानता हूं और दूसरे जिलों का भी मुझे कुछ ज्ञान है। सभापतियों को और गांव-सभा के मेम्बरों को पूरी आजादी है कि वह अपना लगान दस गुना न दें और दूसरों को भी समझायें कि दस गुना लगान न दो। किसी के ऊपर कोई रुकावट नहीं। लेकिन जहां अदालती पंचायत का सवाल है अदालती पंचों के और अदालती सरपंचों के ऊपर पाबंदियां हैं और वह पाबन्दियां भी पहले नहीं थीं अब आयद की गई हैं। वह क्यों? उनकी भी वजूहात हैं। अदालती पंचों ने और अदालती सरपंचों ने, मेरा यह मतलब नहीं कि सब के सब कुछ अदालती पंचों और कुछ अदालती सरपंचों ने जब नाजायज तरीके से दबाव डालना शुरू किया उन लोगों पर जो दस गुना लगान जमा करते थे मुझे मालूम है कि उन लोगों के ऊपर फर्जी मुकद्दमे बनाये गये और बेंचों के सुपुर्द किये गये और सजायें भी की गयीं। ऐसी हालत में जैसे हाकिमों को और मुकद्दमें करने वालों को चाहिये तनख्वाह पाने वाले हों या आनरेरी हों पाबन्दियां हैं कि वे इन मामलों में दखलन्दाजी न करें। वैसे ही इन अदालती पंचों और सरपंचों के ऊपर भी पाबन्दियां आयद की गई हैं। और उनको यह हुक्म दिया गया है कि आप इस मामले में कोई दखलन्दाजी नहीं कर सकते। वे तटस्थ रह सकते हैं इसकी सबको आजादी है अगर हमारे राजा साहब और रोशन जमां खां साहब यह चाहते हैं कि सभी को मनमानी आजादी रहे तो मुझे तो थोड़ी देर के लिए इसमें कोई इन्कार नहीं है। और सरकार ने भी यदि उनकी बात मान ली तो फिर उनकी कोई शिकायत कैसे सुनी जायेगी? जब वे कहने लगेंगे कि ये जितने सरकारी हाकिम हैं ये सबके सब दसगुना लगान दाखिल करने के लिये बेजा दबाव डाल रहे हैं।

इसलिये सरकार ने निहायत गौर और विचार करने के बाद यह तरीका निकाला है कि जिनको कुछ फैसला करने का अधिकार है उन लोगों को इस मामले में तटस्थ रखा जाये और उनके ऊपर इस प्रकार की पाबंदियां आयद की जायें। आपने कुछ और भी जिक्र किया। आधी बात आपने बताई और आधी बात नहीं बताई। कुछ पटवारियों का जिक्र भी रोशन जमां खां साहब ने किया। उसमें गाजीपुर का भी नाम आया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह क्या मुझसे गाजीपुर के बारे में ज्यादा जानते हैं या उन्होंने कोई ठेका ले रखा है कि जो कुछ वह कहते हैं वह

सच है और जो मैं कहूंगा वह गलत होगा। एक पटवारी को कई दिन कहा गया कि तुम दस गुना लगान जमा करने के लिये बहुत कोशिश करते हो और वर्तमान सरकार के भक्त बने हुये हो। तुम अपनी आदत संभालो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। दूसरे दिन जब वह पटवारी अकेला जा रहा था तो समाजवादियों ने उसको लाठियों से मारा और उसके हाथ पांव की हड्डियों को तोड़ डाला। अब भी वह पटवारी अस्पताल में पड़ा हुआ है।

("शेम शेम" की आवाज आई)

यह कोई राज या चोरी की बात नहीं है। यदि डाकुओं ने उसे मारा तो मैं कहूंगा कि अब जो नई भर्ती समाजवादियों के गिरोह में हो रही है मुझे भय है कि जिलों में जितने चोर और बदमाश और डाकू हैं उनमें से शायद ही कोई भर्ती होने से बच जाये। जो नई भर्ती हो रही है वह इसी तरह के लोगों की हो रही है। यहां तक कि पंच और सरपंचों ने किसानों को बुलाकर कहा है कि अगर तुम लोग दस गुना लगान जमा करने का नाम लोगे तो यह जो धान की फसल तुम लोगों के खेतों में लगी है वह नहीं रहेगी। पचासों तफ्कीकात इस किस्म की हो चुकी हैं कि गरीब किसानों की धान की फसलों को नव भर्ती होने वाले समाजवादियों में से बदमाश लोगों ने काट ली है। इस तरह की जिलों में कार्यवाहियां हो रही हैं। हमारे राजा साहब जो अभी बड़े जोश और खरोश के साथ यहां पर बोल रहे थे वह अगर ऐसी आजादी चाहते हैं तो मैं राजा साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जरा होश संभाले क्योंकि अभी तक वे राजा साहब हैं। दो-चार महीने अभी जमींदारी खत्म होने में लगेंगे। उनको एक कदम घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जायेगा और वह सभा में आकर इस तरह बोल भी न सकेंगे। मुबारकबाद दें सरकार को कि अब भी इस अमन व चैन के साथ उनको घूमने फिरने का मौका है। ऐसी मनमानी आजादी किसी काम की नहीं होती। मैं एक बात जो सुल्तान आलम खां साहब ने सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में उठाई थी कहना चाहता हूं। वह एक पुराना दुखड़ा है। इसमें उन्होंने कहा है कि अब तो जमींदारी खत्म जरूर होगी।

आगे आप फरमाते हैं कि सरकार ने बड़ी गल्ती की। जमींदारों को रियाया का नेता बनाया जा सकता था और कानूनी ढंग से जमींदारियों में ऐसा सुधार किया जा सकता था जिससे उनकी रियाया फले फूले। मैं उनको महात्मा गांधी जी के उस ख्याल की तरफ ले जाना चाहता हूं। महात्मा गांधी हमारे देश के ही नहीं वरन संसार के शिरोमणि थे। सबको मालूम है कि महात्मा जी जमींदारी को खत्म करना नहीं चाहते थे। वह चाहते कि जमींदारों को मौका दिया जाय और वह स्वयं अपना सुधार करें ताकि वह जमींदार के रूप में न रह कर ट्रस्टी के रूप में रहें और अपनी आमदनी का एक बहुत मामूली और मुनासिब हिस्सा अपने भरण पोषण के लिये रखकर बाकी रकम रियाया के फायदे के लिए खर्च करें। मेरा ख्याल है कि काफ़ी मौका मिला लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ तो आजिज हो परलोकवास से पहले महात्मा गांधी ने महज कहा ही नहीं, बल्कि आशीर्वाद दिया कि जल्द से जल्द अब जमींदारी को खत्म कर दिया जाए। इसमें किसी का दोष नहीं। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी खुशी इस बात में है कि जल्द से जल्द जमींदारी खत्म की जाये।

मुझे इस सिलसिले में अब दो एक बातें कहना है। मुझे कहना यह है कि सरकार ने जो जमींदारों को मुआविजा देना निश्चित किया है वह कुछ मुझे ज्यादा मालूम होता है। कोई जिद की बात नहीं है। हमारे चचा मुन्ज यानी समाजवादी लोग जो कुछ कहते हैं मेरा वैसा मतलब नहीं है वह अगर १ अरब रुपये पर मचले हुए हैं तो १ अरब से ज्यादा न दिया जाय।

(इस समय १ बजे सभा स्थगित हुई और २ बज कर ५ मिनट पर श्री नफीसुल हसन 'डिप्टी स्पीकर' की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

डिप्टी स्पीकर---उठने के पहले श्री इंद्रदेव त्रिपाठी तकरीर कर रहे थे। वह मेहरबानी करके अपनी तकरीर जारी रखें।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी---प्रस्तुत बिल में मध्यवर्तियों को जो मुआविजा देने का विधान है उठने से पहले मैंने उसके सम्बन्ध में कहना शुरू किया था। उसमें दूसरे लोग क्या कहते हैं खासतौर से हमारे समाजवादी भाई जो आजकल इस सम्बन्ध में कांग्रेस सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनके कहने की तरफ हमको कोई बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक उचित तरीके पर हमको उस पर फिर से विचार करना है। इस बात को हम लोग अच्छी तरह से मानते हैं कि समाजवादियों के नेता आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने एक अरब जमींदारों को मुआविजे के रूप में देने के लिये कहा था। अब जो शरह सरकार ने तैयार की है उसके मुताबिक करीब डेढ़ अरब रुपया जमींदारों को मुआविजे के रूप में देना पड़ेगा। सरकार की आर्थिक स्थिति जाहिरा तौर से अच्छी नहीं है खराब है। काश्तकारों से दस गुना के हिसाब से जो रकम तखमीने में आई है सम्भव है वह वसूल हो जाय। मेरी भी अपनी राय कोई उसमें कमी करने की नहीं है। उस रकम को वसूल करना चाहिये। लेकिन वह सब की सब रकम यह जो शरह मुकर्रर है जमींदारों को मुआविजा देने के रूप में उसमें कमी करने की जरूरत है। पांच हजार रुपये तक के जमींदारों को मुआविजे के अलावा पुनर्वासन अनुदान भी देने का निश्चय किया गया है। इसके अलावा छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जमींदारों तक को मुआविजा के रूप में आठ गुना देने का उसमें विधान है। मेरी राय में सरकार को थोड़ी दिक्कत तो जरूर होगी लेकिन तरीके में कुछ तब्दीली करने की जरूरत है जिससे करीब-करीब पचास करोड़ रुपये की बचत हो सके जिसको खेती की उन्नति में और किसानों की भलाई में खर्च किया जा सकता है। मेरी राय यह है कि जो तरीके में तब्दीली की जायगी उस में कोई दिक्कत न पड़ेगी। जहां तक आठ गुना मुआविजा देने का ताल्लुक है उसमें जो बहुत बड़े-बड़े जमींदार हैं, एक-एक लाख रुपये के मालगुजार हैं, उनको अगर आठ गुने के हिसाब से दिया जाय तो आठ लाख रुपये, दस लाख रुपये दिये जा सकते हैं। मेरी समझ में इस रकम की कोई सीमा मुकर्रर हो जानी चाहिये और मैं समझता हूं कि चार लाख से ज्यादा किसी जमींदार को या किसी मध्यवर्ती को मुआविजे के रूप में न दिया जाय। और दूसरा यह ख्याल किया जाय कि जिस जमींदार के ज्यादा जमीन कब्जे में हो उसकी मुआविजे की दर में बहुत कमी कर दी जाय। उसको आठ गुना न दिया जाय। जिस जिसके कब्जे में ज्यादा खेत हैं जिस हिसाब से ज्यादा हैं उसको उसी हिसाब से कम दिया जाय। मुआविजा देने के माने यह होते हैं कि उस व्यक्ति का जिसका गुजर-बसर उस जमींदारी से होता था उसको कुछ गुजर-बसर करने के लिये दिया जाना चाहिये। अगर किसी मध्यवर्ती के पास सीर में, जोत में, सीर व खुदकाश्त, शरह मुअय्यन काश्त, मौरूसी दखीलकारी काश्त में कुल मिला कर अगर सौ एकड़ खेत हैं जिनमें एक अच्छी खेती हो सकती है, अच्छा फ़ार्म बनाया जा सकता है, उस आदमी को उस शख्स को बहुत ज्यादा रकम देने की कोई जरूरत नहीं है। यह दूसरी बात है ऐसे ऐसे भी जमींदार हैं जो अपने गांव में नहीं रहते थे जो लखनऊ जैसे बड़े शहरों की शोभा बढ़ाया करते थे। उनके लिये अगर ख्याल किया जाय तो उनको ज्यादा रकम देना चाहिये लेकिन हमारा ख्याल है कि हमारी सरकार का यह मंशा नहीं कि उनको इतनी रकम दी जाय कि वह लखनऊ और और बड़े-बड़े शहरों की शोभा बढ़ाया करें। बड़े-बड़े फार्म वालों को और बड़ी-बड़ी खेती वालों को कम देना चाहिये। पांच हजार रुपये तक के मालगुजारों को पुनर्वासन अनुदान देने का विधान है। मैं समझता हूं कि पुनर्वासन अनुदान भी उसी लिहाज से देना चाहिये। जिस जमींदार के पास जमींदारी

के खत्म होने के बाद जोत में कम खेत हो तो उन्हें देना चाहिये और अगर किसी के पास बहुत ज्यादा खेत हों तो उसको पुनर्वासिन अनुदान देने की जरूरत नहीं है। इस तरह से थोड़ा सा परिवर्तन करने पर ५० करोड़ रुपये की बचत सीरदार को हो जायगी जिससे गरीब किसानों का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अब सवाल एक यह है कि जो मतभेद का नोट श्री द्वारिका प्रसाद जी मौर्य और श्री जयपाल सिंह जी ने दिया है हमारा ख्याल है कि सरकार को भी लगेगा और हमें भी लगता है और मेरा ख्याल है कि सभी मेम्बरों को वह चीज लगेगी कि हमारे सूबे में जो खेतों में काम करते हैं उन मजदूरों की संख्या बहुत काफी है। सरकार के सामने यह बहुत दिनों से सवाल है कि भूमिहीन लोगों को खेत दिये जाय तो यह बात कैसे पूरी होगी जब एक तरफ आगे के लिये सरकार तीस एकड़ की सीमा जमीन पर कब्जा करने वालों के लिये निर्धारित करती है और पीछे की तरफ़ इन लोगों की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया जाता जिनके कब्जे में ३० हजार एकड़ जमीन है। ये दोनों बातें नहीं हो सकती कि बड़े लोगों के पास अधिक से अधिक जमीन रहे और भूमि हीनों को भी देने का प्रबन्ध किया जा सके।

सरकार की जो फिलहाल की नीति है उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी मैं नहीं करता, मैं अपनी राय देता हूँ कि कुछ लोगों से जमीन ली जा सकती है और लेना मुनासिब है। २५० रुपये से ज्यादा मालगुजारी देने वालों के जो शिकमी काश्तकार हैं उनको सरकार ने मौरूसी हक देने का ऐलान कर दिया है, इसके लिये सरकार को वह शिकमीदार काश्तकार, आज, सूबे में, कोटि-कोटि धन्यावाद दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि २५० रुपये तक और २५० रुपये से कम मालगुजारी देने वाले लोगों, जिनके पास ३० एकड़ तक सीर, खुदकाश्त और शरहमुअय्यन काश्त है, उनके शिकमी काश्तकारों को भी मौरूसी हक देने की उदारता दिखाई जाय। इस तरीके से हमारे प्रान्त के बहुत से गरीब भूमिहीन लोगों को जमीन मिल जायगी। और जो नई जमीन सरकार बढ़ाना चाहती है उसके लिये तो खासतौर से यह कायदा हो जाना चाहिये कि वह भूमिहीन लोगों को ही दी जायगी।

अब मुझे एक दो बातें और निवेदन करनी हैं। ज्यादा वक्त लेना हम लोगों का काम नहीं है। कुछ जगहों को छोड़ दिया गया है जहां यह जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल का कानून लागू न होगा, जैसे म्युनिसिपल एरिया, टाउन एरिया, कंटून्मेंट और वह जगहें जो सरकारी काम के लिये सुरक्षित हैं। मैं सरकार का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अपने सूबे में मुख्तलिफ जिलों में कुछ ऐसी जमींदारियां हैं जो सरकारी जमींदारी कही जाती हैं। जिनका इंतजाम सरकार खुद करती है। काश्तकार को जैसे और जमींदारियों में हक हासिल है वही हक मौरूसी, वही दखील-कारी हक सरकारी जमींदारियों में भी मुद्दतों से काश्तकारों को हासिल है। जब एक तरफ दस गुना लगान जमा करके मध्यवर्तियों के काश्तकार मालिकाना हक हासिल कर रहे हैं तो सरकारी जमींदारी के काश्तकार इस लाभ से क्यों वंचित रहें। वे चाहते हैं कि उनको भी यह अधिकार मिले कि वे भी अपने लगान का आधा करावें और अपनी खेतों में मालिकाना हक हासिल करें। मुझे यह मालूम हुआ है कि चूंकि सरकार खुद जमींदार है और उसे मुआविजा नहीं देना है, इसलिये सरकार उस पर कुछ अलग से गौर करेगी और यह कानून पास हो जाने के बाद उन पर भी यही व्यवस्था घोषित की जायगी। मेरा विचार है कि मुआविजा न भी देना हो तो भी काश्तकार दस गुना देने को तैयार हैं और सरकार को रुपया लेना चाहिये, उतना ही लेना चाहिये जितना और दूसरे काश्तकारों से लिया जाता है। वह रुपया लेकर सरकार को किसी दूसरे काम में नहीं खर्च करना है, उन्हीं काश्तकारों की माली हालत को और खेती को सुधारने में खर्च करना है। वह रुपया साथ ही और जल्दी ले लिया जाय तो बड़ा अच्छा है।

[श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

तीसरी बात जो धारा ३, उपधारा (११) में व्याख्या की गई है, मवेशी के रखने और बाग लगाने की, और खेती की उन्नति के जितने साधन हैं उनको उस व्याख्या में लिया गया है ।

मेरा निवेदन है कि महज खेती से जो सरकार अपने सूबे का सुधार करना चाहती है वह असंभव है। उसमें एक चीज और बढ़ा देनी चाहिये। वह है गृहउद्योग। इसको बढ़ा देने से एक बड़ा प्रोत्साहन पैदा होगा और किसानों का बड़ा भारी फायदा होगा। इसके बाद मुझे सिर्फ एक बात और कहना है उसको कह कर मैं खत्म करूंगा। मैं अपने समाजवादी भाइयों से बहुत सी बातों में इत्तफाक़ करने के लिये तैयार हूं। वे इस बात को कहते हैं कि काश्तकारों से एक पैसा भी न लिया जाय और जमींदारों को एक पैसा भी न दिया जाय हालांकि पहिले उन्होंने १ अरब रुपया देने की बात कही थी लेकिन अब प्रचार करने के लिये गलत सलत कह रहे हैं और कहते हैं कि काश्तकारों का लगान मौजूदा लगान का एक तिहाई होना चाहिये यानी रुपये में ५ आना ४ पाई। इसके साथ ही उनको कुछ भी देना न पड़ेगा। एक तरफ़ यह बात कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि जमींदारों को कुछ भी न देना चाहिये, लेकिन जमींदारों से जो उनकी सांठगांठ चल रही है उसको देखकर मामूली किसान को भी भ्रम होता है। आज सरकार का विरोध करने के लिये और काश्तकारों को गलत रास्ता बताने के लिये उन्होंने यह तरीका अख्तियार किया है। जाहिरा तौर पर कम्युनिस्टों से उनका मेल मिलाप नहीं है लेकिन इस मामले में कम्युनिस्ट, क्रान्तिकारी, समाजवादी, जमींदार और राष्ट्रीय सेवा संघ ये सभी एक गुट्ट में आ चुके हैं और इन सब का एक संयुक्त मोर्चा कांग्रेस सरकार के खिलाफ बना हुआ है। ऐसी हालत में मुझे यह मालूम होता है कि यह हमारे पुराने साथी जो हमारे साथ मिल कर काम कर रहे थे, दरअसल उनके कारनामों को देखने से यह मालूम होता है कि पहिले हमारा जो उनके प्रति ख्याल था, वह भ्रम था। हम समझते थे कि हमारे समाजवादी भाई गरीबों के बहुत ज्यादा हमदर्द हैं आज हमें वह अपना भ्रम साफ़-साफ मालूम होने लगा है और मैं समझता हूं कि ये गरीबों के कतई साथी नहीं हैं यह तो अपने मतलब के फेर में किसी तरह से सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और महज अपनी सरकार बनाने के फेर में पड़े हुये हैं। आखिर में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दो बरस कुछ महीनों की आजादी के बच्चे को जिन्दा दफनाने की कोशिश वे नहीं करेंगे नहीं तो इस चीज को हमारा मुल्क कभी क्षमा नहीं करेगा। इस तरह के उतावलेपन के कामों को उनको बन्द कर देना चाहिये। हमारे जिले में जिन पटवारियों को बुरी तरह से मारा गया है उनमें परगना कुचेतर का एक पटवारी है समाजवादियों ने उसे बुरी तरह से पीटा, उसके हाथ-पांव तोड़ दिये और अब वह अस्पताल में है। अगर दूसरे थाने के थानेदार, जो सायकिल पर चले जा रहे थे, न पहुंच गये होते, तो उस पटवारी की जान चली जाती। दो पटवारी और पीटे गये, लेकिन उनको अँधेरा हो जाने के बाद लोगों ने पीटा, इसलिए वह पहचान नहीं सके कि उनको किसने पीटा। इन पटवारियों ने साफ-साफ अपने बयान में कहा है कि हम मारने वालों को पहचानते नहीं हैं, लेकिन शुबहा में उन्हों ने बताया कि हम को किन लोगों ने धमकाया था कि तुम लोग लगान की वसूली का काम मत करो। इस तरह से लोग मारे जाते हैं और पीटे जाते हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि ऐसा क्यों होता है। हमारे भाई अहिंसावादी तो कभी रहे नहीं। वह हमेशा हिंसावादी रहे, लेकिन उन्होंने एक पालिसी के तौर पर हम अहिंसावादियों का साथ कुछ दिनों तक दिया। मैं आज उनसे निवेदन करूंगा कि नीति में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है। हमारा मुल्क जिस अहिंसा और सत्य के सिद्धांत को लेकर आजाद हुआ है, अभी हमको उसी पर कायम रहना है और हम अपने देश और अपने देश में रहने वालों की उन्नति उसी मार्ग पर चलकर कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ में एक मर्तबा फिर अपने माल मंत्री को मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि जो कुछ बिल में मुनासिब संशोधन करने का मौका होगा

वादा पूरा किया जायगा । और मुझे पूरी आशा है कि जब बिल बनकर तैयार होगा उसको देखते हुये अपने देश में और सरकारों ने जो कुछ किया है उसके मुकाबिले में इसमें शक नहीं कि हमारी सरकार सब सरकारों से ज्यादा धन्यवाद की पात्र समझी जायेगी ।

*श्री फखरुल इस्लाम-जनाब वाला, यह खुशी है कि सन् १९५० ई० में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आयी । ख्याल यह किया जाता था कि अक्तूबर ही के महीने में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इस ऐवान के सामने रक्खी जायेगी । हमें अब यह देखना है कि जिस तरह से सिलेक्ट कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस (सिफारिशें) की हैं उन पर इस हाउस को कहां तक तरमीमें पेश करना है और कहां तक उन्हें कबूल करना चाहिये । कब्ल इसके कि मैं बिल की दफात पर और उसकी जेनरल पालिसी पर कुछ अर्ज करूं मैं चाहता हूं कि अपने लायक दोस्त आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू और जनाब वाला के जरिये से तमाम कांग्रेसी दोस्तों से यह अर्ज करना चाहूंगा कि यह जमींदारी एबालिशन का सवाल सन् ४६ से हमारे और आपके सामने है, लेकिन आप निहायत आहिस्तगी के साथ अपना कदम बढ़ा रहे हैं । अब भी जो बिल हमारे सामने है उसकी बहुत सी दफात देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि आप शायद अपना कदम तेजी से बढ़ाना नहीं चाहते हैं और आप पब्लिक को, अवाम को और अपने होम मिनिस्टर को कुछ खास मुसीबतों में डालना चाहते हैं । यह आज हकीकत है कि इस हाउस ने और इस हाउस के बाहर सब लोगों ने और मुझे खुशी है कि इस सेशन में जमींदारों के बड़े-बड़े जिम्मेदार लोगों ने यह एलान कर दिया है कि जमींदारी जल्द खत्म होनी चाहिये जैसा कि हमने और आपने पहले मुतालबा किया था । अगर आप अब भी उतनी ही आहिस्तगी से, जिस तरह से आप चल रहे हैं, इस कानून को चलायेंगे तो उसके खतरात आप अपने सामने रक्खें और फिर आप यह न कहें कि इसके जिम्मेदार सोशलिस्ट हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले हैं जमींदार हैं । ये हमारी मुखालिफ पार्टियां हैं, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि उसकी जिम्मेदारी आप पर है और आप उसके जिम्मेदार हैं । आप ही को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी । इसलिये कि इस वक्त मुल्क के अन्दर एक ऐसी हालत पैदा हो गई है कि जमींदार यह नहीं जानता कि उसे मुआविजा मिलेगा भी या नहीं और अगर मिलेगा भी तो किस हालत में मिलेगा यह किसी को नहीं मालूम है । काश्तकार भी नहीं जानता कि उसे क्या-क्या हकूक हासिल होंगे । आपने जो नया कानून दस गुना लगान के मुताल्लिक बनाया है उस पर उसे यकीन नहीं है कि आया यह गवर्नमेंट बाकी भी रहेगी या नहीं । सोशलिस्ट कुछ और ही कहते हैं । सारी बातों को सोचकर ही आपको कोई कदम उठाना चाहिये । यह एक मुश्किल सवाल है जिसके लिये गवर्नमेंट बड़ी तेजी से काम कर रही है उसको यह भी नहीं मालूम है कि हमारे मुल्क की क्या हालत है ? यहां के बाशिन्दे, यहां के रहने वाले हम आप सब ऐसे नहीं हैं कि इस बात को सोचें और समझें कि ठंढी हवा आने के बाद बरसात आने वाली है इसलिये अपने मकानों को दुरुस्त कर लें और आगे जो खतरात आने वाले हैं उनसे होशियार हो जायं । इसकी वजह यह है कि यहां के लोग लेजी (सुस्त) बहुत हैं । उनमें लेजिनेस (सुस्ती) बहुत ज्यादा मौजूद है और वह अपने फायदे और नुक्सान को सही तौर पर समझ भी नहीं पाते । इसलिये आपने अपनी इस स्कीम में जो दस गुना लगान जमा करने की बात रखी है जब तक उनकी समझ में सारी बातें न आ जायं और जब तक वह यह न महसूस कर लें कि इस कानून से हम फलां-फलां फायदे हासिल कर रहे हैं तब तक गवर्नमेंट की यह दस गुना लगान वसूली की स्कीम उस तेजी से नहीं चल सकती जिस तेजी से आप चलाना चाहते हैं । जब ऐसी जहमतें और दुश्वारियां हमारे और आपके सामने हैं तो हमको गौर करना चाहिए कि हम अपनी पालिसी में कोई ऐसी तब्दीली करें, जिसमें कि मुल्क को फायदा पहुंच सके । आप देखेंगे कि जमींदारी एबालिशन फंड के सिलसिले में हजारों

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

[श्री फ़खरुल इस्लाम]

किस्म के प्रोपेगेंडे हो रहे हैं । मैं आपको इलाहाबाद जिले की हालत ही बतलाऊं, कि चन्द आदमियों ने ही दो हजार बीघे जमीन दफा १४५ और १४६ के सिलसिले में कुर्क कर ली और उसके बाद वहां की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और उस एरिया के एस० डी० ओ० के जरिये करीब २,२०० बीघे जमीन कुर्क करके कोर्ट आफ वार्ड्स को यह अख्तियार देते हैं कि उसके सेटलमेंट करने का अख्तियार उसको होगा जो वह जिला मैजिस्ट्रेट की राय से करेगा। उसके बाद कांग्रेस के सेक्रेटरी साहब वहां गये और गाली–गुफ्ता भी दी और सेटिलमेंट आफिसर से कहा कि ८०० बीघे जमीन हमें दो ओर हम जिसको चाहें उसको दें। उसके बाद वे तकरीर करते हैं। तकरीर का नतीजा यह होता है कि तीन आदमी दूसरे ही रोज जान से मारे जाते हैं यानी इस तरह के वाकयात एक ही जगह नहीं बल्कि मुल्क के हर हिस्से में हो रहे हैं । अगर पुलिस का बजट ८ करोड़ ८ लाख से ज्यादा भी हो जाय और यही रविश जारी रही तो आप समझ लें कि आपके कानून का सही अमल नहीं हो सकेगा और इससे आपकी जिम्मेदारी कम नहीं होगी । बहुत से लोग अभी यही समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट इस कानून का निफाज अभी नहीं करेगी । इसको पास करके यों ही रहने देगी और फिर नये एलेक्शन के बाद यह जारी होगा । अगर ऐसा ख्याल है तो मैं अर्ज करूंगा कि आप इस सूबे की हालत और इस मुल्क की हालत को देखकर और खूब सोच–समझकर जितनी जल्दी हो सके कदम उठावें । मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आपने ऐसी कोशिश की और बाद में आप ऐसा करेंगे ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है । मैं इस बिल की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसमें यह कहा गया है कि कुछ सेक्शन के अन्दर दस गुना लगान हासिल करने में फोर्स और कोआर्शन (दबाव) से काम लिया गया है और उन फोर्स और कोआर्शन के इस्तेमाल करने के बाद भी आपने रुपया वसूल कर लिया तो मैं समझूंगा कि आपने रुपया हासिल कर लिया । लेकिन जो हकीकत है उससे आप इन्कार नहीं कर सकते हैं । मैं अपने जिले की मिसाल देता हूं कि जहां देहात की आबादी १७ लाख है वहां पर सिर्फ ७० बोरे चीनी, ७ बोरे १० लाख आदमियों के लिये, इस हिसाब से दी जाती है । यह तो सभी जानते हैं कि आजकल चीनी की स्केरसिटी (कमी) है । देहातों में किसी को भी चीनी बड़ी मुश्किल से मिलती है । वहां पर भी सरकार के कारिन्दों ने यह सिस्टम चला दिया कि जो आदमी जमींदारी एबालिशन फंड में भूमिधरी राइट्स के लिये रुपया जमा करता है उसी को चीनी दी जाती है और जो नहीं जमा करता है उसको नहीं दी जाती है। इन सरकारी कारिन्दों के ऊपर आज हमारी सरकार को नाज है जिन्होंने हमेशा अंग्रेजी हुकूमत में साम्राज्यवादी ताकत का साथ दिया । आपके ये कारिन्दे पहले कैसे थे इस बात को सभी अच्छी तरह से जानते हैं ।

आपकी खुशामद के लिये लोग इस तरह से जिलों में काम करते हैं । मुझे तो यह जानकर अफसोस हुआ कि आज इस ऐवान के अन्दर एक बुजुर्ग मेम्बर साहब यह फरमाते हैं कि अब पटवारियों की हालत बहुत सुधर गई है और उनकी तारीफ में तकरीर करते हैं । अरे जनाब ! पटवारियों की हालत क्या है ? आज जितना भी लिटिगेशन (मुकदमबाजी) देहात के अन्दर नजर आता है वह सब इन्हीं पटवारियों की वजह से है। मैं तो यह कहता हूं कि अगर आप इन पटवारियों के इन्स्टीट्यूशन को यककलम अबालिश कर सकते हैं तो आज ही इसको अबालिश कर दीजिये । आज क्या पटवारियों की हालत बदल गई है ? अभी कुछ दिन पहले जिसके जुल्मों का बयान बहुत जोर से किया जाता था अब क्या वे इतने बदल गये हैं ? मुझे तो यह देखकर अफसोस होता है कि आपकी जबान से इस तरह के अल्फ़ाज निकलते हैं । बिहार के अन्दर पटवारियों का इन्स्टीट्यूशन नहीं है आप भी

इस चीज को क्यों नहीं खतम कर देते? मैं यह एलानिया कहता हूं कि जब तक यह पटवारियों का इन्स्टीट्यूशन बाकी है तब तक जो आपकी काश्तकारी जनता है उसको चैन नहीं मिल सकती, उसको फायदा हासिल नहीं हो सकता। बहरसूरत हमको यह देखना है कि आपकी सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट, जो हमारे सामने आई है वह कहां तक ऐसी है कि जिसको यह ऐवान मंजूर करे और इसके अन्दर ऐसी जरूरी तरमीमात पेश करे, जो मुनासिब हों। इस बिल में ४ बुनियादी बातें हैं, चार इसके खम्भे हैं। पहला तो यह है कि मुआवजा क्या दिया जाय। दूसरा सवाल है कि मुआवजा देने का क्या तरीका हो, आखिर वह बांड मे दिया जाय या नकदी की शकल में दिया जाय। तीसरा सवाल यह आता है कि इन जमींदारों के बाद जो हमारी रिआया पर इतने जुल्म किया करते थे उनके जाने के बाद क्या इन्तजाम हो। यानी काश्तकारों की तरफ से कौन आदमी, जैसा कि अभी तक जमींदार किया करते थे, उसका इन्तजाम करेगा। चौथी बात यह है कि इस कानून के जरिये से जो अब हम पास करेंगे, यह कहां तक काश्तकारों को जो मुसीबतें हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, उनकी हिमायत करता है। यह चार बातें हैं जो बुनियादी बातें हैं और इसके खम्भे हैं और इन बुनियादों को सामने रखकर गवर्नमेंट कहां तक आगे बढ़ी है या जैसा कि लोग कह रहे हैं कि यह गवर्नमेंट का एक ढोंग है और पब्लिक को वह धोखे में रखना चाहती है और इसको खतम करना नहीं चाहती। शायद एलेक्शन के बाद ही इसके ऊपर अमल-दरामद हो सके। लेकिन इस बिल के पढ़ने के बाद मैं यह समझता हूं कि यकीनन इसके अन्दर ऐसी बातें जरूर हैं जो अगर इसके अन्दर नहीं होती तो यहां तक नाकामयाबी की शकल दिखाई नहीं देती। यह रिपोर्ट एक बहुत बड़े काबिल, होशियार और विद्वान् और जिम्मेदार शख्स ने कई महीने की मेहनत के बाद तैयार की है और उसके बाद सेक्रेटेरियट के लीगल रिमेम्बरेन्सर साहब ने और दूसरे कानूनदां हजरात ने एक बिल तैयार किया। यह सब बातें समझ में आईं और बहुत इसके ऊपर वक्त लगा। सेलेक्ट कमेटी ने भी इसके ऊपर २२ रोज तक बहस होने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की मगर अब सवाल यह होता है कि जनाब कम्पेन्सेशन कैसे दिया जाय। इसका जवाब यह दिया जाता है कि साहब, गवर्नमेंट इसके मुताल्लिक फैसला करेगी कि वह कैसे दिया जायगा। अब तक वह नहीं जानती कि बांड में दिया जायगा या नकदी में दिया जायगा। अगर नहीं दिया जायगा तो इसके लिये दूसरा अरेंजमेंट (प्रबन्ध) क्या होगा और किस तरह से जमींदारी को खत्म किया जायगा जो कि अभी तक खूब नजराना लिया करते थे। और आगे चलकर जमींदारों की शकल क्या होगी जो अभी तक नजराना और काश्तकारों पर जुल्म किया करते थे? उसके लिये सरकार की तरफ से क्या इन्तजाम होगा? कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो मुनासिब समझेगी इसके लिये वह तरीका अख्तियार करेगी और एक दूसरा प्लान यह भी है कि इसमें गांव-सभा से मदद ली जायगी। यह अख्तियार लेना गवर्नमेंट का जाहिर करता है कि गवर्नमेंट अभी तक जब कि सेलेक्ट कमेटी से यह आखिरी मर्तबा रिपोर्ट आ चुकी है तो हम यह नहीं जान सके कि वह इन सब बातों के लिये क्या करने जा रही है, उनकी तजवीज क्या होगी? जाहिर है कि जल्दी में एलेक्शन की बिना पर उसके चक्कर में पड़कर कोई ऐक्शन ले लेगी तो काश्तकारों के अन्दर बजाय इसके कि उनको यह मसूस हो कि जमींदार हट गये जो हमारा खून चूसा करते थे, उनकी जगह पर ऐसे लोग हैं जो सही मानों में खिदमत करते हैं, मैं समझता हूं इस बिल में यह चीज नहीं है और इससे यह वाजेह नहीं होता। किसी को आज नहीं मालूम कि आपके दिल और दिमाग में क्या है और आप की मन्शा क्या है? जो कुछ आप चाहते हैं वह इस कानून में होना चाहिये और उस पर आपको हाउस के सामने गौर करना चाहिये और हमको मौक़ा देना चाहिये कि हम उस पर अपनी राय का इजहार कर सकें। यह हरगिज-हरगिज मुनासिब नहीं है कि आप कह दें कि साहब, हम यह बाद में रूल्स बनाते वक्त तय कर देंगे। यह आपका सही तरीक़ा नहीं है। आपको साफ कहना चाहिये कि आपका मूड आफ कम्पेन्सेशन (मुआवजे का तरीक़ा) क्या होगा। आप नक़द मुआवजा देना चाहते हैं या बांड्स की

[श्री फखरुल इस्लाम]

शक्ल मे देना चाहते है । इसको आप साफ-साफ कह दीजिये ताकि वह आदमी जिसको आप मिटा रहे है और इस कानून के जरिये से फांसी दे रहे है और जिसकी एगज़िस्टेन्स को आप हमेशा के लिये मिटा रहे हें समझ सके कि उसको कितने मुआवजे मे जिन्दगी बसर करना है और उसकी आइन्दा जिन्दगी का मियार क्या हो सकता है और आपको उसे साफ बतलाना चाहिये कि किस तरह से उसको अपनी आइन्दा की इक़तसादी जिन्दगी को ढालना है । आपको इसी वक्त यह जाहिर करना चाहिए कि आप बान्ड्स मे अदायगी मुआवजे की करेंगे या कैश में। आज ५ साल के अन्दर आप यह छोटी-छोटी बाते भी तय नहीं कर सके और आप बताइये कि किस तरह से जमींदार और उनके लड़के अपनी आइन्दा की जिन्दगी के पैमाने को कायम करे। आज भी उनके वही बड़े-बड़े ख़र्च चले जाते है। उनको मालूम होना चाहिए कि आइन्दा उनकी कितनी आमदनी होगी ताकि वह अभी से अपने इख़राजात को एडजस्ट कर सके।

आपने जो दस गुना वसूली का कानून बनाया है उससे भी आपको यह तजुर्बा वाजे तौर पर हो ही गया कि काश्तकार ने आपकी स्कीम को कहां तक पसन्द किया है । अभी तक आपको एक अरब ७७ करोड़ मे से कुल १२ करोड़ की रकम हासिल हुई है और मै आपको पूरे यक़ीन के साथ बतलाए देता हूं कि आप चाहे जितनी जायज नाजायज कोशिश कर ले लेकिन आपको ३५ या ४० करोड़ से ज्यादा वसूली किसी हालत में भी नहीं हो सकती है। से इट डेफिटनिटली (ठीक-ठीक तौर से बतलाइए) कि आप जो उनके हुकूक ले रहे हैं उनके एवज मे आप उनको क्या देना चाहते हैं और यह आपका कौन सा इन्साफ का तरीका है कि आप उनको नहीं बतलाते कि किस तरह से उनको मुआवजा देंगे। वह नहीं जानते कि उनकी आइन्दा क्या आमदनी होगी, वह भी आप ही की सोसाइटी के आदमी हैं और उनकी जिम्मेदारी बहैसियत हुकूमत के आप ही के हाथ में हैं, उनकी भी औलादें है। आपको उनको साफ तौर से बताना चाहिये कि आगे समाज में उनकी क्या हैसियत होगी। यह कौन सा इन्साफ है कि आज पांच-छः साल के अन्दर भी आप उनको नहीं बता सकते कि वह आइन्दा इस सूबे में क्या हैसियत रख सकेंगे ? यह चीज काफी वजाहत के साथ आपको रखनी चाहिये और इस तरह के कानून इधर-उधर की बातों से तैयार नहीं हो सकते। मालूम नहीं कि आपके दिमाग मे कौन सी पालिसी है और आप बाद में कैसे रूल्स मे क्या करेंगे? To show yourself merciful but don't be merciful. To show yourself to be honest but don't be honest. (अपने को दयालु प्रकट करना किन्तु दया न करना, अपने को ईमानदार बताना किन्तु ईमानदार न होना।) लेकिन आप तो महात्मा गांधी की फिलासफी पर चलने वाले हैं आपका तो फर्ज है कि आप साफतौर से बतलावें कि हमने रुपये का जहां तक हो सका इंतजाम किया, लेकिन अब हम मजबूर हैं और सिर्फ बान्ड्स की शक्ल में ही मुआवजे की अदायगी कर सकते हैं और तुम इसके लिये तैयार हो जाओ। तब इस शक्ल में फिर कोई सवाल पैदा न होगा। आप आज टालते क्यों है और यह हिर्गालिंग की तरह की बाते करते है ! जहां तक आल्टरनेटिव अरेन्जमेंट (पाक्षिक प्रबन्ध) का सवाल है आपने तहसीलदार और पटवारी को इसी तरह से रखा तो मै आपको बतलाता हूं कि आजकल आपके राज में पटवारी को जितना आराम है और वह जितने मजे उड़ाता है, मै समझता हूं कि उतने आराम की जिन्दगी आज कोई नहीं गुजार रहा है और पहले कभी भी उसने इतना मजा नहीं किया होगा। पहले पटवारी की आमदनी का जरिया यह था कि झूठे इन्द्राजात करके और झूठी गवाहियां देकर काश्तकारों से किसी से २० रुपया और किसी से ३० रुपया लेकर मुकदमेबाजी कराता था और लोगों से साफ कहता था कि तुम्हारा यह करा दूंगा

और वह कर. दूंगा तुम इतना रुपया दे दो। जब से आप आए हैं तब से तो आपने उसकी आमदनी खूब बढ़ा दी है आप अगर फिगर्स मालूम करें तो आपको मालूम होगा कि आप बीसों चीजों और नई स्कीमों और जमींदारी के सिलसिले में वसूली के सिलसिले मे, पटवारियों और तहसीलदारों को ट्रेवलिंग एलाउन्स वगैरा दे रहे हैं। आप पटवारी, तहसीलदार, एस० डी० ओ० और लैन्ड रिफार्म कमिश्नर वगैरा सब को खूब रकमे बांट रहे हैं।

माननीय माल सचिव--उसकी वजह से वकीलों की फीस मे तो कोई कमी नहीं हुई है।

श्री फखरुल इस्लाम--उसमें तो कभी-कमी नहीं होगी। वह तो आपने भी बढाई होगी। आपके इस कानून को समझने के लिए शायद वकीलों को फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैजिस्ट्रेटों को भी शायद फिर से पढ़कर ला कोर्ट्स मे जाना पड़ेगा। लीगल प्रैक्टिशनर्स भी इस कानून को देखकर परेशान और पजिल्ड हैं। पार्टीशन ऐक्ट और सक्सेशन ऐक्ट इसमे हर एक कानून मौजूद है। हर एक बात में कनफ्यूजन मौजूद है।

बहर सूरत, मैं यह अर्ज कर रहा था कि आल्टरनेटिव अरेंजमेंट का आप फैसला करें कि वह क्या होगा। आप क्या करेंगे? तहसीलदारों के जरिये वसूल करायेंगे। पटवारियों के जरिये वसूल करायेंगे या जिस तरीके से कोर्ट आफ़ वार्ड्स के जरिये से वसूल होता है। यह चीज तो नुकसान की होगी या गांव-सभायें वसूल करेंगी। साहब कुछ तो कहिए आखिर आप क्या करेंगे। मैंने अभी बतलाया है कि आपके कलेक्टर साहबान गांव-सभाओं को पसन्द नहीं करेंगे। आपको मालूम होगा कि राशनिंग डिपार्टमेंट ने यह आर्डर भेजा कि कोआ-परेटिव सोसाइटी के जरिये गल्ले की दूकानें खोली जायं और यह भी हुक्म दिया गया कि पुराने रिटेलर्स को भी इसमें मनटेन किया जाय, फिर यह कहा गया कि इसमें चूंकि पुराने रिटेलर्स को रखा गया इसलिये यह खराबी पैदा हुई। आपकी इस स्कीम की जिम्मेदारी कलेक्टर साहब पर होगी वह कहेंगे कि यह तो झंझट है। काम तो पटवारियों के जरिये से ही होना चाहिये। साहब, पटवारियों की तादाद बढ़ा दीजिये। नतीजा इस का यह होगा कि जिस तरह से कुर्क तहसील होता है काश्तकारों के साथ कितनी ज्यादतियां होती हैं। नायब तहसीलदार, कुर्क अमीन और पटवारी किस तरीके रुपया वसूल करते हैं। एक रुपया रसीद की लिखाई का काश्तकार देता है। यह चीजें जारी रहेंगी। यह मैं नहीं कहता कि आप यह चाहते हैं। मैं आपको वार्न करता हूं कि आपके इस लेजिस्लेशन से जनता को फायदा नहीं होगा और काश्तकार को भी फायदा नहीं होगा। आपको चाहिये कि आप अपनी मेशिनरी को ट्रेनिंग दें कि साल भर के बाद जमींदारी खत्म होगी करोड़ों रुपया वसूल होगा। किस फार्म में होगा? कौन लोग रसीदें लिखेंगे? आपका इरादा जमींदारी खत्म करने का नहीं है। सरकार जमींदारी खत्म करना नहीं चाहती। एलेक्शन से कमिटेड है। सिर्फ एलेक्शन के लिये इसको करना है। आपको जनता का ख्याल नहीं है। मैं आपको बहुत सी राहें बतला दूं। जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव की अलाहिदगी है, प्रोहिबिशन है और और बहुत सी चीजों में आप कमिटेड हैं। कर्जे के लिये क्या होता है? यह सब चीजें कौन पूछेगा। यहां की जनता बड़ी खामोश और साइलेंट है। लोग आपके ऐक्शन पर गौर नहीं करेंगे।

अब दूसरा अहम सवाल है रिलीफ़ का। इसको आप देखेंगे तो जहां तक लैंडलेस लेबरर का ताल्लुक है तो रिपोर्ट क्या कहती है। जमींदारी बिल में कोई जिक्र नहीं है। उनके लिये किसी किस्म का इंतजाम यह कानून नहीं करता। अब हमें यह देखना है कि दूसरी किस्म के जो काश्तकार हैं उन्हें क्या फायदा होता है। दस गुने लगान की हमारे लिये कोई खास अहमियत नहीं है। जमींदारों को मुआवजा मिलता है। इससे क्या होगा? जो चीजें हमें देखना है वह यह है कि आया मौजूदा काश्तकार की हालत में फर्क पैदा होता है या नहीं। तो कोई फर्क मौजूदा हालत में पैदा नहीं होता है, हां उसको राइट आफ ट्रान्सफर (हस्तांतरण-अधिकार) मिल गया है। उसकी कोई अहमियत नहीं है। यह मानना पड़ेगा कि जमीं-

[श्री फखरुल इस्लाम]

दारी अबालिश कर देंगे तो जो नजराने लिये जाते थे जो बेगार ली जाती थी उससे नजात हो जायगी। लेकिन बजाय इसके अब वह बड़े जमींदार और ताल्लुकेदार के कही रेवेन्यू मिनिस्टर का गुलाम न हो जाय या हमारे कांग्रेसी एम० एल० एज० की किसी तरह से जी हुजूरी न करे या कलेक्टर साहबान या तहसीलदारों की बेगार न करने लगे। हमें यह देखना है कि इससे क्या हार्डशिप्स (कठिनाइयां) अराइज (पैदा) होती है, वे मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। इस कानून से जो हार्डशिप्स काश्तकारों को पैदा हो रही है, उनका इलाज हमको और आपको सोचना चाहिये। आप जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत मे लैंड रेवेन्यू ऐक्ट एक बड़ा सख्त कानून गवर्नमेंट ने बनाया था, इसलिये कि अगर एक पैसा भी जमींदार के पास रेवेन्यू का बाकी रह जाय तो उसे जेल मे बन्द कर दे, उसके साथ जितनी सख्ती चाहे कर ले और लम्बरदार को भी गिरफ्तार करके और उससे रुपये वसूल करे। यह हमारे बृटिश राज्य के जमाने में था। बदकिस्मती से वही अफसर सेक्रेटेरियट के अन्दर मौजूद हैं जो बृटिश राज्य को चलाया करते थे। उन्होंने कहा कि साहब यह बड़ा गलत तरीका है। रुपया तो आप हमसे ही वसूल करायेंगे। यह चीज उनके दिमाग में मौजूद है, निकली नहीं है। वसूल, तहसीलदार या नायब तहसीलदार ही करेगा आखिर हम क्या करें? वह कहते हैं कि साहब, हर वह कानून जो कि अंग्रेज ने इसके मुताल्लिक बनाया था उसी पर अमल-दरामद हो। और मुझे अफसोस है कि सेलक्ट कमेटी ने उसको एक कदम और आगे बढ़ा दिया। जैसे आप जानते हैं कि सिविल ला का एक बड़ा ऊंचा प्रिंसिपल है कि अगर किसी शख्स के ऊपर कोई डिग्री स्टेट की नहीं यानी प्राइवेट इंडिवीजुअल (वैयक्तिक) की हो तो एक साथ तीन किस्म के एक्जीक्यूशन्स नहीं होते। यानी एक का मकान भी अटैच हो, प्रापर्टी भी अटैच हो और वह जेल में भी बन्द किया जाय। अगर सिविल कोर्ट में यह तीन दरख्वास्तें आप दीजिये तो वह कहेंगे कि वन मोड आफ एक्जी-क्यूशन हो सकता है। यह तो दफा २५२, २५३ में है कि मोड आफ एक्जीक्यूशन एक हुआ करता है। यह नहीं हो सकता कि आप तीन तरीके अख्तियार करें। लेकिन इस कानून के अन्दर मुझे तो हैरत हुई कि हमारे द्वारिका प्रसाद मौर्य साहब भी, जो काश्तकारों के बड़े हमदर्द हैं, नोट आफ डिसेंट लिखने वाले, उन्होंने यह कह दिया कि जेलखाने के साथ-साथ प्रापर्टी सब चली जायगी। मुझे ताज्जुब हुआ कि यह चीज उनके जहन में आई कैसे और उन्होंने यह नहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अख्तियार नहीं होगा कि एक काश्तकार के ऊपर सिर्फ उसके लगान की नाआदायगी के लिये तीन-तीन तरीक़े अख्तियार करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब जमीं-दार का लगान बाकी रहता था तो वह क्या करता था? वह तहसीलदार को नोटिस दिया करता था, मुकदमा क़ायम होता था, डिग्री होती थी, क्या उसको यह अख्तियार था? लेकिन आपका कानून कहता है कि अगर काश्तकार मालगुजारी न दे तो आप उसको जेल में बन्द कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आया काश्तकार को इससे कुछ फायदा पहुंचता है या नुकसान और उसको कहां तक रिलीफ पहुंचती है। मैं कहता हूँ कि एक मुहाल के अन्दर पांच जमींदार हैं। तीन ने मालगुजारी दे दी और दो ने नहीं दी। तो कलेक्टर यह हुक्म दिया करता था कि फलां लम्बरदार को गिरफ्तार करके रुपया हासिल करो और आप जानते हैं कि वह बड़ा मोटा असामी हुआ करता था। उसने आसानी से दो हजार, पांच हजार रुपया दे दिया, लेकिन अपने उस जमीं-दार से पांच परसेंट चार्ज कर लिया। यही नहीं, अगर पांच ही परसेंट का मामला होता तो शायद वह न देता, लेकिन तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, एस० डी० ओ० की नजरों में वह एक बड़ा ही सुन्दर आदमी माना जाता था। यानी जिस तरीक़े से आप देखते हैं कि भूमिधरी राइट्स के लिये सीमेंट, लोहे के परमिट मिलते हैं, इसी तरह उस जमाने में कोई रायबहादुर, खानबहादुर, कोई ठेका हुआ तो उसमें ठेकेदारी, कोई लीज हुई तो उसमें लीज, गरज हजारों किस्म की चीजें थीं। लेकिन मैं आपसे

अर्ज करूंगा कि हमारे मुल्क की हालत, हमारे काश्तकार की हालत अब चाहे जितनी ही अच्छी मालूम होती हो, लेकिन आज भी सैकड़ों किसान हर गांव मे और देहात में रात में भूखे सोते हैं, उनके बच्चों के पास कपड़ा नहीं है।

मुल्क के अन्दर जब कहीं पर फ्लड आता है, कहीं पर ओलाबारी होती है और उसके बाद काश्तकार लगान देने के काबिल नहीं होता है तो आप बहैसियत रेवेन्यू मिनिस्टर रेमिशन्स करते हैं। फिर आप कहते हैं कि यह तो थोड़े से आदमियों का सवाल था। अब यहां पर करोड़ों की तादाद में उस गांव के तमाम काश्तकारों का मामला है। अगर दस काश्तकारों ने रुपया नहीं दिया तो उन तमाम काश्तकारों की वह ज्वाइंट और सेवरल रेसपांसबिलिटी होगी और आप रुपया वसूल कर लिया करेंगे। मै अपसे पूछता हूँ कि आज तक यह चीज इस तरह से कभी रायज हुई। जब आप काश्तकार की भलाई के लिये एक कानून लाते हैं और उस पर ऐसी सख्तियां हों, तो यह कोई मुनासिब चीज नहीं है। यह कभी भी तसल्लीबख्श नहीं हो सकता। उन तमाम कानूनों क जो हमने आपको दिये कि गवर्नमेंट इनको इस्तेमाल करेगी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने इनका नाजायज इस्तेमाल किया है। आप डिटेंशन लाज को देखिये। पब्लिक के दूसरे मामलात को देखिये। हमेशा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने खराब किया है। जब आप ऐसा कानून डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अख्तियार मे देते हैं तो अगर वह पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट पर यह लिख दें कि फलां गांव के अन्दर २५ काश्तकारों ने रुपया अदा नहीं किया है ओर गांव वालों से वसूल कर लिया जाय, तो मै आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रेवेन्यू मिनिस्टर यही कहेंगे कि उस गांव के तमाम लोगों की जितनी जायदादें हैं कुर्क कर ली जावें और उनसे रुपया वसूल कर लिया जाय। जब कानून के अन्दर ऐसी दफ़ा मौजूद है तो कौनसी मुमानियत है, कौनसी रुकावट है, जो कि उसको ऐसा करने से रोके? एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदा हालत में आप तमाम पालीसीज पर नजर नहीं रख सकते। मुझे अफ़सोस है कि आप इस पर गौर नहीं करते। आज हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहता है और हर पुलिस आफ़िसर चाहता है कि किसी भी आदमी को बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी जुर्म के बंद करदे और इसलिये कि हम मुजरिम के खिलाफ़ सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते। एक ऐसी टेंडेंसी पैदा हो गई है आपके आफ़िसरों के अन्दर कि वे घर बैठे हुये, बगैर किसी तकलीफ के उठाये हुये, लोगों को जेल में बन्द कर दे। में आपसे अर्ज करता हूं कि इसमें कौनसी चीज होगी जो इस चीज को रोकेगी कि अगर एक पटवारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखता है कि फलां गांव से रुपया वसूल करना है मुझे डेढ़ करोड़ और वहां से अभी वसूलयाबी कुछ नहीं हुई है और डिस्ट्रिक्ट अफिसर गवर्नमेंट को मूव करता है तो क्योंकि गवर्नमेंट तो उसे खुदा समझती है, इसलिये वह उसके ऊपर क़लम भी नहीं उठा सकती है। हमने देख लिया कि जो पावर्स हमने रूल बनाने की इस हाउस में आपको दी हैं उनका आपने गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया है। तो क्या गारंटी है कि अगर इस कानून को भी हम आपको दे दें तो इसका भी आप नाजायज इस्तेमाल नहीं करेंगे? ऐसी सूरत में मै समझता हूं कि मुनासिब यही होगा कि यह दफा इस बिल में से निकाल दी जानी चाहिये।

दूसरी दफ़ा जो हमारे सामने है वह पार्टीशन की है। पार्टीशन उन खेतों का नहीं होना चाहिये जो अनइकोनामिक हैं। सवा छः एकड़ से ज्यादा जिस काश्तकार के पास जमीन थी उसके पार्टीशन के लिये बहुत सी रुकावटें थीं। लेकिन बुरा हो रिश्वतसतानी का, मैं तो यही कहूंगा कि साहब अजीब ब्लैकमार्केटरी है कि अगर किसी काश्तकार ने भूमिधरी राइट्स पाने के लिये दसगुना लगान जमा कर दिया तो आप उसको खुदा समझते हैं।

अगर रुपया नहीं आता है तो जमींदरों से कह दें कि हम बांड देंगे, रुपया नहीं देंगे। इसमें कोई हिक कीबातनहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि अगर भूमिधरी हो गया

[श्री फखरुल इस्लाम]

है तो उसकी जमींन अगर छः एकड़ से भी कम होगी तो भी पार्टीशिन कर दिया जायगा। यह कहां का इंसाफ है? आप चाहते हैं कि हमारे यहां की इकोनामिक होल्डिंग्स और भी अनइकोनामिक होल्डिंग्स हो जायें। मुझे यह शुबह मालूम होता है कि जो प्रोपेगेंडा जमींदार लोग करते थे उस पर अब यक़ीन होता जा रहा है कि जो रुपया जमा हो रहा है यह तो निजाई के खाते का जमा हो रहा है, यानी जिनमें डिस्प्यूट है। "dispute between son and father, It will go against brother and sister." (पुत्र और पिता के बीच में झगड़ा, यह भाई और बहिन के विरुद्ध जायगा।) लेकिन मैं यह समझता था कि यह जमींदारों का एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन आपकी हेल्पलेसनेस मुझे मजबूर करती है। हो सकता है कि लालच की वजह से आप भी ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशन्स और इस बिल के बुनियादी उसूलों को नजरन्दाज करते हों और कहते हैं कि हम अनइकोनामिक होल्डिंग्स (कम आमदनी वाली जोतें) बढ़ायेंगे, अगर हमें दस गुना रुपया मिल जाय। मैं तो यह कहूंगा कि आपको किसी भी हालत में अनइकोनामिक होल्डिंग्स को नहीं बढ़ाना चाहिए, चाहे आपको रुपया भले ही न मिले। आपको अनइकोनामिक होल्डिंग्स को खत्म करके कोआपरेटिव फार्मिंग की तरफ जाना चाहिये, जिससे कलेक्टिव फार्मिंग होने लगे। इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं होता है और न गवर्नमेंट को ही कोई फायदा होता है। लेकिन ऐसे लोगों को जिनको कि आपको मुआवज़ा देना है उनको आप बांड में दे दें क्योंकि आखिर में आपको बांड में देना ही होगा। इसलिये यही डिज़ायरेबिल (वांछनीय) है कि आप अभी से यह कह दें कि हम बांड देना चाहते हैं।

इस तौर पर मैं पार्टीशन का जिक्र कर रहा था। इसमें कुछ दफायें ऐसी हैं, जो जेबा और मुनासिब नहीं हैं।

तीसरी चीज़ पर मुझे अभी शुबह है, मुमकिन है आप रोशनी डाल सकें। वह है कि सेटिलमेंट कितने दिन बाद होगा। आज हमारे यहां ५० फीसदी जिले ऐसे हैं जहां सेटिलमेंट ड्यू है आपकी दफ़ात साफ और क्लीयर नहीं है। एक काश्तकार सवाल करता है और इसमें जमींदारों का प्रोपेगेंडा भी शामिल है कि इसकी क्या गारंटी है कि आज हम रुपया दे देते हैं और कल को सेटिलमेंट होने पर आप बढ़ायेंगे नहीं। हमने जो फल बोया उसको हम चख सकेंगे या नहीं। इसकी बहुत सी दफायें मेरी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ मैं समझ सका हूं मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिन जिलों का सेटिलमेंट ड्यू है वहां अब भी हो सकता है। अगर किसी काश्तकार ने दस गुना जमा कर दिया और कल को आपका सेटिलमेंट हुआ तो इसकी क्या गारन्टी है कि वह इंक्रीज नहीं हो सकता है। जहां तक मेरा ख्याल है, हो सकता है और मैं यह कहता हूं कि पचास फीसदी ऐसे जिले हमारे सूबे में हैं जिनका सेटिलमेंट ड्यू है, वहां के लोग भूमिधरी राइट्स हासिल कर लें तो उनका लगान ४० साल तक नहीं बढ़ेगा, या नये आपरेशन के बाद इसका आपरेशन हो जायगा। यह साफ नहीं है इसलिये यह होना चाहिये कि ४० साल तक यह नहीं बढ़ेगा। यह एशोरेन्स आपकी तरफ से आना चाहिये। इस तरह से आप इन तमाम मसलों पर जो हार्डशिप्स (कठिनाइयां) काश्तकारों के साथ होंगी या होने वाली हैं उन पर सोचें और मैं उम्मीद करता हूं कि जिनकी भलाई के लिये आप यह कानून ला रहे हैं उनको भलाई होगी। ताकि वह हमको और आपको दोनों को मुबारकबाद दे सकें कि ऐसा कानून हमारी कांग्रेस सरकार लाई है जिससे हम जमींदारों के पंजे से छूटे और आज हम सुख की नींद सोते हैं। जैसा कि हमारे बुजुर्ग श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी जी ने कहा कि हर जगह दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, किसानों में आज सुख और शान्ति है और कांग्रेस सरकार ने जो यह बिल बनाया है यह बहुत बड़ा इन्कलाब पैदा करने वाला है, मैं चाहता हूं कि वाकई ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा है।

मुआविजे के सवाल पर आप बहुत डिटरमिंड हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद दूं कि सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरान इस मसले पर बहुत डिटरमिंड थे। जमींदार मेम्बरान जो उसमें गये थे तो केवल इसी मंशा से कि किसी तरह कम्पेसेशन बढ़ा लें कानून चाहे जिस तरह से हो। लेकिन आप इस मसले पर इतने डिटरमिंड थे कि आपने स्केल को बदस्तूर कायम रखा। यह स्केल मुनासिब है या नामुनासिब इसके मुतअल्लिक मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बजुज इसके मैं यह कहूं कि वह बुनियाद जिस पर आप होल स्ट्रक्चर आफ सोसायटी रखना चाहते हैं, यानी क्लासलेस सोसाइटी वह इससे बनती नजर नहीं आती। अजीब यह एक जहमत है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर आया एवोल्यूशन से बन सकता है या रिवोल्यूशन से। एवोल्यूशन का जो प्रोसेस आप एडाप्ट कर रहे हैं उसमें सही नतीजे पर देर से पहुंचने का अंदेशा है हो सकता है कि सही नक्शा हमारे सामने न आ सके। आज आप जमींदारों से, जमींदार साहबान माफ करेंगे, यह कह दें कि तुमको मुआविजा नहीं मिलेगा तो क्या नतीजा होगा। जमींदार परेशान होंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस मालिक ने मुझे और उनको पैदा किया है और जो रोजी का जिम्मेदार है वह उनके बच्चों और औलाद को जरूर रोजी देगा, इसमें कोई भी दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन वह रोजी ऐसी होगी जो आराम और आसाइश के साथ नहीं मिल सकती बल्कि पसीना जिस्म का निकलेगा तब रोजी हासिल होगी। वे हमारी सोसायटी के बेहतरीन फर्द होंगे और ऐसा इन्कलाब करेंगे। हो सकता है, रिवोल्यूशन करें और कम्यूनिस्ट बन जायें, लेकिन उस रिवोल्यूशन से मुल्क की बहबूदी होगी।

एक सदस्य--अगर डकैत हो जायं ?

श्री फखरुल इस्लाम--मेरे दोस्त कहते हैं कि चोर और डकैत हो जाये। अगर डकैत हो जाये अपनी खूराक के लिए तो यह सोसाइटी का फर्ज है कि किसी को नंगा और भूखा न रहने दे। उनकी खूराक का इंतजाम करती रहे। जो तरीका आपने अख्तियार किया है कम्पेसेशन का, उससे क्लासलेस सोसाइटी नहीं बनती। कैपिटलिस्ट्स बनिया-महाजन खुर्राटे की नींद सो रहे हैं। वह समझते हैं कि हमारे लिये कोई रुकावट नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो कानून बनाया है उसमें जमींदारों से कह दिया है कि २६ जनवरी तक जो कानून पेश होगा उसमें क्वेश्चन आफ कम्पेंसेशन (मुआवजे का सवाल) कोर्ट आफ ला से डिसाइड नहीं हो सकता। लेकिन महाजनों और कैपिटलिस्टों के लिये कोई दफा मौजूद नहीं है, उनको छोड़ दिया गया है। इस तरह फितरी तौर पर जमींदार को यह ख्याल होता है कि यह स्टेप मदर्ली ट्रीटमेंट कांग्रेस सरकार क्यों करती है। बनियों, कैपिटलिस्टों को फ्लरिश (उन्नति) करने का मौका क्यों दिया गया है? इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। इस सरकार को और इस मुल्क को एक क्लासलेस सोसाइटी की तरफ जाना है। इसी में हमारी और आपकी निजात है। जो कदम उठे वह जल्द उठे। पश्चिम और पूर्व से हर तरफ से एक लाल बादल हमारे और आपके सामने नजर आता है, उसकी हवाएं ऐसी हैं जो तमाम सोसायटी स्ट्रक्चर को खत्म करने वाली है, उस खतरे से हमें और आपको डरना चाहिए। जो फर्क है गरीबी और अमीरी का, उसको हटाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। जमींदारों के साथ यह ज्यादती की गयी है। सबको हमें एक लेविल पर लाना चाहिये और अगर ऐसा होता तो शायद किसी जमींदार को कोई एतराज नहीं होता कि आपने हमारे साथ क्यों ज्यादती की। जब कि सब के सब एक ही किश्ती पर सवार होंगे, सब मुसीबत के अन्दर होंगे, सब के लिये दूध मक्खन होगा या जौ की रोटी और चने की दाल होगी। मैं अर्ज करूंगा कि आप इस पर ध्यान दें और आप साफ तौर से कह दीजिये कि हम इतना देंगे इससे ज्यादा नहीं मिलेगा और वह बांड की शक्ल में मिलेगा। बाद में अगर रुपया जमा हो जाय तो आप बांड को बदल सकते हैं। बांड की जगह पर नकद दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपको यह कहने में क्या मुश्किल है कि बांड की शक्ल में देंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता।

जब इन चीजों पर आप गौर करेंगे तभी हमारा मुल्क, काश्तकार और गरीब समझ सकेगा कि इस कानून से हमको कुछ फ़ायदा हुआ। और उन चार खम्भों पर, जिन

[श्री फखरुल इस्लाम]
पर मैंने इस बिल की बुनियाद रखी है, उन पर ध्यान देकर इस बिल को जब इस तरीके से रखेंगे, तभी इस सूबे को कुछ फायदा होगा।

इसी सिलसिले में मैं वक्फ और चैरिटेबिल इंस्टीट्यूशन्स के बारे में भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इस सिलसिले में भी आपने कुछ तब्दीलियां की हैं। हमारे अनरबिल मिनिस्टर साहब बहैसियत एक वकील के मुस्लिम वक्फ ऐक्ट के बारे में वाकिफ होंगे। उनके बैनिफिशियरीज का लिमिटेड इंटरेस्ट है। हिन्दू बेवागान की तरह और जिस वक्त वह लिमिटेड इंटरेस्ट वैनिश हो जाता है वह प्रापर्टी खुदा को चली जाती है। तो ऐसी सूरत में जहां चैरिटेबिल इंस्टीट्यूशन्स की प्रापर्टी पचास वर्ष के बाद जाने वाली है, ऐसे केसेज के लिये आपने कोई प्राविजन नहीं किया है, ह्वाट यू आर गोइंग टु डू। किस तरीके से आप वक्फ का सेफगार्ड करेंगे? वाकिफ मर चुका, उसने प्रापर्टी पार्टीकुलर परपज के लिये डेडीकेट कर दी और बतला दिया कि यह प्रापर्टी मेरे मरने के बाद, हमारी फेमिली को जाय, उसके बाद फ़लां कारेखैर में चली जाय। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? इस बिल के पढ़ने के बाद कुछ प्राविजन्स देखने में आते हैं, लेकिन किसी से इसकी सफ़ाई नहीं होती। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि, इसके लिये बहुत आसान तरीका है और मैं समझता हूं कि मुस्लिम वक्फ वैलिडेशन ऐक्ट, १९१३ ई० के बारे में वाकफियत रखने वाले सभी लोग जानते होंगे कि अगर कोई चैरिटेबिल प्रापर्टी गवर्नमेंट अक्वायर करती है फ़ार दि पब्लिक परपज यानी कोई गांव कोई खेत कोई मकान मान लिया कि गवर्नमेंट ने अस्पताल के लिये अक्वायर कर लिया तो गवर्नमेंट को अख्तियार है कि वह कर सकती है। लेकिन प्राविजन यह कहता है कि जितना रुपया उससे मिले वह सब चैरिटेबिल परपजेज के लिये जाय यानी दूसरे मामलों में इस्तेमाल न किया जाय। मैं यह सजेशन देता हूं और मैं समझता हूं कि दूसरे लाइयर्स भी इससे डिसएग्री नहीं करेंगे कि मुआविजा बेनिफिशयरीज को न देकर तमाम रुपया एक बैंक में जमा कर दिया जाय, उसका फायदा जब तक वह बेनिफिशियरीज उठा सकते हैं, उठाते रहें और अगर रिवर्ट हो तो रिवर्ट कर दी जाय। इससे मैं समझता हूं कि सही और जायज बात भी हो जायगी अगर मुआविजा देना है दस हजार तो दे दें, लेकिन बैंक में जमा हो जाय। लेकिन जब वह बेनिफिशियरी मर गया तो वह रुपया मौजूद रहेगा और मुतवल्लीन खा नहीं सकेंगे। वक्फ बोर्ड मौजूद है, उसके जरिये से कर दें, वह उसको देखता रहेगा। यह ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं नहीं समझता कि आपको कोई खास जहमत या कोई खास परेशानी पैदा हो।

कतिपय समितियों के लिए सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा

डिप्टी स्पीकर--अब आप मेहरबानी करके पांच मिनट के लिये बैठ जांय मुझे दो एक जरूरी ऐलानात करने हैं और वह भी इसलिये कि वे ऐलानात इसी वक्त करने चाहिये क्योंकि कमेटियों के लिये माननीय स्पीकर ने आज १२ बजे तक का वक्त नामजदगी के लिये मुकर्रर किया था और आज चार बजे तक नाम वापिस लेना है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मैं उनका ऐलान कर दूं ताकि अगर कोई मेम्बर साहब चाहें तो नाम वापिस ले सकते हैं।

आर्कियालाजिकल म्यूजियम, मथुरा की प्रबंधकारिणी समिति के लिये एक सदस्य का चुनाव होना चाहिये। इसमें दो नाम आये हैं, श्री शिवमंगल सिंह, मथुरा और श्री मुहम्मद नजीर। एक का चुनाव करना है, इसलिये अगर ४ बजे तक इनमें से कोई नाम वापिस नहीं हुआ तो कल १२ बजे और ४ बजे के बीच में रीडिंग रूम में चुनाव होगा।

प्रांतीय म्यूजियम, लखनऊ की प्रबंधकारिणी समिति के लिये एक मेम्बर का चुनाव होना था। श्री बबन सिंह का नाम आया है और किसी का नाम नहीं है। यह कायदे के अन्दर ठीक है। इसलिये मैं घोषणा करता हूं कि श्री बबन सिंह इस कमेटी के सदस्य चुन लिये गये।

संयुक्त प्रान्तीय म्यूजियम एडवाइजरी बोर्ड मे दो जगहे हैं। इसमे तीन नाम आये हैं, डाक्टर रामधर मिश्र, श्री चन्द्रभान शरण सिंह और श्री मुहम्मद नजीर। दो जगहे हैं। ये कायदे के अन्दर नाम सब ठीक हैं और जैसा कि माननीय स्पीकर ने कल घोषणा की थी, इनमे से अगर एक नाम चार बजे तक वापिस नही हुआ तो कल १२ बजे और ४ बजे के बीच मे इसके लिये चुनाव रीडिंग रूम मे होगा।

कृषि तथा पशु-पालन स्थायी समिति मे एक रिक्त स्थान के लिये चुनाव होने वाला है। समे श्री शाहिद फाखरी का नाम आया है जो कायदे के अन्दर ठीक है और किसी का नाम नही है। इसलिये मै श्री शाहिद फाखरी को इस समिति का सदस्य चुना हुआ घोषित करता हूं।

प्रान्तीय नर्सेज एंड मिडवाइफ कोन्सिल मे दो मेम्बरों के लिये चुनाव होने वाले थे और दो नाम यानी श्रीमती सज्जन देवी और श्री गजाधरप्रसाद के नाम आये हैं और ये कायदे के अन्दर ठीक हैं। इसलिये मै इन दोनों सदस्यो को चुना हुआ घोषित करता हूं।

बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी, की प्रबंधकारिणी समिति में श्री भूदेव शर्मा अलीगढ वाले का नाम आया है। कायदे के अन्दर इसमे असेम्बली का सदस्य होना जरूरी है। यह नाम जिनका आया है वे सज्जन इस असेम्बली के सदस्य नही है, इसलिये नामांकन पत्र जायज नहीं करार दिया जाता। इसके मुतालिक अगर कोई माननीय सदस्य इस वक्त विचार करके कोई नाम पेश करना चाहे तो पेश कर सकते हैं।

एक सदस्य—क्या लिखकर भेजना होगा ?

डिप्टी स्पीकर—जबानी तजवीज कर सकते हैं और अभी कर सकते हैं।

श्री महमूद अली खां—मै श्री दीनदयालु शास्त्री का नाम पेश करता हू।

श्री राममूर्ति—मैं इसका समर्थन करता हूं।

डिप्टी स्पीकर—मैं श्री दीन दयालु शास्त्री को इस समिति का चुना हुआ सदस्य घोषित करता हूं।

आर्कियालाजिकल म्यूजियम, मथुरा, की प्रबंधकारिणी समिति जिसके लिये दो नाम आये हैं, श्री शिवमंगल सिंह, मथुरा और श्री मुहम्मद नजीर, इसमें एक जगह है और प्रान्तीय म्यूजियम एडवाइजरी बोर्ड, जिसके लिये तीन नाम आये हैं, डाक्टर रामधर मिश्र, श्री चन्द्रभानु शरण सिंह और श्री मुहम्मद नजीर, इसमें दो जगहें हैं।

अब ये दोनों चुनाव कल १२ बजे से ४ बजे के बीच में रीडिंग रूम में होंगे, अगर आज ४ बजे शाम तक इसमें से कोई नाम वापिस न लिया गया। अगर वापिस लिया गया तो उसकी घोषणा उठते वक्त कर दी जायगी।

भारतीय पार्लियामेंट के रिक्त स्थानों के लिए चुनाव के संबन्ध में घोषणा

डिप्टी स्पीकर—भारतीय पार्लियामेंट की २५ जगहों के लिये जो नाम वक्त के अन्दर आये और उन सब को कायदे के मुताबिक सही पाया गया वे ये हैं:—

१—श्री जहीरुल हसनैन लारी, इलाहाबाद
२—श्री पुरुषोत्तम सिंह सेठी, लखनऊ
३—श्री हाफिज शेख रफी उद्दीन खादिम
४—श्री लक्ष्मी शंकर यादव, जौनपुर
५—श्री जाकिर हुसेन खां, अलीगढ़
६—श्री कामाख्या दत्त राम, लखनऊ
७—श्री युवराज दत्त सिंह, लखीमपुर खीरी
८—श्री मौलवी मुन्जूरन नबी
९—श्रीमती सुचेता कृपलानी, मेरठ
१०—श्रीमती उमा नेहरू, लखनऊ
११—श्री सादिक अली, बनारस
१२—श्री मुहम्मद हिफ्जुर रहमान, देहली
१३—श्री मुनेश्वर दत्त उपाध्याय, प्रतापगढ़
१४—श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा, झांसी
१५—श्री गोपीनाथ सिंह, कानपुर
१६—श्री के० के० भट्टाचार्य, इलाहाबाद
१७—श्री आर० यू० सिंह, लखनऊ
१८—श्री इन्द्र विद्या वाचस्पति, हरद्वार

[डिप्टी स्पीकर]

१९---श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, बनारस
२०---श्री हरिहर नाथ शास्त्री
२१---श्री बेनी सिंह, कानपुर
२२---श्री नेमीशरण जैन, विजनौर
२३---श्री कृष्णानन्द राय, गाजीपुर
२४---श्री श्रीसरयू प्रसाद मिश्र, देवरिया
२५---श्री शिव चरण लाल, इलाहाबाद
२६---श्री राम लखन, बनारस
२७---श्री मुख्तार सिंह, मेरठ
२८---श्री देवीदत्त पंत, अलमोड़ा
२९---श्रीमती शान्ति देवी, लखनऊ
३०---श्री मती गंगा देवी चौधरी, मेरठ
३१---श्री नरदेव स्नातक, मथुरा
३२---श्री बलदेव सिंह आर्य, गढ़वाल
३३---श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी, बुलन्दशहर
३४---श्री सोहन लाल, बस्ती
३५---श्री श्यामलाल वर्मा, नैनीताल
३६---श्री पन्ना लाल, फैजाबाद

श्री जमशेद अली खां---मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि क्या अब भी यह स्टेज है कि अगर कोई अपना नाम वापिस लेना चाहे, तो ले सकता है।

डिप्टी स्पीकर---दो कमेटियां जो मैंने अभी बताई उनके नाम आज शाम को ४ बजे तक वापिस लिए जा सकते हैं। पार्लियामेंट के नाम कल एक बजे तक वापिस लिए जा सकते हैं।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल*

डिप्टी स्पीकर---अब श्री फ़ज़लुल इस्लाम अपनी तक़रीर जारी रखेंगे।

श्री फ़ज़लुल इस्लाम---जनाब वाला, मैं यह कह रहा था कि औक़ाफ़ के सिलसिले में गवर्नमेंट को यह तरीक़ा अख्तियार करना चाहिये जिससे यह हो सके कि वक़्फ़ करने वाले की आखिरी ख्वाहिश जो उसके मरने के पहिले या बाद की थी, और वह उस जायदाद के मुताल्लिक़ थी, वह इस गवर्नमेंट के क़ानून से ख़त्म न हो जाय बल्कि बदस्तूर क़ायम रहे। क्योंकि मरने वाला तो मर गया, उसे यह मालूम न था कि एक ऐसा ज़माना भी आने वाला है जब सरकार एक ऐसा क़ानून बनायेगी और वह क़ानून ऐसा होगा जिसमें उसकी ख्वाहिश के खिलाफ़ उसकी प्रापर्टी को डिस्पोज़ किया जायगा। मैं यह चाहता हूं कि प्रापर्टी तो ख़त्म होगी ही लेकिन उसके मुआविज़े से उसकी मर्जी बदस्तूर क़ायम रहनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह एक क़ानूनी और बुनियादी उसूल है और गवर्नमेंट को और इस हाउस को इसमें कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए।

इसी तरह से चैरिटेबिल और रिलिजस औक़ाफ़ के ऊपर एक हंगामा मचा हुआ है, मालूम नहीं क्यों। मेरी समझ में नहीं आया कि चैरिटेबिल और रिलीजस औक़ाफ़ दोनों अलाहिदा-अलाहिदा क्यों कर दिये गये अब तक दोनों एक ही साथ डील हुआ करते थे। जहां तक मानी का ताल्लुक़ है दोनों ऐसे औक़ाफ़ हैं हिन्दू और मुसलमानों के जो चेरिटेबिल और रिलीजस परपजेज के लिए होते हैं और एक ही मानी में इस्तेमाल होते आये हैं, लेकिन इस बिल के अन्दर इनकी डेफिनेशन अलाहिदा-अलाहिदा कर दी है जिसकी वजह से एक अजीब कनफ्यूजन पैदा हो गया है। दोनों के पढ़ने के बाद भी यही मालूम होता है कि दोनों एक ही नेचर के हैं और दोनों को गवर्नमेंट एक ही लेबिल पर लाना चाहती है। इनके मुआविज़े के मुताल्लिक़ गवर्नमेंट ने जो क़ानून बनाया है उसकी मैं ताईद करता हूं। मैं देखता था कि औक़ाफ़ के मुतवल्ली ज़मींदारान ग़लत तौर पर बहुत से रुपये को सर्फ़ करते थे, उसका बेहतरीन इलाज जो इस क़ानून में किया गया है वह किसी क़दर बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट खुद इन औक़ाफ़ का इन्तज़ाम करेगी। रिलीजस परपजेज का रुपया औक़ाफ़ को पूरा-पूरा दे दिया जाय और उसे मुतवल्ली सर्फ़ करें। मैं समझता हूं कि जो औक़ाफ़ वाले मर गये हैं वे अपनी गवर्नमेंट को धन्यवाद देंगे, यक़ीनन उनकी रूह उन को धन्यवाद देगी और यह कहेगी कि आज हमारी प्रापर्टी में से मुक़दमे बाज़ी के खर्चे में, कारिंदों के खर्चे में या मुतवल्लियों के खर्चे में जो पैसा जाता था वह अब न जायगा।

(इस समय ३ बजकर २५ मिनट पर सभापति-सूची के एक सदस्य श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

---

*९ जनवरी, १९५० ई०, की कार्यवाही में छपा है।

जनाबवाला, मैं इसके सिलसिले में यह भी अर्ज करना चाहता था कि इस क़ानून के जरिये से आपने, जैसा कि मेरे एक लायक दोस्त ने कहा, विडो मेरेज को रोकने की कोशिश की है। इस मुल्क मे जिनके पास जायदाद है, उनको आइन्दा बेहतर जिन्दगी बसर करने से रोका गया है।

यह ऐसी चीजे हैं जिनपर हमको और आपको ध्यान देना चाहिये और अगर आप इसमें कोई खास बाते न पाये तो यह पर्सनल लाज से न गवर्न हो। मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर और कोई खास बात नहीं है। हिन्दू-मुस्लिम लाज के अन्दर वैसे ही बहुत सी आसानियां हैं अगर किसी को इत्मीनान नहीं होता है तो वह परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगा देता है। जो कुछ इल्जाम होता है वह परमेश्वर के ऊपर लगा देता है और गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगाता है।

इन चीजों को रखते हुये भी मैं आप से अर्ज करूंगा कि जो मुझ मे ज्ञान है, ऐज ए ग्रेजूएट आफ ला, उसके बावजूद मैंने इस कानून को काफी पढ़ने की कोशिश की, कल भी मैं १२ बजे रात तक पढ़ता रहा और आज सुबह भी पढ़ता रहा और यह सोचता रहा कि यह क़ानून क्या है और इसका क्या हश्र होने वाला है, किस तरह से यहा की अवाम इसको समझेगी, इसका निफाज कैसे होगा, इसके जरिये से विलेज बैरिस्टर्स की कितनी चमक जायेगी और उनके जरिये से वकीलों की कितनी चमकेगी। कहने का मतलब यह है कि मजबूरियां तो बहुत सी हैं लेकिन आप कम से कम हमको इतना मौका दे कि इसको हम पहले पढ ले, पढने के बाद इसको समझ ले, समझने के बाद इसको डाइजेस्ट कर ले और फिर उसके बाद राइट और रांग का डिस्टिंकशन करके अपनी राय का इजहार कर सके। उधर बैक बेंचेज के जो बैठने वाले हैं उनके लिए तो मैं कह चुका हूं 'दी डेफ ऐंड दी डम्ब। इस जुमला के लिए आप मुझे माफ करेंगे, लेकिन वाकया यह है कि कैबिनेट का एक डिसीशन हो गया और उसे फालोवर्स को मानना है। खैर, लीव देम, इस तरफ के भी जो लोग हैं उनकी भी यह हालत है कि वह चाहे जितनी बुद्धि रखने वाले हों लेकिन वह भी इन तमाम दफात को पढ़कर, समझकर और डाइजेस्ट कर इतनी जल्दी ऐसे अमेंडमेंट्स नहीं पेश कर सकते हैं जिनसे काश्तकारों की तकलीफे कम हों। कम्पेंसेशन का बढ़ना और घटना तो मामूली चीज है लेकिन यह एक ऐसा कानून है, जिससे मैं महसूस करता हूं कि काश्तकारों की मुसीबते ज्यादा बढ़ जायेंगी और आसानियां कम हो जायेंगी।, इसके लिए काफी मौका हमको भी होना चाहिये और आपको भी होना चाहिये। आपको भी काफी मौका इसलिए होना चाहिये क्योंकि आपके भी जजमेंट मे गलती हो सकती है। जब आपने मिनिस्ट्री का चार्ज लिया था तब आपने सन् ४७ में कुछ जगली जानवरों का मारना बैन कर दिया था लेकिन सन् ४९ मे आपने बैन हटा लिया।

माननीय माल सचिव--उस वक्त कम्यूनल दंगे हो रहे थे, इसलिए आपके लिए खतरा था। अब वह खतरा जाता रहा है।

श्री फखरुल इस्लाम--मैं आपको यह बतला रहा था कि आपका भी जजमेंट गलत हो सकता है, इसलिए आपको भी बहुत सोच-समझ कर काम करना चाहिये। इसके अलावा इस ऐवान के मेम्बरान को इतना मौका होना चाहिये कि वह इस पर गौरखोज करने के बाद अपने अमेंडमेंट्स दे सकें। जैसा कि आप समझते हैं कि इस पर कल से अमेंडमेंट्स शुरू हो जायं, मैं समझता हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। आप इसको १५,१६ तारीख तक ले लें तो ज्यादा ठीक हो। इन अल्फाज के साथ मैं आपको मुबारकबाद देता हू कि कम से कम आपकी बदौलत सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारे यह हूं कि हमने एतराजात के सामने रक्खे हैं उन पर आप गौर करेंगे और उनके मुताबिक अमल करेंगे और अपनी पालिसी ज्यादा से ज्यादा वाजह तौर पर हमारे सामने रक्खेंगे।

श्री राम शंकर लाल--श्री मान् अध्यक्ष महोदय ! मेरा विचार हाउस में डिबेट में हिस्सा लेने का नहीं था, लेकिन कुछ मित्रों ने मुझ पर कुछ खास अनुग्रह किया है, इसलिये मैं इसमें हिस्सा लेकर अपने ख्यालात का इजहार हाउस के सामने करूंगा। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि यह बिल जो जमींदारी एबालिशन और लैंडरिफार्मस् का है इसका ताल्लुक हमारे सूबे में रहने वाले ६ करोड इंसानों से है और इसकी कामयाबी और नाकामयाबी पर हमारे सूबे की तरक्की का बहुत कुछ दारोमदार है। इसलिये इसमें कोई शुबहा नहीं है कि यह एक बहुत ही इम्पार्टेंट बिल है। आगे चल कर मैं बतलाऊंगा कि किस तरह से यह रिवोल्यूशनरी बिल भी है। यह जाहिर है कि किसी मुल्क में जब इनक्लाब होता है तो वह एकांगी नहीं होता है बल्कि वह हर एसपेक्ट में होता है। वह सोशल, इकोनामिक सभी कुछ में होता है। अगर हमारे मुल्क में पोलिटिकल इनक्लाब हुआ तो आर्थिक इनक्लाब भी होगा इसके लिये जमींदारी का जाना जरूरी है और जमींदारी जाने के लिये यह आवश्यक है कि यह बिल पास हो। जैसा कि हमारे नेता पं० गोविंद बल्लभ पन्त ने कहा था कि पोलिटिकल एसपेक्ट के साथ-साथ जमींदारी का खात्मा एक एथिकल नेसेसिटी है। मुझे खुशी है कि इस हाउस के करीब-करीब सभी मेम्बरों ने इस बात को तसलीम कर लिया है कि जमींदारी का खात्मा होना जरूरी है और इसमें किसी को शक व शुबहा नहीं है कि यह खत्म होकर ही रहेगी। सवाल तो सिर्फ यह है कि अगर जमींदारी खत्म हो तो कुछ मुआविजा दिया जाय या न दिया जाय और इसके बाद हमारे मुल्क का जो लैंड का कानून हो वह किस तरह से हो इसके ऊपर ज्यादा बहस की गई है। सबसे पहिले तो यहां पर उसूल के ऊपर बहस की गई है। कुछ लोगों ने तो सोशलिस्ट प्वाइंट आफ व्यू से, कुछ लोगों ने कम्युनिस्ट प्वाइंट आफ व्यू से और कुछ लोगों ने गांधियन प्वाइंट आफ व्यू से एप्रोच किया है। लेकिन हमें तो यह देखना है कि किस प्वाइंट आफ व्यू से हमारे सूबे की प्रासपिरिटी हो सकती है किस तरह से हमारा सूबा खुशहाल रह कर आगे तरक्की कर सकता है। यही एक क्राइटेरियन हो सकता है और उस क्राइटेरियन से ही हम उसके प्रोविजन को देख सकते हैं। मैं अपने लायक बुजुर्ग मौलाना हसरत मोहानी साहब के ख्यालात से बिल्कुल इत्तफाक करता बशर्ते कि हमारे सूबे की सारी की सारी जमीनें खाली होतीं और उससे किसी को भी कोई कष्ट नहीं होता। मैं स्वयं इस बात को कहता कि जमीनों का जरूर नेशनलाइजेशन कर दिया जाय, लेकिन बदकिस्मती से यहां की हालत ऐसी नहीं है। आज तो हमारे सूबे में जितनी जमीनें हैं वे बिल्कुल किसानों के कब्जे में है और यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किसान उस पर अपना कब्जा जमाये रखना चाहता है और खेती करता है। अब यहां पर उनका नेशनलाइजेशन किया जाय इसकी कोई पासिबिलिटी नहीं है। मैं जानता हूं कि हमारे यहां के किसान नेशनलाइजेशन के लिये कभी तैयार नहीं हैं और यह भी तय है कि हम इस मुल्क में नेशनलाइजेशन डिक्टेटरशिप के जरिये नहीं ला सकते हैं और जब तक हमारा बैक ग्राउंड ऐसा न हो कि किसान नेशनलाइजेशन के लिये तैयार हों तब तक हमारे इस सूबे में दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इस बिल के जरिये यह भी तजवीज की गयी है कि किसानों को उनकी जमीन का पूरा-पूरा मालिक बनाया जाय उनका लगान कम किया जाय और उनको भूमिधरी का अधिकार दिया जाय। वह इस बिल के जरिये किया जा रहा है। अब तो सवाल कम्पेनसेशन का है। कम्पेनसेशन के मसले पर दो तरह से बहस की गयी है। एक कानूनी तरह से बहस की गयी है। उस कानूनी बहस में जो कानूनी पहलू कम्पेनसेशन का है उसको तो हमारे सोशलिस्ट दोस्त भी कबूल करते हैं। उस जमाने में जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट था वह और आज भी मौजूदा जो विधान परिषद् है उसने तय किया है कि उनको कम्पेनसेशन दिया जाय। फिर उनको कम्पेनसेशन न देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने तो इसको भी तसलीम कर लिया है उनके रहनुमा आचार्य जी ने इसको मान लिया है कि कम्पेनसेशन देना चाहिये। दूसरे जहां तक मारेल ड्यूटी का ताल्लुक है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जब हम क्लासलेस सोसइटी बनाते हैं तो इस मुल्क में किसी तबके को हम ऐसा नहीं कर सकते कि वह अपनी गुजारा भी

नहीं कर सके। इस तरह से कोई जिन्दा नहीं रह सकता और हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।

इस लिहाज से कम्पन्सेशन मिलना जरूरी है। अब कम्पन्सेशन क्या दिया जाय इसके लिये मौजूदा हालत को देखना होगा। जैसा कि हाउस ने रिजोल्यूशन पास किया था कि इक्वीटेबिल कम्पन्सेशन होना चाहिये। इक्वीटेबिल कम्पन्सेशन क्या हो सकता है इसके लिये इस बात से अन्दाजा लगाना होगा कि हमारी कैपेसिटी अदा करने की कितनी है। उसके ही मुताबिक हमको अदा करना होगा। हमारी मुखालिफ बेंचों के भाई किसानों के साथ बहुत हमदर्दी दिखाते हैं कि किसानों की हालत बहुत तबाह है और खराब है वह रुपया नहीं दे सकता लेकिन जब कम्पन्सेशन का सवाल आता है तो लम्बी-लम्बी स्कीम बनाई जाती हैं कि यह होना चाहिये और वह होना चाहिये। यह दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकतीं। एक तरफ तो यह कहा जाय कि किसान परेशान है, बेहाल है और दूसरी तरफ लम्बे कम्पन्सेशन की बात कैसे हो सकती है। मेरा ख्याल यह है कि मुल्क की मौजूदा हालत को देखते हुए इस सवाल को तय करना चाहिये और मुल्क की मौजूदा हालत को देखते हुए जो इस बिल के अन्दर तजवीज किया गया है उससे बढ़कर और कोई स्कीम कम्पन्सेशन के लिये नहीं हो सकती है। अब इसके बाद सवाल यह है कि खेती का जो काम है उसके बारे में आपने देखा उसके लिये बहुत अच्छा उसूल मान लिया गया है कि जमीन उसी की होनी चाहिये जो उसको जोतता है और बोता है। "Land must belong to the actual tiller of the Soil" (भूमि वास्तविक कृषि करने वाले कृषक की होनी चाहिए।) हमारे मुल्क में खाने की कमी है गल्ले की बद इन्तजामी है। उसके लिये यह उसूल ठीक ही है कि जमीन उसी के पास होनी चाहिये जो उसको जोतता है और बोता है और जो जमीन को जोतता नहीं है दूसरों से जुतवाता है या और किसी तरीके से एक्सप्लायट करता है उसके पास नहीं रहनी चाहिये। यही उसूल इस बिल के अन्दर मान लिया गया है। आपने देखा होगा कि इस बिल के अन्दर सबलैटिंग को बंद कर दिया गया है। एक सवाल हमारे सामने यह रखा जाता है कि जमीन का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाय। यह डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। हमारे सूबे में ४१३ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो मजरूआ है और इस वक्त काश्त के अन्दर है। ८० लाख एकड़ के करीब जमीन ऐसी बतलाई जाती है जो गैरमजरूआ है और काश्त के अन्दर लाई जा सकती है। और यह अन्दाजा है कि १ करोड़ के करीब किसान हमारे सूबे के अन्दर रहते हैं अगर यह जमीन इन लोगों में बराबर के हिसाब से बांट दी जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि हर एक आदमी के हिस्से में ५ एकड़ जमीन आयेगी। इससे ज्यादा नहीं आ सकती। हमारे सोशलिस्ट भाई किस तरह से उनको इकोनामिक होल्डिंग बढ़ाकर दिलाना चाहते हैं। उनको यह बात समझ में नहीं आती है वह किस तरह से इसको तकसीम करेंगे। कल मेरे दोस्त रोशनजमां साहब ने यह कहा था कि उनको ज्यादा मिलना चाहिये। क्या उनका यह मतलब है कि जो अब किसान हैं उनसे जमीन छुड़वा कर उनके नीचे से निकाल कर उनको बदखल करके दूसरे थोड़े से आदमियों को दे दी जाय। क्या यह पासिबिल है। मैं जहां तक समझता हूं आजकल की मौजूदा फिजां में यह पासिबिल नहीं हो सकता। दूसरे अगर आप इस तरह से औसत बटवारा करेंगे तो आप इसको समझ लें कि सूबे के ६ करोड़ लोगों में १ करोड़ आदमी शहरों में रहते हैं। वह खेती का काम नहीं करते हैं। उन लोगों को आपको गल्ला देना होगा क्योंकि उनके लिये यह मुमकिन नहीं है कि वह खुद ही गल्ला पैदा कर सकें। अगर आप ५ एकड़ के हिसाब से बांट देते हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि गल्ला बाजार में नहीं आ सकेगा और शहर में रहने वालों के लिये खाने का कोई इन्तजाम नहीं हो सकेगा। इसलिये जो कुछ भी पासिबिल है वह तो यही है कि जो जमीन काश्तकार की जोत में है वह उसके पास ही छोड़ दी जाय। यही सही तरीका था और यही एक पासिबिल तरीका हो सकता था अगर ५० एकड़ जमीन बड़े-बड़े जमींदारों के पास छोड़कर शेष जमीन का बटवारा करना हो

[श्री रामशंकर लाल]

तो प्रथम तो इसमें बहुत समय लगेगा फिर केवल एक लाख एकड़ जमीन आयेगी। एक लाख एकड़ जमीन एक करोड़ काश्त करने वालों में और करीब २५ लाख खेतिहर मजदूरों में से आप किसको देंगे और किस तरह से बांटेंगे, यह हमारी समझ में नहीं आता। जब कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग कहते हैं कि अनइकोनामिक होल्डिंग्ज नहीं बढ़ाना चाहिए। फिर आप को डिमारकेशन करना पड़ेगा और उसमें वक्त लगेगा। साथ ही आप यह भी कहते हैं कि जमींदारी एबालिशन जल्द से जल्द करना चाहिए और दूसरी तरफ यह भी कहते हैं और ऐसे तरीके बतलाते हैं जिससे उन लोगों को काफी इमदाद मिलती है कि जो चाहते हैं कि जमींदारी एबालिशन में देर लगे। आप अपनी तरकीबों से उन्हीं की ताईद करते हैं। मैं कम से कम उन लोगों में नहीं हूं कि जो बदकिस्मती से जमींदारी एबालिशन को टालना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो यह अब ओवरड्यू है और इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिये।

अब सवाल यह होता है कि अगर डिमारकेशन नहीं होना चाहिये तो इन ३६ लाख शिकमी काश्तकारों का क्या होगा। मैं समझता हूं कि उनके मुताल्लिक पहिले बिल में तजवीज यह थी कि सवा ६ एकड़ से कम के जोत वाले ५ बर्ष बाद अपने शिकमियों को बशर्ते कि बेदखल करें, सरकार नोटिफिकेशन करे। यह एक अच्छी तजवीज थी और इससे लाखों मजदूर, खिदमतगार नाई-बारी और मेहनत पेशा लोग जो जमीनों पर काबिज हैं उनकी हिफाजत इससे हो जाती है। अब वह लिमिट ८ एकड़ हो गई है हमने जो सवा ६ एकड़ रखी है वह बेसिक होल्डिंग की बात रखी है और वह इकोनामिक की नहीं है।

स्टैन्डर्ड होल्डिंग क्या होती है यह अलग-अलग मुल्कों में और अलग-अलग जगहों पर मुख्तलिफ हो सकती है। स्टैन्डर्ड इकोनामिक या बेसिक होल्डिंग यहां तक कि हमारे सूबे के पूर्वी और पच्छिमी हिस्सों में जुदा-जुदा है। अमरीका में इकोनामिक होल्डिंग २५ और ३० एकड़ के करीब होती है। हमारे पूर्वी जिलों में औसत होल्डिंग ३ एकड़ से ज्यादा नहीं है। तो ऐसी हालत में यह कहना कि बेसिक होल्डिंग ८ एकड़ की हो और सवा ६ एकड़ की न हो यह मुनासिब नहीं है क्योंकि जहां आपको ३६ लाख किसानों और मजदूरों को देखना है वहां सवा ६ एकड़ ही रहना जरूरी है। इस सिलसिले में हमारे बुजुर्ग श्री इन्द्रदेव जी त्रिपाठी ने भी हमको याद किया था। उन्होंने कहा कि हम काश्तकारी से वास्ता नहीं रखते और वैसे ही बातें करते हैं। मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि मैं भी एक किसान हूं और भूमिधर हूं और मेरे यहां खेती भी होती है और मेरे पेशे के नाते भी किसान मेरे पास आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के काम के सिलसिले में भी हजारों किसान मेरे पास आते हैं। इस वास्ते यह कहना कि मैं खेती से वाकफियत नहीं रखता, ठीक नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर कुछ बातों की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। बस्ती जिला नैपाल के करीब है और वहां भी वही हालत है कि जो नैपाल में है। हजारों किसान ऐसे हैं कि जिन की जोतें जमींदारों की सीर व खुदकाश्त में लिखी हुई हैं। सरकार ने इसको ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बावजूद तमाम रिकार्ड आपरेशन कराने और रिकार्ड आफिसर मुकर्रर करने के भी वहां के रिकार्ड दुरुस्त नहीं हुए और बदकिस्मती से जो रिकार्ड आपरेशन पिछले बार हुए उन में दफा ५४ की कार्यवाही नहीं हुई और बहुत सी अदालतों ने मुकदमों में दफा ६३ के और १४५ के इन काश्तकारों का कब्जा नहीं माना। नतीजा यह हुआ कि बहुत से किसान अपनी जमीन से महरूम कर दिए गए। मैं चाहता हूं कि उन बेचारों को मिलना चाहिये। हजारों काश्तकार ऐसे हैं, जिनके पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं है।

इसके बाद मैं इस बिल से गैर-मुताल्लिक और जबरदस्ती की जो बातें इस हाउस में कही गई हैं उस सिलसिले में दो तीन बातें अपने जिले की कहना चाहता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे जिले में सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और आर० एस० पी० वाले मेरे दोस्त हैं और हमारे उनके

ताल्लुकात अच्छे हैं। हमारे उनके कोई झगड़े नहीं है। क्या कार्रवाई की गई है, हाउस के मेम्बरान को जानना चाहिये। आर० एस० पी० वालों ने किसानों से कहा कि एक रुपया सैकड़ा हमें दे दो हम तुम्हारा दस गुना लगान माफ करा देंगें। इस तरीके से हजार दो हजार रुपया जमा किये और जब हम लोग उस गांव में गए तो यह मालूम हुआ। हम लोगों ने मीटिंग की। किसानों ने हमारे कहने से लगान जमा कर दिया। अब उन काश्तकारों की आर० एस० पी० वालों ने सिंचाई बन्द करदी। घर में रहना और निकलना कठिन हो गया। उनका सोशल बाई-काट कर दिया। यही नहीं, हम लोग वहां मीटिंग करने गए तो हमारे सोशलिस्ट दोस्तों ने झगड़ा करना चाहा। हमने पूछा कि आखिर क्या बात है? देश आजाद है, सबको फ्रीडम आफ स्पीच है। लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम लोगों को दबा रहे हैं। हालांकि हरगिज ऐसा नही है। हम जल्सा कर रहे थे और हमारे सोशलिस्ट दोस्त नाच-कूद रहे थे। शोरोगुल कर रहे थे। हमने उनसे पूछा आखिर क्या बात है? यह चीज तो अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भी हमारे प्रोग्राम में है। फिर भी बहुत से किसान भूमिधर बन गए एक बुढ़िया रोती हुई हमारे पास आई और उसने कहा कि जमींदार ने उसकी फसल कटवा दी क्योंकि उसने रुपया जमा किया था। आर० एस० पी० वालों ने इस तरह की हरकतें की हैं और कर रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है तो कहा जाता है कि दबाव डाला जा रहा है और जब्र किया जा रहा है। मुझे बहुत सी बातें कहना थीं मगर दो तीन बातें हैं जिनका जवाब देना जरूरी है। पहिली बात यह कही गई कि यह कानून ऐसा है जिसे काश्तकार जानना भी नहीं। मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आई। हिस्ट्री में आप ऐसा कानून नहीं पेश करेंगे जिसके मुताल्लिक इतना प्रचार हुआ हो। इस कानून के मुताल्लिक हजारों जल्से किये गये। कांग्रेस पार्टी ने, सोशलिस्ट पार्टी ने, आर० एस० पी० वालों ने, जमींदार पार्टी ने, कम्यूनिस्ट पार्टी ने और अफसरान ने। दुनिया में कोई ऐसा कानून जिसका इतना प्रचार किया गया हो शायद ही मिले। हमारे दोस्त किसी तहसीलदार से नाराज होगए है इसलिये उस की बुराई करते हैं। हमारे दोस्त ने पटवारियों पर छींटा कसा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप यह कैसे कह सकते है। यह तो हाउस की डिगनिटी के खिलाफ बात है कि आप उसके खिलाफ बात कहें जो जवाब न दे सके। मै यह मानता हूं कि पटवारी एक बदनाम जमाअत हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस हाउस के मेम्बरान को यह इजाजत है कि वह लोग पार्टी से जनता पार्टी में हो जायें और सोशलिस्ट पार्टी में हो जायें। क्या पटवारी को बदलने और चेंज होने का मौका नहीं है? मुझे हैरत है कि पटवारी इतनी जल्दी कैसे बदल गए। इस वक्त सूबे में भूमिधर के आन्दोलन का जो रेकार्ड है वह पटवारियों का बहुत अच्छा है। करोडों किसानों को पर्चे उन्होंने बांटे है। कहीं से शिकायत नहीं आई है। करोडों रुपया जमा किये। मै यह सूचना करने वाला था कि उनको जब वे तहसील में आवें तो उन्हें कम से कम ट्रैविलिंग एलाउन्स जरूर दिया जाय। हाउस को यह मालूम है कि पटवारी को सिर्फ २५ रुपया तनख्वाह मिलती है। इस हाउस के मेम्बरान यह अन्दाजा लगा सकते है कि २५ रुपया में पटवारी को क्या गुजर होगी। लेकिन हमारे मुन्शी साहब को इन सब चीजों से क्या वास्ता! उन्होंने कुछ बातें सुना दीं। उन्होंने कुछ कानून का भी हवाला दिया और कहा कि सिविल ला यह है कि अगर किसी आदमी की कुर्की हो तो उसको गिरफ्तारी न हो। लेकिन वह दफा भूल गये कि सिविल प्रोसीजर कोड में सब मेथड्स दिये हैं। इसी तरह से इस बिल में भी यह दिया है कि यह मेथड्स है जो इस्तेमाल किए जा सकते है मालगुजारी की वसूली में। उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि

[श्री रामशंकर लाल]
यह सब चीजें एक साथ ही काम में लाई जायंगी। लेकिन उन्हें इन सब चीजों से क्या वास्ता, उनको जो कहना था कह डाला।

इसके बाद उन्होंने बटवारे की बाबत कुछ फ़रमाया। बटवारे के मुतालिक़ उन्होंने कहा कि शायद आप अनइकोनामिक होल्डिंग्ज बनाने जा रहे हैं और भूमिधर को आपने बटवारे का हक़ दे दिया। मैं पूछता हूं कि जब इस हाउस और सब लोगों का यह ख्याल है कि भूमिधर को ऐब्सोल्यूट राइट्स दिए जायं तो फिर यह किस तरह से होगा कि हम उसको राइट आफ़ पार्टीशन न दें। यह तो हमारी खुद ख्वाहिश है कि अनइकोनामिक होल्डिंग्ज न हों और बटवारा न हों लेकिन हम जबर्दस्ती तो नहीं कर सकते। जब हम चाहते हैं कि किसान को हर हक दें तो फिर उसको राइट आफ़ पार्टीशन न दिया जाय, यह तो मेरी समझ में नहीं आता। तो फिर अगर सेलेक्ट कमेटी ने यह राइट दे दिया तो क्या गुनाह किया?

फिर मुफ्ती साहब ने कुछ सेटिलमेंट की बात कही और कहा कि पता नहीं लगान कब बदल जाय। यह किसानों में गलतफहमी पैदा करना है। शायद वह यह समझते ही नहीं हैं कि सेटिलमेंट क्या चीज है। वह यह कहते हैं कि इस बिल में यह लिखा ही नहीं है कि यह लगान कब तक रहेगा। यानी जो बात लाखों मीटिंग्स में कही गई कि यह लगान ४० वर्ष तक घट-बढ़ नहीं सकता। उसके लिये भी मुफ्ती साहब यह कहें कि यह चीज साफ नहीं है तो मैं यह कहूंगा कि मुफ्ती साहब जानबूझ कर गलतफहमी फैलाना चाहते हैं और इसके अलावा उनकी क्या मंशा हो सकती है? सेटिलमेंट में बहुत सी चीजें होती हैं, रेकार्ड आपरेशन, सेटिलमेंट आफ़ लैंड रेवेन्यू तो गवर्नमेंट पर है। लेकिन जब हमने यह कह दिया कि ४० वर्ष तक नहीं करेंगे तो फिर यह कहना कि उनसे हम लैंड रेवेन्यू का सेटिलमेंट करेंगे, मेरे ख्याल से गलतफ़हमी फैलाना है। तो मेरे ख्याल में यह मुनासिब नहीं है और उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये।

मुझे उम्मीद है कि यह बिल बहुत जल्द ला बन जायगा। यह इस मुल्क के लिए एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी मेजर है। हमारे सूबे का इससे कल्याण होगा और मैं इसके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट को बधाई देता हूं। मैं ही नहीं बल्कि इस सूबे का हर एक किसान हमारी सरकार का ऋणी है।

*श्री सुलतान आलम खां---जनाब चेयरमैन साहब! इसमें शक नहीं कि ऐसे तारीखी और इन्कलाबी बिल के पेश करने पर मुअज्जिज वजीर माल साहब को जितनी खुशी होगी उसका अन्दाजा हम सब लोग लगा सकते हैं। उनकी इस खुशकिस्मती की भी दाद देनी चाहिये कि इस किस्म के बिल को पेश करने का उनको मौका मिला। इसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं कि इस ऐवान की तारीख में जितने बिल यहां अभी तक पेश किये गये हैं शायद यह बिल उन सबसे ज्यादा अहम है और सबसे ज्यादा तारीखी और इन्कलाबी हैसियत रखता है। मैं इस बात का एतराफ करता हूं कि हमारी सहूलियत की खातिर सेलेक्ट कमेटी में बिल पर गौर करने का मौका अंग्रेजी में दिया गया था और उस बिल पर हमने वहां अंग्रेजी में ही गौर किया था और बहुत से लोगों ने अपने नोटस आफ डिसेंट और तरमीमात भी अंग्रेजी में पेश किये थे। लेकिन इस ऐवान की जबान और भाषा हिन्दी होने की वजह से इस वक्त जो बिल हमारे सामने है वह हिन्दी में है। मुझे यह नहीं मालूम कि यह हिन्दी का बिल इस अंग्रेजी के बिल का कितना सही तर्जुमा है जिस पर हमने सेलेक्ट कमेटी में गौर किया था या यों कहिये कि वह अंग्रेजी का बिल जिस पर हमने सेलेक्ट कमेटी में गौर किया था कहां तक इस बिल का सही तर्जुमा है। मैं अपनी नावाकफियत की वजह से इसके मुतालिक कोई ठीक राय तो कायम नहीं कर सकता, लेकिन जो बिल कि हमारे सामने है जिसकी एक नकल अंग्रेजी में है और एक हिन्दी में है, मैंने

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

उसे पढ़ने की कोशिश की तो मुझे बाज चीजें ऐसी मालूम होती हैं जिनसे यह पता लगता है कि ये दोनों बिल बिल्कुल सही तर्जुमा नहीं हैं। मैं उन चीजों की वजाहत में जाने की कोशिश नहीं करूंगा बल्कि सिर्फ इस सिलसिले में आनरेबिल वज़ीरे माल साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाऊंगा कि इस बात का एक मर्तबा फिर यक़ीन कर लिया जाय कि दोनों बिल वाकई एक हैं या इनमें कोई फर्क है। पेश्तर इसके कि यह भवन इस बिल पर ग़ौर करे और उसके बाद इस तारीखी बिल को पास करे ऐसी कोई कमी अगर हो तो वह पूरी हो जानी चाहिये।

मैं इस बात का भी एतराफ़ करता हूं कि मेरी बदकिस्मती से मुझे इस बिल के उन तीन दिनों में यहां हाजिर रहने का मौका नहीं मिल सका जिन तारीखों में इस पर आज की तारीख से पहिले बहस हो चुकी है। मैं ९, १० और ११ को इस भवन में मौजूद नहीं था। आज ही हाजिर हुआ हूं लेकिन प्रेस के जरिये से जो इत्तिला मुझे अब तक मिली है, जिसको मैंने पढ़ा है उससे पता लगता है कि इन तीनों दिन बराबर मुख्तलिफ हज़रात ने इस बिल के मुताल्लिक अपने-अपने ख्यालात का इजहार किया है। उससे इस बात का भी पता चलता है कि यह बिल एक ऐसा बिल है जिस पर इस ऐवान के हर तबके का इस ऐवान की हर जमात का, पूरा पूरा ध्यान है और वे इसमें पूरी-पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब भी है कि जब हम एक बहुत ही बड़ा मसला हल करने जा रहे हैं यानी जमींदारी सिस्टम को इस सूबे से खत्म करने जा रहे हैं तो काश यह फैसला एक ऐसे तरीके पर हो कि जिससे लोगों के दिलों को तकलीफ न पहुंचे बल्कि मामले का फैसला इस तरीके पर होना चाहिये कि वह हर शख्स जो इस बिल से एफेक्ट होने वाला है वह शख्स मुतमइय्यन हो।

यह सही है कि जब कोई कानून बनता है तो उससे कुछ न कुछ लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है और इससे यह बिल भी खाली नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी यानी इस बुनियादी बात को मानते हुये भी हमें इस बात की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिये कि हर तरह से इसमें पूरा कोआपरेशन मिले और हर तरह से इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि इसको एक ऐसे सांचे में ढाला जाय जिसके मातहत इसमें उन तमाम बातों के हल करने की कोशिश की जाय जिसका मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ है। इस बिल का काश्तकार से उतना ही ताल्लुक़ है जितना इसका जमींदार से ताल्लुक है और न सिर्फ काश्तकार और जमींदार से ही बल्कि इसका हुकूमत से भी उतना ही ताल्लुक है। इस बिल का सूबे की और मुल्क की इकोनामिक कंडीशन से ताल्लुक है। इस बिल का, मैं तो यहां तक भी कहने की जुर्रत करूंगा, सूबे की आइन्दा पोलिटिकल फिजा से ताल्लुक है। इसलिये इस बिल को एक ऐसी फिजा में, एक ऐसे रंग में, एक ऐसे तरीके पर पास करने की कोशिश करनी चाहिये जिससे लोगों के दिलों में बिटरनेस बाकी न रहे बल्कि लोग आसानी के साथ तय कर सकें। मैं जानता हूं कि इस वक्त इस बात के बहस करने का मौका नहीं है कि जमींदारी बाकी रहे या खत्म हो जाय। मैं भी एक छोटा सा जमींदार हूं लेकिन मैं समझता हूं कि जिस वक्त मुल्क या सूबे का मफाद सामने हो हमें अपने जाती मफाद को भूल जाना चाहिये। इसी एतबार पर मैंने पहिले भी कहा है और उस वक्त भी जब कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जा रहा था और जब जब ऐसे मौके आये हैं मैंने कहा है कि बेशक अब मौका ऐसा है कि जरूरत है कि अब जमींदारी खत्म की जाये और किस तरीके पर की जाये। लेकिन इसको खत्म करना एक बहुत बड़ा मसला है और यह इतना बड़ा मसला है कि अगर मुझे इजाजत दी जाये तो मैं यह कह सकता हूं कि बावजूद इसके कि इस पर इतना वक्त सर्फ किया गया है लेकिन फिर भी इस पर इतनी तवज्जुह नहीं दी जा सकी जितनी का यह मुहताज था और जितनी इसके लिये जरूरत थी। कोई बिल या मसविदा कानून इस ऐवान में सिर्फ उस वक्त आना चाहिये जब कि उस पर काफी गौर हो चुका हो उसके हर पहलू पर नजर डाली जाये। वर्ना दिक्कत यह होती है दुश्वारी यह होती है कि बिल के पास होने के बाद जल्दी ही तरमीमात पर तरमीमात

[श्री सुल्तान आलम खां]

करने की जरूरत होती है और यह चीज किसी जमात और पार्टी के लिये मुफीद नहीं हो सकती। पेश्तर इसके कि जमींदारी खात्मे के सिलसिले में आगे बढ़ूं मैं यह कहता हूं और अपना फर्ज समझता हूं। इसमें शक नहीं कि इस बिल को इस मौके पर लाने के बजाय और गौर करने के बाद इसको लाया जाता तो ज्यादा मुनासिब होता। मैं जैसा कि पहिले अर्ज कर चुका हूं कि अब जब यह आ गया है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह वाकया है कि जमींदार इस मुल्क और इस सूबे में एक खास हैसियत रखता था। जमींदार देहाती रकबे में एक पीवट था और तमाम देहात उसके चारों तरफ घूमता था। मैं मानता हूं कि इस तबके में भी करप्शन आ गया है लेकिन वह सिर्फ इसी के लिये नहीं है, बल्कि ऐसा है कि इसमें कोई भी शोबा बरी या मुस्तसना नहीं है। हो सकता था कि इस करप्शन को दूर करने के लिये हम जमींदार को एक ज्यादा मौंजू और कारामद आला बनाते और उसके जरिये देहात डेवलपमेंट का प्रोग्राम जारी करते। इसको एक इंसट्रूमेंट मानकर एक्टीविटीज चलाते और यह भी हो सकता था कि हम जमींदार से सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरह जैसा कि उसने इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ किया है एक समझौता कर लेते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने समझौता किया है और जैसा कि इंडस्ट्रियलिस्टस को इत्मीनान दिला दिया है। "No nationalisation for the next 10 years" (अगले १० वर्ष तक कोई राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता।) लेकिन यह चीज नहीं की गई। मैं नहीं समझता कि इसकी क्या वजह है और क्यों नहीं की गई। अब अनकरीब एलेक्शन होने वाला है और यह इलेक्शन तमाम मुल्क में होगा। यह मैं नहीं कह सकता हूं कि इससे पहिले यह बिल आ जायेगा और इस पर अमल हो सकेगा या नहीं। मैं यह चाहता हूं कि जब जमींदारी एबालीशन होना ही है तो इस बिल को इलेक्शन से पहिले अमल में आ जाना चाहिये। मैं आप से कह सकता हूं कि इसके लिये बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी तब जाकर कहीं यह बिल स्टैचूट बुक पर आने के काबिल होगा। मैं नहीं कह सकता कि यह इतनी आसानी से बन सकता है या नहीं।

जनाब वाला! इस बिल के असरात से अपनी आमदनी के लिहाज से सब से ज्यादा जमींदारान मुतासिर होंगे। वह इस सूबे के पुराने रहने वाले हैं और बकौल महात्मा गांधी के जमींदार इसी मुल्क के हिस्से हैं "They are the sons of this very soil" (इसी मातृभूमि में वे उत्पन्न हुए हैं) और जो इन्तजाम किया जाये वह सिर्फ इस एतबार से बल्कि इस खातिर कि गाड़ी के तमाम पहिये बराबर रहें और आसानी से सब चीज ठीक-ठीक चलती चली जाये होना चाहिये, जिससे जमींदार अपने बच्चों की, अपने मुलाजमीन की परवरिश कर सकें जिनकी तादाद हजारों और लाखों की है और जिनके लिये यह बिल कोई प्रावीजन नहीं करता है।

मैं शायद शुरू में यह कहने वाला था, जिसको गालिबन मैं भूल गया, कि मैं बुनियादी और उसूली तौर पर इस बिल का खैरमकदम करता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ यह अर्ज करूंगा कि इस बिल में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद बुनियादी नहीं हैं, तफसीली हों, लेकिन तफसीली ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बुनियादी चीजों से है, उन पर जब मैं आता हूं तो अफसोस होता है कि यह उनसे खाली क्यों है। काश इस ऐवान से पास हो कर जब यह सूबे और मुल्क में रायज हो तब वह तमाम चीजें इसमें शामिल कर ली जाएं।

जनाब वाला! बिल पर एक नजर डाली जाए तो हम देखेंगे कि यह बिल एक बहुत लम्बा चौड़ा डाक्यूमेंट है, कमोबेश ३१० दफाएं इसमें मौजूद हैं। साथ ही साथ तकरीबन सब चीजों का इसमें जिक्र किया गया है। यह बिल जिसका नाम जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स बिल है, शायद इसी वजह से जो-जो चीजें डिस्कस की गयी हैं उनमें जमींदारी एबालीशन के साथ-साथ गांव पंचायत, कोआपरेशन, फारेस्ट, माइंस, वगैरह-वगैरह का भी जिक्र है। इसके साथ साथ हर चैप्टर के आखिर में यह

दिया हुआ है कि इस चैप्टर के मातहत अलाहिदा रूल्स बनेंगे जिन पर अमलदरामद होगा। बहुत सी ऐसी बातें जो बुनियादी हैसियत रखती हैं उनको रूल्स पर छोड़ना पड़ा है। जब मैं अपने सूबे के इस बिल के मुकाबिले में मदरास और बिहार का बिल पढ़ता हूं तो उन बिलों को बहुत मुख्तसर पाता हूं। एक बिल में ७६ दफाएं हैं और दूसरे में शायद ७२ दफाएं हैं। गालिबन कुछ कमोबेश हों। उनमें एक चीज यह भी मैं पाता हूं जो हमारे बिल में नहीं है वह यह कि कर्ज के मसले को इसी बिल में उन्होंने हल कर दिया है। जाहिर है जो जायदादें ली जा रही हैं वह अगर मकरूज हैं जब तक उनका कर्ज न चुका दिया जाए या फैसला न कर दिया जाए तब तक यह नहीं कह सकते कि यह जो कम्पेंसेशन की दफाए बनाई गयी हैं उनका किस तरह से इस पर असर होगा ख्वाह यह उस पर एडवर्सली एफेक्ट करेगा या फेवरेबली।

इसके अलावा ऐसी दरख्वास्तें जो कर्ज को चुकाने के लिए राइटस और टाइटिल्स के मुताल्लिक आएं जिनमें शायद अंदाजा यह है कि वर्षों लग जाएं जिनके फैसले तक कम्पेंसेशन रुक जाएगा उस वक्त तक उन जमींदारों के लिए जिनका गुजारा जमींदारी की आमदनी पर ही होता है और कोई जरिया माश नहीं है उसको हल करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है मदरास और बिहार के बिलों में यह रखा गया है कि बिलों के रायज होने के पहिले ट्रायबुनल्स मुकर्रर किये जाएंगे जो पहिले ही अपना फैसला दे देंगे और उनको तै करने के लिए कोई न कोई सूरत जल्द से जल्द निकाली जाएगी। लेकिन हमारा बिल इन चीजों से खाली है। बावजूद ३१० दफात के और शायद जब कवायद बनें उन्हें भी शामिल कर लिया जाए तो मेरा अपना तखमीना यह है कि १,००० के करीब दफात कुल निकलेंगी, इस चीज पर कोई तवज्जह नहीं की गयी जिस पर कि बुनियादी तौर से तवज्जह की जानी चाहिए थी।

जनाबवाला! जहां तक मुआविजे का ताल्लुक है वह चीज बहुत गौर तलब है क्योंकि जमींदार के लिये इस बिल में दो ही चीजें सब से ज्यादा अहमियत रखती हैं एक तो मुआविजा, दूसरे सीर और खुदकाश्त। जहां तक मुआविजे का ताल्लुक है वह तो हम सब जानते हैं कि वह किस बुनियाद और किस उसूल पर कैल्कुलेट किया जायगा। बिल में यह दिया गया है कि हर जमींदार को आठ गुना मुआविजा दिया जायगा और उसका कैल्कुलेशन इस तरह से किया जायगा कि उसकी ग्रास इन्कम में से पन्द्रह फीसदी वसूली का खर्चा, उसकी मालगुजारी की रकम और जो एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स देता है यह सब निकल कर जो बाकी बचेगा उसका आठ गुना उसको दिया जायगा। अगर इस अहम मसले पर गौर किया जाय तो यह पता चलेगा कि यह आठ गुना नहीं बल्कि उससे बहुत ही कम है। मुझे इस सिलसिले में दो तीन बातें अर्ज करनी हैं। एक तो यह कि यह जो एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स जो कि उसकी आमदनी से निकाला जाने वाला है जैसा कि हमें मालूम है यह गुजिश्ता साल लागू हुआ था। यह टैक्स ऐसे मौके पर लागू हुआ है जबकि जमींदारी का खात्मा होने वाला है। अगर यह टैक्स पांच छः दस वर्ष पहिले या जब कि इब्तिदा में कांग्रेस गवर्नमेंट आयी थी उस वक्त लगाया जाता तो कोई एतराज की बात नहीं थी। लेकिन यह टैक्स उस मौके पर लगाया गया है जब कि जमींदारी का खात्मा करने का फैसला हो चुका था। अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी। मैं यह समझता हूं कि यह चीज जो कही जाती है वह बिल्कुल सही है कि इससे वह जमींदार जो पांच लाख से ऊपर मालगुजारी देते हैं उनको बहुत नुकसान है। अगर तखमीना लगाया जाय तो उन लोगों की आमदनी जो इस वक्त है उसमें से एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स, वसूलयाबी का पन्द्रह फीसदी खर्चा और माल–गुजारी की रकम सब कुछ निकालने के बाद जो कुछ बचता है आइंदा जो मुआविजा हम देंगे उस मुआविजे की सूरत में उनकी आमदनी सिर्फ एक बटा पांच रह जायगी। सोचिये किसी शख्स से यह ख्वाहिश करना कि वह अपनी आमदनी का

[श्री सुल्तान आलम खां]

अस्सी फीसदी इस तरह से कुरबान कर दे तो यह कहां तक मुनासिब होगा। मेरे ख्याल में यह रकम बहुत ज्यादा है। दस फीसदी, पन्द्रह फीसदी, पच्चीस फीसदी, पचास फीसद कुरबानी करने के लिये कहा जा सकता है मुल्क के फायदे के लिए। लेकिन उसकी कोई हद जरूर होनी चाहिये। उस हद से वह मुतालिबा आगे नहीं बढ़ना चाहिये। फिर उसके बाद उन लोगों को जो परती या मुतफर्रिक दरख्त हैं उनका भी मुआविजा नहीं मिलेगा। अगर बिल के प्रिएम्बिल पर गौर किया जाय और उसके साथ मिला कर पढ़ने की कोशिश की जाय तो यह पता लगता है, जहां तक लफ्ज इंटरमीडियरी का ताल्लुक है उसमें कोई इख्तलाफ इससे नहीं है। लेकिन बावजूद इसके मुआविजा नहीं दिया गया। अगर इसकी भी आमदनी ग्रास इन्कम में शामिल कर ली जाय तो उनकी आमदनी एक बटा पांच से भी कम शायद एक बटा छः ही रह जाती है। ऐसी सूरत में यह चीज जमींदारों के लिये बहुत हार्ड होगी।

मैं अब इस मसले पर गौर करूंगा कि मुआविजा हम किस तरीके से देंगे। जहां तक मेरा ख्याल है हमें मुआविजा बांड की सूरत में देना पड़ेगा इसलिये कि असली तौर पर यही सूरत समझ में आती है। हालांकि मेरा भी यही ख्वाहिश है और गवर्नमेंट की भी ख्वाहिश है कि मुआविजा जहां तक हो सके नकद की सूरत में अदा किया जाय। लेकिन अंदेशा यह है कि अगर मुआविजा बांड की सूरत में देना पड़ा तो बांड का जो रुपया मिलेगा उसके जरिये से सिवा इसके कि जैसा पहिले वह आइडिल बना बैठा रहता था उस वक्त भी आइडिल बना रहेगा। अबालिशन के पहिले वह आइडिल ही था और अबालिशन के बाद वह आइडिल और पावर दोनों हो जायगा। इस तरह से हम सूबे में एक बैकवर्ड क्लास बनाने जा रहे हैं जो कि इस मुल्क की रूरल इकोनामी के लिये कभी भी मौजूं नहीं हो सकता। जमींदार आज कितना ही कुसूरवार हो या उसको ओल्ड सिनर भी कहा जाता है। यह भी सही है लेकिन जमींदारों की आनेवाली नस्ल किसी सूरत से भी कसूरवार नहीं हैं। जिनकी जमींदारियां खत्म हो रही हैं उनके बच्चे और उनकी नस्लें जो इस सूबे में रहेंगी उनका जमींदारी से कोई दूर का भी वास्ता नहीं होगा लेकिन जिस उसूल पर मुआविजा आप दे रहे हैं उससे न सिर्फ जमींदार तबाह होगा बल्कि उसकी नस्लें, उसके बच्चे, उसके डिपेंडेंट्स, उसके मुलाजमीन, गरजे कि जितने आदमियों का जरिये माश जमींदारी की आमदनी पर था वह सब तबाह व बरबाद हो जायेंगे। आपको मालूम है कि इस सूबे में जमींदारों की तादाद गालिबन २३ लाख के है। इसको मैं जमींदारों में कोई छोटा जमींदार या बड़ा जमींदार कह कर तफर्का मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि हमारी बदकिस्मती से इतने तफर्के हम में पहले ही से मौजूद हैं कि और कोई तफर्का करने की जरूरत नहीं है और न यह करना इस सूबे और मुल्क के बेहतरीन मफाद में कभी मुफीद हो सकता है। इसलिये ये २३ लाख और अगर इनमें फिक्स्ड रेट टेनेन्ट्स को शामिल करलें तो मैं समझता हूं कि यह तादाद तकरीबन ३० लाख के करीब होगी और अगर एक एक के औसतन पांच डिपेन्डेन्ट्स मां, बाप, बीबी, बच्चे और एक नौकर औसतन समझ लें तो पांच आदमी हुये और इस हिसाब से एक करोड़ ५० लाख आदमी इस सूबे में ऐसे निकलेंगे जिनका जरिये माश जमींदारी से किसी न किसी तरीके से मुताल्लिक है। हमें मालूम है कि हमारा सूबा जो इंडियन यूनियन में ६ करोड़ आबादी का सूबा है उसमें से चौथाई यानी डेढ़ करोड़ आबादी का बगैर प्राविजन किये, उन्हें बगैर एम्प्लायमेंट के छोड़ दें और उनके लिये वह सब इन्तजाम नहीं करते जिसके वे मुस्तहक हैं तो यह किसी सूरत से भी मारली, इकोनामिकली, सोशली कभी भी मुफीद नहीं हो सकता और इसके मुजिर नतायज मैं समझता हूं कि ऐसे हैं कि हम में हर एक को इस वक्त देख लेना चाहिये।

जनाब वाला! मैंने जैसा अभी अर्ज किया कि जहां तक मुआविजे का ताल्लुक है मुआविजा एक बहुत ही अहम चीज है और मुआविजे की अदायगी अगर नकद सूरत में की जाती है तो

इससे जमींदारों को यह मौका मिलेगा कि वह अपने पैरों पर खड़े हों। उसकी आमदनी जो १/६ रह जाती है उससे अपने दिमागी, अपने जेहन से, अपनी मेहनत से उस रुपये को किसी प्राफ़िटेबिल कन्सर्स मे लगा कर वह उसमे तरक्की दे सकता है लेकिन अगर हम बान्ड की शकल में देते है तो आज जैसे वह जमींदार की शक्ल में जैसे आइडिल है और था, आइन्दा भी आइडिल रहेगा और न सिर्फ आइडिल रहेगा बल्कि पावर भी हो जायेगा। तो अब सोचना यह है कि इस चीज मे बचने के लिये हमे क्या करना चाहिये। हमे इस पर पूरा ध्यान देना चाहिये। हमे इस पर बहुत ठंडे दिल से गौर करने की जरूरत है। मै जानता हूं कि गवर्नमेंट के पास इतना रुपया कहां है जिससे वह नकद अदायगी कर सके। मै जानता हूं कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से भी रुपया मिलने की कोई सूरत नहीं है। जहां तक जमींदारी अबालीशन फन्ड्स के कलेकशन्स का ताल्लुक है मैं गवर्नमेंट से पूरी हमदर्दी रखता हू कि उसका यह ख्याल है और उसका यह यकीन है और उसकी यह इमान्दाराना कोशिश भी है कि वह किसी तरह से रुपया हासिल करके जमीं-दारों को नकद की शक्ल में अदा करे। और इस सब के एतबार से हर जमींदार का फर्ज यह है कि इस काम मे वह गवर्नमेंट का पूरा हाथ बटाये। गवर्नमेंट की पूरी मदद करे, लेकिन इसके बावजूद मै ईमानदारी से इस बात को सोचता हू, क्योंकि मैंने इस चीज के मुता-ल्लिक काम किया है। मैंने इसमें दिलचस्पी ली है लेकिन म इस नतीजे पर पहुचा हूँ कि इस सिलसिले मे जितना रुपया हम वसूल करना चाहते हैं। म समझता हू कि यह कारेदारद ह और इसके मिलने की कोई सूरत नही मालूम होती। मै चाहता हू कि कोई जरिया ऐसा हो जाय धन आसमान से फट पडे लेकिन मुझे शक है कि आप यह १७५ करोड़ रुपया वसूल कर सकेंगे और तमाम जमींदारों को नकद मुआविजा दे सकेंगे। मुझे शक है और बहुत बड़ा शक है कि शायद हम यह रुपया वसूल न कर सकें और उसका नतीजा क्या होगा। उसका नतीजा यह होगा कि यह तमाम कोशिश करने के बाद तमाम गैरहरदिल अजीजी मोल लेने के बाद और तमाम अखराजात करने के बाद हमको मजबूरन यह सूरत करनी पड़ेगी कि हमको फिर बान्ड देना पड़ेगा।

इस सिलसिले में मै जिम्नी तौर से एक दिक्कत का ओर जिक्र कर दूं। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट की पूरी तवज्जह इस पर लगी हुई है कि किसी सूरत से जमींदारी अबालीशन फन्ड के लिये रुपया आ जाय और इसके लिये जो कुछ कोशिश बन पड रही है, वे कर रहे हैं। इसका जहां एक अच्छा नतीजा यह हुआ है कि अब तक सुनते है १२ करोड़ रुपये हमारे पास आ गये है वहां एक चीज पर शायद जानकर या बगैर जाने हुए गौर नही किया गया। वह यह है कि हमारे इस कलेक्शन की वजह से मालगुजारी की वसूलयाबी का काम बिलकुल ठप हो गया है। मै आपको यकीन दिलाता हूं और मै समझता हूं कि बहुत से वे भाई जिनका जमींदारी से कुछ ताल्लुक है, अच्छी तरह जानते है कि जमींदारों को लगान की वसूलयाबी में इस कदर दिक्कत और दुश्वारियां हो रही है कि वह इस काबिल नहीं है कि वह इस फसल का अपना लगान वसूल करले, वह खुद भी खा ले और गवर्नमेंट की मालगुजारी अदा कर दें। पटवारी बकाया लगान के मुकद्दमो की शहादत में नहीं आते बल्कि अपनी सारी तवज्जह कलेक्शन में लगा दी ह। मुझे खुद तजुर्बा है कि बाज जगह मुकदमें बन्द है और फैसले नहीं हो रहे है। इसका नतीजा यह हुआ कि काश्तकार यह समझने लगा है कि हमें लगान देना जरूरी नहीं है। बाज जगह पटवारियों ने, मै जानता हूं कि गवर्नमेंट ने हरगिज नहीं कहा, यह भी कहा कि देखो पहिले आपको दसगुना लगान जमा कर देना चाहिये इसकी अभी जर्रा बराबर फिक्र न कीजिये कि जमींदार को लगान देना है। नतीजा यह हुआ कि काश्तकार ने लगान देना बन्द कर दिया। जब लगान नहीं आयेगा तो जाहिर है कि जमींदार मालगुजार अदा नही कर सकेगा। हुकू-मत के लिये मालगुजारी का वसूल होना बहुत ही जरूरी चीज है और इसका नतीजा यह होगा कि बहुत जल्दी ही गवर्नमेंट को अपनी तमाम तवज्जह इधर से हटाकर माल-

[श्री सुल्तान आलम खा]
गुजारी की वसूली की तरफ़ लगानी होगी। जब जमींदार की जेब मे रुपया न होगा तो जाहिर है कि वह अपनी बोटी काट कर रुपया देगा नहीं। नतीजा यह होगा कि आप कुर्की करेंगे, अटैचमेंट करेंगे, वगैरह–वगैरह। इससे क्लेरिकल स्टाफ का और ज्यादा काम बढ़ जायगा और जितना काम बढ़ेगा उतना ही जमींदारी एबालिशन का काम सफर करेगा। बहुत से दोस्त यह भी कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर ज्यादती होती है तुम्हारे ऊपर जुल्म होता है। तुम मालगुजारी न द। प्रोपेगेंडा होगा। इसका नतीजा यह भी होगा कि कोर्ट के काम बढ जायेंगे। सैकड़ों फैसले करने पड़ेंगे और आपके रेवेन्यू स्टाफ की सारी ताकत उधर से हटकर इस तरफ लगेगी। ये दिक्कतें बढ़ रही हैं और शायद गवर्नमेंट को यह महसूस हो गया होगा और अगर आज महसूस नहीं हुआ है तो मैं समझता हूं कि आइन्दा चलकर महसूस होगा। इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद मैंने एक चीज अपने दिमाग से सोची थी और मैं चाहता था कि अपने बाज दोस्तों के सामने पेश कर दूं। आज यह एक अच्छा मौका है और इसलिये में यहां कहना चाहता हूं। मैंने यह सोचा था कि गवर्नमेंट बजाय इसके कि इतनी दिक्कत मोल ले, अनपापुलैरिटी मोल ले, एक्सट्रा एक्सपेन्डीचर करे, वह किसी से कर्ज ले ले। कर्ज मिलने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। गवर्नमेंट अमेरिका से कर्ज ले सकती है, निजाम हैदराबाद से कर्ज ले सकती है और भी तरीको से कर्ज ले सकती है। इस कर्ज को वह ढाई प्रतिशत के हिसाब से ले सकती है और अगर वह बांड देगी तो उस पर भी उसको ढाई प्रतिशत का सूद देना पड़ेगा। इससे यह होगा कि जमींदार अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। अपने स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को कायम रख सकेगा। नेशनल वेल्थ बढ़ायेगा और इसके साथ–साथ जब रुपया आ जायगा तो गवर्नमेंट का एक्सट्रा एक्सपेंडीचर, अनपापुलैरिटी और आबरेशन वगैरह बच जायगा। इसके साथ–साथ गवर्नमेंट एक चीज और भी कर सकेगी, जिससे हमारे सोशलिस्ट दोस्त भी मुत–मइन होंगे। वह यह कि काश्तकारों को भूमिधरी का हक बिल्कुल मुफ्त दे सकेंगे। इस सूरत में गवर्नमेंट ९ करोड़ रुपया बचा सकती है जो गवर्नमेंट के खजाने में आ जायेगा। इस तरीके से ऐसा हो सकता है कि यह जो ९ करोड़ रुपया बचेगा उस ९ करोड़ में से १७५ करोड़ रुपये का ब्याज जो करीब सवा चार करोड़ के होगा वह दे देगी और बाकी तीन या चार करोड़ जो बचेगा वह असल कैपीटल में जमा होता जायगा। इस तरह से गवर्नमेंट २३–२४ सालों में सारा कर्जा अदा कर देगी और काश्तकार को बिना कुछ दिये ही हुकूक मिल जायेंगे। हो सकता है कि मेरे कुछ भाइयों को इससे एतराज हो कि बिना कुछ दिये काश्तकारों को अधिकार नहीं मिलने चाहिये। यह एक अलाहिदा दलील है जिसकी बहस में मैं जाना नहीं चाहता हूं। इस सूरत में भी यह हो सकता है कि आप भूमिधर के राइट्स देते रहिये और जो रुपया वसूल होता जाय उससे भी अदायगी होती जा सकती है और इस तरह से आपको न तो प्रोपेगेंडा की जरूरत होगी और न ज्यादा स्टाफ की। आहिस्ता–आहिस्ता जैसे–जैसे आप रुपया जमा करते जायं वैसे–वैसे अदायगी करते जाइये। जितना रुपया आता रहे कैपीटल में जमा होता रहे। इस तरह से आप के सब काम आसानी से हो जायेंगे। यह एक स्कीम है, मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस पर गौर करे। मैं उस वक्त भी कहता था और आज भी कहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के जरिये आप गुड आफिसेज कायम करें। निजाम साहब से कर्जा दिलाने या किसी और से कर्जा दिलाने को कहें। हो सकता है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया आपको कहे कि उसकी भी बहुत सी डेवलपमेंट की स्कीमस् हैं जिनके लिए उसको भी रुपये की आवश्यकता होगी उसका जवाब हमारे पास यह हो सकता है कि हम केस बना कर लड़ें और कहें कि हम इंडियन यूनियन के सबसे बड़े सूबे हैं और जमींदारी अबालीशन का काम बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हमने एक ऐसी जामे स्कीम बनाई जो किसी सूबे ने नहीं बनाई और जो दूसरे सूबों के लिए मिसाल है हमारा सूबा सेंटर को डिफेन्स वगैरा में सबसे ज्यादा मदद देता है और क्योंकि हम यह स्कीम एक बहुत बड़े पैमाने पर चालू कर रहे हैं। इसलिए अगर हम इसे राइट अर्नेस्ट में उठाते हैं

तो मेरा यह ख्याल है कि कोई ऐसी बात नही हो सकती कि हमारे केस पर गवर्नमेंट आफ इंडिया गौर न करे। गवर्नमेंट आफ इंडिया जरूर इस पर गौर करेगी इसका विश्वास रखना चाहिये।

इस सिलसिले में एक चीज और कहूंगा वह यह कि अगर हम काश्तकारो को भूमिधरी के राइट्स न दें तो क्या हमें काश्तकारो का लगान कम करना पडेगा या क्या काश्तकार इतना लगान दे सकते हैं जितना लगान कि अब है, क्योंकि बहुत से लोगो का यह ख्याल है कि यह लगान काफी है और मैं समझता हूं कि उसका जवाब उसके पहलू में ही मौजूद है। मेरे दोस्त फूल सिंह जी ने एक तकरीर की थी, गो मैं उस वक्त मौजूद नहीं था लेकिन वह मैंने प्रेस मे पढी थी, मैं उनकी इस राय पर काफी ध्यान देता हूं कि भूमिधरो के जो राइट्स दिये जाय तो जो रेट मुकर्रिर किया जाय वह सरक्यूलर रेट से मुकर्रिर किया जाय। उसका मकसद यह होगा कि जो काश्तकार इस वक्त लगान देता है उसका ३३ फीसदी लगान ज्यादा हो जायेगा और अगर आप इस फूलसिंह जी की तजवीज को न भी माने तो भी हमें प्रैक्टीकल होना पडेगा वह इस तरीके से कि हम जानते हैं कि रूरल एरियाज मे टैक्सेशन का बार जमींदारों पर ही पडता है क्योंकि वहा वही एक पैसे वाला कहा जाता है और वही पब्लिक लाइफ मे आता है लेकिन अब उसके लिए यही कहा जा सकता है कि "दैट इज दी लास्ट स्ट्रा आन दी कैमिल्स बैक" यानी अब उसके ऊपर कोई और टैक्स नही लगाया जा सकता। इसलिए जमींदारी खत्म होने के बाद जो टैक्स उन लोगों से आता था वह भी खत्म हो जायेगा। इसलिए आप आइन्दा जो लगान रखेंगे उसमें मौजूदा लगान और टैक्स दोनो को मिला कर रखेंगे। और इसके अलावा जमींदारो की इन्कम से जो टैक्स लिया जाता था वह खत्म हो जायगा। ऐसी सूरत में जमीन के ऊपर जो कुछ टैक्स था या जो आइंदा लग सकता था वह सब खत्म हो जायेगा। हमारे सूबे के बढते हुये खर्चे के लिए रुपये की जरूरत रहेगी ख्वाह इस सूबे में जमींदारियां रहें या न रहें, ऐसी सूरत में क्या होगा? कानपुर या दूसरे शहरों में आप इंडस्ट्रीज पर टैक्स लगा दें लेकिन देहातों में अगर कोई टैक्स लगेगा तो वह भूमिधर पर ही लगेगा और किसी पर नहीं लगेगा। फर्ज कीजिये आज आपने काश्तकारों का लगान ३३ फ़ीसदी, २५ फीसदी या ५० फीसदी कम कर दिया तो आप यह भी सोच लीजिये कि इसका नतीजा क्या होगा। मैं तो यहां तक तैयार हूं कि काश्तकारों का लगान इतना कम हो जाय जितना कि कांग्रेस ने किसी जमाने में तय किया था कि अनइकोनामिक होल्डिंग्स का लगान बिल्कुल माफ कर दिया जाय। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये कि इस वक्त उसका टैक्स आप कम करदें और अगला बजट जब आये तब आप उसपर एक टैक्स लगा दें और फिर जब दूसरा बजट आये तब आप एक और टैक्स लगा दें। बहरहाल जब रुपये की आपको जरूरत होगी और उसके लिए आपको टैक्स लगाना ही पड़ेगा तो फिर सवाल यह है कि मौजूदा जो लगान है उसी को ही क्यों न आप कायम रहने दीजिये। इससे आपका इक्यूलीबिरियम भी कायम रहेगा और आजकल का जो निर्ख है उसको देखते हुये भी वह बेजा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे तमाम दोस्त जो कर्जा लेने की स्कीम मैंने बतलाई है उसपर गौर करेंगे। इससे सोशलिस्टो की जो स्कीम है "फ्राम बिगर टू इस्मालर" वह भी कायम रहती है। यानी बडो की जेब से निकल कर छोटो की जेब में जाय और वहां से फिर वापस हो जाय यह दूसरी बात है अगर सोशलिस्ट पार्टी के लोग यह सोचते हैं कि बड़ों की जेब से रुपया निकल कर छोटो की जेब में जाय लेकिन वहां से वापस न हो। अगर सोशलिस्ट पार्टी के लोग बरसरे इक्तेदार हो जायं और वह ऐसी बात सोचें तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन वह बहुत दूर की बात है। हमें यह सोच-विचार करने की जरूरत है कि इस वक्त हमे क्या करना चाहिये। मैं समझता हूं और मैंने जहां तक अपने खयाले-नाकिस से गौर किया है मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो मैंने बतलाया है वही एक ऐसी सूरत है जिसके मातहत जमींदारों को मुआविजा मिल सकता है, गवर्नमेंट के पास सेविंग हो सकती है, गवर्नमेंट की अनपापुलैरिटी भी बच

[श्री सुल्तान आलम खां]

सकती है, काश्तकार भी खुश रह सकते हैं, सोशलिस्ट थ्यूरी भी पूरी हो सकती है और तमाम चीजें पूरी हो सकती ह । इसलिए निहायत अदब के साथ मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि मैंने जो चीज इस वक्त आपके सामने पेश की है आप उस पर बहुत ठंडे दिल से गौर फरमायें । मैंने एक मोटी आउट लाइन आपके सामने इसलिए पेश कर दी है कि आप उसको देखने के बाद एक ऐसी इमारत बना सकें जिसके मातहत इस बिल में जो खामियां रह गयी है उनको पूरा कर सकें और अपनी स्कीम को चला सकें ।

जनाब वाला! मुआविजा मिलने के बाद, जैसा कि इस बिल मे तरीका बतलाया गया है, जमींदार या तो यह करेगा कि आइडिल बनकर आमदनी का १५ फीसदी साल हासिल करेगा, लत्ते पहनेगा एक वक्त फाका करेगा और एक वक्त खायेगा या वह यह करेगा कि जो रुपया आप उसको दे उस रुपये को लेने के बाद वह उसको उड़ा दे । इन सब बातो को नजर में रखते हुये आपको जमींदारों का स्टेंडर्ड आफ लिविंग भी कायम रखना है।

मुझे एक बात याद आ गयी है जो मैं आप लोगों के सामने अर्ज कर देना चाहता हूं। यह मैं नहीं कहता कि यह आम तौर पर होता है लेकिन यह होता जरूर है। जब जमींदारी एबालिशन कमेटी के सिलसिले में मीटिंग्ज होती है तो बाज वक्त बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके पर जमींदारों को गालियां लोग दे देते है। यह मुनासिब नहीं है। जो शख्स बिस्तरे मर्ग पर लेटा हो और जिसकी ठठरी दिखाई पड़ रही हो उसको अखलाकन, मजहबन, समाजन किसी उसूल से भी बुरा कहना मुनासिब नहीं है और बिलखसूस ऐसी सूरत मे जबकि जमींदार पार्टी के कई सदस्य उनके साथ हैं और आप जमींदारी को खत्म कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बाज इस किस्म के भी लोग हैं जो प्रैक्टिकल चीज को समझ कर इसकी मुआफिकत करते हैं। गो वह समझते हैं कि काश ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी उनको बुरा नहीं कहना चाहिये। आज ये जमींदार तो खत्म हो जायेंगे लेकिन उनके बाद आइन्दा आने वाली जो नस्लें होंगी जिनका जमींदारी से कोई दूर का सरोकार नहीं होगा उनके लिये आप दोजख और जहन्नुम पैदा कर देंगे, जिससे सोसाइटी के अन्दर उनकी कोई पूछ नहीं होगी । उनके बाग काटे जायगे, उनके खेत उजाड़े जायंगे और उनके दरख्त काटे जायगे जिससे वे किसी सूरत में भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। इस तरह से आप समाज के अन्दर एक नया बैकवार्ड क्लास पैदा करेंगे। आगे चल कर यह प्राबलम हमारे सूबे के सामने आवेगी जिससे बड़ा ही नुकसान होगा। हमारे सूबे में बैकवार्ड क्लास की कमी नहीं है लेकिन इस तरह से एक और नये बैकवार्ड क्लास को पैदा करके आप उसमें इजाफा करेंगे । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसी सूरत निकालिये जिससे बैकवार्ड क्लास में एक और इजाफा न हो। मैं आनरेबिल मुअज्जिज वजीर माल साहब से कहता हूं वे मेरी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मैं सही बात कहता हूं। मैं उनके जजबात उनकी काबिलयत-ए-इल्म से अच्छी तरह वाकिफ हूं और मैं उनसे अपील करता हू कि आप इस चीज को जरा इस लाइट में देखें और बहुत सीरिअसली गौर फरमायें कि जमींदारों के लिये अगर यह चीज पैदा हो गई तो आगे चल कर उसका क्या नतीजा होगा। उसका नतीजा होगा कि तमाम सूबे की बरबादी हो जायगी । डेढ़ करोड़ मखलूक को बेरोजगार रख कर, आइडिल रख कर, पापर रख कर आप सूबे में अमनों-अमान कायम नहीं रख सकते हैं । यह कह कर मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा हूं बल्कि हकीकतन जो चीज है उसको आपके सामने पेश कर रहा हूं । अभी कोलम्बो में ब्रिटिश मिनिस्टर बेविन और हमारे वजीर आजम पं० जवाहरलाल नेहरू ने जो तकरीर की है उसको आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर एशिया का स्टैंडर्ड आफ लिविंग नहीं बढ़ाया जाता है तो समझ लीजिये कि कम्युनिज्म किसी सूरत में भी नहीं रोका जा सकता और यह सबको मालूम है और सभी देख रहे हैं कि कम्युनिज्म न सिर्फ एशिया बल्कि हिन्दुस्तान के दरवाजे पर जब खटखटा रहा है उस समय आप

यह बिल ला रहे हैं। आपको अपने लीडरान के इन ख्यालात और बुलन्द उसूलों का भी ख्याल रखना चाहिये। अगर आप चाहते हैं कम्युनिज्म रुके और इसको अपने यहां न आने दें और क्लासलेस सोसाइटी बना सकें और बैकवार्ड क्लास न पैदा हो तो बहुत सीरिअसली आपको गौर करना चाहिए कि जमींदारी एबालीशन के बाद किस तरीके से जमींदारों के साथ डील करें, कैसे अपलिफ्ट दें और कैसे उनको ऊंचा उठाने की कोशिश करें इसके लिए उनको थोड़ा ज्यादा इन्करेजमेंट मिलना चाहिये। एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। बदकिस्मती से हमारी पिछली पालिसी भी ऐसी रही कि जमींदारों को कोई इन्करेजमेंट नहीं मिला। मैंने पहिले ही कहा था कि जमींदारों में भी ब्लैकशिप रहे हैं, दुनिया में हर जगह रहे हैं करप्शन रहा है। ओल्ड आर्डर में भी करप्शन था दूसरी जगह भी करप्शन है लेकिन हमको तो इन लोगों का सुधार करना है, उनका रिफार्म है। यही हमारी पालिसी होनी चाहिये। तो पिछले मौके पर मैंने यह अर्ज किया था कि हमारी पालिसी ऐसी नहीं रही है कि जिससे हमने जमींदार को इन्करेज किया हो। मुझे याद है कि डेढ़-दो साल पहिले मैंने कई दफा यह सवाल किये थे कि क्या बात है कि ट्रेड के लाइसेंस उन्हीं लोगों को दिये जाते हैं जो बेसिक ट्रेड करते रहे हैं। मैं आनरेबिल वजीर माल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि यह बात जरा गौर से सुन लें। मैं यह कह रहा था कि फैक्ट यह है कि पिछले जमाने में हमारी पालिसी ऐसी नहीं रही कि हम जमींदार को इन्करेज करते रहे हों। जब कि ट्रेड के लाइसेंस का सवाल आया कि सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों दिये जाते हैं जो बेसिक ट्रेड करते हैं जो ब्लैक-मार्केट का नाम ऊंचा करते हैं, करप्शन फैलाते हैं। लेकिन जमींदारों को नहीं दिये गये उनको डिस्करेज किया गया और कहा गया कि यह कायदा है इसलिये जमींदारों को नहीं दिया जायगा। अगर जमींदारों को वह लाइसेन्स दिये जाते, या उसका कुछ हिस्सा ही दिया जाता, उसका कुछ कोटा ही दिया जाता तो इस जमाने में जमींदार लोग अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश करते, उनका भला होता लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उससे यह मालूम होता है कि हमारी तरफ से भी कमी रही और गलतफ़हमी हुई। अगर जमींदारों के लिये ऐसा कर दिया जाता तो इससे उनका बहुत कुछ फायदा हो सकता था। जो हमको उनके लिये कुछ करना चाहिये था वह नहीं किया। हमारा यह फर्ज था कि इन जमींदारों के सुधारने के लिये जो हमको करना चाहिये था वह हमने नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि ब्लैक-मार्केट बढ़ा, करप्शन की फतह हुई और उसकी वजह से शर्म के मारे हमारा सर नीचा करना पड़ता है। आज ब्लैक-मार्केट, करप्शन जिस कदर हमारे सूबे के अन्दर फ़ैला हुआ है, शायद हिन्दुस्तान में क्या दुनियां के किसी कोने में या दुनियां में इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी जो लोग ब्लैक-मार्केटिंग करते रहे हैं, जो लोग खून चूसते रहे हैं, जंग के जमाने में जिन्होंने बहुत रुपया पैदा किया उनका ही ख्याल रखा गया। अगर हमारी पालिसी यह होती कि जो नये लोग आवें, जमींदार आवें, उनको कुछ हिस्सा, कुछ कोटा ट्रेड का देते तो वे नये लोग होते कुछ अरसे तक डरते और ब्लैक-मार्केटिंग भी नहीं होता और जमींदारों का भला होता और गवर्नमेंट को भी इस वक्त इतनी दिक्कत न होती। मैं बड़े अदब के साथ आनरेबिल मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि हमारी भी कुछ कोताही रही। इसलिये अब उन कमियों को पूरा करना है। वह कमियां अब इस तरफ से पूरी की जा सकती हैं कि आइन्दा जो हम प्रोग्राम बनायें वह इस तरीके पर हो कि जिसमें जमींदारों के साथ न सिर्फ इंसाफ ही हो बल्कि मैं तो यह कहूंगा उनके साथ एक तरह से लिबरल ट्रीटमेंट मनासिब होगा। जैसा कि मैंने अर्ज किया, जब तक आप यह सब बातें अपने सामने नहीं रखेंगे तब तक आप अपनी मंजिले-मकसूद पर नहीं पहुंच सकते हैं।

जनाबवाला! मैंने अभी जैसा अर्ज किया, इस बिल के अन्दर ३१० दफायें हमारे सामने आई हैं और हर चैप्टर के मातहत हमको रूल्स बनाने पड़ेंगे और

[श्री सुल्तान आलम खां]

शायद सारे रूल्स एक हजार बनाने पड़ेंगे। इसके अन्दर बहुत सी कमी रह गई है। बहुत से रूल्स छोड़ दिये गये हैं। मसलन यह कि किस तरह से वसूलयबी करेंगे, किस तरीके से कम्पेन्सेशन पेमेंट करेंगे यह सब जो बुनियादी बातें हैं वह सब छोड़ दी गई हैं इसके अलावा यह भी है कि यह बिल कहां कहां लागू होगा। म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया कन्टूनमेंट बोर्ड, सरकारी स्टेट्स कुमायूं की डिवीजन इसके अन्दर शरीक नहीं है। तो यह कर्जे का सवाल भी बिलकुल वैसे ही है जहां पर था और आज तक वह हल नहीं हुआ। आपने फरमाया कि हम कर्जे का सवाल पहले ही लेंगे और शायद आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कान्सटीट्यूशन ने यूनिटी की बात रख दी है और शायद इसीलिए आप को इस को २६ जनवरी से पहिले हो जाने की फिक्र है। यह भी बड़ी गनीमत है। यह कर्जे का बहुत ही अहम सवाल है। आप कम्पेंसेशन चाहें जितना दें लेकिन वह स्टेट जो मकरूज है उन को काफी तादाद है, जबतक यह मालूम न हो कि कर्जे की अदायगी के बाद क्या पोजीशन होगी तबतक नहीं मालूम हो सकता कि कितना मुआविजा किस को मिल सकेगा या या होगा। इसलिए इस तरह का पीसमील लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए और इस चीज को मेरी राय में जहां तक हो सके एवायड ही करना चाहिए और यह जरूरी है कि लैन्ड रिफार्म की पूरी तसवीर हमारे सामने आये और तमाम एमेंडमेंट वगैरा सब एक साथ ही हो सकें। मालूम नहीं कि आप ने ३१० दफाओं का बिल बनाकर भी क्यों इस बात की जरूरत छोड़ दी और मालूम नहीं कि कमायूं डिवीजन, सरकारी रास्ते, नोटिफाइड एरिया, सरकारी स्टेट्स और लोकल बोर्ड क्यों इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। यह चीज मेरी दरख्वास्त है कि इसमें जरूर आ जानी चाहिए। ज्यादा अच्छा होता कि आप चन्द हफ्ते या चन्द महीने और इसमें लगा देते जहां इतना वक्त लगा है और एक मुकम्मिल चीज हमारे सामने यहां आती और जिससे हर चीज कवर हो जाती और गवर्नमेंट की बहुत सी दिक्कतें भी बच जातीं। गवर्नमेंट का बार-बार बिल का इन्ट्रोडयूस करना, टैक्स पेयर का रुपया बच जाता और एक्सचेकर का भी नुकसान इस तरह से न होता।

बिल के साथ ही जो एम्स व आब्जैक्ट्स दिए हुए हैं उनमें एक लफ्ज भी ऐसा नहीं कहा गया है कि जिससे यह अन्दाजा हो सकता कि आप को इसमें क्या दुश्वारियां थीं। बिलखसूस मेरी अर्ज दासल में और भी वजन पैदा हो जाता है जब मैं मदरास और बिहार के बिल पढ़ता हूं। जब हम यह देखते हैं कि वहां यह चीजें मौजूद हैं और आपने नहीं रखीं तो हमें बड़ी परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि आप किसी सूरत से भी इस को प्रेक्टीकेबिल बनाइए ताकि आप एक चीज को सही मानों में और सही तौर पर कर सकें।

एक चीज और आपके सामने है जो बहुत ही गौरतलब है और बावजूद इस के कि आपने काफी गौर किया है लेकिन फिर भी यह मसला इतना बड़ा है कि इसके तमाम पहलुओं पर अभी गौर नहीं किया जा सका है और उतना गौर नहीं हो सका है कि जितने गौर का यह मसला मुस्तहिक था और जितना कि इस पेचीदा मसले को सुलझाना जरूरी था। अगर आप एक दम नहीं कर सकते थे तो आप भी बिहार की गवर्नमेंट की जो ग्रेजुअल एबालिशन की पालिसी है उसी को अख्तियार कर सकते थे और उस तरह से आपको रुपये की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती और इस सिलसिले में जो आप को दिक्कतें हो रही हैं उनमें से बहुत सी दिक्कतें बच जातीं। मगर अफसोस है कि इस सिलसिले में और बहुत सी अहम बातें हैं कि जिन पर गौर होना चाहिये था और कतई गौर आप नहीं कर सके हैं।

मैं कम्पेन्सेशन के बारे मे दो एक बातें और कहूँगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। उसकी दफाओं को पढ़ने के बाद मालूम होता है कि आपने जो ८ गुना कम्पेन्सेशन रखा है वह अगर एक्चुअल वर्किंग किया जाय तो करीब-करीब ३ गुने से ज्यादा नहीं होता है और यह चीज समझ में नहीं आती। अगर आप कम्पेन्सेशन के उसूल को कतई न माने तो उसमें हमे कोई एतराज नहीं हो सकता है जैसे कि सोशलिस्ट कहते हैं वह बात तो एक हद तक ठीक है और वह बात हमारी समझ मे आती है, लेकिन जब उसको देने का सवाल पैदा होता है तो उसके साथ ही साथ यह भी सवाल पैदा होता है कि वह कम्पेन्सेशन इक्वीटेबिल क्यों न हो। कांग्रेस की तरफ से बार-बार मैनीफैस्टो में और उस के बाद भी यह वादा किया गया था कि हम सब को इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन देंगे। वह कम्पेन्सेशन तो इक्वीटेबिल हरगिज नहीं हो सकता कि जिस को हमारे वजीर माल या रोशन जमां खां साहब कह दें या कोई भी एक शख्स कह दे।

अब मसलन सवाल यह पैदा होता है कि जो परती जमीन है उसका मुआवजा नहीं दिया। कोई वजह मालूम नहीं होती है कि क्यों नही दिया। सोशलिस्ट पार्टी ने अबालिशन कमेटी में खुद कहा था कि एग्रीकल्चरल वेस्ट का दो रुपया फी एकड़ मुआविजा मिलना चाहिये। हो सकता है कि आज आप बदल जायं। राय बदलने का हर एक को हक हासिल है। मैं भी राय बदलता हूं यह भी बदलते हैं। आखिर क्या वजह है कि यह न दिया जाय? हमारे आचार्य जी भी दसगुना मुआविजा देने को कहते थे। चौधरी चरण सिंह की भी यह सिफारिश थी। मैं यह जानना चाहता था कि यह आठ गुना क्यों रक्खा गया। इसकी क्या बुनियाद है? अगर इस का जवाब यह है कि आज हमारे पास रुपया नहीं है तो मैं इस दलील को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। १७५ करोड़ आप दे सकते हैं तो दो सौ करोड़ भी दे सकते हैं। हां यह तै हो जाय कि मुआविजा देना होगा या नहीं तब तो वहसोमुबाहिसे की गुन्जायश नहीं है। जमींदार को बाजार और इक्वीटेबिल रेट से हो सकता है। यह जरूर है कि आजकल चीजों के दाम बढ़े हुए हैं फिर भी इस के लिये कोई उसूल और नजरिया होना चाहिये। चौधरी चरण सिंह ने अपनी किताब में जो तजवीज किया है वह क्यों नहीं दिया जाता। मैं समझता हूं कि अगर एग्रीकल्चरल वेस्ट सौ करोड़ बीघा है तो सोला करोड़ रुपया उसका होता है इस लिये इस मामले में गौर करना चाहिये। मुझे आप के प्रीएम्बिल पर सख्त ऐतराज है। कुछ लोगों ने मजाक में कहा है कि "टिलर आफ दी स्वायल" तो हल होता है या बैल होता है। आप को टेनेंट या कोई दूसरा ज्यादा अच्छा लफ्ज रखना चाहिये। मैं फिर आप से अर्ज करूंगा कि वह कौन से वजूह हैं कि आप परती जमीन जमींदारों के पास नहीं छोड़ते। बिहार में परती जमीन छोड़ दी गई आप भी यहां छोड़ दीजिये। एक चीज है बहुत से जमींदार ऐसे हैं कि एक इंच जमीन उन के पास नहीं है सब-लेट है वह क्या करेंगे। यह एक लूपहोल है जमीनें महाजनों के पास जा सकती हैं। उस को तरमीम कर दीजिये। इकोनमिक जमीन बय न हो सकेगी वह जमीन महाजन के पास न जायगी। नान-एग्रीकल्चरिस्ट के पास जमीन न जायगी। जायगी वह जमीन ऐग्रीकल्चरिस्ट के पास मैं मानता हूं। अगर आप ऐसी सूरत से उसमें यह चीज रखते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन उसमें यह लूपहोल कभी न होना चाहिये वरना नतीजा यह होगा कि महाजन रुपया देकर उस जमीन को हासिल कर लेगा और कोई चीज उसके अन्दर नहीं है जिससे आप जमीन को उसके हाथ में जाने से रोक सकें।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक परती लैंड और कल्चरेबिल लैंड का ताल्लुक है ये जमींदार के पास रहेंगी तो कोई हर्ज नहीं। कानून के बुनियादी उसूल पर इससे कोई असर नहीं पड़ता। एक और चीज है। इसके अन्दर आपने मेला (फेयरर्स) इस किस्म की जो चीजें हैं वे भी ले ली हैं लेकिन अगर आप इस पर जरा ठंडे दिल से

[श्री सुल्तान आलम खां]

गौर कीजिये तो आपके प्रीएम्बिल में यह चीज कहां तक आती है? प्रीएम्बिल तो यह कहता है कि "टिलर आफ दी लैंड" जो बैल या हल भी हो सकता है। अगर आप इस पर जरा हमदर्दाना स्प्रिट में गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जमींदार को अजसरे नौ अपनी जिन्दगी शुरू करने के लिये क्या-क्या चीजें हैं जो आप अपने उसूल को न कुर्बान करके उसके पास छोड़ सकते हैं। अगर इस स्प्रिट में आप गौर करें तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई दुश्वारी नहीं हो सकती कि आप उसके पास यह चीज न छोड़ दें। अब मेले का क्या ताल्लुक है? मेला जो है वह न तो प्रोपराइटरी राइट है और न टेनेंटरी राइट है। यह एक प्योरली कमर्शियल इंटरेस्ट की चीज है जिसको आप इससे रेग्यूलेट करना चाहते हैं, अबालिश करना चाहते हैं। तो अगर मेला उसके पास रहता है तो क्या दिक्कत है? फर्ज कीजिये अगर आप यह चाहते हैं कि कम से कम मेला भी उसके पास न रहे तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यह चीज प्रीएम्बिल में हर्गिज नहीं आती है। उसके लिये आप अलाहिदा ऐक्ट बनाइये। आखिर जमींदार ने उसमें मेहनत की है। वह एक प्राइवेट इंटरप्राइज है। उसने उसमें पैसा लगाया है तो यह चीज तो उसके पास लाजिमी होनी चाहिये। जैसे माइन्स के वर्कर्स के साथ आपने लीज कर दी है माइन्स की उसी तरह मेले को भी लीज कर दीजिये। इससे प्रीएम्बिल पर कोई असर नहीं पड़ता। इससे इस बिल के बुनियादी उसूल पर कोई असर नहीं पड़ता बल्कि आपको कुछ सहूलियत हो जायगी। या अगर आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ही दिलाना चाहते हैं तो वह प्रोपराइटर रहे और कोई ऐसा वर्किंग प्रिंसिपल बना दीजिये जिसके मातहत जो जरूरी चीजें हों, जैसे सैनीटेशन वगैरह, उनकी देख-भाल बोर्ड करे और जमींदार बाकी चीजें देखे। मैं समझता हूं कि जहां तक मेले का ताल्लुक है, माइन्स का ताल्लुक है, इन चीजों का बिल के प्रीएम्बिल से कोई ताल्लुक नहीं है जैसा कि कल्चरेबिल वेस्ट लैंड और परती लैंड के बारे में है।

मैंने अखबार में पढ़ा था कि हमारे बुजुर्ग मौलाना हसरत मोहानी साहब ने अपनी तकरीर में यह फरमाया। मुझे अफसोस है कि मैं उस तकरीर के सुनने के लिये यहां हाजिर नहीं था चूंकि काश्तकार सब से बड़ा ब्लैकमार्केटियर है इसलिये उसे प्रोपर इटरशिप में कोई हक नहीं पहुंचना चाहिये। मैं मौलाना की इस दलील से तो बहुत इत्तफाक नहीं करता लेकिन मौलाना ने बात बहुत मार्के की कही है और इससे कुछ बातें ऐसी हैं जो रोशनी में आती हैं। इस बिल में जो तरीका बताया गया है और जो बुनियादी चीजें रक्खी गई हैं उनमें एक मिल्कियत का सवाल भी है। मैं आपसे सही अर्ज करता हूं कि मैं खुद भी अभी तक यह नहीं समझा कि हकीकत में प्रोप्राइटरशिप कहां जा रही है। कुछ तो बिल यह कहता है कि स्टेट की है कभी-कभी प्रीमियर साहब की और जनाबवाला की तकरीरों से यह सुना कि भूमिधर को इसका राइट जायगा। लेकिन मैं यह अब तक जज नहीं कर सका हूं कि प्रोप्राइटरशिप वाक़ई किसमें वेस्ट करेगी, हिज मैजेस्टी में होगी, इंडियन यूनियन में होगी, पंचायत राज्य में होगी, भूमिधर में होगी या स्टेट में होगी, कहां होगी।

श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर—अभी तय नहीं हुआ।

श्री सुल्तान आलम खां—मेरे दोस्त श्री धुलेकर जी फरमाते हैं कि यह अभी तय नहीं हुआ है तो मैं जनाब स्पीकर साहब से बहुत ही अदब से अर्ज करूंगा कि अगर यह तय नहीं हुआ है कि प्रोप्राइटरशिप किसमें वेस्ट करेगी तो माननीय सचिव को यह राय दी जाय कि इस बिल को वापिस ले लें और इस बात को तय करके बिल को हाउस में लावें। यह तो एक ऐसा बुनियादी मसला है जिसके मुताल्लिक दो रायें नहीं हो सकती हैं। हम बाज औकात इस चीज के शिकार होते रहे हैं कि हमारी बुनियादी पालिसी तय नहीं हुई है और हमारी बहुत सी बातें साफ नहीं हुई हैं, कुछ इधर गईं और कुछ उधर गईं। बाज दफा डिफरेंस

पीरियड्स मे ये चीजे कुछ ठीक भी होती हैं लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब हमको कुछ क्लीयर कट पालिसी अख्तियार करनी पडती है । शायद वह वक्त आ चुका था और अगर नहीं तो अब जरूर आ गया है। हमको यह तय करना पड़ेगा कि वाकई प्रोप्राइ-टरशिप कहां वेस्ट करेगी। बिल मे यह कहा गया है कि प्रोप्राइटरशिप स्टेट को आ रही है। तकरीरों मे यह सुनते है कि वह काश्तकार को जा रही है । और फैक्ट यह है कि वह कहीं भी नहीं जा रही है उसका पता ही नहीं है। हमने जो अख्तियारात भूमिधर को दिये हैं वह कुछ हद तक रेस्ट्रिक्टेड प्रोप्राइटरशिप है । उसे बेचने के अख्तियारात है कुछ शर्तों के साथ ।

इस बिल मे एक दफा ऐसी भी मौजूद है। मै उसे कहना नही चाहता ओर न उसकी जरूरत है । उसमें यह भी है कि फर्ज कीजिये एक भूमिधर अपनी उस आराजी को जो कि जराअती काम के लिये इस्तेमाल होती थी अगर गैरजराअती, इंडस्ट्रियल या किसी और पर्पज के लिये इस्तेमाल करना चाहे तो वह कलेक्टर को दरख्वास्त दे और कलेक्टर साहब जब मुतमइय्यन हो जावें कि ठीक है तो वह एक नोटीफिकेशन जारी कर देंगे कि यह अब जराअत की आराजी नहीं रही। तो वह उसके ऊपर कारखाना वगैरह या और जो कुछ चाहे बना सकता है। पहिले ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नही थी लेकिन अब सिलेक्ट कमेटी ने यह कर दिया है। तो अगर वह ऐसा करेगा तो उसके बाद भी वह जमीन एक तीसरी किस्म की आराजी बन जायेगी। हमारे यहां अभी तक एक जराआती और एक शहरी आराजी है और यह तीसरी किस्म की आराजी होगी। अभी तक फर्ज कीजिये कि एक आराजी जो जराअती है अगर वह गैरजराआती काम में इस्तेमाल होने लगे तो आने वाले बन्दोबस्त तक उस पर लगान पड़ेगा और उस वक्त तक उस पर मालगुजारी भी जायगी लेकिन जिस वक्त बन्दोबस्त आवेगा उस वक्त इसका इन्दराज पटवारी के कागजात से हटा दिया जावेगा। वह गैरजराअती आराजी करार दे दी जावेगी। और इसके बाद जो भूमिधर की आराजी। होगी, वह एक तीसरी किस्म की आराजी होगी और वह गैरजराअती काम में आयेगी लेकिन उसमें भूमिधर का राइट कायम रहेगा। तो यह एक तीसरी किस्म की चीज है जो हमारे सूबे मे होगी । यानी, जराती, दूसरी शहरी आराजी और तीसरी भूमि-धर की आराजी जो गैरजराअती है यह थोडा सा कनफ्यूजन पैदा करने वाली चीज है। लेकिन मैंने जब इस पर गौर किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद हम अपने दिमाग में अभी तक क्लियर नहीं हैं कि जमीन की मिल्कियत हम किसको सौंपें। इस वक्त हम कहते हैं कि यह मिल्कियत हमारी है लेकिन हम नहीं कह सकते कि आइन्दा चल करके क्या हो या यह मिल्कियत किसी और को देनी पड़ेगी। तो मैं अर्ज करूंगा कि इस किस्म के बिल को, जिसमे करोड़ों इन्सानों की किस्मतें वाबस्ता है, इस ऐवान में लाने से पहिले इस पर काफी सोच विचार करके एक राय कायम कर लेनी चाहिये। कोई हाफहार्टेड-वे नहीं होना चाहिये । एक उसूल होना चाहिये और उसमें ऐसी बात या एलास्टीसिटी भी नहीं होनी चाहिये कि कभी इधर होजाय और कभी उधर। हम एक परमानेंट स्टेट्यूट बुक, एक कानून, लाने वाले हैं जिसमें आइन्दा कोई तरमीम न होगी। [illegible] से पहिले हमें इस [illegible] लेना चाहिये [illegible] हम सूबे में कैसा निजाम लायेंगे। हम काश्तकार को प्रोप्राइटर बनाना चाहते हैं या स्टेट को या ग्राम-पंचायतों में प्रोप्राइटरशिप रखेंगे। किस उसूल पर किस बुनि-याद पर हम ईंट रखना चाहते हैं जिस पर कि सारी इमारत हमको खड़ी करनी है ? यह चीज इसीलिये जरूरी है कि इसके मुताल्लिक गाव-पंचायतों की बात है। हमारे बिल में जो निजाम है वह गांव-पंचायतों का है यानी हम विलेज रिपब्लिक रखना चाहते है। उनका सम्बन्ध उनसे होगा। इसलिये अगर हमारे दिमाग में सही नक्शा नहीं होगा तो हम उस आसानी के साथ काम को पूरा नहीं कर सकते जिसकी कि जरूरत है।

जनाबवाला, इस बिल से एक रिआयत यानी कंसेशन उन लोगों के लिये है जिन के पास सवा छः एकड़ जमीन थी लेकिन अब वह ८ एकड़ कर दी गई है सिलेक्ट

[श्री सुल्तान आलम खां]

कमेटी के अन्दर। जिसके पास इतनी आराजी है लेकिन कुछ उठी हुई है उन लोगों को यह हक दिया गया है कि हमने इकोनोमिक होल्डिंग्स को सवा छः एकड़ मुकर्रर किया है। कम से कम उनके इकोनोमिक होल्डिंग्स बन सकें। और इतनी आराजी या कुल आराजी उठी हुई हो उसको बेदखल कर सकें जिससे आठ एकड़ बन सकें। इस उसूल को मान लिया गया है तो ठीक है। अगर नहीं माना जाता तो आगे कहने की गुन्जायश नहीं थी। लेकिन जब इस उसूल को मान लिया गया है तो यह चाहिये था कि जितने लोग इससे नफा उठा सकते हों उठा सकें। लेकिन मैं देखता हूं कि इसी दफा २२४ के सब क्लाज (१) में यह दिया हुआ है कि इसका एप्ली-केशन उन मुकामात पर होगा, जहां प्राविंशियल गवर्नमेंट नोटीफिकेशन कर दे। इसके माने यह है कि एक हाथ से दिया है और दूसरे हाथ से ले लिया है। मेरी समझ में नहीं आया कि इस चीज़ को रखने की जरूरत ही क्या थी। अगर आप चाहते हैं कि लोग नफा उठा सकें तो एक जिले में चाहे २०० आदमी नफा उठायें और दूसरे जिले में चाहे एक आदमी नफा उठाये, तो एक आदमी क्यों महरूम रहे? जब आप उसूल मानते हैं तो हर जगह के लिये यूनीवर्सल होना चाहिये। इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिये। मैं ऐसे कानून को अच्छी नजर से नहीं देखता जो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इख्तियारात देता है। जब हम राय आम्मा यानी जनता की राय लेकर यह कानून बना रहे हैं तो इस कानून को चलाने के लिये हमें कानून के दायरे के अन्दर जल्द से जल्द लोगों को आजादी देना चाहिये। अगर इस कसौटी पर परखें तो आप को यह फैसला करना होगा कि इस उसूल को मानते हैं तो उस दफा को कतई हटा दिया जाये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि गोरखपुर में फायदा दें और अलीगढ़ में न दें, इसी तरह से बदायूं में फायदा दें और बरेली में न दें।

चेयरमैन—माननीय सदस्य कितना समय और लेंगे?

श्री सुल्तान आलम खां—अगर कल के लिये रख दिया जाये तो बेहतर है।

चेयरमैन—ठीक है।

कतिपय समितियों के लिए सदस्यों के चुनाव के संबंध में घोषणा

आर्केयालोजिकल म्यूजियम, मथुरा, की प्रबन्धकारिणी समिति

चेयरमैन—कब्ल इसके कि हम उठें हाउस को यह इत्तिला देनी है कि आर्कियालोजिकल म्युजियम, मथुरा, की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये दो नाम हैं।

(१) श्री शिवमंगल सिंह,
(२) श्री मोहम्मद नजीर।

कल १२ बजे से चार बजे तक चुनाव होगा।

प्रान्तीय म्यूजियम एडवाइजरी बोर्ड के लिये चुनाव करना है। इसके लिये तीन नाम आये हैं।

(१) डाक्टर रामधर मिश्र
(२) श्री चन्द्रभानु शरण सिंह
(३) श्री मोहम्मद नजीर।

इसके लिये भी कल १२ बजे से ४ बजे तक रीडिंग रूम में मत दिये जायेंगे और चुनाव होगा।

श्री केशवगुप्त—हज कमेटी का भी तो चुनाव होना है।

चेयरमैन—इसका चुनाव परसों होगा।

(इसके पश्चात् भवन ५ बज कर १६ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
मन्त्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त।

लखनऊ,
१२ जनवरी, १९५० ई०।

नत्थी क

(देखिये १२ जनवरी, १९५० ई०, के तारांकित प्रश्न संख्या ३३ का उत्तर, पीछे पृष्ठ ४७२ पर)

१ अप्रैल, १९३९, १ अप्रैल, १९४७, १ अप्रैल, १९४८ तथा १ अप्रैल, १९४९ को पुलिस के गजटेड अधिकारियों की शक्ति का विवरण-चित्र

तिथि	पदों का विवरण											विशेष
	स्थायी					अस्थायी						
	आई जी०	डी० आई० जी०	एस० पी०	ए० एस० पी०	डी० एस० पी०	आई० जी०	डी० आई० जी०	एस० पी०	ए० एस० पी०	डी० एस० पी०	योग	
१ अप्रैल, १९३९	१	५	५६	४१	७१	—	—	२	—	२	१७८	
१ अप्रैल, १९४७	१	५	५६	४१	८८	—	३	१९	—	४२	२५५	
१ अप्रैल, १९४८	१	५	५६	४१	१०३	—	३	३१	—	८३	३२३	
१ अप्रैल, १९४९	१	९	७५	३८	१०३	—	—	१६	—	८६	३२८	

एक डी० आई० जी० की जगह अभी खाली रक्खी गई है ।

१ अप्रैल, १९३९, १ अप्रैल, १९४७, १ अप्रैल, १९४८ तथा १ अप्रैल, १९४९ ई० को पुलिस दल की शक्ति का विवरण, नान-गज्टेड

यूनिट का नाम	पुलिस दल की शक्ति												विशेष
	१ अप्रैल, १९३९			१ अप्रैल, १९४७			१ अप्रैल, १९४८			१ अप्रैल, १९४९			
	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	हे० कांसटेबिल	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	हे० कांसटेबिल	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	हे० कांसटेबिल	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	हे० कांसटेबल	
१—जिला कार्यकारी दल	१९०	२,००२	४,३६०	२२१	२,०८९	५,३२४	२४०	२,१८९	५,४९३	२२३	२,१७७	५,३७१	अपराध तथा जनसंख्या में वृद्धि के कारण वृद्धि
२—गुप्तचर विभाग	२५	१६	९	४८	५२	१८	९५	९५	१०३	८३	७७	७६	
३—भ्रष्टाचार विरोधक विभाग	..	..	..	२८	१५	३२	..	..	..	..	.	..	गुप्तचर विभाग में सम्मिलित
४—गवर्नमेंट रेलवे पुलिस	४	..	..	६	७०	१२३	७	७०	१३३	७	७६	१५८	गवर्नमेंट रेलवे पुलिस दल के पुनः संगठन के कारण
५—पुलिस निरीक्षण महाविद्यालय	७	३	९	१३	५	१५	७	५	७०	२१	६	४०	एस० आई० सी० पी० कोर्स के लिये अधिक शिक्षार्थी भेजने के कारण अस्थायी वृद्धि

१ अप्रैल, १९३९, १ अप्रैल, १९४७, १ अप्रैल, १९४८, तथा १ अप्रैल, १९४९ ई० को पुलिस दल की शक्ति का विवरण, नान-गजटेड

यूनिट का नाम	पुलिस दल की शक्ति												विशेष
	१ अप्रैल १९३९			१ अप्रैल, १९४७			१ अप्रैल, १९४८			१ अप्रैल, १९४९			
	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	हे० कांसटेबिल	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	हे० कांसटेबिल	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	हे० कांसटेबिल	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	हे० कांसटेबिल	
६—पुलिस शिक्षण पाठशाला	..	..	..	१	८	३१	१	५	२०	१	६	१९	१९ कांसटेबिलों को हे० कांसटेबिल के पद के पदोन्नति में शिक्षा व चुनाव की नवीन योजना
७—केन्द्रीय संग्रहालय	..	..	..	१	१	१	१	३	६	१	३	८	
८—प्रान्तीय सशस्त्र कांसटेबुलरी	..	..	..	३८	११९	७८३	९८	२८९	१९३३	९६	२९९	१९४१	
९—बेतार का तार	...	..	..	..	१८	४८	१	२८	१९८	२	५८	३५६	
१०—मोटर वाहन विभाग	..	..	..	.	..	७०			७०	१	५	७५	
११—रेल रक्षा पुलिस	..	..	.	१२	३६	२६४	१५	६५	३३०	१५	४५	३३०	
१२—रेडियो टेलीफोन विभाग		..	..	..	..	२०	..	..	२०	..	..	२०	
१३—टियर स्मोक स्क्वाड	..	..	..	..	५	१०	..	५	१०	..	१	२	
१४—इन्फोर्समेंट स्क्वाड	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१६	३५	३९	
१५—पुलिस का प्रधान कार्यालय		...	४	..	..	५	..		५	.	..	५	
योग	२२६	२,०२१	४,३८२	३६८	२,४१८	६,७५२	४६५	२,७३४	८,३४१	४६६	२,७८३	८,४४०	
१६—१ अप्रैल, १९३९ के पश्चात् शक्ति में वृद्धि		..	..	१४२	३९७	२,३७०	२३९	७१३	३,९५९	२४०	७६२	४,०५८	

नत्थी 'ख'

(देखिए १२ जनवरी, १९५० ई० के तारांकित प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७४ पर)

श्री वंशगोपाल के ३४ वें दिन की बैठक के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर का नक्शा जोकि ऊपर कहा गया है।

गिरफ्तार किये गये पुरुषों की संख्या	पुरुषों की संख्या जिनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया	पुरुषो की सख्या जिन पर जुर्माना हुआ	पुरुषो की संख्या जिनको दड दिया गया
३,१३७	१५,३०१	१,४३८	१,१७५

नत्थी 'ग'

(देखिए १२ जनवरी, १९५० ई० के तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६४ व ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७९ पर)

		असेम्बली प्रश्न सं० ६३	असेम्बली प्रश्न सं० ६४			असेम्बली प्रश्न सं० ७०	
क्रम-संख्या	जिलों के नाम	गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों में मास्टरों की कुल संख्या	हरिजन मास्टरों की सं०	हेड मास्टरों की कुल संख्या	हरिजन हेड मास्टरों की कुल संख्या	हरिजन बस्ती और (क)	उसके आस-पास खुले हुए स्कूलों की संख्या (ख)
१	मुजफ्फरनगर	४०७	१८	३७	३	४	१--गाव कसियारा, डाकखाना चारबघात । २--गाव अब्दुलपर, डाकखाना पुरकाजी । ३-गाव कासमपुर तालहिब, डाकखाना भोपा। ४--गाव योधाना, डाकखाना सिकरी ।
२	बांदा	२९६	५	३५	२	कोई अलग बस्ती नहीं	
३	जालौन उरई मे	२८०	२३	१००	१०		
४	बरेली			३६	३		
५	गोरखपुर	५९९	२२	१५३	२	६	(१)गाव जिगना पोस्ट सहजनवा,(२) ग्राम हापुड, पोस्ट चौरा, (३)ग्राम गनेश पुर, पोस्ट नौतनवा, ४) ग्राम वासोला, पोस्ट सहजन, (५) ग्राम नतवा, पोस्ट च गीचोरा, (६) ग्राम त्रिलोकपुर, पोस्ट नौतनवां ।
६	सुल्तानपुर	२,९		३९			

		असेम्बली प्रश्न सं० ६३		असेम्बली प्रश्न सं० ६४		असेम्बली प्रश्न सं० ७०	
क्रम-सं०	जिलों के नाम	गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों में मास्टरों की कुल संख्या	हरिजन मास्टरों की सं०	हेड मास्टरों की कुल संख्या	हरिजन हेड मास्टरों की कुल संख्या	हरिजन बस्ती और उसके आस-पास खुले हुए स्कूलों की संख्या (क)	(ख)
७	अल्मोड़ा	५७४	३५	२२७	२६	२४	(१) कताली मल्ला बोराराज. (२) खननागढ़ पल्ला नेवाट, (३) ज्वालाकोट नाल मिउनारा, (४) गवेरा मल्ला कनियोर. (५) दटगांव, (६) पतराघार बेल्गौना उनयर (७) नकोट लाखनपुर. (८) म्यान्दर खमयानी. (९) लेहर-चौरा बिमालकन्यूर. (१०) खुरेरी बलानया. (११) पनजोखउ मल्ला साल्ट (१२) चुनौला बिवाल्व जांकनी (१३) बिक्नाला दानपुर. (१४) अमीनाला दानपुर. (१५) स्नाह उेना खरान (१६) काकड पामर्दा रेन्वां (१७) उमा-देबी एल०एल०. (१८) खनाली मल्ला स्यताग (१९) कतवनपट्टी पाला-माल्ट. (२०) बागड बिचाला कमस्यिार. (२१) मनकिवा पल्लाडोग. (२२) सोमन्द दबम (२३) मिविचमा मल्ला जोहर. (२४) माल्य रावल।
८	बुलन्दशहर	३२९	१६	३८	२	२	(१) ग्राम मदारकरीम पोस्ट छनारी (२) पोस्ट चदेसा।
९	मुरादाबाद	२१८	२२	३६			
१०	आजमगढ़	५३९	२३	७३	२	९	(१) शाहपुर पोस्ट सरायमीन. (२) अमीरामोहिद्दीनपुर पोस्ट मोहम्मदपुर, (३) अत्ताहपुर पोस्ट माहुल, (४) कचारपुर पोस्ट कचारपुर, (५) पुरवा बेलासुलतानपुर, (६) खुनखुनवा पोस्ट कोपागज, (७) मुसवा पोस्ट पल्लिया (८) कोनवालीपुर पोस्ट अहरौला, (९) जफरपुर पोस्ट सदर।

११	एटा	३२०	२	३४	१	४	(१)गढ पोस्ट नवाखेरा(२)गोथुवा पोस्ट नवाखेरा,(३)नगला बरजरत पोस्ट मोहनपुर,(४)दलूपुर पोस्ट पिलवा।
१२	बदायूं	३६०	६	४०	४	२	(१)गांव रामपुर पोस्ट नगरझूना, (२)गाव बखुआ पोस्ट उझियानी।
१३	हरदोई	३३६	१६	३२	२	५	(१)गाव संडीला मासित पोस्ट टंडियावाना, (२)गांव पारसपुर पोस्ट अहरौरी,(३)रामपुर रहोलिया पोस्ट बवन, (४)गाव बिथारी पोस्ट जीरी,(५)तुलऊ पुरवा पोस्ट पिहाई।
१४	नैनीताल	२९३	१८	५४	९	९	(१)हरीनगर पोस्ट पहाड़पानी,(२) तारीखेत पोस्ट नरमपती,(३) चीर-लेख पोस्ट पहाड़पानी,(४) उरबासोती पट टी ऊथा कोट पोस्ट बेताल-घाट,(५) हरीनगर चुगसिल पटटी छखता पोस्ट थीमताल,(६) लालपुर पोस्ट काहीपुर,(७) सलियाकोट पट टी अगोर पोस्ट मुक्तेश्वर,(८) मतो-लागढ पट्टी कला अनार पोस्ट खानसियून,(९)देबीचीरा पोस्ट ननीत ल।
१५	मैनपुरी	३३०	४२	४०	२	१२	(१)गजियानपौरा पोस्ट बेवार, (२) ओन्चारी पोस्ट शिकोहाबाद, (३)नगलासाम सिह पोस्ट जयोतो,(४)लाघूपुर पोस्ट मालनपुर,(५)नगला खनेतरी पोस्ट सिरसागज, (६) नगलासती पोस्ट मैनपुरी,(७) नरघुपा पोस्ट शिकोहाबाद,(८) नगला दुलि दुल्योराबर,(९) कसौली पोस्ट बरनाहाल, (१०)नगला मानाधोता पोस्ट बरनाहाल,(११)नगलाकोठी सिरसा पोस्ट सिरसागज,(१२)नगलाजीवन पोस्ट तिलियानी।
१६	मेरठ	२९२	११	४६	१		
१७	फैजाबाद	४५६	१५	३७	१	४	(१)देवराकोट पोस्ट पिलखवां, (२) बुरहानपुर पोस्ट कुकरी बाजार, (३)इटवरा सुन्दपुर पोस्ट, रामनगर (४)हाजीपुर पोस्ट हरवापीताघबरपुर।

		असेम्बली प्रश्न सं० ६३		असेम्बली प्रश्न सं० ६४		असेम्बली प्रश्न संख्या ७०	
क्रम-सं०	जिलों के नाम	गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों में मास्टरों की कुल संख्या	हरिजन मास्टरो की कुल सं०	हेड मास्टरों की कुल सं०	हरिजन हेड मास्टरों की कुल सं०	हरिजन बस्ती और उसके आस-पास खुले हुये स्कूलों की संख्या (क)	(ख)
१८	देवरिया	४२५	१६	६०		३	(१) जगदीशपुर पोस्ट तरया स्याम. (२) तिघरा खेरवा पोस्ट इकसरी. (३) रुद्रपुर पोस्ट रुद्रपुर।
१९	देहरादून	१८५	१५	९	१		
२०	लखनऊ	२९७	१६	३५	४		
२१	झांसी	३६२	१२	८०	३		
२२	बहराइच						
२३	गढ़वाल	४६१	६	५७	३		(१) कंडी पोस्ट बघवा गग्वा, (२) पंचाली पोस्ट गनाखानी गढ़वाल. (३) न्वारा पोस्ट गुप्तकाशी गढवाल, (४) किनमुर पोस्ट गुईल गढ़वाल. (५) बरई पोस्ट बगदियाद।
२४	सहारनपुर	२७४	३१	३९	१	४	(१) रामनगर नोर्टे रोड पोस्ट सहारनपुर, (२) बवाताला पोस्ट मोहान, (३) सनपुरा पोस्ट बिहारागढ, (४) मरखावो पोस्ट सहारनपुर।
२५	अलीगढ	३९५	८	३३	६		
२६	सीतापुर	३६३	२३	३८	२		
२७	मथुरा	३३७		३२			

२८	इलाहाबाद	३९६	५	५२	१	३	(१) सैनी पोस्ट सिराथू, (२) विझवनिया पोस्ट सैनबाद (३) शेरपुर नगरा पोस्ट जंघई ।
२९	इटावा	३५०	५	३८	१		
३०	हमीरपुर	३४७	११	३८	१		
३१	फर्रुखाबाद	३२०	६	४०	३	२	(१) सम्दपुर पोस्ट नरुइल, (२) तकीपुर पोस्ट मोहमदाबाद ।
३२	गाजीपुर	३८८	२४	४०	१		
३३	आगरा	३१४	२	४२	..		
३४	बलिया	४७०	४४	४३	..		
३५	जौनपुर	५३५	२५	४७	..		
३६	बाराबंकी	३८०	२१	४०	३		
३७	रायबरेली	३७६	४५	४४	७	१	(१) सुतलह पोस्ट रायबरेली।
३८	गोंडा	३८०	२३	४०	..	१	(१) सुनावा पोस्ट पतिज्या बुजुरा।
३९	कानपुर	३९०	२२	४२			
४०	उन्नाव	२८५	७	३३	१		
४१	शाहजहांपुर	३७५	१७	४०	१		
४२	फतेहपुर	२३५	२१	४१	१		
४३	प्रतापगढ़	३३८	८	४७	२		(१) औसबालतीफ़पुर पोस्ट संग्रामगढ़ ।
४४	बस्ती	३९०	६८	७१	..		इन स्कूलों में हरिजन बस्ती के भी स्कूल है।

असेम्बली प्रश्न सं० ६३		असेम्बली प्रश्न सं० ६४				असेम्बली प्रश्न सं० ७०	
क्रम-सं०	जिलों का नाम	गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलोंमें मास्टरों की कुल संख्या	हरिजन मास्टरों की सं०	हेड मास्टरों की कुल संख्या	हरिजन हेड मास्टरों की कुल संख्या	हरिजन बस्ती और उसके आस-पास खुले हुए स्कूलों की संख्या (क)	(ख)
४५	बनारस	४२५	१२	४९		८	(१) तारनपुर पोस्ट मुगलसराय, (२) उघरा पोस्ट चौबेपुर, (३) जगदीशपुर पोस्ट चोलापुर, (४) गनेशपुर पोस्ट शिवपुर, (५) दरियापुर पोस्ट सकलडीहा, (६) चारी सैदराजा, (७) अखारी पोस्ट रोहानियां, (८) जगदीशपुर पोस्ट धामपुर
४६	लखीमपुर खीरी	३४०	१७	३६	७	१५	(१) धनतरिया पोस्ट विजवा, (२) कन्हैयागंज पोस्ट औरंगाबाद, (३) खैरताली पोस्ट बांकेगंज, (४) मदारीपुरवा पोस्ट कलव, (५) शबाबपुर पोस्ट औरंगाबाद, (६) ग्रांट पसियापुर पोस्ट बांकेगंज, (७) बानकती पोस्ट डुडवा, (८) मसान खम्भ पोस्ट डुडवा, (९) गौरीपाटा पोस्ट डुडवा, (१०) चन्दनचौकी पोस्ट डुडवा, (११) मँजगांव पोस्ट मित्तौली, (१२) फजलनगर पोस्ट मुडासवरान, (१३) पयाग पोस्ट लखीमपुर (१४), मानपुर पोस्ट ऐरा, (१५) रावतपुरा पोस्ट मित्तौली ।
४७	मिर्जापुर	३८०	१०	४०		३२	(१) रामपुर पोस्ट रामगढ़, (२) मूहुलरिया पोस्ट लालगंज, (३) परागपानी पोस्ट म्योरपुर, (४) विजयापुर पोस्ट गहरवार गांव, (५) हासीपुर पोस्ट सिखद, (६) किरविल पोस्ट म्योरपुर, (७) परसोय पोस्ट राबर्टस गंज, (८) पनारी पोस्ट राबर्टसगंज, (९) वेलगरही पोस्ट राबर्टसगँज, (१०) ज्योतहिया पोस्ट कोन, (११) धाम पोस्ट विदयनगंज, (१२) इकादरी पोस्ट म्योरपुर,

४८	पीळीभीत	२३३	८	३६	१		
४९	बिजनौर	३३३	१४	३२			
	योग	१६,६६७	७५६	२,२५६	१२०	१५१	(१३) गोडमारा पोस्ट राबर्टस गंज, (१४) कोरानगी पोस्ट दुधी, (१५) कु.वां पोस्ट कोंग, (१६) मितिहानी पोस्ट गहरवार, (१७) निगाई पोस्ट कोन, (१८) नैकहा पोस्ट कोन, (१९) पोखरा पोस्ट म्योरपुर, (२०) रकसवा पोस्ट राबर्टस गंज, (२१) रास पहाड़ी पोस्ट राबर्टस गंज, (२२) वैका पोस्ट मयोरपुर, (२३) हथवती पोस्ट दुधी, (२४) कोंगा पोस्ट दुधी, (२५) खोटो महुआ पोस्ट दुधी, (२६) जिघनवा पोस्ट दुध, (२७) माचावहधू पोस्ट दुध, (२८) परानी पोस्ट मायोपुर, (२९) करदिया पोस्ट मयोरपुर (३०) हराना कल्चर पोस्ट विन्धानगंज, (३१) पसाही पोस्ट दुधी, (३२) कसौली पोस्ट विन्धानगंज।

पी० एस० यू० पी०—१३८ ए्ल० ए०—१९५० —५०००

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

शुक्रवार, १३ जनवरी सन् १९५० ई०

असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन से आरम्भ हुई

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१८७)

अचल सिंह
अजित प्रताप सिंह
अब्दुल बाकी
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद
अम्मार अहमद खां
अलबर्ट माईकेल फिलिप्स
अली जहीर जाफरी
अल्फ्रेड धर्मदास
असगर अली खां
अक्षयवर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
उदयवीर सिंह
ऐजाज रसूल
कमलापति तिवारी
करीमुर्रजा खां
कालीचरण टण्डन
कुतलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्ण चन्द्र
कृष्ण चन्द्र गुप्त
केशव गुप्त
खानचन्द गौतम
खुशवक्तराय
खुशीराम
खूबसिंह
गंगाधर
गंगा प्रसाद
गंगा सहाय चौबे
गजाधर प्रसाद
गणपति सहाय
गणेश कृष्ण जैतली
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गोपाल नारायण सक्सेना
गोविन्द बल्लभ पन्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह
चरण सिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ दास
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
जगन्नाथ सिंह
जगन प्रसाद रावत
जगमोहन सिंह नेगी
जयपाल सिंह
जयराम वर्मा
जवाहर लाल रोहतगी
जहूर अहमद

जाकिर अली
जाहिद हसन
जुगुल किशोर
त्रिलोकी सिंह
दयालदास भगत
दाऊदयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयालु अवस्थी
दीन दयालु शास्त्री
दीप नारायण वर्मा
नफ़ीसुल हसन
नवाजिश अली खां
नवाब सिंह
नाजिम अली
नारायण दास
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
पूर्णमासी
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयागनारायण
प्रेम किशन खन्ना
फ़खरुल इस्लाम
फ़जलुर्रहमान खां
फतेह सिंह राणा
फूल सिंह
बदन सिंह
बनारसी दास
बलदेव प्रसाद
बशीर अहमद
बशीर अहमद अन्सारी
बादशाह गुप्त
भगवती प्रसाद दूबे
भगवती प्रसाद शुक्ल
भगवानदीन
भगवानदीन मिश्र
भारत सिंह यादवाचार्य
भीम सेन
मंगला प्रसाद
मसुरिया दीन
महफ़ूजुर्रहमान
महमूद अली खां
मिजाजी लाल
मुकुन्दलाल अग्रवाल
मुजफ्फ़र हुसैन
मुहम्मद अदील अब्बासी
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल
मुहम्मद जमशेद अली खां
मुहम्मद नबी
मुहम्मद नजीर
मुहम्मद याकूब
मुहम्मद यूसुफ़
मुहम्मद रजा खां
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी
मुहम्मद शौकत अली खां
मुहम्मद सुलेमान अधमी
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुवंशनारायण सिंह
रघुवीर सहाय
राघव दास
राजकुंवार सिंह
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधा मोहन सिंह
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार शास्त्री
राम कृपाल सिंह
रामचन्द्र पालीवाल
रामचन्द्र सेहरा
रामजी सहाय
रामधारी पांडे
राम बली मिश्र
राम मूर्ति
राम शंकर लाल
राम शरण
राम स्वरूप गुप्त
रुकनुद्दीन खां
रोशन जमां खां
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन
लाखन दास जाटव
लालबहादुर, माननीय श्री
लालबिहारी टण्डन
लीलाधर अष्ठाना
लुत्फ़ अली खां
लोटन राम
विजयानन्द मिश्र

विद्याधर बाजपेयी
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी
विश्वनाथ प्रसाद
विश्वनाथ राय
विष्णु शरण दुब्लिश
वीरबल सिंह
वीरेन्द्र शाह
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकर दत्त शर्मा
शान्ति प्रपन्न शर्मा
शिव कुमार पांडे
शिव कुमार मिश्र
शिव दयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिवमंगल सिंह कपूर
श्यामलाल वर्मा
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द सिंघल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सखावत हुसैन
सईद जाहिद खां
साजिद हुसैन
सालिगराम जायसवाल
सुद्युम्न सिंह
सत्यनारायण अस्थाना
सुदामा प्रसाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सुल्तान आलम खां
सूर्य प्रसाद अवस्थी
सैयद अहमद
हकीम बुर्हानुद्दीन अंसारी
हबीबुर्रहमान खां
हरगोविन्द पन्त
हरिप्रसाद बाजपेयी
हसरत मोहानी
हुकुम सिंह, माननीय श्री
हीरालाल अग्रवाल
हेम... बहुगुणा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १३ जनवरी सन् १९५० ई०

(गुरुवार, १२ जनवरी सन् १९५० ई० के शेष प्रश्न)

तारांकित प्रश्न

आनरेरी खाद्य सलाहकार की नियुक्ति

*९५—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार ने गत दो वर्षों से किसी आनरेरी खाद्य सलाहकार की नियुक्ति की थी?

माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी नहीं।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या श्रीमती मीरा बेन इस पद पर नियुक्त नहीं हुईं?

माननीय अन्न सचिव—जी नहीं।

*९६—श्री दीनदयालु शास्त्री—इस सलाहकार के स्टाफ पर इन दो वर्षों में कुल कितना व्यय हुआ?

माननीय अन्न सचिव—प्रश्न ही नहीं उठता।

सन् १९४५ ई० में नायब तहसीलदारों के रिक्त स्थानों का भरा जाना

*१०४---श्री रघुवीर सहाय---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नायब तहसीलदारों के केडर में सन् १९४५ ई० से कितनी जगहें खाली हुईं? उनमें से कितनी डाइरेक्ट रेक्रूटमेंट द्वारा भरी गईं और कितनों पर सुपरवाइजर कानूनगो रक्खे गये?

माननीय माल सचिव (श्री हुकुम सिंह)---नायब तहसीलदारों के केडर में सन् १९४४ से १९४९ तक कुल १५० जगहें खाली हुईं। सन् १९४४ व १९४५ की जगहें एक साथ भरी गईं इसलिये खाली जगहों के आंकड़े सन् १९४४ से बताये गये, इन १५० जगहों में से ५५ जगहें सुपरवाइजर, कानूनगोयान को मिलीं और ९५ जगहें डाइरेक्ट रेक्रूटमेंट (बाहरी आदमियों) द्वारा भरी गईं।

श्री रघुवीर सहाय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने कोई अनुपात सुपरवाइजर कानूनगो से नायब तहसीलदार होने का मुकर्रर किया है?

माननीय माल सचिव---प्रोमोशन से एक तिहाई और बाकी डाइरेक्ट रेक्रूटमेंट से नायब तहसीलदार मुकर्रर किये जाते हैं।

श्री रघुवीर सहाय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सुपरवाइजर, कानूनगो नायब तहसीलदार की हैसियत में काम कर रहे हैं अगर उनका काम ठीक हुआ तो वह तहसीलदारी के लिये भी उम्मीदवार होंगे?

माननीय माल सचिव---जब तक वह नायब तहसीलदार के पद पर कंफर्म नहीं हो जाते तब तक तहसीलदार के पद के लिये सवाल नहीं उठता।

श्री रघुवीर सहाय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो सुपरवाइजर कानूनगो नायब तहसीलदारी के पद पर कंफर्म हो गये हैं, उनकी संख्या क्या है?

माननीय माल सचिव---वह तो मेरिट के हिसाब से तै होगा। वह इस काबिल हुये, तो जरूर कंफर्म किये जायेंगे।

यू० पी० तहसीलदार एसोसियेशन की तनख्वाह बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*१०५---श्री रघुवीर सहाय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० तहसीलदार एसोसियेशन ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार को एक प्रार्थना-पत्र भेजा था? यह प्रार्थना-पत्र सरकार को कब प्राप्त हुआ। क्या सरकार उसकी एक प्रति मेज पर रक्खेगी?

माननीय माल सचिव---जी हां। यह प्रार्थना-पत्र सरकार को १२ फरवरी सन् १९४७ को प्राप्त हुआ। उसकी एक प्रति प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५०८ पर)

*१०६---श्री रघुवीर सहाय---क्या यह सच है कि उस प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में एसोसियेशन के प्रतिनिधि फाइनेंस सेक्रेट्री से भी १८-१२-४८ को मिले थे?

माननीय माल सचिव---ऐसा सम्भव है कि तहसीलदार एसोसियेशन के प्रतिनिधि इस सम्बन्ध में फाइनेंस सेक्रेट्री से १८ दिसम्बर सन् १९४८ को मिले हों।

*१०७---श्री रघुवीर सहाय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रार्थना-पत्र और डेपुटेशन के मिलने का क्या परिणाम हुआ?

माननीय माल सचिव---उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई।

श्री रघुवीर सहाय---क्या सरकार पुनः इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने का इरादा रखती है?

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ९७-१०३ तथा उनके उत्तर १२ जनवरी सन् १९५० ई० की कार्यवाही में छपे हैं।

माननीय माल सचिव---अभी तो सरकार ने कोई ऐसा निश्चय नहीं किया है।

श्री रघुवीर सहाय---फाइनेंस सेक्रेट्री साहब का जो विचार इस प्रार्थना-पत्र के बारे में था क्या वही विचार सरकार का अब भी है?

माननीय माल सचिव---जब यह प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुआ था तब सरकार का वही विचार था, उसके बाद पुनर्विचार के लिये कोई फैसला नहीं हुआ।

कुंवर दयाशंकर ई० एम० इन्टर कालेज, बरेली के अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत

*१०८---श्री रघुवीर सहाय---क्या कुं० दयाशंकर ई० एम० इन्टर कालेज, बरेली के टीचर्स ने डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर, बरेली, डिप्टी डाइरेक्टर शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान अप्रैल से वेतन न मिलने की ओर दिलाया था? यदि यह ठीक है, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि उसका क्या परिणाम हुआ?

माननीय शिक्षा सचिव के सभा मंत्री (श्री महफूजुर्रहमान)---कुंवर दयाशंकर ई० एम० इन्टर कालेज, बरेली के अध्यापकों ने इस विषय का एक आवेदन-पत्र डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स बरेली को भेजा था।

अब ये अध्यापक अपना वेतन समय पर पाते हैं।

श्री रघुवीर सहाय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने मास तक ठीक रूप से वेतन नहीं दिया गया?

श्री महफूजुर्रहमान--- अप्रैल, मई, और जून तक तनख्वाह नहीं दी गई उसके बाद फिर सब दी गयी।

(शुक्रवार, १३ जनवरी सन् १९५० ई० के प्रश्न)

तारांकित प्रश्न

सीमेंट और रैयान फैक्टरियों के लिये मशीनों की खरीद

*१---श्री चतुर्भुज शर्मा (अनुपस्थित)---क्या यह सच है कि प्रान्तीय सरकार ने सीमेंट फैक्टरी और रैयान फैक्टरी (नक़ली रेशम) के लिये औजार और सामान खरीदने का प्रबन्ध विदेशों में किया है?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लाल बहादुर)--- यह सच है कि सरकार ने प्रस्तावित सीमेंट फैक्टरी के लिये विलायत में यंत्र आदि मोल ले लिये हैं। रैयान फैक्टरी की योजना अभी अपूर्ण है और इसके लिये यंत्र आदि मोल लेने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

*२---श्री चतुर्भुज शर्मा (अनुपस्थित)---यदि हां तो---

(क) कौन-कौन मशीनें और औजारों को खरीदने का प्रबन्ध किया गया?

(ख) इन मशीनों के खरीदने के लिये कितना रुपया पेशगी जमा किया गया और किस एजेंसी द्वारा?

(ग) जो रुपया जमा किया गया वह कब जमा किया गया?

(घ) उस रुपये पर क्या कोई सूद सरकार को मिल रहा है?

(ङ) यह मशीनें सरकार को कब तक मिलने की आशा है?

नोट---तारांकित प्रश्न १ से ३ तक श्री रामचन्द्र पालीवाल ने पूछे।

माननीय पुलिस सचिव---(क) सीमेंट फैक्टरी की स्थापना के लिये आवश्यक समस्त यंत्र आदि मोल ले लिये गये हैं।

(ख) यह यंत्र आदि विलायत के मैसर्स विकर्स आर्मस्ट्रांग लिमिटेड निर्माण कर रहे हैं और भारत में उनके प्रतिनिधि मैसर्स विकर्स (ईस्टर्न) लिमिटेड—[illegible], द्वारा उपलब्ध होंगे। इनका कुल मूल्य १५७ [illegible] रुपये के लगभग है जिसमें मैसर्स विकर्स (ईस्टर्न) लिमिटेड को पहले दो लाख रुपये [illegible] और उस के उपरान्त [illegible] पचास हजार रु० की नकद रकमें दी गई।

(ग) २,००,००० रु० को [illegible] १९४८ में [illegible] २,५०,[illegible] रु० की रकम मई सन् १९४९ में दी गई।

(घ) जी नहीं।

(ङ) मेसर्स विकर्स (ईस्टर्न) लिमिटेड से किये गये ठेके के [illegible] यंत्र आदि विलायत से १९ अगस्त सन् १९५१ ई० तक भेज दिये जाने चाहिये और [illegible] उचित समय में आ जाने चाहिये।

*३—श्री [illegible] (अनुपस्थित)—उक्त फैक्टरी [illegible] में कितनी प्रगति अब तक हुई है और सरकार कब तक इनके पूरे हो जाने की आशा करती है।

माननीय पुलिस सचिव—फैक्टरी [illegible] स्थान मिर्जापुर जिले में [illegible] के निकट निश्चित हो चुका है और इमारत के नक्शे इत्यादि बनाये जा रहे हैं। आशा है कि सन् १९५१ के उत्तरार्ध तक फैक्टरी चालू हो जायेगी।

टाउन एरिया कर्मचारियों की नौकरी से हटने के लिये निर्धारित आयु

*४—श्री फखरुल इस्लाम (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि टाउन एरिया के कर्मचारियों के लिये नौकरी से हटने की कोई एज लिमिट क्या रक्खी गयी है?

माननीय स्वशासन सचिव (श्री आत्माराम गोविन्द खेर)—[illegible] तथा कमेटी के किसी भी कर्मचारी को ६० वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर नौकरी से हटा दिया जायगा परन्तु ६५ वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर उसे किसी भी दशा में नौकरी में नहीं रहने दिया जायगा। ६० वर्ष की आयु हो जाने के बाद, केवल विशेष कारणों के आधार पर यह अवधि अधिक से अधिक कुल ५ वर्ष के लिये बढ़ायी जा सकती है परन्तु शर्त यह है कि अवधि एक बार में केवल एक [illegible] के लिये बढ़ाई जा सकती है।

*५—श्री फखरुल इस्लाम (अनुपस्थित)—क्या सरकार जानती है कि टाउन एरिया मैनुअल में कोई एज लिमिट नहीं दी हुई है?

माननीय स्वशासन सचिव—जी हां इसी कारण सरकार ने अलग से इस विषय पर नियम बना दिये हैं, जिनका विवरण प्रश्न ४ में किया जा चुका है।

संयुक्त प्रान्त में दुसाध जाति के लोग

*६—श्री रामजी सहाय—क्या यह सच है कि संयुक्त प्रान्त में ७५ हजार दुसाध बसते हैं?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मंत्री (श्री चरण सिंह)—१९४१ की जन-गणना के अनुसार युक्त प्रान्त में रहने वाले दुसाधों की संख्या ७७,४५६ है।

*७—श्री रामजी सहाय—क्या यह सच है कि इस प्रान्त में दुसाध सरकारी परिगणित जातियों की सूची में नहीं रक्खे गये हैं? यदि हां तो क्यों?

श्री चरण सिंह--जी हां, कारण यह है कि उन्हें उस समय की सरकार ने गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ ई० के अधीन बनी हुई परिगणित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया था।

श्री रामजी सहाय--क्या सरकार को ज्ञात है कि दुसाध जाति अस्पृश्य जाति मानी जाती है?

श्री चरण सिंह--प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिख दिया है कि दुसाध जातियों को भी परिगणित जातियों में शामिल कर ले। जहां तक अपने महकमों का सम्बन्ध है, हरिजन और शिक्षा दोनों विभागों को यह कह दिया गया है कि वह इनको परिगणित जातियों में सम्मिलित कर ले।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--क्या सरकार अस्पृश्यता निवारण करने के लिये कोई कार्यवाही करना चाहती है?

श्री चरण सिंह--गवर्नमेंट बहुत सी कार्यवाहियां इस सम्बन्ध में कर रही है जिससे इस हाउस के सारे सदस्य वाकिफ हैं।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--क्या सरकार अस्पृश्य जातियों की तादाद में धीरे-धीरे कमी करना पसन्द करती है?

श्री चरणसिंह--जहां तक गवर्नमेंट का सम्बन्ध है उसकी ओर से किसी को अस्पृश्य या स्पृश्य मानने का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन हिन्दू समाज की जो दशा है उसके देखते हुये उस वक्त की गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट ने भी इस तरह का विभाजन किया है लेकिन आशा यह की जाती है कि बहुत जल्द यह सामाजिक कुरीति मिट जायगी।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी-- क्या सरकार सरकारी कागजों की सूची में अब तक परिगणित जातियों का भेद रखती है?

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णानन्द)--जी हां, मजबूरी है। जो कान्स्टीट्यूशन दिल्ली में मंजूर किया गया है उसमें भी परिगणित जातियों को अलग रखना मंजूर किया गया है।

कमोला, धमोला, जिला नैनीताल में पशुओं की चोरी

४८--श्री खुशीराम (क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के भावरी इलाके के कमोला, धमोला ग्रामवासियों के मई महीने सन् १९४८ ई० में लगभग ५४ रास गाय, भैंस लापता हुई थी, जिसकी ता० १६ मई सन् १९४८ ई० को एक रिपोर्ट प्रेमराम वगैरह द्वारा थाना कालाढुंगी में दर्ज हुई?

(ख) यदि हां, तो कालाढुंगी थाना पुलिस ने इसमें किसी प्रकार की छान बीन की? यदि की, तो उन रासों का कोई पता चला?

माननीय पुलिस सचिव--(क) श्री प्रेमराम वगैरह ने १६ मई, १९४९ को ४६ रास गाय, भैंस खो जाने की रिपोर्ट कालाढुंगी थाने में लिखाई।

(ख) कालाढुंगी थाने में रिपोर्ट लिखी गई और पुलिस ने जांच भी की परन्तु खोये हुये पशुओं का पता नहीं चला।

श्री खुशी राम-- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जानवरों का पता न चलने से गरीब किसानों का कितना नुकसान हुआ है और सरकार इसकी फिर से जांच करने की कृपा करेगी?

माननीय पुलिस सचिव--जांच से तो यह पता लगा कि इतने दिनों बाद अब इनका पता चलाना मुश्किल है। लेकिन अगर माननीय सदस्य दो तीन मामलों में खुद मदद करें तो पता लग सकता है। एक तो यह कि लोग जानवरों पर निशान लगाने से मना करते हैं। अगर कोई निशान हो जाय तो उससे आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि अक्सर छोटे-छोटे बच्चों को चराने के लिये जानवर सौंप दिये जाते हैं और जानवर उधर चले जाते हैं जिनका बाद में पता लगना बड़ा मुश्किल है।

रुड़की डिवीजन में नहर गंग के शरकी रजवहा से सिंचाई

*९---श्री अब्दुल हमीद (अनुपस्थित)---क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतायेगी कि रुड़की डिवीजन नहर गंग के रजबहा शरकी पर कितने कुलाबे हैं और हर एक कुलाबे का देहन कितना-कितना है और हर एक कुलाबे पर कितना-कितना रकबा आबपाशी होती है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)---रुड़की डिवीजन नहर गंग के रजबहा शरकी पर ११४ कुलाबे हैं। उनके देहन और आबपाशी की फेहरिस्त †मेज पर रखी गई है।

*१०---श्री अब्दुल हमीद (अनुपस्थित)---क्या यह ठीक है कि उस रजबहा के बहुत से कुलाबों पर ऐसी जमीनें ओसरे बन्दी में शामिल हैं जिनकी कभी आबपाशी नहीं हुई?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव---ऐसे कोई भाग वारबन्दी में शामिल नहीं हैं जिनमें आबपाशी नहीं होती है।

*११---श्री अब्दुल हमीद (अनुपस्थित) --- क्या यह ठीक है कि रजबहा के बहुत से कुलाबों का देहन सन् १९४७ ई० के बाद कम कर दिया है और ये उखाड़ कर नीचे से ऊपर लगा दिये गये हैं ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव---सन् १९४७ ई० में कुलाबों के देहन और जगहें नहीं बदली गई थीं। केवल ये कुलाबे जिनके मुहाने से अधिक या कम पानी बहता था ऊपर या नीचे कर दिये गये हैं जिससे कि उसमें से ठीक पानी बहे।

*१२---श्री अब्दुल हमीद (अनुपस्थित)---क्या यह ठीक है कि कस्बा मंगलौर के जेरे काश्त रकबे से दो-दो और तीन तीन फसलों का महसूल आबपाशी एक साल में वसूल होता है और ज्यादातर रकबा बागात सब्जी व केले वगैरह का है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव---सिंचाई का महसूल कानून के मुताबिक लगाया जाता है जो साल के अन्दर बोई जाने वाली मुख्तलिफ फसलों पर मुनहसिर होता है। यह ठीक है कि कस्बा मंगलौर में ज्यादातर आबपाशी बागात सब्जी और केले की है।

जिला बिजनौर के पंचायती चुनाव में साम्प्रदायिक अनुपात

*१३---श्री बशीर अहमद अन्सारी (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव पंचायत के चुनाव में जिला बिजनौर में हिन्दू मुस्लिम और अछूत की कितनी सीटें मुकर्रर थीं, और कितने-कितने चुने गये ?

माननीय स्वशासन सचिव---(क) गांव पंचायतों के चुनाव में समाज को हिन्दू मुस्लिम अछूत वर्गों में विभाजित नहीं किया गया था वरन् अल्पसंख्यक तथा परिगणित जाति के आधार पर सीटें सुरक्षित की गई थीं। ऐसी परिस्थिति में सुरक्षित स्थानों के लिये अल्पसंख्यक जातियों में हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही सम्मिलित हैं।

(ख) इस जिले में जो पंच चुने गये हैं उनमें परिगणित, मुस्लिम और अन्य जातियों के व्यक्तियों की क्रमशः संख्या ५६४७, ५७२६, ९८३३ है।

*१४---श्री बशीर अहमद अन्सारी (अनुपस्थित)--- क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि गांव पंचायत के चुनाव में जिला बिजनौर में प्रधान उप-प्रधान, मेम्बर, अदालती पंचायतों और सरपंच, अदालती पंचायत अलग-अलग कितने-कितने हिन्दू, मुस्लिम, अछूत चुने गये ?

माननीय स्वशासन सचिव---

	परिगणित (अछूत)	मुस्लिम	अन्य
(क) प्रधान	३५	११७	४३९
(ख) उप-प्रधान	७६	१३७	३७८
(ग) पंच अदालती-पंचायत	३१३	५४६	३१५

†फेहरिस्त छापी नहीं गई।

(घ) अदालती पंचायत के सरपंचों की संख्या पृथक-पृथक अभी मालूम नहीं हो सकी है। ज्ञात होने पर सूचना दी जायगी।

*१५-१६--श्री अब्दुल हमीद (अनुपस्थित)-- [स्थगित किये गये।]

अन्न संग्रह योजना के अन्तर्गत संग्रहीत गल्ले के भाव

*१७--श्री हर प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जितना गल्ला सरकार को प्रोक्योरमेंट स्कीम द्वारा मिला या मिलेगा उसकी कीमत नौकरों का खर्चा लगा कर क्या होगी?

माननीय अन्न सचिव--

अनाज की कीमत और गल्ला वसूली से संबंधित व्यय	११,२५,९१,७४८ रु०
गल्ला वसूली के लिये रखे गये कर्मचारियों पर व्यय	३२,६९,३१० रु०
योग	११,५८,६१,०५८ रु०

*१८--श्री हर प्रसाद सिंह (अनुपस्थित) -- इस गल्ले का अन्दाजा मूल्य ओपेन मारकेट मे कितना होता?

माननीय अन्न सचिव--खुले बाजार में अनाज की कीमत अथवा बोरे इत्यादि की कीमत शामिल न करके ११,४९, २१३, ३२८ रु०।

श्री भगवान दीन मिश्र--क्या गवर्नमेंट यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो गल्ले के मूल्य तथा जो गल्ला वसूल करने पर खर्च पड़ता है वह दोनों जोड़ कर अगर बाजार भाव से गल्ला खरीदा जाता है तो कितना अन्तर पड़ता है?

माननीय अन्न सचिव--चूंकि विभिन्न मारकेट्स में विभिन्न दरें प्रचलित थीं, इसलिये यह बताना मुश्किल है कि अगर खुले बाजार से उस समय गल्ला खरीदा जाता तो सरकार को कितना और पैसा देना पड़ता।

श्री भगवान दीन मिश्र--क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि खुले बाजार में चावल की कीमत निश्चय करने पर चावल बहुत आसानी से सरकार को बराबर मिल सकता है?

माननीय अन्न सचिव--चावल के इकट्ठा करने का और प्रोक्योर करने का तरीका रबी में जिस तरह से गल्ला वसूल करते हैं उससे भिन्न है। चावल चूंकि हलर्स के यहां से लिया जाता है इसलिये वहां से इकट्ठा करना सुविधाजनक है और गल्लों के बारे में इस तरह की कार्यवाही नहीं की जा सकती, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि खुले बाजार में उन हालतों में जिन हालतों में वह आये, खरीदने से वह किस कीमत पर मिलेगा।

श्री अचल सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पूरे व्यवसाय में सरकार को नुकसान रहा या फायदा?

माननीय अन्न सचिव--यह तो व्यवसाय नहीं है। यह तो एक मजबूरी है। राशनिंग और कंट्रोल को मजबूरी अवस्था में जारी किया जाता है। जहां तक फायदे का सवाल है वह तो उठता ही नहीं क्योंकि जितनी कीमत पर गल्ला खरीदा जाता है उससे कम दाम पर उसका वितरण किया जाता है। इसलिये सरकार को तो उसमें नुकसान ही उठाना पड़ता है।

श्री अचल सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नुकसान की तादाद क्या है?

माननीय अन्न सचिव--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। वैसे मैं यह कह सकता हूं कि विभाग के ऊपर जितना खर्च होता है गवर्नमेंट आफ इंडिया की सबसिडी को लेकर वह १।।। करोड़ पिछले वर्ष में हुआ है। इस साल का आंकड़ा अभी कूता नहीं गया है इसलिये वह अभी बताया नहीं जा सकता।

नोट--प्रश्न सं० १७ से २५ तक श्री भगवान दीन मिश्र ने पूछे।

श्री भगवान दीन मिश्र--क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि चावल की समुचित कीमत होने के कारण ही बाजार में धान उचित मात्रा में हल चलाने वालों को मिलता है?

माननीय अन्न सचिव--चूंकि चावल बिना हलर्स के जाये हुये तैयार ही नहीं किया जा सकता, इसलिये चावल तो आसानी से प्रोक्योर किया जा सकता है, परन्तु गेहूं तथा और दूसरे उससे सम्बन्धित अन्न इस प्रकार बाजार में नहीं मिल सकते। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह चावल प्रोक्योर करने की हमें सुविधा मिलती है उसी तरह अन्य अन्नों को भी इकट्ठा करने की सुविधा हमें मिल सकती है।

अन्न संग्रह योजना से प्रजा में असन्तोष

*१९--श्री हर प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)--बांदा जिले में कितने आदमियों के नाम इस स्कीम के सम्बन्ध में वारन्ट जारी किये गये और उनमें से कितने कुछ दिनों हवालात में रक्खे गये?

माननीय अन्न सचिव--गिरफ्तारी के ५५० वारन्ट जारी किये गये और १५६ आदमी जेल भेजे गये, लेकिन उसके बाद ही जमानत देने पर सब छोड़ दिये गये।

*२०--श्री हर प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि बांदा जिले में कुछ लोग जिन्होंने अपने सेन्टरों में गल्ला न देकर दूसरे सेन्टरों पर गल्ला दिया पकड़े गये और हवालात में रखे गये और उस वक्त छोड़े गये जब उनसे दुबारा उनके सेन्टरों पर गल्ला ले लिया गया? अगर ऐसा हुआ है तो इन व्यक्तियों के क्या नाम हैं और किस हैसियत से यह लोग हैं?

माननीय अन्न सचिव--कोई भी काश्तकार जिसने नियत मात्रा में अनाज दे दिया था न तो गिरफ्तार किया गया और न उससे दुबारा अनाज लिया गया।

*२१--श्री हर प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार के इल्म में यह आया है कि इस फूड प्रोक्योरमेंट स्कीम से प्रजा में असन्तोष है?

माननीय अन्न सचिव--जी हां, काश्तकारों के एक वर्ग ने गल्ला वसूली की योजना पसन्द नहीं की।

बांदा कोतवाली में चोरी की रिपोर्ट

*२२--श्री हर प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पिछले ६ मास में कितने चोरियों की रिपोर्ट बांदा कोतवाली में दर्ज हुई और उनमें से कितनी चोरियों का पता चला और कितने मुकदमे चले?

माननीय पुलिस सचिव--अप्रैल से सितम्बर, १९४९ तक ५२ चोरियों की रिपोर्ट बांदा कोतवाली में दर्ज हुई जिनमें से ११ का पता चला और १० मुकदमे अदालत को भेजे गये।

बांदा के आस-पास जुए की अधिकता

*२३--श्री हरप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि बांदा शहर में और उसके आस-पास ग्रामों में जुआ खूब खेला जाता है? अगर ऐसा है, तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कितने मुक़दमे जुआ के पकड़े गये और कितनों को सजा हुई?

माननीय पुलिस सचिव--इस संबंध में पहले शिकायत थी, परन्तु इस ओर कड़ी कारवाई की गयी है और अब यह जुर्म घट गया है, गैम्बलिंग ऐक्ट की धारा ३ और ४ इस जिले के कई गावों में जारी कर दी गई है।

इस साल सितम्बर तक ११ जुए पकड़े गये जिनमें से ५ में सजायें हुईं, १ अदालत से छूट गया और ५ मुक़दमे अभी अदालत में हैं।

बांदा जेल में एक कैदी की जहर से मृत्यु

*२४--श्री हरप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार को सूचना मिली है कि एक अन्डर ट्रायल क़ैदी को जो कई रोज से बांदा जेल में था जेल के अन्दर जहर दिया गया, जिसके कारण वह मर गया?

माननीय मादक कर सचिव (श्री गिरधारी लाल)--अगर माननीय सदस्य का अर्थ बालेश्वर नामक विचाराधीन कैदी से है तो सरकार को उसकी मृत्यु की सूचना मिली है।

*२५--हर प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)--यदि यह बात सच है, तो क्या सरकार इस विषय में जो भी जानकारी रखती है, उसे इस भवन के सामने कृपया रखेगी ?

माननीय मादक कर सचिव--बालेश्वर नामक विचाराधीन कैदी २८ नवम्बर, १९४८ ई० को मलेरिया ज्वर से पीड़ित होने के कारण जेल अस्पताल में भेज दिया गया, जहां उसका इलाज होता रहा। ६ दिसम्बर, १९४८ ई० को प्रातःकाल उसकी मृत्यु हो गई। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में सिविल सर्जन के मृत्यु का कारण ज्वर बताया। केमिकल इक्जामिनर की रिपोर्ट से मालूम होता है कि उसके विससेरा में न घुलने वाला पारा निकला। संभव है कि पारे के कारण उसकी मृत्यु हुई हो। इस मामले में सरकार अभी और जांच कर रही है।

चुर्खी, जिला जालौन में पंडित रामचरण के कत्ल की झूठी खबर

*२६--श्री गजाधरप्रसाद--क्या यह सही है कि गत जून सन् १९४९ ई० के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जिला जालौन के पुलिस कप्तान इस सूचना पर कि मौजा चुर्खी, जिला जालौन में एक कांग्रेसी कार्यकर्त्ता पं० राम चरण द्विवेदी का किन्हीं विशेष व्यक्तियों द्वारा क़त्ल कर दिया गया है। जांच और गिरफ्तारी के लिए सर्किल इन्स्पेक्टर, पुलिस समेत मौजा चुर्खी में पहुंचे ?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां।

*२७--श्री गजाधर प्रसाद--क्या यह सही है कि मौके पर जांच करने से यह सिद्ध हुआ कि उक्त पं० रामचरण द्विवेदी कई मास से तपेदिक के मरीज थे, और उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी, और वे अपनी मौत मर गये। यदि हां, तो सरकार ऐसी झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाई कर रही है ?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां, सूचना देने वाले सज्जन को बाद में पता चला कि उनकी जानकारी ठीक नहीं थी। उसके लिये उन्होंने स्वयं खेद प्रकट किया। कार्रवाई करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ की जजी कचहरी में कर्मचारियों की तरक्क़ी

*२८--श्री गजाधर प्रसाद--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी की आजमगढ़ की जजी कचहरी में दस साल के अन्दर कितने लोगों को क़ाबिलियत और अच्छी तालीम की बिना पर तरक्क़ी दी गयी है ?

श्री चरण सिंह--केवल सन् १९४२ ई० में श्री कमर अली बेग को मुन्सिफी अदालत की मुंसरिम की जगह पर विशेष तरक्क़ी दी गई थी। परन्तु जजी के कुछ कर्मचारियों के अपील करने पर प्रान्तीय सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन से मशविरा करके जिला न्यायाधीश की उस आज्ञा को रद्द कर दिया था।

*२९--श्री गजाधर प्रसाद--क्या सरकार एक नक़शा मेज पर रखने की कृपा करेगी जिसमें तरक्क़ी पाने वालों का नाम, योग्यता, नौकरी की मुद्दत, वेतन और उनका पूरा पता तथा तरक्क़ी पाने का कारण लिखा हो ?

श्री चरण सिंह--प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सुधार आर्गेनाइजरों का कोआपरेटिव सोसाइटी के अन्तर्गत सुपरवाइजर बनाया जाना

*३०--श्री गजाधर प्रसाद--क्या यह सच है कि ग्राम सुधार के सभी आर्गेनाइजर वर्तमान कोआपरेटिव सोसाइटी के अन्तर्गत सुपरवाइजर बना दिये गये हैं। यदि हां, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उनकी सर्विस कब से शुमार की जायगी ?

माननीय पुलिस सचिव--जी नहीं, कुछ ग्राम सुधार के सर्किल आर्गेनाइजर जिन्होंने कि कोआपरेटिव सुपरवाइजरी की परीक्षा पास कर ली है, यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन के अंतर्गत सुपरवाइजर नियुक्त कर लिये गये हैं।

उपरोक्त सर्किल आर्गेनाइजर जिनकी नियुक्ति कोआपरेटिव सुपरवाइजरी के पद पर हो गई है उनकी सर्विस का शुरू से शुमार करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

*३१--श्री गजाधर प्रसाद--क्या सरकार को यह मालूम है कि ग्राम सुधार से आये हुए आर्गेनाइजरों का, जो कोआपरेटिव विभाग में सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं, डेपुटेशन माननीय विकास सचिव से मिला था। यदि जवाब हां में है, तो माननीय सचिव ने क्या उत्तर उनको दिया था?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां। मैंने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था।

३२--३३--श्री गजाधर प्रसाद--[स्थगित किये गये]।

कोआपरेटिव विभाग के सुपरवाइजरों का वेतन

*३४--श्री गजाधर प्रसाद--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कोआपरेटिव विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले सुपरवाइजरों के वेतन की दर क्या है?

माननीय पुलिस सचिव--संयुक्त प्रान्तीय कोआपरेटिव यूनियन के अंतर्गत कार्य करने वाले सुपरवाइजरों के वेतन की दर निम्नलिखित है--

१--हाई स्कूल परीक्षा पास सुपरवाइजरों का वेतन ४८--५०--४--८० रु०।

२--अन्य सुपरवाइजरों का वेतन ४०--२--६०--६--८० रु०।

ऊपर के १५ प्रतिशत सुपरवाइजरों के लिये ७५--५--१२० रु० सेलेक्शन ग्रेड नियत।

गोंडा जिला के आदर्श थाना छपियाठोक में जुर्मों की अधिकता

*३५--श्री लालबिहारी टण्डन--क्या यह सच है कि जिला गोंडा के छपियाठोक थाने में, जो कि "आदर्श थाना" है, पहले के मुकाबिले में अब जुर्म ज्यादा होने लगे हैं? यदि हां, तो क्यों?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां, इस थाने में दर्ज हुये जुर्मों की संख्या बढ़ने का एक विशेष कारण यह भी है कि पहले ताजीरात हिंद के दफा ४५७, ३७९ और ४५२ के कई मामले थाने में दर्ज नहीं होते थे। उनमें कुछ की रिपोर्ट लिखाई ही नहीं जाती थी या मामूली जांच कर के मामला खतम कर दिया जाता था। और कुछ जुर्म को हल्का दिखला कर अनुसंधेय अपराध प्रकट किया जाता था। आदर्श थाने में कोई रिपोर्ट दबाने की कोशिश नहीं की जाती।

धीरे-धीरे जनता का विश्वास तथा सहयोग प्राप्त हो रहा है और आशा है अब परिणाम अच्छा होगा।

श्री लालबिहारी टण्डन--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस थाने को आदर्श थाना बनाने से सरकार का क्या उद्देश्य है?

माननीय पुलिस सचिव--जो उद्देश्य और जगह होता है वही उद्देश्य यहां भी है।

श्री लालबिहारी टण्डन--सरकार ने यह उत्तर दिया है कि जो उद्देश्य आदर्श थाने का होना है उसका उद्देश्य भी वही है इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि वह उद्देश्य क्या है?

माननीय पुलिस सचिव--उद्देश्य की पूर्ति हर जगह, हर थाने में एक सी है कि पुलिस के लोग अपना काम ईमानदारी से, सच्चाई से और मुस्तैदी से करें तथा जनता और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से यह आशा की जाती है कि वे पुलिस की मदद करें और साथ ही उन्हें गलत कामों को रोकने में संगठित रूप से काम करें।

श्री बलदेव प्रसाद—क्या जुर्म बढ़ने की एक वजह यह भी है कि थाने में आने वाले मुजरिमों का स्वागत पान, बीड़ी से किया जाता है ?

माननीय पुलिस सचिव—पान, बीड़ी तो ऐसी चीज है कि हर आदमी इस्तेमाल करता है चाहे वह मुजरिम हो या न हो। मुजरिमों के लिये तो माननीय मेम्बरों की सलाह से जेलखानों में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुड़ और हर चीज के इंतजाम होते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि थानों में पान, बीड़ी मुजरिमों के लिये ही खासतौर पर रखी जाती है। शायद और लोगों को जो वहां रिपोर्ट लिखाने आते हैं, उनको दी जाती हो।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन आदर्श में जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनको आदर्श बनाने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ?

माननीय पुलिस सचिव—कोशिश यह की जाती है कि अच्छे और ईमानदार आदमी चुनकर वहां रखे जायं, लेकिन आदमी ईमानदार बनाना न हमारे अख्तयार में है और न इस हाउस के।

*३६—श्री लाल बिहारी टन्डन—क्या सरकार उपरोक्त थाने के "आदर्श थाना" होने के दो साल पहले के जुर्मों की तथा आदर्श होने से अब तक के जुर्मों की संख्या बतलाने की कृपा करेगी ?

माननीय पुलिस सचिव—सूचना इस प्रकार है :—

	१९४७	१९४८	१९४९	
			जनवरी से फरवरी तक	आदर्श थाना होने पर मार्च से सितम्बर तक
अपराध संख्या ..	११५	११३	२४	१३४

गोंडा-लखनऊ मार्ग में सरजू तथा घाघरा पर पुलों की आवश्यकता

*३७—श्री लाल बिहारी टन्डन—क्या सरकार को ज्ञात है कि गोंडा से लखनऊ आने वाली सड़क पर सरजू तथा घाघरा नदियां पड़ती हैं ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव के सभामंत्री (श्री लताफत हुसैन)—जी हां।

*३८—श्री लाल बिहारी टन्डन—क्या यह सच है उपरोक्त दोनों नदियों पर पुल नहीं हैं ? और उनको पार करने के लिए खास परमिट लेकर रेलवे के पुल पर से मोटर आदि पार होते हैं ?

श्री लताफत हुसैन—जी हां।

श्री भगवान दीन—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय जो अधिकारी परमिट देते हैं उनका हेड आफिस कहां पर है और वह कौन लोग हैं ?

श्री लताफत हुसैन—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बाराबंकी और चीफ इंजीनियर। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का हेड आफिस बाराबंकी में है और चीफ इंजीनियर का हेड आफिस यहां लखनऊ में है।

*३९—श्री लाल बिहारी टन्डन—क्या यह सच है कि इन दोनों नदियों पर पुल बनाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि उत्तर 'हां' में है, तो कब तक पुल बन जाने की सम्भावना है ?

श्री लताफत हुसैन—जी हां, सरकार उन नदियों पर नाव के पुल बनवा रही है। काम जारी है और आशा है कि एक आध साल में पुल तैयार हो जायंगे।

श्री भगवान दीन मिश्र—क्या सरकार को यह मालूम है कि इस पुल का, जो घाघरा पर बनने वाला है, बहराइच और गोंडा दोनों जिलों से विशेष संबंध है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—जी हां, है।

*४०—श्री लाल बिहारी टण्डन—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त दोनों नदियों को मोटर द्वारा पार करने के लिए जिन अधिकारियों को पुल पार करने के लिए परमिट देने का अधिकार है उनमें डिप्टी कमिश्नर गोंडा नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लताफत हुसैन—जी हां, चूंकि पुल रेलवे का है इस वजह से रेलवे कर्मचारियों को लिखा गया था कि डिप्टी कमिश्नर गोंडा को भी उन अधिकारियों में शामिल कर लिया जावे जो पुल पार करने के लिए परमिट दिया करते हैं। पर उन लोगों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

श्री लाल बिहारी टण्डन—क्या सरकार यह कृपा करके बतलायेगी कि डिप्टी कमिश्नर, गोंडा को रेलवे अधिकारियों ने परमिट देने का अधिकार किन कारणों से नहीं दिया ?

श्री लताफत हुसैन—यह तो उनके अख्तियार की बात है कि उन्होंने इसको मंजूर नहीं किया।

*४१—श्री लाल बिहारी टण्डन—क्या सरकार को ज्ञात है कि गोंडा, बहराइच इत्यादि जिलों से मोटर द्वारा लखनऊ आने वाले लोगों को इन नदियों के पुल पार करने के लिए, परमिट लेने के लिए, निकट में कोई अधिकारी न होने के कारण बड़ी कठिनाई होती है ?

श्री लताफत हुसैन—रेलवे के अधिकारी सरकार निश्चित वक्त पर उन पुलों को खास खास आदमियों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह आम लोगों के लिए नहीं है।

*४२—श्री लाल बिहारी टण्डन—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए क्या उपाय सोच रही है ?

श्री लताफत हुसैन—आनरेबुल मेम्बर का ध्यान ३९ वें सवाल के जवाब की तरफ दिलाया जाता है। जब नाव के पुल बन जायेंगे तब उनकी कठिनाइयां दूर हो जावेंगी।

गोंडा जिला में इटियाठोक—खरगपुर सड़क की खराब हालत

*४३—श्री लाल बिहारी टण्डन—क्या सरकार को ज्ञात है कि गोंडा जिले में इटियाठोक से खरगपुर जाने वाली सड़क की हालत खराब है ?

श्री लताफत हुसैन—जी हां।

श्री लाल बिहारी टण्डन—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब सड़क की हालत खराब है तो जिलों की दूसरी सड़कों की तरह इस सड़क को भी सरकार अपने कब्जे में क्यों नहीं ले लेती ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—सरकार हर सड़क सूबे की अपने कब्जे में ले नहीं सकती।

*४४—श्री लाल बिहारी टण्डन—उपरोक्त सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में है या सार्वजनिक निर्माण विभाग के ?

श्री लताफत हुसैन—यह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में है।

*४५—श्री लाल बिहारी टण्डन—यदि यह सरकारी सड़क है, तो इसके कब तक ठीक हो जाने की उम्मीद है ?

श्री लताफत हुसैन—यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

संयुक्त प्रान्त में जनवरी, १९४८ ई० से जुलाई, १९४९ ई० तक क़त्ल के मामले

*४६—श्री भारत सिंह यादवाचार्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी सन् १९४८ ई० से जुलाई सन् १९४९ ई० तक यू० पी० में कितने क़त्ल हुए, कितने मुकद्दमे, चलाये गये, उनमें से कितने छूटे और कितने सजायाब हुए ?

माननीय पुलिस सचिव—सूचना इस प्रकार है —

जनवरी, १९४८ से जुलाई, १९४९ तक —

१—कत्ल की संख्या	....	२,६५६
२—चालानों की संख्या	....	१,६२०
३—छूटने वाले चालानों की संख्या	....	६३७
४—मुकद्दमों की संख्या जिनमें सजा हुई	....	८६८

शेष में अभी फैसला नहीं हुआ।

संयुक्त प्रान्त में गल्ला वसूली के संबंध में झगड़े

*४७—श्री भारत सिंह यादवाचार्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गल्ला वसूली के संबंध में यू० पी० में कितनी जगह झगड़ा हुआ और कितने मुकद्दमे चलाये गये?

माननीय अन्न सचिव—बदायूं—दो जगहों में गल्ले की वसूली का विरोध करने के लिए हिंसा से काम लिया गया। एक मामले का पुलिस चालान कर चुकी है और दूसरे मामले में तहकीकात की जा रही है।

मुरादाबाद—चार जगहों में गल्ले की वसूली का विरोध करने के लिए हिंसा से काम लिया गया। विरोध करने वालों के खिलाफ एक मुकदमा धारा ३३२ के अधीन और तीन मुकदमे धारा ३५३ के अधीन चलाए गए हैं।

मैनपुरी—एक गांव में लोगों ने गल्ला वसूल करने वाली टोली पर हमला किया। एक मुकदमा चलाया गया है।

रायबरेली—एक गांव में काश्तकारों ने हिंसा से काम लिया और गल्ला वसूल करने वाली टोली पर हमला किया। एक मुकदमा चलाया गया है।

संयुक्त प्रान्त में डेरियों को सरकारी सहायता

*४८—श्री भारत सिंह यादवाचार्य—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस सूबे में कितनी सरकारी डेरियां हैं और कितनी ऐसी डेरियां हैं जिन्हें सरकार सहायता देती है?

माननीय कृषि सचिव (निसार अहमद शेरवानी)—१४ सरकारी डेरियां और १२ प्राइवेट डेरियां हैं जिन्हें सरकारी सहायता मिलती है।

*४९—श्री भारत सिंह यादवाचार्य—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि वह डेरियों को किस नियम या आधार पर सहायता देती है?

माननीय कृषि सचिव—वे शर्तें जिन पर प्राइवेट डेरियों को राजसहायता या कर्ज के रूप में रुपया दिया जाता है नत्थी की हुई सूचियों में दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५०९ पर)

जरायम पेशा क़ानून के अन्तर्गत विभिन्न जातियां

*५०—श्री भारत सिंह यादवाचार्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यू० पी० के किन किन जिलों की कौन कौन जातियों पर जरायम पेशा क़ानून लगाया जा रहा है?

श्री चरण सिंह—जरायम पेशा जातियों की जिलेवार सूची क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट मैनुअल वाल्यूम टू (क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट मैनुवल भाग २) में दी हुई है और इस समय सरकार किसी भी जाति को 'जरायम पेशा जाति' घोषित करने का विचार नहीं कर रही है।

*५१—५४—श्री रोशन जमां खां—[स्थगित किये गये]।

माननीय पुलिस सचिव--जी हां ।

*९२--श्री कालीचरण टन्डन--यदि हां, तो किन किन के कौन कौन हथियार किन किन वजूहात से वापिस किये गये ?

माननीय पुलिस सचिव--जिनको हथियार वापस किये गये उनकी सूची साथ नत्थी है । अधिकारी इससे सन्तुष्ट थे कि उन्हें हथियार वापस दे देना चाहिये ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६१२ पर)

श्री कालीचरण टन्डन--क्या सरकार को पता है कि जिनके लाइसेन्स वापिस हुए हैं उनके बाबत फिर कई शिकायतें आई हैं कि वह साम्प्रदायिक बातों में फिर हिस्सा ले रहे हैं ?

माननीय पुलिस सचिव--माननीय सदस्य ने एक साहब के बारे में बतलाया था, उस पर जांच की गई तो यह पता लगा है कि अब उनकी तरफ से ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ।

*९३--श्री कालीचरण टन्डन--(क) क्या यह सही है कि सरकार ने हथियार वापिस देने में उन के नागरिकों से साम्प्रदायिक तनातनी फैलाने सबन्धी अपने रवैये को बन्द करने का लिखित आश्वासन ले लिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी प्रतिलिपियां मेज पर रक्खेगी ?

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

माननीय पुलिस सचिव--(क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई ।

फर्रुखाबाद जिले में १९४२ ई० से १९४५ ई० तक सामूहिक जुर्माना

*९४--श्री कालीचरण टन्डन--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फ़र्रुखाबाद जिले में सन् १९४२ ई० से सन् १९४५ ई० तक किन किन गांवों में, कितनी कितनी रक़म, सामूहिक जुर्माने की शकल में जनता से वसूल हुई ?

माननीय पुलिस सचिव--सामूहिक जुर्माने के रूप में निम्नलिखित रकमें फर्रुखाबाद जिले के प्रत्येक गांव से वसूल हुई :--

	रु०
१--तिरवा और तिरवागंज	४,०८५
२--मंझला	१,०००
३--मकरन्दपुर	३००
४--बरझाला	१,५००
५--धनसुआ	५००
६--जसपुरापुर मन्डया	५००
७--पिपरागांव	१,०००
८--किसवापुर	५००
९--बीबीपुर पु० स्टे० सौरिखा	३००
१०--बीनापुर	२००
११--उधनापुर तहसील छिबरामऊ	१७५
१२--बहादुरपुर	२००
१३--टूसाबाडी	४००
योग ..	१०,६६०

*९५--श्री कालीचरण टन्डन--सामूहिक जुर्माने की रकम में से कितनी कितनी रकम किन-किन गांवों में, किन-किन कामों में खर्च करने के लिए किस किस के मार्फत दी गयी या देने के लिए मंजूर की गयी ?

माननीय पुलिस सचिव--इस रकम में से ९,१६० रुपए जिन जिन गांवों से यह रकम वसूल की गई थी वहां के वर्तमान कुओं की मरम्मत तथा उन्हें पक्का करने और हैन्ड पाइप तथा परशियन व्हील लगवाने के लिए या नए कुएं खुदवाने के लिए सरकार ने मंजूर किए और यह रकम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एसोसियेशन (जिला विकास संघ) के अधिकार में रक्खी गई है, शेष १,५०० रुपए बरझाला गांव के जिन लोगों से जुर्माना वसूल किया गया था, उनकी इच्छानुसार उन्हें लौटा दिये गये।

श्री कालीचरण टन्डन--क्या सरकार को यह पता है कि पहले सरकार ने यह नीति घोषित की थी कि जो सामूहिक जुर्माने वसूल होंगे वह जिला बोर्ड की सिफारिश पर वहां के नागरिकों की इच्छानुसार खर्च किए जायंगे ?

माननीय पुलिस सचिव--यह बात ठीक है।

श्री कालीचरण टन्डन--क्या जिला एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशें इस सिलसिले में सरकार के पास पहुंची ?

माननीय पुलिस सचिव--इस समय में इसके बारे में जवाब नहीं दे सकता। लेकिन साधारण नीति यह रही है कि गांव या जहां पर जुर्माना होता है वहां के लोगों की राय भी मानी जाती है और इस जवाब में बताया गया है कि जिस गांव ने यह चाहा कि वहां हर एक को अलग अलग दे दिया जाय, उन्हें अलग-अलग दिया गया है। बाकी जगहों में कुओं वगैरह के लिये रुपया खर्च हुआ।

श्री कालीचरण टन्डन--क्या सरकार को यह पता है कि डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी फ़र्रुखाबाद ने इन गांवों के लोगों की इच्छा के अनुसार अलग अलग गांवों के लिये अलग-अलग इमारतों और दूसरे सार्वजनिक कामों के लिये सिफारिशें की थीं ?

माननीय पुलिस सचिव--इस समय में, अगर माननीय सदस्य चाहेंगे, तो फिर से कागजात देख कर जवाब दिया जा सकता है।

९६--श्री कालीचरण टन्डन--कुल कितनी रकम अभी बाकी है और किस कारण से वह रकमें खर्च करने से बच रही हैं ?

माननीय पुलिस सचिव--सरकार के पास इस मद में से अब कुछ भी बाकी नहीं है।

फ़र्रुखाबाद ज़िले में सन् १९४०--४२ ई० तक सामूहिक चन्दा

*९७--श्री कालीचरण टंडन--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि--

(क) फ़र्रुखाबाद जिले में सन् १९४० ई० से सन् १९४२ ई० तक सामूहिक चन्दे की कुल कितनी रकम जमा हुई थी ?

(ख) इसमें से कितनी रक़म किन-किन कामों में कितनी-कितनी तादाद में किस किस के मार्फत खर्च की गयी या खर्च करने के लिए मंजूर की गयी ?

(ग) कुल कितनी रक़म अभी बाकी है ?

(घ) क्या बक़ाया रकम को व्यय करने के लिए पुनः जिला एडवाइजरी कमेटी से सिफारिशें मांगी हैं ? यदि हां, तो कितना समय दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों, और अब उस धन को किस तरह किस की सिफारिश पर खर्च करना मंजूर किया जावेगा ?

माननीय माल सचिव--(क) सामूहिक चंदा वसूल करने की आज्ञा १९४३ ई० में जारी की गई थी। इस योजना के अधीन कुल १,०५,८५० रु० १० आना ९ पाई जमा हुआ।

(ख) नीचे दी हुई रकमें उन विशेष कामों के लिये मंजूर की गई हैं जो हर एक के सामने लिखे हुये हैं।

क्रम-संख्या	रक़म			काम	कैफ़ियत
	रु०	आ०	पा०		
१	५,०००	०	०	तिरवा में ब्लाइंड रिलीफ फंड कैम्प का खर्च पूरा करने के लिये	जिला मैजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के सिपुर्द की जाय।
	२,८५७	१३	०	सिगीरामपुर सड़क को पक्का करने के लिय	यह रक़म जिला बोर्ड, फर्रुखाबाद को इस शर्त पर दी जाय कि वह सड़क बनवाने के लिये और जितने रुपये की जरूरत होगी उसे देगा और सड़क के संबंध में बार-बार होने वाले खर्चे को पूरा करने की व्यवस्था करेगा।
३	२,५००	०	०	बी० ए० वी० एम० स्कूल, शमशाबाद की इमारत बनवाने के लिये	यह रक़म बी० ए० वी० एम० स्कूल, शमशाबाद की मनेजिंग कमेटी को इमारत पूरी करवाने और फर्नीचर खरीदने के लिये दी जाय।
४	३,०००	०	०	छिबरामऊ में जिस हाई स्कूल के बनाये जाने की तजवीज की गई है उसके लिये चंदा	यह रक़म छिबरामऊ के मौजूदा मिडिल स्कूल की रजिस्टर्ड मैनेजिंग कमेटी को दी जाय।
५	१,०००	०	०	एस० डी० गर्ल्स स्कूल, कन्नौज, में एक ब्लाक बनवाने के लिये	यह रक़म एस० डी० स्कूल, कन्नौज की रजिस्टर्ड मनेजिंग कमेटी को दी जाय।
६	५,०००	०	०	छिबरामऊ के मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जनरल अस्पताल (हास्पिटल) से मिला हुआ एक महिला (वीमेंस) वार्ड बनवाने के लिये	यह रक़म इस शर्त पर खर्च की जा सकेगी कि जिस वार्ड को बनाने की तजवीज है उस पर बार बार होने वाले खर्च को पूरा करने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आवश्यक व्यवस्था कर दे।

(ग) ८६,४९२ रु० १५ आना ९ पाई की रक़म अभी बाकी है और अक्टूबर, १९४९ ई० के आखीर तक कुल ब्याज १८,९११ रु० १५ आना होता है।

(घ) नीचे लिखी हुई योजनाओं के संबंध में ४५,००० रु० के अनुदान मंजूर किये जाने के लिये स्थानीय डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जो तजवीजे हैं उन पर अभी सरकार विचार कर रही है।

(क) बी० टी० बी० अस्पताल, फर्रुखाबाद के लिये २५,००० रु०।

(ख) जी० डी० बी० महिला अस्पताल (फीमेल हास्पिटल), कन्नौज के लिये २०,००० रु० ६,०८०४ रु० १४ आना ९ पाई की बाकी रकम को खर्च करने के लिये अभी तक कोई तजवीजें नहीं आई हैं। सरकार की नीति आम तौर पर यह है कि वह स्थानीय डिस्ट्रिक्ट कमेटियों की सिफारिशें मान लेती है। डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के लिये सिफारिशें भेजने की कोई अवधि नियत नहीं है।

कानपुर में गल्ला गोदाम का उद्घाटन

*९८--श्री फखरुल इस्लाम--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कानपुर में गल्ला इकट्ठा (ग्रेन स्टोरेज) करने के लिये कोई गोदाम बनाना मंजूर किया गया है?

माननीय अन्न सचिव--जी हां।

*९९--श्री फखरुल इस्लाम--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस इमारत का तखमीना कब बनवाया गया था और वह कितने रुपए का था?

माननीय अन्न सचिव--सरकारी गोदाम कानपुर के निर्माण का हिसाब पिछले मई में निश्चित किया गया था। यह ७,७५,००० रु० का था।

*१००--श्री फखरुल इस्लाम--क्या यह नहीं है कि इस इमारत के बनवाने में तखमीने से ६ लाख रुपया अधिक खर्च हुआ? यदि ऐसा हुआ, तो क्यों?

माननीय अन्न सचिव--नहीं, यह सही नहीं है। प्रश्न का द्वितीय अंश नहीं उठता।

श्री फखरुल इस्लाम--क्या गवर्नमेन्ट बतायेगी कि तखमीने से कितना रुपया ज्यादा खर्च हुआ?

माननीय अन्न सचिव--इसके लिये तो नोटिस चाहिये। मेरे पास इस वक्त इत्तिला नहीं है।

श्री फखरुल इस्लाम--क्या यह सही है कि यह गोदाम १५ लाख रुपये के अन्दर तैयार हुआ

माननीय अन्न सचिव--नहीं, यह बात तो सही नहीं है। जहां तक मुझे इत्तिला है, इतना रुपया नहीं लगा।

*१०१--श्री फखरुल इस्लाम--क्या ता० १० जुलाई सन् १९४९ ई० को माननीय अन्न सचिव ने कानपुर में इस गोदाम का उद्घाटन किया और इसमें असेम्बली के बहुत से सदस्य शरीक हुए?

माननीय अन्न सचिव--जी हां।

*१०२--श्री फखरुल इस्लाम--क्या यह सच है कि शाम को दो हजार आदमियों को एट होम दिया गया?

माननीय अन्न सचिव--लगभग दो हजार व्यक्तियों को सोडा (कोल्ड ड्रिंक) पान कराया गया।

*१०३--श्री फखरुल इस्लाम--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस सिलसिले में कितना रुपया खर्च हुआ और यह रुपया सरकार के किस मद से खर्च किया गया?

माननीय अन्न सचिव--व्यक्तियों को सोडा (कोल्ड ड्रिंक) पान कराने में सरकार ने कुछ खर्च नहीं किया।

*१०४--श्री फखरुल इस्लाम--क्या यह सही है कि इस खर्चे की पूर्ति के लिये टाउन राशनिंग अफसर, कानपुर ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से चन्दा लिया ?

माननीय अन्न सचिव--अतिथियों को सोडा (कोल्ड ड्रिंक) पान कराने के लिये राशनिंग कर्मचारियों ने स्वेच्छानुसार चन्दा दिया।

श्री फखरुल इस्लाम--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस एट होम के लिये जो कि राशनिंग के स्टाफ ने चन्दा जमा किया था उससे कै हजार रुपया वसूल किया गया ?

माननीय अन्न सचिव--जो इत्तिला आई है उसमें आंकड़े मेरे पास नहीं आए हैं लेकिन उसमें हजारों का सवाल तो उठ नहीं सकता क्योंकि उसमें केवल सोडा वाटर पिलाया गया और इतने हजारों रुपयों का खर्चा नहीं हो सकता।

श्री फखरुल इस्लाम--क्या यह सही है कि वहां दो हजार आदमी थे और एक बहुत बड़ा शामियाना, कुर्सी, मेज, पान और सिगरेट का इंतजाम किया गया था और लारी कबाड़ में इसी डिपार्टमेण्ट के जरिये आई थी जो लोगों को वहां पर मुफ्त ले जा रही थी ?

माननीय अन्न सचिव--जहां तक शामियाने की बात है वह बेबुनियादी है क्योंकि मैं भी वहां गया था और यह जो कुछ किया गया था वह वहां की इमारत में यानी गोदाम में जो अभी बना है कोल्ड ड्रिंक का प्रबन्ध किया गया था।

हज कमेटी के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा

माननीय स्पीकर--माननीय सदस्यों को याद होगा कि प्रांतीय हज कमेटी के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये कल तीन बजे तक का समय नामांकित पत्र आने के लिये मैंने नियत किया था। कल तीन बजे तक तीन नामांकन पत्र आये ?

(१) श्री मुहम्मद नबी,
(२) श्री हसरत मुहानी,
(३) श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी।

इसके बाद श्री फाखरी साहब ने अपना नाम वापिस ले लिया है। इसलिये अब एक जगह के लिये दो नाम हैं। आज नाम वापसी के लिये एक बजे तक का वक्त है। अगर नाम वापिस नहीं हुए तो कल २ बजे से ४ बजे तक वाचनालय (रीडिंग रूम) में चुनाव होगा।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल (जारी)

माननीय स्पीकर--माननीय माल सचिव के इस प्रस्ताव पर कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल पर, जैसा कि संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा संशोधित हुआ है विचार किया जाये, विवाद जारी होगा। कल श्री सुल्तान आलम खां भाषण दे रहे थे। वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

†श्री सुल्तान आलम खां--जनाब स्पीकर साहब, कल शाम को जब इस भवन की बैठक खत्म हुई तो मैं दफा १२४ के उसूल के मुताल्लिक कुछ अर्ज कर रहा था। जैसा मैंने कल भी कहा था कि उसूल मानने के बाद तफ़सीलात से फिरना कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। हमने एक उसूल माना है कि जो अन्‌एकनामिक होल्डिंग्ज हैं उनके इंटरमीडियरीज की अगर उनके पास ८ एकड़ से कम आराजी है तो सब

*९ जनवरी सन् १९५० ई० की कार्यवाही में छपा है।

† माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

लैट आराजी में से बेदखल करके ८ एकड़ उनके पास पहुंचाने की जरूरत लेकिन ऐसा मालूम नहीं होता क्योंकि इसके बाद एक सब-सेक्शन मौजूद है, जिसके जरिये से जो एक हाथ से दिया जाता है दूसरे हाथ से उसे वापिस ले लिया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि बगैर नोटिफिकेशन के वह चाज नहीं हो सकती। जहां सरकार नोटिफिकेशन करेगी वहां ऐसा हो सकेगा ? जब वह सरकार इस उसूल को मानती है तो मेरे ख्याल में एक शख्स भी ऐसा न रहना चाहिए जो इस कंसेशन (रियायत) को हासिल करने का मुस्तहक है, उसे वह न मिल सके। इसमें एक कमी और रह जाती है। वह यह कि जितनी होल्डिंग्ज हैं वह सब ८ एकड़ को मिलाकर होंगी यानी जब हम उसे १ यूनिट मानते हैं तो आइन्दा होल्डिंग्ज में हर होल्डर इस बात का हक रख सकेगा कि वह अपनी काश्त को ८ एकड़ बना सके। इसके मुताल्लिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि जमींदारों की जमींदारी खत्म करने के बाद, हकीकत में जिसे खत्म करने की जरूरत भी है, जो अब एक लायबिलिटी हो गई है, उसे बैकवर्ड क्लास होने से बचाया जा सके। बजाय इसके कि वह इंटेलेक्चुअल क्लास हो, बैकवार्ड क्लास में होने से उसे रोका जाए। जब इस सिद्धान्त को हमने माना है तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि १२४ क्लाज को रखा जाए। अगर हमें देना है तो खुले दिल से दें, अगर नहीं मानते तो बेहतर यही होगा कि दफा १२४ को कतअन उड़ा दें।

अब मैं दफा १३५ के मुताल्लिक अर्ज करूंगा। वह उसूली और बुनियादी हैसियत से करूंगा। मैं उसकी तफसीलात में जाना नहीं चाहता और न इस वक्त उसका मौका ही है। दफा १३५ के मातहत हुकूमत ने एक और नई दफा बनाई है और वह यह है कि जो इस वक्त एब्जोलिशन आफ प्रिविलेजेज ऐक्ट है और जिसके मुताल्लिक जमींदारी एबालीशन फंड इकट्ठा किया जा रहा है, इसके मातहत उस ऐक्ट में तरमीम की जाये और एक नया शेड्यूल (सूची) कायम किया है। मैं कानून की इस बाजीगीरी को समझने से क़ासिर हूं। सरकार के पास तो खुला रास्ता है कि वह अगर कोई तरमीम एब्वोजिशन आफ प्रिविलेजेज ऐक्ट में करना चाहती है तो उसे एक बिल की सूरत में यहां लाए और अगर असेम्बली का सेशन नहीं हो रहा है तो एक आर्डिनेन्स के जरिये तरमीम हो सकती है और जब हाउस दोबारा मिले तो उसे बिल की सूरत में लाकर ऐक्ट में कारपोरेट किया जा सकता है। लेकिन यह तो एक फ़र्जी बात है और न ऐसा कभी किसी लेजिस्लेचर में ही हुआ है जिस तरह से यह हमारे यहां पेश किया जा रहा है। इस तरह की चीज लेजिस्लेचर की प्रेस्टिज (मर्यादा) को नीचे गिरा देती है और एक रूल होल है जिसके मातहत सरकार यह कर सकेगी कि सरकार एक कानून बनाएगी और दूसरे में तरमीम कर देगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट बनेगा और म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट में तरमीम कर देगी। कौन सी चीज ऐसी है जिससे सरकार बराहरास्त एब्वीजिशन आफ प्रिविलेजेज ऐक्ट को खुद तैयार नहीं कर सकती चाहे बिल के जरिये से या आर्डिनेन्स की सूरत में ?

अब मैं वक्फ के मुताल्लिक अर्ज करूंगा। वक्फ ऐसी चीज है जो मजहबी हैसियत रखती है। हम फख्र करते हैं और हमें खुशी है कि जिस हुकूमत में हम रह रहे हैं वह एक गैर मजहबी हुकूमत है और उस हुकूमत में जहां तक मजहब का ताल्लुक है किसी शख्स में कोई फर्क नहीं माना गया है।

लेकिन मुझे, वक्फ के मुताल्लिक जो प्राविजन्स रखे गए हैं उनको देखकर थोड़ी हैरत होती है। मैं समझता हूं कि या तो अदमवाकफियत के ऊपर मबनी है या कोई गलती से ऐसी बात रखी गई है, जिस पर नजर नहीं की गई है। लेकिन अगर इन दोनों बातों में से कोई चीज है तो गवर्नमेण्ट की प्रेस्टिज इससे बहुत बढ़ जाती है। अगर वह इसको रियलाइज (महसूस) करे और बजाय इसके कि फाल्स प्रेस्टिज (झूठी मर्यादा) का मोशन (विचार) आए उसकी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है अगर वह किसी मौके पर अपनी

[श्री सुल्तान आलम खां]

गलती का इक़बाल करे। इसके जरिये से वक़्फ़ की दो तकसीमें की गई हैं, एक तो मजहबी या खैराती और दूसरे को परसनल या वाक़्फ़ अलल उल औलाद कहते हैं यानी कानून के जरिये से दोनों में डिस्क्रिमिनेशन (भेद भाव) कर दिया गया है हालांकि जहां तक परसनल ला का ताल्लुक है वह इस बात में कोई फर्क नहीं करता। दूसरी बात यह है कि वक्फ अलल उल औलाद को जो कम्पेन्सेशन देने का तरीका है वह भी सख्त काबिले एतराज है। वक्फ को एक यूनिट मान कर मुआविजा दिया जाएगा, हालांकि वक्फ का हर एक बेनिफिशिअरी (लाभ-भोक्ता) मुकम्मल तौर पर अलग है। एक शख्स ने वक्फ़ किया। तीन पुश्तों तक कब्जा रहा। हर एक अलाहदा रहता है। लेकिन जहां मुआविजे का मौका आएगा सब को एक यूनिट मान कर मुआविजा दिया जाएगा। गालिबन यह इस लिये किया गया है कि अगर अलाहदा अलाहदा यूनिट मानेंगे तो रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट ज्यादा देनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि उन लोगों को जिनकी किस्मतें इससे वाबिस्ता हैं, अगर उनके पाकेट में थोड़ी सी रकम पहुंच जाय तो हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। जहां तक रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट का ताल्लुक है "रिहैबिलिटेशन" लफ्ज मुझे कुछ ज्यादा भाता नहीं। रिहैबिलिटेशन उन लोगों को दिया जाता है जो रेफ्यूजीज (शरणार्थी) हों। या तो गवर्नमेण्ट यह कह रही है कि वाकई जितने जमींदार हैं उनका मर्तबा बिलकुल रेफ्यूजीज के बराबर होगा, अगर आप यह मानते हैं तो मुझे कोई गुजारिश नहीं। लेकिन अगर आप यह चीज नहीं मानते हैं तो लफ्ज "रिहैबिलिटेशन" की जगह पर "रिलीफ" (सहायता) या कोई दूसरा लफ्ज आना चाहिए। रिहैबिलिटेशन ग्रांट महज इस वजह से दी गई है कि वह छोटे जमींदार जो हकीकत में जो कम्पेन्सेशन का निर्ख रखा गया है उससे अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते, उनको कुछ एडिशनल पिक्यूनियरी हेल्प (रुपये पैसे की सहायता) दी जा रही है ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। लेकिन जब यह उसूल मान लिया है तब क्या वजह है कि वह बेनिफिशिअरीज जो बिल्कुल छोटे जमींदारों की हैसियत रखते हैं उनको इससे महरूम रखा जाय, जब कि हम रिहैबिलिटेशन ग्रांट महज इस वजह से दे रहे हैं कि छोटे जमींदारों को कुछ इनकरेजमेण्ट (प्रोत्साहन) दिया जाय। तो फिर जब वह अपनी जगह पर एक यूनिट हैं, मजहबी तौर पर, अखलाकी तौर पर और हर तौर तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि उनकी जेब में थोड़ी सी रकम जाते देखकर हम उससे गुरेज करें। यह जरूर है कि अगर उनको रिहैबिलिटेशन ग्रांट दी जायगी तो कुछ थोड़ी सी रकम बढ़ जायगी। लेकिन एक शख्स को उसका हक पहुंचाने के लिये अगर थोड़ी रकम गवर्नमेण्ट को देनी पड़ती है तो मैं समझता हूं कि वह किसी सूरत से गुरेज करने के काबिल नहीं है। जनाबवाला, मैं इसकी तफसील में बहुत कुछ कह सकता हूं यह बहुत स्ट्रांग केस है, कम से कम मैं बहुत ही स्ट्रांगली फील (महसूस) करता हूं और मैं समझता हूं कि बहुत से लोग करते होंगे। गवर्नमेन्ट को इन दोनों किस्म के वक्फों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और उनको एक यूनिट मान कर मुआविजा देना चाहिये ताकि उनको थोड़ी सी रिहैबिलिटेशन ग्रांट पहुंच सके। क्योंकि अगर जमींदार का मर्तबा रेफ्यूजीज के बराबर है तो वह आपकी हर हमदर्दी का मुस्तहक है।

जनाबवाला, एक दो अल्फाज में इस सिलसिले में भी कहना चाहता हूं कि आइंदा जमींदारी के खात्मे के बाद वसूलयाबी का क्या तरीका होगा। हमने माना है कि जिम्मेदारी अलहदा अलहदा भी होगी और मुश्तरका भी होगी। पहले तो यह था कि मुश्तरका जिम्मेदारी में एक दूसरे शख्स की लगान अदायगी में तीसरे की गिरफ्तारी हो सकती थी लेकिन गवर्नमेन्ट ने उसकी रिगर (सख्ती) कुछ हद तक कम कर दी है और ज्वाइण्ट रिसपान्सिबिलिटी उसी वक्त रहेगी जब किसी मुकाम का कलेक्टर यह रिपोर्ट करे कि बगैर इसके यहां वसूलयाबी नहीं होगी। मुझे खुशी है कि गवर्नमेन्ट ने इस मामले में बड़ा रीजनेबिल ऐटीट्यूड (उचित मनोवृत्ति) लिया और गवर्न-

मेंट ने इस दिक्कत को समझ कर मुनासिब स्टेप लिया। इसके अलावा कलेक्शन्स के सिलसिले में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर ठंडे दिल से गौर करने की जरूरत है। मसलन् इसमें यह प्रोवाइड किया (रखा) गया है कि इसकी वसूलयाबी का तरीका यह होगा कि हम गांव पंचायतों को शायद यह चीज सुपुर्द करें कि वह वसूलयाबी करें। लेकिन मैं निहायत अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह मैं मानता हूं कि हमारी गांव पंचायतें ही आइन्दा हिन्दुस्तान की रिपब्लिक्स बनने वाली हैं, वही ऐसी यूनिट्स हैं जिनसे हम ऐसे काम लें लेकिन इसमें प्रैक्टिकल भी बनना चाहिए। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया कि क्या आज हमारी गांव पंचायतें इस काबिल हैं कि इस काम को कर सकें तो इसका जवाब नहीं होगा। जब पंचायतें इस काम को नहीं कर सकतीं तो जाहिर है कि कलेक्टर से आप इस काम को करायेंगे। कलेक्टर खुद तो इस काम को करेगा नहीं उसके मातहत या पटवारी इस काम को करेंगे। वे कौन होंगे? ये ३० या ३५ रुपये के तनख्वाहदार होंगे। मुमकिन है कि उनमें से बहुत से शख्स ऐसे हों जो करप्टेड (घूसखोर) भी हों और मुझे उम्मीद नहीं है कि वे सही तरीके से वसूलयाबी कर सकें और इस तरीके से गवर्नमेन्ट को वसूलयाबी में बहुत सी उलझनें और दिक्कतें पैदा होंगी। इसलिये गवर्नमेन्ट क्यों न इस मामले में गौर करे कि जब तक कि ये गांव पंचायतें इक्सपीरियन्स (अनुभव) नहीं हासिल कर लेतीं, जब तक ये इक्सपेरीमेन्टल स्टेज में हैं तब तक यह काम जो मौजूदा लम्बरदार हैं उन्हीं के सुपुर्द कर दिया जाय और उनको वसूलयाबी का जो कमीशन दिया जाता था वह अब भी दिया जाता रहे। मैं समझता हूं कि यह तरीका गवर्नमेंट के लिये सस्ता भी पड़ेगा और गवर्नमेन्ट की बहुत सी दिक्कतें मौजूदा हालत में रफा भी हो जायेंगी।

एक चीज मैं पंचायतों के सिलसिले में और कहना चाहता हूं। मैंने शुरू में यह कहा था कि जमींदारी जमींदार के लिये अब एक लाएबिलिटी (भार) है इसलिये उसका खत्म होना जल्द से जल्द जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही साथ जमींदार एक बकवर्ड क्लास न माना जाय उसको कम्पेन्सेशन (मुआविजा) का पूरा हक दिया जाय। उसके साथ इनकरेजमेन्ट और भाईचारे की पालिसी अख्तियार करनी चाहिये और इसके साथ यह मैं जरूर कहूंगा कि हम अपने एन्थ्यूजियाज्म (जोश) में कोई भी ऐसी बात न करें जो काबिले एतराज हो। मैंने जैसा पहले कहा कि मैं इसका हामी हूं और हर शख्स जो ईमानदार है वह इसका हामी है कि गवर्नमेंट जेड० ए० एफ० के जरिये से रुपया हासिल करके जमींदारों को नक़द मुआविजा अदा करे। लेकिन मुझे पूरा शक है कि यह कामयाब नहीं हो सकता। मैं यह मानता हूं कि गवर्नमेंट पूरी ईमानदारी से इस बात की कोशिश में है कि जेड० ए० एफ० में काफी रुपया वसूल हो और हर जमींदार का फ़र्ज है कि वह इसमें पूरी मदद गवर्नमेंट की करे। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि सिवाय इसके कि क़र्ज लेकर रुपया अदा किया जा सके और कोई रास्ता नकद देने का नहीं है और कोई दूसरी सूरत नहीं है। मैंने इस सिलसिले में एक स्कीम कल वजाहत के साथ बयान की थी। कहा जाता है कि हुकूमत ने पंचायतों को इस बात की हिदायत दी है कि जेड० ए० एफ० के मामले में वह गवर्नमेन्ट की मुखालिफत न करें लेकिन मैं समझता हूं कि किसी अटानामस यूनिट पर इस किस्म की पाबन्दी लगाना किसी सूरत से भी मुनासिब नहीं है। जिस वक्त पंचायतों के लिये एलेक्शन हुए उस वक्त हम पार्टी लाइन्स पर नहीं लड़े। उनमें कांग्रेसमैन भी हैं, सोशलिस्ट्स भी हैं, मुमकिन है कम्यूनिस्ट भी हों, इन्डिपेन्डेन्ट हों और बहुत से गिरोह के लोग हो सकते हैं। इसलिये अगर पार्टी की हैसियत से कोई पंचायत यह समझती है कि जेड० ए० एफ० की वसूलयाबी में मदद नहीं करनी चाहिये तो उसको इसका पूरा हक़ है। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि चाहे कम्पेन्सेशन मिले या न मिले लेकिन एक ऐसा काम जो नाजायज है वह उनसे कराना किसी सूरत से मुनासिब नहीं है। मैं अपने दोस्त फूलसिंह साहब की इस तजवीज से इत्तिफाक नहीं करता कि चूंकि पंचायतें गवर्नमेन्ट के अन्डर (मातहत)

[श्री सुल्तान आलम खां]

काम करती हैं इसलिये वे किसी भी स्कीम में गवर्नमेंट की राय के खिलाफ़ नहीं चल सकतीं, उन्हें गवर्नमेन्ट की राय के मुताबिक ही अपना काम करना होगा। मुझे अफ़सोस है और बहुत सख्त अफ़सोस है कि मैं उनकी इस बात से इत्तिफ़ाक़ नहीं करता और मैं समझता हूं कि सेकुलर और डेमोक्रेटिक स्टेट में इस अटानामी के ज़माने में किसी अटानामस बाडी से इस बात का कहने का हक़ हरगिज़ किसी को नहीं पहुंचता कि चूंकि गवर्नमेंट की यह राय है इसलिये वह अटानामस यूनिट भी उसमें गवर्नमेंट की ताईद करे। हम हर शख्स को इसमें कनवर्ट करें, इसके लिये तैयार करें और उसके लिये आमादा कर सकें कि वह जेड० ए० एफ० में बहुत हिम्मत से और फ़राखदिली से काम ले और रुपये को वसूल कराए।

जनाबवाला, बिल को देखने से एक चीज और समझ में आती है कि इसमें दो बातें ऐसी और हैं जो शायद रह गई हैं, नजरअंदाज हो गई हैं। एक तो है, हक़े आसाइश। यह इतना बड़ा हक़ है कि न सिर्फ़ बृटिश सरकार ने बल्कि इससे पहले जो हुकूमतें चलीं, उन सबने इसका पूरा ख्याल रखा। हक़े आसाइश ऐसा है, जिस पर बहुत झगड़े और तक़रीरें हो सकती हैं। ज़रा सी बात पर हाईकोर्ट के दरवाजे पर लिटीगैंट्स (मुक़द्दमेबाज) अपना सर मार सकते हैं और बेतहाशा रुपया सर्फ़ होता है। दफ़ा ६ से अगर यह हक़ निकल जाता है और हिज मेजेस्टी में सारे हक़ूक़ वेस्ट हो जायेंगे तो दफ़ा ८ से यह हक़ आसाइश लोगों को फिर वापिस किया जाय, यह बहुत जरूरी चीज है। यह बिल जब आइन्दा की जेनरेशन इस्तेमाल करेंगी तो इसके बारे में उनकी यह तमाम ख्वाहिश रहेगी कि वह बजोरेमाल को हक़ आसाइश के निकल जाने के लिये दुआ दें या बद्दुआ दें।

दूसरी चीज जो देहाती रक़बे के लिये बहुत जरूरी चीज है, वह है बरियल ग्राउन्ड (कब्रिस्तान) और क्रीमेशन ग्राउन्ड (श्मशान भूमि) की बात। यह एक ऐसा नाजुक मसला है जो कि इंसान के सेंटीमेंट से ताल्लुक़ रखता है। इस बिल के जरिये से कोई बरियल ग्राउन्ड या क्रीमेशन ग्राउंड जो कुछ भी हो वह पंचायतों में वेस्ट हो जायगी। यह मैंने कई बार कहा है कि हमारी पंचायतें अभी एक्सपेरीमेंटल स्टेज में हैं, उनके ऊपर ऐसे इम्तिहान का बोझ नहीं डालना चाहिये कि वे इंतजाम करने में नाकामयाब हों। बरियल ग्राउंड या क्रीमेशन ग्राउंड में जिस फैमली का मुर्दा दफन होता हो, जलाया जाता हो, उनके ताल्लुक़ में वह हो तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपको इसका भी इंतजाम करना है कि बहुत सी जगहों में जहां कि क़ब्रिस्तान बिल्कुल भर गये हैं वहां कुछ ऐसी जगह अलग कर दी जाय कि क़ब्रिस्तान बनाये जा सकें।

जनाबवाला, बिल में जो ज़मींदार का लगान वग़ैरह, या लोकल रेट, जो भी बक़ाया हो, उसका खातमा ज़मींदारी के बाद वसूलयाबी के लिये कोई अच्छा तरीक़ा नहीं रखा गया है। यह अच्छा तरीक़ा न होगा कि बक़ाया लगान जिसका कि अदालत में दावा हो चुका हो या और दूसरे का जो बक़ाया हो उसकी वसूलयाबी के लिये ज़मींदार, जब उसकी ज़मींदारी न रहेगी और उसकी आमदनी १/५ ही रह जायगी, यह कैसे मुमकिन समझेगा कि वह उस सूरत में मुक़द्दमेबाजी करे जबकि वह ज़मींदारी से अलग है और वह बिल्कुल ही अलग रहना चाहता है। इसका यह इंतज़ाम हो कि जो बक़ाया लगान उसका हो या और जो कुछ हो वह उसी तरह से वसूल किया जाय जैसे कि रेवेन्यू की वसूलयाबी का तरीक़ा है और वह सब बक़ाया ज़मींदार को दिया जाय ताकि ज़मींदार को कोई झगड़ा न करना पड़े। यह बहुत जरूरी है और मैं इसे आनरेबिल मिनिस्टर के सामने रख देना चाहता हूं।

एक बुनियादी बात इस बिल के अन्दर और है, वह है सबलेटिंग की। सबलेटिंग बिल में दो सूरतों से जायज़ है, एक तो यह कि कुछ शर्तों के साथ वह शख्स कर सकता है जोकि डिसएबिल्ड परसन हो दूसरे वह जो भूमिधरी का हक़ हासिल कर ले। डिसएबिल्ड परसंस की लिस्ट में कुछ खास लोग गिनाये गये हैं, जैसे पागल, अंधा, लंगड़ा, फ़ौजी मुलाज़िम वग़ैरह,

इस क़िस्म के लोग हैं। मेरा यह ख्याल है कि वे तमाम लोग होने चाहिये जो गवर्नमेंट की एसेन्शियल सर्विसेज में हैं, खास तौर से पुलिस में जो हैं, जो प्राइमरी स्कूलों के या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के टीचर्स हैं। ये लोग छोटी छोटी जमीनें रखते हैं और अगर वे कहीं दूसरी जगह मुलाजिम होंगे तो उनके हाथ से जमीन निकल जायगी। नतीजा यह होगा कि अगर इनकी मुलाजिमत न रही तो उनको जमीन भी न मिलेगी और वे बेचारे कहीं के न रहेंगे। न इनके पास खेती करने के लिये, अगर वह चाहें तो जमीन कहीं से मिल भी न सकेगी, क्योंकि जमीन का मिलना बहुत ही मुश्किल हो जायगा। मैंने यह बात बहुत जगह देखी है, अपने जिले में भी देखी है और मुझे सब बातों से पता चलता है कि इस चीज की बड़ी वाइड डिमांड (अधिक मांग) है कि सबलेटिंग का हक़ उन सबको भी मिल जाय। यह सबलेटिंग का हक उन लोगों के लिये एक बहुत बड़ी चीज है। श्री रघुबीर सहाय जी ने अपना एक बयान सबलेटिंग के बारे में, अपने जिले बदायूं के लिये दिया था जोकि मैंने पढ़ा था और भी बहुत से दोस्त इस चीज को महसूस करते होंगे और उन्होंने इस चीज को देखा होगा कि इसके बारे में लोगों की बड़ी मांग है और मैं समझता हूं कि हर शख्स इसको महसूस करता है।

इसलिये फूलसिंह जी ने भी इस बात को कहा है। मैंने उनकी तकरीर भी अखबारों में पढ़ी उन्होंने बताया कि एक्सचेंज वग़ैरा के लिये वक्त ज़रूरत कुछ जरूर होना चाहिये। यह बिलकुल ही ऐसी चीज है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे बैकडोर से सबलेटिंग चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि बिलकुल क्लीयर कट (स्पष्ट) पालिसी होनी चाहिये। या तो सबलेटिंग जायज क़रार दिया जाय या बिलकुल नाजायज। मैं यह भी समझता हूं कि मुल्क की और सूबे की मौजूदा हालत को देखते हुये सबलेटिंग का बिल्कुल बंद किया जाना बहुत हार्ड (कष्टदायी) होगा। मुमकिन है कि इस बिल के बनाने वालों ने जो उसूल अपने सामने रखे हों उन पर इसका असर पड़ता हो लेकिन मुल्क की सच्ची जरूरतों के पेश आने पर उन उसूलों में भी कम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर सबलेटिंग के लिये कुछ रेस्ट्रिक्शन्स (पाबंदियों) के साथ इजाजत दे दी जाय तो निहायत ही अच्छा होगा। मसलन अगर यह इजाजत दे दी जाय कि जो लोग भूमिधर बनाये जायेंगे उनको यह कन्सेशन दिया जायगा कि वे अपनी जमीन का कुछ पोर्शन (भाग) उठा सकें। मेरा ख्याल है इससे जमींदारी एबालीशन फंड को भी कुछ इम्पीटस (प्रोत्साहन) मिल जायगा और लोग ज्यादा रुपया देकर भूमिधरी राइट्स हासिल करने को तैयार हो जायंगे।

जनाबवाला, मैं इस पर कहना तो ज्यादा चाहता था मगर मैं यह देखता हूं कि बहुत से लोग इस पर तक़रीर करना चाहते हैं और शायद गवर्नमेंट की भी यह मंशा है कि आज ही डिस्कशन (वादविवाद) भी ख़त्म हो जाय इसलिये मैं उनके दरमियान में आब्स्टेकिल (रुकावट) नहीं बनना चाहता। मैं चन्द जनरल (आम) बातें और कह कर अपनी तक़रीर को खत्म करूंगा। मैं एक मर्तबा फिर इस बात पर जोर दूंगा कि यह बिल न सिर्फ इस सूबे बल्कि इस मुल्क का एक हिस्टोरिकल (ऐतिहासिक) और अहम बिल है। मुझे यह भी मालूम है कि बिहार और मद्रास ने भी ऐसे बिल बनाये हैं लेकिन वे इतनी डिटेल (ब्योरे) में नहीं रखे गये जितनी कि इसमें। इसमें ३१० दफायें हैं और हर चीज रूल्स पर छोड़ दी गई है। उनको भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाय तो १,००० दफ़ायें होंगी। इसके अलावा डेट बिल इसमें नहीं है। इसके अलावा म्युनिसिपैलटियां, नोटीफ़ाइड एरियाज, टाउन एरिया, कैंटूनमेंट बोर्ड और कुमायूं डिवीजन के बारे में अलहदा से क़ानून बनना बाकी है। इस पर भी मेरा यह ख्याल है कि जो कुछ हम बनायें वह ज्यादा से ज्यादा कम्प्रोमाइजिंग हो। ऐसा न हो कि ठीक प्लानिंग न होने की वजह से हमें जल्द से जल्द तरमीम करनी पड़े। यह चीज न तो स्टेट के लिये और न पब्लिक के लिये ही मुनासिब है।

जनाबवाला, मैं यह भी देखता हूं कि इस बिल पर बाज तक़रीरें ऐसी हुई हैं जिनमें पार्टी बंदी की झलक पाई जाती है। जमींदार भाइयों सोशलिस्ट्स दोस्तों, और कांग्रेसी बेंचेज से भी इस क़िस्म के डिस्कशन्स हुये हैं। मैं यह चाहता हूं कि इस वक्त जब कि हम इस सूबे में हम

[श्री सुल्तान आलम खां]

एक बहुत बड़ा रिफार्म (सुधार) करने जा रहे हैं, एक ऐसा रिफार्म जिससे कम से कम डेढ़ करोड़ जनता इफेक्ट (प्रभावित) होने जा रही है और जो तमाम रूरल इकोनामी को इफेक्ट कर सकती है कोई ग़लती न करे। हो सकता है बाज लोगों की कुछ खास राय हो लेकिन नोबिलनेस और कैरेक्टर का यही तक़ाज़ा है कि वे मुल्क और सूबे की जरूरत को महसूस करें और खंदा पेशानी से, हंस कर अपनी उस राय को बदल दें। जनाब वाला, मैंने देखा कि बहुत से जिम्मेदार लोगों ने इस सिलसिले में अपनी राय बनाई और बदलीं। मुझे याद है कि जब अबालीशन कमेटी बैठी थी तो हमारे सूबे के मायेनाज़ सोशलिस्ट लीडर आचार्य नरेन्द्रदेव जी, जिनका मैं निहायत एहतराम करता हूं, उन्होंने उसमें कहा था कि १० गुना मुआविज़ा देना चाहिये और इसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि परती और कल्चरेबिल वेस्टस का दो गुना फी एकड़ मुआविज़ा दिया जाय। उन्होंने किसी वजह से अपनी राय को बदल दिया। चरणसिंह साहब ने भी जमींदारी अबालीशन में यह कहा था कि १० गुना लगान का देना चाहिये लेकिन आज श्री चरणसिंह कहते हैं कि ८ गुना देना चाहिये। ठीक है और मुनासिब है अगर उन्होंने यह राय अपनी बतलायी। इस वक्त मुझे अफसोस है कि हमारे प्रीमियर साहब, जिनका नाम न सिर्फ इस सूबा में बल्कि तमाम हिन्दुस्तान में मशहूर है, यहां मौजूद नहीं हैं वर्ना मैं आनरेबिल वजीर माल के साथ उनसे भी अपील करता कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपनी राय का बिलकुल खुले तरीके पर इज़हार करें और आप इस पर फैसला करने से पहिले इस पैराये में गौर करें कि वाकयी हम जो बिल इस वक्त मंजूर कर रहे हैं उससे मुल्क को कहां तक नफा पहुंचेगा, और हमारी रूरल इकोनामी कहां तक डिस्टर्ब (दरहम-बरहम) नहीं होगी। हमें जमींदारों के साथ एक सिम्पैथी (सहानुभूति) की पालिसी बरतना है, इसलिये कि जमींदार जैसा मैंने अर्ज किया वह पीवट (धुरी) है जिनके इर्द-गिर्द रूरल सोसाइटी घूमती है। मैं मानता हूं कि उसमें कुछ करप्शन आ गया है लेकिन अगर देखा जाय तो तकरीबन हर वाक आफ लाइफ में करप्शन (भ्रष्टाचार) आ गया है और इस करप्शन की वजह से हम उसको कंडम (निन्दा) नहीं कर सकते हैं। हमें उनके ज़रिये देहातों में डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना है, इसलिये इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि हम उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। यह गवर्नमेंट की पालिसी अभी तक बड़ी गलत रही है कि जिसने बेसिक इयर्स में ट्रेड नहीं किया है उसको हम ट्रेड का लाइसेंस नहीं देंगे। अगर आपने जूनियर इंटरप्राइजेज को उठने का मौका दिया होता और जमींदारों को ट्रेड के लाइसेंस दिया होता तो मैं समझता हूं कि जितनी आज लायबिलिटी (भार) आपके ऊपर है उतनी नहीं होती। वह अपने पैरों पर खड़े होते और वह इस क़ाबिल होते कि गवर्नमेन्ट को इस बिल में और ज्यादा काफी मदद दे सकते।

जनाबवाला, आपको इस बिल के साथ इस चीज को देखने की ज़रूरत है कि इस बिल से आपकी नेशनल वेल्थ (राष्ट्रीय धन) कहां तक बढ़ेगी। जहां तक हमारी नेशनल वेल्थ का ताल्लुक है, हमारी कौमी हुकूमत तीन साल से बरसरेइक्तिदार है लेकिन हमें अभी तक नहीं मालूम है और न हमारे सामने कोई स्टैटिस्टिक्स (आंकड़े) ही हैं जिनसे हमको पता लग सके कि इस ज़माने में हमारी कौमी दौलत कितनी बढ़ी है। मैंने परसों अखबार में पढ़ा है कि मिस्टर डेविस ने कामनवेल्थ की मीटिंग में एक तक़रीर में यह कहा है कि हमारी हुकूमत के ज़माने में चार परसेन्ट नेशनल वेल्थ बढ़ी है। हमें नहीं मालूम है कि हमारे यहां की नेशनल वेल्थ पिछले तीन साल में कितनी बढ़ी है और हमें यह भी नहीं मालूम है कि जमींदारी अबालिशन के बाद नेशनल वेल्थ बढ़ेगी या घटेगी। यह प्वाइन्ट्स (बात) हैं जिनकी रोशनी में आपको गौर करना है। आपको यह भी देखना है कि यह जो लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट्स इस वक्त चल रहा है, जिसको आप कई बार दोहरा चुके हैं, उसमें अब कोई लूपहोल रह गया है या नहीं और अगर कोई लूप होल रह गया है तो उसको भी दूर कर दिया जाय। इसी के साथ जमींदारों को मुआविज़ा

दिया जाय और इक्वीटेबिली दिया जाय जैसा कि आपने उनसे प्लेज (वादा) किया है। और उनको जो मुआविजा दिया जाय वह कैश की सूरत में दिया जाय ताकि वह आप के ऊपर लायबिलिटी न रहे और वह आपको नेशनल वेल्थ बढ़ाने में मदद दे सके। आप उनको बैकवर्ड न बनाइए। अगर आप उनको बैकवर्ड क्लास बनायेंगे तो उससे मुल्क का फायदा नहीं होगा। मैं माफ़ किया जाऊं अगर मैं यह अर्ज करूं "खताए बुजुर्गां गिरि-फ्तन खता अस्त" बुजुर्गों की खता को पकड़ना भी खता है। हमारे वज़ीर माल एक क़ाबिल वकील हैं लेकिन इस वक्त वह ६ करोड़ इंसानों का फैसला करने जा रहे हैं। यह इतना बड़ा काम है कि इसमें हर शख्स कंफ़्यूज हो (धोखे में आ) सकता है। इंसान इंसान है, वह गलती कर सकता है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि अगर कोई बुजुर्ग ग़लती करे और एक इंसान यह समझे कि वाक़यी उसकी गल्ती से न सिर्फ उसे नुक्सान पहुंचेगा बल्कि ६ करोड़ इंसानों को नुक्सान पहुंचेगा और यह एक ऐसा धब्बा होगा जिसको आने वाली जनरेशन्स (नस्लें) अच्छा नहीं कहेंगी, तो उस इंसान का यह फर्ज है कि वह निहायत अदब के साथ उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ ले और उससे यह कह दे कि आप ऐसा न कीजिए। इसी तरह मैं यह अर्ज करूंगा कि आपने इस बिल में जमींदारों के लिये और जमींदारों के डिपेंडेंट्स के लिए काफ़ी प्राविज़न नहीं रक्खा है। यह बिल जमींदारों के सरवेन्ट्स (नौकरों) को तो बिल्कुल ही इग्नोर (नजरअन्दाज़) करता है और आइन्दा उनका जमींदारों से कोई ताल्लुक भी नहीं रहेगा और अगर फिर भी उनका ताल्लुक इससे जोड़ना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप भूमिधरों में भी दो क्लास बनाना चाहते हैं। हमने प्लेज किया है कि क्लासलेस सोसाइटी (वर्गहीन समाज) बनायेंगे तो उसके बदले में आप मुल्क में बैकवार्ड क्लास न बनाइए जिससे कि सूबे पर और ज्यादा लायबिलिटीज हो जायें। इससे हमारे सूबे का बड़ा ही नुकसान होगा। मैंने कुछ लम्बी तक़रीर की है जिसमें बहुत सी बातें कही हैं, हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसे कलमे भी निकल गये हों जो नामुनासिब हों तो उनके लिये मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि हर जमींदार को मिलकर इस जमींदारी एबालिशन बिल को कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिये और गवर्नमेन्ट से इस बात की दरख्वास्त करनी चाहिये, अपील करनी चाहिए बल्कि मजबूर कर देना चाहिए कि वह जमींदारों को नकद मुआविजा दे। हो सकता है कि सर-कार के इस जमींदारी एबालिशन फंड में भी कुछ रुपया जमा हो जाय। इस फंड के रुपया इकट्ठा करने में भी हर एक जमींदार को सरकार की मदद करनी चाहिये और उसका साथ देना चाहिए। लेकिन इमानदारी की अगर कोई बात हो सकती है तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा रुपया वसूल होने की सूरत नजर नहीं आती है। उस सूरत में आप अमेरिका से क़र्ज लें या निज़ाम हैदराबाद से कर्ज़ लें और जमींदारों को नक़द मुआविज़ा दें जिससे वे इस रुपये को किसी कारबार में लगा सकें और अपने बाल-बच्चों की रोटी का इन्तजाम कर सकें। अगर आप कर्जा लेंगे तो किसानों को भी भूमि-धरी का राइट (अधिकार) दे देंगे और इससे सोशलिस्ट पार्टी का मुंह भी बन्द हो जायगा। आप इसके ज़रिये जो आधा रेंट करीब ९ करोड़ के फोरगो (छोड़) कर रहे हैं वह भी बच जायगा, बेकार के बादरेशन (परेशानी) से बच जायेंगे और आपका एक्सट्रा एक्सपेंडीचर (जायद खर्चा) भी बच जाएगा। जमींदारों का प्राबलम (मसला) भी साल्व (हल) हो जायगा और मुल्क व सूबे के ऊपर कोई लायबिलिटीज़ भी नहीं होंगी। हमारा सूबा खुशहाल बन जायगा। इसलिये मैं बहुत अदब के साथ आनरेबिल वज़ीर माल से यह अर्ज करूंगा कि वह एक बार फिर इस बिल पर अपनी फुरसत के मौके पर ठंडे दिल से गौर करें और इस बात की कोशिश करें कि जमींदार भी अपनी ज़मींदारी खत्म होने के बाद कायम रह सकें। जमींदारों के साथ तो आपकी पूरी सिमपैथी होनी चाहिये। आपको चाहिये कि जमींदारों को किसी सूरत से देहात का लीडर बना कर डेवलपमेंट (तरक्क़ी) के प्रोग्राम में इनीशिएटिव दिलावें। ये सब चीजे हैं जिनके ऊपर आपको गौर करना है। वक्त है, फुरसत है और शायद इसके बाद फिर मौका

[श्री सुल्तान आलम खां]

नहीं आवे। कौन जानता है कि जो नया एलेक्शन (चुनाव) होने वाला है उस एलेक्शन में क्या होगा? एलेक्शन में एक रात में पांसा पलटता है और इस हाउस में जो यह कांग्रेस की हुकूमत है इसको मुल्क के फ़ायदे के लिहाज से अभी बरसरे इक्तदार रहना जरूरी है। मुमकिन है कि मेरे इस ख्याल से कुछ लोग इख्तिलाफ़ करें लेकिन मेरे नजदीक कोई भी ऐसी पार्टी दूसरी नहीं है जो मुल्क को ठीक तरह से सम्भाल सके। मैं इसको इमानदारी के साथ महसूस करता हूं और इस बात को समझता हूं कि कांग्रेस हुकूमत का रहना अभी जरूरी है जबकि कम्युनिज्म हिन्दुस्तान के गेट (दरवाजे) पर आ रहा है। कामन वेल्थ कांफ्रेंस, कोलम्बो में भी यह कहा गया है कि जब तक एशिया का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग (रहन-सहन का स्तर) नहीं बढ़ाया जाता है तब तक कम्युनिज्म किसी के रोके भी नहीं रुक सकता है। यह सिर्फ यू० पी० के ही दायरे में महदूद नहीं है बल्कि इंटरनेशनल प्राबलम है और इसका स्कोप (दायरा) बहुत ज्यादा है। अगर आप इस बात को महसूस करते हैं कि जमींदार जमींदारी के खातमे के बाद बेकार और मुफलिस इंसान न बनें, सोसाइटी के लिये लायबिलिटी न हों और उनकी वजह से सूबे के अमन व अमान को खतरा न हो तो मैं निहायत अदब के साथ लेकिन मेरे अल्फाज में जितना जोर हो सकता है तमाम जोर के साथ इस बात की अपील करता हूं कि आप इस बिल को एक बार फिर पढ़ें। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पीस मील लेजिस्लेशन (टुकड़े-टुकड़े का कानूनसाजी) बड़ी बुरी बात होती है। जो वैकुअम (रिक्त स्थान) है उस को आप कैसे भरेंगे? इसको आपको सोचना है कि जमींदारी खतम होने के बाद क्या इन्तजाम करना है? मुझे यक़ीन है कि आप जमींदारों के साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं और किसी फैसले पर पहुंचने के पहिले इस बिल पर जरूर गौर करेंगे। मैं जानता हूं कि जमींदार पुराने गुनहगार हैं लेकिन कोई पुराना गुनहगार जेल काटने के बाद कैद से निकले और उसे फिर कैदी कहें यह मुनासिब नहीं मालूम होता। तो जमींदारी खतम हो गई। जो जमींदारी के खिलाफ शिकायत थी वह भी उसके साथ खतम हो गई। इनके माथे पर जो एक बुराई का टीका लगा हुआ था वह सब खतम हो गया। अब उनके खिलाफ और ज्यादा कुछ कहना मोरलिटी (इख़लाक़) के खिलाफ़ है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। फायदा तो इसमें है कि उनके साथ अब इन्साफ का बर्ताव किया जाय ताकि सूबे के आने वाले खतरों से बच जायं। अगर हम इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ सकें तो आपका नाम रोशन रहेगा और जब यह बिल स्टैच्यूट बुक पर आएगा उसके साथ हमारी पापुलर गवर्नमेन्ट के प्रधान मंत्री और वजीरे माल जिन्होंने इसको पायलेट किया है उनका नाम अच्छी तरह से इस पर रहेगा। वरना जब वक्त गुजर जायगा तो लोग यही कहेंगे कि सूबे की एक हुकूमत थी जिन्होंने इस ग़लती को किया। उन्होंने ऐसा क़ानून बनाया जिससे न काश्तकारों को कोई फायदा पहुंचा और न जमींदारों को कोई नफ़ा पहुंचा। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अपनी तक़रीर को खतम करता हूं।

श्री कमलापति तिवारी---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक मेरे लायक दोस्त सुल्तान आलम खां साहब अपना भाषण कर रहे थे। यदि मैं गलती नहीं करता तो शायद कल और आज को मिलाकर उन्होंने १३५ मिनट अपना भाषण किया और अच्छा हुआ होता कि इसी सिलसिले में जो अब १५ मिनट बाकी है वह और जारी रखते और फिर जब आपकी कृपा से भोजन करने की छुट्टी हो गई होती उसके बाद जब २ बजे से अधिवेशन आरम्भ होता तो कदाचित में बोलता क्योंकि १५ मिनट में शायद मैं उन बातों को पूरा नहीं कर सकूंगा जो कहना चाहता हूं और इसलिये बीच में छुट्टी होने से बोलने में कुछ थोड़ा सा व्याघात हो जायगा। परन्तु बदकिस्मती थी कि उन्होंने १५ मिनट पहिले ही अपना भाषण खतम कर दिया। और उनके लम्बे भाषण का बोझा तो सिर से जरूर हटा फिर भी जो काम मैंने अपने सिर पर उठाया है उसमें थोड़ी रुकावट पड़ गई।

आज ५ रोज से इस बिल के ऊपर बहस हो रही है। अध्यक्ष महोदय, यह बहस अगर मोटे उसूल पर शुरू हुई होती तो शायद एक दिन में ही यह खतम हो गई होती या ३, ४ घंटे और लगे होते। जमींदारी के विनाश का मामला कोई ऐसा मामला नहीं है जो हम सब के सामने या इस हाउस के सामने कोई नया मामला हो। जहां तक हमारे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में जमींदारी के मिटाने का सवाल है सब जानते हैं कि यह मसला आज १८, २० वर्षों से हमारे सामने है। शायद ही ऐसा कोई दूसरा मसला हो जिसके ऊपर इतना विचार किया गया हो जितना कि इस जमींदारी के विनाश के मामले पर किया जा चुका है। इस समस्या के सम्बन्ध में १८ वर्षों से सभा-मंचों, समाचार पत्रों के स्तम्भों, समितियों में, राजनीतिक संगठनों में, सम्मेलनों में, सदा विचार होता रहा है और हमारे प्रान्त के आर्थिक और सामाजिक जीवन का यह एक ऐसा मुख्य अंग रहा है कि इसके ऊपर हमारे प्रान्त के अच्छे अच्छे अर्थ-शास्त्र के विशेषज्ञों ने भी विचार किया है और बड़ा साहित्य तैयार किया है। इस सभा के सामने जमींदारी के मसले पर यदि मैं ज्यादा भूल नहीं करता तो पिछले १०, १२ वर्षों में कई बार विचार हो चुका है। जब पिछली असेम्बली के जमाने में काश्तकारी का कानून पेश था तब भी जमींदारी के मसले पर और उस के हर पहलू पर विचार किया जा चुका है। इस बार भी साल-डेढ़ साल पहिले जब काश्तकारी संशोधन कानून यहां पेश था विचार हो चुका है। जब इस असेम्बली में यह मसला पहिले आया था और जिस समय जमींदारी विनाश कमेटी बनी थी तब भी इस पर विचार हो चुका है। उसके बाद फिर यह बिल आया और बिल के प्रथम वाचन पर विचार हुआ और अब इस समय भी ५ रोज से बराबर विचार हो रहा है। मैं देखता हूं कि जितनी बातें पहिले कही जा चुकी हैं वही बार-बार यहां फिर से दोहराई जा रही हैं और कोई नया तर्क या नई दलील उसको मिटाने या कायम रखने के पक्ष में पेश नहीं हुई है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बहस में कोई नई चीज नहीं है और अगर यह साधारण उसूलों पर ही जारी की गई होती तो एक दो दिन में समाप्त हो गई होती। आज ५ रोज हो चुके हैं और मसले पर बहस जारी है तथापि मैं आज आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और थोड़े में साधारण सिद्धान्तों के ही विषय में अपने विचार प्रकट करूंगा।

जहां तक बिल की धाराओं की तफसील का सवाल है मैं द्वितीय वाचन के अवसर पर जब धारावाहिक विचार होगा तब ही कुछ बातें कहूंगा। श्री सुल्तान आलम खां साहब ने जमींदारी के मसले को बड़े जोश के साथ और बड़ी लियाक़त के साथ और बड़ी सरगर्मी और तेज़ी के साथ हाउस के सामने रखा है। मेरी समझ में जमींदारों को उन से अच्छा वकील शायद और कोई दूसरा मिल नहीं सकता था और मुझे इसमें भी संदेह है कि उनसे अच्छा वकील जमींदारों को कभी मिल सकेगा। उन्होंने बिल की धाराओं का काफी अध्ययन किया है और एक के बाद दूसरी तमाम बिल की धाराओं पर उन्होंने विचार प्रकट किया है। उन्होंने धारा १२४, ६, १३, १७ और ना मालूम कितनी धाराओं का जिक्र किया है। मैं तो समझता हूं कि जब धारावाहिक विचार होता उस समय यह सब बातें आती तो अच्छा था और इस तरह से समय काफी बच जाता और एक दो घंटा दूसरे भाइयों को भी बोलने को मिल जाता। इससे पहिले कि मैं और बातों का जिक्र करूं मैं दो तीन बातें सरकार से कहना चाहता हूं। आप की विशिष्ट समिति ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें आपने कुछ सुधार किए हैं और मैं देखता हूं कि उनसे यह बिल कुछ उन्नत हुआ है और विकसित हुआ है परन्तु कहीं कहीं मेरी समझ में कुछ और होने की जरूरत थी जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आपने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसे काश्तकार और तबैयतें रखी हैं जिनको भूमिधरी के अधिकार पाने के लिये दस गुना लगान दे देना चाहिए। इसके साथ कुछ दूसरे तरह के जैसे अवध के परमानेन्ट टेन्योर होल्डर और बनारस कमिश्नरी के शरहमुअइयन काश्तकार हैं जो भूमिधरी अधिकारों को बिना

[श्री गणपति तिवारी]

दस गुना दिए हुए भी पा लेंगे। मैं समझता हूं कि यह आपने बड़ी मुनासिब बात की है और विशिष्ट समिति ने जो सिफारिश इस संबंध में की है वह ठीक है। हमारी कमिश्नरी का स्थायी बन्दोबस्त एक ऐतिहासिक घटना है और एक बड़ा भारी किसानों का तबका उन अधिकारों का उपयोग कर रहा है जो सैकड़ों वर्ष पहिले अंग्रेजी साम्राज्य के जमाने में उनको मिले थे। उन काश्तकारों को रेहन-बय का भी अधिकार है और उनको यह भी हक है कि उनके लगान में कोई इजाफ़ा नहीं होगा यानी उस लगान में कि जो लार्ड कार्नवालिस के जमाने में तै कर दी गई थी जिसको इन्किनी बन्दोबस्त कहते हैं और उसके बाद आज तक कुछ भी नहीं बढ़ाया गया है। आप ने भी उन्हें भूमिधर स्वीकार करके मुनासिब ही किया है। लेकिन आप की रिपोर्ट में धारा २० में इस बात का जिक्र है कि दवामी पट्टेवाले काश्तकार को तथा इस्तमरारी पट्टेदार को नीरदार माना जायगा। मेरी प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व सचिव थोड़ा सा विचार कर लें।

मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी कमिश्नरी में ऐसे इस्तमरारी पट्टे हैं जिनको पटवारी कागज में जिम्न ९ और १० में लिखते हैं परन्तु वस्तुतः उन्हें वही हक मिला हुआ है जो शरहमुअइयन के काश्तकारों को है। हमारे यहां जमींदारों ने पट्टे इस्तमरारी किए हैं और उन पट्टों की शर्तें वही हैं जिनसे पट्टेदारों को वह हक मिले हैं, जो शरहमुअइयन के काश्तकार को है। उन काश्तकारों को पेड़ लगाने का हक है। मकान बनाने का हक है। उन्हें रेहन और बय करने का हक है। जमींदारों ने काफी लम्बा और चौड़ा नजराना लेकर उन जमीनों को बेचा है। पटवारी के कागज में यद्यपि पट्टेदार की नवैयत जिम्न ९ में दर्ज होती रहीं पर वास्तव में जमींदार ने रुपया लेकर उन्हें शरहमुअइयन बनाया था। आज उनसे दस गुना लगान मांगा जाता है। वे दसगुना लगान देकर भूमिधर हो सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले में और कमिश्नरी में इस सम्बन्ध में बड़ा विरोध है और क्षोभ है। काश्तकार कहते हैं कि हमने नजराना जमीन का देकर पट्टा लिखाया है और हक हासिल किया है। नजराने की रकम लिखी हुई है। रजिस्ट्री शुदा पट्टों में वे एक बार जमीन के दाम दे चुके। दूसरी बार फिर उसी जमीन के दाम मांगे जा रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह के पट्टेदारों को भी आप उसी तरह बिना दस गुना लगान के भूमिधर स्वीकार कर लें जिस तरह आप शरह मुअइयन के काश्तकारों को स्वीकार करने जा रहे हैं। दूसरी बात वह है जिसकी तरफ आप की सिलेक्ट कमेटी का ध्यान नहीं गया और आप का ध्यान भी नहीं गया। मेरी समझ में वह एक भूल है। मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जब सन् १९४७ में आपने काश्तकारी कानून का संशोधन किया, उस कानून में दफ़ा १७१ में जो काश्तकार बेदखल हो गए थे उनकी जमीन वापस करने की व्यवस्था की गई है। जिस समय पुराने जमाने में कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दिया और लड़ाई शुरू हुई तो हमारे देश में सत्याग्रह और सन् ४२ ई० का क्रान्तिकारी आन्दोलन चला। जमींदारों ने अवसर से अनुचित लाभ उठाया और हमारे सूबे में हजारों एकड़ जमीन से लाखों किसान दफा १७१ में बेदखल किये गए। वह आपका कानून जो सन् ३९ ई० में बना था उस कानून का दुरुपयोग किया गया। उसके अर्थ का अनर्थ किया गया। लाखों किसान बेदखल किये गए। सन् ४६ ई० में जब फिर कांग्रेस सरकार बनी तो उस कानून में आपने संशोधन किया। उस संशोधन के द्वारा किसानों को जमीन कुछ शर्तों के साथ वापस की गई। आपके सामने उस समय सवाल यह था कि जिन जमीनों से जमींदारों ने काश्तकारों को बेदखल किया था उन जमीनों का बन्दोबस्त अगर जमींदारों ने दूसरे काश्तकारों से नजराना लेकर उनके साथ कर दिया हो तो वह जमीन फिर पुराने काश्तकार को कैसे वापस की जाय। अब यह बड़ा सवाल था कि उन बेचारे काश्तकारों का नुकसान होगा जिन्होंने

नजराने देकर उन जमीनों को अपने नाम लिया है और काबिज है। बहुत सोचने-विचारने के बाद आपने उक्त संशोधन कानून में यह व्यवस्था की कि जमींदारों ने जिन जमीनों का बन्दोबस्त कर दिया है वह जमीने उन काश्तकारों के पास ३ साल तक शिकमी की तरह से उनकी जोत में रहेगी और वे उन पर काबिज रहेंगे। ३ साल के बाद वह जमीन उन बेदखलशुदा पुराने काश्तकारों को वापस हो जायंगी, जिन जमीनों का जमींदारों ने कोई बन्दोबस्त नहीं किया था वह जमीनें तुरन्त काश्तकारों को वापस हुई।

मैं जहां तक जानता हूं मेरे जिले में ऐसी हजारों बीघे जमीन है जो बेदखल हुई थी दफ़ा १७१ में उक्त संशोधन कानून बनने के बाद मामले लड़े गए, काश्तकारों की डिग्री हुई और यह हुआ कि दफ़ा १७१ में जो जमीन बेदखल की गई है वह वापिस कर दी जाय पुराने काश्तकारों को। लेकिन बहुत सी जमीनें जिन पर शिकमी क़ाबिज़ था, आपके इस क़ानून के मुताबिक गत तीन साल से उसी के क़ब्जे में रह गई। आज जब यह क़ानून बन रहा है इसके मुताबिक़ पटवारी के काग़ज़ में जो शिकमी जिस जमीन पर है वह पांच साल तक अधिवासी रहेगा और उसके बाद वह भूमिधर हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि सन् ४६ ई० के संशोधन कानून के मुताबिक दफ़ा १७१ में जिन्होंने अपनी जमीनें वापिस पाई है, लेकिन क़ब्जा नहीं कर सके, इसलिये कि उनके ऊपर शिकमी क़ाबिज है, उनका क्या होगा ? मैं जहां तक देखता हूं आपके इस क़ानून में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अपने राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि तीन साल से जो शिकमी उस पर क़ाबिज है वह उस पर क़ाबिज़ रहेगा और अगर पांच साल तक अधिवासी रह कर वह भूमिधर हो जायगा तो उन पुराने काश्तकारों को जिनको जमीन वापिस मिलनी चाहिये क्या मिलेगी ? इस मामले को साफ़ कर देना चाहिये।

श्री रमाशंकर लाल--वह तो असामी होगा, यह तो लिखा है।

श्री कमलापति तिवारी--शिकमी तीन साल के लिये काग़ज में दर्ज है। उसके बाद क्या स्थिति होगी यह देखना होगा। भाई रामशंकर लाल जी तो मुख्तार हैं। मैं मुख्तार नहीं हूं। मैं तो एक ले मैन हूं और सीधा हिसाब जानना चाहता हूं। इस विषय में यदि क़ानून में कोई स्पष्टीकरण नहीं है तो वह हो जाना चाहिये अन्यथा कोई कहेगा असामी है, कोई कहेगा अधिवासी है।

एक तीसरी बात, जिसके बारे में कुछ मित्रों ने यहां प्रश्न उठाया भी और भाई फूल सिंह जी ने भी कहा, पेड़ों के सम्बन्ध में है। बहुत से पेड़ काश्तकारों ने परती में लगा रक्खे हैं जो काश्तकारों के पेड़ हैं, जिनकी काश्तकार पोत देता है जमींदार को। बहुत से पेड़ काश्तकारों के खेतों के मेड़ों पर लगे हैं। उनकी हैसियत क्या होगी ? अभी मैं जहां तक समझ पाया हूं, इस प्रकार परती में लगे हुए जो पेड़ हैं वे शायद गांव-सभा की सम्पत्ति हो जायं अथवा जमींदार की सम्पत्ति हो जायं। परती में लगे हुए इस तरह के पेड़ जिनका पोत काश्तकार देता रहा है, उनके सम्बन्ध में यह जरूरी है कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाय कि जिन काश्तकारों के वे पेड़ हैं वे उनको मिल जायं। यह मुत्फर्रकात के काश्तकारों की बहुत बड़ी सम्पत्ति है। काश्तकारों को गांवों में जितनी लकड़ी की जरूरत पड़ती रही आज तक तो वे जमींदारों से पाते रहे या अपने पेड़ों से पाते रहे। आगे भी इस तरह से परती में लगे हुए पेड़ उसको मिल जाने चाहिए। इन पेड़ों को उन से ले लेना गरीबों की संपत्ति ले लेना होगा।

(इस समय १ बजे भवन स्थगित हुआ और २ बजे श्री नफ़ीसुल हसन डिप्टी, स्पीकर की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

डिप्टी स्पीकर--अभी कोरम पूरा नहीं है, इसलिये २-३ मिनट बाद, कोरम पूरा होने पर, कार्यवाही आरम्भ होगी।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा हुआ।)

भारतीय पार्लियामेन्ट में पच्चीस रिक्त स्थानों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा

डिप्टी स्पीकर—भारतीय पार्लियामेंट के २५ रिक्त स्थानों के लिये ३६ नामों के पत्र प्राप्त हुए हैं। इनकी घोषणा कल भवन में कर दी गई थी। आज एक बजे तक का समय नामों की वापसी के लिये नियुक्त किया गया था। इन ३६ में से १० उम्मीदवारों ने अपने नाम वापिस ले लिये हैं और जो वापसी के पत्र आए हैं वे भी सब ठीक पाए गए हैं। अब २६ उम्मीदवार रह गये हैं और उनके नाम ये हैं :—

श्री हाफिज शेख रफीउद्दीन साहिब, श्री लक्ष्मी शंकर यादव, जौनपुर, श्री जाकिर हुसैन खां, अलीगढ़; श्रीमती सुचेता कृपलानी, मेरठ, श्रीमती उमा नेहरू, लखनऊ, श्री सादिक-अली, बनारस; श्री मुहम्मद हिफजुर्रहमान, देहली; श्री मुनीश्वरदत्त उपाध्याय, प्रतापगढ़; श्री कृष्णचन्द्र शर्मा, मेरठ; श्री गोपीनाथ सिंह, कानपुर; श्री के० के० भट्टाचार्य, इलाहाबाद; श्री आर० यू० सिंह, लखनऊ; श्री इन्द्रविद्या वाचस्पति, हरिद्वार; श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, बनारस; श्री हरिहरनाथ शास्त्री और श्री बेनीसिंह, कानपुर; श्री नेमीशरण जैन, बिजनौर; श्री कृष्णचन्द्र राय, गाजीपुर; श्री सूर्यप्रसाद मिश्र, देवरिया; श्री शिवचरणलाल, इलाहाबाद; श्री गुलजार सिंह, मेरठ; श्री देवीदत्त पन्त, अल्मोड़ा; श्री नरदेव स्नातक, मथुरा; श्री बलदेव सिंह आर्य, गढ़वाल; श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि, बुलन्दशहर; और श्री सोहनलाल बस्ती।

अब जैसी कि पहिले इत्तिला की गई है, यह चुनाव रीडिंग रूम में कल ग्यारह और चार बजे के बीच में होगा।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—एक नाम गलत है, इसका संशोधन मैं करना चाहता हूं। कल भी इशारा किया गया था कि गाजीपुर के कृष्णचन्द्र राय जो लिखा है वह कृष्णानन्द राय होना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर—कृष्णानन्द राय ही लिखा हुआ है, सही है। मेरे पढ़ने में गालिबन गलती थी।

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—जनाब ने जो नाम सुनाये हैं उनमें एक नाम रफीउद्दीन साहब का है वह मुस्लिम सीट के उम्मीदवार हैं। तो जनाब ने इलेक्शन होना जो तजवीज फरमाया है उसकी जरूरत तो मेरे खयाल में नहीं होगी।

डिप्टी स्पीकर—मैंने जहां तक कायदे देखे हैं, मैं यह समझता हूं कि तीन जगह मुसल्मानों के लिये महफूज कर दी गई हैं और चार जगह शिड्यूल कास्ट के लिये। लेकिन यह लाजिमी नहीं है कि वह तीन या चार से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, इसलिये इलेक्शन का होना तो लाजिमी है। यह नहीं हो सकता कि बाकी बचे हुए लोग चुने हुये घोषित कर दिये जायें।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल (जारी)

श्री कमलापति तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मध्याह्न के अधिवेशन के पूर्व इस बिल की कुछ बातों की ओर राजस्व सचिव का ध्यान आकर्षित कर रहा था और मैंने उनकी सेवा में दो तीन बातें निवेदन भी की थीं। अब मैं साधारणतया इस बिल के स्वरूप की ओर दृष्टिपात करना चाहता हूं और इस बिल का समर्थन करने का प्रयास करना चाहता हूं। जो बिल इस सरकार की ओर से पेश किया गया है उसके लिये इस सरकार की और विशेष कर राजस्व सचिव की जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश के इतिहास में और विशेष कर इस युग के इतिहास में जिसका प्रादुर्भाव देश की स्वतन्त्रता के बाद हुआ है यह कदाचित इस सरकार का सबसे महान प्रयास है जो सारे देश के लिये मार्ग प्रदर्शन का काम करेगा।

अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक पराधीनता के बाद यदि किसी देश में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना होती है तो निश्चय ही अनिवार्यतः इसके बाद सामाजिक और आर्थिक

क्रांति का सूत्रपात होता है। राजनीतिक पराधीनता, स्वयं कोई लक्ष्य नहीं हुआ करती। अगर स्वाधीनता प्राप्त की जाती है तो वह साधन बनती है, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की। राजनीतिक स्वतंत्रता हम चाहते हैं, इसलिये कि हमारा सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन समुन्नत हो और हम अपने उद्देश्यों की सिद्धि कर सकें और वह लक्ष्य होता है जब हम सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ले। हम चाहते है आज एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी व्यवस्था जिसमे समाज का जीवन परिस्फुटित और विकसित हो सके। हमारे देश की राजनीतिक पराधीनता हमारे जीवन मार्ग को कुंठित कर रही थी और विकास के पथ का अवरोधन कर रही थी। यही कारण था कि हमने सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की थी कि हम अपनी राजनीतिक पराधीनता का अंत करें। स्वाधीनता हमें प्राप्त हुई और इसके बाद आज देश में नये युग का प्रादुर्भाव हुआ है। हमारे देश का यह युग एक क्रांति के बाद दूसरी क्रांति में पदार्पण कर रहा है। अंग्रेजी राज्य में इस देश का जीवन एक शून्यता और रिक्तता में पड़ा हुआ था। जब कोई विदेशी सत्ता आती है तो उसका धर्म हो जाता है कि वह जिस देश पर शासनारूढ़ होती है वहां के समाज का संगठन, आर्थिक संगठन व राजनीतिक संगठन और यदि सम्भव हो तो सांस्कृतिक संगठन भी इस प्रकार का बना ले जो उसके हित के अनुकूल हो और विदेशी राज्यों का इतिहास इस बात का साक्षी है। हमारे देश में गत १५० वर्षों से अंग्रेजी राज्य का एकमात्र लक्ष्य यही था कि इस देश को सामाजिक और आर्थिक संगठन को कुंठित करे और जो व्यवस्था बने वह ऐसा ही हो जो उसके हित के अनुकूल हो। अगर आप अपने इतिहास पर दृष्टिपात करे तो आप यह देखेंगे कि जिस युग मे अंग्रेजी राज्य यहां पर स्थापित हुआ, वह ऐसा युग था जब दुनिया मे एक नई धारा, एक नई संस्कृति, और नया जीवन उत्पन्न हो चुका था और जिसका परिणाम था अंग्रेजों का इस देश मे आगमन। इंगलैंड की औद्योगिक क्रान्ति के बाद उत्पादन के जो नये तरीके उत्पन्न हुए, उत्पादन के जो नये साधन प्राप्त हुये उनकी भित्ति पर पश्चिम मे एक नया राजनीतिक और आर्थिक संगठन बना। उस राजनीतिक और आर्थिक संगठन की भित्ति पर एक नई संस्कृति ने जीवन ग्रहण किया। उस संस्कृति का प्रवाह था जो अंग्रेजों को यहां ले आया। औद्योगिक क्रान्ति के बाद पश्चिम मे जो उत्पादन की नई प्रणाली चली उससे सारा संसार एक कोने से दूसरे कोने तक प्रभावित हुआ। हिन्दुस्तान की संस्कृति बहुत पुरानी थी। अंग्रेज यहां आये और यहां आने के बाद उन्होंने इस बात की कोशिश की कि यह देश नये लहर से, नये ढंग से, समाज के नये प्रवाह से, संस्कृति की नई धारा से प्रभावित न होने पावे और यदि आप अपने इतिहास को देखे तो आप पायेंगे कि बलपूर्वक उन्होंने इस धारा का आगमन इस देश मे रोका। हिन्दुस्तान में जो पुराना आर्थिक और सामाजिक संगठन था उसको चूर किया और उसकी बुनियाद पर ऐसे संगठन को खड़ा करने की कोशिश की जो उनके लिये सहायक हो। एक पराधीन देश का यह दुर्भाग्य होता है, यह उसके पाप का फल होता है कि स्वाभाविक ढंग से जो उसके विकास का मार्ग है वह कुंठित कर दिया जाए। परिणामस्वरूप हमारे देश की यह दुर्दशा हुई कि हमारा जो कुछ था वह भी चूर हुआ और जो बाहर से लाकर हम अपना निर्माण कर सकते थे उसका मार्ग भी अवरुद्ध किया गया। इस शून्यता, रिक्तता मे पड़ा हुआ यह देश, १५० वर्षों की गुलामी के बाद जब छूटा है तो निश्चय ही स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् वह अपने हित के अनुकूल अपने समाज और अपनी आर्थिक व्यवस्था का संगठन बनाने की चेष्टा करेगा और आज यदि आप अपने देश के जीवन पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि सारे देश का सामाजिक जीवन एक प्रकार की उथल-पुथल, एक प्रकार के क्रांति-युग से बीत रहा है और प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे इस प्रांत की सरकार ने उस सामाजिक क्रान्ति के सूत्र को अपने हाथ मे ग्रहण किया है। और मैं समझता हूं कि यह बिल उस सूत्र के ग्रहण करने का परिचायक है और उसका बड़ा भारी प्रतीक है। दुनिया के इतिहास मे सामाजिक क्रान्तियां बहुत हुई है, राजनीतिक और आर्थिक क्रान्तियां भी बहुत हुई है। हमारे देश की वही विप्लव की धारा भी बह चली

[श्री कमलापति तिवारी]

है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश के राजनीति [illegible] दुनिया की राजनीतिक क्रान्तियों में जिस प्रकार एक नया [illegible] प्रकार [illegible] देश की सामाजिक क्रान्ति और [illegible] नेतृत्व [illegible] द्वारा [illegible] विशेष कर कांग्रेसजनों द्वारा दुनिया [illegible] सामाजिक और आर्थिक [illegible] के [illegible] एक नया पृष्ठ जोड़ने वाला होगा। हमने आज तक कभी [illegible] हीन होते, मानवता-सम्मत होते नहीं देखा। [illegible] रक्तपात, शस्त्र और शक्ति, रक्त और [illegible] राजनीतिक विप्लव सफल हुआ, गान्धी जी के नेतृत्व में, [illegible] और मैं देख रहा हूं कि [illegible] भारी अध्याय [illegible] प्रान्त की सरकार ने [illegible] बाद जो सामाजिक क्रान्ति [illegible] ने सामन्तवादी पुरानी [illegible] हुआ। वह बिना किसी प्रकार [illegible] रक्तपात के बिना, किसी प्रकार की [illegible] किया गया। यह एक [illegible] भारी घटना [illegible] कि इस घटना से कितनी बड़ी यह घटना घटने जा रही है [illegible] बनाया हुआ यह बिल है। [illegible] के द्वारा [illegible] ऐसी प्रथा का अन्त होने जा रहा है जो कि न केवल हमारे [illegible] प्रतिकूल थी, [illegible] हमारे सामाजिक जीवन के प्रतिकूल थी, जो कि न केवल भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल थी, [illegible] प्रान्त के करोड़ों नर-नारियों के सिर पर पिशाचिनी की भांति चढ़ कर बैठी हुई थी। एक ऐसी प्रथा का अन्त होने जा रहा है, जिसका जन्म विदेशी शासन में हुआ, विदेशी शासन ने जिसको परिवर्धित किया और जिसकी रक्षा भी विदेशी शासन करता रहा, एक ऐसी प्रथा का अन्त इस बिल के द्वारा होने जा रहा है। और मैं नम्रता से निवेदन करता हूं कि देशी रियासतों को मिटाना कदाचित् इस जमींदारी के मिटाने से सरल था। इसलिये सरल था कि हमारे देश के देशी नरेश जनता के जीवन से दूर, ऊंचे कटी [illegible] हुए थे, जिनका कोई सम्पर्क जनता के सामाजिक जीवन से न था, वे लोक में अप्रिय होते हुए भी अधिकार का उपभोग करते थे। उनकी कोई सुदृढ़ स्थिति न थी। ब्रिटिश बन्दूके उनकी रक्षा करती थी। यदि वे शान्तिपूर्वक न मिटा दिये गये होते तो वे बलपूर्वक मिटा दिये जाते।

उनके मिटने पर उनके पक्ष में उनके लिये रोने वाला कदाचित् कोई व्यक्ति भी न था। परन्तु यह जमींदारी प्रथा जिस का मुख्य दुर्ग हमारे प्रान्त में है जो अप्रिय और अनपेक्षित होते हुए भी जनता के जीवन से सम्बद्ध है, जिससे करोड़ों आदमी प्रभावित है, ऐसी प्रथा है जो हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन में अपना अभिनय करती रही है, इस प्रथा को मिटाने के लिये जो बिल पेश किया गया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी ही है, साथ ही साथ यदि निष्पक्ष दृष्टि से कोई विचार करे तो वह स्वीकार करेगा कि इस बिल के द्वारा संसार के सामाजिक और आर्थिक क्रान्तियों में हमारी प्रान्तीय सरकार का यह नया [illegible] जोड़ने जा रही है जो इस बात का परिचायक होगा कि सामाजिक और आर्थिक क्रान्तियां भी हिंसा हीन ढंग से, रक्तहीन ढंग से, बिना किसी शस्त्र और शक्ति के चरितार्थ हुए की जा सकती है। और इसी दृष्टिकोण से मैं तो इस बिल की भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। साथ-साथ मैं यह भी समझता हूं कि यह बिल वास्तव में उस चीज को ले आ रहा है जिसे हमने अंग्रेजी राज्य में खो दिया था। यदि अपने देश के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो आप इस बात को देखेंगे कि हमारे देश की संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति तो थी ही साथ ही साथ देश में भूमि स्वामित्व हमेशा कृषकों का रहा है। खेतिहर हमेशा ही भूमि का मालिक रहा है। हमारे यहां पुराणों में पढ़ें, बौद्ध जातकों में देखें, उपनिषदों में देखें, स्मृतियों को भी देखें, स्वयं वेद की ऋचाओं में देखें,

ब्राह्मण ग्रन्थों में देखें, कवियों के ग्रन्थों में देखें, सहित्य के वाङमय में देखें सर्वत्र एक बात मिलेगी कि इस देश में भूमि का स्वामित्व किसानों को प्राप्त था। ऐसी अनेक कथायें पुराणों में हैं जहां राजाओं ने दान देते समय यह कहा है कि भूमि तो है प्रजा की कर जो है प्रजा का हम तो उसके वेतनभोगी हैं। हम वही दे सकते है दान में जो हमें वेतन के रूप में प्रजा से मिलता है। सदा स्वीकार किया गया है इस देश में कि भूमि का मालिकाना हक, प्रभुत्व का अधिकार भूमि पर कृषकों का है और यह परिस्थिति मेरे देखने में तो मुगलों के शासन काल के अन्त तक चली है। मध्य युग मुगलों के युग तक हमारे इस देश में भूमि का स्वामित्व कृषकों का रहा है। साथ-साथ गांवों में ग्राम संस्थायें थीं जो ग्राम्य जीवन का, एक प्रकार से समस्त सामाजिक जीवन का, सूत्र अपने हाथ में ले कर व्यवस्था चलाती थीं। यदि आप मेगस्थनीज के जमाने से देखें और कौटिल्य के युग से तो पौरवों और जानपदों का महत्व इस देश में सदा से रहा है। ग्राम्य संस्थायें सामूहिक जीवन का, ग्राम के समस्त जीवन का उन्नयन करती थीं और भूमि पर जिसमें खेती होती रही हो उस पर मालिकाना अधिकार हमारे किसानों का रहा है। यह हमारे देश के सामाजिक जीवन को, सामाजिक व्यवस्था की भित्ति थी, बुनियाद थी जिस पर सामाजिक भी और आर्थिक ढांचा भी खड़ा हुआ था और इन दोनों का उन्मूलन अंग्रेजी राज्य में हुआ। अंग्रेजी राज्य में हिन्दुस्तान का यदि सब कुछ छीन लिया गया तो साथ ही साथ इस देश के किसानों का भूमि-स्वामित्व भी छिना। यदि इस देश का सम्मान, इसकी बुद्धि, इसकी मनुष्यता, इसका राजनीतिक प्रभुत्व, इसका अधिकार, यह सब कुछ अंग्रेजी राज्य ने छीना तो बड़ा भारी अनर्थ उसने यह भी किया कि इस देश में किसानों का भूस्वामित्व भी उसने छीना साथ-साथ हमारे देश के सामाजिक जीवन की बुनियाद जो हमारी स्थानीय संस्थायें गांवों की बहुतंत्रात्मक प्रजातन्त्री पंचायतें, पौरव और जानपद थे इनका भी विध्वंस अंग्रेजी जमाने में ही हुआ। यह तो अंग्रेजी काल के इतिहास लिखने वालों के ग्रन्थों से देख लीजिये कि १८३० तक उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इस देश में गांवों में वह जनतन्त्रात्मक संगठन मौजूद है जिनकी बुनियाद पर सारा सामाजिक जीवन खड़ा हुआ था और जो गांवों में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ पूरे अधिकार का सामूहिक रूप से गांवों में उपयोग करती थीं। यह अंग्रेज इतिहासकारों के ग्रन्थों में आपको मिलेगा और धीरे-धीरे इनका उन्मूलन, इनका विध्वंस अंग्रेजी जमाने में हुआ। मैं देखता हूं कि इस बिल के द्वारा वह जो हम से छीना गया था उसको इस प्रान्त की जनता को आप पुनः प्रदान करने जा रहे हैं। आप इस बिल के द्वारा किसानों को उनका भूस्वामित्व वापिस कर रहे हैं साथ-साथ इस बिल के द्वारा आप इस देश के इस प्रांत के समस्त सामाजिक जीवन की बुनियाद उन ग्राम प्रजातन्त्रों को प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं कि जिनकी भित्ति पर भारत का सर्वोदय लोकतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र बन खड़ा होने जा रहा है। यह बिल तो एक भूमिका रूप में हमारे सामने आया है। भूमिका उस महान भारतीय प्रजातन्त्र की जिसकी प्रतिष्ठा आज से दो सप्ताह बाद इस देश में होने जा रही है। महान भारतीय प्रजातन्त्र प्रतिष्ठित होगा और उसकी भूमिका के रूप में इस बिल का आना हमारे सामने उसकी पूर्व सूचना है और शुभ सूचना है जिसके लिये मैं इस प्रान्त की सरकार को बधाई देता हूं।

जहां तक इस बिल के मौलिक सिद्धांतों का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि तीन चार बातें इसकी मुख्य हैं, जिनका विरोध कोई समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि पहिला मुख्य सिद्धांत तो यह है कि जो भूमि को जोतता बोता है और जो जिस भूमि पर काबिज है वही उसका मालिक बन बैठे। यह एक मोटा सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत यह है कि भूमि को जोतने बोने वाले और राज्य के बीच जो मध्यवर्ती हैं उनका उन्मूलन हो जाय, किसी प्रकार की एजेंसी की अब आवश्यकता नहीं है। उत्पादक जनता हो और उत्पादक जनता का सरकार का सीधा संबंध हो और बीच का मध्यवर्ती वर्ग मिट जाय। यह उसका दूसरा बहुत प्रौढ़ और स्थूल सिद्धान्त है। तीसरा सिद्धान्त यह है कि यह मध्यवर्ती वर्ग मिट जाय और उसे मिटाते हुए मुआविजा दे दिया जाय और चौथा सिद्धान्त यह है कि समस्त ग्राम्य जीवन का पुनर्संगठन करने के लिये, एक प्रकार से समस्त सामाजिक जीवन का संगठन करने के लिये स्थानीय

[श्री ...राम ...सिंह तिवारी]

ग्राम्य-सभाओं का पुनः प्रतिष्ठापन किया जाय, जिनके हाथों में जीवन संचालन करने का अधिकार हो। ये चार प्रमुख सिद्धान्त हैं कि जिनके आधार पर इस बिल की रूप-रेखा रखी हुई है और मैं समझता हूं कि चारों ऐसे सिद्धान्त हैं जिनका किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं कर सकता है यह समझना ...। मैं देखता हूं कि इस बिल का विरोध दो ओर से हो रहा है। दोनों दिशाओं से जिस तरफ से इसका विरोध हो रहा है वे दिशायें ऐसी हैं जो परस्पर विरोधी हैं, जिनका दृष्टिकोण भी परस्पर विरोधी है, परन्तु दोनों ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। एक तो वे हैं जिनका प्रतिनिधित्व हमारे लायक दोस्त रोशन जमा साहब ने भी किया था, जिसे आप कहते हैं सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी की ओर से इसका विरोध हो रहा है और दूसरा वर्ग है जिसका प्रतिनिधित्व राजा साहब ...पुर ने ... के अपने भाषण में किया था, जिसे हम जमींदार वर्ग कहते हैं। ये दोनों दो ऐसे वर्ग हैं जिनके दृष्टिकोण परस्पर विरोधी हैं परन्तु ये दोनों इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ...तो, अध्यक्ष महोदय, नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सोचने समझने के बाद मेरी समझ में यह नहीं आता कि ये दो विचारों के लोग क्यों और किस कारण से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जहां तक सोशलिस्ट पार्टी का सम्बन्ध है उसमें थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि यह पार्टी इस बिल का कैसे विरोध कर रही है। मैं तो समझ नहीं पाया कि वह कौन सी चीज है जिसका विरोध किया जा रहा है। रोशन जमा साहब ने दो तीन घंटे भाषण दिया परन्तु यह समझ में न आया कि उन्होंने किस बात का विरोध किया। उसमें कौन सी दृष्टि है जिसके कारण उन्हें विरोध करने की आवश्यकता पड़ी। आखिर इस बिल में है क्या? इस बिल में ऐसी बातें हैं जिनका होना आज से वर्षों पहिले आवश्यक था। क्या है इस बिल में जिसके आप विरोधी हैं? क्या आप जमींदारी को मिटाने का विरोध कर रहे हैं? क्या आप किसानों को जो मालिकाना हक दिया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं? क्या आप बकाया लगान की डिग्रियों में किसानों का खेत नीलाम न होने पावे इसकी जो व्यवस्था हो रही है, और यह कि किसानों से बेगार न लिया जाय इसकी जो व्यवस्था हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं? क्या आप किसानों को अपनी भूमि पर सब प्रकार के प्रयोग करने का जो अधिकार दिया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं? क्या आप सरकार और किसानों के बीच में जो मध्यवर्ती वर्ग रहा है, जो दूसरों की कमाई, किसानों की कमाई पर मोटा होता रहा है, उसके उन्मूलन का विरोध कर रहे हैं। इस बिल में कौन सी ऐसी बात है जिसको आप समझते हैं कि उसका विरोध करना आवश्यक है। (एक सदस्य—...का विरोध करना चाहते हैं) क्या आप किसानों से १० गुना लगान लेने का विरोध कर रहे हैं और जमींदारों को कोई मुआविजा न दिया जाय इसका विरोध कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो यह प्रश्न हो सकता है कि जमींदारों को मुआविजा न दिया जाय लेकिन मैं जानता हूं कि जमींदारों को मुआवजा देने की बात आपने और हमने, सब ने बहुत पहिले ही स्वीकार कर ली थी। हमारे रोशन जमा खां साहब ने कहा कि इन बेंचों पर बैठने से आपकी तबियत बदल गई, निगाह बदल गई। मैं तो समझता हूं कि इन बेंचों पर बैठने वालों की न तो तबियत ही बदली और न निगाह ही बदली। हमने जो चुनाव सन् १९४६ में लड़ा था और जिसका मैनीफेस्टो हमारे सामने है। उसी चुनाव के मैनीफेस्टो पर हमारे सोशलिस्ट बन्धु भी लड़े थे और इस भवन के सदस्य थे। उसमें, उसके मंतव्य में यह लिखा हुआ है कि हम जमींदारी प्रथा मिटायेंगे। साथ ही साथ यह भी लिखा हुआ है कि मुआवजा देकर जमींदारी प्रथा मिटायेंगे। अतः जब तक हम इस भवन के सदस्य हैं और इन बेंचों पर बैठे हुए हैं तब तक उसी मंतव्य के अनुसार काम करेंगे। जो आज इसका विरोध कर रहे हैं वे भी इसी मंतव्य के अनुसार आये थे। हम अपने वचन की पूर्ति कर रहे हैं, हमारी दृष्टि नहीं बदली है, हमारी नीति नहीं बदली

है, हमारा मिजाज नहीं बदला है। हमने जो जनता से वायदा किया कि मध्यवर्ती वर्ग को मिटायेंगे, उनको पूरा कर रहे हैं। आपका मिजाज बदला होगा, आपने अपनी नीति बदली होगी, आपने अपना दृष्टिकोण बदला होगा और मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि रोशन जमां खां साहब ने अपने विचार बदले, सब कुछ बदल दिया, टोपी भी बदल दी। आदाबअर्ज। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह देखता हूं कि अभी कुछ दिनों पहिले ही धार्मिक कट्टरता और धार्मिक उन्माद के आधार पर चलने वाली राजनीति, जो धर्म और जाति के ऊपर दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को स्वीकार करती थी, वह राजनीति और उन राजनीति से परिपोषण पाने वाली मुस्लिम लीगिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में बड़ी भारी खाई थी। एक धर्म और संप्रदाय को लेकर चली तो दूसरा धर्म हीन, ईश्वर हीन राजनीति और समाज नीति तथा दर्शन का समर्थक है। दोनों के बीच की खाई स्पष्ट है। पर इस गहरी खाई को कल के मुस्लिम लीगी रोशन जमां साहब ने आज के मार्क्सिस्ट बन कर एक ही छलांग में जिस प्रकार पार किया है उसे देख कर तो ऐसा लगता है कि आज अगर समुद्र लांघने वाले हनुमान जी होते तो खां साहब की उछल-देखकर हार मान जाते क्योंकि उन्होंने समुद्र के लांघने में इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी जितनी इस खाई को लांघने में दिखाई गई। हमारी तबियत नहीं बदली, हमारी निगाह नहीं बदली लेकिन आपकी तबियत और आपकी निगाह जरूर बदल गई है। हमारे सोशलिस्ट बंधु यहां से चले गए। कांग्रेस से इसलिये चले गए कि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि एक दल के अन्दर दो दल नहीं रह सकते। वह भी यही स्वीकार करके यहां आये थे कि मुआविजा देकर जमींदारी समाप्त की जाय। मुआविजे के संबंध में फूलसिंह साहब ने आंकड़ों से सब सिद्ध कर दिया है और इस प्रकार उन्होंने यह काम पूरा किया है।

मैं आप से कहता हूं कि उस रोज जब रोशन जमां खां साहब बोल रहे थे तो छोटे जमींदारों के लिए बार-बार आप कह रहे थे कि ढ़ाई सौ रुपये से कम वाले बेचारे जमींदार। अब आप मुआविजा का विरोध करते हैं, तो किसको मुआविजा न दें। ढ़ाई सौ रुपया से कम मालगुजारी देने वाले जमींदार २० लाख में से १८ या साढे १७ लाख हैं जिनकी हिमायत आप भी कर रहे थे। क्या ढ़ाई सौ से कम रुपया मालगुजारी देने वालों को मुआवजा न दिया जाय? क्या उनकी हत्या की जाय? क्या उनको भूखों मारा जाय आपके मुआविजा की ज्यादातर रकम और लम्बी चौड़ी रकम उन्हीं के पास जाने वाली है, फिर आप मुआविजा में किस चीज का विरोध करते हैं। आपने अपनी नीति छोड़ दी है लेकिन हम अपनी उसी नीति पर कायम हैं जिसके बल पर हमने जनता से वोट प्राप्त किया और आज यहां मौजूद हैं। फिर मैं यह भी आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जब अहिंसात्मक और रक्तहीन ढंग से हमें एक क्रांति को चरितार्थ करना है तो उसमें किसी वर्ग विशेष के प्रति कोई दुर्भाव और कोई विद्वेश रह नहीं सकता। हमने गांधी जी के द्वारा यही शिक्षा पाई है और गांधी जी ने हमें यही मार्ग बतलाया है। आज इसी मार्ग पर चल करके हम इस महान सामाजिक क्रांति को पूरा करना चाहते हैं। फिर हमारे सोशलिस्ट बंधु किस चीज का विरोध करते हैं। अगर उन्होंने यह मांग की होती कि भूमि का राष्ट्रीयकरण हो जाय और मजदूर की तरह से किसान उस पर काम करें जैसा कि हमारे बुजुर्ग हसरत मोहानी साहब ने उस रोज अपने भाषण में कहा था, तो बात मेरी समझ में आती। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करता हूं कि उनकी यह हिम्मत नहीं है कि वह जनता के सामने राष्ट्रीयकरण की बात रक्खें। अभी वह यह कह कर जनता के सामने खड़े तो हैं कि १० गुना मत दो, हम आयेंगे तो तुम को मुफ्त में जमीन दे देंगे। यदि वे राष्ट्रीयकरण की बात करें तो उनको भागते भी न बन पड़ेगा। इस प्रान्त के किसान राष्ट्रीयकरण के पक्षपाती नहीं हैं। वे मजदूर हो करके खेतों पर काम करने के लिये तैयार नहीं हैं। वे भूमि का स्वामित्व चाहते हैं। हम भूमि के राष्ट्रीयकरण में विश्वास भी नहीं करते हैं। हम स्वाभाविक मार्क्सवादी नहीं हैं। भूमि के राष्ट्रीयकरण की सारी लीलायें हमने रूस में देखी हैं। आपने यदि वह मांग की होती

[श्री करुणापति तिवारी]

तो आपका विरोध मेरी समझ में आता। परन्तु आप कहते क्या हैं, जमीन का बटवारा फिर से हो। जमीन का बटवारा फिर से कैसे हो? दो या तीन एकड़ की जहां औसत होल्डिंग्ज हों और ज्यादतर होल्डिंग्ज इसी तरह की हों, तो फिर से बटवारा करने के माने यह होंगे कि बहुत सी दो दो तीन तीन एकड़ वाली जमीनें तोड़ करके बड़ी की जायं। इस तरह १२ या १५ एकड़ की होल्डिंग्ज बनाने में बहुत से आदमी खेत से अलग किये जायं। आप क्या इस बात को संभव समझते हैं और आप क्या ऐसा करने की राय देते हैं? केवल विरोध करने के लिये एक ऐसी बात कहना जिसकी कोई बुनियाद न हो कहां तक ठीक है, इस तरह की बात करना कहां तक मुनासिब है और कहां तक उचित है। मैं अपने सोशलिस्ट भाइयों से निवेदन करूंगा कि उनकी यह मनोवृत्ति की उनकी यह जेहनियत उनके समस्त राजनीतिक और सियासी जीवन को समाप्त करने जा रही है। वह अपने राजनीति की ओर दृष्टिपात करें। सोशलिस्ट पार्टी स्वयं इस बात पर विचार करे। दुर्भाग्य है इस देश का कि एक ऐसे युग में हमारे ऐसे लायक दोस्त जो सोशलिस्ट पार्टी में मौजूद हैं देश के निर्माण में सहायक हो सकते थे उनकी सारी मनोवृत्ति विध्वंसात्मक और विरोधात्मक हो गई है। मैं निवेदन करूं आप से कि उनमें राजनैतिक विरोध की मनोवृत्ति पैदा हो गई है। अगर हम कोई सही चीज भी कहें तो उसकी मुखालिफत करना, एकमात्र विरोध की राजनीति आपकी बन पड़ी है। आपकी राजनीति में कोई दम नहीं है। और इस प्रकार की राजनीति आपके समस्त राजनीतिक जीवन को समाप्त कर रही है। इसी प्रकार मनोवृत्ति को लेकर आपने ट्रेड यूनियन कांग्रेस में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां से निकाल दिये गए। मजदूरों का फ्रन्ट आपके हाथ से गया। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को तो आपने कांग्रेस हाईकमांड की संस्था कह कर उसका विरोध किया और बीच में ही लटके रह गए। इस प्रकार की मनोवृत्ति को लेकर विधान सम्मेलन का आपने विरोध किया और उस समय आपको नागा पहाड़ी और गोआ क्रांति चली आती दिखाई पड़ी। इस प्रकार की राजनीति को लेकर आप विद्यार्थियों के क्षेत्र से निकाले गए और इस प्रकार की राजनीति को लेकर आप किसानों के क्षेत्र से निकाले जा रहे हैं। आप थोड़ लीजिए दो चार रोज तक। आज किसान समझने लगे हैं कि कौन किसानों का हितैषी है। और बावजूद आपकी तमाम कोशिशों के और गलत प्रचार के आज इस प्रान्त के किसान भूमिधरी का रुपया जमा करते जा रहे हैं। अवश्य उनके पास रुपया कम है और धीरे-धीरे रकम आ रही है। आप उनके प्रचारक हमारे जिले में तो कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और जब उन्होंने प्रचार किया तो लोगों कि उन्हीं के प्रचार करने के असर से शायद पैसा कुछ कम गिर रहा है लेकिन अब वह असर खतम हो गया है और इन सोश-लिस्टों की बात को कोई नहीं सुनता। तो मैं नम्रता के साथ आप से इस बात को निवेदन करूं कि सभी इसको जानते हैं कि इस जमींदारी को मिटा देने से किसानों की गरीबी दूर होने वाली नहीं है। कौन सा ऐसा मूढ़ है जो यह समझता है कि आज जमीं-दारी को मिटा देने के बाद कल किसान स्वर्ग में पहुंच जायेगा और उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। किसानों की गरीबी का कारण तो कुछ दूसरा ही है। और यह जमींदारी उसका एक अंग है। इसके मिटाने से गरीबी दूर होने वाली नहीं है। किसानों की गरीबी दूर करने के दूसरे रास्ते हैं। किसानों की गरीबी तब दूर होगी जब भूमि पर लदा हुआ मनुष्यों की संख्या का बोझ कम किया जाय। अंग्रेजी राज्य में हमारे मुल्क के लोगों के लिये न कोई रोजगार रहा, न कोई व्यवसाय रहा, न कोई कला कौशल रहा, न कोई उद्योग रहा और न कोई दूसरा काम रहा। अंग्रेजी राज्य में इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन का सारा बोझ भूमि पर लदा है और लदा हुआ बोझ ही आज किसानों की गरीबी का कारण है। उनकी गरीबी दूर करने के लिये उस बोझ को हल्का करना पड़ेगा और उस बोझ को हल्का करके मुल्क को दूसरा मार्ग अपनाना होगा। जमीन कोई रबर नहीं है जो खींच कर लम्बा कर दिया और लेकर बांट दिया। सर बोझ को हल्का करने के

लिये हम हर जिले में डेवलपमेंट योजना चलावें, ग्राम व्यवसाय किया जाय, कुटीर व्यवसाय उत्पन्न किया जाय और जीवन के नये उपाय निकले जिससे मुल्क को नया मार्ग मिले और लोगों को रोटी कमाने का दूसरा ढंग मिले। आज जो लोग भूमि जोत रहे हैं उस भूमि पर वहीं रह जायं और उनकी गरीबी दूर हो जाय उसके लिये सरकार प्रयत्नशील है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि जमींदारी मिटाने से क्या फायदा होगा? जमींदारी इसलिये नहीं मिटाई जा रही है कि इससे किसानों की गरीबी दूर हो जाय। वह तो इसलिए मिटाई जा रही है कि उसके कारण किसानों पर जो बोझ लदा हुआ है, किसानों के सर पर, और किसानों की रीढ़ की हड्डी जो चूर हो रही है वह दूर हो जाय। इससे कई फायदे किसानों को और हैं। इससे किसानों से हरी बेगारी लेना रुक जायगा, किसानों को मुर्गा बनाना बन्द हो जाएगा। मैं अपने यहां की एक मिसाल दूं। हमारे यहां के एक जमींदार साहब ने एक किसान के ऊपर दावा किया बकाया लगान का। उन्होंने ९५/९६ पाई का दावा किया। आप जरा गौर करें कि ९५/९६ पाई बकाया लगान के लिये उन्होंने किसान के ऊपर ४५ रुपये खर्चे की डिग्री करायी। अब आप सोचें कि यह क्या बात है? इस चीज को मैंने अपनी आंखों से देखा है।

श्री प्राग नारायण--एक बात मैं आपसे कहूंगा कि यह जो उदाहरण आप दे रहे हैं तो बहुत सी बातें ऐसी हुई हों, यह ठीक हो सकता है लेकिन ऐसी कोई मिसाल मेरे यहां नहीं है।

श्री कमलापति तिवारी--मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जमींदारी के मिटाने से किसानों का फायदा होगा। उनकी गरीबी दूर होगी कि नहीं यह कोई नहीं समझता लेकिन किसानों का जो अधःपतन हो गया था, उनका जो सामाजिक अवघटन हुआ, उनकी जमीन छीनने के लिये बेदखली से, बाकी लगान की डिगरी की निलामी से, हरी बेगारी से, अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा जो दूसरों को देता था उससे उसकी जरूर रक्षा होगी। और इसके लिये ही जमींदारी की संस्था को मिटाने की आवश्यकता पड़ी है और एक ऐसी अनुपयोगी भूमि व्यवस्था को जो साम्राज्यवाद की नींव को मजबूत करती है उसके मिटाने की आवश्यकता हुई। ताकि किसान स्वतन्त्रता के साथ मनुष्य जीवन का उपयोग कर सकें, वह भी सामाजिक जीवन में कुछ हिस्सा ले सके और देश के निर्माण में उसका भी उचित हिस्सा हो। इसलिये उसको मिटाने की आवश्यकता हुई। फिर आप कैसे इस चीज का विरोध करते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और खासकर सोशलिस्ट भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि आपकी रिएक्शनरी मनोवृत्ति हो गई है। रूस की मिसाल हमारे सामने है। हम उसको भूले नहीं हैं कि पिछले जमाने में वहां पर क्या हुआ। आज २० वर्ष हुए कि वहां पर कलेक्टिवाईजेशन का प्रोग्राम चलाया गया था किन्तु अगर मैं गलती नहीं करता तो वहां पर ६२ प्रतिशत भी इतने वर्षों के बाद सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। इसके सिवा कौन नहीं जानता कि रूस की यह योजना खून से सींची गई। इस योजना को पूरी करने के लिये ही ७० लाख कृषक मार डाले गए। स्वयं स्टालिन ने गलती मंजूर की थी और लिखा था कि इनफेसटाइज़ेन कितना घातक होगा अतः धीरे चलाना उचित है। सन् १९२१ ई० के विद्रोह के बाद रूस में और नई इकोनामिक पालिसी चलायी गई और उसके द्वारा राष्ट्रीयकरण भूमि की बात लेनिन ने ही छोड़ दी। उसको आप देखें। आपके देश में यह एक अपूर्व अचीवमेन्ट होने जा रहा है कि जिससे हम एक अनुपम लक्ष्य की प्राप्ति करने जा रहे हैं। सैकड़ों वर्षों से एक प्राचीन संस्था, एक प्राचीन भूमि-व्यवस्था आज आप के देश में समाप्त होने जा रही है जिसके अन्दर करोड़ों नर-नारियों के जीवन का प्रश्न है, करोड़ों दबे हुए, सताये हुए किसानों का प्रश्न है। आज हम उनके बोझे को समाप्त करने जा रहे हैं। हम किसी को दुखी नहीं करते हैं। बहुत आसानी से इसको समाप्त करना चाहते हैं। आप समझते हैं कि यह छोटी चीज है और फिर इसका विरोध करने की चेष्टा करते हैं।

[श्री कमलापति तिवारी]

आप जानते हैं कि आज भारतवर्ष में ही नहीं अपितु समस्त एशिया के अन्दर आज भूमि व्यवस्था जो [illegible] की [illegible] उपस्थित हो गई है। कोमिनटांग की क्या दशा हो गई है? यह आपका [illegible] है। जिनसे भूमि व्यवस्था जो वे लोग कभी सुलझा नहीं सके। हमारे देश के अन्दर विदेशी राज्य ने कभी इस प्रश्न को सुलझाने की कोशिश नहीं की किन्तु अब इस प्रश्न को आसानी के साथ सुलझाने की कोशिश की जा रही है और आपका इसके लिये सहयोग चाहते हैं। आपका विरोध मैं आप से सत्य कहता हूं कि देश के लिये हितकर साबित नहीं होगा। मैं सोशलिस्ट बन्धुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस प्रश्न पर ध्यान दें और विचार करें कि यदि इस देश के अन्दर भूमि व्यवस्था को ठीक रूप से नहीं सुलझाया गया तो हमारा देश सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कभी शान्ति के साथ अग्रसर नहीं हो सकेगा और बहुत से सुधार जो यहां पर होने जरूरी हैं वह नहीं हो सकेंगे। यह देश के लिये बहुत बड़ी भारी बात है। मैं आप से यह निवेदन करना हूं कि जिस चीज को रूस ने रक्तपात के बाद भी रूस २० वर्ष के अन्दर भूमि व्यवस्था को सुलझा नहीं सका है उस भूमि व्यवस्था को बड़ी सरलता के साथ बड़ी शान्ति और अहिंसा के साथ सुलझाने का मौका आया है। इस भूमि व्यवस्था को सुलझाने का यह अपूर्व अवसर हमारे और आपके सामने है। इसके लिये व्यर्थ का विरोध करके जनता में भ्रम पैदा न कीजिए। केवल इसलिये कि आपकी विरोध की मनोवृत्ति हो गई है आप इसका विरोध करते हैं। यह मुनासिब नहीं है। जहां तक हमारे जमींदार भाइयों का सवाल है मैं उनके विरोध में क्या कहूं। मैं तो यह समझता हूं कि यदि थोड़ी सी बुद्धि उनके अन्दर समाने की होगी तो वह इस बात को स्वीकार करेंगे कि जमींदारी प्रथा के अन्त होने में ही उनका कल्याण है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा जमींदार भी हूं और मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं और आप के द्वारा अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बिल के सिलसिले में और झमेले को चाहे साल दो साल चलता रहने दीजिए लेकिन ईश्वर के नाम पर एक आर्डिनेन्स निकाल दें जिसके जरिए से यह जमींदारी की प्रथा यदि आज नहीं तो कल अवश्य समाप्त हो जाय। और यह बोझ हमारे सिर से उतर जाय। मैं आप से कहता हूं कि यह प्रथा आज जमींदारों के सिर पर बोझ बेढ़ है, एक शाप का बोझ है और मर्द का भार है। अरे दोस्त जमींदार इस चीज को अच्छी तरह से समझते होंगे। आज आप के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है और इस प्रथा को मिटाने में ही आपका कल्याण है। जब किसान भूमिधर होगा और मालिक जमीन का होगा परती का मालिक गांव-सभा होगी और नालाबों की आबादी की मालिक गांव-सभा होगी और आप को वसूली नहीं होगी तो आप घर से निकाल कर कहां तक मालगुजारी देंगे। मैं बात अपनी कहता हूं कि किसानों से वसूली न होने पर ३ साल से अपने घर से मालगुजारी जमा करता हूं। अगर आप ऐसा कर दें और आर्डिनेन्स निकाल दें तो मैं तो आप का चिरऋणी होऊंगा और आप इस तरह से हम को नसलन बदनसलन बरबादी से जल्द ही बचा दीजिए। अगर कलेक्टर साहब ही वसूली कर लिया करें और अपने अहलकारों के जरिये से करा लें और मालगुजारी जमा कर लिया करें और अगर कुछ बच जाया करे तो हमें दे दिया करें और अगर न बचे तब भी हम बहुत प्रसन्न होंगे। और हमारी जान इस तरह से छोड़ दें। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि जमींदार इसका क्यों विरोध करते हैं। यह तो एक ऐसी व्यवस्था है जो मृत हो चुकी है और उसकी केवल अन्त्येष्टी बाकी है और उस मर्दे को दफनाना ही रह गया है और मुर्दे को चिपकाने से क्या कल्याण आप का अब हो सकता है। यह तो युग का प्रवाह है और काल की पुकार है और समाज की बदली हुई व्यवस्था है और उस के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता है। हमारे मित्र राजा साहब जगमनपुर ने कहा था कि इस तरह से जमींदारों को बरबाद किया जा रहा है और उनसे बदला लिया जा रहा है।

मेरे ख्याल में उनका ख्याल गलत है। यह बिल जमींदारों से बुराई मान कर या कोई दुश्मनी के कारण से नहीं लाया जा रहा है और न कोई बदले की भावना से ही लाया जा रहा है और न यह ख्याल ही है कि अगर जमींदारों में से किसी ने कभी कोई अत्या-चार किए हैं तो हम इस तरह से मय सूद ब्याज के उन से वसूली कर रहे हैं। मैं आप से कहता हूं कि यह बदली हुई व्यवस्था है समाज की, इतिहास की नई धारा और प्रवाह है, एक नई तरंग है सामाजिक जीवन में एक हिलोर है और यदि आप इस अनवरत और कालात्मा की धारा और प्रवाह को रोकने का प्रयत्न करेंगे तो विध्वंस आप ही का होगा। और दुनिया की क्रांति के इतिहास में भी जब कोई एक सामाजिक व्यवस्था खराब हो जाती है तो उसे बनाये रखने की चेष्टा क्रान्ति का कारण और चिन्ह हो जाती है। आज देश की स्वतन्त्रता आने के बाद एक नया दृष्टिकोण और वातावरण यहां पैदा हुआ है। अब पुराना सामाजिक संगठन दूर होगा और हमारी आप की चेष्टा उसको रोक नहीं सकती और उस व्यवस्था का उन्मूलन, सत्यानाश अवश्यम्भावी है और पूर्णतः अनिवार्य है और उसका विरोध करना तो वास्तव में अपना ही विरोध करना है और अपने हितों का विरोध करना है। इन दोनों विचार वालों का विरोध जिनका मैंने आपसे जिक्र किया मैं कतई नहीं समझ सका और मैं दोनों से नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रान्त की जनता का चाहे वह जमींदार हों या किसान सब का कल्याण इसी बात में है कि इस बिल को शीघ्र पास होने दें और जल्द से जल्द इस को स्वीकार करें और देश में एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव डालें और सब का जीवन सुखी हो, सब का जीवन समुन्नत हो और प्रान्त के करोड़ों नर-नारी किसान और मजदूर इज्जत के साथ मान-वता पूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

*श्री प्राग नारायण--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे पहले आज दो साहबान ने अपनी स्पीचों (भाषणों) में हर छोटी सी बात को आप के सामने साफ़ कर दिया है और बतलाया है कि इस बिल में अभी और क्या-क्या होने की जरूरत है और उससे क्या फ़ायदा होगा।

अभी त्रिपाठी जी ने मेरे खयाल में सब घेर लिया है और शायद ही कोई बात छोड़ी हो। मैं आप के भवन का कम से कम समय लेना चाहता हूं। क्योंकि मैं यह देख रहा हूं कि अभी बहुत से लोग इस बात के ख्वाहिशमन्द हैं कि वह इस बिल पर अपने ख्यालात जाहिर करें। क्यों न हो, यह तो एक ऐसी चीज के बारे में बिल है कि जिस पर मुद्दतों से और अर्से से हमारी रोटियां चल रही हैं। अब वह खत्म की जा रही है। मैं तो अपने माल मन्त्री से यह प्रार्थना करूंगा कि जो वक्त इस बहस के लिये दिया गया है वह बहुत कम है। अगर एक दिन और दे तो जो लोग इसमें बोलने के लिये उत्सुक हैं वह भी अपने खयालात को जाहिर कर सकेंगे।

माननीय माल सचिव--अब यह बहस बजाय आज के कल खत्म होगी।

श्री प्राग नारायण--मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर लिया। अब मैं यह कहूंगा कि हम लोगों में तो खराबियां मौजूद हैं। इन्हीं खराबियों की वजह से यह दिन आया है। जरूर इसको तबदील किया जाय। यह ठीक ही है। आप यह देखें कि जो मुआविजा आप हम लोगों को दे रहे हैं वह ८० फी सदी कम करने के बाद २० फी सदी दे रहे हैं। आप ने यह जो ८ गुना तजवीज किया है यह भी कम नहीं है लेकिन इसमें जो चीजें आप निकाल रहे हैं अगर वह भी शामिल कर दी जायें तो अच्छा है। मैंने जो स्पीचेज यहां सुनी है उसे श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी और दूसरे साहबान ने यह कहा है कि मुआविजा ४ लाख से ज्यादा न हो। बाज लोगों का यह ख्याल

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्राण नारायण]

है कि मुआविजा ही न हो। मेरे ख्याल मे बाजार से जो चीज खरीदते है तो हमेशा उस की कीमत अदा करके उसको लेते है। अगर आप किसी दुकान पर जाये और किसी चीज को उठा कर चले तो क्या यह मुनासिब है, क्या वह आप को वह चीज ले जाने देगा? हम लोग न आप का मुकाबिला करेंगे और न करने के लिये तैयार है। मै बड़ी खुशी से इस बात को मानता हूं कि हमारी मौजूदा सरकार जो है उसकी नीति और उस के ख्यालात ठीक तौर पर कायम रहे और मुझे उम्मीद है कि कायम रहेंगे। मेरी बगल में एक साहब बैठे हुए है सोशलिस्ट, उनको मौका नहीं मिला सोच रहे है और भाषण करेंगे। आप जो जेड०, ए० फंड, वसूल कर रहे है उस मे ११ हजार आदमी काम कर रहे है और उस पर प्रान्त भर में करीब एक करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अब तक १२ करोड़ के क़रीब आप ने वसूल किया है। आप ने यह एलान किया था कि हम ३० दिसम्बर तक उस को वसूल कर लेंगे। आप का जो टार्गेट है वह पूरा होते दिखाई नहीं देता। हां अब आपने यह फैसला किया कि अगली फसल तक रुपया मिल जायगा। मेरा ख्याल है कि शायद अभी आप यह कहेंगे कि रबी की फसल आ रही है जब उसका इन्तजार कर ले, तब तक मौका ले ले। मौका तो आप लेते जायगे। मेरा ख्याल है कि जितना मौका आप ले ले उतना ही अच्छा हो। म भी यह चाहता हू कि आप इसको जल्द खत्म करें। रोज २ आप की पार्टी के लोग हर जगह यह कहें कि साहब हम खत्म करने जा रहे हैं, हम खत्म करने जा रहे है, यह तो कोई बहुत मुनासिब चीज नही हैं। हर जगह आप यह देखते है कि आज ऐसा हो रहा है जैसा कि पुराने जमाने में होता था कि अगर मरीज मरने के करीब होता था तो उसको छुरी उड़ा देते थे। यह तो ऐसी चीज है।

अब मुआविजे का मामला है। मुआवजे पर तो अच्छी तरह से ग़ौर करके उसको देना चाहिए। इसके साथ-साथ आप यह देखेंगे कि जो स्कूल और कालेजेज, मन्दिर और मस्जिद जिन पर लोगों ने अपना रुपया लगाया है, अपनी जायदाद वक्फ की है उनका भी आप को इन्तजाम करना चाहिए। यह जिसके मत्थे पड़ेंगी। अगर गवर्नमेंट उनका इन्तजाम कर दे तो बेजा नही है। हम लोगों ने उन पर रुपया लगाया, जायदाद लगाई, हमारे बुजुर्गों ने उनमें रुपया लगाया ताकि जनता को फायदा हो। तो यह स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनकी देख-भाल करे। अगर स्टेट ऐसा नहीं करती तो क्या अच्छा नतीजा होगा? हमारे ख्याल से तो दिल से दुआयें नहीं निकलेंगी।

इसी के साथ २ आप यह देखिए कि हमारे बुजुर्गों से यह प्रथा चली आ रही है कि जो लोग हमारे यहां काम करते रहे है उनको माफिया दी गई है। वह माफियां इसलिय दी गई थी कि वे काम करते थे। अभी भी ऐसा चला आता है कि जो काम भी नहीं करते हम लोग उनसे लगान नहीं लेते। तो इस लिये गवर्नमेण्ट को चाहिये कि उन लोगों का ख्याल रक्खे।

दूसरी चीज है लेबर की। आप जानते हैं कि कृषि का काम बगैर मजदूर के नहीं चलता चाहे जितनी भी वह खेती करे। अभी हमारे यहां मशीनें ज्यादा नही है कि हम मशीनों को लेकर खेती का काम अच्छा से अच्छा शुरू कर दे। मशीनों की जब ज्यादती हो जाएगी तो यह चीज हो सकेगी। लेकिन अभी आप यह कहें कि खेत अपने आप जोतिए वरना निकलिये तो यह कहां तक ठीक हो सकता है। हमारे माल मंत्री साहब तो खुद जमींदार है, अब भूमिधर बन गए हैं। चीज वही हैं नाम बदल गया है। आदमी वही है।

अब मैं आप से एक थोड़ी सी बात और अर्ज करूंगा। जहां तक मेरी इन्फार्मेशन (सूचना) है वह यह है कि हमारे यहां एक तहसीलदार साहब है। उन्होने अपने भाषण

में जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये हैं वे मेरे खयालात से तो मुनासिब नहीं मालूम होते। वह जरूरत से ज्यादा अपनी ल्वायल्टी (भक्तिभाव) दिखला रहे हैं। हमारे मंत्री साहब मौरांवां हो आये, हमारे प्रीमियर साहब भी जहां-जहां गये उन्होंने यहबात बिल्कुल साफ़ कर दी कि हम कोई जबर्दस्ती वसूली नहीं करना चाहते। किसान की खुशी की बात है कि रुपया दे। लेकिन हमारे तहसीलदार साहब ने एक जुमला यह कहा कि हम जो रुपया तुम लोगों से लेंगे वह जमींदारों की क़ब्र में लगायेंगे, उनके कफ़न में लगायेंगे।

श्री रघुबीर सहाय--किसने कहा?

श्री प्राग नारायण--हमारे यहां एक तहसीलदार साहब हैं उन्होंने कहा। हमारे यहां एक एस० डी० ओ० साहब हैं मैंने उनसे भी कहा था और शायद आप पेपर (अखबार) में भी यह बात देख लेंगे। आप लोग अपना काम कीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातों से आप की नेकनामी नहीं होगी, बल्कि बदनामी होगी। मेरी तो आप से यह दरख्वास्त है कि आप इसकी तहक़ीक़ात कर लें।

माननीय माल सचिव--क्या मैं यह जान सकता हूं कि किस तहसील के तहसील-दार ने ऐसा कहा?

श्री प्राग नारायण--यह पुरवा के तहसीलदार साहब हैं जो हम लोगों का ही जिला है। अब मैं आप से यह कहूंगा कि आप हम लोगों को जो मुआविज़ा दे रहे हैं वह नक़द रुपये की सूरत में होगा। आप हमको नक़द रुपया दे रहे हैं। आप जानते हैं कि कभी किसी के पास रुपया नहीं रहता। आप कुछ भी दें, कितना ही रुपया किसी को दें वह सब हमेशा खर्च हो जाता है। खर्चा ऐसी चीज है कि रुपये से लोग खाली हो जाते हैं। ज्यादा मुनासिब तो यह होगा कि आप ऐसी फ़ैक्ट्रीज या मिल्स खोलें कि जो मुल्क के फ़ायदे की भी हों और उसमें से हम लोगों को भी हिस्सा देकर हमको उसमें लगा दें और हम लोगों के लड़कों को भी लगा दें। हमारे मुताल्लिक़ीन भी बहुत से होंगे। उनका भी ख़याल रखना जरूरी है। इस तरह से कारखाने वग़ैरा खोलने से बड़ी गुंजा-इश हो जावेगी। हम को भी उसमें से हिस्से दे दें। अगर आप यह कहते हैं कि बांड मिल जायेंगे तो बांड तो आजकल के जमाने में ज्यादा से ज्यादा दो या डेढ़ फीसदी का सूद पैदा करते हैं। उससे कोई बसर नहीं कर सकता है। हां, यह जरूर है कि सुबह से शाम तक शायद एक वक्त खा ले। महंगाई इतनी ज्यादा है कि अगर हरेक मेम्बर से दरियाफ्त किया जाय तो आप को असली हालत महंगाई का पता चल जावेगी। या जो हमारे बहुत से लोग महकमों में तनख्वाहें पाते हैं उनको आप देखिए कि पहिली तारीख नहीं आती है और उनके ऊपर क़र्जा सवार ही रहता है। अब ऐसी महंगाई के जमाने में और भी ज्यादा मुश्किल है। अब गवर्नमेंट ने तो ब्लैकमार्केटिंग को दूर कर-ने की कोशिश की मगर यह नहीं जाती। क्या गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार नहीं है कि हम लोगों को और छोटे-छोटे आदमियों को पेट भर खाने को दे? उसको चाहिये कि ऐसा उपाय करे कि हरेक का पेट भरे कम से कम दो वक्त नहीं तो एक वक्त ही सही। ब्लैकमार्केटियर्स के लिये आप कितना ही सख्त क़ानून बनायें, उसमें कुछ बेजा नहीं है। आप देखते हैं कि शक्कर भरी पड़ी है, बोरियां की बोरियां जा रही हैं। लेकिन जिनके पास पैसा है, जो मालदार हैं या जिन्होंने खूब रुपया कमाया है वे तो खरीद सकते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वे बेचारे नहीं खरीद सकते हैं। उनके लिये कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि बग़ैर शक्कर के चाय पी लें या किसी को अगर गुड़ दस्तयाब हो तो वह ऐसा करे कि गुड़ से ही अपना काम चलाये। अब इसके फ़ायदे या नुक़सान डाक्टर लोग ही जानें कि क्या होगा।

श्री प्राग नारायण]

मैं तो यह समझता था, जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द हो गया था, कि जब उससे एमर्ज (जाहर) होगा तो बहुत इम्प्रूव्ड (सुधरी हुई) शक्ल में नजर आवेगा। अब कोई खास बात तो नजर आती नहीं। इतनी जल्दी की गई है कि चार बैठकों में ही इस इतने बड़े बिल को खत्म कर दिया गया है। मालूम यह होता है कि यह बिल बहुत जरूरी है और जैसा कि अभी त्रिपाठी जी ने कहा था अगर आप जमींदारों को आर्डिनेंस के जरिये खत्म कर दें तो ज्यादा अच्छा हो। हमारे ख्याल से आप लोग बड़ी ही गल्ती कर रहे हैं। सुबह से शाम तक चारों तरफ से गालियां खाते-खाते हम लोगों को दिन बीत जाता है। यह तो गवर्नमेन्ट का क़सूर है हमारा तो है नहीं।

अब आपने छोटे जमींदारों के पास ज्यादा से ज्यादा दस, बीस या तीस बीघा आराजी दी। उसको वह बटाई पर उठा देता था। बटाई पर उठाने के माने यह थे कि उनकी परवरिश और जिन काश्तकारों को वह देता था उनके बच्चों की परवरिश होती थी। यहां अब कोई सुभीता नहीं दिखलाई देता है कि क्या होगा।

वसूलयाबी का तरीका आपने यह रक्खा है कि गांव में से किसी से भी पकड़ कर वसूल कर लिया जाय। अगर हमने अपना रुपया खर्च कर डाला तो आप हमारे ऊपर जो रुपया है उसको दूसरों से क्योंकर वसूल कर सकते हैं? यह कहां का इन्साफ होगा। गवर्नमेंट को चाहिये कि कम से कम इन बातों को भी तो देखे कि वसूल करने का तरीका क्या है? आपकी गवर्नमेंट है और आपके हाकिम और अहलकार हैं। आप तो वाक़ई आर्डिनेंस के जरिये से जो चाहे वही और जैसी चाहें वैसी ही हुकूमत कर रहे हैं। आप ने एक आर्डर भेज दिया कि साहब, १७१ बन्द और १८१ बन्द। इस हुक्म का कोई दावा नहीं है, कानून में हो तो कोई दावा करे और इसकी चारा-जूई हो और पैरवी हो लेकिन यह कुछ नहीं होता क्योंकि आपका हुक्म है तामील करेंगे। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि सहूलियत के साथ वसूल होना चाहिये। ऐसा न हो कि जो चोर है वह तो भाग जाये और जो भला आदमी है उसको पकड़ लिया जाये और उस से सारे गांव का वसूल किया जाए।

अब आप जमींदारी खत्म कर रहे हैं तो जब तक आप उनकी किसी सिलसिले से या किसी क़ायदे से परवरिश नहीं करते तब तक उसका क्या नतीजा होगा? अगर वह सोशलिस्ट न बनेंगे तो कम्यूनिस्ट बन जायेंगे। क्योंकि वह कुछ न कुछ तो रहेंगे ही। बहरहाल सोशलिस्ट तो अच्छे नहीं मालूम होते, वे किसी को पसन्द नहीं आते सब घबड़ाते हैं कि वह न जाने क्या करें।

इंगलैन्ड की हिस्ट्री यह बात बतला रही है कि जिस वक्त वहां जमींदारी खत्म हुई थी तो वहां क्या-क्या भयंकर शक्लें पैदा हुई और जमींदारों की क्या हालत हुई थी। उसकी बड़ी लम्बी तवारीख है और पढ़े-लिखे लोग सब जानते भी हैं। जो मौजूदा सिस्टम है उसको बदलने की जरूरत है। हर काश्तकार को ऊंचा करने की जरूरत है। यह बात हम मानते हैं कि उनको जरूर ऊंचा किया जाये। अगर नहीं करते हैं तो दुनिया में आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। काश्तकार हमारे हाथ हैं। उनका पैसा है और उनकी मेहनत है जिसका हम फ़ायदा उठाते हैं। जिसके बदले हमारे पास मोटर हैं बिजली के पंखे हैं। यह सब कुछ उनका ही है। हम भूले हुए थे। हम लोगों की गल्ती थी हम मानते हैं। हम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। अगर हम लोग उनको अपनाते तो किसी के गलायें दाल न गलती और जमींदार समझते कि काश्तकार हमारे हैं हम उनके हैं। वहां अगर आप जायें तो देखेंगे कि अब भी आप की दाल नहीं गल सकती है। जमींदार के पास इतने गांव होते हैं उनमें तो चार, दस-पांच भले ही शाकी निकल आयें। लेकिन ऐसी बात कभी नहीं हो सकती कि जितने हमारे गांव हैं वहां सब हमारे शाकी हों। हम

आप से अब भी कहते है कि हम यहां मौजूद ह और अगर आप वहां जाकर पूंछे तो आपको भले ही एक आध शाकी मिले क्योंकि हम उनका इंजताम करते है उनकी तकलीफों को सुनने के लिये तैयार है। अभी हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने कहा है कि काश्तकारों के लिये कहीं न कहीं से दरख्त दिये जाये। मै भी इस चीज को चाहता हूं। क्योंकि वह अब तक हम से लकड़ी मांगते थे तो हम उनको दे दिया करते थे। हम लोगों के जो बाग़ात हैं उनको क़ायम रखे जाये। जो [illegible] लैन्ड [illegible] उनके लिये हमारे दोस्त ने आप से कहा है हमको आप खत्म करके आपने जो वायदा किया है उसको पूरा कर रहे हैं।

आपने इलेक्शन लड़ा और वायदा किया था कि हम खत्म कर देंगे। आप उस वायदे को पूरा कर रहे है। लेकिन पूरा करने के पहिले आपको यह देखना चाहिये कि क्या चीज़ वाजिब है और क्या नावाजिब। नावाजिब चीज करने पर कोई भी इस आफिस में नहीं रह सकता।

अब आप रिहैबिलिटेशन ग्रांट दे रहे हैं। मैं तो उसके मानी यह समझता हूं कि मोहताजी ग्रांट। पालिसी एक लफ्ज है लेकिन उसके कई मानी होते है। रिहैबिलिटेशन के भी कई मानी हो सकते ह लेकिन मै बहुत पड़ा नहीं। जो मानी मैं समझता हूं वह है मोहताजी ग्रांट। आप हमको ८ गुना दे रहे है, मै तो खुश हूंगा अगर आप इसको ७ गुना को कर दे लेकिन आप वाजिबियत पर आ जाएं।

एक सदस्य--आपको सब माफ़ कर देना चाहिए।

श्री प्राग नारायण--२००रु० आप पाते ह पहिले उनको तो आप छोड़ दीजिए। मुझे ज्यादा अर्ज नहीं करना है। यह एक ऐसा बिल ह जिस पर जितना बोला जाए कम होगा। आप इसको समाज और देश के सुधार के लिए ला रहे है। मुल्क के साथ हम भी हैं। आज आपको स्वतंत्रता मिली है मुद्दत के बाद। आप लोग जेल मे गए, मारे गए, कई दिन तक खाना नहीं मिला। वह सरकार गयी। अब हमारी सरकार आई ह उसको ज्यादा से ज्यादा आराम मिलना चाहिए। रहने को सुन्दर बंगले और साल मे दो-दो चार-चार मोटरें। हर प्रकार की चीजे होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ आपको हमारा भी लिहाज रखना चाहिए। हमने किस तरह से परवरिश पाई है। हमें देख कर लोगों को उलझन होती है। हसद और डाह होती है कि यह मोटर पर क्यों चढ़ता है। यह तो अपनी अपनी क़िस्मत है। आगे क्या होगा किसी ने नहीं देखा। आज आपका सितारा बुलन्द है लेकिन आप के साथ हमारा भी हिस्सा है। इस मुल्क की आजादी में हमारा भी हिस्सा है। हमने भी रुपये, पैसे से आपकी मदद की थी। हां जेल नहीं गए, वह भी अगर मौक़ा मिला तो किसी दिन हो आयेंगे। हम भी उधर बैठ जायेंगे। आप इसे खत्म कीजिए तो अपनी राय क़ायम कर लेंगे कि किधर बैठें। चंदरोजा और है, इंजेक्शन पर चल रहे हैं। सब तरह के लोग दुनिया में हैं। अब इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। सिर्फ एक शेर कह कर खत्म करता हूं--

करें वह सख्तियां हम पर, जितना उनका जी चाहे।
रहेंगे उनके दर पर हम संगे अस्तां होकर।।

श्री प्रेमकिशन खन्ना--आज हम बहुत जमाने के बाद जब हम जमींदारी प्रथा को खत्म करने चले तो हमको अपने सामने बहुत सी अड़चने दिखाई देती है। हमारे बहुत से साथी जो जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना जरूरी समझते थे लेकिन जब हमने खत्म करने की तरफ क़दम उठाया तो उनको हम अपनी मुखालिफत मे पाते हैं। यह हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम पार्टीबंदी मे क्या मुनासिब है और क्या मुनासिब नहीं यह भी भूल जाते है। इस देश के दूसरे प्रांतों

श्री प्रेम किशन खन्ना]

में हमारे भाई भले ही कितने अक्लमन्द और समझने वाले हों लेकिन उन्होंने भी भूमि व्यवस्था और कानून के मसविदे की खूबियों को देख कर हमारे मसविदे के ऊपर अपना मसविदा बदल डाला, लेकिन हमारे मार्क्सवादी भाइयों ने उनकी खूबियों पर जरा भी ध्यान न दिया और अड़चने डालने वाले तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए जिनको हमारे भाई त्रिपाठी जी ने बताया। मैं तो त्रिपाठी जी से पूर्ण रूप से सहमत हूं जो हमारे मार्क्सवादी भाई सोशिलिज्म की बात करते हैं सोवियट यूनियन के वह तौर तरीके जिनको कि उसने भूमि व्यवस्था बदलने के लिये इस्तेमाल किये उनको भूल जाते हैं। क्या वे नहीं जानते कि सोवियट यूनियन के क्रान्तिकारियों ने भूमि व्यवस्था को बदलने के करोड़ों और अरबों रूपये खर्च किये। आठ करोड़ जानवर मार डाले गये। कत्ल और गारतगरी की इन्तिहा हो गई थी तब भी जो कुछ वह चाहते थे वह न हुआ उनको वापस लौटना पड़ा किसानों को व्यक्तिगत हकूक देना पड़े सख्त तरीकों को छोड़ कर सहूलियत के तरीके अख्तियार किये गये जब यह सोशलिस्ट भाई देहात में जाते हैं और किसानों को ज्यादा जमीन दिलाने की बात करते हैं तब किसान उनसे सवाल करने लगे गये कि क्या जमीन कोई रबड़ है जो खींच कर बढ़ा दी जायगी और उनका कोई असर किसानों पर हो नहीं पाता। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपने तौर तरीके देखने की कोशिश करें और उनको फिर जाचने की कोशिश करें कि कहीं उसमें गलती तो नहीं है। गवर्नमेंट को नुकसान होता ही है परन्तु किसानों पर से भी उनका असर जायल होता जाता है। समाजवादी भाई जब जमींदारों के साथ आवाज में आवाज मिला कर भूमि-व्यवस्था बिल पर मुखालिफत करते हैं तो किसानों को इसमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है जैसे कि कम्यूनिस्ट पार्टी ने पिछली लड़ाई में जन-युद्ध का नारा लगाया था। मार्क्सिज्म के नुक्ते-नजर से चाहे वह कितने ऊंचे स्तर की बात हो लेकिन फिरन्गी साम्राज्यवादी हुकूमत के साथ आवाज से आवाज मिला कर जन-युद्ध का जो नारा लगाया गया उसका नतीजा क्या हुआ क्या वह समाजवादी भाइयों ने देखा नहीं क्या आखिर कम्यूनिस्ट पार्टी उस नारों की बदौलत कहां रसातल को पहुंच गई और हमारे राष्ट्रीय जीवन में उसका कहीं पता नहीं चलता और लोग शुबहा की नजर से देखते हैं क्योंकि जाहिर है कि शोषण करने वाली जातियां और शोषित जातियों की राजनीति एक नहीं हो सकती इसी तरीके से समाजवादियों का जमींदारों के साथ मिल कर भूमि व्यवस्था की मुखालिफत करना जिनका कि नजर में कोई ज्यादा फर्क नहीं रखता और वे कहीं अपने ध्येय में आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। ये अपने अगले चुनाव में कामयाब होकर आने की बात जनता से कहते हैं और जमींदारी बिला मुआविजा खत्म करने की बात कहते हैं। अच्छा होता कि वे आज दस गुना लगान जमा होने देते और जब वे ताक़त में आते तो सब वापस कर देते लेकिन हम जानते हैं कि वे चुन कर ताकत में नहीं आ सकते।

मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या सोवियट यूनियन से भी ज्यादा अच्छी समाजवाद की योजना हमारे समाजवादी भाइयों ने बनाई है। आखिर सोवियट यूनियन को भी पीछे पछताना पड़ा। और वापस लौटाना ही पड़ा किसानों की समस्या बहुत पेचीदा है ही। आज सोशलिस्ट पारटी ने जो तरीका इस्तेमाल किया है वह बिल्कुल लीगी ढंग का है नतीजा जो कुछ आपके सामने है। आप समाजकी करण में रोड़े अटका रहे हैं। आपके तरीकों से समाजवाद के रास्ते में अड़चनें पड़ रही हैं। इसके अलावा मुझे दो बातें और कहनी हैं। पहिली यह है कि बड़े-बड़े जमींदार साहबान ने गरीब काश्तकारों से जमीन छीन ली और गलत तरीकों से पटवारियों से मिलकर कागजात लिखा-पढ़ा कर खुदकाश्त में दर्ज करवा ली गई है। यह सब कुछ ज्यादातर १९४६ के जमींदारी प्रथा के खत्म होने के निश्चय के बाद हुआ और अक्सर इस किस्म के वाक़आत जमींदारों ने किये जिनकी जिम्मेवारियां और ताल्लुकात सरकार के साथ थे क्योंकि उनको भी प्रोत्साहन मिला। मैं माल सचिव की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि गरीब

काश्तकार अपनी गरीबी की वजह से अदालत की चाराजोई नहीं कर सकते। उनकी कमजोरी वारसूक जमींदारों के जराये के मुकाबिले में विफल हो जाती है क्योंकि उनके लिये इस कानून में सेफगार्ड होनी चाहिये ताकि १९४६ ई० के बाद के तबादले काश्तकार और बड़े जमींदार के दरमियान नाजायज समझे जायेंगे खासकर वह जो १९४६ की तजवीज के बाद के हैं क्योंकि ८,८–१०,१० हजार बीघे के फार्म खुदकाश्त मे लिखवाकर कमजोर काश्तकारों को जबरदस्ती निकाल दिया गया है। इससे गरीब काश्तकारों के दरमियान काफी हलचल है, काफी बदनामी का बायस हो रही है। दूसरी बात जो मैं आपसे किया चाहता हूं वह यह है कि एक सा लगान जमा करने का जो नियम बनाया गया है उसमें कुछ हद तक संशोधन की जरूरत है क्योंकि गोरखपुर वगैरह की तरफ से ६५ से ७० रुपया फी एकड़ जमीन का भाव है। बनारस मे ५० से ५५ तक मुजफ्फरनगर और मेरठ में ६० से ६५ रुपये फी एकड़ तक जमीन के भाव हैं। लेकिन मेरे हल्के मे और उसके आस पास १५ से २० रुपये फी एकड़ तक का भाव समझा जाता है। यह इलाका अभी का इलाका है। यहां ज्यादातर हमेशा से ही गल्ला बाहर से आता रहा है। यहां भी किसान को दस गुना देने की बात है। जहां किसान के पास मामूली पैदावार के अलावा मुनाफा भी ज्यादा होता है वहां उनको दस गुना देना आसान है लेकिन जहां पैदावार से लागत भी मुश्किल से निकलती है वहां उनको दस गुना देना दूभर हो जाता है भूमिधर बनना चाहते हैं लेकिन माली मुश्किलात के सामने दिक्कतें हैं। होना चाहिये था जहां जमीन की कीमतें ज्यादा हैं वहां दस गुना से ज्यादा वसूल किया जाना चाहिये और जहां जमीन की कीमत कम है वहां कम वसूल किया जाना चाहिये। मेरे जिले और उसके आसपास लोगों को दिक्कत मालूम हुई। इसलिये ज्यादा मुनासिब होता कि इस तरह लगान कम कर दी जाती और उसके मुताबिक जमींदारों का मुआवजा भी कम करके उसका तवाजन बराबर कर दिया जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस मसले को भी इस दृष्टिकोण से रिवाइज किया जाना चाहिये और सही तरीके पर विचार कर गरीब काश्तकारों के लिये सहूलियत हो ऐसा तरीका गवर्नमेंट को अख्तियार करना चाहिये, बस मुझे यही कहना है।

श्री राजाराम शास्त्री—जनाब डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझे इस बात की आशा थी कि विशिष्ट समिति से जो बिल इस हाउस के सामने आयेगा उसमें पहले की अपेक्षा बहुत कुछ सुधार किया जायगा। यह आशा हमें इसलिये बंधी थी क्योंकि जब हाउस के सामने इस बिल पर विचार हुआ तो समाजवादी विचारधारा के लोगों ने अपने विचारों को हाउस के सामने पेश किया था। यद्यपि इस हाउस में कांग्रेस का जबरदस्त बहुमत है फिर भी मैं इस बात की आशा करता था कि हम चाहे कितने ही अल्पमत में क्यों न हों लेकिन हमारी बातों की कुछ न कुछ सुनवाई होगी। जब विशिष्ट समिति बनाई गई तो मैं देखता हूं कि कांग्रेस की तरफ से जितने लोग लिये गये उनमें से न मालूम कितने जमींदार वर्ग के होंगे, विरोधी पक्ष से मैं देखता हूं कि जमींदार वर्ग के कितने ही लोग इसमें मेम्बर बनाये गये थे, लेकिन इस हाउस में समाजवादी विचारधारा के तीन ही व्यक्ति थे फिर भी इनमें से किसी को नहीं लिया गया। मैं उम्मीद करता था कि हालांकि हमारा उसमें कोई प्रवेश नहीं है लेकिन हमने जो विचार हाउस के सामने पेश किये हैं उनकी कुछ न कुछ कद्र की जायगी। परन्तु विशिष्ट समिति के बाद जब वह बिल आया और उसकी रिपोर्ट मैंने देखी तो मेरे ऊपर इस बात का असर पड़ा कि वास्तव में आज कांग्रेस का इतना बड़ा बहुमत है और वह यह अच्छी तरह समझती है और उसे किसी अल्पमत की परवाह नहीं है। वह समझती है कि अपनी तादाद के जोर से वह जो कुछ चाहेगी इस हाउस से करा लेगी और वही मैं देखता हूं। पुराने बिल और विशिष्ट समिति के बिल में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं। मैं, खैर, यह जरूर चाहता था कि चूंकि यह बहुत गम्भीर विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसका हमारे सूबे और देश पर बहुत बड़ा असर होगा इसलिये बहुत गम्भीरता के साथ इस पर विचार किया जाता, यह मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन मैं देखता हूं कि हम जब कभी इस बिल पर बहस करने को खड़े होते हैं तो इस हाउस के सामने ऐसी दलीलें पेश कर दी जाती हैं जिनपर वास्तव में ठंडे दिल से विचार करना बहुत कठिन बात हो जाती है। मेरी आदत यह है कि जहां पर आंकड़ों की लड़ाई है वहां मेरा बहुत कम दखल रहता है लेकिन मैं सिर्फ एक चीज को इस

[श्री राजाराम शास्त्री]

विचारधारा से देखता हूं कि इसका हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा और समाज पर क्या प्रभाव होगा और यह विचार करता जनसाधारण के हित के लिये है या जनसाधारण के दबाने लिये। अगर मैं इस तरीके से इस हाउस के अन्दर विचार करता हूं, तो हाउस में जिस मकसद से काम करता हूं और राजनीति में भी, तो मेरा दृष्टिकोण सही होता है। इसीलिये इतने बड़े और आवश्यक बिल पर विचार करते समय मैं तफसील में जाकर विचार करना चाहता हूं। वास्तव में यह बिल जो पेश किया गया है वह केवल इस कारण से कि वर्षों से हमारे समाज की मौजूदा व्यवस्था और वर्तमान सामाजिक दशा ने मजबूर किया है कि यह बिल पेश किया जाय और इसीलिये यह पेश किया गया है। मैं यह भी देखता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर यह बिल हाउस के सामने आया है वह उद्देश्य इस बिल से पूरा हो सकेगा और अगर वह नहीं पूरा हो सकता है तो इसमें किस तरीके से सुधार किया जाय कि जिससे हम जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं उसकी पूर्ति कर सकें। इस निगाह से जब हम इस बिल को देखते हैं तो सब से पहिले मेरी इस बात को देखने की ख्वाहिश होती है कि आखिर कौन से वे कारण थे जिनने आज कांग्रेस सरकार को मजबूर किया कि वह इस तरह का बिल इस हाउस के सामने लाये।

इसमें कोई शक नहीं कि जब हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन चला उसका सदैव से यह ध्येय रहा और खास तौर से कांग्रेस में इस तरह की विचारधारा रही कि विदेशियों से मुल्क को आजाद कराना है और इस तरह से उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अंग्रेजों के साथ थी। दूसरी लड़ाई हमारी सामन्तशाही से थी और हम यह विचार करते थे कि जब कभी हमारे हाथ में राज सत्ता आयेगी तो हम इस सामन्तशाही को शीघ्र से शीघ्र हटाने की कोशिश करेंगे। सन १९३५ ई० में जवाहर लाल जी ने कहा था कि अगर अंग्रेजों के बाद हिन्दोस्तान में अपनी हुकूमत कायम भी होती है और अगर यह मध्यवर्ती वर्ग ज्यों का त्यों कायम रहता है तो वह आजादी की मशाल ही होगी। मैं उस समय यह उम्मीद करता था कि जब अंग्रेजों की सत्ता भारतवर्ष से चली जायेगी और यहां की हुकूमत हमारे हाथ में आ जायगी तो मेरे हृदय में यह पूरा विश्वास था, पूरी आशा थी और उल्लास था कि जिस वक्त हम अपने राष्ट्रीय झंडे के नीचे खड़े होंगे, कांग्रेस के हाथ में शासन की की बागडोर होगी तो मध्यवर्ती वर्ग की कमर टूट जायगी और काश्तकारों और किसानों का सिर ऊंचा हो जायगा। मध्यवर्ती वर्ग के मुकाबले में उन्हें ताकत हासिल होगी। लेकिन आजादी के बाद जब देश की राजसत्ता की बागडोर कांग्रेस के हाथ में आई और उसके बाद की सारे देश की आर्थिक पद्धति पर जब हम विचार करते हैं तो मुझे भय होता है और मुझे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि वास्तव में वह अपने उद्देश्यों से बहुत हट गये हैं और यह मालूम होता है कि थोड़े ही दिनों में हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या नेशनल एकोनोमी बैठ ही जायगी यही वजह थी जिसने मुझे कांग्रेस से अलग कर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और किसी खिसियाहट के कारणवश मैं समाजवाद में नहीं आया। बात केवल यह थी कि जिस सच्चाई के साथ हमने अपना आदर्श कायम किया था और जिस चीज को लेकर हम चले थे, और जो चीज हमने महसूस की थी तथा जिस ध्येय को लेकर हम चले थे, मैंने देखा कि कांग्रेस में रह कर उस ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकती है। हमें आज अपने उस ध्येय की पूर्ति करना है। हम कर सकेंगे या न कर सकेंगे उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं यह जानता हूं कि कांग्रेस के हाथ में इस समय ताकत है, मैं जानता हूं कि उनके पास शक्ति है। वे हमारी पार्टी को दबा सकते हैं उसका दमन कर सकते हैं लेकिन मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो इस तरह की चीजों से निराश हो जाय। मुझे तो यह विश्वास है कि हमारी पार्टी को कितना ही दबाया जाय, उसका कितना दमन किया जाय लेकिन समाजवादी विचारधारा वास्तव में दब नहीं सकती। अक्सर हमारी खिल्ली उड़ाई गई और कहा गया कि हमारी अक्ल में यह बात नहीं आती है कि हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसके लिये हमारी खिल्ली उड़ाई जाती है मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी थोड़ी सी विजय थोड़ी सी हंसी के ऊपर इतने फूले न समाइये। बनियां के इतिहास कर विलीन हो गईं। जो आज कमजोर दिखाई पड़ता है हो सकता है कि कल वह शक्तिशाली हो और आप कमजोर हों। इस बिल को पेश करने का एक कारण हो सकता है कि और वह यह कि हमारे देहात की जो आर्थिक व्यवस्था है वह चौपट हो चुकी है

उसको ठीक किया जाय। लेकिन मैं यह कहता हूं कि अगर कुछ दिन तक यही हालत और कायम रहती तो हमारे देहात के किसान भाई इस बात का इंतजार नहीं करते कि कांग्रेस पार्टी कोई बिल बनाये या नहीं और इस चीज को खत्म कर देते। उनकी कमर टूट चुकी है उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब हो चुकी है कि वे और ज्यादा दिन तक इस चीज को बरदाश्त नहीं कर सकते। हमारा अपना विश्वास है कि अगर जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये अगर थोड़े से समय के लिये और ढिलाई की होती या कोई कदम न उठाया गया होता तो सारे सूबे के अन्दर किसानों का एक ऐसा विद्रोह हो गया होता कि एक ही दम में, एक ही क्रान्ति में सारे सूबे की जमींदारियां खत्म हो गई होतीं। महात्मा गांधी ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था। वे अपने देश की नब्ज को खूब पहिचानते थे। उन्होंने सन् १९४२ में लुई फिशर से कहा था कि अगर इस वक्त कुछ न हुआ तो हिन्दुस्तान का किसान बिना मुआवजा दिये ही अपनी जमीन पर कब्जा कर लेगा और कोई ताकत नहीं कि उसको रोक सके।

मेरा यह विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह महसूस करती है कि अगर यू० पी० के अन्दर हमने जल्दी से कोई काम नहीं किया तो देहात के अन्दर विद्रोह मचेंगे। कल एक साहब मुझको रिपोर्ट दिखा रहे थे कि ३५ लाख इस तरह के यू० पी० में काश्तकार हैं जिन काश्तकारों ने दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप उनको ट्रेसपासर्स कहिये या कुछ कहिये लेकिन इससे यह बात साबित होती है कि उनके दिलों के अन्दर कितनी जमीन की भूख है और वह यह चाहते हैं कि जिस तरह भी हो हमको जमीन मिलना चाहिये। इस बात को रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि वास्तव में क्रांति के आसार हमारे देश के सामने मौजूद हैं। मैं सिर्फ आपको यह बतलाना चाहता हूं कि इस हाउस में कांग्रेस की तरफ से जो बिल आया है उसकी बहुत कुछ बुनियाद इसी बात पर है कि वह इस बात को महसूस करते हैं और यही महसूस करते हैं कि असंतोष इतना बढ़ गया है कि अगर उसकी रोकथाम न की गयी तो विद्रोह खड़ा हो जायेगा पृष्ठ ३५८ पर इन शब्दों में रिपोर्ट के लिखने वालों ने स्वीकार किया है :—

The age-long simmering discontent, occasionally bursting into acts of open defiance and sometimes of violence in our province and other parts of India, has reached a critical stage. Whatever forbearance and self-restraint we find in the countryside among the tenants is due to the hope that those who are running the State will undo the wrong done to them. Once that hope has gone, the tenant will be driven to desperation. The discontent may develop into revolt and our social security may be threatened by the outbreak of violence. Our scheme of Zamindari abolition contemplates payment of equitable compensation. If abolition is held over for a few years, abolition may mean expropriation without compensation and, quite possibly bloodshed and violence. In the words of Professor J. Laski, " To the threat of revolution, there is historically one answer, viz., the reforms that give hope and exhilaration to those to whom otherwise the revolutionaries make an irresistible appeal. ' One can only hope that the entire landed gentry is not blind to the writing on the wall.

(एक जमाने से भीतर ही भीतर सुलगने वाले असंतोष ने, जिसका विस्फोट खुले विरोध और कभी हिंसात्मक कार्यों के रूप में समय-समय पर हमारे प्रान्तों और भारत के दूसरे भागों में होता रहा है, नाजुक अवस्था प्राप्त कर ली है। देहात में काश्तकारों के बीच आज हम जो भी सहनशीलता और आत्मसंयम देखते हैं उसका कारण उनकी यह आशा है कि जो लोग 'राज-काज' चला रहे हैं वे उनके प्रति किये गये अन्याय को दूर करेंगे। यदि कहीं इस आशा का अन्त हुआ तो काश्तकार धीरज खो बैठेगा। तब उसका असंतोष विद्रोह का रूप धारण कर ले सकता है, और हिंसा फैलने से हमारी सामाजिक सुरक्षा खतरे में पड़ जा सकती

[श्री राजा राम शास्त्री]

जमींदारी–उन्मूलन की हमारी योजना में वाजिब मुआवजा देने की बात है। यदि जमींदारी का उन्मूलन कुछ वर्षों के लिये और रोक दिया जाय तो उस हालत में उन्मूलन का अर्थ बिना मुआवजे के जमींदार की अधिकारच्युति, (हक मालिकाना से उसका वंचित किया जाना) हो सकता है, और बहुत संभव है कि खून–खराबी तथा हिंसा भी हो। जैसा कि प्रोफेसर हैराल्ड जे० लास्की ने कहा है इतिहास को दृष्टि में रखते हुये क्रान्ति के खतरे को दूर करने का एक ही उपाय हो सकता है। वह उपाय ऐसे सुधार करना है जिनसे उन लोगों में आशा और प्रसन्नता का संचार हो सके जिनको, विपरीत अवस्था में, क्रान्तिकारियों की बातें अनिवार्य रूप से पसन्द आ जाती हैं।' हम यही आशा कर सकते हैं कि समूचा जमींदार–वर्ग वस्तुस्थिति देखने और समझने में असमर्थ नहीं है।) मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार ने आने वाली क्रांति के खतरे को देखा और उसको इस कानून को हाउस के सामने पेश किया। जैसा मैंने अभी पढ़कर सुनाया कि जब कोई इन्कलाब सामने आता हो तो एक तरीका यह है कि ऐसे सुधार करो कि जो भूखी नंगी जनता इन्कलाब करना चाहती हो उसकी दशा में सुधार हो और वह इंकलाब से विमुख हो सके। दूसरा तरीका यह है कि जैसा लास्की साहब ने कहा है कि उसके दिल में आशा पैदा कर दो और आशा इस बात की पैदा कर दो कि अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है ताकि वह ऐसी आशा से वशीभूत हो करके क्रांति से विमुख हो सके और वह क्रांतिकारियों के जाल में न फंसे। हमें ऐसा मालूम होता है कि हमारी कांग्रेस की हुकूमत ऐसा कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं करने जा रही है जिससे किसानों के दिल में ऐसी भावना पैदा हो कि वह क्रांति का मार्ग छोड़ सके। मेरा अपना ख्याल यह है कि कांग्रेस जमींदारी उन्मूलन का ढिंढोरा पीट करके उनके दिलों में इस बात की आशा पैदा करना चाहती है कि हम तुम्हारे भाग्य का सही निर्णय करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में आप देहातों में खूब ढिंढोरा पीटेंगे जिससे किसानों के दिल में आशा का संचार होगा कि जमींदारियां मिट जायेंगी और [illegible] दिन फिरेंगे लेकिन कुछ दिनों के बाद किसान इस बात को महसूस करेंगे [illegible]। हम लोग तो पूरी तौर से इस बात को महसूस कर चुके हैं कि पूरे का पूरा जमींदारी उन्मूलन बिल एक धोखा बाजी की चीज है, एक [illegible] है। जिस उद्देश्य को ले करके [illegible] किया जा रहा है वह चीज पैदा नहीं होगी। इससे जमींदारियां नहीं मिट रही हैं बल्कि जमींदारों की तादाद बढ़ाई जा रही है।

और आप यकीन मानिये कि कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से आज के जमींदार हैं वे हिन्दुस्तान की आने वाली राजनीति में जो नये बनने वाले भूमिधर हैं, दोनों के दोनों एक साथ मिल कर गवर्नमेंट जो देहातों में आर्थिक पद्धति पैदा करने वाली है उसमें ये नये जमींदार धनी वर्ग के साथ मिल कर भूमिधर की शक्ल में सामने आयेंगे। और जिन लोगों को आप आज जमीन नहीं दे रहे हैं, जिन खेतिहर मजदूरों को आप जमीन नहीं दे रहे हैं, जिन शिकमी काश्तकारों को शिकमी से निकाल रहे हैं, आप देख लीजियेगा कि ये लोग एक साथ मिल कर जमीन के बटवारे के लिये आगे बढ़ेंगे और यह मांग करेंगे कि हमें जमीन दीजिये। हमारा भी जमीन पर हक है। अगर आप उनको जमीन नहीं देंगे तो वे जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करेंगे और इस तरह से देहातों में संघर्ष होगा और यही भूमिधर वर्ग कांग्रेस हुकूमत की रीढ़ बन कर रहेगा जिस तरह से कि अंग्रेजों ने जमींदारों को बनाया था। अंग्रेजों ने जमींदारों को इसलिये नहीं बनाया था कि वे उनके बड़े प्यारे थे बल्कि इसलिये कि अंग्रेजों ने सन् १८५७ में भारत को पराजित करके यहां पर बड़ा दमन किया था और उसमें इन्हीं जमींदारों ने उनका साथ दिया था। अंग्रेज जानते थे कि हो सकता है कि आइन्दा चल कर कोई ऐसा मौका आ पड़े कि हमको इनकी मदद की आवश्यकता हो और इसी ख्याल से अपने राज्य को मजबूत करने के लिये उन्होंने इन जमींदारों को उत्पन्न किया था। और इस बात को सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इन जमींदारों ने सन् १८५७ ई० से लेकर सन् ४६ तक अपने उस फर्ज को अच्छी तरह से अदा किया। अगर इतिहास को आप देखें तो मालूम होगा कि यह जमींदार वर्ग जो इस देश में पैदा किया गया था उसने अपना काम पूरा किया है। हमारा देश हिन्दुस्तान जब जब आजादी की ओर बढ़ा, क्रान्ति की ओर बढ़ा,

उन्होंने बराबर अंग्रेजो का साथ दिया और उनके वफादार बने रहे। यह जमींदार वर्ग हमेशा ही अंग्रेजो का गुलाम रहा। जिस हालत मे आज आप इस बिल को पेश कर रहे हैं उसके ऊपर भी जरा गौर कीजिये। आज करीब-करीब १।६ हिस्से यूरोप मे कम्युनिज्म हो गया है, रूस कम्युनिस्ट हो गया है, आज सारा चीन कम्युनिस्ट हो गया है और मलाया और इंडोनेशिया मे कम्युनिस्ट आन्दोलन चल रहा है। आप जानते हैं कि सारे एशिया मे लाल क्रान्ति की लहर चल रही है और इस क्रान्ति की लहर को रोकने के लिये आप इस तरह की बातें करना चाहते हैं। कोई नहीं जानता है कि कल हिन्दुस्तान मे इस क्रान्ति का क्या रूप होगा। हिन्दुस्तान के आइन्दा के किसान क्या करेंगे, यह कोई नहीं जानता है। आज कल जिस तरह कि विचारधारा चल रही है उसको रोकने के लिये कांग्रेस इस तरह से किसानो को धोखे में रखना चाहती है। यह सभी जानते हैं कि आपके पास आर्डिनेंसों की ताकत है, एम० एल० एज० की ताकत है, म्युनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों मे भरे हुये कांग्रेसियों की ताकत है, अखबार आपने खरीदे हैं, बावजूद इसके आप यह समझते हैं कि इससे काम आगे चलेगा नही और आज इसलिये इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी है। आगे चल कर देहातों में विद्रोह शुरू होगा, उस समय के लिये आपका समर्थन करने के लिये एक वर्ग की आवश्यकता है। आज जो ये पुराने जमींदार हैं इनको किसान समझते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं। वे इन जमींदारो का कभी साथ नहीं दे सकते हैं। इसलिये अगर जमींदारों को अपनी बगल में लाना है तो जमींदार कह कर नही ला सकते तो अब एक बात भूमिधर वर्ग नाम देकर आप इस नये जमींदार वर्ग को किसानों के सामने पेश करना चाहते हैं कि ताकि भूमिधर के नाम से उनको धोखा दिया जाय। ऐसे किसान जिनके पास काफी रुपया है, जिन्होंने लडाई के जमाने में, मंहगाई के जमाने मे काफी रुपया पैदा किया है वे धनी वर्ग के साथ मिल कर भूमिधर के नाम पर सामने आयेंगे। लेकिन इससे किसान धोखे मे नहीं आ सकता है। आज कल की दुनिया दूसरे तरीके की है। आपका तरीका तो यह है कि कहें कुछ और करें कुछ। आप चाहते हैं कि भूमिधरी की व्यवस्था हो और देहातो के अन्दर एक पूंजीपति वर्ग मजबूत बने लेकिन यह न कह कर यह कहा जाता है कि हम तुम्हारे उद्धार के लिये ये बातें करते हैं। हम जो बाते करते हैं इसको भविष्य ही बतलायेगा कि वास्तविक बात क्या है और इस बिल को लाकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आज मैं इस बिल के खिलाफ बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और हमारी भविष्यवाणी सही होगी या गलत इसको तो आगे आने वाला हिन्दुस्तान का इतिहास ही बतलायेगा कि किसकी बात सही है और किसकी गलत। दूसरी बात आप यह देखिये कि हम यह महसूस करते हैं कि हमारे देश के अन्दर क्या हो रहा है।

श्री चरण सिंह--क्या मैं आपके जरिये से आपसे यह पूंछ सकता हूं कि किसानों को जमीन का मालिक बनाने के लिये सोशलिस्ट पार्टी यह मानती है या नहीं कि उसको भूमिधर बनाना चाहिये ?

श्री राजाराम शास्त्री--इसका जवाब मैं आगे दूंगा जब मैं इस बात पर बहस करूंगा।

डिप्टी स्पीकर--आपको सवाल का जवाब देने के लिये मजबूर नही किया जा रहा है आप इसका जवाब अब दें या जब आप ठीक समझें तब दें।

श्री राजाराम शास्त्री--मैं यह कह रहा था कि बहुत सी बातें आने वाली हैं। आप लोग नोट कर लें मैं सब का जवाब दूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब हमारे देश के अन्दर क्रान्ति की लहर आ रही है तो इन सब बातों पर गौर करने की निहायत जरूरत है। हमारे देश में ७२ फीसदी आदमी खेती पर निर्वाह करते हैं। खेती पर बोझा बढता जाता है। हम जानते हैं कि यदि भूमि की व्यवस्था नहीं की गई तो मुल्क की हालत और भी खराब हो जायगी। हालत क्या है यह रिपोर्ट में आप देखें--उसके पूरे आंकड़े रोशनजमां साहब ने आपके सामने पेश किये। उस रिपोर्ट के बारे मे मैं आपके सामने बहस नहीं करता लेकिन देखने की बात यह है कि मुट्ठी भर लोगों के पास अधिकांश जमीन है और अधिकांश लोगों के पास मुट्ठी भर जमीन है। यह विषमता ही इस बात का कारण है कि सूबे के अन्दर उथल-पुथल हो। हम चाहते हैं कि हम इस विषमता को मिटा दें। इस अशान्ति के कारण को देश से दूर कर दें। इसका एक ही तरीका हो सकता है और वह यह है कि जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उससे उसको

[श्री राजा राम शास्त्री]

ले और जिनके पास जमीन नहीं है उसको जमीन दे । यह सीधा सादा और सिम्पल नुस्खा है जिसको मिनिस्टर ही नहीं बल्कि मामूली सा आदमी खेत में काम करने वाला, फड़वा चलाने वाला भी समझ सकता है और वह इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि जिसके पास जमीन है उससे लो और जिसके पास नहीं है उसको दो । लेकिन हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इतना कमाल का नुस्खा सामने रखा है कि जो अजीब है । वह यह है कि जिसके पास जो जितनी जमीन हो उससे धेला भर न लो और जिसके पास धेला भर भी नहीं है उसको एक पाई भर भी न दो। यानी किसी भी जमींदार के पास ५ हजार या १० हजार बीघा जमीन हो तो उसके लिये कांग्रेस सरकार ने खुला एलान कर दिया है कि तुम्हारे पास जितना भी लूट का माल रखा है, जो तुमने १८५७ ई० में विश्वासघात करके कमाया है या सन् २१ ई० में या ३० में कमाया है या सन् ४२ की क्रान्ति में जनता से लूटा हो । तुम्हारे पास चाहे जितना माल हो या जितनी भी रकम तुम लूट चुके हो उतनी तुम्हारे पास रहेगी । जिसके पास १० हजार बीघा जमीन है उससे एक धेला भर भी लेने के लिये तैयार नहीं है और ऐसे लोग जिनके पास आध बीघा, २ बीघा जमीन है उसको एक बीघा भी देने के लिये तैयार नहीं हैं । इस तरह की चीज है जिसके लिये कांग्रेस सरकार ने ढिंढोरा पीट रखा है कि हम सामाजिक न्याय करने जा रहे हैं । इस प्रकार से यह किस तरह सामाजिक न्याय का आधार होगा कि जिसके पास १० हजार बीघा जमीन है उससे आप एक बीघा भी लेने की हिम्मत नहीं करते हैं । और जिसके पास एक बीघा है उसको आप और एक बीघा देने के लिये तैयार नहीं हैं । यह बात हमारी समझ में नहीं आई । जब मैं जमीन के बंटवारे के बारे में कहूंगा तब मैं इस पर ज्यादा कहूंगा लेकिन इस मौके पर तो यही कहना चाहता हूं कि इसके बारे में रिपोर्ट के अन्दर बिलकुल साफ शब्दों में यह चीज लिखी हुई है । सफा ३८९ पर यह लिखा है कि:—

"We, therefore, recommend that no limit be placed on the maximum area held in cultivation either by a landlord or a tenant. Everybody now in cultivatory possession of land, will continue to retain the whole area."

(इसलिए हम यह सिफारिश करते हैं कि जमींदार या काश्तकार के पास की निजी खेती के अधिकतम रकबे के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए । ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे में इस समय निजी खेती—बाड़ी की जमीन है, अपने पूरे रकबे पर काबिज बना रहेगा)

बड़ी खुशी है कि इतने दिनों की रगड़—झगड़ के बाद आप में थोड़ी सी अकल आई और आपने अब यह तै कर दिया कि अब तक जिसने लूट में लूट लिया वह लूट लिया लेकिन आइन्दा ३० एकड़ से ज्यादा कोई न रख सकेगा। यह आप का कौन सा इन्साफ है कि आइन्दा कोई ३० एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकेगा लेकिन उस वक्त तक कि जब यह कानून पास हो रहा है उस वक्त तक आप ने कोई रोक ही नहीं लगाई है हर शख्स चाहे जितनी जमीन हो रख सकता है यह आप का कौन सा न्याय है, यह आप की कौन सी दलील है । मैं आप से कहता हूं कि आज आप जिस तरह से यह तरीका अख्तियार करते हैं कि जिस के पास जितनी जमीन है वह उसके पास ही रहे और जिसके पास नहीं है उसको कुछ नहीं देते तो मुझको ऐसा ख्याल हो रहा है कि वास्तव में आपकी इस नई भूमि व्यवस्था में भी वही असन्तोष जारी रहेगा लेकिन एक चीज है जो किसान की समझ में नहीं आ सकती और वह यह है कि अगर सारे देश की व्यवस्था और आर्थिक पद्धति को आप देखेंगे तो अबतक कांग्रेस इसी नतीजे पर पहुंची है कि अगर बड़े-बड़े व्यवसाय हैं तो वह पूंजीवादियों और पूंजीपतियों के ही हाथ में रहें और आप पूंजीपतियों को हर प्रकार का सहयोग दे रहे हैं और उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं । आप उन पर टैक्स कम कर रहे हैं, उनको व्यापार में सहूलियतें दे रहे हैं । जब उनका सवाल आता है तो आप राष्ट्रीयकरण की बात को छोड़ देते हैं और चोर बाजारी करने वालों को फुसलाने की कोशिश करते हैं । आप देश के अन्दर उन्हीं को हर प्रकार का प्रश्रय देना चाहते हैं । आप देहातों में भी जमींदारी की प्रथा को खत्म

करने के बाद एक पूंजीवादी व्यवस्था कायम करना चाहते है और कृषि व्यवस्था मे भी पूंजी-व्यवस्था लाना चाहते हैं। जो अब तक कृषि से कोई संबंध नही रखते थे उन पूंजीपतियो को भी अब आप देहात मे भेजना चाहते हैं और उनको आप दावत देते है कि बड़े बड़े फार्म बनाकर और यूरोप तथा अमेरिका से मशीनें मंगा कर देहातो मे और वहा की व्यवस्था मे दाखिल हो जायँ। आप पैसे वाले लोगो को चाहते हैं कि वह गरीबो की जमीनें खरीद कर अपना फार्म बनावे। वैसे तो हमारा किसान चाहे जितना गरीब क्यो न हो लेकिन वह अपनी एक बीघा जमीन भी नही छोड़ सकता इसलिए आपने तरीका यह निकाला है कि उसकी माली हालत इतनी खराब कर दी जाय कि उसके पास अगर एक एकड़ भी जमीन हो तो वह मजबूर होकर उसको बेच दे और अगर उसको बेचने का हक न होगा तो वह अपने एक दो बीघा मे ही चिपटा रहेगा। लेकिन उस हालत मे पैसे वाले जो महाजन हैं वह क्या करेंगे। वह तो उसी हालत मे आपके जरिए से सरसब्ज होंगे कि जब देहात में जमीन भी खरीद फरोख्त की चीज बन जायगी। इसलिए यह साफ जाहिर है कि आपकी सरकार देहातो मे एक नई पूंजीवादी व्यवस्था कायम करना चाहती है और वह तभी कायम हो सकती है कि जब आप उन गरीब आदमियों को यह हक दे देंगे कि वह अपनी जमीनों को बेचें और अमीरों को आप के जरिए से यह हक मिले कि वह उन गरीबो की जमीनों को खरीदें।

बिल की दूसरी दफाओं में भी आप देखेगे कि आप ने इस तरह की गुंजाइश रक्खी है और ऐसा कानून बनाया है कि अगर किसी गरीब का काम खराब हो गया तो उसकी जमीन बिककर ऐसे लोगो के पास हो जायगी जो आपके देहातों में एक नई पूंजीवादी व्यवस्था कायम कर सकेंगे। मैंने कहा कि आपका यह उद्देश्य है। पहला काम तो यह है कि यू० पी० के किसानो को पहिले लूटा जाय। जो धन-दौलत और पैसा किसानो के पास है उसको लूट लिया जाय। उनको ऐसा कर दिया जाय और वह इतने गरीब हो जाये जिससे उनके पास जमीन न रह जाय। वह जब तक गरीब न हो जायेंगे उस वक्त तक जमीन को नही बेचेंगे। पन्त जी जो स्पीचेज करते हैं उनको देख लीजिये। किसानो! तुम्हारे पास जो कुछ सोना-चांदी और जेवर घर मे है सब बेच दो। भूमिधर का हक नहीं है तो जो कुछ जमीन बचे वह भी बेच लो। मतलब साफ है कि अभी जितना भी धन-दौलत सोना-चांदी उनके पास है वह सब भूमिधर बनाकर ले लिया जाय। जब भूमिधर बन जायें और चार दिन के बाद जब खाने के लाले पड़ने लगे तो हमारे चरणसिंह साहब के पास आयें और कहें कि साहब हम भूमिधरी भी बेचना चाहते है इसे बिकवा दीजिये। आप अपने पैसे वाले दोस्तों से कहें कि तुम खरीद लो। इस तरह की तजवीज की जायगी। अभी हमारे सामने यह बात नही आती। इस तरह की चीजें की जा रही है। उन्होंने खुद यह बात कही है कि देहात में सोना-चांदी भरा हुआ है। इतना नही समझते कि जब हिन्दुस्तान मे सोना-चांदी नहीं है तो देहातों मे भी नहीं है। आप दस गुना लगान लेकर किसानों को तबाह करने के लिये यह काम कर रहे हैं। मै आप से यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था आप देहातों में कायम करना चाहते है उसी लिये यह बिल पेश किया है। देहातों के गरीब किसानों के पास से जमीन निकलकर बड़े आदमियो के हाथ में जमीन आ जाय और पैसे के जोर से वह उनको खरीद लें और पूंजीवादी व्यवस्था क़ायम कर सकें। क्रान्ति को रोकने के लिये पूंजीवादी व्यवस्था क़ायम करने के लिये इन उद्देश्यों से आप हाउस मे यह बिल लाए हैं। यह सफलीभूत न होगा। देहातों मे संघर्ष शुरू होगा। काश्तकार और खेतिहर मजदूर एक तरफ मोर्चा बनाकर खड़े होंगे और दूसरी तरफ भूमिधर और पुराने जमींदार होंगे। इतना कहना चाहता हूं कि यहां जो जमींदार बैठे हुये हैं उन्होंने तक़रीरें कीं। मुझे उम्मीद थी कि उनकी जमींदारी छिन रही है वह इस बिल के खिलाफ तक़रीर करेंगे। हमारे नवाब यूसुफ साहब बोले। मैंने उनकी स्पीच सुनी। मेरे दिल पर यह असर पड़ा गोया मिली हुई कुश्ती लड़ी जा रही है। मुझ पर यह असर पड़ा कि वह कांग्रेसी बनने वाले है या बन चुके हैं। सोचिये। जमींदारी खत्म हो रही है वह हाउस के सामने खड़े है और कांग्रेसी हुकूमत की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। वह आइन्दा आप की तरफ बैठने वाले हैं। उनका विरोध दिखावटी है। वह दिल के अन्दर समझते है कि जमींदारी जिस तरह खत्म होना चाहिए उस तरह खत्म नहीं हो रही है।

[श्री राजाराम शास्त्री]

उनका इरादा [illegible] कहता है कि वास्तव [illegible] आप यहां बैठे हैं। यह [illegible] जानते हैं कि [illegible] और उनकी तरफदारी की जा रही है। लेकिन [illegible] अगर आप [illegible] तो जमींदार भी बेचारे परेशान हो जायेंगे [illegible] किसानों के बीच [illegible] जायगा। लेकिन वास्तव में [illegible] दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। यह [illegible] कहते [illegible] कि हमारी पोल न खुलनी चाहिये इसलिये हाउस में तुम हमारा विरोध करो। इसी तरीके से [illegible] जाते हैं।

एक सदस्य—लेकिन जमींदारों के बगल में तो आप लोग ही बैठते हैं।

श्री राजाराम शास्त्री—हम जानते हैं कि हम बगल में बैठकर उनको कभी नहीं [illegible] सकते और यह जानते हैं कि आप दूर बैठ कर भी उन्हीं के हैं। यह तो आगे आने वाला जमाना बतायेगा कि कौन किसकी तरफ है। लेकिन मेरा यह यकीन है और आप देख लीजियेगा कि जब नयी व्यवस्था आयेगी तो जो लोग आज हमारी तरफ बैठने वाले हैं वे आपकी तरफ जायेंगे। पर यह भी मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आप में से जो लोग ईमानदार हैं, जिनको जनता की कुछ चिन्ता है वे हमारी तरफ बैठेंगे। चन्द रोज के लिये आप अपनी दुकान और चला लें। कितने दिना [illegible] जनता को मूर्ख बना सकते हैं। अभी मैं आपके सामने उदाहरण देकर बताऊंगा। यहीं उधर बैठे वाले लोग हाउस के अन्दर जो सरकार का गुण गान करते हैं उनके हाथ में अगर अखबार है तो अखबारों में सरकार की घोर निन्दा करते हैं। यहां ऐसी बातें करते हैं लेकिन अगर आप उनके घर पर जाइये, डाकबंगलों में जाइये तो देखिये कैसी निन्दा वे सरकार की करते हैं।

मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि इसमें दो, तीन चीजें बुनियादी बातें हैं और मेरा यह विश्वास है कि अगर ऐसी बुनियादी बातों को आप नहीं छुयेंगे, इनकी ओर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर [illegible] में इस चीज का मसला हल नहीं होगा। मैं इस बात को पहिले लेता हूं। जैसे कि आपने कहा कि जब हम जमींदारों को खत्म करना चाहते हैं तो जमीन का मालिक कौन बने। यह मसला समझने में कठिन आता है और मैं जानता हूं इनके हृदय की चाल। जैसा कि कमलापति जी ने कहा, बिल्कुल सही है। आज हमारे देश की जनता शिक्षित नहीं है हमारे किसान [illegible] ख्याल के हैं, इससे जमीन के टुकड़ों में लिपटे हुये हैं और अपनी जमीन को अपनी जिन्दगी से ज्यादा प्यारी मानते हैं। नतीजा यह है कि आज यह वही बात कहना चाहते हैं और उसी तरह से कहना चाहते हैं जिसकी वजह से वह किसान खुश रहें ताकि अगले दिनों में उनको वोट ज्यादा मिल सकें। रोज २ हमसे यह कहलाया जाता है क्योंकि हम समाजवादी हैं। हम उत्पत्ति के जो भी साधन हैं, चाहे जमीन हो, कारखाने हों उत्पादन के जो साधन हैं हम उनके राष्ट्रीयकरण में विश्वास करते हैं और हम यह जानते हैं कि जनता की गुलामी का, जनता की तबाही का अगर सबसे बड़ा कारण आज है तो यही है कि यह जमीन, यह कारखाने और उत्पादन के जो साधन हैं वे सारे के सारे मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहते हैं। जो इस तरह के उत्पादन के साधन देहातों के अन्दर हैं, जो कल-कारखानों के रूप में शहरों में हैं उन पर मुट्ठी भर लोगों ने कब्जा कर लिया है। मेरा विश्वास यह है कि यह जमीन प्रकृति की देन है, किसी इन्सान ने इसे पैदा नहीं किया। किसी इन्सान को हक़ नहीं हो सकता कि इस तरह की जमीन पर अपनी मिल्कियत क़ायम करे। मैं साफ कह देना चाहता हूं और डंके की चोट पर कह देना चाहता हूं चाहे कल ही जाकर आप किसानों के बीच में यह कह दें कि जमीन की मिल्कियत के बारे में भी हम बिल्कुल राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं। हम बिल्कुल साफ कह देना चाहते हैं कि अगर जमीन पर किसी का हक हो सकता है तो वह समूचे समाज का ही हो सकता है। समाज ही है जो जमीन का मालिक हो सकता है। समाज उसकी उन्नति करता है, जंगलों को काट कर समाज आगे ले जाता है, असल में समाज की ही जमीन होनी चाहिये।

मैं आज इस क़ानून को पढ़ रहा था। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इसमें जो यह दफा ६ है कि इस ऐक्ट के प्रारम्भ होने के बाद यथाशीघ्र प्रान्तीय सरकार विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित

कर सकेगी कि निर्दिष्ट किए जाने वाले दिनांक से संयुक्त प्रान्त में स्थित सब आस्थान, इस्टेट्स, हिज़मेजेस्टी हिम के स्वत्वाधिकार में आ जायेंगे, शैल वेस्ट इन हिज़ मेजेस्टी। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि आखिर इसके मानी क्या हुए। मानी इसके मानी मैं यह नहीं समझ सका कि जब आप यह कहते हैं कि इस कानून को जिस वक्त लागू किया जावेगा तब से सारी यू० पी० की जितनी ज़मीन है, जितनी भी इस्टेट्स है, ये सब हिज़ मेजेस्टी मे वेस्ट करेगी। अगर ये हिज़ मेजेस्टी मे वेस्ट करेगी तो हिज़ मैजेस्टी क्या बला है? मैं तो हिज मेजेस्टी के मायने यही समझा कि यू० पी० की जो सरकार है, हिन्दुस्तान मे जो प्रजातंत्र है और हमारे यहां की जो सरकार है उसमे वेस्ट करेगी। तब आप के यह कहने के क्या मानी है कि साहब, हमारे लिये आप बार बार यह बात कहते है कि आप सरकार के हाथ मे क्यों देना चाहते है? बेचारे डेढ़ बीघा क्यों नहीं देना चाहते है? यह बेईमानी की बात है, आप इसको साफ तौर से नहीं कहना चाहते है।

श्री चरण सिंह—और यह आप की ईमानदारी है कि यह बेईमानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यह कहां तक पार्लियामेंटरी है?

श्री राजाराम शास्त्री—दूसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि जरा दफ़ा १४५ को तो आप देखिये। उसमे लिखा है कि इन ऐक्ट के निर्देशों पर उपाश्रित रहते हुए, भूमिधर को ऐसी सब भूमि पर, जिसका वह भूमिधर हो, एकान्तिक कब्जे का अधिकार होगा और उसको यह भी अधिकार होगा कि जिस प्रयोजन मे चाहे उसमे वह उसका उपयोग कर सके। अब ज़मीन वेस्ट तो हो जायगी हिज़ मैजेस्टी मे, कब्जा (पज़ेशन) होगा काश्तकार का और वह उपयोग (यूज) कर सकेगा जिस काम (पर्पज़) के लिये वह चाहे। तो स्वामित्व होगा हिज़ मैजेस्टी मे, क़ब्जा होगा किसान मे और वह उपयोग कर सकेगा उस जमीन का जैसा वह चाहे। तो साहब, यह क्या बात हुई? कौनसी इसमे ऐसी खास बात है? हम समाजवादी भी यही कहते है, और जैसा आज श्री कमलापति जी त्रिपाठी और किसी एक मेम्बर साहब ने कहा कि आप एक आर्डिनेंस पास कर दे और २४ घंटे मे ऐलान कर दे ज़मींदारी सबकी सब ले लेने का। क्यों साहब, जरा यह तो बतलाइयेगा इसमे कौन से फ़र्क की बात रही। हम तो इतने दिनों से चिल्लाते आ रहे है कि आर्डिनेंस पास हो और २४ घंटे मे एलान किया जावे कि आज से सब ज़मीन सरकार की है और जिसको जो कुछ लेना हो वह पुनर्वास के लिये सरकार के यहां अर्जी दे। हम फिर वही बात दोहराते है। इतने दिनो की लड़ाई झगड़े के बाद आप अब यह बात कह रहे हैं कि आर्डिनेंस पास करके ज़मीदारी जितनी जल्दी हो सके ले ली जाय। अगर यह अक्ल तीन साल पहिले आ गई होती तो शायद इतनी मुसीबत न उठानी पड़ती। यह चीज़ आपको पहिले से करनी चाहिये थी। अगर यह चीज़ आपने पहिले कर दी होती तो पिछले तीन सालो मे जो यू० पी० के किसानों की ज़मींदारों की तरफ से लूट हुई वह कभी भी नहीं हो सकती थी। सारी बंजर ज़मीन और सारे पेड़ वगैरह जो कुछ भी थे सब लुट गये क्योंकि वे जानते थे कि ज़मींदारी विनाश प्रस्ताव पास हो चुका है। इस तरह से आपने तीन सालों के लिये ज़मींदारों को मौक़ा दे दिया और अब आप यह कहते हैं कि साहब जल्दी से आर्डिनेंस पास कर दिया जाय। लेकिन मैं तो कहता हूं कि आपकी ओर से अभी इसमें और देर लगेगी। जहां तक हो सकेगा आप इसमें देर करेंगे। लगातार ६ माह तक यू० पी० के किसानों की लूट हो चुकेगी तब आप कहेंगे कि लो इस कानून को लो, इसको चाटो और अपनी जिन्दगी बरबाद करो।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक मिल्कियत का ताल्लुक़ है हमारा ख्याल है कि जिस रूप से आप प्रोप्राइटरशिप देने जा रहे हैं और जब देश का उद्योगीकरण करना चाहेंगे, जब देहात में सही मानों मे सहयोगी खेती या सामूहिक खेती की ओर बढ़ेंगे तो उस मौक़े पर किसान विद्रोह करेंगे। आप उसका सूत्रपात करने जा रहे हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि आप किसानों को जमीन बेचने का अधिकार न दें। आज ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता है कि किसान अपनी जमीन को किसी हालत में बेंच न सकें और इस तरह की आवश्यकता को इसलिये महसूस करता

[श्री राजा राम शास्त्री]

हू कि अगर आप आज इस तरह की चीज करेंगे तो नतीजा क्या होगा ? कल आप जब देहात में उद्योग करना चाहेंगे तो क्या होगा ? कलेक्टिव फार्मिंग की तरफ आप कदम बढाते हैं तो सारे किसान विद्रोह कर देंगे और आप के यू० पी० में रूस जैसा रक्त की नदियां बह जायेंगी, जो रूस ने किया वह जबर्दस्ती में करने के लिये तैयार नहीं हूँ। अगर इस तरह की जबर्दस्ती की जायगी तो उसे सबक रूस से लेना है। वह क्रांतिकारी थे और पहिली बार उन्होंने किसानों के बल पर गद्दी सम्भाली थी। उन्हें किसान और मजदूर के नाम पर अपने सिद्धान्तों को तलवार की नोक पर पूरा कराने के लिये कदम उठाना पड़ा। लेकिन हमें तो समझदार आदमी की तरह उनसे सबक हासिल करना है। लेकिन इसके यह माने नहीं हैं कि जो काम वहां जबर्दस्ती किया गया वही हम भी करें। हम यह चाहते हैं कि आज अगर किसान तैयार नहीं हो सकता है तो धीरे धीरे उसे समझा कर प्रोपेगेन्डा के जरिये उसे ऐसे रास्ते पर लायें कि तुम सब लोग मिल कर आगे बढ़ो। सब के हित में एक का हित है और एक के हित में सबका हित है। अगर आपने व्यक्तिवाद की मनोवृत्ति कहीं उनमें पैदा कर दी तो देश का कल्याण नहीं हो सकता। हमें लोगों में इस तरह की भावना पैदा करनी है कि समाज को आगे बढ़ाने से ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और उसकी उन्नति हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि देहात में इस भावना को पैदा किया जाय कि सब किसान एक साथ गांव में रहते हैं तो सबको एक साथ आगे बढ़ाना चाहिये। अगर आज यह बात उनकी समझ में नहीं आयेगी तो कल आयेगी और हमें उन्हें बताना है कि छोटे-छोटे खेतों से तुम्हारा काम नहीं चल सकता। अगर तुम्हें एक साथ खेती करना चाहिये। उनके अन्दर सहयोगिता यानी कोआपरेशन की भावना लानी चाहिये। आपको कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐसी बनानी हों जिनमें जमींदारों का हाथ बहुत कम हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और फिर सहकारिता तथा कोआपरेशन करेंगे तो वह आपका विफल होगा। यदि आप इसी आबादी ढांचे पर यह सोसाइटियां बनायेंगे तो रुपया वाले वहां पहुंच जायेंगे और उनके मालिक ये जमींदार होंगे। ये जमींदार सारे के सारे खद्दर का कुर्ता पहिनेंगे और खादी की ही टोपी पहिनेंगे और लोगों के सामने देश भक्त के रूप में आयेंगे। जैसा कि अभी प्राग नारायण साहब ने कहा है कि कांग्रेस को चाहिये कि वह गांवों में हम लोगों को लीडर बनाये और यकीन मानिये यही लोग लीडर बनेंगे और कोआपरेटिव सोसाइटीज इनके ही पास जायेंगी। अगर देहात में कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाना है तो सबको बराबर हक मिलना चाहिये चाहे कोई दो हजार रुपया दे, चाहे दस हजार रुपया दे या पांच या दस रुपया दे। अगर ऐसा होगा तो सहकारिता समितियों में किसानों का प्रभुत्व होगा।

मैं कांग्रेस पार्टी से इतना कहना चाहूंगा कि यह ठीक है विरोध के लिये, वोट लेने के लिये भले ही किसानों से कह दें हम तो तुम्हें जमीन देना चाहते हैं, हम तुम्हें जमीन का मालिक बनाना चाहते हैं। मालिक शब्द बार-बार रोशन जमा खां साहब ने इस्तेमाल किये थे। लेकिन आप तो स्वामित्व स्टेट को देना चाहते हैं। वास्तव में जमीन का स्वामित्व समाज के हाथ में होना चाहिये, व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होना चाहिये।

माननीय माल मंत्री [illegible]---आपके जरिये से एक सवाल करना चाहता हूं कि हमारे दोस्त ने शुरू में तो यह कहा था कि इस जमींदारी एबालीशन में जमींदारों की तादाद बढ़ाई जा रही है और इस वक्त कहते हैं कि भूमिधरी राइट्स नहीं दिये जा रहे हैं, धोखा दिया जा रहा है। "हाउ डज ही रिकंसाइल दोज़ टू स्टेटमेंट्स।"

श्री राजाराम शास्त्री---आप कहते हैं कि कब्जा तुम्हारा रहेगा, जैसे तुम चाहो उसको इस्तेमाल करो लेकिन स्वामित्व रहेगा "हिज मैजेस्टी" के अंदर में। यह क्या गोरख-धंधा है कि जमीन का स्वामित्व तो रहेगा स्टेट में और कह रहे हैं कि हम स्वामित्व किसानों को दे रहे हैं। किसान को आप जमीन दे रहे हैं, उसमें आपने ओनरशिप इस्तेमाल नहीं किया है, स्वामित्व शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आपने कहा कि कब्जा रहेगा किसानों का और जिस तरह से वह चाहेंगे उपयोग (यूज) करेंगे लेकिन स्वामित्व रहेगा स्टेट का। मेरी समझ

में यह बात नहीं आती कि आप कब्जे की बात क्यों कहते हैं, यह डिक्लेयर क्यों नहीं करते कि स्वामित्व किसान का है। फिर सौदागरी आपकी कहां रहती है। दस गुना लगान लेने वाले आप कौन होते हैं ? जब किसान का स्वामित्व होगा उस वक्त आप दस गुना लगान नहीं ले सकते। मैं आपके साथ सौदा करने के लिये तैयार हूं कि आप ओपेनली डिक्लेयर करिये (खुल्लम खुल्ला एलान कीजिये) कि किसान का जमीन पर स्वामित्व है और आप दस गुना लगान नहीं लेंगे। आप तो करते हैं बेईमानी की बात, धोखे धड़ी की बात। जब किसान जमीन का मालिक है तो आप कहां के ठेकेदार हैं उसकी कीमत मांगने वाले।

लेकिन आप जानते हैं कि यह चीज तो हम तुम्हें तभी देंगे जब तुम दस गुना लगान दोगे इसके मानी यह है कि किसान जमीन का मालिक नहीं है और आप दस गुने लगान से सौदागरी कर रहे हैं। आप में हिम्मत है तो कहिये किसानों से कि जमींदारी खत्म हो गयी, तुम जमीन के मालिक हो, दस गुना लगान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप तो सरेबाजार खड़े होकर जमीन की कीमत लगाते हैं कि जो दस गुना लगान देगा वही उसका मालिक होगा। यह धोखा-धड़ी नहीं है तो क्या है ? किसान इस बात को नहीं समझ पाता तो इसके मानी यह नहीं है कि आप इस तरह की चालबाजी करके उसे फंसाने की कोशिश करें। जमींदारों से जमीन छीन कर आप बाजार में खड़े हो कर एलान कर रहे हैं कि जिसके पास पैसा हो वह उसे ले ले और जिसके पास पैसा नहीं है वह उसको नहीं खरीद सकता। इसमें भी कमाल की यह बात है कि जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको १५ गुना लगान देना पड़ेगा और उससे कम गरीब जो है उसको दस गुना लगान अदा करना है और जो बड़े-बड़े जमींदार हैं उनके लिये खुला एलान है कि तुम्हारे पास चाहे १० हजार बीघा जमीन हो, खुदकाश्त और सीर जितनी भी हो, तुम से एक पैसा भी नहीं लेंगे। यह है कांग्रेस का बाजार। इसके बाद मुझसे आप पूछते हैं कि तुम जमीन का मालिक किस को समझते हो। सीधी बात यह है कि हममें ज्यादा ईमानदारी है। हम साफ कहते हैं कि जमीन का मालिक समाज है, व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। आप सौदागर हैं। ऐसी हालत में मैं कहता हूं कि यह बात सफाई के साथ कह दी जाय कि जमीन का मालिक समाज है। आपने ग्राम पंचायतें बनाई हैं। हम तो कहते हैं जमीन का इंतजाम गांव पंचायतों के हाथ में दे दीजिये। आप समझते हैं......

माननीय माल सचिव--जरा आहिस्ता बोलिये। समझ में नहीं आ रहा है।

श्री राजाराम शास्त्री--बहुत ठीक बात आपने कही है। आप यह कहते हैं कि खेती का सारा इन्तजाम जो किया जायगा वह आने वाले भूमिधर और नये बनने वाले जमींदार ही कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि आप यह क्यों समझते हैं कि किसान एक साथ मिल कर जमीन का इन्तजाम नहीं कर सकता। जो देहात के अन्दर पंचायत पर बैठ कर, जज बनेगा, टैक्स लगायेगा और देहात का सारा इंतजाम करेगा क्या उसकी सामूहिक अक्ल में इतनी बात नहीं आ सकती कि सारे के सारे ग्राम की सामूहिक खेती किस तरह से की जाय? हमारा यकीन है कि अगर मौका दिया जाय, शिक्षा दी जाय, अच्छी तरह से अवसर दिया जाय, तो एक दिन आयेगा जब पंचायत व्यवस्था उन्नति करेगी और इसी देहात के अन्दर शासक बन कर बैठेंगी। हमारी जिन्दगी में ही यही गांव पंचायतें सामूहिक रूप से नयी चीजें लेकर आगे बढ़ेंगी, यही ग्राम पंचायतें अपनी मशीनरी से, अपनी अक्ल से, अच्छा इन्तजाम करेंगी और इस कांग्रेस की हुकूमत से और उन भूमिधरों से हजारों दर्जे अच्छा इंतजाम कर के दिखला देंगी। रूस में भी जब किसानों और मजदूरों की हुकूमत आयी तो लोग कहते थे कि यह मिलों में काम करने वाले मजदूर और यह फावड़ा चलाने वाले किसान क्या जानें हुकूमत करना। मैं भी कम्युनिस्टों का कुछ विरोधी रहा हूं। लेकिन आज कहता हूं कि रूस के किसानों और मजदूरों ने अपने यहां के जमींदारों भूमिधरों और अपने यहां के कांग्रेसियों से कहीं अच्छा इन्तजाम करके दिखला दिया। आप लोगों के कमअक्ली की बात है कि सारी अक्ल का ठेका आपका ही है और ग्राम पंचायतें काम नहीं कर सकती हैं। मैं तो कहता हूं कि ग्राम पंचायतों के हाथ में जमीन की मिल्कियत हो।

[श्री राजाराम शास्त्री]

मै इसी के साथ बड़े अफसोस के साथ यह भी कहता हूं कि हाउस में जब जब इस उसूल पर बहस की गई कि हम मुआविजा दे या न दे या दें तो कितना दें, तो इस सिलसिले मे बार-बार आचार्य नरेन्द्रदेव जी का नाम लिया गया। एक व्यक्ति जो इस हाउस का मेम्बर नहीं है, जो आपके तर्कों का जवाब नही दे सकता है, आप उनके नाम को क्यों सामने लाते हैं? उन्होंने पूरी चीजे जो कुछ भी पेश की है, अगर उन सबको आपने मान लिया होता तो भी मै समझता कि आप के अन्दर ईमानदारी है। लेकिन जो मुआविजा दिया जाय उसका बोझ रईसो पर पड़े कि गरीबों पर पड़े, जमीन का बटवारा किया जाय या नहीं। मै कहता हू कि उनकी बाते पूरी तरह से मान ली जायं। अगर आचार्य जी को मानते हो तो जमीन के बटवारे की भी बात मान लो। आचार्य जी ने एक मीटिंग में यह कह दिया था कि अगर हमारी बात मानते हो, अगर बराबर रात दिन हमारे नाम का माला जपा करते हो तो लो इतनी बात कर लो' जो गवाही मैने दी है उसको ही मान लो। उनकी गवाही जिसका आप बराबर जिक्र किया करते हो उस गवाही को भी आपने छापा नही है कि क्या गवाही थी। और उसी को मान लीजिये। यह क्या बात है कि उनकी बात भी न मानो और उनकी बातों को बार-बार पेश करो और उनके नाम की माला जपते चलो? इससे मुझे यकीन हो गया इस बात का कि लोगों ने कसम खा ली है कि चाहे आचार्य जी खुद समझावें और चाहे आचार्य जी का कोई अनुयायी कितना ही समझावे ये साहब कसम खाये है कि किसी भी हालत मे समझने की कोशिश ही नही करेंगे और दिन रात कोसते रहेंगे उन्हे, किसानों को भड़काने के लिये, देश की जनता को भड़काने के लिये उनको गुमराह करने के लिये आचार्य जी की गवाही पेश करते रहेंगे। मै आपसे इतना ही कहूंगा कि यह चीज कोई ईमानदारी का बात नहीं है।

मुआविजे के बारे मे हम लोगों को एक स्पष्ट राय है और वह यह है कि जैसा मैने अभी अपने व्याख्यान में कहा है कि हम इस बात को कतई मानने के लिये तैयार नही हैं कि यह जमीन जमींदारों की मिलकियत है। चाहे कानून की निगाह से भले ही हो लेकिन न्याय की निगाह से नहीं है और मै इस बात को मानने के लिये तैयार नही हू कि जिस जमीन को खुदा ने बनाया है, जिस जमीन को प्रकृति ने पैदा किया है' उसमें किसी इंसान का कोई स्वामित्व हो। जिस तरीके से हवा और रोशनी है' पानी है' यह सब चीजे कुदरत ने इंसान की बेहबूदी के लिये बनाई हैं' उसी तरह से काफी बड़ी तादाद में जमीन भी उसने दी है कि अगर इंसान अक्ल से काम ले तो मेरा विश्वास है कि दुनिया भर में जितने हम और आप इंसान है उनका भरण-पोषण वह कर सकती है। मै यह समझता हूं कि जमींदारो को इस बात का कोई नैतिक अधिकार नही है कि वह इस वक्त जमींदारी के खत्म होने पर मुआविजा मांगें। पहली चीज तो यह कि इन जमींदारों में कितने ऐसे है कि जिनके पूर्वजों ने जमींदारी धा ली लेकिन कितने ऐसे है जिनको मुफ्त में मिली होगी' अपने देश के साथ विश्वास घात की वजह से मिली होगी और कितनो ने जमीन खरीदी होगी। इसके अलावा उसका न मालूम कितना गुना रुपया ये आज तक उस जमीन से वसूल कर चुके हैं। तो आप अब थोड़ी देर के लिये सोचिये कि क्या इनको मुआविजा पाने का कोई नैतिक अधिकार है? जमीन की उन्नति में उन्होंने कौन सा काम किया सिवाय किसानों को तबाह व बरबाद करने के? आज तक कोई रिकार्ड नहीं है कि इन्होंने जमीनों की उन्नति के लिये सिवाय किसानों के तबाह व बरबाद करने के कुछ किया है। इसलिये जहां तक नैतिकता का सम्बन्ध है जमींदारों को मुआविजा पाने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात मै नहीं कहता, जैसा मैने पिछली बार भी कहा था बाबू' सम्पूर्णानन्द जी ने एक लेख लिखा था शायद जमींदारी एबालीशन के सम्बन्ध में और उन्होंने उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि जहां तक नैतिकता का ताल्लुक है जमींदारों को मुआविजा लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि आपको ऐसी कौन सी गरज इस वक्त पड़ गई जिसके लिये आपने इतनी बड़ी थैली खोल दी है? नहीं! नहीं! आपने अपनी थैली नहीं

खोल दी है, मैं भूल से कह रहा हूं, सरकार किसानों की जान ले रही है, उनकी चमड़ी उधेड़ कर आप पैसा वसूल कर रहे हैं और दे रहे हैं उनको जिनके पास पैसा पहिले ही काफी भरा है। ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता कि आपके दिल में ये भाव क्यों पैदा हुये? अब आचार्य जी की बात कही जाती है लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आचार्य जी की वह गवाही हुई थी उस जमाने मे जब १९३५ ई० के ऐक्ट के अन्दर हम लोग थे। उसके खत्म करने (एबालीशन) का हक कांग्रेस को नहीं था। जब एक इंसान चारों तरफ से जकड़ा हुआ हो और उसको कोई हक न हो कि उस कानून के बाहर जा सके, उस मौके पर वह बात कही गई थी जब हमको कोई हक नहीं था। मेरे साथी रोशनजमां खां ने उनकी रिपोर्ट आपके सामने रख दी। उसमे उन्होंने स्पष्ट शब्दों मे कहा है कि मैं कतई यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इन जमींदारों को मुआविजा लेने का कोई हक है और न हम इन गद्दारों को कोई मुआविजा देन के लिये तैयार हैं। हम इस गद्दारी को कोई मौका देने को तैयार नहीं है। हम समझते हैं कि उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं कि मुआविजा दिया जाय, लेकिन चूंकि १९३५ ई० के ऐक्ट के अन्दर बंधे हुये हैं, उसे बदल नही सकते और आप मुआविजा देना ही चाहते हैं तो इस तरह से दें कि देश की बहबूदी हो और वह भी पुनर्वासन के नाम से। अगर आप चाहते हैं और यह ईमानदारी की बात है, कि इनको मुआविजा न दिया जाय तो क्या यह सम्भव नहीं था कि आप कोई ऐसी तरकीब निकालते कि जिस कानून से आप बंधे हुये हैं उस कानून को ही बदल डालते। मेरी समझ मे नहीं आता कि जितना और कांग्रेस वाले करना चाहते हैं, तो उसमें १९३५ ई० का ऐक्ट अड़चन नहीं डालता, देश का बटवारा करना हो, देश के दो टुकड़े करना हो, तो उसमें १९३५ ई० का ऐक्ट खलल नहीं डालता। उसके बाद अगर पूंजीपतियों को कोई रिआयत देनी है तो कोई कानूनी अड़चन नहीं पड़ती, अगर किसी भले आदमी को बिना किसी बात के गिरफ्तार करना हो तो कोई कानूनी अड़चन नहीं होती। कोई भी काम जो करना चाहते हैं उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं होती लेकिन जिस वक्त हजारों—करोड़ों किसानों के हित में कुछ करना होता है तो फिर १९३५ ई० के ऐक्ट की याद आती है। १९३५ ई० का ऐक्ट जाने दीजिये, उस दिन एक सदस्य ने कहा कि हिंदुस्तान का नया विधान जो बना है, जिसकी २६ जनवरी को सारे देश में दीवाली मनायी जायगी, उसमें भी यह पास कर दिया है कि अगर किसी की जमीन—जायदाद लेनी हो तो बिना मुआविजा दिये हुये नहीं ली जा सकती। तो यहां पर मजबूरी है किस बात की। आप ही तो दिल्ली की गद्दी पर भी बैठे हुये है। अगर राजाओं को राजप्रमुख बना कर बैठा सकते हैं, निजाम को गद्दी पर बैठा सकते हैं, राजा और रानी की जेब के लिये ४०—५० लाख दे सकते हैं, तो मेरी समझ मे यह बात नहीं आती कि क्या सचमुच ऐसे कानून नहीं बना सकते थे, जिसमें सदा स्टेट को यह अधिकार रहता कि अगर वह मुनासिब समझेगी तो मुआविजा देगी और अगर नहीं देना चाहेगी तो नहीं देगी। मेरा विश्वास है कि अगर हिन्दुस्तान का शासन विधान किसान और मजदूरों ने बनाया होता तो मुआविजा देने का प्रश्न कभी भी नहीं उठता। हिन्दुस्तान का शासन विधान जो दिल्ली मे बना है उसको हिन्दुस्तान के १३ प्रतिशत लोगों ने बनाया है, जिसमें ज्यादा-तर ऐसे लोग हैं, जिनके पास धन और दौलत है। आप ऐसे शासन विधान को भले ही पास कर लें, उनकी दीवाली मना लें, लेकिन एक जमाना आयगा जब समाजवादी शासन बनेगा और इस शासन विधान को नहीं मानेगा।

माननीय माल सचिव—आपकी आवाज फिर भर्राने लगी, समझ मे नहीं आता।

श्री राजाराम शास्त्री—समझ मे कैसे आये, समझ में तो तब आये जब आपकी नियत साफ हो। आपका कांग्रेस मे बहुमत है, यू० पी० मे बैठ कर यह बात कहें कि हमारे हाथ बँधे हैं इसलिये मुआविजा देना पड़ता है, यह बात गलत है। आप यहां भी बैठे हैं और दिल्ली में भी बैठे हुये हैं। जिस प्रकार यहां खैरात बंट रही है, उसी प्रकार दिल्ली में भी

[श्री राजाराम शास्त्री]

खैरात बंट रही है, आप वहां भी पूंजीपतियों को खैरात बांट रहे हैं। इसमें आपको कानूनी अड़चन नहीं पड़ती। मैं तो कहता हूं कि चूंकि आप पूंजीपतियों को अपनी पार्टी में लिये हुये हैं, सब तो यह है कि वे ही पार्टी में हैं ही, इसलिये आपने ऐसी दफा बनाई है और इस दफा की आड़ लेकर ऐसी बातें करते हैं। आप आचार्य जी की बात करते हैं कि आचार्य जी ने गवाही दी थी लेकिन अगर कांग्रेस के लोग चाहते और उनकी नीयत साफ होती तो उनको निकाल सकते थे और मुआविजे के सवाल को खत्म कर सकते थे। मैं आपको आचार्य जी का बयान सुनाने को तैयार नहीं हूं। हमारी पार्टी का साफ रुझान है कि जमीन में जमींदार की बिल्कुल भी मिल्कियत नहीं है। (एक आवाज) (समाजवादियों की अक्ल बदलती रहती है) अक्लमन्दी का तो यह काम है कि अगर कोई बात समझ में आ जाय तो उसको मान लेना चाहिये लेकिन उनको तो बुद्धि ही नहीं है। हम कोई जानवर नहीं हैं जिनके अक्ल न हो, हमने इस बात का ठेका नहीं लिया है कि चाहे दुनिया बदल जाय लेकिन हम नहीं बदलेंगे। कुछ लोग तो इस बात को कसम खाकर आये हैं कि चाहे यू० पी० तबाह हो जाय, चाहे देश का कुछ भी क्यों न हो लेकिन अपनी अक्ल को नहीं बदलेंगे। आपकी अक्ल आपके साथ और हमारी हमारे साथ। गुलाम हिन्दुस्तान के जमाने में कोई राय हो सकती थी। आज हमने १९३५ ई० की दफाओं को फाड़ फेंका है, गुलामी की शक्ल को बदल दिया है। अगर हमने ऐसा किया है तो क्या गुनाह किया है? हिन्दुस्तान आज आजाद हो गया है और अब १९३५ ई० का कानून मर गया है लेकिन आप कहते हैं कि आजाद हिन्दुस्तान की आजाद सरकार कायम हो गई, अंगरेज चले गये लेकिन अंगरेजों की आपकी अक्ल नहीं गई। कल कहा गया था कि सोशलिस्ट चले गये लेकिन अपनी औलाद छोड़ गये। कांग्रेस की ओर एक साहब ने औलाद का मतलब उत्तराधिकारी लगाया। मैं कहना चाहता हूं कि अंगरेज तो चले गये लेकिन उसके गर्भ से पैदा हुई अगर कोई सरकार है तो उसकी उत्तराधिकारी यही कांग्रेस सरकार है। अंगरेजों की औलाद यही कांग्रेस सरकार है।

डिप्टी स्पीकर—आप ज्यादा तेज बोलते हैं तो माईक्रोफोन पर कुछ सुनाई नहीं देता।

श्री राजाराम शास्त्री—आपने बहुत अच्छे मौके पर कहा मैं बहुत मार्के की बात कह रहा था। मैंने जान-बूझ कर अपने को इतनी दूर माईक्रोफोन से रखा है और अब ध्यान रखूंगा। कल यह कहा गया था कि सोशलिस्ट चले गये और औलाद छोड़ गये और औलाद के मानी उत्तराधिकारी लगाये गये थे। मैं कहना चाहता हूं कि अंगरेज चले गये और अपना उत्तराधिकारी छोड़ गये और उत्तराधिकार के माने मैं क्यों कहूं यह आपकी ही अपनी परिभाषा है। (किसी के फिर टोकने पर) आपकी यह अक्ल अंगरेजों के कारण है। इसमें रत्ती भर भी मुझे कोई शिकायत नहीं। जिस गर्भ से इंसान पैदा होता है उसका असर रहा ही करता है। अगर आप कहते हैं कि आपकी अक्ल इतनी जल्दी बदलती है तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि दुनिया आज बड़ी तेजी से बदल रही है। आज कुछ नक्शा बदला है, कल कुछ और हो जायेगा। समझदारी यही है कि जो जमाना हो, दुनिया जिस रफ्तार से चल रही हो, उसको देखकर हम चलें। न कि कूपमंडूक बने हुये चांग-काई-शेक की तरह हो जायं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार परिस्थिति बदले, जैसे-जैसे जमाना बदले उसके मुताबिक जरा अक्ल से काम लेना सीखें और उस अक्ल को बदलना सीखें। यह कसम न खायें कि जो अक्ल ५० साल पहिले थी, जो २० साल पहिले थी, जो १० साल पहिले थी हम वही रखेंगे चाहे जमाना ही क्यों न बदल जाय। इसमें आपका भी नुकसान है और मुल्क का भी। इसलिये यह तानेबाजी करना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बतलाऊंगा कि यह बुरी बात नहीं है, यह तो अक्लमन्दी की बात है। अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। अगर नहीं सीखते तो देश आपको सिखायेगा कि किस तरह बदला जाता है, किस तरह देश और जनता का काम किया जाता है।

फूलसिंह जी ने यह देखा कि समाजवादी पार्टी के लोग यहां स्पीच देंगे तो कहीं ऐसा न हो कि देहात में आप जो करिश्मे कर रहे हैं उनकी पोल खुल जाय। इसलिये फूलसिंह जी ने कहा कि यह बात समझ में नहीं आती कि इस बिल का १० गुना लगान से क्या ताल्लुक है। अरे साहब इस बिल के जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजंस दिये हुये हैं, उसमें देखिये बिलकुल साफ लिखा हुआ है, "आर्थिक और विविध कठिनाइयों को दूर करने के लिये काश्तकारों से यह कहा जायगा कि वे अपने लगान का दस गुना स्वेच्छा से दे दें"। तो मैं सिर्फ इस बात पर थोड़ी देर बात करना चाहता हूं कि यह स्वेच्छा वाली बात आज कही जा रही है, सारे देश और दुनिया में, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा क्रोध अगर किसी बात से है तो इसी बात से है कि दस गुना के नाम पर आज परेआम देहात के किसानों की एक तरह से लूट की जा रही है और जो जो हथकंडे कांग्रेस सरकार की तरफ से काम में लाये जा रहे हैं अगर उन तमाम हथकंडो को यह हाउस सुनेगा तो मुझे यकीन है कि आपकी खुद की आंखे खुलेंगी और देश की जनता की भी आंखे खुलेंगी। चूंकि मैं एक विरोधी पार्टी का मेम्बर हूं इसलिये किसी बात को चाहे जितनी सच्चाई से कहूं लेकिन आप उस बात को मानने के लिये तैयार नहीं होते हैं। मैं बहुत ही सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं कि जब मैं कांग्रेसी हुकूमत में कोई खराबी देखता हूं तो मुझको इसलिये खुशी नहीं होती कि हमको एक मौका मिलता है कि हम जनता को आपके खिलाफ भड़काये बल्कि मुझको दुख होता है कि सारी जिन्दगी जिस कांग्रेस में काम किया, जिसने आजतक देश को आगे बढ़ाने में इतना काम किया, जिसकी तरफ आज भी देश की जनता देखती है अगर उसने कहीं वह काम करना शुरू किया जिससे हमारे देश का भविष्य अंधकार में हो, तो एक सच्चा सिपाही होने के नाते मेरा यह फर्ज हो जाता है कि मैं उन बुराइयों को आपके सामने इसलिये पेश कर दूं कि आप अपनी शक्ल ठीक तौर से देख सकें। अगर आप अपनी शक्ल को ठीक तौर से नहीं देखेंगे तो सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी मरेगी बल्कि देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर सिर्फ इतना ही होता कि कि कांग्रेस पार्टी मरती तो कोई बात नहीं थी क्योंकि बहुत सी पार्टियां आयेंगी और मरेंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज आप जो बीज बो रहे हैं उसमें से जो पौधे निकलेंगे और जो जहर पैदा होगा उससे ऐसी फिजा पैदा हो जायेगी कि देश की जनता हमेशा के लिये ऐसे शासन के खिलाफ हो जायेगी। मैं यह महसूस करता हूं कि उधर के बैठने वाले लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी मालूम नहीं है। वह पार्टी-बन्दी में इतना बेखद हो चुके हैं कि उनकी बुद्धि ही काम नहीं करती है और वह यह समझते हैं कि सरकार की जो हुजूरी करना ही मुख्य ध्येय बन गया है। हम देहातों में जाते हैं। हमारे सामने पटवारी आते हैं, हमारे सामने शिक्षक आते हैं, हमारे सामने सरपंच आते हैं, पंच आते हैं और गांव के सभापति आते हैं, जिनसे मैंने बातें कीं और जिन्होंने मुझे कुछ कागज दिखलाये जिनसे यह पता चला कि किस तरह आप कांफीडेंशल सर्क्यूलर आर्डर्स भेजते हैं और किन-किन तरीकों से आप दस गुना लगान वसूल करते हैं। मैं सोचा करता था कि क्या करूं? कैसे पंत जी को बतलाऊं? कैसे कांग्रेस को बतलाऊं कि आपके राज्य में यह हो रहा है, लेकिन क्या करूं अखबार हैं तो उनके हैं, लेखक हैं तो उनके हैं और जितनी चीजें हैं सब उनकी खरीदी हुई हैं। आखिर सत्य को कैसे आपके सामने लाया जाय ? (एक आवाज-- दिल चीर करके) मेरे दिल चीरने से अगर आपको अक्ल आती और देश की भलाई होती तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल चीर करके दिखा देता। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैं दिल चीर करके भी दिखा दूं तो भी आप उसकी कीमत को नहीं समझ सकते। मैं यह बातें आप के सामने संक्षेप में पेश करना चाहता हूं कि जिन तरीकों से आज देहातों में बिलकुल स्वेच्छा से, रत्ती भर भी जिसमें इनके लिहाज से कोई भी जबरदस्ती नहीं की जा रही है। पंतजी ने कहा है और इस हाउस में भी बार-बार कहा गया है। पहिली चीज तो यह कि एक जगह से नहीं, कई जगह से मेरे पास इस तरह की खबरें आई हैं कि कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता तो नहीं लेकिन नीचे के सरकारी आफिसरान जिस तरीके से आजकल अपना व्यवहार करते हैं उनके देखने से

[श्री राजाराम शास्त्री]

मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई न कोई गुप्त सर्क्यूलर गवर्नमेंट की तरफ से अपने सब डिपार्टमेंट्स को निश्चित रूप से भेजा गया है। जिसकी वजह से मैं देखता हूं कि यू० पी० के किसी भी जिले में जाइये तो हर जगह पर ग्राम पंचों के पास, ग्राम सरपंचों के पास और ग्राम सभा के सभापतियों के पास बिलकुल एक सी भाषा में सर्क्यूलर हर जगह के इंसपेक्टरों ने अपने-अपने यहां के लोगों को दिया है और उनकी एक सी भाषा है। एक सा इल्जाम है, और एक सी आवाज है। किसी के ऊपर लिखा है कान्फीडेंशियल और किसी के ऊपर कान्फीडेंशियल नहीं लिखा है। जब मैं सब जगह एक ही आवाज देखता हूं तो मेरे दिल में ख्याल होता है कि इस तरह का सर्क्यूलर सभी जगह गया है और यह बोखलाहट क्यों? पहिले कांग्रेस को यह यकीन था कि इसके प्रति जनता की कितनी भक्ति है, वह बड़ी शक्तिशाली है, महात्मा गांधी का सिक्का उसके हाथ में है, अखबार अपने हाथ में हैं और ज्योंही यह एलान करेंगी कि दस गुना लगान देकर किसान भूमिधर बन जाय तो फौरन एक-दो महीने के अन्दर ही १८० करोड़ रुपया उनके खजाने में आकर गिर पड़ेगा, शुरू में इतनी सख्ती नहीं थी क्योंकि शुरू में तो वे ढिंढोरा पीटते थे और कभी किसी मिनिस्टर का कभी किसी मिनिस्टर का अखबारों में फोटो निकलता था कि फलां मिनिस्टर दस गुना रुपया देकर भूमिधर बन गये और उनको देखकर हजारों किसान भूमिधर बन रहे हैं, कभी पर अखबारों में यह छपता था कि देहात के किसान जलूस बना कर अपने अपने जेबों में नोट भर-भर कर खजाने की तरफ दौड़ रहे हैं। मैं भी सोचता था कि कौन सी ऐसी करामात हो गया जिसकी वजह से किसानों में ऐसा जोश [illegible] पैदा हो गया। हम देहात में गये तो वहां भी इस तरह का प्रोपेगेण्डा जोरों पर था कि हमारे ऐसा आदमी भी उससे प्रभावित हो गया कि ये सोशलिस्ट लोग [illegible] जोर का बोझ लगाते हैं और क्यों ऐसी चीख करते हैं। हमारे जैसा [illegible] मैंने [illegible] कि आखिर मैं भी तो इन्हीं के बीच का पड़ा हुआ हूं। इनकी सब बातों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। हम इनकी सब बातों को जानते हैं और सब इनको जानते हुये भी हमारे ऊपर ऐसा असर पड़ता है। अब किसानों ने दसगुना लगान [illegible] लेकिन आप अखबारों में पढ़े तो मालूम होगा कि इन दो महीने में क्या नतीजा हुआ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन सोशलिस्टों ने अपना दस गुना रुपया जमा कर दिया है क्या उनके खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी कोई कार्यवाही कर रही है? मेरे यहां श्री रामनरेश सिंह ने अपना दस गुना रुपया जमा कर दिया है, जो आपकी पार्टी के एक सदस्य हैं।

श्री राजाराम शास्त्री—सोशलिस्ट पार्टी में कांग्रेस की तरह से तानाशाही नहीं है कि इस बात के लिये किसी सदस्य के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता महसूस हो। हम किसी सोशलिस्ट कार्यकर्ता को इस तरह से नहीं दबाते हैं जिस तरह से कांग्रेस अपने सदस्यों को दबाती है। हर एक मनुष्य में कुछ न कुछ कमजोरी होती है। कितने सोशलिस्ट तो बिलकुल कमजोर निकले, वे कांग्रेस में और अपनी दुकान चलाने के लिये और कुछ असेम्बली में मेम्बरी के लिये और कुछ जनता और किसानों के नेता बनने के लिये कांग्रेस में आये। लेकिन जब इम्तहान का वक्त आया तो कितने उसमें पास हुये? बहुत से लोगों ने विश्वासघात किया। आज अगर कोई देहात का सोशलिस्ट कांग्रेस के जुल्म के आतंक में आकर, उसके अत्याचार से डर कर, वह बेचारा गरीब देहात का मारा हुआ सोशलिस्ट रुपया जमा कर दे तो मेरी समझ में नहीं आता कि उसको हम सोशलिस्ट पार्टी से क्यों निकाल दें? इस तरह से पार्टी से निकाल बाहर करने की तानाशाही सोशलिस्ट पार्टी में नहीं है। यह तानाशाही तो कांग्रेस में है। कोई बात नहीं है, आज वह दब गया तो दब गया कल उसको फिर हिम्मत आयगी। हम उसको निकालने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन मैं अपने दोस्तों से यह पूछता हूं कि क्यों साहब

आप जमीन-आसमान एक कर रहे हैं कि दस गुना लगान दो और भूमिधर बन जाओ, लेकिन क्या सब कांग्रेसी ऐसे हैं, जो १० गुना लगान देकर भूमिधर बन गये हैं ? आप एलान कीजिये कि जिन्होंने नहीं दिया है उनको हम निकालने के लिये तैयार हैं।

डिप्टी स्पीकर--मैं माननीय मेम्बरान से दरख्वास्त करूंगा कि बीच-बीच में रोक-टोक न करें।

श्री राजाराम शास्त्री--बात यह है साहब ये लोग जान-बूझ कर छेड़खानी करते हैं जिससे कि मैं जोर से बोलूं।

डिप्टी स्पीकर--आप मेरी तरफ मुखातिब रहें और उनकी तरफ न देखें। मेरी तरफ निगाह रखें।

श्री राजा राम शास्त्री--यकीन मानिये कि मेरी निगाह आपकी तरफ है, लेकिन कभी-कभी कान इधर लग जाते हैं। मैं यह कह रहा था कि कौन-कौन से तरीके हैं जिनको, स्वेच्छा से लगान वसूल करना कहा जाता है। कल एक साहब ने सुल्तानपुर का जिक्र किया कि हमारा जिला सब से आगे रहा। मैं सोच रहा था कि आखिर इस जिले के साथ ही कौन सी खास बात है और मैं अखबार को खोज रहा था कि देखूं अखबार से कुछ मिले। यह अखबार है 'संघर्ष' तारीख ९ जनवरी' सफा ११ पर लिखा हुआ है कि "दसगुना लगान न देने पर जूतों की मार" मैंने इसलिये यह पढ़ना शुरू किया कि लोग शुरू में हंसे। मैं अभी यह भी बतलाऊंगा कि आपके अखबारों में क्या लिखा जाता है इसका भी पता लगेगा। यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से जूते मारकर उससे १० गुना लगान वसूल किया गया। और उसकी पूरी चिट्ठी इस अखबार में छपी है। अगर गलत है तो मैं साफ आपसे कहता हूं कि आप उस अखबार पर कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। उनके खिलाफ मुकद्दमा चलाये, साबित कीजिये और अदालत में जाइये। लेकिन आप वहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां पर अदालत में जूते की मार किस तरह से पड़ी यह सब कलई खुल जायगी और आप जो यह कहते है और बराबर प्रोपेगेन्डा करते हैं कि स्वेच्छा से लोग जमा करते हैं वह सब कलई खुल जायगी और दुनिया समझ जायगी कि असलियत क्या है ?

एक सदस्य--क्या आप यह बतला सकते हैं कि यह मामला कहां का है ?

श्री राजाराम शास्त्री--यह मामला अब्दुल्लापुर, थाना अमेठी, जिला सुल्तानपुर के राम-फूल के ऊपर हुआ है और उसी पर यह जूतों की मार पड़ी है।

एक सदस्य--क्या यह सोशलिस्ट है ?

श्री राजाराम शास्त्री--यह देख लीजिये कि अगर सोशलिस्ट है तो उसके ऊपर जूतों की मार पड़ने दीजिये, यह हालत है। आपका मतलब यह है कि अगर कोई सोशलिस्ट है और उस पर जूते पड़ते है तो पड़ने दीजिए। यही मैं इन अखबारों से साबित करने जा रहा हूं। यही आपके गुप्त सरक्यूलर हैं कि विरोधी पार्टियों के आदमियों को तबाह करो, उनको जूतों से मारो, उनकी जायदादें जब्त कर लो और बन्द कर दो, अगर वह दस गुना लगान जमा करने के खिलाफ अपनी जबान खोलें। आप को शर्म आनी चाहिए। यही डेमोक्रेसी है, यही महात्मा गांधी के मार्ग पर आप चल रहे हैं। मैं तो आप से कहता हूं कि अगर कोई सोशलिस्ट किसान है और उसके जूते पड़ते हैं तो मुझे दुख होता है और मैं तो समझता हूं कि उसका दुख आप को चौगुना होना चाहिए। यह कोई ऐसी बात कहने का तरीका नहीं है।

मैंने अभी आपको यह बतलाया कि इस तरह से सुल्तानपुर के जिले में जूते मार-मार कर सब से ज्यादा वसूली हो रही है। दूसरा नमूना यह है कि मेरे हाथ में यह "हलचल" अखबार है। इसके सम्पादक हैं आप की असेम्बली के मेम्बर और कांग्रेस पार्टी के मेम्बर श्री बृजमोहन लाल शास्त्री।

एक सदस्य--वह तो आप से मिले हुए हैं।

क्रान्ति की गई, जैसा फ्रान्स में हुआ, रूस में हुआ वहां हिन्सात्मक तरीके से हुआ। वहां प्रेस और प्लेटफार्म की लिबर्टी नहीं रही। हमारे यहां अहिन्सात्मक स्वराज्य लिया गया और हम इकोनामिक रिवोल्यूशन करना चाहते हैं। हमारे यहां दिन-रात अनर्गल वार्तालाप और क्रिटीसिज्म होता है। हम प्रेस और प्लेटफार्म के खिलाफ ऐक्शन नहीं लेंगे। हम जनता पर छोड़ते हैं कि वह समझ ले कि कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज ठीक है। हमारी सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। हम सब बातें पबलिक के गुड सेंस पर छोड़ते हैं।

श्री राजाराम शास्त्री--उसकी आपने सफाई नहीं दी। मतलब यह है कि सम्मन उसी को दीजिये जो हुजूर की जी हुजूरी करे, जो आपका विरोध करे उसको सम्मन नहीं देना चाहिये। वास्तव में आपको जवाब तो मेरी बात का यह देना चाहिये था कि आपने यह बात कही या नहीं कही।

डिप्टी स्पीकर--आपकी तकरीर का जवाब देने के लिये नहीं खड़े हुये थे। वह तो सिर्फ पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे थे।

श्री राजाराम शास्त्री--अब तीसरा नमूना साहब देखिये। अभी फैजाबाद में गोविन्द साहब का मेला हुआ। वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब समझा रहे थे कि भूमिधर बनने से क्या फायदा है? बाद में उन्होंने किसानों से पूछा कि बोलो तुम समझ गये कि भूमिधर बनने से क्या फायदा है? तो वहां पर एक महाशय खड़े हो गये और कहा कि मेरे समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, कितना लगान देते हो। उन्होंने कहा कि ६०-७० रुपये देता हूं। उन्होंने कहा कि बतला तो दीजिये कि क्या फायदे हैं? मैं जितनी बातें कह रहा हूं अखबार की सुना रहा हूं, कहिये तो मैं बैठ जाऊं। हां, तो यह बात बंबई के 'ब्लिज' अखबार में लिखी है, यू० पी० के 'संघर्ष' में लिखी है। सिर्फ अखबार की बात नहीं है, उस आदमी का लेख छपा है इन अखबारों में, जिसमें उसने यह बतलाया है कि किन-किन तरीकों से उसे गिरफ्तार किया गया, जेल में रक्खा गया, हावालात में कौन-कौन तकलीफें दी गई और आठ दिनों के बाद किन-किन मुसीबतों के बाद जेल से छूटा। भला सोचिये कि जब आप यह पूछते हैं कि समझ में आया कि नहीं और जब कोई पूछता है तो उसको आठ रोज का जेलखाना मिलता है। और आप मानते इसलिये नहीं हैं कि वह तो 'ब्लिज' में छप गया, 'संघर्ष' में छप गया।

डिप्टी स्पीकर--आप अपनी तकरीर जल्द खत्म कर देंगे या अभी और वक्त लेंगे।

श्री राजाराम शास्त्री--अभी तो कुछ समय और लूंगा।

हज कमेटी के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा

डिप्टी स्पीकर--इसके पहिले कि हम उठें मैं आपको एक इत्तिला देना चाहता हूं और वह यह है कि इस सूबे की हज कमेटी की एक खाली जगह को भरने के लिये दो उम्मीदवारों की नामजदगी हुई है, श्री मुहम्मद नबी साहब और श्री हसरत मुहानी साहब की। १ बजे तक नाम वापसी के लिये मुकर्रर था। इससे पहले कोई नाम वापिस नहीं हुआ। यह दोनों उम्मीदवार हैं और जैसा कि पहले एलान हो चुका है कल २ बजे और ४ बजे के दरमियान रीडिंग रूम में चुनाव होगा और उसमें सिर्फ मुसलमान मेम्बरान ही वोट दे सकेंगे।

अब हम उठते हैं और कल फिर असेम्बली का काम जारी रहेगा।

(इसके बाद भवन ५ बजकर १७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया)।

कैलासचन्द्र भटनागर,
मंत्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रांत।

लखनऊ
१३ जनवरी, सन् १९५० ई०

नत्थी 'क'

(देखिये ता० १२ जनवरी, १९५० ई० के तारांकित प्रश्न १०५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४४ पर)

SUBORDINATE EXECUTIVE SERVICE ASSOCIATION, UNITED PROVINCES

SCALE OF PAY

The Subordinate Executive Service (Tahsildars and Naib Tahsildars) Association, learns from press reports that the salaries of its members have been fixed as under.—

Naib Tehsildars	Rs.	120—300.
Tehsildars	Rs.	200 –450.

and that Tehsildars have been grouped together with Inspectors of various departments (with few exceptions) whose pay was 80/- to start with e.g., Excise and Agriculture Inspectors. The revision of scale of pay of Tehsildars Rs. 160(Rs. 190 pre-1931 scale) to Rs. 200 and of Inspectors from Rs. 50 to the same level i. e., Rs. 200 is not at all based on justice and equity. Even if nature of duties are compared, it would be evident that a member of Subordinate Executive Service "combines in one the onerous duties of a chief executive officer, Magistrate, Revenue Officer, Revenue Collector and General Inspector and Supervisor of all other departments working within a Tahsil." In short the work of members of this Service consists of field work as well as judicial which is a combination of both physical and mental work and on this consideration he has been described as "The backbone of Civil Administration" not only by the Governors and the members of the Board of Revenue but by the popular Minister for Revenue, United Provinces.

The Association places on record its strong protest upon the recommendations of the Pay Committee and its decision to group the members of the Service with Inspectors of various departments. A great deal of dissatisfaction has been created on this account. Our demand is "living wage." The Association therefore requests the Government to reconsider their scales of pay and grouping and take into consideration the scales suggested by it, viz;

Naib Tahsildar	Rs. 200	to	400.
Tahsildars	Rs. 350	to	650.

We base our demand on work alone and work in our service "implies greater apprenticeship" and hence we must be better remunerated. Our bare needs must be satisfied. We are manual as well as mental workers.

February 11, 1947.

(Sd.) P. C. BHATIA,
Honorary General Secretary,
21, Mudie Square, Lucknow.

नत्थी 'ख'

(देखिये १३ जनवरी, सन् १९५० ई० के तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५५ पर)

सरकारी डेरियों की सूची

१—डेरी डिमान्सट्रेशन फार्म, मथुरा।
२—माधुरी कुंड डेरी फार्म, मथुरा।
३—बाबूगढ़ डेरी फार्म, मेरठ।
४—हेमपुर डेरी फार्म, नैनीताल।
५—मंझरा डेरी फार्म, लखीमपुर खेरी।
६—मरारी डेरी फार्म, झांसी।
७—डेरी डिमान्सट्रेशन फार्म, भद्रुक, लखनऊ।
८—सेंट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़।
९—एग्रीकल्चरल डेरी फार्म, कानपुर।
१०—एग्रीकल्चरल स्कूल डेरी, गाज़ीपुर।
११—एग्रीकल्चरल स्कूल डेरी, गोरखपुर।
१२—एग्रीकल्चरल स्कूल डेरी, बुलन्दशहर।
१३—गोकुलनगर डेरी फार्म, नैनीताल।
१४—हस्तिनापुर डेरी, मेरठ (बन रही है)।

प्राइवेट डेरियों की सूची, जिन्हें सहायक अनुदान या कर्ज दिया गया है

१—बेंती कैटिल एण्ड डेरी फार्म, प्रतापगढ़।
२—यूनियन डेरी फार्म, कानपुर।
३—डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ।
४—श्री के० सी० तेवाड़ी, लखनऊ (गोपाल डेरी, लखनऊ)।
५—श्री राम नारायण सिंह उरई, जिला जालौन।
६—श्री अब्दुल मुईज खां, बस्ती।
७—लोक सेवक संघ, बनारस।
८—बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस।
९—ए० एस० जाट कालेज लखोटी, बुलन्दशहर।
१०—बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा।
११—श्री राय सोमनाथ बली, बाराबंकी।
१२—काशी गोशाला डेरी, बनारस।

वास्तविक और जरूरतमन्द व्यक्तियों और संस्थाओं को डेरी की मशीनों या दूध देने वाले मवेशियों की खरीद के लिए न कि भूमि, इमारत या दूसरे वार्षिक खर्चों के लिए नक़द या वस्तुओं के रूप में सहायक अनुदान (Grants-in-aid) देने की शर्तें नीचे दी जाती है :—

१—नस्लकशी के लिए डेरियां ऐसे ही सांड रक्खेंगी जो पशु-पालन विभाग द्वारा स्वीकृत हों।

२—फार्म में किस नस्ल के मवेशी रक्खे जाएंगे इसका फैसला पशु-पालन विभाग से परामर्श कर के किया जाएगा।

३—डेरियां अपने मवेशियों की औलाद को खरीदने का सबसे पहला हक़ विभाग को देंगी और उन्हें विभाग के हाथ बाजर भाव के दो-तिहाई दाम पर बेचेंगी।

४—उन्हें दूध और नस्लकशी के बारे में ठीक तरीके से रिकार्ड रखना पड़ेगा और उसका मुआइना उपयुक्त कर्मचारी साल में कम से कम दो बार कर सकेंगे। अमले के ठीक रख-रखाव

और डेरी को अच्छी तरह चलाने के संबंध में विभाग द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे उनका पालन करना आवश्यक होगा।

५---डेरी की देख-भाल और नियन्त्रण के लिए डेयरी के प्रबन्धक (management) को एक नियत योग्यता प्राप्त व्यक्ति रखना होगा और जिस किस्म का दूध पशु-पालन विभाग निर्धारित करेगा वैसा ही उन्हें बराबर देना पड़ेगा।

६---किसी एक उपयुक्त व्यक्ति या संस्था को अधिक से अधिक २०,००० रुपए की राज-सहायता (subsidy) दी जायगी।

ये क़र्ज़े नीचे दी हुई शर्तों पर दिये जायंगे :---

(१) डेरियां नस्लकशी के लिये सिर्फ ऐसे ही सांडों को रक्खेंगी, जो पशु-पालन विभाग द्वारा स्वीकृत हों।

(२) फार्म में रक्खे जाने वाले मवेशियों की नस्ल के बारे में पशु-पालन विभाग की राय लेकर फैसला किया जायगा।

(३) डेरियां अपने मवेशियों की औलाद को, जो उनकी जरूरत से ज्यादा हों, खरीदने का सबसे पहला हक विभाग को देंगी और उन्हें विभाग के हाथ बाजार भाव के दो-तिहाई दाम पर बेचेंगी, लेकिन शर्त यह है कि प्रत्येक मवेशी के लिये अधिक से अधिक ८ आना प्रतिदिन के हिसाब से दाम लिया जायगा।

(४) उन्हें दूध और नस्लकशी का ठीक तरीके से रिकार्ड रखना होगा और इसका मुआइना उपयुक्त कर्मचारी साल में कम से कम दो बार कर सकेंगे।

अमले के ठीक रख-रखाव और डेरी को अच्छी तरह चलाने के संबंध में विभाग द्वारा जो आदेश दिये जायंगे, उनका पालन करना आवश्यक होगा।

(५) डेरी की देख-भाल और नियन्त्रण के लिए एक नियत योग्यता प्राप्त व्यक्ति रखना होगा और जिस किस्म का दूध पशुपालन विभाग निर्धारित करेगा वैसा ही उन्हें बराबर देना पड़ेगा।

(६) किसी एक उपयुक्त व्यक्ति या संस्था को अधिक से अधिक २०,००० रु० की राज-सहायता (subsidy) दी जायगी।

(७) कर्ज़े पर ब्याज नहीं लिया जायगा और मुनासिब जमानत पर दिया जायगा।

(८) वे औसत में प्रतिदिन कम से कम ३ मन दूध पैदा करेंगी और उसे जनता को सप्लाई करेंगी।

(९) बदइन्तजामी या ऊपर दी हुई शर्तों में से किसी शर्त के पालन न करने पर या कर्ज़े की कोई किस्त अदा न करने पर देय रकम फार्म की और फार्म के मालिक की सम्पत्ति कुर्क कर के वसूल की जायगी।

नत्थी 'ग'

(देखिये १३ जनवरी सन् १९५० ई० के तारांकित प्रश्न ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५७ पर)

क्रम-संख्या	लाइसेंसदार का नाम	हथियार की किस्म व तादाद	हथियार जब्त करने की तारीख
१	श्री गजाधर लाल, पुत्र श्री देवी प्रसाद ब्राह्मण, मोहल्ला पंसारियान, कन्नौज	एक डी० बी० बी० एल० बन्दूक	९-३-४८
२	श्री भोलानाथ, पुत्र श्री बंसीधर, मोहल्ला तिवारियान, कन्नौज	एक डी० बी० बी० एल० बन्दूक	९-३-४८
३	श्री अलीहसन, पुत्र श्री अनवारुल हसन, ग्राम फरकापुर	एक डी० बी० एम० एल० बन्दूक	९-३-४८
४	श्री हमीद हुसेन, पुत्र श्री अब्दुल हकीम खां, कन्नौज	एक डी० बी० बी० एल० बन्दूक	२६-३-४८
५	श्री नवाब खां, पुत्र श्री सत्ता खां पठान, सतौरा	एक एस० बी० एम० एल० बन्दूक	४-४-४८
६	(१) श्री जफर हुसेन, पुत्र श्री हिफाजत हुसेन	एक डी० बी० बी० एल० बन्दूक	८-३-४८
	(२) शेख अशफाक़ हुसेन पुत्र श्री हिफाजत हुसेन	,, ..	,,
	(३) श्री मोहम्मद अली अहसन, पुत्र श्री जफर हुसेन कोलेमंसी	,, ..	,,
७	डा० हबीबउद्दीन अहमद, कन्नौज ..	एक एस० बी० बी० एल० बन्दूक	२४-२-४८

नत्थी 'घ'

(देखिये १२ जनवरी सन् १९५० ई० के तारांकित प्रश्न ९२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५८ पर)

क्रम-संख्या	लाइसेंसदार का नाम	हथियार की किस्म
१	श्री गजाधर लाल, पुत्र श्री देवी प्रसाद ब्राह्मण, मोहल्ला पंसारियान, कन्नौज	एक डी० बी० बी० एल बन्दूक
२	श्री भोलानाथ, पुत्र श्री बंशीधर मोहल्ला तिवारियान, कन्नौज	"
३	श्री हमीद हुसेन, पुत्र श्री अब्दुल हकीम खाँ, कन्नौज	"
४	(१) श्री जफर हुसेन, पुत्र श्री हिफाजत हुसेन	"
	(२) शेख अशफाक हुसेन, पुत्र श्री हिफाजत हुसेन	"
	(३) श्री मोहम्मद अली अहसान, पुत्र श्री जफर हुसेन	"

पी० एस० यू० पी०—१३९ एल० ए०—१९५०—५०००

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

शनिवार, १४ जनवरी सन् १९५० ई०

असेम्बली की बैठक असेम्बली भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई

स्पीकर—आनरेबिल श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१९०)

अचलसिंह
अब्दुल ऐ।की
अब्दुल मजीद
अब्दुल मजीद ख्वाजा
अब्दुलवाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद
अम्मार अहमद खां
अर्नेस्ट माईकेल फिलिप्स
अली जर्रार जाफरी
अल्फ्रेड धर्मदास
असग़र अली खां
अक्षयवर सिंह
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
उदयवीर सिंह
ऐजाज रसूल,
कमलापति तिवारी
करीमुर्रजा खां
कालीचरण टण्डन
कुशलानन्द गैरोला
कृपाशंकर
कृष्णचन्द्र
कृष्ण चन्द गुप्त
केशवगुप्त
खुशवक्त राय
खुशीराम
खूबसिंह
गंगाधर
गंगा प्रसाद
गंगासहाय चौबे
गजाधर प्रसाद
गणेश कृष्ण जैतली
गोपालनारायण सक्सेना
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्र भानु शरण सिंह
चरणसिंह
चेतराम
छेदालाल गुप्त
जगन्नाथ दास
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
जगन्नाथ सिंह
जगन प्रसाद रावत
जगमोहन सिंह नेगी
जयपाल सिंह
जयराम वर्मा
जवाहिर लाल रोहतगी
जहूर अहमद
जाकिर अली
जाहिद हसन
जुगल किशोर
त्रिलोकी सिंह
दयालदास भगत
दाऊ दयाल खन्ना
द्वारिका प्रसाद मौर्य
दीन दयाल अवस्थी
दीन दयालु शास्त्री
दीप नारायण वर्मा

नफ़ीसुल हसन
नवाजिश अली खां
नवाब सिंह
नाजिम अली
नारायण दास
निसारअहमद शेरवानी, माननीय श्री
पूर्णमासी
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रागनारायण
प्रेमकिशन खन्ना
फ़खरुल इस्लाम
फजलुर्रहमान खां
फ़तेहसिंह राणा
फूलसिंह
बदन सिंह
बनारसी दास
बल्देव प्रसाद
बशीर अहमद
बशीर अहमद अन्सारी
बादशाह गुप्त
बृजमोहनलाल शास्त्री
भगवती प्रसाद दुबे
भगवती प्रसाद शुक्ल
भगवानदीन
भगवानदीन मिश्र
भगवान सिंह
भारत सिंह यादवाचार्य
भीमसेन
मंगला प्रसाद
मसुरियादीन
महफूजुररहमान
महमूद अली खां
मिजाजी लाल
मुकुन्दलाल अग्रवाल
मुजफ्फ़र हुसैन
मुनफ़ैत अली
मुहम्मद अदील अब्बासी
मुहम्मद असरार अहमद
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माइल
मुहम्मद नबी
मुहम्मद नजीर
मुहम्मद फ़ारूक़
मुहम्मद याक़ूब
मुहम्मद यूसुफ़
मुहम्मद रजा खां
मुहम्मद शकूर
मुहम्मद शमीम
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी
मुहम्मद शौकत अली खां
मुहम्मद सुलेमान अधमी
यज्ञनारायण उपाध्याय
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुवंश नारायण सिंह
रघुबीर सहाय
राजकुंवार सिंह
राजाराम मिश्र
राजाराम शास्त्री
राधाकृष्ण अग्रवाल
राधामोहनसिंह
राधेश्याम शर्मा
रामकुमार शास्त्री
रामकृपाल सिंह
रामचन्द्र पालीवाल
रामचन्द्र सेहरा
रामजी सहाय
रामधर मिश्र
रामधारी पांडे
रामनारायण
राम बली मिश्र
राममूर्ति
राम शंकर लाल
रामशरण
रामस्वरूप गुप्त
रुक्नुद्दीन खां
रोशन जमा खां
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन
लाखन दास जाटव
लालबहादुर, माननीय श्री
लाल बिहारी टंडन
लीलाधर अस्थाना
लुत्फ़ अली खां
लोटन राम
बंशीधर मिश्र
विजयानन्द मिश्र
विद्याधर बाजपेयी
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी
विश्वनाथ प्रसाद
विश्वनाथ राय

विष्णु शरण दुब्लिश
बीरबल सिंह
वीरेन्द्र शाह
वेंकटेश नारायण तिवारी
शंकर दत्त शर्मा
शान्ति प्रपन्न शर्मा
शिव कुमार मिश्र
शिव कुमार पांडे
शिव दयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिवमंगल सिंह कपूर
श्यामलाल वर्मा
श्यामसुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द सिंघल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री
सरबत हुसैन
सलीम हामिद खां
साजिदहुसैन
सालिग्राम जायसवाल
सिंहासन सिंह
सीताराम अष्ठाना
सुदामा प्रसाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सुल्तान आलम खां
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी
सईद अहमद
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हबीबुर्रहमान खां
हरगोविन्द पन्त
हरप्रसाद सत्यप्रेमी
हरप्रसाद सिंह
हसन अहमद शाह
हसरत मोहानी
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अगवाल
हैदर बख्श

माननीय स्पीकर--मुझे बताया जा रहा है कि अभी सदस्यों का कोरम नहीं है, मैं दो तीन मिनट इन्तजार करता हूं।

माननीय स्वशासन सचिव (श्री आत्माराम गोविन्द खेर)--मेरा ख्याल है कि यदि घंटी बजा दी जाय तो अच्छा हो।

माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--मेम्बर्स वोटिंग में होंगे।

(३ मिनट इन्तजार किया गया)

माननीय स्पीकर--मैं कोरम पूरा न होने की वजह से इस वक्त जाता हूं फिर काम सवा ग्यारह बजे शुरू होगा।

(कोरम पूरा हो जाने पर भवन की कार्यवाही सवा ग्यारह बजे आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

शनिवार, १४ जनवरी, १९५० ई०

तारांकित प्रश्न

सरकार का ईस्ट अफरीका से बिनौला खरीदना

*१--श्री चतुर्भुज शर्मा--क्या यह सच है कि प्रान्तीय सरकार ने सन् १९४७ ई० या इसके करीब ईस्ट अफरीका से बिनौले खरीदे थे?

माननीय शिक्षा सचिव के सभा मन्त्री (श्री महफूजुर्रहमान)--जी हां।

*२--श्री चतुर्भुज शर्मा--यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर हां में है तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि--

(क) कितना बिनौला खरीदा गया?
(ख) किस भाव से यह बिनौला खरीदा गया?

(ग) आयात का कितना खर्चा हुआ ?

(घ) कुल कितने रुपये इसमें खर्च हुए ?

श्री महफ़ूजुर्रहमान-- (क) ९३,९४३ मन।

(ख) १० रु० ८ आना फी मन जो बम्बई के गोदाम पर का भाव था और जिसमें वह खर्चा भी शामिल है जो बिनौले को बाहर से मंगाने में हुआ।

(ग) बिनौले को बाहर से मंगाने में जो खर्चा हुआ है उसके आंकड़े अलग से नहीं मिल सके हैं।

(घ) १०,१६,३४४ रु० जिसमें २,२९,९४२ रु० १० आना का संबंधित (मुताल्लिका) खर्चा भी शामिल है।

*३--श्री चतुर्भुज शर्मा--जब यह बिनौला खरीदा गया था यहां पर बिनौले का क्या भाव था और अब (इस साल) क्या भाव है ?

श्री महफ़ूजुर्रहमान--नवम्बर और दिसम्बर, १९४७ ई० में बिनौले का भाव १२ रु० ९ आना से २० रु० फी मन तक रहा। इस साल इसका भाव १३ रु० ९ आ० से १५ रु० फी मन तक है।

*४--श्री चतुर्भुज शर्मा--इस बिनौले का क्या इस्तेमाल किया गया ?

श्री महफ़ूजुर्रहमान--बिनौला खास तौर से गवर्नमेंट कैटल ब्रीडिंग और डेरी फार्मों और कुछ निजी तौर पर पशुओं की नस्लकशी करने वालों को दिया गया।

*५--श्री चतुर्भुज शर्मा--कितना बिनौला खर्च हो गया और अब कितना बाकी है ?

श्री महफ़ूजुर्रहमान--अभी तक २४,४५९ मन बिनौला बांटा गया है और बाकी ६९,४९० मन बिनौला इस शर्त पर नीलाम किया जा रहा है कि उसके नियत किये हुए कम से कम दाम मिल जायं।

*६--श्री चतुर्भुज शर्मा--क्या यह सच है कि इस बिनौले के खराब हो जाने की आशंका के कारण सरकार को इसे बेचने की सलाह दी गई है ?

श्री महफ़ूजुर्रहमान--जी हां।

*७--श्री चतुर्भुज शर्मा--क्या सरकार इस बिनौले को बेचने का विचार रखती है ?

श्री महफ़ूजुर्रहमान--जी हां।

*८-१५--श्री चतुर्भुज शर्मा--[स्थगित किये गये]।

लैन्सडाउन, गढ़वाल की जनता का सरकार के पास लड़कियों के स्कूल में कक्षा ९ खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र

*१८--श्री जगमोहन सिंह नेगी--(क) क्या सरकार के पास लैंसडाउन गढ़वाल की जनता का शिक्षा सभा-सचिव और जिला शिक्षा इन्सपेक्टर के द्वारा प्रार्थना-पत्र आया है कि लैंसडाउन लड़कियों की स्कूल में कक्षा ९ इस साल से खोल दिया जाय ?

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्री महफ़ूजुर्रहमान--(क) जी हां।

(ख) इस वर्ष जुलाई में चार नये हाई स्कूलों के खोलने के सिलसिले में इस स्कूल की मांग पर भी विचार किया जायगा।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या सरकार के पास लड़कियों के इस स्कूल को खोलने के लिये प्रांतीय सोल्जर्स बोर्ड से कोई सिफारिश आई है ?

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णानन्द)—इस वक्त ठीक नहीं कहा जा सकता। बहुत सम्भव है आई हो।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—गढ़वाल में लड़कियों के कितने हाई स्कूल हैं?

माननीय शिक्षा सचिव—मेरा ख्याल यह है कि कोई और नहीं है।

श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—सरकार की पुरानी योजना थी कि हर जिले में लड़कियों का एक हाई स्कूल कम से कम होगा। इसके बारे में सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है?

माननीय शिक्षा सचिव—वह नीति अब भी कायम है। इसीलिये कहा गया है कि हम जुलाई में चार स्कूल खोलने जा रहे हैं, असेम्बली ने रुपया मंजूर कर दिया तो किन्हीं चार जिलों में चार स्कूल खोल दिये जायेंगे।

लैन्सडाउन से गूमखाल तक मोटर सड़क बनवाना

*१९—श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि लैन्सडाउन से गूमखाल (गढ़वाल जिले में) तक, जो कुल ७ मील का टुकड़ा है सड़क बनवाने के टेन्डर लगभग दो साल पूर्व लिये जाने के बाद भी अब तक वहां मोटर सड़क क्यों नहीं बनायी गयी है?

माननीय निर्माण सचिव के सभा मन्त्री श्री लताफत हुसैन)—यह सड़क नायर डैम के कारण बनाई जा रही थी। चूंकि अब डैम का बनाया जाना रुक गया है, अतः सड़क की आवश्यकता बाकी नहीं रही। अगर कुछ और कारणों से सड़क का बनाया जाना जरूरी हुआ, तो इसका निर्माण पोस्ट वार रोड प्रोग्राम के दूसरे फेज में किया जायगा।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार इसका स्पष्ट करेगी कि रुक गये के क्या माने हैं? क्या यह स्थगित कर दिया गया है या बिलकुल ही रुक दिया गया है?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)—इस वक्त तो रुक ही गया है और इसके माने यह है कि काम कुछ नहीं किया जायगा।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या यह सड़क जो वहां तक जाती है इसको काम रुक जाने से क्यों रोक दिया गया है?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—इसलिये कि वहां पहुंचने के लिये उस सड़क का बनाना जरूरी समझा था, लेकिन अब वहां पहुंचना ही नहीं है।

*२०—श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार को ज्ञात है कि पौड़ी-गढ़वाल जाने के लिए उपर्युक्त ७ मील का टुकड़ा न बनने के कारण लगभग ४०–५० मील का चक्कर काटना पड़ता है?

श्री लताफत हुसैन—जी नहीं पौड़ी-गढ़वाल जाने वालों को ४०–५० मील नहीं बल्कि करीब २६ मील का रास्ता तै करना पड़ता है।

मरोड़ा नयार बांध पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट

*२१—श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार कृपा करके मरोड़ा नयार बांध पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट की नकल मेज पर रक्खेगी?

श्री लताफत हुसैन—मरोड़ा नयार बांध पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट की केवल एक ही कापी है, जिसको माननीय सदस्य निर्माण सचिव के कमरे में देख सकते हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार मोटे तौर पर उन विशेषज्ञों की रिपोर्ट का वर्णन देगी कि वह इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव---उसका मजमून इस वक्त बयान करना तो मुमकिन नहीं है सिर्फ यह कहा जा सकता है कि बावजूद खिलाफ न होने के सूबे की नजर के देखने के काबिल है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---क्या मिस्टर मेवेज ने इसके बनाने के पक्ष में कोई राय दी है?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव---जी हां, दी है।

*२२---श्री बलभद्र सिंह---[माननीय सदस्य का तब से देहान्त हो गया।]

युक्त प्रान्त में जूट की पैदावार बढ़ाने के उपाय

*२३---श्री वंशीधर मिश्र (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि युक्त प्रान्त में कहां-कहां जूट की पैदावार बढ़ाने के लिये कौन-कौन उपाय सरकार काम में ला रही है?

माननीय कृषि सचिव (श्री निसार अहमद शरवानी)---माननीय सदस्य की मेज पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६८० पर)

युक्तप्रान्त में चावल गेहूं तथा गन्ना की वार्षिक औसत उपज

*२४---श्री वंशीधर मिश्र (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रान्त में गत ५ वर्षों में (१) चावल, (२) गेहूं और (३) गन्ना की वार्षिक औसत उपज क्या रही है?

माननीय कृषि सचिव---एक विवरण-पत्र, जिसमें पूर्व ५ वर्ष की धान, गेहूं तथा गन्ना की औसत निकासी टनों में दिखाई गई है, निम्नांकित है---

साल	धान	गेहूं	गन्ना
१९४४-४५	१५,३५,८८१	२६,४५,६३५	२.४१,०७,९३६
१९४५-४६	१८,३०,८२९	२३,०५,१५४	२,२२,२५,१४५
१९४६-४७	१७,७४,०६२	२३,४८,६२६	२,४१,००,७३३
१९४७-४८	१९,६६,९२८	२६,२२,८१८	२.७५,६३,९०३
१९४८-४९	२३,४६,३७९	२३,१३,०२७	२,४१,६६,११८
कुल	९४,५२,०७९	१,२२,३५,२६०	१२,२१,६३,८३५
पांच वर्ष का औसत	१८,९०,४१६	२४,४७,०५२	२,४४,३२,७६७

*२५---२८---श्री वंशीधर मिश्र (अनुपस्थित)---[स्थगित किये गये।]

खीरी जिला के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई इन्सपेक्टर के विरुद्ध अभियोग

*२९---श्री वंशीधर मिश्र (अनुपस्थित)---क्या सरकार को यह मालूम है कि खीरी जिला के एक डिस्ट्रिक्ट सप्लाई इन्सपेक्टर के खिलाफ सीमेंट की बोरियों के गायब हो जाने के सम्बन्ध में अभियोग लगा था और जांच हुई थी?

माननीय खाद्य सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जी हां, सप्लाई इंसपेक्टर के विरुद्ध अभियोग यह था कि पकड़ी गई बोरियों के रखने का प्रबन्ध उसने सुचारु रूप से क्यों नहीं किया? क्योंकि बोरियां जिस व्यक्ति की सुपुर्दगी में दी गईं वहां से उठ गईं।

*२९--श्री बंशीधर मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह जांच कब शुरू की गई थी कब खत्म हुई और उस पर कब निर्णय हुआ?

माननीय अन्न सचिव--इस संबंध में जांच १३ अप्रैल, १९४९ ई० को प्रारम्भ हुई और २५ अप्रैल, १९४९ ई० को समाप्त हुई।

साम्प्रदायिकता समाप्त करने के लिए सरकारी नीति तथा तरीके

*३१--श्री गजाधर प्रसाद--क्या यह सच है कि सरकार साम्प्रदायिकता को समाप्त करने का विचार रखती है?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मन्त्री (श्री गोविन्द सहाय)--सरकार की नीति साम्प्रदायिकता को हतोत्साहित करना है।

*३२--श्री गजाधर प्रसाद--यदि जवाब हां में है, तो सरकार ने कौन-कौन से तरीके अपनाये हैं?

श्री गोविन्द सहाय--सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक ये कार्रवाइयां की हैं--

१--यह आज्ञा दी गयी है कि सरकारी कागजों में जहां कहीं जाति या उपजाति किसी अलग कालम में या किसी दूसरी जगह स्पष्टरूप से लिखे जाने के लिए आदेश दिए गए हैं वहां कुछ न भरा जाएगा, सिवाय उस दशा के जबकि सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए कागजात की खानापुरी करने में परिगणित जातियों के लोगों के बारे में विवरण देना जरूरी हो और जबकि कानून के अनुसार ऐसा इन्दराज करने का स्पष्टरूप से आदेश हो।

आमतौर पर सरकारी कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले पत्र-व्यवहार मे इस सरकार के मातहत सभी सरकारी नौकरों को सम्बोधित करने के लिए सम्मानसूचक शब्द 'मिस्टर' 'बाबू' 'पंडित' 'मोलवी' 'मिसेज' 'मुसम्मात' 'मिस' इत्यादि के स्थान पर जिनका इस्तेमाल पहले किया जाता था अब 'श्री' 'श्रीमती' 'कुमारी' शब्द का जैसा कि उपयुक्त हो, व्यवहार किया जाता है।

यह भी आदेश दिया गया है कि यदि परिगणित जाति का कोई व्यक्ति यह चाहे कि उसकी जाति या उपजाति उस दशा में भी सरकारी कागजात में छोड़ दी जाय या दर्ज न की जाय, जबकि उसे दर्ज करना आवश्यक हो, तो वह इस आशय की दरख्वास्त दे सकता है और उसकी दरख्वास्त मान ली जानी चाहिए।

कार्यालय-स्मृति-पत्र (आफिस मेमोरेन्डम) सं० ६१६०/२--१३-४६, तारीख २४ जुलाई, १९४७ ई० सरकारी आज्ञा (जी० ओ०) सं०--ओ--१४२२/२-बी--५५-४८, ता० १४ अप्रैल, १९४८ ई० और सरकारी आज्ञा (जी० ओ०) सं० १३०३/३--१५-४९ ई० ता० ९ अप्रैल, १९४९ ई० की नकलें सूचना के लिए मेज पर रख दी गयी हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६८२ पर)

२--सरकार के प्रस्ताव पर व्यवस्थापिका सभाओं ने यू०पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ ई० और यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० में उपयुक्त संशोधन किए हैं जिनके द्वारा जिला बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर दी गयी है।

३--जहां तक नौकरियों में नियुक्तियां करने और तरक्कियां देने का सम्बन्ध है, सरकार ने आदेश दिया है कि--

(क) तरक्की देने के मामले मे साम्प्रदायिकता की दृष्टि से किसी बात का विचार नहीं किया जायगा।

(ख) प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा सीधे भर्ती करने में योग्यता ही एकमात्र कसौटी होगी, लेकिन १० प्रतिशत खाली जगहें परिगणित जातियों के योग्य उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित (रिजर्व) रहेंगी।

४—यह आज्ञा जारी कर दी गयी है कि चूंकि बालिग मताधिकार के आधार पर तैयार की गयी निर्वाचक सूचियां (इलेक्टोरल रोल) में वोट देने वालों के धर्म, वर्ण या जाति के सम्बन्ध में सूचना देने की जरूरत नहीं है, इसलिए निर्वाचक सूचियों में इनके लिए कालम नहीं होने चाहिए।

५—सरकार के प्रस्ताव पर व्यवस्थापिका सभाओं ने रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलिटीज ऐक्ट, १९४७ ई० (सामाजिक असमर्थताओं के दूर करने का ऐक्ट, १९४७ ई०) पास किया ताकि हरिजनों को समान नागरिक अधिकार मिल जाय।

६—साम्प्रदायिक दृष्टि से [illegible] तरीका, जिसके अनुसार किसी खास सम्प्रदाय या जाति के लोगों का ही [illegible] जाती था, समाप्त कर दिया गया है। अब प्रान्त में जो सार्वजनिक [illegible] होगी वह सबके लिए होगी।

७—सरकार [illegible] कि जमीन पर फिर से बसाने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई साम्प्रदायिक भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिए, यदि ऐसे व्यक्ति [illegible] व्यक्तियों (डिस्प्लेस्ड पर्सन्स) की परिभाषा के अन्तर्गत आते हों, चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों न हों।

८—इस बात के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किए जाने [illegible] कि अफसरों की मनोवृत्ति साम्प्रदायिक न हो और वे अपने कर्तव्यों को पालन करने में पूरी तौर से निष्पक्ष रहें।

९—पैम्फलेट इत्यादि प्रकाशित करने के [illegible] डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन आफिसर्स, जिला इन्फार्मेशन अफसरों के जरिए साम्प्रदायिकता के विरुद्ध प्रचार करता है।

*३३—श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार को अपनाये हुए तरीकों में कहां तक कामयाबी हुई?

श्री गोविन्द सहाय—नतीजे सन्तोषजनक हुए हैं।

श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कुछ नामों के आगे और पीछे जातिसूचक जो उपाधियां लगाई जाती हैं उनके रोकने पर सरकार का क्या विचार है?

माननीय शिक्षा मन्त्री—सरकार इस मामले में कोई दखल नहीं दे सकती है। हर शख्स अपने नाम के आगे जो लगाना चाहे लगा सकता है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि स्कूल और कालेजों में जो भोजन की व्यवस्था रहती है उसमें कोई आदेश ऐसा जारी किया गया है कि हरिजनों के लिये किसी प्रकार का विरोध एक साथ भोजन करने में न हो?

श्री गोविन्द सहाय—जहां तक सरकारी संस्थाओं का ताल्लुक है उनके बारे में सरकार पाबन्दी लगा सकती है। लेकिन पब्लिक की संस्थाओं पर कोई कानूनी पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार की नोटिस में इस प्रकार की शिकायत आयी है कि जो पंचायतों के मंत्रियों या प्रधानों की ट्रेनिंग की गई, उसमें भोजन की व्यवस्था में विरोध किया गया और हरिजनों को अलग रखा गया।

श्री गोविन्द सहाय—जी नहीं?

*३४-३५—श्री गजाधर प्रसाद—[स्थगित किये गये]।

जिला गढ़वाल के राजनीतिक पीड़ितों द्वारा सरकार के पास आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र

*३६—श्री जगमोहन सिंह नेगी—(क) क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जिला गढ़वाल के किन-किन राजनीतिक पीड़ितों ने किस-किस आधार पर और किन तारीखों

पर सरकार के पास आर्थिक सहायता या पेंशनों की मांग के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे हैं और सरकार ने उन्हें कब-कब और कितना-कितना प्रदान किया है ?

(ख) क्या सरकार कृपया यह भी बतलायेगी कि किस-किस की मांग अस्वीकार की गयी और किन-किन कारणों से ?

श्री गोविन्द सहाय--माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी है उसका ब्योरा संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६८६ पर)

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या सरकार के पास इन राजनीतिक पीड़ितों का कोई आवेदन-पत्र पहुंचा है कि यह जो उनको दस और पंद्रह रुपये दिये गये हैं ये अपमान-जनक ही नहीं बल्कि इस मंहगाई के जमाने में बहुत कम रकम है।

श्री गोविन्द सहाय--इसके लिये नोटिस की जरूरत है। मालूम करके बता सकता हूं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह जो लिस्ट विचाराधीन है। इस पर सरकार अपना अन्तिम निर्णय कब तक देगी ?

श्री गोविन्द सहाय--जिनके मामले स्वीकार कर लिये गये हैं उन पर गौर करने का सवाल नहीं उठता। जो और केसेज़ हैं उन पर जल्द से जल्द निर्णय किया जायगा।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--ये कितने वर्षों से सरकार के सम्मुख विचाराधीन हैं ?

श्री गोविन्द सहाय--मेरे ख्याल में ऐसे केसेज बहुत कम हैं, जो विचाराधीन हैं और अगर आप फेहरिस्त देखेंगे तो मालूम होगा कि बहुत से केसेज हैं जो स्वीकार कर लिये गये हैं, लेकिन जिनके प्रार्थना-पत्र ठीक समय पर नहीं आये उन्हें तीन महीने हुये विचाराधीन लिये गये हैं।

ग्राम पंचायतों के लिए इन्सपेक्टरों की योग्यता

*३७--श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों के लिये होने वाले गत चुनाव में इन्सपेक्टरों की आम योग्यता कम से कम इन्टरमीडियट और राज-नीतिक पीड़ितों के लिये कम से कम मैट्रिक निर्धारित की गई थी ? यदि हां, तो इन योग्यताओं के प्रमाण स्वरूप कितने लोगों को इन्सपेक्टरी में लिया गया और उनमें कितने राजनीतिक पीड़ितों को स्थान दिया गया ?

श्री माननीय स्वशासन सचिव (आत्माराम गोविन्द खेर)--योग्यता के सम्बन्ध में शासकीय आदेशों के उदाहरण दिये जाते हैं--

निर्धारित योग्यता के अनुसार ४६२ नियुक्त किये गये, जिनमें १७५ राजनीतिक पीड़ित थे।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६९२ पर)

*३८--श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--क्या यह भी सही है कि उपरोक्त चुनाव में कुछ ऐसे भी सज्जनों को स्थान दिया गया है, जिन्होंने कम से कम निर्धारित योग्यता का भी प्रमाण नहीं पेश किया था यानी वे मैट्रिक भी पास नहीं हैं ? यदि हां, तो उनका नाम पता और उनकी अधिक से अधिक योग्यता क्या है ?

माननीय स्वशासन सचिव--निर्धारित योग्यता के अनुसार ही मैट्रिक फेल अथवा दर्जा ९ पास राजनीतिक पीड़ित अथवा उनके समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण लोग लिये गये थे, जिन्हें उनकी सार्वजनिक सेवाओं के अनुभव से योग्य समझा गया। माननीय सदस्य के प्रश्न से प्रकट है कि वे निम्नतम योग्यता मैट्रिक मानते हैं। ऐसी दशा में ऐसे लोगों की सूची देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--क्या सरकार को यह मालूम है कि राजनीतिक पीड़ित और सार्वजनिक सेवा करने वालों में बहुत से व्यक्ति ऐसे भी नियुक्त नहीं किये गये, जो मैट्रिक, एफ० ए० और ग्रेजुएट भी थे ?

माननीय स्वशासन सचिव--मुमकिन है कि कुछ ऐसे लोग भी हों, जो मैट्रिक हों और न लिये गये हों क्योंकि दरख्वास्तें बहुत ज्यादा थीं।

जिला जालौन के मैजिस्ट्रेट के फैसले पर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस द्वारा नुक्ताचीनी

*३९--श्री चतुर्भुज शर्मा--क्या यह सच है कि जिला जालौन के मैजिस्ट्रेट के फ़ैसले के बाद कई मुकदमों में सुपरिन्टेडेन्ट पुलिस ने नुक्ताचीनी की ?

माननीय स्वशासन सचिव--जी नहीं।

'लोकमत' अखबार, उरई पर अदालत की मानहानि का मुकदमा

*४०--श्री चतुर्भुज शर्मा--क्या यह सच है कि एक चितौरी चितोरा के मुकद्दमे में पुलिस सुपरिन्टेडेन्ट और डि० मैजिस्ट्रेट ने 'लोकमत' अखबार, उरई पर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा अदालत की तौहीन (कंटेम्प्ट आफ कोर्ट) का मुकदमा चलाने के लिये लिखा-पढ़ी की ?

माननीय स्वशासन सचिव--जी नहीं, सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस ने तत्कालीन जिलाधीश तथा जुडीशियल मैजिस्ट्रेट का स्थानीय पत्र 'लोकमत' में छपे हुये लेख पर, जो पुलिस के विरुद्ध था, केवल ध्यान ही आकर्षित किया था?

*४१--श्री चतुर्भुज शर्मा--क्या यह सच है कि सुपरिन्टेंडेट पुलिस और डि० मैजिस्ट्रेट के लिखने पर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट ने 'लोकमत' समाचार-पत्र के सम्पादक और मुद्रक को नोटिस उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाने का दिया ?

माननीय स्वशासन सचिव--जी नहीं। लेख को देखकर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट ने स्वयं ही उक्त पत्र के प्रकाशक तथा मुद्रक के नाम नोटिस निकाला था।

*४२--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह-- [स्थगित किया गया।]

मशीनरी खरीदने वाले अफसरों व निरीक्षकों के नाम अनुभव और विशेष योग्यतायें

*३४--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार उन अफसरों व निरीक्षकों के नाम मय उनके अनुभव व विशेष योग्यताओं के बताने की कृपा करेगी, जिनकी जिम्मेदारी पर सरकार ने करोड़ों रुपयों की मशीनरी खरीदी है ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लालबहादुर)--सरकार ने किसी विशेष अफ़सरों की जिम्मेदारी पर मशीन नहीं खरीदी है और न खरीदती है। बल्कि जिन विभागों को मशीनों की आवश्यकता होती है वे डाइरेक्टर आफ काटेज इन्डस्ट्रीज को अपनी मांग भेजते हैं और डाइरेक्टर आफ काटेज इंडस्ट्रीज चुने हुये फर्मों से टेंडर मंगवाते हैं। टेंडरों के आने पर जो मशीनें विवरण से आवश्यकतानुसार अच्छी मालूम होती हैं उनको मशीनों के टेंडर मांग करने वाले और बर्तनेवाले विभागों के टेकिनकल अफ़सरों की सम्मति से स्वीकार किया जाता है और वे विभाग उनके लिये क्रय करने का आदेश देते हैं और उनका मूल्य चुकाते हैं। यदि प्रश्न का अभिप्राय स्टोर्स पर्चेज विभाग के अफ़सरों से हो तो उनकी एक सूची नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६९३ पर)

स्टोर परचेज डिपार्टमेंट तथा उसके अफसरान के विरुद्ध सरकारी कार्यवाही

*४४--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास स्टोर परचेज डिपार्टमेंट व उसके अफ़सरान के खिलाफ कोई शिकायत आई थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

माननीय पुलिस सचिव--सरकार के पास स्टोर्स पर्चेज विभाग के अफसरों के विरुद्ध एक शिकायत पिछले जून मास में श्री रामचन्द्र नवाबगंज, कानपुर की आई थी, उस पर उचित कार्यवाही की गई है।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह शिकायत क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

माननीय पुलिस सचिव--जो शिकायत आई, अभी उस पर जांच खत्म नहीं हुई है। जब जांच खत्म हो जायगी तब कार्यवाही की जायगी।

*४५--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या यह सही है कि बोरों की खरीदारी में सरकार को दस-पन्द्रह लाख का नुकसान हुआ? यदि हां, तो क्यों ?

माननीय पुलिस सचिव--उद्योग विभाग को उनके स्टोर्स द्वारा खरीदे हुये बोरों में ऐसी कोई हानि नहीं हुई।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यदि ऐसी कोई हानि नहीं हुई तो क्या कोई हानि हुई या बिलकुल ही नहीं हुई ?

माननीय पुलिस सचिव--जहां तक गवर्नमेंट को मालूम है कोई नुकसान नहीं हुआ।

*४६--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या यह सही है कि प्रान्तीय रक्षा दल के लिये कम्बल खरीदने में सरकार को दस हजार रुपये का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

माननीय पुलिस सचिव--स्टोर्स परचेज विभाग द्वारा प्रान्तीय रक्षा दल के लिये कम्बल खरीदने में सरकार को ऐसी कोई हानि नहीं हुई ?

*४७--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या यह भी सही है कि जूतों की खरीदारी में सरकार को बीस हजार रुपये का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

माननीय पुलिस सचिव--यह भी सही नहीं है कि सरकार को जूतों की खरीदारी में २०,००० रु० की हानि हुई।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगर २० हजार का नुकसान नहीं हुआ तो क्या कुछ कम नुकसान हुआ और क्या हुआ ?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां, करीब २,१३० रु० का नुकसान हुआ।

*४८--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या यह सही है कि स्टोर परचेज विभाग के कोई आफ़िसर हैदराबाद आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये थे और पुनः नियुक्त किये गये ? क्या यह सही है कि उक्त महोदय पहिले स्टेनोग्राफर थे ?

माननीय पुलिस सचिव--हां, यह सही है कि स्टोर्स परचेज विभाग के एक अफ़सर श्री सैयद फैयाज अली हैदराबाद आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये थे। परन्तु वह हाई कोर्ट से छूट गये और वे फिर अपनी जगह वापिस आ गये। ये अफसर पहिले डाइरेक्टर आफ काटेज इन्डस्ट्रीज के स्टेनोग्राफर थे, लेकिन १९४३ ई० में एक्सट्रा असिस्टेंट ए० डी० आई० के पद पर नियुक्त किये गये थे।

*४९--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या यह सही है कि उक्त महोदय के प्रायः सभी सम्बन्धी पाकिस्तान में हैं और बहुत सी पाकिस्तानी फर्मों की जमानतें इन्होंने रिहा कर दी है ?

माननीय पुलिस सचिव--श्री सैयद फैयाज अली के कुछ चचेरे भाई व भतीजे, जो बिना उसकी मदद व उनसे अलग रहते हैं, पाकिस्तान में हैं। उनके एक छोटे भाई सैयद मकसूद अली, जो सरकारी नौकरी से पेन्शन पा गये, वह भी हाल ही में पाकिस्तान चले गये। श्री फैयाज अली का बड़ा लड़का व बड़ी लड़की भी पाकिस्तान

वर्कशाप के संबन्ध में टेन्डरों का विवरण

*५३--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या यह सही है कि वर्कशाप इत्यादि के बनाने के लिये कुछ चुने हुए फर्मों को ऊंची शरह पर इसलिये ठेका दिया जाता है कि कम शरह के टेन्डर वाले अविश्वसनीय तथा अयोग्य हैं ? क्या सरकार एक कागज मेज पर रखने की कृपा करेगी, जिसमें गत दो वर्षों के टेन्डरों का पूरा विवरण हो ?

श्री लताफत हुसैन--सार्वजनिक निर्माण विभाग के भवन तथा मार्ग उपविभाग में वर्कशाप आगरा, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सीतापुर, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, बनारस और फैजाबाद में बन रहे हैं और इनके लिये सबसे कम शरह के टेन्डर स्वीकार किये गए थे।

सरकार यह समझती है कि इस सूचना के प्राप्त करने में जितना वक्त और जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतना फायदा हासिल नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या यह सही है कि कभी-कभी कम शरह के टेन्डर देने वाले ठेकेदार अपने काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, और इससे काम में हर्ज होता है ?

श्री लताफत हुसैन--बहुत कम ऐसी शिकायतें हमें मिली हैं ज्यादा तादाद ऐसे आदमियों की नहीं है।

कृषि-रक्षा के लिए बन्दरों तथा नीलगायों के निकाले जाने की तरकीब

*५४--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार ने कृषि-रक्षा के लिए बन्दरों व नीलगायों के निकालने की कोई तरकीब निकाली है ?

श्री महफूजुर्रहमान--जी हां, नीलगायों को मारने पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था वह हटा दिया गया है। जिन-जिन जिलों में बन्दर फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, वहां की जिला फूड एडवाइजरी कमेटी से आवश्यक सुझाव मांगे गये हैं।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार को यह मालूम है कि केवल नीलगायों के मारने का प्रतिबन्ध हट जाने से नीलगायों की बाधा दूर नहीं हो सकती ? क्योंकि काश्तकारों के पास कोई जरिया उनके मारने का नहीं है ?

श्री महफूजुर्रहमान--हर जिले में शिकारियों का नम्बर बहुत काफी है। पहल वे नीलगायों को साफ करें फिर बाद में और इन्तजाम किया जायगा।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फूड एडवाइजरी कमेटी का सुझाव आ गया या अभी तक नहीं आया है।

माननीय शिक्षा सचिव--गालिबन सब जगह से अभी तक न आया होगा।

जिला जालौन के भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी की कार्यवाही

*५५--श्री चतुर्भुज शर्मा--जिला जालौन के भ्रष्टाचार-विरोधी (ऐंटीकरप्शन) कमेटी की बैठक पिछले साल और इस साल कितने बार हुई ?

श्री गोविन्द सहाय--जिला जालौन के भ्रष्टाचार विरोधी (ऐन्टीकरप्शन) कमेटी की १९४८ ई० में ६ और १९४९ ई० में २ बैठकें हुई हैं।

*५५--श्री चतुर्भुज शर्मा--इस कमेटी के द्वारा कितने भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी ?

श्री गोविन्द सहाय--कमेटी किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती। इसलिये सवाल नहीं उठता।

*५७---श्री चतुर्भुज शर्मा---क्या यह सच है कि जिला जालौन के कई पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की लिखित शिकायतें की गयीं ?

माननीय पुलिस सचिव---जी हां ।

*५८---श्री चतुर्भुज शर्मा---क्या इनकी जांच पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने की ? यदि हां, तो उनका क्या नतीजा हुआ ?

माननीय पुलिस सचिव---उनकी जांच सर्किल इंसपेक्टर तथा डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने की परन्तु शिकायतें ठीक साबित नहीं हो सकीं ।

*५९---श्री चतुर्भुज शर्मा---ये शिकायतें कब की गई थीं और कब इनकी जांच की गई ?

माननीय पुलिस सचिव---शिकायतें १९ मई, १९४९ को की गई । जांच २२ मई को शुरू हुई और ५ सितम्बर को समाप्त हुई।

*६०---श्री चतुर्भुज शर्मा---(क) क्या इनकी जांच होने की सूचना शिकायत करने वालों को लिखित दी गयी ?

(ख) क्या जांच का नतीजा शिकायत करने वालों को बतलाया गया ?

माननीय पुलिस सचिव---(क) लिखित नहीं दी गयी परन्तु जांच शुरू होने पर उन्हें बताया गया और उनके नाम पूछे गये जो इसमें गवाही दे सकते थे ।

(ख) माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में बतलाया गया ।

*६१-६२---श्री चतुर्भुज शर्मा---[स्थगित किये गये।]

जिला जालौन के 'वीरेन्द्र' 'लोकमत' तथा 'जय हिन्द' समाचार-पत्रों एवं उनके प्रकाशनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही के बारे में पूछताछ

*६३---श्री चतुर्भुज शर्मा---क्या यह सच है कि कोंच से प्रकाशित होने वाले 'वीरेन्द्र' समाचार-पत्र में एक शिकायत श्री भागीरथसिंह द्वारा छपाई गयी थी ?

श्री गोविन्द सहाय---जी हां।

*६४---श्री चतुर्भुज शर्मा---(क) क्या यह सच है कि इस शिकायत को झूठ समझकर जिला अधिकारियों द्वारा उक्त 'वीरेन्द्र' पत्र पर मुकदमा चलाने का नोटिस दिया गया ?

(ख) क्या यह सच है कि 'वीरेन्द्र' सम्पादक ने उत्तर दिया था कि पुलिस ने एक दूसरे भागीरथ सिंह से फर्जी बयान ले लिया है ?

श्री गोविन्द सहाय---(क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

*६५---श्री चतुर्भुज शर्मा---क्या यह सच है कि उक्त 'लोकमत' में गत १४ अप्रैल को 'पुलिस की शिकायत' नामक एक समाचार छपा था ?

श्री गोविन्द सहाय---जी हां।

*६६---श्री चतुर्भुज शर्मा---क्या यह सच है 'कि उक्त समाचार पर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने जिला मैजिस्ट्रेट को लिखा कि---'यह लेख जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में चलने वाले एक मामले में अदालत के द्वारा न्याय के मार्ग को पक्षपातपूर्ण करता है ?" और यह भी लिखा कि अदालत की मानहानि का मामला सम्पादक मुद्रक व प्रकाशक पर चलाया जाय ?

श्री गोविन्द सहाय---जी हां।

*६७--श्री चतुर्भुज शर्मा--क्या यह सच है कि उक्त आग्रह पर जिला मैजिस्ट्रेट ने अपने अधीनस्थ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट को अदालत की मानहानि का नोटिस देने की सलाह दी ?

श्री गोविन्द सहाय--जी नहीं।

*६८-६९--श्री चतुर्भुज शर्मा--[स्थगित किये गये।]

*७०--श्री चतुर्भुज शर्मा--क्या यह सच है कि काल्पी से निकलने वाले समाचार-पत्र 'जय हिन्द' ने ता० २४ मई सन् १९४९ ई० के अंत मे मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम न दे कर प्रेस ऐक्ट का उल्लंघन किया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

श्री गोविन्द सहाय--नहीं।

जिला हमीरपुर में उन्नतिशील उद्योग धन्धों की नवीन योजनायें

*७१-श्री श्रीपति सहाय--क्या सरकार ने जिला हमीरपुर में उन्नतिशील उद्योग-धन्धों की कोई नवीन योजना चालू की है ? अगर की, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव--एक शिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र खादी योजना ककरई, जिला हमीरपुर में चल रहा है।

बरूआ सुमेरपुर में एक शिक्षण केन्द्र ट्रेनिंग का चल रहा है और महोबा में एक चर्मशिक्षालय (लेदर वरकिंग स्कूल) को सरकार अनुदान प्रदान करती है।

श्री श्रीपति सहाय--क्या सरकार हमीरपुर जिला के किसी ऊनी कार्यालय को सहायता करने का विचार रखती है ?

माननीय पुलिस सचिव--सभी ऐसे ग्राम उद्योग जोकि सफलतापूर्वक चलाये जा सकते हैं, उनके बारे में अगर कोई दरख्वास्त आयेगी तो उस पर गवर्नमेंट जरूर विचार करेगी।

*७२--श्री श्रीपति सहाय--(क) क्या यह सच है कि जिला हमीरपुर में गोरहरी ग्राम में गौरा पत्थर की खान है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पत्थर से टी सेट, गिलास, तश्तरी, प्याले आदि सुन्दर वस्तुएं बनायी जाती हैं ?

(ग) इस धन्धे को उन्नतिशील बनाने के लिये क्या सरकार ने किसी योजना पर विचार किया है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

माननीय पुलिस सचिव--(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) अभी सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है, पर गवर्नमेंट इस प्रश्न पर विचार करेगी।

*७३--श्री श्रीपति सहाय--क्या सरकार ने कभी नीम से तेल निकालने की योजना पर विचार किया है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रतिफल निकला ?

माननीय पुलिस सचिव--प्रान्त में थोड़ी मात्रा में नीम से तेल निकाला जाता है। सरकार ने नीम तेल की योजना पर जो कुछ विचार किया है उससे उस उद्योग की सफलता में अधिक आशा नहीं दिखाई दी है।

श्री श्रीपति सहाय--वह कौन सी कठिनाई है जो सरकार के सफल होने में बाधक है ?

माननीय पुलिस सचिव--कोई कठिनाई की बात नहीं है, क्योंकि इस काम में ज्यादा फायदे की बात नहीं दिखलाई पड़ती है इसलिये ऐसा कर लिया गया है।

७४---श्री श्रीपति सहाय---(क) क्या सरकार को मालूम है कि बुन्देलखंड के पहाड़ों में लोहा निकलता है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त लोहे को प्राप्त करने की कोई योजना निकाली है ?

माननीय पुलिस सचिव---(क) नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

टाउन एरिया बनने वाले गांवों की कम से कम जनसंख्या

*७५---श्री श्रीपति सहाय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह कम से कम कितनी जनसंख्या वाले गांवों में टाउन एरिया स्थापित करने का विचार करती है ?

माननीय स्वशासन सचिव---टाउन एरिया की स्थापना किसी निश्चित जनसंख्या पर निर्भर नहीं है इस सम्बन्ध के प्रत्येक प्रस्ताव पर स्थानीय परिस्थिति की जांच के बाद वहां टाउन एरिया की स्थापना करने का निश्चय होता है ।

जिला हमीरपुर में चार हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों की संख्या

*७६---श्री श्रीपति सहाय---जिला हमीरपुर में चार हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांव कितने और कौन-कौन हैं ?

माननीय स्वशासन सचिव---१९६१ ई० की गणना के अनुसार हमीरपुर जिले में केवल ९ गांव तथा कस्बे होते हैं जिनकी जनसंख्या ४ हजार से अधिक है, उनके नाम इस प्रकार हैं----

१---हमीरपुर (कस्बा)
२---सुमेरपुर (कस्बा)
३---बिवांर (गांव)
४---मवदहा (कस्बा)
५---महोबा (कस्बा)
६---श्रीनगर (गांव)
७---कुलपहाड़ (तहसील हेडक्वार्टर)
८---ललवारी (गांव)
९---राठ (कस्बा)

श्री श्रीपति सहाय---सरकार कुलपहाड़ गांव में टाउन एरिया की स्थापना के बारे में क्या विचार रखती है? जबकि वह तहसील का हेडक्वार्टर है और एक बड़ा कस्बा है ?

माननीय स्वशासन सचिव---इस बात पर विचार हो रहा है।

श्री श्रीपति सहाय---मवदहा में टाउन एरिया को म्युनिसिपैलिटी बनाने में गवर्नमेंट का क्या विचार है जबकि वहां की आमदनी ५० हजार से ज्यादा है ?

माननीय स्वशासन सचिव---अभी यह मालूम हुआ है कि इतना खर्चा वह बरदाश्त नहीं कर सकेगा, इसलिये उसे म्युनिसिपैलिटी नहीं बनाया गया।

जिला हमीरपुर में तेल निकालने की योजनाएं

*७७---श्री श्रीपति सहाय---क्या सरकार को मालूम है कि जिला हमीरपुर में तिलहन अधिक होता है ? अगर हां, तो सरकार ने वहां तेल निकालने की घरेलू योजनायें प्रसारित करने पर विचार किया है ? अगर हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

माननीय पुलिस सचिव--हां। हमीरपुर में काफी तिल्हन होता है। इसीलिये घरेलू तेल उद्योग योजना इस वर्ष हमीरपुरमें भी लगा दी गई है। वहां के बढ़इयों को संशोधित वर्धा तेल कोल्हू बनाने की शिक्षा देने का प्रबन्ध हो रहा है। इन कोल्हू का एक प्रदर्शन यूनिट (डिमांस्ट्रेशन यूनिट) भी वहां भेजने का प्रयत्न किया जा रहा है। उसके बाद जिले में उन्नत प्रकार के कोल्हू लगाये जायेंगे जिनमें वहां के घरेलू तेल उद्योग को प्रोत्साहन मिले।

श्री श्रीपति सहाय--यह योजना कब तक चालू हो जायगी ?

माननीय पुलिस सचिव--जल्द ही आशा की जाती है।

बुन्देलखण्ड में आल की खेती

*७८--श्री श्रीपति सहाय--क्या सरकार को मालूम है कि बुन्देलखड में आल नामक पेड़ की जड़ से लाल रंग बनता था और उसकी खेती होती थी ?

माननीय पुलिस सचिव--हां, मालूम है।

*७९--श्री श्रीपति सहाय--क्या सरकार को यह भी मालूम है कि अंग्रेजों ने विदेशी रंग मंगाकर आल की खेती समाप्त कर दी ?

माननीय पुलिस सचिव--चूंकि आल की जड़ से बना हुआ लाल रंग अधिक महंगा पड़ता था और विदेशी रंग अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता था अतएव आल की खेती स्वतः बन्द हो गई।

*८०--श्री श्रीपति सहाय--यदि हां, तो क्या सरकार आल की खेती को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव--आल कृषि को पुनर्जीवित करने की इस समय संभावना नहीं मालूम पड़ती।

जिला हमीरपुर में सरकारी सांडों की संख्या

*८१--श्री श्रीपति सहाय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर में कुल सरकारी सांड़ कितने हैं और वे कौन-कौन गांव में हैं ?

श्री महफूजुर्रहमान--१९१ गांवों की एक सूची जहां सांड़ हैं नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६९५ पर)

*८२--श्री श्रीपति सहाय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितने और कौन-कौन गांव के सांड़ बुड्ढे और बेकार हो गये हैं ?

श्री महफूजुर्रहमान--सूचना इकट्ठी की जा रही है।

श्री श्रीपति सहाय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह सूचना कब तक आ जायेगी ?

श्री महफूजुर्रहमान--चूंकि आपके जिले में चलने-फिरने की मुश्किलात है इस वजह से अभी कोई इत्तला मिलना मुश्किल है।

श्री श्रीपति सहाय--यह मुश्किलात कब तक दूर हो जायेगी ?

श्री महफूजुर्रहमान--नदियों वग़ैरा की कुदरतन् मुश्किलात हैं जब वह दिक्कत दूर हो जायेगी तब कुछ हो सकेगा।

जिला हमीरपुर में उमन्निया राठ के रास्ते में बनी रपड़ पर व्यय

*८३--श्री श्रीपति सहाय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर में नहर बसान साख मौदहा के राठ, माइनर के कुर्रा स्केप की उमन्निया राठ के रास्ते में जो रपड़ बनी है वह कितने दिनों के लिये बनवाई गयी थी ?

श्री लताफत हुसैन---ये रपड़ कई वर्षों के लिये बनाई गई है।

श्री श्रीपति सहाय---क्या सरकार को यह मालूम है कि प्रश्न का उत्तर मिलने के पश्चात् भी २४ बोरे सीमेंट खर्च नहीं हुई ?

श्री लताफत हुसैन---जवाब में बताया गया है कि सीमेंट खर्च हुई।

श्री श्रीपति सहाय---क्या सरकार इसकी जांच करने की कृपा करेगी ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव---इस बात की वजह नहीं मालूम होती कि इसकी क्या जरूरत है।

श्री श्रीपति सहाय---इसलिये कि वह रपड़ फिर से टूटने के लिये तैयार हो रही है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव---वह टूटने के बाद फिर से बनवाई जा चुकी है।

*८४---श्री श्रीपति सहाय---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उक्त रपड़ में कितना सीमेंट खर्च हुआ और उसका कुल एस्टिमेट कितना था ?

श्री लताफत हुसैन--- उसका तखमीना ४९१ रु० था जिसमें से सिर्फ ३९१ रु० खर्च हुये हैं। इस खर्च में २४ बोरा सीमेंट की कीमत भी शामिल है।

*८५---श्री श्रीपति सहाय---क्या यह सच है कि वह रपड़ बनते ही तुरन्त उखड़ गयी ? यदि हां तो उसका क्या कारण है ?

श्री लताफत हुसैन---इस रपड़ के बनते समय बीहर राजबाहे के टेल से पानी कुर्सी स्केप में आ गया था जिसके कारण सूखी पत्थर की नई पिंचिग बैठ गई थी। उसी समय रपड़ उखड़वा कर दोबारा बनवाई गयी जिसकी लागत ठेकेदार को देना पड़ा।

जिला हमीरपुर की राठ तहसील में अलसी के उपयोग में लाने की नई योजना

*८६---श्री श्रीपति सहाय---क्या सरकार को मालूम है कि जिला हमीरपुर की राठ तहसील में कृषि विभाग के विशेषज्ञों के मतानुसार अलसी उत्तम और अधिक उत्पन्न होती है ?

श्री महफूजुर्रहमान---जी हां।

*८७---श्री श्रीपति सहाय---यदि हां तो क्या सरकार ने वहां अलसी की वारनिश या रेशे सम्बन्धी उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना तैयार की है ?

श्री महफूजुर्रहमान---इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है, परन्तु सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।

जिला हमीरपुर में नवीन पुलिस थानों की स्थापना

*८८---श्री श्रीपति सहाय---क्या प्रान्त में पुलिस थानों के पुनः निर्माण के लिये सरकार की कोई योजना है ?

माननीय पुलिस सचिव---जी हां। इन्सपेक्टर जेनरल ने इस सम्बन्ध में एक योजना सरकार को भेजी है जो विचाराधीन है।

*८९---श्री श्रीपति सहाय---क्या सरकार जिला हमीरपुर में कुछ नवीन पुलिस थानों की स्थापना करने का विचार रखती है। अगर हां, तो कहां कहां ?

माननीय पुलिस सचिव---इस योजना के अनुसार हमीपुर के थानों में ३८ कान्सटेबिलों की वृद्धि होती है। लेकिन इस जिले में इस समय नये थानों की स्थापना करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

जिला हमीरपुर में राठ तथा मौदहा तहसील के रास्ता का सुधार

*९०—श्री श्रीपति सहाय—(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर में राठ तथा मौदहा तहसील में ऐसे कितने और कौन-कौन से गाव हैं, जहां जुलाई से अक्तूबर तक बराबर रास्तों में पानी भरा रहता है या दलदल पड़ जाता है ?

(ख) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह इनके सुधार के लिए क्या उपाय सोच रही है ?

माननीय स्वशासन सचिव—(क) जिन रास्ता में पानी भरा रहता है या दलदल पड़ जाता है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

तहसील राठ

१—राठ करावी सड़क के आखिरी ४ मील।
२—राठ जरासर सड़क के आखिरी ७ मील।
३—करगवा कराकर सडक के आखिरी ३ मील।
४—राठ उमरी सडक के आखिरी ८ मील।
५—राठ चड़ौत सड़क के आखिरी १० मील।
६—राठ चेनपुर सड़क के आखिरी ८ मील।
७—राठ सुदेवा सडक के आखिरी १० मील।

तहसील मौदहा

१—मौदहा इटोहटा सड़क के आखिरी २ मील।
२—मौदहा लेहड़ी सड़क के आखिरी ११/२ मील।
३—मौदहा चतरा सड़क के आखिरी ४ मील।
४—मौदहा पाटनपुर सड़क के आखिरी ७ मील।
५—मुस्करा गहरौली सडक के आखिरी ६ मील।
६—बिवार सरेला सड़क के आखिरी २१ मील।
७—बिवार जलालपुर सड़क के आखिरी ८ मील।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार के सामने कोई विशेष योजना अभी तक नहीं है। अलबत्ता जिला बोर्ड हमीरपुर के राठ करगवा तथा मुस्करा गहरौली सड़कों की मरम्मत के लिये कुल २,५७,५०० रु० के अनुदान की प्रार्थना की है जिसमें से कम से कम ६४, २३० रु० तत्काल मांगा गया है, परन्तु धनाभाव होने के कारण यह अनुदान इस साल संभव नहीं है और बोर्ड को इसे लेने का सुझाव दिया जा रहा है।

* (प्रश्नोत्तर के समय के समाप्त होने के कारण शेष प्रश्न अगले दिन की कार्य-सूची में रख दिये गये।)

सन् १९४९ ई० का रामपुर (एप्लिकेशन आफ लाज) आर्डिनेंस

माननीय शिक्षा सचिव—मैं सन् १९४९ ई० का रामपुर (एप्लिकेशन आफ लाज) आर्डिनेंस सन् १९४९ ई० की संख्या १३ की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

सन् १९५० ई० के यूनाइटेड प्राविन्सेज मर्ज्ड स्टेट्स (एप्लिकेशन आफ लाज) आर्डिनेंस

माननीय शिक्षा सचिव—मैं सन् १९५० ई० के (यूनाइटेड प्राविंसेज मर्ज्ड स्टेट्स एप्लिकेशन आफ़ लाज) आर्डिनेंस सन् १९५० ई० की संख्या १ की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

सन् १९३५ ई० के संयुक्त प्रांत के मोटर गाड़ियों के आय-कर के नियम १२ में संशोधन

माननीय पुलिस सचिव--मैं सन् १९३५ ई० के संयुक्त प्रांतीय मोटर गाड़ियों के आय-कर ऐक्ट यूनाइटेड प्राविन्सेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट सन् १९३५ की धारा २१ के अन्तर्गत सन् १९३५ ई० के संयुक्त प्रांत के मोटर गाड़ियों के आय-कर नियम १२ में किये गए संशोधन की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूँ।

†सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल

माननीय स्पीकर--अब माननीय माल सचिव के इस प्रस्ताव पर कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल पर, जैसा कि वह संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय, वाद-विवाद जारी होगा। कल श्री राजाराम शास्त्री का भाषण हो रहा था। अब वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

*श्री राजाराम शास्त्री--माननीय स्पीकर महोदय, कल मैं यह कह रहा था कि यदि आप को इस कानून को सफल बनाना है तो गवर्नमेंट ने इस कानून में अपनी सब से बड़ी योजना यही रखी है कि किसानों से दस गुना लगान वसूल किया जाय और उसी से जमींदारों को मुआविजा दिया जाय, मेरा इस बारे में यह कहना है कि यद्यपि सरकार ने इस बिल में इस बात की घोषणा की है कि दस गुना लगान देना न देना किसान की स्वेच्छा पर है, लेकिन जो तरीके सरकार की ओर से प्रयोग में लाए जा रहे हैं वे ऐसे हैं कि जिनसे आप की शासन व्यवस्था बदनाम हो रही है।

किसान नाना प्रकार की मुसीबतों में पड़ चुके हैं। सरकारी कर्मचारी इस तरह से बढ़े जा रहे हैं कि कानूनी और गैर कानूनी सब तरह की कार्रवाई वे करने लगे हैं। मेरा खुद ऐसा ख्याल है कि ऐसी चीजों की रोक-थाम न की गई तो प्रान्त के अन्दर नहीं मालूम क्या हालत पैदा हो जायगी और कितने सरकारी कर्मचारी त्याग-पत्र दे देंगे और कितनों ने त्यागपत्र दे भी दिये हैं। इस चीज का आप के सामने जिक्र करके मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप ऐसी चीजों को छोटा न समझें अगर इस तरह की चीजें हमारे प्रान्त में की गईं तो इससे हमारे प्रान्त का बहुत नुकसान होगा। कल जिस वक्त मैंने कुछ बातों का जिक्र किया था उस सिलसिले में मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि बहुत सी जगहों पर अधिकारियों का यह विश्वास हो गया है कि कोई भी कार्रवाई करें, ऊपर के अफसरान उनकी मदद करेंगे। बहुत से अफसरान आजकल ऐसी कार्रवाई करते हैं जिसके सम्बन्ध में मैंने बताया था कि सुल्तानपुर बरेली तीसरे फैजाबाद और अब बाराबंकी के किसानों ने भी शिकायत की है, कि किस तरीके से यह अफसरान किसानों को बुलाकर और डराकर और धमकाकर उनसे कहते हैं कि वे दस गुना लगान दें। वे उनको पीटने की धमकी देते हैं और २० किसानों के हस्ताक्षर से मेरे पास एक पत्र आया है। एक और रिपोर्ट है कि जब २५ नवम्बर को किसानों का प्रदर्शन होने वाला था तो उस समय हम लोगों ने कानपुर में इस बात का विचार किया कि प्रदर्शन किया जाय। उस मौके पर मैं और किसान कार्यकर्ता..........गांव में इकट्ठा हुये। वहां के दरोगा ने यह जानकर कि दसगुना लगान का विरोध करने के लिये किसान इकट्ठा हैं उनको अमानुषिक ढंग से गिरफ्तार करना शुरू किया और उनको पीटा भी और उन किसानों को हथकड़ी लगाकर कानपुर की सड़कों पर चलाया गया, जिसका वर्णन मैं कर नहीं सकता। इस सम्बन्ध में मैंने कानपुर के कलेक्टर को चिट्ठी भी लिखी थी कि ऐसी हरकतों को रोकना चाहिये। मैं इन

---

† ९ जनवरी, सन् १९५० ई० की कार्यवाही में छपा है।

*माननीय सदस्य ने अपने भाषण को शुद्ध नहीं किया।

मिसालों को इसलिये पेश करना चाहता हूं कि मेरे कांग्रेसी भाई यह समझ लें कि इस तरह की हरकतों की रोकथाम नहीं की जायगी तो बहुत बुरा होगा। कई जगहों से मेरे पास इस तरह की शिकायतें आई हैं कि सरकारी कर्मचारियों को किस तरह डराया और धमकाया जाता है और कितनी ही जगहों से मेरे पास स्कूल के टीचरों और पटवारियों की शिकायतें आई हैं। उन को दस गुना लगान वसूल करने के लिये डराया धमकाया गया। मेरे पास इस वक्त बिजनौर जिला बोर्ड के अध्यक्ष का एक छपा हुआ पत्र है। जिला बोर्ड के अध्यक्ष ने समस्त कर्मचारियों को जिला बोर्ड के एक पर्चा छपवा के भेजा है और यह पूछा है कि उन्होंने २१-१२-४९ ई० तक जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में किसानों को भूमिधर बनाने के लिये क्या कार्रवाई की है। जिन्होंने अधिक से अधिक रुपया जमा किया है उनको सुविधा दी जायगी। इसकी रिपोर्ट मांगी गयी है। अध्यापकों को ठीक समय पर प्रोग्राम के मुताबिक पहुंचना चाहिये। जो लोग देर से पहुंचेंगे वे अपने को मुअत्तल समझें। १५ जनवरी सन १९५० से और १६ जनवरी, १९५० को अपनी अनुपस्थिति का उत्तर दे दें और उन्हें कार्य से अनुपस्थित न होना चाहिये वरन् उन के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की जायगी।

कृपया उक्त स्थानों पर आने के समय अपनी रसीद जो ३१-१२-४९ तक रुपया जमा किया गया है या पटवारी की दी हुई १० गुना लगान की पर्चियां लाइये। इस नियम में आप, आपके पिता, आपके भाई, चाचा, ताऊ, इत्यादि निकट सम्बन्धी रिश्तेदार सभी आते हैं। उन सब का दस गुना लगान जमा कराने की जिम्मेदारी आपकी होगी। आपने जब उनका दस गुना लगान जमा कराया हो तो उनकी भी सूची अपने साथ लाइये। प्रोग्राम दिया हुआ है कि किस-किस तारीख पर कहां-कहां आपको रुपया जमा करके आना है। नोट दिया हुआ है कि क्या-क्या चीजें उनको भर कर लिखना हैं। उसमें नम्बर ९ यह है कि ३१-१२-४९ तक भूमिधर बनने के लिये कितना रुपया आपने जमा कराया। यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया? नोट है कि प्रत्येक अध्यापक इसको भर कर लाने का कष्ट करे। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जब यह गवर्नमेंट कहती है कि किसान के पास रुपया काफ़ी है, उसके पास सोना और चांदी भरा हुआ है, भूमिधर बनने से बहुत से फ़ायदे हैं तो फिर इस तरह की कार्रवाई क्यों की जाती है। मैं देख रहा हूं कि ऊपर से हमारे माननीय पंत जी और दूसरे मिनिस्टर सारे सूबे का दौरा करके लोगों में यह प्रचार करते फिरते हैं कि भूमिधर बनने से इतने ज्यादा फायदे हैं कि लोग अपनी खुशी से हजारों रुपये जमा कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि असलियत पर पर्दा डालने के लिये ही ऐसी बातें की जाती हैं। असलियत बिलकुल इसके विपरीत है। असल बात यह है कि आज जितने तरीके कोई गवर्नमेंट अपनी प्रजा को दबाने के लिये अख्तियार कर सकती है वे सब हमारी कांग्रेस सरकार आज कर रही है। जरा सोचिये कि किसी भी स्कूल के अध्यापक या गवर्नमेंट के नौकर रक्खे जाते हैं, उनको तनख्वाह अगर पब्लिक के खजाने से दी जाती है, तो वह लड़कों को पढ़ाने के लिये दी जाती है, इसलिये नहीं कि गवर्न-मेंट कोई भी अपनी स्कीम पेश कर दे तो उसको मनवाने का काम उनका है। सिर्फ इतना ही नहीं इसमें साफ-साफ कहा जाता है कि अगर तुम दस गुना लगान नहीं जमा करते तो आपको मुअत्तिल कर दिया जायगा और आपके खिलाफ़ अनुशासन सम्बन्धी कार्रवाई की जायगी। तो इस तरह की बातें और इस तरह की हरकतें गवर्नमेंट की तरफ से की जाती हैं।

श्री खूब सिंह--क्या आपकी नोटिस में कोई ऐसी भी बात आई है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने किसी को मुअत्तल किया हो?

श्री राजाराम शास्त्री--यह कहा जाता है कि यह बात जो आप सुना रहे हैं, वह तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से की गई। वह कोई सरकारी अफसर तो है नहीं। तो मैं सिर्फ़ यह कहना चाहता हूं कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के

[श्री राजाराम शास्त्री]

तमाम कर्मचारियों को लगा दीजिये और कहिये कि ये तो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह कहा तक ठीक है। खैर अब मैं आप के पटवारियों की सुनाना चाहता हूं कि किस-किस तरीके से पटवारी लोगों को बुलाकर डराया धमकाया जाता है और किस-किस तरीके से उनको मजबूर किया जाता है कि वे दस गुना लगान जमा कराने की कोशिश करें और जो नहीं जमा करा पाते हैं उनको किस-किस तरीका से आप मुअत्तल करते हैं और सजा देते हैं। साहब मुझसे इसी वक्त पूछा गया है कि बताओ किसको मुअत्तल किया गया है, तो मैंने तो आप के सामने पर्चा सुनाया है और इस पर जो-जो वहां पर नहीं हाजिर हुये होंगे या नहीं जा पायेंगे उनको क्या सजा मिलेगी तो फिर मौका आयेगा मैं आप के सामने पेश करूंगा। इस वक्त तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी तरफ से यह ऐलान कर दें कि चाहे कोई इस पर्चे के मुताबिक काम करे या नहीं उसको कोई सजा नहीं मिल सकती है और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन ऐसा करते हैं तो सजा उस आदमी को नहीं बल्कि वह चेयरमैन मुअत्तल किया जायगा। इस तरह की कार्रवाई आप कीजिये तो फिर देखिये कि सूबे में इस तरह की हरकतें कैसे होती हैं।

मुझे कल ही मालूम हुआ है कि एक सर्कुलर आपकी तरफ से जारी हुआ है कि पटवारियों के साथ क्या कार्यवाही की जायगी जो दस गुना लगान जमा कराने में मदद नहीं करेगा। मेरे पास सर्कुलर जो अभी नहीं आया है लेकिन मुझे एक आप ही के अफसर ने बताया है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सर्कुलर गया है, जिसमें यह कहा गया कि तुम लोग इस तरह से रुपया वसूल करो और जिन कलेक्टरों और डिप्टी कलेक्टरों के नाम यह सर्कुलर गया है वे लोग उन पटवारियों को जिन्होंने रुपया इकट्ठा करने में मदद नहीं की उनको खूब सजा देंगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि खूब सजा दो और कारण कह और बतला देना। चूंकि वह सर्कुलर मेरे पास नहीं है इसलिये मैं ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता हूं। कभी वह सर्कुलर जब हमारे हाथ लग सकेगा तो मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा।

मैं जिन अध्यापक की बात कह रहा था, उनके सम्बन्ध में जो कुछ मैंने कहा है आप उसकी जांच करायें और अगर वे बातें सही हों तो मुनासिब कार्यवाही की जाय। यह बात है पक्की प्राइमरी पाठशाला, बिल्वारनगर मंडल, जिला गाजीपुर, के सहायक अध्यापक की। उनको मुअत्तल किया गया था। और चार्जेज उनके खिलाफ क्या थे जरा सुनिये। नं० १ आप जनता में सरकार के विरुद्ध गलतफहमी फैलाते हैं, नं० २ जमींदारी उन्मूलन सम्बन्धी दसगुना लगान जमा करने के विरुद्ध आप लोगों को भड़काते हैं और नं० ३ खुली मीटिंग में सरकार की विरोधी पार्टी में शामिल होकर नेतागिरी करते हैं। अब आप जरा गौर तो कीजिये कि चूंकि वह नेतागिरी करते हैं। वह पब्लिक में जाकर अपने विचार प्रगट करते हैं सरकार के खिलाफ, ये इतने बड़े इल्जाम हैं कि जिनके लिये उन्हें मुअत्तिल कर दिया और उसके ऊपर मजा यह कि हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कम सजा दी गई!

माननीय शिक्षा सचिव--यह गलती हुई उनसे कि डिसमिस नहीं किया और मुअत्तल करके ही छोड़ दिया।

श्री राजाराम शास्त्री--मैं कहता हूं कि उन्होंने डिसमिस ही नहीं, बल्कि फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा दिया। जिस राज्य में, जिस सरकार में, ऐसे योग्य और इन्साफ पसन्द आदमी होंगे उसको तो आप ही अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वह सरकार कब तक कायम रह सकती है। अगर आप चाहें कि कोई भी शख्स कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस सरकार की नीति के खिलाफ, आवाज न उठाये, तो यह मुमकिन नहीं है। आप इसको रोक नहीं सकते। यह कैसे हो सकता है कि अगर कोई आदमी, चाहे वह सरकारी नौकर ही क्यों न हो, विरोधी

पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग मे चला जावे या चुनाव मे भाग ले, तो आप उसके ऊपर अभियोग लगावे और उसको नुकसान पहुंचावे ? एक पढ़ने वाले लड़के को जिसने सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव मे भाग लिया, आपने जुर्माना तक किया। मै कहता हूं कि बुरा होगा यदि आप यह चाहें कि जितना हो सके दमन किया जाय। दमन दुनियां में बहुतों ने किया है। आप कोई नई बात नहीं कर रहे है। लेकिन इसका नतीजा हमेशा बुरा होता है शायद आप इस चीज को इस समय इसलिये अच्छा समझ रहे हैं, क्योकि आप इस समय सरकार है तो आपको ये चीजे पसन्द आ रही है ! आप समझते है कि इन चीजो से विरोधी पार्टी दब जावेगी, ऐसा होना नामुमकिन है। मै आपसे दावे के साथ कह सकता हूं और हमारे माननीय मंत्री महोदय कहते है कि बहुत कम सजा दी कि मुअत्तल ही किया गया और फौरन ही उसको डिसमिस क्यों नहीं कर दिया गया। अब यह खबर अखबारों मे छपेगी तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्डो के चेयरमैन होंगे वे सब इसे पढ़ेंगे और वे समझेंगे कि अब तो हमारी पीठ ठोंक दी गई है अब अगर किसी ने जरा भी कोई खिलाफ़ बात कही या कोई ऐसा काम किया तो सब तरह से हम उसको दबा सकते है। इस तरह से वह बेचारा तो मौत के मुंह मे गया और फौरन ही डिसमिस तो उसको कर ही दिया जावेगा और जरा सुनिये, उनकी अपील कहां होगी ? अपील वहीं उनके, हमारे माननीय मंत्री जी के पास होगी, जिन्होंने अभी अपना फरमान सुनाया है कि सजा बहुत कम दी और इसलिये गलती की। तो ऐसी सूरत मे तो हम तो यही कह सकते है कि ऐसी सरकार का खुदा हाफिज।

इसके बाद एक खास बात यह की जा रही है और जो बहुत ही गलत है कि जहां पर ये सब तरीके अख्तयार किये जा रहे है वहां पर जैसा पहले भी जिक्र किया गया था, बहुत से लोग अपनी बन्दूक का लाइसेन्स रिन्यू कराना चाहते है। मैं दस पांच डिस्ट्रिक्ट्स में गया।

यह चीज १०-५ जिलों मे जहां मै गया था मेरे सामने आई कि जो लोग दस गुना लगान जमा कर देते है उनके लाइसेंस तो जल्द रिन्यू कर दिये जाते है और जो लोग दस गुना लगान जमा करने में असमर्थ होते हैं उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं किये जाते। एक सज्जन ने अपनी स्पीच में यह कहा था कि जो लोग बन्दूकों का दुरुपयोग करते हैं उनका लाइसेंस हम रिन्यू नहीं करते।

एक सदस्य--इससे बिल का ताल्लुक नहीं है।

श्री राजाराम शास्त्री--अभी तक तो जो लोग बोलते रहे और सरकार के गुणों का बखान करते रहे कि रुपया वसूल हो रहा है। हमारी स्कीम इतनी बढ़िया है कि लोग दौड़े-दौड़े कर रुपया जमा करते हैं। आपको यह बात तो पसंद आ रही थी, लेकिन जब हमने यह बताना शुरू किया कि किन-किन हथकड़ों के साथ यह रुपया वसूल किया जा रहा है तो इससे बिल का कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा।

मै यह कहना चाहता हूँ कि यह चीज बहुत खतरनाक हो रही है कि जो कांग्रेस के पक्ष में हैं उनको तो आप हथियार दे रहे हैं और जो विरोध मे हैं उनसे हथियार छीनते है। जो बन्दूकों का दुरुपयोग करते हैं उनको नहीं देते और जो सदुपयोग करते है उनको देते है। कांग्रेस की तरफ से जो बंदूकें इस्तेमाल होती है वह सदुपयोग में होती है और जो लोग विरोधी है वह दुरुपयोग करते है। मेरे पास ऐसी चिट्ठियां आई है। अभी मेरे हाथ मे एक चिट्ठी श्री लक्ष्मी कांत बाराबंकी निवासी की है। इसके अतिरिक्त और भी कई चिट्ठियां आई है सब से अच्छा जिक्र किया गया है वह कांग्रेसी अखबार इसको कांग्रेसी नहीं कहना चाहिये क्योंकि अभी लोग एतराज कर देगें। 'हलचल' अखबार बरेली का है। उसके सम्पादक है श्री व्रजमोहन लाल शास्त्री, एम० एल० ए०। अगर मै कहूं कि लाइसेंस कांग्रेस के लोगों को दिये जाते हैं तब एतराज हो सकता है लेकिन ब्रजमोहन लाल शास्त्री जो कि कांग्रेस के एम० एल० ए० हैं उनको तो अपनी गवर्नमेंट

[श्री राजाराम शास्त्री]

का बहुत ज्यादा ख्याल है । वह अपने सम्पादकीय लेख में लिखते हैं कि हमें बड़े दुख के साथ लिखना पड़ता है कि दस गुना लगान जमा करने में बरेली में अधिकारियों की ओर से वही पुराने नौकरशाही तरीकों का प्रयोग किया गया है जो तरीके वार फंड वसूल करने में इस्तेमाल किये जाते थे । हमारे पास काफी शिकायतें इस बात की आई हैं कि जिन लोगों के पास बंदूकों के लाइसेंस हैं उनको काफी परेशान किया गया । उनसे साफ-साफ कहा गया कि या तो दस गुना लगान जमा कराओ नहीं तो तुम्हारा लाइसेंस पुनः जारी नहीं किया जायेगा । इस प्रकार की शिकायतें हर जगह से हमारे पास आई हैं । यह शिकायत एक कांग्रेसी एम० एल० ए० की तरफ से की गई है । उनकी पोजीशन यह है कि जब कभी मैं ब्रजमोहन लाल शास्त्री जी का जिक्र करता हूं तो इधर जो लोग बैठे हैं यह कहा करते हैं कि यह इधर बैठते तो हैं लेकिन ये आपके आदमी हैं । मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि कोई आदमी जो ईमानदार है वह उनकी तरफ का नहीं हो सकता । वे कहते हैं कि हमारा नहीं है । इस मनोवृत्ति के लिये मैं एक बात कहना चाहता हूं । वह जर्मनी के एक नाजी लीडर का कोटेशन है जो मेरे पास है श्री गोबिल्स कहते हैं कि हम सब नाजियों को इस बात का विश्वास है कि हम सही रास्ते पर हैं । हम किसी ऐसे आदमी को बरदाश्त नहीं कर सकते जो कहता है कि वह सही रास्ते पर है । यदि वह ठीक कहता है तो नाजी है । यदि वह नाजी नहीं है तो ठीक नहीं कहता ।

ठीक वही पोजीशन आज कांग्रेस की है । हर आदमी जो ईमानदार है वह कांग्रेसी नहीं है और जो ठीक बात कहे वह कांग्रेसी नहीं हो सकता । यह व्यू हमारे कांग्रेस वाले लेते हैं । राजगद्दी पर बैठे हुए अभी ४ रोज हुए हैं अगर इसी मनोवृत्ति का आपने प्रचार किया तो पता नहीं इस मुल्क को आप कहां ले जायेंगे ।

इसी तरह की मेरे पास शिकायतें तकावी के सम्बन्ध में हैं । उस दिन हमारे माल मंत्री जी की तरफ से या दूसरे साहब की तरफ से तकावी के सिलसिले में जिक्र किया गया कि आप उदाहरण बतलाइये । मैं आपके सामने यह एलीगेशन्स रखता हूं अखबारों में बातें छपी हैं उनकी रिपोर्टस हमारे पास हैं ।

माननीय माल सचिव--प्वाइंट आफ आर्डर सर । मेरे आनरेबिल दोस्त जमींदारी एबालिशन फंड की वसूलयाबी के सिलसिले में जो ज्यादतियां की जा रही हैं उनका जिक्र कल से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं अभी कितनी देर करेंगे यह मालूम नहीं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जमींदारी एबालिशन फंड की वसूलयाबी का जो दूसरा ऐक्ट है उसके मातहत होगी । इस बिल का वसूलयाबी से कोई सम्बन्ध नहीं है, इस भवन के सामने जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था बिल पेश है न कि वह ऐक्ट जिसकी रू से जमींदारी एबालिशन फंड वसूल किया जा रहा है तो यह बहस कि यह ज्यादतियां की जा रही हैं मैं तो समझता हूं कि यह बिलकुल इर्रेलेवेंट (असंगत) है । मैं हर बात का जवाब देने के लिये तैयार हूं और मौका पड़ने पर जवाब दूंगा, लेकिन इस तरह की असंगत बात कहने की इजाजत रही तो इस भवन का बहुत सा अमूल्य समय खराब होगा । इसलिए जनाब की तवज्जह इस जानिब दिलाना चाहता हूं ।

श्री रोशन जमां खां--जनाबवाला, इस प्वाइंट आफ आर्डर के बारे में मैं आपकी वह रूलिंग याद दिलाऊंगा जो मैंने सुनी थी जिसके मुताबिक मेरा एक एडजर्नमेंट मोशन था । यह बिल आने वाला है और इस सिलसिले में यह बातें कही जा सकती हैं । मुमकिन है मैंने गलत सुना हो ।

जहां तक जेड० ए० एफ० का ताल्लुक है आप देखें कि इस बिल में दफा १३५ से दफा १४४ तक सिर्फ भूमिधर के बारे में जिक्र है और १० गुना लगान के बारे

में जिक्र है सबसे बड़ी बात तो यह है कि दफा १३५ का हवाला देकर इस बिल में शेडचल २ के जरिये से इस कानून को तैयार किया जा रहा है इसी के मातहत सरकार १० गुना लगान वसूल करेगी। शेड्यूल २ में लिखा है :--

"Amendment in the United Provinces Agricultural Tenants (Acquisition of Privileges) Act, 1949"

[संयुक्त प्रान्तीय एग्रीकल्चरल टेनेंट्स (विशेषाधिकार प्राप्ति) ऐक्ट १९४९

यह वही कानून है जिसके जरिये से १० गुना लगान वसूल किया जा रहा है। वह कानून इस बिल के जरिये से अमेंड किया जा रहा है। दफा १३५ से १४४ तक जमींदारी एबालिशन फंड १० गुना लगान वसूल करने के बारे में हैं। लिहाजा मैं नम्रतापूर्वक कहूँगा कि जो श्री राजाराम जी शास्त्री कह रहे हैं ठीक है। जब मैंने तकरीर दी थी तो माननीय माल सचिव ने तकावी के बारे में मिसालें मांगी थीं, श्री राजा राम जी जब उन मिसालों को बतला रहे हैं तो माननीय माल मंत्री क्यों घबराते हैं?

माननीय स्पीकर--इतने जोश में आप बोल गये और आपकी आवाज इतनी तेज हो गई कि साफ सुनाई नहीं पड़ा।

श्री रोशन जमां खां--जनाबवाला, प्वाइंट आफ आर्डर के बारे में मुझे यह कहना है कि इस कानून की दफा १३५ और शेड्यूल २ के जरिये से उस कानून को जिसका नाम यूनाइटेड प्राविंसेज एग्रीकल्चरल टेनेंट्स एक्वीजीशन ऐंड प्रिविलेजेज ऐक्ट सन् १९४९ ई० है, तरमीम किया जा रहा है, इसी कानून के जरिये से सरकार दस गुना लगान ले रही है। इस के अलावा उसके दफा १४० से लेकर दफा १४४ तक जमींदारी एबालिशन फंड और दस गुना लगान की वसूली के बारे में रखी गयी है। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस और रीजन्स में भी यह कहा गया है कि हमारे सूबे के किसान स्वेच्छापूर्वक अपना दस गुना लगान जमा कर रहे हैं। लिहाजा इस बात का सीधा संबंध है जमींदारी एबालिशन फंड से। चुनांचे जब मैं तकरीर कर रहा था और तकावी का मैंने जिक्र किया तो हमारे माननीय माल सचिव ने खुद ही मुझसे सवाल किया था, लेकिन मैंने नाम लेने से गुरेज किया था, लेकिन अब जब हमारे दोस्त शास्त्री जी इस सिलसिले में बता रहे हैं तो माननीय सचिव को बजाय घबड़ाने के खुश होना चाहिये कि उनके सवालात का जवाब दिया जा रहा है।

माननीय स्पीकर--जहां तक उस कानून का ताल्लुक है जो स्वीकार हो चुका है उसके ऊपर सवाल उठाने का अवसर नहीं है। इस बिल के बारे में जो विषय आप उठाएं उन पर मैं आप को कहने दूंगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस बात पर जोर देना कि उस विधान के अनुसार जो स्वीकृत हो चुका है क्या किया गया, मुनासिब न होगा। मैं आप को रोकना नहीं चाहता, इतना ही चाहता हूं कि आप इस बिल के बारे में जो इस समय पेश है या उसकी धाराओं के बारे में अपना विचार प्रगट करें।

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय स्पीकर महोदय मैं इन चीजों का जिक्र सिर्फ इस लिये कर रहा था कि इस कानून के आखिर में उद्देश्य जो लिखा है उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसानों से स्वेच्छा के साथ रुपया लिया जायगा और मैं यह साबित कर रहा हूं कि गवर्नमेंट को इस सिलसिले में दस बीस तरीके क्यों ईजाद करने पड़े हैं? क्योंकि मैं यही समझता हूं कि किसानों के पास रुपया नहीं है और गवर्नमेंट रुपया वसूल करके साबित करना चाहती है कि उसकी योजना अच्छी है, कानून अच्छा है और योजना में सफलता हो रही है। मैं उसको साबित करना चाहता हूं कि जिन तरीकों से रुपया खिंच रहा है वह तरीके बहुत ही आब्जेक्शनेबिल हैं। जो

[श्री राजाराम शास्त्री]

कानून बन चुका ग्रामपंचायत वगैरह का, इन सब चीजों में कहा गया है कि प्रजातन्त्र होना चाहिये और इस कानून के जरिये सरकार किसानों का जीवन स्तर उठाना चाहती है, किसानों में नवजीवन का संचार करना चाहती है, उन के व्यक्तित्व को बढ़ाना चाहती है, तो मैं यह पेश करना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के लिये यह कानून बनाया गया है कि उन के स्तर को ऊंचा करेंगे, तो मैं यह कह रहा हूं कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं वह इस के उद्देश्य के विरोध में कर रहे हैं। मैं कोशिश तो पूरी करूंगा कि मैं ज्यादा बात न करूं, लेकिन फिर भी कुछ बातें जिन से इस बात का पता चलेगा कि कैसे स्वेच्छापूर्वक, वसूली की जा रही है, उस लालच को रोकना कठिन जरूर है। लेकिन काम जरूर करूंगा। तो मैं तकावी के बारे में कह रहा था, लेकिन सरकार सब इस बात की कोशिश करूंगा कि आप जिस के बारे में यह कह देंगे कि हमारी तरफ से नहीं हुए, उन्हीं के बारे में कहूंगा। मैं यह कहता हूं कि हमारी सब बातों को गलत करने का केवल एक तरीका है अगर माल मंत्री जी इस हाउस के सामने खड़े होकर अपने जवाब में इस बात का ऐलान कर देंगे कि यह बातें जो लोग कर रहे हैं उन्हें रोका जायगा तो मुझे संतोष हो जाएगा।

माननीय माल मंत्री—आप बैठिए तो, मैं जवाब देते वक्त कहूंगा जो मुझे कहना है।

श्री राजाराम शास्त्री—आप कहेंगे भी तो। अगर कह दीजिए तो जिन लोगों की जान इस सूबे में खतरे में पड़ी हुई है उनकी जान तो बच जाय। आप यह ऐलान कीजिए कि इस तरह से पटवारी के जरिये से, अध्यापकों के मातहत, इस तरह से तकावी का रुपया वसूल करके इस तरह से गन्ना सोसाइटियों के जरिये से तंग करके दस गुना रुपया लेना नाजायज है और गवर्नमेंट इन चीजों को पसन्द नहीं करती है। अगर यह आप कह देंगे तो फिर मैं आपके पास मुकदमे भेजना शुरू कर दूंगा कि आपने हाउस के सामने यह ऐलान किया था और लीजिये यह फलां आदमी के साथ ज्यादती की गई। इस तरह का ऐलान कीजिए तो यू० पी० के रहने वालों को इससे कुछ राहत तो मिलेगी। आजकल देखिए। आजकल जैसे गन्ना का जमाना है। किसान लोग अपना गन्ना पैदा करते हैं कि वह अपना गन्ना मिलों में ले जाकर बेचें और उससे जो पैसा मिले उसके जरिये से अपना घर का कामकाज करें। लेकिन आपने यह सोचा कि यही वक्त लिया जाय। आपने शुरू से लेकर आखिर तक गांधी जी का नाम लिया, मिनिस्टरों ने सबसे पहिले १० गुना लगान अदा कर दिया और भूमिधर बन गये, अखबारों में फोटो भी छप गए, लेकिन जब इस तरह से भी रुपया वसूल नहीं हुआ तब गवर्नमेंट ने सोचा कि इस मौके पर गन्ने की बिक्री के वक्त में किसानों के पास पैसा आएगा। आपने यह एक नया तरीका निकाला है कि जहां-जहां गन्ने की सोसाइटियां हैं उनके जरिये मिल वालों से मिल करके अपने अफसरों को चिट्ठियां भेज करके यह नया तरीका निकाला गया है कि जिस वक्त किसान गन्ना लेकर जाता है तो जिन लोगों ने १० गुना रुपया जमा कर दिया है उनका गन्ना पहले ले लिया जाता है और जिन्होंने १० गुना लगान नहीं दिया है उनको नाना प्रकार से परेशान किया जाता है, उनको कई-कई दिन तक खड़ा रखा जाता है। इस तरह की चीजें की जा रही हैं। इस सम्बंध में हमारे पास दो तीन पत्र हैं जिनमें यह साफ लिखा हुआ है कि जो लोग १० गुना लगान दे देते हैं उनका गन्ना पहले ले लिया जाता है और दूसरों को परेशान किया जाता है। अभी इस हाउस में आने से पहिले एक चिट्ठी मुझे बदायूं से मिली जिसमें यह साफ़ लिखा हुआ है कि जो लोग १० गुना लगान दे देते हैं उनको तो एक पर्ची दे दी जाती है उनका गन्ना पहले ले लिया जाता है उनको पेमेन्ट किया जाता है, पर जिन लोगों ने १० गुना लगान नहीं दिया है उनको परेशान किया जाता है, उनको तंग किया

जाता है और उनको कोई सहूलियत नहीं दी जाती। साथ ही साथ यह भी देखने को मिला कि जिन्होंने १० गुना लगान नहीं दिया है उनका गल्ला लेने के बाद उसको पैसे मिलने चाहिये थे बजाय इसके कि पैसे मिले, ऐसे हथकंडे किये गये हैं कि उनको भूमि-धरी की पर्ची थमा दी जाती है। यह चीज ऐसी है जिसका दूर होना मैं इस सूबे के रहने वालों के लिये बहुत जरूरी समझता हूं। इस तरीके से एक आफत सी मची हुई है।

इसी तरीके से अभी एक खबर मुझे मिली थी जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था। अखबार का नाम सुनकर के इधर के लोग चौकन्ने हो उठते हैं कि साहब जो गन्ने की खेती करते हैं कि उन्होंने एक चिट्ठी ब्लिज को लिखी। मैं कहता हूं कि इधर कोई अखबार उनकी चिट्ठियां तक नहीं छापने को तैयार होते और वह चीज कभी ब्लिज में छपती है और कभी दूसरे जगहों में छपती है। उन्होंने यह लिखा है कि किस तरह से उन पर दबाव डाला जा रहा है और ऐसी कितनी ही नाजायज बातें की जा रही हैं जिससे आज वे परेशानी की हालत में पड़ते चले जा रहे हैं। यह ऐसा तरीका है जो बहुत नाजायज है और कहने में तो यह बात बहुत बुरी लगती है। कहने में बात बुरी लग सकती है और इसका सबूत भी मुझसे मांगा जायगा तो मुश्किल हो सकती है। एक बहुत खतरनाक चीज यू० पी० में की जा रही है। अगर पब्लिक अपनी आवाज उठाये तो कैसे उठाये। अखबार ही वह जरिया हो सकता है और होता है जिसके द्वारा गवर्नमेन्ट अपना विचार रखती है और पब्लिक भी अपना विचार प्रकट करती है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज यू० पी० के अखबारों की आजादी कांग्रेस सरकार के हाथों में खतरे में पड़ी हुई है और इस चीज को दुनिया जानने न पावे कि सरकार क्या कर रही है, इस वजह से बहुत से ऐसे तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं कि जिनकी वजह से प्रेस को आजादी खतरे में है। मेरा यह इल्जाम सरकार पर है कि यह सरकार नाना तरीकों से प्रेस को कंट्रोल करने की चेष्टा कर रही है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के हाथ में इतनी ताकत दे दी है कि उन ताकतों की वजह से जितने लोकल पेपर्स हैं उनको कंट्रोल करने की वे कोशिश करते हैं, जैसे विज्ञापन के जरिये से। इसका बहुत कड़ुआ तजुर्बा मुझे कानपुर में हुआ। जिस वक्त किसान मार्च हुआ वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने समस्त अखबार वालों को बुला कर कह दिया कि देखो ५०० से ज्यादा न निकालो। आपको ताज्जुब होगा कि किसी कानपुर के अखबार ने ५०० से ५०२ नहीं लिखा। लेकिन जब इस चीज के सम्बन्ध में बहुत हाय तोबा मचाई गई तो नेशनल हेराल्ड में सही सही खबर छपी। नेशनल हेराल्ड को इस बात का खतरा मालूम हुआ कि अखबारों के एडवर्टाइजमेंट एजेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही बन कर काम करते हैं तो उसने सही-सही खबर छापी। जब लखनऊ में किसान मार्च हुआ तो यहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास इतनी हिम्मत न थी कि वह पायनियर और नेशनल हेराल्ड जैसे पत्रों से कुछ कह सकें और उन्होंने बड़ी आजादी के साथ सच्ची बात निकाली। यह हालत है। जैसा कि मुझे पता लगा है कि जिस निर्भीकता के साथ यह सब नेशनल हेराल्ड ने लिखा वह सरकार को पसन्द न आया। जिन्होंने ब्लिटिज में इस सम्बन्ध में लेख देखा है वे जान सकते हैं कि प्रेस को प्रभावित करने के लिये आज हमारी सरकार कितनी कोशिश कर रही है। कल मैंने हाउस के सामने कहा था कि जिन अखबारों को सम्मन दिये जाते हैं वह किस ख्याल से दिये जाते हैं। वह तो केवल उन्हीं अखबारों को नहीं देना चाहिये जो कि गवर्नमेंट की चापलूसी करे। उनके देने का उद्देश्य तो यह होता है कि पब्लिक को जानकारी हो इसलिये कोई भी, जो भी उसकी राय हो हर स्वतंत्र पत्र को ऐसे विज्ञापन वगैरह गवर्नमेंट को देना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि जो कुछ थोड़े अखबार गवर्नमेंट की जी हुजूरी करते हैं उनको तो दिया जाय और जो अपनी स्वतंत्र राय रखने हों उनको नहीं। श्री बृजमोहनलाल शास्त्री के अखबार 'हलचल' का जिक्र आया, जिसके लिये श्री चरण सिंह जी ने कहा कि तुम हमारी गवर्नमेंट की आलो-चना कैसे कर सकते हो। मेरा, स्पीकर महोदय, यह कहना है .... ।

माननीय स्पीकर--आप जो ये बातें कर रहे हैं उनका इस विषय से क्या संबंध है? वे अनावश्यक हैं। दूसरे मौकों पर, या जब बजट पर बोलना हो, आप गवर्नमेंट की समालोचना कर सकते हैं। गवर्नमेन्ट की नेशनल हेराल्ड के सम्बन्ध में क्या नीति है आज वह आपकी बहस का विषय नहीं हो सकता। आप अपने विषय पर ही बोलें।

श्री राजाराम शास्त्री--बहुत अच्छा, इस चीज को मैं रोके देता हूं और दूसरी चीजें पेश करता हूं। वह दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि हमारे देहातों में जो नया प्रजातंत्रवाद कायम हुआ है, उसमें हमको गवर्नमेंट ने यह अधिकार दिया था कि गांव पंचायतों को चुनें, उसमें वहां की जनता के प्रतिनिधियों को चुनें और उसमें काम करने के लिये भेजें। इसलिये भेजें कि देहात की जनता के जो अधिकार हैं उनकी वे रक्षा करें। मैं आपके सामने एक नमूना पेश करना चाहता हूं कि किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से एक लिखा हुआ आर्डर हुआ है। कल हाउस के सामने यह बात पेश की गई कि गांव-सभा के जो सभापति हैं, जो मेम्बर्स हैं, उनको इस बात का पूरा अधिकार है कि वे दस गुना लगान के संबंध में, पक्ष में या विपक्ष में, काम कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हाउस के सामने यह ऐलान किया गया है, लेकिन मेरे सामने एक ओरीजिनल डाक्यूमेंट है जिसमें गांव-सभा के मेम्बरों, गांव-सभा के सभापति, गांव-सभा के पंचों के नाम से सरपंच गांव की ओर से एक आर्डर जारी किया गया है कि सब को दस गुना लगान देना पड़ेगा और १० गुना लगान न देने पर मोअत्तिल कर देने की धमकी दी गई है। जिला बोर्डों के अन्दर तो यहां तक नौबत आ गई है कि अगर कोई आदमी गवर्नमेंट के पक्ष का नहीं है तो उनको जिला बोर्डों की मिटिंग्स में बुलाने की इजाजत नहीं दी जाती। यह चीज ऐसी है जिसके लिये कहा जा सकता है कि इसका बिल से क्या ताल्लुक है, लेकिन यह तो स्प्रिट या भावना पैदा की जा रही है। वह इसके विपरीत है और इन चीजों के रोकने की कोशिश करनी चाहिये। अब मैं आपके सामने कुछ डाक्यूमेन्ट पेश करना चाहता हूं। पंत जी ने भी कहा और इस बिल में भी कहा गया कि १० गुना लगा न दो या न दो यह आदमी की स्वेच्छा पर ही निर्भर है। हमारे पास पंचायत राज महाराजपुर के निरीक्षक के दस्तखती अदालत के पंचों और सरपंच श्री चन्द्रपाल सिंह के नाम जो पर्चा गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि अभी तक आपने १० गुना लगान जमा नहीं किया है। मैं माल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर रुपया देना न देना स्वेच्छा पर ही निर्भर है तो क्या किसी को यह अधिकार है कि वह किसी पंच या सरपंच का जवाब तलब कर सके। यह जवाब किस तरह तलब किया कि १० गुना क्यों नहीं दिया। और अगर नहीं दिया तो इस के संबंध में जवाब तलब नहीं किया जा सकता।

एक सदस्य--इसकी वजह से कौन सी दफा नाजायज हो जाती है?

श्री राजाराम शास्त्री--कल श्री इन्द्रदेव जी त्रिपाठी ने समर्थन करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है लेकिन उन्हींके जिले गाजीपुर के जिला पंचायत अफसर पदमपुर के श्री त्रिवेणी पंडित को लिखते हैं कि आप १० गुना लगान जमा करने के विरोध में प्रचार करते हैं और अगर आपने ऐसा करना बन्द न किया तो आपका जवाब तलब किया जायगा। क्या यह इस बात का सबूत है कि १० गुना लगान जमा करना लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर है। एक बात और है। जहां पर ग्राम पंचायतों में कांग्रेस की मेजारिटी (बहुमत) है वहां कांग्रेस वाले यह कोशिश करते हैं कि यह प्रस्ताव पास हो जाय कि १० गुना लगान जमा किया जाय। लेकिन जहां वे माइनरिटी (अल्पमत) में हैं और इस प्रकार का प्रस्ताव करने की कोशिश की जाती है कि १० गुना लगान दिया जाय या पास हो जाता है तो जवाब तलब किया जाता है कि ऐसा क्यों किया गया। अगर लगान न देने का प्रस्ताव पास नहीं हो सकता तो लगान देने का प्रस्ताव पास करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। आप तो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। यह तरीका बहुत ही गलत है। आप गांव सभाओं को क्या चाहते हैं, मैं पूछता हूं? क्या आप उनको सरकार की कठपुतली बनाना चाहते हैं?

खैरुल्लापुर की गाव—सभा के नाम नोटिस भेजवाया गया कि गाव—सभा ऐसा कोई प्रस्ताव पास न करे जिससे वर्तमान सरकार की जमींदारी उन्मूलन नीति का विरोध हो।

यह चीज तो वहा पर भेजवाई गई है। उससे भी बेजा बात आप देखिए कि हमारे बहुत से मत्री जी और बहुत से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी वगैरा आजकल दौरा करते फिरते है। मुश्किल यह है कि किसान जाल मे फसते नही है। जहा मीटिंग होती है बहुत कम तादाद मे आदमी इकट्ठा होते है और जब आदमी कम तादाद मे इकट्ठा होते है तब गाव पचायत के सरपच को बुला करके कहा जाता है कि क्या वजह है कि आदमी कम इकट्ठा हुए है ? इस किस्म का हमारे सामने एक उदाहरण पेश है। बडहालोक मे २३ नवम्बर को श्री चरण सिह सभा करने गये थे। वहा मुश्किल से १५ २० आदमी इकट्ठा हुए। इस पर आपने वहा के गाव—सभा के सभापति को बुलाया और उससे यह पूछा कि इतने कम आदमी क्यो इकट्ठा हुए है। उसने यह कहा कि हुजूर मैं क्या करूं। उसके बाद उससे जवाब तलब होता है, जरा देखिए।"जमींदारी उन्मूलन की मीटिंग के समय २३ तारीख को आप अपनी अनुपस्थिति का कारण शीघ्र बताने की कृपा करे। वह कारण क्यों बतलायें, क्योकि वह शासकीय कर्मचारी है। माननीय स्पीकर महोदय, म आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जो गवर्नमेंट के शासकीय कर्मचारी है उनके साथ भी गवर्नमेंट को सख्ती नही करना चाहिये, लेकिन अगर गवर्नमेन्ट उनके साथ सख्ती करे तो बात कुछ समझ मे आ सकती है लेकिन बड़ा भारी सवाल यह आ गया है कि ग्राम पंचायत के पंच या सरपंच क्या गवर्नमेन्ट के एम्प्लाइज (नोकर) है जिनको ऐसा हुक्म दिया जाता है। मै समझता हूं कि ग्राम—सभा के पंच या सरपंच सरकार के एम्प्लाइज नही है। वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, इस लिये उनकी सब से पहिली वफादारी उनके प्रति है जिन्होने उनको चुना है। अगर आपने इस तरीके को अख्तियार किया तो बड़ी मुसीबत हो जायगी क्योंकि इसी तरह नम्बर धीरे—धीरे म्युनिसिपैलिटी का आ जायेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आ जायेगा और असेम्बली का आ जाएगा. और कल से हमको मजबूर किया जायेगा कि जब माल मंत्री जी आये तो सब एम० एल० ए० को हाजिर रहना पड़ेगा। अगर कोई एम० एल० ए० हाजिर नहीं रहेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आम पंचायतों के चुने हुए लोगो को आप कैसे मजबूर कर सकते है। अगर वह हाजिर नहीं होते है तो आप उनको कैसे निकाल कर बाहर कर सकते है। यह आपका तरीका बहुत ही खतरनाक है। बात यह है कि आप नये—नये शासक बने है, कभी राज्य जिन्दगी मे किया नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि चाहे कोई चुना हुआ प्रतिनिधि हो या और कोई हो लेकिन उसे आपका हुक्म मानना पडेगा।

एक सदस्य—आप तो ग्राम पंचायत के खिलाफ है।

श्री राजाराम शास्त्री—जरा अक्ल की बलिहारी देखिए। मैं तो कह रहा हूं कि जनता के प्रतिनिधि सरकार के नौकर नहीं हो सकते, लेकिन आप कर रहे है कि हम ग्राम पंचायत के खिलाफ है। हम ग्राम पंचायत के खिलाफ नही है बल्कि उनके अधिकारों को जो आप छीन रहे है उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाते है। आपको जी हुजूरी अगर करना है तो कीजिए। हम अपने अधिकारों के लिये तो लड़ेंगे ही। अभी तक तो सरपंच, पंच और ग्राम—सभा के सभापति को ही आज्ञा दी जाती थी लेकिन एक बात मैं आपको और बतलाऊं जो मेरी समझ में नहीं आती है। तहसील इटावा, जिला इटावा के पंचायत राज इंस्पेक्टर ने बसरेहरा की ग्राम पंचायत के एक मेम्बर के नाम नोटिस जारी कर दिया है। उनका दस्तखत है और जिस पर लिखा हुआ है बुद्धूलाल सदस्य, ग्राम सभा बसरेहर उनके नाम से नोटिस जारी की गई है कि आप सरकारी योजना को असफल सिद्ध

[श्री राजाराम शास्त्री]

करने की कोशिश करते हैं इसलिये आप से जवाब तलब किया जाता है, क्योंकि आप सरकारी व्यक्ति हैं। यदि किसी ग्राम-सभा का मेम्बर सरकार का नौकर हो गया, यह अक्ल मेरी समझ में तो नहीं आती, हां धुलेकर साहब की समझ में यह बात आ रही है। वे समझते हैं कि चाहे कोई भी बात हो हमारा राज्य है। चाहे ग्राम-सभा के मेम्बर हों, ग्राम-सभा के पंच हों, ग्राम-सभा के सरपंच हों यानी जो भी हमारे राज्य में बसने वाले हैं वे सभी हमारे गुलाम हैं। यह चीज, यह फिलासफी आप हमारे सामने लगाना चाहते हैं, जिस तरह की फिलासफी को हम यहां पर चलने नहीं देंगे। और इधर के बैठने वाले एम० एल० एज० को हम समझाना चाहते हैं कि यह गवर्नमेंट स्याह या सफेद जो भी करे उसका इसलिये समर्थन न कीजिए कि वह आपकी गवर्नमेन्ट है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने आपको चुन कर यहां पर भेजा है और जनता के अधिकारों की रक्षा करना आपका काम है। यह न कि यहां पर बैठ कर आप हर गलत काम में सरकार की हिमायत करना अपना फर्ज समझें। सिर्फ इतना ही नहीं और सुनिए। अगर किसी जगह पर किन्हीं वजहों से गल्ला वसूली कम हुई है या दस गुना लगान की वसूली कम हुई है तो उस गांव-सभा के मेम्बर पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि तुमने इसमें सरकार का साथ क्यों नहीं दिया ? तुम फलां मिनिस्टर साहब की मीटिंग में क्यों नहीं आए ? तुमने दस गुना लगान वसूली के खिलाफ प्रचार क्यों किया ? यही तक नहीं, बढ़ते-बढ़ते हाथ यहां तक बढ़ गया है कि अगर किसी गांव में दस गुना लगान की वसूली नहीं हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी वहां के सभापति के ऊपर, वहां की ग्राम पंचायत के पंचों के ऊपर दी गई है और उन पर इल्जाम लगाया गया है कि इसके दुष्परिणामस्वरूप बहुत कम उक्त कोष आपके क्षेत्र में जमा हुआ है, इसलिये आप कारण बतलावें कि आपके खिलाफ कार्यवाही क्यों न की जावे ? आज ताकत आपके हाथ में है, जितनी चाहिये कार्यवाही कर लीजिए। आपको कोई नहीं रोक सकता है, और न रोकने से आप रुक ही सकते हैं। लेकिन समझ लीजिये कि आपके ये हथकंडे अधिक दिन तक नहीं चल सकते। आखिर कोई भी ताकत हो कहां तक इस तरह से चल सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग में जावे, सोशलिस्ट पार्टी के जलूस में जावे और कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता गवर्नमेन्ट के पास रिपोर्ट भेज दे कि फलां शख्स, फलां मेम्बर, सोशलिस्ट पार्टी के जलूस में चला गया था तो हम देखते हैं कि देहाती आफिसर के पास यह चिट्ठी पहुंचती है और जवाब तलब किया जाता है। बिधुना के रामपाल जी, पंचायत राज के इंस्पेक्टर ग्राम पंचायत के प्रधान को लिखते हैं और उस पर इल्जाम लगाते हैं कि क्या आपने सोशलिस्ट पार्टी की रैली के समय लखनऊ नहीं गये थे ? क्या आपने जेड० ए० एफ० प्रस्ताव को पंचायत में रखने से इंकार नहीं किया था ? माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इन चीजों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये और इन बातों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किन-किन तरीकों से सरकार जनता के अधिकारों को, जनता के जो चुने हुए पंच हैं, उनके अधिकारों को छीनती जा रही है। यह सरकार के लिये एक खतरनाक चीज है। जिस स्पिरिट (भावना) से इस प्रस्ताव को पास करके इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है कि जनता के अधिकारों का कुछ भी ख्याल नहीं किया जा रहा है। आप उनके अधिकारों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपकी यह जम्हूरियत (प्रजातन्त्र) है, आपका यह प्रजातन्त्र है कि कोई आपकी नुक्ताचीनी नहीं कर सकता है, कोई विरोधी दल की मीटिंग में नहीं जा सकता है, कोई आपका विरोध नहीं कर सकता है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि किस तरह की आपकी यह जम्हूरियत है। कोई जम्हूरियत इस तरह से हिन्दुस्तान में नहीं पनप सकती।

(इस समय १ बजे भवन स्थगित हुआ और २ बजे श्री नफीसुलहसन, डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय! मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि गवर्नमेंट किन-किन तरीक़ों से इस १० गुना लगान के सम्बन्ध में किसानों पर ज्यादतियां करती है। मैं उन सारी बातों का जिक्र करना नहीं चाहता हूं, केवल आखिर में एक बात और कहूंगा और वह यह है कि जब यह तक़ावी, गन्ना, बन्दूकों का लाइसेंस, मारपीट, अखबारों में प्रोपेगेंडा जब यह सब चीजें असफल हुईं तो एक सबसे दिलचस्प और अनोखा तरीक़ा ओर अख्तियार किया गया है और वह यह है कि हमारे देश के किसान सीधे-सादे ओर भोलेभाले होते हैं। उनके अन्दर धार्मिकता होती है और इस गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे कुछ मेम्बरान को तरफ से किसानों के लिये इस धार्मिकता को भी भूमिधर बनाने ओर न बनाने के लिये इस्तेमाल किया गया। अभी कुछ रोज पहिले मैंने अखबारों में यह जब पढ़ा कि एक बस्ती के असेम्बली के मेम्बर इसलिये वहां से पदच्युत किये गये कि उन्होंने चुनाव के मौक़े पर अनुचित रीति से वोट प्राप्त करने की कोशिश की और अभी कुछ दिन पहिले हमारे माननीय पन्त जी ने अपनी स्पीच में कई जगह पर यह कहा था ओर मैंने पढ़ा था कि आज हमने सूबे के किसानों के लिये, उनकी भलाई के लिये यह क़ानून पेश किया है। बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं ओर जो लोग गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, वे भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम करते हैं। हमारी समझ में यह बात न आ सकी कि गवर्नमेंट की आलोचना भारतीय संस्कृति के खिलाफ कैसे हुई। भारतीय संस्कृति को अगर मैं समझ सका ओर हमारे देश समझ सका ओर हमारे देश की यही संस्कृति रही है कि जब कभी शासक की तरफ से कोई ग़लत काम हो तो प्रजा का यह पूरा अधिकार रहा कि वह उसकी आलोचना करे। प्रजा के लाभ के लिये ही गवर्नमेंट ने ओर राजा ने आलोचना पर सदा ध्यान दिया है। हमारी रामायण में एक कथा इसी सम्बन्ध को आती है कि एक मामूली धोबी के आलोचना करने पर रामचन्द्र जी ने कितना बड़ा क़दम उठाया था। हमारे देश के अन्दर यह उदाहरण मौजूद है। प्रजा को इस बात का अधिकार रहा है कि यदि राजा ग़लत काम करता है तो उसको अपने अधिकार से वह उसके सामने रख दे। आज हमारी असेम्बली के बनाये हुए क़ायदों और क़ानून की १० गुना लगान की वसूली के सम्बन्ध में सरकारी अफसर कोई परवाह नहीं करते हैं और हमारे कांग्रेसी भाई इस तरह का सिद्धान्त जिलों में प्रचार करने के लिये अख्तियार करते हैं। हमारे एक मेम्बर तो इससे भी आगे बढ़ गये और कुछ अजीब तरीक़े १० गुना लगान वसूल करने के सिलसिले में उन्होंने अख्तियार किये। वह यह है कि अभी मुझे यह पढ़ने को मिला कि बनारस में क्या तरीक़ा अख्तियार किया गया? अभी कल हमारे माननीय सदस्य कमलापति त्रिपाठी जी ने बड़े जोर के साथ मुस्लिम लीग की कट्टरता की और समाजवाद की काफ़ी टीका-टिप्पणी की। कल अखबार में जो पढ़ने को मिला उससे मालूम हुआ कि जिस तहसील के आप खुद जमींदार हैं उसमें एक महायज्ञ किया गया और यज्ञ इसलिये किया गया कि वह भी किसानों के फायदे की चीज थी। इसलिये नहीं कि कोई वहां पर पर्व हो या कोई दान-पुण्य का काम किया जा रहा हो या जिससे परमात्मा बहुत खुश हो जायं। केवल इस भावना से फायदा उठाने के लिये चन्दौसी तहसील के अन्दर जहां कि कमलापति जी खुद जमींदार हैं वहां पर एक सप्ताह तक यज्ञ कराया गया। यह बात नहीं कि हिन्दुओं के लिये ही उनको प्रभावित करने के लिये कराया गया हो बल्कि वहां पर मिलाद शरीफ भी कराया गया और गवर्नमेंट की इमारत के अन्दर ही यह सब चीजें कराई गयीं। वहां पर पर्चे बांटे गये। उन पर्चों के अन्दर यह चीज कही गई थी कि वह यज्ञ शान्ति स्थापना के लिये ओर किसानों की भलाई के लिये किया जा रहा है और किसानों से अपील की गई थी कि इस यज्ञ में भाग लेकर अपने जीवन और अपनी आत्मा को पवित्र बनायें ओर भूमिधर अधिकार को प्राप्त करके अपनी सन्तान को भविष्य के लिये निश्चिन्त करें, भगवान् का अशीर्वाद प्राप्त करें, जिसका अर्थ होगा कि जन्म-मरण के भिन्न-भिन्न कष्टों से मुक्ति प्राप्त करना। उसके नीचे लिखा था इति शुभम्। जब यह तरीक़े किये गये, जब इस तरह की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। भगवान् को किसानों के सामने खड़ा कर दिया जाता है और फिर किसानों से कहा जाता है कि तुम १० गुना लगान दो। मेरे कहने को मतलब यह है कि गवर्नमेंट जितने तरीक़े अख्तियार कर रही है इन तरीक़ों के बावजूद भी क्या आपको इस बात को सफलता मिली कि जितना गवर्नमेंट को उम्मीद थी और

[श्री राजाराम शास्त्री]

सरकार ख्याल करती थी। गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था कि हम तीन महीने के अन्दर १८० करोड़ रुपये वसूल कर लेंगे। सरकार का यह विश्वास था कि कांग्रेस का इतना असर है कि वह १८० करोड़ रुपया जल्दी ही वसूल कर लेगी।

अब आप ३ महीने की कोशिश के बाद यह देख रहे हैं कि आप के खजाने में कुल रुपया अब तक १२ करोड़ जमा हुआ है और अगर यही रफ्तार रही तो इस १८० करोड़ की वसूली में आप खुद समझ सकते हैं कि कितना जमाना लग जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार के दिमाग में यह बात कैसे आई कि सूबे के किसान के घर में रुपया भर गया है। आप जब तक राजगद्दी पर नहीं बैठे थे तब तक तो आप भी यही समझते थे कि किसान गरीब है और उन के पास पैसा नहीं है लेकिन न मालूम अब किस तरीके से आप की सरकार को इलहाम हुआ या क्या हुआ कि आप समझने लगे कि अब किसान के पास रुपया हो गया है। अभी दशहरे के मौके पर श्री राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल ने ऐलान किया था कि हिन्दुस्तान की दौलत लड़ाई के जमाने में किसान और मजदूरों के पास इकट्ठी हो गई है। मैं तो समझता था लड़ाई के जमाने में और उस के बाद अब तक सारी हिन्दुस्तान की दौलत ब्लैकमार्केट करने वालों के पास और पूंजीपतियों के पास पहुंच गई है, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि आप समझते हैं कि हिन्दुस्तान की दौलत किसान के पास आ गई है।

पन्त जी ने भी अपनी कानपुर की स्पीचों में यही कहा है कि किसानों के पास नोट भरे पड़े हैं और अगर वह चाहें तो अपने छप्पर नोटों से छा सकते हैं और अपनी दूसरी स्पीच में उन्होंने कहा कि किसानों के पास इतने नोट हैं कि उनको चूहे कुतर रहे हैं। श्री चरण सिंह जी ने भी अपने एक आर्टिकिल में अर्थ-शास्त्र का निचोड़ रख दिया है और आप ने कहा कि सूबे के देहातों में सोना-चांदी भरा पड़ा है। जब अधिकारियों के दिमाग में यह चीज आ गई तब ही यह चीज शुरू की गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बात नहीं है कि समाजवादियों के प्रचार का यह नतीजा है कि यह दस गुना लगान की वसूली नहीं हो रही है बल्कि आप को इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि किसानों के पास जितनी रकम धन-दौलत और सोना-चांदी आप समझते हैं वास्तव में वह उनके पास नहीं है। अगर आप की समझ में यह चीज अब भी आ जाय तो सूबे में जो तूफान आपने मचा रखा है वह बहुत कुछ खत्म हो सकता है और फिर आप कोई दूसरा तरीका सोच सकते हैं कि जिससे आप की योजना भी सफल हो और सूबे का किसान भी सुख से रह सके।

एक सदस्य---आप तो समझते होंगे कि सोशलिस्ट प्रोपैगेंडा सफल हो रहा है?

श्री राजाराम शास्त्री---मैं समझता हूं और आप को बतलाना चाहता हूं कि सोशलिस्ट प्रोपेगेंडा की गुंजायश भी इसीलिए है कि किसानों की गरीबी इतनी है कि उसके पास रुपया देने के लिए नहीं है और इसीलिए आप को वसूली नहीं हो रही है। हां हम प्रोपेगेन्डा करते हैं और आप से भी कहते हैं कि उसके सिर पर दस गुना लगान का बोझ डालना मुनासिब नहीं है और आपने खुद पहिले इस बात को माना है कि उस के पास रुपया नहीं है और आप ने अपनी रिपोर्ट में भी यही चीज स्वीकार की है कि उसके पास रुपया देने को नहीं है। बहुत से लोग ऐसे आरगूमेंट पेश करते हैं कि लड़ाई के जमाने में चीजों की क़ीमत बहुत ज्यादा हो गई और उससे किसानों को फायदा हुआ और उसी की बुनियाद में आप यह चीज करते हैं कि किसानों से रुपया वसूल किया जाय। मेरा कहने का मतलब यह है कि रिपोर्ट के प्रकाशित होते वक्त और आज की स्थिति में ऐसा कौन सा फर्क हो गया है कि जिस से आप की वह पहिली राय बदल गई। इस रिपोर्ट में आप आरगूमेंट का जवाब देते हुए अन्त में कहते हैं कि :---

The United Provinces Government report on marketing of wheat reveals that about 40 per cent of the cultivating population have no surplus to sell at all. Out of the remaining 60 per cent at least 33 per cent. have to part with practically all their wheat in payments of

their charges. It is only 27 per cent. of the cultivating population which may be presumed to be in a position to withhold the disposal of the surplus.

(उत्तर प्रदेशीय गेहूं मार्केटिंग की रिपोर्ट से विदित होता है कि ४० प्रतिशत से अधिक किसानों के पास बेचने के लिए गेहूं बिल्कुल नहीं है। शेष ६० प्रतिशत में कम से कम ३३ प्रतिशत को अपने खर्च के लिए समस्त गेहूं बेचना पड़ता है। केवल २७ प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो, अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त गेहूं को, बेचने से रोक सकते हैं।)

उनके पास कुछ हो तो बचा सकें। ६० फ़ीसदी में ३३ इस तरह के आदमी हैं जिनके पास अपने रोजमर्रा का खर्चा है, लेकिन कुछ बचता नहीं। ६० में २७ परसेंट इस तरह के आदमी हैं जिनके पास ग़ल्ला बचता है और जिसे वे मार्केट में बेच सकते हैं। इसके मानी यह कि लड़ाई से २७ फ़ीसदी आदमियों ने फायदा उठाया है। अब मुनाफ़ा कमाने के लिये ६० में से २७ आदमी निकलते हैं। ७३ फ़ीसदी रिपोर्ट में मानते हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि अब आप क्यों इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। बहुत दिन के बाद समझ आई है। "नेशनल हेराल्ड" में राम गोपाल का एक आर्टिकल निकला है जिसमें उन्होंने आज की करेन्सी और दूसरी चीजों को डिस्कस करने के बाद यह नतीजा निकाला है :—

Therefore even if the average cultivator wants to purchase the bhumidhari rights his poverty damps his enthusiasm. It is not the Socialist propaganda which is responsible for slowing the pace of collection. The villager still feels with the Congress and Pandit Nehru but he is helpless.

(अतः साधारण किसान भी भूमिधरी अधिकार प्राप्त करना चाहता है, किन्तु उसकी निर्धनता उसके उत्साह में बाधा डालती है। यह समाजवादियों का प्रचार नहीं है जो अर्थ संग्रह को रोक रहा है। ग्रामीण के हृदय में कांग्रेस तथा पं० नेहरू के लिए स्थान है किन्तु वह असहाय है।)

सच बात तो यह है कि जो इस आर्टिकल में कही गई है। बहुत लम्बा चौड़ा आर्टिकल लिखकर खासतौर पर श्री चरण सिंह की बात का जवाब देने के बाद यह नतीजा निकाला है और अस्ली बात तो यह है कि किसान आज कल मजबूर है। उसके पास पैसा नहीं है। वह पैसा बचा नहीं पाता और सरकार इस बात को स्वीकार और महसूस कर सके तब वास्तव में वह अस्ली रास्ते पर आ सकती है। नहीं तो यह मालूम पड़ता है कि जैसा डाक्टर लोहिया और आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने कहा है कि हमारी सरकार की मोजूदा स्कीम का कहीं वही हस्र न हों जैसा मुहम्मद तुगलक का नयी राजधानी बसाने की स्कीम का हुआ था। उसके दिल में यह बात आई कि दौलताबाद में नयी राजधानी बसायी जाय। उस का तरीक़ा यह निकाला कि सारी आबादी को हुक्म दे दिया कि दौलताबाद पहुंचा जाये। रास्ते में बहुत से लोग मर गए। फिर जब लोग वहां पहुंच गए तो उनको हुक्म दिया कि दिल्ली वापस जाओ। रास्ते में बहुत लोग मर गए। हमारी सरकार की भी यही पालिसी है। किसान के पास रुपया नहीं है। आप कहते हैं कि दसगुना लगान दो। वसूल करने में दिक्क़तें हैं। स्कीम चौपट हो रही है। सरकार का लाखों करोड़ों रुपया बरबाद हो जायगा। स्कीम में विश्वास नहीं होता है। इधर सरकार सख्ती कर रही है। अध्यापकों और पटवारियों को दबा रही है। देहात में आंतक सा फैल गया है। वास्तव में जबरदस्ती का यह नतीजा हुआ है कि किसान घबड़ा रहा है। दुनिया के जितने तरीक़े रुपया वसूल करने के हो सकते हैं उन सब तरीक़ों से आप रुपया खींचने की कोशिश करते हैं। अब यह प्रचार किया जाता है कि रुपया आ रहा है। किसानों ने देना शुरू किया है। वे अब भूमिधरी के फायदों को समझ पाये हैं। वे आ आकर रुपया दे रहे हैं। क्या यह सन्तोष की बात है कि १८० करोड़ में १२.१३ करोड़ रुपया आप वसूल कर पाये हैं। इस तरह तो काम नहीं चलेगा। इतना जरूर हुआ कि सरकार को यह मालूम हो गया कि १८० करोड़ रुपया किस तरीक़े से जमा हो सकेगा। चरणसिंह साहब

[श्री राजाराम शास्त्री

की स्पीच हुई। विश्वम्भर दयाल साहब की स्पीच हुई। माल मन्त्री जी और हमारे पन्त जी ने जो स्पीचें दी हैं उसमें यह कहा है कि जमींदारी के खातिमे का दस गुना लगान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दसगुना लगान वसूल हो या न हो जमींदारी खत्म होगी। मैं ख़याल करता हूं कि सरकार समझ गयी है और किसान ने उनको बतलाया है कि दसगुने लगान को छोड़िए और अब जमींदारी खत्म की जाय। आप दसगुने लगान से हाथ धोइए। मैं आशा करता हूं कि सरकार अपनी ग़लती को स्वीकार कर लेगी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर, कोई चाहे जितना ही ग़रीब किसान क्यों न हो, आपने कोई ऐसी राहत की बात नहीं की जिससे कि उसके दिल में कोई खास उल्लास पैदा हो जाय। कांग्रेस के राज्य में जो अलाभकारी जोतें हैं, जिन किसी किसान के पास एक एकड़, किसी के पास एक एकड़ से भी कम, थोड़ी छोटी जमीनें हैं और जिनको गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट में माना है और उसने यह भी माना है कि इतनी छोटी जोतों पर जो काम करने वाले किसान हैं उनकी दशा वास्तव में बड़ी खराब है और किसी तरह से जिन्दा है, तो इसको आपको मानना चाहिये कि ऐसे लोग जिनके पास इस तरह की छोटी-छोटी खेती है, जिन पर गुज़र नहीं चलता, किसान ग़रीब है उनके लिये हुकूमत यह कह देती कि हम उनके लगान को माफ़ करेंगे। लेकिन जिस वक्त मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं पाई। जब तक आप लगान में किसी तरह की रिआयत नहीं करते तो मैं समझता हूं कि यह तो किसानों की रीढ़ तोड़ देना है। मैं कल रिपोर्ट को देख रहा था और उसमें कोई भी मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आई। क्या वजह है कि जो ग़रीब किसान है, जिनके पास कमती चीज है उनका लगान आप माफ़ नहीं करते। जब मैंने इस बात को रिपोर्ट में पढ़ा तो उनके तर्कों को सुन कर बहुत ही ज्यादा ताज्जुब हुआ। एक जगह पर रिपोर्ट में यह चीज आई है कि हमारे देश की यही परम्परा रही है कि हर तरह की जितनी होल्डिंग (जोतें) हैं उन्हीं से लगान वसूल होता रहा है। कभी एक्जेम्शन की नीति हमारे देश में नहीं रही। हमारी सिर्फ़ यही आपसे दरख्वास्त है कि अगर हमारे देश की यही परम्परा आज तक रही है कि हर तरह की होल्डिंग्ज से रुपया वसूल किया जाय, किसी की माफ़ी न की जाय, और उसी परम्परा पर आप चलें तो यह तो कोई मुनासिब बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जबसे अपना मुल्क आजाद हुआ, अपने देश की हुकूमत क़ायम हुई अगर आप मुनासिब समझते हों कि जिन किसानों पर इतना बोझा लदा हुआ है कि जिनका अस्तित्व ही खतरे में है तो ऐसे मौक़े पर अगर आप यही नीति कर दें कि जिनके पास ऐसी होल्डिंग्ज (जोतें) हैं हम उनका लगान माफ़ करते हैं, कोई इस तरह का अगर आप एलान करदें तो हमारा ख्याल है कि तो कुछ उनको पता हो सकता था कि देश स्वतंत्र हुआ है। दूसरी चीज यह है कि आज आप जितनी मालगुजारी लेते हैं, हम देखते हैं कि जो लोग दस गुना लगान नहीं दे पायेंगे, जो ग़रीब हैं उनसे आप उतना ही लगान भविष्य में भी लेते रहेंगे। हम तो तमाम बिल पर बहस करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो किसान जितना ही अधिक ग़रीब है उसको कोई राहत नहीं दी गई है। अगर वह इस मौक़े पर आपको दस गुना पैसा नहीं दे पाता है तो जरा सोचिये कि उसकी माली हालत कैसी है। इतना कर दिया है तो आप उसको इस बिल में कौनसी चीज दे रहे हैं? आप कोई अधिकार उसको भूमिधर को तो देते नहीं? जमीन का बटवारा फिर से आप करते नहीं? लगान में कोई कमी करने को आप तैयार नहीं हैं तो फिर उसके दिल में यह कैसे ख्याल पैदा हो सकता है कि जमींदारी का खात्मा हो रहा है। वास्तव में आपको इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये और ऐसे लोगों के सम्बन्ध में भी कोई न कोई एलान आपकी तरफ से होना चाहिये।

हमने यह भी देखा कि जहां तक खेतिहर मजदूर का सवाल है वह बेचारा पिस रहा है। आपने इस बिल में कहा है कि बड़े-बड़े अफसरों जमींदारों के लिये फलां चीज है, सीरदारों के लिये फलां चीज है, लेकिन जो आदमी इस तरह के हैं कि जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वे किसी तरीक़े

से देहात में नौकरी पेशा हैं और काम करते हैं और वे जमींदारों के यहां एक तरह से गुलाम हैं। उनके लिये आपने क्या रखा है ? यह भी तो ज़रा बतलाइये । सच पूछिये तो इस सामन्तशाही की सबसे बड़ी ज्यादती उन्हीं पर है । यही लोग जमींदारों के यहां जा-जा कर नौकरी करते हैं । उनके पास आज तक यही तरीका था कि जमींदार उनको कुछ ज़मीन का टुकड़ा दे देता था और कहता था कि हमारे यहां नौकरी कर लो और इसके बदले में तुम इस टुकड़े पर जिन्दगी बसर कर सकते हो । अब आप ज़रा सोचिये कि ऐसे लोगों के लिये, इस क़ानून के बन जाने के बाद, वह चीज़ भी खत्म हो गई और वह ज़मीन का टुकड़ा भी उनसे छिन गया । सही माने में यह होगा कि जैसा पूंजीवाद चाहता है कि सर्वहारा पैदा हो, वही बात हो जायेगी । किसी के पास कोई ज़मीन या जायदाद नहीं रह जावेगी, न किसी के पास पैसा ही रह जावेगा और न रत्ती भर ज़मीन ही । इसी तरह से जो देहात में मजदूर हैं उनके पास कोई जमीन नहीं है । सच मानिये, आप कि उनके पास कोई चीज नहीं रहेगी । उनकी तादाद भी कितनी होगी ? रिपोर्ट में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि कितने आदमी ऐसे होंगे । सारे हिन्दुस्तान में खेतिहर मज़दूरों की संख्या काफ़ी है और बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों ने इस बात का अन्दाज़ा लगाया है कि इस वक्त हिन्दुस्तान में कुछ नहीं तो कम से कम ६, ७ करोड़ की तादाद में खेतिहर मज़दूरों की संख्या है । हमारे प्राविन्स में भी कुछ नहीं तो ७०.८० लाख के क़रीब इनकी संख्या होगी । कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें तो अन्दाज़ा १ करोड़ के करीब का लगाया गया था । लेकिन इसी के लगभग ऐसे लोगों की तादाद आंकी जा सकती है । मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि इस सूबे में खेतिहर मजदूरों की एक बड़ी तादाद है । यह तादाद कोई ऐसी छोटी नहीं है जिसकी आसानी से उपेक्षा की जा सके । वे छोटे-छोटे लोग हैं, मज़दूर पेशा हैं और बहुत ही ग़रीब हैं । इस क़ानून के अन्दर उनके सम्बन्ध में कोई भी बात इस हाउस के सामने ऐसी पेश नहीं की गई है जिससे यह समझा जा सके कि इस ज़मींदारी के खात्मे पर उनका भी कुछ फ़ायदा हो सकता है । इस क़ानून के पास हो जाने के बाद आप देख लेंगे कि ज़मीन का बटवारा तो आप करेंगे नहीं, तो इस लैंडलेस लेबर (भूमिहीन मजदूर) के अन्दर एक बड़ी ही अशान्ति पैदा हो जावेगी । इन लोगों को ज़मीन पाने का कोई मौक़ा तब नहीं रह जायगा और ये किसी भी हालत में शान्त नहीं रह सकते । आपकी भूमिव्यवस्था से इन लोगों की ज़िन्दगी का मसला हल नहीं हो सकता है और इन लोगों को कोई शान्त नहीं कर सकेगा ।

इस हाउस में बैठने वाले हमारे कुछ परिगणित जातियों के सदस्यों ने, हमें इस बात को जान कर खुशी हुई, अपनी तरफ से एक नोट आफ डिसेंट (विरोध सूचक नोट) इस विशिष्ट समिति की रिपोर्ट में पेश किया । उन्होंने भी इस बात का काफ़ी जिक्र किया है कि खेतिहर मज़दूरों की समस्या हल नहीं की जा रही है । मैं ऐसी हालत में उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इस बात की तरफ जरूर ध्यान देगी ।

इसी तरह से शिकमी काश्तकारों की बात है । अभी तक तो यह चीज थी कि १५ गुना लगान दे कर ऐसे लोग भी भूमिधर बन सकते है, लेकिन ५ वर्ष के बाद । अब बड़ी भारी रिआयत की गई जब कि काफी ऐजीटेशन (आन्दोलन) हुआ। लोगों ने महसूस किया कि शिकमी के लिये पांच वर्ष तक रुकना पड़ेगा तो हमारी गवर्नमेंट ने एक रद्दोबदल कर दिया और वह यह कि जो खास काश्तकार है अगर उसकी रजामन्दी हो तो शिकमी काश्तकार आज भी १५ गुना लगान देकर भूमिधर बन सकता है। हमारी समझ में यह बात नहीं आती है कि गवर्नमेंट इतनी भोली-भाली क्यों है ? गवर्नमेंट ऐसा क्यों समझती है कि जो खास यानी आला काश्तकार है वह ऐसा क्यों कहेगा कि तुम १५ गुना लगान देकर हमारी जमीन के मालिक बन जाओ। गवर्नमेंट के लोग भी महसूस करते हैं कि खास काश्तकार कभी भी शिकमी के लिये जमीन देने के लिये रजामन्द नहीं होगा लेकिन फिर भी यह चीज बिल में रख दी गई और रख इसलिये दी कि जिससे शिकमी काश्तकारों को संतोष हो सके या वह लोग जाकर आला काश्तकार के यहां नाक रगड़ें। मेरा ख्याल तो यह है कि यह चीज महज इस बिल को सजाने की दृष्टि से रखी गई है। वर्ना इसमें कोई

[श्री राजाराम शास्त्री]

काश्तकार [illegible] [illegible] [illegible] और [illegible] जायेगी।"
यानी [illegible] आज [illegible] होगा [illegible] भूमिधर बन जायें और [illegible] काश्तकार को
भूमिधर बनने का मौका दिया।

[illegible] रिपोर्ट [illegible] की तरफ से [illegible] उन पर
गौर करता हूं तो मालूम होता [illegible] जिनके पास जमीन [illegible] वह उनके पास रहे और
बड़े-बड़े फार्म्स बना सकते [illegible] जमीन नहीं [illegible] जायेगी। लेकिन जब मैंने
रिपोर्ट को देखा तो मालूम हुआ कुछ और ही। गवर्नमेंट [illegible] यह दलील देती है
कि जमीन का बटवारा इसलिये नहीं करते कि यह कोई जरूरी नहीं है लेकिन रिपोर्ट में जो
कारण देते हैं जरा उन पर आप लोग गौर कर लीजिये। गवर्नमेंट इस बात को मानती है कि—

"Against this we must reckon the fact that it would arouse a spirit of opposition among the substantial cultivators, landlords and tenants and would inflict great hardship upon the landlords, whose income will, in any case, be reduced by our scheme for the abolition of zamindari.

Land is a gift of nature and it seems unfair that some persons should own large areas while thousands of others eke out a bare living from small holdings. An uneconomic holding is national loss, for it cannot fully occupy the minimum agricultural unit, which under the prevailing technique is a pair of bullock and a plough. Redistribution of land would increase the number and the area of economic holdings and thus promote agricultural efficiency."

("इसके साथ-साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे वास्तविक कृषकों में अर्थात् जमींदारों और असामियों में विरोध की भावना उत्पन्न हो जायेगी। इससे जमींदारों को बड़ा कष्ट होगा जिनकी आय हमारी जमींदारी उन्मूलन योजना के कारण अवश्य ही घट जायेगी।

भूमि प्रकृति की देन है और यह अन्याय है कि कुछ लोगों के पास अधिक भूमि हो जब कि दूसरे हजारों लोगों के पास छोटी-छोटी जोतें हों जिनमें वे खाने भर को अन्न पैदा कर सकें। अलाभकर जोत से राष्ट्रीय हानि होती है क्योंकि यह एक कृषि विषयक यूनिट को अर्थात् प्रचलित परिभाषा के अनुसार, दो बैलों और एक हल को, पूरा काम नहीं दे सकती। भूमि के पुनर्वितरण से लाभकर जोतों की संख्या और परिमाण बढ़ जायेगा और इस प्रकार कृषि विषयक योग्यता भी ऊंची हो जायेगी।")

इतनी चीज तो तारीफ में है कि वास्तव में बंटवारा करने से देश को फायदा है लेकिन क्यों नहीं करते इस पर जरा गौर कीजिये। जमीन का बटवारा करने से गवर्नमेंट काफी फायदा समझती है कि इसका बटवारा होना चाहिए और न होने से खेती की समस्या हल नहीं हो सकती लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी अड़चन एक है और वह यह है कि जमींदार इसको नापसन्द करेंगे और इसका विरोध करेंगे। अगर उनके विरोध करने की वजह से आप जमीन के बटवारे के लिये तैयार नहीं होते तो हमारी समझ में यह बात नहीं आती है। आपको तो फैसला करना पड़ेगा कि इस तमाम योजना को चलाने के लिये आप किस को खुश करना चाहते हैं। जमींदार को या किसान को। अगर यह मंशा है कि आप किसी चीज को पेश करना तो अच्छा समझते हैं लेकिन जमींदार नाराज हो जायेंगे इसलिये पेश करने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। मैं तो यह समझता हूं कि जहां हजारों जमींदार नाराज होंगे वहां लाखों और करोड़ों किसान खुश भी तो होंगे। साथ ही हम यह भी महसूस करते हैं —इसमें जो परिभाषा की गयी है काश्तकार की, मैं

कर रिपोर्ट देख रहा था तो अब तक यह चीज समझ मे आती है, कि जमीन उनको दी जाए जो जमीन जोतता है। अगर इस तरह के लोगो के हाथ मे जमीन रहे जो जोतते बोते है तो मेरे ख्याल मे बहुत से किसानो के पास जमीन रह सकती है। लेकिन सरकार महसूस करती है कि जब देहात मे पूंजीवाद की व्यवस्था कायम करनी है, बडे-बडे पूंजीपतियो के हाथ मे बड़े-बड़े फार्म देने है तो जो बडे-बडे जमींदार है जिनके पास ५,५ और १०, १० हजार बीघा खेत है वह उनके पास रहने दिये जाएं ताकि वह नौकरो के जरिये खेती करा सके, वह रुपया लगायेगे और रुपये के जरिये से खेती-बाडी करने की कोशिश करेगे। इसलिये कोई यह न कहदे कि खेती के अन्दर काम करने वाले पूंजीपति है यह कैसे मालिक बन सकते है। सरकार इसीलिये बड़ी खूबी के साथ तमाम दलीले देने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि खेती मे जो पैसा लगाता है उस आदमी को भी खेती मे मिल्कियत पाने का अधिकार है। वह भी टिलर आफ दी लैण्ड (जमीन जोतने वाला) है। चाहे खुद काम न करता हो, चाहे हल न चलाता हो, ऐसे लोगो को भी काश्त का पजेशन (अधिकार) दे दिया है। इसका रिजल्ट परिणाम क्या होगा? जिस तरह से रैयतवारी सिस्टम (प्रथा) मे जहां जमीदार नहीं है--बम्बई को ही देखिये--वहां की तरह से ही यह तमाम प्राविजन (नियम) हमारे इस बिल में आ रहे है। इसका नतीजा यह निकलेगा कि जो खेती करने वाले है उनके हाथ से जमीन निकल जायगी और ऐसे लोगो के हाथ में चली जायगी जो पैसे वाले है। बम्बई और पंजाब मे यही हुआ। दूसरी २ जगहों पर यही हुआ। आज आवश्यकता इस बात की है कि जमीन उन्हीं के पास रहे जो वास्तव में खेती करने वाले लोग है। लेकिन मैं यह देख रहा हूँ कि जमीन उन्ही के पास रहे जो वास्तव मे खेती करने वाले लोग है; लेकिन मै यह देख रहा हूँ कि बिहार के पूंजीपतियों की बहुत सी पूंजी जहां शहरों मे लग रही है वही बहुत से ऐसे पैसे वाले देहातों मे भी अपनी पूंजी भेज रहे है। इस तरह से पूंजीपति और जमींदारों मे एक नये तरीके की आर्थिक व्यवस्था मे गठबंधन हो रहा है। धाराओं पर गौर किया तो देखा कि पैसे वाले जो है वह जमीन ले सकते है और जमीन पर काबिज हो सकते है नौकर रख कर नौकर के जरिये से खेती कर सकते है। सारा बिल पास होने के बाद जो भूमि व्यवस्था आप कायम करेगे उसमे एक तरफ बडे-बड़े जमींदार होंगे, जिनके पास १० हजार बीघा तक खेत होंगे, जिनके अन्दर काम करने वाले बीसियों मजदूर होंगे, ट्रैक्टर्स चलते होगे और दूसरी तरफ साहब यह कहा जाता है कि वह ३० एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकेंगे। बिल में यह बात कहां है? आइंदा जो लोग खरीदेंगे वह ३० एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकते लेकिन इस वक्त जिसके पास १० हजार एकड़ है उस पर कोई पाबन्दी नहीं हो सकती। इतने समझदार एम० एल० एज बैठे हैं उनकी समझ में यह छोटी सी बात भी नहीं आती। (एक आवाज--कितने ऐसे है?) मैं पूछता हूँ कि इस बिल में से ऐसी असमानता को क्यों नहीं मिटाते? जो असमानता ऐसी हो कि किसी के पास दस एकड़ है और किसी के पास तीस एकड़ है, चालीस एकड़ है, जितनी असमानता कम करेंगे उतनी, मैं समझता हूँ कि बात समझ में आ सकती है। लेकिन किसी के पास आधा एकड़ जमीन है और किसी के पास पांच हजार एकड़ जमीन है, तो इस तरीके से काम नही चलेगा, जिस तरह से असमानता आज देहातों मे है। एक तरफ वह किसान नजर आयेगा जो छोटे-छोटे खेतों पर काम करता होगा, जो जमीन को बेचता फिरेगा, और तबाही की जिन्दगी बसर करता होगा। दूसरी तरफ आप को वे किसान और जमींदार नजर आयेंगे जो मजदूरों से काम करवा कर रुपया कमाएंगे। इस तरीके से गरीब और अमीर की व्यवस्था तब भी देहातों मे कायम रहेगी, ऐसा मेरा ख्याल है। कांग्रेस की ओर से काश्तकार वह लोग भी है जो पैसा लगाते हैं। हम कहते है कि वास्तव मे जो जोते और बोवे वही काश्तकार है। अब सवाल यह आता है कि क्या तरीका अख्तियार किया जाय जिससे देहातों के अन्दर सुधार हो सके मैं समझता हूँ कि यह ठीक बात है कि देहातों मे खेती के ऊपर ७२ फी सैकड़ा बोझा उनके ऊपर लदा हुआ है। कल भी मैने कहा था कि आपको देश की पूरी-पूरी आर्थिक व्यवस्था की ओर ध्यान देना पड़ेगा जिसमे आपको उद्योगीकरण करना पड़ेगा, देहातों

[श्री राजाराम शास्त्री]

में उद्योगीकरण ले जाना पड़ेगा। आप बड़े फार्म्स बनाएं, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उन बड़ी बड़ी जोतों का इन्तजाम करने का जो तरीका है वह व्यक्तियों के हाथ में मत सौंपिये। अगर ऐसा करेंगे तो जिस तरह का रोना आज कारखानों में रोया जा रहा है वही रोना वहां भी रोना पड़ेगा कि सारी दौलत मजदूर पैदा करता है, लेकिन मुनाफा वह थोड़े से, मुट्ठी भर लोग जो पैसा लगाते हैं, अपने घर में रख लेते हैं। आज जब आप के हाथ में राज्य व्यवस्था है, कानून बनाने की ताकत है तो हमारी दरख्वास्त है कि आप इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? बड़े-बड़े फार्म्स को बना कर उनका प्रबन्ध थोड़े से, मुट्ठी भर जमींदारों के हाथ में क्यों देते हैं? वह नौकरों से काम लेंगे, उनका शोषण करेंगे, और सारा पैसा अपने पास रखेंगे। मेरा अपना ख्याल यह है कि जितने लोग इस तरह के हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, उनकी जमीन को सवा छः एकड़ से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, इसी तरह से आप अपर लिमिट (उच्चतम अवधि) भी रख दें कि तीस एकड़, चालीस एकड़ या पचास एकड़ से ज्यादा जमीन कोई भी भूमिधर नहीं रखने पायेगा। उसके बाद जितनी जमीन हो उसको काश्तकारों में बांट दीजिये। अब सवाल यह उठता है कि इतनी जमीन है नहीं कि सबको दी जा सके इसलिये जितनों को बांट सकते हैं उनको भी न बांटी जाय। मैं कहता हूं कि अगर ११ स्थान मिनिस्टरों के हैं तो ग्यारह आदमियों को मिल पाएंगे और बाकी सब अफसोस करके बैठें। पच्चीस स्थान कांस्टीटुएंट असेम्बली के थे और चार सौ दरख्वास्तें आई थीं। पच्चीस को आपने दे दिया और बाकी बेचारे नाराज हो गये। कई एक ने इस्तीफा पेश कर दिया जिनको मनाने में आप लगे हुए हैं। आपके पास जितनी चीज है, अगर हर एक को नहीं मिल सकती है तो आपकी यह दलील होती है कि चूंकि सबको नहीं मिल सकती है इसलिये किसी को नहीं दी जा सकती है। हम कहते हैं कि अगर जमीन सबको नहीं दी जा सकती है तो जितनों को दी जा सकती है उतनों को दीजिये।

दूसरी चीज देहातों के अन्दर छोटे-छोटे धंधों को लाना है। आपको देहातों के अन्दर भी वास्तव में इन्डस्ट्रियलाइजेशन (उद्योगीकरण) करना पड़ेगा और खेती का सामाजिकी-करण करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि देहातों में नई इन्डस्ट्रीज (धंधे) जो आप लावें वह कोआपरेटिव बेसिस (सहयोग के आधार) पर हों वह किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में न हों। ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनीज की तरह से आप वहां खोलें। आप इस बात को मानें कि धनियों के हाथों में कामों के आने की वजह से बहुत सा काम नहीं हो पाता। नई नई इंडस्ट्रीज (धंधे) खोल कर जब आप देहातों में माल बनाने का ढंग अख्तियार करेंगे और जब आपकी नई मशीनरी वहां जाने लगेगी और वहां पर उद्योगीकरण होने लगेगा तो शहर में जो माल पैदा होगा उसकी खपत देहात में होगी और जो माल देहात में पैदा होगा उसकी मार्केटिंग (बिक्री की) व्यवस्था जब आप ठीक कर देंगे वह शहरों में आने लगेगा। इसतरह से शहर और देहात दोनों में एक दूसरे में सहकारिता का भाव आयेगा और इससे हमको व आपको बल मिलेगा। इसलिये भी मार्केटिंग व्यवस्था के लिये भी मैं कहता हूं कि इसे आप बीच के धनियों के हाथ में न छोड़िये, सौदागरों पर न छोड़िये, मुनाफ़ाखोरों के हाथों में मत दीजिये क्योंकि ये देहातों में पैदा हुई चीजों को किसानों की खुशहाली को, तबाह करते हैं, लूटते हैं। जब आप मार्केटिंग व्यवस्था करेंगे तो देहात का माल शहर में आयेगा और शहरों का माल देहातों में आयगा। इस तरह से जो व्यवस्था आप क़ायम करेंगे उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। इस तमाम बहस के बाद मैं फिर यह संक्षेप में पेश करना चाहता हूं। जैसा कल कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा कि हमारी समझ में नहीं आता कि सोशलिस्ट (समाजवादी) पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बहस में इस बिल के ऊपर कहां पर फ़र्क़ है। इस-लिये मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बिल को काफी ग़ौर से पढ़ें तो आपको मालूम

हो जायेगा कि जो बिल हमारे सामने है इसके अन्दर कहां फ़र्क आता है। जैसा कहा गया है कि हम लोग इस बात के लिये लड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इस क़ानून को लाने में देर लगाई है। मैंने यह कहा है और मैं यह भी कहता हूँ कि यह देर करती जा रही है। इसमें गवर्नमेंट ने जो लिखा है वह यही है कि इस क़ानून के पास हो जाने के बाद भी हमारे यू० पी० के अन्दर एक दिन एक साथ २४ घंटे के अन्दर लागू नहीं किया जायगा और यह चीज २४ घंटे के अन्दर खत्म नहीं हो जायेगी। जिसमें यह लिखा है कि हम यथाशीघ्र इसको समाप्त कर देंगे। "यथाशीघ्र" तो ऐसा गोल शब्द है जिसके माने कुछ भी लग सकते हैं। जिस ज़िले में चाहे धीरे–धीरे कर के ला सकते हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट यह कहती है कि जिसके पास जितनी जमीन है उसका कोई भी बटवारा नहीं होगा। किसी की जमीन ली नहीं जायेगी। जिसके पास ज्यादा है जमीन उससे लेकर उस ग़रीब को दी नहीं जायगी जिसके पास जमीन नहीं है या कम है। सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि जमीन का बंटवारा हो, जिसके पास ज्यादा है उससे लो और जिनके पास नहीं है उसको दो। कांग्रेस कहती है कि ३० एकड़ की शर्त भविष्य के लिये लागू होगी, इस वक्त के लिये कोई हद बन्दी नहीं होगी। आज जिसके पास जितनी भी जमीन है चाहे ज्यादा हो वह उससे ली नहीं जायेगी और न उसके लिये कोई हदबन्दी होगी, हम चाहते हैं कि यह शर्त इसी वक्त से लागू हो जिनके पास ज्यादा जमीन है उन से जमीन ली जाय और ऊपर वालों के लिये भी एक हद बांध दी जाय। गवर्नमेंट यह कहती है कि अगर हम जमीन बांटेंगे तो जमींदार नाराज हो जायेंगे और वह उन्मूलन की वजह से मुसीबत में पड़ जायेंगे। हमारा कहना है कि काश्तकारों को देखो, खेतिहर मजदूरों की ओर देखो जिनकी आधी रीढ़ टूट चुकी है। गवर्नमेंट कहती है कि मुआविजा देना न्याय संगत है और इसके बग़ैर जमींदार परेशान हो जायेगा। सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि मुआविजा देना सरासर अन्याय है, जमीन प्रकृत की देन है किसी की मिल्कियत नहीं है, हां जो ग़रीब है उनको पुनर्वास दिया जा सकता है। गवर्नमेंट कहती है कि जमींदारों को मुआविजा देने के लिये हम रुपया काश्तकारों से वसूल करेंगे। सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि मुआविज़े के लिये धनियों के ऊपर टैक्स लगाओ, धनियों से वसूल करके ग़रीब जमींदार को भविष्य के लिये पुनर्वास अनुदान के रूप में, सहायता के रूप में दो। गवर्नमेंट कहती है कि अब हम भूमिधर बना करके किसानों को क़ानूनी हक़ दे रहे हैं, वे जमीन बेच सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि इस तरह से बेचने के अधिकार देने से किसानों की जमीन जो है वह जमीन एग्रीकल्चरिस्ट (खेती कराने वाले) के पास चली जायगी। धन से जो खरीद सकता है उसके पास चली जायगी। इसलिये इस खरीद फरोख्त की बात को रायज करना कोई जायज बात नहीं हो सकती। गवर्नमेंट जिस तरह से पीजन्ट प्रोप्राइटरशिप (खेतिहरों का स्वामित्व) लागू करने जा रही है मैं देखता हूँ कि उससे गांवों में किसी तरह से सामूहिक भावना पैदा नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं यह सोचता हूँ कि वास्तव में मैं देहातों में जो नई व्यवस्था क़ायम की जाय उसमें देहातों में जो पंचायतें हैं वे वहां की नीति का संचालन करें और किसानों के अन्दर इस बात की भावना लायें कि सामूहिकता अच्छी चीज है, उनमें भाई चारे की प्रवृत्ति लाने की कोशिश करें। गवर्नमेंट यह समझती है कि गांव–सभा के जो पंच, सरपंच वग़ैरह हैं वे सब सरकारी अफसर हैं, उनको इस व्यवस्था में पूरी तरह से गवर्नमेंट का समर्थन करना चाहिये। हम समझते हैं कि सरपंच, पंच, ग्राम सभा के प्रेसीडेंट ये सब जनता के वोट से चुने गये हैं और चुने जाते हैं। ये गवर्नमेंट के शासकीय कर्मचारी नहीं हैं इनको जनता के हित में काम करना चाहिये। गवर्नमेंट यह कहती है कि जो पैसा लगावे वह किसान। हम यह कहते हैं कि जो जोते बोवे वह किसान। गवर्नमेंट यह कहती है कि भूमिधर के अलावा और जो किसान हैं उनसे जो आज लगान लिया जाता है वही लगान भविष्य में लिया जाय। हम यह कहते हैं कि किसानों से वही लगान भविष्य में लिया जाय जितनी कि आज मालगुजारी है। गवर्नमेंट यह कहती है कि आला काश्तकार जब रजामन्दी दे तभी शिकमी काश्तकार १५ गुना लगान जमा कर के भूमिधर बनेगा। हम यह कहते हैं कि आला काश्तकार की रजामन्दी की शर्त पेश करना यह एक तरह से आशा बंधानी है और

[श्री राजाराम शास्त्री]

वह इस तरह का हक़ शिकमी काश्तकार को नहीं देंगे। हम गवर्नमेंट के बिल में यह देखते हैं कि खेतिहर मजदूरों के लिये, जो वास्तव में बहुत बड़ी तादाद में हैं कुछ नहीं किया गया है और उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया है। हम समझते हैं कि देहाती व्यवस्था में खेतिहर मजदूर एक ऐसा मजदूर है जिसके ऊपर साम्राज्यशाही का सारा बोझा लदा है। जिसके पास न कोई जमीन है और न कोई रोजी का ठिकाना। ऐसी हालत में जब हम जमींदारी को खात्मा करते हैं तो कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि उस किसान मजदूर का भला हो। अगर ये चीजें आप नहीं करते हैं तो मुझे संदेह हो रहा है कि आप किसानों के अन्दर इस आशा का संचार कर सकेंगे कि जमींदारी के खत्म होने के बाद वास्तव में देहात के किसानों की बहुत बड़ी भलाई हो सकेगी। मैं सरकार से इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आप जितनी ही आशा पैदा कर लीजिये लेकिन जो व्यवस्था आप क़ायम कर रहे हैं उससे कुछ न होगा। न देहात में जमीन का बंटवारा होगा और न उनकी हालत ही सुधरेगी। आपने दिया क्या है? केवल, वही जो भूमिधर हैं वे अपनी जमीन बेच सकते हैं। केवल जमीन बेचने का अधिकार दे दिया है। किसान यह समझेगा कि जमींदारी का खात्मा तो हो गया लेकिन किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शक्ल में वह रहेगी जिससे वास्तव में किसान कोई खुशी महसूस नहीं करता है। मैं देखता हूँ कि जमींदारी उन्मूलन के बाद जो व्यवस्था आयेगी उससे देहात की सामाजिक अवस्था में कोई अन्तर नहीं आयेगा। ग़रीब को अमीर खाये, ये तब भी क़ायम रहें, यही होने वाला है। ऐसी हालत में जो बिल का उद्देश्य है वह पूरा नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे कांग्रेस के साथी जो बात कही गई है उसे सही स्प्रिट (भावना) में लेंगे। मेरी मंशा यह सब कहने की हर्गिज यह नहीं थी कि आपकी बदनामी हो। हम चाहते हैं कि हमारे दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की जाय। मैं नहीं कहता कि जितने आर्डर (आदेश) गवर्नमेंट ने दिये, जिनके उदाहरण मैंने दिये, वह गवर्नमेंट ने बदनियती से दिये। मैं तो यह समझता हूँ कि हमारे नीचे के अधिकारी वास्तव में इस तरीक़े से पेश आ रहे हैं कि बहुत से क़ायदे कानूनों को उन्होंने ताक़ पर रख दिया है। उनके अन्दर यह मनोवृत्ति आ रही है कि हम सरकारी अफ़सर हैं, हम जितना ज्यादा लगान वसूल करेंगे उतने ही ज्यादा हमारे कांग्रेस मिनिस्टर हमसे खुश होंगे। हमारी नौकरी बरक़रार रहेगी। मैं समझता हूँ कि यह मनोवृत्ति जो उनके अन्दर पैदा हुई है वह खतरनाक है। हम चाहते हैं कि वे अधिकारी इसको अच्छी तरह से समझ लें कि अगर वह क़ायदे क़ानून के विरुद्ध जाते हैं तो उनकी खैर नहीं। वे यह समझ लें कि अगर किसी ऊपर वाले को मालूम हुआ तो चाहे उन्होंने कितनी भी दस गुने लगान की वसूलयाबी की हो यह नहीं देखा जायगा कि उन्होंने कितनी वसूलयाबी की है। जब इस भावना से आप चीजों को देखेंगे तभी आपके नीचे के अफ़सरों को मालूम होगा कि उनकी खैरियत नहीं और तभी वे इस भावना की क़द्र कर सकते हैं। मैं भी यह चाहता हूं कि हमारे किसान खुशहाल हों। मैं भी यह चाहता हूं कि जमींदारी खत्म हो। मैं भी यह चाहता हूं कि वास्तव में हम जिन उद्देश्यों को लेकर चले थे वे पूरे हों। हम चाहते हैं कि सामन्तशाही का नाश करके ऐसे तरीक़े अख्तियार किये जायं जिनकी वजह से सामन्तशाही लोग कमजोर हों और किसान शक्तिशाली हों। मैं समझता हूं कि यह बिल जिस मौक़े पर हाउस के सामने आया है उस मौक़े पर सारे देश की निगाह हम पर लगी हुई है इस लिये मैं यह चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट इस बात को ध्यान में रख कर चले। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि जब मैं इस क़ानून को १८ वीं सदी या १९ वीं सदी की रोशनी के सामने रख कर उस पर बहस करता हूं तो वह काफ़ी प्रगतिशील मालूम होता है, काफ़ी आगे बढ़ा हुआ मालूम होता है। जब मैं फ्रांस की राज्यक्रान्ति, योरप की क्रान्ति को देखता हूं और उस समय को देखता हूं जब कि उन्होंने सामन्तशाही को खत्म किया था तो यह क़ानून मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन आप इस बात को न भूल जाइये कि जिस युग में आप इस क़ानून को बना रहे हैं उस युग

की दृष्टि से यह कानून ठीक बैठता है या नहीं । आप यह न भूल जाइये कि इस युगधर्म से यह क़ानून आता है या नहीं । अगर ऐसा नहीं है तो यह क़ानून हमें आगे नहीं ला सकता । कल जब मैं चीन के बारे में सोच रहा था और यह सोच रहा था कि चीन की राष्ट्रीय सरकार, चीन के राष्ट्रवादी चांग काई शेक क्यों विफल हुये ? और इस पर भी विचार किया कि वहां पर कम्युनिस्ट्स किस तरह से पावर (शक्ति) में आये, किस तरह से पीपिल्स गवर्नमेंट (जनता की सरकार) उन्होंने क़ायम की । किस तरह से जमींदार किसान, पूंजीपति मजदूर, अमीर-ग़रीब और भूमि का मसला उन्होंने हल किया । वह किस तरह से हर चीज को कन्फिस्केट (जब्त) करते हुये आगे बढ़े । लेकिन उसके अन्दर भी उन्होंने एक शर्त रखी और जमीन की व्यवस्था के लिये रखी रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड (भूमि का पुनर्वितरण) के लिये उन्होंने कह दिया । जब हम पूर्वी योरप की ओर देखते हैं तो हमको मालूम होता है कि इस विषम असमानता को उन्होंने किस तरह दूर किया । जब आपके हाथ में, जनता के हाथ में राजसत्ता आई है तो आपको भी इस असमानता को दूर करना होगा । चीन के अन्दर समानता पर बटवारा करने का प्रोग्राम बनाया गया है । लेकिन जब कभी मैं इस हाउस में बोलने के लिये खड़ा होता हूं तो कहा जाता है कि जनाब जमीन रबड़ तो है ही नहीं जो बंट सके । और हर आदमी तोते की तरह उसी की रट लगाये हुये हैं । मैं कहता हूं कि क्या फ्रांस में, योरप में जमीन बंट सकती है और हिन्दुस्तान की जमीन नहीं बंट सकती ? अगर यहां की जमीन नहीं बंट सकती तो फ्रांस, हंगरी, जेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम, रूमानिया की कैसे बंट सकती है ? और चीन के कम्युनिस्ट कैसे उसे बांट सकते हैं ? जब वह रबड़ ही नहीं है तो वहां वह कैसे बंट सकती है ? किसी के पास ५ हजार एकड़ जमीन है, आप यह एक नियम बना दीजिये कि किसी के पास ५ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रह सकती । इसमें रबड़ और गैर-रबड़ का क्या सवाल है ? इसमें तो मुख्य बात यह है कि जिसकी वह जमीन है आप उसकी नाराजगी बरदाश्त कर सकते हैं या नहीं और अगर आप नाराजगी बरदाश्त कर सकते हैं तो जमीन रबड़ बन सकती है लेकिन आपके दिल में यह ख़याल होना चाहिये । अगर आप इसी तरह की असमानता रखेंगे तो मेरा अपना खयाल है कि इस समय आपका विरोध चाहे जितना कमजोर क्यों न हो, किसान आपके बरगलाने में नहीं आ सकता, चाहे आप ईश्वर का नाम लें या भूमिधरी बनाने की कहें । जिस तरह से आज हिन्दुस्तान के चारों ओर से कम्यूनिज्म (साम्यवाद) की लहर आ रही है उस स्थिति में यदि आपने समाज व्यवस्था को नहीं बदला और जनता के पक्ष में नहीं बदला तो मैं कहता हूं कि आप विफल होंगे । कम्यूनिस्ट पार्टी (साम्यवादी दल) के लिये ऐसी हालत में आगे आना कठिन नहीं होगा । वह कम्यूनिस्ट पार्टी रूस या चीन के अन्दर से यहां नहीं आयेगी, बल्कि हिन्दुस्तान की सरजमीन से ही वह पैदा होगी । आपकी तरफ से जो स्पीचेज (भाषण) दी गई हैं, उनके बारे में एक उदाहरण देकर मैं अपनी स्पीच (भाषण) को समाप्त करूंगा ।

आपने भी इतिहास में पढ़ा है और हमने भी इतिहास में पढ़ा है कि एक थे बादशाह कैन्यूट । वह दुनिया में बहुत ही शक्तिशाली समझे जाते थे । बहुत से दरबारी उनके पास रहा करते थे और वह कहा करते थे कि जहांपनाह की ताक़त इतनी बढ़ी है कि दुनियां की कोई ताक़त उसका मुक़ाबिला नहीं कर सकती है । एक दिन वह समुद्र के किनारे बैठे हुये थे । समुद्र की लहरें बड़ी तेजी के साथ उधर चली आ रही थी । पहले बादशाह को डर लगा कि तूफ़ान नजदीक़ आ रहा है, कहीं बहा न ले जाय, लेकिन उनके आसपास जो दरबारी थे उन्होंने यह कहा कि हुजूर की शक्ति महान है, अगर आप आर्डर दे दें तो आने वाली लहरों को पीछे हटाया जा सकता है । वह यह समझे कि इनको सलाह देनेवाले लोग उनका हित चाहने वाले हैं । उन्होंने आते हुये तूफ़ान को रोकने की कोशिश की । नतीजा यही हुआ कि वह लहरों को न रोक सके और बादशाह कैन्यूट भी समाप्त हुये और उनके दरबारी भी समाप्त हुये । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उधर के बैठनेवाले लोग रोजमर्रा गवर्नमेंट से कहते हैं कि कुछ परवाह मत करो तूफ़ान की, हम तुम्हारे पीछे खड़े हुये हैं, जनता की शक्ति हमारे साथ है । कभी-कभी अगर उधर से कुछ कमजोरी होती है तो जमींदार लोग भरोसा दे देते हैं ।

[श्री राजाराम शास्त्री]

कि मत घबड़ाओ, आज नहीं तो कल २६ जनवरी को सारे ज़मींदार और नवाब उधर बैठेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे और आने वाले तूफान को रोक देंगे । उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर), मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो सामाजिक क्रांति की लहर आनेवाला है उसको न हमारे दरबारी लोग रोक सकते हैं और न ज़मींदार [illegible] रोक सकते हैं । आने वाली क्रांति को रोकने का अगर कोई तरीका [illegible] है तो [illegible] तो गवर्नमेंट खुद बदले या जनता [illegible] को जगह दे [illegible] को होना चाहिये । अगर एक चीज न [illegible] होता [illegible] मालूम होता है कि आप वास्तव में देश को अराजकता और खूनी क्रांति की ओर ले जा रहे हैं । आप [illegible] की बात को न मानिये, लेकिन जो सही गांधीवादी हैं उनकी ओर नज़र कीजिये, मशरूवाला की स्पीच (भाषण) पढ़िये, कृपलानी की स्पीचेज पढ़िये, विनोबा भावे की स्पीचेज पढ़िये जिनको सही मानने में कहा जा सकता है कि उनको माया ममता ने नहीं सताया और जो वास्तव में समझते हैं कि गांधी जी का एक आदर्श था और उसी आदर्श पर हमको चलना है । मैं बहुत अदब के साथ अपने उधर के बैठने वाले भाइयों से कहूंगा कि आप ज़रा जे० सी० कुमारप्पा ने जो कहा है उस पर गौर कीजिये। उन्होंने यह कहा है कि हमें अफसोस है कि आज राजगद्दी पर बैठने वाले लोग गांधी जी के उसूलों को भूल गये हैं, हम उस दिन का इन्तज़ार कर रहे हैं जब हम सर्वोदय में काम करने वाले, इस गवर्नमेंट का विरोध करेंगे । हम चूंकि विरोधी दल के हैं इसलिए अगर कोई चीज पेश करते हैं तो आप कहते हैं कि हम गलत हैं तो आप कृपा करके कृपलानी और मशरूवाला की ही बातें सुनिये । अगर आप उनको भी नहीं सुनते हैं तो मैं यही कहूंगा कि जिसका सर्वनाश होने को होता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है । चाहे सारा देश कहता रहे और अखबार वाले चिल्लाते रहें लेकिन कांग्रेस वाले किसी भी ईमानदार की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । जब हमने यह कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो बृजमोहन लाल शास्त्री की ही बात मानिये, तो यह कहा जाता है कि वह बैठे तो इधर हैं लेकिन उनका दिल व दिमाग आपकी ही तरफ है । मैं तो यह कहूंगा कि न आप देश के दुश्मन हैं और न हम देश के दुश्मन हैं । आपने भी कुर्बानियां की हैं और हमने भी कुर्बानियां की हैं । हम कभी यह नहीं चाहते हैं कि हम सरकार को बदनाम करने के लिए सरकार की आलोचना करें क्योंकि अगर सरकार बदनाम होगी तो प्रतिक्रियावादी शक्तियां शक्तिशाली होंगी । मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि ऐसी प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने, चाहे हिन्दू-सभा वाले हों, चाहे मुस्लिम लीग वाले हों, चाहे ज़मींदार लोग हों, अगर कभी कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ सर उठाया और विद्रोह करने की कोशिश की तो हम पूरी शक्ति से कांग्रेस सरकार की मदद करेंगे ।

कांग्रेस गवर्नमेंट अपने कर्मों से देश को रसातल की ओर ले जा रही है और देश के अन्दर एक साइकोलाजी (मनोवृत्ति) पैदा करने जा रही है कि साहब, अगर कांग्रेस सरकार गद्दी से हट जायगी तो देश में अराजकता फैल जायगी, और देश का सर्वनाश हो जायगा । अगर देश के शासक ऐसी मनोभावना जनता के अन्दर पैदा करते हैं तो आखिर में उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही होगा कि आपकी मनोवृत्ति आगे नहीं चलेगी । अगर आपके अन्दर अपो-जीशन (विरोधी दल) की बातों को सुनने के लिये सहिष्णुता नहीं है तो उसका एक यही लाज़िमी नतीजा होगा कि इस देश की जनता डेमोक्रेटिक (प्रजातन्त्रात्मक) रास्ते को छोड़ देगी, शान्तिमय रास्ते को छोड़ देगी, गांधी जी के बताये हुये सत्याग्रह के मार्ग को छोड़ देगी और उसके बाद विद्रोह का रास्ता अपनायेगी जो इस देश के लिये, हमारी सरकार के लिये, हमारे समाज के लिये, फायदे-मन्द नहीं होगा । इसलिये मैं समझता हूँ कि आप इस मनोवृत्ति को लेकर अगर गद्दी पर बैठे हैं तो वास्तव में देश का सर्वनाश होगा । आपका नारा इस वक्त है, कांग्रेस नहीं तो सर्वनाश, हमारा नारा है कांग्रेस और सर्वनाश । अगर आप बदले नहीं तो मैं फिर कहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की जनता के अन्दर यह भावना पैदा होगी और होनी चाहिये और वह हिम्मत के साथ अपने अधिकारों की रक्षा करेगी । मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इधर के बैठने वाले

की वजह से हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से यह कहता हूं कि अनुशासन बहुत अच्छी चीज है लेकिन देश की तरफ भी तो ख्याल रखिये। अनुशासन के नाम पर इस तरह से तो न दबिये कि सच्ची बात भी न कह सकें। देश को और इस हाउस को यह जान कर बड़ी खुशी हुई थी और आज भी खुशी है कि कांग्रेसी सरकार जमींदारी का खात्मा करने जा रही है। लेकिन जब मैं इस बिल की धाराओं को पढ़ता हूं तो मालूम होता है कि जो व्यवस्था आगे होने जा रही है उसका परिणाम यह होगा कि देहातों के अन्दर एक तरफ तो ग़रीब तबक़ा खड़ा होगा और दूसरी तरफ रईस तबक़ा खड़ा होगा और दोनों में आपस में संघर्ष होगा जिससे कोई शान्ति नहीं हो सकेगी। आप आज इस बिल को जरा ठंडे दिल से पढ़ें और इस पर सोचें। आज इस बात का आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि जमींदारी खात्मे के बाद देश के अन्दर बड़ी शान्ति पैदा हो जायगी, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे तो देश का सर्वनाश हो जायगा। अगर आप इसको ठीक तरह से समझ बूझ कर नहीं करते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि देश में एक सामाजिक क्रान्ति होगी और सही माने में क्रान्ति होगी और सही माने में जमींदारी का उन्मूलन होगा और उस वक्त जो गवर्नमेंट बनेगी वही सही गवर्नमेंट होगी। जब तक समाज की अच्छी व्यवस्था नहीं होती तब तक जनता को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। ऐसी हालत में मैं एक बात आपसे अवश्य कहना चाहता हूं कि आप जिस स्प्रिट (भावना) में इस बिल को ले रहे हैं उससे कोई गलत बात न कीजिये। जिस भावना से प्रेरित होकर आप इस बिल को पेश कर रहे हैं उस भावना को देखिये और किसानों के वास्ते, समाज के वास्ते, मुल्क के वास्ते जो कर सकते हों कीजिये। आप जानते हैं कि मेरे पास वोट का बल नहीं है, हमारी तादाद केवल ३ है। आपके पास वोट बहुत ज्यादा है, आपकी तादाद भी बहुत है। लेकिन हमारे तीन आदमियों की आवाज़ केवल तीन की ही आवाज़ नहीं है बल्कि यह बहुत काफ़ी तादाद में जो जनता है उसकी आवाज है। आप ज़मींदारों को मुआविज़ा देने के लिये किसानों से दस गुना लगान वसूल कर रहे हैं और जितनी बातें हमने आपके सामने पेश की हैं उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और आपके नीचे के अधिकारी जो ग़लत काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप मुआविज़ा दीजिये और जिस तरह से जो कुछ भी करना चाहें कीजिये लेकिन इस बात को याद रखें कि आप हमेशा इस कुर्सी पर बैठे नहीं रह सकते। आपको चाहिये कि जो कोई भी शख्स यू० पी० के अन्दर ग़ैर क़ानूनी कार्यवाही करे, चाहे वे अपने कर्मचारी ही क्यों न हों, उनकी जांच करें और ऐसे आदमियों को सजा दें। मुझे उम्मीद है कि ऐसा करते समय आप डगमगायेंगे नहीं। मैं उन कर्मचारियों को भी और सरकार को भी एक बार वार्निंग (चेतावनी) दे देना चाहता हूं कि जो कर्मचारी जनता के साथ बुरी तरह से पेश आयेंगे, आगे आने वाली सरकार उनके साथ भी बड़ी सख्ती से पेश आयेगी और उनको अपने किये हुये कर्मों के लिये सख्त से सख्त सजा देगी। मैं फिर सरकार से यह कह देना चाहता हूं कि जिस भावना को लेकर सरकार इस बिल को पेश कर रही है उसको खूब सोच-समझ कर और जनता की सारी बातों को सामने रख कर कोई क़दम उठावे जिससे ज़मींदारी खतम होने के बाद किसानों का भी फायदा हो और इस देश का भी फ़ायदा हो।

*माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस वक्त जिस वजह से खड़ा हुआ हूं वह सिर्फ इतनी है कि कुछ बातें अभी मेरे सामने इस ऐवान में जो कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से रुपया वसूल करने के मुताल्लिक हो रही है उसकी बाबत कही गई। जहां तक कि इस मज़मून का ताल्लुक है इसका जवाब जनाब रेवेन्यू मिनिस्टर साहब खुद देते लेकिन चूंकि कुछ बातें मेरे ज़ाती इल्म में हैं और मेरा उनसे खुद वास्ता पड़ा इसलिये मैंने यह जरूरी समझा कि मैं उन मालूमात को इस ऐवान के सामने रखूं। मेरा मक़सद किसी तक़रीर का जवाब देना नहीं है मगर यह भी नहीं है कि और जो बातें मेरे ख्याल में इस

*माननीय सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव]

बहस के सिलसिले में आई हैं जो यहां पर अभी तक होती रही हैं उनको मैं अर्ज न करूं। आज रोज से इस ऐवान में सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बहस हो रही है। यह रिपोर्ट उस सलेक्ट कमेटी की है जिसने जमींदारी मन्सूखी के कानून पर विचार किया। किसी तजवीज पर ऐवान में बहस का मकसद सिर्फ इतना होता है कि सलेक्ट कमेटी ने उस कानून पर विचार करके जो कुछ तब्दीलियां कानून में की हैं उनके मुताल्लिक आम मुबाहिसे के जरिये से इजहारे ख्याल किया जाय कि उनमें से कुछ बातें कहां तक मौजूं हैं और कहां तक मौजूं नहीं हैं। लेकिन जो तकरीरें सुनने का मुझको इस ऐवान में इत्तफाक हुआ उनसे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद आज की दुनिया में इस पुराने उसूल को जिस पर लेजिस्लेचर में हमेशा से अमल होता आया है भुला दिया है और इस मुबाहिसे में इस बात का कोई इम्तियाज नहीं है कि कोई इस वक्त किस हद तक अपने आप को महदूद रखे और क्या बातें कहना है। बहरहाल मुबाहिसा तो जारी है और मेरी कुव्वत के अख्तियार में नहीं है कि मैं उस मुबाहिसे को उस दायरे के अन्दर महदूद कर दूं कि जिस दायरे में उसको महदूद रहना चाहिए। मगर मैंने भी अपना यह फर्ज समझा इस ऐवान का एक मेम्बर होने की हैसियत से जनाब वाला के जरिये से कि इस ऐवान के मेम्बर साहबान की तवज्जह इस तरफ मबजूल कराऊं कि इस दायरे के अन्दर मेम्बरान को महदूद रहना है। जमींदारी की मन्सूखी के वास्ते मुआविजा होने के सिलसिले में जो रुपया कि इस वक्त इस सूबे में वसूल हो रहा है उसकी बाबत १, २, १०, २०, और १०० जितनी भी शिकायतें हैं कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन किसानों पर तरह-तरह का दबाव डाल रहे हैं और नाजायज तरीके से रुपया वसूल करने की कोशिश करते हैं यह खुलासा है उन शिकायतों का जिस पर दो घण्टे तकरीर की जाय। उसका खुलासा इतना ही निकलेगा कि अगर एक फिकरे में वह बातें कह दी जायं तब भी वह इतना ही माने रखेगी जितना कि मैंने अर्ज किया। हो सकता है कि हमारे दोस्त राजाराम शास्त्री ने जो शिकायतें अपनी तकरीर में बयान की वह सही हों मगर मैं समझता यह हूं, मुमकिन यह है कि वह मेरी बदगुमानी हो, मगर फिर भी मैं तो यह समझता हूं कि मेरे दोस्त जिन्होंने इस ऐवान के सामने उन शिकायतों को रखा है उन्हें खुद भी उनके सही होने का यकीन नहीं है। क्यों, मैं ऐसा क्यों समझता हूं कि उनको यकीन नहीं है, इसलिये कि आज इस ऐवान में आकर इतनी देर तकरीर करने के बाद उन्हों ने जहां तक शिकायतों के मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि गवर्नमेंट उनको देखे। अगर वाकई वह शिकायत है तो मैं समझता यह हूं कि वह ऐसा न करते बल्कि जिस वक्त वह शिकायतें उनके नोटिस में आई थीं और जिस वक्त उन की आंखों ने यह देखा और कानों ने यह सुना था कि इस किस्म के जुल्म और ज्यादती बेकस इन्सानों के ऊपर मरकूब कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं तो यकीनन उनके लिये यह दरवाजा उस वक्त भी खुला था कि जिसको आज वह इस ऐवान में खटखटा रहे हैं। आप को चाहिये था कि आप जल्द से जल्द इस दरवाजे को खटखटाते और इन शिकायतों का सद्दे बाब कराते। जैसा कि मैंने अर्ज किया मुमकिन है कि मेरी यह बदगुमानी हो लेकिन मेरे दिल पर जो असर इस बात का पड़ा और मैं समझता यह हूं कि मेरे ही दिल पर नहीं पड़ा बल्कि जो भी लाजिकली किसी चीज को समझ सकते हैं उनके दिल पर भी यही असर पड़ा होगा कि इन बातों का इस वक्त तक दिल में रखना और अब इस ऐवान में ला कर पेश करना सिर्फ इस प्रोपेगेन्डे के लिये है कि कांग्रेस गवर्नमेंट उसकी आर्गेनाईजेशन और मुल्क की तबाही सब एक ही चीज का नाम है। अगर मैं सही समझता हूं तो मेरे दोस्त ने अपनी तकरीर में यह भी कहा है कि जहां तक इस किस्म की शिकायतों का ताल्लुक है मैं चैलेंज करता हूं और इस ऐवान के सामने बयान देता हूं कि जब मैं इस सिलसिले में खुद मुतअल्लिक मुकामात में गया तो इस किस्म की शिकायतें की गईं और मुझको बहुत सी मिसालें भी दी गईं और मैंने भी किसी मसले और शिकायत को बगैर तहकीकात किये हुए नहीं छोड़ा और उनमें से एक को भी सही नहीं पाया। मैं गवर्नमेंट की जानिब से इस बात के कहने का हक रखता हूं कि हमारी गवर्नमेंट इस बात से गाफिल नहीं है कि किसी के तरफ से इस किस्म का कोई गलत अमल हो चाहे वह कांग्रेस आर्गेनाईजेशन का मेम्बर

हो और उसमें काम करता हो या गवर्नमेंट का मुलाजिम हो, न होने पावे। हुजूर वाला, हम तकरीरें करते हैं और गांवों में जाते हैं और हमारे सोशलिस्ट भाइयों की जमाअतों के लोग सुर्ख टोपियां पहने हुए वहां मौजूद होते हैं और मैं अपने दोस्त राजाराम शास्त्री की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि एक नहीं बल्कि दस, पचास, सौ इस किस्म की सुर्ख टोपियां पहने जहां मौजूद होते हैं वहां हमने डंके की चोट अपनी तकरीरों के दौरान में इस बात को कहा है कि दस गुना लगान जमा करने के लिये कोई कम्पल्शन और किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। हर शख्स आजाद है और इस बात का मुख्तार है कि अगर वह चाहे तो इस मौके से फ़ायदा उठावे और अगर नहीं चाहता तो न उठावे।

मैं नहीं समझता कि हमारे इस तर्जेअमल के होते हुए कहीं यह हो सकता है कि जैसा मेरे दोस्त राजाराम जी ने कहा। अगर फिलवा के वह शिकायतें सही हैं तो क्यों न उसी वक्त वहां के हुक्काम की उन पर तवज्जह दिलाई गई? क्यों न उसी वक्त उन के मुतालिल्लक इत्तला हासिल कर ली गई? ६ महीने इंतजार किया इस बात का कि असेम्बली की मजलिस और बैठक हो और हम उसमें जायं तो हम अपनी तकरीर को उन मिसालों से जीनत दें। मैं समझता हूं कि यह किसी ऐसे शख्स के लिये जिस के कंधों पर जिम्मेदारी नहीं रक्खी है मैं मानता हूं। मेरे दोस्त राजाराम शास्त्री सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं। इस वक्त एक गैरजिम्मेदार जमात है लेकिन खुद इस के साथ-साथ खुद उनके कंधों पर एक नुमाइन्दगी का बोझ रखा हुआ है। यह बोझ हर उस शख्स के कंधों पर है जो इस ऐवान का मेम्बर है। अगर मुझको और इधर और उधर के बैठने वालों को अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास करना जरूरी है तो मैं समझता हूं कि इस एहसास से राजाराम जी भी बरी नहीं हैं। उन पर भी वह जिम्मेदारी आयद है। किसी बात को इस ऐवान के सामने रखने से पहिले हर शख्स को वाजिब है कि वह उस बात के मुतल्लिक पूरी तहकीकात के साथ यकीन कर ले कि हकीकतन ऐसा ही है तो वह इस बात को कहने के लिये खड़े हों। वरना वह इस बात के हरगिज मुस्तहक नहीं है कि कब्ल इसके कि वह पूरी तौर से तककीकात न कर लें वह उस बात को न कहें। यह न इंसाफ की बात है और न माकूलियत की बात है कि हर बात बिला तहकीकात के यहां पर कह दी जाय। मैं तो किसी की खिदमत में बेअदबी की जुर-अत नहीं कर सकता। यह ऐवान और इसके मेम्बरान बड़ी इज्जत के मुस्तहक हैं। मैं इसको इज्जत की निगाह से देखता हूं। मैं इसके साथ-साथ यह कहने पर मजबूर हूं कि मेरे दोस्त ने उस तहजीब और उस एटिकेट को अपनी तकरीर मेंने सामने नहीं रखा जो इस ऐवान के शायानशान है। उन्होंने बेजा तौर की शिकायतें अपने बयान में इरशाद फरमाई और इस ऐवान के सामने पेश कीं। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जिस तरह से मेरे नोटिस में आयी हुई शिकायतें गलत साबित हुई उसी तरह से वह भी यकीनन गलत होंगी। अगर मेरे दोस्त खुद ही तकलीफ गवारा करेंगे और उनकी निस्बत तहकीकात कर लेंगे तो उनको मालूम हो जायगा कि उन शिकायतों में कोई सच्चाई नहीं है। मेरा असली मकसद जिसकी वजह से मैं अर्ज करने खड़ा हुआ यह था कि इस किस्म की शिकायतें जो की जाती हैं उनकी निस्बत सर-कार का रवैया क्या है? हुक्काम का रवैया क्या है? मैं खुद क्या करता हूं जैसा मैंने अर्ज किया। आपने तो यह किया कि जो कुछ आप को मिला वह ऐवान के सामने रख दिया सही हो या गलत, इसकी आपको कोई तहकीकात नहीं कि सही बात ही ऐवान के सामने रखें। मेरे दोस्त की उस तकरीर का खुलासा जो उन्होंने इरशाद फरमाई कम से कम उतना हिस्सा जितना मैंने सुना यह यह है कि जितने चैपटर्स उस तकरीर के थे वह लगान की वसूलयाबी के मुतालिल्लक शिकायतों के थे जो तेज रफ्तारी के साथ बयान की गई। उसके बाद उन्होंने कुछ तवज्जह बिल की तरफ फरमाई।

इसके बाद उन्होंने कुछ बिल की तरफ इशारा किया और यह फरमाया कि जमीं-दारी २४ घंटों के अन्दर खत्म हो सकती है। हां, सही है। जब मेरे दोस्त तकरीर कर

[माननीय [illegible] निर्माण सचिव]

[illegible] करता था कि [illegible] फायदा करता चला आया [illegible] भी [illegible] आई। यह [illegible] लाने के [illegible] इस तकरीर [illegible] दुनिया के अन्दर [illegible] जाय। अगर उसे दुनिया में [illegible] तो [illegible] कि हमारे दोस्त [illegible]।

कानून [illegible]। कानून के अन्दर यह [illegible] और जरा [illegible] मेरे दोस्त बतला रहे [illegible] जिस वक्त इस ऐवान ने कानून [illegible] कर दिया, उसके [illegible] होते ही फौरन, आनन-फानन यह जमींदारी उन्मूलन [illegible] हो जायगी। [illegible] शायद, शुबा यह है कि गवर्नमेन्ट [illegible] भी उसमें कोई आहिस्ता रफ्तार [illegible]। एक दफा इस कानून के अन्दर [illegible] की कि गवर्नमेन्ट इसको अगर [illegible] से पर अमल न कर सके तो उसकी [illegible] सकते हैं। क्या इस का मतलब यह है कि गवर्नमेन्ट [illegible] यह है कि हम इस कानून को बना कर और आइन्दा ४० साल तक जमींदारी को बनाये रक्खें? आप किसी मामले के मुतअल्लिक इतना यकीन [illegible] सकते हैं। [illegible] जिस तरीके से हमने एक काम को करना चाहा है उसके करने में किसी किस्म की बाधा या रुकावट, किसी किस्म की कोई दिक्कत दूसरी तरफ से पेश नहीं आएगी? उसी के लिये एक तहफ्फुज के तौर पर एक दफा उसके अन्दर रक्खी गई है।

एक बात यह मेरे दोस्त ने फरमाई कि साहब जो हम कहते हैं और जो गवर्नमेन्ट कहती है इस कानून के मुतअल्लिक उसमें क्या फर्क है? फर्क उन्होंने यह बतलाया था कि साहब जिनके पास जमीनें ज्यादह हैं उनसे लेकर जिनके पास कम हैं उनको दे दो। मैं अगर सही समझा तो यही उन्होंने अपनी तकरीर में इरशाद फरमाया था। हुजूर वाला, यह बात बड़ी उम्दा है, इसको मान लेना चाहिये हर शख्स को। मगर यह भी सोचें आप कि मेरे दोस्त को यह तजुर्बा हो रहा है कि गवर्नमेन्ट अपने दिमाग की वजह से उनकी इस बात को नहीं मानती है। क्या इस [illegible] के ऊपर कोई पब्लिक ओपीनियन इकट्ठा करने की कोशिश की है? हमारे सोशलिस्ट भाई भूमिधरी के रुपये की वसूलयाबी के सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जल्से और तकरीरें करते हैं, उनसे तरह-तरह की बातें कहते हैं। खैर, जो इस तरह की बातें करते हैं और इस ऐवान में अपनी तकरीरों के जरिये प्रोपेगेण्डा करते हैं वह दुनिया के सामने इस बात का एलान करें कि हम इस बात के हामी हैं कि जमीन जिन काश्तकारों के पास ज्यादह है उनके पास से लेकर उन काश्तकारों को दे दो जिनके पास कि जमीन कम है। मैं एक इंसान की हैसियत से, इस सूबे का एक शहरी होने की हैसियत से अपने दोस्त को दावत देता हूं कि वह इस सूबे के अन्दर इस प्रोपेगेण्डा को करके एक पब्लिक ओपीनियन इसके फेवर में कायम कर दें और गवर्नमेन्ट से इस बात को करा लें। गवर्नमेण्ट तो पब्लिक के सामने सर झुकाती है। नहीं माने तो यह गवर्नमेन्ट न माने लेकिन जुर्रत नहीं है इस बात की कि उन काश्तकारों के सामने यह कहें कि ऐ कम्बख्तों, तुम इतनी जमीन लिये बैठे हो और ये तुम्हारे छोटे भाई हैं जिनके पास कुछ नहीं है, इनका गुजारा नहीं चलता है, यह क्या नाइन्साफी है। इसलिये तुम कुछ जमीन अपने उन छोटे भाइयों को दो ताकि उनका भी गुजारा चले। इसके लिये पब्लिक ओपीनियन पैदा करने के लिये सोशलिस्ट नहीं खड़ा होता है। उसको कम से कम इतनी जुर्रत नहीं होती है कि काश्तकारों के अन्दर खड़ा होकर के इस बात की राय कायम करे और यह कहे। यहां तो कह दिया। वह जो गांव में

आदमी रहता है उस बेचारे को क्या खबर कि किसी ने क्या कह दिया? वहां तो बातें बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की और यहां कुछ और। अगर यह फायदे की बात है और काश्तकारों का इसके अन्दर फायदा है, काश्तकारों को भी छोड़ दीजिए, मुल्क का फायदा अगर इसके अन्दर है, तो क्यों नहीं वे इस काम को करते है? कौन सी बात उनको ऐसा करने से रोकती है? सिर्फ यह बात कि यहां इस ऐवान में खड़े हो कर के किसी का क्रिटीसिज्म कर दो, चाहे जिस तरीके से भी कर दो, और चाहे जो कुछ कह दो, यह कोई हिम्मत, बहादुरी और जुर्रत का काम नहीं है और यह स्ट्रेट फारवर्डनेस नहीं है। जिसको पब्लिक की खिदमत करनी है उसे स्ट्रेटफारवर्ड होना है, उसको हिम्मत वाला होना पड़ेगा और सच्चा होना पड़ेगा बगैर किसी खौफ के कि चाहे उसको काश्तकार गालियां देने लगें और चाहे उसकी पार्टी उसको पसन्द करे या न करे। लेकिन सच्ची बात कहने में आपको देर नहीं करना होगा।

श्री राजाराम शास्त्री--एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन (व्यक्तिगत स्पष्टीकरण) के तौर से मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि आपने यह जो बात कही कि मैंने यह कहा कि किसानों से जमीन ले लो और जिनके पास नहीं है उनको दे दो, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही बता देना चाहता हूं कि जिन जमींदारों के पास करोड़ों बीघा जमीन है उन की आप कोई अपर लिमिट (उच्चतम सीमा) कायम कर दें और बाकी जमीन उनसे लेकर जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उन्हें दे दें। मैं इस चीज को चैलेंज करने को तैयार हूं कि. . . . .

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--मुनासिब है, जमींदार से लेकर ही तो काश्तकार को दी जा रही है। वह शख्स इस कानून को समझा नहीं जो यह कहे कि वह जमीन जो काश्तकार के पास ज्यादा है उसे लेकर काश्तकार को दे दो। तो यह और किसको दी जा रही है? जो जमीन परती है जो काश्त में नहीं है वह जमींदार से लेकर के गांव पंचायत को दी जा रही है कि वह उसको सेटिलमेंट (बन्दोबस्त) कराके खेती करावे।

श्री राजाराम शास्त्री--खुदकाश्त और सीर को आप कम नहीं कर रहे हैं। कहां आप ऐसा कर रहे हैं?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--इस कानून में इसके मुताल्लिक लिखा हुआ है कि पंचायतों के सुपुर्द कर दी जावें और वे वक्तन-फवक्तन जरूरत के मुताबिक उनका बटवारा करती रहें।

श्री राजाराम शास्त्री--मैं चाहता हूं कि आप इस बात को बतावें कि खुदकाश्त और सीर, जहां ज्यादा है वहां आपने उसको कम करने का क्या तरीका रखा है?

माननीय माल सचिव--जब मैं खड़ा हूंगा तब बतला दिया जावेगा।

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--जनाबवाला, मैंने जो अर्ज किया वह यह है और मैं उस पोजीशन को फिर स्टेट करता हूं इसलिये कि उसकी निस्बत कोई गलत-फहमी न रहे, जितनी रूरल एरिया की जमीन है उसमें से जो काश्त की जमीन है उसके लिये तो जो कुछ है इस कानून के अन्दर लिखा हुआ है। अब वह जमीन जो और पड़ी हुई है वह भी जमींदार से निकल कर काश्तकार कम्यूनिटी के पास पहुंचेगी। वह एक काश्तकार के पास नहीं पहुंचेगी बल्कि वह काश्तकार कम्यूनिटी के पास पहुंच जायगी क्योंकि उसकी जुमला कार्यवाही उस गांव के पंचायत के हाथ में हो जायगी। इससे ज्यादा किसी और कानून में और क्या लिखा जा सकता है? आज क्या कानून में यह लिखा जाता कि नत्थू को फलां जमींदार से जमीन लेकर दी जाये या बलदेव सिंह को फलां जमींदार से जमीन लेकर दी गई। क्या यह कानून में लिखा जाता है? कानून ने इसका ढंग मुकर्रर कर दिया है। उसको मौका दे दिया गया है। उसको अपार-च्युनिटी दे दी गई है। उसके लिये एजेंसी कायम कर दी गई है लिहाजा इस प्वाइंट

[माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव]

[illegible] जोकि मेरे दोस्त अपनी तकरीर में [illegible] राजाराम जी ने जो बात कही थी उसके [illegible] यह बात [illegible] उसके दिमाग में यह बात [illegible] नहीं है।

एक बात और है जिसके मुताल्लिक मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। [illegible] जमींदारी की मंसूखी [illegible] का फायदा अभी मुल्क के लिये इतना आम तौर से समझ लिया गया है और सोशलिस्ट पार्टी भी इससे इन्कार नहीं करती है और कहती है कि जमींदारी मंसूख होनी चाहिये इसमें कुछ नहीं है लेकिन साथ ही यह भी चाहती है कि अभी न हो। (एक आवाज—कभी न हो।) मेरे दोस्त इसके माहिर हैं। वह मुझ से ज्यादा जानते हैं लेकिन जितना मैं जानता हूं कहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी का प्रोपेगेन्डा यह है कि वह जमींदारी की मंसूखी तो चाहती है लेकिन इस वक्त नहीं। और जो मुआविजा जमींदारों को दिया जाये उसके मुताल्लिक उनको एतराज है। हमारे दोस्त रोशन जमा खां साहब ने जब अपनी पिछली तकरीर में इसके मुताल्लिक कहा था तो उस वक्त भी मैंने अर्ज कर दिया। आज हमारे दोस्त ने इसको उलट करके दूसरी शक्ल में पेश किया है, जिसका मतलब यह है कि मुआविजा तो दो लेकिन करो क्या? टैक्स लगाओ। वह अल्फाज जिन पर कहा कि टैक्स लगाओ वह किन पर लगेगा। यह तो उन्होंने नहीं कहा लेकिन मैं समझता हूं कि टैक्स जो लगेगा वह काश्तकार के अलावा किसी और आदमी पर लगेगा।

इसके मुताल्लिक मैं दो छोटी सी बातें अर्ज करना चाहता हूं। एक तो यह कि मैं अपने दोस्त को वार्निंग देता हूं कि अगर कभी भी अब नहीं १०,१५,५० वर्ष में हुकूमत करने का इरादा है तो ऐसी गलत बात यह कभी अपनी जबान से न निकालें जो दुनिया के मुसल्लमा उसूल के खिलाफ हो। (एक आवाज—जिनको कभी उम्मीद न हो) यह नहीं हो सकता है। किसी सोसाइटी या किसी मुल्क को लो या किसी भी नेशन को ले लो लेकिन कहीं भी आपको मिसाल नहीं पायेंगे। एक काम के करने के वास्ते जिसमें फायदा इब्राहीम का हो या इब्राहीम की क्लास का हो जिससे वह ताल्लुक रखता हो तो उसका बोझा किसी दूसरे पर डाल दिया जाय। टैक्सेशन के प्रिंसिपल के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ यह चीज है। इस ऐवान के बाहर अगर यह कहा जाय कि किसी और पर टैक्स लगा दो तो सुनने वाले जो हैं वह यह समझेंगे कि भाई इन आदमियों को वोट न देना चाहिये, खुदा जाने कल क्या करेंगे। नादान दोस्त और दाना दुश्मन इसका हमें मुकाबिला करना पड़ेगा। तो यह बात दिल में लाना मुनासिब नहीं है।

कहा जाता है कि काश्तकार के पास नहीं है। किसने काश्तकार को मजबूर किया कि तुम दो। सरकार ने तो लिया नहीं। सरकार ने खुला हुआ कानून बनाया है कि यह चीज तुम्हारे फायदे के लिये रखी जाती है अगर इसका फायदा हासिल करना चाहते हो तो अपनी खुशी से, बगैर किसी जब्र के तुम्हारे लिये यह है। मेरे दोस्त जो यह दलील देते हैं उनकी यह तकरीर तभी मौजूं होती अब सरकार ने काश्तकारों के ऊपर जमींदारी को मंसूख करने के लिये कोई टैक्स लगाया होता। किसने कहा कि देना होगा। किसी ने नहीं कहा। लाखों में अगर कोई आदमी ऐसा हो जिसका दिल यह चाहे कि जो चीज मुझे इस कीमत में दी जा रही है वह मुनासिब है, उसे ले लिया जाय। लेकिन उसके साथ यह कहना कि जबरदस्ती कर रहे हो, एक बात

जिसके अन्दर हैं नहीं थ्योरी के हिसाब से या प्रैक्टिकल के हिसाब से और दुनिया की फिजा को मुकद्दर करने के लिये मिसालें देना मेरे नजदीक कोई फेयर प्ले नहीं है। कोई माकूलियत नहीं है। .... से तो यह कहा है कि देना है तो दे और नहीं देना है तो न दे। मंसूखी का कानून तो बन रहा है। मुझे हुजूर, ज्यादा तकरीर नहीं करना है। मेरे दोस्त ने एक फिकरा कहा, मुमकिन है कि मैंने गलत समझ लिया हो, कि यह कानून कुछ हम को आगे नहीं ले जायगा। आगे ले जाने के क्या माने मेरे दोस्त की निगाह में हैं? किसी की निगाह में पीछे हटना भी आगे ले जाने के मतलब रखते हों। दरअसल वह तो हो पीछे जाना लेकिन वह उसको आगे जाना बतलायेंगे। मैं यह समझा नहीं कि मेरे दोस्त का आगे ले जाने से क्या मतलब है? लेकिन अगर आगे ले जाना यह मानी रखता हो, वह यह समझते हों कि आगे ले जाने से यह मुल्क आइंदा अपनी सोसाइटी की तरक्की में एक बहुत आला और अच्छे दर्जे का मुल्क हो तो मैं तरदीद के खौफ के बगैर पूरे यकीन के साथ इस ऐवान में अर्ज करता हूं कि इस वक्त तक दुनिया की तवारीख में किसी मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के वास्ते इतना सच्चा कदम नहीं उठाया गया है जितना कि यह सरकार उठा रही है।

*माननीय प्रधान सचिव के सभा मंत्री (श्री चरण सिंह)—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब! इस सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर बहस करते हुये आज ६ दिन हो गये। बदकिस्मती से मैं श्री रोशन जमां खां की तकरीर सुनने से वंचित रह गया और खुशकिस्मती यह हुई कि शास्त्री जी के भाषण का बहुत बड़ा अंश सुन पाया हूँ। हो सकता है कि किसी बात का जवाब देने से रह जाय तो मेरा काम ठाकुर साहब पूरा कर देंगे। जो, हमारे दोस्त श्री राजाराम शास्त्री का तकरीर करने का ढंग है, वह मुझ पर नहीं आता, जो गर्मी, गुस्सा, गर्द व गुबार वह उठा सकते हैं, वह मैं नहीं उठा सकता। बहुत थोड़ी देर बोलने की कोशिश करूँगा, केवल एक घंटा बोलूंगा और केवल वही बातें इस ऐवान के सामने रखने की कोशिश करूँगा जो इस बिल से ताल्लुक रखती हैं।

आपने एक बात यह फरमायी कि इस बिल का एक उद्देश्य यह है कि जो आने वाला इन्क–लाब है उसको किसी न किसी प्रकार से रोका जाय, जिस क्रान्ति का आप स्वप्न देखते हैं, जिसको आप क्रान्ति समझते हैं उसको यह बिल रोकेगा। यह अपका चार्ज और इल्जाम इस सरकार के ऊपर है। देखना यह है कि आपका यह इल्जाम कहां तक सही है। इसका जवाब उसमें आ जायगा जब कि मैं यह अर्ज करूँगा कि जमींदारी हम क्यों खत्म कर रहे हैं, उसके खत्म करने के क्या उद्देश्य हैं और वह सब उद्देश्य इस बिल में आया पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। जमींदारी को खत्म करने के जहां बहुत से कारण हैं उनमें तीन कारण प्रधान हैं, जिनकी बाबत मैं अर्ज करूँगा। पहला यह है कि केवल पोलिटिकल इंडिपेंडेंस ही हो और हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार मिल जाय, इसी से पूर्ण रूप से कोई मनुष्य सुखी और स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता। इसलिये यह जरूरी है कि हर मनुष्य अपने रोजगार में भी स्वतन्त्र हो और जब तक जमींदार और काश्तकार का रिश्ता रहता है तब तक किसान अपने रोजगार में भी, खेती करने के काम में भी पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं रहता। इसलिये हम जमींदारी को खत्म कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि जमींदार निठल्ले और निकम्मे बने हैं। करने वाले की कमाई में से कुछ हिस्सा बटा लते हैं। खुद बिना कमाये खाते हैं, और रुपये का दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग जो काम करते हैं उनकी कमाई से हिस्सा बटा लिया जाय, उनकी कमाई का अंश ले लिया जाय, और दूसरे लोगों को बिना कमाये मिल जाय, वे कमाने वालों की कमाई से हिस्सा बटा लें यह इंसाफ पर आधारित नहीं है। यह महात्मा गांधी ने बताया। इसलिये

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

श्री चरण सिंह]

जमींदारी को खत्म किया जा रहा है। दूसरी बात जो मेरे लायक दोस्त ने फरमायी वह मैं तस्लीम करता हूं और जो रिपोर्ट में है वह भी कि जमीन कुदरत की देन है। जमीन को रखने का केवल उसको अधिकार है जो मेहनत करता हो। आपने इसे इस प्रकार रखा कि चूंकि कुदरत ने जमीन पैदा की है, इसलिये सारे समाज को उसका मालिक होना चाहिये। मैं उसको दूसरे तरीके से रख रहा हूं कि चूंकि जमीन कुदरत ने पैदा की है इसलिये उसी आदमी को रखने का अधिकार है जो उसका सदुपयोग करे और उसमें परिश्रम करके अपने लिये तथा अपने देशवासियों के लिये भोजन और दूसरी चीजें पैदा करे।

इन तीन कारणों से हम जमींदारी खत्म कर रहे हैं और इन्हीं तीन बातों से निकल आता है कि जमींदार किसको कहते हैं। जमींदार के यह माने नहीं हैं कि जो शख्स जमीन का मालिक हो। आप गालिबन यही समझे हैं। जमींदार के माने यह हैं कि जो शख्स दूसरे पर हावी रहता हो पोलिटिकल उसूल के मुताबिक। दूसरे यह कि दूसरे की कमाई में हिस्सा बटा लेता हो। और तीसरे यह कि उसका उससे अधिक और जायद जमीन पर अधिकार हो जिस पर वह स्वयं परिश्रम नहीं करता है। इन्हीं तीन बातों को मद्दे नजर रखकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसम्बर सन् १९४३ ई० में जमींदारी को खत्म करने का निर्णय किया और जैसा कि आगे चलकर इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल किया गया, और जिसकी बिना पर अगस्त सन् १९४६ ई० में इस सरकार ने प्रस्ताव पास किया। उसकी सफाई यह है कि किसान का सीधा संबंध राज्य से हो, और बीच में, मध्यवर्ती जो हैं, बिचौलिये जो हैं, उनको निकाल दिया जाय। तो जमींदार का मतलब यह नहीं है कि जो जमीन का मालिक है बल्कि वह शख्स कि जो बैठा रहता है, जो दूसरे के सहारे रहता है, दूसरों की कमाई खाता है और जिसका नाम उससे ज्यादा खेत पर दर्ज है जिसमें वह वाकई खेती करता है जिस पर उसका कोई हक नहीं है तो देखना यह है कि हमारा जो बिल है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करता है या नहीं। इस मसविदे के अन्दर हर उस शख्स को ख्वाह उसकी कुछ भी मौजूदा हैसियत क्यों न हो, चाहे काश्तकार हो या जमींदार ही हो या शिकमी हो, जितनी जमीन में वह हल चलाता है वह जमीन उसके पास रहेगी वह उससे कभी बेदखल हो नहीं सकता। जो जितनी जमीन में मेहनत करता है वह उससे अलग नहीं किया जा सकता। जो आज जमींदार कहलाते हैं लेकिन जितनी जमीन में आज वह मेहनत करता है उसका उसके पास रहने का कानूनन हक है और दुनिया उसूलों के मातहत भी लेइलाज वह नहीं, शोषक नहीं है वह उस कमाई का शोषण नहीं करता इसलिये उतनी जमीन उसके पास रहने दे रहे हैं जितनी जमीन कि उसके पास है जिसका वह शोषण नहीं करता बल्कि जिस पर वह मेहनत करता है और हम इसके लिये किसी तरह से भी तैयार नहीं हैं कि जमीन उससे छीन लें। इसलिये जहां तक उस जमीन का ताल्लुक है जो कि चाहे ५० एकड़ से ज्यादा ही क्यों न हो उसमें और काश्तकारों में हम कोई फर्क नहीं करते। आपने अभी हाफिज साहब की स्पीच के दौरान में एक इक्सप्लेनेशन के सिलसिले में कहा था कि अगर ५० एकड़ से ज्यादा जमींदार के पास है तो ले लेना चाहिये और अगर ५० एकड़ से ज्यादा काश्तकार के पास है तो उससे नहीं लेना चाहिये। यह कोई उसूल नहीं है। यह तो कोई एक्सप्लायटेशन को, शोषण को खत्म करने का जो उद्देश्य है उसका तो यह अर्थ नहीं हो सकता कि आप जमींदारों से ज्यादा जमीन ले लेवें और किसान से न लेवें। हां, अगर आप यह कहते कि ५० एकड़ से ज्यादा चाहे काश्तकारों के पास भी हो तो भी ले लेना चाहिये तो समझ में आ सकता था। लेकिन आप तो यह कहते हैं कि जमींदारों के पास अगर ५० एकड़ से ज्यादा हो तो ले ली जाय और अगर काश्तकारों के पास हो तो न लेवें। ५० एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास है ख्वाह जमींदार हो किसान हो ख्वाह उसकी कुछ ही हैसियत क्यों न हो हमने हर उस आदमी के पास उतनी जमीन छोड़ी है जितनी पर वह खेती करता है हल चलाता है ख्वाह उसकी हैसियत कुछ ही क्यों न हो। अब इसके अलावा हमने

यह भी लिहाज नहीं किया कि इन्दराज की नवइयत क्या है, जमींदार है लेकिन सीर की जमीन दूसरों को उठा रक्खी है। बावजूद इस बात के भी हमने इसकी परवाह नहीं की। हमने सीर के काश्तकार को जिसको आज तक कभी कोई एश्योरेंस नहीं था कि हक मिल जाय उसको भी हक दिया। नवइयत क्या है, क्या दर्ज है इसकी भी इसमें परवाह नहीं है। इसके अलावा यह भी नहीं है कि जिन ३५ लाख का जिक्र आपने किया कि साहब जबरदस्ती जिनके नाम कागजों में दर्ज हैं उन्होंने इतना जुल्म किया है कि जमीनें छीन लीं। बेशक जुल्म हुआ है उसको हम तसलीम करते हैं इसमें हम आपसे पीछे नहीं हैं। फिर भी ऐसे ३५ लाख आदमी नहीं हैं फिर भी कई लाख आदमी ऐसे हैं जो कि जमीन में बहैसियत बगैर तसफिया लगान के दर्ज हैं। मैं तसलीम करता हूँ, गवर्नमेंट इस बात को स्वीकार करती है लिहाजा गवर्नमेंट ने अपने उस नारे के मातहत जिसको सन् १९३१ से यहां की कांग्रेस पार्टी ने यू० पी० में उठाया और जिसे सन् १९४६ ई० में अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने स्वीकार किया गवर्नमेंट ने यह एलान किया कि किसान उसको कहेंगे जो कि खेत में मेहनत करता हो, उसमें हल चलाता हो, तो हमने उस नारे के मातहत जमीनें देने का विचार रखा है। उस आदमी को भी जो कि काश्तकार दर्ज नहीं है लेकिन उस जमीन में ३० जून १९४९ ई० से पहिले बिला तसफिया लगान भी दर्ज है। मैं बिला खौफ व तरदीद के कहना चाहता हूँ कि दुनिया में किसी भी पोलिटिकल पार्टी (राजनीतिक संस्था) ने अपने उसूलों को इस ईमानदारी से जब कि वह बरसरे इक्तदार हुई कभी किसी क़ानून में नहीं निभाया जिस तरह से कि इस यू० पी० की कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट में आने के बाद निभाया।

(इस समय ३ बजकर ४८ मिनट पर सभापतियों की सूची के सदस्य श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य, सभापति के आसन पर आसीन हुये।)

मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ अगर किसी को मालूम हो तो अगर तक़रीर करने का मौका मिले तो बजरिये तक़रीर के या अखबारों में तहरीर देकर, दुनिया में कभी किसी मुल्क की गवर्नमेंट ने, किसी मुल्क के इतिहास से यह मसला निकाल कर बता दें कि जिस तरह से अन्त तक जानेवाला, जिस तरह से एक उसूल से मबनी पहिले पन्ने से आखिरी पन्ने तक, पहिली दफा से आखिरी दफा तक हमारा बिल है, उस तरह का कभी किसी मुल्क की किसी गवर्नमेंट ने बनाया है और इसी तरह से एक कलम जमींदारी खत्म की हो। क्या माने हैं इंकलाब के? आप अक्लमंद हैं, इंकलाब होगा, रिवोल्यूशन होगा, इसलिये उसे रोकना है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन्कलाब करेगा कौन? रिवोल्यूशन करेगा कौन? जहां तक किसान का ताल्लुक है, न तो किसी किसान को हमारे बिल से शिकायत है और न हो सकती है। चाहे बहैसियत मालिक दखीलकार काश्तकार, मौरूसीदार काश्तकार, साकितुलमिल्कियत काश्तकार, दवामी पट्टे वाला काश्तकार, इस्तमरारी वाला काश्तकार हो या रिआयती लगान वाला काश्तकार या माफीदार हो, यहां तक कि जो शिकमी है, उसको भी; इससे बढ़कर जिन लोगों का नाम ठेकेदारी में दर्ज है, जो सीर की जमीन उनके पास है वह तो वापिस होगी, लेकिन बिला सीर की जमीन, अगर दौरान ठेकेदारी में उन्होंने काश्त की है तो वह भी उनके पास रहेगी। इसी तरह से मुर्तहीन के पास भी। मैं यह भी अर्ज कर दूं कि वह जमीन जो बिला तसफिया लगान के दर्ज है वह भी उनको मिलेगी। इस हद तक हर आदमी को जमीन दी जा चुकी है तो मैं समझने से कासिर हूँ, मेरी अक्ल के बाहर है कि आया वह कौन सा किसान रह गया है जो इन्कलाब करेगा जिसकी वजह से हम डायर कांसीक्वेंस की भविष्यवाणी करें, डरवायें, धमकायें कि यह होगा वह होगा। तो यह इसलिये जो आप कहते हैं कि रिवोल्यूशन को रोकने के लिये हम यह कह रहे हैं, यह बात बिल्कुल गलत है, प्रोपेगेंडा है, बेकार की बात है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि यह रिवोल्यूशनरी, क्रान्तिकारी योजना है जो कि अपना शानी दुनिया के इतिहास में नहीं रखती। हर शख्स के पास वह जमीन रहने दी जा रही है

[श्री चरण सिंह]

जो वाकई उसके हक के नीचे है, बिला लिहाज हैसियत के, बिला लिहाज रकबे के और बिला लिहाज नवइयत के। तो ऐसी जितनी जमीनें हैं वे उनके पास रहेंगी। इसके अलावा जितनी गैर मजरूआ जमीन है, रास्ते हैं, तालाब हैं, खलिहान, आबादी जजर, बजर, दरख्त, जंगलात, कब्रिस्तान, श्मशान, चरागाहें, पनघट, कुएं हाट, बाजार, मेला लगने के स्थान और अगर कोई दरिया हो तो उसके घाट वगैरह, मेरे कहने का मतलब कि जितनी भी जायदाद, सम्पत्ति, गांव के अन्दर सब के इस्तेमाल की है, वह सब की मिल्कियत में ट्रांसफर की जा रही है। जो किसी खास शख्स के इस्तेमाल की जमीन है वह उसके पास रहेगी, चाहे उसकी कोई भी हैसियत क्यों न हो लेकिन जो गांव के इस्तेमाल की है वह हम सबको दे रहे हैं। मतलब यह है कि इंडिविजुअल की चीज इंडिविजुअल की, व्यक्ति की चीज व्यक्ति की, और समाज की चीज हम समाज को दे रहे हैं। आपने फरमाया कि लैंडलेस लेबरर को कुछ नहीं दे रहे हैं, जिन लोगों के पास जमीन नहीं, उनको हम कुछ नहीं दे रहे हैं। आया हम दे सकते थे या नहीं दे सकते थे इसका मैं बाद में जिक्र करूंगा। इस वक्त मैं यह जिक्र करना चाहता हूं कि लैंडलेस लेबरर को उसका मकान दे रहे हैं बिला कोई उसका मुआविजा दिये हुये आज जितने भी मजदूर गांवों के अन्दर हैं वे लोग अपने मकान के मालिक हैं चाहे उनकी कच्ची ही झोपड़ी हो क्यों न हो और छोटी ही झोपड़ी क्यों न हो वे अपने मकान के बाकायदा मालिक हैं ठीक उसी तरह जितना कि जमींदार अपने महल का। जहां तक गैर मजरूआ भूमि का ताल्लुक है मजदूर, गैर-मजदूर, मालिक-गैर, मालिक, गांव के जितने भी बाशिंदे हैं वे सब हिस्सेदार होंगे। यह दो चीजें ऐसी होंगी जिनका कोई मुआविजा नहीं लिया जायगा। यह तो हुई इसकी स्कीम। अब आपका कहना यह है कि सूबे की गवर्नमेंट पंचायतों को यह अख्तियार दे दे कि यह मुश्तर्का खेती कराये। हमारा उद्देश्य इस कानून से यह था कि यह जो शोषण हो रहा है वह आगे न होने पाये और इसलिये हम इस जमींदारी को खत्म कर रहे हैं और इसकी दुनिया में दो ही तरकीबें हैं, तीसरी कोई तरकीब नहीं है। वह यह कि आया यहां की जमीन पर कोआपरेटिव फार्मिंग कराई जाय या व्यक्तिगत फार्मिंग। यदि व्यक्तिगत फार्मिंग को हम ठीक समझते हैं तो उसूल यही मानना पड़ेगा कि जिसके पास जमीन हो वही खेती करे और वह दूसरे को लगान पर उस जमीन को न उठाये। आपने कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में फरमाया कि इस बिल में उसके मुताल्लिक कुछ भी नहीं है। आपको उस समय ध्यान भी दिलाया था लेकिन आपने अनसुनी कर दी। इस बिल का आखिरी अध्याय अगर कोआपरेटिव फार्मिंग का अध्याय नहीं है तो क्या है? जहां तक कोआपरेटिव फार्मिंग की बात है दुनिया भर के विद्वान इस बात को मानते हैं, दुनिया भर के आंकड़े इस बात को साबित करते हैं लेकिन आपने तो फरमाया कि आंकड़ों से आपको कुछ लेना नहीं है आपको तो केवल आयडियोलाजी बतानी है। आयडियोलाजी के बारे में तो मैं केवल यही कहूंगा कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वह यह भी देखेंगे कि वाकई में हमारे समाज की हालत और वास्तविकता को देखते हुये कौन सी आयडियोलाजी यहां चल सकती है। आप तो यह नहीं देखेंगे कि यहां की स्थिति और हालत क्या है। आप तो जबरदस्ती लोगों के गले उतारना चाहते हैं चाहे वह आयडियोलाजी किसी भूमि से पैदा हुई हो। हम परदेश की आयडियोलोजी नहीं चाहते। हम तो वही आयडियोलाजी चाहते हैं कि जो हमारे देश की परिस्थिति और हित का तकाजा होगा। यहां तो तिरंगे झंडे की आयडियोलाजी ही चल सकेगी। महात्मा गांधी की आयडियोलाजी चल सकेगी। हम यहां दूसरे की आयडि-योलाजी को लाना नहीं चाहते बिना इस बात के देखे कि चाहे इस देश का हित उससे होता है या न होता हो। मैं आयडियोलाजी के मुताल्लिक यह अर्ज कर रहा था कि दुनिया भर के आंकड़ों से यह पता लगता है कि किसी खास रकबे के बाद यूनीफार्म लैंड में कम होनी शुरू हो जाती है। बहुत से आंकड़ों के एक्सपर्ट कहते हैं कि २५, २७ या ३० के बाद कम होनी शुरू हो जाती है। किसी-किसी की राय में वह २० ही है। कोआपरेटिव फार्मिंग को, मेरी समझ में नहीं आता लोगों ने क्या जादू समझ रखा है और यह कि व्यक्तिगत फार्मिंग में बहुत डिफी-

कल्टी होती है। मेरी समझ मे जहां तक आया वह इसलिये समझ रखा है कि जितने में एक हजार चर्खे सूत पैदा करते है यदि उतने रुपये से एक छोटा मा कारखाना खोल दिया जाय तो ज्यादा लाभ हो सकेगा और ज्यादा सूत कत सकेगा। वे समझते है जो बात उद्योग-धंधों मे लागू हो सकती है वही जमीन मे भी लागू हो मकेगी और ज्यादा पैदावार वे कोआपरेटिव फार्मिग के जरिये से कर सकेंगे। वे इस बात को नही समझते है कि वह तो मेकैनिकल प्रोसेस है और ये वायलाजीकल प्रोसेस। आप किसी प्रकार भी खेती की आय को नहीं बढा सकते। मै इस विषय से माननीय स्पीकर और दोस्तों का अधिक समय नहीं लेना चाहता केवल इतना कह देना चहना हूं कि यह जो लोगों का कहना है कि जितना बडा फार्म होगा और कोआपरेटिव फार्म होगा उतनी ही ज्यादा पैदावार होगी, मै इस बात को नहीं मानता हूं। जितने देशों मे बड़े-बड़े फार्म है उनके मुकाबिले मे उन देशों मे ज्यादा पैदावार होती है जहां पर छोटे-छोटे होल्डिंग्स है, यह आंकड़े बतलाते है ? यहां तक कि चीन जैसे देश मे जहां हमारे यहां से छोटी-छोटी होल्डिंगस है, वहां रूस, अमेरीका और आस्ट्रेलिया के मुकाबिले मे फी यूनिट आफ लंड ज्यादा पैदावार होती है लेकिन मै भी इस बहस को छोड़ देता हूं। और मान लेता हूं कि मेरी राय शायद गलत हो। फिर सवाल यह कि अच्छा साहब कोआपरेटिव फार्मिग होना चाहिये। मै उसके अवगुण पर नहीं जाना चाहता हूं, आर्गूमेंट की खातिर मान लेता हूं कि बहुत अच्छी चीज है और होना चाहिये लेकिन क्या जबरदस्ती वह लोगों के ऊपर लादा जाय। अगर आप ऐसा करना चाहते है तो वह रूस का ही रास्ता हो मकता है, जो कि न हमको स्वीकार है और न आपको स्वीकार है। हमने इसमे दो किस्म के वालन्ट्री कोआपरेटिव फार्मिग के तरीके रक्खे है। हमने इसमे यह रक्खा है कि जिस जगह कोआपरेटिव फार्मिग छोटी होल्डिंग वाले दो-तिहाई किसान तैयार हो जायेंगे तो हम एक तिहाई किसानों को समझा-बुझा करके उसके लिये तैयार करेंगे। इस तरह हमको खून-खच्चर का नज्जारा नहीं देखना पड़ेगा। हमने यह भी किया है कि जहां कोआपरेटिव फार्मिग हो जायेंगे वहां सरकारी प्रोत्साहन और मदद भी हम देंगे लेकिन किसानों को हम मजबूर नहीं करना चाहते हैं। जहां तक कोआपरेटिव फार्मिग की बात है वह हमने इसमे रक्खा है। दूसरी बात यह है कि आगे एक्सप्लायटेशन न हो, उसके लिये भी हमने प्राविजन कर दिया है। इसके अलावा एक बात यह कही गयी कि आप इस कानून के जरिये रिवोल्यूशन को रोक रहे है। रिव्योल्यूशन तो आपके ही जरिये आने वाला है और कोई तो रिवोल्यूशन कर नहीं सकता है, आप ही ने रिवोल्यूशन का ठेका ले रक्खा है। दूसरी बात यह कही गयी कि यह भूमिधर जो बन रहे हैं यह जमींदार बन रहे हैं। अब मैं क्या बतलाऊं, मैं बधाई ही दे सकता हूँ आपको इस दलील पर। आपने देखा कि जमींदार के माने है जो जमींदारी धारण करता हो। भूमिधर के माने है जो भूमि धारण करता हो, लिहाजा भूमिधर जमींदार हो गए, लेकिन हमारा भूमिधर शोषक नहीं होगा, वह जमींदार नहीं होगा जैसे कि जमींदार हम खत्म कर रहे ह जिनका आप उलहना देते हैं। आपकी दलील है कि साहब उन्हें हकूक इंतकाल दे दिया गया ह, हस्तांतरण की ताकत दे दी गयी है, इसलिये जमीन रिच आदमियों के पास चली जायेगी। उसकी जमीन नीलाम हो सकती है, बय हो सकती है लेकिन वह ही खरीदेगा जो खेती करने के लिए तैयार हो। मान लीजिये आपकी जमीन नीलाम होती है, मै खरीदता हूँ और आपके हाथ से जमीन निकल जाती है तो इस से समाज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह कहना कि भूमिधर को केवल राइट आफ ट्रांस्फर दे देने से कैपिटिलिज्म [illegible]ा, एक्सप्लायटेशन ह[illegible] जमींदारी [illegible] हेगी [illegible] है, आपकी जबान है, आपकी कलम है आप जो चाहें कहिये लेकिन कोई ईमानदार अपने सीने पर हाथ रख करके यह नहीं कह सकता है कि सब लेटिंग का जो प्राविजन हमने रक्खा है उसके रहते हुये किसी तरह का एक्सप्लायटेशन, कैपिटिलिज्म या लैंड [illegible]ार्डिज्म फिर देश में पैदा हो सकता है। [illegible] फिर यह कहा कि चन्द लोगों के पास ज्यादा जमीन है और ज्यादा लोगों के पास कम जमीन ह। यह ठीक है कि आयडियोलाजी की बात है और

श्री चरण सिंह

यह उनके लिये ठीक हो सकती है जिनको केवल आर्थिक विषमता को ही मिटाना है लेकिन क्या आप आंकड़े दे सकते हैं। आजकल या साल भर के अन्दर कि कितने वह कम आदमी हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है और सूबा के अन्दर कितनी जमीन है। लेकिन नहीं और आपका कोई कसूर भी नहीं है क्यों कि आपने इसको ख्याल भी कि उसे देखेंगे ही नहीं। सब यह कहते हैं कि जमीन जो है वह अमीर आदमियों के हाथ में चली जायगी और वे मशीनों से खेती करेंगे। तो आपने हमने तसलीम भी किया था एक बार कि हमने ऐसा प्रतिबन्ध रखा है कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास आगे को नहीं दी जायगी। जब ३० एकड़ से ज्यादा किसी को नहीं दी जायगी तो जमीन सस्ती नहीं नहीं हो सकती। और किसी के हाथ में ज्यादा इकट्ठी भी नहीं हो सकती है तो फिर आप कैपिटलिज्म का सवाल ही कहां से आता है। ३० एकड़ तक जमीन एक फैमिली अपने निजाम में ही हासिल कर सकेगी। हमने इसकी भी इजाजत दे दी है कि अगर उसको मजदूर रखने की जरूरत पड़े तो रख सकता है खास करके हारवेस्टिंग सीजन के मौके पर तो मजदूर रखने की जरूरत पड़ती ही है और यह रख सकेगा। लेकिन ३० एकड़ तक कि हमने एक लिमिट रखी है जिसमें बिना मजदूर की सहायता के भी अगर किसी किसान को दो चार घंटे अवकाश है तो उनकी मदद से वह खेती कर सकता है। चाहे उसको मजदूर मिले या न मिले। लेकिन जो बड़े फार्म्स हैं वहां पर तो ३० एकड़ की लिमिट रखी नहीं जा सकती और मशीनों के जरिये खेती होने से वहां पर कैपिटलिज्म नहीं पैदा होने वाला है। लेकिन आपको कहना मकसूद था और आप ने कह डाला। जहां तक कैपिटलिज्म को प्रोत्साहन देने की बात है वह तो इस बिल के शब्द और प्रोविजन में नहीं है। हां आप के इमैजिनेशन में वह चीज होगी जो आपने कही। आप रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कहते हैं कि जमीन तकसीम कर दी जाय। ठीक है, तकसीम कर दिया जाय तो ठीक तकसीम तो वही होगा कि सब को बराबर-बराबर जमीन मिले और यही अच्छा भी होगा। क्योंकि एक के पास १० एकड़ जमीन होगी और एक के पास १५ एकड़ जमीन रह गई तो फिर वहां पर भी कैपिटलिज्म की बात आ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन के माने यह है कि सब जमीनों को नाप कर बराबर-बराबर हैसियत की जमीन हर एक के पास कर दी जाय। जहां तक रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात है आपने मास्को यूरोप और चीन के बारे में पढ़ लिया होगा। अगर आप का मतलब यह है कि सभी किसानों की जमीन को शामिल करके इकट्ठा करके बराबर-बराबर गज और फीते से नाप दिया जाय और इसका माने री डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मैं समझता हूं कि आपका यह ख्याल गलत है। रिडिस्ट्रीब्यूशन के यह माने नहीं हैं और मैं समझता हूं कि आप माने लगाते भी नहीं हैं। आपके डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने फरमाया है कि हर एक किसान के पास साढ़े बारह एकड़ जमीन हो और १० एकड़ पुख्ता जमीन हो। एक बार उन्होंने ३० एकड़ जमीन के लिये कहा था और बाद में २० एकड़ तक आ गये। आज २० एकड़ के बाद साढ़े बारह एकड़ रह गया। मैं यह कहता हूं कि २० एकड़ न सही, साढ़े बारह एकड़ ही मान लें तो हर किसान के पास साढ़े बारह एकड़ जमीन होनी चाहिये मैं हर किसान लफ्ज कहता हूं। एक फैमिली दो-दो किसान तक रखते हैं। लेकिन आप किसान के माने परिवार लें तो यू० पी० के अन्दर कम से कम चाहे ज्यादा से ज्यादा ७५ लाख किसान परिवार हैं। अगर ७५ लाख फैमिली को साढ़े बारह एकड़ के हिसाब से जमीन दें तो ९ करोड़ एकड़ जमीन चाहिये जिसमें ४ करोड़ १३ लाख एकड़ जमीन कल्टीवेटेड है। और ६ करोड़ एकड़ जमीन जिसमें पहाड़, जंगल, शहर और दरिया भी हैं। यू० पी० का रकबा ही ६ करोड़ एकड़ है। ४ करोड़ १३ लाख एकड़ जमीन हल के नीचे है जिसमें बागात भी शामिल हैं। तो मैं अपनी जाती हैसियत से यह जानना चाहता हूं कि हमें यह बता दिया जाय कि ९ करोड़ एकड़ जमीन और कहां से आ सकती है। आप हिमालय पहाड़ से या रूस से ही खींच कर इतनी जमीन मंगा दें तो हर किसान को साढ़े बारह एकड़ जमीन देने में हमें बड़ी खुशी होगी बल्कि उससे भी आगे बढ़ कर हम बीस-बीस एकड़ जमीन हर किसान को बांटने के लिये तैयार होंगे। लेकिन आप लावें कहां से पहिले तो? आप लावेंगे कहां से? आप तो किसानों को खुश करने के लिये

यह कहते हैं कि हर किसान को साढ़े बारह एकड़ जमीन कम से कम होनी चाहिये। उसके साथ-साथ शायद दो-दो गायें भी होनी चाहिये। पहिले तो दो ही गाय की बात थी लेकिन अब एक-एक होनी चाहिये।

तो मैं यह कहता हूं कि आपको हमसे विरोध है, ठीक है विरोध रहे हमको मुबारक है और हम इसको तसलीम करते हैं और जनतन्त्र राज्य की कामयाबी के लिये यह जरूरी है कि विरोधी पार्टी हो लेकिन वह विरोधी पार्टी किन उसूलों पर मबनी होनी चाहिये, उसका उसूल कोई तामीरी होना चाहिये और केवल अपोजिशन की खातिर किया जाय तो उससे डिमोक्रेसी पनप नहीं सकती। यकीन मानिये कि जिस चीज को आप बचाना चाहते हैं उसको बचा नहीं सकेंगे। आप जिन प्रिंसिपल्स को गलत समझते हैं, और हमारे लीडरों की नियत पर हमला करते हैं उससे इस देश की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचेगा। तो मैं जानना चाहूंगा आप कभी भी बतला दें कि यह साढ़े बारह एकड़ का हिसाब किस तरह से मुमकिन है। अगर यह हिसाब मुमकिन हो जाय तो हमारे माननीय पन्त जी पहिले आदमी होंगे और इधर के सब बैठने वाले दोस्त सब से पहिले अपने-अपने अमेंडमेंट लेकर दौड़ेंगे कि साहब इसके अन्दर यह अमेंडमेंट कर दिया जाय। मैं गवर्नमेंट की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि गवर्नमेंट हर एक किसान को साढ़े बारह एकड़ देने के लिये तैयार हो जायगी। यह आपने जो रिडिस्ट्रीब्यूशन साढ़े बारह एकड़ का बतलाया यह नामुमकिन है। और इसके अन्दर एक बात और सोचने की है कि जितनी जमीन है उसको बराबर बांटने के लिये ७५ लाख लाट पूरे हमको चाहियें और उनके फिर टुकड़े करना पड़ेंगे। उनका बराबर-बराबर टुकड़ा करने के लिये ५० वर्ष की जरूरत होगी। तीन वर्ष तो एक जिले के बन्दोबस्त करने में लग जाते हैं और सिर्फ इसमें जमीन की किस्म दोहराई जाती है उसके आधार पर मालगुजारी घटाई बढ़ाई जाती है। जब हम जमीन के बराबर-बराबर टुकड़े करने बैठेंगे तो २० गुणा तो स्टाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ५० वर्ष इसके रिडिस्ट्रीब्यूशन में लग जायेंगे उस विभाजन में जिसका बड़ा भारी चर्चा है। आपका कहना यह भी है कि साहब जमींदारों की जमीन बांट दी होती। फिर मैं जानना चाहूंगा कि जमींदारों के पास कितनी जमीन है। आप कहते हैं कि जिन जमींदारों के पास ५० एकड़ से ज्यादा जमीन है उनसे लेकर उन लोगों को बांट दी जाय जिनके पास कम जमीन है। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया इसमें कोई सेन्स नहीं है-इसका कोई अर्थ नहीं है। यह कोई दलील नहीं है कि जिन जमींदारों के पास ज्यादा जमीन है उनसे ले ली जाय और जिन काश्तकारों के पास कम जमीन है उनको वह बांट दी जाय। मैं शास्त्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने जमींदार हैं जिनके पास ५० एकड़ से ज्यादा जमीन है। ९ हजार जमींदार कुल ऐसे यू० पी० के अन्दर हैं जिनके पास ५० एकड़ से ज्यादा जमीन है। उनकी कुल जमीन ९ लाख एकड़ है। आप ५० एकड़ उनके पास छोड़ना चाहते हैं तो इस हिसाब से साढ़े चार लाख एकड़ उनके पास छोड़ दी जायगी। बाकी साढ़े चार लाख एकड़ उन लोगों में तकसीम करने के लिये रह जायगी जिनके पास आप कहते हैं कि जमीन नहीं है। और हमारे पास जो जमीन है वह ३ करोड़ ४१ लाख एकड़ है अर्थात् काश्तकारों के पास कुल जमीन जो हमारे सूबे में है वह ४ करोड़ १३ लाख एकड़ है। इसमें से ३ करोड़ ४१ लाख एकड़ तो वह जमीन है जो काश्तकारों के हलों के नीचे है और ७२लाख एकड़ ऐसी है जो जमींदारों की होल्डिंग (जोत) में है। तो इस रिडिस्ट्रीब्यूशन (पुर्नवितरण) के लिये जमींदारों से लेने का मतलब यह हुआ कि वह ४ लाख एकड़ जमीन ३ करोड़ ८५ लाख हो जायगी। तो इसमें कितना फायदा हुआ? सिर्फ डेढ़ फ़ीसदी फायदा हुआ। १.३ फ़ीसदी जमीन और लोगों को मिल गई। आपने दलील में साढ़े चार लाख को बांटने का सवाल किया था। आपने जमींदारी अबालिशन रिपोर्ट में नहीं देखा उसमें यह लिखा है कि :—

Against this we must reckon the fact that it would arouse a spirit of opposition among the substantial cultivators, landlords and tenants and would inflict great hardship upon the landlords, whose income will, in any case be reduced by our scheme for the abolition of zamindari.

उनको नुक़सान पहुंचाया जाय। इस रिडिस्ट्रीब्यूशन से रुपया और वक्त जाया होता है और न किसानों का ही कोई फायदा होता है और फ़ज़ूल की झंझट और परेशानी और वक्त लगता है और देर होती है।

अब आप का कहना यह भी है कि "नो स्माल होल्डिंग्ज" यानी छोटी २ होल्डिंग्ज (जोतें) नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ने छोटी होल्डिंग्ज का कोई इलाज नहीं बतलाया। मैं जानना चाहूंगा कि आप के पास इनका क्या इलाज है? मैं जानना चाहता हूं कि आपका ऐसा कहने से क्या मतलब है और आप ही अगर इधर होते तो क्या करते? आप करते यह रिडिस्ट्रीब्यूशन? और अगर करते तो बताइए कि किस तरह से आप आप करते? आप भी कहते हैं कि किसानों का लगान घटाना चाहिए और आप के सेठ दामोदर स्वरूप का भी भी यही नारा है कि लगान घटना चाहिए और किसान भूखों मर रहा है और वह दस गुना लगान देने के क़ाबिल नहीं है। किसानों का लगान घटाने की बात सन् ३१ से ३७ तक हम भी कहते थे कि जब गल्ले का भाव सस्ता हो गया था और एक इकोनामिक डिप्रेशन था और उस वक्त की स्थिति ही थी कि लगान घटाने की बात की जाती थी लेकिन अगर बिना लिहाज परिस्थिति के अगर कोई बात कही जाती है तो वह ग़लत हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जो बिला लिहाज परिस्थिति के हमेशा और तमाम रोज एक सी ही रहेंगी लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो चेंज होती रहती है और उनके साथ हमें अपनी पुरानी राय को दोहराना और बदलना पड़ता है लेकिन जो लोग यह समझते हैं कि काश्तकार जो लगान देता है वह ज्यादा है और उसे घटना चाहिए यह ग़लत है, नहीं घटना चाहिए, हरगिज नहीं। इस वक्त ऐसी कोई तजवीज नहीं है। कोई आदमी जो देहात के हालात से वाकिफ़ है यह नहीं कह सकता है कि काश्तकार का लगान इस वक्त ज्यादा है। लिहाजा लगान घटाने का सवाल उठता ही नहीं। न काश्तकार का ही यह मुतालिबा है कि लगान घटाया जाय, हां इस लगान के सिलसिले में प्रोपेगेन्डा जरूर होता है। यह कहा जाता है कि भूमिधर बना रहे हैं तो उनसे तिहाई लगान लेना चाहिए या मालगुजारी लेना चाहिए आज जब कि आम तौर पर चीप मनी (सस्ते रुपये) का जमाना है निस्बतन काश्तकार की हालत अच्छी है वैसी अच्छी हालत तो नहीं है जैसी हम देखना चाहते हैं और जैसी अच्छी हालत दूसरे देशों के काश्तकार की है। न वैसी ही है जैसी आज शहर के चन्द आदमियों की हालत है लेकिन

८२ लाख मालगुजारी देते हैं, जमींदार का प्राइवेट कल्टीवेटेड लैंड (व्यक्तिगत मजरूआ भूमि) जो काश्तकार के पास है १ करोड़ ९ लाख उसकी बाबत अबवाब हैं, यह ६ करोड़ ९१ लाख रुपया हुआ, जमींदार १ करोड़ ५ लाख कृषि आयकर देता है। यह सब मिलाकर ७ करोड़ ९६ लाख रुपया हुआ, एक पैसा काश्तकार से जो आज वह देता है हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं बल्कि यह मुमकिन है कि हम कम ले रहे हैं, यह भी कहा जाता है कि मालगुजारी केवल ली जाय और आप ग़रीब का नाम लेते हैं और लैंडलेस लेबरर का जिक्र करते हैं, लैन्डलेस लेबरर के मुताल्लिक थोड़ा सा अर्ज कर चुका था, एक बात और अर्ज करूंगा, यह कहा जाता है कि उनको भी जमीन दी जाय। सब के लिए जमीन देना तो मुमकिन नहीं है। आज जिनके पास जमीन है वह ही नाकाफ़ी है। अगर यह फ़र्ज कर लिया जाय कि इतनी जमीन होती जो उनको भी दे दी जाती तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सब को जमीन से बांध देना यह देश के हित में न था। जो मुल्क मुतमव्वल है जो मुल्क तरक्क़ीयाफ़ता है जो देश उन्नतिशील है वहां इन्डस्ट्री (उद्योग) पर एग्रीकल्चर (कृषि) से ज्यादा ध्यान दिया जाता है और वह देश इन्डस्ट्री को अपने यहां पनपाना चाहते हैं, दुनिया के तमाम देशों के अन्दर सब गवर्नमेंटों की यह कोशिश बराबर रही है कि इन्डस्ट्री बढ़े और खेती पेशा लोगों में कमी हो। लिहाजा जो उन्नतिशील देश हैं उनकी सरकारों की कोशिश का यह नतीजा हुआ है कि सन् १९३९ ई० में ब्रिटेन में खेती पेशा लोगों की तादाद घट-कर ६ फ़ीसदी रह गई थी।

[श्री चरण सिंह]

फ्रांस में ३५.५ आदमी लगे हुये हैं खेती के अन्दर, जर्मनी में २८.८ आदमी लगे हुये हैं, इटली में ३७.७ आदमी लगे हुए हैं, कनाडा में २८.७ आदमी लगे हुए हैं, अमेरिका में २२ फीसदी और हिन्दुस्तान में ६७.२। तो अगर आप इन राज-गद्दियों पर बैठे हुये होते जिनकी आपको बड़ी ईर्षा लगी हुई है तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इन ६७ फी सदी की आप तादाद घटायेंगे या बढ़ायेंगे। खेती करने के अलावा जितने भी और रोजगार, उनकी दुनिया के स्टेटिस्टिक्स (आंकड़े यह बतलाते), अर्थशास्त्रों की राय यह है कि गैर खेती करने वालों की आमदनी करने वालों से साढ़े चार गुना ज्यादा होती है। इसलिये सबकी कोशिश यह है कि खेती में सबसे कम आदमी लगें। नतीजा यह है कि दूसरे देशों में ज्यादातर लोग शहरों में आबाद हैं और गांवों में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि दूसरे गांवों में शहरों में आमदनी ज्यादा है। लेकिन उनको दूसरी जगहों से अन्न मंगाना पड़ता है, जैसे इंगलैंड, फ्रांस वगैरह। तो उनकी कोशिश यह है कि ज्यादा लोग खेती में न लगें। अब हमारी यहां कोशिश यह होनी चाहिये कि ज्यादा लोग उद्योग-धन्धों में लग जायं। जब अंग्रेज यहां नहीं आये थे तो ५३ फी सदी आदमी यहां खेती करते थे बाकी लोग दूसरे धन्धों में लगे हुये थे। पिछले ७५ वर्षों के अन्दर खेती करने वालों की तादाद घटती चली गयी और उद्योग-धंधे करने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। हमारे देश में गंगा उल्टी बही। हमारे देश में खेती करने वालों की तादाद बजाय ५३ फी सदी के ६७ फी सदी हो गई और दूसरे उद्योग-धंधों की तादाद घट गई। तो जो शख्स देश का हित चाहता है और केवल विरोध करने के लिये ही विरोध नहीं करता उसका मतलब और तकाजा यह होना चाहिये कि देश के अन्दर इन्डस्ट्रीज कायम करें और जो लोग आज जमीन के अन्दर फंसे हुये हैं वे लोग जब देश में इन्डस्ट्रीज कायम हो जायंगी तो जमीन छोड़ कर इन्डस्ट्रीज में लगेंगे। उसी के लिये हम कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिये बांध बनाये जा रहे हैं। उसी के लिये हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाये जा रहे हैं, क्योंकि बिना बिजली के न तो हम खेती करने वालों को पानी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ट्यूबवेल के लिये बिजली की जरूरत पड़ती है, और न हम अपने गांवों और शहरों में ही उद्योग-धंधे कायम कर सकते हैं। तो इसलिये आप चाहे कितनी ही गालियां दें और कहें कि अखबार यह बात बतलाते हैं, ऐसे अखबार जिनका कोई सर्कुलेशन नहीं है, जिनका केवल नोटिस के बल पर ही खर्च चलता है और जिनका काम केवल गाली देना है, तो यह अखबार चाहे कितना ही गाली दें, हम समझते हैं कि देश का हित काहे में है और अपनी आंखें बन्द किये हुये जो देश के हित के काम में हैं उनमें लगे हुये हैं। आप चाहे जितना कहें कि लैंडलेस लेबर लैंडलेस लेबर। मैं जानता हूं कि आपकी क्या कोशिश होगी और आपके जो भाई बन्द हैं, जो कम्यूनिस्ट कहलाते हैं और जिनको आप बड़ी आशा भरी आंखों से देख रहे हैं कि आसाम की घाटी से आयेंगे, उनकी भी यह कोशिश होगी कि लैंडलेस लेबर को भड़कायें। आप कहेंगे कि देखो तुमको जमीन नहीं दी। लेकिन लैंडलेस लेबर हो या कोई हो, हमें अपने देशवासियों की समझ-बूझ और अक्ल पर भरोसा है और वे इस बात से बिल्कुल सहमत हैं और जानते हैं कि जो रास्ता नेहरू, पटेल और पन्त जी बतलाते हैं वही रास्ता सही है और लाल झंडा, खून-खच्चर कराने वाला जो रास्ता है वह देश के लिये घातक सिद्ध होगा और वे आपका साथ देने वाले नहीं हैं। आप यहां एलान करके कंट्री साइड को यह बतला रहे हैं कि पंत जी तुमको जमीन दे सकते थे लेकिन नहीं दी। लिहाजा उठो और हमारे झंडे के नीचे आओ। लेकिन जैसा तजुर्बा आपको मजदूरों में हुआ वैसा ही तजुर्बा आपको देहात में भी होगा। यह रही लैंडलेस लेबर की बात।

अब सब टेनेंट की बात जो आप कहते हैं वह एक बात आपने निराली निकाली। यह स्कीम तो टेनेंट ऐट विल (स्वेच्छा से किसान) थी, जब चाहे बेदखल हो सकता था और बहुत से जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं और जो जमींदार कहलाते हैं उनकी भी जमीन सब टेनेंट्स पर है। जो कानून था वह यह था कि लायबुल टु इजेक्टमेंट

ए' एनी टाइम (बेदखल बिला किसी नोटिस और जब चाहे कर सकता था।) हमने इसको रोका और हम उसके वास्ते जमीन रहने देना चाहते हैं। लेकिन जो काश्तकार असली है या कि जमींदार है, केवल इस ख्याल से कि उनका कोई फायदा नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से यह मुतालबा है कि हमको कानून के मुताबिक जमीन को उठाने की इजाजत थी। वह जमीन हमारे हाथ से जा रही है। तो यह जमीन बेदखल होनी चाहिये लेकिन पांच साल तक हम उनको मौका दे रहे हैं। जो कुछ एक आध, दो चार रुपया बीघा उनकी जायद आमदनी होती थी, वह ५ साल तक कायम रहे, उसमें कोई शोषण नहीं हो लायेबिल टू इजेक्टमेंट (बेदखली योग्य) थी, और वह सब चीज खत्म हो गई। इसमें खिलाफ कानून कोई चीज नहीं है। केवल ५ साल तक पीक्यूनियरी एडवांटेज (आर्थिक लाभ) कुछ हद तक उनको रहेगा। अगर वह यह चीज इसके बजाय किश्त में लेना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं और उसको भूमिधर बना सकते हैं। अच्छा, तो यह तो रही आपकी बात।

अब सवाल है मुआविजे का। मुआविजे के लिये आप कहते हैं कि साहब, नैतिक दृष्टि से नहीं देना चाहिये, मॉरल कोई रीजन नहीं है कि यह दिया जाय। ठीक, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि क्योंकि कोई मॉरल राइट (नैतिक अधिकार) उनको नहीं था उस जमीन पर अधिकार रखने का जिस पर वह खेती नहीं करते, इसीलिये हम जमींदारी खत्म कर रहे हैं। लेकिन जिस ढर्रे पर हमारा देश या हमारा समाज बना हुआ था, उन लोगों ने जिस ढर्रे में अपना जीवन ढाला हुआ था, उसके बारे में क्या आपका मतलब है कि हम कोई ऐसा उचित इन्तजाम न करें कि लोग अपने पैरों खड़े हो सकें और उनको घर से और जमीन से बाहर निकाल कर जंगल में खड़ा कर दें? क्या आपको इससे तसल्ली होगी? आपको तसल्ली हो सकती है लेकिन जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है उनको तसल्ली नहीं होगी। उसका कारण यह है कि अगर कोई शख्स कत्ल करता है, डाका डालता है या राहजनी करता है या और तरह–तरह के जुर्म करता है तो उसको जो रोटी देने का फर्ज स्टेट का होता है। तो हमारी सोसाइटी का जैसा ढांचा बना हुआ है उसके मुताबिक जिन लोगों ने अपना जीवन ढाला हुआ था, क्या उनको आप कातिल, डाकू और चोर से भी बुरा समझते हैं? डाकू को १४ साल की सजा देते हैं तो उसको भी रोटी तो जरूर देते हैं। ऐसे ही जमींदारों को जिन्होंने अपनी सब जमीन उठाई हुई थी उनको हम घर से निकाल कर बाहर खड़ा नहीं कर सकते। चाहे आप ऐसा कर सकते हों। जिन उसूलों पर हम पले हैं, जिन उसूलों पर यह गवर्नमेंट कायम है और जिन पर हमारे ये सब इधर के (कांग्रेस बेञ्चों की ओर इशारा करते हुये) भाई पनपे हैं, वे उसूल ऐसे विश्वास को कोई जगह नहीं देते हैं। हम लोग ऐसा विश्वास नहीं करते हैं। हम जमींदारों को दुश्मन नहीं मानते। गांधी जी का उसूल यही था। उन्होंने तो हमसे यही कहा था कि अंग्रेज का भी खून न बहाया जाय। वे भी हमारे भाई हैं। तो जमींदार तो फिर अपने ही देश के रहने वाले हैं। हमारे खून में उनका खून मिला हुआ है। फिर वह हमारा भाई क्यों नहीं हो सकता है? हम उससे नफरत नहीं करते बल्कि जमींदारी से नफरत करते हैं। और जिसको हम मिटा रहे हैं वह यही, जमींदारी प्रथा है। लेकिन ताकि आगे के लिये वह हमारी सोसाइटी का यूसफुल सिटीजन हो सके। इसका इन्तजाम करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम इसका इन्तजाम करेंगे। तो इन्हीं कारणों से दुनिया भर में जहां–जहां भी जमींदारी कानून के जरिये खत्म की गई, सब जगह मुआविजा दिया गया। हम कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर में ऐसा हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ और दुनिया भर में किसी भी देश की मिसाल मुझे बताई जाय, कि जिस जगह जमींदारी कानून के जरिये खत्म की गई हो वहां मुआविजा न दिया गया हो। सब जगह पूरा मुआविजा दिया गया है। हम केवल माकूल और न्यायोचित मुआविजा ही दे रहे हैं। इस पर भी आपको ऐसी बेचैनी हो रही है।

अब आप कहते हैं कि साहब जबर्दस्ती छीन लीजिये, झपट लीजिये। इसका नतीजा क्या होगा? १९ लाख आदमी बहैसियत जमींदार हमारे कागजात में दर्ज हैं। आधे ऐसे हैं

[श्री चरण सिंह]

जिनके पास सेल्फ कल्टीवेटेड लैंड है, वह रहेंगे। लेकिन ८ लाख के करीब ऐसे हैं जिनके पास सीर या खुदकाश्त कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग, मय फैमिली के, ५० लाख के करीब होंगे। इन ५० लाख आदमियों को घर से निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया जाय, यह मुनासिब और मुमकिन नहीं है। अगर जमींदारी इस तरह से ली जा सकती है तो कारखाने भी, साइकिल भी और आपका कोट भी उसी तरह से उतारा जा सकता है। (कुछ सदस्य—टोपी कौन उतारेगा?) अब कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो भी सम्पत्ति है उसे छीन लिया जाये। उसमें उनके हाथ साफ हो गये और मरना या न करना वाली बात होगी। लिहाजा देश में बदअमनी होगी। मैं जानता हूं कि अंत में जमींदार या पूंजीपति मारे जायेंगे लेकिन किस तादाद पर और कितने मारे जायेंगे। रूस के अन्दर १२—१३ करोड़ आदमियों की आबादी है जो आपसे कम [illegible] है। उनमें चार साल तक बराबर सिविल लड़ाई होती रही थी। हमारे यहां यानी हमारे सूबे में ५० लाख आदमी मारे जाने वाले हैं और सूबों में भी यह आग जायेगी तो करोड़ों आदमी मारे जायेंगे और जमींदार और गैर जमींदार सब मारे जायेंगे। इस युद्ध का क्या नतीजा होगा, और कौन जीतेगा और कौन नहीं यह कहना तो अभी बड़ा मुश्किल है। फर्ज कीजिये कि सम्पत्ति वाले खत्म हो जायेंगे लेकिन करोड़ों आदमियों के खत्म हो जाने के बाद क्योंकि जब आदमी पर भूत सवार होता है यानी खून सवार होता है न बच्चा देखा जाता है और न औरतें देखी जाती हैं। रूस में भी जिस वक्त जार बादशाह मारा गया था तो क्या उसकी औरतों और बच्चों को बख्शा गया था। वहां के जमींदार अपनी जान बचा कर भाग गये आप जैसे लोगों की डर की वजह से। और आज भी वह अपने देश के अन्दर जा नहीं सकते। आप यह चाहते हैं कि इस तरह से छीना-झपटी करके जमींदारी खत्म की जाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे देश में हाहाकार मच जायेगा। जो आदर्श और पैमाना और जो चीज हमारे बुजुर्ग सर्टेन करते रहे हैं और जिनको हमारे राष्ट्र-पिता ने हमको फिर से सिखाया है और जिसकी वजह से हमारा ९ लाख वर्ष का पुराना इतिहास चला आता है। दूसरे देश की तहजीब एक हजार या पांच सौ वर्ष से ज्यादा नहीं चल आई है। लेकिन हमारे यहां रामायण को ९ लाख वर्ष हो गये हैं और तभी से कम चला हुआ है। बीच में हम गिर गये थे लेकिन फिर से हम उठे और वही हमारे पुराने इतिहास की परम्परा चली आ रही है। वही सिद्धान्त और आदर्श हमारे समाज के हैं। हमारे यहां उदारता है। हमारी यह प्राणीमात्र के साथ दया है मुझे संस्कृत का श्लोक याद नहीं रहा है। आप जो तलवार का सिद्धान्त बाहर से लाये हैं वह देश के लिये घातक सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त एक बात और है जब जमींदारी इस तरह से ली जा सकती है तो बड़े काश्तकार से छोटे काश्तकार जमीन छीनेंगे। क्योंकि छोटे काश्तकार यह कहेंगे कि हमारे पास जमीन कम है। इसी तरह से आपके स्वतन्त्र लोग रूस में पहिले लोगों से यह कहा गया कि जमींदारों को मारो जब सब जमींदार मारे गये तो बड़े काश्तकार कुलाक हो गये तो उनको मारा गया और जब सब बड़े काश्तकार मारे गये और बाद में आकर ठंडे हो गये तो मजदूरों से कहा गया कि इन काश्तकारों को मारो और इस प्रकार कलेक्टिव फार्मिंग जबर्दस्ती लोगों पर लाद दिया गया। इसलिये काश्तकार के हित में भी यह चीज नहीं है। इस तरह से जमींदारी को छीन झपट कर लेने में केवल जमींदार का नुकसान हो और काश्तकार का फायदा हो तो यह बात भी नहीं है। इसलिये काश्तकार के हित में भी यह चीज नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और बात है जिसका कल मैंने जिक्र किया था और मैं जानना चाहूंगा कि आपके पास इसके खिलाफ कोई मिसाल हो तो आप दें। दुनिया में जितनी सामाजिक और राजनैतिक क्रांति वायलेंस से की गई तो क्या उन्होंने अपने सामने जनता का नाम अपनी जबान पर रखा। खून-खच्चर हो जाने के और गद्दी पर इख्तियार हो जाने के बाद उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। फ्रांस में भी यही हुआ। एक के बाद दूसरा लीडर मारा गया। इंग्लैंड और

रोबर्टसन मारे गये। किसी ने दो साल राज्य किया और किसी ने तीन साल राज्य किया। उन आदमियों में से जिन्होंने मिलकर वहां के बादशाह लुई को मारा था और वह सब एक दूसरे के खून के प्यासे यानी जानी दुश्मन हो गये इसके बाद आखिर में नेपोलियन बोनापार्ट आया और वह खुद वहां का बादशाह बन गया। यानी इस तरह से फ्रांस में जनतंत्र के साथ विश्वासघात हुआ। इसी तरह से रूस में भी यही हुआ। लेनिन के नौ साथी थे। उसके मरने के बाद स्टैलिन आये। उनके नौ साथियों में से सात को यानी जिनोविफ़, रैडिक, कैमलिफ और बखुरित वग़ैरा और ट्राटस्की भाग गया था लेकिन बाद को उसको भी मार डाला गया।

में ग़ैर कम्यूनिस्ट खड़ा तक :

उनके दिल में पाप होता है। वह लोग अपने साथियों का विश्वास नहीं करते और उनको यह डर रहता है कि न मालूम यह क्या कांसपिरेसी कर रहे हैं। उनके साथी यह सोचते हैं कि हमने भी अपनी जान पे ली है। स्टैलिन ही क्यों बने। हम क्यों न बनें।

जो मैंने बरेली में कहा था उसी को मैं फिर दुहरा रहा हूँ। हमारे यहां की दो सो वर्ष की गुलामी के बाद हमारा देश आजाद हुआ और पाकिस्तान की वजह से बेहद खून खच्चर हुआ। हमारे लीडर्स डिमोक्रेसी के जरीं उसूलों पर इसलिये अब भी क़ायम हैं कि उन्होंने नान-वायलेंस के उसूलों पर ही स्वराज्य लिया है। माहात्मा जी ने कहा है कि अंग्रेज की हुकूमत शैतान की हुकूमत है लेकिन अंग्रेज मेरा मित्र है। अंग्रेज और अंग्रेज की हुकूमत में क्या फर्क है इसको हम जब पढ़ते थे तो नहीं समझ पाते थे। अनुभव ने हमारी आंखें खोल दी हैं, जिस तरह से नान-वायलेंस के उसूलों से हमने स्वराज्य लिया है उसी तरीक़े से हम सोशल और इकोनामिक रिवोल्यूशन भी करेंगे। जमींदारी को हम खत्म करेंगे वह हमारी घोर शत्रु है लेकिन जमींदार हमारे मित्र हैं। अगर लूट-खसोट करके जमींदारी खत्म करने की जरूरत पड़ेगी तो चाहे महाराज आप भले ही करें लेकिन हमने तो जनतंत्र की क़सम खाई है। इसलिये हम नहीं चाहते कि हमारे देश में डिमोक्रेसी के बजाय डिक्टेटरशिप क़ायम हो। इसलिये हम चाहते हैं कि जमींदारी नान-वायलेंस (अहिंसा) के तरीक़े पर ही खत्म हो। इसके अतिरिक्त एक बात और है और वह यह अहिंसावाद के मार्ग की बात है। अंग्रेजों ने इस देश पर २०० वर्षों तक राज्य किया हजारों और लाखों आदमी मारे गये। बराबर अत्याचार होते रहे। लेकिन जब वह छोड़ गये तो दुनिया भर का इतिहास बतलाता है कि हमारे उनसे क्या ताल्लुक़ात रहे। जो आपको उपदेश है उसके हिसाब से अंग्रेजों से ज्यादा हमारा घोर शत्रु और कोई नहीं होता। दूसरी तरफ आज हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे भाई थे पाकिस्तानी उनसे हमारे ताल्लुक़ात खराब हो गये। अपने देश के भाई, इस देश के निवासी और एक ही मां से पैदा हुए लेकिन उनसे ताल्लुक़ात खराब हो गये। काश्मीर में लड़ाई चली। अब जाकर जैसे-तैसे बन्द हुई। फिर भी गाली-गलौज हो जाती है। जवाहरलाल जी वाशिंगटन गये, लंदन गये लेकिन आज तक कराची तशरीफ नहीं ले गये। वाशिंगटन जाना होता है तो बम्बई होकर जाते हैं, कराची से नहीं निकलते। इसका कारण यह कि सिद्धान्तों में फर्क है। जिस साधन से पाकिस्तान लिया वह ही भिन्न है। अंग्रेजों के भी हम खिलाफ थे, लेकिन दिल में हमारे अहिंसा भरी हुई थी जिसका नतीजा यह हुआ कि ताल्लुक़ात हमारे अच्छे बने हुए हैं। स्वराज्य लिया गया अहिंसा के जरिये से, लेकिन पाकिस्तान लिया गया गाली-गलौज और हिंसा के जरिये, द्वेष और घृणा के बल पर। शान्ति के नाम पर मुसलमानों के हित के लिए जिन महात्मा गांधी ने अपनी जान तक दे दी उनको मिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीगी, मुसलमानों का एनीमी नम्बर १ समझते थे। जो भाई थे वह शत्रु हो गये और जो ग़ैर थे उनसे ताल्लुक़ात अच्छे हो गये। कारण यह है कि अहिंसा एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिस पर वह छोड़ा जाता है वह दोस्त हो जाता है, भाई बन जाता है। अंग्रेजों पर हमने नान-वायलेंस का अस्त्र छोड़ा, उसी का यह नतीजा है कि उनसे आज भी हमारे अच्छे ताल्लुक़ात बने हुए हैं।

[श्री चरण सिंह]

जमींदारी खत्म करने के दोनों रास्ते खुले हुए हैं, तलवार और कलम के जरिये। तलवार के जरिये खून की नदियां बहेंगी और जो बचेंगे वह आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझेंगे, एक को जान खतरे में रहेगी। द्वेष, विद्वेष की भावना, क्रिया और प्रतिक्रिया की भावना रहेगी। और यह हिंसक पशुओं का समाज हो जायगा और अगर जिस तरह से हम खत्म कर रहे हैं, उनको साथी मान कर और उनके खाने का थोड़ा सा इन्तजाम करके, खत्म करें तो वह भाई बने रहेंगे और घृणा का प्रचार नहीं होगा। ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता। इसलिये हम मुआविजा देना मुनासिब समझते हैं। आप का जो स्टैंड है, आप कहते हैं कि महात्मा जी ने यह कहा था कि लुई फिशर से कि मुआविजा नहीं देना चाहिये। तो महात्मा का प्रोग्राम क्या था। क्रान्ति का, विदेशी हुकूमत के खिलाफ। इस सिलसिले में महात्मा ने कहा था कि कानून को खिलाफ वर्जी होना चाहिये, जेल जाना चाहिये, इस्तीफा देना चाहिये और जमींदारी खत्म करनी चाहिये, और मुआविजा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। क्या यही स्थिति आज है जिस स्थिति में महात्मा ने यह शब्द कहे थे? उस वक्त विदेशी हुकूमत थे, आज आपकी हुकूमत है। अगर नाजायज है तो अगले एलेक्शन में निकाल दीजिये। लेकिन बगावत का सवाल नहीं उठता। इसके अलावा अगर महात्मा जी एक बात को कहें तो सारी बातों को लीजिये। तमाम किसानों से कहिये कि मेहनत, मजदूरी से जिन्दगी बसर करें। तमाम वह प्रोग्राम जो महात्मा ने कहा था पूरा का पूरा लीजिये। इसके अलावा यह भी प्रश्न उठता है कि महात्मा ने यह बात कभी भी कही या नहीं। उनका अपना कोई लेख है नहीं। केवल लुई फिशर ने कहा था। लेकिन अगर आर्गुमेंट की खातिर सारी बातें मान भी ली जायं जो कि लुई फिशर ने कही था, तो महात्मा ने जब यह देखा कि देश स्वतन्त्र होने जा रहा है, उस वक्त उसी बुढ़ापे में सात सितम्बर से ग्यारह सितम्बर तक जो बैठक हुई उसमें यह भी मंजूर किया था कि जमींदारी खत्म करो और थोड़ा बहुत जमींदारों को मुआविजा जरूर दो। आपके लीडर, आप दोनों वालों के, आचार्य नरेन्द्रदेव उस समय कांग्रेस के अन्दर थे। उनकी भी सम्मति उसके अन्दर थी। अगर वह उससे सहमत नहीं थे तो डिसेंटिंग (विरोध सूचक) नोट लिख सकते थे। या यही लिख देते कि इतनी मजबूरी में पड़ कर मुआविजा देने के हक में हैं। आज आप क्यों कहते हैं कि मुआविजा न दिया जाय इसलिये कि कांग्रेस छोड़ कर चले गये। यह कहने से कि मुआविजा न दिया जाय किसान हमारी तरफ हो जायगा, क्योंकि न देने की बात उसको अच्छी लगेगी। कांग्रेस वाले कहेंगे कि दो और हम कहेंगे कि न दो, तो वह लाल झंडे के नीचे आ जायेंगे। लेकिन यह बात गलत है कि वह आपके झंडे के नीचे आजायंगे।

श्री सर्वजित लाल वर्मा ने जो अपना बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि कानून की वजह से देना चाहिये। कानून तो आज भी है कि मुआविजा दिया जाय। आर्टिकल २२४ हमारे विधान का है, मुआविजा देने के लिये। तो पहले कोशिश यह करो कि विधान बदल जाय, तब देहात में प्रचार करो कि मुआविजा न दो। इसमें कौन सी ईमानदारी है कि यह कानून होते हुए भी कि आप किसी की जायदाद बिना मुआविजे के नहीं ले सकते हैं, आप यह कहते हैं कि मुआविजा न दिया जाय। मैं यह नहीं कहता कि आप बेईमानी करते हैं, जैसा कि कल राजाराम शास्त्री जी ने बार-बार 'बेईमानी' लफ्ज का इस्तेमाल किया। मैं तो कहता हूं कि ईमानदारी का तकाजा यह है कि पहले उस कान्स्टीट्यूशन को बदलिये फिर देहात में झंडा लेकर जाइये कि मुआविजा न दिया जाय। लिहाजा जिन दलीलों पर उन्होंने कहा कि मुआविजा दिया जाय आज भी है।

जमींदारी अबालिशन कमेटी में कहा कि हमारे हिसाब से सौ करोड़ रुपया बैठता है।

(इस समय ४ बज कर ५० मिनट पर डिप्टी स्पीकर ने पुनः अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया।)

करीब १०८ करोड़ के पहुंचता है लेकिन अग्रेरियन कमेटी के सामने कहा कि ५० करोड़ देना चाहिये। अभी तो मैंने रोशन जमां की तकरीर पढ़ी उन्होंने कहा कि दिया जाय और ५० करोड़ दिया जाय। क्यों साहब ५० करोड़ क्यों दिया जाय क्या उसूल है? ५० करोड़ भी बहुत है, २५ करोड़ भी बहुत है, १ करोड़ भी बहुत है क्यों दिया जाय ५० करोड़ ही क्यों दिया जाय? मैं आप से यह कहता हूं कि आप तो यहां पर यह कहते हैं लेकिन आपके छुटभैये देहातों में फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मुफ्त ही दिलवा देंगे। आपका १७ सितम्बर, १९४९ई० का एक सर्क्यूलर छपा हुआ है कि हम बिना कुछ लिये ही लिखवा देंगे। अगले एलेक्शन में अगर आपको मालिकाना हक कायम करना हो तो समाजवाद को वोट दो हम बिना कुछ लिये हुए ही मालिकाना हक दे देंगे। आप मालिकाना हक देंगे? आप किसानों को राइट आफ ट्रांसफर तो देना नहीं चाहते और कहते हैं कि काश्तकारों को मालिकाना हक मिलना चाहिये। यहां कहते हो कि ५० करोड़ देना चाहिये और वहां कहते हो कुछ नहीं देना चाहिये। अरे साहब! बैठ कर अपनी पालिसी तय कर लो किसानों को भी मालूम हो जाय कि क्या चाहते हो और आपका भी दिमाग साफ हो जाय। तो यह रही मुआविजे की बात। २५ नवम्बर सन् १९४९ ई० को श्री आचार्य नरेन्द्रदेव ने कहा कि हां, मैंने यह बात कही थी कि मुआविजा दिया जाय लेकिन जब सूरत और थी आज सूरत और है। क्या थी सूरत जनता ने बड़ी उत्सुकता से सुना लेकिन तब क्या सूरत थी आज क्या तबदील हुई। यह ठीक है आज स्वराज्य हो गया। यह भी ठीक है कि स्वतंत्र होने से बहुत सी बातें बदलीं लेकिन क्या सब बदल गईं। यह कौन सी दलील है। यह सही हक कि स्वराज्य के होने से अपने हाथ में सत्ता आई है। आपके हाथ पैर बंधे थे, खुल गये, लेकिन जितनी बातें आपने उस वक्त कही थीं क्या वह सब बदल गईं जो बातें आपने उस वक्त कही थीं क्या वह सब गलत हो गईं। क्या स्वराज्य होने से पहले दो और दो चार होते थे और अब दो और दो चार नहीं रहे पांच हो गये। क्या मतलब है? स्वराज्य होने से इससे क्या सम्बन्ध? स्वराज्य होने से पहिले आपकी समझ में कुछ देना जरूरी था लेकिन अब जरूरत नहीं रही। स्वराज्य के पहिले आप समझते थे कि जमींदारों से मुआविजा दे कर जमीन ली जाय लेकिन आज आप यह समझने लगे कि अब इनको तलवार के घाट उतार डाला जाय। बदलने में कोई बुरी बात नहीं है। स्थिति के अनुसार बदलना ठीक है लेकिन क्या हर चीज बदला करती है? क्या कोई बुनियादी चीजें नहीं होतीं? तो जहां तक कम्पेन्सेशन देने या न देने की बात थी वह बुनियादी बात थी उसमें स्वराज्य की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता।

अब तीसरा सवाल यह है कि मुआविजा दे तो कौन दे? आप यह कहते हैं कि दो साहब तो अपने पास से दे दो। सरकार कैसे अपने पास से दे दे, यह तो मैं बाद में अर्ज करूंगा। फिर भी जिक्र हुआ कि साहब निजाम साहब से ले लो। आप फिर कहते हैं कि सेठों से लिया जाय। कितने सेठ हैं कितना लिया जाय कितने देंगे और फिर सेठ जो हैं

मैं समझता हूं कि किसानों के आत्म-सम्मान के लिए, किसानों [illegible]
बात होगी कि मालिक वह बने और उसकी तरफ से मुआविजा कोई और दे। मजदूर यह सही मान ले तो मान ले लेकिन किसान की जेहनियत और होती है। किसान उस को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। फिर कहते हैं कि साहब, सरकार दे दे अपने पास से। क्यों साहब! सरकार के क्या माने होते हैं? क्या सरकार के पास कोई आमदनी गैर की होती है? सरकार की जो भी आमदनी होती है वह एक-एक पैसा पब्लिक की जेब से निकलता है। अगर सरकार के पास नकद है तो दे देगी नहीं तो पब्लिक से ही ले कर देगी। लिहाजा जो पैसा सरकार देगी वह पब्लिक की जेब से या तो आ चुका है या पब्लिक की जेब से

[श्री चरण सिंह]

आने वाला है। आप यह भुलावा देना चाहते हैं कि सरकार जो देगी उसका बोझा पब्लिक या किसान पर नहीं पड़ेगा। आपके आचार्य जी ने क्या कहा था? आपके आचार्य जी यह न फरमाया यह था--"To the large extent it has to be paid out of the rents realised from the peasantry" "(बहुत हद तक यह मुआविजा किसानों की अपनी ही जेब से आयेगा और उस लगान की शक्ल में जो कि उनको देना है।)" कहने का मतलब यह कि यह भार किसानों पर ही पड़ेगा।

मेरा बरेली का एक तजुर्बा है, जिसे मैं सुना देना चाहता हूं। मैंने वहां कहा था कि आचार्य जी तो खुद ही कहते हैं कि यह किसानों की जेब से आने वाला है। जब मैं अपना भाषण खत्म कर चुका तो उसके बाद एक लाल टोपी वाले खड़े हुए और उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कभी नहीं कहा, मैं आचार्य जी से पूछ आया हूं। मैंने कहा कि अगर कहा हो तो आपकी सफेद टोपी और मेरी लाल टोपी। फिर भी वह कहते ही रहे कि नहीं, नहीं, मैंने आचार्यजी से पूछा, उन्होंने कहा ही नहीं। खैर! मतलब यह कि रुपया लोगों से ही आना है। मैं तो कहता हूं कि हम नहीं चाहते कि वह दस गुना लगान दें ही। उनके सामने दो रास्ते खोल दिये हैं, चाहे किस्त में वे दें, जो मौजूदा लगान पर देंगे, वह किस्त बन्दी के रूप में देंगे। या अगर वह चाहें, कोई दबाव नहीं है, तो अभी जब कि उनके पास काफी पैसा है, वे दें। खैर, चाहे किसी के पास से आये। उस सूरत में सरकार जमीन की पूरी मालिक हुई, जमींदारी मिटी, अर्थात् बिचौलिये बीच में से निकल गये, कोई बेदखली की धमकी देने वाला और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला न रहा और सीधा लगान गवर्नमेन्ट को दिया। किसान पर आज का लगान कोई बोझा नहीं है, और अगर वह इस तरह से देता रहा तो कम से कम ४०,५० साल तक उसे देता रहेगा और जब ५ साल बाद जब भाव गिर जायेंगे और यह भाव न रहेगा तो उसको बड़ा बोझ मालूम होगा। इसलिये आज उसके लिये यह मौका है कि अगर वह चाहे तो सारा रुपया आज दे दे और भूमिधर बन जाय।

आप यह कह रहे हैं कि जमीन हिज मैजेस्टी में वेस्ट हो जायगी, दफा ६ पढ़ कर सुना दी, लेकिन मालिक के जो अधिकार होते हैं, फुल यूजर, और राइट्स आफ ट्रांसफर (स्थानान्तरण अधिकार) और जितने भी अधिकार होते हैं, सिवाय मिसयूज के, कि जमीन लगान पर उठा कर दूसरे की आमदनी खाने का, इसके अलावा जितने अधिकार होते हैं वे दिया। मतलब यह कि अगर मुआविजा आगे देना पड़ता है तो खुद अपने मालिक हो जाते हैं यानी कि भूमिधर बन जाते हैं। ये दोनों चीजें उनके सामने रक्खी हैं और यह खुला एलान है, जितने भी कांग्रेसी भाई और सरकारी कर्मचारी हैं वे कहते हैं कि अगर किसान की सौ दफे गर्ज पड़े तो वह भूमिधर बने, हमारी हरगिज गर्ज नहीं है क्या साहब किसानों की लूट हो रही है, साहब, कैसी लूट हो रही है। अगर आपने जितनी बातें पढ़ कर सुनाई हैं उनकी खुद ही तहकीकात करें। और आप ही जाकर मौके पर देखें तो आपको मालूम होगा कि ९९ प्रतिशत नहीं सात प्रतिशत वह गलत है या वे मुगालते के साथ आपको बतलाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अफसरान की तारीफ़ करते हैं। अखबार वाले भी डेमोक्रेसी की खिल्ली उड़ाते हैं कि कांग्रेस लीडर्स बड़ा बोल बोलते हैं। बड़े लीडर्स को बड़ा तजुर्बा है, मैं तो अपने ही छोटे तजुर्बे की बिना पर कहता हूं कि जिस आर्डर और जिस मेहनत तथा वफादारी के साथ उन्होंने काम किया है वह आंखें खोलने वाली हैं। वे इसके लिये हमारे शत-शत धन्यवाद के पात्र हैं और उनकी यह बढ़ावा देने का प्रोपेगेन्डा और यह कि जबरदस्ती हो रही है, बिलकुल गलत है, बेबुनियाद है। उनका यह कहना

बिलकुल सही नहीं कि भूमिधर बनाने मे उनके वर्त्तमान अधिकारों को छीना जा रहा है। हम किसी के अधिकारों को नहीं छीनना चाहते, किसी के साथ हम ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। अगर कोई १० गुना लगान न दे तो किसी को हम इसके लिये सज़ा देना नहीं चाहते। अगर वह १० गुना लगान नहीं देता और सीरदार ही रहता है तो इस में गवर्नमेन्ट का कोई नुकसान नहीं। उसके ऐक्सचेकर मे जो ज्यादा ही रुपया आयेगा। वह जो जमीन का सपना देखा करता था कि मैं भूमि का मालिक बनूंगा उसका वह सपना पूरा हो जाता है। इस सपने के पूरे होने की खुशी मे उसके चेहरे पर जो सुर्खी आयेगी और उस सुर्खी की छाया जो इन जन-सेवकों पर पड़ेगी तो हमारी भी तबियत खुश होगी। कहा यह जाता है कि हमारी यह स्कीम फेल हो गई। क्या मतलब ? स्कीम फेल हो गई। क्या स्कीम थी ? ७ जुलाई सन् १९४९ ई० को जब यह बिल पहले-पहल यहां पेश हुआ था उसमे किसी के १० गुना देने या न देने की वजह से एक लफ्ज़ और एक 'कामा' भी इसमें बदल नही जायगा। स्कीम जैसी की तैसी ही रहेगी। माननीय पंतजी या ठाकुर साहब ने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा कि मुआवज़ा नकद देंगे। अगर नक़द देंगे तो ही ज़मींदारी खत्म होगी, ऐसा कहां कहा गया था ? फिर स्कीम के फेल होने का सवाल इसमे उठता ही कहां है ? कुल यू० पी० मे ७० लाख टेनेंट हैं जिनमें ५० लाख खुद काश्त करने वाले हैं। अब इनमें से ७० लाख भी भूमिधर बन जायं तो जमींदारी खत्म होगी, ३५ लाख भूमिधर बन जायं, और ३५ लाख सीरदार ही रहें तो जमींदारी खत्म होगी और एक भी भूमिधर न बने और ७० लाख ही सीरदार रहें तो भी ज़मींदारी तो खत्म होगी ही और स्कीम जैसी की तैसी कायम रहेगी। अगर नक़द रुपया हो गया तो शायद नकद दे दें अगर नकद नहीं हुआ तो नहीं देंगे। स्कीम के फेल होने का तो कोई सवाल नहीं है। वह जैसी की तैसी ही रहेगी। बाज़-बाज़ अखबारो मे तो यहां तक कह दिया गया "Tuglak must return to Delhi" (तुगलक को अवश्य देहली लौट जाना चाहिए) उनका तो सिर्फ यही ख्याल है कि नकद रुपया होगा तब ही ज़मींदारी खत्म होगी। काश्तकारों के लिये दोनों रास्ते खुले हैं, एक रास्ते मे उसे कम देना पड़ेगा और वह ज़मीन का खुद मालिक बन जायेगा। दूसरे रास्ते में भी ज़मींदारी खत्म होती है लेकिन उसे ज्यादा देना पड़ता है और इस तरह से वह मालिक सीना फुला कर घूम न सकेगा। उसे जो रास्ता पसन्द हो वह स्वीकार कर ले। स्कीम दोनों प्रकार से वैसी ही रहेगी जैसी वह थी। लाल टोपी पहिना कर और १०:२० लड़के इकट्ठे कर लिये और कहा कि वापिस हो, वापिस हो। यह हमारे देश की बदकिस्मती है कि जहां कोई बात अनहोनी कही गई कि १० इकट्ठा हो गये। तालाबों पर भभूत रमा कर अगर कोई आ जाता है या बाल बढ़ा कर आ जाता है तो बहुत से गांव के आदमी वहां इकट्ठा होने लगते हैं। अगर एक या दो ने यह कह दिया कि इन्होंने दस दिन से खाना नहीं खाया है फिर तो कहना ही क्या। किसी लड़के ने देखा कि इसके पास तो बड़ा चिमटा है उससे भी बड़ा जितना घर मे मां के पास है इसी पर वह शोर मचाने लगा। गांवों में लोगों ने लाल टोपी ओढ़ ली। लोगों ने देखा कि और तो सब सफेद टोपी पहनते हैं लेकिन यह लाल टोपी है, इसमें जरूर कोई बात है। उनमे जरूर कोई बात है, वर्ना न वह समाजवादी को जानें न किसी को जानें। आपने कुछ आदमी इकट्ठा कर लिये और जलूस निकाल दिया। हां यह तो कहना भूल गया कि धन्य है ऐसे नेतृत्व को जिसने यह बयान निकाल दिया कि ७० लाख टेनेंट्स का मार्च, जिसमें केवल १ लाख लखनऊ तक तशरीफ लाये। क्या इसी ही बल पर आप देश का नेतृत्व करेंगे। मैं तो यह कहूंगा कि देश आभागा होगा अगर वह आ
को स्वीकार करेगा। इस तरह से देश को नहीं उभारना चाहिये। आपका
हो जाता जिस तरह फ्रांस में कामयाब हुआ था अगर हुकूमत जबरदस्त पोलीटिकल पार्टी के हाथ में न होती। हमारे लीडरान फ्रांस के लीडरों कि तरह से नहीं है वे अपना सारा जीवन देश की सेवा करने में बिता चुके हैं। जितने हमारे साथी बैठे हैं कोई तीस साल से कोई बीस साल से देश के पीछे फकीर हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत से वाले-

[श्री चरण सिंह]

जिनमें भी है जिनका नाम तक असेम्बली में इतना [illegible] नहीं मिलता। वे भी देश और जनता के सामने पेश कर रहे हैं और देश को एक भ्रम में डाल रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ [illegible] में फंसाये हुए हैं। अगर हमारे पीछे इतना जबरदस्त पोलीटिकल आर्गेनाइजेशन न होता तो महाराज जिस दिन आपका जन्म आया था उसी रोज आप पन्त जी को निकाल देते। इन जलसों में [illegible] नहीं रहेगा। [illegible] और अक्ल के साथ [illegible] करना मुमकिन [illegible] गोष्ठी दल में आ जाओ [illegible] इस्तीफा दिया लेकिन जो राय हो नैतिकता का [illegible] नहीं करता वह दूसरों को क्या उपदेश दे सकता है। मैं आपको [illegible] कि इस्तीफा देकर [illegible] किसी कान्स्टीट्यूएंसी से आइए और [illegible] फिर देखिए कि [illegible]। आपने कांग्रेस छोड़ी और फिर इस्तीफा भी नहीं दिया। और इसको आप नैतिकता का उपदेश देने चले हैं। मैंने बहुत समय लिया अब मैं ५ मिनट में खत्म करना चाहता हूं।

यह स्कीम जो हमारे मुल्क के सामने पेश है, मैं जरा अर्ज कर चुका कि दुनिया में अपना सानी नहीं रखती। सब से बड़ी बात इस स्कीम की यह है कि हर जगह जब कि केवल जनता के चुने हुए नुमाइन्दे ही कानून बनाते हैं, सिवाय स्विटजरलैन्ड के जो एक छोटा सा मुल्क है, और जहां की आबादी हमारे एक जिले के बराबर है, हमारे यहां की ६,४०,००,००० की आबादी है और जनता के मत से यह कानून बना है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। जितने हमारे आन्दोलन हुए, जितने हमारे एलेक्शन हुए, उन सब में इतना प्रचार और इतनी राजनीतिक शिक्षा कभी नहीं दी गई जितनी कि आज इस बिल के द्वारा दी गई। आज आप बिहार, सी० पी० या राजस्थान अथवा और किसी सूबे के देहात में देखिए लेकिन यहां के किसानों में आपको उतनी राजनीतिक चेतनता नहीं मिलेगी जितनी कि हमारे प्रान्त में। हमारे यहां किसानों में एक अजीब बेदारी पाई जाती है। एक अजीब रोशनी फैल गई है और इस बात के लिये जरूरत है। डेमोक्रेसी को कामयाब करने के लिये जरूरत है कि हर शख्स अपने हुकूक को समझे। मैं तो समझता हूं कि कानून जो बन रहा है, जो मीटिंग कांग्रेस आर्गेनाइजेशन करती है उसमें जनता की जो राय होती है हम फौरन उस राय के असर को लेते हैं और यह गवर्नमेन्ट वही करती है जो जनता चाहती है। सेलेक्ट कमेटी में वही सब कुछ किया गया और आज भी जनता के लिये जो अच्छा होगा वही किया जायगा। हम रेफरेंडम करके इस बिल को बना रहे हैं। आज देश के अन्दर बेदारी है, आज देहातों के अन्दर जागृति आ गई है जो जनतन्त्र को कामयाब करने के लिये जरूरी है। यही नहीं हम रेफरेंडम करके रुपया ले रहे हैं जब रुपया कम आदमी के पास है और वह नहीं देता उसके बाद भी किसान हमको रुपया देते हैं और आज १७ लाख खाते दाखिल कर चुके हैं। तो हमारा मतलब यह है कि वे अपने हुकूक को समझते हैं और आज उनमें एक अजीब अवेकनिंग (जागृति) आ गई है। केवल यही नहीं, वे कानून को बनवा रहे हैं और खूब समझ कर अपना रुपया अदा कर रहे हैं। इससे उनका मौरल ऊंचा होता है, स्टेटस भी बढ़ता है और सेल्फ रेसपेक्ट (आत्म-सम्मान) भी बढ़ता है, यह मामूली चीज नहीं है। इसके अतिरिक्त किसानों में, देहात में और पब्लिक और आफिसरों में जो एक खाई थी वह पट गई। आज आफिसर देहातों में जाते हैं और देहात की गलियों में फिरते हैं। वे किसानों के घरों में जाकर बातें करते हैं, उनके चौपालों में जाकर बातें करते हैं। आज किसान कलक्टर और कमिश्नर से हाथ में हाथ मिलाकर बात करता है। इसके अलावा पहले आफिसर लोग शायद किसी कमीशन या किसी तहकीकात और मुआयने के मौके पर ही देहातों में आया करते थे। आज हमारे बहुत से नौजवान आफिसर हैं जो देहातों के अन्दर जाते

है। हमारे बहुत से नौजवान डिप्टी कलक्टर्स जो १५ साल मे भी इस तजुर्बे को नहीं हासिल कर पाते वह ६ महीने के अन्दर ही हासिल कर रहे है। इसका मतलब यह है कि वे अपने देश की, जनता की बेहतर सेवा कर सकते है। तो मैं केवल यही कहूंगा कि हमने बड़ी ईमानदारी के साथ इस बिल को बनाया है। मेरा इस गवर्नमेन्ट का और मेरे सब साथियों का ख्याल है कि हम वाकई मे बड़े खुशकिस्मत है कि अंग्रेज हमारे सामने गये और आज किसानों के बन्धन कट रहे हैं और किसानों की किस्मत बनाने में हम सब लोग सहायक है।

(इसके पश्चात् सभा ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
मंत्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,
संयुक्त प्रान्त।

लखनऊ,
१४ जनवरी, १९५० ई०

नत्थी 'क'

(देखिए १४ जनवरी, १९५० ई० के तारांकित प्रश्न सं० २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१८ पर)

जूट की पैदावार बढ़ाने की योजना युक्त प्रांतीय सरकार ने फरवरी, १९४८ ई० में शुरू की थी। अनाज की कमी के कारण यह योजना केवल लखीमपुर (खीरी) जिले से लेकर गोरखपुर जिले तक के क्षेत्र में ही सीमित रखी गई। योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित जोन (zones) तथा जूट विकास-केन्द्र थे:—

क्र० सं०	जोन	केन्द्र
१	लखीमपुर जोन	(१) पालिया
		(२) झंडी
		(३) अमैपुर
		(४) धौरहरा
		(५) हसनपुर कटौली
		(६) केवल पुरवा
		(७) लौकिहा
		(८) ईसा नगर
		(९) बाहलवाला
२	सीतापुर जोन	(१०) तम्बौर
		(११) बांसुरा
		(१२) सेवता
३	जरवल रोड (बहराइच) तथा नवाबगंज, गोंडा, जोन	(१३) जरवल रोड
		(१४) बहराइच
		(१५) नवाबगंज
		(१६) कर्नलगंज
		(१७) सहजनवां गोला बाजार
		(१८) गोरखपुर सेवा बाजार
		(१९) बार्ली बाजार मठपर रानी
		(२०) तमकोही

१९४८ ई० के वर्ष में ५,००० एकड़ से ऊपर क्षेत्र जूट की पैदावार में लाया गया।

१९४९ के वर्ष में तराई भाबर में दो केन्द्र और खोले गये (१) शिमला पास्चर (simla pasture), जो पुनर्वासित योजना के तराई क्षेत्र में है, तथा (२) काशीपुर, नैनीताल तथा १७,५०० एकड़ भूमि जूट की पैदावार के अन्तर्गत लाई गई।

इस योजना में निम्नलिखित उपाय काम में लाये गये:—

(१) जूट के बोने तथा उसके रेशे की रेटिंग (retting) तथा ग्रेडिंग (greding) के क्रियात्मक प्रदर्शन। इस कार्य के लिये गत वर्ष बंगाल से चार रेटर व ग्रेडर (retters and greders) की सेवायें ली गईं तथा ७५,००० रुपये लगभग २०० किसानों में इस संबंध में वितरित किया गया।

(२) बंगाल से बीज मंगाया गया तथा किसानों में सहायता रूप से ३० रु० फी मन के हिसाब से दिया गया।

(३) बाजार में बेचने के लिये सुविधाये कर दी गई है जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल सकें। सरकार ने दर भी नियत कर दी है।

(४) जूट विषयक शिक्षा प्राप्त किया हुआ कर्मचारी-समुदाय हर प्रकार की टेक्निकल सलाह किसानों को दे रहा है।

(५) घाघराघाट (जिला बहराइच) में एक जूट बीज प्रदर्शनी फार्म भी खोल दिया गया है, जहां बीज-वृद्धि तथा रेशा निकालने के प्रदर्शन होते हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिए १४ जनवरी, १९५० ई० के तारांकित प्रश्न सं० ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१९ पर)

GOVERNMENT OF THE UNITED PROVINCES

No. 6160/II—13-46

APPOINTMENT DEPARTMENT

Dated Lucknow, July 24, 1947

OFFICE MEMORANDUM

Subject:—**Communal representation in the services.**

THE Governor has reviewed the entire position regarding communal representation in services under the rule-making authority of the Provincial Government, and in supersession of all existing orders on the subject has decided as follows :

(A) In the matter of promotion, communal considerations shall be entirely disregarded.

(B) In the case of direct recruitment—

(1) where selection is made by competitive tests, whether by the Public Service Commission or selection boards, the sole criterion shall be that of merit subject to a reservation of 10 per cent. of the total vacancies for candidates of Scheduled Castes, provided sufficient candidates of at least the minimum qualifications are available. Where recruitment in any one year fails to produce the required number of qualified candidates of Scheduled Castes the deficiency will be made good next year, if suitable candidates are available. But this practice shall not be carried forward for more than one year at a time;

(2) where selection is made otherwise than by competitive tests, the reservation for minorities shall be on the basis of population subject to reservation of 10 per cent. of the total vacancies for candidates of the Scheduled Castes, provided a sufficient number of candidates with minimum qualifications is available. In the event of sufficient candidates with even minimum qualifications not being available amongst the Scheduled Castes, the deficiency will be made good in the following year from the quota of the Hindu community in lieu of the extra vacancies given to them in the previous year from the vacancies reserved for the Scheduled Castes, if suitable candidates are available in the following year. This practice shall not be carried forward for more than one year at a time ; and

(3) in those services in which recruitment is made partly by direct recruitment and partly by promotion, and in which communal proportions are applicable, the number of candidates of the various communities selected by promotion should be taken into account in determining the number of vacancies to be reserved for each community for direct recruitment so that the total number of posts in the cadre of a service may, as far as possible, correspond to the prescribed communal proportions.

(C) The principles stated above will be applicable to pending cases of selection with the Public Service Commission and the appointing authorities where orders have not already been passed,

B. N. JHA,
Chief Secretary.

To—All Departments of the Secretariat for future guidance.

No. 6260 (1)/II—13-46

COPY also forwarded for information and future guidance to—

(1) The Secretary, Public Service Commission, United Provinces, Allahabad.

(2) The Accountant General, United Provinces, Allahabad.

(3) All Heads of Departments and Principal Heads of Offices, United Provinces.

By order,
V, C. SHARMA,
Deputy Secretary to Government,
United Provinces.

No. O-1422/II-B—55-1948

FROM

SHRI B. N. JHA, I.C.S.,
CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT,
UNITED PROVINCES,

To

ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND
PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,
UNITED PROVINCES.

Dated Lucknow, April 14, 1948.

SIR,

APPOINT (B) DEP

I AM directed to say that the Governor has decided that in Government records where provision has been made for specifying caste or sub-caste in a separate column, or otherwise, it shall, with immediate effect, be left blank except—

(1) for recording the particulars of members of the Scheduled Castes in the preparation of—

(*a*) electoral rolls, or

(*b*) filling up papers, for recruitment to Government service, and

(2) where there is a specific statutory direction requiring the entry to be made.

2. The Governor has also been pleased to decide that henceforth ordinarily in correspondence from Government offices all Government servants under the United Provinces Government should be addressed by using the honorifics "Shri" "Shrimati" "Kumari" as may be appropriated,

instead of "Mr", "Babu", "Pandit", "Maulvi", "Mrs", "Musammat", "Miss", etc in use at present. This does not apply to officers and other ranks of the Defence Forces, even if serving under the United Provinces Government, or to Hon'ble Judges of the High or Chief Court.

I have the honour to be,

SIR,

Your most obedient servant,

B N JHA,

Chief Secretary.

No. O-1422 (1)/II-B—55-1948

COPY forwarded for information to all Departments of the Secretariat

By order,

KEHAR SINGH,

Deputy Secretary to Government,

United Provinces.

No 1303/III —15 1949

FROM

SHRI B. N JHA,

CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT,

UNITED PROVINCES,

To

ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND

PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,

UNITED PROVINCES.

Dated Lucknow, April 9, 1949.

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT.

SIR,

I AM directed to invite a reference to paragraph 1 of G O. no O-1422/II—B 55 1948, dated April 14 1948, issued from the Appointment (B) Department, and of which an extract is herewith enclosed, and to say that Government have of late been receiving representations from members of certain Scheduled Castes for changing their caste names claiming higher descent and requesting on this ground that they should cease to be designated as members of the Scheduled Castes. While the Government of India (Scheduled Castes) Order, 1936 was intended to afford protection to the members of certain castes among the Hindus it seems unnecessary to insist on any individual being treated as a member of any particular Scheduled Caste, if he himself denies being its member and does not desire to be so treated. I am accordingly to ask that if any such person wants his caste or sub caste to be omitted or not to be entered in Government records even cases in which it is still required to be entered in accordance with the Government Order, dated April 14, 1948, referred to above, he can make an application to that effect and his request should be accepted.

Yours faithfully,

B. N. JHA,

Chief Secretary.

No. 1303(1)/III—15-1949

COPY forwarded for information to all Departments of the Secretariat.

By order,
KEHAR SINGH,
Deputy Secretary to Government,
United Provinces.

Copy of paragraph 1 of G.O. no. O-1422/II—B-55-1948, dated April 14, 1948, from the Chief Secretary to Government, Uttar Pradesh, Appointment (B) Department to all Heads of Departments and Principal Heads of Offices, Uttar Pradesh.

Sir, I AM directed to say that the Governor has decided that in government records where provision has been made for specifying caste or subcaste in aseparate column, or otherwise, it shall, with immedate effect, be left blank, except—

(1) for recording the paticulars of members of the Scheduled Castes in the preparation of—

(a) electoral rolls, or

(b) filling up papers of recruitment to Government service, and

(2) where there is a statutory direction requiring the entry to be made.

नत्थी 'ग'

(देखिए १४ जनवरी, १९५० ई० के तारांकित प्रश्न सं० ३६ का उत्तर पीछे पष्ठ ६२१ पर)

क्रम-संख्या	राजनीतिक पीड़ित का नाम	तिथि, जबकि उन्होंने प्रार्थना-पत्र भेजा	किस, आधार पर उन्होंने प्रार्थना-पत्र भेजा	तिथि जबकि उन्हें पेंशन या एक मुश्त रक़म प्रदान की गई	कितना रुपया प्रदान किया गया		सरकार के विचाराधीन है	सरकार द्वारा अस्वीकार की गई	अस्वीकार करने का कारण
					मासिक पेंशन	एक मुश्त रक़म			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	श्रीमती गंगोत्रीदेवी पत्नी स्वर्गीय जिवानन्द बवोला	१९ जुलाई १९४९ ई०	अपने पति के राजनीतिक पीड़ित होने की हैसियत से	१ नवम्बर, १९४९ ई०	१५ रु०	..	..	..	..
२	स्वर्गीय श्री कोतवाल सिंह नेगी तथा उनकी पत्नी	श्री भक्तदर्शन गढ़वाल ने २९ सितम्बर, १९४७ ई० को प्रार्थना पत्र भेजा	राजनीतिक पीड़ित होने की हैसियत से	८ नवम्बर, १९४७ ई०	..	५०० रु०	..	..	..
२-अ	श्रीमती फतूरी देवी ..	ज़िला कांग्रेस कमेटी गढ़वाल ने ६ अप्रैल, १९४८ ई० को प्रार्थना पत्र भेजा	अपने पति के राजनीतिक पीड़ित होने की हैसियत से	१ जून, १९४८ ..	५० रु० (१० वर्ष के लिये)	.	..	..	..
३	श्री माधव मिश्रा ..	३ अप्रैल, १९४९ ई०	राजनीतिक पीड़ित होने की हैसियत से	१ जुलाई, १९४८ ई०	१० रु०	..	.	..	..
४	श्री जया नन्द भारतीय	२१ मार्च, १९४९ ई०	,,	१ अप्रैल, १९४९ ई०	१६ रु०	..	.	..	..
५	श्री बलवन्त सिंह ..	२९ अक्तूबर, १९४७ ई०	,,	१ सितम्बर, १९४८ ई०	१५ रु०	..	..	..	..
६	श्री शेर सिंह भंडारी	,, ..	,, ..	,, ..	२० रु०	..	..	..	..

७	श्री गोपाल सिंह, साजवान	,,	.. ,, ..	..	,, ..	१५ रु०	..	..	..	..
८	श्री बचन राम गैरोला	१० फरवरी, १९४८ ई०	,,	..	१७ मार्च, १९४८ ई० १ अप्रैल १९४९ ई०	.. १० रु०	५०० रु० ..	..	..	..
९	श्रीमती झावेरी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री देवकी नन्दन ध्यानी	४ जनवरी, १९४९ ई०	अपने पति के राजनीतिक पीड़ित होने की हैसियत से		१ जून १९४९ ई०	१६ रु०	..	..	..	..
१०	श्री रुद्रिदत्त बहुगुना	८ अक्तूबर, १९४८ ई०	राजनीतिक पीड़ित होने की हैसियत से		..	..	..	..		अस्वीकार इनका की गई प्रार्थना-पत्र
११	श्री नारायन सिंह नेगी	१ जून, १९४९ ई०	राजनीतिक पीड़ित होने की हैसियत से		..	..	..	..	,,	सरकारी आज्ञाओं
१२	श्री राम चन्द्र शर्मा ..	२३ सितम्बर, १९४९ ई०	,,	..	..	..	..	..	,,	के अधीन नहीं आता
१३	श्री बन्शीधर डिमारी	५ जून, १९४९ ई०	,,	..	..	..	..	..	,,	,,
१४	श्री बचन सिंह ..	जिलाधीश गढ़वाल ने लिखा २३ जुलाई, १९४९ ई०	,,	..	..	..	..	..	,,	,,
१५	श्री महानन्द नवानी उर्फ डण्डी स्वामी	१९ फरवरी, १९४९ ई०	,,	..	..	..	..	..	,,	,,
१६	श्री रेवाधर जोशी ..	१७ मई, १९४८ ई०	,,	..	..	..	..	..	,,	,,
१७	श्री महिपाल सिंह नेगी	११ मार्च, १९४८ ई०	,,	..	..	..	..	..	,,	,,
१८	श्री ब्रम्हानन्द थप्लियाल	२१ जून, १९४८ ई०	,,	..	..	..	..	..	,,	,,
१९	श्री शंकरदत्त मंडूला ..	५ नवम्बर, १९४८ ई०	,,	..	..	..	..	..	,,	,,

क्रम संख्या	राजनीतिक पीड़ित का नाम	तिथि, जब कि उन्होंने प्रार्थना-पत्र भेजा	किस आधार पर उन्होंने प्रार्थना-पत्र भेजा	तिथि जब कि उन्हे पेन्शन या एक-मुश्त रक़म प्रदान की गई	कितना रुपया प्रदान किया गया		सरकार के विचाराधीन है	सरकार द्वारा अस्वीकार की गई	अस्वीकार करने का कारण
					मासिक पेंशन	एक मुश्त रक़म			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२०	श्री भवानी प्रसाद डिमरी	२७ फरवरी, १९४८ ई०	राजनीतिक पीड़ित होने की हैसियत से ..					अस्वीकार की गई	इनका प्रार्थना-पत्र सरकारी आज्ञाओं के अधीन नहीं था
२१	श्री रमेश्वरदत्त मैथानी	२२ मई, १९४८ ई०						,,	
२२	श्री वासुदेव स्वामी ..	३० अप्रैल, १९४९ ई०	,,					,,	
२३	श्री मुकुन्दीलाल आर्य	१ नवम्बर, १९४७ ई०	,,					..	,,
२४	श्री अम्बिका प्रसाद ..	,, ..	,, ..					..	,,
२५	श्री कुलानन्द ..	,, ..	,,					,,	,,
२६	श्री बद्रि दत्त ..	,, ..	,,					,,	,,
२७	श्रीमती प्रभा देवी पत्नी स्वर्गीय कुंवर सिंह मस्ताना	२९ फरवरी, १९४८ ई०	अपने पति के राजनीतिक पीड़ित होने की हैसियत से	..	..	..	..	,,	,,

२८	श्री भारत भूषण तथा श्री यशोधर लाल पुत्र स्वर्गीय श्री ब्रजवासी लाल	३ मई, १९४९ ई०	पिता के राजनीतिक पीड़ित होने की हैसियत से		5	..	..	..	,,	,,
२९	श्री जोध सिंह मनराल	४ जून, १९४९ ई०	राजनीतिक पीड़ित होने की हैसियत से		..	..	..	विचाराधीन है	..	..
३०	श्री दयाराम मंदूला	४ जून, १९४९ ई०	,,	..	..	..	..	,,	..	..
३१	श्री आदित्य राम ..	२७ मई, १९४९ ई०	,,	..	..	..	..	,,	..	..
३२	श्री जोधसिंह विष्ट ..	सरकार को २६ मार्च, १९४९ ई० को मिला	,,	..	..	..	..	,,	..	..
३३	श्री कान्तिचन्द्र उनियाल	,, ..	,,	..	..	..	..	,,	..	..
३४	श्री परमानन्द ध्यानी	१ नवम्बर, १९४८ ई०	,,	..	..	..	..	,,	..	..
३५	श्री नरायनदत्त महंत	जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भेजी गई तिथि नहीं दी हुई थी	,,	..	..	..	..	,,	..	..
३६	श्री]ीताराम ..	,, ..	,,	..	..	..	..	,,	..	..
३७	श्री सदानन्द भरद्वाज	,, ..	,,	..	..	..	..	,,	..	..
३८	श्री भोलादत्त चंदूला	,, ..	,,	..	..	..	..	,,	..	..
३९	श्री थान सिंह ..	,, ..	,,	..	..	..	..	,,	,,	..
४०	श्री जगत सिंह नयान	,, ..	,,	..	..	..	..	,,	..	..

क्रम संख्या	राजनीतिक पीड़ित का नाम	तिथि जब कि उन्होंने प्रार्थना-पत्र भेजा	किस आधार पर उन्होंने प्रार्थना-पत्र भेजा	तिथि जब कि उन्हें पेन्शन या एक-मुश्त रकम प्रदान की गई	कितना रुपया प्रदान किया गया — मासिक पेन्शन	कितना रुपया प्रदान किया गया — एक मुश्त रकम	सरकार के विचाराधीन है	सरकार द्वारा अस्वीकार की गई	अस्वीकार करने का कारण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
४१	श्री ध्यान सिंह ..	राजनीतिक पीड़ित होने की हैसियत से	जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भेजी गई तिथि नहीं दी हुई थी				विचाराधीन है	अस्वीकार की गई	
४२	श्री लीलानन्द डबराल	,,	,,	.	..	.	,,	..	..
४३	श्री राय सिंह आर्य .	.	,,		.		.	.	.
४४	श्री किशन सिंह ..	,,	,,	..	..	.	,,		..
४५	श्री मंगत राम ..	,,	,, ..	..	..	..	,,	..	..
४६	श्री घनश्याम सुंडवाल	,,	,, ..	..	..	..	,,	..	..
४७	श्री छगत मनी ..	,,	,, .	..	..	..	,,	..	..
४८	श्री आनन्द सिंह रावत	,,	,, ..	..	..	..	,,	..	..
४९	श्री बलवन्त सिंह रावत	,,	,, ..	..	.	..	,,	,,	..

५०	श्री महेश चन्द्र ..	” ..	”	..	..	..	..	”	..	..
५१	श्री सुकुदमा प्रसाद ..	सरकार को १० जनवरी, १९४९ ई० को मिली	”	..	..	..	..	”	..	..
५२	श्री बासवानन्द जोशी	१६ जनवरी, १८४९ ई०	”	..	..	..	..	”	..	..
५३	श्रीमती चैता देवी पत्नी जितार सिंह	२७ अप्रैल, १९४९ ई०	अपने पति के राजनीतिक पीड़ित होने की हैसियत से		..	..	..	”	..	..

नत्थी 'घ'

(देखिए १४ जनवरी, १९५० ई० के तारांकित प्रश्न सं० ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९२ पर)

पंचायत निरीक्षक पदों के लिये प्रकाशित शासकीय विज्ञापन का उद्धरण

(२) योग्यता—

(क) उम्मीदवार का हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट बोर्ड की इन्टरमीडियेट परीक्षा हिन्दी विषय के साथ अथवा सरकार द्वारा मान्य अन्य समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि हिन्दी भाषा इन्टरमीडियेट परीक्षा का एक विषय न रहा हो तो हाई स्कूल परीक्षा का विषय हिन्दी अवश्य होना चाहिये।

(ख) जिस उम्मीदवार ने निम्नांकित परीक्षाओं में से एक को और हाई स्कूल परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ पास की हो या अंग्रेजी भाषा को ऐच्छिक विषय के रूप में लेकर निम्नांकित परीक्षाओं में से किसी एक को पास किया हो तो ऐसी योग्यता प्रस्तर (२) में निर्धारित न्यूनतम योग्यता के समकक्ष मानी जावेगी:—

(१) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की मध्यमा परीक्षा।

(२) काशी विद्यापीठ की शास्त्री परीक्षा।

(३) गुरुकुल कांगड़ी की विद्याविनोद परीक्षा।

(४) क्वीन्स संस्कृत कालेज की मध्यमा परीक्षा।

(११) देश सेवा में त्याग करने वाले जो उम्मीदवार शासकीय पत्र सं० ओ० १२९०–११८-१००३-४०, दिनांक ५-४-४८ ई०, जिसका संक्षेप में उद्धरण नीचे दिया जाता है, के अधीन शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं में सुविधा पाने के इच्छुक हों उन्हें उसमें दिये गये आदेशानुसार आवश्यक प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा।

सूचना (१) शासकीय पत्र सं० ओ० १२९०–११८–१००३–४०, दिनांक ५ अप्रैल, १९४८ ई० के अनुसार हाई स्कूल परीक्षा या यक्त प्रान्तीय सरकार द्वारा मान्य अन्य समकक्ष परीक्षा इन्टरमीडियेट परीक्षा की योग्यता के बराबर समझी जायेगी।

(२) उपर्युक्त सुविधा का लाभ साधारणतः ऐसे उम्मीदवार के लिये सीमित रहेगा जिसने कम से कम ६ मास की सजा पाई हो तथा जिसके प्रमाणपत्र या उस जिलाधीश का जिसके कार्य-क्षेत्र में उसका निवास है, एक सर्टीफिकेट इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि उम्मीदवार ने देश की राजनीतिक उन्नति के हेतु कम से कम ६ मास की सजा झेली है।

राजकीय आदेश सं० ५०२८ प० रा० वि० ११४ ४८, दिनांक २५ मार्च, १९४९ ई० या संचालक पंचायत राज के द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी को प्रेषित किया गया था, का उद्धरण

× × × ×

क (ख) शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें यदि राजनीतिक पीड़ितों में से निर्धारित शिक्षा सम्बन्धी योग्यता प्राप्त योग्यता पदाकांक्षी पूरी संख्या में प्राप्त हों, तो जन-सेवा के अत्युत्तम कार्यों, सामान्य कार्यक्षमता तथा विस्तृत अनुभव के दृष्टिकोण से अत्यन्त योग्य पदाकांक्षी चुना जा सकता है, यदि उनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें इस प्रकार के राजनीतिक पीड़ितों के लिये निर्धारित योग्यता से एक कक्षा कम है।

नत्थी (ङ)

(देखिए १४ जनवरी, १९५० ई० के तारांकित प्रश्न सं० ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९२ पर)

अफसरों की सूची

नाम	पद	योग्यता तथा विशेष अनुभव
१—श्री देवकी नन्दन शर्मा	सहायक-संचालक, स्टोर्स पर्चेज विभाग	सन् १९२१ में ई० स्टोर्स पर्चेज विभाग की स्थापना से अधिकतर इसी विभाग में कार्य करते रहे हैं।
२—श्री एस० फय्याज अली	उप सहायक संचालक स्टोर्स पर्चेज विभाग	सन् १९२२ ई० से उद्योग विभाग में कार्य करते रहे हैं लीगल प्रैक्टीशनर्स परीक्षा पास हैं।
३—श्री पी० वी० कुरूप	फर्नीचर विशेषज्ञ	१७ साल का अनुभव रखते हैं। इस समय गवर्नमेंट वुड वर्किंग इन्स्टीटयूट बरेली के प्रिंसिपल हैं।
४—श्री जे० एन० सिंह	टेक्सटाइल विशेषज्ञ	गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंस्टीटयूट में प्रोफेसर हैं। जापान में बुनाई की शिक्षा प्राप्त किये हुये हैं। आप सन् १९४० ई० से उद्योग विभाग में कार्य कर रहे हैं।
५—श्री आर० के० अग्रवाल	चमड़ा विशेषज्ञ	आप २ साल अमेरिका में रहकर वहां लेदर टेक्नोलोजी में एम० एस० सी० डिग्री प्राप्त किये हुये हैं। इस के पहले गवर्नमेंट हार्नेस फक्टरी, कानपुर में विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे हैं। आप लगभग डेढ़ साल से उद्योग विभाग में कार्य कर रहे हैं।
६—श्री एम० सी० सक्सेना	मेटल विशेषज्ञ	दयालबाग से एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त किये हुये हैं। आप आजकल मेटल वर्किंग, स्कूल अलीगढ़ के सुपरिन्टन्डेंट हैं।

क्रय करने का आदेश देते हैं और उनका मूल्य चुकाते हैं। यदि प्रश्न का अभिप्राय स्टोर्स पर्चेज विभाग के अफसरों से हो तो उनकी एक सूची नत्थी है।

४४—सरकार के पास स्टोर्स पर्चेज विभाग के अफसरों के विरुद्ध एक शिकायत पिछले जून मास में श्री रामचन्द्र नवाबगंज, कानपुर की आई थी उस पर उचित कार्यवाही की गई है।

४५—उद्योग विभाग को उनके स्टोर्स द्वारा खरीदे हुये बोरों में ऐसी कोई हानि नहीं हुई।

४६—स्टोर्स पर्चेज विभाग द्वारा प्रान्तीय रक्षा दल के लिये कंबल खरीदने में सरकार को ऐसी कोई हानि नहीं हुई।

४७—यह भी सही नहीं है कि सरकार को जूतों की खरीदारी में २०,००० रु० की हानि हुई।

४८—हां, यह सही है कि स्टोर्स पर्चेज विभाग के एक अफसर श्री सैयद फय्याज अली, हैदराबाद आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये थे, परन्तु वह हाई कोर्ट से छूट गये और

वे फिर अपनी जगह वापिस आ गये। ये अफसर पहिले डाइरेक्टर आफ काटेज इन्डस्ट्रीज के स्टेनोग्राफर थे, लेकिन १९४३ ई० में एक्सट्रा असिस्टेंट ए० डी० आई० के पद पर नियुक्त किये गये थे।

४९--श्री सैयद फय्याज अली के कुछ चचेरे भाई व भतीजे, जो बिना उनकी मदद व उनसे अलग रहते है, पाकिस्तान में हैं। उनके एक छोटे भाई सैयद मकसूद अली, जो सरकारी नौकरी से पेन्शन पा गये, वह भी हाल ही में पाकिस्तान चले गये। श्री फय्याज अली का बड़ा लड़का व बड़ी लड़की भी पाकिस्तान चले गये। उनके खान्दान के बाकी लोग बीबी व पांच लड़के व दो लड़कियां उनके साथ में हैं।

नत्थी 'च'

(देखिए १४ जनवरी, १९५० ई० के तारांकित प्रश्न संख्या ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२९ पर)

हमीरपुर जिले में गांवों की, जहां सांड रहते हैं, सूची :—

१—धमोरा
२—टिकरिया
३—ओंटा
४—पखावां
५—सेंगरी
६—मदावा
७—मलोहन
८—मदया
९—मथाई
१०—रव
११—चिली
१२—तस्सई
१३—नकहरी
१४—वैनपुर
१५—विल्लख
१६—गोहांड
१७—कटेन्डा
१८—कैथा
१९—बसेला (२)
२०—कोलेन्टा
२१—कया
२२—रोहेन्टा
२३—सिकरोड़ा
२४—खरना
२५—गुटकवारा
२६—फैथा
२७—सीकदानुदा
२८—कुचहचा
२९—नहानद्वारा
३०—जरोखर
३१—कघोरा
३२—रावतपुरा
३३—नगेरोह
३४—विरहट
३५—प्रमोद (२)
३६—बांटा
३७—बन्दोरा
३८—तुरना
३९—बरखेरा
४०—इटाली
४१—मौना
४२—बरेहरा
४३—बंगरा
४४—बिलगांव
४५—रेउरा
४६—बसरोली
४७—बन्दवा
४८—भंगरोन
४९—नेवलीबाम्सा
५०—चरीबांसी
५१—लोधीपुरा
५२—ममुवा (२)
५३—इकठोरा
५४—अटगांव
५५—मंगरौठ
५६—कैथा
५७—गिरवर
५८—इटौरा
५९—वर्णान
६०—इरोधा
६१—इमरौहा
६२—बिन्दोही
६३—मदारपुर
६४—मौधा
६५—भलेसई
६६—गुरदोहा
६७—माचा
६८—बघरई
६९—खेरी
७०—भौंघा
७१—नरैच
७२—रेवान
७३—खेला
७४—बेहुनी खुर्द
७५—गहटोली
७६—भुसकास
७७—इमालिया
७८—बिहुनी कलां
७९—खेई सुनेंचद
८०—मनई
८१—पंचपेडा
८२—गुरहा
८३—चरखा
८४—भरकरी

८५—करगवा
८६—परोचा
८७—सिचौली
८८—अजोही
८९—नरायनपुर
९०—कँथी
९१—सुमेरपुर
९२—इन्मोठा (५)
९३—बिह्रोफन
९४—मवईनान
९५—बेधा
९६—कुकहचा
९७—रमोरी
९८—चुबीपुर
९९—काल्पा
१००—रवासा
१०१—कनारामपुर
१०२—खरहा
१०३—मलोवर
१०४—अतसर
१०५—मनबाई जाम
१०६—महोबा (२)
१०७—पंचपेहरा
१०८—मगरवारा
१०९—साफन
११०—घूटवई
१११—भानीपुर
११२—रायपुर खुर्द
११३—बिनौरा
११४—कली पहेनी
११५—कुर्गरौरा
११६—जयबुबापुर
११७—परहान
११८—बारी
११९—सलारपुर
१२०—बैनाताल मोहनपुर
१२१—महोबा
१२२—गौमा (२)
१२३—बुबवारा
१२४—सांता
१२५—उरवारा
१२६—सेबराजुरिया
१२७—श्रीनगर
१२८—कैम्हा
१२९—श्रीनगर बिलबारी
१३०—बिकवाहा
१३१—सिवबाहा
१३२—सिझआहा
१३३—महूआबन्ध
१३४—अजनेर
१३५—अकोयाभिक्षय
१३६—बजोरा
१३७—टिकरागाहपुर
१३८—आलयन (२)
१३९—धगौन
१४०—सिरहा
१४१—कहरई
१४२—मकरबई
१४३—बघवा
१४४—बघारा
१४५—काजी बहहौरी
१४६—सिचौना
१४७—माकरनई
१४८—बिलबाही
१४९—गमौसा
१५०—बेलाटाकन
१५१—जरमहना
१५२—स्यावा
१५३—बम्बरा
१५४—बुलारा
१५५—जुरहट
१५६—करीकला
१५७—काशीपुर
१५८—ककुवा
१५९—बीरी कर्रा
१६०—महेबा
१६१—मम्बौमी
१६२—इम्बौरा
१६३—टिकबाहा
१६४—बुधोरा
१६५—सूपा
१६६—अम्बवारा
१६७—कुल पहाड़ (४)
१६८—भगोल
१६९—अजबान
१७०—टिकमियां
१७१—सेलाबाल
१७२—डिगरढ़िया
१७३—सियोंधा
१७४—बगहरी
१७५—बेम्बा
१७६—महरा
१७७—कम्बोली
१७८—बैबा

पी० एल० यू० वी० १४० एल० ए० १९५०—४,१९०

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड ६१

अ

अकाल--

प्र० वि०---१३५६ फसली में देवरिया जिले में खेती की पैदावार एवं-----से उत्पन्न स्थिति के विषय में पूछ-ताछ। खं० ६१, पृ० ४६८-४६९।

अजीज अहमद खां, श्री--

-----तथा श्री बलभद्र सिंह की मृत्यु पर शोक संवाद। खं० ६१, पृ० २७-२८।

अध्यापकों--

प्र० वि०---कुंवर दयाशंकर, ई० एम० इंटर कालेज, बरेली के-----को वेतन न मिलने की शिकायत। खं० ६१, पृ० ५४५।

प्र० वि०---जिला बोर्डों के-----के वेतन का बकाया। खं० ६१, पृ० १२-१३।

अन्तिम परीक्षा--

प्र० वि०---वैद्यों को ट्रेनिंग देकर मेडिकल कालेजों की-----में बैठने की सुविधा। खं० ६१, पृ० ४८३।

अन्न-संग्रह-योजना--

प्र० वि०-- -----के अन्तर्गत संगृहीत गल्ले के भाव। खं० ६१, पृ० ५४९।

प्र० वि०-- -----से प्रजा में असं-तोष। खं० ६१, पृ० ५५०।

अपील--

प्र० वि०---नहर विभाग के चीफ इंजी-नियर की आज्ञा के विरुद्ध पदच्युत व्यक्तियों द्वारा-----। खं० ६१, पृ० ४१५।

अफसरान--

प्र० वि०---स्टोर परचेज डिपार्टमेंट तथा उसके-----के विरुद्ध सरकारी कार्यवाही। खं० ६१, पृ० ६२२--६२४।

अफसरों--

प्र० वि०---जिलों में सरकारी-----के रहने का प्रबन्ध। खं० ६१, पृ० ३०७।

प्र० वि०---मशीनरी खरीदने वाले -----व निरीक्षकों के नाम, अनुभव और विशेष योग्यताएं। खं० ६१, पृ० ६२२।

अफ्रीका--

प्र० वि०---सरकार का ईस्ट-----से बिनौला खरीदना। खं० ६१, पृ० ६१५-६१६।

अब्दुल बाकी, श्री--

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ५५--५९, ४४३।

अब्दुल हमीद, श्री--

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

अभियोग--

प्र० वि०---खीरी जिला के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई इन्स्पेक्टर के विरुद्ध-----। खं० ६१, पृ० ६१८-६१९।

अवैतनिक विशेष अधिकारियों---
प्र० वि०---पिछले दो आर्थिक वर्षों में सेक्रेटेरियट में-----की नियुक्ति । खं० ६१, पृ० ४७५-४७७।

असन्तोष---
प्र० वि०---डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बहराइच के पशुवध सम्बन्धी उपनियमों पर सरकारी नीति पर----- । खं० ६१, पृ० ४००-४०१ ।

असेसरों---
प्र० वि०---पीलीभीत में सेशन्स के मुकदमों की सुनवाई तथा ----- की उपस्थिति। खं० ६१, पृ० ३१०-३१२।

आ

आदर्श थाना---
प्र० वि०---गोंडा जिला के----- इटियाथोक में जुर्मों की अधिकता। खं० ६१, पृ० ५५२ ।

आनरेरी खाद्य सलाहकार---
प्र० वि०----------की नियुक्ति। खं० ६१, पृ० ५४३ ।

आयुर्वेदिक कालेज---
बुन्देलखंड-----, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति में कार्य करने के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२९ ।

आयुर्वेदिक संस्थाओं---
प्र० वि०---एलोपैथी, होमियोपैथी----- की सरकार द्वारा स्वीकृत उपाधियां। खं० ६१, पृ० ४१४-४१५।

आर्डिनेंस---
सन १९४९ ई० का इंडियन बार कौंसिल यू० पी० अमेंडमेंट ऐंड वेलिडेशन आफ (प्रोसीडिंग्स)----- । खं० ६१, पृ० ३४ ।

सन् १९४९ ई० का कुमायूं एनिमल ट्रांसपोर्ट कंट्रोल अमेंडमेंट----- । खं० ६१, पृ० ३४ ।

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज इंटरमीजियेट एजुकेशन (अमेंडमेंट)। खं० ६१, पृ० ३२८ ।

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (अमेंडमेंट)----- । खं० ६१, पृ० ४२१।

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन----- । खं० ६१, पृ० ४२१ ।

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज रिक्वीजिशन आफ मोटर वेहिकिल्स (इमर्जेन्सी पावर्स) अमेंडमेंट ऐंड प्रोसीडिंग्स (वेलिडेशन)----- । खं० ६१, पृ० ३४।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय औषध (नियंत्रण)-----। खं० ६१, पृ० ३४।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कोर्ट फोस [छूट (रेमिशन)]----- । खं० ६१, पृ० ३२८।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जूट की बनी वस्तुओं के नियंत्रण का-----। खं० ६१, पृ० ३२८।

इ

इटियाथोक खरगपुर सड़क---
प्र० वि०---गोंडा जिला में----- की खराब हालत। खं० ६१, पृ० ५५४।

इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री---
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

भारतीय पालियामेंट में २५ रिक्त स्थानों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ५७४।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ४८९---४९७।

इन्स्पेक्टर---
प्र० वि०---खीरी जिला के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई-----के विरुद्ध अभियोग। खं० ६१, पृ० ६१८-६१९।

प्र० वि०---ग्रामपंचायतों के लिए----- की योग्यता। खं० ६१, पृ० ६२१-६२२।

इमारतों---
प्र० वि०---विभिन्न जिलों में-----का सरकारी काम के लिये हस्तगत करना। खं० ६१, पृ० ३०७।

उ

उद्योग-धंधों--
प्र० वि०--जिला फैजाबाद के घरेलू -----के विषय में पूछताछ। खं० ६१, पृ० ४१०--४१४।

उपज--
प्र० वि०--युक्त प्रान्त में चावल, गेहूँ तथा गन्ना की वार्षिक औसत-----। खं० ६१, पृ० ६१८।

उपाधियां--
प्र० वि०--ऐलोपैथी, होमियोपैथी, आयुर्वेदिक संस्थाओं की सरकार द्वारा स्वीकृत-----। खं० ६१, पृ० ४१४-४१५।

ऋ

ऋण--
प्र० वि०--सहारनपुर म्युनिसिपैलिटी द्वारा वाटर वर्क्स व ड्रेनेज के लिये प्रान्तीय सरकार से-----की मांग। खं० ६१, पृ० ४८३।

ए

एजूकेशन--
प्र० वि०--बदायूं में-----के लिये रुपये का वितरण एडल्ट खं० ६१, पृ० १४-१५।

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज -----(अमेंडमेंट) आर्डिनेंस। खं० ६१, पृ० ३२८।

ऐ

ऐलोपैथी--
प्र० वि०-- -----, होमियोपैथी, आयुर्वेदिक संस्थाओं को सरकार द्वारा स्वीकृत उपाधियां। खं० ६१, पृ० ४१४-४१५।

क

कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स--
प्र० वि०--फतेहपुर शहर में-----का सरकारी बोरों को अधिक दामों पर खरीदना। खं० ६१, पृ० ३९८-३९९।

क़त्ल--
प्र० वि०--महोली, जिला सीतापुर के आदर्श थाने में चोरी, डकैती तथा -----के मामलों की संख्या। खं० ६१, पृ० ४१८।

प्र० वि०--हरदोई जिले में सन् १९४८-४९ ई० में चोरी, डकैती और-----की घटनाएं। खं० ६१, पृ० ३७२।

कमलापति तिवारी, श्री--
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ५७०--५७३, ५७४--५८३।

कमिश्नरों--
प्र० वि०-- -----के कार्यालयों के हेड असिस्टेंटों के बारे में प्रश्न। खं० ६१, पृ० ३१३।

कमेटी--
हज-----के लिये चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ६०७।

हज-----के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ५६२।

कम्युनिस्ट--
प्र० वि०--हरनौट, जिला अलीगढ़ में-----और सोशलिस्टों की गिरफ्तारी। खं० ६१, पृ० ५५६।

कर्मचारियों--
प्र० वि०--आजमगढ़ की जजी कचहरी में-----की तरक्की। खं० ६१, पृ० ५५१।

प्र० वि०--आदर्श थानों में-----की नियुक्ति के लिये योग्यता। खं० ६१, पृ० ४१९।

प्र० वि०--पशु-पालन विभाग के-----के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० ६१, पृ० ४०७-४०८।

प्र० वि०--विभिन्न वर्षों में सिविल सेक्रेटेरियट में प्रत्येक विभाग के -----की संख्या। खं० ६१, पृ० ३०७।

घरेलू उद्योग धन्धे—
प्र० वि०—फिरोजाबाद के——को सरकारी सहायता। खं० ६१, पृ० २८—२९।

घाघरा—
प्र० वि०—गोंडा-लखनऊ मार्ग में सरजू तथा———पर पुलों की आवश्यकता। खं० ६१, पृ० ५५३।

घाटों—
प्र० वि०—यमुना किनारे की——आदि वाली जमीन के सम्बन्ध में आगरे की जनता की शिकायत। खं० ६१, पृ० ४१७—४१८।

घोषणा—
कतिपय समितियों के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में———। खं० ६१, पृ० ५०६—५०७, ५२८।

भारतीय पार्लियामेंट में २५ रिक्त स्थानों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ५७४।

सन् १९४९ ई० के रुड़की विश्वविद्यालय (युनाइटेड) (संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की ———। खं० ६१, पृ० ३२।

सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधेयक (बिल) पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की———। खं० ६१, पृ० ३३।

सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (संशोधन और कार्यवाहियों को वैध करने के) बिल पर महामान्य गवर्नर-जनरल की स्वीकृति की———। खं० ६१, पृ० ३३।

हज कमेटी के लिये सदस्यों के चुनाव के संबंध में———। खं० ६१, पृ० ५६२, ६०७।

च

चकबन्दी—
प्र० वि०—गांवों में खेतों की———। खं० ६१, पृ० ४१०।

चतुर्भुज शर्मा, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

चीफ इंजीनियर—
प्र० वि०—नहर विभाग के——की आज्ञा के विरुद्ध पदच्युत व्यक्तियों द्वारा अपील। खं० ६१, पृ० ४१५।

चुनाव—
कतिपय समितियों के लिए सदस्यों के———के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ५०६—५०७, ५२८।

प्र० वि०—पंचायती अदालतों के सरपंचों ———के सम्बन्ध में झगड़े। खं० ६१, पृ० ३०६।

भारतीय पार्लियामेंट में पच्चीस रिक्त स्थानों के——— के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ५७४।

प्र० वि०—बिलासपुर, जिला पीलीभीत में पंचायत के———के संबंध में शिकायत। खं० ६१, पृ० ८—९।

हज कमेटी के लिये सदस्यों के——— के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ५०७।

चोरी—
प्र० वि०—हरदोई जिले में १९४८—४९ ई० में———, डकैती और क़त्ल की घटनाएं। खं० ६१, पृ० ३१३।

प्र० वि०—बांदा की कोतवाली में——— की रिपोर्ट। खं० ६१, पृ० ५५०।

छ

छीना जाना—
प्र० वि०—किसानों से सीर के खेतों का ———। खं० ६१, पृ० ४१४।

ज

जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ३६८—३७०।

जगन्नाथ बख्श सिंह, श्री--
श्री अजीज अहमद खां तथा श्री बलभद्र सिंह की मृत्यु पर शोक संवाद। खं० ६१, पृ० २८।
श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव की मृत्यु पर शोक संवाद। खं० ६१, पृ० ३०।

जगमोहन सिंह नेगी, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

जजी कचहरी--
प्र० वि०--आजमगढ़ की----मे कर्मचारियों की तरक्की। खं० ६१, पृ० ५५१।

जनाना अस्पताल--
प्र० वि०--कन्नौज मे----की आवश्यकता। खं० ६१, पृ० ५५७।

जमशेद अली खां, श्री--
भारतीय पार्लियामेंट के रिक्त स्थानों के लिये चुनाव के सम्बन्ध मे घोषणा। खं० ६१, पृ० ५०८।

जमींदारियां--
प्र० वि०--कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन की गई----। खं० ६१, पृ० ३०५।

जमींदारी--
प्र० वि०--उन्मूलन ऐक्ट का कुमायूं कमिश्नरी मे लागू होना। खं० ६१, पृ० ३२६।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ----विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ३२९--३७१, ४८५--५०६, ५०८--५२८, ५६२--५७३, ५७४--६०७।

जरायम पेशा--
प्र० वि०-- ----क़ानून के अन्तर्गत विभिन्न जातियां। खं० ६१, पृ० ५५५।
प्र० वि०--बदायूं, एटा आदि जिलों मे यादव जाति को----करार देने के विषय में सरकारी नीति। खं० ६१, पृ० ४७८-४७९।

जहर से मृत्यु--
प्र० वि०--बांदा जेल में एक कैदी की ----। खं० ६१, पृ० ५५०-५५१।

जहीरुल हसनैन लारी, श्री--
श्री अजीज अहमद खां तथा श्री बलभद्र सिंह की मृत्यु पर शोक संवाद। खं० ६१, पृ० २७, २८।
श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव की मृत्यु पर शोक संवाद। खं० ६१, पृ० २९, ३०।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ३५, ४१।

जांच--
प्र० वि०--बनारस के अनाथालयों और विधवाश्रमों की पुलिस द्वारा----। खं० ६१, पृ० १०-११।

जातियां--
प्र० वि०--जरायम पेशा क़ानून के अन्तर्गत विभिन्न----। खं० ६१, पृ० ५५५।

जिलाधीश--
प्र० वि०--बलिया के------के कार्यालय के पेड अपरेंटिसों के विषय मे पूछताछ। खं० ६१, पृ० २०-२१।

जिला बोर्ड--
प्र० वि०---के अध्यापकों की हड़ताल से सहानुभूति प्रकट करने पर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की बर्खास्तगी। खं० ६१, पृ० ३९८।

जिलों--
प्र० वि०--विभिन्न----मे इमारतों का सरकारी काम के लिये हस्तगत करना। खं० ६१, पृ० ३--७।

जुए की अधिकता--
प्र० वि०--बांदा के आसपास----। खं० ६१, पृ० ५५०।

जुडीशियल मैजिस्ट्रेट--
प्र० वि०--पुलिस के स्पेशल प्रासीक्यूटिंग अफसरों का---- बनाया जाना। खं० ६१, पृ० ४०३-४०४।

जुर्मानों--
प्र० वि०--राजनीतिक आन्दोलन में किये गये जुर्मानों की वापसी। खं० ६१, पृ० ४१६-४१७।

जुर्मों की अधिकता—
गोंडा जिला के आदर्श थाना इटियाठोक में—। खं० ६१, पृ० ५५२।

जूट—
प्र० वि०—युक्त प्रान्त में—का पैदावार बढ़ाने के उपाय। खं० ६१, पृ० ६१८।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय —की जरूरी वस्तुओं के नियंत्रण का आलेख। खं० ६१, पृ० ३२८।

झ

झगड़े—
प्र० वि०—पंचायती अदालतों के सरपंचों के चुनाव के सम्बन्ध में —। खं० ६१, पृ० ३०६।

ट

टाउन एरिया कर्मचारियों—
प्र० वि०— —का नौकरी से हटने के लिये निर्धारित आयु। खं० ६१, पृ० ५४६।

टेन्डरों—
प्र० वि०—पर्चेशाप के सम्बन्ध में—का विवरण। खं० ६१, पृ० ६२५।

ट्रेनिंग—
प्र० वि०—प्रान्तीय रक्षक दल के सेक्शन लीडरों का—। खं० ६१, पृ० ३९७।

ट्रैक्टरों—
प्र० वि०—कृषि विभाग के लिए—की खरीद। खं० ६१, पृ० ४०४—४०६।
प्र० वि०—खराब—के खरीदे जाने का कारण। खं० ६१, पृ० ६२४।

ड

डकैतियों—
प्र० वि०—आगरा जिले में—की रोकथाम। खं० ६१, पृ० ३९९—४००।

डकैती—
प्र० वि०—हरदोई जिले में १९४८—४९ ई० में चोरी,—और क़त्ल की घटनाएं। खं० ६१, पृ० ३१३।

डिप्टी स्पीकर—
कतिपय समितियों के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ५०६—५०७।
भारतीय पार्लियामेंट के रिक्त स्थानों के लिये चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ५०७—५०८।
भारतीय पार्लियामेंट के २५ रिक्त स्थानों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ५७४।
लखनऊ में सदस्यों के लिये परमिट। खं० ६१, पृ० ३७२।
सन् १९४९ ई० का कोआपरेटिव सोसाइटीज (संयुक्त प्रान्तीय संशोधक) बिल। खं० ६१, पृ० ३८।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ५३, ५७, ६९, ४३७, ४३८—४३९, ४९४, ५०८।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने का (संशोधन) बिल। खं० ६१, पृ० ३९—४०।
हज कमेटी के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ७७।

डेरियों—
प्र० वि०—संयुक्त प्रान्त में—को सरकारी सहायता। खं० ६१, पृ० ५५५।

त

तहसीलदार एसोसियेशन, यू० पी०—
प्र० वि०— —का तनख्वाह बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र। खं० ६१, पृ० ५४४—५४५।

तहसीलदारों—
प्र० वि०—को एक जिले में रखने की अवधि। खं० ६१, पृ० ३२३।

त्यागपत्र—
प्र० वि०—कानपुर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन का—। खं० ६१, पृ० ९—१०।

थ

थाने--
आदर्श-----पे कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये योग्यता। खं० ६१, पृ० ४१९।
प्र० वि०--गड़ौली, जिला सीतापुर के आदर्श-----में चोरी, डकैती तथा क़त्ल के मामलों की संख्या। खं० ६१, पृ० ४१८।

द

दफा १४४--
प्र० वि०--स्थान, जहां १ अगस्त, १९४७ ई० से-----लागू है। खं० ६१, पृ० ३०६।

दिबियापुर बेला रोड--
प्र० वि०-----, इटावा को पक्की करना। खं० ६१, पृ० ३१७।

दीनदयालु अवस्थी, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

दुसाध जाति--
प्र० वि०--संयुक्त प्रान्त में-----के लोग। खं० ६१, पृ० ५४६-५४७।

देवनागरी लिपि--
प्र० वि०--अदालतों तथा सरकारी दफ्तरों में-----के प्रयोग का अभाव। खं० ६१, पृ० ३१२।

द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ४३--४८, ४५७, ४८५।

न

नत्थियां--
४५९--४६३, ६०८--६१२। खं० ६१, पृ० ३७३--३९४,

नर्सेज--
यूनाइटेड प्राविंसेज--एंड मिडवाइव्ज कौंसिल में काम करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२९।

नवाजिशअली खां, श्री--
कतिपय समितियों के लिये सदस्यों के चुनाव का कार्यक्रम। खं० ६१, पृ० ४३०।

नहर विभाग--
प्र०वि०-- -----के मुंशियों का वेतन। खं० ६१, पृ० ५५६-५५७।

नायब तहसीलदारों--
सन् १९४५ ई० में -----के रिक्त स्थानों का भरा जाना। खं० ६१, पृ० ५४४।

नियम--
हरिद्वार कुंभ मेला के-----। खं० ६१, पृ० ३४।

नियुक्ति--
प्र० वि०--आनरेरी खाद्य सलाहकार की-----। खं० ६१, पृ० ५४३।
प्र० वि०--प्रान्त में सब डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स और डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल की-----। खं० ६१, पृ० १७।

नियुक्तियां--
प्र० वि०--पंचायत निरीक्षकों के पदों पर-----। खंड ६१, पृ० ३१८-३१९।

निर्धारित आयु--
प्र० वि०--टाउन एरिया कर्मचारियों की नौकरी से हटने के लिये-----। खं० ६१, पृ० ५४६।

निरीक्षकों--
प्र० वि०--मशीनरी खरीदने वाले अफसरों व -----के नाम, अनुभव और विशेष योग्यताएं। खं० ६१, पृ० ६२२।

निर्वाचन--
कृषि तथा पशु-पालन स्थायी समिति में स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह द्वारा रिक्त हुए स्थान के लिये एक सदस्य के -----का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२९।
प्रान्तीय म्युजियम, लखनऊ की प्रबन्ध-कारिणी समिति के लिये एक सदस्य के-----का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२८।

बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति में कार्य करने के लिये एक सदस्य के——का प्रस्ताव। खं ६१, पृ० ३२९।

यूनाइटेड प्राविंसेज नर्सेज ऐंड मिड-वाइव्ज कौंसिल मे काम करने के लिये दो सदस्यो के——का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२९।

संयुक्त प्रान्तीय म्यूजियम एडवाइजरी बोर्ड में काम करने के लिये दो सदस्यो के——का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२८।

निहालुद्दीन, श्री——
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

सन् १९४९ ई० का सयुक्त प्रान्तीय जमीदारी विनाश ओर भूमि-व्यवस्था बिल। ख ६१, पृ० ४८–४९।

नीति——
प्र० वि०——साम्प्रदायिकता समाप्त करने के लिए सरकारी——तथा तरीके। खं० ६१, प० ६१९–६२०।

नील-गायो——
प्र० वि०——कृषि रक्षा के लिये बन्दरो तथा——के निकाले जाने की तरकीब। ख० ६१, पृ० ६२५।
प्र० वि०—— ——से खेती की हानि। खं० ६१, पृ० ४०८——४१०।

न्यू कौन्सिलर्स रेजीडेंस——
प्र० वि०—— ——, लखनऊ मे पानी की कुव्यवस्था। खं ६१, पृ० ४७७–४७८।

प

पंचायत——
प्र० वि०—— ——निरीक्षको के पदो पर नियुक्तिया। खं० ६१, पृ० ३१८–३१९।

पंचायती चुनाव——
प्र० वि०——जिला बिजनौर के——में साम्प्रदायिक अनुपात। खं० ६१, पृ० ५४८।

पंचायतो——
प्र० वि०——ग्राम——के लिये इन्स-पेक्टरों की योग्यता। खं० ६१, पृ० ६२१–६२२।

पब्लिक कैरियर्स——
प्र० वि०——सन् १९४८–४९ में जिला इलाहाबाद मे राजनीतिक पीडितों को——के परमिट। खं० ६१, पृ० २१, २२।

परती जमीन——
प्र० वि०——जिला देवरिया मे खेती के योग्य——। खं० ६१, पृ० ४७०।
प्र० वि०——रियासत कुंडवा, तमकोही, सलेमगढ, पडरौना मे——। खं० ६१, पृ० ४७०–४७१।

परमिट——
प्र० वि०——राजनतिक पीडितो को मोटर ओर लारी के——। ख० ६१, पृ० ३०८।
लखनऊ मे विधान मण्डल के सदस्यों के लिये कर्फ्यू के——। खं० ६१, पृ० ३७२।
प्र० वि०——सन् १९४८–४९ मे जिला इलाहाबाद मे राजनीतिक पीडितों को पब्लिक कैरियर्स के——। खं० ६१, पृ० २१–२२।

परिगणित जातियो——
प्र० वि०——प्रान्तीय सिविल सर्विस (एक्जीक्यूटिव) प्रतियोगिता मे——के लिये सुविधायें। ख० ६१, पृ० २३–२४।

परिगणित जाति वालो——
प्र० वि०——पी० सी० एस० मे——के लिये जगहो की व्यवस्था। खं० ६१, पृ० ३१२।

पशुओ——
प्र० वि०——कमोला, धमोला, जिला नैनीताल मे——की चोरी। खं० ६१, पृ० ५४७।

पशु-पालन——
प्र० वि०—— ——विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध मे पूछ ताछ। खं० ६१, पृ० ४०७–४०८।

पशुलोक——
प्र० वि०——ऋषीकेश के निकट अवस्थित ——का आय-व्यय। खं० ६१, पृ० ४८४–४८५।

पशुवध——
प्र० वि०——डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बहराइच के ——सम्बन्धी उपनियमों पर

सरकारी नीति पर असन्तोष। खं० ६१, पृ० ४००-४०१।

पाक्षिक रिपोर्ट--
प्र० वि०--मैजिस्ट्रेटों के मुक़द्दमों की -----। खं० ६१, पृ० ४०४।

पानी--
प्र० वि०--न्यू कांन्सिलर्स रेजीडेंस, लखनऊ में-----की कुव्यवस्था। खं० ६१, पृ० ४७७-४७८।
प्र० वि०--शारदा केनाल से बाराबंकी जिले को अपर्याप्त-----। खंड ६१, पृ० ४८२-४८३।

पार्लियामेंट--
भारतीय-----में २५ रिक्त स्थानों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ५७४।

पी० सी० एस०--
प्र० वि०-- -----में परिगणित जाति वालों के लिये जगहों की व्यवस्था। खं० ६१, पृ० ३१२।

पुलिस--
प्र० वि०--कुमायूं डिवीजन में रेग्युलर -----के थानों में थानेदारों का निजी अथवा सरकारी व्यय पर कानूनी पुस्तकें आदि रखना। खं० ६१, पृ० ३२४।
प्र० वि०--देवरिया जिले में-----के अमले में वृद्धि। खं० ६१, पृ० ४७२।
प्र० वि०--रक्षक दल और-----में कशमकश। खं० ६१, पृ० ९।

पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

पेट्रोल--
प्र० वि०--प्रान्त में-----का आयात तथा वितरण। खं० ६१, पृ० १५-१७।

पेड अपरेंटिस--
प्र० वि०--बलिया के जिलाधीश के कार्यालय के-----के विषय में पूछताछ। खं० ६१, पृ० २०-२१।

पेशगी--
प्र० वि०--कृषि सम्बन्धी मशीनरी खरीदने के लिये दो लाख रुपया -----दिया जाना। खं० ६१, पृ० ६२४।

प्रजा--
प्र० वि०--अन्न संग्रह योजना से-----में असन्तोष। खं० ६१, पृ० ५४५।

प्रदर्शनी--
प्र० वि०--बुलन्दशहर जिला----- का प्रबन्ध और उस पर खर्च। खं० ६१, पृ० ३०९-३१०।

प्रबन्ध--
प्र० वि०--जिलों में सरकारी अफसरों के रहने का-----। खं० ६१, पृ० ३०७।

प्रश्नोत्तर

अब्दुल हमीद, श्री--
रुड़की डिवीजन में नहर गंग के शरकी रजबहा से सिंचाई। खं० ६१, पृ० ५४८।

इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री--
ग्राम पंचायतों के लिये इन्सपेक्टरों की योग्यता। खं० ६१, पृ० ६२१-६२२।

कालीचरण टंडन, श्री--
कन्नौज के सिविल अस्पताल का प्रान्तीयकरण। खं० ६१, पृ० ५५७।
कन्नौज में जनाना अस्पताल की आवश्यकता। खं० ६१, पृ० ५५७।
कन्नौज में हथियारों की जब्ती। खं० ६१, पृ० ५५७-५५८।
फर्रुखाबाद जिले में सन् १९४०-४२ ई० तक सामूहिक चन्दा। खं० ६१, पृ० ५५९--५६१।
फर्रुखाबाद जिले में १९४२ ई० से १९४५ ई० तक सामूहिक जुर्माना। खं० ६१, पृ० ५५८-५५९।

कुंजबिहारीलाल शिवानी, श्री--
झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा बिजली का उत्पादन तथा वितरण। खं० ६१, पृ० ३१६।
राजनैतिक आन्दोलन में किये गये जुर्माने की वापसी। खं० ६१, पृ० ४१६।

कुशलानन्द गैरोला, श्री--
अपर गढ़वाल के हरिजनों को सहायता। खं० ६१, पृ० २०।

[प्रश्नोत्तर]
नई शिक्षा संस्थाओं का स्थायीकरण तथा उनकी उन्नति। खं० ६१, पृ० १९–२०।

कृपा शंकर, श्री—
रक्षकदल और पुलिस में कशमकश। खं० ६१, पृ० ९।

कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री—
आदर्श थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये योग्यता। खं० ६१,पृ० ४१९।
महोली, जिला सीतापुर के आदर्श थाने में चोरी, डकैती तथा कत्ल के मामलों की संख्या। खं० ६१, पृ० ४१ – ४१९।

खुशवक्त राय, श्री—
पिछले दो आर्थिक वर्षों में सेक्रेटेरियट में अवैतनिक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति। खं० ६१, पृ० ४७५—४७७।
बलिया के जिलाधीश के कार्यालय के पेड अपरेंटिसों के विषय में पूछ-ताछ। खं० ६१, पृ० २०–२१।
सन् १९४८–४९ में जिला इलाहाबाद में राजनीतिक पीड़ितों को पब्लिक कैरियर्स के परमिट। खं० ६१, पृ० २१–२२।

खुशीराम, श्री—
कमोला, धमोला, जिला नैनीताल में पशुओं की चोरी। खं० ६१, पृ० ५४७।

गंगाधर, श्री—
प्रांतीय सिविल सर्विस (एग्जीक्यूटिव) प्रतियोगिता में परिगणित जातियों के लिये सुविधायें। खं० ६१, पृ० २३–२४।

गंजधर प्रसाद, श्री—
आजमगढ़ की जजी कचेहरी में कर्मचारियों की तरक्की। खं० ६१, पृ० ५५१।
कोआपरेटिव विभाग के सुपरवाइजरों का वेतन। खं० ६१, पृ० ५५२।
ग्राम सुधार आर्गनाइजरों का कोआपरेटिव सोसाइटी के अन्तर्गत सुपरवाइजर बनाया जाना। खं० ६१, पृ० ५५१।
नुर्वी, जिला जालौन में पंडित रामचरण के कत्ल की झूठी खबर। खं० ६१, पृ० ५५१।
जिला आजमगढ़ के गांधी हरिजन गुरुकुल को सरकारी सहायता। खं० ६१, पृ० ४७९–४८०।
जिला आजमगढ़ में महाराजगंज स्कूल के छात्र श्री बीरबल सिंह पर जुर्माना। खं० ६१, पृ० २३।
शिक्षा विभाग के जिला इंस्पेक्टरों के अन्तर्गत हरिजन अध्यापकों का अनुपात। खं० ६१, पृ० ४७९।
साम्प्रदायिकता समाप्त करने के लिए सरकारी नीति तथा तरीके। खं० ६१, पृ० ६१९–६२०।

गणेशकृष्ण जाटो, श्री—
ऐलोपैथी, होमियोपैथी, आयुर्वेदिक संस्थाओं की सरकार द्वारा स्वीकृत उपाधियां। खं० ६१, पृ० ४१४।
किसानों से सीर के खेतों का छीना जाना। खं० ६१, पृ० ४१४।
जिला फैजाबाद के घरेलू उद्योग-धंधों के विषय में पूछताछ। खं० ६१, पृ० ४१०—४१४।

चतुर्भुज शर्मा, श्री—
औद्योगिक तथा व्यापारिक अन्वेषण के लिये किसी संस्था की स्थापना। खं० ६१, पृ० १४।
जिला जालौन के भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी की कार्यवाही। खं० ६१, पृ० ६२५–६२६।
जिला जालौन के मैजिस्ट्रेट के फैसले पर सुपरिटेंडेंट पुलिस द्वारा नुक्ताचीनी। खं० ६१, पृ० ६२२।
"लोकमत" अखबार उरई पर अदालत की मानहानि का मुकद्दमा। खंड ६१, पृ० ६२२।
सरकार का ईस्ट अफ्रीका से बिनौला खरीदना। खं० ६१, पृ० ६१५–६१६।
सीमेंट और रेयान फैक्टरियों के लिए मशीनों की खरीद। खं० ६१, पृ० ५४५।

जगमोहन सिंह नेगी, श्री—
- जिला गढ़वाल के राजनीतिक पीड़ितों द्वारा सरकार के पास आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० ६१, पृ० ६२०-६२१।
- मरोड़ा नयार बांध पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट। खं० ६१, पृ० ६१७-६१८।
- लैंसडाउन, गढ़वाल की जनता का सरकार के पास लड़कियों के स्कूल में कक्षा ९ खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० ६१, पृ० ६१६-६१७।
- लैंसडाउन से गुमखाल तक मोटर सड़क बनवाना। खं० ६१, पृ० ६१७।

दीनदयालु अवस्थी, श्री—
- दिबियापुर-बेला रोड, इटावा को पक्की करना। खं० ६१, पृ० ३१७।

दीनदयालु शास्त्री, श्री—
- आनरेरी खाद्य सलाहकार की नियुक्ति। खं० ६१, पृ० ५४३।
- ऋषीकेश के निकट अवस्थित पशुलोक का आय-व्यय। खं० ६१, पृ० ४८४-४८५।
- ऋषीकेश में खाद बनाने की योजना। खं० ६१, पृ० ४८४।
- एटा से कासगंज तक सरकारी मोटर गाड़ियों का चालू किया जाना। खं० ६१, पृ० ४८४।
- वैद्यों को ट्रेनिंग देकर मेडिकल कालेजों की अंतिम परीक्षा में बैठने की सुविधा। खं० ६१, पृ० ४८३।
- सहारनपुर म्युनिसिपैलिटी द्वारा वाटर वर्क्स व ड्रेनेज के लिये प्रान्तीय सरकार से ऋण की मांग। खं० ६१, पृ० ४८३।

द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री—
- पी० सी० एस० में परिगणित जाति वालों के लिये जगहों की व्यवस्था। खं० ६१, पृ० ३१२।
- मार्केटिंग सेक्शन के काम और उस पर खर्चा। खं० ६१, पृ० ३।
- सन् १९४७-४८ ई० की अपेक्षा सन् १९४८-४९ ई० में गल्ले की उपज। खं० ६१, पृ० ४।

निहालुद्दीन, श्री—
- कमिश्नरों के कार्यालयों के हेड असिस्टेंटों के बारे में प्रश्न। खं० ६१, पृ० ३१३।
- प्रांत के कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के बारे में ब्यौरा। खं० ६१, पृ० १३।

पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती—
- विलायत और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में प्रांत के विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को मान्यता। खं० ६१, पृ० ८।

फखरुल इस्लाम, श्री—
- कानपुर में गल्ला गोदाम का उद्घाटन। खंड ६१, पृ० ५६१-५६२।
- टाउन एरिया कर्मचारियों को नौकरी से हटने के लिये निर्धारित आयु। खं० ६१, पृ० ५४६।
- न्यू कौन्सिलर्स रेजीडेंस, लखनऊ में पानी की कुव्यवस्था। खंड ६१, पृ० ४७७-४७८।

फतेह सिंह राणा, श्री—
- जिलेवार कृषि के औजारों का कोटा। खं० ६१, पृ० १२।

बनारसीदास, श्री—
- बुलन्दशहर जिला प्रदर्शिनी का प्रबन्ध और उस पर खर्च। खं० ६१, पृ० ३०९-३१०।
- राजनीतिक पीड़ितों को मोटर और लारी के परमिट। खं० ६१, पृ० ३०८।

बलदेव प्रसाद, श्री—
- गोंडा जिला के आदर्श थाना इटियाठोक में जुर्मों की अधिकता। खं० ६१, पृ० ५५२।

बशीर अहमद अंसारी, श्री—
- जिला बिजनौर के पंचायती चुनाव में साम्प्रदायिक अनुपात। खं० ६१, पृ० ५४८।

बादशाह गुप्त, श्री—
- जिला बोर्डों के अध्यापकों के वेतन का बकाया। खं० ६१, पृ० १२-१३।

[प्रश्नोत्तर]
प्रान्त में सब-डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स और डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स की नियुक्ति। ख० ६१, पृ० १७।

भगवानदीन मिश्र, श्री--
गोंडा-लखनऊ मार्ग में सरजू तथा घाघरा पर पुलों की आवश्यकता। ख० ६१, पृ० ५५३।
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बहराइच के पशुवध सम्बन्धी उपनियमों पर सरकारी नीति पर असन्तोष। ख० ६१, पृ० ४००-४०१।

भगवान सिंह, श्री--
गढ़वाल ऊन योजनाओं के सम्बन्ध में पूछताछ। ख० ६१, पृ० ६--८।
भिकारीपुर, जिला पीलीभीत से पंचायत के चुनाव के संबंध में शिकायत। ख० ६१, पृ० ८-९।

भारत सिंह यादवाचार्य, श्री--
ग्राम सुधार योजना के अन्तर्गत ग्रामों का सुधार। ख० ६१, पृ० ११।
जरायम पेशा कानून के अन्तर्गत विभिन्न जातियां। ख० ६१, पृ० ५५५।
बदायूं, एटा आदि जिलों में यादव जाति को जरायम पेशा करार देने के विषय में सरकारी नीति। ख० ६१, पृ० ४७८-४७९।
सदस्यों की सिफारिश पर कार, लारी तथा ट्रकों के लाइसेंस। ख० ६१, पृ० ११-१२।
संयुक्त प्रान्त में डेरियों को सरकारी सहायता। ख० ६१, पृ० ५५५।

मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री--
पंचायत निरीक्षकों के पदों पर नियुक्तियां। ख० ६१, पृ० ३१८-३१९।
पीलीभीत में सेशन्स के मुकदमों की सुनवाई तथा असेसरों की उपस्थिति। ख० ६१, पृ० ३१०--३१२।

मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री--
जिला बस्ती में लारियों का कुप्रबन्ध। ख० ६१, पृ० १८-१९।

मुहम्मद असरार अहमद, श्री--
१ अक्तूबर, १९४८ ई० से २८ गई, १९४८ ई० तक भूख हड़ताल करने वाले कैदियों के बारे में ब्योरा। ख० ६१, पृ० २६।
कुछ सरकारी विभागों का डाइरेक्ट (सीधे) सामान खरीदना। ख० ६१, पृ० ४-५।
कृषि विभाग के लिये ट्रैक्टरों की खरीद। ख० ६१, पृ० ४०४--४०६।
कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन की गई जमींदारियां। ख० ६१, पृ० ३०५।
गल्ला वसूली योजना के सिलसिले में माननीय सचिवों तथा सभा-मंत्रियों के दौरे। ख० ६१, पृ० २६--२८।
जिला बदायूं में बिजली के लाड में वृद्धि। ख० ६१, पृ० ४०६-४०७।
जिलों में सरकारी अफसरों के रहने का प्रबन्ध। ख० ६१, पृ० ३०७।
तहसीलदारों को एक जिले में रखने की अवधि। ख० ६१, पृ० ३२३।
पंचायती अदालतों के सरपंचों के चुनाव के सम्बन्ध में झगड़े। ख० ६१, पृ० ३०६।
प्रान्त में पेट्रोल का आयात तथा वितरण। ख० ६१, पृ० १५--१७।
बदायूं में एडल्ट एजूकेशन के लिये रुपये का वितरण। ख० ६१, पृ० १४-१५।
विभिन्न जिलों में इमारतों का सरकारी काम के लिये हस्तगत करना। ख० ६१, पृ० ३०७।
विभिन्न वर्षों में सिविल सेक्रेटेरियट में प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों की संख्या। ख० ६१, पृ० ३०७।
सोशल वर्कर्स को बन्दूक और पिस्तौल के लाइसेंसों का दिया जाना। ख० ६१, पृ० ३०६।
स्थान, जहां १ अगस्त, १९४७ से दफा १४४ लागू है। ख० ६१, पृ० ३०६।

मुहम्मद शाहिद फाखर, श्री--
कोआपरेटिव सोसाइटी की सदस्यता के लिये नियम। ख० ६१, पृ० ४६७।

यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री—
कुमायूं डिवीजन के पटवारियों तथा उजरती अमीनों को मासिक वेतन तथा भत्ता। खं० ६१, पृ० ३२६।
कुमायूं डिवीजन में नयाबाद प्रोसीडिंग का काम। खं० ६१, पृ० ३२६।
कुमायूं डिवीजन में रेग्युलर पुलिस के थानों में थानेदारों का निजी अथवा सरकारी व्यय पर क़ानूनी पुस्तकें आदि रखना। खं० ६१, पृ० ३२४।
गढ़वाल जिले में यात्रा लाइन पर काम करने वाले सरकारी सैनीटरी इंस्पेक्टरों तथा मेहतरों का वेतन। खं० ६१, पृ० ३२४।
चमोली तहसील के क्लर्कों की महंगाई बढ़ाने के लिये जिलाधीश, गढ़वाल का प्रार्थना-पत्र। खं० ६१, पृ० ३२५।
ज़मींदारी उन्मूलन ऐक्ट का कुमायूं कमिश्नरी में लागू होना। खं० ६१, पृ० ३२६।
पिछले चार वर्षों में बद्रीनाथ तथा केदारनाथ में आटा तथा चावल का भाव। खं० ६१, पृ० ३२५।
बद्रीनाथ-केदारनाथ के यात्रियों को सुविधाएं। खं० ६१, पृ० ३२६—३२८।
बनारस के अनाथालयों और विधवाश्रमों की पुलिस द्वारा जांच। खं० ६१, पृ० १०—११।
रघुवीर सहाय, श्री—
कुंवर दयाशंकर ई० एम० इन्टर कालेज, बरेली के अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत। खं० ६१, पृ० ५४५।
यू० पी० तहसीलदार एसोसियेशन का तनख्वाह बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र। खं० ६१, पृ० ५४४—५४५।
सन् १९४५ ई० में नायब तहसीलदारों के रिक्त स्थानों का भरा जाना। खं० ६१, पृ० ५४४।
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री—
अदालतों तथा सरकारी दफ्तरों में देवनागरी लिपि के प्रयोग का अभाव। खं० ६१, पृ० ३१२।
चालानी मुक़द्दमों का सबूत न मिलने के कारण स्थगित किया जाना। खं० ६१, पृ० ३१३।
मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों में बिजली की सप्लाई। खं० ६१, पृ० ३१३।
हरदोई जिले में १९४८—४९ ई० में चोरी, डकैती और क़त्ल की घटनाएं। खं० ६१, पृ० ३१३।
रामचन्द्र पालीवाल, श्री—
घरेलू उद्योग-धंधों को सरकारी सहायता। खं० ६१, पृ० २४।
फीरोजाबाद के घरेलू उद्योग-धंधों को सरकारी सहायता। खं० ६१, पृ० २४—२६।
रामचन्द्र सेहरा, श्री—
यमुना किनारे की घाटों आदि वाली जमीन के सम्बन्ध मे आगरे की जनता की शिकायत। खं० ६१, पृ० ४१७—४१८।
रामजी सहाय, श्री—
संयुक्त प्रान्त में दुसाध जाति के लोग। खं० ६१, पृ० ५४६—५५७।
रामशरण, श्री—
संयुक्त प्रान्तीय स्कूलों के शिक्षकों के वेतन का क्रम। खं० ६१, पृ० ३१४—३१६।
रोशनजमां खां, श्री—
जिला देवरिया में खेती के योग्य परती जमीन। खं० ६१, पृ० ४७०।
जिला देवरिया में गेहूं के बीज के दाम। खं० ६१, पृ० ४७०।
जिला देवरिया में बीज तथा तकावी की वसूली। खं० ६१, पृ० ४७०।
जिला देवरिया में यू० पी० शुगर कम्पनी लिमिटेड के फार्मों के बारे में पूछताछ। खं० ६१, पृ० ४७२—४७४।
१३५६ फसली में देवरिया जिले में खेती की पैदावार एवं अकाल से

[प्रश्नोत्तर]
उत्पन्न स्थिति के विषय में पूछ-ताछ। ख० ६१, पृ० ४६८—४६९।
देवरिया जिले में पुलिस के अमले में वृद्धि। खंड ६१, पृ० ४७२।
बदायूं में सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री, श्री राधेश्याम की गिरफ्तारी। ख० ६१, पृ० ५५६।
मकोही राज, जिला देवरिया का कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में आना तथा उससे वहां की खेती तथा मजदूरों पर असर। ख० ६१, पृ० ४७१—४७२।
रियासत फुडवा, तमकोही, सलेमगढ़, पडरौना में परती जमीन। ख० ६१, पृ० ४७०—४७१।
हरनोट, जिला अलीगढ़ में कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों की गिरफ्तारी। ख० ६१, पृ० ५५८।

लक्ष्मीदेवी, श्रीमती—
आगरा जिले में डकैतियों की रोकथाम। ख० ६१, पृ० ३९९—४००।
आगरा—बाह सड़क पर सरकार की बसें चलाने का विचार। ख० ६१, पृ० ३९९।
गांवों में खेतों की चकबन्दी। ख० ६१, पृ० ४१०।
नीलगायों से खेती की हानि। ख० ६१, पृ० ४०८—४१०।

लालबिहारी टंडन, श्री—
गोंडा जिला के आदर्श थाना इटियाठोक में जुर्मों की अधिकता। ख० ६१, पृ० ५५२।
गोंडा जिला में इटियाठोक—खरगपुर सड़क की खराब हालत। ख० ६१, पृ० ५५४।
गोंडा-लखनऊ मार्ग में सरजू तथा घाघरा पर पुलों की आवश्यकता। ख० ६१, पृ० ५५३।

वंशगोपाल, श्री—
जिला बो... के ... नापकों की हड़ताल से सहानुभूति प्रकट करने पर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की बरखास्तगी। ख० ६१, पृ० ३९८।
प्रान्त में गल्ला वसूली के सिलसिले में गिरफ्तारियां तथा दंड का ब्योरा। ख० ६१, पृ० ३२६।
प्रान्तीय रक्षक दल के नेवजान लीडरों की ट्रेनिंग। ख० ६१, पृ० ३९७।
फतेहपुर जिले के शाखा ग्राम में ६ आदमियों से १६०० रु० वसूल करने का मामला। ख० ६१, पृ० ३२०—३२१।
फतेहपुर जिले में गल्ले की वसूली। ख० ६१, पृ० ३२१।
फतेहपुर शहर में कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स का सरकारी बोरों को अधिक दामों पर खरीदना। ख० ६१, पृ० ३९८—३९९।
खजुहा तहसील, जिला फतेहपुर में सरकारी गल्ला वसूली की मात्रा और बाजार भाव से कम का मूल्य दिया जाना। ख० ६१, पृ० ३२२।
सूबे में किसानों से गल्ला वसूली की योजना में अपवाद। ख० ६१, पृ० ४७४—४७५।

बशीर... मिश्र, श्री—
कानपुर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन का त्याग-पत्र। ख० ६१, पृ० ९, १०।
खीरी जिला के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई इन्सपेक्टर के विरुद्ध अभियोग। ख० ६१, पृ० ६१८—६१९।
युक्त प्रान्त में चावल, गेहूं तथा गन्ना की वार्षिक औसत उपज। ख० ६१, पृ० ६१८।
युक्त प्रान्त में जूट की पैदावार बढ़ाने के उपाय। ख० ६१, पृ० ६१८।

विजयानन्द मिश्र, श्री—
नहर विभाग के एक इंजीनियर की आज्ञा के विरुद्ध पदच्युत व्यक्तियों द्वारा अपील। ख० ६१, पृ० ४१५।

श्रीचन्द्र सिंघल, श्री—
अलीगढ़ के हाकिम उस्मान को हथकड़ी डालकर जेल भेजना। ख० ६१, पृ० ४०२—४०३।
तराई भाबर गवर्नमेंट इस्टेट का सुधार। ख० ६१, पृ० ३१९।

तराई भावर गवर्नमेंट इस्टेट के किसानों को माफी की लकड़ी और सीमेंट की चादरें दिया जाना। खं० ६१, पृ० ३२०।

पुलिस के स्पेशल प्रासीक्यूटिंग अफसरों का जुडीशियल मैजिस्ट्रेट बनाया जाना। खं० ६१, पृ० ४०३–४०४।

मैजिस्ट्रेटों के मुक़द्दमों की पाक्षिक रिपोर्ट। खं० ६१, पृ० ४०४।

राजनीतिक पीड़ितों को सुविधायें। खं० ६१, पृ० ४०१–४०२।

सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री—

कृषि रक्षा के लिये बन्दरों तथा नीलगायों के निकाले जाने की तरकीब। खं० ६१, पृ० ६२५।

कृषि सम्बन्धी मशीनरी खरीदने के लिये दो लाख रुपया पेशगी दिया जाना। खं० ६१, पृ० ६२४।

खराब ट्रैक्टरों के खरीदे जाने का कारण। खं० ६१, पृ० ६२४।

मशीनरी खरीदने वाले अफसरों व निरीक्षकों के नाम, अनुभव और विशेष योग्यतायें। खं० ६१, पृ० ६२२।

वर्कशाप के सम्बन्ध में टेन्डरों का विवरण। खंड ६१, पृ० ६२५।

स्टोर पर्चेज डिपार्टमेंट तथा उसके अफसरान के विरुद्ध सरकारी कार्यवाही। खं० ६१, पृ० ६२२—६२४।

हरगोविन्द पन्त, श्री—

जिला अलमोड़ा में मधुमक्खी पालने के लिये सहायता। खं० ६१, पृ० ४२०–४२१।

पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० ६१, पृ० ४०७–४०८।

सरकारी योजना के अन्तर्गत प्रान्त में शहद की पैदावार। खं० ६१, पृ० ४१९–४२०।

हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री—

नहर विभाग के मुंशियों का वेतन। खं० ६१, पृ० ५५६–५५७।

शारदा कैनाल से बाराबंकी जिले को अपर्याप्त पानी। खं० ६१, पृ० ४८२–४८३।

हरप्रसाद सिंह, श्री—

अन्न संग्रह योजना के अन्तर्गत संगृहीत गल्ले के भाव। खं० ६१, पृ० ५४९।

अन्न संग्रह योजना से प्रजा में असन्तोष। खं० ६१, पृ० ५५०।

बांदा के आस पास जुये की अधिकता। खं० ६१, पृ० ५५०।

बांदा कोतवाली में चोरी की रिपोर्टें। खं० ६१, पृ० ५५०।

बांदा जेल में एक क़ैदी की ज़हर से मृत्यु। खं० ६१, पृ० ५५०–५५१।

प्रस्ताव—

आर्कालाजिकल म्यूजियम, मथुरा की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का——। खं० ६१, पृ० ३२८।

कृषि तथा पशु-पालन स्थायी समिति में स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह द्वारा रिक्त हुये स्थान के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का——। खं० ६१, पृ० ३२९।

जालौन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट के उपचुनाव के सम्बन्ध में 'कामरोको' ——। खं० ६१, पृ० ३१, ३२।

देवरिया जिले में रबी की फसल, किसान सत्याग्रह तथा सत्याग्रही बंदियों के विषय में 'कामरोको'——। खं० ६१, पृ० ३२।

प्रान्त में चीनी के मूल्य नियंत्रण के सम्बन्ध में 'कामरोको'——। खं० ६१, पृ० ३३।

प्रान्तीय म्यूजियम, लखनऊ की प्रबन्ध-कारिणी समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का——। खं० ६१, पृ० ३२८।

बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति में कार्य करने के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का ——। खं० ६१, पृ० ३२९।

[प्रस्ताव]

भूमिधरी अधिकार तथा जमींदारी उन्मूलन कोष एकत्र करने के विषय में 'कामरोको'——। ख० ६१, पृ० ३२।

यूनाइटेड प्राविंसेज नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में काम करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का——। ख० ६१, पृ० ३२९।

संयुक्त प्रान्तीय म्यूजियम एडवाइजरी बोर्ड में काम करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का——। ख० ६१, पृ० ३२८।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों——
प्र० वि०——जिला बोर्ड के अध्यापकों की हड़ताल से सहानुभूति प्रकट करने पर——की बरखास्तगी। ख० ६१, पृ० ३९८।

प्राग नारायण, श्री——
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ५८३——५८७।

प्रान्तीय रक्षक दल——
प्र० वि०——के सेक्शन लीडरों की ट्रेनिंग। ख० ६१, पृ० ३९७।

प्रान्तीय सिविल सर्विस——
प्र० वि०——(एक्जीक्यूटिव) प्रतियोगिता में परिगणित जातियों के लिये सुविधायें। खं० ६१, पृ० २३–२४।

प्रार्थना-पत्र——
प्र० वि०——जिला गढ़वाल के राजनीतिक पीड़ितों द्वारा सरकार के पास आर्थिक सहायता के लिये——। खं० ६१, पृ० ६२०–६२१।

प्र० वि०——यू० पी० तहसीलदार एसोसियेशन का तनख्वाह बढ़ाने के सम्बन्ध में——। खं० ६१, पृ० ५४४–५४५।

प्र० वि०——लैन्सडाउन, गढ़वाल की जनता का सरकार के पास लड़कियों के स्कूल में कक्षा ९ खोलने के लिये——। खं० ६१, पृ० ६१६–६१७।

प्रासीक्यूटिंग अफसरों——
प्र० वि०——पुलिस के स्पेशल——का जुडीशियल मैजिस्ट्रेट बनाया जाना। ख० ६१, पृ० ४०३–४०४।

प्रेम किशन खन्ना, श्री——
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। ख० ६१, पृ० ५८७–५८९।

फ

फखरुल इस्लाम, श्री——
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ४९१, ४९७——५०६, ५०८–५०९।

फतेह सिंह राणा, श्री——
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ४५५।

फूलसिंह, श्री——
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ४४१, ४४२, ४४३, ४४३–४४४, ४४५——४५१।

ब

बनारसी दास, श्री——
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

बन्दरों——
प्र० वि०——कृषि रक्षा के लिये——तथा नीलगायों के निकाले जाने की तरकीब। खं० ६१, पृ० ६२५।

बन्दूक और पिस्तौल——
प्र० वि०——सोशल वर्कर्स को——के लाइसेंसों का दिया जाना। खं० ६१, पृ० ३०६।

बरखास्तगी——
प्र० वि०——जिला बोर्ड के अध्यापकों की हड़ताल से सहानुभूति प्रकट करने पर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की——। खं० ६१, पृ० ३९८।

बलदेव प्रसाद, श्री——
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

बलभद्र सिंह ——
श्री अजीज अहमद खां तथा श्री———की मृत्यु पर शोक संवाद। खं० ६१, पृ० २७–२८।

बशीर अहमद अन्सारी, श्री——
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

बसें——
प्र० वि०——आगरा–बाह सड़क पर सरकार का———चलाने का विचार। खं० ६१, पृ० ३९९।

बादशाह गुप्त, श्री——
देखिये 'प्रश्नोत्तर"।

बांध——
प्र० वि०——मरोड़ा नगार———पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट। खं० ६१, पृ० ६१७–६१८।

बिजली——
प्र० वि०——झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा———का उत्पादन तथा वितरण। खं० ६१, पृ० ३१६।
प्र० वि०——मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों में———की सप्लाई। खं० ६१, पृ० ३१३।
प्र० वि०——जिला बदायूं में———के लोड में वृद्धि। खं० ६१, पृ० ४०६–४०७।

बिनौला——
प्र० वि०——सरकार का ईस्ट अफ्रीका से———खरीदना। खं० ६१, पृ० ६१५–६१६।

बिल——
सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय शुद्ध खाद्य———(आलेख)। ख० ६१, पृ० ३७।
सन् १९४९ ई० का कोआपरेटिव सोसायटीज (संयुक्त प्रांतीय संशोधक)———। खं० ६१, पृ० ३७–३८।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांत के शरणार्थियों को बसाने के लिये (भूमि प्राप्त करने का) (संशोधन)———। खं० ६१, पृ० ३८——४०।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था———। खं० ६१, पृ० ३४——३७, ४०——६९, ३२९——३७१, ४२१——४३०, ४३१——४५८, ४८५–५०६, ५०८——५२८, ५६२–५७३, ५७४——६०७।

बीज तथा तकावी——
प्र० वि०——जिला देवरिया में———की वसूली। खं० ६१, पृ० ४७०।

बोरों——
प्र० वि०——फतेहपुर शहर में कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स का सरकारी———को अधिक दामों पर खरीदना। खं० ६१, पृ० ३९८–३९९।

ब्योरा——
प्र० वि०——१ अक्टूबर, सन् १९४८ ई० से २८ मई, सन् १९४९ ई० तक भूख–हड़ताल करने वाले क़ैदियों के बारे में———। खं० ६१, पृ० २६।

भ

भगवानदीन मिश्र, श्री——
देखिये 'प्रश्नोत्तर"।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ६०——६६।

भगवान सिंह, श्री——
देखिये 'प्रश्नोत्तर"।

भारत सिंह यादवाचार्य, श्री——
देखिये 'प्रश्नोत्तर"।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ५२–५३।

भारतीय पार्लियामेंट——
———के रिक्त स्थानों के लिये चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ५०७–५०८।

भूख हड़ताल——
प्र० वि०——१ अक्टूबर सन् १९४८ ई० से २८ मई सन् १९४९ ई० तक———करने वाले कैदियों के बारे में ब्योरा। खं० ६१, पृ० २६।

भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी—
प्र० वि०—जिला जालौन के——— की कार्यवाही। खं० ६१, पृ० ६२५–६२६।

म

मकोही राज—
प्र० वि०———, जिला देवरिया का कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में आना तथा उससे वहां की खेती तथा मजदूरों पर असर। खं० ६१, पृ० ४७१–४७२।

मशीनरी—
प्र० वि०—कृषि सम्बन्धी———खरीदने के लिये दो लाख रुपया पेशगी दिया जाना। खं० ६१, पृ० ६२४।
प्र० वि०— ———खरीदने वाले अफसरों व निरीक्षकों के नाम, अनुभव और विशेष योग्यतायें। खं० ६१, पृ० ६२२।

मशीनों की खरीद—
प्र० वि०—सीमेंट और रेयान फैक्टरियों के लिये———। खं० ६१, पृ० ५४५–५४६।

महंगाई—
प्र० वि०—चमोली तहसील के क्लर्कों की ———बढ़ाने के लिये जिलाधीश, गढ़वाल का प्रार्थना-पत्र। खं० ६१, पृ० ३२५।

महमूद अली खां, श्री—
कतिपय समितियों के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ५०७।

माघ मेला—
इलाहाबाद———के नियम का संशोधन। खं० ६१, पृ० ३४।

मार्केटिंग सेक्शन—
प्र० वि०———के काम और उस पर खर्चा। खं० ६१, पृ० ३।

मुकद्दमा—
प्र० वि०—'लोकमत' अखबार, उरई पर अदालत की मानहानि का———। खं० ६१, पृ० ६२२।

मुकद्दमों—
प्र० वि०—चालानी———का सबूत न मिलने के कारण स्थगित किया जाना। खं० ६१, पृ० ३१३।

मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मुहम्मद असरार अहमद, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ३७१, ४२१—४२७।

मुहम्मद यूसुफ, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ३६१—३६८।

मुहम्मद रजा खां, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ५३–५४।

मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मैजिस्ट्रेट—
प्र० वि०—जिला जालौन के——— के फैसले पर सुपरिटेंडेंट पुलिस द्वारा नुक्ताचीनी। खं० ६१, पृ० ६२२।

मैजिस्ट्रेटों—
प्र० वि०———के मुकद्दमों की पाक्षिक रिपोर्ट। खं० ६१, पृ० ६०४।

मोटर वेहिकिल्स—
यू० पी०———रूल्स (नियमों) का संशोधन। खं० ६१, पृ० ३४।

म्यूजियम—
आर्कालॉजिकल———, मथुरा की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२८।
प्रान्तीय———, लखनऊ की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२८।

संयुक्त प्रान्तीय-----एडवाइजरी बोर्ड में काम करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२८।

य

यज्ञ नारायण उपाध्याय, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

यादव जाति--
प्र० वि०--बदायूं, एटा आदि जिलों में -----को जरायम पेशा करार देने के विषय में सरकारी नीति। खं० ६१, पृ० ४८४--४८९।

यू० पी० शुगर कम्पनी लिमिटेड--
प्र० वि०--जिला देवरिया में-----के फार्मो के बारे में पूछताछ। खं० ६१, पृ० ४७२--४७४।

योग्यता--
प्र० वि०--आदर्श थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये-----। खं० ६१, पृ० ४१९।
प्र० वि०--ग्राम पंचायतों के लिए इन्सपेक्टरों की-----। खं० ६१, पृ० ६२१-६२२।
प्र० वि०--मशीनरी खरीदने वाले अफसरों व निरीक्षकों के नाम, अनुभव और विशेष-----। खं० ६१, पृ० ६२२।

योजनाओं--
प्र० वि०--गढवाल ऊन-----के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ६१, पृ० ६-८।

र

रक्षक दल--
प्र० वि०-- -----और पुलिस में कशमकश। खं० ६१, पृ० ९।

रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री--
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ५२६।

रघुवीर सहाय, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

राजनीतिक आन्दोलन--
प्र० वि०-----में किये गये जुर्मानों की वापसी। खं० ६१, पृ० ४१६-४१७।

राजनीतिक पीड़ितों--
प्र० वि०-- -----को मोटर और लारियों के परमिट। खं० ६१, पृ० ३०८।
प्र० वि०-- -----को सुविधायें। खं० ६१, पृ० ४०१-४०२।
प्र० वि०--जिला गढ़वाल के-----द्वारा सरकार के पास आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० ६१, पृ० ६२०-६२१।

राजाराम शास्त्री, श्री--
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ५८९--६०९।

राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

रामकुमार शास्त्री, श्री--
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ३५६--३६७।

रामचन्द्र पालीवाल, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

रामचन्द्र सेहरा, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

रामजी सहाय, श्री--
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

राममूर्ति, श्री--
कतिपय समितियों के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ५०७।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ४३७।

रामशंकर लाल, श्री--
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ५१०--५१४।

प्र० वि०—नहर विभाग के मुंशियों का——। खं० ६१, पृ० ५५६–५५७।

प्र० वि०—संयुक्त प्रान्तीय स्कूलों के शिक्षकों के——का क्रम। खं० ६१, पृ० ३१४–३१६।

वैद्यों—

प्र० वि०—को ट्रेनिंग देकर मेडिकल कालेजों की अन्तिम परीक्षा में बैठने की सुविधा। खं० ६१, पृ० ४८३।

वैयक्तिक प्रश्न

उस्मान—

अलीगढ़ के हफिज——को हथकड़ी डाल कर जेल भेजना। खं० ६१, पृ० ४०२–४०३।

बीरबल सिंह—

जिला आजमगढ़ में महाराजगंज स्कूल के छात्र श्री——पर जुर्माना। खं० ६१, पृ० २३।

राधेश्याम—

बदायूं मे सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री——की गिरफ्तारी। खं० ६१, पृ० ५५६।

श

शरकी रजबहा—

प्र० वि०—रुड़की डिवीजन में नहर गंग से——से सिंचाई। खं० ६१, पृ० ५४८।

शराब—

प्र० वि०—पीलीभीत इत्यादि में——की दूकानों की बिक्री तथा नीलाम। खं० ६१, पृ० ४८०–४८२।

शहद—

प्र० वि०—सरकारी योजना के अन्तर्गत प्रान्त में——की पैदावार। खं० ६१, पृ० ४१९–४२०।

शारदा केनाल—

प्र० वि०——से बाराबंकी जिले को अपर्याप्त पानी। खं० ६१, पृ० ४८२–४८३।

शिकायत—

प्र० वि०—कुंवर दयाशंकर ई० एम० इन्टर कालेज, बरेली के अध्यापकों को वेतन न मिलने की——। खं० ६१, पृ० ५४५।

प्र० वि०—यमुना के किनारे के घाटों आदि वाली जमीन के सम्बन्ध में आगरे की जनता की——। खं० ६१, पृ० ४१७–४१८।

शिक्षकों—

प्र० वि०—संयुक्त प्रान्तीय स्कूलों के——के वेतन का क्रम। खं० ६१, पृ० ३१४–३१६।

शिक्षा विभाग—

प्र० वि०——के जिला इंस्पेक्टरों के अन्तर्गत हरिजन अध्यापकों का अनुपात। खं० ६१, पृ० ४७९।

शिक्षा संस्थाओं—

प्र० वि०—नई——का स्थायीकरण तथा उनकी उन्नति। खं० ६१, पृ० १८, २०।

शोक संवाद—

श्री अजीज अहमद खां तथा श्री बलभद्र सिंह की मृत्यु पर——। खं० ६१, पृ० २७, २८।

श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव की मृत्यु पर——। खं० ६१, पृ० २९, ३०।

श्रीचन्द सिंघल, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

स

संशोधन—

माघ मेला के नियम का——। खं० ६१, पृ० ३४।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स (नियमों) का——। खं० ६१ पृ० ३४।

संस्था—

प्र० वि०—औद्योगिक तथा व्यापारिक अन्वेषण के लिये किसी——की स्थापना। खं ६१, पृ० १४।

सचिव, माननीय अन्न—

बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति में कार्य करने के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२९।

यूनाइटेड प्राविंसेज नर्सेज ऐंड मिडवाइव्ज कौंसिल में काम करने के लिय दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२९।

[सचिव, माननीय अन्न]
सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रातीय शुद्ध खाद्य बिल (आलेख) । खं० ६१, पृ० ३७।
सन् १९४९ ई० का कुमायूं एनिमल ट्रांसपोर्ट कंट्रोल अमेंडमेंट आर्डिनेंस। खं० ६१, पृ० ३४।
सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज एकमोडेशन रिक्वीजीशन (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस। खं० ६१, पृ० ४२१।
सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐंड इविक्शन आर्डिनेंस। खं० ६१, पृ० ४२१।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय औषधि (नियंत्रण) आर्डिनेंस। खं० ६१ पृ० ३४।
सन् १९५० ई० का संयुक्त प्रान्तीय जूट की बनी वस्तुओं के नियंत्रण का आर्डिनेंस। खं० ६१, पृ० ३२८।
सचिव, माननीय पुलिस—
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स (नियमों) का संशोधन। खं० ६१, पृ० ३४।
सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज रिक्वीजीशन आफ मोटर वेहिकिल्स (इमर्जेन्सी पावर्स) अमेंडमेंट ऐंड प्रोसीडिंग्स वेलिडेशन आर्डिनेंस। खं० ६१, पृ० ३४।
सचिव, माननीय प्रधान—
जालौन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट के उप-चुनाव के सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३१, ३२।
श्री अजीज अहमद खां तथा श्री बलभद्र सिंह की मृत्यु पर शोक संवाद। खं० ६१, पृ० २७।
श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव की मृत्यु पर शोक-संवाद। खं० ६१, पृ० २९।
सन् १९४९ ई० का इण्डियन बार कौंसिल्स यू० पी० अमेंडमेंट ऐंड वेलिडेशन आफ (प्रोसीडिंग्स) आर्डिनेंस। खं० ६१, पृ० ३४।
सन् १९४९ ई० का कोआपरेटिव सोसायटीज (संयुक्त प्रांतीय संशोधक) बिल। खं० ६१, पृ० ३७, ३८।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांत के शरणार्थियों को बसाने के लिये (भूमि प्राप्त करने का) (संशोधन) बिल। खं० ६१, पृ० ३८-४०।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ३५।
सचिव, माननीय माल—
कृषि तथा पशु-पालन स्थायी समिति में स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह द्वारा रिक्त हुये स्थान के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२८।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय कोर्ट फीस (संशोधन) आर्डिनेंस। खं० ६१, पृ० ३२८।
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ३४, ३५-३७, ४०-४२, ५०, ५८, ४३८-४३९, ४८९, ५०१, ५०२।
संयुक्त प्रान्तीय कोर्ट आफ वार्ड्स एडवाइजरी बोर्ड में काम करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२८।
सचिव, माननीय शिक्षा—
प्रान्तीय विश्वविद्यालय लखनऊ की प्रबन्ध-कारिणी समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२८।
सन् १९४९ ई० का यू० पी० इन्टर-मीडिएट एजूकेशन (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस। खं० ६१, पृ० ३२८।
सचिव, माननीय सार्वजनिक निर्माण—
भारतीय पार्लियामेंट में २५ रिक्त स्थानों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ५७४।
सचिव, माननीय स्वशासन—
इलाहाबाद माघ मेला के नियम का संशोधन। खं० ६१, पृ० ३४।
हरिद्वार कुंभ मेला के नियम। खं० ६१, पृ० ३४।

सड़क—
प्र० वि०—लैन्सडाउन से गुमखाल तक मोटर———बनवाना। खं० ६१, पृ० ६१७।

सदस्यता—
प्र० वि०—कोआपरेटिव सोसाइटी की ———के लिये नियम। खं० ६१, पृ० ४६७।

समिति—
आर्कालाजिकल म्यूजियम, मथुरा की प्रबन्धकारिणी ———के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२८।
कृषि तथा पशु पालन स्थायी———में स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह द्वारा रिक्त हुये स्थान के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२९।
प्रान्तीय म्यूजियम लखनऊ की प्रबन्धकारिणी ———के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पृष्ठ ३२८।

सरकारी दफ्तरों—
प्र० वि०—अदालतों तथा——— में देवनागरी लिपि के प्रयोग का अभाव। खं० ६१, पृ० ३१२।

सरकारी मोटरगाड़ियों—
प्र० वि०—एटा से कासगंज तक ———का चालू किया जाना। खं० ६१, पृ० ४८४।

सरकारी सहायता—
प्र० वि०—संयुक्त प्रान्त में डेरियों को ———। खं० ६१, पृ० ५५५।

सरजू—
प्र० वि०—गोंडा लखनऊ मार्ग में——— तथा घाघरा पर पुलों की आवश्यकता। खं० ६१, पृ० ५५३।

सरपंचों—
प्र० वि०—पंचायती अदालतों के ———के चुनाव के सम्बन्ध में झगड़े। खं० ६१, पृ० ३०६।

साजिद हुसैन, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बि ५०–५१।]

सामान खरीदना—
प्र० वि०—कुछ सरकारी विभागों का डाइरेक्ट (सीधे)———। खं० ६१, पृ० ४, ५।

सामूहिक चन्दा—
प्र० वि०—फर्रुखाबाद जिले में सन् १९४०–४२ ई० तक———। खं० ६१, पृ० ५५९–५६१।

सामूहिक जुर्माना—
प्र० वि०—फर्रुखाबाद जिले में सन् १९४०–४२ ई० तक———। खं० ६१, पृ० ५५८–५५९।

साम्प्रदायिक अनुपात—
प्र० वि०—जिला बिजनौर के पंचायती चुनाव में———। खं० ६१, पृ० ५४८।

साम्प्रदायिकता—
प्र० वि०— ———समाप्त करने के लिए सरकारी नीति तथा तरीके। खं० ६१, पृ० ६१९–६२०।

सिविल अस्पताल—
प्र० वि०—कन्नौज के———का प्रान्तीयकरण। खं० ६१, पृ० ५५७।

सीमेंट और रेयान फैक्टरियों—
प्र० वि०— ———के लिये मशीनों की खरीद। खं० ६१, पृ० ५४५–५४६।

सीर के खेतों—
प्र० वि०—किसानों से———का छीना जाना। खं० ६१, पृ० ४१४।

सुपरवाइजर—
प्र० वि०—ग्राम सुधार आर्गेनाइजरों का कोआपरेटिव सोसाइटी के अन्तर्गत ———बनाया जाना। खं० ६१, पृ० ५५१–५५२।

सुपरवाइजरों—
प्र० वि०—कोआपरेटिव विभाग के ——— का वेतन। खं० ६१, पृ० ५५२।

सुपरिटेंडेंट पुलिस
प्र० वि०—जिला जालौन के मेजिस्ट्रेट के फैसले पर———द्वारा नुक्ताचीनी। खं० ६१, पृ० ६२२।
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
सुल्तान आलम खां, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ४८६, ५१४—५२८, ५६८—५७०।
सुविधायें—
प्र० वि०—राजनीतिक पीड़ितों को ———। खं० ६१, पृ० ४०१—४०२।
सेक्रेटेरियट—
प्र० वि०—पिछले दो आर्थिक वर्षों में ———में अवैतनिक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति। खं० ६१, पृ० ४७५—४७७।
प्र० वि०—विभिन्न वर्षों में सिविल——— में प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों की संख्या। खं० ६१, पृ० ३०७।
सोशल वर्कर्स—
प्र० वि०— ———को बन्दूक और पिस्तौल के लाइसेंसों का दिया जाना। खं० ६१, पृ० ३०६।
सोशलिस्टों—
प्र० वि०—हरनौट, जिला अलीगढ़ में कम्यूनिस्टों और———की गिरफ्तारी खं० ६१, पृ० ५५६।
स्कूल—
प्र० वि०—लैंसडाउन, गढ़वाल की जनता का सरकार के पास लड़कियों के——— में कक्षा ९ खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० ६१, पृ० ६१६—६१७।
स्कूल्स—
प्र० वि०—प्रान्त में सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ———और डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ———की नियुक्ति। खं० ६१, पृ० १७।
स्टोर पर्चेज डिपार्टमेंट—
प्र० वि०— ———तथा उसके अफसरान के विरुद्ध सरकारी कार्यवाही। खं० ६१, पृ० ६२२—६२४।

स्थानिक प्रश्न

अलीगढ़—
———के हाफिज उस्मान को हथकड़ी डालकर जेल भेजना। खं० ६१, पृ० ४०२—४०३।
अल्मोड़ा—
जिला———में मधुमक्खी पालने के लिये सहायता। खं० ६१, पृ० ४२०—४२१।
आगरा—
———जिले में डकैतियों की रोक-थाम। खं० ६१, पृ० ३९९—४००।
आगरे—
प्र० वि०—यमुना किनारे की घाटों आदि पर की जमीन के सम्बन्ध में——— की जनता की शिकायत। खं० ६१, पृ० ४१७—४१८।
आजमगढ़—
——की जजी कचहरी में कर्मचारियों की तरक्की। खं० ६१, पृ० ५५१।
———जिले में गांधी हरिजन गुरुकुल को सरकारी सहायता। खं० ६१, पृ० ४७९—४८०।
जिला———में महाराजगंज स्कूल के छात्र श्री बीरबल सिंह पर जुर्माना। खं० ६१, पृ० २३।
इटियाठोक—
गोंडा जिला के आदर्श थाना——— में जुर्मों की अधिकता। खं० ६१, पृ० ५५२।
इलाहाबाद—
———माघ मेला के नियम का संशोधन। खं० ६१, पृ० ३८।
सन् १९४८—४९ में जिला———में राजनीतिक पीड़ितों को पब्लिक कैरियर्स के परमिट। खं० ६१, पृ० २१।
उरई—
'लोकमत' अखबार,———पर अदालत की मानहानि का मुकदमा। खं० ६१, पृ० ६२२।

ऋषीकेश—
-----के निकट अवस्थित पशुलोक का आय व्यय। खं० ६१, पृ० ४८४–४८५।
----में खाद बनाने को योजना। खं० ६१, पृ० ४८४।

एटा—
----से कासगंज तक सरकारी मोटर गाड़ियों का चालू किया जाना। खं० ६१, पृ० ४८४।

कन्नौज—
-- --के सिविल अस्पताल का प्रान्तीय-करण। खं० ६१, पृ० ५५७।
-----में जनाना अस्पताल की आवश्यकता। खं० ६१, पृ० ५५७।
-----में हथियारों की जब्ती। खं० ६१, पृ० ५५७–५५८।

कमोला—
प्र० वि०-----धमोला जिला नैनीताल से पशुओं की चोरी। खं० ६१, पृ० ५४७।

कानपुर—
-----में गल्ला गोदाम का उद्घाटन। खं० ६१, पृ० ५६१–५६२।
------म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन का त्याग पत्र। खं० ६१, पृ० ९–१०।

कासगंज—
एटा से-----तक सरकारी मोटर गाड़ियों का चालू किया जाना। खं० ६१, पृ० ४८४।

कुंडवा—
रियासत-----, तमकोही, सलेमगढ़ तथा पडरौना में परती जमीन। खं० ६१, पृ० ४७०–४७१।

केदारनाथ—
प्र० वि०—पिछले चार वर्षों में बद्रीनाथ तथा-----में आटा तथा चावल का भाव। खं० ६१, पृ० ३२५।
बद्रीनाथ-----के यात्रियों को सुविधाएं। खं० ६१, पृ० ३२६–३२८।

खजुहा—
------तहसील जिला फतेहपुर में सरकारी गल्ला वसूली की कीमत और बाजार भाव के फर्क का वसूल किया जाना। खं० ६१, पृ० ३२२।

खीरी-
-----जिला के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई इन्स्पेक्टर के विरुद्ध अभियोग। खं० ६१, पृ० ६१८–६१९।

गढ़वाल—
अपर-----के हरिजनों को सहायता। खं० ६१, पृ० २०।
------ऊन योजनाओं के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ६१, पृ० ६–८।
जिला-----के राजनीतिक पीड़ितों द्वारा सरकार के पास आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० ६१, पृ० ६२०–६२१।
-----जिले में यात्रा लाइन पर काम करने वाले सरकारी सैनीटरी इन्सपेक्टरों तथा मेहतरों का वेतन। खं० ६१, पृ० ३२४।

गुमखाल—
लैंसडाउन से-----तक मोटर सड़क बनवाना। खं० ६१, पृ० ६१७।

गोंडा—
------जिला के आदर्श थाना इटियाठोक में जुर्मों की अधिकता। खं० ६१, पृ० ५५२।
------में इटियाठोक खरगपुर सड़क की खराब हालत। खं० ६१, पृ० ५५४।

गोंडा-लखनऊ—
-----मार्ग में सरजू तथा घाघरा पर पुलों की आवश्यकता। खं० ६१, पृ० ५५३।

चमोली—
------तहसील के क्लर्कों की महंगाई बढ़ाने के लिये जिलाधीश, गढ़वाल का प्रार्थना-पत्र। खं० ६१, पृ० ३२५।

चुर्खी—
------जिला जालौन में पंडित रामचरण के क़त्ल की झूठी खबर। खं० ६१, पृ० ५५१।

[स्थानिक प्रश्न]

जालौन—

जिला———के भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी की कार्यवाही। खं० ६१, पृ० ६२५–६२६।

जिला———के मजिस्ट्रेट के फैसले पर सुपरिटेंडेंट पुलिस द्वारा नुक्ताचीनी। खं० ६१, पृ० ६२२।

झांसी—

———इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा बिजली का उत्पादन तथा वितरण। खं० ६१, पृ० ३१[illegible]।

तमकोही—

रियासत कुंडवा,———, सलेमगढ़ तथा पडरौना में परती जमीन। खं० ६१, पृ० ४७०–४७१।

तराई भावर—

———गवर्नमेंट स्टेट का सुधार। खं० ६१, पृ० ३१९।

———गवर्नमेंट स्टेट के किसानों को माफी की लकड़ी और सीमेंट की सप्लाई किया जाना। खं० ६१, पृ० ३२०।

देवरिया—

जिला———में खेती के योग्य परती जमीन। खं० ६१, पृ० ४७०।

जिला———में गेहूं के बीज के दाम। खं० ६१, पृ० ४७०।

प्र० वि०—जिला———में बीज तथा तकावी की वसूली। खं० ६१, पृ० ४७०।

———जिले में पुलिस के अमले में वृद्धि। खं० ६१, पृ० ४७२।

जिला———में यू० पी० शुगर कम्पनी लिमिटेड के फार्मों के बारे में पूछ-ताछ। खं० ६१, पृ० ४७२–४७४।

धमोला—

कम्पोरा———जिला नैनीताल से पशुओं की चोरी। खं० ६१, पृ० ५८७।

पडरौना—

रियासत कुंडवा, तमकोही, सलेमगढ़ तथा———में परती जमीन। खं० ६१, पृ० ४७०–४७१।

पीलीभीत—

इत्यादि में शराब की दूकानों की बिक्री तथा नीलाम। खं० ६१, पृ० ४८०–४८२।

———में सेशन्स के मुकदमों की सुनवाई तथा असेसरों की उपस्थिति। खं० ६१, पृ० ३१०–३१२।

फतेहपुर—

———जिले में गल्ले की वसूली। खं० ६१, पृ० ३२१।

———शहर में कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स का सरकारी बोरों को अधिक दामों पर खरीदना। खं० ६१, पृ० ३९८–३९९।

फर्रुखाबाद जिले—

———में १९४२ ई० से १९४५ ई० तक सामूहिक जुर्माना। खं० ६१, पृ० ५५८–५५९।

———में सन् १९४०–४२ ई० तक सामूहिक चन्दा। खं० ६१, पृ० ५५९–५६१।

फीरोजाबाद—

———के घरेलू उद्योग-धंधों को सरकारी सहायता। खं० ६१, पृ० २४–२६।

फैजाबाद—

जिला———के घरेलू उद्योग-धंधों के विषय में पूछ-ताछ। खं० ६१, पृ० ४१०–४१४।

बदायूं—

जिला———में बिजली के लोड में वृद्धि। खं० ६१, पृ० ४०६–४०७।

———में एडल्ट एजूकेशन के लिये रुपये का वितरण। खं० ६१, पृ० १४, १५।

———में सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री राधेश्याम की गिरफ्तारी। खं० ६१, पृ० ५५६।

———एटा आदि जिलों में यादव जाति को जरायम पेशा करार देने के विषय में सरकारी नीति। खं० ६१, पृ० ४७८–४७९।

बद्रीनाथ——
-----केदारनाथ के यात्रियों को सुविधाएं। खं० ६१, पृ० ३२६-३२८।
पिछले चार वर्षों में-----तथा केदारनाथ में आटा तथा चावल का भाव। खं० ६१, पृ० ३२५।

बनारस——
-----के अनाथालयों और विधवाश्रमों की पुलिस द्वारा जांच। खं० ६१, पृ० १०, ११।

बरेली——
कुंवर दयाशंकर ई० एम० कालेज इन्टर कालेज-----के अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत। खं० ६१, पृ० ५४५।

बलिया——
-----के जिलाधीश के कार्यालय के पेड अपरेंटिस के विषय में पूछ-ताछ। खं० ६१, पृ० २०, २१।

बस्ती——
----जिला में लारियों का कुप्रबन्ध। खं० ६१, पृ० १८, १९।

बहराइच
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड----- के पशु-बध सम्बन्धी उपनियमों पर सरकारी नीति पर असन्तोष। खं० ६१, पृ० ४००-४०१।

बांदा——
-----के आस-पास जुए की अधिकता। खं० ६१, पृ० ५५०।
-----कोतवाली में चोरी की रिपोर्ट। खं० ६१, पृ० ५५०।
-----जेल में एक कैदी की जहर से मृत्यु। खं० ६१, पृ० ५५०-५५१।

बाराबंकी——
शारदा कैनाल से-----जिले को अपर्याप्त पानी। खं० ६१, पृ० ४८२-४८३।

बिजनौर——
-----जिला के पंचायती चुनाव में साम्प्रदायिक तनातनी। खं० ६१, पृ० ५४८।

बुलन्दशहर——
-----जिला प्रदर्शिनी का प्रबन्ध और उस पर खर्च। खं० ६१, पृ० ३०९, ३१०।

भिकारीपुर——
----- जिला पीलीभीत से पंचायत के चुनाव के सम्बन्ध में शिकायत। खं० ६१, पृ० ८, ९।

महाराजगंज——
जिला आजमगढ़ में-----स्कूल के छात्र श्री बीरबल सिंह पर जुर्माना। खं० ६१, पृ० २३।

महोली——
-----जिला सीतापुर के आदर्श थाने में चोरी, डकैती तथा खून के मामलों की संख्या। खं० ६१, पृ० ४१८।

मुजफ्फरनगर——
मुरादाबाद,-----और सहारनपुर जिलों में बिजली की सप्लाई। खं० ६१, पृ० ३१३।

मुरादाबाद——
-----, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों में बिजली की सप्लाई। खं० ६१, पृ० ३१३।

लैंसडाउन——
-----गढ़वाल की जनता का सरकार के पास लड़कियों के स्कूल में कक्षा ९ खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० ६१, पृ० ६१६-६१७।
-----से गुमखाल तक मोटर सड़क बनवाना। खं० ६१, पृ० ६१७।

शाखा ग्राम——
फतेहपुर जिले के-----में ६ आदमियों से १,६०० रु० वसूल करने का मामला। खं० ६१, पृ० ३२०-३२१।

सलेमगढ़——
रियासत कुंडवा, तमकोही-----तथा पडरौना में परती जमीन। खं० ६१, पृ० ४७०-४७१।

सहारनपुर——
मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और ----- जिलों में बिजली की सप्लाई। खं० ६१, पृ० ३१३।

[सहारनपुर]
——म्युनिसिपैलिटी द्वारा वाटर वर्क्स व ड्रेनेज के लिये प्रान्तीय सरकार से ऋण की मांग। खं० ६१, पृ० ४८३।

सीतापुर——
जिला——में गांव सभा के मंत्रियों का चुनाव। खं० ६१, पृ० ४१९।

हरदोई——
——जिले में १९४८–४९ में चोरी डकैती और कत्ल की घटनायें। खं० ६१, पृ० ३१३।

हरनोट——
——जिला अलीगढ़ में कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों की गिरफ्तारी। खं० ६१, पृ० ५५६।

हरिद्वार——
——कुंभ मेला के नियम। खं० ६१, पृ० ३८।

स्पीकर, माननीय——
कतिपय समितियों के लिये सदस्यों के चुनाव का कार्यक्रम। खं० ६१, पृ० ४३०–४३१।

जालौन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट के उप चुनाव के सम्बन्ध में 'काम–रोको' प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३१, ३२।

देवरिया जिले में रबी की फसल, किसान सत्याग्रह तथा सत्याग्रही बन्दियों के विषय में 'काम–रोको' प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२।

प्रान्त में चीनी के मूल्य नियंत्रण के सम्बन्ध में 'काम–रोको' प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३३।

भूमिधरी अधिकार तथा जमींदारी तथा उन्मूलन कोष एकत्र करने के विषय में 'काम–रोको' प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२।

श्री अजीज अहमद खां तथा श्री बलभद्र सिंह की मृत्यु पर शोक संवाद। खं० ६१, पृ० २८।

श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव की मृत्यु पर शोक संवाद। खं० ६१, पृ० ३०।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ३५––४२१, ४३० ४८६, ४९१, ५६२।

सन् १९४९ ई० के रुड़की विश्वविद्यालय (यूनीवर्सिटी) संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा। खं० ६१, पृ० ३३।

सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधेयक (बिल) पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा। खं० ६१, पृ० ३३।

सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (संशोधन और कार्यवाहियों को वैध करने के) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा। खं० ६१, पृ० ३३।

ह

हड़ताल——
प्र० वि०—जिला बोर्ड के अध्यापकों की ——से सहानुभूति प्रकट करने पर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की बरखास्तगी। खं० ६१, पृ० ३९८।

हथकड़ी——
प्र० वि०—अलीगढ़ के हाफिज उस्मान को——डालकर जेल भेजना। खं० ६१, पृ० ४०२–४०३।

हथियारों——
प्र० वि०—कन्नौज में——की जब्ती। खं० ६१, पृ० ५५७–५५८।

हर गोविन्द पन्त, श्री——
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री——
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

हर प्रसाद सिंह, श्री——
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ५९, ६०।

हरिजन--
प्र० वि०--शिक्षा विभाग के जिला इंस्पेक्टरों के अन्तर्गत-----अध्यापकों का अनुपात। खं० ६१, पृ० ४७९।

हरिजनों--
प्र० वि०--अपर गढ़वाल के-----को सहायता। खं० ६१, पृ० २०।

हसरत मोहानी, श्री--
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ४३१, ४३४-४३७, ४३७-४३८, ४३८-४३९, ४३९-४४१, ४४२, ४४३, ४४७।

हस्तगत करना--
प्र० वि०--विभिन्न जिलों में इमारतों का सरकारी काम के लिये-----। खं० ६१, पृ० ३०७।

होमियोपैथी--
प्र० वि०--ऐलोपैथी,-----,आयुर्वेदिक संस्थाओं की सरकार द्वारा स्वीकृत उपाधियां। खं० ६१, पृ० ४१४-४१५।

पी० एस० यू० पी--१६९ एल० ए०--१९५१--६१०